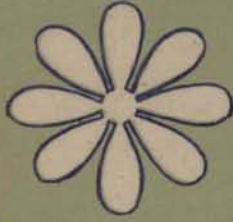
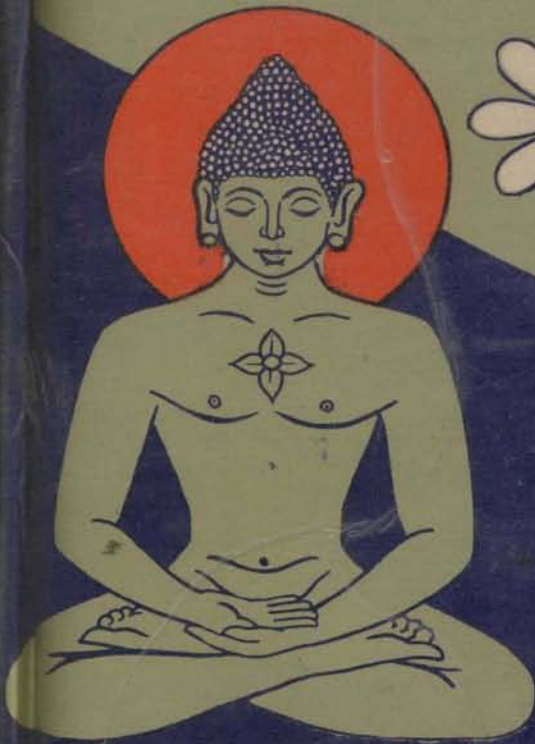


आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन

खण्ड: २
भाषा और साहित्य



राष्ट्रसन्तमुनिश्री नगराजजी डी. लिट.

The greatest distinction of Muni Shri Nagarajji's book is that communal and religious bias nowhere finds a place in it. The author is an accomplished Jaina Muni and his comprehensive outlook has made this volume extremely significant.

Another outstanding characteristic of the volume is the synthesis of an impartial outlook and depth of research. Not only will the book find a place of honour among the Jaina and Buddhist communities, but every scholar who is keen to study the two streams of SRAMANA culture, will express the highest admiration for it.

I heartily welcome this book. I also await with interest the appearance of its remaining three volumes which I hope Muni Shri Nagarajji will publish soon. It will be a great boon for scholars.

—MAUNG NU

(U. NU)

Ex-Primeminister, Burma

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन

[खण्ड २ : भाषा और साहित्य]

लेखक :

राष्ट्रसन्त सुनिश्री नगराजजी डी० लिट्०

भूमिका :

राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्री अमर मुनिजी

एक अवलोकन :

डा० प्रभाकर माधवे

निदेशक : भारतीय भाषा परिषद्, कलकत्ता

मू० पू० अध्यक्ष : साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

सम्पादक :

स्व० उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

प्रकाशक :

अर्हत् प्रकाशन

संचालक—श्री० भा० जैन श्वेताम्बर तेरापंथी समाज

३६६-३६८, तोबी कॉर्नर, ३२, हजरा स्ट्रीट,

कलकत्ता-७०० ००९

प्रकाशक :

बिमलकुमार जैन

साहित्य मंत्री, अर्हत् प्रकाशन

संचालक—अ० भा० जैन श्वे० तेरापंथी समाज

३६६-३६८, तोदी कॉर्नर,

३२, इजरा स्ट्रीट,

कलकत्ता-७०० ००१

प्रथम संस्करण :

दीपावली, संवत् २०३९

१५ नवम्बर १९८२

पृष्ठ संख्या

७३५

मूल्य : १००)०० रु०

सज्जा एवं प्रूफ-संशोधन :

मुहरसिंह जैन

रामचन्द्र सारस्वत

मुद्रक :

मेहता फाइन आर्ट प्रेस

२०, बालमुकुन्द मक्कर रोड,

कलकत्ता-७०० ००७

हरलालका आर्ट प्रिंटर्स

४२, पथरिया घाट स्ट्रीट,

कलकत्ता-७००००६

AGAM AUR TRIPITAK : EK ANUSILAN

(A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature)

VOL. II

[LANGUAGE & LITERATURE]

By

RASHTRASANT MUNISHRI NAGARAJJI D. Litt.

Preface by

RASHTRASANT UPADDYAY SHRI AMAR MUNJI

A review by

Dr. PRABHAKAR MACHAVE

Director, Bhartiya Bhasa Parishad, Calcutta

Ex. Chairman, Shitya Academy, New Delhi

Edited by

E. UPADDYAY MUMISHRI MAHENDRAKUMARJI 'PRATHAM'

Published by

ARHAT PRAKASHAN

A. B. Jain Swetamber Terapanthi Samaj

366-368, Todi Corner, 32 Ezra Street,

CALCUTTA-700 001

Published by
BIMAL KUMAR JAIN
Secretary, Arhat Prakashan
A. B. Jain Swetamber Terapanthi Samaj
366-368, Todi Corner, 32 Ezra Street,
CALCUTTA-70 0001

First Edition :
DIPAVALI, B. S. 2039
15, November 1982

Pages : 735

Price : Rs. 100.00

Display and proofs read by :
Mohar Singh Jain
Ramchandra Saraswat

Printed by :
Mehta Fine Art Press
20, Balmukund Macker Road,
Calcutta-700 007
and
Harlalka Art Printels
42 Patharia Ghatta Street
Calcutta-700 006

प्रकाशकीय

‘आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन’ खण्ड : १ कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ । यह सर्वविदित है ही कि वह साहित्यिक-जगत् में अपनी दिशा का एक कीर्तिमान बना । नाना विश्वविद्यालयों ने उसे अपने-अपने पाठ्यक्रम में रखा तथा कानपुर विश्वविद्यालय ने मुख्यतः उसी ग्रन्थ के आधार पर लेखक मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० की मानद उपाधि से सम्मानित किया । परम प्रसन्नता की बात है कि उसी गौरवपूर्ण ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का दायित्व हमारे अर्हत् प्रकाशन संस्थान को मिला ।

स्वर्गीय उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ‘प्रथम’ के अभिनिष्क्रमण-काल के अगले वर्ष सन् १९७६ से ही इस प्रकाशन संस्थान का ‘अखिल भारतीय जैन प्रवेताम्बर तेरापंथी समाज’ के दायित्व में उदय हुआ । तब से अब तक लगभग २० पुस्तकें हम प्रकाशित कर चुके हैं । अब इस विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन कर हमें हर्षानुभूति हो रही है ।

तथारूप विशाल ग्रन्थों के प्रकाशन में मुख्यतः दो तरह की कठिनाइयाँ हुआ करती हैं । एक अर्थ की और दूसरी प्रकाशन-शुद्धि की । हों दोनों ही कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ा है । राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० जैन-जैनेतर सभी समाजों में श्रद्धास्पद हैं । एक हजार से पाँच हजार तक की योजना बनाकर हम चले थे । जहाँ भी प्रस्ताव रखा, सफलता मिली व प्रस्तुत प्रयोजन से १० हजार तक के सहयोगी भी हमें मिले । आज मैं उन समस्त आर्थिक सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । उनके सहयोग से ही वर्तमान महंगाई के युग में भी हम अपना लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं ।

संस्कृत, प्राकृत, पालि, हिन्दी, अंग्रेजी आदि नाना भाषाओं के सन्दर्भों से भरे-पूरे ग्रन्थ के प्रूफ-संशोधन का कार्य भी कठिनतर था, पर हमारे अभ्यस्त एवं अनुभवी कार्यकर्ता श्री मुहरसिंह जैन व श्री रामचन्द्र सारस्वत ने उस दुरूह कार्य को भी पूर्ण जागरूकता से सहज कर बताया ।

मुद्रण-व्यवस्था की दृष्टि से हरलालका आर्ट प्रिंटर्स और मेहता फाइन आर्ट प्रेस ; इन दो प्रैसों का सहारा हमें लेना पड़ा । कलकत्ता के विद्युत् संकट के कारण विलम्ब अवश्य हुआ, पर श्री शंकरलालजी हरलालका एवं माननीय श्री मदनकुमारजी मेहता का ग्रन्थ को यथोचित ढंग से प्रकाशित करने में उल्लेखनीय योगदान रहा । श्री मेहता जी

स्वयं विद्वान् एवं मुद्रण-विशेषज्ञ हैं ही । ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन की दृष्टि से आपने कलकत्ता एवं अजमेर के अपनी दोनों प्रेसों का उपयोग किया । मैं संस्था की ओर से उक्त दोनों महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

आशा है, समीक्षक पाठक बन्धु हमारे श्रम का यथोचित अंकन करेंगे व हमें प्रोत्साहित करेंगे ।

दीपावली, १५ नवम्बर १९८२
कलकत्ता

—बिमलकुमार जैन*
साहित्य मंत्री-ग्रहंत् प्रकाशन

भूमिका

वाग्-देवता के वरद-पुत्र जिस किसी भी गूढ़, गम्भीर एवं सूक्ष्म विषय को अपने चिन्तन की सूक्ष्मता एवं तीक्ष्णता से स्पर्श कर लेते हैं, वह विद्वानों को तो क्या, साधारण जिज्ञासुओं तक के लिए भी हस्तामलवत् स्पष्ट हो जाता है। सूर्य-किरणों से जैसे कि तमसाच्छन्न वस्तु-जगत् सहसा आलोकित हो उठता है, ठीक वैसे ही सदसद् विवेकवती प्रतिभा के धनी सरस्वती पुत्रों की चिन्तन-प्रभा से दुरूह से दुरूह प्रतिपाद्य भी सहज-सरल एवं सुबोधता से प्रतिभासित हो जाता है।

स्वनामधन्य मनीषी मुनिश्री नगराजजी ऐसे ही वाग्-देवता के एक यशस्वी वरद-पुत्र हैं। उक्त कथन में अतिशयोक्ति जैसी कोई बात नहीं है। यह मैं अपने प्रिय स्नेही होने के नाते ही नहीं कह रहा हूँ। उनका तलस्पर्शी अध्ययन, चिन्तन एवं लेखन ही ऐसा है कि वह किसी भी सहृदय उदार मनीषी को ऐसा कहने के लिए सहज ही मुखर कर देता है।

मुनिश्री अपने प्रतिपाद्य विषय को केवल प्रतिपादन के लिए ही प्रतिपादित नहीं करते हैं, केवल लिखने के लिए ही नहीं लिखते हैं। वे जैसा कि उनका नाम 'नगराज' (मेरु) है। "यादव बुद्धि बलोदयम्" के शक्ति सूत्र के अनुसार काफी गहराई और साथ ही काफी ऊँचाई तक अपने अर्भाष्ट प्रतिपाद्य को प्रथम आत्मसात् करते हैं, तदनन्तर उसके मर्म को उद्घाटित करते हैं। उनका अध्ययन जैसा कि विशाल, गम्भीर एवं बहुमुखी है, वैसे ही उसको समुद्रभासित कर देने वाला उनका चिन्तन-मनन भी है। यह मणि-कांचन योग ही है, जो अपनी पूर्ण आभा से व्यक्ति के भास्वर व्यक्तित्व को जन-मन में प्रकाशमान बनाता है ; अतएव मुनिश्री स्पष्ट ही महाकवि मुरारी के शब्दों में ज्ञान-सागर के आपाताल-निमग्न पीवरतनु मन्थाचल हैं, छलांग लगाकर ऊपर ही ऊपर उड़न गति से सागर को पार करने वाले रामायण युग के वीर-वानर नहीं—

“अध्विलङ्घित एव वानरं भटैः, विद्वत्स्य गम्भीरताम् ।

आपाताल-निमग्न-पीवरतनुर, जानाति मन्थाचलः ॥”

बहुत वर्ष पहले मुनिश्री का 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन' ग्रन्थ देखने में आया था। ग्रन्थ मुद्रण में जितना महाकाय था, उतना ही वह अपने प्रतिपाद्य विषय में भी विराट् था। यह ग्रन्थ विद्वज्जगत् में काफी लोक-प्रिय रहा है। फल-स्वरूप उन्हें

इस पर कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा 'डी० लिट०' की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। ग्रन्थ वस्तुतः ही श्रमण-संस्कृति की दो प्रमुख धाराओं—जैन और बौद्ध के संगम के रूप में एक वाण्डित्यपूर्ण गम्भीर तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करता है। उक्त ग्रन्थ के द्वारा तत्कालीन अतीत इतिहास के अनेक आवृत्त तथ्यों को तटस्थ ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार उद्घाटित किया गया है, जिससे पंडित सुखलालजी जैसे अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान् भी मुनिश्री के प्रति प्रशंसामुखर हुए हैं।

अहंत् प्रकाशन, कलकत्ता द्वारा प्रकाश्यमान 'भाषा और साहित्य' नामक प्रस्तुत महाकाय ग्रन्थ भी उपरि निर्दिष्ट अनुशीलन ग्रन्थ के अनुरूप है। अतः यह उसी के दूसरे खण्ड के रूप में प्रकाशित भी हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ में भी मुनिश्री की विद्वत्ता एवं प्रतिभा के चमत्कृतिपूर्ण दर्शन होते हैं। यहां भी मुनिश्री की तुलनात्मक एवं गवेषणात्मक शैली विद्वज्जगत् की ऐतिहासिक मनीषा को आकृष्ट कर लेती है। मुनिश्री वयसा वृद्ध हो गये हैं, परन्तु, लगता है, उनकी प्रतिभा चिर यौवना है। पहले की तरह ही, अपितु, पहले से ही कहीं अधिक वह दीप्तिमती है।

ग्रन्थ की विस्तृत विषय-सूची ही अपने में एक पुस्तक का रूप लिए हुए है। भाषा विज्ञान की भारत, यूनान, यूरोप आदि शाखाओं के पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक की विकास-यात्रा का तलस्पर्शी विश्लेषण ऐसी सरल, सुबोध शैली में उपस्थित किया है, जिससे विद्वान् तो लाभान्वित होंगे ही, साधारण शिक्षित जिज्ञासु जन यथामति आत्मतोष प्राप्त कर सकेंगे।

साहित्य की विकास-यात्रा का विश्वतोमुखी बहु आयामी लेखन काफी दूर तक चिन्तन क्षितिजों का स्पर्श करता है। वैदिक वाङ्मय, वैदिक संस्कृत और उसका प्राकृत के साथ सादृश्य—जैन वाङ्मय, प्राकृत और उनके नाना प्रकार—बौद्ध साहित्य, पालि और उसकी विकास-यात्रा आदि का ज्ञान-वर्द्धक, साथ ही रोचक वर्णन है, जिससे कि मुनिश्री अध्येताओं के द्वारा सहसा साधुवादाद् हो जाते हैं।

लिपि-विज्ञान की चर्चा में तो मुनिश्री ने कमाल ही कर दिया है। पुरातन ब्राह्मी लिपि और उससे समुद्भूत विभिन्न लिपियों का विकास—खरोष्ठी लिपि और उसकी व्युत्पत्ति—जैन और बौद्ध वाङ्मय में उसके प्रयोग—अशोक और उसके पूर्ववर्ती शिलालेख आदि का इतना विस्तृत, गम्भीर एवं प्रमाण पुरस्सर विवेचन है कि उसमें अध्येता का चिन्तनशील मन गहरा और गहरा डूबता ही जाता है। वह लेखन ही क्या, जो स्वयं भी उथला हो, साथ ही पाठक के मन को भी उथला ही बनाये रखे।

ग्रन्थ के प्रतिपाद्य को मैं यहां विवेचित नहीं करना चाहता। वह तो पाठक को ग्रन्थ में उपलब्ध ही है। पाठक की जिज्ञासा को प्रारम्भ के पुरोवचन आदि में रोके

रखना कुछ अच्छा नहीं है ; अतः मैं जिज्ञासु सज्जनों से सानुरोध निवेदन करूंगा कि वे अवश्य ही जरा लम्बा समय निकाल कर मुनिश्री के प्रस्तुत ग्रन्थ का अध्ययन की दृष्टि से साद्यन्त अवलोकन करें । भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में इतना प्रमाण पुरस्सर विस्तृत विवेचन अन्यत्र और वह भी राष्ट्रभाषा हिन्दी में कम ही उपलब्ध है ।

ग्रन्थ की कुछ अवधारणाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जो तर्कशील उच्चतर मनीषियों को सम्भवतः मान्य न हों और यह कोई जरूरी भी नहीं कि सभी मान्यताएं सभी को मान्य हों । परन्तु, इतना अवश्य है कि प्रतिपाद्य की विवेचना में ऐसा कुछ है, जो प्रबुद्ध पाठक को सोचने, समझने और विचारने के लिए बाध्य करता है । और लेखक की सफलता का यही बीज-मन्त्र है, जो मुनिश्री के लेखन में स्पष्टतः परिलक्षित है ।

किमधिकम् ! मैं मुनिश्री को हृदय से सधन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि वेर से ही सही, उन्होंने 'भाषा और साहित्य' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक महान् ग्रन्थ साहित्य जगत् को अर्पित किया । यह अपने में एक ऐसी ऐतिहासिक देन है, जो भविष्य की प्रबुद्ध मनीषा को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचित सत्यार्थ से प्रकाशमान करती रहेगी ।

वीरायतन, राजगृह
३०-७-८२

—उपाध्याय अमर सुनि

एक अवलोकन

डाक्टर मुनिश्री नगराजजी जैन दर्शन और इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। उनकी 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन' अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक है। उसकी समीक्षा करने का सौभाग्य मुझे मिला था। बारह वर्ष बाद उन्होंने 'विश्व-भाषा-प्रवाह' नामक इस बृहद् ग्रन्थ की रचना की है। उनकी अत्यन्त व्यापक और उदार दृष्टि के कारण यह एक तरह से भारतीय भाषा-विज्ञान के इतिहास और प्रगति का संक्षिप्त विश्वकोश ही बन गया है।

इसमें आरम्भिक खण्ड भाषा के दर्शन का है। यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के साथ-साथ मुनिश्री ने ग्रीक, लैटिन, हिब्रू मान्यताओं का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वैदिक, बौद्ध और जैन विचार-धाराएं बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत की हैं। उनकी विवेचना तर्क-संगत और प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर ही की गई हैं; अतः इस सारी सामग्री में मतभेद का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। मुनिश्री ने सारी संभाव्य खण्डन-मण्डनात्मक बातें स्वयं सामने रख दी हैं। एक व्यक्ति के इस अपार परिश्रम और दीर्घ अध्यवसाय को देखकर मैं विस्मित हो जाता हूँ। एकान्त और एकाग्र सामग्री-चयन का ही यह प्रतिफल है।

भाषा के प्रति विभिन्न धर्म और मतवादों का क्या आप्रहं रहा है, यह मुनिश्री की अगली विश्लेषणापरक समीक्षा का विषय रहा है। यद्यपि द्राविड़ भाषाओं के वैयाकरणों का मत यहां छूटा-सा लगता है, फिर भी भारतीय आर्य भाषाओं का सम्यक् विचार इस खण्ड में है।

प्राचीन भाषाओं के भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रवास पर विद्वानों में पर्याप्त मत-मतान्तर हैं—आर्य भारत में ही थे या बाहर से आये—यह एक ऐसा ही विषय है। बहुत कुछ हमारी धारणाएं पश्चिम के विद्वानों के काल-निर्णय निश्चित करने और उनके अपने पूर्वाग्रह के कारण उधार ली हुई हैं—और उनसे उबरने के लिए हमें अपने मूल उत्सों की ओर जाना चाहिए। आज भी दुर्भाग्य से, भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान विभागों के अध्यक्ष आदि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस से ही अपना प्रकाश लेते हैं। बहुत कम विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय या एशियाई भाषाओं के अधिकारी विद्वान् हैं। पालि-प्राकृत, अपभ्रंश के जानकर तो और भी कम हैं।

ऐसी स्थिति में मुनिश्री के ग्रन्थ में तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों की सामग्री बहुत मूल्यवान् है। भारत में इन विषयों के गिने-चुने अधिकारी विद्वान् थे और वे अब नहीं रहे—पं० सुखलालजी, डा० गुणे, राहुल सांकृत्यायन, प्रो० उपाध्ये, वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, प्रो० टी० पी० मोनाक्षीसुन्दरम् पिल्लै। जो जीवित विद्वान् हैं, वे किसी एक शाखा के विशेषज्ञ मात्र हैं। सर्वकार दृष्टि वाले, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त पालि-प्राकृत के विशिष्ट ज्ञाता सारे देश में एक दर्जन से ऊपर नहीं होंगे। मुनिश्री उनमें शीर्ष-स्थानीय हैं।

अधिकांश विवेचन जिसे पश्चिमीय शब्दावली में 'डिस्क्रिप्टिव' और 'हिस्टारिकल लिग्विस्टिक्स' कहा जाता है, उसी कोटि का है। सातवें अध्याय से मुनिश्री लिपियों के विकास की ओर मुड़ गये हैं। गौरीशंकर हीराचन्द ओझा और सी० शिवराममूर्ति के कार्य से यह आगे नहीं बढ़ पाया है।

परन्तु इस बृहत् ग्रन्थ का सर्वाधिक मौलिक और स्थायी महत्व का अंश है अध्याय आठवां—“आर्य (अर्द्धमागधी) प्राकृत और आगम वाङ्मय” पर मुनिश्री ने दिग्म्बर और श्वेताम्बर मान्यताओं की सापेक्ष और तुलनात्मक विवेचना की है। यहां ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान तथा विवेचन-शास्त्र की समूचे सम्मतित अनुभव और जानकारी का उत्तम उपयोग किया गया है। कई नई-नई बातें इस अध्याय को पढ़कर मुझे जानने को मिलीं। प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता एवं व्याकरण डा० पिशेल ने ‘उत्तराध्ययन’ तथा ‘दशवैकालिक’ को प्राकृत के भाषाशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाया था। मुनिश्री ने उसी आलोक में और भी कई स्थापनाएं उपस्थित की हैं।

बस्तुतः भाषा-विज्ञान केवल शब्द-चर्चा या वाक्य-शवच्छेदन नहीं है। वह व्याकरण से अधिक व्यवहार-करण है। ‘शास्त्राद् रुढ़िर्बलीयसी’। एक-एक शब्द या रचना के पीछे एक-एक पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक-ऐतिहासिक पीठिका होती है। उसकी गवेषणा करने से वह समझ में आता है कि कोई भी विचार अपने आप में एकाकी, अप्रभावित, अलौकिक नहीं होता। वह मानव-निर्मित, मानव-पोषित मानव द्वारा सचेतन या अचेतन रूप में परिवर्तित होता रहता है। मुनिश्री प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के समदृष्टि अध्येता हैं; अतः उनके इस बृहद् ग्रन्थ का विचार-वैभव हिन्दी के लिए एक अनुपम देन है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी में जो इस सम्बन्ध में विचार उपलब्ध हैं, वह केवल हिन्दी भाषा-भाषी के लिए एक बन्द पुस्तक है। यहां तक कि भारत की विभिन्न भाषाओं में इन विषयों पर जो लिखा गया है, वह भी पूरी तरह जानने की बड़ी आवश्यकता है। तभी हम कोई नये निष्कर्ष निकाल सकेंगे।

उदाहरणार्थ, दरद भाषा-समूह को लें। कश्मीर में कश्मीरी भाषा (‘क’ ‘शीर’) को लेकर दो विचारधाराएं हैं। पैशाची प्राकृत और संस्कृत के प्रभाव के साथ-साथ प्राचीन कश्मीरी पर एक ओर से पहलवी, पश्तो और पुरानी फारसी का, वैसे ही दूसरी ओर तिब्बती-मंगोल भाषाओं का भी प्रभाव है। कई ध्वनियां और शब्द मध्य-पूर्व के देशों से ज्यों-के-त्यों लिये गये हैं।

मुनिश्री नगराजजी का मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि उनकी इस महान् कृति का मैं परिचय पा सका। यह ग्रन्थ एक संग्रहणीय और सहज पठनीय कृति बन गई है। इससे आधुनिक भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन-अध्यापन में बहुत सहायता ले सकेंगे। मैं मुनिजी के इस ग्रन्थ की महत्ता इन्हीं शब्दों में कहूंगा कि जहां-जहां भारतीय भाषा विज्ञान के ग्रन्थ हों, इस ग्रन्थ जैसी पुस्तक से उन ग्रन्थालयों की शोभा बढ़ेगी।

कलकत्ता

८-११-१९८२

—प्रभाकर साचवे

प्रस्तावना

‘आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन’ ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विषय था—इतिहास और परम्परा। प्रस्तुत द्वितीय खण्ड का विषय है—भाषा और साहित्य। आगमों की भाषा प्राकृत और त्रिपिटकों की भाषा पालि का वर्तमान भाषा-विज्ञान में क्या स्थान है, वे किस भाषा-परिवार से सम्बद्ध हैं, यह ग्रन्थ की आदि चर्चा का विषय है। वर्तमान भाषा-विज्ञान बहुत विकसित हो चला है व हो रहा है। उसे समझे बिना हम प्राकृत व पालि के सही स्वरूप को समझ पा रहे हैं, यह हमारा भ्रम ही हो सकता है। इसी हेतु से वर्तमान भाषा-विज्ञान को भी पर्याप्त विस्तार से यहां लिख देना पड़ा है जो कि जैन-साहित्य में सम्भवतः प्रथम बार ही प्रस्तुत हुआ होगा। आज प्रत्येक बात व प्रत्येक वस्तु अन्तर्राष्ट्रीय महत्व पा सकती है वशतः कि उसे विश्वजनीन मान-दण्डों के सन्दर्भ से प्रस्तुत किया जा सके। प्राकृत व पालि भाषाएँ केवल धर्म-शास्त्रों के आयाम तक ही सीमित रखी जाती हैं तो उनका दायरा बहुत छोटा रह जाता है, केवल जैनों व बौद्धों तक। भाषा शास्त्रीय सन्दर्भ पाकर वे विश्वमान्य भाषा परिवारों से सम्बद्ध हो जाती हैं अर्थात् वे सम्प्रदाय के पिजरे से निकल कर अपने अस्तित्व बोध का मुक्त-गगन पा लेती हैं।

आर्य भाषाओं का विवरण लिखते संस्कृत भी अविनाभावि रूप से प्रस्तुत हो जाती है। उस पर भी मैंने भाषा शास्त्रीय विचार कर दिया है। आगम व त्रिपिटक साहित्य की तरह वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद् आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया है।

आगम अभिधा से मैंने समग्र पैंतालीस आगम ही विवेचित किये हैं। बत्तीस व पैंतालीस के साम्प्रदायिक भेद को नगण्य मानकर उपेक्षित ही किया है। दिगम्बर-शास्त्र आगम नहीं कहलाते हैं, पर उनका सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से ही है तथा आगमवत् ही उनकी गुरुता सम्बन्धित परम्परा में मानी गई है; अतः उन्हें भी मैंने अपने विवेचन में समग्रतः ले लिया है।

जैन व बौद्ध, दिगम्बर व श्वेताम्बर उक्त भेद-प्रभेदों की सतह से ऊपर रहकर ही मीमांसा करने का मेरा लक्ष्य रहा है। मैं अपने अभिप्रेत में कहां तक सफल रहा हूँ, यह तो विज्ञ पाठकों की अनुभूति का विषय ही हो सकता है। जैन या बौद्ध, श्वेताम्बर या दिगम्बर सभी प्रणेता आचार्यों के प्रति मेरे मन में समान ही श्रद्धा-भाव रहा है; अतः तथ्य

प्रतिपादन में मानसिक उच्चावचता मेरे कहीं बाधक नहीं बनी, ऐसी मेरी अपनी अनुभूति है।

भाषा एवं लिपि का ग्रन्थोन्माश्रित सम्बन्ध है। अतः एक पूरा अध्याय लिपि-कला के उद्भव और विकास पर ही लिखा गया है। शिलालेखों व स्तम्भ-लेखों की प्राकृत पर विचार करते एक स्वतंत्र अध्याय में शिलालेखों व स्तम्भों का भी पूरा लेखा-जोखा दे दिया गया है। भद्रबाहु प्रथम, द्वितीय, चन्द्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, यापनीय संघ, श्वेताम्बर व दिगम्बर परम्परा के स्फुट धारणा-भेद आदि नाना विषय आपाततः चर्चित कर दिये गये हैं ताकि विवाद-संकुल बातें भी समीक्षात्मक रूप से स्पष्ट हो सकें। कुल मिलाकर मेरा यही अभिप्राय रहा है कि ग्रन्थ विद्वद्-भोग्य होने के साथ जन-भोग्य भी बन सके। दुर्लभ विषय भी पाठकों के सरलता व सरसता से समझ में आ सके।

प्रस्तुत दूसरे खण्ड का लेखन वि० संवत् २०३० के मेरे चुरू चातुर्मास में हुआ। उस समय मेरे अनन्य सहयोगी मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' व 'द्वितीय' दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं थे। 'प्रथम' कलकत्ता में थे तथा 'द्वितीय' आचार्य श्री के साथ दिल्ली में। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। संयोगतः साहित्य प्रेमी व समाजसेवी श्री सोहनलालजी हीरावत ने डा० छगनलाल शास्त्री को आमंत्रित कर लिया। वे २-३ महीने मेरे पास रहे। उनका श्लाघनीय योगदान मेरे साहित्य-अनुसन्धान कार्य में रहा।

कुल २-३ वर्षों में मेरा लेखन-कार्य सम्पन्न हो गया। सम्पादन की दृष्टि से सारी लेख-सामग्री मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के पास क्रमशः कलकत्ता व बनारस जाती रही। मेरे अभिनिष्क्रमण से पूर्व ही सम्पादन कार्य भी लगभग सम्पन्न हो गया।

ग्रन्थ का प्रथम खण्ड वि० संवत् २०२६ में प्रकाशित हो गया था। दूसरा खण्ड अब वि० संवत् २०३९ में प्रकाशित हो रहा है। इतने लम्बे अन्तराल के अनेक कारण हैं। वि० संवत् २०२७ में हम लोग दिल्ली आ गये। वहां लगातार ३ वर्ष भगवान् महावीर की २५०० वीं निर्वाण जयन्ती, रायपुर व चुरू के अग्नि-परीक्षा-प्रकरण आदि कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि दूसरा खण्ड आरम्भ करने की बात मैं सोच ही नहीं सकता था। तदनन्तर चुरू चातुर्मास तथा उसके अगले वर्ष शादुलपुर चातुर्मास में लेखन-कार्य प्रायशः सम्पन्न हो गया। मेरे जीवन में लगभग यह क्रम रहा है—राजधानियों के प्रवास में जन-सम्पर्क व जन-हित और गांवों व कस्बों के प्रवास में स्वान्तः सुखाय साहित्य-साधना।

इसी वर्ष संवत् २०३१ में मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' का बनारस में अभिनिष्क्रमण हो चुका था। कई वर्षों से चला आ रहा सामाजिक संघर्ष पूर्णतः ज्वार पर आ गया। सारी स्थितियां संदिग्ध हो गईं। उस संदिग्ध स्थिति में ग्रन्थ का प्रकाशन संभव भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था। उक्त घटना-प्रसंग के दो वर्ष पश्चात् ही मेरा

अभिनिष्क्रमण हो गया। कलकत्ता तक की सुदूर यात्रा हो गई। कलकत्ता में संवत् २०३५ में मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' की विद्यमानता में ही अर्हत् प्रकाशन की ओर से ग्रन्थ का प्रकाशन आरम्भ हो गया। ४ वर्ष का प्रलम्ब समय जो प्रकाशन-कार्य में लगा, उसका मुख्य हेतु तो कलकत्ता का विद्युत्-संकट ही रहा है। अस्तु, पाठकों का चिरप्रतीक्षित ग्रन्थ अब उनके हाथों में आ रहा है, यह सन्तोष का विषय है। कितना सुन्दर होता, स्व० उपाध्याय मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' की विद्यमानता में ही यह प्रकाशित होकर सामने आ पाता।

विश्रुत् विद्वात् उपाध्यायप्रवर श्री अमर मुनिजी ने प्रस्तुत खण्ड पर भूमिका लिखकर तथा विख्यात भाषा शास्त्री डा० प्रभाकर माचवे ने 'एक अवलोकन' लिख कर ग्रन्थ को व मुझे गरिमा प्रदान की है, एतदर्थ मैं आभारी हूँ।

मैं उन समस्त लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृतियों को मैंने अपने लेखन में संदर्भित किया है।

लोक-संग्राहक प्रवृत्तियों से मैंने स्वयं को निवृत्त प्रायः कर लिया है तथा अन्यान्य अनिवार्य अपेक्षाओं को मेरे परम सहयोगी मुनि मानमलजी एवं मुनि मणिकुमारजी निभा लेते हैं; अतः 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन' ग्रन्थ के पूर्व निर्धारित तृतीय खण्ड का लेखन कार्य भी शीघ्र सम्पन्न हो सकेगा, ऐसी आशा है।

लुहारीवाला भवन

कलकत्ता

दीपावली वि० सं० २०३९

१५ नवम्बर १९८२

✽

—सुनि नगराज

विषयानुक्रम

१. विश्व भाषा-प्रवाह (The Flow of World Languages)	१-८६
विभिन्न भाषाओं की आश्चर्यजनक निकटता	३
भाषा-विज्ञान की शाखाएँ	४
ध्वनि-विज्ञान (Phonology)	४
रूप-विज्ञान (Morphology)	४
अर्थ-विज्ञान (Semantics)	५
वाक्य-विज्ञान (Syntax)	६
निर्वचन-शास्त्र [व्युत्पत्ति-विज्ञान] (Etymology)	६
वैयाकरणों का अभिमत	७
निरुक्तकार यास्क	७
महात् वैयाकरण पाणिनि	९
आलोचक कात्यायन	११
महाभाष्यकार पतंजलि	११
व्याकरण का उत्तरवर्ती खेत	११
व्याकरणेतर शास्त्रों में भाषा-तत्त्व	१२
यूनान व यूरोप में भाषा-विश्लेषण	१३
सुकरात का इंगित	१३
प्लेटो : भाषा-तत्त्व	१३
अरस्तू का काव्य शास्त्र	१४
ग्रीक, लैटिन और हिब्रू	१४
निष्कर्ष	१६
भाषा-विज्ञान की आधुनिक परम्परा	१६
पाश्चात्य विद्वान्	१६
आदि मान्यताएँ	१८
वैदिक मान्यता	१९
यास्क का सूक्ष्म चिन्तन	१९
जैन मान्यता	२१

प्राकृत-विद्वानों का अभिमत	२२
रोमन कैथोलिक मान्यता	२२
इस्लाम का अभिमत	२३
मानव की मूल भाषा : कतिपय प्रयोग	२४
प्रयोगों का फलित	२५
मूलभूत सिद्धान्त	२६
निर्णय-सिद्धान्त	२६
धातु-सिद्धान्त	२७
प्रो० हेस, स्टाइन्हाल और मैक्समूलर	२८
यास्क द्वारा आख्यात-चर्चा	२९
अनुकरण-सिद्धान्त	३२
अनुकरण-सिद्धान्त	३४
मनोभावाभिव्यंजकतावाद	३४
इंगित-सिद्धान्त	३८
जॉनसन का निष्कर्ष	३८
भाव-संकेत : इंगित	३९
सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना	३९
भाव-संकेतों का अभिप्राय	४०
धातुओं के आदि अक्षर : विशेष अर्थ विसंगति	४०
स्वीट का समन्वयात्मक विचार	४१
शब्द : अर्थ : यदृच्छा : प्रतीक	४१
सार : समीक्षा	४२
भाषा की उत्पत्ति : अवलम्बन : निराशा	४३
खोज पर प्रतिबन्ध : विचित्र निर्णय	४४
गवेषणा नहीं रुकी	४५
निराशा क्यों ?	४६
वाक्-प्रस्फुटन	४६
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी	४७
स्वर-यन्त्र का आवयविक स्वरूप और प्रक्रिया	४८
शब्द के सूक्ष्मतम अभीतिक कलेवर की सृष्टि	४९

जैन दर्शन की दृष्टि से	५०
स्थूल और सूक्ष्म की भेद-रेखा	५१
उपसंहति	५१
भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण	५२
योगात्मक भाषाएं	५२
अयोगात्मक भाषाएं	५३
योगात्मक भाषाओं के भेदोपभेद	५४
अखिलष्ट योगात्मक भाषाएं	५५
खिलष्ट योगात्मक भाषाएं	५६
आकृति के आधार पर भाषाओं का परिवार	५७
भौगोलिक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण	५८
भाषा-परिवार	५८
पारिवारिक सादृश्य के मुख्य आधार	६१
भारोपीय परिवार	६१
भारोपीय परिवार के विभिन्न नाम	६२
भारोपीय का आधार	६३
भारत-हिन्दी का तात्पर्य	६३
विरोस : एक नई कल्पना	६४
आर्यों का मूल स्थान	६४
आदि स्थान भारत : एक अभिमत	६५
समीक्षा	६७
मूल स्थान भारत से बाहर	६९
समीक्षा : स्थापना	७०
मूल स्थान से अभियान	७१
दो भागों में विभाजन	७१
ईरान में आवास : भाषा में परिवर्तन	७२
भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा	७२
अवेस्ती, प्राचीन फारसी	७३
पहलवी का उद्गम	७४
पहलवी के दो रूप : हुज्जारेण, पाजंद	७४

आधुनिक फारसी : परिष्कर या विकार	७४
पश्तो या अफगानी	७५
ईरानी की दरद शाखा	७५
काश्मीरी भाषा	७६
काश्मीरी पर संस्कृत-प्रभाव का कारण	७६
काश्मीरी में साहित्य-रचना	७७
काश्मीरी में उर्दू	७८
क्या आर्य एक साथ आये ?	७९
आर्य एक भाषा लिए आये	८१
ऋचाओं के नाद	८१
ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषा का सादृश्य	८२
भारोपीय की मूल ध्वनियाँ	८३
वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ : विशेषताएँ	८४
मूर्द्धन्य व्यंजन : एक अनुपम विशेषता	८५

२. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ

(The Ancient Indian Arya Languages)

८७-१२२

भारतीय आर्य भाषाओं का काल-क्रम	८९
वैदिक वाङ्मय	९०
ऋग्वेद	९०
यजुर्वेद	९०
सामवेद	९१
अथर्ववेद	९२
ब्राह्मण-ग्रन्थ	९२
आरण्यक	९४
उपनिषद्	९५
वेद-मंत्रों के पाठ-क्रम	९९
उच्चारण-स्वर	१००
वैदिक भाषा के विकास-स्तर	१०२
लौकिक संस्कृत	१०२

वैदिक और लौकिक संस्कृत	१०५
कुछ भेद-रेखाएं	१०५
मध्यवर्ती रूप	१०७
क्रिया-प्रधान शैली	१०६
नाम-प्रधान शैली	१०९
संस्कृत का विशाल वाङ्मय	१११
क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?	११८

३. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं

(Middle Indo-Aryan Languages)

१२३-१५७

प्राकृत	१२५
प्रथम युग (ख्रिस्त पूर्व ४०० ई० से ख्रिस्त के बाद १०० ई०)	१३०
मध्य युग (ख्रिस्तीय १०० से ५००)	१३०
शेष युग (ख्रिस्तीय ५०० से १००० वर्ष)	१३०
प्राकृत के नाम-नामान्तर	१३१
प्राकृत का उत्पत्ति-स्रोत	१३१
वैयाकरणों की मान्यताएं	१३१
आचार्य सिद्धिषि का अभिमत	१३७
देश्य शब्दों का उद्गम	१४२
देश भाषा : व्यापकता	१४३
वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत का सादृश्य	१४६
प्राकृत के प्रकार	१५०
प्राकृतों का विकास : विस्तार : पृष्ठभूमि	१५२

४. पालि-भाषा और पिटक-वाङ्मय (Pali Language and The

†

Buddhist Canonical Literature) १५६-२२४

पालि शब्द का इतिहास	१६१
भिक्षु जगदीश काश्यप	१६३
भिक्षु सिद्धार्थ	१६४
डा० मैक्सवेलसेर	१६५
भण्डारकर और वाकेटनागल	१६६
राजवाड़े	१६६

प्रालेय : प्रालेयक : पालि	१६७
समीक्षा	१६७
पालि की आधारभूत भाषा	१६८
लंका की परम्परा	१६९
ब्रह्मदेश की परम्परा	१६९
प्रो० रायस डेविड्स	१७०
उज्जयिनी भाषा और पालि	१७०
पालि और विन्ध्य प्रदेश की भाषा	१७१
स्टैन कोनो	१७१
कलिंग-भाषा और पालि	१७२
ई० मूलर	१७२
समीक्षा	१७२
मागधी की मुख्य विशेषताएँ	१७६
अर्द्धमागधी और पालि	१७७
बुद्ध-युग : पारिपाश्विक स्थितियाँ	१७९
उपसंहार	१८२
पालि-ध्वनियों की विशेषता	१८३
ध्वनि-परिवर्तन	१८३
व्यंजन-परिवर्तन	१८४
पालि-वाङ्मय	१८७
त्रिपिटक का संकलन	१८८
संगान का आशय	१९०
प्रथम संगीति	१९१
प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता	१९२
बुद्धघोष का अभिमत	१९२
दूसरी संगीति	१९५
नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि	१९७
तीसरी संगीति	१९८
अनुल्लेख का कारण	१९९
संगीति के निर्णय	२००

अभिधम्म : परम्परा	२००
तृतीय संगीति का एक महत्वपूर्ण फलित	२००
त्रिपिटक का लेखन	२०१
आधुनिक कालीन संगीतियां	२०२
निष्कर्ष	२०३

त्रिपिटक वाङ्मय : संक्षिप्त परिचय	२०६
सुत्त-पिटक	२०६
सुत्त-पिटक : वर्णित विषय	२०७
विनय-पिटक	२१४
अभिधम्म-पिटक	२१६
अभिधम्म-रचना	२१७
अभिधम्म का स्थान	२१९
पिटक वाङ्मय का एक अन्य वर्गीकरण	२२०
बुद्ध-वचन का नवांगी वर्गीकरण	२२१
बहुविध विभाजन : परम्परा	२२३

५. शिलालेखी प्राकृत (Inscriptional Prakritas) २२५-२६२

[अशोक के शिलालेख व उनकी भाषा]

शिलालेखों की भाषा : महत्व	२२७
शिलालेखों का वर्गीकरण	२२७
१. दो लघु शिलालेख	२२८
२. भाब्रू शिलालेख	२२८
३. चतुर्दश शिलालेख	२२८
४. दो कलिंग-शिलालेख	२२९
५. तीन गुहा-लेख	२२९
६. तराई के दो स्तम्भ-लेख	२३०
७. सप्त स्तम्भ-लेख	२३०
८. लघु स्तम्भ-लेख	२३१
शिलालेखों की भाषा : तुलनात्मक विवेचन	२३३
अभिलेखों की भाषा : कुछ सामान्य तथ्य	२४३
पूर्व के अभिलेखों में तालव्य श क्यों नहीं ?	२४९

विविध नाम	२६०
अन्य प्राकृत-अभिलेख	१६१
सिंहल के प्राकृत-अभिलेख	२६१
भाषा का झुकाव	२६१

६. संक्रान्ति-काल की प्राकृतें

(Prakritas of Transitional Period)

२६३-२७२

भारत से बाहर प्राप्त प्राकृत-लेख	२६५
संक्रान्ति-काल	२६५
एक दूसरा विभाजन	२६५
अश्वघोष के नाटक : प्राकृतों का प्रयोग	२६६
तीन प्राचीन प्राकृतें	२६६
प्राचीन मागधी	२६६
प्राचीन शौरसेनी	२६६
प्राचीन अर्द्धमागधी	२६७
अस्पष्टता या अल्प-स्पष्टता	२६७
प्राकृत (खरोष्ठी) धम्मपद	२६८
निय प्राकृत	२६८
निय प्राकृत की स्वरूपात्मक विशेषताएं	२६९
समीक्षा : तुलना	२७१

७. भारत में लिपि-कला का उद्भव और विकास

(The Origin of Script and its Development in India) २७३-३१०

प्राकृत-अभिलेख : लिपियां	२७५
ब्राह्मी लिपि	२७५
वैदिक अभिमत	२७५
ललितविस्तर में चर्चा	२७६
जैन मान्यता	२७७
ऋषभ द्वारा लिपि-शिक्षण	२७७
लिपि का उद्भव : कल्पना	२७९
आदि मानव का एक अबूझ उपक्रम	२७९

व्यवहार-निर्वाह और भाव-स्थायित्व	८०
एक आधार	९०
चित्र-लिपि	९१
अभिव्यंजना	९१
परिवर्तन भी पूर्ण सक्षम नहीं	९२
अकलात्मकता और चित्र : एक दुविधा	९२
प्रतीक-लिपि	९३
भाव-ध्वनिमूलक लिपि	९३
ध्वनिमूलक-लिपि	९३
ध्वनिमूलक-लिपि के भेद	९४
विश्व की लिपियां : दो वर्ग	९५
ब्राह्मी की उत्पत्ति : मत-मतान्तर	९५
यूनानी से ब्राह्मी	९६
फूँच विद्वान् कुपेटी	९६
उत्तरी सेमेटिक लिपि	९७
फिनिशियन और ब्राह्मी	९७
नई स्थापना	९८
दक्षिणी सेमेटिक और ब्राह्मी	९८
डा० राइस डेविड्स	९८
भारत : ब्राह्मी का उत्पत्ति-स्थान	९९
डा० चटर्जी का विचार	९९
भारत में लिपि-कला	९०
ऋग्वेद प्रभृति वेद	९०
उपनिषद् एवं ब्राह्मण-ग्रन्थ	९१
तत्परक इतर वाङ्मय	९१
बौद्ध वाङ्मय में	९२
अवखटिका	९२
विनय पिठक और जातक ग्रन्थ	९२
जैन वाङ्मय में	९३
चीनी विश्वकोश	९५

महामहोपाध्याय डा० ओझा	२९७
अशोक के पूर्ववर्ती दो शिलालेख	२९७
उपसंहार	२९८
एक प्रश्न-चिह्न ?	२९८
एक कल्पना	२९९
एक और कल्पना	३०० *
ब्राह्मी से विभिन्न लिपियों का विकास	३०१
प्राचीन भारत की ब्राह्मी-लिपि	३०३
खरोष्ठी लिपि	३०४
खरोष्ठी : प्रयोग	३०४
जैन वाङ्मय	३०४
कल्पनाएं : हेतु	३०४
आमक व्युत्पत्ति	३०५
खरोष्ठी का उद्भव	३०६
आर्मेइक लिपि में खरोष्ठी की उत्पत्ति	३०६
आर्मेइक व खरोष्ठी	३०७
ब्राह्मी का प्रभाव	३०७
एक अपरिपूर्ण लिपि	३०
संस्कृत-लेखन के लिए अनुपयुक्त	३०८

८. आर्ष (अर्द्धमागधी) प्राकृत और आगम वाङ्मय

(Arsa (Ardhamagadhi) Prakrita and the Jaina Canonical

Literature) ३११-५०६

धर्म-देशना	३१३
अर्थागम : सुत्तागम	३१४
महावीर के गणधर : आगम संकलन	३१५
गणधर : विशेषताएं	३१५
गणधर की तीर्थंकर-सापेक्षता	३१६
गणधर का एक विशेष अर्थ	३१६
गणधर गणधर : नौ गण	३१९

महावीर की विद्यमानता : नौ गणधरों का निर्वाण	३१६
द्वादश अंगों के रूप में श्रुत-संकलन	३१७
आर्य सुधर्मा : श्रुत-संवाहक परम्परा	३१८
दिगम्बर-मान्यता	३१८
गौतम पट्टधर क्यों नहीं ?	३१९
श्वेताम्बर-परम्परा : एक समाधान	३१९
दिगम्बर-परम्परा का आधार	३१९
श्री धर्मघोष सूरि का कथन	३२०
युगप्रधान : सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता	३२०
युगप्रधान की विशेषताएं	३२१
युगप्रधान का विरुद्ध कब मिलता ?	३२१
धर्मघोष का उल्लेख : ऊहापोह	३२२
आर्य सुधर्मा : द्वादशांग	३२३
एक अन्य परम्परा	३२३
पट्टानुक्रम में अन्य नाम : भिन्नता	३२४
आर्य सुधर्मा : एक परिचय	३२६
विद्वत्ता : वैभव	३२६
जिज्ञासा : मुमुक्षा का द्वार	३२८
आर्य सुधर्मा का छद्मस्थ-काल : ज्ञानाराधना	३२९
भगवान् महावीर का सान्निध्य	३२९
संघ-नायक के रूप में	३२९
आर्य सुधर्मा का विराट् व्यक्तित्व	३३०
आर्य	३३०
स्थविर	३३१
जाति-सम्पन्न : कुल-सम्पन्न	३३२
विनय-लाघवादि सम्पन्न	३३२
अोजस्वी : तेजस्वी : वर्चस्वी : यशस्वी	३३२
क्रोधादि विजेता	३३३
वेद-प्रधान	३३३
उदार : धीर	३३३

घोर ब्रह्मचर्यवासी	३३४
केवली और पट्टधर	३३५
निर्वाण	३३५
उपसंहार	३३७
आर्य जम्बू	३३७
परम जिज्ञासु	३३८
प्रश्नोत्तर-क्रम	३३८
प्रश्न-क्रम का एक अन्य रूप	३४०
जम्बू के सम्बन्ध में उल्लेख	३४२
वसुदेव-हिंडी	३४४
माता, पिता, जन्म, निवास	३४४
आर्य सुधर्मा से सम्पर्क	३४५
भाव जागृति	३४६
माता-पिता से निवेदन	३४७
विवाह सम्पन्न	३४९
तस्करराज प्रभव : आगमन	३४९
जम्बू और प्रभव : सम्वाद	४४९
आर्य जम्बू : काल-क्रम	३५०
एक और कल्पना	३५१
वीर कवि का अभिमत	३५१
आर्य जम्बू का निर्वाण	३५१
जम्बू के अनन्तर कतिपय विच्छेद	३५३
तिलोपवण्णत्ती का एक विवेच्य प्रसंग	३५३
श्रुत : कण्ठाग्र : अपरिवर्त्य	३५४
श्रुत का उद्भव	३५८
एक प्रश्न : एक समाधान	३६०
पुष्पमाला की तरह सूत्रमाला का ग्रथन	३६१
अर्थ की अनभिलाष्यता	३६३
मातृका-पद	३६३
पूर्वात्मक ज्ञान और द्वादशांग	३६४

पूर्व-ज्ञान की परम्परा	३६४
द्वादशांगी से पूर्व पूर्व-रचना	३६४
दृष्टिवाद में पूर्वों का समावेश	३६५
स्त्रियों के लिए दृष्टिवाद का वर्जन	३६५
नारी और दृष्टिवाद : एक और चिन्तन	३६७
पूर्व-रचना : काल-तारतम्य	३६७
पूर्व-वाङ्मय की भाषा	३६७
पूर्वगत : एक परिचय	३६८
चूलिकाएं	३७०
चूलिकाओं की संख्या	३७१
वस्तु-वाङ्मय	३७१
वस्तुओं की संख्या	३७१
आर्य जम्बू के बाद श्रुत-परम्परा	३७२
आर्य प्रभव	३७२
आर्य प्रभव का आचार्य-काल	३७२
आर्य शयम्भव	३७३
पूर्वों के आधार पर रचना	३७४
आचार्य-काल	३७४
आर्य यशोभद्र	३७४
नन्दराजाओं की प्रतिबोध	३७४
आचार्य-काल	३७५
आर्य यशोभद्र के पश्चात्	३७५
दो उत्तराधिकारी : एक नवीन परम्परा	३७६
आर्य सम्भूतिविजय	३७६
महान् प्रभावक आचार्य भद्रबाहु	३७७
वराहमिहिर से सम्बन्ध	३७७
छेद-सूत्रों के रचनाकार	३७७
परिशिष्ट पर्व	३७७
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध	३७८
आगमों की प्रथम वाचना	३७८

#

दक्षिण जाने की कल्पना	३७९
भद्रबाहु द्वारा पूर्वो की वाचना	३८०
प्रथम वाचना के अध्यक्ष या निर्देशक ?	३८०
आचार्य भद्रबाहु : दिगम्बर मान्यता	३८१
वृहत्कथाकोश	३८१
विशाखाचार्य का दक्षिण-गमन	३८१
भद्रबाहु चरित्र	३८२
आकाशवाणी	३८३
कन्नड़ ग्रन्थ राजावली	३८४
संचाधिपत्य	३८५
आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गवास	३८६
आचार्य स्थूलभद्र	३८७
देहावसान	३८७
पूर्व-विच्छेद-काल	३८८
दिगम्बर-मान्यता	३८९
तुलनात्मक पर्यवेक्षण	३९०
ग्यारह अंग : विद्यमानता : विच्छिन्नता	३९१
आगमों में अनुयोग	३९१
अनुयोग का अर्थ	३९१
अनुयोग के प्रकार	३९२
अनुयोग : अपृथक्ता	३९२
आर्य रक्षित द्वारा विभाजन	३९३
आगम : अनुयोग : सम्बन्ध	३९४
दिगम्बर-आम्नाय में अनुयोग	३९४
द्वितीय आगम-वाचना	३९६
माधुरी वाचना	३९६
बारह वर्षों का भीषण दुर्भिक्ष	३९६
बालभी वाचना	३९७
एक ही समय में दो वाचनाएं ?	३९८
तृतीय वाचना	३९९

६ अणुत्तरोववाङ्मयदशाओ (अनुत्तरोपपातिक दशा)	४२१
नाम : व्याख्या	४२१
वर्तमान रूप : अपरिपूर्ण, अयथावत्	४२१
१०. पण्डवागरेणाङ्ग (प्रश्नठ्याकरण)	४२२
नाम के प्रतिरूप	४२२
वर्तमान रूप	४२२
वर्तमान-स्वरूप : समीक्षा	४२२
११. विवागसुय (विपाकश्रुत)	४२३
१२. दिट्ठवाय (दृष्टिवाद)	४२५
स्थानांग में दृष्टिवाद के पर्याय	४२५
भेद-प्रभेदों के रूप में विस्तार	४२६
अनुयोग का तात्पर्य	४२६
द्वौदश उपांग	४२७
उपांग	४२७
अंग : उपांग : असादृश्य	४२७
वेदों के अंग	४२८
वेदों के उपांग	४२८
उपवेदों की परिकल्पना	४२८
प्रस्तुत सन्दर्भ : जैन श्रुतोपांग	४२९
१. उववाङ्मय (ओववाङ्मय) (औपपातिक)	४३०
औपपातिक का अर्थ	४३०
विषय-वस्तु	४३०
२. रायपसेणोअ (राज-प्रश्नीय)	४३०
विषय-वस्तु	४३०
महत्वपूर्ण सामग्री	४३१
एक ऊहापोह	४३१
३. औवाजोवामिगम	४३२
व्याख्या-साहित्य	४३३
४. पन्नवणा (प्रज्ञापना)	४३३
नाम : अर्थ	४३३

रचना	४३३
रचना का आधार : एक कल्पना	४३४
व्याख्या-साहित्य	४३५
५. सूर्यपन्नति (सूर्यप्रज्ञप्ति)	४३५
नाम : अन्वर्थकता	४३५
प्राभृत का अर्थ	४३५
व्याख्या-साहित्य	४३६
६. जम्बुद्वीपपन्नति (जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति)	४३६
स्वरूप	४३६
वक्षस्कार का तात्पर्य	४३६
विषय-वस्तु	४३७
७. चन्द्रपन्नति (चन्द्रप्रज्ञप्ति)	४३७
स्थानांग में उल्लेख	४३७
वर्तमान संस्करण : एक प्रश्न	४३७
रहस्यमय एक समाधान	४३८
एक ऊहापोह : एक कल्पना	४३९
संख्या-क्रमों में भिन्नता	४४०
पाँच निरयावलिया	४४०
८ निरवालिया (निरयावलिका)या कप्पिया(कल्पिका)	४४१
विभाजन	४४१
विषय-वस्तु	४४१
९. कप्पवडंसिया (कल्पवतंसिका)	४४२
१०. पुट्टिया (पुट्टिका)	४४३
तापस-वर्णन	४४३
११. पुप्फचूला (पुष्पचूला)	४४४
१२. वह्निदशा (वृष्णिदशा)	४४५
नाम	४४५
विषय-वस्तु	४४६
एक महत्वपूर्ण सूचना	४४६
छेद-सूत्र	४४७

१. निसीह (निशीथ)	४४८
निशीथ शब्द का अर्थ	४४८
स्वरूप : विषय	४४८
रचना : रचनाकार	४४८
व्याख्या-साहित्य	४४९
२. महानिसीह (महानिशीथ)	४४९
कलेवर : विषय-वस्तु	४४९
ऐतिहासिकता	४५०
३. व्यवहार (व्यवहार)	४५०
कलेवर : विषय-वस्तु	४५०
कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंग	४५१
रचयिता और व्याख्याकार	४५३
४. दसासुयक्खंध (दशाश्रुतस्कन्ध)	४५३
गणि-सम्पदा	४५३
रचनाकार : व्याख्या-साहित्य	४५५
५. कप्प (कल्प अथवा वृहत्कल्प)	४५५
कलेवर : विषय-वस्तु	४५६
कतिपय महत्वपूर्ण उल्लेख	४५६
रचना एवं व्याख्या-साहित्य	४५७
६. पंचकप्प (पंच-कल्प)	४५८
जीयकप्पसुत्त (जीतकल्प-सूत्र)	४५८
रचना : व्याख्या-साहित्य	४५९
७. मूळसूत्र	४५९
महत्त्व	४६०
मूल : नामकरण क्यों ?	४६०
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विमर्श	४६०
प्रो० शर्पेन्टियर का अभिमत	४६१
डा० बाल्टर शुब्रिग का अभिमत	४६१
प्रो० मेरीनो की कल्पना	४६१
समीक्षा	४६२

उत्तरज्झयण (उत्तराध्ययन)	४६३
नाम : विश्लेषण	४६३
विमर्श	४६४
निर्युक्तिकार का अभिमत	४६६
‘भद्रबाहूना प्रोक्तानि’ का अभिमत	४६७
विमर्श : समीक्षा	४६७
विषय-वस्तु	४६८
दृष्टान्त : कथानक	४६८
व्याख्या-साहित्य	४६९
आवस्सय (आवश्यक)	४७०
नाम : सार्थकता	४७०
सामायिक	४७०
चतुर्विंशति-स्तव	४७०
वन्दन	४७०
प्रतिक्रमण	४७०
कायोत्सर्ग	४७१
प्रत्याख्यान	४७१
व्याख्या-साहित्य	४७१
दसवेआलिय (दसवै कालिक)	४७१
नाम : अन्वर्थकता	४७१
संकलन : आधार : पूर्वभूत	४७२
दूसरा आधार : अन्य आगम	४७२
चूलिकार	४७४
रति-वाक्या	४७४
विविक्तचर्या	४७५
विशेषता : महत्व	४७५
व्याख्या-साहित्य	४७५
प्रथम प्रकाशन	४७६
पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्ड-निर्युक्ति)	४७६
नाम : व्याख्या	४७६

कलेवर : स्वरूप	४७७
कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख	४७७
ओहनिज्जुत्ति (ओघ निजुत्ति)	४७८
नाम : व्याख्या	४७८
एक महत्वपूर्ण प्रसंग	४७८
उपधि-निरूपण	४७९
जिनकल्पी व स्थविर कल्पी के उपकरण	४७९
साध्वी या आर्यिका के उपकरण	४८०
व्याख्या-साहित्य	४८०
पवित्रय सुत्त , पाक्षिक-सूत्र)	४८०
खामणा सुत्त (क्षामणा-सूत्र)	४८१
वंदिषु सुत्त	४८१
इसिमासिय (ऋषि मासित)	४८१
नन्दी तथा अनुयोगद्वार	४८२
नन्दी-सूत्र : रचयिता	४८२
स्वरूप . विषय-वस्तु	४८२
अनुयोग द्वार	४८३
सप्त स्वर	४८३
महत्वपूर्ण सूचनाएं	४८४
प्रमाण-चर्चा	४८४
दसपङ्कणम (दश प्रकीर्णक)	४८४
प्रकीर्णकों की परम्परा	४८४
प्राप्त प्रकीर्णक	४८६
१. चउसरण (चतु. शरण)	४८६
२. आउर-पच्चक्खाण (आतुर प्रत्याख्यान)	४८७
नाम : आशय : विषय	४८७
३. महापच्चक्खाण (महाप्रत्याख्यान)	४८७
नाम : अभिप्राय	४८७
विषय-वस्तु	४८८
४. भक्त-परिण्णा (भक्त-परिज्ञा)	४८८

नाम : आशय	४८८
कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंग	४८९
५. तन्दुलवेयालिय (तन्दुल-वैचारिक)	४८९
नाम : अर्थ	४८९
नारी का हीन रेखा-चित्र	४९०
कुछ विचित्र व्युत्पत्तियाँ	४९०
६. संधारण (संस्कारक)	४९१
७. गच्छायार (गच्छाचार)	४९२
व्याख्या-साहित्य	४९३
८. गणि-विज्ञा (गणि-विद्या)	४९३
९. देविद-थय (देवेन्द्र-स्तव)	४९४
१०. मरण-समाह्वी (मरण-समाधि)	४९४
कलेवर : विषय-वस्तु	४९४
उपसंहार	४९५
आगमों पर व्याख्या-साहित्य	४९६
प्रयोजन	४९६
व्याख्याओं की विधाएं	४९७
निज्जुत्ति (निर्युक्ति)	४९७
ऐतिहासिकता	४९८
निर्युक्तियाँ : रचनाकार	४९८
भास (भाष्य)	४९९
रचना : रचयिता	४९९
चूर्णि (चूर्णि)	५००
उद्भव : लक्षण	५००
चूर्णियों की भाषा	५००
प्राकृत की प्रधानता	५०१
चूर्णियाँ : रचनाकार	५०१
महत्वपूर्ण चूर्णियाँ	५०२
टीकाएं	५०३
अभिप्रेत	५०३

टीकाएं : पुरावर्ती परम्परा	५०३
हिमवत् थेरावली में उल्लेख	५०४
प्रमुख टीकाकार	५०४
आचार्य हरिभद्रसूरि	५०४
शालांकाचार्य	५०४
शान्त्याचार्य एवं नेमिचन्द्राचार्य	५०४
आचार्य अभयदेव प्रभृति उत्तरवर्ती टीकाकार	५०५
विशेषता : महत्व	५०५

६. शौरसेनी प्राकृत और उसका वाङ्मय

(Canonical Literature in shouraseni Prakrita)

५०७-६७६

प्रस्तुत प्रकरण	५०९
निह्नववाद	५०९
विह्नव का अर्थ	५०९
सारांश	५१०
स्थानांग तथा आवश्यक नियुक्ति में उल्लेख	५१०
बोटिक निह्नव	५१२
श्वेताम्बर मान्यता	५१३
आवश्यक नियुक्ति में	५१३
विशेषावश्यक भाष्य में	५१५
मलधारी हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत कथानक	५१५
प्रश्न : उत्तर : असमाधान	५१६
उपसंहार	५१९
दिगम्बर मान्यता	५१९
दर्शनसार में उल्लेख	५१९
भाव-संग्रह के अनुसार श्वेताम्बर-उद्भव	५२०
सारांश	५२४
बृहत्कथाकोष का कथानक	५२५
तात्पर्य	५२६
संघ-विभाजन : एक भिन्न परम्परा	५२६

★

विचारणीय पहलू	५२७
आचार्य रत्ननन्दी का अभिमत	५२८
अर्द्धफालक मत से श्वेताम्बर	५२८
ऊहापोह	५३२
एकाधिक भद्रबाहु	५३३
दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु	५३४
प्रथम भद्रबाहु	५३४
द्वितीय भद्रबाहु	५३४
भद्रबाहु : गुप्तगुप्ति : चन्द्रगुप्ति	५३५
तृतीय भद्रबाहु	५३६
श्वेताम्बर-परम्परा में भद्रबाहु : प्रथम	५३६
द्वितीय भद्रबाहु	५३७
आचार्य भद्रबाहु : कुछ ऐतिहासिक तथ्य	५३७
तिस्थौगालीपद्मना	५३७
दुःषमाकालश्रीश्रमणसंघस्तव की काल-गणना	५३८
भ्रान्ति का एक कारण	५३९
विद्वानों द्वारा ऊहापोह	५३९
सारांश	५४०
दो दृष्टिकोण	५४०
आचारांग : अचेलकता : निर्वस्त्रता	५४१
लज्जा-निवृत्ति हेतु कटिबन्ध का स्वीकार	५४२
अभिप्रेत	५४३
एक शाटक : वस्त्र का प्रसंग	५४३
दो वस्त्रों का प्रसंग	५४३
तीन वस्त्रों का प्रसंग	५४४
वस्त्रैषणा	५४५
उत्तराध्ययन में अचेलक : सचेलक	५४५
तात्पर्य	५४६
पाश्वर्-परम्परा : महावीर-परम्परा	५४७
केशी और गौतम का मिलन	५४७

विमर्श : समीक्षा	५५१
आर्य जम्बू तक दोनों परम्पराएं	५५४
अन्तर : एक सम्भावना	५५५
आर्य जम्बू के बाद भेद का उभार	५५५
द्विविध प्रक्रिया	५५७
आचार्य महागिरि : एक प्रसंग	५५८
सारांश	५५९
उपसंहार	५५९
समन्वय का एक अभिनव प्रयत्न	५५९
यापनीय संघ का उद्भव	५६०
दर्शनसार में उल्लेख	५६१
रत्ननन्दी के अनुसार यापनीय संघ	५६१
इन्द्रनन्दी के विचार	५६४
श्रुतसागर द्वारा विश्लेषण	५६५
गुणरत्न द्वारा चर्चा	५६५
यापनीय संघ के नामान्तर	५६६
एक और कल्पना	५६७
यापनीय संघ : आकर्षण : प्रभाव	५६८
प्रतिष्ठा : राज-सम्मान	५६९
कुछ महत्वपूर्ण दान-पत्र	५६९
कागवाड़ का शिलालेख	५७१
यापनीय संघ का अनेक गणों में विस्तार	५७१
यापनीय आचार्य : साहित्यिक धारा : श्वेताम्बर-आगम	५७२
शिवार्य : शिवकोटि	५७२
आराधना : कुछ प्रश्न-चिह्न ??	५७३
शाकटायन द्वारा शिवार्य की चर्चा	५७३
अपराजित सूरि का विवेचन	५७४
शाकटायन : यापनीययतिग्रामाग्रणी	५७६
शाकटायन व्याकरण में श्वेताम्बर-आगम	
सम्बन्धी संकेत	५७६

शाकटायन रचित स्त्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण	५७८
शाकटायन के ग्रन्थ की विशेषता	५७९
वादी देवसूरि एवं कुमुदचन्द्र का शास्त्रार्थ	५७९
कुछ महत्वपूर्ण पहलू	५८१
श्रुतकेवली : देशीयाचार्य	५८२
उमास्वाति का सम्प्रदाय	५८३
पं० सुखलालजी के विचार	५८३
विमर्श	५८४
अपनी-अपनी ओर खिंचाव	५८५
सैद्धान्तिक : त्रैविध्य : दो ओर उपाधियाँ	५८६
सारांश	५८६
उपसंहार	५८७
आगम-वाङ्मय : विच्छेद : कुछ सथ्य	५८७
श्वेताम्बरों द्वारा भी स्वीकार	५८७
अभिप्राय	५९१
आगम : सम्पूर्ण : उपलब्ध	५९१
तिलोपपण्णति : एक विशेष संकेत	५९२
दिगम्बर-परम्परा में अंग-प्रविष्ट, अग-बाह्य	५९३
धवलाकार का विवेचन	५९३
अंग-पण्णति के अनुसार परिमाण	६०१
सारांश	६०२
षट्खण्डागम : महत्त्व	६०३
ग्रन्थ का नाम	६०३
एक अविस्मरणीय घटना	६०४
आचार्य धरसेन का स्वप्न	६०६
आचार्य का चिन्तन	६०७
परीक्षा : सफलता	६०८
परितुष्ट गुरु द्वारा विद्या-दान	६०८
स्नातकों का प्रस्थान : संभावनाएँ	६०९
इन्द्रनन्दि और श्रीधर का संकेत	६१०

अंकुलेश्वर में चतुर्मास्य	६१०
आचार्य घरसेन : तिरोधान	६११
षट्खण्डागम का प्रणयन	६११
षट्खण्डागम की सम्पन्नता	६१३
षट्खण्डागम की पूजा : श्रुत-यंचमी का पर्व	६१५
धवला : एक अद्भुत कृति	६१६
कषाय प्राशृत	६१७
षट्खण्डागम : ग्रन्थागार की कारा से मुक्ति	६१७
दक्षिणापथ में जैन धर्म	६१७
खारवेल का धर्म-सम्मेलन	६१९
एक प्रश्न : एक समाधान	६२०
कतिपय दिग्गज दक्षिणात्य दिग्म्बर आचार्य	६२०
जैन धर्म का प्रभाव	६२१
कर्नाटक में जैन धर्म का प्रभाव	६२१
कदम्ब वंश	६२२
गंग वंश	६२२
कर्नाटक का महान् धर्म-सेवी चामुण्डराय	६२३
राष्ट्रकूट वंश	६२४
होयसल वंश	६२४
सारांश	६२५
दक्षिण की जैन काशी : मूड़बिद्री	६२५
मूड़बिद्री : इतिहास	६२५
मूड़बिद्री का अभ्युदय : अभिवृद्धि	६२६
शब्द-विश्लेषण	६२६
सिद्धान्त-वसदि : एक दन्तकथा	६२७
मूड़बिद्री : भट्टारक-पीठ	६२८
मूड़बिद्री में सिद्धान्त-ग्रन्थ	६२९
षट्खण्डागम : बहिर्निष्क्रमण की कहानी	६३१
पं० टोडरमलजी के समय में चिन्तन	६३१
सेठ मारणकचन्द की यात्रा : विचारोद्बोधन	६३१

सेठजी का प्रयास	६३२
प्रतिलिपि का आरम्भ भी : स्थगन भी	६३२
प्रतिलिपि : पुनराारम्भ-समापन	६३३
कनाड़ी में भी प्रतिलिपि	६३३
महाधवला की प्रतिलिपि	६३३
पं० गजपति शास्त्री द्वारा अतिरिक्त प्रतिलिपि	६३४
कनाड़ी प्रतिलिपि का बहिर्गमन	६३५
कनाड़ी से देवनागरी	६३६
कुछ और प्रतिलिपियां	६३६
षट्खण्डागम का प्रकाशन	६३७
प्रथम भाग का प्रकाशन : एक अन्य प्रतिक्रिया	६३९
मूड़बिंद्री की प्रतियां	६४०
आचार्य धरसेन : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में	६४२
पट्टानुक्रम में धरसेन का उल्लेख	६४२
नन्दि-संघ की गुर्वावली में माघनन्दि	६४४
कुम्भकारी और माघनन्दि	६४५
सारांश	६४७
नन्दि-संघ की प्राकृत-पट्टावली में धरसेन	६४७
दोनों कालक्रमों की तुलना	६४९
समीक्षा	६५०
एक सम्भावना	६५१
दूसरी सम्भावना	६५२
प्राकृत-पट्टावली की प्रामाणिकता	६५३
वृहट्टिप्पणिका में उल्लेख	६५४
जोणिपाट्टुड : मंत्र-क्रिया की एक विलक्षण कृति	६५४
निष्कर्ष	६५५
धवला और महाधवला	६५६
महान् विद्वान् : प्रखर प्रतिभान्वित	६५६
धवला की रचना	६५८
नाम अन्वर्थकता	६५९

धवला का वैशिष्ट्य	६६०
समापन-समय	६६०
षट्खण्डागम : आधार	६६२
षट्खण्डागम : एक परिचय	६६२
पहला खण्ड	६६२
दूसरा खण्ड	६६३
तीसरा खण्ड	६६३
चौथा खण्ड	६६४
पांचवां खण्ड	६६४
छठा खण्ड	६६५
सारांश	६६६
कसायपाहुड़ (कषाय प्राभृत)	६६६
आधार	६६६
विषय	६६७
रचना	६६७
व्याख्या-साहित्य	६६७
कलेवर	६६७
षट्खण्डागम की भाषा	६६८
शौरसेनी प्राकृत की मुख्य विशेषताएँ	६७१
उपसंहारात्मक समीक्षा	६७१
प्रयुक्त-ग्रन्थ-सूची	६७७

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन

खण्ड : २

[भाषा और साहित्य]

∴ १ ∴

विश्व भाषा-प्रवाह

(*The Flow of World Languages*)

आगमों की भाषा प्राकृत है। त्रिपिटकों की भाषा पालि है। दोनों भाषाओं में अद्भुत सांस्कृतिक ऐवय है। दोनों भाषाओं का उद्गम-बिन्दु भी एक है। दोनों का विकास-क्रम भी बहुत कुछ समान रहा है। दोनों के विकसित स्वरूप में भी अद्भुत सामं-जस्य है। जो कुछ वैषम्य है, उसके भी नाना हेतु हैं। प्राकृत और पालि के सारे सम्बन्धों व विसम्बन्धों को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए भाषा मात्र की उत्पत्ति और प्रवाह-क्रम का समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण आवश्यक होगा।

भाषाओं के विकास और प्रसार की एक लम्बी कहानी है। भाषाओं का विकास मानव के बौद्धिक और भाषात्मक विकास के साथ जुड़ा है। मानव ने संस्कृति, दर्शन और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महनीय अभियान चलाये। फलतः विश्व में विभिन्न संस्कृतियों, दार्शनिक परम्पराओं, साहित्यिक अभियोजनाओं तथा सामाजिक विकास का एक परिनि-ष्ठित रूप प्रतिष्ठापन्न हुआ। भाषाओं में इनसे सम्बन्धित आरोहों-अवरोहों का महत्वपूर्ण विवरण छूँटा जा सकता है; क्योंकि मानव के जीवन में कर्म और अभिव्यक्ति का गहरा सम्बन्ध है। कर्म की तेजस्विता गोपित नहीं रहना चाहती। सूर्य की रश्मियों की तरह वह फूटना चाहती है। आकाश की तरह उसे अपना कलेवर फैलाने के लिए स्थान या माध्यम चाहिए। वह भाषा है; अतः भाषाओं के वैज्ञानिक अनुशीलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

विभिन्न भाषाओं की आश्चर्यजनक निकटता

आश्चर्य होता है, सहस्रों मीलों की दूरी पर बोली जाने वाली फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाओं से भारत में बोली जाने वाली हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा राजस्थानी आदि भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है, जबकि बाह्य कलेवर में वे उनसे अत्यन्त भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरा आश्चर्य यह भी होगा कि भारत में ही बोली जाने वाली तमिल, तेलगु, कन्नड़ तथा मलयालम आदि भाषाओं से उत्तर भारतीय भाषाओं का मौलिक सम्बन्ध नहीं जुड़ता।

भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, प्राकृत तथा पालि आदि का पश्चिम की ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि प्राचीन भाषाओं के साथ विशेष सम्बन्ध है। एक दूसरी से सहस्रों मीलों की दूरी पर प्रचलित तथा परस्पर सर्वथा अपरिचित-सी प्रतीत होने वाली विश्व की अनेक

भाषाओं का निकटता-पूर्ण सम्बन्ध है। ज्ञात होता है कि विश्व के विभिन्न मानव-समुदायों में अत्यन्त प्राचीन काल से कोई पारस्परिक साम्य चला आ रहा है। भाषाओं के स्वरूप और विकास का वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक रूप में अध्ययन करने से ये तथ्य विशद रूप में प्रकट होते हैं। इसी विचार-सरणि के सन्दर्भ में भाषाओं का जो सूक्ष्म और गम्भीर अध्ययन-क्रम चला, वही भाषा-विज्ञान या भाषा-शास्त्र बन गया है।

भाषा-विज्ञान की शाखाएँ

भाषा-विज्ञान में भाषा-तत्त्व का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण और विवेचन किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान, व्युत्पत्ति-विज्ञान; आदि उसकी मुख्य शाखाएँ या विभाग होते हैं।

ध्वनि-विज्ञान (Phonology)

भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनि का ही व्यवस्थित रूप शब्द है। शब्दों का सांकाक्ष्य या परस्पर-सम्बद्ध समवाय वाक्य है। वाक्यों से भाषा निष्पन्न होती है; अतएव ध्वनि-विज्ञान भाषा-शास्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके अन्तर्गत ध्वनि-यन्त्र, स्वर-तन्त्री तथा ध्वनि को व्यक्त रूप में प्रस्फुटित करने वाले वागिन्द्रिय के मुख-विवर, नासिका-विवर, तालू, कण्ठ, ओष्ठ, दन्त, मूर्द्धा, जिह्वा आदि अवयव, उनसे ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ध्वनि-तरंग, श्रोत्रेन्द्रिय से संस्पर्शन या संवर्षण, श्रोता द्वारा स्पष्ट शब्द के रूप में ग्रहण या श्रवण आदि के साथ-साथ ध्वनि-परिवर्तन, ध्वनि-विकास, उसके कारण तथा दिशाएँ आदि विषयों का समावेश है।

रूप-विज्ञान (Morphology)

शब्द का वह आकार, जो वाक्य में प्रयुक्त किये जाने योग्य होता है, रूप कहा जाता है। 'पद' का भी उसी के लिए प्रयोग होता है। सुप्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने सुसिद्धं पदम् कहा है। अर्थात् शब्दों के अन्त में सु, औ, जस आदि तथा ति, अस्, अन्ति आदि विभक्तियों के लगने पर जो विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रियाओं के रूप निष्पन्न होते हैं, वे पद हैं। न्यायसूत्र के रचयिता गौतम ने ते विभक्त्यन्ताः पदम् कहा है।

विभक्ति-शून्य शब्द (प्रातिपादिक) और धातुओं का यथावस्थित रूप में प्रयोग नहीं होता। विभिन्न सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए उनके साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं। विभक्ति-युक्त प्रातिपादिक या धातु प्रयोग-योग्य होते हैं। संस्कृत के सुप्रसिद्ध काश्यप-तत्त्व-वेत्ता कविराज विश्वनाथ ने पद की व्याख्या करते हुए लिखा है : 'दे वर्णं या वर्ण-समुच्चय, जो प्रयोग के योग्य हैं तथा अनान्वित रूप में किसी एक अर्थ के बोधक हैं, पद

कहे जाते हैं।¹ रूप-विज्ञान में इस प्रकार के नाम व आख्यात (क्रिया) पदों (रूपों) के विश्लेषण, विकास तथा अध्यय, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का तुलनात्मक विवेचन होता है।

अर्थ-विज्ञान (Semantics)

शब्द और अर्थ का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। अर्थ-शून्य शब्द का भाषा के लिए कोई महत्त्व नहीं होता। शब्द बाह्य कलेवर है, अर्थ उसकी आत्मा है। केवल कलेवर की चर्चा से साध्य नहीं सघता। उसके साथ-साथ उसकी आत्मा का विवेचन भी अत्यन्त आवश्यक होता है। शब्दों के साथ संश्लिष्ट अर्थ का एक लम्बा इतिहास है। किन्-किन स्थितियों और हेतुओं से किन्-किन शब्दों का किन्-किन अर्थों से कब, कैसे सम्बन्ध जुड़ जाता है; इसका अन्वेषण एवं विश्लेषण करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। वैयाकरणों द्वारा प्रतिपादित शब्दाः कामदुधाः इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसका अभिप्राय यह था कि शब्द कामधेनु की तरह हैं। अनेकानेक अर्थ देकर भोक्ता या प्रयोक्ता को परितुष्ट करने वाले हैं। कहने का प्रकार या क्रम भिन्न हो सकता है, पर, मूल रूप में तथ्य वही है, जो ऊपर कहा गया है। उदाहरणार्थ, जुगुप्सा शब्द को लें। वर्तमान में इसका अर्थ घृणा माना जाता है। यदि इस शब्द के इतिहास की प्राचीन पत्तें उधाड़ें, तो ज्ञात होगा कि किसी समय इस शब्द का अर्थ 'रक्षा करने की इच्छा' (गोप्तुमिच्छा जुगुप्सा) था। समय बीता। इस अर्थ में कुछ परिवर्तन आया। प्रयोक्ताओं ने सोचा होगा, जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, वह तो छिपा कर रखने योग्य होता है; अतः 'जुगुप्सा' का अर्थ गोपन (छिपाना) हो गया। मनुष्य सतत मननशील प्राणी है। उसके चिन्तन एवं मनन के साथ नये-नये मोड़ आते रहते हैं। उक्त अर्थ में फिर एक नया मोड़ आया। सम्भवतः सोचा गया हो, हम छिपाते तो जयन्त्य वस्तु को हैं, अच्छी वस्तुएँ तो छिपाने की होती नहीं। इस चिन्तन के निष्कर्ष के रूप में जुगुप्सा का अर्थ 'गोपन' से परिवर्तित होकर 'घृणा' हो गया। वास्तव में शब्द का स्रष्टा एवं उसका प्रयोक्ता मानव है। प्रयोग की भिन्न-भिन्न कोटियों का मानव की मनः-स्थितियों से सम्बन्ध है।

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध आदि पर विचार, विवेचन और विश्लेषण इस विभाग के अन्तर्गत आता है। वर्तमान के कुछ भाषा-वैज्ञानिक इसको भाषा-विज्ञान का विषय नहीं मानते। वे इसे दर्शन-शास्त्र से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। प्राचीन काल के कुछ भारतीय दार्शनिकों ने भी प्रसंगवश शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की चर्चा की है। पर, जहाँ स्वतंत्र रूप से भाषा-शास्त्र के सांगोपांग विश्लेषण का प्रसंग हो, वहाँ इसे अनिवार्यतः उसी

१. वर्णः पदं प्रयोगाहाभितैकार्थबोधकः।

को लेना होगा । उसके बिना किसी भी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण अपूर्ण रहेगा । अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक, समीक्षात्मक, तुलनात्मक तथा इतिहासात्मक; सभी दृष्टियों से अर्थ का अध्ययन करना अपेक्षित होता है । अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-विकास, अर्थ-हास तथा अर्थ-उत्कर्ष आदि अनेक पहलू इसमें सहज ही आ जाते हैं ।

वाक्य-विज्ञान (Syntax)

भाषा का प्रयोजन अपने भावों की अभिव्यञ्जना तथा दूसरे के भावों का यथावत् रूप में ग्रहण करना है । दूसरे शब्दों में इसे (भाषा को) विचार-विनिमय का माध्यम कहा जा सकता है । ध्वनि, शब्द, पद; ये सभी भाषा के आधार हैं । पर, भाषा जब वाक्य की भूमिका के योग्य होती है, तब उसका कलेवर वाक्यों से निष्पन्न होता है । पद वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अभिप्रेक्षित अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं । वाक्य में पदों या शब्दों का स्थानिक महत्व भी होता है; अतः अर्थ-योजन में स्थान-निर्धारण भी अपेक्षित रहता है । उदाहरणार्थ, 'I go to school' अंग्रेजी के इस वाक्य में 'Go' क्रिया दूसरे स्थान पर है । 'Go to school' इस वाक्य में भी 'Go' क्रिया का प्रयोग है । यहाँ Go पहले स्थान पर है । पर, स्थान-भेद के कारण इस क्रिया के अर्थ में भिन्नता आ गयी है । पहले वाक्य में यह क्रिया जहाँ सामान्य वर्तमान की द्योतक है, वहाँ दूसरे वाक्य में आज्ञा-द्योतक है । वाक्य-विज्ञान से सम्बद्ध इसी प्रकार के अनेक विषय हैं, जो वाक्य-रचना की विविध अपेक्षाओं पर टिके हुए हैं । उन सबका इस विभाग के अन्तर्गत विवेचन और विश्लेषण किया जाता है ।

निर्वचन-शास्त्र [व्युत्पत्ति-विज्ञान] (Etymology)

शब्दों की उत्पत्ति, उनका इतिहास आदि का इस विभाग में समावेश है । शब्दों की उत्पत्ति की अनेक कोटियाँ तथा विधाएँ हैं, जिनके अन्वेषण से और भी अनेक तथ्य प्रकट होते हैं । मानव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है । प्राचीन काल में भाषा-विज्ञान का इस प्रकार का अध्ययन व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप में नहीं हुआ । भारतवर्ष और यूनान में एक सीमा तक इस सन्दर्भ में प्रयत्न चले थे । यूनान में बहुत स्थूल रूप में इस पर चर्चा हुई । पर, भारतीय मनीषी उस समय की स्थितियों और अनुकूलताओं के अनुसार अधिक गहराई में गये थे ।

विश्व में उपलब्ध साहित्य में वैदिक वाङ्मय का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है । वेदों में प्रयुक्त भाषा और तद्गत अर्थ व परम्परा सदा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए चिद्धानों ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दःशास्त्र, ज्योतिष और निरुक्त ६ शास्त्र और प्रतिष्ठित किये,

जो वेदांग^१ कहे जाते हैं ।

शिक्षा (ध्वनि-विज्ञान) का वेद की संहिताओं से गहरा सम्बन्ध है । वेदिक संहिताओं का शुद्ध उच्चारण किया जा सके, उनका स्वर-संचार यथावत् रह सके, इसके लिए अनेक नियम गठित किये गये । जिन ग्रन्थों में इनका विशेष वर्णन है, वे प्रातिशाख्य कहलाते हैं । प्रातिशाख्य प्रतिशाखा से बना है । पृथक्-पृथक् वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाएं मानी गयी हैं । उन शाखाओं से सम्बद्ध संहिताओं के शुद्ध उच्चारण का भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उल्लेख है । प्रातिशाख्यों का सर्जन विश्व का प्राचीनतम भाषा-वैज्ञानिक कार्य है । इसका मुख्य उद्देश्य मात्रा काल, स्वराघात, उच्चारण की विशिष्टताओं का प्रदर्शन, संहिताओं के रुढ़िगत उच्चारण की सुरक्षा, वैज्ञानिकता एवं सूक्ष्मता के साथ ध्वनियों का विवेचन तथा ध्वनि-अंगों की जानकारी देना था । प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त कतिपय शिक्षा ग्रन्थ भी हैं, जो कलेवर में छोटे हैं । वेद का यह अंग भाषा-विज्ञान से बहुत अधिक सम्बद्ध है । ध्वनि-विज्ञान-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का समाधान एक सीमा तक इसमें प्राप्त है । उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के रूप में स्वरों के उच्चारण के विशेष क्रम भी ध्वनि-विज्ञान से सूक्ष्मतया सम्पृक्त हैं ।

कल्प पारिभाषिक शब्द है, जो कर्म-काण्ड-विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है । दूसरे से छठे तक पांच अंगों में चौथा 'निरुक्त' भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । निरुक्त के रचयिता महान् विद्वान् यास्क थे । उनका समय लगभग ई० पू० ८०० माना जाता है ।

वैयाकरणों का अभिमत

निरुक्तकार यास्क

यास्क ने निरुक्त या व्युत्पत्ति-शास्त्र की रचना कर भारतीय षाड्मय को वास्तव में बड़ी देन दी । उनके द्वारा रचित व्युत्पत्ति-शास्त्र विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सूचनाएं देता है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । यास्क के सामने उस समय भाषा के दो रूप विद्यमान थे, वेदिक भाषा और लौकिक भाषा । वेदिक भाषा से उनका तात्पर्य उस संस्कृत है, जिसका वेदों में प्रयोग हुआ है । वे उसे निगम, छन्दस्, ऋक् आदि नाम भी देते हैं । लौकिक भाषा के लिए वे केवल 'भाषा' व्यवहृत करते हैं । उनके अनुसार वेदिक संस्कृत मूल भाषा है तथा लौकिक भाषाएं उससे निकली हैं ।

आज के भाषा-वैज्ञानिक एक ऐसी भारोपीय परिवार की अत्यन्त प्राचीन मूल भाषा की भी कल्पना करते हैं, जो वेदिक संस्कृत तथा तत्समकक्ष अन्यान्य तत्परिवारीय प्राच्य व

१. शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा ।

कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः ॥

प्रतीक्ष्य भाषाओं का उद्गम-स्थान थी। यास्क जिन परिस्थितियों में थे, उनके लिए यहाँ तक पहुँच पाना सम्भव नहीं था। भौगोलिक कठिनाइयाँ भी थीं, यातायात के साधन तथा अन्य अनुकूलताएँ भी नहीं थीं। ऐसी स्थिति में अपने निर्वचन में वे भारत से बाहर की भाषाओं को भी दृष्टिगत रख पाते, यह सम्भव नहीं था। उस समय यद्यपि उप-भाषाओं का प्रचलन पर्याप्त संख्या में था और यास्क ने भी उस प्रकार के संकेत किये हैं, पर, उनका व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में भाषात्मक अनुसन्धान-कार्य उन्हीं प्रचलित भाषाओं की सीमा में है, जो उनके समक्ष थीं। जो भी हुआ, जितना भी हुआ, उस समय की स्थितियों के परिपार्श्व में स्तुत्य कार्य था। संसार के भाषा-शास्त्रीय विकास के इतिहास में उसका अनुपम स्थान रहेगा।

निघण्टु के रूप में यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची विद्यमान थी, जिसके पाँच अध्याय हैं। निरुक्त में निघण्टु में उल्लिखित प्रत्येक शब्द की पृथक्-पृथक् व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। निरुक्तकार ने निघण्टु के शब्दों का अर्थ स्थापित करने का वास्तव में सफल प्रयास किया है। उन्होंने अपने द्वारा स्थाप्यमान अर्थ की पुष्टि के हेतु स्थान-स्थान पर वैदिक संहिताओं को भी उद्धृत किया है। अर्थ-विज्ञान के सन्दर्भ में इस प्रकार के अध्ययन का विश्व में यह पहला प्रयास था। भारतवर्ष में यास्क के समय तक अर्थ-विज्ञान आदि से सम्बन्धित विषय बहुत चर्चित हो चुके थे। यास्क ने स्वयं औदुम्बरायण, वाष्पयिणि, गार्ग्य, गालव, शाकटायन आदि अपने से पूर्ववर्ती या समसामयिक आचार्यों का उल्लेख करते हुए उनके मतों को उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ, यास्क ने पद के चार भेद किये हैं—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उस प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य औदुम्बरायण का मत उद्धृत करते हुए शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व जैसे गहन विषय की चर्चा की है। यास्क के अनुसार आख्यात भाव-प्रधान है। उसके सन्दर्भ में उन्होंने भाव-विकार के विषय में आचार्य वाष्पयिणि के विचार उपस्थित कर अपना अभिमत प्रदर्शित किया है। वास्तव में यास्क का निरूपण-क्रम अनुसन्धानात्मक और समीक्षात्मक पद्धति पर आधारित है। उतरवर्ती भाषा-वैज्ञानिकों के लिए वह निःसन्देह प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

यास्क के व्यक्तित्व की महत्ता इससे और सिद्ध हो जाती है कि अस्पष्ट शब्दों के लिए उन्होंने आग्रह नहीं किया, अपितु उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया कि वे शब्द उनके लिए स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने शब्दों पर विचार करते हुए भाषा की उत्पत्ति और गठन आदि पर भी जहाँ-तहाँ कुछ संकेत किया है। सबसे पहले उन्होंने यह स्थापना की कि प्रत्येक संज्ञा की व्युत्पत्ति धातु से है। यद्यपि यह मत समालोचनीय है, पर, इसका अपना महत्त्व अवश्य है। आगे चलकर महान् वैयाकरण पाणिनि ने भी धातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित किया।

यास्क द्वारा विवेचित व्युत्पत्ति-क्रम को जानने के लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वे लिखते हैं : आचार्यः कस्मात् ? आचार्य आचारं प्राह्यति, आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा। जो आचार-ग्रहण करवाता है अथवा अर्थों का आचयन करता है, अन्तेवासी को पदार्थों का बोध करवाता है अथवा अन्तेवासी में बुद्धि का संचय करता है, वह आचार्य कहा जाता है।

‘श्मशान’ शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए यास्क लिखते हैं : श्मशानम् श्मशयनम्। श्म = शरीरम्। शरीरं शृणाते। श्मनातेः वा। श्म—शरीर जहाँ शयन करता है, चिर निद्रा में सोता है, वह श्मशान कहा जाता है।

महान् वैयाकरण पाणिनि

यास्क के अनन्तर महान् वैयाकरण पाणिनि को भाषा-विज्ञान के विकास के सन्दर्भ में सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के गठन के अन्तर्गत पद-विज्ञान आदि का भी गम्भीर और वैज्ञानिक विवेचन किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों आपिशलि, काशकृत्स्न आदि का भी उल्लेख किया। पाणिनि के पूर्ववर्ती एक बहुत बड़े वैयाकरण इन्द्र थे। तैत्तरीय-संहिता इन्हें प्रथम वैयाकरण सिद्ध करती है। वहाँ लिखा है : “देवताओं ने इन्द्र से कहा—हमें भाषा को व्याकृत कर समझाइए¹।”

इन्द्र ने वंसा किया। इन्द्र का वैयाकरण-सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व एवं पश्चात् भी चलता रहा। वर्तमान में जो प्रातिशाख्य प्राप्त हैं, वे इसी सम्प्रदाय के हैं। वार्तिककार कात्यायन भी इसी सम्प्रदाय के थे।

पाणिनि ने पूर्ववर्ती वैयाकरणों के महत्वपूर्ण शोध-कार्य का सार अष्टाध्यायी में समाविष्ट किया। उन्होंने कतिपय प्रसंगों में उदीच्य और प्राच्य सम्प्रदायों की भी चर्चा की है। कथासरित्सागर में सोमदेव ने लिखा है कि पाणिनि के गुरु का नाम उपाध्याय वर्ष था। कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त इनके सहपाठी थे। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के रूप में व्याकरण एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन दी है। माहेश्वर सूत्रों की कुछ अनुपम विशेषताएँ हैं। उनमें ध्वनियों का स्थान एवं प्रयत्न के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, वह ध्वनि-विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है।

पाणिनि की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उन्होंने केवल चौदह सूत्रों के आधार पर

-
१. वाग्वे प्राच्य व्याकृताञ्जदत्। ते देवा इन्द्रमब्रवन्तिमां नो वाचं व्याकूर्विति। तस्मिन्ने मध्यतोऽब्रकम्य व्याकरोत्।

प्रत्याहार आदि के सहारे संस्कृत जैसी जटिल और कठिन भाषा को संक्षेप में बांध दिया। ढाई हजार वर्ष के पश्चात् भी वह भाषा किंचित् भी इधर-उधर नहीं हो सकी, अपने परिनिष्ठित रूप में यथावत् बनी रह सकी। उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात के रूप में यास्क द्वारा किये गये पद-विभागों को नहीं माना। शब्द को सुबन्त और तिङन्त; इन दो भागों में विभक्त किया है। आज तक संसार में भाषा-विज्ञान या व्याकरण के क्षेत्र में शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से इस निरूपण का सर्वाधिक महत्त्व है। वर्णों के स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, संवृत, विवृत, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अधोष आदि कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ आदि उच्चारण-स्थान प्रभृति अनेक ऐसे विषय हैं, जो ध्वनि-विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि की अद्भुत उपलब्धियां हैं।

वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विश्लेषण पाणिनि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उनके वर्णन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि छन्दस् कही जाने वाली वैदिक संस्कृत और भाषा कहलाने वाली लौकिक संस्कृत में परस्पर उस समय तक बहुत अन्तर आ गया था। सार रूप में कहा जा सकता है कि पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण थे। अष्टाध्यायी जैसा उनका ग्रन्थ आज तक किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया। उन्होंने व्याकरण को अनुपम सूक्ष्मता देने के साथ-साथ दर्शन का स्वरूप भी प्रदान किया। उनकी सूत्र-पद्धति ने व्याकरण की शुष्कता को सरस तथा कठिनता को सरल बना दिया।

आधुनिक भाषा-विज्ञान के जनक पाश्चात्य विद्वान् ब्लूम फील्ड Language पुस्तक में, जिसका आज के भाषा-विज्ञान में अत्यधिक महत्त्व है, पाणिनि के सम्बन्ध में लिखते हैं : “पाणिनि का व्याकरण (अष्टाध्यायी) जिसकी रचना लगभग ई० पू० ३५०-२५० के मध्य हुई थी, मानवीय बुद्धि के प्रकर्ष का सबसे उन्नत कीर्ति-स्तम्भ है। आज तक किसी भी अन्य भाषा का इतने परिपूर्ण रूप में विवेचन नहीं हुआ है।”¹

हर्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जॉन बी० केरोल ने लिखा है : “पाश्चात्य विद्वानों ने पहले पहल जैसे ही हिन्दू व्याकरण पाणिनि की वर्णनात्मक पद्धतियों का परिचय पाया, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे प्रभावित हुए तथा उन्होंने भाषाओं का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया।”²

1. This grammar which dates from some where round 350 to 250 B. C. is one of the greatest Monuments of human intelligence—No other language to this day has been so perfectly described.
2. Western scholars were for the first time exposed to the descriptive methods of the Hindu grammarian Panini, influenced either directly or indirectly by Panini, began to produce descriptive and historical studies.....

आलोचक कात्यायन

पाणिनि के पश्चात् अन्य भी कई वैयाकरण हुए। कात्यायन उनमें बहुत प्रसिद्ध हैं। कथासरित्सागरकार ने इन्हें पाणिनि का सहपाठी बतलाया है। वह उचित नहीं जान पड़ता। कात्यायन का समय लगभग ई० पू० पांचवी-चौथी शताब्दी होना चाहिए। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों की आलोचना की, उनमें दोष दिखलाया तथा शुद्ध नियम निश्चित किये। इस सम्बन्ध में विद्वानों का अभिमत है कि कात्यायन ने जिन्हें दोष कहा, वे वस्तुतः दोष नहीं थे। पाणिनि तथा कात्यायन के बीच लगभग १५० वर्ष का समय पड़ता है। उस बीच भाषा में जो परिवर्तन आया, उसे ही कात्यायन ने अशुद्ध या दुष्ट माना। इतना स्पष्ट है कि कात्यायन के धार्मिकों से भाषा के विकास से सम्बद्ध कई तथ्य ज्ञात होते हैं, जो अर्थ-विज्ञान एवं ध्वनि-विज्ञान से जुड़े हैं।

महाभाष्यकार पतंजलि

कात्यायन के पश्चात् पतंजलि आते हैं। उनका समय ई० पू० दूसरी शताब्दी है। वे पाणिनि के अनुयायी थे। उन्होंने महाभाष्य की रचना की, जिसका उद्देश्य कात्यायन के नियमों में दोष दिखाकर पाणिनि का मण्डन करना था। उन्होंने जो नियम बनाये, वे इष्टि कहलाते हैं।

पतंजलि के महाभाष्य का महत्व नियम-स्थापना की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है। उसका महत्व तो भाषा के दार्शनिक विश्लेषण में है। उन्होंने ध्वनि के स्वरूप, धाव्य के भाग तथा ध्वनि-समूह व अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध आदि भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिन्तन उपस्थित किया। व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान जैसे विषय को पतंजलि ने जिन सरल, सुघड़ और हृद्य शब्दों से वर्णित किया है, वह वास्तव में अद्भुत है। उनकी शैली अत्यन्त ललित तथा हेतु-पूर्ण है। सरल, सरस व प्रांजल भाषा तथा प्रसाद-पूर्ण शैली की दृष्टि से समग्र संस्कृत वाङ्मय में आचार्य शंकर कृत शारीरिक भाष्य के अतिरिक्त ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है, जो इस महाभाष्य के समकक्ष हो।

व्याकरण का उत्तरवर्ती स्रोत

महाभाष्यकार पतंजलि के अनन्तर पाणिनीय शाखा के अन्तर्गत उत्तरोत्तर अनेक वैयाकरण होते गये, जिनमें जयादित्य तथा वामन (सातवीं शती पूर्वार्ध), भर्तृहरि (सातवीं शती), जिनेन्द्र बुद्धि (आठवीं शती पूर्वार्ध), कय्यट (न्याारहवीं शती), हरदत्त (बारहवीं शती) मुख्य थे। उन्होंने पाणिनि की व्याकरण-परम्परा में अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों तथा व्याख्या-ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिनमें भाषा और व्याकरण के अनेक पक्षों पर तलस्पर्शी विवेचन है। उनके अनन्तर इस शाखा में जो वैयाकरण हुए, उन्होंने कौमुदी की परम्परा

का प्रवर्तन किया। व्याकरण पर इतने अधिक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे कि उनको बोध-गम्य बनाने के लिये किसी अभिनव क्रम की अपेक्षा थी। कौमुदी-साहित्य इसका पूरक है। विमल सरस्वती (चवदहवीं शती), शमचन्द्र (पन्द्रहवीं शती), भटोजि दीक्षित (सत्रहवीं शती) तथा वरदराज (अठारहवीं शती) इस परम्परा के मुख्य ग्रन्थकार थे। भटोजि दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी और वरदराज की लघु कौमुदी का संस्कृत अध्येताओं में आज भी सर्वत्र प्रचार है।

पाणिनि के व्याकरण के अतिरिक्त भारतवर्ष में व्याकरण की कतिपय अन्य शाखाएँ भी प्रचलित थीं, जिनमें जैनेन्द्र, शाकटायन, हेमचन्द्र, कातन्त्र, सारस्वत तथा बोपदेव आदि शाखाओं का कहत्वपूर्ण स्थान है।

व्याकरणोत्तर शास्त्रों में भाषा-तत्त्व

व्याकरण-ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत में रचे गये न्याय, काव्य-शास्त्र तथा मीमांसा आदि में भी भाषा के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप में विचार उपस्थित किये गये हैं। बंगाल में नदिया नैयायिकों या तार्किकों का गढ़ रहा है। वहाँ के नैयायिकों ने अपने ग्रन्थों में भाषा के मनो-वैज्ञानिक पक्ष पर विचार किया। श्री जगदीश तर्कालंकार के शब्दशक्ति प्रकाशिका ग्रन्थ में शब्दों की शक्ति पर नैयायिक दृष्टि से ऊहापोह किया गया है। उससे अर्थ-विज्ञान पर कुछ प्रकाश पड़ता है। काव्य शास्त्रीय वाङ्मय में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक और साहित्य - दर्पण आदि ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें शब्द-शक्तियों तथा अलंकारों के विश्लेषण के प्रसंग में भाषा के शब्द, अर्थ आदि तत्त्वों पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है।

भारतीय दर्शनों में मीमांसा दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। मीमांसा दर्शन का वर्ण्य विषय यद्यपि कर्मकाण्ड और यज्ञवाद है, पर, विद्वान् आचार्यों ने इनके विवेचन के लिए जो शैली अपनाई है, वह अत्यन्त नैयायिक या तार्किक है। उन्होंने शब्द-स्वरूप, शब्दार्थ, वाक्य-स्वरूप, वाक्यार्थ आदि विषयों पर गहराई से विमर्षण किया है।

भारतीय विद्वानों द्वारा किये गये भाषा-तत्त्व-सम्बन्धी गवेषणा-कार्य का यह संक्षिप्त लेखा-जोखा है, जो भारतीय प्रज्ञा की सजगता पर प्रकाश डालता है। प्राचीन काल में जब समीक्षात्मक रूप में परिशीलन करने के साधनों का प्रायः अभाव था और न आज की तरह गवेषणा-सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण ही समक्ष थे, तब इतना जो किया जा सका, कम स्तुत्य नहीं है। विश्व में अपनी कोटि का यह असाधारण कार्य था।

यूनान व यूरोप में भाषा-विश्लेषण

पुरातन संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन के विकास में प्राच्य देशों में जो स्थान भारत का है, उसी तरह पाश्चात्य देशों में ग्रीस (यूनान) का है । भारतवर्ष के अनन्तर यूनान में भी भाषा-तत्त्व पर कुछ चिन्तन चला । यद्यपि वह भारतवर्ष की तुलना में बहुत साधारण था, केवल ऊपरी सतह को छूने वाला था, पर, पाश्चात्य देशों में इस क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास था, इसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है ।

सुकरात का इंगित

सुकरात (ई० पू० ४६९ से ई० पू० ३९९) यूनान के महान् दार्शनिक थे । उनका विषय तत्त्व ज्ञान था; अतः भाषा-शास्त्र के सम्बन्ध में उन्होंने लक्ष्यपूर्वक कुछ नहीं लिखा, पर, अन्य विषयों की चर्चा के प्रसंग में इस विषय की ओर भी कुछ इंगित किया । सुकरात के समक्ष यह प्रश्न आया कि शब्द और अर्थ में परस्पर जो सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक है या इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी एक वस्तु का जो नाम प्रचलित है, उस (नाम) के स्थान पर यदि कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, तो क्या वह अस्वाभाविक होगा ? सुकरात का इस सन्दर्भ में यह चिन्तन था कि किसी वस्तु और उसके नाम का, दूसरे शब्दों में अर्थ और शब्द का कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है । वह मानव द्वारा स्वीकृत सम्बन्ध है । यदि किसी वस्तु का उसके नाम से स्वाभाविक सम्बन्ध होता, तो वह शाश्वत होता, सर्वव्यापी होता, देश-काल के भेद से व्याहत नहीं होता । ऐसा होने पर संसार में सर्वत्र जिस किसी भाषा का एक शब्द सभी दूसरी भाषाओं में उसी अर्थ का द्योतक होता, जिस अर्थ का अपनी भाषा में द्योतक है । अर्थात्, संसार में सबकी स्वाभाविक भाषा एक ही होती ।

प्लेटो : भाषा-तत्त्व

सुकरात के पश्चात् उनके शिष्य प्लेटो (४२९ ई० पू० से ३४७ ई० पू०) यूनान के बहुत बड़े विचारक हुए । उनका भी अपने गुरु की तरह भाषा-विज्ञान से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं था । उन्होंने यथा-प्रसंग भाषा तत्त्वों के सम्बन्ध में जहाँ-तहाँ अपने विचार प्रकट किये हैं, जिनका भाषा-विज्ञान के इतिहास में कुछ-न-कुछ महत्व है । उन्होंने ध्वनियों के वर्गीकरण का मार्ग दिखाया तथा ग्रीक भाषा की ध्वनियों को घोष और अघोष; इन दो भागों में विभक्त किया । यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का यह सबसे पहला प्रयत्न था ।

प्लेटो ने भाषा और विचार के सम्बन्ध पर भी चर्चा की है । उनके अनुसार विचार और भाषा में केवल इतना ही अन्तर है कि विचार आत्मा का अघ्वन्यात्मक या निःशब्द

वार्तालाप है और जब वह ध्वन्यात्मक होकर मुख-विवर से व्यक्त होता है, तो उसकी संज्ञा भाषा हो जाती है। सारांश यह है, प्लेटो के अनुसार भाषा और विचार में मूलतः ऐक्य है। केवल बाह्य दृष्टि से ध्वन्यात्मकता और अध्वनियात्मकता के रूप में अन्तर है।

प्लेटो वाक्य-विश्लेषण और शब्द-भेद के सम्बन्ध में भी कुछ आगे बढ़े हैं। उद्देश्य, विधेय, वाच्य, व्युत्पत्ति आदि पर भी उनके कुछ संकेत मिलते हैं, जो भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी यूनानी चिन्तन के विकास के प्रतीक हैं।

अरस्तू का काव्यशास्त्र

यूनान के तीसरे महान् दार्शनिक, काव्यशास्त्री और चिन्तक अरस्तू थे। उनका भी मुख्य विषय भाषा नहीं था, पर, प्रासंगिक रूप में भाषा पर भी उन्होंने अपना चिन्तन दिया। अरस्तू का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ पोयटिक्स (काव्यशास्त्र) है, जिसमें उन्होंने त्रासदी, कामदी आदि काव्य-विधाओं का मार्मिक विवेचन किया है। पोयटिक्स के दूसरे भाग में अरस्तू ने जहाँ शैली का विश्लेषण किया है, वहाँ भाषा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। यद्यपि वह भाषा-विज्ञान से साक्षात् सम्बद्ध नहीं है, पर, महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार वर्ण अविभाज्य ध्वनि है। वह स्वर, अन्तस्थ और स्पर्श के रूप में विभक्त है। दीर्घ, ह्रस्व, अल्पप्राण तथा महा-प्राण आदि पर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने स्वर की जो परिभाषा दी, वस्तुतः वह कुछ दृष्टियों से वैज्ञानिक कही जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिसकी ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा और ओष्ठ का व्यवहार न हो, वह स्वर है।

उद्देश्य, विधेय, संज्ञा, क्रिया आदि पर भी अरस्तू ने प्रकाश डाला है। कारकों तथा उनको प्रकट करने वाले शब्दों का भी उन्होंने विवेचन किया है, जो यूरोप में इस कोटि का सबसे पहला प्रयास है। प्लेटो ने शब्दों के श्रेणी-विभाग (Parts of Speech) का जो प्रयत्न आरम्भ किया था, उसे पूरा कर आठ तक पहुँचाने का श्रेय अरस्तू को ही है। उन्होंने लिंग (स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग)-भेद तथा उनके लक्षणों का भी विश्लेषण किया।

ग्रीक, लैटिन और हिब्रू

ग्रीक व्याकरणों ने तदनन्तर प्रस्तुत विषय को और आगे बढ़ाया। जिनमें पहले थ्यूक्स (ई० पू० दूसरी शती) हैं। ग्रीस और रोम में जब पारस्परिक संपर्क बढ़ने लगा, तब विद्याओं का आदान-प्रदान भी प्रारंभ हुआ। फलतः रोमवासियों ने ग्रीस की भाषा-अध्ययन-प्रणाली को ग्रहण किया और लैटिन भाषा के व्याकरणों की रचना होने लगी। लैटिन का सबसे पहला प्रामाणिक व्याकरण लौरेंसस बाल नामक विद्वान् द्वारा लिखा गया। वह ईसाई-धर्म के प्रभाव का समय था; अतः ग्रीस और रोम में ओल्ड टेस्टामेंट (Old testament)

के अध्ययन का एक विशेष क्रम चला । उस बीच विद्वानों को ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषाओं के तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन का विशेष अवसर प्राप्त हुआ ।

ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा होने के कारण उस समय हिब्रू को वहाँ सबसे प्राचीन तथा सब भाषाओं की जननी माना जाता था । फलतः विद्वानों ने यूरोप की अन्य भाषाओं के वैसे शब्दों का अन्वेषण आरम्भ किया, जो हिब्रू के तदर्थक शब्दों के सदृश या मिलते-जुलते थे । ऐसे कोश बनने लगे, जिनमें इस प्रकार के शब्दों का संकलन था । उन सभी शब्दों की व्युत्पत्ति हिब्रू से साध्य है, ऐसा प्रमाणित करने का भी प्रयास चलने लगा । इस सन्दर्भ में तत्कालीन विद्वानों का अरबी तथा सीरियन आदि भाषाओं के परिशीलन की ओर भी ध्यान गया ।

पन्द्रहवीं शती यूरोप में विद्याओं और कलाओं के उत्थान या पुनरुज्जीवन का समय माना जाता है । साहित्य, संस्कृति आदि के विकास के लिए जन-मानस जागृत हो उठा था तथा अनेक आन्दोलन या सबल प्रयत्न पूरे देश के साथ चलने लगे थे । भिन्न-भिन्न देश-वासियों का अपनी-अपनी भाषाओं के अम्युदय की ओर भी चिन्तन केन्द्रित हुआ । परिणाम-स्वरूप भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का जितना जैसा संभव था, उपक्रम चला । भाषा-अध्येताओं ने इस सन्दर्भ में जो उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, उनमें से कुछ थीं :

❧ विद्वानों को ऐसा आभास हुआ कि ग्रीक और लैटिन भाषाएँ सम्भवतः किसी एक ही स्रोत से प्रस्फुटित हुई हैं ।

❧ भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि से यह, चाहे अति साधारण ही सही, एक प्रेरक संकेत था ।

❧ विद्वानों को चाहे हल्की ही सही, ऐसी भी प्रतीति हुई कि हो सकता है, शब्दों का आधार धातुएँ हों ।

❧ भाषाओं के अध्ययन की ओर उस समय यूरोप में कितनी उन्मुखता हो चली थी, यह इसी से स्पष्ट है कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक लिबनिज ने भी इस ओर ध्यान दिया । शासक वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ । फलतः पीटर महान् ने तुलनात्मक शब्दों का संग्रह करवाया । रूस की महारानी कैथरिन द्वितीय ने भी पी० एस० पल्लस (१७४१-१८११) को एक तुलनात्मक शब्दावली तैयार करने की आज्ञा दी । फलतः उन्होंने यूरोप और एशिया; दोनों महाद्वीपों की अनेक भाषाओं के २८५ तुलनात्मक शब्द संकलित किये । इसके दूसरे संस्करण में कुछ और विकास हुआ । लगभग अस्सी भाषाओं के सादृश्य मूलक शब्दों का उसमें और समावेश किया गया ।

पश्चिम में भाषा-तत्त्व पर हुए अध्ययन-अनुशीलन का यह संक्षिप्त विवरण है । इसमें कोई सन्देह नहीं, भाषा-वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी के लिए यह किसी-न-किसी रूप में प्रेरक सिद्ध हुआ ।

निष्कर्ष

प्राच्य और प्रतीच्य दोनों भू-भागों में भाषा-तत्त्व पर की गयी गवेषणा और विवेचना की पृष्ठ-भूमि प्राप्त थी ही, जिस पर आगे चल कर भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भाषा के विविध पक्षों को लेते हुए सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन-कार्य हुआ और हो रहा है । भाषा-विज्ञान इस समय मानविकी अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वतन्त्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित है । इस पर काफी गवेषणा और अनुसन्धान हुआ है, पर, यह विषय बहुत विस्तीर्ण है, जिसकी व्याप्ति सारे विश्व तक है । विश्व की विभिन्न प्राचीन और अर्धाचीन भाषाओं का ज्यों-ज्यों और अधिक तलस्पर्शितापूर्वक वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन-क्रम आगे बढ़ता जायेगा, भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में तो बड़ा काम होगा ही, विश्व के विभिन्न भागों में समय-समय पर प्रादुर्भूत सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक विकास, राजनैतिक व प्रशासनिक परिवर्तन, उतार-चढ़ाव आदि से जुड़े हुए अनेक अभ्यक्त तथ्य भी प्रकट होंगे ।

भाषा-विज्ञान की आधुनिक परम्परा

पाश्चात्य विद्वान्

भाषा-विज्ञान शब्द आज जिस अर्थ में प्रचलित है, उस दृष्टि से भाषा के साथ संश्लिष्ट अनेक सूक्ष्म पक्षों का व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन लगभग पिछली दो शताब्दियों से हो रहा है । अध्ययन की इस सूक्ष्म विश्लेषणपूर्ण व समीक्षात्मक परम्परा को आरम्भ करने का मुख्य श्रेय यूरोपीय विद्वानों को है, जिन्होंने पाश्चात्य भाषाओं के साथ-साथ प्राच्य भाषाओं का भी उक्त दृष्टिकोण से गहन अध्ययन किया । विशेषतः भारोपीय-भाषाओं के अध्ययन में तो इन विद्वानों ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त प्रेरक और उद्बोधक है ।

पाश्चात्य विद्वानों में निःसन्देह अनुसन्धितसा की विशेष वृत्ति रही है । पाश्चात्य मनीषी सर विलियम जॉन्स इसके मूल उदाहरण कहे जा सकते हैं । वे (१८ वीं शती) कलकत्ता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे । भारतीय विधि-विधान, न्याय तथा प्रशासन आदि को सूक्ष्मता से जानने की उन्हें जिज्ञासा हुई, ताकि वे भारतीयों को उनकी अपनी परम्पराओं के अनुरूप सही न्याय दे सकें । इसके लिए संस्कृत का अध्ययन परम आवश्यक था । सर विलियम जॉन्स के मन में संस्कृत पढ़ने की उत्कट इच्छा जागृत हुई । उन्होंने संस्कृत के किसी अच्छे विद्वान् की खोज प्रारम्भ की, जो उन्हें पढ़ा सकें ।

बड़ी कठिनाई थी। कोई विद्वान् उन्हें पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहा था। उन दिनों ब्राह्मण विद्वानों में यह रूढ़ धारणा थी, किसी विधर्मी को देव-वाणी कंसे पढ़ाई जा सकती है? बहुत प्रयत्न से एक विद्वान् तैयार हुए, पर, उन्होंने कई शर्तें रखीं। जिस कमरे में वे पढ़ायेंगे, उसे प्रतिदिन पढ़ाने से पूर्व गंगा के जल से धोना होगा। उनके लिए पढ़ाते समय पहनने के हेतु रेशमी कपड़ों की व्यवस्था करनी होगी। जॉन्स महोदय भी पढ़ते समय रेशमी वस्त्र धारण करेंगे। भूमि पर बैठकर पढ़ना होगा।

सर विलियम जॉन्स ने यह सब सहर्ष स्वीकार किया। उन दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की गरिमा का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पर, ज्ञान-प्राप्त करने की तीव्र उत्कण्ठा के समक्ष उस विदेशी अधिकारी ने किसी भी औपचारिकता को विलकुल भुला दिया और अपने विद्वान् अध्यापक द्वारा निर्देशित व्यवस्था-क्रम का यथावत् पालन करते हुए पढ़ना आरम्भ कर दिया। जिस लगन, निष्ठा और तन्मयता से सर विलियम जॉन्स ने संस्कृत विद्या का अध्ययन किया, वह विद्यार्थियों के लिए वास्तव में अनुकरणीय है। समुद्रों पार का एक व्यक्ति, जिसे संस्कृत का कोई पूर्व संस्कार न था, न जिसके धर्म की वह भाषा थी, ऐसी तड़प और लगन से गम्भीर ज्ञान अर्जित करने में अपने आप को जोड़ दे, यह कम महत्व की बात नहीं थी। सतत अध्यवसाय और लगन के कारण संस्कृत विद्या की अनेक शाखाओं का सर विलियम जॉन्स ने तत्सम्पर्शी ज्ञान अर्जित किया। याज्ञवल्क्य आदि स्मृति-ग्रन्थों और मिताक्षरा प्रभृति टीका व व्याख्या-साहित्य का भी उन्होंने सांगोपांग पारायण किया।

भारतीय समाज और विधि-विधानों का तो सर विलियम जॉन्स ने विस्तीर्ण ज्ञान पाया ही, साथ-ही एक फलित और हुआ, जिसका भाषा-विज्ञान के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है। सर विलियम जॉन्स ग्रीक, लैटिन, गाथिक आदि पुरानी पाश्चात्य भाषाओं के भी विद्वान् थे। संस्कृत साहित्य की शाखाओं के परिशीलन के समय उनके समक्ष अनेक ऐसे शब्द आये, जिनका उन्हें ध्वनि, गठन आदि की दृष्टि से लैटिन, ग्रीक आदि से सूक्ष्म साम्य प्रतीत हुआ। उनके मन में बड़ा आश्चर्य और कुतूहल जागा। उन्होंने संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द खोज निकाले, जिनका ग्रीक, लैटिन आदि प्रतीच्य भाषाओं के साथ बहुत सादृश्य था। गहन अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान के निष्कर्ष के रूप में उन्होंने प्रकट किया कि मेरा अनुमान है कि शब्द, धातु, व्याकरण आदि की दृष्टि से संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, गाथिक, कालिटिक तथा पुरानी फारसी का मूल या आदि स्रोत एक है।

सन् १७९६ में सर विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उस अवसर पर उन्होंने कहा : “संस्कृत भाषा की प्राचीनता चाहे कितनी

हो रही हो, उसका स्वरूप निःसन्देह आश्चर्यजनक है। वह ग्रीक से अधिक परिपूर्ण, लैटिन से अधिक समृद्ध तथा इन दोनों से अधिक परिमार्जित है^१।”

वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक रूप में भाषाओं के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वालों में सर विलियम जॉन्स का नाम सदा शीर्षस्थ रहेगा। भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म एवं गम्भीर परिशीलन का लगभग उसी समय से व्यवस्थित क्रम चला, जो उत्तरोत्तर अभिन्न उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता रहा। यह क्रम विश्व के अनेक देशों में चला और आज भी चल रहा है। इस सन्दर्भ में यह स्मरण करते हुए आश्चर्य होता है और साथ ही प्रेरणा भी मिलती है कि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उन भाषाओं का भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक रूप में सूक्ष्म विश्लेषण भी किया, जो भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनीषियों, अनुसन्धित्सुओं और अध्येताओं के लिये सदैव उद्बोध-प्रद रहेगा।

आदि मान्यताएँ

भाषा का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार हुआ और वह किन-किन विकास-क्रमों में से गुजरती हुई वर्तमान अवस्था तक पहुँची, यह एक प्रश्न है; जो आज से नहीं, चिरकाल से है। वास्तव में इसका सही-सही समाधान दे पाना बहुत कठिन है; क्योंकि भाषा भी लगभग उतनी ही चिरन्तन है, जितनी कि मानव-जाति। मानव-जाति अनादि है, उसी प्रकार भाषा भी अनादि है, इस प्रकार कहा जा सकता है। पर, बुद्धिशील मानव स्वभावतः जिज्ञासु है, इतने मात्र से कैसे परितुष्ट होता? जीवन के साथ सतत संलग्न भाषा का उद्भव कैसे हुआ, वह विकास और विस्तार के पथ पर किस प्रकार अग्रसर हुई, यह जानने की उत्सुकता उसके मन में सदा से बनी रही है। इस प्रश्न का समाधान पाने को वह चिन्तित रहा है। फलतः अनेक प्रयत्न चले। समाधान भी पाये, पर, भिन्न-भिन्न प्रकार के। आज भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या का सर्वसम्मत समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ प्रस्तुत प्रश्न पर अब तक हुए चिन्तन का विहंगावलोकन करते हुए कुछ ऊहापोह अपेक्षित है। विभिन्न धर्मों के लोगों की उद्भावनाओं पर विचार करना पहली अपेक्षा होगी। समाधान खोजने वालों में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनकी अपनी कुछ पूर्ब संचित धारणाएँ होती हैं और अतिशय-प्रकाशन की भावना भी। भाषा के उद्भव के प्रश्न पर प्रायः विश्व के सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपने-अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं।

1. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.....

वैदिक मान्यता

जो वेद में विश्वास करते हैं, उनकी मान्यता है कि वेद मानव-कृत नहीं हैं, अपौरुषेय हैं। ईश्वर ने जगत् की सृष्टि की, मानव को बनाया, भाषा की रचना की। ऋषियों के अन्तर्मान में ज्ञान का उद्भास किया, जो वेद की ऋचाओं और मन्त्रों में प्रस्फुटित हुआ। इनकी भाषा छन्दस् या वैदिक संस्कृत है, जो अनादि है, ईश्वरकृत है, इसलिये इसे देव-भाषा कहा जाता है। संसार की सभी भाषाएँ इसी से निकली हैं। यह मानव को ईश्वर-दत्त भाषा है।

संस्कृत के महान् वैयाकरण, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने भी भाषा की ईश्वर-कृतता को एक दूसरे प्रकार से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने व्याकरण के अइउण^१ आदि सूत्रों के विषय में लिखा है : “सनक आदि ऋषियों का उद्धार करने के लिए अर्थात् उन्हें शब्द-शास्त्र का ज्ञान देने के लिये नटराज भगवान् शंकर ने ताण्डव नृत्य के पश्चात् चौदह बार अपना डमरू बजाया, जिससे चौदह सूत्रों की सृष्टि हुई।”^२ इन्हीं चौदह सूत्रों पर साश शब्द-शास्त्र टिका है।

यास्क का सूक्ष्म चिन्तन

पाणिनि से पूर्ववर्ती निरुक्तकार यास्क (ई० पू० ८००) के उस कथन पर इस प्रसंग में विचार करना उपयोगी होगा, जो शब्दों के व्यवहार के सम्बन्ध में है। भाषा की उत्पत्ति की समस्या पर भी इससे कुछ प्रकाश पड़ता है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात; इन चार पद-भेदों का विवेचन करते हुए प्रासंगिक रूप में उन्होंने शब्द की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है : “शब्द अणीयान् है; इसलिए लोक में व्यवहार (काम चलाने) के लिए वस्तुओं का संज्ञाकरण (नाम या अभिधान) शब्द द्वारा हुआ।”^३ उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप में कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है, उन्हें यह आवश्यक नहीं लगा हो। इस विषय में वे किसी पूर्व कल्पना या धारणा को लिए हुए हों।

शैक्षिक जनों को पारस्परिक व्यवहार चलाने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए। संकेत

१ अइउण् १। ऋलक् २। एओङ् ३। ऐऔच् ४। हयवरट् ५। लण् ६। जमडणनम् ७। ऋभज् ८। घटर्घष् ९। जवगडवश् १०। खफळठथचटतव् ११। कपय् १२। शषसर् १३। हल् १४॥

२ नृत्तावसाने नटराजराजो, ननाद ढक्कां नवर्पचवारम्।

उद्धर्तुकामः सनकदिसिद्धानेतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम्॥

३ अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थलोके।

—निरुक्तः १, २

आदि उसके यथेष्ट पूरक नहीं हो सकते । तब मनुष्य विभिन्न वस्तुओं की भिन्न-भिन्न संज्ञाएं करना चाहता है । एतदर्थ वह शब्दों को निष्पन्न करता है । शब्द द्वारा “संज्ञाकरण” का जो कथन निरुक्तकार करते हैं, उससे यह स्पष्ट भलकता है कि उनकी आस्था किसी ईश्वर-कृत भाषा के अस्तित्व में नहीं थी । यदि कोई भाषा ईश्वर-कृत होती, तो उसमें विभिन्न वस्तुओं के अर्थ-द्योतक शब्द होते ही । वैसी स्थिति में वस्तुओं के संज्ञाकरण या उन्हें नाम देने की मानव को क्या आवश्यकता पड़ती ? व्यवस्थित और ईश्वर-कृत भाषा में किसी भी प्रकार की अपरिपूर्णता नहीं होती । वस्तुओं के नामकरण की तभी आवश्यकता पड़ती है, जब भाषा जैसा कोई प्रकार मानव को प्राप्त नहीं हो । यास्क का कथन इसी सन्दर्भ में प्रतीत होता है ।

भाषा के अनन्य अंग शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क जो मानव-कृतता की ओर इङ्गित करते हैं, यह उनका वस्तुतः बड़ा क्रान्तिकारी चिन्तन है । उनके उत्तरवर्ती महान् ब्रह्मयज्ञ पाणिनि तक भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुरातन बद्धमूल रूढ़ धारणा से आगे नहीं बढ़ सके, जब कि यास्क ने उनसे तीन शताब्दी पूर्व ही उपर्युक्त संकेत कर दिया था । इससे स्पष्ट है कि यास्क अपेक्षाकृत अधिक समीक्षक एवं अनुसन्धित्सु थे ।

यास्क के समक्ष उस समय संस्कृत भाषा थी, जो देव-भाषा कहलाती थी । आज भी कहलाती है । यास्क ने देव-भाषा की सिद्धि बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से की है । वे लिखते हैं : “मनुष्य वस्तुओं के लिए जो नाम का प्रयोग करते हैं, देवताओं के लिए भी वे वैसे ही हैं ।”^१ तात्पर्य है, मनुष्य की भाषा को देवता भी उसी रूप में समझते हैं । इससे मानव-भाषा देव-भाषा भी है, ऐसा सिद्ध होता है । संस्कृत के लिये इसी कारण देव-भाषा शब्द व्यवहृत है, यहां यास्क का ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है ।

बौद्ध मान्यता

बौद्ध धर्म का त्रिपिटक के रूप में सारा मूल बाङ्गमय मागधी में है, जो आगे चल कर पालि के नाम से प्रसिद्ध हुई । बौद्धों में सिंहली परम्परा की प्रामाणिकता अबाधित है । सबसे पहले सिंहल (लंका) में ही विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक लिपिबद्ध किये गये । सिंहली परम्परा का अभिमत है कि सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् तथागत ने अपना धर्मोपदेश मागधी (पालि) में किया । उनके अनुसार मागधी संसार की आदि भाषा है । आचार्य बुद्धघोष ने इस तथ्य का स्पष्ट शब्दों में उद्धोष करते हुए लिखा है : “मागधी सभी सत्त्वों—जीवधारियों की मूल भाषा है ।”^२

१. तेषां मनुष्यवद्देवताभिधानम् ।

— निरुक्त; १, २

२. मागधिकाय सर्वसत्तानं मूलभासाय ।

— विमुद्धिमग्ग

महावंस के परिवर्द्धित अंश चूलवंस का भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है। रेवत स्थविर के आदेश से आचार्य बुद्धवोष लंका गये। वहाँ उन्होंने सिंहली अट्ठकथाओं का मागधी में अनुवाद किया। उसका उल्लेख करते हुए वहाँ कहा गया है : “सभी सिंहली अट्ठकथाएँ मागधी भाषा में परिवर्तित—अनूदित की गयीं, जो (मागधी) समस्त प्राणी वर्ग की मूल भाषा है।”¹

मागधी या पाली के सम्बन्ध में जो सिंहली परम्परा का विश्वास है, वैसा ही बर्मी परम्परा का भी विश्वास है। इतना ही नहीं, पालि त्रिपिटक में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी बौद्ध धर्मानुयायी अपनी धार्मिक भाषा पालि या मागधी को संसार की मूल भाषा स्वीकार करते हैं।

जैन मान्यता

जैन परम्परा का भी अपने धर्म-ग्रन्थों की भाषा के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास है। जैनों के द्वादशांगमूलक समग्र आगम अर्द्ध-मागधी में हैं। उनकी मान्यता है कि जैन आगम तीर्थंकर महावीर के मुख से निकले उपदेशों का संकलन हैं, जो उनके प्रमुख शिष्यों—गणधरों द्वारा किया गया था। उनके अनुसार अर्द्ध-मागधी विश्व की आदि भाषा है। सूत्रकृतांग निर्युक्ति पर रचित चूर्णि में उल्लेख है : “प्राकृत भाषा (अर्द्ध-मागधी) जीव के स्वाभाविक गुणों से निष्पन्न है।”² यही (अर्द्ध-मागधी) देवताओं की भाषा है, ऐसा जैनों का विश्वास है। कहा गया है : “अर्द्ध-मागधी आर्ष एव सिद्ध वचन है, देवताओं की भाषा है।”³

तीर्थंकर जब धर्म-देशना करते हैं, उनके समवसरण (विराट् श्रोतृ-परिषद्) में मनुष्यों देवताओं आदि के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के उपस्थित रहने का भी उल्लेख है। तीर्थंकरों की देशना अर्द्ध-मागधी में होती है। उस (तीर्थंकर भाषित-वाणी) का यह अतिशय या वैशिष्ट्य होता है कि श्रोतृ-वृन्द द्वारा स्वन्थात्मक रूप में गृहीत होते ही वह उनकी अपनी भाषा के रूप में परिणत हो जाती है अर्थात् वे उसे अपनी भाषा में समझते हैं। उपस्थित तिर्थंकर (पशु-पक्षी-गण) भी उस देशना को इसी (अपनी भाषा में परिणत) रूप में श्रवण

१. परिवर्त्तसि सव्वापि सीहलट्ठकथातवा ।

सव्वेसं मूलभासाय मागधाय निरुत्तिया ॥

—चूलवंस; परिच्छेद, ३७

२. जीवस्स साभावियगुणेहिं ते पागतभासाए ।

३. भारिस वयणो सिद्धं देवानं अद्धमागहा वाणी ।

करते हैं। एक प्रकार से यह भाषा केवल मानव-समुदाय तथा देव-वृन्द तक ही सीमित नहीं है, पशु-पक्षियों तक व्याप्त है।

प्राकृत-विद्वानों का अभिमत

जैन शास्त्रकारों या व्याख्याकारों ने ही नहीं, अपितु कतिपय उत्तरवर्ती जैन-अजैन प्राकृत विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध अलंकार शास्त्री नमि साधु ने प्राकृत की व्याख्या करते हुए लिखा है : “प्राकृत व्याकरण आदि के संस्कार से निरपेक्ष समस्त जगत् के प्राणियों का सहज वचन-व्यापार—भाषा है। प्राकृत का अर्थ प्राक् कृत = पूर्व कृत अथवा आदि सृष्ट भाषा है। वह बालकों, महिलाओं आदि के लिये सहजतया बोधगम्य है और सब भाषाओं का मूल है।”^१

भोज-रचित सरस्वती कण्ठाभरण के व्याख्याकार आजड़ ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है। उनके अनुसार प्राकृत समस्त जगत् के प्राणियों का स्वाभाविक वचन-व्यापार है, शब्दशास्त्रकृत विशेष संस्कारयुक्त है तथा बच्चों, ग्वालों व नारियों द्वारा सहज ही प्रयोग में लेने योग्य है। सभी भाषाओं का मूल कारण होने से वह उनकी प्रकृति है अर्थात् उन भाषाओं का वह (उसी प्रकार) मूल कारण है, जिस प्रकार प्रकृति जगत् का मूल कारण है।^२

प्रसिद्ध कवि बाकपति ने गउडवहो काव्य में प्राकृत की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है : “जैसे जल-नदियां समुद्र में मिलती हैं और उसी से (वाष्प रूप में) निकलती हैं, उसी तरह भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश पाती हैं और उसी से निकलती हैं।”^३

रोमन कैथोलिक मान्यता

ईसाई धर्म में भी भाषा के विषय में इसी प्रकार की मान्यता है। इस धर्म के दो सम्प्रदाय हैं—रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट। रोमन कैथोलिक प्राचीन है। उनका सर्व-मान्य ग्रन्थ ओल्ड टेस्टामेंट है, जो हिब्रू में लिखा गया है। उनके अनुसार परमात्मा ने सबसे पहले पूर्ण विकसित भाषा के रूप में इसे आदम और हव्वा को प्रदान किया। उनका

१. सकलजजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहित संस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्। प्राक् कृतं प्राकृतं बालमहिलादिमुबोधं सकलभाषा-निबन्धनभूतं वचनमुच्यते।
२. सकलबालगोपालांगनाहृदयसंचारी निखिलजगज्जन्तूनां शब्दशास्त्रीकृतविशेषसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात् प्रकृतिरिवप्रकृतिः तत्र सधा सैव वा प्रकृतिः।
३. सयलाओ इयं वायाविसंति एस्तो थ गेंति वायाओ।
ए'ति समुहं चियः गेंति सायराओ च्विय जलाइं ॥ ९३ ॥

विश्वास है कि विश्व की यह आदि भाषा है। सभी भाषाओं का यह उद्गम-स्रोत है। स्वर्ग के देव-गण इसी भाषा में सम्भाषण करते हैं।

हिब्रू से सभी भाषाओं का उद्गम सिद्ध करने के लिए ग्रीक, लैटिन आदि पाश्चात्य भाषाओं के ऐसे अनेक शब्द संकलित किये गये, जो उससे मिलते-जुलते थे। इस प्रकार यूरोपीय भाषाओं के अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति हिब्रू से सिद्ध किये जाने के भी प्रयास हुए। इसके लिये ध्वनि-साम्य, अर्थ-साम्य आदि को आधार बनाया गया। जो भी हो, तुलनात्मक अध्ययन का बीज रूप में एक क्रम तो चला, जो उत्तरवर्ती भाषा-शास्त्रीय व्यापक अध्ययन के लिये किसी रूप में सही, उत्साहप्रद था।

इस्लाम का अभिमत

आदि भाषा के सम्बन्ध में इस्लाम का मन्तव्य भी उपर्युक्त परम्पराओं से मिलता-जुलता है। इस्लाम के अनुयायियों के अनुसार कुरान, जो अरबी भाषा में है, खुदा का कलाम है।

मिस्र में भी प्राचीन काल से वहाँ के निवासियों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विचार था। इस्लाम का प्रचार होने के अनन्तर मिस्रवासी अरबी को ईश्वर-दत्त आदि भाषा मानने लगे।

भाषा को लेकर पिछली शताब्दियों तक धर्म के क्षेत्र में मानव की कितनी अधिक रुढ़ धारणाएँ बनी रहीं, मिस्र की एक घटना से यह विशेष स्पष्ट होता है। टेलीफोन का आविष्कार हुआ। संसार के सभी प्रमुख देशों में उसकी लाइनें बिछाई जाने लगीं। मिस्र में भी टेलीफोन लगने की चर्चा आई। मिस्रवासियों ने जब यह जाना कि सैकड़ों मील की दूरी से कही हुई बात उन्हीं शब्दों में सुनी जा सकेगी, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मिस्र के मौलवियों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इन्सान की आवाज इतनी दूर नहीं पहुँच सकती। यदि पहुँचेगी, तो वह इन्सान की आवाज़ नहीं, अपितु शैतान की आवाज़ होगी; अर्थात् इन्सान की बोली हुई बात को शैतान पकड़ेगा, आगे तक पहुँचायेगा।

जन-साधारण की मौलवियों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने मौलवियों के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि वे शैतान की आवाज़ नहीं सुनेंगे। उनके यहाँ टेलीफोन की लाइनें न बिछाई जायें। प्रशासन स्तब्ध था, कैसे करे? बहुत समझाया गया, पर वे नहीं माने। अन्त में वे एक शर्त पर मानने को सहर्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, कुरान की आयतें खुदा की कही हुई हैं। मनुष्य उनको बोल सकता है, शैतान उनका उच्चारण नहीं कर सकता। यदि दूरवर्ती मनुष्य द्वारा बोली हुई कुरान की आयतें टेलीफोन से सही रूप में

सुनी जा सकें, तो उन्हें विश्वास होगा कि वह शैतान की आवाज नहीं है, इन्सान की है। ऐसा ही किया गया। तदनन्तर मित्रवासियों ने टेलीफोन लगाना स्वीकार किया।

प्लेटो जैसे दार्शनिक और तत्त्व-वेत्ता का भी इस सम्बन्ध में यह अभिमत था कि जगत् में सभी वस्तुओं के जो नाम हैं, वे प्रकृति-दत्त हैं। सारांश यह है कि दूसरे रूप में सही, प्लेटो ने भी भाषा को देवी या प्राकृतिक देन माना; क्योंकि वस्तु और क्रिया के नामों की समन्वित संकलना ही भाषा है।

भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में विभिन्न आस्थावादियों के मन्तव्यों से जिज्ञासा और अनुसन्धित्सा-प्रधान लोगों को सन्तोष नहीं हुआ। इस पर अनेक शंकाएँ उत्पन्न हुईं। सबका दावा अपनी-अपनी भाषा की प्राचीनता और ईश्वर या प्रकृति की देन बताने का है। यदि भाषा ईश्वर-दत्त या जन्मजात है, तो देश-काल के आधार पर थोड़ा-बहुत भेद हो सकता है, पर, संसार की भाषाओं में परस्पर जो अत्यन्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह क्यों है? इस प्रकार के अन्य प्रश्न थे, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था।

मानव की मूल भाषा : कतिपय प्रयोग

अतिविश्वासी जन-समुदाय के मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। वे मानने लगे, शिशु जन्म के साथ ही एक भाषा को लेकर आता है। पर, जिस प्रकार के देश, वातावरण, परिवार एवं समाज में वह बड़ा होता है, अनवरत सम्पर्क, सांनिध्य और साहचर्य के कारण वहीं की भाषा को शनैः-शनैः ग्रहण करता जाता है। फलतः उसका संस्कार परिवर्तित हो जाता है और वह अपने देश में प्रचलित भाषा को सहज रूप में बोलने लगता है। स्वभावतः प्राप्त भाषा उसके लिए अव्यक्त या विस्मृत हो जाती है और वह जो कृत्रिम भाषा अपना लेता है, वह उसके लिए स्वाभाविक हो जाती है।

समय-समय पर उपर्युक्त तथ्य के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किये गये। ई० पू० पांचवीं शती के प्रसिद्ध लेखक हेरोडोटस के अनुसार मिस्र के राजा सममिटिकोस (Psammitochos) ने इस सन्दर्भ में एक प्रयोग किया। जहाँ तक इतिहास का साक्ष्य है, भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों में वह पहला प्रयोग था। स्वाभाविक भाषा या आदि भाषा के रहस्योद्घाटन के साथ-साथ इससे प्राचीन या आदिम मानव-जाति का भेद खुलने की भी आशा थी। इस प्रकार सोचा गया कि बच्चे स्वाभाविक रूप में जो भाषा बोलने लगेंगे, वही विश्व की सबसे प्राचीन मूल भाषा सिद्ध होगी और जिन लोगों की, जिस जाति के लोगों की वह भाषा होगी, निश्चित ही वह विश्व की आदिम जाति मानी जायेगी।

परीक्षण इस प्रकार हुआ। दो नवजात बच्चों को लिया गया। उनके पास आने-जाने

बालों को कठोर आदेश था कि वहाँ वे कुछ न बोलें। उन शिशुओं के परिचारक को भी कड़ा आदेश था कि वह उनके खाने-पीने की व्यवस्था और देखभाल करता रहे, पर, मुँह से कभी एक शब्द भी न बोले। क्रम चलता रहा। बच्चे बड़े होते गये। उन्हें कुछ भी बोलना नहीं आया। उनके मुँह से केवल एक शब्द सुना गया—‘बेकोस’ (Bekos)। यह शब्द फ्रीजियन भाषा का है। इसका अर्थ रोटी होता है। उन बच्चों के खान-पान की व्यवस्था करने वाला नौकर फ्रीजियन था। ऐसा माना गया कि कभी रोटी देने समय भूल से नौकर के मुँह से ‘बेकोस’ शब्द निकल गया हो, जिसको बच्चों ने पकड़ लिया हो।

बारहवीं शताब्दी में इसी प्रकार का प्रयोग फ्रेडरिक द्वितीय ने किया, पर, अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। उसके अनन्तर पन्द्रहवीं शताब्दी में स्काटलैण्ड के राजा जेम्स चतुर्थ ने भी इसी तरह का प्रयोग किया, पर, कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। भारत में सोलहवीं शताब्दी में बादशाह अकबर ने भी परीक्षण किया। विशेष सावधानी बरती गयी। बड़ी उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा रही। अन्त में यह देखकर सब चकित थे कि सभी बच्चे मूक रह गये। एक भी शब्द बोलना उन्हें नहीं आया।

प्रयोगों का फलित

प्रयोगों से स्पष्ट है कि संसार में कोई भी भाषा ईश्वर-कृत नहीं है और न जन्म से कोई किसी भाषा को सीखे हुए आता है। यह मान्यता श्रद्धा और विश्वास का अतिरेक है। महत्व की एक बात और है। यदि भाषा स्वाभाविक या ईश्वरीय देन होती, तो वह आदि काल से ही परिपूर्ण रूप में विकसित होती। पर, भाषा का अब तक का इतिहास साक्षी है कि शताब्दियों की अवधि में भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप क्या-से-क्या हो गये हैं। उनमें उत्तरोत्तर विकास होता गया है, जो किसी एक भाषा के शताब्दियों पूर्व के रूप और वर्तमान रूप की तुलना से स्पष्ट ज्ञात हो सकता है। इस दृष्टि से विद्वानों ने बहुत अनुसन्धान किया है, जिसके परिणाम-विकास की शृंखला और प्रवाह का प्रलम्ब इतिहास है।

* अठारहवीं शदी में श्री जे० जी० हर्डर नामक विद्वान् हुए। उन्होंने सन् १७७२ में भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शोधपूर्ण निबन्ध लिखा। भाषा की दैवी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने उसमें समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया और उसे युक्ति एवं तर्कपूर्वक अमान्य ठहराया। पर, स्वयं उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी ठोस सिद्धान्त की स्थापना नहीं की। दैवी सिद्धान्त का उन्होंने खण्डन तो किया, पर, साथ ही यह भी कहा कि भाषा मनुष्य-कृत नहीं है। मनुष्य को उसकी आवश्यकता थी, स्वभावतः उसका विकास होता गया।

अज्ञात को ज्ञात करना प्रज्ञा का स्वभाव है। भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में देवी-उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रज्ञाशील मानव को समाधान नहीं दे सका। मानव ने बुद्धि और अनुमान के आधार पर तब समाधान ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न किया। यही ज्ञान के विकास का क्रम है। अपने प्रयत्न में कौन कितना सफल हो सका, यह समीक्षा और विश्लेषण का विषय है, पर, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे प्रयत्न जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ने वालों के लिए बड़े प्रेरक सिद्ध हुए। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में अधिकांशतः कल्पनाओं के आधार पर समाधान ढूँढ़े जाते रहे हैं; क्योंकि दूसरा कोई ठोस आधार नहीं था।

मूलभूत सिद्धान्त

निर्णय-सिद्धान्त

एक मत है, जब भाषा नहीं थी, तो लोग परस्पर में हाथ आदि के संकेतों से किसी तरह अपना काम चलाते थे। पर, इससे उनको सन्तोष नहीं था। उत्तरोत्तर जीवन विकास पाता जा रहा था। साधन-सामग्री में विविधता और बहुलता आ रही थी। विकासमान परिस्थिति मन में अनेक प्रकार के नये-नये भावों को उत्पन्न करती थी। पर, इन सब के लिए अभिव्यक्ति के हेतु मानव के पास कुछ था नहीं। सबके लिए इसकी बड़ी खिन्नता थी। सब एकत्र हुए। अभिव्यक्ति के लिए कोई साधन ढूँढ़ना था। विभिन्न वस्तुओं, क्रियाओं आदि के प्रतीक या संकेत के रूप में कुछ ध्वनियाँ या शब्द निश्चित किये। उनके सहारे वे अपना काम चलाने लगे। शब्दों का जो प्रयोग-क्रम चल पड़ा, उसने और नये-नये शब्द गढ़ने तथा व्यवहार में लाने की ओर मानव को उद्यम रखा। भाषा-विज्ञान में इसे 'निर्णय-सिद्धान्त' कहा जाता है। प्रो० रूसो इसके मुख्य समर्थक थे। इसे प्रतीकवाद, संकेतवाद या स्वीकारवाद भी कहते हैं; क्योंकि इसमें शब्दों का प्रतीक या संकेत के रूप में स्वीकरण हुआ।

कल्पना सुन्दर है, पर, युक्ति-युक्त नहीं है। यदि कोई भाषा नहीं थी, तो सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे एकत्र ही कैसे हुए? एकत्र होने के लिए भी तो कुछ कहना-समझाना पड़ता है। बिना भाषा के कहने की बात कैसे बनी? एकत्र हो भी जाएँ, तो विचार-विनिमय कैसे होता? विचार-विनिमय से ही किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है। विभिन्न वस्तुओं और क्रियाओं के लिए संकेत या ध्वनियों का स्वीकार या निर्णय भी बिना भाषा के सम्भव कैसे होता? इस कोटि का विचार-विमर्श भाषा के बिना केवल संकेतों से सम्भव नहीं था।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि वे एकत्र हो सके, ध्वनियों या शब्दों के रूप में नामों का निर्णय कर सके, तो उनके पास, चाहे अपूर्ण, अविकसित या टूटी-फूटी ही सही, कोई भाषा अवश्य ही होगी। उसके अभाव में यह सब सम्भव नहीं था। यदि किसी भी प्रकार की भाषा का होना मान लें, तो फिर नामों की खोज के लिए एकत्र होने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी अपूर्ण भाषा को पूर्ण या विकसित बनाया जा सकता था।

धातु-सिद्धान्त

भाषा के उद्भव के सन्दर्भ में एक और विचार आया, जो बड़ा कुतूहल-जनक है। वह भाषा-विज्ञान में 'धातु-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनकी अपनी-अपनी ध्वनियाँ हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक कांसी की थाली पर डंडे से मारें तो भन-भन की ध्वनि होगी। पीतल की थाली पर मारने से जो ध्वनि होगी, वह कांसी की थाली से भिन्न प्रकार की होगी। लोहे के टीन पर या सन्दूक पर मारने से ध्वनि का दूसरा रूप होगा। इसी प्रकार कागज, काठ, कांच, कपड़ा, चमड़ा, पत्थर आदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं से भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? यह ध्वन्यात्मक भिन्नता क्यों है? उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक स्वाभाविक ध्वनि है, जो सम्पर्क, संवर्ष, टक्कर या आघात से स्फुटित होती है। इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त के पुरस्कर्ताओं ने यहां तक माना कि प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है। वह जब जिन वस्तुओं के सम्पर्क में आता है, दूसरे शब्दों में उनसे टकराता है या संस्पृष्ट होता है, तब सहसा सम्मुखीन या संस्पृष्ट वस्तुओं के अनुरूप उसके मुँह से भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। इस प्रकार समय-समय पर मानव के मुख से जो ध्वनियाँ प्रस्फुटित हुईं, वे ही मूल धातुएँ थीं। प्रारम्भ में वे धातुएँ संख्या में बहुत अधिक थीं। पर, सब सुरक्षित नहीं रह पाई। शनैः-शनैः लुप्त होती गयीं। उनमें बहुत-सी परस्पर पर्यायवाची थीं। बहुसंख्यक में योग्यतमावशेष (Survival of the fittest) के अनुसार कुछ ही विद्यमान रह पाते हैं। इस प्रकार लगभग चारसौ-पांचसौ धातुएँ शेष रहीं। उन्हीं से क्रिया, संज्ञा आदि शब्द निष्पन्न हुए और भाषा की निर्मिति हुई। इस विचारधारा के उद्भावक और पोषक मानते थे कि धातुओं की ध्वनि और तद्गम्य अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (Mystic Harmony) है। रहस्यात्मक कहने से सम्भवतः यह तात्पर्य रहा हो कि वह अनुमेय और अनुमात्य है, विश्लेष्य नहीं।

उपर्युक्त शक्ति के सम्बन्ध में इस मत के समर्थकों का यह भी मानना था कि मानव में पुरातन समय में जो ध्वन्यात्मक अभिव्यंजना की शक्ति थी, उत्तरवर्ती काल में यथावत् रूप में विद्यमान नहीं रह सकी; क्योंकि भाषा के निर्मित हो जाने के अनन्तर वह अपेक्षित

नहीं रही; अतः व्यवहार या उपयोग का विषय न रहने से वह क्रमशः विलुप्त या विस्मृत होती गयी। आज के मानव में वह शक्ति किसी भी रूप में नहीं रह पायी है।

प्रो० हेस, स्टाइन्हाल और मैक्समूलर

जर्मन प्रो० हेस ने पहले-पहल इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया था। प्रो० हेस ने लिखित रूप में इसे प्रकट नहीं किया। अपने किसी भाषण में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। इसके बाद डा० स्टाइन्हाल ने इसे व्यवस्थित रूप में लेख-बद्ध किया और विद्वानों के समक्ष रखा। स्टाइन्हाल भाषा-विज्ञान और व्याकरण के तो विशेषज्ञ थे ही, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के भी प्रोढ़ विद्वान् थे। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में वे पहले विद्वान् थे, जिनका मत था कि मनोविज्ञान का सहारा लिये बिना भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में व्याकरण, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के पारस्परिक सम्बन्धों का विशद विवेचन किया। भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखीं।

प्रो० मैक्समूलर ने भी इसी सिद्धान्त पर चर्चा की। वे संस्कृत के और विशेषतः वेदों के बहुत बड़े विद्वान् थे। उनका मुख्य विषय साहित्य एवं दर्शन था। पर भाषा-विज्ञान पर भी उन्होंने कार्य किया। ने भारतीय विद्याओं के पक्षवर थे। भारत की संस्कृति, साहित्य, तत्त्वज्ञान तथा भाषा की प्रकृष्टता से संसार को अवगत कराने में उनका नाम सर्वाग्रणी है। उनकी विवेचन शैली अत्यन्त रोचक थी। सन् १८६१ में भाषा-विज्ञान पर उन्होंने कुछ भाषण दिये। भाषा-विज्ञान जैसे शुष्क और नीरस विषय को उन्होंने इतने मनोरंजक और सुन्दर प्रकार से व्याख्यात किया कि अध्ययनशील व्यक्ति इस ओर आकृष्ट हो उठे। तब से पूर्व भाषा-विज्ञान केवल विद्वानों तक सीमित था। सामान्य लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे। इसका श्रेय प्रो० मैक्समूलर को है कि उनके कारण इस ओर जन-साधारण की रुचि जागृत हुई।

प्रारम्भ में प्रो० मैक्समूलर को धातु-सिद्धान्त समीचीन जंचा और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसकी चर्चा भी की, पर, बाद में अधिक गहराई में उतरने पर विश्वास नहीं रहा और उन्होंने इसे निरर्थक कहकर अस्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है, भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में तब तक कोई सिद्धान्त जन्म नहीं पाया था। उपर्युक्त सिद्धान्त एक नये विचार के रूप में विद्वानों के सामने आया, इसलिए सम्भवतः बहुत गहराई में उतर कर सहसा उन्होंने इसका औचित्य मान लिया, पर, वह मान्यता स्थायी रूप से टिक नहीं पाई।

सूक्ष्मता से विचार करें, तो यह कल्पना शून्य में विचरण करती हुई सी प्रतीत होती है।

कल्पना अभिनव चिन्तन की स्फुरण है, पर, यहाँ कवितामूलक कल्पना नहीं है। उसके पीछे ठोस आधार चाहिए। भाषा का विकास वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आपृत है। क्या था, कैसे था, कैसे हुआ, कैसा है; भाषा के सन्दर्भ में इन सबका समाधान होना चाहिए। कविता में ऐसा नहीं होता, जैसा कि विख्यात काव्यशास्त्री अरस्तू ने त्रासदी (Tragedy) और कामदी (Comedy) के प्रसंग में बतलाया कि जो नहीं है, कल्पना या अनुकृति द्वारा उसको उपस्थित करना काव्य है; अतः काव्य की सृष्टि जागतिक यथार्थ से परे होती है। पर, भाषा-विज्ञान में ऐसा नहीं होता। धातुओं की कल्पना के माध्यम से भाषा के उद्भव का सिद्धान्त संगत नहीं लगता।

धातुओं के सन्दर्भ में कुछ और कथनीय है। शब्द जिनसे भाषा निष्पन्न होती है, केवल धातुओं से निर्मित नहीं होते। उपसर्ग, प्रत्यय आदि की भी अपेक्षा रहती है, जिनकी इस सिद्धान्त में कोई चर्चा नहीं है। भारोपीय, सामी आदि भाषा-परिवारों में तो धातुओं का बोध होता है, पर, अनेक ऐसे भाषा-परिवार भी हैं, जिनमें धातुओं का पता ही नहीं चलता। यदि 'धातुवाद' के सिद्धान्त को स्वीकार भी कर लिया जाये, तो विश्व की अनेक भाषाओं की उत्पत्ति की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी।

धातुओं की मान्यता के सम्बन्ध में एक बात और बड़े महत्व की है। जिन भाषाओं में धातुएं हैं, उन भाषाओं के विकसित होने के बहुत समय बाद धातुओं की खोज हुई। वे स्वाभाविक नहीं हैं, कृत्रिम हैं। व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान के पण्डितों के प्रयुज्यमान भाषा के संवटन को व्यवस्थित रूप देने के सन्दर्भ में धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि द्वारा शब्द बनाने का क्रम स्वीकार किया। यह प्रचलित भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत रूप में प्रतिपादित करने का विधि-क्रम कहा जा सकता है, जो वैयाकरणों और भाषा-वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म तथा गम्भीर अनुशीलन के अनन्तर उपस्थापित किया। प्रो० मैक्समूलर जैसे प्रौढ़ विद्वान् ने इस सिद्धान्त को एक बार स्वीकार करके भी फिर अस्वीकार कर दिया। उसके पीछे इसी तरह की कारण-सामग्री थी, जो भाषा की उत्पत्ति के प्रसंग में कोई ठोस पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत नहीं करती थी।

यास्क द्वारा आख्यात-चर्चा

शब्दों की धातुओं से निष्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क ने निरुक्त में चर्चा करते हुए कहा— 'नाम (शब्द) आख्यात—क्रिया (धातु) से उत्पन्न हुए हैं', यह निरुक्त-वाङ्मय है। वैयाकरण शाकटायन भी ऐसा ही मानते हैं। आचार्य गार्ग्य तथा अन्य कतिपय वैयाकरण नहीं मानते कि सभी शब्द धातुओं से बने हैं। उनकी युक्तियाँ हैं, जिस शब्द में स्वर, धातु, प्रत्यय, लोप, 'आगम आदि सकार-संगत हों, दूसरे शब्दों में व्याकरण-शास्त्र की प्रक्रिया के

अनुरूप हों, वे शब्द आख्यातज या धातु-निष्पन्न हैं। पर, जहां ऐसी संगति नहीं होती, वे शब्द संज्ञा-वाची हैं, रूढ़ हैं, योगिक नहीं, जैसे—गो, अश्व, पुरुष, हस्ती।

“सभी शब्द यदि धातु-निष्पन्न हों, तो जो वस्तु (प्राणी) जो कर्म करे, वसा (कर्म) करने वाली सभी वस्तुएं उसी नाम से अभिहित होनी चाहिए। जो कोई भी अश्व (मार्ग) का अशन-व्यापन करे, शीघ्रता से दौड़ते हुए मार्ग को पार करे, वे सब ‘अश्व’ कहे जाने चाहिए। जो कोई भी तर्दन करे, चूमें, वे तृण कहे जाने चाहिए। पर, ऐसा नहीं होता। एक बाधा यह आती है, जो वस्तु जितनी क्रियाओं में सम्प्रयुक्त होती है, उन सभी क्रियाओं के अनुसार उस (एक ही) वस्तु के उतने ही नाम होने चाहिए, जैसे—स्थूणा (मकान का खम्भा) दरशया (छेद में सोने वाला—खम्भे को छेद में लगाया जाता है) भी कहा जाये, किन्तु ऐसा नहीं होता।

“एक और कठिनाई है, यदि सभी शब्द धातु-निष्पन्न होते, तो जो शब्द जिस रूप में व्याकरण के नियमानुसार तदर्थ-बोधक धातु से निष्पन्न होते, उसी रूप में उन्हें पुकारा जाता, जिससे अर्थ-प्रतीति में सुविधा रहती। इसके अनुसार पुरुष पुरिशय कहा जाता, अश्व अष्टा कहा जाता और तृण तर्दन कहा जाता। ऐसा भी नहीं कहा जाता है।

“अर्थ-विशेष में किसी शब्द के सिद्ध या व्यवहृत हो जाने के अनन्तर उसकी व्युत्पत्ति का विचार चलता है, अमुक शब्द किसी धातु से बना। ऐसा नहीं होता, तो प्रयोग या व्यवहार से पूर्व भी उसका निर्वचन कर लिया जाना चाहिए था। पृथिवी शब्द का उदाहरण लें। प्रथनात् अर्थात् फैलाये जाने से पृथिवी नामकरण हुआ। इस व्युत्पत्ति पर कई प्रकार की संकाएं उठती हैं। इस (पृथिवी) को किसने फैलाया? उसका आधार क्या रहा अर्थात् कहां टिक कर फैलाया। पृथ्वी ही सबका आधार है। जिसे जो पुरुष फैलाये, उसे अपने लिए कोई आधार चाहिए। तभी उससे यह हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि शब्दों का व्यवहार देखने पर मानव व्युत्पत्ति साधने का यत्न करता है और सभी व्युत्पत्तियां निष्पादक धातु के अर्थ की शब्द के व्यवहृत या प्रचलित अर्थ में संगति सिद्ध नहीं करती।

“शाकटायन किसी शब्द के अर्थ के अन्वित—अनुगत न होने पर तथा उस (शब्द) की संघटना से संगत धातु से सम्बद्ध न होने पर उस शब्द की व्युत्पत्ति किसी-न-किसी प्रकार से साधने के प्रयत्न में अनेक पदों से उस (शब्द) के अंशों का संचयन कर उसे बनाते हैं। जैसे—‘सत्य’ शब्द का निर्माण करने में ‘इण्’ (गत्यर्थक) धातु के प्रेरणार्थक (णिजन्त) रूप आयक के यकार को अन्त में रखा, अस् (होना) धातु के णिजन्त-रहित मूल

रूप सत् को प्रारम्भ में रखा, इस प्रकार जोड़-तोड़ करने से 'सत्य' शब्द निष्पन्न हुआ । यह सहजता नहीं है ।

“क्रिया का अस्तित्व या प्रवृत्ति द्रव्यपूर्वक है अर्थात् द्रव्य क्रिया से पूर्व होता है । द्रव्य के स्पन्दन, आन्दोलन या हलन-चलन की अभिव्यंजना के हेतु क्रिया अस्तित्व से आती है । ऐसी स्थिति में बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले होने वाले द्रव्य का नाम नहीं दिया जा सकता । यहाँ 'अश्व' का उदाहरण ले सकते हैं । व्युत्पत्ति के अनुसार शीघ्र दौड़ने के कारण एक प्राणी विशेष 'अश्व' शब्द से संज्ञित होता, तो यह संज्ञा उसकी (शीघ्र दौड़ना रूप) क्रिया के देखने के बाद उसे दी जाती, पर, वस्तु-स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है । अश्वभिध प्राणी के उत्पन्न होते ही, जब वह चलने में भी अक्षम होता है, यह संज्ञा उसे प्राप्त है । ऐसी स्थिति में उसकी व्युत्पत्ति की संगति घटित नहीं होती ।

शब्दों की निष्पत्ति फलतः भाषा की संरचना में धातु-सिद्धान्त का कितना योग है, इस पर यह सहस्राब्दियों पूर्व के तर्क-वितर्क का एक उदाहरण है । इससे जहाँ एक ओर भारत के मनीषियों के आलोचनात्मक चिन्तन का परिचय मिलता है, वहाँ दूसरी ओर भाषा और शब्द जैसे विषयों में, जिनकी गहराई में जाने में लोग विशेष रुचि नहीं लेते, उनके तलस्पर्शी अवगाहन का एक स्पृहणीय उद्योग दृष्टिगोचर होता है ।

१ तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । न सर्वाणीति गार्ग्योर्धैयाकर गानान्ज्वैके ।

तद्यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम् । संविज्ञानानि तानि, यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति ।

अथ चेत् सर्वाप्याख्यातजानि नामानि स्युर्यः कश्चनतत्कर्म कुर्यात्सर्वं तत्सत्त्वं तथाचक्षोरन् ।

यः कश्चाध्वानमस्तुवीताश्वः स वचनीयः स्यात् यत्किंचितृन्धात्तृणं तत् ।

अथापि चेत्सर्वाप्याख्यातजानि नामानि स्युर्यावदिभर्त्विः सम्प्रयुज्येत तावद्भ्यो नामभेद प्रतिबल्लभः स्यात् । तैत्रवं स्थूणा, दशधावांजनी च स्मात् ।

अथपि य एवं न्यायवान्कार्भनामिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तैथतान्या-चक्षोरन् । पुरुषं पुरिशय इत्यावचक्षोरन्, अजेत्यश्वं, तर्दनमिति तृणम् ।

अथापि निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारयन्ति । प्रथनात्पृथिवित्याहुः क एनामप्रथयिष्यत्कि-माधारश्चेति ।

अथानन्वितेऽर्थे प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतार्थान्संवस्कार शाकटायनः एते कारितंच यकारादिन्वान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादि च ।

अथापि सत्वपूर्वो भात इत्याहुः । अवरस्माद् भावात्पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति ।

—निरुक्त; पाठ ४

यद्यपि मास्क गार्म्य की इन युक्तियों से परास्त नहीं हुए । उन्होंने अपने समाधान प्रस्तुत कर अपनी ओर से आख्यात (धातु)-सिद्धान्त की स्थापना का पूरा प्रयत्न किया, जिसका उल्लेख यहां अपेक्षित नहीं है, पर, गार्म्य के तर्क प्रभाव-शून्य नहीं हो सके । सहस्राब्दियों के बाद आज भी जब धातु-सिद्धान्त की समीक्षा और आलोचना की जाती है, तो गार्म्य के तर्क अभेद्य दुर्ग की तरह सम्मुख खड़े दिखाई देते हैं । प्राकृत और पालि के सन्दर्भ में किये जा रहे भाषा-वैज्ञानिक विवेचन के क्रम में गार्म्य की युक्तियों द्वारा सहस्रों वर्ष पूर्व की एक विचार-सरणि से अवगत हो सकें, इस प्रयोजन से कम प्रासंगिक होते हुए भी इस विषय को यहां उपस्थित किया गया है । भाषा की उत्पत्ति में जो मत, चाहे थोड़े ही सही, कार्यकर हुए, उनका संक्षेप में समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रसंग के लिए उपयोगी होगा ।

अनुकरणा सिद्धान्त

भाषा की उत्पत्ति किसी एक कारण या आधार से नहीं हुई है । उसका निर्माण कई प्रकार के आधारों की भूमि पर टिका है । उनमें एक सिद्धान्त 'अनुकरण' का है । पशु-पक्षी मनुष्य के निकट के साथी हैं । उनकी अपनी-अपनी बोली है, जो परस्पर एक-दूसरे से भिन्न है । पशु या पक्षी जब प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तब जो आवाज़ करते हैं, वह सम्भवतः उस आवाज़ से भिन्न होती है, जो वे दुःख, पीड़ा या अवसाद में करते हैं । अन्य भी अनेक भाव हो सकते हैं, जिनमें बहुत स्पष्ट न सही, पशु-पक्षियों की बोली में कुछ-न-कुछ भिन्नता सम्भावित है । एक प्रकार से इसे पशु-पक्षियों की भाषा कहा जा सकता है । भाषा-विहीन मनुष्य ने पशु-पक्षियों को बोलते हुए सुना । उनकी ध्वनि को पकड़ा । जिस पशु या पक्षी से जो ध्वनि आई, उसने उसका व उसकी बोलों का वंसा नाम दे दिया । उसके आधार पर उससे मिलती-जुलती और भी ध्वनियां या शब्द आविष्कृत किये, जो उसके अपने जीवन की हलचल या प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे । उदाहरणार्थ, मानव ने जब बिल्ली को बोलते सुना, तो 'म्याऊ' शब्द उसकी पकड़ में आया । उसने 'म्याऊ' शब्द को बिल्ली की बोली में संकेतित कर लिया और बिल्ली के लिए भी वह इसका प्रयोग करने लगा । हिन्दी में इस शब्द का इसी रूप में प्रचलन है । 'म्याऊ' का मुंह कौन पकड़े' इत्यादि प्रयोग इसके साक्षी हैं । चीनी भाषा में म्याऊ' के स्थान पर 'मिआऊ' प्रयुक्त होता है । मिछी भाषा में बिल्ली के लिए 'माऊ' का व्यवहार होता है । अन्य भी कई भाषाओं में कुछ परिवर्तित उच्चारण के साथ इसका प्रयोग सम्भावित है । काक, धुधु, मेंमें (भेड़ की बोली), बेबे (बकरी की बोली), हिनहिनाना (वोड़े की बोली), दहाड़ना (सिंह की आवाज़), फड़फड़ाना (पंखों की आवाज़) भीं-भीं (भींगुर की आवाज़) आदि इसी प्रकार के शब्द हैं । 'में में' से मिमियाना, 'बे बे' से बिबियाना आदि क्रियापद निष्पन्न कर लिये गये ।

देहाती बच्चे मोटर को 'पों-पों,' मोटर साइकिल को 'फटफटिया' कहते सुने जाते हैं। भोंपू भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसका आधार ध्वनि ही है। अंग्रेजी का Cuckoo शब्द इसी प्रकार का है। निरुक्तकार यास्क ने 'काक' की व्याख्या में काक 'इति शब्दानुकृतिः (अर्थात् जो का का करता है, वह काक है), जो उल्लेख किया है, वह इसी तथ्य को समर्थित करता है। इस सन्दर्भ में संस्कृत के अग्रांकित शब्द विशेष विमर्शनीय हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है, सम्भवतः ये अथवा इनमें से अधिकांश शब्द ध्वनि या आवाज के आधार पर बने हैं : घूक, खंजन, खंजरीट, कंक, टूक, कुकुट्ट, चटका, पिक, काक, कौंच, कोक, कुरर, चीरी, झिल्लिका, भीरका, मयूर, केकी, भृंग।

कुछ भाषा-वेज्ञानिकों द्वारा इस सिद्धान्त का विरोध हुआ। उनका कहना था कि उपर्युक्त शब्दों का आधार ध्वनियों का अनुकरण होता, तो संसार की सभी भाषाओं में इनके द्योतक शब्द एक जैसे होते; क्योंकि किसी देश-विशेष के पशुओं या पक्षियों की ध्वनि में अन्तर नहीं देखा जाता। तब उन (ध्वनियों) की अनुकृति पर बने शब्दों में भेद नहीं होना चाहिए। स्थिति इसके विपरीत है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपर्युक्त ध्वनियों के आधार पर बने शब्दों में कुछ-न-कुछ भिन्नता है। पर, कुछ गहराई में उतरने पर यह विरोध यथार्थ नहीं लगता। ध्वनियों के अनुकरण में सर्वथा समानता होना कदापि सम्भव नहीं है। देश व जल-वायु का घागिन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है। इससे उच्चारण में भिन्नता आना स्वाभाविक है। ध्वनियों का भी अनुकरण सब सर्वथा एक रूप में कर सकें, यह अस्वाभाविक है। दूसरी बात यह है, अनुकरण अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता; इसलिए न यह सम्भव है और न आवश्यक ही कि निर्मीयमान शब्द ध्वनि के सर्वथा अनुगत हों। ध्वनि का जिसके द्वारा जितना साध्य होता है, उतना अथवा थोड़ा-बहुत अनुकरण रहता है। शब्द-निर्माण में ध्वनि का आधार स्थिति के अनुरूप एक सीमा विशेष तक है, सम्पूर्ण नहीं। भाषा-विज्ञानविद् स्वीट का भी कहना था कि ध्वनियों के अनुकरण पर बने वाले शब्द ध्वनि के सर्वथा अनुरूप हों, यह आवश्यक नहीं है।

* प्रो० मैक्स मूलर को यह सिद्धान्त बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने इस पर व्यंग्य करते हुए इसे Bow-/Vow Theory के नाम से सम्बोधित किया। अंग्रेजी में Bow-Wow कुत्ते की आवाज को कहते हैं। कुत्ते के पिल्ले को भी अंग्रेज इसी नाम से पुकारते हैं। 'पापुवा' के पूर्वोत्तरी किनारे पर जो भाषा बोली जाती है, उसमें भी ध्वनि के आधार पर कुत्ते को Bow-/Vow कहा जाता है। प्रो० मैक्स मूलर ने पापुवा की तटीय भाषा के इस शब्द के आधार पर उक्त परिहास किया, पर, यह बंसी निष्प्रयोज्य बात नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विश्व की अधिकांश भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो उक्त प्रकार की ध्वनियों के आधार पर बने हैं। जो भाषा-वेज्ञानिक केवल ध्वनियों की अनुकृति पर बने

शब्दों से ही समग्र भाषा की निष्पत्ति मानते हैं, वह तथ्यपूर्ण नहीं है। ध्वनि-निष्पन्न शब्दों के अतिरिक्त अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनका ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्वनि-निष्पन्न शब्दों से वे कई गुने अधिक हैं। साथ-ही-साथ यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें ध्वनि-निष्पन्न शब्दों का सर्वथा अभाव है, जैसे उत्तरी अमेरिका की अपषस्कन भाषा।

अनुकरण-सिद्धान्त

‘अनुकरण-सिद्धान्त’ के समकक्ष ‘अनुरणन-सिद्धान्त’ के नाम से एक अन्य विचारधारा की चर्चा भाषा-विज्ञान में और आती है। पानी, धातु, काठ, पेड़ के पत्ते आदि वनस्पति-जगत्, धातु-जगत् और निर्जीव पदार्थों के संस्पर्श, संघर्ष, टक्कर, पतन आदि से जो ध्वनि निकलती है, उसके अनुकरण पर जो शब्द बनते हैं, उन्हें अनुरणन-निष्पन्न शब्द कहा जाता है। अनुकरण के स्थान पर यहां अनुरणन शब्द का उपयोग हुआ है। अर्थ की सूक्ष्मता की दृष्टि से अनुकरण और अनुरणन में परस्पर अन्तर है। पशु-पक्षी जैसा बोलते हैं, मानव अपने मुँह से उसी प्रकार बोलने का जो प्रयत्न करता है, वह अनुकरण है। जल-प्रवाह बहता है, ‘नद्-नद्’ नाद होता है। वह अनुरणन है। इस सिद्धान्त के आधार पर नद् (धातु) से नद या नदी शब्द बनते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है (पतति), तब पत्-पत् के रूप में जो आवाज निकलती है, पत् धातु और पत्र शब्द का निर्माण उसी से होता है। कुत्ते के भौंकने के अर्थ में बुक् धातु का स्वीकार इसी कोटि का उदाहरण है। कल-कल, छल-छल, भन-भन, खट-पट आदि हिन्दी शब्द तथा Mur-Mer आदि अंग्रेजी शब्द इसी प्रकार के हैं। ऐसे शब्द संसार की प्रायः सभी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुकरण और अनुरणन में वास्तव में कोई मौलिक भेद नहीं है। केवल वस्तु-भेद मूलक स्थूल अन्तर है, जो गण्य है। अनुकरण के कुछ और भी रूप हैं, जो इसी में आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, दीपक जलने और तारे चमकने के दृश्यों के अनुकरण पर जगमगाहट, चमचमाहट आदि शब्द निर्मित हुए। इन सबका उपयुक्त सिद्धान्त में समावेश हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि भाषा में शब्दों का एक ऐसा वर्ग है, जिसका आधार पशुओं व पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण, वस्तुओं का अनुरणन तथा दृश्यों का परिदर्शन है। वस्तुतः सभी अनुकरण के ही रूप हैं। भाषा के निर्मातृ-तत्त्वों में अंशतः इस सिद्धान्त का भी स्थान है।

मनोभावाभिध्यंजकतावाद

मनोभावाभिध्यंजकतावाद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आदिकाल या प्रारम्भ में मानव बुद्धि-प्रधान नहीं था, भाव-प्रधान था। पशु भी लगभग इसी कोटि के होते हैं। उनमें विचार-क्षमता नहीं होती, भावना होती है। आदि मानव विवेक या प्रज्ञा की दृष्टि से पशुओं से विशेष ऊँचा नहीं था। विवेक और चित्त की क्षमता भले ही न हो, प्राणिमात्र

में भावों का उद्रेक निश्चय ही होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय आदि का आधिक्य सहज ही मानव को भाषावेश में ला देता है। प्राचीन काल का मानव जब इस प्रकार भावाविष्ट हो जाता, अनायास ही कुछ शब्द उसके मुख से निकल पड़ते। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतएव अप्रयत्न-साध्य थी। ओह, आह, उफ, छिः, धृ, आदि शब्द इसी प्रकार के हैं।

संस्कृत में आः^१ (कोप, पीड़ा), घिङ्^२ (निर्भत्सना, निन्दा), बत^३ (खेद, अनुकम्पा, सन्तोष), हन्त^४ (हर्ष, अनुकम्पा, विषाद), साभि^५ (जुगुप्सित), जोषं^६ (नीरवता, सुख), अलं^७ (पर्याप्त, शक्ति वारण-निषेध), हुं^८ (वितर्क, परिप्रश्न), हा^९ (विषाद), अहह^{१०} (अद्भुतता, खेद), हिरण्^{११} (वर्जन), आहो, उताहो^{१२} (विकल्प), अहो, ही^{१३} (विस्मय) तथा ऊं^{१४} (प्रश्न, अनुनय) इत्यादि आकस्मिक भावों के द्योतक हैं। इनकी उत्पत्ति में भी उपर्युक्त सिद्धान्त किसी अपेक्षा से संगत हो सकता है।

अंग्रेजी में Ah, Oh, Alas, (Surprise, fear or regret = विस्मय, भय या खेद), Rish (Contempt = अवज्ञा), Pooh (disdain or contempt = घृणा या अवज्ञा) तथा Fie (Disgust = जगृप्ता) आदि का प्रयोग उपर्युक्त सन्दर्भ में होता है।

अंग्रेजी व्याकरण में ये Interjections (विस्मयादिवोधक) कहलाते हैं। इसी कारण यह सिद्धान्त (Interjectional Theory) के नाम से विभूत है। इस सिद्धान्त का

१. आस्तु स्यात् कोपपीडयोः । —अमरकोश, तृतीय काण्ड, नानार्थवर्ग, पृष्ठ २४०
२. घिङ् निर्भत्सननिन्दयोः । —वही, पृ० २४०
३. खेदानुकम्पा सन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत । —वही, पृ० २४४
४. हन्त हर्ष अनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । —वही, पृ० २४४
५. साभि त्वद्धं जुगुप्सिते । —वही, पृ० २४९
६. तुष्णीमर्थे सुखे जोषम् । —वही, पृ० २५१
७. अलं पर्याप्तशक्तिवारणवाचकम् । —वही, पृ० २५२
८. हुं वितर्के परिप्रश्ने । —वही, पृ० २५२
९. हा विषादाद्युगतिषु । —वही, पृ० २५६
१०. अहहेत्यद्भुते खेदे । —वही, तृतीय काण्ड, अध्यय वर्ग, श्लो० ७
११. हिरण् नाना न—वर्जने । —वही, श्लो० ७
१२. आहो उताहो किमुत विकल्पे किं किमुत च । —वही, श्लो० ५
१३. अहो ही च विस्मये । —वही, श्लो० ९
१४. ऊं प्रश्ने ऽनुनये त्वयि । —वही, श्लो० १८

अभिप्राय था कि शब्दों के उद्भव और विकास की यह पहली सीढ़ी है। इन्हीं शब्दों से उत्तरोत्तर नये-नये शब्द बनते गये, भाषा विकसित होती गयी। इस सिद्धान्त के उद्भावकों में कंडिलैक का नाम उल्लेखनीय है।

डा० भोलानाथ तिवारी ने इस सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है : “इस सिद्धान्त के मान्य होने में कई कठिनाइयाँ हैं। पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः आरम्भ में ये निःसृत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक जैसे होते। संसार भर के कुते दुःखी होने पर लगभग एक ही प्रकार भौंक कर रोते हैं, पर, संसार भर के आदमी न तो दुःखी होने पर एक प्रकार से ‘हाय’ करते हैं और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से ‘वाह’। लगता है, इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बद्ध हो गये हैं और ये पूर्णतः यादृच्छिक हैं। साथ ही इन शब्दों से पूरा भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता। किसी भाषा में इनकी संख्या चालीस-पचास से अधिक नहीं होगी। और वहाँ भी इन्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। बेनफी ने यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं, जहाँ बोलना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार ये भाषा नहीं हैं। यदि इन्हें भाषा का अंग भी माना जाये तो अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है, कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही इनसे प्रकाश पड़ता है।”^१

सूक्ष्मता से इस सिद्धान्त पर चिन्तन करने पर अनुमित होता है कि भाषा के एक अंश की पूर्ति में इसका कुछ-न-कुछ स्थान है ही। भाषा के सभी शब्द इन्हीं Interjectional (विस्मयादिबोधक) शब्दों से निःसृत हुए, इसे सम्भव नहीं माना जा सकता।

अंशतः इस सिद्धान्त का औचित्य प्रतीत होता है। वह इस प्रकार है—विभिन्न भाषों के आवेश में आदि मानव ने उन्हें प्रकट करने के लिए जब जैसी बन पड़ी, ध्वनियाँ उच्चारित की हों। भाषा का अस्तित्व न होने से भाव और ध्वनि का कोई निश्चित द्योत्य-द्योतक सम्बन्ध नहीं था। एक ही भाव के लिए एक प्रदेशवासी मानवों के मुख से एक ही ध्वनि निकलती रही हो, यह सम्भव नहीं लगता। भाषा के बिना तब कोई व्यवस्थित सामाजिक जीवन नहीं था। इसलिए यह अतर्क्य नहीं माना जा सकता कि एक ही भाव के लिए कई व्यक्तियों द्वारा कई ध्वनियाँ उच्चारित हुई हों। फिर ज्यों-ज्यों ध्वनियों या शब्दों का कुछ विकास हुआ, ध्वनियों की विभिन्नता या भेद अनुभूत होने लगा, तब सम्भवतः किसी एक भाव के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग निश्चित हो गया हो।

डा० तिवारी पशुओं की बोलों को चर्चा करते हुए जो कहते हैं कि देशगत भेद उस

(उनकी बोली) में कोई भिन्नता नहीं ला पाता, उसी प्रकार यदि ये आकस्मिक भाव-द्योतक ध्वनियां (Interjections) स्वाभाविक होतीं, तो संसार भर के मानव एक ही रूप में उनका प्रयोग करते, वह आलोच्य है। भाषा के सन्दर्भ में पशु और मानव को सर्वथा एक कोटि में नहीं लिया जा सकता। पशुओं की बोली का एक सीमित रूप है। हजारों-लाखों वर्ष पूर्व भी सम्भवतः वही था, जो आज है। पर, मानव एक विकासशील प्राणी है। विश्व-मानव भाषाओं की दृष्टि से कितना विकास कर चुका है, वह उसके द्वारा प्रयुक्त सहस्रों भाषाओं से स्पष्ट है। यह विकास का विस्तार है। उसका बीज मानव में पहले भी विद्यमान था।

विशेष रूप में तो शरीर-शास्त्र के मर्मज्ञ बतला सकते हैं, पर, स्थूल दृष्टि से अनुमान है कि मानव की वागिन्द्रिय तथा कुत्ते आदि पशुओं की वागिन्द्रिय में सम्भवतः स्वर-यन्त्र-सम्बन्धी तन्त्रियों या स्नायुओं में पूर्ण सादृश्य नहीं होता। तोता, कोयल आदि कुछ पक्षी सिखाये जाने पर मनुष्य की बोली का अनुकरण करते हैं। इससे लगता है, उनका मानव के साथ वागिन्द्रिय-सम्बन्धी कुछ-कुछ साम्य है। पर, उनके अतिरिक्त अन्य पक्षी या पशु में ऐसा नहीं है।

भिन्न देशों में रहने वाले लोगों की आकस्मिक भाव द्योतक ध्वनियां एक जैसी होतीं, वह कैसे सम्भव हो सकता है? जल-वायु आदि के कारण मनुष्य के स्वर-यन्त्र के स्पन्दन, प्रवर्तन, संकोच, विस्तार की तरतमता के अतिरिक्त यह भी सोचने योग्य है कि किस व्यक्ति ने किस परिप्रेक्ष्य, किस स्थिति, किस वातावरण और किस कोटि की भावनाओं से अभिद्रुत होकर सहसा किसी ध्वनि का उच्चारण किया। सहस्रों मील की दूरी पर रहने वाले मनुष्यों में नृवंशगत ऐक्य के उपरान्त भी न जाने अन्य कितनी भिन्नताएं हैं। क्या ध्वनि-निःसृति पर उनका स्वल्प भी प्रभाव नहीं होता?

प्रस्तुत चर्चा के आधार पर किसी एक देश में एक भाव के लिए कोई एक ही शब्द निकला हो, यह निश्चित नहीं है। भिन्न-भिन्न समय भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा जब जिस रूप में सम्भव हो पाया, एक भाव के लिए विविध ध्वनियां निःसृत हुई हों। वे आज सब कहाँ रह पाई हैं? जो रह पाई हैं, उनमें से बहुत थोड़ी-सी हैं। सारांश यह है, चाहे संख्या में कम ही सही, जो आकस्मिक भाव-द्योतक ध्वनियां भाषा में हैं, उनका भाषा की निर्मिति में एक स्थान है।

डा० भोलानाथ तिवारी ने इस सिद्धान्त के विषय में कुछ और सम्भावनाएं प्रकट की हैं। उनका अभिप्राय यह है कि ये Interjectional ध्वनियां यद्यपि सीमित थीं, टूटे-फूटे रूप में इनसे भाव व्यक्त किये जाते रहे होंगे, पर, इनके सतत प्रयोग से मानव को अन्य

ध्वनियों के उच्चारण का भी अभ्यास हुआ होगा। इस क्रम से चलते रहने से भाषा के विकास में सहायता मिला होगा। इन ध्वनियों के प्रयोग से अन्य ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास बढ़ने की जो सम्भावना डा० तिवारी करते हैं, वह चिन्त्य है। वस्तुस्थिति यह है, अन्य ध्वनियाँ उन विविध स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों तथा भावों से सम्बद्ध हैं, जिनका इनसे कोई तारतम्य नहीं जुड़ता। किसी ध्वनि का सहसा निकल पड़ना तथा चिन्तनपूर्वक उसका निष्कासन दोनों भिन्न-भिन्न हैं। दोनों में संगति नहीं है। प्रतीत होता है, अन्य ध्वनियों का उद्भव और विकास किन्हीं भिन्न स्थितियों और आधारों से हुआ है।

इंगित-सिद्धान्त

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त परिकल्पित किये गये, उनमें इंगित सिद्धान्त (Gestural Theory) का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले पालिनेशियन भाषा के प्रमुख विद्वान् डा० शये ने इस ओर संकेत किया। विकासवाद (Theory of Evolution) के अभिव्यक्तार्थी डार्विन ने भी इस पर विचार किया। उन्होंने छः ऐसी भाषाएँ लीं, जिनका परस्पर सम्बन्ध नहीं था। उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता बताई। इस सिद्धान्त पर ऊहापोह वर्तमान सताब्दी तक चलता रहा। सन् १९३० के आस-पास रिचर्ड ने इस सिद्धान्त की पुनः चर्चा की। रिचर्ड की पुस्तक मानव की भाषा (Human Speech) है, जिसमें इस सिद्धान्त का मौखिक इंगित सिद्धान्त (Oral Gesture Theory) के नाम से उल्लेख किया है तथा इस ओर भाषा-विज्ञान के पण्डितों का ध्यान आकृष्ट किया है। प्रस्तुत विषय की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि लगभग इसी समय आईस लैंडिक भाषा के विद्वान् अलेक्जेंडर जॉनसन ने भी इस पर विचार किया। उन्होंने भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उस बीच इस प्रसंग (इंगित-सिद्धान्त) की चर्चा करते हुए उन्होंने इसकी सार्थकता स्वीकार की। तदनन्तर उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तकों में इसका विस्तार से विवेचन किया। तथ्य-परीक्षण और समीक्षण के सन्दर्भ में जहाँ उन्होंने भारतीय भाषाओं को आधार के रूप में लिया, वहाँ हिब्रू, (प्राचीन) तुर्की, चीनी तथा कतिपय अन्य भाषाओं को भी लिया। विवेच्य प्रसंग में उसकी चर्चा विशेष उपयोगी रहेगी।

जॉनसन का निष्कर्ष

जॉनसन ने चार सोपान स्वीकार किये, जिनसे भाषा का विकास हुआ। उनके अनुसार पहला सोपान है—भावव्यञ्जक ध्वनियाँ। बुभुक्षा, तृषा, कामेच्छा, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, भीति, कोप आदि भाव जब मनुष्य के मन में उभरते हैं, तब वह उन्हें व्यक्त करना चाहता है। भाषा उसे प्राप्त नहीं है; इसलिए बन्दर आदि पशु जैसे इन भावों को कुछ ध्वनियों से प्रकाशित करते हैं, मनुष्य भी इनकी अभिव्यक्ति के लिए कुछ मुख-ध्वनियों का उपयोग करता है।

भाषा के विकास का यह आदि-चरण है । वे ध्वनियाँ अमुक-अमुक भावों की अभिव्यञ्जना की इंगित या प्रतीक बन जाती हैं ।

पूर्व चर्चित मनोभाषाभिर्व्यञ्जनवाद (Interjectional Theory) से यह स्थापना पृथक् है । वहाँ आकस्मिक भावोद्रेकवश सहसा मुँह से निकल पड़ने वाली ध्वनियों का विवेचन है और यहाँ आवश्यकता, उत्सुकता, असहिष्णुता, कामैषणा आदि से अभिभूत होकर जब मानव ध्वनियाँ प्रकट करने का प्रयत्न करता है, परिणाम स्वरूप उसके मुँह से जो ध्वनियाँ निःसृत होती हैं, उनका समावेश है । सहसा ध्वनि का निकल पड़ना और आवश्यक मान कर ध्वनियाँ निकालना; दोनों पृथक्-पृथक् हैं ।

भाषा के विकास का दूसरा सोपान अनुकरणात्मक शब्दों का है । पशुओं व पक्षियों की बोलियों के अनुकरण तथा निर्जीव वस्तुओं के अनुरणन के नाम से जो विवेचन किया गया है, जॉनसन का लगभग वही अभिप्राय है ।

भाव-संकेत : इंगित

जॉनसन तीसरा सोपान भाव-संकेतों या इंगितों का बतलाते हैं । इनका भी आधार अनुकरण ही है, पर, यह अनुकरण बाह्य पदार्थों, पशु-पक्षियों या वस्तुओं से सम्बद्ध नहीं है । यह अनुकरण जिह्वा आदि द्वारा अंगों का, अंग-संकेतों का, उनमें भी प्रमुखतः हाथों का है । जॉनसन इसे Unconscious Imitation कहते हैं, अर्थात् यह ऐसा अनुकरण है, जिसका अनुकर्ता को स्वयं भी कोई भान नहीं रहता । उनका ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है कि मन में जब-जब एक विशेष प्रकार का भाव उभार में आता है, देह के अंगों में एक विशेष प्रकार का स्पन्दन होता है । क्रोध और दुःसाहस की मनोदशा में मनुष्य तनकर खड़ा हो जाता है, उसका सीना तन जाता है, होठ फड़कने लगते हैं, भयाक्रान्त होने पर वह दुबक जाता है (सिकुड़ जाता है), उल्लासपूर्ण मिलन-मुद्रा में बाहें फैला देता है, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा या आक्रमण के भावावेश में भुजाएँ उठा लेता है, चुनौती के भाव में सामने की वस्तु पर हथेली दे मारता है । ये आंगिक क्रिया-प्रक्रियाएँ होती रहती हैं और उनके अनुकरण पर अननुभूत रूप में Unconsciously वागिन्द्रिय द्वारा कुछ शब्द उच्चारित होते रहते हैं । अनेक भावों के प्रकाशक शब्दों के उद्भव का वह प्रकार है । जॉनसन सम्भवतः यही कहना चाहते हैं ।

सूक्ष्म-भावों की अभिव्यञ्जना

सूक्ष्म भावों के द्योतक शब्दों के उद्भव के सम्बन्ध में जॉनसन का कहना है कि ज्यों-ज्यों मानव का उत्तरोत्तर मानसिक विकास होता गया, शनैः-शनैः सूक्ष्म भावों की अभिव्यञ्जना के लिए भी कुछ ध्वनियाँ या शब्द उद्भावित करता गया । भाषा के चार सोपानों में यह

अन्तिम सोपान है ।

जॉनसन ने भाषा के अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार करने का प्रयत्न किया है । स्वरों और व्यंजनों का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर भी प्रकाश डाला है । ध्वनियों के साथ अर्थों के सम्बन्ध की स्थापना पर भी चर्चा की है । उदाहरणार्थ, उनके अनुसार जिन धातुओं के आरम्भ में ऋकार या रकार होता है, वे धातुएं गत्यर्थक होती हैं; क्योंकि ऋकार या रकार के उच्चारण में जिह्वा विशेष गतिशील होती है या दौड़ती है । इसी प्रकार और भी उन्होंने विश्लेषण किया है । एक विशेष बात जॉनसन यह कहते हैं कि आदि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के Curves = आर्कुचन—मोड़ देखे । उनका अनुकरण करते हुए उसने कतिपय मूल भावों को सूचित करने वाले शब्दों का सर्जन किया ।

भाव-संकेतों का अभिप्राय

प्रस्तुत प्रसंग में जॉनसन ने तीसरे सोपान में जो भाव-संकेतों की चर्चा की है, उस पर सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता है । मानव ने अपने देह के हाथ आदि अंगों के परिचालन के आधार पर विविध ध्वनियों की सृष्टि की, यह समझ में आने योग्य नहीं है । अंग-विशेष के हलन-चलन या स्पन्दन से ध्वनि-विशेष का सम्बन्ध जुड़ना कल्पनातीत लगता है । जैसे, यदि कोई व्यक्ति क्रोधावेश में हो, दांत पीसने लगे, आक्रमण की मुद्रा में हाथ उठावे, तो समझ में नहीं आता, किसी ध्वनि द्वारा क्या इसे प्रकट किया जा सकता है ? ध्वनि का अपना क्षेत्र है, देह-चालन से कोई विशेष आवाज तो निकलती नहीं, फिर किस रूप में उसका अनुकरण सम्भव है ? जॉनसन ने अंग-परिचालन के साथ ध्वनि-उच्चारण का ताल-मेल बिठाने का जो प्रयत्न किया है, वह अपने-आप में नवीन अवश्य है, पर, युक्ति-संगत नहीं लगता ।

धातुओं के आदि अक्षर : विशेष अर्थ : विसंगति

धातुओं के आदि अक्षरों का विशेष अर्थों के साथ ताल-मेल बिठाना भी सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर यथार्थ सिद्ध नहीं होता । ऋकार या रकार से प्रारम्भ होने वाली धातुओं का जो उत्प्रेक्ष्य गत्यर्थकता के सन्दर्भ में किया गया था, उनके समकक्ष जो दूसरी गत्यर्थक धातुएं हैं और जिनका प्रारम्भ ऋ या र से नहीं होता, उनका क्या होगा ? गम् धातु गत्यर्थक है । वह 'ग' से प्रारम्भ होती है । 'ग' के उच्चारण में वाग्निन्द्रिय का कोई अंग 'र' के उच्चारण की तरह दौड़ता नहीं, फिर उपर्युक्त स्थापना की संगति कैसी होगी ? गम् की तरह अन्य भी कितनी ही धातुएं होंगी, जो गत्यर्थक हैं, जिनका प्रारम्भ ऋ या र से नहीं होता । ऋ या र से प्रारम्भ होने वाली ऐसी धातुएं भी हैं, जो गत्यर्थक नहीं हैं । संस्कृत की 'राजू' धातु, जो शोभित होने के अर्थ में है, र से ही उसका आरम्भ होता है । ग्रीक

आदि अन्य भाषाओं में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं ।

पूर्व-चर्चित धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, नाम, सर्वनाम आदि के रूप में भाषा का व्याकृत स्वरूप उसके विकसित होने के बाद का प्रयत्न है । जब भाषा के परिष्करण और परिमार्जन की अपेक्षा हुई, तब उसमें प्रयुक्त शब्दों की शल्य-चिकित्सा का प्रयत्न विशेष रूप से चला । व्याकरण-शास्त्र, व्युत्पत्ति-शास्त्र आदि के सर्जन का सम्भवतः वही प्रेरक सूत्र था । ये विषय मानव की तर्कणा-शक्ति पर आधृत हैं । आदिकाल के मानव में तर्क-शक्ति इतनी विकसित हो पाई थी, यह सम्भव नहीं लगता । वस्तुतः मानव का तार्किक और प्रातिभ विकास अनेक सहस्राब्दियों के अध्यवसाय और यत्न का फल है ।

स्वीट का सम्बन्धात्मक विचार

स्वीट उन्नीसवीं शती के सुप्रसिद्ध भाषा-विज्ञान-वेत्ता थे । उन्होंने भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान ढूँढ़ने का प्रयत्न किया । उन्होंने भाषा की उत्पत्ति किसी एक आधार से नहीं मानी । उनके अनुसार कई कारणों या आचारों का समन्वित रूप भाषा के उद्भव में साधक था । उन्होंने प्रारम्भिक शब्द-समूह को तीन श्रेणियों में विभाजित किया । उनके अनुसार पहले वे थे, जिनका आधार अनुकरण था । उन्होंने दूसरी श्रेणी में उन शब्दों को रखा, जो मनोभावाभिर्व्यंजक हैं । उनके अनुसार तीसरी श्रेणी में वे शब्द आते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक (Symbolic) कहा गया है । उनकी मान्यता है कि भाषा में प्रारम्भ में इस श्रेणी के शब्द संख्या में बहुत अधिक रहे होंगे ।

शब्द : अर्थ : यहच्छा : प्रतीक

स्वीट के अनुसार प्रतीकात्मक शब्द वे हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता । संयोगवश जो किसी विशेष अर्थ के ज्ञापक या प्रतीक बन जाते हैं । उन अर्थों में उनका प्रयोग चलता रहता है । फलतः भाषा में उनके साथ उन विशेष अर्थों की स्थापना हो जाती है । उदाहरणार्थ, एक शिशु है । वह माँ को देखता है । कुछ बोलना चाहता है । इस प्रयत्न में उसके होठ खुल जाते हैं । अनायास 'मा मा' ध्वनि निकल पड़ती है । तब तक 'मामा' (Mama) ध्वनि का किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं है । संयोगवश शिशु के मुँह से माता के सामने बार-बार यह ध्वनि निकलती है । इसका उच्चारण सरल है । माता इस ध्वनि को अपने लिए गृहीत कर लेती है । परिणाम स्वरूप यह शब्द माता का ज्ञापक या प्रतीक बन जाता है । इस प्रकार इसके साथ एक निश्चित अर्थ जुड़ जाता है । यही 'पापा' (Papa) आदि की स्थिति है । संस्कृत के माता, पिता, भ्राता ग्रीक के Meter, Phrater, Pater लैटिन के Mater, Pater, Frater, अंग्रेजी के Mother, Father, Brother फारसी के मादर, पिदर, बिरादर तथा हिन्दी के माता, पिता, चाचा, काका, दादा, भाई, बाई, दाई सम्भवतः मूल

रूप में इसी श्रेणी के शब्द रहे होंगे । इन सांयोगिक ध्वनियों में से अधिकांश के माद्य अक्षर औष्ठ्य हैं । सहसा कोई बच्चा कोई ध्वनि उच्चारित करने को ज्यों ही तत्पर होता है, होठ खुल जाते हैं । अनायास उसके मुँह से जो ध्वनि निःसृत होती है, प्रायः औष्ठ्य होती है; क्योंकि वैयाकरणों के अनुसार उसे अपेक्षाकृत बहुत कम श्रम होता है ।

स्वीट ने प्रतीकात्मक शब्दों की श्रेणी में कतिपय सर्वनाम शब्दों को भी समाविष्ट किया है । उनकी निष्पत्ति सांयोगिक है, पर, उन अर्थों के लिए वे गृहीत हो गये । फलतः उनका एक निश्चित अर्थ के साथ ज्ञाप्य-ज्ञापक-सम्बन्ध स्थापित हो गया । उदाहरण के लिए संस्कृत के त्वम् (तुम) सर्वनाम को लिया जा सकता है । ग्रीक में यह To, लैटिन में Tu, हिन्दी में तू, अंग्रेजी में Thou होता है । इसी प्रकार संस्कृत में यह और वह वाचक सर्वनाम 'इदम्' और 'उदम्' हैं । अंग्रेजी में इसके स्थान पर This और That हैं तथा जर्मन में Dies और Das । स्वीट ने बहुत-सी क्रियाओं को निष्पत्ति के सम्बन्ध में भी प्रतीकात्मकता के आधार पर विचार किया है ।

सार : क्षमोक्षा

भाषा के सन्दर्भ में यह मानव की आदिम अवस्था का प्रयास था । इसके अनुसार सम्भव है, आरम्भ में 'प्रतीक' कोटि के अनेक शब्द निष्पन्न हुए होंगे । उनका प्रयोग भी चलता रहा होगा । उनमें से जो शब्द अभीष्ट अर्थों की अभिव्यञ्जना में सर्वाधिक सक्षम, उच्चारण और श्रवण में समीचीन नहीं रहे होंगे, धीरे-धीरे वे मिटते गये होंगे और जो (शब्द) उक्त अर्थ में अधिक सक्षम एवं संगत प्रतीत हुए होंगे, उन्होंने भाषा में अपना अमिट स्थान बना लिया होगा । जैसे, प्रकृति-जगत् और जीव-जगत् में सर्वत्र Survival of the fittest = योग्यतमावशेष का सिद्धान्त लागू है, उसी प्रकार शब्दों के जगत् में भी वह व्याप्त है । वहाँ भी योग्यतम या उपयुक्त का ही अस्तित्व रहता है, अन्य सब धीरे-धीरे अस्तित्व-हीन होते जाते हैं । प्रतीकात्मक शब्द जो भाषा में सुरक्षित रह पाये हैं, वे आदि सृष्ट शब्दों में से थोड़े से हैं ।

स्वीट ने जिन तीन सोपानों का प्रतिपादन किया है, एक सीमा विशेष तक भाषा की संरचना में उनकी उपयोगिता है । इस प्रसंग में इतना आवश्यक है कि स्वीट ने विभिन्न धातुओं तथा सर्वनामों के रूपों की प्रतीकात्मकता से जो संगति बिठाने का प्रयत्न किया है, वह यथार्थ का स्पर्श करता नहीं लगता । इसके अतिरिक्त एक बात और है, स्वीट द्वारा उक्त तीनों सोपानों के अन्तर्गत जिन शब्दों का उद्भव व्याख्यात हुआ है, उसके बाद भी उन (तीनों) से कई गुने शब्द और हैं, जिनके अस्तित्व में आने की कारण-परम्परा अज्ञात रह जाती है । अनुकरण, मनोभावाभिव्यञ्जन तथा प्रतीक; इन तीनों कोटियों में वे नहीं आते । पूर्वं चर्चित अनुकरण और आकस्मिक भाव प्रसृत शब्द संख्या में थोड़े से हैं । उसी प्रकार

प्रतीकात्मक शब्द भी प्रायः पारिवारिक सम्बन्धों की ज्ञापकता से बहुत दूर नहीं जाते । वे भी संख्या में सीमित ही हैं ।

प्रतीकात्मक आदि प्रारम्भ में प्रयुज्यमान शब्दों के सादृश्य के आधार पर अन्यान्य शब्द अस्तित्व में आते गये, भाषा विकास की ओर गतिशील रही, ऐसी कल्पना भी सार्थक नहीं लगती । जैसे, प्रतीकात्मक शब्दों के विषय को ही लें । बच्चों का एक सीमा जगत् है । उनके सम्बन्ध और आवश्यकताएँ सीमित हैं । उनकी आकांक्षाओं के जगत् का सम्बन्ध मात्र खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना आदि निसर्ग मूल लिप्साओं से दूर नहीं है । इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो सांयोगिक ध्वनियाँ या शब्द प्रादुर्भूत होते हैं, उनके द्वारा ज्ञाप्यमान अर्थ बहुत सीमित होता है । उनसे केवल अत्यन्त स्थूल पदार्थों और भावों का सूचन सम्भव है । सूक्ष्म भावों की परिधि में वे नहीं पहुँच पाते ।

भाषा की उत्पत्ति : अवलम्बन : निराशा

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार अनेक मत आविर्भूत हुए, चर्चित हुए, परिवर्तित हुए, पर, अब तक किसी सबसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचा नहीं जा सका । इसकी प्रतिक्रिया कुछ मूर्खन्य विद्वानों के मन पर बड़ी प्रतिकूल हुई । उन्हें लगा कि भाषा के उद्गम या मूल जैसे विषय की खोज करना व्यर्थ है; क्योंकि अब तक की गवेषणा और अनुशीलन के उपरान्त भी किसी वास्तविक तथ्य का उद्घाटन नहीं हो सका ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एडगर स्टूर्चिण्ट ने लिखा है : “अत्यधिक निरर्थक तर्क-वितर्क के उपरान्त भाषा विज्ञान-वेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानवीय भाषा के उद्गम के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं करती ।”¹

इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान् मोरियो-पाई का भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का विचार है । उन्होंने लिखा है : “वह एक तथ्य, जिस पर सभी भाषा वैज्ञानिक पूर्णतया सहमत हैं, यह है कि मानवीय भाषा के उद्गम की समस्या का अभी तक समाधान हो नहीं पाया है ।”²

1. After much futile discussion linguists have reached the conclusion that the data with which they are concerned yield little or no evidence about the origin of human speech. — *An Introduction to Linguistic Science*, P. 40, New Haven, 1948.
2. If there is one thing on which all linguistics are fully agreed, it is that the problem of the origin of human speech is still unsolved.

— *The story of Language*, P. 18, London, 1952.

अमेरिकन भाषा-शास्त्री जे० वेण्ड्रुएस ने इसी बात को इन शब्दों में प्रकट किया है :
 “भाषा के उद्गम की समस्या का कोई भी सन्तोषजनक समाधान नहीं हो पाया है।”¹

विद्वानों के उपर्युक्त विचार निराशाजनक हैं। किसी विषय पर एक दीर्घ अवधि तक अनवरत कार्य करते रहने पर भी जब अभीप्सित परिणाम नहीं आता, तब कुछ थकान का अनुभव होने लगता है। थकान के दो फलित होते हैं—एक यह है, जहां आशा मुरझा जाती है। उसके पश्चात् आगे उसी जोश के साथ प्रयत्न चले, यह कम सम्भव होता है। दूसरा यह है, जहां थकान तो आती है, पर जो अदम्य उत्साह के धनी होते हैं, वे थकान को वश्राम बना लेते हैं तथा भविष्य में अधिक तन्मयता एवं लगन से कार्य करते जाते हैं।

खोज पर प्रतिबन्ध : विचित्र निर्णय

लगभग एक शताब्दी पूर्व की एक घटना से ज्ञात होगा कि संसार के भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति का आधार खोजते-खोजते कितने ऊब गये थे। बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी जब भाषा की उत्पत्ति का सम्यक्तया पता नहीं चल सका, तो विद्वानों में उस ओर से पराङ्मुखता होने लगी। कुछ का कथन था कि भाषा की उत्पत्ति-सम्बन्धी यह विषय भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का नहीं है। यह नृवंश-विज्ञान या मानव-विज्ञान का विषय है। मानव-जाति का विविध सन्दर्भों में किस प्रकार विकास हुआ, उसका एक यह भी पक्ष है। कुछ का विचार दूसरी दिशा की ओर रहा। उनके अनुसार यह विषय प्राचीन इतिहास से सम्बद्ध है। कुछ विद्वानों का अभिमत था कि भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है। भाषा की उत्पत्ति का विषय इससे सम्बद्ध है। इस पर विचार करने के लिए वह ठोस सामग्री और आधार चाहिए; जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। कल्पनाओं पर विज्ञान नहीं टिकता। इसके वैज्ञानिक परीक्षण और अनुसन्धान के लिए आज प्रत्यक्षतः कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। भाषा कब उत्पन्न हुई, कोई भी समय की इयत्ता नहीं बांध सकता। हो सकता है, यह लाखों वर्ष पूर्व की बात रही हो, जिसका लेखा-जोखा केवल अनुमानों के आधार पर कल्पित किया जा सकता है। वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जा सकने योग्य आधार न होने के कारण भाषा की उत्पत्ति का विषय भाषा-विज्ञान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। इस पर सोचने में और उपक्रम चलते जाने में कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती।

भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त विचारों ने एक सनसनी पैदा कर दी। पेरिस में ई० सन् १८६६ में भाषा-विज्ञान परिषद् की प्रतिष्ठापना हुई। उसके नियमोपनियम बनाये गये। आश्चर्य होगा, उनके अन्तर्गत यह भी था कि अब से भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर

1. ... -- ... The problem of the origin of language does not admit of only satisfactory solution.

—J. Kendryes Language, p. 315, London, 1952

कोई विचार नहीं करना होगा । अर्थात् भाषा की उत्पत्ति के सन्दर्भ में सोचने पर परिषद् के संस्थापकों ने प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रकार एक तरह से इस प्रश्न को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया । प्रतिबन्ध लगाने वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे, संसार के दिग्गज भाषा-शास्त्री थे । सम्भव है, उन्हें लगा हो, जिसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है, उस प्रकार के विषय पर विद्वान् वृथा श्रम क्यों करें ?

गवेषणा नहीं रुकी

यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, प्रतिबन्ध लग गया, पर प्रस्तुत विषय पर अनवरत कार्य चालू रहा । इतना ही नहीं, प्रायः हर दश वर्ष के बाद भाषा की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कोई नया वाद या सिद्धान्त प्रस्फुटित होता गया । यह ठीक ही है । मानव स्वभावतः जिज्ञासा-प्रधान और मननशील प्राणी है । जिज्ञासा-प्रतिबन्ध से अवरुद्ध नहीं होती । वह प्रतिभा-सम्पन्न, उद्बुद्धचेता व्यक्ति को अभीष्ट की गवेषणा में सदा उन्मुख बनाये रखती है ।

विज्ञान शब्द भौतिक विज्ञान के रूप में एक पारिभाषिक अर्थ लिए हुए है । भौतिक विज्ञान कार्य-कारण-परम्परा पर आधारित है । कारण की परिणति कार्य में होती है । कारण-सामग्री के बिना कार्य नहीं होता । कारण-सामग्री है, तो कार्य का होना रुकता नहीं । यह निर्बाध नियम है । विज्ञान के इस पारिभाषिक अर्थ में भाषा-विज्ञान एक विज्ञान (Science) नहीं है । पर, वह कल्पना-जनित नहीं है, इसलिए उसे कला (Art) भी नहीं कहा जा सकता । बड़ी उलझन है, कला भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, तो फिर वह क्या है ? भाषा वैज्ञानिकों ने इस पहलू पर भी विचार किया है ।

मन भाषा-संकुल हुआ । अन्तः-स्फुरण जगी । कल्पना का सहारा मिला । शब्द-समवाय निकल पड़ा । यह कविता है । भाषा-प्रसूत है, भाषा-संस्पर्शी है; अतः मनोज्ञ है, सरस है, पर, इसका यथार्थ वस्तु-जगत् का यथार्थ नहीं है, कल्पना का यथार्थ है; अतएव यह कला है । इसमें सौन्दर्य पहले है, सत्य तदनन्तर । भाषा-विज्ञान इससे पृथक् कोटि का है । विज्ञान की तरह उसका टिकाव भौतिक कारण-सामग्री पर नहीं है, पर, वह कारण-शून्य एवं काल्पनिक भी नहीं है । शब्द भाषा का दैनिक कलेवर है । वे मुख से निःसृत होते हैं । पर, कल्पना की तरह जैसे-तैसे ही नहीं निकल पड़ते । शब्द अक्षरों का समवाय है । गलस्थित ध्वनि-यन्त्र, स्वर-तन्त्रियाँ, मुख-विवर-गत उच्चारण-अवयव आदि के साथ श्वास या मूलाधार से उत्थित वायु के संस्पर्श या संघर्ष से अक्षरों का उद्भव बहुत सूक्ष्म व नियमित कारण-परम्परा तथा एक सुनिश्चित वैज्ञानिक क्रम पर आधारित है । यह सरणि इतनी यौगिक व व्युत्पन्न है कि इसमें तिल मात्र भी इधर-से-उधर नहीं होता । इसे एक निरप-

वाद वैज्ञानिक विधि-क्रम कहा जा सकता है ।

भाषा का विकास यद्यपि शब्दोत्पत्ति की तरह सर्वथा निरपवाद वैज्ञानिक कारण-शृंखला पर तो नहीं टिका है, पर, फिर भी वहाँ एक क्रम-बद्धता, हेतुमत्ता तथा व्यवस्था है । वह सापवाद तो है, पर, साधारण नहीं है । ऐसे ही कुछ कारण हैं, जिनसे यह भाषाओं के विश्लेषण का शास्त्र भाषा-विज्ञान कहा जाता है, जो भौतिक-विज्ञान से पृथक् होता हुआ भी उसकी तरह कार्य-कारण-परम्परापूर्वक युक्ति और तर्क द्वारा विश्लेष्य और अनुसन्धेय है ।

निराशा क्यों ?

भाषा-विज्ञान को जब विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) मानते हैं, तो भाषा, जिसका यह विज्ञान है, उसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध सभी पक्षों का अध्ययन एवं अनुसन्धान होना चाहिए । उसके अब तक के इतिहास, विस्तार, विकास आदि के साथ-साथ उसके उद्भव पर भी विचार करना आवश्यक है । गवेषणा के हेतु अपेक्षित सामग्री व आधार नहीं प्राप्त हो सके, इसलिए उस विषय को ही भाषा-विज्ञान से निकाल कर सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये, यह उचित नहीं लगता । वैज्ञानिक और अन्वेषक कभी किसी विषय को इसलिए नहीं छोड़ देते कि उसके अन्वेषण के लिए उन्हें उपकरण व साधन नहीं मिल रहे हैं । अनुशीलन और अन्वेषण का कार्य गतिशील रहेगा, तो किसी समय आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी ही । सामग्री अभी नहीं मिल रही है, तो आगे भी नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों सोचें ? इस प्रसंग में संस्कृत के महान् नाटककार भवभूति की यह उक्ति निःसन्देह बड़ी प्रेरणास्पद है : कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वीः अर्थात् यह काल निःसीम है और पृथ्वी बहुत विशाल है । इसमें न जाने कब, कौन उत्पन्न हो जाये, जो दुष्कर और दुःसाध्य कार्य साध लेने की क्षमता से सम्पन्न हो । भविष्य की लम्बी आशाओं के सहारे जो मनस्वी कार्य-रत रहते हैं, वे किसी दिन सफल होते ही हैं । कार्य को रोक देना या छोड़ देना तो भविष्य की सब सम्भावनाओं को मिटा देता है । उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में सार-रूप में भाषा के उद्भव पर कुछ और चिन्तन अपेक्षित होगा ।

वाक्-प्रस्फुटन

मानव जैसे-जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की मंजिलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे भाषा का भी विकास होता गया । वह ज्यों-ज्यों सधन भाव-संकुलता की स्थिति में आता गया, त्यों-त्यों अपने अन्तरतम की अभिव्यक्ति के लिए आकुलता या उतावलापन भी उसमें व्याप्त होता गया । “आवश्यकता आविष्कार की जननी है” के अनुसार अभिव्यक्ति का माध्यम भी जैसा बन पड़ा, आकलित होता गया । यह अनुकरण, मनोभाषाभिव्यजन तथा इंगित आदि के आधार पर ध्वनि-उद्भावना और (अंशतः) भाषा-

संरचना की आदिम दशा का परिचय है।

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी

वागिन्द्रिय से वाक्-निःसृति के क्रम पर कुछ संकेत पूर्व पृष्ठों में किया गया था। यहाँ उसका कुछ विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है। वैदिक षाड्भ्य में परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी; इन नामों से चार प्रकार की वाणी वर्णित हुई है। महाभाष्यकार पतंजली ने महाभाष्य के प्रारम्भ में ही ऋग्वेद की एक पंक्ति^१ उद्धृत करते हुए इस ओर इंगित किया है।

साहित्य-दर्पण के टीकाकार प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ने वर्णों की व्याख्या के प्रसंग में परा, पश्यन्ती आदि वाक् रूपों का संक्षेप में सुन्दर विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है : “ज्ञान में आये हुए अर्थ की विवक्षा से आत्मा तद्बोधक शब्द के निष्पादन के लिए अंतःकरण को प्रेरित करता है। अन्तःकरण मूलाधार स्थित अग्नि—ऊर्मा—तेज को संचालित करता है। अग्नि के द्वारा तत्स्थलवर्ती वायु स्पन्दित होता है। इस प्रकार स्पन्दित वायु द्वारा वहाँ सूक्ष्म रूप में जो शब्द उद्भूत होता है, वह ‘परा’ वाक् कहा जाता है। तदनन्तर नाभि प्रदेश तक संचालित वायु के द्वारा उस देश के संयोग से जो शब्द उत्पन्न होता है, उसे ‘पश्यन्ती’ वाक् कहा जाता है। ये दोनों (वाक्) सूक्ष्म होती हैं; अतः ये परमात्मा या योगी द्वारा ज्ञेय हैं। साधारण-जन उन्हें कर्ण-गोचर नहीं कर सकते। वह वायु हृदय-देश तक परिसृत होती है और हृदय के संयोग से जो शब्द निष्पन्न होता है, वह ‘मध्यमा’ वाक् कहलाता है। कभी-कभी कान बन्द कर सूक्ष्मतया ध्वनि के रूप में जनसाधारण भी उसे अधिगत कर सकते हैं। उसके पश्चात् वह वायु मुख तक पहुँचती है, कण्ठासन्न होती है, मूर्द्धा को आहत करती है, उसके प्रतिघात से घ्रापिस लौटती है तथा मुख-विवर में होती हुई कण्ठ आदि आठ उच्चारण स्थानों में किसी एक का अभिघात करती है, किसी एक से टकराती है। तब जो शब्द उत्पन्न होता है, वह ‘वैखरी’ वाक् कहा जाता है।”^२

१. गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयान्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । —ऋग्वेद; १।१६।४५

२. चेतनेन ज्ञातार्थविवक्षया तद्बोधक शब्द निष्पादनाय प्रेरितमन्तःकरणं मूलाधारस्थित-मनलं चालयति, तच्चालितोऽनलस्तत्स्थलवर्तिवायुचालनाय प्रभवति, तच्चालितेन वायुना तत्रैव सूक्ष्मरूपेणोत्पादितः शब्दः परा वागित्यभिधीयते। ततो नाभिदेशपर्यन्तचलितेन तेन तद्देशसंयोगादुत्पादितः शब्दः पश्यन्तीति व्यवह्रियते। एतद्द्वयस्य सूक्ष्मसूक्ष्मतरतयेस्वर-योगिमात्रगम्यता, नास्मबोध्यभूतिगोचरता। तततेनैव हृदयदेशं परिसरिता ह्रव्यसंयोगेन निष्पादितः शब्दो मध्यमेत्युच्यते। सा च स्वकर्णपिधानेन ध्वन्यात्मकतया सूक्ष्मरूपेण

पाणिनीय शिक्षा में भी शब्द-स्फुटन का मूल इसी तरह व्याख्यात किया गया है ।^१

शब्द-निष्पत्ति का यह एक शास्त्रीय क्रम है । भौतिक विज्ञान के साधनों द्वारा इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता; क्योंकि बेखरी वाक् से पूर्व तक का क्रम सर्वथा सूक्ष्म या अभौतिक है । फिर भी यह एक ऐसी कार्य-कारण परम्परा को लिए हुये है, जो अपने आप में बम वैज्ञानिक नहीं है । भाषा विज्ञान में यद्यपि अद्यावधि यह क्रम सम्पूर्णतः स्वीकृत नहीं है, तथापि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, जो दार्शनिक दृष्टि से शब्द-निष्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है । तात्पर्य यह है कि जब मानव (आत्मा) अन्तः-स्थित विचार या भाव, जिसे उक्त उद्घरण में ज्ञात अर्थ कहा गया है, की विवक्षा करता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट करना चाहता है, तो वह अपने अन्तःकरण (विचार और भावना के स्थान) को प्रेरित करता है और यह चिकीर्षा तत्क्षण उससे जुड़ जाती है । उसके बाद अनल और अनिल के प्रेरित एवं चलित होने की बात आती है । यह एक सूक्ष्म आवयविक प्रक्रिया है । यह सर्व विदित है और सर्वस्वीकृत भी कि ध्वनि-निष्पादन में वायु का महत्वपूर्ण स्थान है । पर, वायु को ऊर्ध्वगामी करने के लिए जोर लगाने की या धकेलने की आवश्यकता होती है । मूलाधार स्थित अग्नि (तेज, ओज) द्वारा वायु के नाभि देश की ओर चालन का यही अभिप्राय है । नाभि-देश से पवन या श्वास फिर ऊर्ध्वगामी होता है । वस्तुतः श्रवण-गम्य वाक् का मूल श्वास के उत्थान में है । वह (श्वास) ऊर्ध्व-गमन करता हुआ ध्वनि-यन्त्र या स्वर-यन्त्र (Vocal Chord) से टकराता है ।

स्वर-यन्त्र का आवयविक स्वरूप और प्रक्रिया

गले के भीतर भोजन और जल की नली के समकक्ष श्वास की नली का वह भाग, जो अभिकाकल—स्वरधन्त्रावरण (Epiglottis) से कुछ नीचे है, ध्वनि-यन्त्र या स्वर-यन्त्र कहा जाता है । गले के बाह्य की ओर कण्ठमणि या घांटी के रूप में जो उभरा हुआ, दुबले-पतले मनुष्यों के कुछ बाहर निकला हुआ कठोर भाग है, वही भीतर स्वर-यन्त्र का स्थान है । श्वास-नलिका का यह (स्वर-यन्त्र-गत) भाग कुछ मोटा होता है । प्रकृति का कुछ ऐसा ही प्रभाव है, जहाँ जो चाहिए, उसे वह सम्पादित कर देती है । स्वर-यन्त्र या ध्वनि-यन्त्र में सूक्ष्म झिल्ली के बने दो लचकदार पर्दे होते हैं । उन्हें स्वर-तन्त्री या स्वर-रज्जू कहा जाता है । स्वर-तन्त्रियों के मध्यवर्ती खुले भाग को स्वर-

कदाचिदस्याकमपि समधिगम्या । ततो मुखपर्यन्तमाक्रामता तेन कण्ठदेशमासाद्यमूर्धानमा-
हत्य तत्प्रतिधातेन परावृत्य च मुख-विवरे कण्ठादिकेज्ज्वलसु स्थानेषु स्वाभिधातेतोत्पादितः
शब्दो वेक्ष्यते ।

—साहित्य दर्पण, पृ० २९

१. आत्मा बुद्ध्या सनेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः क्षायामिमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ॥

यन्त्र-मुख या काकल (Glottis) कहते हैं । जब हम सांस लेते हैं या बोलते हैं, तब वायु इसी से भीतर-बाहर आती-जाती है । मानव इन स्वर-तन्त्रियों के सहारे अनेक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है । तात्पर्य यह है, स्वास या पवन के संस्पर्श, या संघर्ष से स्वर-तन्त्रियों या स्वर-यन्त्र के इन लचीले दोनों पदों में कई प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं । कभी ये पद एक-दूसरे के समीप आते हैं, कभी दूर होते हैं । सामीप्य और दूरी में भी तन्त्रमत्ता रहती है—कब एक पद कितना तना, कितना सिकुड़ा, दूसरा कितना फेला, कितना सटा इत्यादि । इस प्रकार फैलाव, तनाव, कम्पन आदि की विविधता ध्वनियों के अनेक रूपों में प्रस्फुटित होती है । जैसे, वीणा के भिन्न-भिन्न तार ज्यों-ज्यों अंगुलि द्वारा संस्पृष्ट और आहत होते जाते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न करते जाते हैं । वही बात स्वर-यन्त्र के साथ है, जो एक व्यवस्थित और नियमित क्रम लिए हुए है ।

स्वर-यन्त्र से निःसृत ध्वनियाँ मुख-विचर में आकर अपने-अपने स्वरूप के अनुकूल मुखगत उच्चारण अवयव—कण्ठ, तालु, मूर्द्धा, दन्त, ओष्ठ, नासिका आदि को संस्पृष्ट करती हुई मुख से बाहर निःसृत होती हैं, वायु से टकराती हैं । जैसा-जैसा उनका सूक्ष्म स्वरूप होता है, वे वायु में वैसे प्रकम्पन या तरंगों पैदा करती हैं । वे तरंगों ध्वनि का संवहन करती हुई उन्हें कर्णगोचर बनाती हैं ।

शब्द के सूक्ष्मतम अभौतिक कलेवर की सृष्टि

ध्वनि की अभिव्यक्ति का व्यापार मूलाधार से प्रारम्भ होकर मुख-विचर से निःसृत होने तक किन्-किन परिणतियों में से गुजरता है, यह बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के विवेचन के अन्तर्गत जो बतलाया गया है, उसका निष्कर्ष यह है कि जब अर्थ-विशेष का संस्फुरण या भावोद्वेलन व्यक्त होने के लिए शब्द की माँग करता है, अर्थ की बोधकता के अनुरूप उस शब्द का सूक्ष्मतम अभौतिक कलेवर तभी बन जाता है, जिसकी पारिभाषिक संज्ञा 'परा' वाक् है । 'परा' वाक् अर्थात् वह बहुत दूरवर्ती वाणी या शब्द, जो हमारी पकड़ के बाहर है । तदनन्तर नाभि-देश के संयोग या संस्पर्श द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है, वह भी पहले से कुछ कम सही, सूक्ष्मावस्था में ही रहता है । इस पवन-संश्लिष्ट सूक्ष्म वाक् का और विकास होता है । सूक्ष्म—अमूर्त शब्द मूर्तत्व अधिगत करने की ओर बढ़ता है । सूक्ष्म शब्द का थोड़ा-सा स्थान स्थूल शब्द ले लेता है । पर, जैसा कि कहा गया है, वह व्यक्त, स्फुट या इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होता । यह सूक्ष्म और स्थूल वाणी का मध्यवर्ती रूप है, जहाँ से सूक्ष्मता के घटने और स्थूलता के बढ़ने का अभियान आरम्भ होता है । इसीलिए सम्भवतः इसे 'मध्यमा' कहा गया हो । 'मध्यमा'

का उत्तरवर्ती रूप 'बेलरी' है, जो मानव के व्यवहार-जगत् का अंग है। 'बेलरी' के प्रस्फुटित होने का अर्थ है—शब्द द्वारा एक आकार की प्राप्ति।

बहुत जटिल से प्रतीत होने वाले उपर्युक्त विवेचन का संक्षेप में सारांश यह है कि शब्द-मात्र के प्रस्फुटित या प्रकट होने में मुख्य क्रियाशील तत्त्व पवन या श्वास है। मूलाधार में उत्पन्न सूक्ष्मतरंग से प्रारम्भ होकर नाभिदेश में उद्भूत सूक्ष्मतरंग में से गुजरते हुए हृदय-देश में प्रकटित—व्यक्त-अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त शब्द के श्वास-संश्लिष्ट होने का ही सम्भवतः यह प्रभाव होना चाहिए कि श्वास विभिन्न स्थिति, रूप, क्रम एवं परिमाण में स्वर-यन्त्र के पदों का संस्पर्श करता हुआ उनके विविधतया तनने, फैलने, सिकुड़ने, मिलने, अर्द्धमिलित, अल्पमिलित, ईषन्मिलित आदि अवस्थाएँ प्राप्त करने, फलतः तदनुरूप स्वर, व्यंजन शब्द-गठक अक्षर परिस्फुटित करने का हेतु बनता है।

बाणी के प्रादुर्भाव का जो क्रम प्रतिपादित हुआ है, वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक सरणि लिये हुए है। वागुत्पत्ति जैसे विषय पर भी भारतीय विद्वानों ने कितनी गहरी डुबकियाँ लीं, इसका यह परिचायक है।

जैन दर्शन की दृष्टि से

जैन दर्शन तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ—योग स्वीकार करता है—मानसिक, धार्मिक तथा कायिक। जब मनुष्य मनोयोग या मनःप्रवृत्ति में संलग्न होता है, तो उस (मनोयोग) के द्वारा सूक्ष्म कर्म-पुद्गल (कर्म-परमाणु) आकृष्ट होते हैं। ये कर्म-परमाणु मूर्त होते हैं, पर, उनका अत्यन्त सूक्ष्म आकार होता है। मन की प्रवृत्ति या चिन्तन जिस प्रकार का होगा, उसी के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्माणु आकृष्ट होंगे।

मनोयोग या मानसिक चिन्तन किसी भी उद्भूयमान कर्म की प्रथम व सूक्ष्म संरचना है। चिन्तन के अनन्तर धार्मिक अभिव्यक्ति का क्रम आता है, जिसके लिए शब्दात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। मनोयोग जब वाक्-योग में परिणत होना चाहता है, तो वे मनःप्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट कर्म-परमाणु ध्वनि-निष्पत्ति-क्रम पर विशेष प्रभाव डालते हैं। वह प्रभाव आकृष्ट या संचित कर्म-परमाणुओं की भिन्न-भिन्न दशाओं के अनुसार विविध प्रकार का होता है, जैसा होना स्वाभाविक है। फलतः विभिन्न मनोभावों के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ या शब्द वाक्-योग के रूप में निकल पड़ते हैं।

१. विशेषण रवं राति = रा + क + अण् + डीप् अर्थात् जो विशेष रूप से आकाश को रव-युक्त करे—नितादित करे।

स्थूल और सूक्ष्म की भेद-रेखा

अनुकरण, मनोभावाभिष्यंजन, इंगित या प्रतीक आदि सिद्धान्त जिनका पहले विवेचन किया गया है, स्थूल भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति में किसी-न-किसी रूप में सहायक बनें, यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है। सूक्ष्म भावों के परिस्फुरण का समय सम्भवतः मानव के जीवन में तब आया होगा, जब वह मानसिक दृष्टि से विशेष विकसित हो गया होगा। वैसी दशा में परा, पश्यन्ती आदि के रूप में वाक्-निष्पत्ति के क्रम तथा जैन-दर्शन सम्मत वाक्-योग के क्रियान्वयन की सरणि से सूक्ष्म-भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कुछ प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है।

एक प्रश्न का उभरना स्वाभाविक है कि परा, पश्यन्ती आदि के उद्भव-क्रम के अन्तर्गत सृष्ट सूक्ष्म शब्दाकारों या मनःप्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट विभिन्न पुद्गल-परमाणुओं से निःसार्यमाण ज्वनि या शब्द प्रभावित होते हैं, तो फिर समस्त जगत् के लोगों द्वारा प्रयुज्यमान शब्दों में, भाषाओं में परस्पर अन्तर क्यों है ?

तथ्य यह है कि संसार भर के मानव एक ही स्थिति, प्रकृति, जल-वायु, उपकरण, सामाजिकता आदि के परिवेश में नहीं रहते। उनमें अत्यधिक भिन्नता है। उच्चारण-अवयव तथा उच्चार्यमाण ज्वनि-समवाय उसमें अप्रभावित कैसे रह सकता है ?

दूसरा विशेष तथ्य यह है कि उपर्युक्त वाक्-निष्पत्ति-क्रम का सम्बन्ध विशेषतः सूक्ष्मार्थ-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के साथ सम्भाव्य है, जब कि स्थूल भाव-ज्ञापक शब्द संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं में बन चुके थे। जो-जो भाषाएं अपना जिस प्रकार का स्थूल रूप लिये हुए थीं, सूक्ष्म भाव-बोधक शब्दों की संरचना का हलाक भी उसी ओर हो, ऐसा सहज प्रतीत होता है। इस प्रकार के अनेक कारण रहे होंगे, जिनसे भिन्न-भिन्न भू-भागों की भाषाओं के स्वरूप भिन्न-भिन्न सांचों में ढलते गये।

उपसंहार

दार्शनिक पृष्ठभूमि पर वैज्ञानिक शैली से किया गया उपर्युक्त विवेचन एक ऊहापोह है। वास्तव में भाषा के उद्भव और विस्तार की कहानी बहुत लम्बी एवं उलझन भरी है। भाषा को वर्तमान रूप तक पहुँचाने में विकासशील मानव को न जाने कितनी मंजिलें पार करनी पड़ी हैं। मानव-मानव का पारस्परिक सम्पर्क, जन्तु-जगत् का साहचर्य, प्रकृति में विहरण तथा अपने कृतित्व से उद्भाषित उपकरणों का साहाय्य प्रभृति अनेक उपादान मानव के साथ थे, जिन्होंने उसे प्रगति और विकास के पथ पर सतत गतिशील रहने में स्फूर्ति प्रदान की। उदीयमान एवं विकासमान भाषा भी उस प्रगति का एक अंग रही। उसी का परिणाम है कि विश्व में आज अनेक समृद्ध भाषाएं विद्यमान हैं, जो अतादिदियों और

सहस्राब्दियों के ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य धारा को अपने में संजोये हुए हैं।

भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण

भाषाओं की अपनी-अपनी आकृति है। उनकी रचना का अपना प्रकार है। आकृति के आधार पर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। उसके अनुसार संसार की भाषाओं के दो वर्ग होते हैं—योगात्मक भाषाएं और अयोगात्मक भाषाएं।

योगात्मक भाषाएं

जिन भाषाओं में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग होता है, वे योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। पद और उनसे बने हुए वाक्य भाषा के गठक हैं। पद में मुख्यतः दो बातें होती हैं—अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व। शब्द जिस अर्थ का ज्ञापक है, वह अर्थ-तत्त्व कहा जाता है। जिससे वाक्यगत शब्दों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, उसे सम्बन्ध-तत्त्व कहा जाता है। सम्बन्ध-तत्त्व के योग के बिना वाक्य नहीं बन सकता। भिन्न-भिन्न शब्द अपने भिन्न-भिन्न अर्थ ज्ञापित करते रहेंगे। उनकी समन्विति नहीं होगी। जैसे—अस्मद्, युष्मद्, वस्त्र, दा (धातु) ये चार शब्द हैं। चारों का अपना-अपना अर्थ है, पर, परस्पर कोई संयत्ति नहीं है। यदि इसे वयं युष्मभ्यं वस्त्राणि अदद्म; ऐसा रूप दे दिया जाए, तो एक संगत तथ्य प्रकट होता है। ऐसा करने में विभक्तियों, प्रत्ययों आदि का योग हुआ है, यही सम्बन्ध-तत्त्व है। वयम्, युष्मभ्यम्, वस्त्राणि तथा अदद्म—ये अस्मद्, युष्मद्, वस्त्र और दा के रूप हैं। रूप बनाने की एक विशेष पद्धति या शैली है।

योगात्मक भाषा-वर्ग में संस्कृत आदि कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जिनमें अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व के योग से निष्पन्न विभक्त्यन्त और प्रत्ययान्त पदों को वाक्य में किसी एक सुनिश्चित क्रम के अनुरूप ही रखा जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि उपर्युक्त वाक्य वयं युष्मभ्यं वस्त्राणि अदद्म को वस्त्राणि अदद्म युष्मभ्यं वयम्, अदद्म वस्त्राणि युष्मभ्यं वयम् तथा युष्मभ्यं वयं वस्त्राणि अदद्म इत्यादि अनेक प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता। पर, बहुते-सी योगात्मक भाषाएं ऐसी हैं, जिनमें इस प्रकार नहीं हो सकता। उनमें अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व के योग के साथ-साथ कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को वाक्य में रखने का एक विशेष क्रम है, जिसका अनुवर्तन आवश्यक है। जैसे, उक्त वाक्य को हम अंग्रेजी में We gave you the clothes इस प्रकार अनूदीत करेंगे। We, gave, you, clothes आदि वाक्य-गत पदों को हम संस्कृत की तरह आगे-पीछे यथेच्छ रूप में नहीं रख सकते। हिन्दी में भी प्रायः ऐसा ही है।

अयोगात्मक भाषाएँ

जिन भाषाओं में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का कोई योग नहीं होता, वे अयोगात्मक भाषाएँ कहलाती हैं। इनमें शब्द के साथ विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि कुछ नहीं जुड़ते। अभीष्ट अर्थ को ज्ञापित करने के लिए तद्बोधक शब्दों को एक विशेष क्रम से रख देना यथेष्ट है। उन्हीं शब्दों का स्थानिक क्रम बदल कर तत्सम्बन्ध अन्य अनेक आशय प्रकट किये जा सकते हैं।

अयोगात्मक भाषा वर्ग में चीनी भाषा मुख्य है। उदाहरण के लिए उस भाषा के तीन शब्द हैं—नो, त, नि। नो का अर्थ मैं, त का मारना तथा नि का तुम है। “मैं तुम को मारता हूँ”; यह प्रकट करने के लिए चीनी भाषा में नो त नि कहना होगा। “तुम मुझे मारते हो” ऐसा कहने के लिए नि त नो कहना होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्ता कारक का भाव प्रकट करने के लिए केवल इतना-सा अपेक्षित हुआ कि जिसका कर्तृत्व स्थापित करना है, उस शब्द को वाक्य के प्रारम्भ में रख दिया गया। कर्म कारक का भाव प्रकट करना हो तो मात्र इतना करणीय है कि कर्म-स्थानिक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के बाद रख दिया जाए। कर्ता, कर्म आदि कारकों का भाव स्थान के एक निश्चित परिवर्तन से व्यक्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जो शब्द जिस रूप में भाषा में है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता; विभक्ति, प्रत्यय तथा उपसर्ग आदि का उसके साथ कोई योग नहीं होता।

चीनी भाषा का एक उदाहरण और लें। त लइ—वह आता है। यह वर्तमान-काल-बोधक वाक्य है। इसे यदि भूतकाल का बनाना हो तो लइ क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्रिया के आगे एक शब्द लिओन (Lion) जिसका अर्थ समाप्त है, और रख दिया जाएगा। तब वह वाक्य इस प्रकार होगा—त लइ (Lai) लिओन अर्थात् उसने आना समाप्त किया, वह आया। लिओन का अर्थ-तत्त्व है—समाप्त करना, पर, त लइ लिओन में वह सम्बन्ध-तत्त्व का चोतक हो गया है। लिओन (Lion) के स्थान पर यदि लिआव (Liao) जिसका अर्थ पूर्ण या पूर्णता है, रख दिया जाए, तो भी भूतकाल का अर्थ प्रकट हो जाएगा। उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि भिन्न-भिन्न शब्द सर्वथा अपरिवर्तित रहते हुए स्थान, प्रयोग आदि के एक विशेष क्रम के कारण अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का अपेक्षित निबोध भली-भाँति कर पाते हैं। अयोगात्मक भाषाओं में सबसे अधिक महत्व वाक्य में शब्दों के क्रम का है, पर, स्वर, लहजे (Tone) और निपात का भी अर्थाभिप्राय में स्थान है।

संसार में अयोगात्मक भाषाएँ बहुत थोड़ी-सी हैं। अयोगात्मक भाषाओं में चीनी

भाषा जैसे स्थान-प्रधान है, उसी प्रकार अफ्रीका की सूडानी भाषा में भी वाक्यगत शब्दों के क्रम या स्थान का महत्व है। अनामी स्वर-प्रधान है। बर्मी, स्यामी तथा तिब्बती निपात-प्रधान है।

योगात्मक भाषाओं के भेदोपभेद

योगात्मक भाषाओं के मुख्यतः तीन भेद हैं : प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक।

प्रश्लिष्ट में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का इतना मेल हो जाता है कि वे स्पष्ट रूप में पृथक्-पृथक् पहचाने नहीं जा सकते। जैसे—शालि से शालेय^१, उपगु से ओपगव^२, पृथिवी से पार्थिव^३, वायु से वायव्य^४, शुल्कशाला से शौल्कशालिक^५, वत्स से वात्स्य^६, मृदु से मार्दव^७, विनता से वैनतेय^८, नदी से नादेय^९, बृहस्पति से बार्हस्पत्य^{१०}, मुद्गा से मौद्गलीन^{११}, तुला से तुल्य^{१२}, दिति से दैत्य^{१३}, कुशाम्ब से कौशाम्बी^{१४}, गौ से गव्य^{१५} तथा अग्नि से आग्नेय^{१६}; इत्यादि।

१. श्रीहिशाल्योर्दक् ।—पाणिनीय अष्टाध्यायी, ५।२।२
२. उपगोरिदम्—ओपगवम् । तस्येदम् ।—बही, ४।३।१२०
३. पृथिव्या ईश्वरः—पार्थिवः । तस्येश्वरः ।—बही, ५।१।४२
४. वाटवृत्तुपिन्नुषसो यत् ।—बही, ४।२।३१
५. शुल्कशालाया आगतः—शौल्कशालिकः । ठगायस्थानेभ्यः ।—बही, ४।३।७५
६. वत्सस्य अपत्यम्—वात्स्यः । गर्गादिभ्यो यञ् ।—बही, ४।१।१०५
७. मृदोर्भावः—मार्दवम् । इगन्ताच्च लघुपूर्वात् ।—बही, ५।१।१३१
८. स्त्रीभ्यो ढक् ।—बही, ४।१।१५०
९. नद्यादिभ्यो ढक् ।—बही, ४।२।९७
१०. बृहस्पतिर्देवता अस्य—बार्हस्पत्यम् । साऽस्य देवता ।—बही, ४।२।२४
११. भवत्यस्मिन्निति भवनम् । मुद्गानां भवनम्—मौद्गलीनम् । धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् ।—बही, ५।२।१
१२. तुलया समितम्—तुल्यम् । तौबयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्थतुल्यप्राप्यवध्यानाभ्यसमसमितसंमितेषु ।—बही, ४।४।९१
१३. दितेः अपत्यम्—दैत्यः । दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः ।
—पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।१।८५
१४. कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरा—कौशाम्बी । तेन निर्वृत्तम् ।—बही, ४।२।६८
१५. गोपयसोर्यत् ।—बही, ४।३।१६०
१६. अग्नेः विकारः—आग्नेयः । तस्य विकारः ।—बही, ४।३।१३४

स्पष्ट है कि यहाँ अर्थ-तत्त्व तथा सम्बन्ध-तत्त्व अत्यन्त धुल-मिल गये हैं। तात्पर्य यह है कि प्रक्षिप्त योगात्मक भाषाओं में अर्थ-तत्त्व के भीतर ही सम्बन्ध-तत्त्व-गर्भित परिचर्तन, परिवर्तन आदि होते हैं। इसलिए अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का पार्थक्य विलुप्त हो जाता है।

अक्षिप्त योगात्मक भाषाएँ

भाषाओं में प्रयुज्यमान पदों में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग तो होता है, पर, दोनों तिल-तण्डुलवत् पृथक्-पृथक् बने रहते हैं, अक्षिप्त योगात्मक भाषाओं के वर्ग में आती हैं। तिल और चावल अच्छी तरह मिला दिये जाने पर भी एकात्मक नहीं होते। अक्षिप्त योगात्मक भाषाओं में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व की परस्पर ऐसी ही स्थिति है। द्रविड़ परिवार की भाषाएँ अक्षिप्त योगात्मक वर्ग के अन्तर्गत हैं। अक्षिप्त योगात्मकता को स्पष्ट करने के लिए कन्नड़ और तमिल का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा।

अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व के पृथक्-पृथक् दृष्टिगोचर होते रहने का जो उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि वचन, कारक आदि को व्यक्त करने के लिए इस भाषा-वर्ग में शब्द के आगे जो विभक्ति, प्रत्यय आदि जोड़ा जाता है, वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है, तत्संयुक्त शब्द (अर्थ-तत्त्व) तो अपरिवर्तित रहता ही है। उदाहरणार्थ, कन्नड़ भाषा के सेवक शब्द के रूप उद्धृत किये जा रहे हैं :

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सेवक - नु	सेवक - रु
कर्म	सेवक - नन्नु	सेवक - रन्नु
करण	सेवक - निन्द	सेवक - रिन्द
सम्प्रदान	सेवक - निगे	सेवक - रिगे
सम्बन्ध	सेवक - न	सेवक - र
अधिकरण	सेवक - नल्लि	सेवक - रल्लि

कन्नड़ भाषा में कर्ता एक वचन का नु, बहुवचन का रु, कर्म एक वचन का नन्नु, बहुवचन का रन्नु, करण एक वचन का निन्द, बहुवचन का रिन्द, सम्प्रदान एक वचन का निगे, बहुवचन का रिगे, सम्बन्ध एक वचन का न, बहुवचन का र तथा अधिकरण एक वचन का नल्लि, बहुवचन का रल्लि चिह्न या विभक्ति है।

अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व इन रूपों में ज्यों-के-त्यों स्थित हैं; अतः स्पष्टतः प्रतीत होते हैं।

तमिल के 'कोवेल्' = मन्दिर शब्द के रूपों का उदाहरण और प्रस्तुत किया जाता है।
उसके रूप इस प्रकार चलेंगे :

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कोवेल्	कोवेल्-गल
कर्म	कोवेल-एई	कोवेल्-गल-एई
सम्बन्ध	कोवेल-उदीय	कोवेल-गल-उदीय

तमिल में 'गल' बहुवचन द्योतक है। एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए उसे एकवचन के आगे जोड़ दिया जाता है। तमिल में एई कर्म कारक का तथा उदीय सम्बन्ध कारक का चिह्न (विभक्ति) है। एकवचन से जिस कारक को उपस्थित करना हो, उसके अनुसार ये विभक्तियाँ उसके आगे जोड़ दी जाती हैं। यदि बहुवचन बोधित करना हो, तो बहुवचन द्योतक गल, जो एकवचन-सूचक शब्द के अन्त में जुड़ा है, के अनन्तर ये कारक-चिह्न जोड़ दिये जाते हैं। ऊपर उल्लिखित 'कोवेल्' शब्द के रूपों से यह प्रकट है। अश्लिष्ट योगात्मकता का स्वरूप इससे और स्पष्ट हो जाता है।

श्लिष्ट योगात्मक भाषाएँ

प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट हुआ कि सम्बन्ध-तत्त्व अर्थ-तत्त्व में इस प्रकार लीन हो जाता है कि बाह्य दृष्टि से उसकी प्रतीति नहीं होती। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में भी अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग होता है, अर्थ-तत्त्व में कुछ विकार और परिवर्तन भी आता है, पर, फिर भी सम्बन्ध-तत्त्व प्रश्लिष्ट की तरह अर्थ-तत्त्व में लीन नहीं होता। उसका स्पष्ट रूप तथा अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का भेद स्पष्टतया तो नहीं दीखता, पर, सम्बन्ध-तत्त्व की कुछ झलक या आभास अवश्य मिलता है। जैसे—कर्म से कर्मण्य^१, कण्ठ से कण्ठ्य^२, संवत्सर से सांवत्सरिक^३, पाणिनि से पाणिनीय^४, धर्म से धार्मिक^५, दधि से दाधिक^६, धनुष् से धानुष्क^७, निकट से नैकटिक^८, अक्ष से

१. कर्मणि साधुः—कर्मण्यः । तत्र साधुः । —पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।४।९८

२. शरोरावयवाच्च ।—वही, ४।३।५५

३. कालाट्ठञ् ।—वही, ४।३।११

४. पाणिनिना प्रोक्तम्—पाणिनीयम् । तेन प्रोक्तम् ।—वही, ४।३।१०१

५. धर्मं धरति ।—वही, ४।४।४१

६. दध्ना संसृष्टम्—दाधिकम् । संसृष्टे ।—वही, ४।४।२२

७. धनुः प्रहरणमस्य—धानुष्कः । प्रहरणम् ।—वही, ४।४।५७

८. निकटे वसति—नैकटिकः । निकटे वसति ।—वही, ४।४।७३

आक्षिप्त^१, उडुप से औडुपिक^२, तथा धेनु से धेनुक^३; इत्यादि । इन उदाहरणों में अर्थ-तत्त्व यद्यपि यथावत् नहीं रहा है, पर, उसमें सम्बन्ध-तरव सर्वथा लुप्त नहीं हुआ, अंशतः वह उपलब्ध है ।

अरबी भाषा में मारने के अर्थ में 'कू-त्-ल' धातु है । उससे कतल=खून, कातिल=खून करने वाला तथा किल्ल = शत्रु आदि शब्द बनते हैं । संस्कृत के पूर्वोक्त उदाहरणों की तरह इनमें भी अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग है, पर, सम्बन्ध-तत्त्व की यत् किञ्चित् पहचान बनी हुई है । यह भी श्लिष्ट योगात्मक का उदाहरण है । विश्व की भाषाओं में विकास और समृद्धि की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं का अत्यधिक महत्त्व है ।

आकृति के आधार पर भाषाओं के परिवार

आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर शब्द-समूह, सम्बन्ध-तत्त्व व ध्वनि-साम्य के अनुसार संसार की भाषाओं को अनेक भागों या परिवारों में बांटा जाता है । कौन-कौन-सी भाषाएँ कौन से परिवारों से सम्बद्ध हैं, भाषाओं के व्यापक रूप में तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात् ही यह निर्णय किया जा सकता है । यह बहुत लम्बे तथा गम्भीर अध्ययन का विषय है । बहुत कम भाषा-परिवारों का इस प्रकार का अध्ययन हो पाया है; अतः संसार में सैकड़ों की संख्या में जो भाषाएँ हैं, उनका स्पष्ट पारिवारिक निर्णय और अधिक गवेषणा एवं अध्ययन-सापेक्ष है । फिर भी विद्वानों ने भाषाओं और उनके परिवारों के सम्बन्ध में बहुत काम किया है ।

उन्नीसवीं शती के दो दशकों के बाद जर्मन विद्वान् विल्हेल्म फान हम्बोल्ट ने प्रस्तुत विषय पर विस्तार से विचार किया और उन्होंने संसार की भाषाओं को तेरह परिवारों में बांटा । अन्योन्य विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप परिवारों की संख्या भिन्न-भिन्न निर्धारित की । पार्टिज़ ने दस परिवार माने । फ्रेडरिक मूलर आदि भाषा-वैज्ञानिकों ने इस संख्या को सौ तक पहुँचाया । कुछ विद्वानों का विचार है कि केवल अमेरिका में ही एक सौ भाषा-परिवार विद्यमान हैं । राइस ने कहा है कि सब भाषाओं का परिवार एक ही हैग्रे के अनुसार विश्व की भाषाएँ छब्बीस परिवारों में विभक्त हैं । भारतीय भाषा-वैज्ञानिकों के विचार भी भाषा-परिवारों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं ।

१. अक्षैदीव्यति खनति जयति जितो वा—आक्षिप्तः । तेन दीव्यति खनति जयति जितम् ।

—पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।४।२

२. उडुपेन तरति—औडुपिकः । तरति ।—बहो, ४।४।५

३. हसुसुक्तान्ताकः ।—बहो, ७।३।५१

भाषा-परिवारों की ये संख्याएं बड़ा कुतूहल उत्पन्न करती हैं। एक से सौ तक की सीमावधियां कम आश्चर्यजनक नहीं हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व की भाषाओं का अब तक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से सांगोंपांग अध्ययन नहीं हो पाया है; इसलिए उपर्युक्त निर्णायक संख्याएं अनुमानों के आधार पर परिकल्पित हैं।

डा० भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्थूल दृष्टि से संसार के प्रमुख भाषा-परिवार १-भारोपीय, २-सेमिटिक, ३-डेमेटिक, ४-भूराल-अल्टाइक, ५-चीनी या एकाक्षरी, ६-द्रविड, ७-मलय-पालिनीशियन, ८-बांटू, ९-बुशमैन, १०-सूडानी, ११-आस्ट्रेलियन-पापुवन, १२-रेड-इण्डियन, १३-काकेशी, १४-जापानी-कोरियाई हैं।

भौगोलिक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण

भाषाओं के वर्गीकरण का एक प्रकार और है, जिसका आधार भौगोलिक है। इसका आशय यह है कि संसार के जिन-जिन भू-खण्डों में जो-जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन वृहत् इकाइयों के आधार पर भू-खण्डों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में कुछ अधिक स्पष्टता रहती है। एक तथ्य ध्यातव्य है, एक भू-खण्ड में किसी एक ही परिवार की भाषाएं हों, ऐसा नहीं होता। उस भू-खण्ड में अनेक परिवारों की भाषाएं हो सकती हैं। उनमें परिवार-गत भिन्नता के कारण भेद रहना स्वाभाविक है, पर भौगोलिक निकटता के कारण परस्पर ध्वनियों एवं शब्दों का भी आदान-प्रदान होता रहा है। इस दृष्टि से विश्व के भाषा-खण्ड चार प्रकार के माने गये हैं—१-अफ्रीका-खण्ड, २-यूरेशिया-खण्ड, ३-प्रशान्त महासागरीय-खण्ड और ४-अमेरिका-खण्ड।

भाषा-परिवार

संसार की भाषाएं अनेक भाषा-परिवारों में विभक्त हैं। जिस प्रकार मानव का अपना परिवार होता है, उसी प्रकार एक स्रोत से उद्भूत, विकसित और प्रसृत भाषाओं का एक समुदाय होता है, जिसे भाषा-विज्ञान में भाषा-परिवार की संज्ञा दी जाती है। एक उदाहरण से यह तथ्य विशेष स्पष्ट होता है। कल्पना करें, विश्व के किसी भू-खण्ड में प्राचीन काल में कोई जाति आबाद थी। उसकी अपनी भाषा थी, जिससे उसका दैनन्दिन काम चलता था। समय बीतता गया, वहां के निवासियों की जन-संख्या बढ़ती गयी। उनमें से अनेकों को लगा होगा, हमारा जीवन-निर्वाह यहां सुख-सुविधापूर्वक नहीं हो रहा है। हमें अपने लिए कोई और स्थान खोज लेना चाहिए।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनके मन में विजिगीषा का भाव जगा हो।

१. कुछ विद्वान् संख्या ७, ११ तथा १४ के दो-दो परिवार मानते हैं।

जो भी हो, उनमें से अनेक लोग अपने मूल स्थान से एक समूह के रूप में किसी दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर चले जाने पर वे कहीं अपने आवास की अनुकूलता देखते हैं और रुक जाते हैं। उस भू-भाग की भाषा, जहाँ वे टिके हैं, उनकी अपनी भाषा से भिन्न है। कोई व्यक्ति या समुदाय, जहाँ भी रहता है, उसे वहाँ के निवासियों से सम्बन्ध रखना आवश्यक होता है। रहन-सहन, खान-पान, लेन-देन आदि में सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहाँ रहने वालों से समीपता बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता; अतः वह समागत समुदाय अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों, ध्वनियों आदि को स्वीकार कर लेता है, जो उस भू-भाग के निवासियों की भाषा के होते हैं। इस प्रकार एक मिली-जुली नई भाषा का जन्म हो जाता है, जो आने वाले लोगों की अपनी भाषा से कुछ-कुछ भिन्न हो जाती है, पर, उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होता। जो भेद आता है, वह अधिकांशतः बाह्य स्थूल कलेवर तक सीमित रहता है। इस नई मिली-जुली भाषा से आगत समुदाय अपना काम चलाने लगता है। उस प्रदेश के मूल निवासी भी उस (नई) भाषा द्वारा प्रयोजन की बातें लगभग समझने लगते हैं। साथ ही मूल निवासियों की भाषा पर भी उसका कुछ प्रभाव होता है।

समय बीतता जाता है। जन-संख्या बढ़ जाती है। बाहर से आकर बसे हुए लोगों को पुनः किसी और नये भू-खण्ड में जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। उनमें से काफी संख्या में लोग एक समुदाय के रूप में आगे की ओर चल पड़ते हैं। चलते-चलते फिर किसी एक स्थान को सुविधाजनक समझ कर ठहर जाते हैं, वहाँ आबाद हो जाते हैं। वहाँ भी पिछली स्थिति की पुनरावृत्ति होती है। नवागत और उस भू-खण्ड के निवासी; दोनों की भाषाओं के मिले-जुले रूप की एक और नई भाषा बन जाती है। नवागत जनों और उस स्थान के वासियों के पारस्परिक व्यवहार, काम-काज आदि के लिए उसका उपयोग होता है, जिससे दोनों को अपना काम चलाने में सुविधा हो जाती है।

नई भाषा पर कुछ विचार करें, जिसे नये प्रवासी बोलते हैं, जो प्राक्तन व्यक्तियों द्वारा भी व्यवहृत होती है। एक भाषा वह थी, जिसका प्रयोग इन नये प्रवासियों के आदि-स्थान के पूर्वजों द्वारा होता था। दूसरी भाषा वह थी, जो मूल स्थान से चले समुदाय के पहले पड़ाव या आवास पर बनी। जैसा कि संकेत किया गया है, यह भाषा नवीन अवश्य थी, पर, मूल भाषा या आदि-भाषा से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकी थी। दूसरे आवास पर जो भाषा बनी, वह मूल भाषा से तथा प्रथम आवास में निमित्त भाषा से नया रूप लिये हुए थी, पर, वह भी आदि स्थान की भाषा तथा पहले आवास की भाषा से बिलकुल पृथक् नहीं हो गयी थी। इतना अवश्य हुआ, जो स्वाभाविक था कि आदि स्थान की भाषा से वह कुछ अधिक भिन्न थी तथा पहले आवास की भाषा से कुछ कम भिन्न।

वस्तु-स्थिति यह है कि नये स्थान पर बसने वाले लोग नये शब्द और ध्वनियाँ अपनी भाषा में अवश्य ग्रहण कर लेते हैं, पर, अपने प्राक्तन भाषा-तत्व को छोड़ नहीं सकते थे; अतः मूल-भाषा के साथ नये-नये आवासों में बनने वाली भाषाओं का अन्तः-सादृश्य बना रहता है।

पुनः आदि-स्थान पर दृष्टि-निक्षेप किया जाए, जहाँ से पहला समुदाय चला था। सम्भव है, उसके चले जाने के कुछ समय पश्चात् उसी स्थान से एक और समुदाय पहले से विपरीत दिशा की ओर खाना हुआ हो। यह दूसरा समुदाय भी, पहले की तरह आगे बढ़ता गया हो। उस समुदाय के लोग जहाँ-जहाँ बसते गये, नई-नई (मिली-जुली) भाषाएँ अस्तित्व में आती गयीं।

गहराई में उतरने से ज्ञात होता है, एक केन्द्र से भाषाओं की दो धाराएँ विकास पाती गयीं। दोनों के विकास के स्थान भिन्न-भिन्न रहे। स्थितियाँ भिन्न थीं, लोग भिन्न थे और उन-उन स्थानों की भाषाएँ भी भिन्न थीं, जिनके मेल-जोल से ये नई उभरती और पनपती भाषाएँ अस्तित्व में आ सकीं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि दो विपरीत दिशाओं की आवास-भूमियों में सृष्टि और विकसित भाषाओं के कलेवर की भिन्नता में तरतमता हो। पर, यह सब होते हुए भी उन दोनों दिशाओं की भाषाओं को सर्वथा विसदृश नहीं माना जा सकता। उन सबका प्रारम्भिक स्रोत एक होने से उनमें ध्वनि, शब्द-गठन, रूप-निर्माण तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से एक सादृश विद्यमान रहता है, जिसकी व्याप्ति भाषा के बहिर्देह में अपेक्षाकृत कम दृष्टिगोचर होती है, पर, उसके अन्तर्देह (Spirit) में वह निश्चय ही बनी रहती है।

किसी समय जो मूल (आदि) भाषा रही थी, दो विपरीत दिशाओं में प्रसृत भाषा-समूह का आदि उद्गम-स्रोत थी, उसके इतस्ततः, दूर-दूर तक फैला हुआ, उसकी शाखा, उपशाखा, प्रशाखा आदि के रूप में विद्यमान भाषा-समुदाय एक भाषा परिवार कहा जाता है, जिसके प्रसृत और विस्तृत होने में शताब्दियाँ ही नहीं, सहस्राब्दियाँ तक लग जाती हैं। यह बड़े महत्व की बात है कि किसी भाषा-परिवार का ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षात्मक रूप में अध्ययन करने पर सहस्राब्दियों की लम्बी अवधि के मध्य सजित, विकसित और विस्तृत मानव-संस्कृति के कितने ही पर्व उद्घाटित होते हैं। भाषा का प्रयोक्ता मानव है। वह व्यो-ज्यों जाग्रत और विकसित होता जाता है, उसकी विचार-चेतना नये-नये आधाम लेती जाती है, जिन्हें भाषा अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इसलिए भाषा जो अनेक परिवर्तनों तथा विकास-स्तरों में से गुजरती हुई सुप्रतिष्ठ होती है, मानव के अध्यवसाय, पौरुष एवं उत्क्रान्ति की ओर बढ़ते चरणों के इतिवृत्ति का सबसे अधिक प्रामाणिक साक्ष्य लिये रहती है। पूर्ण संकेतित भाषा-परिवारों के सूक्ष्म अध्ययन से ऐसे फलित प्रस्फुटित हो

सकते हैं, जो मानवीय सम्यता, दर्शन, चिन्तन, समाज-विकास एवं साहित्य-सर्जन के अनेक गरिमान्वित पक्षों को प्रकाश में लाने वाले हों ।

पारिवारिक सादृश्य के मुख्य आधार

शब्द-समूह (शब्द और अर्थ) रचना-क्रम अवयव सम्बन्ध-तत्त्व (व्याकरण) तथा ध्वनि; ये तीन विषय ऐसे हैं, जिनका एक भाषा-परिवार में किसी-न-किसी रूप में व्यक्त, किंचिद् व्यक्त या अव्यक्त सादृश्य या साम्य होता है । एक परिवार की भाषाओं के उत्तरोत्तर उद्भव तथा विकास की एक बहुत लम्बी शृंखला है । प्रयोक्ताओं के अनेक स्थानों में से गुजरने, विभिन्न भू-भागों में ठहरने तथा बसने के अनन्तर अर्थात् एक लम्बी अवधि, जो शताब्दियों तक की हो सकती है, के बाद जब कोई भाषा सुप्रतिष्ठ होती है, तब तक उसमें प्रयुज्यमान शब्दों की ध्वनियाँ बहुत कुछ परिवर्तित हो जाती हैं । साहसा उन्हें देखने पर यह कल्पना करना सम्भव नहीं होता कि अमुक भाषाओं का उसके साथ परिवार-गत सम्बन्ध है । पर, अन्य आधारों के कारण ध्वनि-सम्बन्धी प्रकट असमानता के अन्तरतम में समानता के बीज बूँदे जा सकते हैं ।

एक परिवार की भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में भी देश-भेद, काल-भेद तथा व्यक्ति-भेद आदि के कारण बहुत भिन्नता आ जाती है । उदाहरण के लिये फ्रेंच और हिन्दी को ले सकते हैं । यद्यपि दोनों का परिवार एक है, पर, दोनों के शब्दों में बहुत अधिक भिन्नता आ गयी है । इसके विपरीत एक अन्य निष्कर्ष फलित होता है, भिन्न परिवार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग स्थानिक दृष्टि से यदि निकट रहते हैं, तो उनमें दोनों ओर की भाषाओं के शब्दों का परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है । इससे परिवार-गत भिन्नता के होते हुए भी उन दोनों भाषाओं के शब्द-समूह में कुछ सादृश्य आ जाता है । उदाहरण के लिए मराठी और कन्नड़ को लिया जा सकता है । ये दो भिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं, परन्तु, ऐसा होते हुए भी उनके शब्दों में कहीं-कहीं समानता प्राप्त होती है ।

एक परिवार की भाषाओं में सबसे अधिक समानता मूलक जो स्थायी तत्त्व है, वह है, व्याकरण या रचना-क्रम की समानता । किसी भी परिवार की भाषाओं में सतत विकास होता जाता है, जो स्वाभाविक है । विकास में परिवर्तन अवश्यम्भावी है । यह होते हुए भी किसी भाषा की व्याकरणिक आकृति या रचना-क्रम पर इसका प्रभाव बहुत धीमा होता है ।

भारोपीय परिवार

पालि व प्राकृत भाषाएँ आकृतिमूलक वर्गीकरण के अन्तर्गत माने गये चौदह भाषा-

परिवारों में भारोपीय परिवार से तथा भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत भाषा-खण्डों में यूरेशिया खण्ड से सम्बद्ध हैं। इन भाषाओं पर चर्चा करने से पूर्व भारोपीय परिवार पर भी संक्षेप में विमर्शण आवश्यक होगा।

विश्व के भाषा-परिवारों में भारोपीय परिवार पर भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी बहुत कार्य हुआ है। संस्कृत इसी परिवार की भाषा है, जिसका अध्ययन करते समय पाश्चात्य विद्वानों को भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। भारोपीय परिवार को अब विद्वान् भारत हिती (Indo-Hitti) परिवार कहते हैं। फिर भी यह परिवार आज भी भारोपीय के नाम से अधिक प्रसिद्ध है; क्योंकि यह वर्षों से इसी नाम से बोला जाता रहा है। संसार के भाषा-परिवारों में यह परिवार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसार में इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोग संख्या में सबसे अधिक हैं। यह परिवार संसार के एक बड़े भू-भाग में फैला है। संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के अभ्युदय, विकास और प्रकर्ष का संवहन करने की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवार का विस्तार मुख्यतः पश्चिम में ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों से लेकर पूर्व में उत्तर भारत तक है। मध्यवर्ती यूराल-अल्ताइक तथा वास्क के भू-भाग इससे छूट जाते हैं। वे इस परिवार में नहीं आते। वस्तुतः इस परिवार का नामकरण अब तक ठीक नहीं हो पाया है; इसलिए इसके नाम समय-समय पर बदलते रहे हैं।

भारोपीय परिवार के विभिन्न नाम

सबसे पहले भारोपीय परिवार इण्डोजर्मनिक (Indo-Germanisch) नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पीछे यह विचार था कि इस परिवार के पूर्वी किनारे पर भारतीय भाषाएं और पश्चिमी किनारे पर जर्मन भाषाएं हैं। किन्तु, पश्चिम में जर्मनी तक ही यह परिवार सीमित नहीं है। उसके भी पश्चिम में इस परिवार की एक शाखा और प्रचलित है, जिसका नाम केल्टिक है। इस स्थिति में “इण्डोजर्मनिक” नाम विद्वानों को उपयुक्त नहीं लगा। उसे छोड़ दिया गया। परन्तु, जर्मन विद्वान् आज भी इस परिवार के लिए इसी नाम का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि यही यथार्थ नाम है। जर्मनी का महत्व घटाने के लिए इस नाम को हटाया गया।

कुछ विद्वानों ने इस भाषा-परिवार को आर्य-परिवार के नाम से भी सम्बोधित किया। इसका आधार उन्होंने यह बताया कि इसके बोलने वाले आर्य जाति के लोग हैं। परन्तु, आगे जो गवेषणाएं हुईं, उनसे सिद्ध हुआ कि आर्य शब्द द्वारा उन सब लोगों का भान नहीं होता, जो इस परिवार के विशाल दायरे में हैं। कुछ आगे बढ़कर विद्वानों का ऐसा मत बना कि आर्य केवल ईरान और भारत के लोगों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए समूचे

परिवार का नाम आर्य-परिवार रखना कदापि संगत नहीं है । इस नाम की संगति भारोपीय या भारत-हिती परिवार की एक शाखा भारत-ईरानी परिवार के लिए ही हो सकती है ।

संस्कृत इस परिवार की मुख्य भाषा रही है; अतः पहले कुछ विद्वानों का जिनमें भारतीय मुख्य थे, यह अभिमत था कि संस्कृत ही इस परिवार की मूल भाषा थी । उसी से इस परिवार की सारी भाषाएँ निकलीं । उन लोगों की दृष्टि में इसका नाम “संस्कृत-परिवार” रहना समुचित था । पर, संसार के विद्वानों द्वारा उसे मान्यता नहीं दी गई ।

भारोपीय का आधार

अनेक नाम आये, पर, भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में ‘भारोपीय परिवार’ ही अब तक प्रचलित है । इसकी भाषाएँ विशेषतः यूरोप से लेकर भारत तक फैली हुई हैं, इसी अभिप्राय से यह नामकरण हुआ । अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि भू-खण्डों के किन्हीं भागों में भी अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि भाषाएँ, जो भारोपीय परिवार की हैं, पहुँच गयी हैं । यूरोप से भारत तक व्याप्ति की बात इसलिए अक्षरशः संगत नहीं होती, पर, मुख्यता और व्यापक प्रचलन की दृष्टि से इसी (नाम) का व्यवहार है ।

भारत-हिती का तात्पर्य

हिती भाषा का उन्नीसवीं शती के अन्तिम दशक में पता चला, जब एशिया माइनर के बोगाज़कोई नामक स्थान की खुदाई में कुछ कीलाक्षर लेख प्राप्त हुए । बीसवीं शती के प्रथम दशक में पुनः खुदाई हुई, जिसमें कीलाक्षरों के अतिरिक्त और भी चित्र, लिपि आदि सामग्री मिली । इनके आधार पर विद्वानों ने हिती को ई० पू० दो हजार से ई० पू० पन्द्रह सौ तक की भाषा माना । उसके परिवार-निर्धारण में विद्वानों ने लम्बे समय तक गवेषणा और परिशोधन किया । अन्ततः यह लगभग सर्वमान्य निर्णय रहा कि हिती भारोपीय की बहिन है । इसका अभिप्राय यह है कि आदि उद्गम-स्रोत से भाषाओं के दो समुदाय निकले । एक भारोपीय परिवार की भाषाओं का था और दूसरा एनाटोलियन शाखा की भाषाओं का ।

ईरानी, पहलवी, संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, आदि भाषाएँ जहाँ भारोपीय शाखा के अन्तर्गत हैं, वहाँ हिती, लीडियन, लीसियन, हीरोग्लिफिक हिट्टाइट, पलेइक तथा लुवियन भाषाएँ एनाटोलियन शाखा के अन्तर्गत हैं । एनाटोलियन शाखा में हिती भाषा का सर्वाधिक महत्व है । यही कारण है कि विद्वानों ने भारोपीय परिवार के संशोधित नाम भारत-हिती परिवार में हिती शब्द जोड़ा है ।

भाषा-वैज्ञानिकों का अभिमत है कि जिस मूल भाषा से उक्त दोनों शाखाएँ उद्गत

हुई, उसका समय ई० पू० दो हजार चारसौ से पहले का है। कुछ विद्वान् इसमें थोड़ा संशोधन करते हैं। उनका कहना है कि मूल भारत-हिती का समय ई० पू० दो हजार नौसौ तथा ई० पू० दो हजार चारसौ के मध्य होना चाहिए। अभिप्राय यह है, वे विद्वान् मूल भारत-हिती की अवस्थिति उस स्थान पर लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व से मानते हैं।

विरोस : एक नई कल्पना

मूल भाषा से उद्गत होकर भारत-हिती-परिवार या भारोपीय-परिवार की भाषाएँ संसार के विस्तृत भू-भाग में प्रसृत हुईं, उसके लिए एक विशेष नाम की कल्पना की गयी है। उन्होंने इस कल्पना का आधार संस्कृत वीर, लेटिन Uir, Vir, प्राचीन आयरिश FEN तथा जर्मन VEN आदि को माना। जिन मूल-स्थान-वासियों में कभी यह भाषा प्रवृत्त थी, उन्हें भी वीरोस (WIROS) नाम से सम्बोधित किया गया।

पूर्व चर्चित भारोपीय या भारत-हिती परिवार के नामों के सम्बन्ध का सार यह है कि नाम की समस्या अब तक भी सन्तोषजनक रूप में समाहित नहीं हो सकी है। डा० भोलानाथ तिवारी ने इस विषय में एक सुझाव उपस्थित किया है, जो उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है : यदि हम उन मूल लोगों को 'विरोस' कह रहे हैं, तो उसी आधार पर उस मूल-भाषा के परिवार के लिए 'विरोस परिवार' (Wiros Family) का प्रयोग कर सकते हैं। सभी दृष्टियों से यह नाम दूसरों की अपेक्षा उपयुक्त है। हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय या (Indo-European) के पूर्ण प्रचलन हो जाने के बाद अब किसी अच्छे-से-अच्छे नाम के भी प्रचलन की सम्भावना नहीं है।¹

आर्यों का मूल स्थान

'विरोस' भाषा जहाँ प्रचलित थी, उसको बोलने वाले लोग जहाँ रहते थे, वह स्थान कौन-सा था, इस पर विश्व के अनेक विद्वानों ने जलवायु विज्ञान, भाषा-विज्ञान, पुरातन साहित्य, भूगोल, पुरातत्त्व और ज्योतिष आदि के आधार पर बहुत कुछ चिन्तन मन्थन किया है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। उनमें काफी मतभेद है। बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी अब तक विश्व के विद्वान् विरोस भाषा और लोगों के निवास स्थान के सम्बन्ध में किसी एक मत पर नहीं आ सके। वास्तव में ज्ञान और गवेषणा का मार्ग बड़ा दुर्गम है। उसमें तपस्या और साधना चाहिए। आशा है, वर्तमान विद्वान् और आगे आने वाले विद्वानों की पीढ़ी इस प्रश्न का समाधान ढूँढ़ निकालने में तब तक प्रयत्नशील रहेगी, जब तक एक निर्बाध निर्णय नहीं हो जायगा।

१. भाषा विज्ञान, पृ० १२५

विरोस् नाम की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं है । कुछ ही समय पूर्व यह की गई है । उससे पहले उन लोगों को, जैसा कि पहले संकेतित हुआ है, आर्य कहा जाता था । अब भी वह नाम प्रचलित है ।

आदि स्थान भारत : एक अभिमत

विरोस् (आर्य) लोगों का आदि-स्थान भारत में ही था, यह एक मत है । इसके अनुसार आर्य कहीं बाहर से नहीं आये । हो सकता है, वे यहां से बाहर के देशों में गये हों । भारत एक विशाल देश है । उसमें किसी स्थान-विशेष का निश्चय कर लेना होगा कि आर्य प्राचीनकाल में वहां बसते थे ।

भारत को आर्यों का मूल स्थान मानने वालों में प्रमुख भारतीय विद्वान् ही हैं । भारत में आर्यों के किसी एक निश्चित स्थान के विषय में उनका अभिमत एक नहीं है । श्री एल० डी० कल्ला कश्मीर या हिमालय में उनका आदि स्थान स्वीकार करते हैं । व्यातनामा मनीषी महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि-स्थान ब्रह्मर्षि देश है । मनुस्मृति में ब्रह्मर्षि देश के सम्बन्ध में उल्लेख है : “कुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन प्रदेश ब्रह्मर्षि देश के अन्तर्गत हैं ।”^१ इस परिभाषा के अनुसार कुक्षेत्र के आसपास का स्थान अलवर, बैराठ आदि के परिपार्श्व की भूमि, मथुरा या ब्रजभूमि का प्रदेश, पंजाब, जम्मू और हिमाचल के बीच का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश में आना चाहिए ।

प्रमुख इतिहासवेत्ता श्री डी० एस० त्रिवेदी के अनुसार देविका नदी के तट पर या उसकी घाटी में स्थित मुलतान का क्षेत्र आर्यों का आदि-स्थान था । कुछ विद्वान् मुलतान शब्द की व्युत्पत्ति मूल स्थान से जोड़ते हैं । आर्यों का मूल स्थान होने से ही उन विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र का मुलतान नामकरण हुआ ।

इतिहास के एक दूसरे बड़े विद्वान् श्री अविनाशचन्द्र दास ने ‘ऋग्वेदिक इण्डिया’ नामक पुस्तक में आर्यों का मूल-निवास-स्थान सरस्वती के उद्गम-स्थल हिमालय अथवा सरस्वती के तटीय प्रदेश को बताया है ।

सरस्वती और हवद्वती वैदिक काल की नदियाँ थीं । ऋग्वेद और ताण्ड्य ब्राह्मण में उनका वर्णन है^२ । ये पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग में प्रवहमान थीं । उन दिनों इनका तटीय प्रदेश बहुत उर्वर तथा समृद्ध था ।

१. कुक्षेत्रं च मत्स्याश्चः पांचालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षिदेशो ये ब्रह्मावर्तानन्तरः ॥ —मनुस्मृति, २।१९

२. ऋग्वेद, ३।२३।४

उत्तरी राजस्थान तक इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान जिला मैजिस्ट्रियर, चूरु में उल्लेख किया गया है : “कहा जाता है कि प्राचीन काल में चूरु जिले के समीपवर्ती गंगानगर जिले के भू-भाग में सरस्वती और दृषद्वती नामक नदियाँ बहती थीं, जिनसे राजस्थान के इस क्षेत्र में आर्यों की उपस्थिति प्रमाणित होती है।

गंगानगर जिले के रंगमहल, काली बंगा, बड़ोपाल तथा नोहर आदि स्थानों में पुरातत्व की दृष्टि से जो खुदाई हुई है, उससे प्रकट होता है कि सिन्धु घाटी की सम्यता इस क्षेत्र तक फैली हुई थी।”¹

दोनों नदियाँ आज प्राप्त नहीं हैं। सरस्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर विलियम ने संस्कृत-अंग्रेजी शब्द-कोश में उल्लेख किया है : “एक सुप्रसिद्ध छोटी नदी, जिसे हिन्दू पवित्र मानते हैं, जो आज ‘सुरसूती’ से पहचानी जा सकती है और जो दृषद्वती के साथ आर्य देश और उसके एक मण्डल ब्रह्मावर्त का सीमांकन करती है।”²

ऋग्वेद ७, ९५, २ में बताया गया है कि यह नदी समुद्र में मिलती है। पर, उत्तरवर्ती किंवदन्तियों के अनुसार यह भूमि में लुप्त हो जाती है और इलाहाबाद में गंगा और यमुना में मिल जाती है।”³

1. We are told that in the ancient times two Vedic rivers—Saraswati and Drishadwati flowed in the contiguous areas of the district i. e., in Ganganagar, which testifies to the presence of the Aryans in this part of Rajasthan.

Recent archaeological excavations, carried out in the adjoining district of Ganganagar at Rangmahal, Kalibanga, Bedopal Nohar etc. indicate that the Indus valley civilization extended upto this area.

—Rajasthan District Gazetteer, Churu, P. 15.

2. Manusmriti ; 2/17

3. N. of well-known small river (held very sacred by the Hindus; identified with the Modern Sursooty, and formerly marking with the Drishadavati one of the boundaries of the region Arya-Desha and of the sacred district called Brahmavarta (See Mn. II, 17); in R. V. VII 95, 2; this river is represented as flowing into the sea, although later legends make it disappear underground and join the Ganges and Jumna at Allahabad,

—Sanskrit-English Dictionary by Sir Monier-Williams M.W.A;
K. C. I. E.

वामन शिवराम आष्टे ने अपने कोश^१ में सरस्वती का मरुस्थल की रेत में लुप्त होना लिखा है ।

दृषद्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर विलियम्स^२ का उल्लेख है कि वह सरस्वती में मिलती है ।

आष्टे इस नदी के विषय में कहते हैं : “एक नदी का नाम जो आर्यावर्त की पूर्ब सीमा बनाती है तथा सरस्वती नदी में मिलती है ।”^३

एम० मोनियर विलियम्स ने सरस्वती की जो ‘सुरसूती’ के नाम से पहचान कराई है, वह चिन्त्य प्रतीत होती है । राजस्थान में चम्बर नाम से प्रसिद्ध वर्षा ऋतु में प्रायः बहने वाली नदी सरस्वती सम्भावित है ।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरस्वती के तट पर अस्ति प्राचीन काल में कभी आर्यों का आवास था । पर, इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आर्यों का यही मूल स्थान था ।

राजस्थान के गंगानगर जिले के कास्लीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों की खुदाई और वहां से प्राप्त वस्तुओं से पुरातत्त्व के विद्वानों और अनुसन्धितसुओं को यह प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए कि वे सिन्धु घाटी की सभ्यता के बारे में गहन अध्ययन और अनुशीलन करें, जो यहां विशेष रूप से परिग्याप्त थी । सम्भव है, ऐसा होने पर अनेक नये तथ्य प्रकाश में आयें, प्राक् आर्यकालीन संस्कृति के सम्बन्ध में भी कुछ इंगित प्राप्त हों ।

कुछ भारतीय विद्वान्, जिनमें डा० सम्पूर्णानन्द का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है; वेदों, पुराणों तथा तत्सम्बद्ध साहित्य के आधार पर उपयुक्त मत से मिलता-जुलता मत प्रकट करते हैं । किसी निश्चित स्थान का इत्थंभूत संकेत तो वे नहीं करते, पर, उनका प्रबल तर्क यह है कि जब प्राचीन भारतीय आर्य-साहित्य में आर्यों के बाहर से आने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तब क्यों नहीं उन्हें भारतवर्ष के ही मूल निवासी माना जाए ।

समीक्षा

प्रस्तुत मत के उद्भावक और पोषक व्यक्तियों में उच्च कोटि के विद्वान् हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने भारतीय वाङ्मय का गम्भीर अनुशीलन किया है, पर, आर्यों के मूल स्थान

१. आष्टे : संस्कृत-हिन्दी-कोश , पृ० १०८७

2. Name of a river which flows into the Saraswati.

— Sanskrit-English Dictionary, P. 492.

३. आष्टे : संस्कृत-हिन्दी-कोश , पृ० ४७१

के सम्बन्ध में उनका जो मन्तव्य है, विश्व के अनेक प्रौढ़ विद्वानों तथा अनुसन्धाताओं के विचारानुसार भाषा-विज्ञान तथा मानव के विकास-अभियान आदि के सूक्ष्म परिशीलन से संगत नहीं जान पड़ता। हो सकता है, इस मत के प्रतिपादन में थोड़ा-बहुत भावुकता का भी स्थान रहा हो। भारत का चिर अतीत निःसन्देह संस्कृति, दर्शन, साहित्य, कला, निर्माण आदि अनेक दृष्टियों से उन्नयन और विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा था। पर, उसका अतिशयित चित्र, जो तथ्यान्वेषण में भी बाधक हो, कतिपय प्राचीनता-प्रिय भारतीयों के मस्तिष्क पर आच्छन्न है, क्या उसका प्रभाव भी इस मान्यता पर नहीं आ पाया, यह चिन्तन और समीक्षा-योग्य है।

कुछ सूक्ष्मता से उन पहलुओं का भी परीक्षण करें, जिनसे उपर्युक्त मान्यता की प्रामाणिकता व्याहत होती है। यदि भारोपीय परिवार की भाषाओं के विस्तार पर दृष्टिपात करें, तो यह स्पष्टतया परिज्ञात होगा कि उनका विस्तार भारतवर्ष के परिपार्श्व में ही नहीं, अपितु उनमें से अधिकांश या तो यूरोप में फैली हुई हैं या एशिया, यूरोप के मिलने के स्थान के आस-पास। ऐसी स्थिति में क्या यह कल्पना करें कि भारतवर्ष से आर्य (विरोस्) पश्चिम की ओर बढ़ते गये, अनेक भाषाएं बनती गयीं। यह कल्पना युक्ति-युक्त और न्याय-संगत प्रतीत नहीं होती। भारत से इतनी दूर तक जाने का आर्यों का कोई उद्देश्य होना चाहिए। भारतवर्ष की भूमि बहुत उर्वर रही है। उस समय जन-संख्या भी कम थी। जीवन-निर्वाह की कोई समस्या नहीं थी। फिर यूरोप के दूर देशों तक चल कर लोग गये, वहाँ आबाद हुए, समझ में आने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राचीन बाङ्गमय में भारतीयों के इस प्रकार के अभियान या बहिर्गमन का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या यह अधिक सम्भव नहीं लगता कि कोई एक समुदाय पश्चिम से पूर्व की ओर चला हो और चलते-चलते कुछ ठहरावों के बाद, जिनमें उसके अनेक साथी उन ठहरावों के स्थानों पर आबाद भी हो गये हों, भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम भाग में पहुँचा हो, वहाँ बस गया हो। उनमें से कतिपय कुछ समय पश्चात् आसपास की दूसरी दिशाओं में भी चले गये हों।

भारतवर्ष में भारोपीय, द्रविड, आग्नेय आदि परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर असम तक तथा भारत के मध्यवर्ती भाग में पंजाबी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, आसामी, मराठी आदि भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाल, बिहार व मध्यप्रदेश के कुछ भू-भागों, खासी-जयन्ती की पहाड़ियों तथा तमिलनाडु के गंजाम जिले में मुंडा (कनावरी, खेरवारी, कुकू, खड़िया, जुआंग, शाबर, गदवा आदि) भाषाओं का प्रचलन है, जो आग्नेय परिवार की भाषाएं हैं। दक्षिण में आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के अतिरिक्त लक्षद्वीप

और लंका आदि में भी द्रविड़-परिवार की (तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, तुलु, कुडागू, टोडा आदि) भाषाओं का प्रचलन है । इसका आशय यह है कि किसी प्रदेश में द्रविड़-परिवार की कोई एक भाषा बोली जाती है, दूसरे में कोई अन्य । जैसे, आन्ध्र में तेलुगू, तमिलनाडु में तमिल, लंका में जो तमिल भाषी लोग बसे हुए हैं उनमें तमिल, केरल में मलयालम तथा कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है ।

आर्य जाति का मूल स्थान यदि भारतवर्ष होता, तो यह स्वाभाविक था कि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा-परिवार की भाषाएँ ही समग्र भारत में व्यवहृत होतीं । ऐसा नहीं हुआ, इसका एक सम्भावित कारण यह हो सकता है कि द्रविड़-परिवार की भाषाएँ बोलने वाले पहले से ही यहां बसे हुए हों, जिनकी अपनी भाषाएँ भी कुछ विकसित रही हों । तदनन्तर आर्यों का आगमन हुआ हो । तब उनके द्वारा प्रयुज्यमान भाषा-परिवार को विविध भाषाएँ भारत के समग्र उत्तरी भाग में क्रमशः विस्तार पाती गयी हों ।

मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से कुछ नये तथ्य उद्घाटित होते हैं । इनका समय ऋग्वेद से पहले का है । वहां प्राप्त सामग्री के आधारे पर विद्वानों ने उस सम्बन्ध में विशेष गवेषणा की है । उन्होंने अनुमान लगाया है कि मोहन जो-दड़ो आर्यों के भारत-आगमन से पूर्व की किसी समृद्ध सभ्यता का भग्नावशेष है । उस सभ्यता के लोगों की अपनी भाषा, संस्कृति तथा एक व्यवस्थित जीवन-प्रणाली थी । इस सन्दर्भ में उद्घाटित तथ्यों या निष्कर्षों के अनुसार ऐसा सम्भाव्य हो सकता है कि मोहन-जो-दड़ो से सम्बद्ध सभ्यता, संस्कृति द्रविड़ों की रही हो, उनकी अपनी भाषा भी रही हो, जिसका विकास आज तमिल, तेलुगू तथा कन्नड़ आदि के रूप में पाते हैं ।

प्राचीन भू-विज्ञान, जल-वायु-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा नृवंश-विज्ञान आदि पर हुए गवेषणात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर आर्यों का मूल स्थान वर्तमान काल में भारतवर्ष की जो सीमाएँ हैं, उनसे कहीं बाहर होना चाहिए । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् लोकमान्य बालगंगाधर तिलक आदि ने भी आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष से बाहर ही माना है ।

मूल स्थान भारत से बाहर

यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है; अतः इस पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है, अब भी होता है । यहां इस सम्बन्ध में विद्वद्व के विभिन्न विद्वानों के नाना अभिमत विशिष्ट स्थान रखते हैं । उन पर कुछ विचार करना उपयोगी होगा । संस्कृत भाषा व वेदों के महान् विद्वान् प्रो० मैक्स मूलर द्वारा पामीर का प्लेटो तथा उसके आसपास मध्य एशिया, स्कैंडिनेवियन भाषाओं के विद्वान् डा० लैधम (Ladhams) द्वारा स्कैंडिनेविया, इटली के

मानवशास्त्रवेत्ता सेर्जी (Sergi) द्वारा एशिया माइनर के पठार, लोकमान्य तिलक द्वारा उत्तरी ध्रुव के पास, सर देसाई द्वारा रूस में बाल्कन भील के पास, डा० गाइल्ज (Gilles) द्वारा हंगरी के कारपेशियन पहाड़ के आसपास, हर्टे द्वारा पोलैंड में विश्वुला नदी के तट पर, नेहरिंग द्वारा दक्षिणी रूस मच आदि विद्वानों द्वारा पश्चिमी बाल्टिक के किनारे, स्लाव भाषाओं के विद्वान् प्रो० श्रेडर (Schrader) द्वारा दक्षिणी रूस में वोला नदी के मुहाने तथा कैस्पियन सागर के उत्तरी तट के पास, डा० ब्रान्देन्स्टाइन (Brandenstein) द्वारा यूराल पर्वतमाला के दक्षिण (दक्षिण-पश्चिम रूस) में आर्यों का मूल स्थान होने की परिकल्पनाएँ की गई हैं ।

कुछ विद्वानों ने जर्मनी, लिथुआनिया, मेसोपोटामिया, रूसी तुर्किस्तान, परसिया, बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्वी तट आदि को आर्यों का मूल स्थान बतलाने का प्रयत्न किया है । प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि तिब्बत मानव-सृष्टि का आदि स्थान है । मानव-जाति का इसी स्थान पर उद्भव हुआ । यहीं से वह सारे विश्व में फैली । इस मान्यता के अनुसार तिब्बत त्रिविष्टप का परिवर्तित रूप है । त्रिविष्टप का अर्थ तीनों लोकों का समूह है । सारी मानव-जाति का उत्पत्ति-स्थान जब तिब्बत है, तब आर्य-जाति सहज ही वहाँ की सिद्ध हो जाती है । आर्यों के मूल-स्थान के विषय में इतने मत-मतान्तरों के मध्य सही स्थान का अति प्रामाणिक निर्णय दे पाना सरल नहीं है ।

समीक्षा : स्थापना

उपर्युक्त मतों पर जब तटस्थ भाव से विचार करते हैं, तो सबसे पहले एक तथ्य की ओर ध्यान जाता है, जिस पर पहले भी यथाप्रसंग कुछ इंगित किया गया है । निश्चय ही बुद्धि और भावुकता परस्पर विपरीत तत्त्व हैं । भावुकता से मोह उत्पन्न होता है । मोह का परिणाम किसी विशिष्ट वस्तु की ओर झुकाव है । यह सर्वथा सम्भव है, सूक्ष्म विवेक वहाँ कुछ क्षीण हो जाता है । आर्यों के मूल-स्थान के निर्धारण में भी कुछ विद्वानों की मनोवृत्ति पर इसका प्रभाव प्रतीत होता है ।

भारतीय विद्वानों ने भारत को जो आर्यों का आदि स्थान बतलाया, उसका आधार भारतीय वाङ्मय था । प्रो० श्रेडर ने स्लाव-भाषाओं के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान घोषित किया । प्रो० श्रेडर स्लाव-भाषाओं के विद्वान् थे । उनका अनुसन्धान और अनुशीलन मुख्यतः स्लाव-भाषाओं के आधार पर हुआ । उन्होंने अपने मत की स्थापना तथा दृढ़ीकरण में उन्हीं भाषाओं के उद्धरण उपस्थित किये । डा० लैथम स्कैंडेनेवियन भाषाओं के पण्डित थे । उन्होंने एतद्विषयक अपने अध्ययन-अन्वेषण के परिणाम स्वरूप आर्यों का मूल स्थान

१. त्रयाणां विष्टपानां समाहार :—त्रिविष्टपम्

स्कैंडेनेविया सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इन विद्वानों की त.नों श्रेणियों का आय्यों के मूल स्थान की स्थापना में अपनी-अपनी भाषाओं के क्षेत्र अर्थात् अपने-अपने देशों की ओर चिन्तन केन्द्रित हुआ। इसमें कुछ-न-कुछ ममत्व की झलक आती ही है।

भारोपीय-परिवार की भाषाओं का पूर्व और पश्चिम में विस्तार, विभिन्न स्थितियाँ, ध्वनियों का तारतम्य, भौगोलिकता तथा भाषाओं के उत्तरवर्ती विकास की विविध परिणतियाँ आदि अनेक पक्ष इस सन्दर्भ में चर्चित हुए। निष्कर्षतः कतिपय धरिष्ठ भाषा-वैज्ञानिकों का मत ब्रान्देन्स्ताइन के पक्ष में रहा। भारतवर्ष के महान् भाषा-विज्ञान-वेत्ता डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने भी ब्रान्देन्स्ताइन के मत का समर्थन किया। तदनुसार यूराल पर्वतमाला के दक्षिण का प्रदेश आय्यों का आदि स्थान परिकल्पित किया गया। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा० बटकृष्ण घोष आदि कुछ विद्वान् ब्रान्देन्स्ताइन के मत के बहुत से पहलू स्वीकार नहीं करो, परन्तु, अविकांश विद्वानों का झुकाव इसी ओर है।

मूल स्थान से अभियान

यूराल पर्वत के दक्षिणी भू-भाग को आय्यों या विरोस् लोगों का मूल स्थान मान कर अब हम चिन्तन करें। ब्रान्देन्स्ताइन का विचार है कि शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये (आय्यों या विरोस्) किसी एक ही स्थान में अविभक्त रूप में निवास करते थे। समय बीतने पर उनमें से कुछ लोग दक्षिण-पूर्व की ओर चल पड़े, जिन्हें हम भारत-ईरानी लोगों के पूर्व-पुरुष कह सकते हैं। मूल स्थान से वे सीधे ईरान पहुँचे या बीच में कहीं रुके, निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सन्दर्भ में भारत के प्रमुख भाषा-वैज्ञानिक डा० बाबूराम सक्सेना के विचार मननीय हैं : “इतिहास में आय्यों जाति का आविर्भाव अन्यों (मिस्री, सुमेरी, अक्कदी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन है। अनुमान है कि आदिम आय्यों का प्रथम सम्पर्क उत्तरी मेसोपोटैमिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा से पूर्व तेईसवीं या बाईसवीं सदी में हुआ, ई० पूर्वं २००० वर्ष के आसपास उनकी स्थिति मेसोपोटैमिया में पाई जाती है। प्रायः ई० पू० १४०० के बोगाज़कोई लेख में आय्यों का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेख है।”^१ इससे यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि आय्यों का पहला मुकाम मेसोपोटैमिया में हुआ हो।

दो भागों में विभाजन

अभियान का पहला परिणाम यह हुआ कि अपने मूलस्थान से विरोस् या आय्यों सहज ही दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक वे, जो दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढ़े तथा दूसरे

वे, जो उनके चले जाने पर पीछे रह गये। जो लोग पीछे रहे, वे या उनमें से अधिकांश उस स्थान को छोड़ कर किन्हीं नये स्थानों की खोज में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम आदि अन्यान्य दिशाओं की ओर चल पड़े हों। आगे बढ़ते गये हों। भिन्न-भिन्न दिशाओं में आगे बढ़ते रहने तथा भिन्न-भिन्न भू-भागों में आबाद होते जाने के कारण नई-नई भाषाएँ निर्मित होती गयी हों।

ईरान में आवास : भाषा में परिवर्तन

दक्षिण-पूर्व होती हुई पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा के लोग जब ईरान में बस जाते हैं, तब वहाँ पर उनकी मूल भाषा का रूप परिवर्तित होने लगता है। ईरान आर्याणाम् का परिवर्तित रूप है; यह ठीक ही प्रतीत होता है। सम्भवतः आर्यों के उस शू-भाग में बसने के पश्चात् उस (देश) का यह नाम प्रचलित हुआ हो।

भाषा-परिवार के विवेचन के प्रसंग में जैसा कहा गया है, जो लोग बाहर से आते हैं, उन्हें, जहाँ आकर वे टिकते हैं, वहाँ के मूल लोगों की भाषा से काफी ले लेना होता है। इस प्रकार एक मिली-जुली भाषा बन जाती है। ईरान में ऐसा ही हुआ।

भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा

ईरान आने के पश्चात् आर्यों की भाषा की जो धारा प्रवाहित होती है, उसे भारोपीय-परिवार की आर्य-शाखा या भारत-ईरानी शाखा कहा जाता है। भारोपीय - परिवार में इस शाखा का बड़ा महत्व है। आगे चलकर ऋग्वेद¹ जैसे साहित्य का इसी में प्रणयन होता है, जो विश्व के उपलब्ध वाङ्मय में सबसे प्राचीन माना जाता है। प्राचीनता के साथ-साथ ऋग्वेद की भाषा - सम्बन्धी विशेषता को संसार के प्रायः सभी प्रमुख विद्वान् स्वीकार करते हैं। इसके साथ-साथ भारत-ईरानी परिवार की भाषाओं का रूप-गठन तथा वाङ्मय भी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पश्चिम में भाषा-विज्ञान के व्यापक तथा बहुमुखी अध्ययन एवं अन्वेषण का जो क्रम गतिशील हुआ, उसका आधार भी मुख्यतः ये ही आर्य-परिवार की भाषाएँ हैं। इन भाषाओं के सूक्ष्म अनुशीलन और विश्लेषण के प्रसंग में पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान विश्व की विभिन्न भाषाओं के ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक तथा रचनात्मक सादृश्य की ओर आकृष्ट हुआ। कलकत्ता स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जॉन्स के परिचय-प्रसंग में इस दिशा में जो प्रकाश डाला गया है, उससे यह तथ्य प्रमाणित होता है।

आर्यों के ईरान में आ जाने तथा बस जाने के अनन्तर जो नई भाषा अस्तित्व में

१. अग्रिम प्रकरण में यथाप्रसंग यह चर्चा की जायेगी।

आई, उससे जहाँ आने वालों को अपने विचार व्यक्त करने में सुविधा हुई, वहाँ मूल निवासियों को भी आगत जनों के साथ अपना व्यवहार बढ़ाने में वह भाषा सहायक सिद्ध हुई।

कोई भाषा जब परिनिष्ठित रूप ले लेती है, तो उसमें साहित्य का सर्जन होने लगता है। ऐसा अनुमान है कि ईरानी में भी काफी साहित्य लिखा गया था। पर, आज वह संसार को उपलब्ध नहीं है। ई० पू० ३२३ में यवन-सम्राट् सिकन्दर ने ईरान पर आक्रमण किया। विध्वंस और लूटपाट के साथ-साथ उसने ईरान के ग्रन्थालय भी जला डाले। ई० ६५१ में ईरान पर अरब का आक्रमण हुआ। आक्रामकों ने जहाँ उस देश को नष्ट-भ्रष्ट किया, वहाँ के ग्रन्थालयों को भी अछूता नहीं छोड़ा। उन्हें अग्निदेव को भेंट कर दिया।

दो बार में इस प्रकार वह साहित्यिक निधि, जो मनीषियों की प्रज्ञा और श्रम से सजित थी, मानव के उन्माद का शिकार होकर शून्य में विलीन हो गयी। सखेद प्रश्न होता है कि ये आक्रान्ता आक्रान्त देश के ग्रन्थागारों को क्यों जला डालते हैं? इससे न केवल आक्रान्त देश की ही हानि होती है, अपितु विश्व की बहुत बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक उपलब्धियाँ सहसा विध्वस्त हो जाती हैं। पर, क्या किया जाए, जब मानव का मन उन्माद-ग्रस्त हो जाता है, तब वह जो न कर, थोड़ा है। जो कुछ बच पाया, वह था पारसियों का धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता और ई० पू० ६०० के हख्मानी बादशाहों के शिलालेख।

अवेस्ता का समय ई० पू० ७ वीं शती माना जाता है। यही ईरान का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती-जुलती है। अवेस्ता में ऋग्वेद की तरह प्रार्थनाएँ हैं। जिस भाषा में अवेस्ता की रचना हुई है, उसे अवेस्ती कहा जाता है। वह (अवेस्ती) कुछ समय तक वैकिट्रया की राजभाषा भी रही थी; अतः उसे प्राचीन वैकिट्रयन भी कहा जाता है।

अवेस्ती, प्राचीन फारसी

ईरानी की दो शाखाएँ मानी जाती हैं—अवेस्ती और प्राचीन फारसी। दोनों के प्रवृत्त होने में समय का बहुत अधिक अन्तर नहीं है। सम्भवतः प्राचीन फारसी अवेस्ती के कुछ बाद की हो। ईरान का पश्चिमी भाग फारस कहा जाता था। पुरानी फारसी का वहीं प्रचलन था। फारस में प्रचलित होने के कारण इसका नाम फारसी पड़ा हो, ऐसी सम्भावना है। पुरानी फारसी में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ कालाक्षरीय अभिलेख प्राप्त हैं, जो एकमेनिशन शासकों द्वारा ई० पू० पाँचवीं-छठी शती में उत्कीर्ण करवाये गये थे।

पहलवी का उद्गम

अवेस्ती जब जन-भाषा के रूप में प्रयुज्यमान न रही, तब उसका स्थान मध्यकालीन फारसी या पहलवी ने ले लिया। प्राचीन फारसी से मध्यकालीन फारसी या पहलवी का उद्गम हुआ। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहलवी प्राचीन फारसी का विकसित रूप है।

अवेस्ती भाषा के अप्रचलित हो जाने से अवेस्ता कुछ दुर्बोध प्रतीत होने लगा; अतः उस पर पहलवी भाषा में एक टीका लिखी गयी। उसे जेन्देद कहते हैं। जेन्द का अर्थ ही टीका है। जेन्द व अवेस्ता दोनों को मिला कर जेन्दावेस्ता कहा जाता है। पहलवी में टीका कब लिखी गई, इसका ठीक समय तो नहीं बताया जा सकता, पर, इतना कहा जा सकता है कि ई० पू० तीसरी शती तक पहलवी का प्रचलन हो चुका था। ई० पू० तीसरी शती के कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर पहलवी में उल्लेख है। यह पहलवी का प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है।

प्राचीन फारसी और मध्यकालीन फारसी या पहलवी के बीच का अर्थात् प्राचीन फारसी के पहलवी के रूप में परिणत होने के पूर्व का, दोनों के मध्यवर्ती रूप का कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होता। पहलवी में तीसरी शती से साहित्य-रचना का क्रम दृष्टिगोचर होता है। उससे पूर्व का साहित्य नहीं मिलता।

पहलवी के दो रूप : हुज्जारेस, पाजंद

पहलवी के दो रूप प्राप्त हैं। एक वह है, जिसमें अरबी (सेमेटिक परिवार) के शब्दों का आधिक्य है, जिसका हेतु इस्लाम का प्रभाव है। इसकी लिपी भी अरबी है। इसे हुज्जारेस कहा जाता है। दूसरा वह है, जो सेमेटिक परिवार के प्रभाव से मुक्त है। इसे पाजंद या पारसी कहा जाता है। भारत में जो पारसी बसते हैं, उनकी यही मातृ-भाषा है। पारसी अधिकांशतः बम्बई में हैं। गुजराती-भाषियों से उनका अधिक सम्पर्क रहा है; अतः गुजराती पर पाजंद का कुछ प्रभाव लक्षित होता है।

आधुनिक फारसी : परिष्कार या विकार

फारसी का तीसरा रूप आधुनिक फारसी है, जो ईरान में बोली जाती है। महाकवि फिरेदौस (ई० स० १४०-१०२०) का शाहनामा नामक महाकाव्य इसी भाषा में है। इसमें तो अरबी शब्द कम ही प्रयुक्त हुए हैं, पर, इसके पश्चात् आधुनिक फारसी में अरबी शब्दों के आने का ताता बंधा बहा। अभी पिछले कुछ समय से ईरान के साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता

को एक नई लहर व्याप्त हो रही है। फारसी-साहित्य में जो अरबी शब्द प्रयुक्त हैं, उन्हें चुन-चुन कर निकाला जा रहा है और उनके स्थान पर आर्य परिवारीय ईरानी शब्द प्रतिष्ठित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रियता की बात तो ठीक है, पर, ऐसा करने से साहित्य का ऐतिहासिक रूप क्षुण्ण होता है। जो भी कारण हो, सेमेटिक परिवार (अरबी) के शब्द, जो फारसी-बाङ्गमय में प्रयुक्त हो गये हैं, वे एक प्रकार से उसके अंग बन गये हैं। उन शब्दों का विद्यमान रहना जहां एक ओर भाषा के उतार-चढ़ाव के इतिहास को बताता है, वहां जातीय अभिक्रमों पर भी प्रकाश डालता है; अतः किसी के भी पुरातन रूप को ध्वस्त करना क्या उपयोगिता का हनन नहीं है ?

पश्तो या अफगानी

प्रदेश या स्थान-भेद से किसी भी भाषा का बोलियाँ उत्तरोत्तर बनती जाती है, बदलती जाता है। आधुनिक फारसी की भी अनेक बोलियाँ हैं। उनमें किन-किन बोलियों का अवेस्ता से और किन-किन का फारसी से उद्गम है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं, जिन पर यहां चर्चा अपेक्षित नहीं है। इन बोलियों में पश्तो का स्थान महत्वपूर्ण है। यह अफगानी या अफगानिस्तानी भी कहलाती है। इसे कुछ विद्वान सीधे अवेस्ती से उद्भूत मानते हैं, पर, यह मत सर्वमान्य नहीं है। पश्तो अफगानिस्तान की भाषा है। ईरानी की प्रायः किसी भी बोली में साहित्य-सर्जन लगभग नहीं हुआ। यदि हुआ भी, तो नहीं के तुल्य। केवल पश्ती ही इसका अपवाद है। सोलहवीं शती से इसमें साहित्य-रचना होने लगी थी। पश्तो पर भारतीय-ध्वनि, वाक्य-रचना आदि का विशेष प्रभाव पड़ा है। एक प्रकार से यह ईरानी और भारतीय की बीच की भाषा कही जा सकती है।

ईरानी की दरद शाखा

ईरानी भाषा की बोलियों की एक और महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका विस्तार पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के मध्य में है, जो अब पाकिस्तान का भाग है। वे दरद भाषाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वरूप-सघटन की दृष्टि से ये भी पश्तो की तरह ईरानी और भारतीय की मध्यवर्ती कही जा सकती है। पश्तो में और इनमें परस्पर इतना-सा अन्तर है—पश्तो का झुकाव प्रायः ईरानी की ओर है और दरद भाषाएं भारतीय भाषाओं की ओर झुकी हुई हैं।

संस्कृत में 'दरद' पर्वत को कहा जाता है। पर्वतीय भूमि में प्रयुक्त होने के कारण सम्भवतः इन भाषाओं का 'दरद' नाम पड़ा हो। पंजाबी, सिन्धी, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में भी इनके शब्द प्राप्त होते हैं। इससे यह अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं लगता

कि कभी दरद भाषा-भाषी पंजाब, सिन्ध, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में रहे हों; अन्यथा सैकड़ों मील की दूरी पर विद्यमान भाषाओं के शब्द इतर भाषाओं में कैसे आ जाते ? भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध तथा प्रभाव मानवीय कर्म-चेतना के किस प्रकार द्योतक है, इससे अनुमेय है ।

पुरातन समय में भारत में ऐसा माना जाता रहा है कि दरद भाषाएं भारतीय-परिवार की भाषाएं हैं । उन्हें पेशाची प्राकृत के अन्तर्गत समझा जाता था । पर ज्यों-ज्यों इस सन्दर्भ में अनुसन्धिसु भाव से अध्ययन-अनुशीलन होता गया, यह मान्यता परिवर्तित हो गयी । अब भाषा-वैज्ञानिकों का इन्हें ईरानी से निःसृत मानने में प्रायः ऐकमत्य है ।

काश्मीरी भाषा

काश्मीरी भाषा को शब्द संघटन, वाक्य-रचना, ध्वनि-तत्त्व आदि की दृष्टि से अनेक विद्वान् ईरानी की 'दरद' शाखा के अन्तर्गत मानते हैं, पर, भारत के सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक डा० पी० डी० गुणे आदि कतिपय विद्वान् इसे भारतीय शाखा के अन्तर्गत मानते रहे हैं । उनका यह भी कथन रहा है कि काश्मीरी का पेशाची अपभ्रंश से विकास हुआ है ।

काश्मीरी पर संस्कृत-प्रभाव का कारण

काश्मीरी पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है । कारण यह है कि काश्मीर प्राचीन काल से ही संस्कृत विद्या का प्रबल और प्रबुद्ध केन्द्र रहा है । संस्कृत विद्या में निष्णात होने के लिए विद्याभ्यासो जहाँ काशी जाकर पढ़ते थे, वहाँ अपनी विद्या की सम्पन्नता के लिए वे काश्मीर भी जाते थे । वहाँ का पीठ बहुत विश्रुत था । संस्कृत वाङ्मय की विभिन्न विधाओं में रचना करने वाले अनेक विद्वान् वहाँ हुए, जिन्होंने संस्कृत के भाण्डागार को अपने अमूल्य ग्रन्थ-रत्नों से भरा । इस कोटि के विद्वान् एक-दो नहीं, सैकड़ों हुए, जिनमें से काव्यालंकारसूत्र के रचयिता वामन (राजा जयापीड ७७६-८१६ ई० सन् के आश्रित), भामह्यालंकार-विवरण (जो अब प्राप्त नहीं है) तथा अलंकारसार संग्रह के लेखक उद्भट (जयापीड के आश्रित), हरविजय महाकाव्य के प्रणेता खनाकश (राजा जयादित्य और अवन्ति वर्मा ८५० ई० के आश्रित), कप्पणाम्बुवय के लेखक भट्ट शिखस्वामी (अवन्ति वर्मा के आश्रित), ध्वन्यालोकलोचन, प्रत्यभिज्ञावाद, अभिनव भारती आदि अनेकानेक महत्वपूर्ण विश्लेषण-ग्रन्थों के प्रणेता अभिनव गुप्त (१००० ई० के आस पास), भारतमंजरी, रामायण-मंजरी, बृहत्कथा मंजरी, दशावतारचरित, पद्यकाव्यम्बरो तथा औचित्य-विचार-चर्चा आदि के लेखक अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेन्द्र (११ वीं शती का मध्यकाल), कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव (१०६३-१०८१ ई०), सुप्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ राजतरंगिणी के लेखक कल्हण (११५० ई०), सोमराजविलास काव्य के कर्ता जलहण (११५० ई०) तथा

श्रीकण्ठचरित काव्य के कर्ता मंख (राजा जयसिंह ११२९-११५० ई० के आश्रित) आदि कुछ हैं ।

काश्मीर में विभिन्न विषयों पर हजारों संस्कृत ग्रन्थ लिखे गये । सारे प्रदेश में संस्कृत का एक वातावरण रहा है । यद्यपि संस्कृत का प्रसार एवं प्रयोग शिष्ट जन-समुदाय में था, पर, आसपास में रहने वाले जन-साधारण की भाषा पर भी प्रभाव तो होता ही है । संस्कृत-प्रभावित क्षेत्र की भाषा होने के कारण ही सम्भवतः कतिपय भारतीय विद्वानों का भुकाव काश्मीरी को भारतीय भाषा-शाखा में जोड़ने का रहा है । पर, इसकी प्रकृति, रचना-क्रम, ध्वनि-विन्यास आदि का विशेष सम्बन्ध दरद शाखा से अधिक सम्भावित जान पड़ता है ।

काश्मीरी में साहित्य-रचना

१४ वीं शती से काश्मीरी में साहित्य-रचना का क्रम चालू हुआ, ऐसा प्रतीत होता है । उससे पूर्व काश्मीरी केवल बोलचाल में प्रयुक्त होती थी । साहित्य-सर्जन का माध्यम संस्कृत भाषा थी । राजसमाहत होने से राजकीय कार्यों में संस्कृत का उपयोग होता था । १४ वीं शती में काश्मीरी में लिखने वाली एक सुप्रसिद्ध कवयित्री लल्ला थी । Linguistic Survey of India जैसे विशालकाय महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखक सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन^१ ने

१. सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आये । भारतीय भाषाओं पर कार्य करने की उनमें रुचि जगी । वर्षों के अनवरत श्रम और लगन से उन्होंने भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा बोलियों का अत्यन्त गम्भीर ज्ञान अर्जित किया । उनके भाषा-सम्बन्धी व्यापक ज्ञान का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई सौ भाषाओं और बोलियों की उन्हें परिपूर्ण जानकारी थी । उन्होंने अपना कार्य बिहारी भाषाओं के अध्ययन से प्रारम्भ किया । बिहारी भाषाओं के सात ध्याकरण लिखे, जो सन् १८८३ से १८८७ तक प्रकाश में आये । भाषाओं के सर्वेक्षण के क्षेत्र में उनका असाधारण कार्य Linguistic Survey of India नामक महत्वपूर्ण कृति है, जिसे उन्होंने सन् १८९४ में प्रारम्भ किया और तैंतीस वर्ष के धीरे परिश्रम से सन् १९२७ में वे उसे समाप्त कर सके । यह महान् और विशाल ग्रन्थ बीस खण्डों में प्रकाशित हुआ है । इसमें प्रायः सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों का उदाहरण-सहित व्याकरण उपस्थित किया गया है । उन्होंने भारतीय भाषाओं और बोलियों की कुल संख्या क्रमशः १७९ तथा ५४४ गिनाई है, जो आर्य, द्रविड़, आग्नेय, तिब्बती-बर्मी (एकाक्षर) भाषा-परिवारों से सम्बद्ध है । ऐसा माना जाता है कि विश्व के किसी भी देश में अब तक भाषाओं का ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ है ।

कवयित्रो लल्ला की रचना का लन्दन से प्रकाशन किया। काश्मीरी का साहित्य बागे और बिकसित होता गया। फलतः इस समय इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध और समुन्नत है। काश्मीरी भाषा की कई उपभाषाएँ बोलियाँ हैं। कुछ बोलियों का क्षेत्र पंजाब का निकटवर्ती भू-भाग है; अतः उनमें पंजाबी का मिश्रण जैसा हो गया है। परिणामस्वरूप उनका वास्तविक रूप नहीं रह पाया है, कुछ विचित्र-सा रूप बन गया है।

काश्मीर में उर्दू

काश्मीर में इस समय बोलचाल में उर्दू का अधिक प्रयोग होता है। काश्मीरी भाषा उसकी तुलना में उपेक्षित जैसी लगती है। बादशाह अकबर ने जब काश्मीर को मुगल-साम्राज्य में मिला लिया, सम्भवतः तब से वहाँ उर्दू का सूत्रपात हुआ होगा। तब तक काश्मीरी भाषा का ही अधिक प्रचलन था। आगे चलकर उर्दू अधिक प्रसार पाती गयी, काश्मीरी सिमटती गयी। जनता में अब अपनी परम्परा-प्रसूत भाषा के प्रति पुनः आत्मीयता उभर रही है। काश्मीरी ईरानी की दरद शाखा की भाषा होते हुए भी संस्कृत से प्रभावित क्यों है; इसका यही स्पष्ट कारण परिलक्षित होता है।

मानव की सदा से यह कामना रही है कि वह सुख, सुविधा और समृद्धि के साथ जीए। बड़े-बड़े अभियानों, दुःसाहसिक कार्यों और पराक्रमों के पीछे उसकी यही मनो-वृत्ति कार्य करती रही है। विरोस्-वीर या आर्य जाति के लोग कभी यूराल पहाड़ के दक्षिण में अर्थात् रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बसते थे। उसमें बहुत बड़े-बड़े मैदान हैं। तब तक वहाँ कृषि का विकास नहीं हो पाया था। ब्रान्देन्ताइन का मत है कि विरोस् सूखी चट्टानों वाली पहाड़ियों पर रहते थे। वहाँ हरे-भरे वन नहीं थे। केवल कुछ गुल्म और बाँभ आदि वृक्ष थे। जन-संख्या की वृद्धि, जीवन-निर्वाह के सीमित साधन, आर्यों के लिए उनके बहिष् अभियान के प्रेरक सूत्र बने होंगे। वे चल पड़े होंगे, साहस और उमंग के साथ।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रियर्सन ने विद्वत्तापूर्ण विस्तृत भूमिका दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस विशाल कार्य के अतिरिक्त भाषाओं के सम्बन्ध में वे और भी महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। १९०६ में विशाख भाषा पर एक ग्रन्थ तथा १९११ में काश्मीरी पर दो भागों में उनका एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। ये ग्रन्थ बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने काश्मीरी भाषा का एक कोश भी तैयार किया, जो सन् १९२४ में चार भागों में प्रकाशित हुआ। भारत से सहृदयों मील दूर का एक व्यक्ति, वह जो प्रशासनिक अधिकारी भाषाओं पर इतना विशाल कार्य करे, निःसन्देह अत्यन्त आश्चर्यजनक होने के साथ-साथ जिज्ञानों के लिए प्रेरक भी है।

यूराल के दक्षिणी मैदानों में कहीं उन्हें अश्व मिला होगा। उसे उन्होंने प्रशिक्षित किया होगा। वे उसे वाहन और भार-वहन के उपयोग में लेने लगे होंगे। ऋग्वेद में अश्व की बड़ी प्रशंसा की गयी है। उसकी ऋचाओं में अश्व का जो महत्व है, वह गाय का नहीं है। आर्यों को गाय का परिचय और उसकी उपयोगिता का ज्ञान सम्भवतः बाद में हुआ होगा। विद्वानों का अभिमत है कि उस समय मेसोपोटेमिया में बैल, ऊँट और गधे का उपयोग होता था। स्फूर्ति और गति में अश्व के समक्ष वे पशु नहीं टिक सके। यही कारण है कि अश्व के साथ उनका (आर्यों का) अभियान उत्तरोत्तर सफल और विजयशील होता गया। उनके अभियान की सफलता का एक और हेतु उनका संगठन भी था।

आर्यों के सामाजिक संगठन, व्यवस्था तथा जीवन-क्रम के सम्बन्ध में डा० चाबूराम सक्सेना ने लिखा है : “वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशु-पालन और शिकार इनकी जीविका के मुख्य साधन थे। खेतीबारी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशों में आकर इन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी। तभी इन्हें गाय और बैल का महत्व मालूम हुआ। इनके मूल स्थान में फलों के वृक्ष भी न थे। फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा। वीरों में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था। बहु-विवाह की प्रथा न थी। कई कुल मिला कर एक गोत्र बनता था। इनका दिमाग ऊँचे दर्जे का था। संगठन अच्छा था। स्त्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार में यथेष्ट संयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई आदि की इच्छा और आज्ञा से होता था। धर्म के क्षेत्र में इनको अलक्षित देवी सत्ता पर विश्वास था और इसकी विविध देव-शक्तियों के रूप में कल्पना की गयी थी। पृथ्वी लोक के परे द्यौलोक देवी शक्तियों का निवास-स्थान था। द्यौः, पिता, सविता, पृथ्वी, उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मित्रि और सुमेरी जातियों की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे। स्पष्ट ही है कि तरह इस सुसंगठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के हृष्टपुष्ट वीर जहाँ भी गये, वहाँ अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य प्राणियों पर स्थापित कर सके।¹

* शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषता लिये आर्य ईरान होते हुए भारत पहुँचे। ईरान में आगमन और आवास के सम्बन्ध में पीछे उल्लेख किया जा चुका है। वे भारत में सबसे पहले पंचनद तथा सरस्वती व हवद्बती द्वारा परिवृत्त भू-खण्ड में टिके।

क्या आर्य एक साथ आये ?

एक प्रश्न इस प्रसंग में और विचारणीय है। आर्यों के भारत आने के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ मानते हैं, एक ही बार में आर्य भारत में आ गये और वे ही आगे फैले

गये। कुछ की मान्यता है कि दो बार में या कई बार में अनेक टोलियों के रूप में वे भारत में आये और बसते गये। पहले पहल आने वाले आर्य पश्चिम भारत में बस चुके थे तथा मध्यप्रदेश व पूर्वी भाग में कुछ फैलते जा रहे थे; अतः बाद में आने वाली टोलियों को और पूर्व में मगध, विदेह, अंग, गौड आदि प्रदेशों में बसना पड़ा हो।

एक प्रश्न और है, जो आर्य भारत में आये, क्या वे सभी एक ही जाति के थे? अथवा कई जातियों के थे?

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने आर्यों के भारत आने के प्रसंग में लिखा है: “भारत में जो आर्य भाषा-भाषी आये थे, वे शारीरिक गठन की दृष्टि से एक ही जाति के थे, ऐसा नहीं प्रतीत होता। अनुमान किया जाता है, इनमें दो भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक गठन वाले जन-समूह थे। एक Nordic ‘नाडिक’ अर्थात् उत्तर प्रदेश के मानव थे। ये दीर्घकाय, सफेद या गौर वर्ण, हिरण्यकेश, नील चक्षु, सरल नासिक और लम्बे सिर वाले थे। बहुतां के मतानुसार ये ही विशुद्ध इन्दो-यूरोपीय या मौलिक आर्य हैं। और दूसरी जाति के लोग Alpine ‘आल्प पर्वतीय’ या मध्य यूरोपीय जाति के बताये जाते हैं। ये अक्षेष्कृत लघुकाय, पिगलकेश या कृष्णकेश और चिपटे सिर वाले थे। भारत में आई हुई इस आल्पीय श्रेणी की जाति मूलतः आर्यभाषी थी या नहीं, इस विषय में सभी एक मत नहीं हैं। लेकिन, भारत में कहीं-कहीं, जैसे गुजरात और बंगाल में, आर्य भाषी लोग इस चिपटे सिर वाली आल्पीय श्रेणी के अन्तर्गत हैं। पंजाब, राजपूताना और उत्तर-हिन्दुस्तान में Nordic या उत्तरी श्रेणी के बृहत्काय, लम्बे सिर वाले आर्यों का निवास अधिक हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। आर्यभाषी उपजाति-समूह ने भिन्न-भिन्न काल में तथा भिन्न-भिन्न दलों में भारत में प्रवेश किया। इनकी भिन्न-भिन्न उपजातियों या गोत्रों में प्रचलित मौखिक या बोलचाल की भाषा में थोड़ा बहुत पार्थक्य हो गया था। लेकिन, इन सब बोल-चाल की भाषाओं के ऊपर कविता या साहित्य की एक भाषा इनमें बन गयी थी, जिसका निदर्शन हमें ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर पंजाब में आर्यों का पहला निवास हुआ। इसके बाद आर्य जाति और भाषा का प्रसार पूर्व की ओर हुआ। सिन्धु और पंचनद से सरस्वती और हृषद्वती के दोआब से होकर वे गंगा-यमुना के देश की ओर बढ़े। द्राविड और आस्ट्रिक (आग्नेय) भाषाएँ आर्य भाषा के विस्तार के साथ ही साथ परित्यक्त होने लगी।”

कतिपय अन्य विद्वानों का भी आर्यों के भारत आगमन के सम्बन्ध में लगभग इसी प्रकार का विचार है कि वे कई दलों में, कई बार में भारत आये। जार्ज ग्रियर्सन का अभिमत है कि वे कम-से-कम दो बार में अवश्य आये।

आर्य एक भाषा लिये आये

डा० चटर्जी भारत आने वाले आर्यों को Nordic नार्डिक अर्थात् उत्तर देश के मानव और Alpine आल्प-पर्वतीय या मध्य यूरोपीय जाति के—इस रूप में जो दो प्रकार के बतलाते हैं, हो सकता है, ऐसी सम्भावना हो। पर, ऐसा मानने में एक कठिनाई अवश्य आती है। दो भिन्न जातियों के लोग, जिनकी भाषाएँ भिन्न होनी ही चाहिए, जिन्हें वे अपने साथ लिये आये। बहुत मस्मिली-सा पार्श्वक्य, जो सुगमता से स्वीकृत ही भिन्न होना, दो भिन्न-भिन्न प्रदेशों की भिन्न जातियों की भाषाओं में कैसे सम्भव हो सकता है, यह सूक्ष्मता से विचार करने योग्य है। हाँ, एक बात हो सकती है; यूराल पर्वत के दक्षिण में अर्थात् दक्षिण-पश्चिम रूस में, जिसे आर्यों का आदि स्थान मानकर हम चिन्तन कर रहे हैं, ये दो भिन्न जातियाँ रहती रही हों। दोनों की भाषा एक हो गई हो, जिसे भाषा-ज्ञानिकों ने अब कल्पित नाम विरोसू दिया है। पर, इन दोनों जातियों में किस जाति के लोग वहाँ के मूल निवासी थे, किस जाति के लोग बाद में वहाँ आकर उनमें मिल गये, इस सम्बन्ध में इतिहास कुछ नहीं बताता। केवल कल्पना ही को जा सकती है।

प्रस्तुत प्रयोज्य भाषा-सम्बन्धी विश्लेषण है; अतः यह मानकर चलना संगत होगा कि भारत में बाहर से जो लोग आये, उनकी भाषा मूलतः एक थी। विभिन्न टोलिषों व गोत्रों की बोलियों में किंचित पार्श्वक्य हो सकता है, जो नगण्य है।

ऋचाओं के नाद

आर्य पंचनद में आये। प्रकृति सुरम्य थी। भूमि उर्वर थी। स्वच्छ सलिला सरिताएँ बहती थीं। यूराल के दक्षिणवर्ती मैदानों से चलकर यहाँ तक पहुँचने के बीच आर्यों ने विभिन्न भू-भागों में बसने वाली विभिन्न जातियों के सम्पर्क से तब तक कृषि - कर्म जान लिया होगा। वे परिश्रमी और लगनशील थे। कृषि - कार्य में जुट गये होंगे। फसलों से भूमि लहलहा उठी होगी। ऐसे सुन्दर और मनोह्र वातावरण ने आर्यों को मोह लिया होगा, जिसकी प्रति-ध्वनि ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद के ऋषि सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, द्यौः, उषा; इन सब में देवदेव की प्रतिष्ठा। अथ इनकी स्तुति और प्रशस्ति^१ में हर्ष - विभोर हो उठते हैं। भूमि: माता पुत्रोऽहं पृथिव्या: जैसे वाक्य उनके अन्तरतम की सुखद अनुभूति के परिचायक हैं।

१. ओं अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता। वसवो देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पति देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता।

२. ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोवधमः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं ॐ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।

ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषा का सादृश्य

ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया, वह आर्यों की बोलियों का एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप था। भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद और अवेस्ता का काफी सादृश्य है, जो तुलनात्मक रूप में उपस्थित किये गये अग्रांकित शब्दों से स्पष्ट है—

वैदिक संस्कृत	अवेस्ता (ईरानी)	वैदिक संस्कृत	ईरानी अवेस्ता
अनु	अनु	अन्य	अन्य
असि	अहि	असुर	अहुर
असिध	अस्ति	आपः	अप
अतुम्	रतुम्	ओजस्	ओजः
कफम्	कफम्	क्षत्रात्	क्षत्रात्
क्रतुः	खतुश्	गाथा	गाथा
जानुः	जानू	जंघा	जंगा
ददामि	ददामि	दहति	दजहैति
दीर्घम्	दरेगम्	दारयस्	दारयस्
नभस्	नबह	पुत्र	पुत्र
भवति	बवदति	भवति	बवदति
भूमि	बूमि	भ्राता	ब्राता
यज	यज	रिणक्ति	हरिनक्ति
वसिष्ठ	बहिश्त	विश्व	विस्व
सखा	हख	सप्त	हस्त
ससाह	हफ़ता	सिन्धु	हिन्दु

डा० बटकृष्ण जोष द्वारा अवेस्ती और संस्कृत का नैकट्य प्रकट करने की दृष्टि से किया गया अवेस्ता की यस्ना १०८ का संस्कृत रूपान्तर यहाँ और उद्धृत किया जा रहा है :

अवेस्ता : यो यथा पुथरम् तजवनम् हओभम् बन्दऐ ता मश्यो ।

संस्कृत : यो यथा पुत्रं तर्हणसोमं बन्देत मर्यः ।

अवेस्ता : का आर्या तनुबूर्या हओमो बीसइते बएँ शजाइ ।

संस्कृत : प्र आर्यमस्तनूयः सोमो विशते भेषजाय ।

सूक्ष्मता से देखने पर यह स्पष्ट आभास होगा कि दोनों भाषाओं में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से बहुत कुछ समानता है ।

भारोपीय की मूल ध्वनियाँ

भाषा परिवर्तनशील है । परिवर्तन का ही दूसरा नाम विकास है । भारोपीय की मूल ध्वनियाँ बौद्धिक संस्कृत तक आते - आते कितनी परिवर्तित हो गयी थीं, इसे स्पष्ट करने के लिए दोनों का तुलनात्मक विवेचन आवश्यक है । विद्वानों ने मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों को निम्नांकित रूप में अनुमानित किया है :

कवर्ग—(१) क, ख, ग, घ

(२) क्, ख्, ग्, घ्

(३) क्व, ख्व, ग्व, घ्व

भारोपीय में कवर्ग तीन प्रकार से था । प्रथम कवर्ग को कुछ विद्वान् सामान्य कवर्ग मानते हैं । पर, कुछ विद्वान् इसे तालु की गौण सहायता से उच्चरित किया जाने वाला मानते हैं । तदनुसार इसका क्य, ख्य, ग्य और घ्य के रूप में उच्चारण होता था । डा० चटर्जी का मत इस सम्बन्ध में भिन्न है । वे इसे तालव्य नहीं मानते, पुरः कण्ठ्य (Advanced Velar) मानते हैं । दूसरा कवर्ग अरबी के क, ख आदि के समान कहा जा सकता है । यूरोपीय विद्वान् कण्ठ्य (Velar) कहते हैं, परन्तु डा० चटर्जी की मान्यता के अनुसार यह पश्चकण्ठ्य (Back Velar) अथवा अलिजिह्वीय (Uvular) है । तीसरे प्रकार के कवर्ग के उच्चारण में ओष्ठ की भी गौण सहायता ली जाती थी । इसके उच्चारण में कवर्ग की वास्तविक ध्वनि मुख्य थी और व् ध्वनि बहुत ही अल्प और गौण थी । डा० चटर्जी प्रभृति कतिपय भाषा - वैज्ञानिक उक्त तीन प्रकार के कवर्गों के क, ख, ग, घ वर्णों के साथ तीन प्रकार के ङ की भी कल्पना करते हैं, परन्तु, बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि 'न्' ध्वनि ही इन भिन्न-भिन्न कवर्गों के साथ इनके अनुसार रूप धारण कर लेती थी ।

तवर्ग—त्, थ्, द्, ध्

पवर्ग—प्, फ्, ब्, भ्

ऊष्म—स्

ऊष्म स् यदि दो स्वरों के बीच आता तो उसका उच्चारण सञ्चोष^१—ज् होता ।

अन्तःस्थ व्यंजन : य्, र्, ल्, व्, न्, म्,

अन्तःस्थ स्वर : इ, ऋ, ए, उ, नु, मृ

१. बाह्यप्रप्लवस्त्वेकादशधा । विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदासोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । खरोः विवाराः श्वासा अधोवाश्च । ह्रस्वः संवारा नादा घोषश्च । वर्गीणां प्रथमतृतीयपंचमा षण्श्चाल्पप्राणाः । वर्गीणां द्वितीय-चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः ।

—अष्टाध्यायी, सूत्र १।१।९ की वृत्ति

स्वर (मूल ह्रस्व) : अ, ऐ, औ

स्वर (मूल दीर्घ) : आ, ए, औ

स्वर (मिश्र ह्रस्व) : अइ, अऋ, अल, अउ, अनु, अमु

ऐइ, ऐऋ, ऐल, ऐउ, ऐनु, ऐमु

ओइ, ओऋ, ओल, ओउ, ओनु, ओमु

स्वर (मिश्र दीर्घ) : आइ, आऋ, आल, आउ, आनु, आमु

एइ, एऋ, एल, एउ, एनु, एमु

ओइ, ओऋ, ओल, ओउ, ओनु, ओमु

अनुनासिक ध्वनियां व्यंजनो के रूप में म् और न् ; ये दो थीं । विद्वानों का अनुमान है कि तीन प्रकार के कवर्गों में प्रथम श्रेणी के कवर्ग - वर्णों के पूर्व न् का उच्चारण ज् और बाकी के दो श्रेणियों के कवर्ग—वर्णों के पूर्व न् का उच्चारण सम्भवतः ड् रहा होगा । शब्दों में विशेष स्थान पर आने की स्थिति में न् और म् का स्वर रूप न् और म् हो जाता था ।

अन्तःस्थ व्यंजन और अन्तःस्थ स्वर के रूप में अन्तःस्थ के जो दो प्रकार कहे गये हैं, उसका आशय यह है कि य्, र्, ल्, व् किसी शब्द में अपनी स्थिति के अनुकूल इ, उ, ऋ, लृ के रूप में परिणत हो जाते थे, तब उनकी संज्ञा अन्तःस्थ स्वर हो जाती थी । वास्तव में आदिम भाषा में इ, उ, ऋ, लृ मूल रूप में स्वर नहीं थे, किन्तु, वे स्वर-स्थानिक अन्तःस्थ वर्ण थे ।

ह् ध्वनि के सम्बन्ध में भाषा - वैज्ञानिकों के कई मत हैं । कुछ का अभिमत है कि भारोपीय में यह ध्वनि नहीं थी । कुछ विद्वान् हिट्टाइट या हित्ती के आधार पर ऐसा कहते हैं कि इसका एक रूप था । वैसे ह् वर्ण सघोष है, पर, कुछ विद्वान् इसके सघोष और अघोष; दोनों रूपों की कल्पना करते हैं ।

वैदिक संस्कृत की ध्वनियां : विशेषतः

वैदिक संस्कृत की सम्पूर्ण ध्वनियां निम्नांकित हैं :

मूल स्वर : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, औ

संयुक्त स्वर : ऐ, (अह), औ (अउ)

कण्ठ्य : क्, ख्, ग्, घ्, ङ्

तालव्य : च्, छ्, ज्, झ्, ञ्

मूढान्य : ट्, ठ्, ड्, ढ्, ढ़, ढ़ह, ण्

दन्त्य : त्, थ्, द्, ध्, न्

ओष्ठ्य : प, फ, ब, भ, म्

दन्तौष्ठ्य : व्

अन्तःस्थ : य, र, ल, व्

शुद्ध अनुनासिक अनुस्वार : (२)

संवर्धी : श्, ष्, स्, ह्, ह्,

— जिह्वामूलीय^१ — उपध्मानीय^२

भारोपीय की ध्वनियों के साथ वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की तुलना करने पर प्रकट होता है कि आदि स्थान से यहाँ तक पहुँचने पर ध्वनियों में बहुत परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन की कुछ विशेष दिशाएँ इस प्रकार हैं :

★ भारोपीय में जहाँ कवर्ग की तीन श्रेणियाँ थीं, वैदिक संस्कृत में केवल एक रह गयी।

★ व्यंजनों में चवर्ग और टवर्ग, जो भारोपीय में नहीं थे, वैदिक संस्कृत में नये रूप में आ गये।

★ भारोपीय में ऊष्म या संवर्धी ध्वनि केवल स् थी, जो वैदिक संस्कृत में श्, ष्, स्, ह् आदि के रूप में विस्तार पा गयी।

वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की जो तालिका दी गयी है, उसमें ए और ओ को मूल स्वरों में दिखलाते हुए केवल ऐ और औ को संयुक्त स्वरों के रूप में उपस्थित किया गया है। यहाँ कुछ ज्ञातव्य है। संस्कृत-व्याकरण में ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर माना जाता रहा है; अतः ये दीर्घ स्वरों^३ में गिने जाते रहे हैं। इसका उच्चारण—ए = अइ, ओ = अउ, ऐ = आइ, औ = आउ माना जाता रहा है। परन्तु अब भाषा-शास्त्र के बहुश्रुत विद्वान् यह स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भारोपीय में है, उनका कहना है कि ए और ओ मूल स्वर हैं। इनका ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों में प्रयोग होता था। संयुक्त स्वर केवल ऐ और औ हैं, जिनका उच्चारण क्रमशः अइ और अउ था।

मूर्द्धन्य व्यंजन : एक अनुपम विशेषता

वैदिक संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वहाँ व्यंजनों में मूर्द्धन्य ध्वनियों के वर्ग का अस्तित्व है। भारोपीय परिवार की अन्य किसी भी भाषा में यह वर्ग^१ (ट वर्ग—ट्, ठ्, ड्, ढ्) नहीं पाया जाता।

१. — क — ख इति कक्षाभ्यां प्रागर्ध्विसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः।

२. — प — फ इति पक्षाभ्यां प्रागर्ध्विसर्गसदृश उपध्मानीयः।

—अष्टाध्यायी, १.१.१९, वृत्ति

३. एवामपि द्वादश तेषां ह्रस्वानावात्, —अष्टाध्यायी, १.१.२८ वृत्ति

वैदिक संस्कृत में यह मूढ^१न्य व्यंजन^२ों का वर्ग किस प्रकार आया, इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत^३ है कि द्रविड़-परिवार की भाषाओं में ये ध्वनियाँ विद्यमान थीं। आर्यों के भारत में बसने से पूर्व द्रविड़-जाति के लोग यहाँ आबाद थे, इतिहास के विद्वान् ऐसा मानते हैं। नबागन्तुक आर्यों का प्राचीनवासी द्रविड़ों से सामीप्य बढ़ता गया। फलतः दोनों की भाषाओं में भी परस्पर आदान-प्रदान हुआ। दोनों ओर से कुछ शब्द एक दूसरी भाषा में गये, ध्वनियों पर भी प्रभाव पड़ा। उदाहरणार्थ, संस्कृत में प्रयुक्त मीन और नीर आदि शब्द द्रविड़-परिवार से आये हुए हैं; ऐसा माना जाता है। द्रविड़-भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द आत्मसात् किये। उसी आदान-प्रदान के क्रम के बीच, सम्भव है, मूढ^१न्य व्यंजन ध्वनियाँ द्रविड़-परिवार से वैदिक संस्कृत में आ गयी हों।

मूढ^१न्य व्यंजनों में जो ळ और ळ्ह दो आये हैं, उनका तात्पर्य यह है कि ळ अल्पप्राण^२ है और ळ्ह ळका महाप्राण^३ रूप है।

अन्तःस्थ व् और दन्तौष्ठ्य व्; ये दो भिन्न ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी में जो V ध्वनि है, दन्तौष्ठ्य व् उसके समकक्ष है। यह फ् का घोष रूप है। वैदिक संस्कृत में दन्तौष्ठ्य व् का भी प्रयोग होता था।

ह और ह्—जो दो रूप आये हैं, उनमें पहला तो सामान्य ह है ही, दूसरा ह् विसर्ग (:) स्थानीय है। सामान्य ह घोष है। यह (ह्..) उसका अवोष रूप है।

जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का भी वैदिक संस्कृत में प्रयोग रहा है। जिह्वामूलीय का उच्चारण ख् की तरह था और उपध्मानीय का फ् की तरह।

वैदिक संस्कृत की ध्वनियों का यह संक्षिप्त वर्णन है। भारतीय आर्य-भाषा-परिवार की भाषाओं के ध्वनि-समुदाय का ये ही मूल आधार है।



१. ऋदुरवाणां मूढी ।—अष्टाध्यायी, १।१।९ वृत्ति

२. वर्गाणां प्रथमतृतीयचमा षणश्चाल्पप्राणाः ।

३. वर्गाणां द्वितीयचतुर्थीं शलश्च महाप्राणाः ।

—अष्टाध्यायी, १।१।९ वृत्ति

: २ :

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ

(*The Ancient Indian Arya-Languages*)

भारतीय आर्य भाषाओं का काल-क्रम

आर्यों के भारत-आगमन के पश्चात् यहाँ आर्य-भाषाओं का जो विकास हुआ, उसे काल की अपेक्षा से भाषा-वैज्ञानिक तीन भागों में विभक्त करते हैं :

१. प्राचीन भारतीय आर्य-भाषा-काल (ई० पू० १५०० से ई० पू० ५०० तक)
२. मध्यकालीय भारतीय आर्य-भाषा-काल (५०० ई० से १००० ई० तक)
३. आधुनिक भारतीय आर्य-भाषा-काल (१००० ई० से बीसवीं शताब्दी तक)

यह काल-क्रम सौ-दो सौ वर्षों के पूर्वोपर परिवर्तन के साथ प्रायः अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत है ।

भाषा-वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय आर्य-भाषा-काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की गणना करते हैं । वैदिक संस्कृत के लिए 'छन्दस्' शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है । पाणिनि ने आज की लौकिक संस्कृत के लिए 'भाषा' शब्द का व्यवहार किया है । साधारण-तया अब संस्कृत शब्द वैदिक तथा लौकिक; दोनों के लिए प्रयोग में आता है । कतिपय भाषाविज्ञान-वेत्ताओं का अभिमत है कि ई० पू० २००० वर्ष इस भाषा का समय है । प्रो० मेक्स मूलर का मत इससे भिन्न है । वे इस काल को अधिक आगे ले आते हैं । सब वेदों में इस भाषा का प्रयोग हुआ है । यद्यपि उसका सर्वथा एक रूप तो नहीं है, पर, मौलिक भेद भी नहीं है । साब्दिक कलेवर तथा प्रयोग आदि में यत्र-तत्र कुछ भिन्नता है ।

काल-प्रवाह के साथ वैदिक भाषा शनैः - शनैः परिमार्जित होती गयी । इस परिमार्जन या परिवर्तन-काल के अन्तर्धर्ती भाषा के समस्त रूप-रूपान्तर तो नहीं मिलते, पर, उससे परधर्ती काल में छन्दस् का क्रमशः ग्राहणों, आरण्यकों, उपनिषदों और यास्क के निरुक्त की भाषा के रूप में जो परिवर्तन या विकास हुआ, वह प्राप्त है । इनकी भाषा एक प्रकार से वैदिक भाषा की परम्परा में आती है, पर, वास्तव में वह वैदिक और लौकिक संस्कृत का मध्यधर्ती रूप है ।

वैदिक भाषा का संस्कार या सम्मार्जन कर उसे व्याकरण द्वारा नियन्त्रित और व्यवस्थित रूप देने वाले महान् व्याकरण पाणिनि हैं । सदनन्तर भारतवर्ष में इस परम्परा के अन्तर्गत विश्व ऋषि में साहित्य रचा गया है, वह लौकिक संस्कृत की श्रेणी में आता है ।

वैदिक वाङ्मय

भारत की आर्य-परिवारीय भाषाओं के उपलब्ध साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने गये हैं। 'वेद' शब्द विद् धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। वेदों के सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने तैत्तिरीय संहिता में वेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है : इष्टप्राप्य-निष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः अर्थात् जो इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति का अलौकिक उपाय ज्ञापित करता है, वह ग्रन्थ वेद है। वे संख्या में चार हैं। उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है—कर्म-काण्ड और ज्ञान-काण्ड। कर्म-काण्ड में संहिता-भाग, ब्राह्मण-ग्रन्थों और आरण्यक-ग्रन्थों का समावेश है तथा ज्ञान-काण्ड में उपनिषदों का। इनका विशेष विश्लेषण आगे किया जाएगा।

ऋग्वेद

वैदिक वाङ्मय में प्राचीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का पहला स्थान है। इसकी भाषा, रचना, शैली आदि से यह प्रकट है। इसमें जो भाषा व्यवहृत हुई है, वह भारोपीय भाषा-परिवार के उपलब्ध साहित्य में सबसे अधिक पुरातन भाषा का उदाहरण है। इसकी रचना पद्यों से हुई है, जिन्हें मन्त्र, ऋक् या ऋचा कहा जाता है। वहाँ गायत्री, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। इनमें अधिकांश चार चरणों के छन्द हैं, कुछ तीन चरणों के भी। अनेक मन्त्र पाठ्यनापरक हैं। उनके अतिरिक्त यज्ञ और दार्शनिक भाष से सम्बद्ध मन्त्र भी हैं।

ऋग्वेद दश भागों में विभक्त है। वे 'मण्डल' कहे जाते हैं। विभाजन का एक और क्रम भी है, जो आठ भागों में सन्निहित है। इसके प्रत्येक भाग की 'अष्टक' संज्ञा है। अधिक प्रचलन इसी का है। बताया जाता है कि प्रारम्भ में ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ थीं—१-शाकल्य, २-वाष्कल्य, ३-आश्वलायन, ४-शांख्यायन तथा ५-माण्डूकेय। इस समय केवल शाकल्य शाखा ही प्राप्त है।

पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत है कि समय ऋग्वेद की रचना किसी एक ही स्थान पर नहीं हुई। उनके अनुसार ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल तक का भाग पञ्चनद प्रदेश में रचा गया। अवशिष्ट भाग अर्थात् प्रथम, अष्टम, नवम तथा दशम मण्डल उनके पूर्व की ओर आगे बढ़ जाने के बाद बने। इसका यह कारण बताया जाता है कि प्रथम बार में बने भाग में गंगा नदी, शेर और चावल का उल्लेख नहीं है; क्योंकि पञ्चनद में इनका अस्तित्व नहीं था। तत्पश्चात् बने भाग में इनका उल्लेख है; क्योंकि पूर्व में ये सब थे।

यजुर्वेद

यजुर्वेद में कुछ ऋग्वेद के मन्त्र हैं और कुछ दूसरे। आर्यों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न

यज्ञ, उनका महत्त्व, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध प्रभृति भिन्न-भिन्न यज्ञों में वेद-मन्त्रों का यथास्थान पाठ आदि विषयों का इस वेद में बिस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन है। यह गद्य-पद्यात्मक है। विशेषतः इसका व्याख्या-भाग गद्यात्मक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से दो शाखाएँ हैं। यद्यपि महाभाष्यकार पतंजलि ने इसकी एक-सौ-एक शाखाओं की चर्चा की है, पर, वे प्रायशः अप्राप्त हैं।

शुक्ल यजुर्वेद—वैदिक परम्परा में ऐसी मान्यता है कि सूर्य ने इसे प्रकट किया था। सूर्य ज्योतिर्मय, उज्ज्वल या शुक्ल है; अतः शुक्ल यजुर्वेद नामकरण हो गया। एक कारण और भी बताया जाता है—इसमें मन्त्र क्रम-बद्ध तथा स्पष्ट रूप में आकलित हैं। व्यवस्थापन की स्पष्टता या स्वच्छता होने से यह शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। इसमें वे मन्त्र समाविष्ट हैं, जिनका वैदिक यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ—काण्व और माध्यन्दिन प्राप्त हैं।

कृष्ण यजुर्वेद—शुक्ल यजुर्वेद में मन्त्रों की अवस्थिति में क्रम-बद्धता व स्पष्टता है; वहाँ कृष्ण यजुर्वेद इसके प्रतिरूप है। वहाँ मन्त्र यथावत् क्रम के साथ नहीं दिये गये हैं। स्यात् इसी अस्पष्टता या अस्वच्छता के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ गया हो। शुक्ल यजुर्वेद से एक अन्य अन्तर भी है। शुक्ल यजुर्वेद की तरह भिन्न-भिन्न यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारणीय मन्त्र जो इसमें हैं ही, साथ-ही-साथ यज्ञों के सम्बन्ध में विचार-चर्चा भी है। यह इसका वैशिष्ट्य है।

कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ हैं—काठक-संहिता, कापिल्लकठ संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता। वेद-भाष्यकार महीधर ने यजुर्वेद-भाष्य की भूमिका में इस प्रसंग में बड़ी रोचक व अद्भुत कथा लिखी है। उसके अनुसार महर्षि व्यास के शिष्य वेशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों को चारों वेद पढ़ाये। एक दिन कोई ऐसी घटना घटी। वेशम्पायन याज्ञवल्क्य पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले—“तूने जो कुछ मुझसे पढ़ा है, उसे छोड़ दे।” याज्ञवल्क्य भी यह सुनकर क्रोधाविष्ट हो गये। उन्होंने जो कुछ पढ़ा था, उसे उगल दिया। गुरु (वेशम्पायन) की आज्ञा से अन्य शिष्यों ने तित्तिर बन कर उसे खा लिया। यही उद्घाटन (घमन किया हुआ) -ज्ञान तैत्तिरीय संहिता है।

कतिपय भारतीय विद्वानों का विश्वास है कि रावण वेदों का बड़ा विद्वान् था। उसने वेद-भाष्य रचा। उसके साथ मिला हुआ यजुर्वेद का भाग कृष्ण या काला यजुर्वेद कहलाया।

सामवेद

सामवेद संगीत-प्रधान है। इसमें अधिकांशतः ऋग्वेद के मन्त्र संगृहित हैं। इसमें स्वतन्त्र मन्त्र बहुत कम हैं, केवल पंचहत्तर हैं। इसका संकलन यज्ञों में किये जाने वाले

साम-गान^१ की दृष्टि से हुआ है; अतः मन्त्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। कुल १,८१० मन्त्र हैं। यदि पुनरावृत्त मन्त्रों को निकाल दिया जाए, तो आधे से थोड़े से अधिक ६८५ मन्त्र बच जाते हैं, पूर्वार्द्ध में ५८५ और उत्तरार्द्ध में ४००।

सामवेद दो भागों में विभक्त है। उसका पूर्वार्द्ध आर्चिक तथा उत्तरार्द्ध उत्तरार्चिक कहा जाता है। आर्चिक शब्द ऋक् या ऋचा से बना है, जिसका अर्थ ऋचाओं का समूह है। उत्तरार्चिक की अपनी एक विशेषता है। उसमें मन्त्रों को बड़े सुन्दर क्रम से रखा गया है। जिन मन्त्रों का किसी एक यज्ञ में उपयोग होता है, उन्हें एक स्थान पर रखा गया है। इससे यज्ञ विशेष में प्रयोज्य मन्त्रों को पृथक्-पृथक् ढूँढ़ना नहीं पड़ता। पृथक्-पृथक् यज्ञों के लिए अपेक्षित मन्त्र पृथक्-पृथक् स्थानों पर एकत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन मन्त्रों का जिस देवता से सम्बन्ध है, वे एकत्र संगृहीत हैं। जो मन्त्र किसी एक ही छन्द में रचित हैं, उनको एकत्र रखा गया है। इससे मन्त्रों के प्रयोग में विशेष सुविधा होती है।

गान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण बाह्य-मय इस संहिता के अन्तर्गत समाविष्ट है, जिसमें मन्त्रों के गान का प्रकार, गान के समय ह्रस्व मात्राओं का दीर्घ अथवा लुप्त के रूप में परिवर्तन, लयात्मकता की दृष्टि से शब्दों की पुनरावृत्ति, स्वर, विश्राम, मूर्च्छना आदि संगीतोपयोगी क्रमों के सम्बन्धों में नियम दिये गये हैं। भारतीय संगीत का जो बहुमुखी विकास हुआ, सामवेद उसका मुख्य आधार रहा, विद्वानों की ऐसी मान्यता है।

परम्परया ऐसा विश्वास किया जाता है कि कभी सामवेद की हजार शाखाएँ विद्यमान थीं। आज उसकी केवल दो शाखाएँ सम्पूर्ण रूप में तथा एक आंशिक रूप में प्राप्त है। प्रथम 'शाणायनीय' है, जो पूरी प्राप्त है। द्वितीय शाखा का नाम 'कौथूम' है, जिसका केवल सातवाँ अध्याय प्राप्त है। अवशिष्ट अंश नष्ट हो गया है। तृतीय शाखा 'जेमिनीय' के नाम से विभ्रुत है, जो सम्पूर्णतया प्राप्त है।

अथर्व वेद

अथर्व वेद में प्रायः ऐसे मन्त्रों का संग्रह है, जिनका सम्बन्ध शत्रु-नाशन, मारण, उन्मादन आदि से है। इसमें विपत्ति, पाप, अशुभ एवं दुर्भाग्य से अपने बचन के लिए रचित अनेक प्रार्थनाएँ भी हैं। अपने लिए मंगल तथा दूसरों—अपने शत्रुओं के लिए अमंगलजनक

१. यं ब्रह्मा ब्रह्मणेन्द्रसमस्तः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवै-

र्च्यैः सांगपबक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः।

ध्यानावस्थितस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो,

यस्यान्तं न बिभुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥

सामग्री इसमें आकलित है। इसी कारण बिण्टरनिट्ज ने इसे टोना-टोटका और मन्त्र-मन्त्र करने वाले पुरोहितों की रचना कहा है। अन्य वेदों की तरह उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त इसमें धार्मिक संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले कुछ सूक्त तथा देवताओं के अभिनन्दन व प्रशस्ति में रचित प्रार्थनाएं भी हैं।

अथर्व वेद को अथर्वान्तरा, भृग्वज्जिरा तथा ऋग्वेद भी कहा जाता है। सम्भवतः अंगिरा शब्द का प्रयोग हानि और विनाश करने वाले कार्यों के लिए है। अथर्व शब्द का अर्थ पुरोहित है, विशेषतः वह पुरोहित, जो मन्त्र आदि के प्रयोग में सिद्ध हो। इस वेद को 'शौनक' और 'पेष्पलाद' नामक दो शाखाएं हैं, जिनमें विशेषतः प्रथम का ही अधिक प्रचलन है।

अमंगल, अशुभ और विनाशपरक विषयों से सम्पृक्त होने के कारण कुछ लोग अथर्व वेद को आसुरी विद्या में गिनते हैं। यही कारण है कि इसे वेदत्रयी में नहीं गिना जाता रहा है। वस्तुतः विशुद्ध वेदों के रूप में ऋक्, यजुष् और साम की ही गणना थी। बहुत समय तक यही परम्परा रही। आचार्य पुष्पदन्त रचित सुप्रसिद्ध महिम्नः स्तोत्र के निम्नांकित श्लोक से यह प्रकट है :

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमंतं वैष्णवमिति,
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथ्यजुषां,
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इति ॥

पाञ्चात्य विद्वानों के अनुसार यह वेद सबके अन्त में बना, सम्भवतः आर्यों के बंगाल में पहुँचने के पश्चात्। वहाँ जादू-मन्त्र, टोने-टोटके आदि पहले से ही प्रचलित रहे हैं। बहुत समय बाद इसे वेदों में परिगणित किया गया।

ब्राह्मण-ग्रन्थ

याज्ञिक कर्म-काण्ड का एक विस्तृत विधि-क्रम या पूरा शास्त्र है। वैदिक विद्वानों ने ब्राह्मण-ग्रन्थों में इसका विशद विवेचन किया है। यजमान^१, पुरोहित, होता^२, उद्गाता^३,

१. यज्ञ करने वाला गृहस्थ ।

२. उच्च तथा स्पष्ट स्वरों से मन्त्रों का उच्चारण कर देवताओं को आह्वान करने वाला ।

३. संगीत के नियमों के अनुसार सामवेद के मन्त्रों का गान कर देव-स्तुति करने वाला ।

अव्यय^१, ब्रह्मा^२ आदि यज्ञ-सम्पादन में भाग लेने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के कार्य, विधि, यज्ञ-वेदी का निर्माण यज्ञ-सम्पादकों की अवस्थिति, भिन्न-भिन्न यज्ञों में भिन्न-भिन्न मन्त्रों का विनियोग, यज्ञों और मन्त्रों का सम्बन्ध, मन्त्रों की व्याख्या प्रभृति नियमों का इन ग्रन्थों में बड़ा सूक्ष्म और विस्तृत उल्लेख है। इनमें प्रसंग-क्रम से अनेक आख्यानों का भी समावेश है। आगे चलकर अधिकांशतः ये ही आख्यान पुराणों के रूप में विकसित हुए हों; ऐसी सम्भावना की जाती है।

वेदों के जिन-जिन विषयों से जो-जो ब्राह्मण-ग्रन्थ सम्बद्ध हैं, वे उन-उन वेदों की उन-उन शाखाओं के ब्राह्मण कहे जाते हैं। वेद-मन्त्रों के अर्थ निर्धारण में निःसन्देह इन ग्रन्थों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। उनकी सहायता से ही वेद-मन्त्रों का हार्द यथावत् रूप में समझा जा सकता है।

आरण्यक

आरण्यक भी वेदों के कर्म-काण्डात्मक भाग के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जहाँ याज्ञिक विधि-विधानों का विस्तृत, गम्भीर और परम्परानुस्यूत विश्लेषण है, आरण्यकों में अर्थवाद के आधार पर तलस्पर्शी व्याख्या-विवेचना है। वैदिक यज्ञ-विधान के अन्तर्गत करणीय कार्यों के उद्देश्य, लाभ आदि के बहुमुखी विश्लेषण के साथ-साथ आरण्यकों में वेदों के उन स्थलों का उल्लेख है, जिनसे याज्ञिक विधि-भाग में किये गये निर्देशों का तात्पर्य स्पष्ट होता है।

कहा जाता है, ब्रह्मचर्य में निमग्न ऋषियों द्वारा वैदिक यज्ञ-याग से सम्बद्ध गम्भीर विषयों पर 'अरण्यों'—घनों में चिन्तन किये जाने के कारण ये अर्थवाद-प्रधान ग्रन्थ आरण्यक शब्द से अभिहित हुए। अथवा अरण्य एव पाठ्यात् आरण्यकमितीर्यते के अनुसार अरण्यों में पढ़ाये जाने के कारण इनकी आरण्यक संज्ञा हुई। सम्भवतः इसी कारण इनका उपयोग विशेषतः वानप्रस्थियों के लिए माना गया है। वानप्रस्थ में अरण्य-वास का विधान है, जहाँ व्यक्ति लौकिक जीवन से शाश्वत आनन्द की ओर अग्रसर होने को प्रयत्नशील होता है। पर, वह एकाएक गृही जीवन के संस्कारों से छूट सके, यह कम सम्भव होता है। आरण्यक

१. अनुच्च स्वर से मन्त्र उच्चारण करते हुए पुरोडास प्रभृति याज्ञिक द्रव्यों की तैयार करने वाला और देवताओं को उद्दिष्ट कर आहुति देने वाला।
२. चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता, यज्ञों के विधि-क्रम व नियमोपनियम की सूक्ष्मता से जानने वाला; अतः यज्ञ संलग्न सभी पुरोहितों के कार्यों का निरीक्षण तथा अवेक्षित होने पर परिष्कार करने वाला।

वानप्रस्थी साधकों को ऐसा मार्ग उपदिष्ट करते हैं, जिससे क्रमशः ब्राह्मी स्थिति की ओर गति कर सकें। ब्राह्मण-ग्रन्थों की तरह आरण्यकों की रचना भी सरल, संक्षिप्त और क्रिया-बहुल है। भिन्न-भिन्न वेदों से सम्बद्ध भिन्न-भिन्न आरण्यक हैं।

उपनिषद्

उपनिषद् वैदिक वाङ्मय के ज्ञान-काण्ड के अन्तर्गत हैं। यद्यपि वहाँ वैदिक यज्ञ-यागादि कर्म-काण्डों का निषेध नहीं है, पर स्वर्गकाधोयजेत के अनुसार इनका फल मात्र स्वर्ग-प्राप्ति है। स्वर्ग-फल शाश्वत नहीं है। पुण्य-क्षय के अनन्तर स्वर्ग से पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है।^१ आशय यह है कि यज्ञ-यागादि कर्म-काण्ड-परक कार्यों से आवागमन नहीं मिलता, शाश्वत सुख नहीं मिलता। जो स्वर्गिक सुख मिलता है, वह भी भोग-प्रधान है। भोग का अवसान सुख में नहीं है, दुःख में है। आवागमन—जन्म-मरण, भौतिक अनुकूलता, प्रतिकूलता, वैभव, विलास और समृद्धि; इन सबसे परे एक स्थिति है, जिसे उपनिषद् की भाषा में ब्रह्मानन्द कहा जाता है। वह केवल ज्ञान द्वारा साध्य है। ज्ञान के बिना बन्धन से कभी छुटकारा^२ नहीं हो सकता। उपनिषद्-साहित्य का यही विषय है, जिस पर विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्म चिन्तन और पर्यालोचन किया गया है।

उपनिषद् के ज्ञान का कितना अधिक महत्व समझा जाता रहा है, इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद् का एक प्रसंग है : अनेक विद्याओं में निष्णात देवर्षि नारद सनत्कुमार के पास आते हैं और उनसे अभ्यर्थना करते हैं—“मुझे अध्ययन करवाइए, शिक्षा दीजिए।” इस प्रकार कहकर वे शिष्य-भाव से उनके सान्निध्य में उपसन्न होते हैं।^३

सनत्कुमार ने कहा—“आप जो कुछ जानते हैं, मुझे बतलाएँ। तदनन्तर मैं आपको आगे कहूँगा, उपदेश करूँगा।”

नारद बोले—“भगवन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद पढ़ा है। इतिहास और पुराण जो पंचम वेद कहे जाते हैं, मैंने पढ़े हैं। व्याकरण, पितृकल्प—ब्राह्म-कल्प, गणित-शास्त्र, उत्पात-ज्ञान, महाकाष्ठादि निधिशास्त्र, तर्क-शास्त्र, नीति-शास्त्र, देव विद्या-निवृत्त, ब्रह्मविद्या—ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का शिक्षा शास्त्र, वैदिक संहिताओं के शुद्ध उच्चारण और स्वर-प्रयोग के लिए निर्धारित नियमों के उद्बोधक ग्रन्थ—प्रातिशाख्य, कल्प-कर्मकाण्डविधि, छन्द-शास्त्र, भौतिक विज्ञान, धनुर्वेद, सर्पविद्या, देवजनविद्या—तृत्य, गान, वाद्य और शिल्प आदि विज्ञान भी मैंने पढ़े हैं।”

१. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

२. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।

“भगवन् ! वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल मन्त्र-वेत्ता-शब्दार्थमात्र का जानने वाला हूँ, आत्म-वेत्ता नहीं हूँ । मैंने आप जैसे से सुना है, आत्मवित् शोक को पार कर लेता है । भगवान् ! मैं शोकान्वित हूँ । आप मुझे शोक के पार कर दीजिए ।”

सनत्कुमार ने कहा—“आप जो कुछ जानते हैं, वह मात्र नाम ही है ।”^१

परिचय-सम्भाषण के बाद आत्म-वेत्ता सनत्कुमार नारद को आत्म-ज्ञान (ब्रह्म-ज्ञान) का उपदेश करते हैं ।

बृहदारण्यकोपनिषद् का प्रसंग है । याज्ञवल्क्य प्रव्रजित होना चाहते हैं । उनके दो पत्नियाँ थीं—मैत्रेयी और कात्यायनी । याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा—“मैं गृहस्थ आश्रम से सन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूँ ।”

मैत्रेयी ने कहा—“भगवन् ! यदि यह धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ ?”

याज्ञवल्क्य ने कहा—“ऐसा नहीं हो सकता । उससे तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा, जैसा दूसरे साधन-सम्पन्न व्यक्तियों का होता है । धन से अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती ।”

मैत्रेयी बोली—“जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, उसका मैं क्या करूँ ? अमृतत्व का जो साधन आप जानते हैं, वह मुझे बतलाएँ ।”^२

१. ओं अवीहि भगव इति होपससाद् सनत्कुमारं नारदस्त ॐ हीवाच यद्वैत्य तेन नोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ।

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद ॐ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पित्र्य ॐ राशि दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां नक्षत्रविद्यां ॐ संपदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽध्येमि ।

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छूत ॐ ह्येव मे भगवद्दृशैर्म्यस्तरति शोकमात्म-विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति त ॐ होवाच यद्वै किञ्चेतदध्यगीष्टा नामैवैतत् ।

—छान्दोग्योपनिषद्, सप्तम अध्याय, प्रथम खण्ड, १-३

२. मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेजया कात्यान्यतं करवाणीति ।

सा होवाच मैत्रेयी । यन्तु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी जित्तेन कूर्वा स्यात्कथं तेनाऽ मृता

मैत्रेयी की तीव्र उत्कण्ठापूर्ण जिज्ञासा पर याज्ञवल्क्य उसे आत्म-ज्ञान का उपदेश देते हैं, जो प्रस्तुत उपनिषद् का महत्वपूर्ण भाग है ।

मुण्डकोपनिषद् का प्रसंग है । “शौनक नामक महागृहस्थ—समुद्र तथा भरे-पूरे परिवार वाला गृहस्थ अंगिरा के पास आया और उसने उनसे पूछा—किसके ज्ञान लिये जाने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है ?”

अंगिरा ने कहा—ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, दो विद्याएँ जानने योग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष अपरा विद्या हैं । परा विद्या वह है, जिससे अक्षर—ब्रह्म का स्वरूप अधिगत होता है ।”

उपनिषद् परा विद्या के उद्बोधक हैं । उनमें ब्रह्म, जीव, प्रकृति उनके स्वरूप से सम्बद्ध अनेक विषयों का विषद विवेचन किया गया है । वैदिक परम्परा में तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से उपनिषदों का सर्वाधिक महत्व है । इस परम्परा के अन्तर्गत सभी सम्प्रदायों में उनका समान रूप से आदर किया जाता है । इतना अवश्य है, भिन्न-भिन्न मतानुयायी उनकी व्याख्या में अपने-अपने विचारों की पुट लगा देते हैं ।

उपनिषदों के तत्त्व-ज्ञान से कतिपय पाश्चात्य विद्वान् भी प्रभावित हुए । प्रो० मैक्स मूलर ने इस सम्बन्ध में लिखा है : “उपनिषद् वेदान्त दर्शन के आदि स्रोत हैं । ये ऐसी

स्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृत-
त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ।

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव मे
ब्रूहीति ।

—बृहदारण्यकोपनिषद्, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण, १-३

१. शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा जैवापरा च ।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कालो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो
ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।

—मुण्डकोपनिषद्, प्रथम खण्ड, ३-५

रचनाएं हैं, जिनमें मुझे मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई प्रतीत होती है।”¹

शोपेनहर् ने लिखा है : “संसार में इस प्रकार का कोई अध्ययन (तत्त्व-चिन्तन) नहीं है, जो उपनिषदों के समान लाभप्रद तथा उन्नयन की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम मानवीय मेधा की उपज हैं। शीघ्र या धिलम्ब से एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता का धर्म होगा।”²

वेदों को स्मरण रखने की विशेष परम्परा रही है। चारों वेदों को आद्योपान्त अक्षरशः एवं स्वरशः कण्ठाग्र रखने वाले वेदपाठी ब्राह्मण होते रहे हैं कुछ आज भी मिल सकते हैं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि ब्राह्मणों की जातीय उपाधियाँ, सम्भव है, कभी वेदों के अभ्यास के कारण ही प्रवृत्त हुई हों। शिष्य गुरु से श्रवण कर वेद को ग्रहण करता था। वेद, जो श्रुति कहे जाते हैं, इसी आशय की ओर संकेत करते हैं।

विद्या को गुरु से सुनकर हृद्गत तथा आत्मसात् करने का प्राचीन काल में बहुत बड़ा महत्त्व रहा है। बल या सत्व-सम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार ज्ञानोपासना के क्रम में अग्रसर होता हुआ विज्ञानातृत्व तक पहुंचता था, इसका छान्दोग्योपनिषद् में सुन्दर विवेचन किया गया है। वहाँ कहा गया है : “.....जब पुरुष बल या सत्व-सम्पन्न होता है, तभी वह उत्थानोन्मुख होता है। उत्थानोन्मुख होता हुआ वह परिचर्याशील होता है। परिचरिता होकर वह उपसदन करता है—गुरु के सान्निध्य में उपस्थित होता है। उपसन्न होकर वह आचार्य का दर्शन करता है अर्थात् उनके जीवन का एकाग्र भाव से दृष्टा बनता है। तब श्रोता, उनके कथन का तन्मय भाव से श्रवण करने वाला, बनता है। आचार्य का कथन—प्रतिपादन इस प्रकार उपपन्न है, ऐसा मनन करता है। मनन करने पर वह तथ्य का बोद्धा—ज्ञाता—यह तत्त्व ऐसा ही है, इस प्रकार जानने वाला होता है। ज्ञान की परिणति अनुष्ठान में होती है। वह वेत्ता आचरण करता है। आचरित जीवन में सहज ही अनुभूत

1. The upanished are the Sources of.....the vedant philosophy, a system in which human speculation seems to me have reached its very acme.

—कल्याण, वर्ष ७, संख्या ८, ‘ब्रह्मविद्या रहस्य’ शीर्षक लेख से

2. In the world there is no study.....so beneficial and so elevating as that of upanished.....(They) are a product of the highest wisdom.....it is destined sooner or later to become the faith of the people.

—कल्याण, वर्ष ७, संख्या ८, ‘ब्रह्मविद्या रहस्य’ शीर्षक लेख से

बनता है। अनुभव ही विज्ञान—विशिष्ट ज्ञान है। इस प्रकार वह पुरुष विज्ञाता की स्थिति में पहुँचता है।^{११}

आचार्यों के चरणों में बैठकर परिचर्या, दर्शन, श्रवण, मनन तथा बोध के सोपानों से उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते साधक के विज्ञान-दशा तक पहुँचने का यह क्रम पुराकाल की ज्ञानोपासना के श्रद्धा, धितय, सेवा, श्रम एवं अनुभूति सम्पृक्त पथ का संसूचक है।

वेद-मन्त्रों के पाठ-क्रम

वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में जरा भी त्रुटि न रह पाए और वेद-मन्त्र युग-युगान्तर तक यथावत् रूप में वेद-पाठियों की स्मृति में बने रहें, इसके लिए वैदिक विद्वानों ने कई प्रकार के उपाय किये। उनमें उनके द्वारा वेदों के पाठ के सम्बन्ध में किया गया क्रम-विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेद-पाठ के पाँच प्रकार निर्धारित किये : १-संहिता-पाठ, २-पद-पाठ, ३-क्रम-पाठ, ४-जटा-पाठ, ५-घन-पाठ।

संहिता-पाठ—वेद में जो मन्त्र जिस प्रकार स्थित हैं, उनका ज्यों-का-त्यों यथावत् पाठ करना संहिता-पाठ कहा जाता है।

पद-पाठ—वेद के किसी मन्त्र को अलग-अलग पदों में विभक्त कर उसका पाठ करना पद-पाठ कहा जाता है। उदाहरणार्थ, एक मन्त्र के प्रतीक के रूप में कखग को लेते हैं। इसका संहिता-पाठ होगा—कखग और पद-पाठ होगा—क, ख, ग। दोनों का भेद स्पष्ट है। संहिता-पाठ में कखग के रूप में मन्त्र के सभी पद एक साथ हैं तथा पद-पाठ में वे पद अलग-अलग हैं। जो पद अलग-अलग किये जाते हैं, उनमें प्रारम्भ तथा अन्त में स्वर-परिवर्तन के भिन्न-भिन्न नियम लागू होते हैं। वेद-पाठों के लिए उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तभी पाठ शुद्ध बन पाता है। नियमों का सम्यक्त्व अवलम्बन कर किये गये पद-पाठ से पुनः संहिता-पाठ पूर्ण रूपेण शुद्ध बनता है; जैसा वह मन्त्र को पृथक्-पृथक् विभक्त करने से पूर्व था।

क्रम-पाठ—पद-पाठ के शब्दों को अर्थात् प्रत्येक पद को एक-एक बार लिया जाता था और इस क्रम में पहले पद के शब्द को भी लिया जाता था तथा अगले पद के शब्द को भी। यह क्रम उत्तरोत्तर चलता रहता था। उदाहरणार्थ, किसी मन्त्र के प्रतीक-रूप में कखग

१. स यदा बलो भवति, अथ उत्थाता भवति। उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति।
परिचरन् उपसता भवति। उपसीदन् द्रष्टा भवति। श्रोता भवति। मन्ता भवति।
बोद्धा भवति। कर्ता भवति। विज्ञाता भवति।

—छान्दोग्योपनिषद्, अष्टम सूत्र, १

लें। इसका पद-पाठ क, ख, ग, घ—इस प्रकार होगा, जो क्रम-पाठ में कख, खग, गघ के रूप में परिवर्तित होगा।

जटा-पाठ—क्रम-पाठ के त्रिविध मेल को मिलाने से जटा-पाठ निष्पन्न होता है अर्थात् जटा-पाठ में पहली बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, दूसरी बार में द्वितीय पद, प्रथम पद, तीसरी बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, चौथी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद, पाँचवीं बार में तृतीय पद, द्वितीय पद, छठी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद उच्चारित होगा। प्रतीक रूप में कख, खक, कख, गख, खग से इसे समझा जा सकता है।

घन-पाठ—जटा-पाठ में दो-दो पदों के तीन मेल बनाये गये। घन-पाठ में इनके स्थान पर दो-दो पदों के दो और तीन-तीन पदों के तीन मेल बना कर मन्त्र-पाठ के पाँच रूप तैयार किये जाते हैं। प्रतीक रूप में इसे कख, खक, कखग, गखक, कखग से समझा जा सकता है।

संहिता-पाठ को इन पाठ-क्रमों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से चार भागों में बाँटा गया था। क्रम इतना व्यवस्थित और नियमित था कि भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न खण्डों में उच्चरित पाठ को पुनः संहिता-पाठ में परिवर्तित करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। यह विधि-क्रम यद्यपि दुर्लभ और अभ्यास-साध्य तो था, पर, वेदों के पाठ को सहस्राब्दियों तक सर्वथा शुद्ध, पूर्णतया अपरिवर्तित बनाये रखने में बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसी कारण कहा जाता है कि सहस्रों वर्ष पूर्व जिस भाषा या शब्दावली में वेदों के मन्त्र रचित हुए, उनका ठीक वैसा ही रूप आज भी उपलब्ध है। भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(उच्चारण स्वर)

वैदिक मन्त्रों की ध्वनियों को सर्वथा विशुद्ध बनाये रखने के लिए स्वर-विधान वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण प्रसंग है। वैदिकी प्रक्रिया में तीन स्वर माने गये हैं : उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-अवयव मुख के भीतर स्थित हैं। इन उच्चारण-अवयवों के ऊपर तथा नीचे के दो-दो भाग या ऋण्ड हैं; इसलिए ये सहण्ड वहे जाते हैं। अन्तः प्रेरित वायु स्वर-मन्त्र को संस्पृष्ट या संधृष्ट करती हुई जब इन (उच्चारण-अवयवों) पर आघात करती है, तब वर्ण उत्पन्न होते हैं। जब कोई स्वर इन उच्चारण-अवयवों के ऊपर के भाग से उत्पन्न होता है, तब वह अपेक्षाकृत उच्च प्रतीत होता है। उसी का नाम उदात्त^१ है। जब कोई स्वर उच्चारण-अवयवों के नीचे के भाग से उच्चरित होता

१. उच्चैस्वात्तः ॥ अष्टाध्यायी १।२।२९॥

तात्त्वाविषु समानेषु स्थानैर्दूर्ध्वं भागे निम्नोऽनुदात्तसंज्ञः स्यात् ।

है, तब उसे अनुदात्त^१ कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में उदात्तत्व तथा अनुदात्तत्व; दोनों का मिश्रण हो अर्थात् जो स्वर कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-अवयवों के मध्य भाग से उच्चरित हों, वह स्वरित^२ कहलता है।

स्वरों के पृथक्-पृथक् चिन्ह भी माने गये हैं। कतिपय वैदिक पाठ सचिन्ह उपलब्ध होते हैं। इससे उच्चारण में परिपूर्ण शुद्ध बने रहने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में स्वर-शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। इतना ही नहीं, स्वरों के विपरीत उच्चारण को दूषित के साथ-साथ अनिष्ट-कारक भी बतलाया गया है। दैत्यराज वृत्र का कथानक स्वर-प्रयोग के विपरीत के दुष्फल पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

दैत्यराज वृत्र ने देवराज इन्द्र के वध को उद्दिष्ट कर यज्ञ किया। आहुतियों के सम्पुट में इन्द्रशत्रुर्वधस्व वाक्य रखा गया। इसका अभिप्राय यह था कि इन्द्र का शत्रु^३ (नाशक) बड़े। दैत्य-गुरु शुक्र इस सम्पुट के साथ आहुतियाँ देते थे। उच्चारण-क्रम में एक त्रुटि बनी। इन्द्रशत्रु पद में तत्पुरुष समास है। नियमतः यहां अन्त्य अक्षर उदात्त^४ होता है। पर, आहुति-दाता ने पूर्वपद में उदात्त कर दिया। इससे यह समस्त (इन्द्रशत्रु) पद तत्पुरुष के स्थान पर बहुव्रीहि हो गया। क्योंकि बहुव्रीहि में पूर्व पद में उदात्त^५ होता है। बहुव्रीहि होते ही पद का आशय एकदम परिवर्तित हो गया। बहुव्रीहि होने पर इन्द्रशत्रुः पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है—इन्द्र है शत्रु (नाशक) जिसका, वह इन्द्रशत्रुः।^६

समास बदलते ही दोनों पदों के अर्थ में सर्वथा विपरीतता हो गयी। तत्पुरुष में इन्द्रशत्रु पद वृत्र के लिये इन्द्र के शातयिता या नाशक रूप में उद्दिष्ट था, बहुव्रीहि हो जाने पर शातयिह-भाव (नाशकत्व) इन्द्र के साथ जुड़ गया। परिणामतः वर्धस्व का फल इन्द्र को मिला, वृत्र को नहीं। संग्राम में वृत्र मारा गया, इन्द्र विजयी हुआ, वर्द्धित हुआ। इसीलिए कहा गया है :

१. नीचैरनुदात्तः ॥११२॥३०॥

ताल्गाविषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पान्तो ऽ च अनुदात्तसंज्ञः स्यात् ।

२. समाहारः स्वरितः ॥११२॥३१॥

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यत्र सौऽच् स्वरितसंज्ञः स्यात् ॥

३. इन्द्रस्य शत्रुः—शातयिता ॥

४. समासस्य ॥६॥१२२३॥ अन्त उदात्तः स्यात् ।

५. बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् ॥६॥२॥१॥

उदात्तस्वरितयोनिपूर्वपदं प्रकृत्या स्यात् ।

६. इन्द्रः शत्रुर्यस्य स इन्द्रशत्रुः

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा,
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥^१

यदि मन्त्र स्वर और वर्ण से हीन हो, उसमें स्वर और वर्ण का शुद्ध प्रयोग न हो, मिथ्या या अशुद्ध प्रयोग हो, तो वह अभीप्सित अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता। मिथ्या प्रयुक्त स्वर वाग्वज्र बन जाता है। वह यजमान का वध कर डालता है। इन्द्रशत्रुः पद में स्वर-प्रयोग में हुए अपराध या भूल का परिणाम यजमान वृत्र का मरण था।

ध्वनियों के उच्चारण में सर्वथा यथावत्ता और ज़रा भी इधर-से-उधर न होने की स्थिति बनाये रखने के लिए वैदिक विद्वान् कितने दृढ़ संकल्प थे, यह इस कथानक से स्पष्ट है।

वैदिक भाषा के विकास-स्तर

ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद पहले और दशवें मण्डल के अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद और अवेस्ता की की गयी तुलना इन्हीं (प्रथम व दशम को छोड़कर अन्य मण्डलों) अंशों से संयोजित करनी चाहिए। ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मण्डल की भाषा परवर्ती प्रतीत होती है।

पाश्चात्य विद्वान् प्रो० आन्सवाँ मैयूरे आदि का अभिमत है कि वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप आर्यों के पंजाब के आस-पास आने तक के समय का है। इन विद्वानों के मतानुसार वैदिक संस्कृत का दूसरा रूप उस समय का है, जब आर्य मध्य देश तक अग्रसर हो चुके थे। इस बीच वे उन-उन भू-भागों में अपने से पहले बसने वाले लोगों के सम्पर्क में आ चुके थे, जिनकी भाषाओं का आर्यों की भाषा पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। वैदिक संस्कृत के एक तीसरे रूप की ओर कल्पना की जा सकती है, जो तब विकसित हुआ, जब आर्य मध्य देश से आगे बढ़ते हुए पूर्वीय भू-भाग में पहुँच चुके थे। विद्वानों का अनुमान है कि यह काल सम्भवतः ई० पू० ५००-१०० के समीप रहा होगा।

लौकिक संस्कृत

वेद और लोक; यह शब्द-युगल प्राचीन बाङ्गमय में एक विशेष अर्थ के साथ प्रयुक्त है। जिस कार्य, विधि-विधान, परम्परा, भाषा आदि का सम्बन्ध, अपौरुषेय या ईश्वरीय ज्ञान के प्रतीक वेद के साथ रहा, उनके पीछे वैदिक विशेषण जुड़ा और जो कार्य ऐहिक और

अशाश्वत लोक, संसार या समाज से सम्बद्ध हैं, के साथ लौकिक विशेषण लगा। भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक भाषा थी, जिसके द्वारा समग्र वैदिक विधि-विधान, कार्य-कलाप तथा कर्म-काण्ड चलते थे। छन्दस् या वैदिक भाषा के नाम से अनेक दृष्टियों से इसका विवेचन-विश्लेषण किया जा चुका है। एक ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभूत हुई, जो रूप-बाहुल्य से मुक्त हो, प्रांजल तथा परिष्कृत हो, सुबोध्य हो, लोक में कार्यकर हो। लोक-प्रयोज्य भाषा तो तब थी ही। उसके शिष्ट, परिमार्जित और संस्कारमय रूप की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति महान् वैयाकरण पाणिनि ने की।

वैदिक संस्कृत के जिन तीन रूपों की ऊपर चर्चा की गयी है, ऐसा स्वाभाविक प्रतीत होता है कि इन तीनों रूपों के समकक्ष जन-साधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा के भी तीन रूप रहे होंगे। विद्वानों का अभिमत है कि लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के जिस रूप पर आधारित है, वह उन तीनों में प्रथम—उत्तर की बोलचाल की भाषा का रूप ही सम्भावित है। लौकिक संस्कृत, सम्भव है, आगे चलकर अन्य दो रूपों से भी प्रभावित हुई हो। इस सन्दर्भ में महाभाष्यकार पतंजलि लिखते हैं : “शब्दों के प्रयोग का विषय अत्यन्त विशाल है। भिन्न-भिन्न शब्द भिन्न-भिन्न स्थानों में अपना-अपना निश्चित अर्थ लिये हुए दिखाई देते हैं। जैसे, गतिकर्मक शक्ति का प्रयोग कम्बोज-देश में ही—हिन्दूकुश की बाटियों में ही प्रचलित है। आर्य लोग इसके विकार—इससे बने हुए कृदन्त रूप शब्द का प्रयोग करते हैं। गत्यर्थ में सौराष्ट्र में हम्मति, प्राच्य तथा मध्य देश में रंहति का प्रचलन है, परन्तु, आर्य गम् का ही प्रयोग करते हैं। प्राच्य देश में काटने के अर्थ में बाति का प्रयोग चलता है, परन्तु, उत्तर के लोगों में कृदन्त नाम—दात्र का प्रयोग ही प्रचलित है।”^१

महाभाष्यकार ने कम्बोज, प्राच्य, मध्य, सौराष्ट्र और उदीच्य के नाम से भारत के भिन्न-भिन्न भू-भागों अथवा वहाँ के निवासियों की ओर संकेत किया है तथा आर्यों के नाम से अलग चर्चा की है। उनमें (भिन्न-भिन्न स्थानों के लोगों में) एक ही क्रिया या तदर्थ-सम्बद्ध प्रयोगों के विषय में जो अन्तर है, उसकी व्याख्या है। यहाँ जिज्ञासा होती है, आर्यों को इनसे भिन्न बताकर महाभाष्यकार क्या प्रकट करना चाहते हैं? उक्त प्रदेशों के लोगों द्वारा किये गये शब्द-प्रयोग के भेद की वे चर्चा करते हैं। यहाँ भेद मात्र शब्द-प्रयोग का है, उन

१. एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते। तद्यथा शक्तिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। विकारमेनमार्या भाषन्ते शब्द इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिमेव स्वार्थाः प्रयुज्यते। बातिर्लवनार्थं प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु।

—महाभाष्य, प्रथम आह्निक, पृ० ३३

सबकी भाषा तो एक ही थी, जिनका महाभाष्यकार निरूपण कर रहे हैं। ऐसा लगता है, महाभाष्यकार का आर्यो से उन लोगों का आशय है, जो भाषा के शिष्ट या परिनिष्ठित रूप का प्रयोग करते थे, जो उस समय भाषा का स्तर (Standard) था। सम्भवतः भौगोलिक दृष्टि से वे पश्चिमोत्तर प्रदेश के लोग रहे हों। जातीय दृष्ट्या तो सभी आर्य ही थे और आर्य-भाषा ही बोलते थे। धातु आदि के प्रयोग में प्रादेशिक भेद के कारण जो कुछ भिन्नता आ गयी थी, उससे उन-उन प्रदेशों में प्रचलित लोक-भाषाओं का संस्कृत पर प्रभाव पड़ना समर्थित होता है।

पाणिनि द्वारा संस्कार और सम्मार्जन प्राप्त कर शिष्ट भाषा के रूप में लौकिक संस्कृत का उद्भव हुआ। आगे चल कर इसे केवल संस्कृत के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। 'संस्कृत' नाम पाणिनि के काल से चला अथवा उनसे पूर्व ही प्रवृत्त हो चला था, निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाल्मीकी रामायण में प्राप्त होता है। सुन्दर काण्ड का प्रसंग है। हनुमान सीता से वार्तालाप आरम्भ करने से पूर्व सोच रहे हैं कि उन्हें उनसे किस भाषा में बातचीत करनी है। उस प्रसंग में उल्लेख है :

अहं हातितनुरचैव वानरश्च विशेषतः ।

वाचं चौदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् ॥^१

—मेरा शरीर बहुत छोटा है तथा मैं विशेषतः बन्दर हूँ। मैं मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा।

वाचम् पद के साथ जुड़ा हुआ यहाँ संस्कृताम् पद व्यक्ति-वाचक संज्ञा है या गुणवाचक विशेषण, यह विचारणीय है। मानुषी संस्कृतां वाचम् का अर्थ मंजी हुई लोक-भाषा भी हो सकता है। वस्तुस्थिति क्या है, निश्चय की भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर, शाब्दिक क्लेवर की दृष्टि से तो संस्कृत शब्द प्रयुक्त हुआ ही है।

अंग्रेजी में लौकिक संस्कृत का अनुवाद Classical Sanskrit किया गया है। लोक और Class शब्द की संगति नहीं प्रतीत होती। सम्भवतः एक विशेष वर्ग—सुशिक्षित ब्राह्मण वर्ग की भाषा या शिष्ट भाषा का आशय ध्यान में रख कर यह अंग्रेजी शब्द दिया गया हो। Classical शब्द के आधार पर कुछ विद्वान् लौकिक संस्कृत के स्थान पर श्रेण्य संस्कृत का प्रयोग भी करने लगे हैं।

वैदिक और लौकिक संस्कृत

कुछ भेद-रेखाएं

आर्य भाषा के विस्तृत विवेचन के प्रसंग में भारोपीय ध्वनियों के साथ वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की तुलना की गयी थी । लौकिक संस्कृत की ध्वनियां वैदिक संस्कृत की ध्वनियों से कुछ ही भिन्न हैं । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जो भिन्नता है, उस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य विशेष रूप से ज्ञातव्य है :

वैदिक संस्कृत में ल, लट, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय ध्वनियां थीं । लौकिक में उनका लोप हो गया ।

वैदिक संस्कृत का दन्तोष्ठ्य व, जो अंग्रेजी V के समान ध्वनि है, लौकिक में लुप्त हो गया । लौकिक संस्कृत में जो 'व' प्रयुक्त है, वह तालव्य है ।

वैदिक संस्कृत में अनुस्वार शुद्ध अनुनासिक ध्वनि माना गया था । वह स्वर है या व्यंजन, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत रहे हैं । कुछ विद्वानों ने इसे स्वर तथा कुछ ने व्यंजन माना । लौकिक संस्कृत में इस सम्बन्ध में मान्यता बदल गयी । वहाँ अनुनासिक का उच्चारण अनुनासिक स्वर के समान होने लगा ।

वैदिक संस्कृत में धातु-रूपों की बहुलता थी । लौकिक संस्कृत में वह न रह पाई । उदाहरणार्थ, वैदिक संस्कृत में जहाँ हम इमसि तथा इमः दोनों पाते हैं, वहाँ लौकिक में केवल इमः मिलता है । इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण हैं । वैदिक संस्कृत में जहाँ स्मसि और स्मः दोनों रूप मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में वहाँ स्मः ही मिलता है । वैदिक संस्कृत में ईष्टये, ईष्टे, ईशे तथा ईशते; ये चार रूप प्रचलित हैं, वहाँ लौकिक संस्कृत में केवल ईष्टे का प्रयोग मिलता है । वैदिक संस्कृत में श्रुद्धि, श्रुणुहि तथा शृणोधि; श्रू धातु के लोट लकार मध्य पुल्लिङ्ग एकवचन के ये तीन रूप व्यवहृत हैं, जब कि लौकिक संस्कृत में केवल शृणु का ही व्यवहार होता है । वैदिक संस्कृत में शये और शेते; दोनों रूपों का प्रचलन है, पर, लौकिक संस्कृति में केवल शेते का प्रयोग होता है । सारांश यह है कि वैदिक संस्कृत में व्हेकल्पिक रूपों का जो बाहुल्य था, लौकिक संस्कृत में वह मिट गया । धातुओं की तरह प्रातिपदिकों की विभक्तियों के रूपों की वैदिक संस्कृत में बहुलता थी, लौकिक संस्कृत में वह विलुप्त हो गयी ।

वैदिक संस्कृत में अकाशान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस् विभक्ति के दो रूप बनते थे—मर्त्याः, मर्त्यासः; ब्राह्मणाः, ब्राह्मणासः; देवाः, देवासः । लौकिक संस्कृत में मर्त्याः, ब्राह्मणाः, देवाः; ये एक-एक रूप ही रह गये । अकाशान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के तृतीया बहुवचन की भिस् विभक्ति के वैदिक संस्कृत में देवेभिः, देवैः, पूर्वैभिः, पूर्वैः; इस प्रकार दो-

दो रूप बनते थे, जबकि लौकिक संस्कृत में द्वैः तथा पूर्वैः ही बच पाये। वैदिक संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में अग्नौ और अग्नां आदि दो-दो रूप बनते थे, लौकिक संस्कृत में केवल अग्नौ ही बच पाया। वैदिक संस्कृत में क्रिया के ग्यारह लकार होते थे। वहाँ सम्भावना तथा आज्ञा के लिए लेट् लकार और था। जैसे, भवति, पतति, तारिष्यत; आदि। लौकिक संस्कृत में लेट् लकार नहीं मिलता। वहाँ दश ही लकार रहे। वैदिक संस्कृत में तुमन् (Infinitive) के रूप चलने की परम्परा थी। तुमन् के अर्थ में और भी कई प्रत्ययों का प्रयोग होता था। जैसे, तवै—पातवै, ध्यै—गमध्यै, अस्मै—जीवस्मै इत्यादि। लौकिक संस्कृत में तुमन् से निष्पन्न होने वाला एक ही रूप बचा। जैसे, गन्तुम्, मन्तुम्, चलितुम्, अध्येतुम्; आदि। वैदिक संस्कृत में लोट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में त, तन, थन, तात; ये चार प्रत्यय प्राप्त हैं, जिनसे शिणोत, सुनोतन, यतिष्ठन्, कृणुतात जैसे, रूप बनते हैं। लौकिक संस्कृत में केवल त प्रत्यय ही रह गया। जैसे, शिणुत।

वैदिक संस्कृत में यु प्रत्यय से बने अनेक शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे यज्यु, देवयु, वाजयु; आदि। लौकिक संस्कृत में वे प्रायः लुप्त हो गये। दस्यु जैसे एक-दो शब्द ही प्राप्त हैं। वैदिक संस्कृत में आत्मनेपद और परस्मैपद; दोनों गणों में जो धातुएँ निरूपित हैं, उनमें से कतिपय लौकिक संस्कृत में केवल आत्मनेपद में ही मिलती है। वैदिक संस्कृत में स्वद् सर्वनाम भी प्राप्त है। लौकिक संस्कृत में केवल तद् ही मिलता है। वैदिक संस्कृत में स्वस्ति के रूप चलते थे। स्वस्तये रूप से यह प्रमाणित है। लौकिक संस्कृत में स्वस्ति को अव्यय^१ माना गया है। इनके रूप नहीं चलते। वैदिक संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित; तीन प्रकार के स्वर प्राप्त हैं। लौकिक संस्कृत में उनका प्रयोग नहीं होता। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता है, जैसे कि ग्रीक में है। लौकिक संस्कृत में संगीतात्मकता का अभाव हो गया। वैदिक संस्कृत में ष और व के स्थान पर इय और उव का प्रयोग भी देखा जाता है। जैसे, लौकिक संस्कृत के वीर्यम् शब्द के समकक्ष वीरियम् भी है और स्वम् के समकक्ष तुवम् भी। वैदिक संस्कृत का कत्वान् प्रत्यय लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गया है। वैदिक संस्कृत में सप्तमी के एकवचन में ङि का लोप हो जाता है। जैसे, व्योमन्। लौकिक संस्कृत में व्योमनि होता है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग क्रिया से दूब रहते हैं। जैसे; प्र बभ्रवे शिवतिमाय शिवतीचे लौकिक संस्कृत में वे ठीक क्रिया के पूर्ण पाये जाते हैं। वैदिक संस्कृत में स्वय के कारण समास में अन्तर हो जाता है। जैसे, यदि आद्योदात्त हो तो बहुव्रीहि समास होता है और यदि अन्त्योदात्त हो, तो तत्पुरुष। जैसे, इन्द्रशत्रु। वैदिक संस्कृत में बीसठ वर्ण प्राप्त होते हैं तथा लौकिक संस्कृत में पचास।

१. सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु।

अवनेषु च सर्वेषु यन् व्येति तदव्ययम् ॥

पुराकालीन आर्य-भाषा के वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत के रूप में एक नूतन आकार-प्रकार लेने के पीछे कई कारण रहे होंगे। उनमें एक कारण यह भी हो सकता है कि वैदिक भाषा मुख्यतः ऋग्वेद की भाषा स्थिर बन गयी थी। उसके समकालीन अन्य आर्य-भाषाएं, जो देश-भेद से बोलचाल में प्रयुक्त होती थीं, क्रमशः कालानुसार बदलती गयीं, विकसित होती गयीं, अर्थात् विकास, जो किसी भाषा की जीवितता का लक्षण है, विद्यमान रहा। वैदिक भाषा में यह सम्भव नहीं था। फलतः वह जन-सामान्य से दूर होती गयी। ऐसा होते हुए भी राष्ट्र में उसका साहित्यिक महत्व था; इसलिए उसका अध्ययन-अध्यापन अवरुद्ध नहीं हुआ। फिर भी साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा के एक सरल, संक्षिप्त तथा सुबोध्य रूप की अपेक्षा थी। फलतः लौकिक संस्कृत का अभ्युदय हुआ।

वैदिक और लौकिक संस्कृत के जो भेदमूलक तथ्य उपस्थित किये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का सरलीकृत रूप है। वैदिक संस्कृत में जहाँ रूपों की बहुलता और वैकल्पिकता की प्रचुरता थी, लौकिक संस्कृत में उनका लोप या संक्षिप्तीकरण हुआ। वैदिक भाषा से सम्बन्ध जन-समुदाय के वंशजों ने इस नूतन भाषा को अपना लिया। यह उन आर्यों की साहित्यिक भाषा बन गयी, जो भारतवर्ष में दूर-दूर तक फैले हुए थे।

उत्तर की या उत्तर-पश्चिम की जन-भाषा सम्भवतः लौकिक संस्कृत का मुख्य आधार रही हो। फलतः भाषा की शुद्धि, स्तर आदि की दृष्टि से उत्तर का वैशिष्ट्य माना जाता है। कहा गया है—उत्तर दिशा का भाषा-प्रयोग अधिक वेदुष्य-पूर्ण है। भाषा या वाणी की शिक्षा लेने के लिए लोग उत्तर को जाते हैं। अथवा जो विद्वान् उत्तर से आते हैं, विद्योत्सुक जन उनसे वाणी के सम्बन्ध में श्रवण करते हैं।

उत्तर के लोगों द्वारा वाणी के शुद्ध प्रयोग करने की जो चर्चा की गयी है; वह सम्राट् अशोक के उत्तर-पश्चिमी शिलालेखों से भी प्रकट होती है। एक समय था, काश्मीर संस्कृत विद्या के सर्वप्रधान केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित था। संस्कृत-बाह्य-मय के अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थों का वहाँ प्रणयन हुआ। उपर्युक्त निरूपण इससे समर्थित होता है।

मध्यवर्ती रूप

वैदिक और लौकिक संस्कृत की भेद-रेखाओं का जो विवरण उपस्थित किया गया है, उस प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के मध्य एक ही बार में नहीं हो पाई थी। क्रमशः बंसा होता गया, जिसकी परिणति लौकिक संस्कृत के व्याकरण-नियन्त्रित, पश्चिनिष्ठित रूप में हुई। इस परिवर्तन-क्रम के तीन स्तर माने जा सकते हैं। भारतीय आर्य-भाषा या

वैदिक संस्कृत का पहला रूप ऋग्वेद व तत्समकक्ष पुरातन वाङ्मय में प्राप्त होता है। वहाँ रूप-बहुलता, विकल्प-प्रचुरता जैसी प्रायः सभी बातें मिलती हैं।

ब्राह्मण-ग्रन्थों में इस भाषा का दूसरा रूप प्राप्त होता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि दुरूह अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग से बचने का वहाँ प्रयत्न है। धातुओं के गणात्मक विभाजन में जहाँ भाषा के प्रथम रूप में व्यवस्था नहीं दी जाती, यहाँ गण-विभाजन व्यवस्थित प्रतीत होता है।

भाषा के प्रथम रूप व द्वितीय रूप के बीच मुख्यतः जिन पहलुओं में परिवर्तन हुआ, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : प्रथम स्तर की भाषा में अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचन में देवाः और देवासः जैसे दो रूप व्यवहृत थे, ब्राह्मणों में केवल देवाः जैसे एक ही प्रकार के रूप रह गये। तृतीया बहुवचन में देवैः और देवेभिः; इन दो प्रकार के रूपों में ब्राह्मणों में केवल देवैः जैसे एक ही प्रकार के रूप व्यवहृत होने लगे। ब्राह्मणों में लोट् लकार का प्रयोग भी प्रायः अप्राप्त है। तुमन्तर्क अनेक प्रत्यय, जो भाषा के प्रथम रूप में प्रयुक्त थे। ब्राह्मणों में लुप्त हो गये। केवल तुम् (तुमुन्) ही बचा रहा। ब्राह्मणों में लङ् लकार के रूप तथा अर्थ में पाणिनीय व्याकरण से सर्वथा सादृश्य प्रतीत होता है।

ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत के रूप में परिणत होने के क्रम में से गुजर रही थी, यह उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। पर, साथ-ही-साथ यह भी ज्ञातव्य है कि तब तक शब्दों के प्रयोग, विभक्तियों के अर्थ व व्यवहार तथा कतिपय धातुओं के रूप आदि में ब्राह्मण-ग्रन्थ वैदिक भाषा का अनुसरण करते रहे हैं।

भारतीय आर्य-भाषा का तीसरा रूप यास्क के निरुक्त में प्राप्त होता है। ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद के अन्तर्गत गिने गये हैं। निरुक्त के लिए ऐसा नहीं है। उसकी रचना वैदिकी प्रक्रिया के नियमों के आधार पर नहीं हुई है। वह संस्कृत में रचित है। पर, लौकिक संस्कृत का जो भी साहित्य उपलब्ध है, भाषा की दृष्टि से उसमें निरुक्त बहुत प्राचीन है। निरुक्त का सूक्ष्म दृष्टि से परिशीलन करने पर यह अवगण्य होता है कि उसमें अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है; जो उत्तरकालीन साहित्य में अप्राप्त है। डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री ने इस प्रकार के कतिपय शब्दों का उल्लेख^१ किया है, जो निम्नांकित हैं :

उपजन (भास पास)

उपेक्षितव्य (परीक्षितव्य या प्राप्तव्य)

कर्मन् (अभिप्राय)

ययो (यथा)

उपदेशाय क्लृपयन्तः (अध्यापन में असमर्थ)

शिशिक्ष राज्येन (राज्य पर आरुढ़ किया)

बिल्म (विविधता)

नैघण्टुक (गीण)

अनिर्वाह (ब्रह्मचर्य)

कुछ पारिभाषिक शब्द, जो उत्तरकालीन साहित्य में नहीं मिलते :

निवृत्ति स्थान (weak terminations)

उपजन (Prepositions)

उपबन्ध (आगम)

नामकरण (संज्ञाओं से आने वाले प्रत्यय)

निरुक्तकार यास्क के समय से संस्कृत के स्वरूप में शैली की दृष्टि से परिवर्तन दिखाई देता है। उसे दो प्रकार की शैलियों के रूप में आंका जा सकता है—क्रिया-प्रधान शैली और नाम-प्रधान शैली।

क्रिया-प्रधान शैली

नाम और क्रिया वाक्य के मुख्य भाग होते हैं। किसी भी व्यक्ति का दिन भर का अस्तित्व क्रियामूलक होता है। हर समय वह किसी-न-किसी प्रकार की क्रिया के सम्पादन में संलग्न रहता है। जब व्यक्ति की क्रियाशीलता अभिव्यक्ति का रूप लेती है, तो वाक्य में स्वतन्त्र और विशिष्टार्थक क्रियाओं का प्रयोग होता है। वहां अर्थ-प्रतिपादन मुख्य होता है; अतः वाक्य छोटे-छोटे होते हैं, सुबोध्य होते हैं, ताकि सीधे रूप में अर्थ निरूपित हो सके। इसे क्रिया-प्रधान शैली कहा जा सकता है। यास्क और पाणिनि के समय संस्कृत-साहित्य में इसी प्रकार की शैली का प्रचलन था। उस समय रचित साहित्य में वाक्य छोटे-छोटे हैं, क्रियापदों की बहुलता है, रचना में सरलता है।

नाम-प्रधान शैली

क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त भाव की व्यंजना को और जब अधिक भुकाव होता है, तो वाक्य में क्रिया-पदों का प्रयोग आवश्यक होता है, पर जब तत्कृत्यक व्यक्ति का वैशिष्ट्य मुख्य और क्रिया की प्रगति गीण हो जाती है, तब क्रिया-पदों का पूर्वोक्त प्रकार का प्रयोग अवरुद्ध हो जाता है, कम हो जाता है अथवा क्रियाओं का प्रयोग विशेषणों के रूप में होने लगता है।

धातु स्वरूप में प्रायः दो तत्त्व सन्निहित रहते हैं—क्रिया और उसके सम्पादन का प्रकार । उदाहरण के लिए दृश् धातु को लें । दृश् प्रेक्षणे । दृश् धातु प्रेक्षण अर्थ में है । प्रेक्षण का आशय ईक्षण—देखना मात्र नहीं है, प्रकृष्टतापूर्वक ईक्षण है । तात्पर्य यह है कि दृश् धातु में देखने रूप क्रिया का अभिप्राय भी सन्निहित है और देखने के प्रकृष्ट प्रकार का विशेष आशय भी । यदि प्रकृष्ट प्रकार को गौण कर दें, तो क्रिया का विशेष महत्त्व नहीं रह जाता । करोति, अस्थि, भवति जैसी सामान्य क्रियाएँ भी वहाँ काम दे सकती है । साथ-ही-साथ यह भी है, ऐसी क्रियाओं की विद्यमानता, अविद्यमानता का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता । फलतः वाक्य में क्रियाओं का स्थान सर्वथा गौण हो जाता है अथवा वे आवश्यक न रहने से गौण या अदृष्ट हो जाती हैं । इसे नाम-प्रधान शैली कहा जा सकता है । इसमें धातु को विशेषण तथा सामान्य क्रिया में परिणत करके भी वाक्य बना लिया जाता है । विभक्तियों का भी विशेषणों के रूप में परिणमन हो जाता है । कुछ उदाहरण ध्यातव्य हैं :

क्रिया-प्रधान

नरो रथमारुहन्,
तेऽमन्यन्त
स यन्त्रं चालयति
अहं ग्रन्थमपठम्
स क्रीडति
अहं विवादामि
धर्म आचार्यते
पुस्तकं पठ्यते
स भाषते
ते स्तुवन्ति
शास्त्रस्य वार्ता
कुम्भकारेण कृतः घटः
रोगेण कृता पीडा

नाम-प्रधान

नरो रथमारुहः
तेर्मतम्
यन्त्रचालकः सः
अहं ग्रन्थं पठितवान्
स क्रीडां करोति
अहं विवादं करोमि
धर्म आचरितो भवति
पुस्तकं पठितं भवति
स भाषणं करोति
ते स्तुतिं कुर्वन्ति
शास्त्रसम्बन्धिनी वार्ता
कुम्भकारकर्तृकः घटः
रोगकृतं का पीडा

उत्तरवर्ती संस्कृत-साहित्य में इस शैली का विशेष रूप से प्रचलन हुआ । इसमें समासों का अधिक प्रयोग-होने लगा । समग्र वाक्य का विशेषण में संक्षिप्तीकरण किया जाने लगा ।

संस्कृत के पुराकालीन साहित्य में क्रिया-प्रधान शैली का प्रवर्तन था । वैदिक साहित्य के ब्राह्मण-ग्रन्थों में यह शैली दृष्टिगत होती है । यास्क और पाणिनि की चर्चा की ही जा चुकी है । पतञ्जलि के महाभाष्य में भी क्रिया-प्रधान शैली की मुख्यता है । पर, साथ-ही-साथ

यह भी ज्ञातव्य है कि तब से नाम-प्रधान शैली क्रिया-प्रधान शैली का स्थान लेने लग गयी थी। एक ही बात को विभिन्न प्रकार से यथावत् रूप में व्यक्त कर सकने की संस्कृत की अपनी अनुपम विशेषता तो इससे सिद्ध होती ही है।

दर्शन, तर्क और भाष्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में क्रिया-प्रधान शैली का विशेष विकास हुआ। इतिहास, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थ नाम-प्रधान शैली में लिखे गये। गौतम के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन-रचित भाष्य, मीमांसासूत्रों पर जेमिनि द्वारा रचित शाबर-भाष्य, श्रौत सूत्रों के अन्यान्य भाष्यों में नाम-प्रधान शैली का व्यवहार हुआ है। वहां रचना में सरलता और सजीवता है। पर, आगे चलकर नव्य न्याय के युग तक पहुँचते-पहुँचते यह शैली बहुत कठिन तथा दुरुह हो गयी। क्रियाओं का प्रयोग बहुत कम हो गया। विभक्तियों में भी प्रायः प्रथमा और पंचमी का ही अधिक प्रयोग होने लगा। जैसे—इयं पृथिवी, गन्धवत्त्वान्, अयमग्निः, धूमवत्वात् इत्यादि। कहने का आशय यह है कि विचाराभिव्यक्ति का माध्यम विशेषण और भाव-वाचक संज्ञाएँ ही रह गयीं। अव्ययों का प्रयोग भी लुप्त जैसा हो गया।

संस्कृत के पंडित आज भी विशेषतः नैयायिक विद्वान् शास्त्रार्थ में इसी शैली का उपयोग करते हैं। पाण्डित्य तो इसमें अवश्य ही है, पर, लोकोपयोगिता नहीं है; क्योंकि इसमें भाषा की सहजता के स्थान पर पाण्डित्य-प्रदर्शन के निमित्त सर्वथा कृत्रिमता दृष्टिगोचर होती है।

संस्कृत का विशाल वाङ्मय

वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच के काल की दो महान् रचनाएँ हैं—रामायण और महाभारत। ये ऐतिहासिक महाकाव्य कहे जाते हैं। रघुवंश, कुमारसम्भव, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, अभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामचरित, अनर्धराधव जैसे अनेकानेक महत्वपूर्ण काव्यों और नाटकों के ये ही उपजीव्य रहे हैं। इनकी भाषा लौकिक संस्कृत के काफी सदृश है, पर शब्दों के प्राचीन रूप, शैली की सरलता, आत्मनेपद तथा परस्मैपद की विभक्तियों के विशेष भेद के बिना धातुओं के रूपों का स्वतन्त्र प्रयोग आदि अनेक ऐसे पहलू भी हैं, जिनके कारण इनकी भाषा वैदिक संस्कृत के भी निकट है। भाषा की दृष्टि से दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। दोनों ग्रन्थ तत्कालीन भारतीय संस्कृति, लोक-जीवन, सामाजिक परम्पराओं और नीतियों के सजीव चित्र उपस्थित करते हैं।

इतिहास, आख्यान, पुराण जैसे शब्द वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। वैदिक साहित्य में पुरुरवा व उर्वशी तथा शुनः शेष आदि के कथानक प्राप्त हैं, जो मानव की इतिवृत्तात्मक सर्जन की अभिरुचि के सूचक हैं।

इतिहास की एक विशेष व्याख्या प्राचीन काल से स्वीकृत है। उसके अनुसार जिसमें

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश ग्रथित हो, जो पूर्व-वृत्तों और कथाओं से युक्त हो, वह इतिहास कहा जाता है।^१ रामायण और महाभारत इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। इतिहासपुराणार्थ्यां वेदं समुपवृहयेत् जैसी उक्तियों से प्रकट है कि इतिहास और पुराण; वेदिक ज्ञान का उपवृहण (संबद्धन) करने वाले माने गये।

रामायण—मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के माध्यम से इस महाकाव्य में आदर्श शासन, कर्तव्य-निष्ठा, न्याय, सदाचार, नीति, सहृदयता, करुणा, त्याग, सेवा, समर्पण, स्नेह तथा आदर्श गृही-जीवन का एक मोहक चित्र उपस्थित किया गया है। उसके रचयिता वाल्मीकि थे। एक व्याध द्वारा आह्लाद एवं क्रिया-रत क्रौंच के मार डाले जाने पर क्रौंची के अन्तर्वेधक विलाप को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठता है और उनका शोक श्लोक बन जाता है—शोकः श्लोकत्वमागतः।^२ सहसा उनके मुह से शब्द निकल पड़ते हैं :

मा निषाद ! प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वतोः सभाः ।

पत्क्रौंचमिथुनादेकमवधोः काममोहितम् ।^३

ये शोक-प्रसूत शब्द सहज भाव से अनुष्टुप् छन्द का रूप लिये आते हैं।

महाभारत अनेक कवियों की लेखनी से निःसृत अनेक काव्य-कृतियों का एक विराट विश्व-कोश है, रामायण वैसी रचना नहीं है। यह सारा काव्य प्रायः एक ही मनीषी द्वारा प्रणीत हुआ है। विश्वास किया जाता है कि वेदिक साहित्य के बाद मानव कवि का रचा हुआ यह प्रथम काव्य है। यही कारण है, इसके रचनाकार वाल्मीकि आदि कवि हैं और यह उनका आदि-काव्य। विद्वानों द्वारा किये गये परीक्षण, समीक्षण और पर्यालोचन से यह सिद्ध हुआ है कि निःसन्देह अलंकृत काव्य विधा के ग्रन्थों में यह सबसे पहला ग्रन्थ है। इसमें कवित्व का प्रशस्त प्रस्फुटन हुआ है। शैली की सुकुमारता, सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का सहज समावेश, सभी रसों का सम्यक् परिपाक, चरित्र-चित्रण की सूक्ष्मता आदि मौलिक विशेषताएँ हैं। कहा जाता है कि विश्व के समग्र साहित्य में इस प्रकार के लोकजातीय काव्य-ग्रन्थ कम हैं।

रामायण के कलेवर के सम्बन्ध में स्वयं वाल्मीकि ने लिखा है :

१. धर्मार्थकाममोक्षानामुपदेशसमन्वितम् ।

पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

२. रामायण, बालकाण्ड, २, ४०

३. वही, बालकाण्ड, २, १५

चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवानृषिः ।

तथा सर्गशतान् पञ्च षट् काण्डानि तथोत्तरम् ॥^१

—ऋषि ने रामायण में २४ हजार श्लोकों की रचना की तथा उसे पाँचसौ सर्गों और छः काण्डों में विभक्त किया ।

वर्तमान में प्राप्त रामायण में चौबीस हजार से कुछ अधिक श्लोक हैं । सर्गों की संख्या ६४५ है । उससे यह स्पष्ट है कि रामायण की मूल सामग्री कुछ इधर-उधर अवश्य हुई है । कुछ प्रक्षिप्त अंश जुड़े हैं, कुछ सर्ग लुप्त हो गये हैं, कुछ नये आ गये हैं; अतः प्राप्त रामायण को अक्षरशः वाल्मीकि-रचित तो नहीं माना जा सकता, पर, उसका बहुत अधिक भाग मौलिक है और कुछ ही भाग प्रक्षिप्त या नये रूप में योजित है । निश्चय ही इसके कलेवर में उतना मिश्रण नहीं हुआ है, जितना महाभारत में । शोधपूर्ण छंटनी से सम्भव है, कुछ भाग छंट जाये, पर, अधिकांश भाग यथावत् रह सकता है ।

पाश्चात्य विद्वानों के रामायण के सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर हैं । प्रो० बैबर इसे बौद्ध ग्रन्थ दशरथ जातक और होमर के इलियड पर आधारित मानते हैं । प्रो० जैकोबी ऋग्वेद में प्राप्त इन्द्र और वृत्र की कथा से इसकी समानता स्थापित करते हैं । टालस्बायज़ ह्वीलर का मन्तव्य है कि १३ वीं शती में विजयनगर-साम्राज्य के संस्थापकों द्वारा जो दक्षिण विजय किया गया, रामायण उस पर आधारित है । लैसेन ऐसा मानते हैं, आर्यों द्वारा दक्षिण भारत की विजय का जो प्रथम अभियान हुआ, रामायण उसकी पद्यात्मक अभिव्यंजना है । वस्तुतः ये मत एकांगी हैं, अपरिपक्व अध्ययन के द्योतक हैं । भारतीय विद्वानों ने इस विषय में बहुत लिखा है; अतः यहाँ विशेष ऊहापोह अपेक्षित नहीं है ।

महाभारत—भारतः पंचमो वेदः कहकर महाभारत को रामायण से भी विशिष्ट स्थान दिया गया । भारत में वैदिक परम्परा में वेद-वाक्य से अधिक प्रामाणिक कोई भी वाक्य नहीं माना जाता । महाभारत को पंचम वेद कहकर भारतीय मानस ने इसे अपनी सर्वोच्च श्रद्धा-अर्पित की । महाभारत की स्वयं की अपनी घोषणा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सम्बन्ध में उसमें जो प्रतिपादित हुआ है, अन्यत्र भी वही प्रकारान्तरे से वर्णित हुआ है : यवि-हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् षवचित्^२ जो महाभारत में नहीं है, वह कम-से-कम भारतवर्ष में तो और कहीं नहीं है ।^३ यह केवल अतिरंजन नहीं माना जाना चाहिए । महाभारत के एक छोटे से अंश गीता का विश्व-साहित्य में जो स्थान है, उससे यह अनुमेय

१. रामायण, १, ४, २,

२. महाभारत, आदि पर्व, ६२-२६

३. यन्म भारते तन्म भारते

है। व्यासदेव ने आदि पर्व में स्वयं इसे इतिहास के नाम से अभिहित किया है : जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ।^१ ऐसा लगता है, प्राक्तन समय में महाभारत ही इतिहास के रूप में स्वीकृत रहा होगा। व्यासदेव स्वयं इसे काव्य भी कहते हैं। ब्रह्मा को उद्दिष्ट कर उनका वचन है : कृतं मयेवं भगवन् ! काव्यं परमपूजितम् । ब्रह्मा ने उत्तर में उनसे कहा : त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात् काव्यं भविष्यति ।

आलंकारिक परम्परा के अनेकानेक महाकाव्यों के जन्मदाता इस महाभारत को सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री आचार्य आनन्दवर्धन ने महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने महाभारत के अन्तःस्पर्शी एवं भाव-बिह्वल अंशों को स्थान-स्थान पर उद्धृत कर उनकी व्यंजनाओं का विश्लेषण किया और यह स्थापना की कि यद्यपि अन्यान्य रस भी वहाँ उपस्थित हैं, पर, शान्त रस ही महाभारत का प्रधान रस है।

विषय के इतिहास-साहित्य में गुण और विस्तार; दोनों ही अपेक्षाओं से महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। विद्वज्जन व्यास की होमर और दान्ते से तुलना करते हैं, परन्तु होमर के इलियड तथा आडिसी; दोनों को मिलाकर भी देखा जाये, तो महाभारत उनसे कहीं आठ गुना विस्तृत सिद्ध होगा। इसमें अठारह पर्व हैं। शांतिपर्व सबसे बड़ा है। एक ही पर्व में १४ सहस्र श्लोक हैं। हरिवंश को महाभारत का परिशिष्ट भाग या १९ वां पर्व माना जा सकता है। महाभारत में कौरवों तथा पाण्डवों और हरिवंश में कृष्ण तथा यादवों का अनेक दृष्टियों से विस्तृत वर्णन है। हरिवंश को मिलाने पर महाभारत में एक लाख श्लोक होते हैं। महाभारत निःसन्देह बहुत महत्व और भारवत्ता—अतिविशालता लिये हुए है। इसीलिए उसके नाम के विश्लेषण में कहा गया है : महत्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।^२

समग्र महाभारत दार्शनिक विवेचन, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों से सम्बद्ध निगूढ़ तत्त्वों से ओतप्रोत है। वर्णाश्रम धर्म सम्बन्धी विधि-विधान, कर्तव्य तथा धर्म और मोक्ष तत्त्व-सम्बन्धी मार्मिक विश्लेषणों से भरा है। शब्दों के प्राचीन रूपों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। भाषा प्रांजल तथा प्रवाहपूर्ण है। यद्यपि रामायण जैसा यहाँ कवित्व तो नहीं है, पर, शब्दों तथा लोकोक्तियों के बड़े सुन्दर प्रयोग स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं, जो रामायण की छाप के परिचायक हैं। व्यासदेव की शैली के मुख्य गुण हैं—ओजस्विता और स्पष्टता। उनके पात्रों के चरित्र में ओजस् और स्पष्टता की सहज व्याप्ति

१. महाभारत, आदि पर्व, ६२, २२

२. महाभारत, आदि पर्व, १.३००

परिलक्षित होती है। महाभारत का बहुत बड़ा भाग परिसंवादों का है। व्यास परिसंवाद लिखने में निःसन्देह असाधारण प्रतीत होते हैं।

व्यासदेव की एक और अनुपम विशेषता यह है कि वे मानव-चरित्र की विचित्रता का बड़ा सूक्ष्म तथा मार्मिक चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं। एक प्रसंग है। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के मस्तक काट डाले गये। सभी पुत्रों की हत्या की असह्य वेदना और अपरिसीम व्यथा से द्रौपदी चीत्कार कर उठती है। अर्जुन अश्वत्थामा को दूढ़ लेता है और उसे पशु की तरह बांध कर घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने लाता है। जब अर्जुन अश्वत्थामा का सिर काटने को उद्यत होता है, तो द्रौपदी उसके चरणों में बिछ जाती है और अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है।

महाभारत में मानवीय संवेदना, भावनाओं की कोमलता, विचारों की उदात्तता के न जाने ऐसे कितने प्रसंग हैं, जिन्हें पढ़ कर, सुन कर वज्रोपम कठोर हृदय भी द्रवित हो जाता है। धर्मप्राण, शान्तिप्रिय देश के महान् कवि व्यासदेव ने महाभारत के अन्त में अपना मार्मिक सन्देश इन शब्दों में प्रस्तुत किया है :

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्,
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

—काम से, भय से, लोभ से और जीवन की कीमत पर भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।

वर्तमान में उपलब्ध महाभारत में कुछ गद्यात्मक भाग भी प्राप्त हैं। वे गद्यांश भिन्न-भिन्न पर्वों में हैं। आदि पर्व में तीन हैं। वन पर्व और शान्ति पर्व में सात-सात हैं। अनुशासन पर्व में तीन हैं। इस प्रकार कुल संख्या में बीस हैं। शैली और भाषा आर्य है। अविकांशतः विभिन्न महर्षियों द्वारा वर्णित उपाख्यान हैं। उनकी भाषा से स्पष्ट है, ये आर्य गद्यात्मक अंश प्राचीन हैं; अतः इनके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों का मन्तव्य है कि महाभारत रामायण से प्राचीन है। पर, एक पहलू विशेष रूप से विचारणीय है। महाभारत में रामायण की घटनाएँ अनेक स्थानों पर उल्लिखित या संकेतित हैं। यदि महाभारत रामायण से पहले का होता, तो यह कैसे होता? यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि ये गद्यांश बहुत प्राचीन काल में लिखे गये और बाद में महाभारत में जोड़े गये।

विशेष परिशीलन से अनुमित होता है कि महाभारत में बहुत सारा भाग बाद में मिला है। व्यास ने कौरवों और पाण्डवों की कथा के रूप में इस महाकाव्य का प्रणयन किया। उनके द्वारा रखा हुआ नाम जय था। ऐसा लगता है, आदि पर्व के ६५ वें अध्याय से व्यासदेव ने महाभारत का आरम्भ किया। इससे पहले का अंश बाद का प्रतीत होता है।

६५ वें अध्याय में क्षत्रियों की उत्पत्ति का निरूपण है। आगे चल कर महाभारत में जितना जो मिलाया जाता रहा, उससे यह निकाल पाना बड़ा कठिन हो गया कि वस्तुतः व्यासदेव की यथार्थ रचना कितनी है और कौन-सी है। कौरवों और पाण्डवों की मृत्यु के पश्चात् व्यास ने इस ग्रन्थ को प्रसृत किया। इसे ग्रन्थ का प्रथम संस्करण कहा जा सकता है।

अर्जुन का पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। शृंगी ऋषि के शाप के कारण सर्प-दंश से उसकी मृत्यु हुई। उसके पुत्र का नाम जनमेजय था। उसने समग्र सर्पों को नष्ट करने के लिए नाग-यज्ञ किया। कहा जाता है, महर्षि व्यास भी इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। जनमेजय ने उनसे प्रार्थना की कि उसके पूर्वजों—पाण्डवों तथा कौरवों के मृद्घ का वर्णन कृपा कर सुनाएँ। व्यासदेव ने स्वयं तो अपना जय महाकाव्य नहीं सुनाया, पर, अपने शिष्य वैशम्पायन को वेंसा करने की आज्ञा दी। गुरु के आदेश से वैशम्पायन ने वेंसा किया। वैशम्पायन उक्त ग्रन्थ सुनाते जाते थे। जनमेजय बीच-बीच में कुछ जिज्ञासाएँ एवं प्रश्न करते जाते थे। वैशम्पायन उनका समाधान करते जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है, वैशम्पायन जो समाधान देते थे, वे व्यास-रचित महाभारत में नहीं थे। वैशम्पायन अपनी ओर से ऐसा करते थे या किसी दूसरे स्थान से उन्हें वे प्राप्त थे, यह ज्ञात नहीं है। व्यास के मूल भाग के साथ वे समाधानात्मक अंश मिल गये या मिला दिये गये। इस प्रकार महाभारत का एक दूसरा संस्करण तैयार हो गया, जो पहले से विस्तृत था। वैशम्पायन के माध्यम से परिवर्द्धित इस संस्करण का नाम भारत संहिता पड़ा। आदि पर्व में इस सम्बन्ध में उल्लेख है :

चतुर्विंशतिसाहस्रीं श्रुत्वा भारतसंहिताम्,

उपाख्यानेर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः।

उपाख्यानों को छोड़कर भारत संहिता में २४ सहस्र श्लोक हैं। इससे अनुमान होता है कि व्यास ने जो जय महाकाव्य की रचना की, उसमें २४ सहस्र से कम श्लोक रहे होंगे। परन्तु, बहुत कम नहीं हो सकते। वैशम्पायन ने कुछ ही अंश जोड़ा होगा। कुछ ही समय बाद एक और प्रसंग बना। शौनक ऋषि ने नेमिषारण्य में बारह वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया। अनेक वेदपाठी विद्वान्, ज्ञानीजन और ऋषिगण उसमें उपस्थित हुए। आगत ऋषियों में रोमहर्षण ऋषि के पुत्र सोति ऋषि भी थे। सोति परीक्षित के पुत्र जनमेजय द्वारा किये गये नाग-यज्ञ में भी सम्मिलित हुए थे और उन्होंने वहाँ वैशम्पायन द्वारा उपस्थापित महाभारत के पाठ का भी श्रवण किया था। सोति ने महाभारत का वह पाठ वहाँ सुनाया। साथ-ही-साथ उपाख्यान भी सुनाये। महाभारत की कथा सुनाते समय सोति ने बीच-बीच में जहाँ अपेक्षित

हुआ अथवा जहाँ जिज्ञासाएँ की गईं, अपने विचार तथा भाव भी व्यक्त किये। इस प्रकार महाभारत का एक तीसरा संस्करण तैयार हो गया, जिसमें हरिवंश भी संयुक्त है। प्रारम्भ में भी सौति ने कुछ नया अंश जोड़ दिया। वह महाभारत की एक प्रकार से प्रस्तावना, प्राक्कथन या विषयानुक्रम कहा जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ का कलेवर एक लाख श्लोकों का हो गया। ग्रन्थ के भाग-विभाजन को भी सौति ने एक नया क्रम दिया। महाभारत मूलतः एक सौ पर्वों में विभक्त था। सौति ने विषयों का सूक्ष्मता से परिशीलन करते हुए इसे अठारह बड़े पर्वों में विभक्त किया। पर्वों को अध्यायों में बाँटा। इस प्रकार महाभारत का अति विशाल और भारी कलेवर तैयार हो गया। महत्वाद् भारवत्त्वान्च महाभारतमुच्यते यह उक्ति सम्भवतः इस संस्करण की प्रस्तुति होने पर अस्तित्व में आई हो।

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महाभारत को इतना विशाल आकार क्यों दिया गया, जिससे मूल ही पहचान से बाहर हो जाए। मूल का अज्ञात हो जाना लाम-प्रद नहीं कहा जा सकता। उससे भाषा की एकरूपता भी मिट जाती है। पर, यह सब हुआ। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। सम्भवतः एक विचार यह रहा होगा कि महाभारत ज्ञान-विज्ञान, आचार-शास्त्र तथा नीति-शास्त्र का एक प्रकार का विश्वकोश बन जाए; इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसमें उन सभी विषयों का समावेश किया जाता रहा होगा, जिनसे उक्त लक्ष्य की पूर्ति हो। तभी तो यदिहास्ति तत् सर्वत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् की उक्ति फलित हो सकती थी। एक और कारण भी रहा हो, समय पाकर मूल महाभारत का कुछ अंश नष्ट हो गया हो। उसे पूरा करने के लिए विद्वानों ने अनेक श्लोक, अध्याय आदि जोड़ दिये होंगे, कितना नष्ट हुआ, कितने से उसकी पूर्ति हो, इत्यादि वहाँ गोण हो गया हो, यह स्वाभाविक था। उस क्रम में अपेक्षित, अनपेक्षित बहुत सारे अंश जुड़ गये हों। इसका अच्छा परिणाम तो यह हुआ कि महाभारत को नीति-शास्त्र, कर्तव्य-शास्त्र, आचार-शास्त्र, तत्त्व-ज्ञान, दर्शन, धर्म इत्यादि सभी विषयों के ज्ञान-विज्ञान का विशाल विश्व-कोश बना डालने की योजना की बहुत सीमा तक पूर्ति हुई। पर, भाषा-तत्त्व की दृष्टि से एक अपूरणीय क्षति भी हुई। महाभारत की मूल भाषा इतने विशाल कलेवर में इस प्रकार समा गयी है कि उसे बहुत स्पष्ट रूप में संचिणी कर पाना वास्तव में कठिन हो गया है।

महाभारत के परिवर्द्धन में उल्लिखित घटनाओं के अनुसार तीनों संस्करणों के तैयार होने में बीच का व्यवधान बहुत लम्बा नहीं रहा; अतः भाषात्मक स्तर आदि में बहुत बड़ा भेद नहीं सोचा जाना चाहिए, पर, इसके साथ-ही-साथ परिवर्द्धन से सम्बद्ध जो घटना-क्रम व्याख्यात हुए हैं, वहीं तक यह क्रम समाप्त हो जाता, सब तक तो यह समुचित था, पर, ऐसा अनुमान है कि आगे भी वह क्रम चलता रहा, जिससे नवीन सामग्री का मिलना

रुका नहीं। विस्तृत विषय-वस्तु का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह भी विदित होता है कि श्रमण-संस्कृति के अहिंसा, निर्वेद, वैराग्य, तितिक्षा और अध्यात्म जैसे तत्त्व भी इसमें मिश्रित हो गये। संस्कृत-वाङ्मय में महाभारत का जो महत्व है, वह सदा अक्षुण्ण रहेगा। भाषा-तत्त्व, दर्शन तथा संस्कृति के तुलनात्मक एवं गवेषणात्मक परिशीलन की दृष्टि से उसमें पर्याप्त सामग्री भरी है।

रामायण और महाभारत के आधार पर तथा स्वतन्त्र रूप में आगे संस्कृत में जो विशाल साहित्य निर्मित हुआ, विश्व के वाङ्मय में उसकी अनेक दृष्टियों से अप्रतिम विशेषताएँ हैं। रामायण महाभारत काल से मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल तक संस्कृत में विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के साहित्य-ग्रंथ रचे जाते रहने का एक अविश्रान्त स्रोत रहा है। एक सीमा तक, वर्तमान काल पर्यन्त उसकी गति अकुण्ठित अस्तित्व लिये हुए है।

क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?

संस्कृत का जन-साधारण के दैनन्दिन व्यवहार में प्रचलन था या नहीं, इस सम्बन्ध में विद्वानों के दो प्रकार के अभिमत हैं। पाश्चात्य विद्वानों में हॉर्नली, जार्ज ग्रियर्सन तथा वेबर आदि की मान्यता है कि संस्कृत का जन-साधारण द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार या बोलचाल में प्रयोग नहीं होता था। इसके विपरीत डा० सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर तथा डा० पी० डी० गुणे आदि ने यह स्वीकार किया है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने ऐसा न मानने वाले पाश्चात्य विद्वानों के मत का खण्डन किया है। उनके अनुसार दूर से आह्वान, अभिवादन, परिचय, वार्तालाप आदि से सम्बद्ध कतिपय ऐसे नियम व्याकरण में प्राप्त हैं, जो किसी बोलचाल की भाषा पर ही लागू हो सकते हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा और बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का किंचित् भेद वे अवश्य स्वीकार करते हैं; क्योंकि साहित्यिक भाषा मर्यादानुगत तथा नियमानुबद्ध अधिक होती है और उसी का बोलचाल का रूप अपेक्षाकृत कम नियन्त्रित और कम मर्यादित होता है। फिर भी उनमें परस्पर उतनी भिन्नता नहीं होती कि उन्हें दो कह सकें।

संस्कृत का जो रूप पाणिनि ने प्रतिष्ठित किया, ठीक उसी रूप में संस्कृत सर्वसाधारण में आबित् थी, ऐसा तो सम्भव नहीं लगता। उससे सम्बद्ध, सन्निकटस्थ या मिलते-जुलते प्रचलित भाषा के रूप को बोलचाल की संस्कृत मान लिया जाये, तब भले ही ऐसा हो। पर, ऐसा माना नहीं जा सकता। क्योंकि व्याकरण के नियमों से अप्रतिबद्ध और एक सीमा तक स्वच्छन्द भाषा को संस्कृत नहीं कहा जा सकता। ऐसा होने पर उसका संस्कृतत्व या संस्कारवृत्ता स्थिर नहीं रह पाती। वास्तव में भाषा का साहित्य-प्रयुक्त रूप ही ऐसा हो सकता है, जो नियमों के नियन्त्रण में रह सके। बोलचाल के रूप में ऐसा रहने की

सम्भावना नहीं बनती। बोलचाल की भाषा सदा विकासोन्मुख होती है। भाषा के विकास को विकास भी कहा जाता है। उसका अर्थ भी भिन्न रूप लेता है, कुत्सित नहीं।

संस्कृत के स्वरूप-गठन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शिष्ट भाषा रही है। वह वर्ग जो विशेषतः विद्या-निष्णात था, जब कभी परस्पर मिलता, इसका अवश्य प्रयोग करता रहा होगा। आज भी यदा-कदा ऐसा देखा जाता है, जब पण्डितवृन्द मिलते हैं, तो इसका पादस्पर्शिक वार्तालाप में उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि वैद्य जब परस्पर में वार्तालाप करें, तो वे संस्कृत का व्यवहार करें।

संस्कृत व्याकरण-परिष्कृत भाषा तो थी, पर, बोलचाल की भाषा से अत्यधिक दूर नहीं थी; अतः ऐसा सम्भव जान पड़ता है कि पुरातन युग में शिष्ट और विद्वद्वृन्द द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा को साधारण जनता सामान्यतः समझ तो लेती थी, पर, उसे बोल नहीं सकती थी। उसका सुदृढ़ प्रमाण उत्तरवर्ती काल के संस्कृत-नाटकों में प्राप्त होता है। वहाँ विभिन्न पात्रों द्वारा भाषाओं के प्रयोग की एक विशेष व्यवस्था है। परिव्राजक, ब्राह्मण, राजा, न्यायाधीश, अमात्य, सेनापति आदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा नाटकों में संस्कृत-भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्त्री, शूद्र, किसान, मजदूर, दास, दासी, दुकानदार आदि दूसरी श्रेणी (साधारण या निम्न वर्ग आज की भाषा में जिसे जन-साधारण या आम जनता कहा जा सकता है) के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग करने का विधान है। जब एक भृत्य राजा से वार्तालाप करता है, तो वह राजा द्वारा संस्कृत में कथित बात को सुनकर उसका प्राकृत में उतर देता है। यदि वह राजा द्वारा संस्कृत में कथित बात को अच्छी तरह नहीं समझता, तो उसका उतर कैसे दे पाता? इससे निश्चय ही यह प्रकट होता है कि संस्कृत के काल में जन-साधारण के बोलचाल के उपयोग में जो भाषा आती थी, वह संस्कृत नहीं थी, संस्कृत के बहुत निकट अवश्य थी।

संस्कृत के जो नाटक कहलाते हैं, वास्तव में उनमें प्राकृत का भाग कम नहीं, प्रत्युत अधिक है। नाटक में संस्कृत बोलने वाले पात्रों की अपेक्षा प्राकृत बोलने वाले पात्र भी प्रायः अधिक मिलते हैं। उदाहरणार्थ, शूद्रक के मृच्छकटिक में तीस पात्र हैं, जिनमें केवल चार पात्र^१ संस्कृत बोलते हैं, बाकी के छब्बीस पात्र प्राकृत। कभी-कभी किन्हीं नाटकों में प्राकृत-भाषी पात्र बीच में किसी प्रसंग में थोड़ी-सी संस्कृत बोलते हुए भी दिखला दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, भास के चावुत में नायक चावुत की पत्नी कुलजा होने के कारण संस्कृत बोलती हुई भी दिखलाई गयी है, पर, साधारणतया वह प्राकृत ही बोलती है। नाटकों के इस क्रम से सहज ही यह अनुमान होता है कि सामान्यतया प्राकृतों का लोक-

१. नायक चावुत, चित, आर्यक और ब्राह्मणजातीय तस्कर शर्बिलक।

भाषाओं के रूप में प्रचलन था और उच्च कहे जाने वाले व्यक्तियों में संस्कृत का प्रयोग चलता था, पर, कादाचित्क और साथ-ही-साथ प्रयत्नपूर्ण ।

लोक-प्रयुक्त भाषा जीवित होती है । जीवित भाषा में सर्वत्र एकरूपता नहीं होती । स्थान-भेद, जाति-भेद, व्यवसाय-भेद आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे उसका रूप कुछ-कुछ परिवर्तित हो जाता है और वह भी भिन्न-भिन्न प्रकार से । नाट्य-शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने नाटक में किन-किन पात्रों द्वारा किन-किन प्राकृतों का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका विस्तृत व्योरा दिया है । प्रस्तुत विषय के स्पष्टीकरण के हेतु उसकी चर्चा यहां अपेक्षित है । भरत ने अग्रांकित रूप में प्रस्तुत विषय में सूचन किया है —

पात्र	भाषा
भृत्य (नौकर) राजपुत्र सेठ धूर्त हाथी, घोड़े, बकरे, ऊँट आदि के घोष - स्थान में बसने वाले लोग खस, शक, घोषक तथा इस प्रकार के अन्य व्यक्ति	अङ्गमागधी अवन्तिजा आभीर अथवा शाबरी खस देश की भाषा (खासी)
पुत्कस धूतकार, नगर-रक्षक, सुभट वनचर राजा के अन्तःपुर में सुरंग खोदने वालों का ध्यान रखने वाला, अश्व-रक्षक, आपद्- ग्रस्त नायक	चाण्डाली दाक्षिणात्या द्रामडी मागधी
विदूषक प्रभृति उदीच्य अङ्गारकाश, आखेटक, काष्ठयन्त्रोपजीवी नायिका, सखी	प्राच्या बाह्लिक शकार भाषा (शकारी) अशतः धनोवासी शौरसेनी

भाषाओं के वे जो अनेक नाम सूचित किये गये हैं, वे स्थान-भेद, वर्ग-भेद, व्यवसाय-भेद आदि पर आधृत प्राकृतों के अनेक रूप हैं । आज भी देखा जाता है, एक ही प्रदेश की भाषा

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों, जातियों व वर्गों के लोगों द्वारा थोड़ी-बहुत भिन्नता के साथ बोली जाती है। एक ही नगर या गाँव में ब्राह्मण जाति के लोगों के बोलने का कुछ अलग लहजा, थोड़ी-सी भिन्न शब्दावली आदि की विशेषता रहती है, जबकि व्यापारी समाज का बोलने का प्रकार कुछ अपनी विशेषताएं लिये रहता है। वही भाषा हरिजन जातियों में परस्पर बोली जाती है, तब उसमें उनकी अपनी विशेषता तथा औरों से भिन्नता रहती है।

उपयुक्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि नाटकों में लोक-भाषाओं के प्रयोग की जो इतनी विविधता निर्दिष्ट की गयी है, उससे यह सिद्ध होता है कि शिष्टजनों और सामान्य लोगों की भाषा में एक अन्तर था। शिष्टजन संस्कृत का प्रयोग करने में गौरव भी अनुभव करते रहे होंगे; क्योंकि संस्कृत को बहुत समय तक राज्याश्रय भी प्राप्त रहा। वैदिक आम्नाय में आस्था रखने वाले राजाओं ने इसे वेदों और धर्म-शास्त्रों की भाषा होने से पवित्र माना। फलतः उसे राज-भाषा का स्थान मिला। ताम्र-पत्रों, दान-पत्रों, प्रशस्ति-पत्रों आदि में इसी का प्रयोग चलता रहा। जहाँ भारतीय राजाओं ने अन्य देशों में अपने उपनिवेश तथा सम्बन्ध प्रतिष्ठापित किये, वहाँ के लिए भी सम्पर्क-भाषा संस्कृत ही रही। वहाँ की भाषाओं पर भी संस्कृत का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। यही कारण है, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान तथा पूर्वी द्वीप समूह आदि देशों की भाषा में संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं।

शिष्टजन-प्रयोज्य भाषा होने के कारण संस्कृत में साहित्य-सर्जन की एक अविच्छिन्न परम्परा चलती रही। इसी का परिणाम है कि संस्कृत की अद्भुत प्रतिभाओं से इस कोटि का साहित्य प्रसूत हुआ, जो विश्व के समृद्धतम साहित्यों में गिना जाता है। संस्कृत ने कालिदास, माघ, भारवि और श्रीहर्ष जैसे कवि उत्पन्न किये, जिनकी विशेषताएं अपने आप में अप्रतिम हैं।



: ३ :

मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ

(*Middle-Indo-Aryan Languages*)

प्राकृत

भाषा-वैज्ञानिकों ने भारतीय आर्यभाषाओं के विकास का जो काल-क्रम निर्धारित किया है, उसके अनुसार प्राकृत का काल ई० पू० ५०० से प्रारम्भ होता है। पर, वस्तुतः यह निर्धारण भाषा के साहित्यिक रूप की अपेक्षा से है। यद्यपि वैदिक भाषा की प्राचीनता में किसी को सन्देह नहीं है, पर, वह अपने समय में जन-साधारण की बोलचाल की भाषा रही हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता। वह ऋषियों, विद्वानों तथा पुरोहितों की साहित्य-भाषा थी। यह असम्भव नहीं है कि उस समय वैदिक भाषा से सामंजस्य रखनेवाली अनेक बोलियाँ प्रचलित रही हों। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने प्रादेशिक दृष्टि से एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न रूपों के प्रयोग के सम्बन्ध में महाभाष्य में जो उल्लेख किया है, सम्भवतः वह इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि कुछ प्रदेशों में वैदिक भाषा के कतिपय शब्द उन-उन प्रदेशों की बोलियों के संसर्ग से कुछ भिन्न रूप में अथवा किन्हीं शब्दों के कोई विशेष रूप प्रयोग में आने लगे थे। यह भी अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता कि इन्हीं बोलियों में से कोई एक बोली रही हो, जिसके पुरावर्ती रूप ने परिमार्जित होकर छन्दसू या वैदिक संस्कृत का साहित्यिक स्वरूप प्राप्त कर लिया हो।

कतिपय विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वेदों का रचना-काल आर्यों के दूसरे दल के भारत में प्रविष्ट होने के बाद आता है। दूसरे दल के आर्य पंचनद तथा सरस्वती व हृष-द्वती के तटवर्ती प्रदेश में होते हुए मध्यदेश में आये। इस क्रम के बीच वेद का कुछ भाग पंचनद में तथा सरस्वती व हृषद्वती की घाटी में बना और बहुत सा भाग मध्यदेश में प्रणीत हुआ। अथर्ववेद का काफी भाग, जिसके विषय में पूर्व इंगित किया गया है, जो परवर्ती माना जाता है, सम्भवतः पूर्व में बना हो।

पहले दल के आर्यों द्वारा, जिन्हें दूसरे दल के आर्यों ने मध्यदेश से खदेड़ दिया था, वेद की तरह किसी भी साहित्य के रचे जाने का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि मध्यदेश के चारों ओर लोग जिन भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करते थे, उनका कोई भी साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके प्राचीन रूप की विशेषताओं को नहीं जाना जा सकता, न अनुमान का ही कोई आधार है। वैदिक युग में पश्चिम, उत्तर, मध्यदेश और पूर्व में जन-साधारण के उपयोग में आने वाली इन बोलियों के वैदिक युग से पूर्ववर्ती भी

कोई रूप रहें होंगे, जिनके विकास के रूप में इनका उद्भव हुआ। वैदिक काल के पूर्व की ओर समवर्ती जन-भाषाओं को सर जाजं प्रियसंन ने प्राथमिक प्राकृतों (Primary Pra s) के नाम से उल्लिखित किया है। इनका समय ई० पू० २००० से ई० पू० ६०० माना जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये प्राथमिकता प्राकृतें स्वरो एवं झं तों के उच्चारण, विभक्तियों के प्रयोग आदि में वैदिक भाषा से बहुत समानताएं रखती थीं। इन भाषाओं से विकास पाकर उत्तरवर्ती प्राकृतों का जो साहित्यिक रूप अस्तित्व में आया, उससे यह प्रमाणित होता है।

महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में व्याकरण या शब्दानुशासन के प्रयोजनों की चर्चा की है। दुष्ट शब्दों के प्रयोग से बचने और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर बल देते हुए उन्होंने श्लोक उपस्थित किया है :

यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे, शब्दान् यथावद् व्यवहार काले।

सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः।^१

अर्थात् जो शब्दों के प्रयोग को जानता है, वैसे करने में कुशल है, वह व्यवहार के समय उनका यथोचित प्रयोग करता है; वह परलोक में अनन्त जय—उत्कर्ष—अम्युदय प्राप्त करता है। जो अपशब्दों का प्रयोग करता है, वह दूषित—दोष—भागी होता है।

दुष्ट शब्दों या अपशब्दों की ओर संकेत करते हुए भागे वे कहते हैं : एक-एक शब्द के अपभ्रंश हैं। जैसे, गो शब्द के गावो, गोणी, गोपोतलिका इत्यादि हैं।^२

अपभ्रंश शब्द का यहाँ प्रयोग उन भाषाओं के अर्थ में नहीं है, जो पाँचवीं शती से लगभग दशवीं शती तक भारत (पश्चिम, पूर्व, उत्तर और मध्यमण्डल) में प्रसृत रहीं, जो प्राकृतों का उत्तरवर्ती विकसित रूप थीं। यहाँ अपभ्रंश का प्रयोग संस्कृतेतर लोकभाषाओं के शब्दों के लिए है, जिन्हें उस काल की प्राकृतें कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, तब लोक-भाषाओं के प्रसार और प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चला हो। उनके शब्द सम्भवतः वैदिक और लौकिक संस्कृत में प्रवेश पाने लग गये हों; अतः भाषा की शुद्धि के पक्षपाती पुरोहित विद्वान् उस पर रोक लगाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हुए हों। पतंजलि के विवेचन की ध्वनि कुछ इसी प्रकार की प्रतीत होती है।

१. महाभाष्य, प्रथम आह्निक, पृ० ७

२. एकैकस्य शब्दस्य बह्वोऽपभ्रंशाः। अद्यागागौरित्येतस्य शब्दस्य गावी गोणी गोपोतलिकेत्येवमादयो ऽपभ्रंशाः।

पतञ्जलि कुछ आगे और कहते हैं—“सुना जाता है कि “यवर्णिः तवर्णिः” नामक ऋषि थे । वे प्रत्यक्ष धर्मा—धर्म का साक्षात्कार किये हुए थे । पर और अपर—परा और अपरा विद्या के ज्ञाता थे । जो कुछ ज्ञातव्य—जानने योग्य है, उसे वे जान चुके थे । वे वास्तविकता को पहचाने हुए थे । वे आदरास्पद ऋषि “यद् वा नः तद् वा नः”—ऐसा प्रयोग जहाँ किया जाना चाहिए, वहाँ “यवर्णिः तवर्णिः” ऐसा प्रयोग करते । परन्तु, याज्ञिक कर्म में अपभाषण—अशुद्ध शब्दों का उपचारण नहीं करते थे । असुरों ने याज्ञिक कर्म में अपभाषण किया था; अतः उनका पराभव हुआ ।”^१

पतञ्जलि के कहने का अभिप्राय यह है कि वैदिक परम्परा के विद्वान् पण्डित भी कभी-कभी बोलचाल में लोक-भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते थे । इसे तो वे क्षम्य मान लेते हैं, परन्तु, इस पहलू पर जोर देते हैं कि यज्ञ में अशुद्ध भाषा कदापि व्यवहृत नहीं होनी चाहिए । वैसे होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है । उनके कथन से यह अभिव्यंजित होता है कि इस बात की बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गयी थी कि लोक-भाषाओं का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रवाह याज्ञिक कर्म-विधि तक कहीं न पहुँच जाये । वे यहाँ तक कहते हैं : “याज्ञिकों के शब्द हैं कि यदि आहितानि (याज्ञिक अग्न्याधान किये हुए व्यक्ति) द्वारा अपशब्द का प्रयोग हो जाये, तो उसे उसके प्रायश्चित्त-स्वरूप सारस्वती—दृष्टि-सारस्वत (सरस्वती देवता को उद्दिष्ट कर) यज्ञ करना चाहिए ।”^२

एक स्थान पर पतञ्जलि लिखते हैं : “.....जिन प्रतिपादकों का विधि-वाक्यों में ग्रहण नहीं किया गया है, उनका भी स्वर तथा वर्णानुपूर्वी के ज्ञान के लिए उपदेश-संग्रह दृष्ट है, ताकि शश के स्थान पर षष, पलाश के स्थान पर पलाष और मञ्जक के स्थान पर मञ्जक का प्रयोग न होने लगे ।”^३

१. एवं हि श्रूयते—यवर्णिस्तवर्णिो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्षधर्माणिः परावरज्ञा विदित-वेदितव्या अभिगतयाथातय्याः । ते तत्र भवन्तो यद्धा न इति प्रयोक्तव्ये यवर्णिस्तवर्णि इति प्रयुंजते याज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते । तैः पुनरसुरैर्याज्ञे कर्मण्यपमाषितम्, ततस्ते पराभूताः ।

—महामाज्य, प्रथम आह्निक, पृ० ३७-३८

१. याज्ञिकाः पठन्ति आहितानिरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेत् ।

—वही, पृ० १४

२. यानि तर्ह्यगृह्णानि प्रातिपविकानि, एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थ उपदेशः कर्तव्यः । शशः षष इति मा भूत् । पलाशः पलाष इति मा भूत् । मञ्जको मञ्जक इति मा भूत् ।

—वही, पृ० ४८

पतंजलि के समक्ष एक प्रश्न और आता है। वह उन शब्दों के सम्बन्ध में है, जो उनके समय या उनसे पहले से ही संस्कृत में प्रयोग में नहीं आ रहे थे, यद्यपि वे थे संस्कृत के ही। ऊष, तेर; चक्र तथा पेच; इन चार शब्दों को उन्होंने उदाहरण के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने ऊष के स्थान पर उषिताः, तेर के स्थान पर तोर्णाः, चक्र के स्थान पर कृतवन्तः तथा पेच के स्थान पर पक्ववन्तः के रूप में जो प्रयोग प्रचलित थे, उनकी भी चर्चा की है।^१

इन शब्दों के अप्रयोग का परिहार करते हुए वे पुनः लिखते हैं : “हो सकता है, वे शब्द जिन्हें अप्रयुक्त कहा जाता है, अन्य देशों—स्थानों में प्रयुक्त होते हों, हमें प्रयुक्त होते नहीं मिलते हों। उन्हें प्राप्त करने का यत्न कीजिए। शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र बड़ा विशाल है। यह पृथ्वी सात द्वीपों और तीन लोकों में विभक्त है। चार वेद हैं। उनके छह अंग हैं। उसके रहस्य या तत्त्वबोधक इतर ग्रन्थ हैं। यजुर्वेद की १०१ शाखाएँ हैं, जो परस्पर भिन्न हैं। सामवेद की एक हजार मार्ग—परम्पराएँ हैं। ऋग्वेदियों के आम्नाय—परम्परा—क्रम इक्कीस प्रकार के हैं। अथर्ववेद नौ रूपों में विभक्त है। वाकोषाक्य (प्रश्नोत्तरात्मक ग्रन्थ) इतिहास, पुराण, आयुर्वेद इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, जो शब्दों के प्रयोग के विषय हैं। शब्दों के प्रयोग के इतने विशाल विषय को सुने बिना इस प्रकार कहना कि अमुक शब्द अप्रयुक्त है, केवल दुःसाहस है।”^२

पतंजलि के उपर्युक्त कथन में मुख्यतः दो बातें विशेष रूप से प्रतीत होती हैं। एक यह है—संस्कृत के कतिपय शब्द लोक-भाषाओं के ढाँचे में ढलते जा रहे थे। उससे उनका व्याकरण-शुद्ध रूप अक्षुण्ण कैसे रह सकता? लोक-भाषाओं के ढाँचे में ढला हुआ—किञ्चित् परिवर्तित या सरलीकृत रूप संस्कृत में प्रयुक्त न होने लगे, इस पर वे बल देते हैं; क्योंकि

१. अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः। कुतः प्रयोगान्यत्वात्। यदेषां शब्दानामर्थेऽन्याच्छब्दान्प्रयुज्यते। यद्यथा ऊषेत्यस्य शब्दस्यार्थे क्व यूयमुषिताः, तेरेत्यस्यार्थे क्व यूयं तीर्णाः, चक्रेत्यस्यार्थे क्व यूयं कृतवन्तः, पेचेत्यस्यार्थे क्व यूयं पक्ववन्त इति।

—महाभाष्य; प्रथम आह्निक, पृ० ३१

२. सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते। न चैवोपलभ्यन्ते। उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। महाच्छब्द्वारय प्रयोगविषयः। सप्तद्वीपा दसुमती, त्रयो लोकाः, चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः, बहुधा भिन्ना एकादशमन्वर्गशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यं, नवधाऽऽथर्वणो वेदः, वाकोषाक्यम्, इतिहासः, पुराणम्, वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयः। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमाश्रमेव।

—वही, पृ० ३२-३३

बंसा होने पर संस्कृत की शुद्धता स्थिर नहीं रह सकती थी। शब्द—वश, पलाश—पलाय, मञ्जक—मञ्जक, जो उल्लिखित किये गये हैं, वे निश्चय ही इसके चेतक हैं।

दूसरी बात यह है कि संस्कृत के कुछ शब्द लोक-भाषाओं में इतने घुल-मिल गये होंगे कि उनमें उनका प्रयोग सहज हो गया। सामान्यतः वे लोक-भाषा के ही शब्द समझे जाने लगे हों। संस्कृत के क्षेत्र पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। वहाँ उनका प्रयोग बन्द हो गया। हो सकता है, आपाततः संस्कृतज्ञों द्वारा उन्हें लोक-भाषा के ही शब्द मान लिये गये हों या जानबूझ कर उनसे दुराव की स्थिति उत्पन्न कर ली गयी हो।

पतञ्जलि के मस्तिष्क पर सम्भवतः इन बातों का असर रहा हो; इसलिए वे इन शब्दों की अप्रयुक्तता के कारण होने वाली भ्रान्ति का प्रतिकार करने के लिए प्रयत्नशील प्रतीत होते हैं। शुद्ध वाक्-ज्ञान, शुद्ध वाक्-प्रयोग, शुद्ध वाक्-व्यवहार को अक्षुण्ण बनाये रखने की उनको कितनी चिन्ता थी, यह उनके उस कथन से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने अक्षर-समाप्ताय के ज्ञान को परम पुण्य-दायक एवं श्रेयस्कर बताया है। उन्होंने लिखा है : “यह अक्षर-समाप्ताय ही वाक्समाप्ताय है अर्थात् वाक्—वाणी या भाषारूप में परिणत होने वाला है। इस पुष्पित, फलित तथा चन्द्रमा व तारों की तरह प्रतिमण्डित अक्षर-समाप्ताय को शब्द रूप ब्रह्म-वत्त्व समझना चाहिए। इसके ज्ञान से सब वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य-फल प्राप्त होता है। इसके अध्येता के माता-पिता स्वर्ग में गौरवान्वित होते हैं।”^१

साधारणतया भाषा-वैज्ञानिक प्राकृतों को मध्यकालीन आर्य-भाषा-काल में लेते हैं। वे ई० पू० ५०० से १००० ई० तक के समय का इसमें निर्धारण करते हैं। कतिपय विद्वान् ई० पू० ६०० से इसका प्रारम्भ तथा ११०० या १२०० ई० तक समापन स्वीकार करते हैं। स्थूल रूप में यह लगभग मिलता-जुलता-सा तथ्य है। भाषाओं के विकास-क्रम में काल का सर्वथा इत्थंभूत अनुमान सम्भव नहीं होता। मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा-काल को प्राकृत-काल भी कहा जाता है। यह पूरा काल तीन भागों में और बाँटा जाता है—प्रथम प्राकृत-काल, द्वितीय प्राकृत-काल, तृतीय प्राकृत-काल। प्रथम प्राकृत-काल प्रारम्भ से अर्थात् ई० पू० ५०० से ई० सन् के आरम्भ तक माना जाता है। इसमें पालि तथा शिलालेखी प्राकृत को लिया गया है। दूसरा काल ई० सन् से ५०० ई० तक का माना जाता है।

१. सो ऽ यमक्षरसमाप्तायो वाक्समाप्तायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते।

—महाभाष्य, द्वितीय आह्निक, पृ० ११३

इसमें प्रवृत्त भाषा प्राकृत के नाम से अभिहित की गयी है। प्राकृत के अन्तर्गत कई प्रकार की प्राकृतों का समावेश है, जिनके स्वतन्त्र रूप स्पष्ट हो चुके थे। तीसरे काल की अवधि ५०० ई० से १००० ई० तक मानी जाती है। इसकी भाषा का नाम अपभ्रंश है, जो प्राकृतों का उत्तरवर्ती विकास था।

पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ ने भी पाइअसहमहणवो की भूमिका में इस प्राकृत-काल को, जिसे उन्होंने, द्वितीय स्तर की प्राकृतों का समय कहा है, तीन युगों में विभक्त किया है। प्रस्तुत प्रसंग में वह विशेष उपयोगी है; अतः यहाँ उद्धृत किया जा रहा है :

प्रथम युग (रित्रस्त पूर्व ४०० ई० से रित्रस्त के बाद १०० ई०)

- (क) हीनयान बौद्धों के त्रिपिटक, महावंश और जातक प्रभृति ग्रन्थों की पालि भाषा।
- (ख) पेशाची और चूलिका पेशाची।
- (ग) जैन आगम-ग्रन्थों की अर्द्धमागधी भाषा।
- (घ) अंग-ग्रन्थ-भिन्न प्राचीन सूत्रों की और पउमचरिउ आदि प्राचीन ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- (ङ) अशोक-शिलालेखों की एवं परवर्ती-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा।
- (च) अश्वघोष के नाटकों की भाषा।

मध्ययुग (रित्रस्तोय १०० से ५००)

- (क) त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित भासरचित नाटकों और बाद के कालिदास प्रभृति के नाटकों की शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री भाषाएँ।
- (ख) सेतुबन्ध, नाया सप्तशती आदि काव्यों की महाराष्ट्री भाषा।
- (ग) प्राकृत-व्याकरणों में जिनके लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं, वे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची भाषाएँ।
- (घ) दिगम्बर जैन ग्रन्थों की शौरसेनी और परवर्ती-काल के श्वेताम्बरों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- (ङ) षण्ड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशीय में प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा।

शेषयुग (रित्रस्तोय ५०० से १००० वर्ष)

भिन्न-भिन्न प्रदेशों की परवर्ती-काल की अपभ्रंश भाषाएँ।

पं० हरगोबिन्ददास टी० सेठ का यह विभाजन प्राकृत के भेदों पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

प्राकृत के नाम-नामान्तर

प्राकृत के लिए पाइय, पाइअ, पाउय, पाउड, पागड, पागल, पागय, पायअ, पागय, पायड जैसे अनेक नाम प्राप्त होते हैं। जैन अंग-साहित्य के तीसरे अंग स्थानांग सूत्र^१ में पागल शब्द व्यवहृत हुआ है। क्षमाश्रमण जिनभद्रगणिकृत विशेषावश्यक भाष्य^२ की टीका में आचार्य हेमचन्द्र ने पागय शब्द का प्रयोग किया है। राजशेखर द्वारा रचित कर्पूरमंजरी^३ नामक सूत्रक में पाउअ शब्द आया है। वाक्पतिराज ने गउडवहो नामक प्राकृत-काव्य में पायय^४ शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द प्राकृत के अर्थ में हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र^५ में प्राकृत के नाम से इस भाषा को अभिहित किया है।

प्राकृत का उत्पत्ति-स्रोत

भाषा-वैज्ञानिक साधारणतया ऐसा मानते आ रहे हैं कि आर्य भाषाओं के विकास-क्रम के अन्तर्गत वैदिक भाषा से संस्कृत का विकास हुआ और संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ। इसीलिए भाषा वैज्ञानिक इसका अस्तित्व संस्कृत-काल के पश्चात् स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन अपेक्षित है।

वैयाकरणों की मान्यताएं

सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण आचार्य हेमचन्द्र ने प्राकृत की परिभाषा करते हुए कहा है : “प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्” — प्रकृति संस्कृत है; वहां होने वाली या उससे आने वाली भाषा प्राकृत है। मार्कण्डेय ने प्राकृत-सर्वस्व में प्राकृत का “प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवं प्राकृतमुच्यते” — प्रकृति संस्कृत है, वहां होने वाली भाषा अर्थात् उससे निष्पन्न होने वाली भाषा प्राकृत कही जाती है, ऐसा लक्षण किया है। प्राकृत-चन्द्रिका में “प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवत्वात् प्राकृतं स्मृतम्” — प्रकृति संस्कृत है, वहां होने से या उससे उद्भूत होने से यह भाषा प्राकृत कही गयी है, ऐसा उल्लेख किया गया है। नरसिंह ने

१. स्थानांगसूत्र, स्थान ७, सूत्र ५५३

२. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १४६६ की टीका

३. कर्पूर मंजरी, जवनिका १, श्लोक ८

४. गउडवहो, गा० ९२

५. नाट्यशास्त्र, अ० १७, श्लो० १

षड्भाषाचन्द्रिका में “प्रकृतेः संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता” —संस्कृत रूप प्रकृति का विकार—विकास प्राकृत माना गया है, ऐसा विवेचन किया है। प्राकृत संजीवनी में कहा गया है कि “प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतं योनिः” —प्राकृत का मूल स्रोत सर्वथा संस्कृत ही है। नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् धनिक ने वशरूपक में “प्रकृतिः आगतं प्राकृतम्, प्रकृतिः संस्कृतम्” —जो प्रकृति से आगत है, वह प्राकृत है और प्रकृति संस्कृत है, ऐसा विश्लेषण किया है। सिंहदेवगणी ने वाग्मटालंकार की टीका में “प्रकृतेः संस्कृतात् आगतं प्राकृतम्” —संस्कृत रूप प्रकृति से जो भाषा आई—उद्भूत हुई, वह प्राकृत है, ऐसी व्याख्या की है। काव्यादर्श के टीकाकार प्रेमचन्द्र तर्कवागीश ने लिखा है : “संस्कृतरूपायाः प्रकृतेः उत्पन्नत्वात् प्राकृतम्” —संस्कृतरूप प्रकृति से उत्पन्नता के कारण यह भाषा प्राकृत नाम से अभिहित हुई है। नारायण ने रसिक-सर्वस्व में प्राकृत और अपभ्रंश के उद्भव की चर्चा करते हुए कहा है : “संस्कृतात् प्राकृतमिष्टम्, ततोऽपभ्रंशमावणम्” —संस्कृत से प्राकृत और उससे अपभ्रंश अस्तित्व में आई।

प्राकृत के वैयाकरणों तथा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के कतिपय टीकाकारों के उपर्युक्त विचारों से सामान्यतः यह प्रकट होता है कि उन सब की प्रामः एक ही धारणा थी कि संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ है। सबसे पहले यह विमर्शनीय है कि संस्कृत का अर्थ ही संस्कार, परिमार्जन या संशोधन की हुई भाषा है, तब उससे प्राकृत जैसी किसी दूसरी भाषा का उद्भूत होना कैसे सम्भव हो सकता है ? या तो प्राकृत के उपर्युक्त वैयाकरणों और काव्य-शास्त्रीय विद्वानों ने भाषा-तत्त्व या भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सोचा नहीं था या उनके कहने का अभिप्राय कुछ अन्य था।

प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ जन-साधारण या स्वभाव होता है। जन-साधारण की भाषा या स्वाभाविक भाषा —वस्तुतः प्राकृत का ऐसा ही अर्थ होना चाहिए। अग्रिम प्रकरणों में की गयी कुछ विद्वानों के मतों की चर्चा से यह संगत प्रतीत होगा।

उपर्युक्त विद्वानों ने यदि वस्तुतः संस्कृत को प्राकृत का मूल स्रोत स्वीकार किया हो, इसी अर्थ में संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति कहा हो तो यह विचारणीय है। जैसा कि सिद्ध है, संस्कृत भाषा व्याकरण से सर्वथा नियमित एवं प्रतिबद्ध हो चुकी थी। ऐसा होने के अनन्तर भाषा का अपना स्वरूप तो यथावत् बना रहता है, पर, उसका विकास रुक जाता है। उससे किसी नई भाषा का प्रसूत होना सम्भव नहीं होता; क्योंकि वह स्वयं किसी बोलचाल की भाषा (जन-भाषा) के आधारे पर संस्कार-युक्त रूप धारण करती है। आचार्य हेमचन्द्र जैसे विद्वान्, जिनकी धार्मिक परम्परा में प्राकृत को जगत् की आदि भाषा तक कहा गया है, इसे संस्कृत से निःसृत मानें, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? आचार्य हेमचन्द्र आदि वैयाकरणों ने संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति के रूप में जो निरूपित किया है, उसका

एक विशेष आशय प्रतीत होता है। ये व्याकरण तथा काव्यशास्त्रीय टीकाकार प्रायः प्राकृत-काल के पश्चाद्वर्ती हैं। इनका समय अपभ्रंशों के अनन्तर आधुनिक भाषाओं के उद्गम तथा विकास के निकट का है। तब प्राकृत का पठन-पाठन लगभग बन्द हो गया था। यहाँ तक कि प्राकृत को समझने के लिए संस्कृत-छाया से काम लेना पड़ता था। पुरातन भाषाओं के सीखने का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसका मुख्य कारण यह है कि संस्कृत यद्यपि लोक-भाषा का रूप कभी भी नहीं ले सकी, परन्तु, भारत की आर्य-भाषाओं के आदि-काल से लेकर अनेक शताब्दियों तक यह भारत में एक शिष्ट भाषा के रूप में प्रवृत्त रही। इस दृष्टि से उसकी व्याप्ति और महत्व क्षीण नहीं हुआ। सभी तो काल-क्रमवश जन-जन के लिए अपरिचित बनी प्राकृत जैसी भाषा को, जो कभी सर्वजन-प्रचलित भाषा थी, समझने के लिए संस्कृत जैसी शिष्ट भाषा का अवलम्बन लेना पड़ा। सम्भवतः प्राकृत-वैयाकरणों के मन पर इसी स्थिति का असर था। यही कारण है कि उन्होंने प्राकृत का आधार संस्कृत बताया। यहाँ तक हुआ, जैन विद्वान्, जैन भ्रमण, जिनका मौलिक बाङ्गमय प्राकृत में रचित है, अपने आर्य ग्रन्थों को समझने में संस्कृत छाया और टीका का सहयोग आवश्यक मानने लगे थे।

आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के सम्बन्ध में कुछ और विशेषतः ज्ञापनीय है। आचार्य हेमचन्द्र ने कोई स्वतन्त्र प्राकृत-व्याकरण नहीं लिखा। उन्होंने सिद्धहेमशब्दानुशासन के नाम से बृहत् संस्कृत-व्याकरण की रचना की।^१ उसके सात अध्यायों में संस्कृत-व्याकरण के समग्र विषयों का विवेचन है। आठवें अध्याय में प्राकृत-व्याकरण का वर्णन किया गया

१. आचार्य हेमचन्द्र की व्याकरण-रचना के सम्बन्ध में एक घटना है। गुर्जरेश्वर सिद्धराज जयसिंह गुर्जरदेश की काश्मीर, काशी और मिथिला की तरह संस्कृत-विद्या का प्रशस्त पीठ देखना चाहता था। उसने अपने राज्य के विद्वानों से यह अनुरोध किया कि वे एक नूतन व्याकरण की रचना करें, जो अपनी कोटि की अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति हो। सिद्धराज जयसिंह को विशेषतः यह प्रेरणा तब मिली, जब उसने अपने द्वारा जीते गये मालव देश के लूट के माल में आये एक ग्रन्थ-भण्डार की गवेषणा करवाई। उसमें धाराधीन भोज द्वारा रचित एक व्याकरण-ग्रन्थ पर सिद्धराज की दृष्टि पड़ी, जिस (ग्रन्थ) की पण्डितों ने बड़ी प्रशंसा की। सिद्धराज को साहित्यिक स्पर्धा जगी। फलतः उसने विद्वानों से उक्त अनुरोध किया। सिद्धराज की राजसभा में आचार्य हेमचन्द्र का सर्वातिशायी स्थान था। वे अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे, अनेक विषयों के मार्मिक विद्वान् थे। प्रभावकचरित में इस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :

सर्वे सम्भूय विद्वान्सो, हेमचन्द्रं व्यलोकयन् ।

महामत्स्या राजासावभ्यर्च्य प्रार्थि (तस्ततः) ॥

है। इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृत व्याकरण का विश्लेषण ग्रन्थ का मुख्य विषय नहीं था। युग-प्रवाह को देखते हुए उन्हें सम्भवतः यही समीचीन लगा हो कि संस्कृत के माध्यम से प्राकृत तक पहुँचा जाये। प्राकृत को सीधे व्याख्यात करना उन्हें रुचिकर भी नहीं लगा होगा; क्योंकि बोलचाल में प्राकृत का व्यवहार नहीं रहा। इतना ही नहीं, बल्कि उसके स्वतन्त्र अध्ययन की प्रवृत्ति भी क्षीण हो चुकी थी। उसका अध्ययन संस्कृत-सापेक्ष बन ही गया था। लगता है, इसीलिए उन्हें प्राकृत के आधार को स्वीकार करना समयानुकूल और अध्ययनानुकूल प्रतीत हुआ है। शब्दों के संस्कृत रूप इन-इन परिवर्तनों से प्राकृत रूप बन जाते हैं; यही प्राकृत भाषा में प्रवेश पाने का सुगमतम मार्ग था। अस्तु, इसी परिपार्श्व में उन्हें संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति कहना उचित लगा है, यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है।

आचार्य हेमचन्द्र प्राकृत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रान्त नहीं थे। काव्यानुशासन की पहली कारिका में वे कहते हैं :

अकृत्रिमस्वाद्गुपदां, परमार्थानिधायिनीम् ।

सर्वभाषापरिणतां, जैनी वाचमुपास्महे ॥

अलंकारचूडामणि नामक स्वोपज्ञ व्याख्या में इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे लिखते हैं :
अकृत्रिमाणि—असंस्कृतानि अतएव स्वाद्गुनि मन्दधियामपि पेशलानि पदानि यस्या मिति विग्रहः ।
.....तथा सुरनरतिरयचां विचित्रासु भाषासु परिणतां तन्मयतां गतां सर्वभाषापरिणताम् ।

शब्दव्युत्पत्तिकृच्छ्रास्त्रं निर्मायास्मन्मतोरथम् ।

पूरयस्व महर्षे ! त्वं, बिना त्वामत्र कः प्रभुः ॥

यशो मन तव ख्यातिः, पुण्यं च मुनिनायक ।

विश्वलोकोपकाराय, कुरु व्याकरणं तवम् ॥

—प्रभावकचरित १२, ८१, ८२, ८४

आचार्य हेमचन्द्र के इस व्याकरण की गुजरात में तथा अन्यत्र बहुत प्रशस्ति हुई। इस सम्बन्ध में निर्भाङ्कित श्लोक बहुत प्रसिद्ध है :

किं स्तुमः शम्भुपायोवेहेमचन्द्रयतेर्मतिम् ।

एकेनापि हि येनेहक्, कृतं शब्दानुशासनम् ॥

सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् जिनमण्डल ने भी इसी प्रकार के उद्गार व्यक्त किये हैं :

जयसिंहदेववचनात् निम्मितं सिद्धहेमवाकरणं ।

नीतेन सहस्रवर्णनिहाण मिमिणा मुनिवेशेन ॥

(जयसिंहदेववचनात् निर्मितं सिद्धहेमव्याकरणम् ।

किशोवशब्दचक्रनिधानमतेन मुनीन्द्रेण ॥)

एकस्याऽपि हि भगवन्तोऽधर्मागधीभाषा वारिवविमुक्तवारिवद् आश्रयानुरूपतया परिणमति ।”
इस तथ्य को और पुष्ट करने के लिए वे निम्नांकित पद्य भी वहीं उद्धृत करते हैं :

वेदा देवीं नरा नारीं शबराश्चापि शाबरीम् ।

तिर्यची ऽपि हि तैरश्चीं मेनिरे भगवद्गिरम् ॥

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा स्वयं अपनी व्याख्या में किये गये इस विवेचन से स्पष्ट है कि वे संस्कृत को कृत्रिम भाषा मानते थे । प्राकृत उनकी दृष्टि में अकृत्रिम—स्वाभाविक या प्राकृतिक भाषा थी । अस्तु, इस विचारधारा में विश्वास रखने वाला मनीषी यह स्थापना कैसे कर सकता है कि प्राकृत संस्कृत से निकली है ।

आचार्य हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती महान् नैयायिक एवं कवि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भी इस प्रकार उल्लेख किया है : अकृत्रिमस्वाकुरुपदैर्जनं जिनेन्द्रः साक्षाद्विबपासि भाषितैः ।^१ आचार्य हेमचन्द्र ने इसी परम्परा का अनुशरण किया है । यहाँ तक कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के शब्दों को भी यथावत् रूप में स्वीकार किया है ।

सुप्रसिद्ध अलंकार शास्त्री नमि साधु ने महाकवि रुद्रट के काव्यालंकार पर अपने द्वारा रची गई वृत्ति में द्वितीय अध्याय के १२ वें श्लोक^२ की व्याख्या करते हुए जहाँ ‘प्राकृत’ शब्द आया है, विवेचन किया है : “सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहित संस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम् । प्राक् पूर्व कृत प्राकृतं बालमहिला-दिसुबोधं सकलभाषा निबन्धभूतं वचनमुच्यते ।”^३

नमि साधु ने यह भी उल्लेख किया है कि जिस प्रकार बादल से गिरा हुआ पानी यद्यपि एक रूप होता है, पर, भूमि के भेद से वह अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार वह (प्राकृत भाषा) अनेक रूपों में परिणत हो जाती है । वही पाणिनि आदि के व्याकरण के नियमों से संस्कार पाकर—सम्माजित होकर संस्कृत कहलाती है ।^४

नमि साधु उक्त विवेचन के सन्दर्भ में एक बात की और चर्चा करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है । वे कहते हैं : मूल ग्रन्थकार आचार्य रुद्रट ने विवेचन-क्रम के मध्य प्राकृत का पहले तथा संस्कृत आदि का बाद में निर्देश किया है ।^५ यह स्पष्ट है, इस प्रकार कहकर वे इस

१. द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका; १।१८

२. प्राकृत-संस्कृत-मागध-विशाचभाषाश्च शौरसेनी च ।

जण्डोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः ॥

३. पादअसदमहणञो, उपोद्धात, पृ० २४

४. मेघनिर्मुक्तजलमिवैकस्वरूपं तदेव विभेदानाम्भोति । ... पाणिन्यादि-व्याकरणोक्तशब्दलक्षणेन संस्करणाय संस्कृतमुच्यते ।

५. अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्विजं तदनुसंस्कृतादीनि ।

उद्य पर बल देना चाहते हैं कि प्राकृत पूर्ववर्ती है तथा संस्कृत तत्पश्चाद्वर्ती । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उनके विचार महत्वपूर्ण और मननीय हैं । पूर्वोद्धृत व्याकरणों तथा काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारों से ये मेल नहीं खाते । नमि साधु प्रायः इन सभी से पूर्ववर्ती थे ।

राजशेखर जैसे अनेक विद्वानों ने भी इसी ओर इंगित किया है । उनका समय लगभग नौवीं ईस्वी माना गया है । बाल रामायण^१ में एक प्रसंग पर वे लिखते हैं :

यद् योनिः किल संस्कृतस्य सुदृशां जिह्वासु यन्मोदते,
यत्र श्रोत्रपथावतारिणि कदुर्भाषाक्षराणां रसः ।
गद्यं चूर्णपदं पदं रतिपतेस्तत् प्राकृतं यद्वचः,
तांल्लाटांल्ललितांगि पश्य नुदती दृष्टेर्निमेषव्रतम् ॥

जो संस्कृत का उत्पत्ति-स्थान है, सुन्दर नयनों वाली नारियों की जिह्वाओं पर जो प्रमोद पाती है, जिसके कान में पड़ने पर अन्य भाषाओं के अक्षरों का रस कड़ुभा लगने लगता है, जिसका सुललित पदों वाला गद्य कामदेव के मद जैसा हृद्य है, ऐसी प्राकृत भाषा जो बोलते हैं, उन लाट देश (गुजरात) के महानुभावों को हे सुन्दरि ! अपलक नयनों से देख ।

प्राकृत की विशेषताओं के वर्णन के सन्दर्भ में राजशेखर ने इस उल्लेख में प्राकृत को जो संस्कृत की योनि—प्रकृति या उद्गम-स्रोत बताया है, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है ।

गडडबहो में वाक्पतिराज ने प्राकृत की महत्ता और विशेषता के सम्बन्ध में जो कहा है, उसका उल्लेख किया ही जा चुका है । उन्होंने प्राकृत को सभी भाषाओं का उद्गम-स्रोत^२ बताया है । प्राकृत के सन्दर्भ में उन्होंने एक बात और कही है, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि

१. बाल रामायण, ४८-४९

२. सयलाभो इमं वाया विसन्ति एत्तो घ जेन्ति वायाओ ।

एन्ति समुद्दं चिय जेन्ति सायराभो चिय जलाइ ॥

—गडडबहो, कवि-प्रशंसा, ९३

(सकला एतद् वाचो विसन्ति इतस्व निर्यान्ति वाचः ।

आयान्ति समुद्रमेव निर्यान्ति सागरादेव जलानि ॥)

इस (प्राकृत) भाषा में सब भाषाएं प्रवेश पाती हैं । इसी से सब भाषाएं निकलती हैं । पानी समुद्र में ही प्रवेश करता है और समुद्र से ही (वाक् के रूप में) निकलता है ।

से मननीय है। उन्होंने कहा है : “प्राकृत की छाया—प्रभाव से संस्कृत-वचनों का लावण्य उद्घाटित या उद्भासित होता है। संस्कृत को संस्कारोत्कृष्ट करने में प्राकृत का बड़ा हाथ है।”¹

संस्कृत भाषा की विशेषता संस्कारोत्कृष्टता है, इस उक्ति से यह प्रकट होता है कि उत्कृष्टतापूर्वक उसका संस्कार—परिष्कार या परिमार्जन किया हुआ है। ऐसा होने का कारण प्राकृत है। दूसरे शब्दों में प्राकृत कारण है, संस्कृत कार्य है। कार्य से कारण का पूर्वभावित्व स्वाभाविक है।

शानसेखर तथा वाकपतिराज के कथन पर गौर करना होगा। वे जैन परम्परा के नहीं थे, वैदिक परम्परा के थे। जैन लेखक प्राकृत को अपने धर्म-शास्त्रों की भाषा मानते हुए अपनी परम्परा के निर्वाह अथवा उसका बहुमान करने की दृष्टि से ऐसा कुछ कह सकते हैं, पर, जहां अजैन विद्वान् ऐसा कहते हैं, वहां अवश्य कुछ महत्त्व होना चाहिए। दोनों का कथन निःसन्देह प्राकृत के अस्तित्व, स्वरूप आदि के यथार्थ अंकन की दृष्टि से है।

आचार्य सिद्धार्थ का अभिमत

संस्कृत वाङ्मय के महान् कथाशिल्पी आचार्य सिद्धार्थ ने ‘उपमितिभवप्रपञ्चकथा’ नामक महान् संस्कृत-कथा ग्रन्थ में भाषा के सम्बन्ध में चर्चा की है, जो प्रस्तुत विषय में बड़ी उपयोगी है। वे लिखते हैं : “संस्कृत और प्राकृत; ये दो भाषाएं प्रधान हैं। उनमें संस्कृत दुर्विदग्ध जनों के हृदय में स्थित है। प्राकृत बालकों के लिए भी सद्बोधकर है तथा कर्णप्रिय है। फिर भी उन्हें (दुर्विदग्ध जनों को) प्राकृत रुचिकर नहीं लगती। ऐसी स्थिति में, जब उपाय है, (संस्कृत में ग्रन्थ रचने की मेही क्षमता है) तब सभी के चित्त का रंजन करना चाहिए। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं संस्कृत में यह रचना करूंगा।”²

१. उन्मिलइ लायणं पययच्छायए सक्कयवयाणं।

सक्कयसक्कारुक्करिसणेण पययस्स वि पहावो ॥

—गजज्वहो; ६५

(उन्मील्यते लावण्यं प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम् ।

संस्कृतसंस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्यापि प्रभावः ॥)

२. संस्कृता प्राकृता चेति, भाषे प्रधान्यमर्हतः।

तत्रापि संस्कृता तावद्दुर्विदग्धहृदि स्थिता।

बालानामपि सद्बोधकारिणी कर्णप्रेक्षला।

तथापि प्राकृता भाषा न तेषामपि भासते।

उपाये सति कर्तव्यं सर्वेषां चित्तरंजनम्।

अतस्तदनुरोधेन संस्कृतेयं करिष्यते ॥

—उपमितिभवप्रपञ्चकथा, प्रथम प्रस्ताव, ५१-५३

स्पष्ट है, आचार्य सिद्धर्षि संस्कृत को दुर्बिदग्ध लोगों के हृदय में स्थिति मानते हैं। प्राकृत उनकी दृष्टि में बालकों द्वारा भी समझे जा सकने योग्य है और कर्णप्रिय है। कोश के अनुसार दुर्बिदग्ध का अर्थ पण्डितमन्य या गर्विष्ठ है। परम्परया यह शब्द श्रेयान् अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग दम्भिता या अलंकारिता जैसे कुत्सित अर्थ में है। यद्यपि आचार्य सिद्धर्षि का यह विश्वास था कि प्राकृत सर्वलोकोपयोगी भाषा है, पर, वे यह भी जानते थे कि पाण्डित्याभिमानी जनों को प्राकृत में रचा ग्रन्थ रचना नहीं। कारण स्पष्ट है, उनका समय (१० वीं, ११ वीं शती) उस प्रकार का था, जब प्राकृत का प्रयोग लगभग बन्द हो चुका था और ग्रन्थकार सिद्धान्ततः प्राकृत की उपयोगिता मानते हुए भी संस्कृत की ओर झुकने लगे थे। ऐसा करने में उनका यह आशय प्रतीत होता है कि उनकी रचना विद्वज्जनों में समादृत बने; अतएव संस्कृत में; जो *Lingua franca* का रूप लिये हुए थी, रचना करने में उन्हें गौरव का अनुभव होता था। दूसरी बात यह है कि प्राकृत को जो सर्वजनोपयोगी भाषा कहा जाता था, वह उसके असीत की भलक थी। उस समय प्राकृत भी संस्कृत की तरह दुर्बोध हो गयी थी। दुर्बोध होते हुए भी संस्कृत के पठन-पाठन की परम्परा तब भी अधुण थी। प्राकृत के लिए ऐसा नहीं था; अतः संस्कृत में ग्रन्थ लिखने का कुछ अर्थ हो सकता था, जब की प्राकृत में लिखना उतना भी सार्थक नहीं था। ऐसे कुछ कारण थे, कुछ स्थितियाँ थीं, जिनसे प्राकृत भाषा वास्तव में लोक-जीवन से इतनी दूर चली गई कि उसे गृहीत करने के लिए संस्कृत का माध्यम अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक हो गया।

संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति बताने में वैयाकरण जिस प्रवाह में बहे हैं, उस स्थिति की एक भलक हमें आचार्य सिद्धर्षि की उपर्युक्त उक्ति में दृष्टिगत होती है। यही प्रवाह आगे इतना वृद्धिगत हुआ कि लोगों में यह धारणा बढमूल हो गयी कि संस्कृत प्राकृत का मूल उद्गम है।

पं० हरपोबिन्ददास टी० सिठ ने प्राकृत की प्रकृति के सम्बन्ध में उक्त आचार्यों के विचारों का समीक्षण और पर्यालोचन करने के अनन्तर प्राकृत की जो व्युत्पत्ति की है, वह पठनीय है। उन्होंने लिखा है—“प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्” अथवा “प्रकृतीनां साधारणजनानामिव प्राकृतम्।”^२ यह वास्तव में संभव प्रतीत होती है।

प्राकृत के देश्य शब्द : एक विचार

प्राकृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्राकृत वैयाकरणों ने उन्हें तीन भागों में बांटा है :

१. ज्ञानलब्धदुर्बिदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रंजयति ।

—मनु हरिकृतनीतिसूक्त, ३

२. वाङ्मयसद्व्यवहारो; प्रथम संस्करण का उपोद्घात, पृ० २३

(१) तत्सम, (२) तद्भव, (३) देश्य (देशी) ।

तत्सम—^१ तत् यहां संस्कृत के लिए प्रयुक्त है । जो शब्द संस्कृत और प्राकृत में एक-जैसे प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम कहे गये हैं । जैसे—रस, वासि, भार, सार, फल, परिमल, नवल, विमल, जल, नीर, घवल, हरिण, आगम, ईहा, गण, गज, तिमिर, सोरण, सरल, सरल, हरण, भरण, करण, चरण आदि ।

तद्भव—वर्णों के समीकरण, लोप, आगम, परिवर्तन आदि द्वारा जो शब्द संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, वे तद्भव^२ कहे जाते हैं । जैसे—धर्म > धम्म, कर्म > कम्म, यत् > जत्थ, शाहण > सम्हण, क्षत्रिय > खत्तिभ, ध्यान > काण, दृष्टि > विट्ठि, रक्षति > रक्खइ, पृच्छति > पुच्छइ, अस्ति > अत्थि, नास्ति—नत्थि, इत्यादि ।

देश्य (देशी)—प्राकृत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, जो न संस्कृत-शब्दों के सदृश है और न उनसे उद्भूत जैसा प्रतीत होता है । व्याकरणों ने उन शब्दों को देश्य कहा है । उनके उद्गम की संगति कहीं से भा नहीं जुड़ती । जैसे—उज्ज=पश्य, मु'ड=सूकर, तोमरी=लता, लुप्पइ=निमज्जति, हुत्त=अभिमुख, फु'टा=केशबन्ध, विट्ठ=पुत्र, डाल=शाखा, टंका=जंघा, धयण=गृह, म्भण्य=शीघ्र, चुक्कइ=भ्रमयति, कन्वोट्ट=कुमुद, घट=स्तूप, विच्छड्ड=समूह ।

देश्य शब्दों पर कुछ विचार अपेक्षित है । इससे प्राकृत की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलेगी, जो एक सीमा तक अब भी विवादास्पद बनी हुई है । यदि प्राकृत संस्कृत से

१. प्राकृत में जो तत्सम शब्द प्रचलित हैं, वे संस्कृत से गृहीत नहीं हैं । वे उस पुरातन लोक-भाषा या प्रथम स्तर की प्राकृत के हैं, जिससे वैदिक संस्कृत तथा द्वितीय स्तर की प्राकृतों का विकास हुआ । अतएव इन उत्तरवर्ती भाषाओं में समान रूप से वे शब्द प्रयुक्त होते रहे । वैदिक संस्कृत से वे शब्द लौकिक संस्कृत में आये ।

२. प्रथम स्तर की प्राकृत से उत्तरवर्ती प्राकृतों में आये हुए पूर्वोक्त शब्दों में एक बात और घटित हुई । अनेक शब्द, जो ज्यों-के-त्यों बने रहे, तत्सम कहलाये । पर, प्राकृतों तो जीवित भाषाएं थीं । कुछ शब्दों के रूप उनमें परिवर्तित होते गये । यद्यपि वे शब्द संस्कृत और प्राकृत में प्रथम स्तर की प्राकृत से समान रूप में आये थे, पर, व्याकरण से नियमित और प्रतिबद्ध होने के कारण संस्कृत में वे शब्द ज्यों-के-त्यों बने रहे । प्राकृत में वैसा रहना सम्भव नहीं था । वे ही परिवर्तित रूप वाले शब्द तद्भव कहलाये, अतः तद्भव का अभिप्राय, जैसा कि सामान्यतया समझा जाता है, यह नहीं है कि वे संस्कृत शब्दों से निकले हैं ।

निकली होती, तो देख्य शब्दों का संस्कृत के किन्हीं-न-किन्हीं शब्दों से तो अवश्य सम्बन्ध-स्रोत जुड़ता । पर, ऐसा नहीं है । यद्यपि संस्कृत-प्रभावित कतिपय वैयाकरणों ने इन देख्य शब्दों में से अनेक नामों तथा धातुओं को संस्कृत के नामों और धातुओं के स्थान पर आदेश^१ द्वारा प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है ।

आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-भाषाकरण में इस प्रकार का उपक्रम द्रष्टव्य है । एतत्सम्बद्ध कुछ सूत्र यहां उद्धृत किये जाते हैं :

वृक्षक्षितयो रक्खल्लू ॥ २।१२७ । वृक्षक्षितयोर्वासांस्ख' रक्ख छूट इत्यादेशौ वा भवतः । वृक्ष और क्षित शब्दों को (विकल्प से) क्रमशः रक्ख और छूट आदेश होते हैं । यथा वृक्षः—रक्खलो, क्षितम्—छूट, उत्क्षितम्—उच्छूट ।

मार्जारस्य मंजरबंजरौ ॥ २।१२८ । मार्जारशब्दस्य मंजर बंजर इत्यादेशौ वा भवतः । मार्जारी शब्द को (विकल्प से) मंजर और बंजर आदेश होते हैं । यथा—मार्जारः—मंजरो, बंजरो ।

अस्तस्य हित्थ—तट्ठौ ॥ २।१२९ । अस्तशब्दस्य हित्थ तट्ठ इत्यादेशौ वा भवतः । अस्त शब्द को (विकल्प से) हित्थ और तट्ठ आदेश होते हैं । यथा—अस्तम्—हित्थं, तट्ठ ।

अधसो हेट्ठं ॥ २।१३० । अधस् शब्दस्य हेट्ठ इत्ययमादेशो भवति । अधस् शब्द को हेट्ठ आदेश होता है । यथा—अधः—हेट्ठं ।

गोणादयः ॥ २।१३१ । गोणादयः शब्दा अनुक्तप्रकृतिप्रत्ययलोपागमवर्णविकारा बहुलं निपात्यन्ते । जिनके प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम तथा वर्ण-विकार अव्याख्यात हैं, ऐसे गोणादि शब्द निपात से सिद्ध होते हैं । यथा—गोः = गौणो; गावी, गावः = गावीओ; बलीवर्द = बडल्लो; आपः = आऊ; पंचपंचाशत् = पंचाचण्णा, पणपन्ना, व्युत्सर्गः = बिउत्सर्गो; व्युत्सर्जनम् = बोत्तिरणम्; बहिर्मेयुतं वा = बहिद्धा; अपस्मारः = बम्हलो; उत्पलम् = कम्बुट्ठं; धिकधिक = छि छि; स्यासकः = चधिककं; निलया = निहेलणी; जन्म = जन्मणं; क्षुल्लकः = कुडुओ, कुतल्लम् = कुट्ठं; विष्णुः = मट्ठिओ; श्मशानम् = करसी; असुराः = अगघा; पौष्पं रजः = तिगिच्छि; दिनम् = अल्लं, समर्थः = पक्कलो; पण्डकः = जेलण्डो; कर्पासः = पल्लो; बली = उज्जलो, ताम्बूलम् = भसुरं; पुंश्चलो = छिछई; शाखा = साहुली, इत्यादि ।

कथेर्बज्जर-पज्जरोप्पाल-पिसुण-संघ-बोत्त-ज्व-जम्प-सीस-साहाः ॥ ४।२ । कथेर्धातोर्बज्ज-रादयो वशादेशा वा भवन्ति । कथ धातु से (विकल्प से) बज्जर आदि वश आदेश होते हैं । जैसे—बज्जरइ, पज्जरइ, उप्पालइ, पिसुणइ, संघई, बोत्तइ, ज्वइ, जम्पइ, सीसइ, साहाइ,

उबुकइ इति तत्पूर्वकस्य बुक्क भाषणे इत्यस्य । एते चान्यैर्देशीषु पठिता अपि उत्सामिर्धात्वा-
देशीकृता विविधेषु प्रत्ययेषु प्रतिष्ठन्तामिति तथा च—वज्जरितौ कथितः, वज्जरिऊण कथयित्वा,
वज्जरणं कथनम्, वज्जरस्तो कथयन्, वज्जरिअव्वं-कथयितव्यमिति रूपसहस्राणि सिद्ध्यन्ति ।
संस्कृत धातुबन्ध प्रत्ययलोपागमविधिः ।

दुःखे णिव्वरः ॥४।४। दुःखविषयस्य कथेर्णिव्वर इत्यादेशो वा भवति । णिव्वरइ—दुःखं
कथयतीत्यर्थः । दुःखविषयक कथ् धातु को (विकल्प से) णिव्वर आदेश होता है । जैसे—
णिव्वरह—दुःख का कथन करता है ।

पिज्जःडल्ल-पट्ट-घोट्टाः ॥ ४।११ । पिबतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति । पिबुंको (विकल्प
से) पिज्जा, डल्ल पट्ट तथा घोट्ट; ये चार आदेश होते हैं । जैसे—पिबति—पिज्जाइ, डल्लइ,
पट्टइ, घोट्टइ ।

निव्वतेरोहीरोधौ ॥४।१२। निपूर्वस्य द्रातेः ओहीर उंच इत्यादेशो वा भवतः । नि पूर्वक
व्राति को (विकल्प से) ओहीर और उंच आदेश होते हैं । जैसे—निव्वति—ओहीरइ, उंचइ ।

वैयाकरणों ने आदेशों द्वारा देशी शब्दों और क्रियाओं को संस्कृत के सांचे में ढालने का
जो प्रयत्न किया, वह वस्तुतः कष्ट कल्पना थी, जिसे समीचीन नहीं कहा जा सकता ।

आचार्य हेमचन्द्र के सोदाहरण पूर्व उद्धृत सूत्रों से दो तथ्य प्रकाश में आते हैं । एक यह
है कि अन्य प्राकृत-वैयाकरणों की तरह वे भी आदेशों के रूप में उसी प्रकार की कष्ट
कल्पना के प्रवाह में बह गये । दूसरा यह है कि हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के प्रणयन, उद्देश्य,
कथन—प्रकाय आदि पर पिछले पृष्ठों में जो चर्चा की गयी है, उसी सन्दर्भ को यहाँ जोड़ा जा
सकता है अर्थात् आचार्य हेमचन्द्र संस्कृत के पुल से प्राकृत के तट पर पहुँचाना चाहते थे;
इसलिए देशी शब्दों के आधार, व्युत्पत्ति, स्रोत आदि कुछ भी न प्राप्त होने पर भी उन्हें
व्याकरण को परिपूर्णता देने की दृष्टि से आवश्यक लगा है कि देशी शब्दों और धातुओं को
भी क्यों छोड़ा जाए ? उनके लिए कुछ जोड़-तोड़ की जा सकती है । सम्भवतः इसी का
परिणाम आचार्य हेमचन्द्र द्वारा निरूपित आदेश हैं ।

व्याकरण के चतुर्थ पाद के दूसरे सूत्र में आचार्य हेमचन्द्र कथ् धातु के स्थान पर होने वाले
आदेशों का उल्लेख कर एक अन्य संकेत करते हैं । यद्यपि दूसरे (सम्भवतः उनसे पूर्ववर्ती)
वैयाकरणों ने इनको देशी (रूपों) में गिना है, पर, वे (हेमचन्द्र) धातुआदेशपूर्वक इन्हें
विविध प्रत्ययों में प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था कर रहे हैं । आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन
से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वैयाकरण अनेक देशी शब्दों और धातुओं को देशी (रूपों) में
पड़ देते थे । वे सभी देशी रूपों को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते थे । आचार्य हेमचन्द्र
ने तो कथ् धातु के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दश देशी क्रिया रूपों को उपरिष्ठित कर दिग्दर्शन

मात्र कहाया है। अन्य भी ऐसे अनेक देशी रूप रहे होंगे, जिन्हें पुरावर्ती बेयाकरण देशी में गिनाते रहे हों। यह वस्तुस्थिति भी। संस्कृत के ढांचे में प्राकृत को सम्पूर्णतः ढालने के अभिप्रेत से चला यह आदेशमूलक क्रम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से समुचित नहीं था। बलात् व्याकरण के सांजे में उतारने से भाषा के वास्तविक स्वरूप को समझने में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। पर, क्या किया जाता, युग का मोड़ हो सम्भवतः वैसा था।

संस्कृत-नाटकों पर दृष्टिपात करने से इस तथ्य पर और प्रकाश पड़ता है। प्रसंगोपात्तया जैसी कि चर्चा की गयी है, संस्कृत-प्राकृत-रचित नाटकों में सम्भ्रान्त या उच्च कुलोत्पन्न पुरुष पात्र संस्कृत में बोलते हैं तथा साधारण पात्र (महिला, बालक, भृत्य आदि) प्राकृत में बोलते हैं। नाटकों की यह भाषा-सम्बन्धी परम्परा प्राकृत की जन-भाषात्मकता की द्योतक है। यहाँ ज्ञातव्य यह है कि इन (उत्तरवर्ती काल में रचित) नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि सोचा संस्कृत में गया है और उस (सोची हुई शब्दावली) का प्राकृत में अनुवाद मात्र कर दिया गया है। आश्चर्य तब होता है, जब नाटकों के कई प्रकाशनों में यहाँ तक देखा जाता है कि प्राकृत भाग की संस्कृत-छाया तो मोटे टाइप में दी गयी है और मूल प्राकृत छोटे टाइप में। अभिप्राय स्पष्ट है, प्राकृत को सर्वथा गौण समझा गया। मुख्य पठनीय भाग तो उनके अनुसार संस्कृत-छाया है।

नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतें स्वाभाविक कम प्रतीत होती हैं, कृत्रिम अधिक। प्राकृतों को नाटकों में रखना साट्यशास्त्रीय परम्परा का निर्वाह मात्र रह गया। सारांश यह है कि जहाँ साहित्य-सर्जन का प्रसंग उपस्थित होता, सर्जक का ध्यान सीधा संस्कृत की ओर जाता।

देश्य शब्दों का उद्गम

देश्य भाषाओं के उद्गम-स्रोत के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से विचार किया है। उनमें से कइयों का सोचना है, आर्यों का पहला समुदाय, जो पंचनद व सरस्वती-दृषद्वती की घाटी से होता हुआ मध्यदेश में आबाद हो चुका था, जब बाद में आने वाले आर्यों के दूसरे दल द्वारा वहाँ से खदेड़ दिया गया, तब वह मध्यदेश के चारों ओर बस गया। पहला समूह मुख्यतः पंचनद होता हुआ मध्यदेश में रहा, जहाँ वैदिक वाङ्मय की सृष्टि हुई।

जो आर्य मध्यदेश के चारों ओर के भूभाग में रहते थे, उनका वाक्यवहास अपनी प्रादेशिक प्राकृतों में चलता था। प्रदेश-भेद से भाषा में भिन्नता हो ही जाती है। इसलिए मध्यदेश में रहने वाले आर्यों की प्राकृत से मध्यदेश से बाहर रहने वाले आर्यों की प्राकृतें किन्हीं अंशों में मिलती थीं, किन्हीं अंशों में नहीं। मध्यदेश के आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ छन्दस् के अधिक निकट रही होंगी; क्योंकि छन्दस् उसी भूभाग की

या उसके आस-पास की किसी प्राकृतन लोक-भाषा का परिनिष्ठित रूप थीं। मध्यदेश के बाहर की लोक-भाषाएँ या प्राकृतें अपने प्रादेशिक भेद तथा वैदिक परम्परा से असंलग्नता के कारण छन्दसू से अपेक्षाकृत दूर थीं। प्राकृत-साहित्य में जो देश्य शब्द गृहीत हुए हैं, उनका स्रोत सम्भवतः ये ही मध्यदेश के बाहर की प्रादेशिक भाषाएँ हैं। इन लोक-भाषाओं का कोई भी प्राकृत या तत्कालीन रूप वैदिक भाषा का आधार या उद्गम-स्रोत नहीं था; अतः इनसे आये हुए शब्दों के, जो देश्य नाम से अभिहित किये गये, अनुरूप संस्कृत में शब्द नहीं मिलते।

देश भाषा : व्यापकता

देशी भाषा या देशभाषा बहुत प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रदेशों की लोक-भाषाएँ या प्राकृतें देशी भाषा या देशभाषा के नाम से प्रचलित थीं। महाभारत में स्कन्द के सैनिकों और पार्षदों के वर्णन के प्रसंग में उल्लेख है “वे सैनिक तथा पार्षद विविध प्रकार के चर्म अपने देह पर लपेटे हुए थे। वे अनेक भाषाभाषी थे। देशभाषाओं में कुशल थे तथा परस्पर अपने को स्वामी कहते थे।”¹

नाट्य शास्त्र में इसी प्रकार देश भाषाओं के सम्बन्ध में चर्चा है। वहाँ उल्लेख है। “अब मैं देशभाषाओं के विकल्पों का विवेचन करूँगा अथवा देशभाषाओं का प्रयोग करने वालों को स्वेच्छया ऐसा कर लेना चाहिए।”²

कामसूत्र में भी लिखा है : “लोक में वही बहुमत या बहुसमाहत होता है, जो गोष्ठियों में न तो अधिक संस्कृत में और न अधिक देशभाषा में कथा कहता है।”³

अनेक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर देशी भाषा-सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, सम्राट् अशोक के पुत्र मेघकुमार के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है : “तब वह मेघ-

१. नाना-चर्माभिराच्छन्ता नानाभाषाश्च भारत ।

कुशला देशभाषासु जल्पन्तोऽग्न्योन्मसीश्वराः ॥

—महाभारत, शल्यपर्व, ४५, १०३

२. अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषाविकल्पनम् ।

अथवाच्छब्दतः कार्या देशभाषाप्रयोक्तृभिः ॥

—नाट्यशास्त्र, १७, २४-२६

३. नात्यन्तं संस्कृतेनैव नात्यन्तं देशभाषया ।

कथां गोष्ठीषु कथयंत्यौके बहुमतो भवेत् ॥

—कामसूत्र, १. ४. ५०

कुमार..... अठारह प्रकार की देशी भाषाओं में प्रवीण हुआ ।”¹

ज्ञातृधर्मकथासूत्र का एक दूसरा प्रसंग है : “वहाँ चम्पा नगरी में देवदत्ता नामक गणिका निवास करती थी । वह धन-सम्पन्न..... तथा अठारह देशी भाषाओं में निपुण थी ।”²

जैन वाङ्मय के और भी अनेक प्रसंग हैं । जैसे “..... वह दृढ़प्रतिज्ञ बालक..... अठारह प्रकार की देशी भाषाओं में विदारद था ।”³

“..... दृढ़प्रतिज्ञ बालक..... अठारह देशी भाषाओं में चतुर था ।”

“वहाँ वाणिज्यग्राम में कामोद्धृता नामक देव्या थी, जो..... अठारह देशी भाषाओं में कुशल थी ।”⁵

इन प्रसंगों से यह अनुमित होता है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जो लोकजनीन भाषाएं या पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ के शब्दों में प्रथम स्तर की प्राकृतें, जिन्हें सर जार्ज ग्रियर्सन ने Primary Prakrits कहा है, प्रचलित थीं, उन्हें देवभाषा या देशीभाषा के नाम से अभिहित किया गया है । इस सम्बन्ध में कतिपय पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों का मत है कि प्राकृत भाषाओं में जो देशी शब्द और वातुएं प्रचलित हैं, वे वास्तव में द्रविड़-परिवार तथा आग्नेय-परिवार से आई हैं, जो अनायें भाषा-परिवार हैं; क्योंकि आर्यों के भारत आने से पूर्व यहाँ मुख्यतः द्रविड़-परिवार तथा आग्नेय-परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग बसते थे । आर्यों द्वारा भारत की भूमि ज्यों-ज्यों अधिकृत की जाती रही, वे (अनायें)

१. तत्ते णं से मेहेकुमारो अट्टारसविहिप्पगारदेसी भासाविसारए..... होत्था ।

—ज्ञातृधर्मकथा सूत्र, अ० १

२. तत्थे णं चंपाए नयरोए देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड्ढा..... अट्टारसवेसीभासा विसारया ।

—ज्ञातृधर्मकथा सूत्र, ३८.९२

३. तए णं बहपइणो बारए अट्टारसविहदेसिप्पगारभासा विसारए ।

—राजप्रस्नोय सूत्र, पत्र १४८

४. तए णं बहपइणो बारए .. अट्टारसवेसीभासाविसारए ।

—औपपातिक सूत्र, अवतरण १०९

५. तत्थे णं वाणिज्यग्रामे कामोद्धृता नाम गणिया होत्था..... अट्टारसवेसीभासाविसारया ।

—विपाक श्रुत, पत्र २१.२२

अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर सरकते रहे । बाद में वहां भी आर्य ^१ पहुंच गये । संघर्ष के बाद आर्य, अनार्य दोनों जातियों के लोग वहां स्थिर हो गये । साथ-साथ रहने से पारस्परिक सम्पर्क बढ़ना स्वाभाविक था । फलतः अनार्य भाषाओं के कुछ शब्द आर्यों की बोलचाल की भाषाओं (या तत्कालीन प्राकृतों) में समा गये ।

महाभारत का जो उद्धरण देश-भाषाओं के सम्बन्ध में पहले उपस्थित किया गया है, उसके सन्दर्भ पर गौर करने से उक्त तथ्य परिपुष्ट होता है । उन सैनिकों और पार्षदों की वेष-भूषा, चाल-ढाल, ^२ आदि से प्रकट है कि वे सम्भवतः अनार्य जाति के लोग थे । देवताओं के सेनापति और असुरों के विजेता के रूप में स्कन्द हिन्दू-शास्त्रों में समादृत हैं ।

१. सम्भवतः ये वे आर्य थे, जो आर्यों के दूसरे दल के मध्यदेश में आ जाने पर वहां से भाग उठे थे और मध्यदेश के पाशवर्ती क्षेत्रों में बस गये थे । इस सम्बन्ध में यथाप्रसंग चर्चा की जा चुकी है ।

२. नानावेषधराश्चैव नानामाल्यानुलैपनाः ।

नानावस्त्रधराश्चैव चर्मवासस एव च ॥

उष्णीषिणो मुकुटिनः सुग्रीवाश्च सुवर्चसः ।

किरीटिनः पञ्चशिखास्तथा काञ्चनमूर्धजाः ॥

त्रिशिखा द्विशिखाश्चैव तथा सप्तशिखाः परे ।

शिखण्डिनो मुकुटिनो मुण्डाश्च जटिलास्तथा ॥

चित्रमालाधराः केचित् केचित् रामाननास्तथा ।

विग्रहैरसा नित्यमजेयाः सुरसत्तमैः ॥

कृष्णा निर्मासयन्त्राश्च दोर्ध्वपृष्ठास्तनूधराः ।

स्थूलपृष्ठा ह्रस्वपृष्ठा प्रलम्बोदरमेहनाः ॥

महाभुजा ह्रस्वभुजा ह्रस्वगात्राश्च वामनाः ।

कुञ्जाश्च ह्रस्वजंघाश्च हस्तिकर्ण शिरोधराः ॥

हस्तिनासा कूर्मनासा वृकनासास्तथापरे ।

दीर्घोच्छ्वासा दोर्ध्वजंघा विकराला ह्रयधोमुखाः ॥

महादंष्ट्रा ह्रस्वदंष्ट्राश्चतुर्दंष्ट्रास्तथा परे ।

बारणेन्द्र निभाश्चान्ये भीमा राजन् सहस्रशः ॥

सुविभक्तशरीराश्च दीप्तिमन्तः स्वलंकृताः ।

पिंगाक्षाः शङ्कुगणाश्च रक्तनासाश्च भारत ॥

पृथुदंष्ट्रा महादंष्ट्रा स्थूलौष्ठा हरिमूर्धजाः ।

नाना पादौष्ठदंष्ट्राश्च नानाहस्तशिरोधराः ॥

ऐसा अनुमान है कि आदिवासियों की विभिन्न जातियों को उन्होंने संगठित किया हो । महाभारतकार उन भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों का विस्तृत वर्णन कर देने के बाद उन्हें देश-भाषाओं में कुशल बतलाते हैं ।

आर्यों और अनार्यों के पारस्परिक सम्पर्क तथा साहचर्य से प्रादेशिक भाषाओं ने एक विशेष रूप लिया हो । सम्भवतः उन्हें ही यहाँ देश-भाषा से संज्ञित किया गया हो ।

पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ द्रविड़-परिवार तथा आग्नेय-परिवार की तमिल, कन्नड़, मुण्डा आदि भाषाओं से देशी शब्दों के आने पर सन्देह करते हैं । उनके कथन का अभिप्राय है कि ऐसा तभी स्वीकार्य होता, यदि अनार्य भाषाओं में भी इन देशी शब्दों तथा धातुओं का प्रयोग प्राप्त होता । सम्भवतः ऐसा नहीं है ।

इस सम्बन्ध में एक बात और सोचने की है कि ये देशी शब्द अनार्य भाषाओं से ज्यों-के-त्यों प्रादेशिक (मुख्यतः मध्यदेश के चतुःपार्श्ववर्ती) प्राकृतों में आ गये, ऐसा न मान कर यदि इस प्रकार माना जाए कि अनार्य भाषाओं तथा उन विभिन्न प्रादेशिक प्राकृतों के सम्पर्क से कुछ ऐसे नये शब्द निष्पन्न हो गये, जिनका कलेवर सम्पूर्णतः न अनार्य-भाषाओं पर आधृत था और न प्राकृतों पर ही । उन देशी शब्दों के स्वभ्यात्मक, संघटनात्मक स्वरूप के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता । देशी शब्दों, देश-भाषाओं या देशी भाषाओं के परिपार्श्व में इतने विस्तार में जाने का एक ही अभिप्राय था कि प्राकृत के उद्भव और विकास पर कुछ और प्रकाश पड़े; क्योंकि यह विषय आज भी सन्दिग्धता की कोटि से मुक्त नहीं हुआ है ।

वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत का सादृश्य

प्राकृतों अर्थात् साहित्यिक प्राकृतों का विकास बोलचाल की जन-भाषाओं, दूसरे शब्दों में असाहित्यिक प्राकृतों से हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक भाषा या छन्दस् का । यही कारण है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत में कुछ ऐसा सादृश्य, खोज करने पर प्राप्त होता है, जैसा प्राकृत और लौकिक संस्कृत में नहीं है । उदाहरणार्थ, संस्कृत ऋकार के बदले प्राकृत में अकार^१, आकार^२, इकार^३ तथा उकार^४ होता है । ऋकार के स्थान में उकार की प्रवृत्ति

१. ऋतोत् ॥ ८ । १ । १२६

आदेर्ऋकारस्य अत्वं भवति । —सिद्धहैमशब्दानुशासनम्

२. आत्कुशा-मृदुक मृदुत्वे वा ॥ ८ । १ । १२७

एषु आदेर्ऋत आद वा भवति । —वही

३. इत्कुपादौ ॥ ८ । १ । १२८

कृपा इत्यादिषु शब्देषु आदेर्ऋत इत्वं भवति । —वही

४. उद्दत्वादौ ॥ ८ । १ । १३२

ऋतु इत्यादिषु शब्देषु आदेर्ऋत उद्भवति । —वही

वैदिक षाड्मय में भी प्राप्त होती है। जैसे, ऋग्वेद १. ४६. ४ में कृत के स्थान पर कुठ का प्रयोग है। अन्य भी इस प्रकार के प्रयोग प्राप्य हैं।

प्राकृत में अन्त्य व्यंजन का सर्वत्र लोप^१ होता है। जैसे—यावत् = जाव, तावत् = ताव, यशस् = जसो। तमस् = तमो। वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जैसे—पश्चात् के लिए पश्चा (अथर्ववेद संहिता १०.४.११), उच्चात् के लिए उच्चा (तैत्तिरीय संहिता २.३.१४), नीच्चात् के लिए नीचा (तैत्तिरीय संहिता ४.५.६१)।

प्राकृत में संयुक्त य, र, ष, श, ष, स का लोप हो जाता है और इन लुप्त व्यंजनों के पूर्व के ह्रस्व स्वर का दीर्घ^२ हो जाता है। जैसे—पश्यति = पासइ, कश्यपः = कासवो, आवश्यकम् = आवसयं, श्यामा = सामा, विश्वाम्यति = वीसमइ, विश्वामः = विसामो, मिश्रम् = मीसं, संस्पर्शः = संकासो, प्रगल्भ = पगल्भ, दुर्लभ = दूलह। वैदिक भाषा में भी इस कोटि के प्रयोग प्राप्त होते हैं। जैसे—अप्रगल्भ = अपगल्भ (तैत्तिरीय संहिता ४.५.६१), त्र्यच = त्रिच (शतपथ ब्राह्मण १.३.३.३३), दुर्लभ = दूलभ (ऋग्वेद ४.२.८) दुर्णाश = दूणाश (शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ३.४३)।

प्राकृत में संयुक्त वर्णों के पूर्व का दीर्घ स्वर ह्रस्व^३ हो जाता है। जैसे, ताम्रम् = तम्बं, विरहाम्निः = विरहणी, आस्यं = अस्सां, मुनीन्द्रः = मुणिन्दो, तोर्थम् = तित्थां, चूर्णः = चुण्णो; इत्यादि। वैदिक संस्कृत में भी ऐसी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे—रोदसीप्रा = रोदसिप्रा (ऋग्वेद १०.८८.१०), अमात्र = अमत्र (ऋग्वेद ३.३६.४)।

प्राकृत में संस्कृत व के बदले अनेक स्थानों पर ड^४ होता है। जैसे—दशनम् = डसणं, दष्टः = डड्ठो, दग्धः = डड्ढो, दोला = डोला, दण्ड = डण्डो, दरः = डरो, दाहः = डाहो, दम्भ = डम्भो, दर्भः = डब्भो, कदनम् = कडणं, दोहवः = डोहलो। वैदिक संस्कृत में भी यत्र-तत्र इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। जैसे—दुर्दभ = दूडभ (बाजसनेय

१. अन्त्यव्यंजनस्य । ८ । १ । ११

शब्दानां यद् अन्त्यव्यंजनं तस्य लुग् भवति । —सिद्धहैमशब्दानुशासनम्

२. लुस य - र - व - श - ष - सां दीर्घः ॥ ८ । १ । ४३

प्राकृतलक्षणवशाल्लुसा याद्या उपरि अधो वा येषां शकारषकारसकाराणां तेषामादेः स्वरस्य दीर्घो भवति । —वही

३. ह्रस्वः संयोगे ॥ ८ । १ । ८४

दीर्घस्य यथादर्शनं संयोगे परे ह्रस्वो भवति । —वही

४. दशन - दष्ट - दग्ध - दोला - दण्ड - दर - दाह - दम्भ - दर्भ - कदन - दोहवे दो वा डः ॥ ८ । १ । २१७

एषु दस्य डो वा भवति ।

—सिद्धहैमशब्दानुशासनम्

संहिता ३.३६), पुरोवास = पुरोडाश (शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ३. ४४) ।

प्राकृत में संस्कृत के ख, घ, थ तथा भ की तरह ध का भी ह^१ होता है । जैसे—साधुः = साहु, बधिरः = बहिरो, बाधते = बाहड, इन्द्रधनुः = इन्द्रहणू, सभा = सहा । वैदिक वाङ्मय में भी ऐसा प्राप्त होता है । जैसे—प्रतिसंधाय = प्रतिसंहाय (गौप्य ब्राह्मण २. ४)

प्राकृत (मागधी को छोड़ कर प्रायः सभी प्राकृतों) में अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में धो^२ होता है । जैसे—मानुषः = मानसो, धर्मः = धर्मो । एतत् तथा तत् सर्वनाम में भी विकल्प^३ से ऐसा होता है । जैसे—सः = सो, एषः = एसो । वैदिक संस्कृत में भी कहीं-कहीं प्रथमा एकवचन में धो दृष्टिगोचर होता है । जैसे—संवत्सरौ अजायत (ऋग्वेद संहिता १०.१६०.२) सो चित् (ऋग्वेद संहिता १. १६१. १० - ११) ।

संस्कृत अकारान्त शब्दों में डसि^४ (पंचमी) विभक्ति में जो देवात्, नरात्, धर्मात् आदि रूप बनते हैं, उनमें अन्य त् के स्थान पर प्राकृत में छः^५ आदेश होते हैं । उनमें एक त् का लोप भी है । लोप के प्रसंग को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पंचमी

१. ख - घ - थ - ध भाम् ॥ ८ । १ । १८७

स्वरात्परेषामसंयुक्तानामनाविभूतानां ख घ थ ध भ इत्येतेषां वर्णानां प्रायो हो भवति ।

—वही

२. अतः सेडोः ॥ ८ । ३ । २ ।

अकारान्तान्नामः परस्य स्यादेः सेः स्थाने डो भवति ।

—वही

३. वेतत्तदः ॥ ८ । ३ । ३

एतत्तदोरकारात्परस्य स्यादेः सेडो भवति ।

—वही

४. स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङे भ्याम्भस्ङसिभ्याम्भस्ङस्त्रोसाम्ङ्योस्त्रुप् ।

—अष्टाध्यायी ४ । १ । २

सु औ जस् इति प्रथमा । अम् औट् शल् इति द्वितीया । टा भ्यां भिस् इति तृतीया । ङे भ्यां भ्यस् इति चतुर्थी । डसि भ्यां भ्यस् इति पंचमी । डल् औस आम् इति षष्ठी । डि औ स् मुप् इति सप्तमी ।

५. डसेस् तौ - दो - डु - हि - हितो - लुकः ॥ ३ । १ । ८

अतः परस्य डसेः तौ दौ डु हि हितो लुक् इत्येते षडादेशा भवन्ति । जैसे—वत्सात् = वच्छतो, वच्छामो. वच्छाउ, वच्छाहि, वच्छाहितो वच्छा ।

बिभक्ति में एकवचन में (अकारान्त शब्दों में) आ प्रत्यय होता है । जैसे—देवात् = देवा, नरात् = नरा, धर्मात् = धर्मा; आदि । वैदिक वाङ्मय में भी इस प्रकार के कतिपय पंचम्यन्त रूप प्राप्त होते हैं । जैसे—उन्वात् = उच्चा, नीचात् = नीचा, पश्चात् = पश्चा ।

प्राकृत में पंचमी बिभक्ति बहुवचन में भिस्^१ के स्थान पर हि आदि होते हैं । जैसे—देवेहिः आदि । वैदिक संस्कृत में भी इसके अनुरूप देवेभिः, उपेष्टेभिः, गम्भीरेभिः आदि रूप प्राप्त होते हैं ।

प्राकृत में एकवचन और बहुवचन ही होते हैं, द्विवचन नहीं होता । वैदिक संस्कृत में वचन तो तीन हैं, पर इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के रूपों का प्रयोग हुआ है । जैसे—इन्द्रावरुणौ = इन्द्रावरुणाः, मित्रावरुणौ = मित्रावरुणाः, नरौ = नरा, सुरथौ = सुरथाः, रथितमौ = रथितमाः ।

वर्तमान युग के प्राकृत के महान् जर्मन वैयाकरण डा० पिशल ने विशाल ग्रन्थ Comparative grammar of the Prakrit Language में संस्कृत से प्राकृत के उद्गम^२ का खण्डन करते हुए प्राकृत तथा वैदिक भाषा के सादृश्य के द्योतक कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

प्राकृत भाषा	वैदिक भाषा
त्तण	त्वन
स्त्रीलिंग षष्ठी के एकवचन का रूप 'आए'	आयै
तृतीया बहुवचन का रूप एहि	एभिः
बोहि (आज्ञावाचक)	बोधि
ता, जा, एत्थ	तात्, यात्, इत्था
अम्हे	अस्मे
बग्गूहि	बग्नुभिः

१. भिसो हि हिं हिं ॥ ३ । १ । ७

अतः परस्य भिसः स्थाने केवलः सानुनासिकः, सानुस्वारश्च हिर्भवति ।

—सिद्धहैमशब्दानुशासनम्

2. This sanskrit was not the baris of the Prakrit dialects, which indeed dialect, which, on political or religions grounds, was rained to the states of a literary medium, But the difficulty is that it does not seem useful that all the Prakrit dialects sprang out from one and the same source, At least they could not have

सद्धि

सध्रीम्

विउ

विदुः

घिसु

घ्रस

रक्षव

रक्ष

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतों का उद्गम वैदिक भाषा-काल से प्राग्वर्ती किन्हीं बोलचाल की भाषाओं या बोलियों से हुआ, जसे कि उन्हीं में से किसी बोली के आधार पर वैदिक भाषा अस्तित्व में आई ।

प्राकृत के प्रकार

प्राकृतें जीवित भाषाएँ थीं । भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बोले जाने के कारण स्वभावतः उनके रूपों में भिन्नता आई । उन (बोलचाल की भाषाओं या बोलियों) के आधार पर जो साहित्यिक प्राकृतें विकसित हुईं, उनमें भिन्नता रहना स्वाभाविक था । इस प्रकार प्रादेशिक या भौगोलिक आधार पर प्राकृतों के कई भेद हुए । उनके नाम प्रायः प्रदेश-विशेष के आधार पर रखे गये ।

आचार्य भरत^१ ने नाट्यशास्त्र में प्राकृतों का वर्णन करते हुए मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सुरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्या नाम से प्राकृत के सात भेदों की चर्चा की है । प्राकृत के उपलब्ध व्याकरणों में सबसे प्राचीन प्राकृतप्रकाश^२ के प्रणेता बररुचि ने महाभाष्यी, शौरसेनी, मागधी और पेशाची; इन भेदों का वर्णन किया है । चण्ड^३ ने मागधी को मागधिका और पेशाची को पेशाचिकी के नाम से उल्लिखित किया है ।

developed out of Sanskrit, as is generally held by Indian Scholars and Hobber, Lassen, Bhandarkar and Jacoby, All the Prakrit languages have a series of common grammatical and lexical characteristics with the vedic language and such are significantly missing from Sanskrit.

१. मागध्यवन्तिजा प्राच्या सुरसेन्यर्धमागधी ।

वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः ॥ —नाट्यशास्त्र; १७-१८

२. प्राकृतप्रकाश, १०. १-२, ११. १, १२. ३२

३. पेशाचिक्यां रणयोर्लनौ ।

मागजिकायां रसयोर्लनौ ॥

—प्राकृत-लक्षण ३. ३८-३९

छठी शती के सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री दण्डी ने काव्यादर्श^१ में प्राकृतों की भी चर्चा की है। उन्होंने महाराष्ट्री (महाराष्ट्राश्रया), शौरसेनी, गौड़ी और लाटी; इन चार प्राकृतों का उल्लेख किया है।

आचार्य हेमचन्द्र ने वररुचि द्वारा वर्णित चार भाषाओं के अतिरिक्त आर्ष, चूलिका पेशाची और अपभ्रंश; इन तीनों को प्राकृत भेदों में और बताया है। आचार्य हेमचन्द्र ने अर्द्धमागधी को आर्ष कहा है।

त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, सिंहराज और नरसिंह आदि व्याकरणों ने आचार्य हेमचन्द्र के विभाजन के अनुरूप ही प्राकृत-भेदों का प्रतिपादन किया है। अन्तर केवल इतना-सा है, इनमें त्रिविक्रम के अतिरिक्त किसी ने भी आर्ष का विवेचन नहीं किया है। वस्तुतः जैन परम्परा के आचार्य होने के नाते हेमचन्द्र का, अर्द्धमागधी (जो जैन भाग्यों की भाषा है) के प्रति विशेष आदरपूर्णभाव था, अतएव उन्होंने इसे आर्ष नाम से अभिहित किया।

मार्कण्डेय ने प्राकृत-सर्वस्व में प्राकृत को सोलह भेदोपभेदों में विभक्त किया है। उन्होंने प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश और पेशाच; इन चार भागों में बांटा है। इन चारों का विभाजन इस प्रकार है :

१. भाषा—महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी।
२. विभाषा—शाकारी, चाण्डाली, शबरी आभीरिका और टावकी।
३. अपभ्रंश—नागर, ब्राह्मण तथा उपनागर।
४. पेशाच—कंकय, शौरसेन एवं पांचाल।

नाट्यशास्त्र में विभाषा के सम्बन्ध में उल्लेख है कि शकार, आभार, चाण्डाल, शबर, द्रमिल, आन्ध्रोत्पन्न तथा वनेचर की भाषा द्रमिल कही जाती है।

मार्कण्डेय ने भाषा, विभाषा आदि के वर्णन के प्रसंग में प्राकृत-चन्द्रिका के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें आठ भाषाओं, छः विभाषाओं, ग्यारह पेशाच-भाषाओं तथा सत्ताईस अपभ्रंशों के सम्बन्ध में चर्चा की है। इनमें महाराष्ट्री, अवन्ती, शौरसेनी, अर्द्ध-

१. महाराष्ट्राश्रयां भाषां, प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः।

सागरः सूक्तिरत्नानां, सेतुबन्धादि यन्मथम् ॥

शौरसेनी च गौडी च, लाटी चान्या च तादृशी।

याति प्राकृतमित्येवं, व्यवहारेषु सन्निधिम् ॥

—काव्यादर्श, २३४-३५

२. ऋषीणामिदमार्षम्।

मागधी, वाह्यी, मागधी, प्राच्या तथा दाक्षिणात्या; ये आठ भाषाएँ, छः विभाषाओं में से द्राविड़ और ओड्रज; ये दो विभाषाएँ, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में से काञ्चीदेशीय, पाण्ड्य, पांचाल, गौड़, मागध, ब्राह्म, दाक्षिणात्य, शौरसेन, कैकय और द्राविड़; ये दश पिशाच-भाषाएँ तथा सत्ताईस अपभ्रंशों में ब्राह्म, लाट, वेदभ, बाबर, आवन्त्य, पाञ्चाल, टावक, मालव, कैकय, गौड़, उडू, हैव, पाण्ड्य, कौन्तल, सिंहल, कालिंग, प्राच्य, कार्णाट, काञ्च, द्राविड़, गोजर, आभीर और मध्यदेशीय; ये तैंबीस अपभ्रंश विभिन्न प्रदेशों के नामों से सम्बद्ध हैं। जिन-जिन प्रदेशों में प्राकृतों की जिन-जिन बोलियों का प्रचलन था, वे बोलियाँ उन-उन प्रदेशों के नामों से अभिहित की जाने लगीं। इतनी लम्बी सूची से आश्चर्या-न्वित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक ही प्रदेश की एक ही भाषा उसके भिन्न-भिन्न भागों में कुछ भिन्न रूप ले लेती है और प्रदेश के नामों के अनुरूप उन उपभाषाओं या बोलियों के नाम पड़ जाते हैं। यद्यपि किसी एक भाषा की इस प्रकार की उपभाषाओं या बोलियों में बहुत अन्तर नहीं होता, पर, यत्किंचित् भिन्नता तो होती ही है। उदाहरण के लिए राजस्थानी भाषा को लिया जा सकता है। सारे प्रदेश की एक भाषा राजस्थानी है। पर, बीकानेर-क्षेत्र में उसका जो रूप है, वह जोधपुर क्षेत्र से भिन्न है। जैसलमेर क्षेत्र की बोली का रूप उससे और भिन्न है। इसी प्रकार चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर-मेरवाड़ा, कोटा-बूंदी आदि हाड़ोती का क्षेत्र, जयपुर या डूँडाड़ का भाग, अलवर सम्भाग, भरतपुर और बोलपुर मण्डल; इन सबमें जन-साधारण द्वारा बोली जाने वाली बोलियाँ थोड़ी-बहुत भिन्नता लिये हुए हैं। कारण यह है कि एक ही प्रदेश में बसने वाले लोग यद्यपि राजनैतिक या प्रशासनिक दृष्टि से एक इकाई से सम्बद्ध होते हैं, परन्तु उस प्रदेश के भिन्न-भिन्न भूभागों में पास-पड़ोस की स्थितियों के कारण अपनी क्षेत्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक भिन्नताओं या विशेषताओं के कारण परस्पर जो अन्तर होता है, उसका उनको बोलियों पर पृथक्-पृथक् प्रभाव पड़ता है और एक ही भाषा के अन्तर्गत होने पर भी उनके रूप में, कम ही सही, पार्थक्य आ ही जाता है। पिशाच-भाषाओं और अपभ्रंशों के जो अनेक भेद उल्लिखित किये गये हैं, वे पेशाची प्राकृत के क्षेत्र तथा अपभ्रंश के क्षेत्र की अनेकानेक बोलियों और उपबोलियों के सूचक हैं।

प्राकृत के भिन्न-भिन्न रूपों या भाषाओं पर विस्तृत विचार आगे किया जाएगा। यहाँ तो केवल पृष्ठभूमि के रूप में सूचन मात्र किया गया है।

प्राकृतों का विकास : विस्तार : पृष्ठभूमि

पूर्व और पश्चिम की संस्कृति तथा जीवन में प्राचीन काल से ही कुछ भेद उपलब्ध होते हैं। पश्चिम के कृष्ण और पूर्व के जरासन्ध जैसे राजाओं के पुराण-प्रसिद्ध युद्धों की

शृंखला इसकी परिचायक है। आर्यों के भारत में आगमन, प्रसार आदि के सन्दर्भ में विभिन्न प्रसंगों में अपेक्षित चर्चा की गयी है। उसके प्रकाश में कुछ चिन्तन अपेक्षित है।

भारत में आने वाले आर्य पश्चिम में टिके, मध्यदेश में टिके, कुछ पूर्व में भी खदेड़ दिये गये। पर सम्भवतः मगध तक उनका पहुंचना नहीं हुआ होगा। हुआ होगा तो बहुत कम। ऐसा प्रतीत होता है कि कौशल और काशी से बहुत आगे सम्भवतः वे नहीं बढ़े। मगध आदि भारत के पूर्वीय प्रदेशों में वैदिक युग के आदिकाल में यज्ञ-याग-प्रधान वैदिक संस्कृति के चिह्न नहीं प्राप्त होते। ऐसा अनुमान है कि वैदिक संस्कृति मगध प्रभुता पूर्वी प्रदेशों में बहुत बाद में पहुंची, भगवान् महावीर तथा बुद्ध से सम्भवतः कुछ शताब्दियों पूर्व।

वेदमूलक आर्य-संस्कृति के पहुंचने के पूर्व मगध आर्यों की दृष्टि में निम्न था। निस्तकाश यास्क ने मगध को अनार्यों का देश कहा है। ऋग्वेद में कीकट शब्द आया है, जिसे उत्तर-कालीन साहित्य में मगध का समानार्थक कहा गया है। ब्राह्मण-काल के साहित्य में भी कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे प्रकट है कि तब तक पश्चिम के आर्यों का मगध के साथ अस्पृश्यता का-सा व्यवहार रहा था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व में बसने वालों को आसुरी प्रकृति का कहा गया है। आर्य सम्भवतः अनार्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, जिसमें निम्नता या धृणा का भाव था।

पहले दल में भारत में आये मध्यदेश में बसे आर्य जब दूसरे दल में आये आर्यों द्वारा मध्यदेश से भगा दिये गये और वे मध्यदेश के चारों ओर, विशेषतः पूर्व की ओर बस गये, तो उनका भगाने वाले (बाद में दूसरे दल के रूप में आये हुए) आर्यों से वैचारिक दुराव रहा हो, यह बहुत सम्भाव्य है। उनका वहां के मूल निवासियों से मेलजोल बढ़ा हो, इसकी भी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मेलजोल के दायरे का विस्तार वैवाहिक सम्बन्धों में भी हुआ हो, इस प्रकार एक मिश्रित नृवंश अस्तित्व में आया हो, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से पश्चिम के आर्यों से दूर रहा हो। वैदिक वाङ्मय में प्राप्त वाक्य शब्द सम्भवतः इन्हीं पूर्व में बसे आर्यों का छोटक है, जो सामाजिक दृष्टि से पूर्व में बसने वाले मूल निवासियों से सम्बद्ध हो चुके थे। वाक्य शब्द की विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। उनमें से एक व्याख्या यह है कि जो लोग यज्ञ-यागादि में विश्वास न कर व्रतधारी याथावय सन्यासियों में श्रद्धा रखते थे, वाक्य कहे जाते थे। वाक्यों के लिए वैदिक परम्परा में शुद्धि की एक व्यवस्था है। यदि वे शुद्ध होना चाहते, तो उन्हें प्रायश्चित्तस्वरूप शुद्धयर्थ यज्ञ करना पड़ता। वाक्य-स्तोम में उसका वर्णन है। उस यज्ञ के करने के अनन्तर वे बहिर्भूत आर्य वर्ण-व्यवस्था में स्वीकार कर लिये जाते थे।

भगवान् महावीर और बुद्ध से कुछ शताब्दियां पूर्व पश्चिम या मध्यदेश से वे आर्य, जो

अपने को शुद्ध कहते थे, मगध, ञ्ग, बंग आदि प्रदेशों में पहुंच गये हों। त्रात्य-स्तोम के अनुसार प्रायश्चित्त के रूप में याज्ञिक विधान का क्रम, बहिष्कृत आर्यों का वर्ण-व्यवस्था में पुनः ग्रहण इत्यादि तथ्य इसके परिचायक हैं।

पूर्व के लोगों को पश्चिम के आर्यों ने अपनी परम्परा से बहिर्भूत मानते हुए भी भाषा की दृष्टि से उन्हें बहिर्भूत नहीं माना। ब्राह्मण-साहित्य में भाषा के सन्दर्भ में ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार के उल्लेख हैं कि वे अदुहृत को भी दुहृत^१ कहते हैं अर्थात् जिसके बोलने में कठिनाई नहीं होती, उसे भी वे कठिन बताते हैं। ब्राह्मणों के विषय में यह जो कहा गया है, उनकी सरलतानुगामी भाषा-प्रियता का परिचायक है। संस्कृत की तुलना में प्राकृत में बेसी सरलता है ही। इस सम्बन्ध में वेबर का अभिमत है कि यहां प्राकृत-भाषाओं की ओर संकेत है। उच्चारण सरल बनाने के लिए प्राकृत में ही संयुक्ताक्षरों का लोप तथा उसी प्रकार के अन्य परिवर्तन होते हैं।

व्याकरण के प्रयोजन बतलाते हुए दुष्ट शब्द के अपाकरण के सन्दर्भ में महा-भाष्यकार पतंजलि ने अशुद्ध उच्चारण द्वारा असुरों के पराभूत होने का जो उल्लेख किया गया है; वहां उन्होंने उन पर है अरयः के स्थान पर हैलयः^२ प्रयोग करने का आरोप लगाया है अर्थात् उनकी भाषा में र के स्थान पर ल की प्रवृत्ति थी, जो मागधी की विशेषता है। इससे यह प्रकट होता है कि मागधी का विकास या प्रसार पूर्व में बहुत पहले हो चुका था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अन्तर्वर्ती सहगौरा नामक स्थान से जो ताम्र-लेख प्राप्त हुआ है, वह ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्राचीन लेख है। उसका काल ई० पू० चौथी शती है। यह स्थान पूर्वी प्रदेश के अन्तर्गत आता है। इसमें र के स्थान पर ल का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है।

ऐसा भी अनुमान है कि पश्चिम के आर्यों द्वारा मगध आदि पूर्वीय भूभागों में याज्ञिक संस्कृति के प्रसार का एक बार प्रबल प्रयाण किया गया होगा। उसमें उन्हें चाहे तथा-कथित उच्च वर्ग के लोगों में ही सही, एक सीमा तक सफलता भी मिली होगी। पर, जन-साधारण तक सम्भवतः वह सफलता व्याप्त न हो सकी।

भगवान् महावीर और बुद्ध का समय याज्ञिक विधि-विधान, कर्म-काण्ड, बाह्य शौचाचार तथा जन्म-गत उच्चता आदि के प्रतिकूल एक व्यापक आन्दोलन का समय था। जन-साधा-

१. अदुहृतवाक्यं दुहृतमाहुः।

—ताण्ड्य महाब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण

२. तेऽसुरा हैलयो हैलय इति कुवन्तः पराबभूवुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न स्लेच्छित वे नापभाषित वे। स्लेच्छो ह वा एष यवपशवः।

—महाभाष्य, प्रथम आह्निक, पृ० ६

रण का इससे प्रभावित होना स्वाभाविक था ही, सम्भ्रान्त कुलों और राज-परिवारों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। महावीर और बुद्ध के समकालीन कुछ और भी धर्माचार्य थे, जो अपने आपको तीर्थंकर कहते थे। पूरण कश्यप, मन्सल गोसाल, अजितकेसकंबलि, पकुध कच्चायन तथा संजयवेलट्टिपुत आदि उनमें मुख्य थे। बौद्ध षाड्मय में उन्हें अक्रियावाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद तथा विक्षेपवाद के प्रवर्तक कहा गया है। यद्यपि आचार-विचार में उनमें भेद अवश्य था, पर, वे सबके सब श्रमण-संस्कृति के अन्तर्गत माने गये हैं। ब्राह्मण-संस्कृति यज्ञ-प्रधान थी और श्रमण-संस्कृति त्याग-वेराग्य और संयम-प्रधान। श्रमण शब्द को विद्वानों ने कई प्रकार से व्याख्या की है। कुछ विद्वानों ने इसे श्रम, सम और शम पर आधारित माना है। फलतः तपश्चर्या का उग्रतम स्वीकार, जातिगत जन्मगत उच्चत्व का बहिष्कार तथा निर्वेद का पोषण; इन पर इसमें अधिक बल दिया जाता रहा है। श्रमण-परम्परा के अन्तर्वर्ती ये सभी आचार्य याज्ञिक तथा कर्मकाण्ड-बहुल संस्कृति के विरोधी थे। यह एक ऐसी पृष्ठभूमि थी, जो प्राकृतों के विकास और व्यापक प्रसार का आधार बनी। भगवान् महावीर और बुद्ध ने लोक-भाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। सम्भव है, उपर्युक्त दूसरे धर्माचार्यों ने भी लोक-भाषा में ही अपने उपदेश दिये होंगे। उनका कोई साहित्य आज प्राप्त नहीं है।

महावीर और बुद्ध द्वारा लोक-भाषा का माध्यम स्वीकार किये जाने के मुख्यतः दो कारण सम्भव हैं। एक तो यह हो सकता है, उन्हें आर्यक्षेत्र में व्याप्त और व्याप्यमान याज्ञिक व कर्मकाण्डी परम्परा के प्रतिकूल अपने विचार 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' जन-जन को सीधे पहुंचाने थे, जो लोक-भाषा द्वारा ही सम्भव था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संस्कृत के प्रति भाषात्मक उच्चता किं वा पवित्रता का भाव था, जो याज्ञिक परम्परा और कर्म-काण्ड के पुरस्कर्ता पुरोहितों की भाषा थी। उसका स्वीकार उन्हें संकीर्ण-तापूर्ण लगा होगा, जो जन-मानस को देखते यथार्थ था।

प्राकृतों को अपने उपदेश के माध्यम के रूप में महावीर और बुद्ध द्वारा अपना लिये जाने पर उन्हें (प्राकृतों को) विशेष वेग तथा बल प्राप्त हुआ। उनके समय में मगध (दक्षिण बिहार) एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। उत्तर बिहार में वज्जिसंघ के कतिपय गणराज्य स्थापित हो चुके थे और कौशल के तराई के भाग में भी ऐसी ही स्थिति थी। महावीर वज्जिसंघ के अन्तर्वर्ती लिच्छवि गणराज्य के थे और बुद्ध कौशल के अन्तर्वर्ती मल्लगणराज्य के। यहाँ से प्राकृतों के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का काल गतिशील होता है। तब तक प्राकृत (मागधी) मगध-साम्राज्य, जो मगध के चारों ओर दूर-दूर तक फैला हुआ था, में राज-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्राकृतों का उत्कर्ष

केवल पूर्वीय भूभाग तक ही सीमित नहीं रहा। वह पश्चिम में भी फैलने लगा। लोग प्राकृतों को अपनाने लगे। उनके प्रयोग का क्षेत्र बढ़ने लगा। बोलचाल में तौ वहाँ (पश्चिम) भी प्राकृत पहले से थी ही, उस समय वे धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्याय लोक-जनोपविषयों में भी साहित्यिक माध्यम का रूप प्राप्त करने लगीं। वैदिक संस्कृति के पुरस्कर्ता और संस्कृत के पोषक लोगों को इसमें अपने उत्कर्ष का विलय आशंकित होने लगा। फलतः प्राकृत के प्रयोग की उत्तरोत्तर संबद्ध नशील व्यापकता की संस्कृत पर एक विशेष प्रतिक्रिया हुई। तब तक मुख्यतः संस्कृत का प्रयोग पौरोहित्य, कर्मकाण्ड, याज्ञिक विधि-विधान तथा धार्मिक संस्कार आदि से सम्बद्ध विषयों तक ही सीमित था। उस समय उसमें अनेक लोकजीवीन विषयों पर लोकनीति, अर्थनीति, राजनीति, सदाचार, समाज-व्यवस्था, लोक-रंजन, प्रभृति जीवन के विविध अंगों का संस्पर्श करने वाले साहित्य की सृष्टि होने लगी। प्राकृत में यह सब चल रहा था। लोक-जीवन में रची-पची होने के कारण लोक-चिन्तन का माध्यम यही भाषा थी; अतः उस समय संस्कृत में जो लोक-साहित्य का सृजन हुआ, उसमें चिन्तन-धारा प्राकृत की है और भाषा का आवरण संस्कृत का। उदाहरण के रूप में महाभारत का नाम लिया जा सकता है। महाभारत समय-समय पर उत्तरोत्तर संबद्धित होता रहा है। उसमें श्रमण-संस्कृति और जीवन-दर्शन के जो अनेक पक्ष वर्णित हुए हैं, वे सब इसी स्थिति के परिणाम हैं। भाषा-वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अन्वेष्टाओं के लिए गवेषणा का एक महत्वपूर्ण विषय है।

एतन्मूलक (संस्कृत) साहित्य प्राकृत-भाषी जन-समुदाय में भी प्रवेश पाने लगा। इस क्रम के बीच प्रयुज्यमान भाषा (संस्कृत) के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हुआ। यद्यपि संस्कृत व्याकरण से इतनी कसी हुई भाषा है कि उसमें शब्दों और धातुओं के रूपों में विशेष परिवर्तन का अवकाश नहीं है, पर, फिर भी जब कोई भाषा अन्य भाषा-भाषियों के प्रयोग में आने योग्य बनने लगती है या प्रयोग में आने लगती है, तो उसमें स्वरूपात्मक या संघटनात्मक दृष्टि से कुछ ऐसा समाविष्ट होने लगता है, जो उन अन्य भाषा-भाषियों के लिए सरलता तथा अनुकूलता लाने वाली होती है। उसमें सादृश्यमूलक शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। उसका शब्द-कोश भी समृद्धि पाने लगता है। शब्दों के अर्थों में भी यत्र-तत्र परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, वे नये-नये अर्थ ग्रहण करने लगते हैं। विकल्प और अपवाद कम हो जाते हैं। साथ-ही-साथ यह घटित होता है, जब अन्य भाषा-भाषी किसी शिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उनकी अपनी भाषाओं पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

सब कुछ होते हुए भी भगवान् महावीर और बुद्ध के अभियान के उत्तरोत्तर गतिशील

और अभिवृद्धिशील होते जाने के कारण संस्कृत उपर्युक्त रूप में सरलता और लोकजनीनता ग्रहण करने पर भी प्राकृतों का स्थान नहीं ले सकी। अतएव तदुपरान्त संस्कृत में जो साहित्य प्रणीत हुआ, वह विशेषतः विद्वद्भोग्य रहा, उसकी लोक-भोग्यता कम होती गयी। लम्बे-लम्बे समास, दुरूह सन्धि-प्रयोग, शब्दालंकार या शब्दाडम्बर, कृत्रिमतापूर्ण पद-रचना और वाक्य-रचना से साहित्य अटिल और क्लिष्ट होता गया। सामान्य पाठकों की पहुंच उस तक कैसे होती ?

उपर्युक्त विविध परिस्थितियों के परिपाश्वर्य में प्राकृत भाषा के विभिन्न पहलुओं पर अग्रिम अध्यायों में चिन्तन करना मुख्य अभिप्रेत है।



: ४ :

पाली-भाषा और पिटक-वाङ्मय

(*Pali Language and The Buddhist Canonical Literature*)

मध्य भारतीय आर्य भाषा-काल या प्राकृत-काल का समय ईस्वी पूर्व पांचवीं शती से ईस्वी सन् के आरम्भ तक का माना गया है। इसमें पालि और शिलालेखी प्राकृत ली गयी हैं। जिस भाषा में भगवान् बुद्ध की वाणी त्रिपिटक के रूप में अवस्थित है, जिसमें तत्परक तदुपजोषी विशाल वाङ्मय बौद्ध भिक्षुओं और मनीषियों द्वारा प्रणीत हुआ, वह भाषा पालि के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु, भाषा के लिए पालि शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है। पिटक-साहित्य में उसकी भाषा के लिए पालि का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। लगभग १४ वीं शती के अनन्तर इस शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में आरम्भ हुआ।

पालि शब्द का इतिहास

आचार्य बुद्धघोष (चौथी-पांचवीं ईसवी शती) ने विसुद्धिमग्ग और अट्ठकथाओं में पहले-पहल पालि शब्द का भगवान् बुद्ध के वचन या मूल त्रिपिटक के लिए प्रयोग किया। दोघनिकाय का अट्ठकथा सुमंगलविलासिनी की सामञ्जसलसुत्त, वण्णना, धम्मसंगणि की अट्ठकथा अट्ठसालिनी तथा पुग्गलपञ्जति अट्ठकथा में भी उन्होंने पालि शब्द का इस अभिप्राय से व्यवहार किया है। आचार्य बुद्धघोष पालि का प्रयोग त्रिपिटक के पाठ के अर्थ में भी करते हैं। मूल त्रिपिटक या त्रिपिटक-पाठ कोई भिन्न नहीं है, केवल कथन-प्रकार का अन्तर है। जहां आचार्य बुद्धघोष को त्रिपिटक के पाठान्तर को संकेतित करना अपेक्षित हुआ, वहां उन्होंने पाठ के लिए पालि शब्द का व्यवहार किया है। उदाहरणार्थ, सुमंगल विलासिनी के सामञ्जसलसुत्तवण्णना में महच्चराजानुभावेन पद आया है। आचार्य बुद्धघोष ने इसका अर्थ महता राजानुभावेन किया है। 'महच्च' के स्थान पर महच्चा पाठ भी है, ऐसा सूचित करने के लिए महच्च इति पि पालि अर्थात् महच्चा ऐसा पाठ भी है, इस प्रकार उल्लेख किया गया है।

चौथी शताब्दी में लंका में दीपवंश ग्रन्थ लिखा गया। यह आचार्य बुद्धघोष से कुछ ही समय पहले की रचना है। वहां पालि शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन के अर्थ में हुआ है। आचार्य बुद्धघोष के पश्चात् लंका में बौद्ध आचार्य और लेखक उपयुक्त दोनों अर्थों में, जो वस्तुतः एक ही हैं, पालि का प्रयोग करते देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, पांचवीं-छठी शती में हुए आचार्य धर्मपाल ने खुट्ठनिकाय के कतिपय ग्रन्थों की अट्ठकथा के रूप में परमत्थदीपनी की रचना की। उसमें उन्होंने मूल त्रिपिटक के अर्थ में पालि शब्द का प्रयोग किया है। तेरहवीं शती

में रचे गये चूलवंस में भी पालि शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन के अर्थ में हुआ है। चूलवंस महावंस (५वीं शती) का उत्तरकालीन परिवर्द्धित अंश है। उसके अनन्तर १४वीं शती में रचित सद्धमसंगह में भी पालि शब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

चौथी शती से १४वीं शती तक पालि शब्द बुद्ध-वचन या त्रिपिटक के पाठ के रूप में व्यवहृत होता रहा है। चौथी शती से पूर्व के पिटक-साहित्य और तदुपजीवी साहित्य में पालि शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन के अर्थ में नहीं प्राप्त होता; अतः यह विचारणीय है कि आचार्य बुद्धघोष ने पालि शब्द का उपयोग मूल त्रिपिटक या त्रिपिटक-पाठ के अर्थ किस भाषा पर किया? वह कौन-सी परम्परा थी, जिसका अवलम्बन दीपवंसकार और आचार्य बुद्धघोष ने लिया, इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है। शब्दों की छवियों, रूपों व अर्थों का संकोच, विकास, परिवर्तन आदि अकस्मात् नहीं होते। उनके पीछे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक कारण—परम्परा रहती है, जिसका बाह्य रूप स्पष्ट नहीं दीखता, पर, गवेषणा करने पर उसका ओर-छोर मिल जाता है।

पालि शब्द की व्याख्या : विश्लेषण

भारतीय विद्या (Indology), विशेषतः संस्कृत, पालि, प्राकृत पर विशेष कार्य करने वाले कतिपय विद्वानों ने पालि शब्द का अनेक प्रकार से व्याख्यान—विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत में पालि शब्द का अर्थ पंक्ति है। पं० विधुशेखर भट्टाचार्य ने इसी अर्थ को मुख्यता देते हुए पालि शब्द की बुद्ध-वचन या त्रिपिटक-पाठ के साथ अर्थ-संगति करने का प्रयत्न किया है। पालि वाङ्मय में पालि शब्द बुद्ध-वचन के साथ-साथ पंक्ति अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। श्री भट्टाचार्य ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंक्त्यर्थक पालि शब्द आगे चल कर ग्रन्थ की पंक्ति के अर्थ में स्वीकार कर लिया गया। यही कारण है कि दीपवंसकार और आचार्य बुद्धघोष ने त्रिपिटक या त्रिपिटक-पाठ के अर्थ में इसे अपना लिया। श्री भट्टाचार्य पंक्ति शब्द पालि शब्द तक पहुँचने का क्रम इस प्रकार मानते हैं : पंक्ति > पन्ति > पत्ति > पट्ठि > पत्ति > पत्ति > पालि।

विद्वानों ने इस मत पर विशेष ऊहापोह किया है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने पालि-महाव्याकरण^१ में इस मत की समीक्षा की है। उन्होंने इसमें तीन प्रकार की असंगतियों का उल्लेख किया है। पालि या पंक्ति का ग्रन्थ की पंक्ति अर्थ किया जाना उन्हें संगत नहीं लगा। उनका कथन है कि पंक्ति लिखित ग्रन्थ की होती है। पिटक ई० पू० प्रथम शती से पहले लेख-बद्ध नहीं हुए थे; अतः उस समय अर्थात् ई० पू० प्रथम शती से पहले त्रिपिटक के पाठ के लिए ग्रन्थ-पंक्ति की कल्पना संगत नहीं हो सकती। पालि शब्द को पंक्ति-अर्थ में

वे संबंधा अप्रयुक्त मानते हैं। यदि पालि शब्द का अर्थ पंक्ति होता, तो उस अवस्था में उदान-पालि जैसे प्रयोगों में उदान-पंक्ति ऐसा अर्थ करने से कोई संगत आशय नहीं निकलता। व्याकरण की दृष्टि से एक पहलू पर वे और प्रकाश डालते हैं कि पालि शब्द पंक्तिवाची होता, तो उसका बहुवचन में प्रयोग मिलना चाहिए था। पर, ऐसा नहीं मिलता।

डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इस प्रसंग में लिखा है—“भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं, उनमें से प्रथम के उत्तर में आंशिक रूप में कहा जा सकता है कि त्रिपिटक की अलिखित अवस्था में ‘पालि’ या ‘पंक्ति’ शब्द से तात्पर्य केवल शब्दों की पठित पंक्ति से लिया जाता रहा होगा और उसके लेख-बद्ध कर दिये जाने पर उसकी लिखित पंक्ति ही पालि कहलाई जाने लगी होगी।”^१

पंक्ति शब्द के आशय के सम्बन्ध में डा० उपाध्याय जो कल्पना करते हैं, वह चिन्त्य प्रतीत होती है। अलिखित ग्रन्थ अर्थात् मौखिक परम्परा में अवस्थित शास्त्र-विशेष का विभाजन गाथाओं, श्लोकों, पदों आदि में होता है, पंक्तियों में नहीं। पंक्ति में अक्षरों के परिमाण की कोई इयत्ता नहीं होती। पत्र का जितना विस्तार होता है, उसके अनुरूप छोटी या बड़ी पंक्ति होती है।

भिक्षु जगदीश काश्यप

भिक्षु जगदीश काश्यप ने पालि-महाव्याकरण में पालि का ध्योत्पत्तिक विश्लेषण करते हुए इसे ‘परियाय’ शब्द से जोड़ा है। परियाय शब्द का त्रिपिटक में अनेक बार प्रयोग हुआ है—अकेले भी और ‘धम्म’ शब्द के साथ भी। भिक्षु जगदीश काश्यप ने अनेक संदर्भों से यह स्पष्ट किया है कि परियाय शब्द का प्रयोग बुद्ध के उपदेश या वचन के अर्थ में हुआ है। परियाय शब्द ही आगे चलकर पलियाय के रूप में परिवर्तित हो गया। अशोक के भाङ्गू शिलालेख में पलियाय शब्द व्यवहृत हुआ है। वहाँ अशोक का मगध के भिक्षुओं को उद्दिष्ट कर सन्देश है—“भन्ते ! ये धम्मपलियाय हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपासिकाएँ इन्हें सुनें, धारण करें।”^२

“पलियाय शब्द का पूर्वादि ‘पलि’, जो उपसर्ग प्रतीत होता है, का प्रथम अक्षर ‘प’ ‘पा’ के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार पलियाय का पालियाय बन गया। संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से उसका उत्तरादि लुप्त हो गया और पूर्वादि मात्र पालि बचा रह गया। उसका प्रयोग मूल त्रिपिटक के अर्थ में बद्धमूल हो गया।

१. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ७, ८

२. इमानि भन्ते धम्मपलियायानि—एतानि भन्ते धम्मपलियायानि इच्छामि किं ति बहुके भिक्षुपाये चा भिक्षुनिये या अभिखिनं सुत्तु चा उपधायेयु चा। हैवं मैव उपासका चा उपासिका चा ।

भिक्षु सिद्धार्थ

भिक्षु सिद्धार्थ ने पालि शब्द का सम्बन्ध पाठ शब्द से बताया है। उनका मन्तव्य है कि वैदिक परम्परा में पाठ शब्द का विशेष महत्त्व रहा है। वस्तुतः संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ और धन-पाठ के रूप में वेदों के पाठ की एक वैज्ञानिक परम्परा थी। भिक्षु सिद्धार्थ का प्रतिपादन है कि बुद्ध के समय में भी वेद-पाठी ब्राह्मणों में पाठ शब्द का प्रचलन था। बुद्ध के धर्म-संघ में जहाँ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रविष्ट हुए, वहाँ अनेक ब्राह्मण भी उसमें सम्मिलित हुए। किसी भी जाति या वर्ग में एक संस्कार होता है, जो धार्मिक आस्था के बदलने के बाद भी बदल नहीं पाता। बौद्ध धर्म में दीक्षित ब्राह्मण जिस प्रकार वेद-वाक्यों के लिए पाठ शब्द का प्रयोग करते रहे थे, बुद्ध-वचनों के लिए भी उन्होंने पाठ शब्द का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया।

बुद्ध के लिए जहाँ उनके श्रद्धालु अन्तेवासियों और अनुयायियों द्वारा और अनेक विमोक्षण दिये गये, वहाँ उनके लिए वेदज्ञ, वेदान्तज्ञ जैसे विमोक्षण भी प्राप्त होते हैं। ये विमोक्षण बहुत सम्भव है, ब्राह्मण-परम्परा से आने वाले अन्तेवासियों ने श्रद्धाभिमत होकर प्रयुक्त किये हों। अन्य भी ऐसे शब्दों को भिक्षु सिद्धार्थ ने प्रस्तुत किया है, जो मूलतः वैदिक परम्परा से सम्बद्ध थे, पर, बाद में नये स्वरूप के साथ बौद्ध संघ में स्वीकृत हो गये। उदाहरणार्थ, संहिता, तन्त्र और प्रवचन वैदिक परम्परा के शब्द हैं। बौद्ध संघ में संहिता के स्थान पर संहित, तन्त्र के स्थान पर तन्ति और प्रवचन के स्थान पर पावचन हो गया। ऐसी स्थिति में पाठ शब्द भी यदि बौद्ध संस्करण प्राप्त कर ले, उसे असम्भव नहीं कहा जा सकता। पालि-व्याकरण का नियम है कि सभी मूढन्त्य व्यंजन (ट, ठ, ड, ढ, ण्) पालि में ल हो जाते हैं। भिक्षु सिद्धार्थ का कहना है कि इसी नियम के अनुसार पाठ का पाळ् हो गया। वही आगे चलकर पाळि के रूप में परिवर्तित हो गया। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो ऐसा होना असम्भव नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पालि और प्राकृत में अन्त्य-स्वर-परिवर्तन का क्रम देखा जाता है। पालि शब्द में जो ल व्यंजन है, वह अन्तःस्थ ल नहीं है, अपितु वैदिक भाषा में व्यवहृत मूढन्त्य ल व्यंजन के समकक्ष है। आधुनिक भाषाओं में से कुछ में यह व्यंजन लुप्त हो गयी। कुछ में इसका 'ड' के रूप में विकास हो गया। सुदमता में न जा कर ल और ल के उच्चारण में भेद किये जाने की स्थिति न रही, वहाँ मिथ्या सादृश्य के आधार पर पालि शब्द को पाळि के साथ मिला दिया गया। ऐसा होने पर पाळि के स्थान पर पालि शब्द का बुद्ध-वचन के लिए व्यवहार चल पड़ा।

भिक्षु सिद्धार्थ ने पालि के विकास का जो इतिहास और क्रम प्रस्तुत किया है, भाषा-

विज्ञान की दृष्टि से उसमें औचित्य है। जिस प्रकार भिक्षु जगदीश काश्यप का मत ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी नियमों पर खरा उतरता है, उसी प्रकार भिक्षु सिद्धार्थ का मत भी ध्वनि-परिवर्तन के नियमों के अनुरूप प्रतीत होता है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने भिक्षु सिद्धार्थ के मत की निबलता बताते हुए लिखा है—“उन्होंने पाठ शब्द का विकृत रूप पाळ बताया है और फिर उससे पाळि या पालि शब्द की व्युत्पत्ति की है। इसे ऐतिहासिक रूप से ठीक होने के लिए यह आवश्यक है कि पाळ शब्द का प्रयोग पालि-साहित्य में उपलब्ध हो। तभी उसके आधार पर पाळि शब्द की व्युत्पत्ति की स्थापना की जा सकती है। ऐसा कोई उदाहरण भिक्षु सिद्धार्थ ने अपने उक्त निबन्ध में नहीं दिया। आचार्य बुद्धघोष की मट्टकथाओं से जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं, उनमें भी ‘इति पि पाठो’ ही बुद्धघोषोक्त वचन है।¹

डा० उपाध्याय ने भिक्षु सिद्धार्थ के मत की जो आलोचना की है, वह यथार्थ है। केवल व्याकरण के आधार पर किसी शब्द को सिद्ध कर देने मात्र से कोई प्रयोजन फलित नहीं होता। शब्द के एक विशेष रूप के किसी विशेष अर्थ के साथ जुड़ने के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रामाण्य की निस्तान्त आवश्यकता होती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पाठ शब्द से पाळि या पालि बनाने में पाळ शब्द का क्रम बीच में रहा हो, पर, हो सकता है कि वह प्रयोग में न आया हो। आया भी हो तो सम्भवतः बहुत ही कम आया हो और काल के लम्बे व्यवधान के बिना पाळ (पालि) शब्द चल पड़ा हो, वही विशेषतः प्रयुक्त होने लगा हो। पर, ये केवल सम्भावनाएं ही हैं। वास्तव में भिक्षु सिद्धार्थ का मत कम स्वाभाविक प्रतीत होता है।

डा० मैक्सवेलसेर

जर्मन विद्वान् डा० मैक्सवेलसेर ने लगभग अर्द्ध शताब्दी पूर्व पालि के सम्बन्ध में अपना नया अभिमत व्यक्त किया था। उन्होंने पालि का आधार पाटलि माना। उनके अनुसार पाटलि के बदले पाडलि भी माना जा सकता है, उनका प्रतिपादन है कि पाटलिपुत्र (पटना क्षेत्र) की भाषा का नाम पाटलि रहा हो। संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से बीच के ट को लुप्त कर ‘पालि’ बना दिया गया हो। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केन्द्र था, राजगृह के पश्चात् राजधानी भी; इसलिए वहां की भाषा राजभाषा या केन्द्रीय भाषा के रूप में मान्य हो सकती थी।

क्या पाटलि नाम की कोई भाषा रही है ? जितना भी साहित्य उपलब्ध है, कहीं भी उसमें किसी भाषा विशेष के लिए पाटलि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि पाटलिवुत्र क्षेत्र की भाषा इस नाम से प्रसिद्ध होती, तो कहीं-न-कहीं उसका उल्लेख अवश्य होता। वस्तुतः डा० मैक्सवेलसेर का मत किसी प्रबल पृष्ठभूमि पर नहीं टिका है। अतएव यह मत विद्वत्समाज में आदृत नहीं है। इसमें ऐतिहासिक सत्य के स्थान पर डा० मैक्सवेलसेर का कल्पना-पटुत्व या बुद्धि-वैचित्र्य ही अधिक प्रतीत होता है। डा० चामस ने इस मत का अनेक युक्तियों द्वारा प्रतिवाद किया है।¹

कुछ विद्वानों ने पालि शब्द को पल्लि से जोड़ने का प्रयत्न किया है। संस्कृत में पल्लि का अर्थ छोटा गांव, भोपड़ी, घर या पड़ाव है। उन्होंने उसे पल्लि की भाषा या गांव की भाषा बताना चाहा है। इस प्रकार इसे जन-साधारण की भाषा से जोड़ने का उनका भाव अनुमित होता है। सम्भवतः उन्होंने पल्लि से पाल्लि और पाल्लि से इसके पालि के रूप में विकसित होने की उद्भावना की। यह भी एक मात्र काल्पनिक-सा कथन है। इतिहास और परम्परालभ्य प्रमाणों का कोई आधार इसके साथ नहीं है। फलतः विद्वज्जगत् में इसे मान्यता नहीं मिली।

मण्डारकर और वाकेटनागल

मण्डारकर और वाकेटनागल के मतानुसार पालि सबसे पुरानी प्राकृत है; अतः पालि शब्द प्राकृत से ही बना है। जैसे—प्राकृत > पाकट > पाअड > पाअल > पालि। इसे कुछ और परिष्कृत रूप में उपस्थित किया जाये, तो पालि तक विकास होने में एक रूप का व्यवधान और भी हो सकता है। जैसे—प्राकृत > पाकट > पाअड > पाअल > पाल > पालि। यह व्युत्पत्ति भी वास्तविक कम और आनुमानिक अधिक है। प्राकृत से वास्तव में कोई एक भाषा नहीं समझी जाती। उसके प्रादेशिक दृष्ट्या कई भेद हैं। पालि उसके किसी एक भेद पर आधृत है; इसलिए उस भेद के साथ शाब्दिक सम्बन्ध जाड़े जाने का प्रयास किया जाता, तो एक बात थी। पर, सीधे प्राकृत से उसका शाब्दिक सम्बन्ध जोड़कर एक कल्पित विकास-क्रम का स्वरूप उपस्थित करना ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों से शून्य है।

राजवाडे

राजवाडे ने पालि का सम्बन्ध संस्कृत के 'प्रकट' शब्द से जोड़ने की कल्पना की है। तदनुसार प्रकट > पाअड > पाअल > पालि; इस प्रकार पालि शब्द की व्युत्पत्ति

सधती है। इस व्युत्पत्ति का किंचित् विस्तार और हो सकता है—प्रकट > पाअट > पाअल > पाल > पालि। प्राकृत शब्द से की जाने वाली व्युत्पत्ति की तरह यह व्युत्पत्ति भी विशेष सार्थक नहीं है; अतः विद्वानों की दृष्टि में इसका प्रामाण्य नहीं है। प्रकट शब्द और पालि शब्द की अर्थ-संगति भी नहीं बनती। कष्ट कल्पना द्वारा चाहे जो किया जाये।

प्रालेय : प्रालेयक : पालि

कुछ विद्वानों ने प्रालेय या प्रालेयक शब्द के साथ पालि का सम्बन्ध जोड़ने या उसकी व्युत्पत्ति बताने का प्रयास किया है। प्रालेय या प्रालेयक शब्द के कई अर्थ^१ हैं, जिनमें एक पर्वत या हिमाच्छादित पर्वत भी है। पर, इस मत की चर्चा करते हुए डा० भोलानाथ तिवारी और डा० भरतसिंह उपाध्याय ने प्रालेय या प्रालेयक का अर्थ पड़ोसी लिखा है। प्रचलित अर्थ तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। मगध के पास के (उत्तर के) पर्वतीय भाग की भाषा या मगध के ही पर्वतीय भाग (राजगृह आदि) की भाषा; इस प्रकार दूरान्वित संगति करने हुए प्रालेय > पालेय > पालि; इस तरह की व्युत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है। पर, यह तथ्यपरक नहीं है।

समीक्षा

पालि की व्युत्पत्ति या विकास के सन्दर्भ में अनेक विद्वानों के विचारों का समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन अपेक्षित है। बौद्ध वाङ्मय में अमिधान वीपिका नामक एक प्रसिद्ध कोश-ग्रन्थ है। उसमें पालि शब्द के अर्थ पर विचार किया गया है। वहाँ पालि शब्द को तन्ति-तन्त्र, बुद्ध-वचन और पंक्ति का अर्थ-बोधक मानते हुए उनकी व्युत्पत्ति की गई है। वहाँ लिखा गया है कि जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह पालि है। आगे प्रश्न उपस्थित किया गया है कि किसका पालन करती है? किसकी रक्षा करती है? इसका उत्तर देते हुए वहाँ लिखा गया है—“अत्थं पाति” अर्थात् अर्थ की रक्षा करती है, बुद्ध-वचनों की रक्षा करती है। पालि ने बुद्ध-वचनों का किस प्रकार पालन किया? किस प्रकार उनकी रक्षा

१. (क) प्रालेय = हिम, कुहरा, ओस, तुषार, अद्रि, शैल, हिमाच्छादित पहाड़, हिमालय, रश्मि, चन्द्रमा, कपूर, ओला।

—संस्कृत-हिन्दी-कोश, पृ० ६९२, बामन शिवराम आष्टे।

(ख) Hail, Snow, Frost, dew, snow-mountain, Hima-vat, frosty-rayed, the moon.

—Sanskrit-English Dictionary, P. 702, by Sir Monier Williams.

की ? वहाँ एक उत्तर है कि त्रिपिटक के रूप में उनका संकलन कर उनकी रक्षा की। साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उन्मायक लंकानरेश वट्टगामणि के समय में त्रिपिटक को लेख-बद्ध कर उनकी रक्षा की। पालि बुद्ध-वचन भी है और पालि पंक्ति भी है। त्रिपिटक के संकलन के रूप में पालि बुद्ध-वचन है और उनकी लेख-बद्धता की अपेक्षा से पालि पंक्ति है।

अभिधानदीपिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वचन किया है, वह उसके इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्व की बात वहाँ छूट गयी है। परिचय शब्द पर अभिधान-दीपिकाकार ने कोई विशेष चर्चा नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पर्याय-वाची “बुद्ध-वचन” शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वचन करते समय परिचय और पालि की भाषा-वैज्ञानिक संगति की ओर उनका ध्यान न गया हो।

भाषा के अर्थ में पालि के प्रयोग के सन्दर्भ में पिछले पृष्ठों में पूर्व विहित चर्चा से स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयोग १४वीं शती तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसमें बुद्ध-वचन है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत व्यक्त किया है—“पहले ‘तन्ति’ शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक या उसके किसी ग्रन्थ के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा ‘विनय-तन्ति’ अर्थात् ‘विनय पालि’। बाद में त्रिपिटक की भाषा को छोटित करने के लिए सिंहल में ‘तन्ति-भाषा’ जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द ‘पालि-भाषा’ भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। ‘पालि-भाषा’ अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। आज ‘पालि’ से तात्पर्य उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्थाविर-बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रक्खा हुआ है।”¹

डा० उपाध्याय ने जो क्रम प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा या पालि-भाषा का जो प्रयोग बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के वर्तमान अर्थ को संगति प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-भाषा या पालि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के वचनों की भाषा। यह बात सम्भावित प्रतीत होती है कि आगे चल कर भाषा शब्द सहज ही हट गया हो और मात्र ‘पालि’ शब्द बच पाया हो।

पालि की आधारभूत भाषा

पालि की आधारभूत भाषा कौन सी थी, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। जिस

१. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० १०

भाषा में त्रिपिटक लिखा गया, उसके लिए मागधी, मगध भाषा, मागधा निहत्ति तथा मागधिक भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों से यह व्यक्त होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। लंका की परम्परा भी उसे मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया। कञ्चान व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहाँ उसे संसार की मूल भाषा^१ और वह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध ने भाषण किया। आचार्य बुद्धघोष ने भी ऐसा ही माना है। समन्त-पासादिका में उन्होंने लिखा है कि सम्यक् सम्बुद्ध (भगवान् बुद्ध) के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अपने धर्म से सम्बद्ध भाषा के प्रति व्यक्ति का अनुराग सहज ही बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में वह आसंग या आसक्ति की सीमा में चला जाता है। फलतः व्यक्ति वस्तुपरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में बोलने लगता है। बुद्धघोष विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए बहु-मानवश यहाँ तक लिख देते हैं कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सन्दर्भ में यह चर्चा की जा चुकी है।

लंका की परम्परा

लंका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध के समय में मगध में बोली जाती थी। लंका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिपिटक-कात्मक वचनों की भाषा को तो मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-तेरहवीं शती में रचित अट्ठकथाओं तक की भाषा को भी वह मागधी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव करती है।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, चूलवग्ग। वह महावंस का परिचर्द्धित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^२ है। रेवत स्थविर ने आचार्य बुद्धघोष से कहा कि लंका जाकर सिंहली अट्ठकथाओं का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में आगे लिखा गया है कि आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्थविर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिंहली अट्ठकथाओं का मूल भाषा मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पूर्व १२ वीं शती में मोगलान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वहाँ उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का शब्द-लक्षण या व्याकरण वर्णित करेंगे।

ब्रह्मदेश की परम्परा

पिटक और तदुपजीवी वाङ्मय की भाषा के सम्बन्ध में सिंहली परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भासा.....सम्बुद्धा चापि भासरे।
२. चूलवग्ग परिच्छेद ३७, गाथा २२९-२३०

बर्मी परम्परा में अनुकरण हुआ है। थेरवाद में सिंहल और बर्मा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बर्मी परम्परा में भी ऐसी मान्यता है कि मगध की भाषा में ही, जो उसके अनुसार विश्व की मूल भाषा है, भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया, जो त्रिपिटक के रूप में उपलब्ध है। १९ वीं शती में बर्मा में विविशाख पर पालि में मोहविच्छेदनी नामक ग्रन्थ रचा गया। बर्मी पालि-वाङ्मय में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें भी ऐसा ही निरूपण किया गया है।¹

भगवान् बुद्ध के उपदेश की भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रचलित अनेक मान्यताओं में से उपर्युक्त मत एक है। अन्य मतों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि प्रस्तुत विषय पर समीक्षात्मक दृष्टि से पर्यालोचन किया जा सके।

प्रो० रायस डेविड्स

प्रो० रायस डेविड्स ने पालि पर बहुत कार्य किया। उनके मन्तव्य का सारांश है कि भगवान् बुद्ध कौशल प्रदेश के थे। उनकी मातृभाषा वही थी, जो कौशल प्रदेश में प्रचलित थी। यह स्वाभाविक है कि उपदेश अपनी मातृ-भाषा में ही उपदेश करता है; अतः जिसे आज पालि कहा जाता है, उसका आधा इ० पू० छठी-सातवीं शती में कौशल प्रदेश में प्रचलित भाषा थी। प्रो० रायस डेविड्स का यह भी कथन है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात् लगभग एक शताब्दी की अवधि में मुख्यतया उनके उपदेश कौशल-प्रदेश में ही संकलित किये गये।

उज्जयिनी-भाषा और पालि

एक ऐसा मत है, जिसके अनुसार पालि उज्जयिनी-प्रदेश, जिसे आज मालव कहा जाता है, की बोली पर आधारित है। इस मत के उद्भावक वेस्टर² गार्ड और ई० कुहल³ हैं। उन्होंने मुख्यतया इसके दो कारण दिये हैं। पहला यह है कि गिरनार (सीराष्ट्र) में अशोक के शिलालेख की भाषा से इसकी सबसे अधिक समानता है। दूसरा कारण वे यह बतलाते हैं कि सम्राट् अशोक के पुत्र कुमार महेन्द्र, जिन्होंने सिंहल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पालि त्रिपिटक को पहुँचाया, अपने शैशव से ही उज्जयिनी-प्रदेश में रहे थे। वहीं की भाषा उनकी मातृ-भाषा थी, जिसमें वे त्रिपिटक को ले गये।

1. The pali Literature of Burma, p. 88-89 (London, 1909)
2. History of pali Literature, vol. 1, p. 50-56
(Preface) : Dr. Law
3. Budhistic Studies, P. 233, Edited by Dr. Law

पालि और विन्ध्य प्रदेश की भाषा

पालि के उद्भव के सम्बन्ध में एक मत यह भी है कि वह विन्ध्य प्रदेश की भाषा के आधार पर विकसित है। इस मत के पुरस्कर्ता आर० ओ० फ्रैंक हैं। उन्होंने इसका कारण यह बतलाया है कि पालि की गिरनार के शिलालेख की भाषा से सर्वाधिक समानता है।

वेस्टर गाड और ई० कुह्न ने भी यही कारण पालि को उज्जयिनी की भाषा पर आधारित बताते हुए उपस्थित किया है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या विन्ध्य प्रदेश और उज्जयिनी-प्रदेश की भाषा एक थी या बहुत कुछ समान थी? आर० ओ० फ्रैंक ने यह भी उल्लेख किया है कि मध्यदेश के पश्चिमी भाग के शिलालेखों से पालि का स्वरूप बहुत मेल खाता है। उन्होंने उनसे कुछ असमानताएँ भी बतलाई हैं। विन्ध्य प्रदेश मध्यदेश का ही एक भाग है। उसकी भाषा का सम्भवतः पश्चिमी मध्यदेश (उज्जयिनी-प्रदेश) की भाषा पर विशेष प्रभाव रहा होगा। यही आधार आर० ओ० फ्रैंक को पालि का उद्गम-स्थल विन्ध्यदेश के पश्चिमी भाग को मानने में सम्भवतः उत्प्रेरक हुआ हो।

स्टैन कोनो

स्टैन कोनो² ने भी विन्ध्य प्रदेश को ही पालि का उद्भव-स्थान स्वीकार किया है। पर उन्होंने जो कारण दिये हैं, वे पृथक् हैं। उनके विचार आर० ओ० फ्रैंक से मेल नहीं खाते। स्टैन कोनो का कहना है कि पालि पेशाची प्राकृत के बहुत समान है। दूसरी बात उन्होंने यह स्थापित की है कि पेशाची प्राकृत विन्ध्य प्रदेश में उज्जयिनी के आस-पास प्रचलित थी।

स्टैन कोनो ने पेशाची के विन्ध्य प्रदेश के अन्तर्गत उज्जयिनी के परिपार्श्व में बोले जाने का जो उल्लेख किया है, भाषा-वैज्ञानिकों की दृष्टि में वह समीचीन नहीं है। पेशाची उज्जयिनी या मालव में प्रयुक्त नहीं थी। सुप्रसिद्ध भाषा-तत्त्वविद् सर जार्ज ग्रियर्सन ने पेशाची को केकय और पूर्वी गान्धार की बोली बतलाया है। स्टैन कोनो का मत ग्रियर्सन के प्रतिकूल है। वस्तुतः विद्वत्समाज में ग्रियर्सन का मत ही विशेष समादृत है और युक्ति-युक्त भी है।

1. Pali Literature and Language, p. 3-4 (Preface)

Dr. Gaigar,

2. History of Indian Literature, vol. II, P. 604

कलिंग-भाषा और पालि

एक मत इस प्रकार है, जो पालि को कलिंग देश की भाषा के आधार पर विकसित मानता है। इस मत के उद्भावक डा० ओल्डन वर्ग^१ हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि लंका के निकटवर्ती होने के कारण कलिंग से ही लंका में बौद्ध धर्म का संचार शताब्दियों तक होता रहा। उनके अनुसार तब जो कलिंग की भाषा थी, वही कुछ विकसित और परिष्कृत होकर पालि के रूप में अस्तित्व में आई और बौद्ध धर्म के माध्यम के रूप में लंका पहुँची। डा० ओल्डन वर्ग ने दूसरी बात यह कही है कि कलिंग में खण्डगिरि (हाथी गुम्फा) में खारवेल का जो शिलालेख है, उसकी भाषा पालि के बहुत निकट है। खारवेल का लेख कलिंग की तत्कालीन भाषा में हो, यह सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है।

लंका में धर्म-प्रचार के लिए सम्राट् अशोक का पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा गये; यह ऐतिहासिकों द्वारा प्रायः स्वीकृत तथ्य है। डा० ओल्डन वर्ग इसे प्रामाणिक नहीं मानते। वे कलिंगवासियों द्वारा ही लंका में बौद्ध धर्म के प्रचारित होने को प्रामाणिकता की कोटि में लेते हैं। उनके अनुसार कई शताब्दियों तक कलिंगवासियों का लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न रहा।

ई० मूलर

डा० ओल्डन वर्ग को तरह ई० मूलर का भी मत है कि कलिंग ही पालि के उद्भव का देश है। उनकी मान्यता है कि कलिंग से ही सबसे पहले (भारतीय) लंका में आकर बसे और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

समीक्षा

पालि का आधारभूत भाषा के सम्बन्ध में मत-मतान्तरों के उल्लेख के अनुसार सिंहली परम्परा मागधी भाषा को पालि का जो आधार मानती है, उससे कतिपय विद्वान् सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार मागधी किसी भी तरह पालि का आधार नहीं है। प्रो० रायस डेविड्स का मत सिंहली परम्परा से एक अपेक्षा से मेल खाता है। प्रो० रायस डेविड्स का कहना है कि भगवान् बुद्ध कौशल में उत्पन्न हुए। उन्होंने मुख्यतः मगध में विहार किया। कौशल देश में उत्पन्न होने के कारण उनको मातृ-भाषा कौशल की बोली थी। उनका विहार और कार्य-स्थल मगध रहा; अतः वहाँ के जन-जन को समझाने के लिए मागधी से भी उनका सम्बन्ध जुड़ता है। मातृ-भाषा के माते एक निष्कर्ष यह निकलता है कि वे कौशल की भाषा

१. त्रिपिटक, डा० ओल्डन वर्ग द्वारा सम्पादित, जिल्ड १, भूमिका पृ० १-५६

में बोले हों। दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि उन्हें मगध की जनता को समझाना था; अतः बहुत सम्भव है कि उन्होंने कौशल और मगध की भाषा के मिश्रित रूप का व्यवहार किया हो।

प्रो० रायस डेविड्स ने इस सन्दर्भ में कहा है कि अशोक के शिलालेखों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह ई० पू० छठी-सातवीं शती में कौशल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का विकसित रूप है। इसके-परिपाक्ष में प्रो० रायस डेविड्स ने यह भी सम्भावना की है कि अशोक के समय में कौशल प्रदेश की टकसाली भाषा (Standard Language) ही मगध-साम्राज्य की राष्ट्र-भाषा (राज-भाषा) रही हो।

डा० विण्टरनिटज¹ ने प्रो० रायस डेविड्स के इस मत पर शंका करते हुए कहा है कि ई० पू० छठी-सातवीं शती में कौशल-प्रदेश की भाषा का क्या रूप था, इसकी आज जानकारी ही क्या है? जानकारों के बिना उसे पालि का मूल किस आधार पर माना जा सकता है। प्रो० रायस डेविड्स की कल्पना के असंगत लगने का एक दूसरा कारण यह भी है कि मगध-साम्राज्य अपने युग का सुप्रतिष्ठित साम्राज्य था। वह अपनी राज-भाषा के लिए किसी पड़ोसी प्रदेश की भाषा को स्वीकार करे, यह कैसे सम्भव हो सकता है? अशोक के समय में मगध-साम्राज्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा हुआ था। ऐसी स्थिति में अधिक समीचीन यही प्रतीत होता है कि उस समय मगध में जो भाषा थी, उसे ही राज-भाषा का गौरव प्राप्त हुआ हो। इतना अवश्य है कि जब किसी केन्द्रीय राज्य में कई दूसरे प्रदेश सम्मिलित हो जाते हैं, तो जो राज-भाषा बनती है, उसका मुख्य आधार तो एक ही बोली होती है, पर, अन्यान्य प्रदेशों की बोलियों के लिये भी उसमें स्थान रहता है। कोई राज-भाषा या केन्द्रीय भाषा सर्वसम्मत, सर्वग्राह्य तथा सर्वोपयोगी तभी हो सकती है; इसलिए कौशल प्रदेश की बोली को पालि का आधार मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार वेस्टर गार्ड, कुहून, फ्रैंक और स्टैन कौनो के मत एक-एक अपेक्षा को लिये हुए हैं। उनमें सर्वांगीणता नहीं है। विन्ध्य प्रदेश की भाषा को पालि का आधार मानना लगभग वैसा ही है, जैसा कौशल की भाषा को पालि का आधार मानना। इन विभिन्न मतों के परिपाक्ष में पालि की कुछ ऐसी विशेषताएँ या उसके कुछ ऐसे विशेष लक्षण प्रतीत होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के साथ उसको सम्बन्ध जोड़ने के आधार मिल जाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि किसी एक बोली को मुख्य आधार के रूप में ग्रहीत करने पर भी उसे अन्तर्प्रान्तीय रूप लेने के लिए आस-पास के प्रदेशों की अनेक बोलियों की विशेषताओं को यथासम्भव स्वीकार कर लेना पड़ा।

फ्रैंक ने एक बात और कही है, जो बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। उनके अनुसार आज जिसे पालि कहा जाता है, जिसमें त्रिपिटक और तदुपजीवी साहित्य रचा हुआ है, वह भाषा साहित्यिक पालि है। बृद्धदेव के समय में भारतवर्ष में बोली जाने वाली आर्य-भाषाओं को फ्रैंक ने पालि कहा है। फ्रैंक का यह मत समीचीनी और युक्ति-संगत नहीं लगता। भगवान् बुद्ध के समय भारतवर्ष में जो आर्य-भाषाएँ देवन्दिन व्यवहार में प्रचलित थीं, उनके विषय में नई स्थापना की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने-अपने प्रदेशों के नामों के अनुरूप भिन्न-भिन्न नाम वाली प्राकृतों के रूप में सुविदित हैं ही। उन सबके लिए पालि जैसा एक नाम कल्पित करना सर्वथा असंगत लगता है। त्रिपिटक की भाषा के लिए पालि शब्द के साथ साहित्यिक शब्द जोड़ना भ्रामक जैसा है।

डा० ओल्डन वर्ग और ई० मूलर पालि को कलिंग से सिंहल पहुंचने का उल्लेख करते हैं, वह भी केवल कल्पना मात्र प्रतीत होता है। यदि सिंहल की भाषाओं के साथ भारत के पूर्वी प्रदेश तथा पश्चिमी प्रदेश की भाषाओं की तुलना की जाए, तो सिंहल की भाषाओं का पूर्वी भाषाओं के साथ नहीं, प्रत्युत पश्चिमी भाषाओं के साथ नेकट्य प्रतीत होता है।

पालि के मूल आधार के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा तरह-तरह से ऊहापोह किया गया है। मागधी को पालि का आधार मानने में विभिन्न विद्वानों के अपने विशेष चिन्तन हैं। भिक्षु सिद्धार्थ, भिक्षु जगदीश काश्यप, जेम्स एल्विस, चाइल्डर्स, विडिश, विण्टरनिट्ज, ग्रियर्सन तथा गायगर आदि विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से मागधी को पालि का स्रोत स्वीकार किया है।

जेम्स एल्विस तथा चाइल्डर्स का यह मानना है कि बुद्ध के समय भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सोलह प्रादेशिक बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें जो बोली मगध में बोली जाती थी, भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेशों का माध्यम उसी को बनाया। विडिश के भी लगभग ये ही विचार हैं। विण्टरनिट्ज ने भी इसी विचार को प्रथम दिया है। उनके मत में थोड़ा-सा भेद अवश्य है। उनका कथन है कि पालि एक साहित्यिक भाषा थी। साहित्यिक भाषा का विकास अनेक प्रादेशिक बोलियों के मिश्रण से होता है। विण्टरनिट्ज इतना अवश्य मानते हैं कि उन प्रादेशिक बोलियों में, जिनके समन्वय से पालि अस्तित्व में आई, प्राचीन मागधी का मुख्य स्थान था।¹

सर जार्ज ग्रियर्सन ने सामान्यतः मागधी को पालि का आधार तो माना है, पर, उन्होंने पालि में उस समय की पश्चिमी बोलियों का प्रभाव देखते हुए कहा है कि पालि

का आधार विशुद्ध मागधी नहीं है। उसका आधार कोई पश्चिमी बोली है। ग्रियर्सन की कल्पना और आगे बढ़ती है। वे कहते हैं कि पालि का आधार मागधी का वह रूप है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रचलित था। उनके अनुसार उसी में त्रिपिटक का संस्करण वहाँ सम्पन्न हुआ।¹

डा० कीथ ने 'दी होम ऑफ पालि' शीर्षक निबन्ध में इसका खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में पालि के व्यवहृत होने के सम्बन्ध में ग्रियर्सन या किसी दूसरे विद्वान् ने ऐसी कोई युक्ति नहीं दी है, जो काटी न जा सके। त्रिपिटक के वहाँ संकलित किये जाने के बारे में भी कोई प्रामाणिक आधार या युक्ति उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है।²

वस्तुतः मगध और तक्षशिला के मध्य बहुत अधिक व्यवधान है। मगध से चल कर तक्षशिला पहुँचने तक बीच में अनेक प्रादेशिक बोलियाँ आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में मागधी का कोई रूप तक्षशिला जैसे दूर पश्चिम के स्थान में प्रयुक्त रहा हो, ऐसा सम्भाव्य नहीं लगता। त्रिपिटक के तक्षशिला में संकलित होने का आधार भी सर्वथा अनुपलब्ध है।

जर्मन विद्वान् डा० गायगर ने प्रस्तुत प्रसंग पर जो मत उपस्थित किया है, वह काफी खोज पूर्ण और विचारणीय है। उनकी मान्यता है कि मागधी किसी प्रदेश-विशेष या जनपद-विशेष की बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा थी, जो अन्तरप्रान्तीय रूप लिये हुए थी। वह भगवान् बुद्ध के युग के पूर्व से ही विकासोन्मुख थी। एक अन्तरप्रान्तीय या सामान्य भाषा (Common Language) के विविध प्रदेशों में बोले जाने में थोड़ी भिन्नता तो सहज हो ही जाती है, पर, उसकी मौलिक एकता विच्छिन्न नहीं होती। भगवान् बुद्ध ने इसी भाषा को अपने प्रवचन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। जिस अन्तर-प्रान्तीय भाषा की चर्चा की जा रही है, यह स्वाभाविक था कि उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियों के तत्त्व विद्यमान रहें। बुद्ध मगध के नहीं थे, परन्तु, उनके जीवन का अधिकांश कार्य भी वहीं सम्पादित हुआ; अतः यह स्वाभाविक था कि उनकी भाषा मगध की बोली से प्रभावित हो। साररूप में डा० गायगर का मत यह है कि पालि विशुद्ध मागधी तो नहीं थी, पर, मागधी पर आश्रित एक सामान्य लोक-भाषा थी, जिसमें बुद्ध ने अपना सन्देश प्रसारित किया।

1. R. G. Bhandarkar Commemoration, Volume, P. 117-123

('दी होम ऑफ लिटरेरी पालि' शीर्षक डा० ग्रियर्सन का लेख)

2. Budhistic Studies, Edited by Dr. Law, P. 739

मागधी के जो लक्षण वैयाकरणों ने निरूपित किये हैं, उनके अनुसार क्या पालि को मागधी पर आधारित माना जा सकता है अथवा मागधी का कोई दूसरा रूप, जिसका स्पष्ट दर्शन प्राप्त नहीं है, उसका आधार रहा हो। इस सम्बन्ध में समीक्षात्मक दृष्टि से विचार आवश्यक है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण उसके अनन्तर। मागधी के व्याकरण के साथ भी यह लागू है। व्याकरण किसी भाषा को नियमित, मर्यादित तथा तत्समकक्ष अन्य भाषाओं से पृथक् करने का उपक्रम है। यही कारण है कि पश्चाद्वर्ती व्याकरणों द्वारा भाषा के पूर्ववर्ती रूप को पकड़ा नहीं जा सकता। व्याकरण से बन्ध जाने के पश्चात् भाषा की प्रवाहशीलता—जीवितता ब्याहृत हो जाती है। प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी का जो विश्लेषण किया है, उसके साथ त्रिपिटक और तदुपजीवी साहित्य की भाषा मेल नहीं खाती। कतिपय अभिलेखों तथा नाटकों में मागधी का जो प्रयोग हुआ है, उनके साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पालि उससे निश्चय ही भिन्न है। कारण यह है कि अभिलेखों, नाटकों और प्राकृत-व्याकरणों का अस्तित्व पालि के बाद का है।

मागधी की मुख्य विशेषताएं

मागधी में 'र' के स्थान पर 'ल' होता है और 'स' के स्थान पर 'श'।^१ पुल्लिङ्ग अकारन्त शब्दों की प्रथमा विभक्ति एक वचन में अ के स्थान पर ए होता है^२ अथवा पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन का रूप एकारान्त होता है। शुद्रक-कृत मृच्छकटिक का निम्नांकित श्लोक मागधी के लक्षणों का परिचायक है :

किं यासि धावसि पलायसि पक्खलन्ती, वासु प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत् ।
कामेण दण्ढवि ह्नु मे हड्ढके तवशो, अंगाललाशिपडिडे इअ मंशखण्डे ॥
(किं यासि धावसि पलायसे प्रस्वलन्ती, वासु प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत् ।
कामेन दण्ढये खलु मे हड्ढं तपस्वि, अंगारराशिपतितमिध मांसखण्डम् ॥)

१. रसौलंशौ ।। ८ । ४ । २८८

मागध्यां रेफस्य दन्त्यसकारस्य च स्थाने यथासंख्यं लकारस्तालठपशकारश्च भवति ।

—सिद्धहेमशब्दानुशासनम्

२. अत एत्सौ पुंसि मागध्याम् ।। ८ । ४ । २८७

मागध्यां भाषायां सौ परे अकारस्य एकारौ भवति पुंसि पुंलिङ्गे ।

—सिद्धहेमशब्दानुशासनम्

पालि में उकार यथावत् बना रहता है। कभी-कभी अनियमित रूप में उनका लकार में परिवर्तन हो जाता है। यह सर्वव्यापी नियम नहीं है, कादाचित्क है। उदाहरणार्थ, संस्कृत का तरुण शब्द पालि में तलुण के रूप में भी प्रयुक्त होता है और तरुण के रूप में भी। पालि में स (दन्त्य) श (तालव्य) में परिवर्तित होता ही नहीं। मागधी में तालव्य श की बहुलता है। उसमें दन्त्य स की तरह मूर्धन्य ष भी तालव्य बन जाता है। जैसे, पुरुषः=पुलिशे, सः=शे। पुल्लिङ्ग की तरह अकारान्त नपुंसक लिंग शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एकारान्त रूप बनते हैं। पालि में न पुल्लिङ्ग में और न नपुंसक लिंग में ही यह नियम लागू होता है। वहाँ पुल्लिङ्ग में ओकारान्त और नपुंसक लिंग में अनुस्वारान्त रूप होते हैं। कहीं-कहीं कादाचित्कतया एकारान्त रूप भी देखे जाते हैं, पर, वैसी नियम-वद्धता जरा भी नहीं है। इसका कारण यह है कि पालि और प्राकृत संस्कृत की तरह व्याकरण के जटिल और कठोर नियमों में प्रतिबद्ध नहीं हैं; अतः यत्र-तत्र ऐसा भी कुछ हो जाता है, जो व्याकरण के नियमों से संगत नहीं है। पर, उसे क्षम्य और सह्य माना जाता है।

केवल मगध प्रवेश तक ही सीमित रहने वाली बोली पालि का एक मात्र आधार नहीं हो सकती। पालि उस मिली-जुली टकसाली भाषा या अन्तर प्रांतीय (Inter Provincial) भाषा पर ही आधारित मानी जा सकती है, जो मध्यमण्डल या मध्यदेश की भाषा थी। मध्यदेश का स्वरूप साधारणतया सम्भवतः यह रहा होगा—पश्चिम में जनपद अर्थात् आज के हरियाणा के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व में मगध अर्थात् दक्षिण बिहार, उत्तर में आबस्ती (सेंट महेठ—उत्तरप्रदेश) से लेकर दक्षिण में अवन्ती (उज्जैन या मालव के क्षेत्र) तक विस्तृत भूभाग। इतने विशाल क्षेत्र में वह भाषा, जो सामान्य भिन्नता के साथ सर्वत्र समान रूप से काम में आए, किसी एक ही प्रदेश से सम्बद्ध नहीं हो सकती। इतना हो सकता है कि राजनीति या शासन की दृष्टि से जो केन्द्र-स्थान हो, उस क्षेत्र की भाषा की वहाँ मुख्यता रहे। उस युग में मगध राजनैतिक दृष्टि से समग्र उत्तर भारत का केन्द्र था। यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्य से पूर्व ऐसा सम्राट् मगध में नहीं हुआ, जिसका आधिपत्य समग्र उत्तर भारत में अव्याहत रूप में प्रसृत हो सका हो, फिर भी मगध में अनेक ऐसे शासक होते रहे हैं, जिनका मगध के समीपवर्ती आस-पास के प्रदेशों पर आधिपत्य रहा था। यदि आधिपत्य नहीं रहा, तो उनका प्रभाव तो अवश्य ही था; अतः सारे मध्यमण्डल की समन्वित या सम्मिश्रित भाषा पर मगध की बोली का प्रभाव रहना असंगत नहीं दीखता। केन्द्रीय प्राधान्य को द्योतित करने की दृष्टि से उसका मागधी नाम प्रचलित रहा है, यह सहजतया सम्भव प्रतीत होता है।

अद्ध मागधी और पालि

प्राकृत के भेदों में एक भेद अद्ध मागधी है। वह जैनों के अंग-साहित्य की भाषा है।

इस पर विस्तृत विवेचन अग्रिम अध्याय में किया जायेगा । पालि के सन्दर्भ में जो चर्चनीय है, उससे सम्बद्ध विचार किया जा रहा है ।

अर्द्धमागधी का सामान्यतया यह अर्थ है कि वह भाषा, जो शौरसेनी और मागधी भाषाएं बोले जाने वाले क्षेत्र के बीच के भाग में बोली जाती थी । इसका फलित यह होता है, अर्द्धमागधी वह भाषा है, जिसमें मागधी और शौरसेनी दोनों का समन्वित रूप प्राप्त होता है । अर्द्धमागधी का अर्थ एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता है । तदनुसार वह भाषा, जिसमें मागधी के आधे लक्षण मिलते हों, अर्द्धमागधी है । मागधी के मुख्यतः तीन लक्षण हैं । उसमें मूर्धन्य ष और दन्त्य स के बदले तालव्य श तथा र के स्थान पर ल का प्रयोग होता है । अकारान्त पुल्लिग शब्दों के कर्ता कारक एक वचन में ए प्रत्यय प्रयुक्त होता है । अर्द्धमागधी में तालव्य श का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता । र के स्थान में ल का प्रयोग कभी-कभी होता है । अकारान्त पुल्लिग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ए प्रत्यय का प्रयोग अधिकांशतः होता है । इस प्रकार मागधी के आधे लक्षण इसमें मिलते हैं । इसकी कारक-रचना में दूसरी विशेषता यह पाई जाती है कि अधिकरण या सप्तमी विभक्ति में ए और म्मि के अतिरिक्त अंसि प्रत्यय भी प्राप्त होता है । जैसे, वणे, वणम्मि, वणंसि । दशवैकालिक सूत्र के निम्नांकित उदाहरण से यह स्पष्ट होता है :

लूहावित्ति सुमंतुदुठे अपिच्छे सुहरे सिया ।

आसुरत्तं न गच्छेज्जा सोचचारणं जिनसासणं ॥

(लूहावित्तिः सुमन्तुदुः अपिच्छेः सुमरः स्यात् ।

असुरत्तं न गच्छेत् श्रुत्वा जिनशासनम् ॥)

लूडसं का मत है कि प्राचीन अर्द्धमागधी पालि का मूल आधार है । उनके अनुसार त्रिपिटक साहित्य अर्द्धमागधी भाषा में लिखा गया । सत्पश्चात् उसका पालि में रूपान्तरण हुआ । लूडसं पालि को पश्चिमी बोली पर आश्रित मानते हैं । उनका यह भी कहना है कि इस समय त्रिपिटक में जो पालि का स्वरूप प्राप्त है, उसमें मागधी का जो यत्किंचित् दर्शन होता है, वह प्राचीन अर्द्धमागधी के अवशिष्ट अंशों के चले आने से है । पालि में रूपान्तरण करते समय ये अंश बचे रह गये ।¹

कीथ ने लूडसं का खण्डन किया है ।² उनके कथन का अभिप्राय है कि आगे चलकर अर्द्धमागधी का विकास जिस साहित्यिक अर्द्धमागधी प्राकृत में हुआ, वह लूडसं द्वारा परिकल्पित प्राचीन अर्द्धमागधी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

1. Buddhistic Studies, P. 734

2. Ibid; P. 734

लूडस ने प्राचीन अर्द्धमागधी के रूप में जिस भाषा का अंकन किया है, वास्तव में उसका अपना स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं है। लूडस ने अशोक के शिलालेखों तथा अश्वघोष के नाटकों के अवशिष्ट अंशों के आधार पर प्राचीन अर्द्धमागधी की कल्पना की है। पर, ये आधार उचित नहीं कहे जा सकते; क्योंकि ये पश्चाद्वर्ती हैं। अशोक के शिलालेखों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ्रांस के विद्वान् सिलवां लेवी का भी इसी प्रकार का मत है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पालि त्रिपिटक भगवान् बुद्ध के मौलिक वचन नहीं हैं।

वास्तव में पालि के सम्बन्ध में विद्वानों में जो मतानैक्य या सन्देहात्मकता रही, उसका मुख्य आधार पालि के रूप की बहुविध विक्षेपताएँ हैं। बुद्ध ने ऐसी भाषा में उपदेश दिया, जो नाम से तो मागधी कहलाती थी, जिसका मुख्य आधार मगध प्रदेश की बोली था, पर, पश्चिम प्रदेश की अन्यान्य बोलियों का मिश्रण भी उसमें था। इस पहलू पर कुछ दूसरी अपेक्षाओं से भी चिन्तन आवश्यक है। साथ-ही-साथ भगवान् बुद्ध के युग, उनका विहरण-क्षेत्र, शिष्य-सम्पदा, परिस्थितियाँ, आदि के सन्दर्भ में भी प्रस्तुत विषय के परिशीलन किये जाने पर कुछ और प्रकाश मिल सके।

बुद्ध-युग : पारिपार्श्विक स्थितियाँ

भगवान् बुद्ध कुरु जनपद से मगध और बिन्ध्य से हिमालय तक अर्थात् इनके मध्यवर्ती अनेक प्रदेशों, जनपदों, क्षेत्रों में विहार करते रहे थे। बौद्ध वाङ्मय में 'मज्झिमेसु' 'पवेसु' के नाम से इस भूभाग का उल्लेख हुआ है। यह भी सर्वविदित है कि भगवान् बुद्ध का धर्म-संघ जातीय उच्चता तथा नीचता के भाव से परे था। उनके धर्म-संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; सभी जातियों के लोग बिना किसी भेद-भाव के सम्मिलित होते रहे थे। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न जातियों और वर्गों के लोग भगवान् बुद्ध के संघ में थे, उसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के लोग भी थे। बुद्ध के उपदेश मौखिक थे। उनके जीवन-काल में नहीं, प्रयुक्त उनके परिनिर्वाण के दो तीन सदियों के बीच उनके उपदेश संकलित हुए। उनका लेखन तो और विलम्ब से हुआ। अर्थात् ई० पूर्वं पहली शताब्दी में वे लंका में लिखे गये। काल की इतनी लम्बी अवधि में उनके रूप में अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन क्या सम्भव नहीं हैं ?

डा० गायगर ने विशेष बलपूर्वक यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि भाषा तथा विषय; दोनों की दृष्टि से पालि-त्रिपिटक भगवान् के मूल वचन हैं। त्रिपिटक के सुल्लवण में एक कथा है। दो ब्राह्मण भिक्षु थे। एक का नाम यमेलु और दूसरे का तेकुल था।

वे वैदिक परम्परा से आये थे। बौद्ध भिक्षु हो जाने पर भी उनके मन पर, कुछ-कुछ वैदिक संस्कार थे। वे देखते हैं कि नाना जातियों और गोत्रों के भिक्षु भगवान् बुद्ध के वचनों को अपनी-अपनी भाषा में रख कर दूषित कर रहे हैं। वहाँ सुल्लवण में “सकाय निरुत्तिया बुद्ध-वचनं दूसेन्ति” इन शब्दों का प्रयोग है। तब ब्राह्मण भिक्षु भगवान् बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं—“भगवन् ! अच्छा हो, हम आपके वचनों को छन्दस् में रूपान्तरित कर दें।”^१

भगवान् बुद्ध ने उन्हें कहा—“नहीं ! ऐसा करना अपराध होगा।” तदनन्तर उन्होंने भिक्षुओं को विध्यात्मक भाषा में आदेश देते हुए कहा—“भिक्षुओ ! मैं अपनी भाषा में बुद्ध-वचन का परिज्ञान करने को अनुज्ञा देता हूँ।”^२

प्राक्तीन संस्कारवश ब्राह्मण-भिक्षुओं का लोक भाषाओं के प्रति कुछ अरुचि का भाव था। प्राचीन परम्परा और प्रवृत्तिवश जिस छन्दस् को वे परम पवित्र मानते आ रहे थे, सहसा उसके प्रति उनका आदर सर्वथा मिट जाए, यह सम्भव नहीं था। तभी तो उन्होंने भगवान् बुद्ध के समक्ष उक्त प्रस्ताव रखा था।

आचार्य बुद्धघोष ने “छन्दसो आरोपेमाति” का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है : “वेदं विय सक्कटभासाय वाचनामगं आरोपेम” अर्थात् वेद की तरह संस्कृत भाषा में आरोपित—रूपान्तरित कर दें। आचार्य बुद्धघोष ने यहाँ जो ‘सक्कट भासा’ पद का प्रयोग किया है, उसके संस्कृत में दो रूप बनते हैं—संस्कृत भाषा तथा संस्कृत भाषा।

डा० विमलाचरण लॉ ने केवल संस्कृत भाषा अर्थ को स्वीकार किया है और आचार्य बुद्धघोष की आलोचना की है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने डा० लॉ के विचार की समीक्षा करते हुए लिखा है : “संस्कृत शब्द पाणिनि के बाद का है और वह लौकिक संस्कृत का वाचक है। छन्दस् शब्द उस प्राचीन आर्यभाषा का द्योतक है, जिसमें ‘संहिताएँ’ लिखी गयी हैं। भगवान् बुद्ध को यही अर्थ अभिप्रेत हो सकता था। स्वयं त्रिपिटक में “साविस्सी छन्दसो मुख” जैसे प्रयोगों में छन्दस् शब्द का प्रयोग वेद के लिए ही हुआ है; अतः यहाँ भी बुद्ध का तात्पर्य वेद की भाषा से ही था, जिसके विपरीत बुद्धघोष का मत भी नहीं है।”^३

डा० उपाध्याय सकाय-निरुत्तिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं : “भगवान् बुद्ध की चारों वर्णों की शुद्धि और उसके विषय में उनकी आचार्य-मुष्टि (रहस्य-भावना)

१. हन्व मयं अग्रे बुद्धवचनं छन्दसो आरोपेमाति ।
२. अनुजानामि भिक्खवे सकायनिरुत्तिया बुद्धवचनं परिघापुणितुं ।
३. पैपार्लि साहित्य का इतिहास, पृ० २४

न होने के कारण हम यह तो स्वाभाविक ही मान सकते हैं कि नाना प्रदेशों से आये हुए भिक्षु अपनी अपनी बोलियों में ही बुद्ध-वचनों को समझने का प्रयत्न करते होंगे।^१

बुद्ध ने भिक्षुओं को 'सकाय निरुत्तिया' का जो आदेश दिया, इस सम्बन्ध में डा० गायगर का अर्थ एक भिन्न दिशा में जाता है। उन्होंने बताया है कि भगवान् बुद्ध की अनुज्ञा में जो 'सकाय निरुत्तिया' शब्द आया है, उसका अन्वय 'भिक्षुत्वे' के साथ नहीं, बुद्ध-वचन के साथ है। सकाय निरुत्तिया का अन्वय भिक्षुत्वे के साथ होता है, तो अर्थ की संगति के लिए वो (तुमको) पद आना चाहिए था। तभी उसका अर्थ भिक्षुओं की अपनी-अपनी भाषा हो सकता था। पर मूल-पाठ के साथ 'वो' शब्द नहीं आया है; अतः यह सहज ही सिद्ध होता है कि व्याकरण के अनुसार 'सकाय निरुत्तिया' शब्द बुद्ध-वचन से सम्बद्ध होगा। तदनुसार उक्त वाक्य का अर्थ यह होगा कि "भिक्षुओ! बुद्ध-वचन को उसकी—बुद्ध-वचन की भाषा में सीखने की मैं अनुज्ञा देता हूँ।" इसका निष्कर्ष यह हुआ कि बुद्ध-वचन को मागधी भाषा में ही सीखने की बुद्धदेव ने आज्ञा दी।^२

आचार्य बुद्धघोष ने 'सकाय निरुत्तिया' की व्याख्या इसी प्रकार की है : 'यहां स का निरुत्ति—स्वका निरुत्ति—स्वकीय भाषा से सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मागधी भाषा के व्यवहार का तात्पर्य है।'^३

डा० गायगर ने इस तथ्य पर बहुत बल दिया है कि बुद्ध-वचनों को मौलिक एवं प्रामाणिक रूप में अक्षुण्ण तथा अपरिवर्त्य बनाये रखने की उस समय बहुत तत्परता थी और यह सम्भव है कि बाद में भी उसका अनुसरण होता रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि न तो भगवान् बुद्ध का ही और न भिक्षुओं का ही मन्तव्य इस प्रकार का हो सकता था कि वे (भिन्न-भिन्न प्रदेशों के भिक्षु) भिन्न-भिन्न भाषाओं में बुद्ध-वचन अधिगत करें। डा० गायगर ने 'सकायनिरुत्तिया' की अपनी-अपनी भाषापरक व्याख्या को अनुचित ठहराने का प्रयत्न किया है।^४

भिक्षु सिद्धार्थ ने भी आचार्य बुद्धघोष और डा० गायगर के मत का अनुसरण किया है। उन्होंने लिखा है कि जब भगवान् बुद्ध ने संस्कृत जैसी परिमार्जित और समाहत भाषा में अपने उपदेशों को रखे जाने की स्वीकृति नहीं दी, तब यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वे अपने उपदेशों को साधारण बोलचाल की भाषा में रखे जाने की अनुज्ञा दें। उनके धनुसा

१. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० २२

२. Pali Literature & Language P. 6-7

३. एत्थ सका निरुत्ति नाम सम्मा सम्बुद्धेन वुत्तप्पकारो मागधको वोहारो।

४. Pali Literature and Languages, P. 7

इससे बुद्ध-वचनों की मौलिकता और प्रभावशीलता कैसे टिकती ? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बुद्ध ने अपना उपदेश मगध देश की टकसाली भाषा में ही दिया। उनके शिष्यों ने उसी में उसको सीखा और उसी में दूसरों को सिखाया।^१

संस्कृत जैसी परिमार्जित भाषा में बुद्ध-वचन न रखे जाने का तर्क प्रस्तुत करते हुए भिक्षु सिद्धार्थ साधारण बोलचाल की भाषा में उन्हें रखे जाने की अनुज्ञा कैसे होती, यह जो हेतु दिया है, समीचीन नहीं लगता। संस्कृत व्याकरण-बद्ध एवं रूढ़ भाषा है। उसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। उस भाषा में बुद्ध-वचन रखे जाना एक भिन्न बात है और बोलचाल की भाषा में रखा जाना सर्वथा अन्य। दोनों में सादृश्य नहीं है। फिर भगवान् बुद्ध तो बोलचाल की भाषा के पक्षपाती थे ही। मूल बात अपनी-अपनी भाषाओं—अनेक बोलचाल की भाषाओं में बुद्ध-वचन अधिगत किये जाने की है। भिक्षु सिद्धार्थ ने इसी का परिहार किया है। पर, हेतु प्रस्तुत करते समय उन्हें सूक्ष्मता का ध्यान कम रहा है। उन्होंने निष्कर्ष रूप में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका आशय एक व्यापक अर्थ लिये हुए है। पर, आचार्य बुद्धबोध, डा० गायगर और स्वयं उन्होंने भगवान् बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मगध की बोलचाल की भाषा के यथावत् रूप से जोड़ने का जो प्रयास किया है, वह उपयुक्त अभिप्राय से मेल खाता हुआ नहीं दीखता। टकसाली मागधी और मगध प्रदेश की बोलचाल की मागधी एक नहीं हो सकती। भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए उस भाषा को अपनाया जो केन्द्रीय राज्य-सत्ता मण्डल या मध्य देश की टकसाली भाषा थी। क्या उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों के भिक्षु उसी में उनके वचनों की अनुज्ञात करें। सामान्यतः वह केन्द्र-भाषा, सम्पर्क-भाषा या राष्ट्र-भाषा सभी सम्बद्ध प्रदेशों में समझे जा सकने योग्य थी ही।

विण्टरनिट्ज ने सकाय निरुत्तिया के सन्दर्भ में डा० गायगर का खण्डन किया है। उन्होंने 'भिक्षुवे' के साथ 'बो' पद जोड़ने की अनिवार्यता नहीं मानी। उन्होंने कहा है कि प्रसंग से वह स्वयं समझे जा सकने योग्य है। डा० बी० सी० लॉ और डा० कीथ ने भी डा० गायगर के मत का खण्डन किया है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने भी डा० गायगर के मत को मान्यता नहीं दी है।

उपसंहार

तथागत को किसी भाषा-विशेष के प्रयोग में आग्रह नहीं था। पर, एक स्तर-भाषा को स्वीकार करना तो उनके लिए आवश्यक जैसा था। भिक्षुगण चाहे किसी भी प्रदेश के हों,

बुद्ध-वचन का परिज्ञान करने हेतु किसी एक भाषा का ही अवलम्बन उपयुक्त रहा होगा। भविष्य में यह सम्भावना तो हो ही सकती है कि विभिन्न प्रदेश के भिक्षुओं द्वारा परिज्ञात या गृहीत किये गये बुद्ध-वचन के पाठ में कुछ अन्तर पड़ जाए। पर, ऐसा हो पाना कम व्यवहार्य प्रतीत होता है। यदि बुद्ध-वचन को इस प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं या बोलियों में सीखे जाने की स्थिति होती, तो उसमें एक रूपात्मकतापरक समन्वय कभी सम्भव नहीं था।

पालि-ध्वनियों की विशेषता

संस्कृत की ध्वनियों से तुलना करने पर पालि-ध्वनियों की कई विशेषताएं ज्ञात होती हैं। पालि में ऋ, ॠ, लृ, ऐ, औ; इन पांच स्वरों का प्रयोग नहीं पाया जाता। प्राकृत में भी ऐसा ही है। पालि में ऋ स्वर अ, इ, उ में से किसी एक में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्राप्त है। पालि में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ के रूप में दो नये स्वर और प्राप्त हैं। प्राकृत में भी ऐसा ही है। पालि में विसर्ग का व्यवहार नहीं होता। प्राकृत में भी विसर्ग प्रयुक्त नहीं है। मूढन्त्य ष् और तालव्य श् पालि में प्रयुक्त नहीं होते। मागधी के अतिरिक्त अन्य प्राकृतों में भी मूढन्त्य ष् और तालव्य श् व्यवहृत नहीं होते।

पालि में ल् व्यंजन का प्रयोग होता है। वैदिक संस्कृत में भी ल् का प्रयोग मिलता है, पर, लौकिक संस्कृत में यह प्रयुक्त नहीं होता। प्राकृत में इसका प्रयोग रहा है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मिथ्या सादृश्य के कारण कहीं-कहीं ल के स्थान पर भी ल् का प्रयोग हो जाता है। पालि में ह् स्वतन्त्र रूप में प्राण-ध्वनि व्यञ्जन माना गया है, किन्तु, यदि वह य्, र्, ल्, व् या अनुनासिक से संयुक्त हो, तो उसके उच्चारण में एक विशेष प्रकार का अन्तर आ जाता है। पालि-व्याकरणों में इस प्रकार के ह को ओरस् (उरस् = हृदय से उत्पन्न) कहा गया है।

ध्वनि-परिवर्तन

पालि में अ, इ, उ, ए तथा ओ; ये ह्रस्व स्वर विद्यमान रहते हैं। प्रायः सभी प्राकृतों में भी ऐसा है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के मुखम् शब्द का पालि रूप मुखं और प्राकृत रूप मुहं होता है। यहाँ ह्रस्व दोनों जगह विद्यमान है। इसी प्रकार संस्कृत का प्रिय शब्द पालि में पिय और प्राकृत में भी पिय होता है।

संस्कृत में यदि अकार संयुक्त व्यंजन पहले हो, तो पालि में कहीं-कहीं उसका ए हो जाता है। जैसे, शय्या शब्द का पालि रूप सेय्या होगा और प्राकृत-रूप सेज्जा।

पालि के इकारान्त और उकारान्त शब्दों के रूप में विभक्त्यन्त अकार तथा उकार दीर्घ हो जाते हैं । जैसे, संस्कृत के तृतीया विभक्ति के बहुवचन के रूप अग्निभिः के स्थान पर पालि में अग्गीहि होगा । सप्तमी विभक्ति बहुवचन के अग्निषु के स्थान पर अग्गीसु होगा ।

संस्कृत में संयुक्त व्यञ्जन से पूर्व जो इ और उ होते हैं, पालि शब्दों में वे क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं । जैसे, संस्कृत के पुष्कर शब्द का रूप पालि में पोक्खर होगा ।

ऋ का पालि तथा प्राकृत में कहीं अ, कहीं इ और कहीं उ हो जाता है । पालि में लृ का भी उ हो जाता है । जैसे, संस्कृत का क्लृप्त शब्द पालि में कुत होगा ।

पदान्त में जहां संस्कृत में दीर्घ स्वर होता है, पालि में वह ह्रस्व हो जाता है । जैसे, देव शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप देवानाम् पालि में देवानं होगा ।

संयुक्त व्यञ्जन से पूर्व संस्कृत में जिन शब्दों में दीर्घ स्वर होता है, पालि में वह ह्रस्व हो जाता है । जैसे, संस्कृत के जीर्ण शब्द का पालि रूप जिण्ण होगा । प्राकृत-रूप भी यही होगा ।

पालि में स्वर-भक्ति के व्यवहार का बाहुल्य है । स्वर-भक्ति में जब संयुक्त व्यञ्जन असंयुक्त या पृथक् कर दिये जाते हैं, तब संयुक्त व्यञ्जन से पहले आने वाला दीर्घ स्वर पालि में ह्रस्व हो जाता है । उदाहरणार्थ, चेत्य शब्द का पालि रूप चेतिय और मोय का मोरिय होगा ।

पालि और प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता । वहां विसर्ग तीन तरह से परिवर्तित होता है । शब्द के बीच में यदि विसर्ग हो, तो आगे आने वाले व्यञ्जन में उसका समावेश हो जाता है । जैसे, दुःसह का पालि रूप दुस्सह होगा । अकारान्त के आगे स्थित विसर्ग पालि में ओ में परिवर्तित हो जाता है । जैसे, बुद्धः=बुद्धो । इकारान्त और उकारान्त शब्दों के आगे आने वाले विसर्ग लुप्त हो जाते हैं; जैसे, अग्निः=अग्नि ।

व्यञ्जन-परिवर्तन

व्यञ्जनों के सम्बन्ध में परिवर्तन-सम्बन्धी कतिपय मुख्य नियम निम्नांकित रूप में हैं :

सामान्यतः संस्कृत शब्द के प्रारम्भ में विद्यमान असंयुक्त व्यञ्जन पालि में यथावत् बने रहते हैं । जैसे, कृ धातु के वर्तमानार्थक क्खट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन का करोति रूप पालि में करोति ही रहता है । प्राकृत में वह करेदि हो जाता है । पालि और प्राकृत में 'क' यथावत् रहा है ।

ङ्, भ्, ण्, न् और म्; संस्कृत के इन पाँच अनुनासिक व्यञ्जनों में से केवल न और म के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जन शब्द के आदि में प्रयुक्त नहीं होते। पालि में भी ऐसी ही स्थिति है। प्राकृत में न् का ण् हो जाता है।

शब्द के प्रारम्भ में स्थित य्, र्, ल्, व् पालि में यथावत् बने रहते हैं। कहीं-कहीं र् ल् में परिवर्तित हो जाता है, जो मागधी प्राकृत की विशेष प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, मागधी में राजा का सर्वत्र लाजा होगा। पालि में यह कादाचित्क है।

संस्कृत में शब्द के आदि में विद्यमान अघोष अल्पप्राण व्यञ्जन (क्, त्, प् आदि) पालि में उसी वर्ग के अघोष महाप्राण (ख्, थ्, फ् आदि) हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत के कोलः, कुम्भः तथा परशु पालि में खोलो, खुम्भो तथा फरसु के रूप में परिवर्तित होंगे।

कहीं-कहीं इस नियम की विपरीतता भी दृष्टिगत होती है। अभिषाय यह है कि संस्कृत अघोष महाप्राण व्यञ्जनों के स्थान पर पालि में उसी वर्ग के अघोष अल्पप्राण व्यञ्जन भी हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, भगिनी के स्थान पर पालि में बहिनी और बहिणी भी देखा जाता है।

शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत अघोष स्पर्श व्यञ्जन पालि में उसी वर्ग के घोष स्पर्श व्यञ्जनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, 'माकन्दिष' का 'मागन्दिष' और 'उताहो' का 'उदाहु' हो जाता है।

शब्द के मध्य में विद्यमान व्यञ्जनों में अघोष अल्पप्राण व्यञ्जन पालि में उसी वर्ग के अघोष महाप्राण व्यञ्जन हो जाते हैं। जैसे, सुकुमार का पालि रूप सुखुमाल हो जाता है।

संस्कृत के घोष स्पर्श व्यञ्जन पालि में कहीं-कहीं अघोष भी हो जाते हैं। जैसे, कुसीद=कुसीत।

कहीं-कहीं संस्कृत के दन्त्य व्यञ्जन पालि में प्रायः मूर्द्धन्य हो जाते हैं। अर्थात् त्, थ्, द्, ध्, न्, पालि में ट्, ठ्, ड्, ल्ह् और ण् हो जाते हैं। जैसे, दाह=डाह, शकुन=सगुण, प्रथम=पठम हो जाता है। यह नियम प्रायः आदि और मध्य दोनों ही स्थानों पर स्थित व्यञ्जनों के लिए है।

शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत के तालव्य स्पर्श वर्णों के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं दन्त्य स्पर्श वर्ण हो जाते हैं। जैसे, चिकित्सा=त्तिकिञ्छा।

शब्द के मध्यवर्ती मूर्द्धन्य स्पर्श वर्णों के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं दन्त्य स्पर्श वर्ण हो जाते हैं। जैसे, डिण्डिम=देण्डिम।

न के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं र् या ल् भी होता है। जैसे, नेरंजना=नेरंजरा, एनः=एल।

संस्कृत के ण् वर्ण के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं ल् होता है। जैसे, वेणु=बेलु। यह नियम शब्द के मध्य स्थित व्यंजन की अपेक्षा से है।

संस्कृत के र् वर्ण के स्थान पर पालि में बहुलतया ल् हो जाता है, र् भी बना रहता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के तर्हण शब्द का पालि रूपान्तर तलुण भी है और तरुण भी।

शब्द के मध्यवर्ती ल् के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं र् हो जाता है। जैसे, आरम्भन=आरम्भण।

शब्द के मध्यवर्ती य् के स्थान पर पालि में व् हो जाता है। जैसे, आयुध=आवुध।

शब्द के मध्य स्थित ब् के स्थान पर पालि में य् हो जाता है। जैसे, दाव=दाय। यह नियम सर्वथा व्यापक नहीं है; अतः कभी दाव का दाव भी रहता है।

संस्कृत के ब् वर्ण के स्थान पर पालि में म् भी हो जाता है। जैसे, द्रविड=द्रमिल।

ठीक इसके विपरीत एक नियम यह भी है, संस्कृत के म् के स्थान पर पालि में ब् हो जाता है। जैसे, वीर्मांसा=वीर्मांसा :

पालि में वर्ण-विपर्यय के उदाहरण बहुत मिलते हैं। शब्द के बीच में विद्यमान व्यंजन परस्पर में एक-दूसरे के स्थान लेते हुए भी पाये जाते हैं। किसी खास वर्ण के लिए यह नियम नहीं है, पर, अधिकांशतः इसका सम्बन्ध र् व्यंजन से है। जैसे, करेणु=करेणु।

संस्कृत का क्ष् पालि में बल् या ज् हो जाता है। जैसे, कक्ष=कब्ब, परीक्षा=परिक्खा, अक्षि=अक्खि या अक्खि।

संस्कृत के ह्ण्, ह्न्, ह्म्, ह्य्, ह्व्; इन संयुक्त व्यञ्जनों के स्थान पर पालि में क्रमशः णह्, न्ह्, म्ह्, य्ह्, और ब्ह् हो जाते हैं। अर्थात् बाद में आने वाले ण्, न्, म्, य् और ब् पहले चले जाते हैं। पहले वाले उनके आगे चले जाते हैं। जैसे, अपराह्ण=अपरण्ह, चिह्न से चिह्, जिह्वा=जिह्वा। संस्कृत के श्न्, श्म्, ष्ण्, ब्म्, स्न्, स्म्, यथाक्रम ज्ह्, म्ह्, ण्ह्, म्ह्, न्ह् और म्ह् हो जाते हैं। जैसे, प्रश्न=पञ्ह, अश्म=अम्ह, उष्ण=उण्ह, ग्राष्म=गिम्ह, स्नान=न्हाण, विस्मय=विम्हय।

संस्कृत शब्दों के अन्त में जो व्यञ्जन आते हैं, पालि में वे लुप्त हो जाते हैं। प्राकृत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, पालि में भगवान् का भगवा और सम्यक् का सम्मा होता है।

पालि-वाङ्मय

पालि का सबसे प्राचीन वाङ्मय त्रिपिटक के रूप में प्राप्त है। त्रिपिटक का अर्थ तीन पिटारियां हैं। ऐसा अनुमान करना असंगत नहीं लगता कि भगवान् बुद्ध के वचन संगृहीत किये जाने पर पृथक्-पृथक् विषयों के अनुसार तीन पिटारियों में रखे गये होंगे। कुछ समय पश्चात् वह वाङ्मय अलग-अलग तीन पिटकों के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व का समय भारत में आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से क्रान्ति का समय था। ये क्रान्तियां पूर्वी भारत में हुईं। ऐसा लगता है, यज्ञ-प्रधान वैदिक संस्कृत और धार्मिक परम्परा वहां जन-मानस को सम्भवतः अधिक परितुष्ट नहीं बनाये रख सकी होगी। लोक-मानस में कुछ ऐसी मांग रही होगी, जिसका अभिप्रेत शान्ति का मार्ग प्राप्त करना था। फलतः महावीर और बुद्ध के रूप में दो महान् क्रान्तिकारी व्यक्तित्वों का उदय एक ही समय में हुआ। यद्यपि अवैदिक परम्परा के और भी कतिपय क्रान्तिकारी आचार्य थे, जिनके सम्बन्ध में पहले इ गित किया गया है, पर, वर्तमान में उनका कोई भी साहित्य प्राप्त नहीं है। केवल भगवान् महावीर तथा तथागत बुद्ध का साहित्य मिलता है।

भगवान् बुद्ध ने उपदेशों के माध्यम के रूप में लोक-भाषा को स्वीकार किया। उन्होंने जन-जन को अपने सन्देशों से आप्लावित करने के लिए जीवन और धर्म के तत्त्व-ज्ञान पर बहुत कुछ कहा। उनके सम्पर्क में लोग आते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। वे उनका उत्तर देते थे। अनेक धर्म-परिषदें होती थीं, जिनमें वे प्रवचन करते थे। सहस्रों लोग उनके प्रवचनों का श्रवण करते थे। बुद्ध का अपनी स्वयं की साधना के साथ-साथ यावज्जीवन यह लोक-कल्याण का क्रम गतिशील रहा। तथागत के वे सभी उपदेश मौखिक थे। उनके समय में उनके उपदेशों का लेखन नहीं हुआ। यद्यपि उस समय लेखन-कला या लिपि ज्ञान अनधिगत नहीं था, पर, ऐसा लगता है, धर्मोपदेश को तब स्मृति में रखने की विशेष परम्परा थी। प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि लेखन-कला ज्ञात थी, तो ऐसा क्यों? इसके लिए कोई सन्तोषजनक समाधान तो नहीं मिलता, पर, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस तरह वैदिक परम्परा में वेदों को कण्ठाग्र रखने की एक विशेष प्रवृत्ति थी, सम्भवतः बुद्ध के वचनों के लिए भी यही प्रवृत्ति रही हो। बुद्ध-वचनों की धारण करने वाले अनेक भिक्षु थे। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध जब-जब बोलते, तीव्र स्मृति के धनी भिक्षु उन्हें कण्ठस्थ कर लेते। ऐसे भिक्षुओं के लिए विनयधर; धम्मधर, सुत्तन्तिक; मातृकाधर आदि विशेषण प्राप्त होते हैं। जो भिक्षु विनय-पिटक या विनय अथवा आचार-सम्बन्धी वचनों की धारण करने वाले थे; वे विनयधर कहलाते थे। इसी प्रकार जो धर्म या धर्म-सिद्धान्त अथवा सुत्त-पिटक को धारण करने वाले थे, वे धम्मधर या सुत्तन्तिक कहलाते थे।

जो तात्त्विक उपदेश सम्बन्धी अनुक्रमणिकाओं को धारण करने वाले थे, उन्हें मातृकाधर कहा जाता था। अनुक्रमणिकाओं को ही मातृकाएं कहा जाता था। आगे चल कर अभिधम्मपिटक का विकास उनसे ही हुआ। महावग्ग, चुल्लवग्ग, दोध-निकाय तथा अंगुत्तर-निकाय आदि में एतत्सम्बन्धी उल्लेख हैं।

एक प्रश्न स्वाभाविक है कि त्रिपिटक में जो बुद्ध-वचन आज प्राप्त हैं, क्या वे भगवान् बुद्ध द्वारा दिये गये समस्त उपदेश हैं? त्रिपिटक का भी स्वयं का ऐसा दावा नहीं है कि भगवान् बुद्ध ने जो कुछ कहा, वह सबका सब उनमें संगृहीत है। अनेक ऐसे भी वचन हो सकते हैं, जो तथागत के मुख से उच्चरित हुए, पर, कष्टस्थ नहीं रखे जा सके हों। इसके साथ-साथ यह भी समीक्षणीय है कि त्रिपिटक में जो कुछ है, क्या वह अक्षरशः बुद्ध-वचन ही है। त्रिपिटक के लेखन से पूर्व हुए उनके संकलन पर कुछ विचार अपेक्षित है, जिससे ये तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जायेंगे।

त्रिपिटक का संकलन

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के तीन मास बाद राजगृह में वैभार पर्वत के उत्तरी पार्श्व में स्थित सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध भिक्षुओं की सभा हुई, जिसका उद्देश्य बुद्ध-वचनों का संग्रहित-संकलन या संग्रह था। बुद्ध के परिनिर्वाण के केवल तीन मास बाद ही ऐसा क्यों आवश्यक प्रतीत हुआ कि बुद्ध के वचन संगृहीत किये जाएं? बुद्ध एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था से आये थे। उन्होंने अपने भिक्षु-संघ में उसी प्रकाश की व्यवस्था की। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और न अपने संघ के भिक्षुओं को किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन के लिए आदिष्ट ही किया। धर्म-संघ पर व्यक्ति-विक्षेप के शासन में सम्भवतः उनकी आस्था न रही हो। उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म और विनय ही भिक्षु-संघ की शासन-व्यवस्था का आधार रहे, इस प्रकार का उनका आशय था।

एक प्रसंग है, गोपक मोग्गलान ने आनन्द से प्रश्न किया—“भद्र आनन्द ! क्या कोई ऐसा भिक्षु है, जिसे तथागत ने यह कहते हुए कि मेरे निर्वाण के अनन्तर यह तुम लोगों का आधार होगा, इसका तुम सहारा लोगे, मनोनीत किया ?”

आनन्द का उत्तर था—“कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जिसे पूर्णत्व प्राप्त, स्वयंबोधित भगवान् ने यह कहते हुए कि मेरे निर्वाण के अनन्तर यह तुम लोगों का सहारा होगा, जिसका अवलम्बन हम लोग ले सकें, मनोनीत किया।”

गोपक मोग्गलान ने पुनः पूछा—“पर, क्या आनन्द ! ऐसा कोई भिक्षु है, जिसे संघ ने स्वीकार किया हो और अनेक बुद्ध भिक्षुओं द्वारा जिनके सम्बन्ध में यह कहते हुए व्यक्त किया

गया हो कि तथागत के निर्वाण के अनन्तर यह हमारा सहारा होगा, जिसका तुम अवलम्बन ले सकते हो ।”

आनन्द ने कहा—“ऐसा कोई भी श्रमण-ब्राह्मण नहीं है, जिसे संघ ने माना हो…… और जिसका अवलम्बन हम ले सकते हैं ।”¹

भगवान् बुद्ध के अनन्तर विधिवत् उत्ताधिकारी के रूप में किसी भी व्यक्ति का मनोनयन नहीं हुआ, जो भिक्षु-संघ के संचालन का आधिकारिक रूप से कार्य कर सके । क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए; इस सम्बन्ध में भिक्षु-संघ के लिए कोई आधार था तो केवल बुद्ध-वचन ही ।

भगवान् बुद्ध के उपदेश मौखिक थे । उनके अन्तेवासी उन्हें सुनते थे, जन-समुदाय भी सुनता था । अन्तेवासियों का सम्भवतः यह प्रयत्न रहता था कि वे वचन उनकी स्मृति में रह सकें; इसलिए वे सम्भवतः इस और विशेष जागरूक भी रहते रहे होंगे । वस्तुतः भिक्षुओं का जीवन ध्यान और साधना का जीवन था । बुद्ध-वचनों को वे स्मरण तो रखते थे, पर उनका इससे भी अधिक प्रयास उन्हें जीवन में उतारने की ओर था ।

भौतिक काया से जब भगवान् बुद्ध नहीं रहे, तो दायित्वशील भिक्षुओं को सहसा यह चिन्ता हुई कि तथागत के वचन स्थिर रहने चाहिए । उनके जीवन-काल में तो वे आश्वत थे कि जब भी कोई शंका, विचिकित्सा होगी, भगवान् से समाधान पा लेंगे, किन्तु उनके अनन्तर अब तो उनके पास केवल भगवान् के वचन ही आधार थे, जिनसे वे समाधान पा सकते थे । वे जानते थे कि मनुष्य में अनेक दुर्बलताएँ हैं । अवसर पाते ही वे उभर उठती हैं और मानव के सर्व को दबा लेती हैं, उसे पथ-भ्रष्ट कर डालती हैं । बड़ी सावधानी, तत्परता तथा विवेक के साथ मन का नियमन करना होता है । इन्हीं सब कारणों से भिक्षुओं को यह आवश्यक लगा कि बुद्ध के वचनों का संग्रहण (संगान) किया जाए । भिक्षुओं को यह भी चिन्ता थी कि भगवान् के वचनों की धरोहर को अब तक तो वे सहेजे हुए हैं, आगे कौन सहेजेगा ?

मानवीय दुर्बलता की जो चर्चा की गयी है, वह कल्पना नहीं है, यथार्थ है । इस सम्बन्ध में दीर्घ-निकाय का एक प्रसंग विशेषतः मननीय है । भगवान् बुद्ध के अनुपाधि-शेषनिर्वाण धातु में प्रविष्ट हो जाने को सात दिन भी नहीं हुए थे, भिक्षुओं के शोक के आंसू भी नहीं सूख पाये थे कि समुद्र नामक एक वृद्ध भिक्षु को यह कहते हुए सुना गया—‘आयुष्मान्

भिक्षुओ ! बहुत हुआ । अब शोक मत करो । परिवेदना—विलाप मत करो । हम उस महा-श्रमण से सुमुक्त हो गये । हमें वह उपद्रुत—पीड़ित किया करता था—यह तुम्हारे लिए कल्याण-विधेय है, यह नहीं कल्याण-विधेय है । अब हम लोगों की जो इच्छा होगी, हम करेंगे । जो इच्छा नहीं होगी, नहीं करेंगे ।”

एक वृद्ध भिक्षु के ये वचन निःसन्देह आश्चर्य उत्पन्न करते हैं । वास्तविकता यह है कि जब कोई अभियान या आन्दोलन समाप्त हो जाता है, तो उसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित होने लगते हैं, जिनमें उनके प्रति सच्ची निष्ठा या आस्था तो नहीं होती, पर, जो उससे अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, सुविधायें भोगना चाहते हैं । यदि इस प्रकार के अवसरवादी लोग बढ़ जाते हैं, तो वह अभियान टूटने लगता है । उससे होने वाले जन-कल्याण का पथ अवसन्न होने लगता है । ऐसा लगता है, भगवान् बुद्ध के धर्म-संघ में ऐसे लोग भी प्रविष्ट हो चुके थे । वृद्ध भिक्षु सुभद्र तो खुल कर सामने आया, पर, न जाने और भी ऐसे कितने ही होंगे । ऐसी कुछ स्थितियाँ थीं, जिनसे विवेक और साधना के धनी भिक्षु चिन्तित हो उठे थे । चुल्लवग्ग में इस सन्दर्भ में आर्य महाकाश्यप की अन्तर्वेदना का बड़े मार्मिक शब्दों में उल्लेख हुआ है । आर्य महाकाश्यप के मुँह से कहलाया गया है—“आज हमारे समक्ष अधर्म दीप्त हो रहा है । धर्म प्रतिबाधित हो रहा है । अविनय दीपता जा रहा है और विनय प्रतिबाधित होता जा रहा है । आयुष्मन् भिक्षुओ । हम धर्म और विनय का संगान करें ।”

संगान का आशय

बुद्ध के वचनों के संग्रह या संकलन में जो संगान या संगीति शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका सम्भवतः एक विशेष अभिप्रेत रहा है । यद्यपि भगवान् बुद्ध ने अन्तर प्रान्तीय

१. अलं आवुसो । मा सोचित्थ । मा परिदेवित्थ । सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपद्वुत्ता च होम । इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति । इदानीं पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम । यं न इच्छिस्साम तं न करिस्साम ।

—महापरिनिव्वान सुत्त, (दीध० २ । ३), विनय-पिटक चुल्लवग्ग पंचसत्तिक खन्धक ।

२. पुरे अयम्मो दिप्पति, धम्मो पटिवाहियति
अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहियति
हम्भं मयं आवुसो ! धम्मं च विनयं च संगायाम ।

—विनय-पिटक; चुल्ल-वग्ग

मागधी में अपना उपदेश दिया; अतः जिन भिक्षुओं ने उसे सुना, स्मृति में रखा। उसमें विशेष भिन्नता की आशंका तो नहीं की जानी चाहिए, फिर भी वे भिक्षु भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासी थे, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में धर्म सन्देश को प्रस्तुत करने के हेतु विहार करते थे; अतः उन-उन प्रदेशों की तथा अपनी बोली का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। मौलिक तथ्यों के सम्बन्ध में भेद नहीं हो सका, पर, वचनों के कलेवर या शाब्दिक स्वरूप में कुछ-न कुछ भेद अवश्य पड़ा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न विशेषज्ञ स्मृतिधर भिक्षुओं को जैसा-जैसा स्मरण था, उसका अनुमेलन कर, एक सर्वसम्मत स्वरूप स्वीकार करके उसका सामूहिक रूप में उच्चारण, सस्वर या लयपूर्वक पाठ किया गया होगा। उसे संगान या संगीति इसलिए कहा गया होगा। वैदिक परम्परा में स्वर और लय पूर्वक वेद-पाठ का एक विशेष क्रम था ही। साम-गान आदि शब्द इसके द्योतक हैं। ऐसा अनुमान है कि बृद्ध वचन के स्वरूप-समन्वय या पाठ निर्णय के सन्दर्भ में एक साथ सम स्वर से उच्चारित किये जाने के कारण सम्भवतः संगान या संगीति शब्द का प्रयोग बौद्ध परम्परा में चल पड़ा हो। संगान—सम्यक् गान, संगीति—सम्यक् गीति का ऐसा अभिप्राय भी हो सकता है कि तन्मयता पूर्वक ओतप्रोत भाव से बृद्ध-वचनों का उच्चारण किया गया होगा। यह पद्यभाग और गद्यभाग दोनों के लिए लागू हो सकता है।

प्रथम संगीति

प्रथम संगीति या भिक्षुओं की पहली परिषद् भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के चौथे मास में हुई। बुद्ध का परिनिर्वाण वेशाख शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। तदनुसार यह परिषद् सम्भवतः भाद्र मास में होनी चाहिए। सभी विनयधर एवं धम्मधर भिक्षुओं को आमन्त्रित किया गया। बौद्ध वाङ्मय के अनुसार इसमें पाँच सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे; अतः इसे पंच-शतिका के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता आर्य महाकाश्यप ने की। भगवान् बुद्ध के निकटतम अन्तेवासि आनन्द भी इसमें उपस्थित थे। बौद्ध परम्परा में आनन्द के लिए 'धम्मधर' विशेषण प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि आनन्द धम्म (धर्म) के विशिष्टतम ज्ञाता थे। विनय के मर्मज्ञ महापति उपालि भी इस परिषद् में उपस्थित थे। उपालि के लिए बौद्ध वाङ्मय में 'विनयधर' विशेषण का प्रयोग हुआ है। विनय बौद्ध परम्परा का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ मुख्यतः आचार-नियम है। उसी प्रकार धम्म का पारिभाषिक अर्थ धार्मिक सिद्धान्त है। उपालि बौद्ध आचार के परम वेत्ता थे।

आर्य महाकाश्यप ने आनन्द से धर्म के सम्बन्ध में तथा उपालि से विनय के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किये, जिनका उन्होंने जैसा तथागत से सुना था, उत्तर दिया। आर्य महाकाश्यप के शब्दों में धम्मञ्च विनयञ्च संगायेय्याम अर्थात् धर्म और विनय का संगान करें; सबके

समक्ष प्रस्ताव आया । भिक्षुओं ने धर्म और विनय का संगान किया । इसका यह आशय प्रतीत होता है कि आनन्द और उपालि ने जो उत्तर दिये, अन्यान्य स्मृतिमान् और मेवावी भिक्षुओं ने अपनी स्मृति के आधार पर उनका समर्थन किया होगा । कुछ परिष्कार, परिवर्तन, परिवर्द्धन आदि भी सुझाये गये होंगे । फिर तुलनात्मक और समन्वयात्मक रूप में सबके कथनों पर विचार करते हुए धम्म और विनय का स्वरूप निश्चित किया गया होगा । सबने स्वीकृत पाठ का समवेत स्वरूप से उच्चारण किया होगा । यही सुत्त-पिटक और विनय-पिटक का एक प्रकार से पहला संकलन है ।

प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता

बौद्ध परम्परा में इस संगीति की प्रामाणिकता निर्वाह है । चुल्लवग्ग (विनय-पिटक), बीपवंस, महावंस, समन्तपासादिका (विनय-पिटक की बुद्धघोष-रचित अट्ठकथा) की निदानकथा, महाबोधिबंस, महावस्तु और तिब्बती दुल्ब में इस परिषद् का वर्णन है । यद्यपि वर्णन में थोड़ी-बहुत भिन्नता अवश्य है, पर, मूल स्थिति में अन्तर नहीं है । सभा बुलाये जाने के उद्देश्यों में पृथक्-पृथक् वर्णनों में कुछ-कुछ अन्तर है, जिसका विशेष महत्व नहीं है । किसी ने बृद्ध भिक्षु सुभद्र के दुर्भाषित पर विशेष जोर दिया है, किसी ने इसका उल्लेख भी नहीं किया है और किसी ने कोई दूसरे साधारण कारण उपस्थित किये हैं ।

धम्म और विनय के स्वरूप-निर्धारण में इसके अतिरिक्त किस-किस का कितना योगदान था, इस विषय पर भी विद्वानों में मत-भेद है । चुल्लवग्ग में इस सम्बन्ध में जो वर्णन है, उसके अनुसार समग्र कार्य आर्य महाकाश्यप, आनन्द और उपालि द्वारा ही सम्पादित हुआ । टीपवंस में जो वर्णन है, उसके अनुसार कतिपय अन्य भिक्षुओं का भी विशेष योगदान रहा । उन भिक्षुओं में अनिरुद्ध, वंगीश, पूर्ण, कात्यायन और कोट्टित आदि मुख्य थे । वस्तुतः इस संगीति में मुख्य भाग आर्य महाकाश्यप, आनन्द और उपालि का तो था ही, अन्य स्मृतिमान् भिक्षु भी सहायक बने; तभी तो इसने संगान का रूप लिया । अन्यथा संगान नहीं कहा जाता, केवल आर्य महाकाश्यप, आनन्द और उपालि द्वारा किया गया बुद्ध-ध्वन का आवर्तन मात्र होता ।

बुद्धघोष का अभिमत

प्रथम संगीति में धम्म (सुत्त) और विनय का संगान हुआ । इस समय प्राप्त सुत्त-पिटक और विनय-पिटक में वह कहां तक यथावत् रूप में है, इस पर आगे विचार किया जायेगा । अभिधम्म के संगान की प्रथम संगीति के सन्दर्भ में कहीं चर्चा नहीं मिलती ।

इससे सहज ही प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अभिधम्म का संकलन प्रथम संगीति के अनन्तर हुआ ? बौद्ध परम्परा ऐसा नहीं मानती । वह तीनों पिटकों की रचना में काल-भेद स्वीकार नहीं करती । वह उनका साथ-ही-साथ रचा जाना या संकलित किया जाना मानती है । आचार्य बुद्धघोष ने तो स्पष्ट लिखा है—“इस प्रकार पंचशक्तिक संगीति के समय में समग्र बुद्ध-वचन का विनय-पिटक, सुत्त-पिटक, अभिधम्मपिटक तथा चौरासी हजार धर्म स्कन्धों के रूप में विभाजन कर, व्यवस्थापन कर संगान किया गया ।”^१

आचार्य बुद्धघोष ने सुमंगलविलासिनी तथा समन्तपासादिका की निदान कथा में भी अभिधम्म-पिटक के विषयों का संकेत करते हुए प्रथम संगीति के अवसर पर ही उसके आकलित होने का उल्लेख किया है ।^२

सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग, जो वर्षों तक भारत में रहे, नालन्दा विद्यापीठ के आचार्य भी रहे, ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है ।

त्रिपिटक का जो रूप राजगृह की परिषद् में निर्धारित हुआ, अक्षरशः वह वर्तमान त्रिपिटक में सुरक्षित है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वर्तमान त्रिपिटक मूलतः उसी पर आधारित है ।

त्रिपिटक की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में चुल्लवग्ग का एक प्रसंग है । जिस समय राजगृह के वैभार पर्वत पर यह संगीति हुई, पुराण नामक एक भिक्षु उषर विहार करता हुआ आ निकला । उससे कहा गया, वह भी संगीति में भाग ले । उसने उत्तर दिया—“स्थविरों ने धम्म और विनय का सुन्दर रूप में संगान किया है । किन्तु, जैसा मैंने स्वयं शास्ता के मुंह से श्रवण किया है, ग्रहण किया है, वैसा ही आचरण करूँगा ।”^३

कुछ विद्वानों ने इस घटना को लेकर राजगृह में हुई परिषद् की प्रामाणिकता में सन्देह किया है । उनका सोचना है कि पुराण की इस उक्ति में राजगृह की परिषद् में भिक्षुओं

१. एवमेतं सर्वं पि बुद्धवचनं पंचसत्तिकसंगीतिकाले संगायत्तेन इदं विनयपिटकं, इदं सुत्तन्त-पिटकं, इदं अभिधम्मपिटकं, इमानि चतुरासीति धम्मवक्खन्धसहस्रानी ति इमं पमेदं वधत्थयेत्वा व संगीतं ।

—अट्टसालिनी, पृ० २३ (पूना संस्करण, १९४२)

२. ततो अनन्तरं—धम्मसंगणि विभंगञ्च, कथावत्थुञ्च पुगलं, धातु - यमक - पट्टानं, अभिधम्माति वुच्चतीति । एवं संविण्णितं सुखुमणोचरं, तन्तिं संघायित्वा इदं अभिधम्म-पिटकं नामाति त्वा पञ्च अरहन्तसत्तानि सज्जायमकंसु ।

३. विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, बुद्धवर्षा, पृ० ५५२

द्राश संगान किये गये बम्म और विनय के प्रति अप्रामाणिकता का भाव है। सम्भवतः सारा भिक्षु संघ इसमें सहमत भी न रहा हो। डा० रमेशचन्द्र मज्जुदार की दृष्टि में भिक्षु संघ के लिए यह घटना अशुभावह थी। उन्होंने इसे संघ के लिए खतरे की घण्टी बताया है।^१

डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इसे विद्वानों का भ्रम मानते हुए कहा है : “पुराण तो एक साधक पुरुष था। एकान्त-साधना का भाव उसमें अवश्य अधिक था, जिसके कारण वह अपनी उस ध्यान-भावना में, जो उसे शास्ता के प्रत्यक्ष सम्पर्क से मिली थी, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं आने देना चाहता था। दूसरों ने बुद्ध-मुख से जो कुछ सुना है, वह सब ठीक रहे, सत्य रहे। किन्तु, पुराण को तो अपना जीवन-यापन उसी से करना है, जो उसकी आवश्यकता को देखते हुए स्वयं भगवान् ने उसे दिया है। इस दृष्टि से न तो पुराण की उक्ति में राजगृह की सभा में संगायन किये हुए बुद्ध-वचनों की अप्रामाणिकता की ओर संकेत है और न वह भिक्षु-संघ के लिए खतरे की घंटी ही थी। इस प्रकार के स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन पर भिक्षु संघ ने कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाया, यह उसकी एक विशेषता है। धर्मवादो भिक्षुओं ने धर्म का वैसे ही संगायन किया, जैसा उन्होंने स्वयं भगवान् से सुना था और जो उन्होंने संगायन किया, उसके ही दर्शन पालि सुत्त और विनय पिटकों में मिलते हैं, यद्यपि उनके साथ कुछ और भी मिल गया है।”^२

डा० उपाध्याय जैसा कि लिखते हैं, यह बिल्कुल सही है कि स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन पर भिक्षु-संघ में किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था। पर, भिक्षु पुराण के “किन्तु, जैसा मैंने स्वयं शास्ता के मुख से सुना है, मुख से ग्रहण किया है, मैं तो वैसे ही धारण करूंगा;” इन शब्दों पर कुछ गहराई से सोचना होगा। इन शब्दों में यदि संगीति या परिषद् में संगान किये गये बुद्ध-वचनों के प्रति विरोध का भाव नहीं है, तो समर्थन का भाव भी नहीं है। “मैं तो वैसे ही धारण करूंगा;” इन शब्दों द्वारा जो विशेष दृढ़ता भिक्षु पुराण प्रकट करता है, उससे उसका उक्त संगीति के प्रति उपेक्षा-भाव या अरुचि-भाव भी व्यक्त होता है। भिक्षु सिद्धार्थ एकान्त साधक, ध्यानी जो कुछ भी हो सकता है, पर, जहाँ बुद्ध के वचन संकलित किये जा रहे हों, वहाँ आहूत किये जाने पर भी उपस्थित न होना और जैसा स्वयं सुना है, उसके अनुसार चलते रहने का दृढ़ निश्चय व्यक्त करना, जहाँ उसकी अपनी निष्ठा का परिचायक है, वहाँ संगीति के प्रति अनादर नहीं तो उपेक्षा का भाव तो है ही।

१. This was a danger signal for the Church.

—Buddhistic Studies, Edited by Dr. Law, P. 44

२. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ६१

संगीति के समसामयिक कुछ ऐसे भिक्षु भी रहे होंगे, जिनकी दृष्टि में इसका बहुत अधिक महत्त्व नहीं था। वे जो कुछ तथागत से सुन चुके थे, उतने से परितुष्ट थे। बुद्ध-वचनों के चिर-स्थायित्व और उससे सम्पत्त्यमान लोक-कल्याण की चिन्ता उन्हें नहीं थी। और नहीं तो कम-से-कम इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि महान् करुणाशील बुद्ध के महाकरुणा के सिद्धान्त का परिपोषण तो इससे नहीं होता। साथ-ही-साथ बौद्ध संघ के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था, उसके प्रति सर्वथा उदासीनता का भाव क्या यह व्यक्त नहीं करता कि जो बहुत प्रसिद्ध भिक्षु थे, उन्होंने ही इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया हो। समय भिक्षु संघ की सम्मति सम्भवतः नहीं प्राप्त की गयी हो। जो भी हो, संगीति की प्रामाणिकता पर इससे कोई आंच नहीं आती।

दूसरी संगीति

बुद्ध-वचन प्रथम संगीति में संगृहीत कर लिये गये, यद्यपि उनका रूप मौखिक ही था। तदनुसार भिक्षु संघ चलता रहा। लगभग एक शताब्दी के पश्चात् पुनः एक प्रसंग बना, जिससे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि बुद्ध-वचन का पुनः संगान किया जाए। चुल्ल-वग्ग में इस सम्बन्ध में स्पष्टतया सो^१ वर्ष का उल्लेख है। ज्वेतत्सांग की गणना के अनुसार यह समय एक सौ दश वर्ष का था। द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली के बालुकाराम नामक स्थान में किया गया। इसमें सात सौ भिक्षुओं ने भाग लिया। इसलिए इसे सप्तशतिका भी कहा जाता है।

परिवर्त्त के बुलाये जाने का कारण विनय—आचार से सम्बद्ध कुछ विषयों को स्पष्ट करना था, जो विवादग्रस्त हो चुके थे। वैशाली के भिक्षुओं पर आरोप था कि वे दश आचारों में बौद्ध विनय के विरुद्ध प्रवृत्ति करते हैं। वे दश आचार थे :

१. सिंगिलोण-कप्प (शृंगि-लवण-कल्प)—सींग में लवण भरकर ले जाना।
२. द्वंगुल-कप्प (द्वयंगुल-कल्प)—दो अंगुल छाया बिता कर मध्याह्न के बाद भी भोजन कर लेना।
३. गामन्तर-कप्प (ग्रामान्तर-कल्प)—ग्रामान्तर से अर्थात् किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर एक ही दिन में पुनः भोजन कर लेना।
४. आवास-कप्प (आवास-कल्प)—एक ही सीमा में स्थित बहुत से आवासों में उपोसथ करना।
५. अनुमति-कप्प (अनुमति-कल्प)—कर्म करने के बाद अनुमति लेना।

१. वस्तुसत्परिनिवृत्ते भगवति ।

६. अचिण्ण-कप्प (आचीर्ण-कल्प)—अपने आचार्य या उपाध्याय द्वारा आचरित किसी कार्य को अपने लिए कल्प्य-विहित बना लेना ।
७. अमथित-कप्प (अमथित-कल्प)—भोजनोत्तर ऐसे दूध का पान करना, जो दही जमने की प्रक्रिया में था, पर, जो अभी दही नहीं बना था और शुद्ध रूप में दूध भी नहीं रहा था ।
८. जलोगी-पान—ताड़ी पीना ।
९. अदसक-निसीदन (अदशक-निषीदन)—ऐसे आसन का प्रयोग करना, जिसके किनारे पर मगजी नहीं लगी हुई हो ।
१०. जातरूप-रजत—स्वर्ण और रजत ग्रहण करना ।

वैशाली के भिक्षु इन दश के आचरण में दोष नहीं मानते थे । इसे लेकर भिक्षुओं में दो दल हो गये—प्राचीनक (प्राचीनक) और पावेय्यक (प्रांतीचीनक) अर्थात् पूर्व के भिक्षु तथा पश्चिम के भिक्षु । पूर्व के भिक्षु वैशाली के भिक्षुओं के पक्ष में थे तथा पश्चिम के भिक्षु वैशाली के भिक्षुओं के उक्त आचरणों को आलोच्य तथा सदोष मानते थे । वैशाली की परिषद् इन्हीं विवादग्रस्त विषयों का निर्णय करने के लिए हुई । यह परिषद् आठ महीने तक चली । निष्कर्ष यह रहा कि इस परिषद् ने वैशाली के भिक्षुओं के उक्त आचरण को विनय के प्रतिकूल घोषित किया ।

वर्तमान में विनयपिटक जिस रूप में प्राप्त है, उससे उक्त दश आचार, जिनके सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए वैशाली में दूसरी संगीति का आयोजन हुआ था, बुद्ध के मन्तव्यों के विपरीत बतलाये गये हैं । इससे क्या यह सम्भावना नहीं बनती कि विनय-पिटक का जो संस्करण आज प्राप्त है, वह वैशाली की संगीति के पश्चात् विनय का जो रूप निश्चित हुआ, के आधार पर निर्मित हुआ । उससे पूर्व, हो सकता है, विनयपिटक का रूप कुछ भिन्न रहा हो । डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार प्रभृति विद्वानों ने इस सन्दर्भ में इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान विनय-पिटक वैशाली की संगीति के पूर्व का नहीं हो सकता ।^१

वैशाली की संगीति से पूर्व यदि त्रिपिटक का कोई दूसरा स्वरूप होता और उसमें वे दश आचार, जो उस संगीति में बुद्ध-वचन के प्रतिकूल ठहराये गये, अनिषिद्ध होते, तो फिर विवाद ही कैसे उठता ? वैशाली के भिक्षुओं के पास तब एक आधार होता, जिससे उनका आचार सहज ही समर्थित माना जाता । पश्चिमी प्रदेश के भिक्षुओं को उनके आचार को दूषित बताने का साहस ही कैसे होता और आठ महीनों के लम्बे विचार-विमर्श के बाद ऐसा

निर्णय करने की स्थिति ही कैसे आती कि वेशाली के भिक्षुओं का आचार दूषणीय है। आठ महीनों के शास्त्र-मन्थन तथा ऊहापोह के पश्चात् एक निर्णय होता है, तो यह मानना होगा कि उसके पीछे बहुत सुदृढ़ आधार अवश्य रहा होगा। वह आधार विनय-सम्बन्धी बुद्ध-वचनों के अतिरिक्त और क्या हो सकता था? यह संशयास्पद नहीं लगता कि वेशाली की संगीति से पहले विनय का प्रायः वही रूप रहा हो, जो आज विनय-पिटक में है। गौणरूपेण परिष्करण, परिमार्जन, परिवर्तन आदि को छोड़ दिया जाये, जिस पर आगे विचार किया जायेगा, वंशाली की संगीति से पूर्व के और वर्तमान के विनयपिटक में कोई मौलिक अन्तर नहीं माना जा सकता। पर, इसके साथ यह विचारणीय है कि यदि वेशाली की संगीति से पूर्ववर्ती विनयपिटक में उक्त दश आचारों का वर्जन था या उनका समर्थन नहीं था, तो फिर पूर्वी प्रदेश के भिक्षुओं को उनका समर्थन करने के लिए कौन-सा आधार प्राप्त था?

शताब्दियों तक पिटक अलिखित रहे। मौखिक रूप में उनका पठन-पाठन चलता रहा। मौलिकता के साथ एक आशंका भी बनी रहती है। यथार्थ धर्म-निष्ठा से विचलित होकर यदि कोई अपने किसी अविहित आचरण को समर्थित करना चाहे, तो शब्दावली को उलट-पुलट करने, उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन का अवकाश वह निकाल लेता है। वंशाली के भिक्षुओं और उनके समर्थक भिक्षुओं के साथ भी कोई ऐसी ही स्थिति रही हो। वंशाली पूर्व भारत का राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र था। जब पश्चिम प्रदेश के भिक्षुओं ने वंशाली के भिक्षुओं का विरोध किया, तो मानवीय दुर्बलतावश पूर्व प्रदेश के भिक्षुओं में प्रादेशिकता का भाव उभर आया हो। यद्यपि ये बहुत छोटी बातें हैं। भिक्षु के पवित्र जीवन के साथ इनका मेल नहीं हो सकता, पर, भिक्षु भी साधारण जन-समाज से ही गये थे, उनमें भी यह सब सम्भावित था। स्वर्ण-रजत रखने, ताड़ी पीने, खान-पान में लोभ बनने की छूट भगवान् बुद्ध के शासन में कैसे सम्भव हो सकती थी? ऐसा अनुमान करना सत्य से परे नहीं लगता कि वंशाली के भिक्षुओं में निःसन्देह कुछ दुर्बलताएँ पनपी हों और उन्होंने इन सन्देह कार्यों को भी निर्दोष प्रमाणित करने का आग्रह रखा हो।

नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि

वंशाली के भिक्षु और उनके समर्थक पूर्व के भिक्षु वंशाली की परिवद् में पराजित हुए। उनके मन्तव्य बुद्ध-वचनों के प्रतिकूल घोषित किये गये। इसके दो परिणाम सामने आये। पहला था—विनय का जो स्वरूप था, वह स्पष्ट हुआ, अविकृत रूप में वह पुनर्गठित हुआ। दूसरा परिणाम निकला—जो भिक्षु पराजित हुए, वे संगीति के निर्णय के सामने नहीं झुके। उन्होंने उसका बहिष्कार किया और एक नयी महा-संगीति आयोजित की। उसमें नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि की, जिन्हें उन्होंने वास्तविक कहा। अपमानित भिक्षुओं की उत्तेजना का

यह फल निकला । दीपवंस में इस महासंगीति की बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की गयी है । वहाँ लिखा है : “महासंगीति आयोजित करने वाले भिक्षुओं ने भगवान् बुद्ध के शासन को विपरीत बना डाला । उन्होंने मूल संघ में भेद पैदा करके एक दूसरा ही संघ खड़ा कर दिया । उन्होंने धर्म के यथार्थ आशय को भेद डाला । उन्होंने दूसरे ही सुतों का संग्रह किया, दूसरे ही अर्थ किये । पांच निकायों के यथार्थ आशय और धर्म-प्ररूपण को उन्होंने भेद डाला ।”^१

सब कुछ हुआ तो सही, पर, स्थायी नहीं बन पाया । पालि त्रिपिटक के समक्ष उसकी कोई प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो सकी । फलतः आगे चल कर उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं रह पाया ।

वैशाली की संगीति में विवादास्पद विषयों पर निर्णय हो जाने के पश्चात् प्रथम संगीति की तरह भिक्षुओं ने महास्थविर रेवत के नेतृत्व में धम्म का संगान और संकलन किया । आचार्य बुद्धघोष ने जिस प्रकार प्रथम संगीति के समय बुद्ध-वचन के संगान, तीन पिटकों में विभाजन आदि का उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्वितीय संगीति के समय बुद्ध-वचन के अनुसंगान का उल्लेख किया है । संगान और अनुसंगान शब्दों के प्रयोग से आचार्य बुद्ध-घोष ने त्रिपिटक की एकात्मकता की ओर इङ्गित किया है ।

तोसरी संगीति

बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकास पाता गया । अशोक द्वारा दिये गये राज्याश्रय के कारण उसकी आशासीत वृद्धि हुई । पर, साथ-ही-साथ एक बुराई यह भी आई कि अशोक जैसे धर्मानुरागी सम्राट् से बौद्ध-धर्म-संघ और भिक्षुओं को प्राप्य दान, सुविधा, सत्कार आदि के कारण अनेक स्वार्थी लोग जो विचारों से बौद्ध नहीं थे, उसमें प्रविष्ट होते गये । इस प्रकार धर्म का स्वरूप विकृत होने लगा । अशोक के समय तक बौद्ध धर्म भिन्न-भिन्न अठारह सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था । तब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि संगीति आयोजित की जाए, धम्म और विनय का पुनः संगान हो, जिससे जो अनधिकारी धम्म संघ में घुस आये हैं, उनका संघ से निष्कासन किया जा सके । फलतः सम्राट् अशोक के शासन-काल में भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्रस्थ अशोकाराम में

१. महासंगीतिका भिक्खू विलोमं अकंसु सासनं ।

मिन्वित्वा मूलसंघं अञ्जं अकंसु संघं ॥

अञ्जत्थ संगहितं सुरां अञ्जत्थ अकरिंसु ते ।

अत्थं धम्मं च मिन्विसु ये निकायेसु पंचसु ॥

—दीपवंस, ५, ३२-३८

तृतीय संगीति का आयोजन किया गया। अठारह सम्प्रदायों में थेरवादी (स्थविरवादी) या विभज्यवादी मुख्य (सम्प्रदाय) था। बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि वही सम्प्रदाय है, ऐसा उसका दावा था। तृतीय संगीति का अन्तिम निर्णय भी उसी के पक्ष में रहा अर्थात् वही बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि घोषित किया गया।

थेर या स्थविर का शब्दार्थ वृद्ध होता है। वृद्ध केवल अवस्था के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है; ज्ञान, सत्व-दर्शन और आचार-ज्येष्ठता के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। बुद्ध के प्रथम शिष्यों को स्थविर शब्द से अभिहित किया गया है। भगवान् बुद्ध के मन्तव्यों के सम्बन्ध में उन्हीं का मत प्रामाणिक माना जाता है। स्थविर भिक्षुओं की विभज्यवाद में आस्था थी; अतः वे विभज्यवादी भी कहलाते थे। विभज्यवाद से तात्पर्य उस दर्शन से है, जो प्रत्येक पदार्थ का विभाजन कर अर्थात् उसके संदश को सत् और असदश को असत् बतला कर वस्तु-सत्य का निरूपण करे। विशेष गहराई में जाएं, तो विभज्यवाद का एक सूक्ष्म तात्त्विक अर्थ भी है। इसके अनुसार समस्त मानसिक और भौतिक अवस्थाओं का स्कन्ध, आयतन और धातु आदि में विभाजन कर विश्लेषण किया जाता है।

दीपवंस, महावंस और समन्तपासादिका में इस संगीति का उल्लेख प्राप्त होता है। महायानी बौद्ध साहित्य में इस संगीति का उल्लेख नहीं है और न ह्वेनत्सांग ने ही इसके विषय में कुछ विवरण दिया है। अशोक के किसी भी शिलालेख में इस संगीति की चर्चा नहीं है। ऐसी स्थिति में मिनयेफ, क्रीथ, मैक्स वेलेसर, बार्थ, फ्रैंक तथा सिल्वालेवी जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में शंका की है, जबकि प्रो० रायस डेविड्स, श्रीमती रायस डेविड्स, विण्टरनिट्ज एवं गायगर आदि विद्वानों ने इस परिपद् की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता स्वीकार की है।

अनुल्लेख का कारण

अशोक के समय तक बौद्ध धर्म में अठारह सम्प्रदाय इतिहास में आ चुके थे। सम्भव है, अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों ने इस संगीति को केवल स्थविरवादी या विभज्यवादी सम्प्रदाय की संगीति मानकर इसे समस्त बौद्धों की संगीति नहीं माना हो; इसलिए इसका उल्लेख न किया हो। सम्राट् अशोक की विद्यमानता में यह संगीति हुई और अशोक द्वारा कहीं भी इसका उल्लेख न कराया जाना भी आश्चर्यजनक-सा लगता है। पर, यहाँ वह भी स्मर्तव्य है कि स्वयं सम्राट् अशोक का लगाव स्थविरवाद से था। अशोक नहीं चाहता होगा कि उसके समर्थन को महत्व मिले। वह अपने को उस संगीति से सर्वथा निरलक्ष्य रखना चाहता होगा, ताकि उसके द्वारा (संगीति) जो निर्णय हो, वह राज-प्रभावित न माना जाए। अशोक बौद्ध-धर्म का सर्व-सम्मत यथार्थ स्वरूप उद्घोषित करवाना चाहता

होगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस संगीति के आयोक्ता तथा अध्यक्ष मोमगलिपुत्त तिस्स, जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान्, तत्त्व-द्रष्टा और परम साधक थे, को ही इसका साया श्रेय प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी अशोक ने अपने को तटस्थ रखा होगा। उसे तटस्थता में अधिक लाभ प्रतीत हुआ होगा। जो भी हो, संगीति की ऐतिहासिकता इन कारणों से बाधित नहीं होती।

संगीति के निर्णय

अनेक प्रदेशों के बहुश्रुत भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया। यह संगीति नौ मास तक चलती रही। इसमें बहुत गहराई और सूक्ष्मता से बुद्ध-वचन के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशन का प्रयत्न रहा होगा। नौ महीनों के ऊहापोह और विचार-विमर्श के अनन्तर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इसमें किये गये। तदनुसार स्वविरवाद के अतिरिक्त जो सतरह अन्य सम्प्रदाय थे उन्हें मिथ्यावादी घोषित किया गया। थेखादी या विभज्यवादी सम्प्रदाय को बौद्ध धर्म का सम्बा प्रतिनिधि माना गया। बुद्ध-वचनों का अन्तिम रूप से स्वरूप-निश्चय किया गया। मोमगलिपुत्त तिस्स ने कथावत्थु नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें सतरह सम्प्रदायों का खण्डन या निराकरण किया गया है, जिन्हें इस संगीति के फल-स्वरूप मिथ्यावादी घोषित किया गया था। कथावत्थु को अभिधम्मपिटक में स्थान दिया गया।

अभिधम्म : परम्परा

कथावत्थु का अभिधम्मपिटक में समावेश कर दिये जाने से यह शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि स्वरूप-गठन में लम्बा समय लगा होगा। आचार्य बुद्धघोष और ह्वेनत्सांग ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आर्य महाकाश्यप के सभापतित्व में सम्पन्न प्रथम संगीति में ही इसका विनय और धम्म के साथ संगान किया गया था। इसमें सूक्ष्म तार्किक या दार्शनिक विवेचन है। भगवान् बुद्ध का समय इस प्रकार का था, जब सदाचार, करुणा तथा धर्म के सर्वजनगम्य सिद्धान्तों के प्रसार की आवश्यकता थी। इससे व्यापक लोक-कल्याण सम्भावित था। बौद्ध परम्परा में दार्शनिक विकास का युग आगे चल कर आता है। इसलिए ऐसा मानना अधिक संगत जान पड़ता है कि अंशतः अभिधम्म की विषय-वस्तु प्रथम संगीति में वर्णित हुई होगी और विनय तथा धम्म के साथ उसका भी सम्पूर्ण न सही, कुछ स्वरूप तो अवश्य अस्तित्व में आया होगा। उसके संबर्द्धन, संयोजन आदि का क्रम भी चालू रहा होगा। कथावत्थु का उसमें समाविष्ट किया जाना ऐसे अनुमान के लिए आधार दे देता है।

तृतीय संगीति का एक महत्वपूर्ण फलित

तृतीय संगीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह किया गया कि जन-जन के कल्याण के हेतु बौद्ध भिक्षु धर्म-सन्देश का प्रसार करने के लिए दूर-दूर के प्रान्तों और देशों में भेजे जाएं।

इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया। दीपवंस, महावंस और समन्तपासादिका में उन भिक्षुओं की नामावली का उल्लेख है, जिन्हें पृथक्-पृथक् स्थानों में जाकर धर्म-प्रसार करने का कार्य सौंपा गया था।

त्रिपिटक का लेखन

सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य किया, उसकी अप्रतिम सेवाएं कीं, वे सदा स्वर्णाक्षरों में लिखी रहेंगी। सम्राट् को अपने इस कार्य से बड़ा परितोष मिला। कहा जाता है, सम्राट् ने एक बार महास्थविर तिसस मोम्मलिपुत्त से कहा कि उसने बौद्ध-धर्म के लिए जो कुछ किया है, वह पर्याप्त है न? महास्थविर बोले—“सम्राट् तुमने धर्म के लिए, धर्म-संघ के लिए बहुत कुछ किया, जो स्तुत्य है। पर, एक बहुत बड़े महत्त्व का कार्य अभी अवशिष्ट है, जिसे तुम नहीं कर सके हो।”

सम्राट् ने पूछा—“भन्ते ! कृपया बतलाएं, वह कौन-सा कार्य है, जिसे पूरा कर मैं परितोष का अनुभव कर सकूँ।”

महास्थविर ने कहा—“राज-परिवार का कम-से-कम एक सदस्य धर्म-संघ (भिक्षु-संघ) में प्रव्रजित होना चाहिए।”

सम्राट् ने श्रद्धा से मस्तक झुका लिया और कहा—“भन्ते ! एक नहीं, मैं राज-परिवार के दो सदस्य धर्म-संघ को भेज दूंगा—एक पुत्र और एक पुत्री।” तदनुसार सम्राट् अशोक का एक पुत्र और एक कन्या बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणी के रूप में दीक्षित हो गये, जो इतिहास में महेन्द्र और संघमित्रा के नाम से विश्रुत हैं।

देश-देशान्तर में तथागत के धर्म-सन्देश के प्रसार के निर्णय के अन्तर्गत महेन्द्र और संघमित्रा को लंका भेजा गया। राजकुमार भिक्षु और राजकुमारी भिक्षुणी अपने साथी भिक्षु-भिक्षुणियों के साथ अत्यन्त उत्साह एवं उल्लासपूर्वक तथागत का पावन सन्देश लिये लंका पहुंचे। तृतीय संगीति में अन्तिम रूप से स्वीकृत त्रिपिटक वे अपने साथ लेते गये अर्थात् त्रिपिटक का वे सांगोपांग अध्ययन किये हुए थे, वह उनकी स्मृति में था। तब लंका का राजा देवानंघ्रिय तिस्र था। तथागत के धर्म-सन्देश-बाहक भारतीय भिक्षुओं का उसने हादिक स्वागत किया। स्वागत-सरकार ही नहीं, उसने स्वयं तथागत के सन्देश को अंगोकार किया। लंका के अनुशाधापुर नगर में महाविहार की स्थापना हुई और वहां त्रिपिटक के अध्ययन का व्यवस्थित क्रम प्रारम्भ किया गया। शताब्दियों तक वह चालू रहा, पर, मौखिक रूप में।

लंका के राजा वट्टगामणि अभय (समय ई० पूर्वं २६-१७) के शासन-काल में लंका

में चतुर्थ धर्म-संगीति का आयोजन हुआ। उसमें त्रिपिटक के परिशीलन और संगान के अनन्तर ऐसा निर्णय किया गया कि उसे लेख-बद्ध किया जाए। तदनुसार त्रिपिटक का ताड़पत्रों पर लेखन हुआ। यह वही त्रिपिटक था, जिसे राजकुमार (भिक्षु) महेन्द्र और राजकुमारी (भिक्षुणी) संधमित्रा तथा उनके साथी भारत से अपने साथ लंका ले गये थे। भिक्षु महेन्द्र के लंका-गमन और लंका-नरेश वट्टगामणि अभय के समय त्रिपिटक के लेख-बद्ध किये जाने के मध्य लंका में दो और संगीतियां हुई थीं, पर, उनका विशेष महत्व नहीं समझा जाता; क्योंकि उनमें त्रिपिटक के स्वरूप के सन्दर्भ में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। भिक्षु महेन्द्र जिस रूप में त्रिपिटक को ले गये थे, लगभग उसी रूप में वहाँ चलते रहे थे; अतः मध्यवर्ती दो संगीतियां त्रिपिटक की आवृत्ति-मात्र कही जा सकती हैं। यही कारण है कि प्रमुख संगीतियों में उनकी गणना नहीं की जाती। पहली संगीति देवानपिय तिसस (२४७-२०७ ई० पूर्व) के समय में सम्पन्न हुई, जिसने भिक्षु महेन्द्र और संधमित्रा के नेतृत्व में लंका आई हुई भिक्षु-मण्डली का हार्दिक स्वागत किया था और स्वयं बौद्ध उपासक बन गया था। दूसरी संगीति राजा वट्टगामणि के शासन-काल में हुई। वट्टगामणि का समय १०१-७७ ई० पूर्व माना जाता है। लंका में त्रिपिटक के लेख-बद्ध किये जाने पर उसका एक अपरिचित व स्थायी स्वरूप निर्धारित हो गया। वहीं आज प्रामाणिक रूप में मान्य है।

आधुनिक कालीन संगीतियां

संगीतियों का आयोजन जिस अभिप्राय अथवा उद्देश्य से होता रहा, त्रिपिटक के लेख-बद्ध हो जाने के पश्चात् वंसी अपेक्षाएं नहीं रहीं। स्मृतिगत पाठों का मिलान, संगान आदि का कार्य लेख-बद्धता के साथ परिश्रमाप्त हो जाता है। फिर भी त्रिपिटक के सम्पादन, पाठ-संशोधन आदि की दृष्टि से कुछ कार्य अवशिष्ट रह जाता है, जो उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में सम्पन्न हुआ। इसके लिए विद्वान् भिक्षुओं को जो सभाएं या गोष्ठियां हुईं, उन्हें भी ऐतिहासिक परम्परा की कड़ियों के साथ जोड़ने के लिए संगीतियां कहा जाता है। इस प्रकार की दो संगीतियां हुईं और दोनों ही ब्रह्मदेश में हुईं। ब्रह्मदेश का भी सिंहल की तरह थेरवादी बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण स्थान है। पहली संगीति ब्रह्मदेश के मांडले नगर में हुई, जिसे राजा मिण्डन का संरक्षण प्राप्त था। इसमें पालि-त्रिपिटक का सम्पादन किया गया। स्थायित्व की दृष्टि से वितयपिटक, सुत्तपिटक और अभिधम्म पिटक को सगममंथ की किला-पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण कराया गया। तीनों पिटक क्रमशः १११, ४१० और २०८ पट्टिकाओं पर बर्मी लिपि में उत्कीर्ण हुए।

सन् १९५४-५६ में इसके पश्चात् ब्रह्मदेश के रंगून नगर में अन्तिम रूप से त्रिपिटक का

पाठ संशोधित करने के अभिप्राय से एक परिषद् का आयोजन हुआ, जिसे छठी संगीति कहा जाता है। उसकी उपलब्धि के रूप में पालि - त्रिपिटक का अन्तिम रूप में संशोधित पाठ तैयार किया गया तथा उसका बर्मी-लिपि में प्रकाशन किया गया। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् भिक्षु जगदीश काश्यप के सम्पादकत्व में देवनागरी लिपि में जो पालि-त्रिपिटक का संस्करण निकला है, वह मुख्यतः इसी बर्मी त्रिपिटक के पाठ पर आधारित है।

निष्कर्ष

त्रिपिटक के स्वरूप-गठन को दो भागों या दो कालों में बांटा जा सकता है। पहला भगवान् बुद्ध से लेकर लंका - वट्टगामणि अभय तक का समय, जब त्रिपिटक ताडपत्रों पर लेख-बद्ध हुए। दूसरा लेख-बद्ध होने से लेकर अब तक का काल, जबकि त्रिपिटक मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। पहला काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में वे तीन संगीतियाँ आयोजित हुईं, जो त्रिपिटक के स्वरूप - निर्धारण की दृष्टि से ऐतिहासिक गरिमा लिये हुए हैं। संगीतियों का क्रम कहने के लिए आगे भी चला, पर, उनकी कोई ऐसी विशेषता नहीं थी, जो उल्लेखनीय हो।

आयोजित संगीतियों, उनके कारणों आदि के सम्बन्ध में पुनः समीक्षा आवश्यक है। बुद्ध कौशल के राजकुमार थे। मगध उनका मुख्य कार्य-क्षेत्र था। वे जीवन - पर्यन्त विशेषतः मगध में विचरण करते रहे। जो उन्हें उपलब्धि हुई थी, जन-जन को उससे परिचित कराने के लिए जब भी अवसर होता, वे कुछ बोलते रहे। किसी प्रदेश का व्यक्ति यदि किसी दूसरे प्रदेश में रहता है, तो वह वहाँ उसी शिष्ट भाषा में बोलता है, जो उसके अपने प्रदेश में भी शिष्ट जनों द्वारा व्यवहृत होती है और उस प्रदेश में भी। ऐसी शिष्ट भाषा अन्तर्प्रान्तीयस्तर लिये हुए होती है। उदाहरणार्थ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बिहार; ये सभी हिन्दी भाषी प्रान्त हैं। साहित्यिक स्तर और शिष्ट प्रयोग की दृष्टि से इन प्रदेशों के निवासियों की एक ही भाषा हिन्दी है, जिसका पुराना नाम खड़ी बोली था। पर, इसके साथ-साथ इस अन्तर्प्रान्तीय या शिष्ट-भाषा की अनेक बोलियाँ हैं, जो बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में बोली जाती हैं। एक मध्यप्रदेशी, उत्तरप्रदेशी या राजस्थानी किसी बिहारी के साथ बातचीत करने में उस हिन्दी या खड़ी बोली का उपयोग करेगा, जो दोनों प्रदेशों में शिक्षित जनों में समान रूप से व्यवहृत है। यही बात एक बिहारी के लिए भी है। वह भी यदि मध्यप्रदेश, राजस्थान या उत्तरप्रदेश में वहाँ के किसी व्यक्ति से बातचीत करेगा, तो उसका माध्यम हिन्दी होगा, न कि मध्यप्रदेश, राजस्थान या उत्तरप्रदेश की कोई एक क्षेत्रीय बोली। यद्यपि इन सभी प्रदेशों की क्षेत्रीय उपभाषाएँ या बोलियाँ हिन्दी की ही बोलियाँ कही जाती हैं, पर, वे

बोलियाँ एक क्षेत्र-विशेष तक सीमित होती हैं; अतः अन्तर्प्रान्तीय दृष्ट्या एक ही भाषा-भाषी दो भिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए यह सहज ही सम्भव नहीं होता कि वे उन भिन्न क्षेत्रों की बोलियों को ठीक-ठीक समझ सकें। इसी दृष्टि-बिन्दु के सन्दर्भ में तथागत के काल का समीक्षण करना होगा।

मगधान् बुद्ध की भाषा मगध की शिष्ट भाषा थी। निःसन्देह वे अपने युग के एक क्रान्तिकारी महापुरुष थे। बोधि-लाभ के अनन्तर 'बहुजन हिताय बहुजनसुखाय' का अभि-प्रेत लिये उनका सन्देश लगभग समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गया था। अनेक प्रदेशों के पुरुष-स्त्रियाँ उनके संघ में प्रव्रजित हुए। उनकी अपनी-अपनी बोलियाँ थीं। सम्भवतः कार्य-क्षेत्र भी उनको भिन्न-भिन्न मिले होंगे। यह भी हो सकता है, जो भिक्षु जिन-जिन प्रदेशों से आये थे, अधिकांशतः उन-उन प्रदेशों में धर्म-प्रचार का कार्य उन्हें सौंपा गया होगा। वहाँ जिन लोगों में उन्होंने तथागत का सन्देश प्रसारित किया, सम्भव है, उनको भलीभाँति हृदयंगम कराने के लिए उन्होंने उन-उन प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों को अल्पांशतः ही सही, किसी-न-किसी रूप में व्यवहृत किया होगा। भिक्षुओं को अपनी ओर से उपदेश नहीं देना था, उन्हें तथागत के वचनों से जन-जन को अवगत कराना था; अतः उन वचनों का शाब्दिक रूप उन्हें उन-उन प्रदेशों के साधारण जनों द्वारा समझी जा सकने योग्य शैली में प्रस्तुत करना पड़ा होगा। सारांश यह है, भिक्षुओं ने बुद्ध-वचन स्मृतिगत तो किया उसी शब्दावली में, जिसमें स्वयं तथागत ने भाषित किया था, पर, उसके रूप में मौलिकतया तो नहीं, परन्तु, शाब्दिक आदि दृष्टि से गौणतया परिवर्तन की यत्किंचित् स्थिति अवश्य आई होगी। संगीतियों की लम्बी कालावधि से यह ध्वनित होता है कि विभिन्न प्रदेशों से आने वाले भिक्षुओं की स्मृति में बुद्ध-वचन के जो पाठ थे, उन्हें तुलनात्मक रूप में मिलाया जाता रहा होगा। भेदों के अपाकरण के लिए एक सर्वसम्मत पाठ स्वीकृत किया जाता रहा होगा। इसका प्रयोजन हुआ कि बुद्ध-वचनों के स्वरूप में परिष्कार आता गया; यद्यपि तत्त्वतः उनकी मौलिकता नहीं मिटी। परिष्कार और संस्कार तो होता गया, पर, बुद्ध-वचन में कोई बड़ा परिवर्तन जैसा नहीं हुआ। बुद्ध ने जिस शिष्ट मागधी (भाषा) को उपदेशों का माध्यम बनाया था, वह भी आस-पास की प्रादेशिक बोलियों का एक सम्मिश्रित जैसा रूप लिये हुए थी।

पहली संगीति के लगभग एक शती के अनन्तर जो दूसरी संगीति वैशाली के बालुकाराम में हुई, उसमें आठ मास का समय लगा। ऐसा प्रतीत होता है, राजगृह में वैभार गिरि की संगीति में विनिश्चित त्रिपिटक का पाठ इन सौ वर्षों में प्रादेशिक अनुकूलता के कारण इतना रूपान्तर, अधिकांशतः चाहे शाब्दिक ही सही, अवश्य ले चुका होगा कि पाठों के समन्वय तथा अन्ततः निर्धारण में विभिन्न प्रदेशों से समागत भिक्षुओं को इसकी लम्बी अवधि तक

चिन्तन-मनन तथा ऊहापोह करना पड़ा होगा। यद्यपि इस संगीति के आयोजित करने का मुख्य कारण वैशाली के भिक्षुओं के आचार से सम्बद्ध था। पर, यदि केवल आचार-निर्णय ही एकमात्र उद्देश्य होता, तो हरकोई सोच सकता है, आठ मास कैसे लगते? संगीति में सम्मिलित सातवीं भिक्षुओं को वैशालिक भिक्षुओं के आचार पर निर्णय देना तो था ही, साथ-ही-साथ उससे भी गुह्यतर कार्य, जो उनके लिए करणीय था, वह था, त्रिपिटक के पाठ का समन्वय और परिष्कार, जो उन्होंने बड़ी लगन से किया।

बौद्ध धर्म का वह उत्कर्ष-काल था। समय बीतने के साथ-साथ बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि होती गयी। भिक्षुओं की विहार-यात्राएं और दूर-दूर होने लगीं। बुद्ध-वचनों का घोष व्यापक रूप में मुखरित होने लगा। पर, धीरे-धीरे वही सब कुछ होता गया, जो पिछली संगीति के पश्चात् हुआ था। परिणामतः तीसरी संगीति में मिथ्यावादियों के निराकरण और निष्कासन का कार्य तो हुआ ही, पाठ-परिष्कार का ऐतिहासिक कार्य भी सम्पन्न हुआ। नौ महीनों का लम्बा समय लगने का यही रहस्य है।

तीन संगीतियों की समीक्षा के पश्चात् एक दूसरे मोड़ पर आते हैं। राजकुमार महेन्द्र शैशव से ही उज्जयिनी में रहे थे। पिता सम्राट् अशोक की भावना का आदर करते हुए वे भिक्षु-संघ में दीक्षित हो जाते हैं और तथागत के धर्मवृत्त के रूप में सिंहल जाते हैं। महेन्द्र मगध-नरेश के पुत्र थे, पर, उज्जयिनी में रहने के कारण उनकी भाषा मागधी नहीं थी। उज्जयिनी को बोलचाल की भाषा—प्राकृत, जो अनिवार्य रूप से पश्चिमी प्रभाव लिये हुए थी, उनकी मातृ-भाषा थी। महेन्द्र त्रिपिटक साथ में लेते गये। क्या यह सम्भावित नहीं हो सकता कि महेन्द्र के माध्यम से लंका पहुंचने वाले त्रिपिटक पर उज्जयिनी की भाषा का कुछ भी प्रभाव न रहा हो?

अनेक स्थितियों में से गुजरते हुए त्रिपिटक लंका पहुंचते हैं और वहां भी लम्बे समय तक उनका मौखिक पठन-पाठन ही चलता है। पर, लंका पहुंचने के पश्चात् उनके स्वरूप में अन्तर आने की स्थितियां सम्भवतः उत्पन्न नहीं होतीं। उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहुंचने पर त्रिपिटक की शब्दावली में न चाहते हुए भी जो रूपान्तरण की स्थिति पैदा हो जाती थी, वह लंका में नहीं रही। महेन्द्र द्वारा त्रिपिटक के लंका पहुंचने और लंका-नरेश वट्टगामणि अभय के शासन-काल में उनके लिपि-बद्ध होने के बीच दो संगीतियां हुईं, पर, सम्भवतः वे परम्परा-निर्वाह मात्र के लिए हुईं हों। उनका महत्व केवल नाम मात्र का था। त्रिपिटक के सन्दर्भ में विशेष कुछ करणीय नहीं था, जो उन संगीतियों में किया जाता। तथागत ने अपने उपदेशों में जिस मागधी को ग्रहण किया, वह उपलब्ध त्रिपिटक में क्या यथावत् रूप में विद्यमान रह सकी है, निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। विचार, कथन-

प्रकार और अधिकांशतः शब्दावली की भी मौलिकता उसमें अधुण है, ऐसा कहना सन्देह-हास्पद नहीं है ।

त्रिपिटक वाङ्मय : संक्षिप्त परिचय

सुत्त-पिटक

सुत्त-पिटक पालि-त्रिपिटक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है । बुद्ध द्वारा धम्म का यथावत् रूप में परिचय कराना सुत्त-पिटक का मुख्य विषय है । महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ-निकाय २, ३) में भगवान् बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था—“आनन्द ! मैंने जो धर्म और विनय उपदिष्ट किये हैं, ज्ञापित किये हैं, मेरे अनन्तर (मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात्) वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे ।” सुत्त-पिटक निस्सन्देह भगवान् बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त धर्म का प्रतिपादन करने वाला अनुपम वाङ्मय है ।

सुत्त का संस्कृत रूपान्तर सूत्र भी होता है और सूक्त भी । संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में पालि सुत्तों के प्रतिरूप सूत्र कहे गये हैं । सुत्त का अर्थ सूत्र, सूत या धागा होता है । पिटक का अर्थ पिटारी है । पिटक का एक अर्थ परम्परा भी है । आचार्य बुद्धघोष ने अट्टसालिनी की निदान-कथा में इन दोनों अर्थों की ओर संकेत किया है । मज्झिम-निकाय के चंकी-सुत्त तथा सन्दक^१-सुत्त में पिटक शब्द-परम्परा या ग्रन्थ-परम्परा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसे ध्यान में रखते हुए सुत्त का पिटक ‘अर्थात् सूत्र (धागे) रूपी बुद्ध-वचनों की परम्परा’ ऐसा अर्थ किया जा सकता है । जिस प्रकार सूत के गोले को उधेड़ने पर आगे-से-आगे खुलता जाता है, उसी प्रकार बुद्ध-वचन सुत्त-पिटक में आगे-से-आगे उद्घाटित होते जाते हैं ।

आचार्य असंग ने (चतुर्थ शती) महायान-सूत्रालंकार में ‘सूचनात् सूत्रम्’ अर्थात् विषय-वस्तु को सूचित करने के कारण सूत्र संज्ञा होती है; ऐसी व्याख्या दी है । आचार्य बुद्धघोष ने अट्टसालिनी में ‘अथानं सूचनतो—सुत्त’ ति अक्खातं’ अर्थात् अर्थों के सूचन से यह (सुत्त) सूत्र शब्द से आख्यात हुआ है, ऐसा विवेचन किया है ।

वेदिक परम्परा में सूत्र शब्द का प्रचुरता से प्रयोग होता रहा है । शब्द कल्पद्रुमकार ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—“जिसमें कम अक्षर हों, जो असन्दिग्ध हो, सारयुक्त हो, जिसका विश्वजनीन उपयोग हो, जो विस्तार रहित हो, निर्दोष हो; सूत्रज्ञ उसे सूत्र

१. मज्झिम-निकाय, २, ५, ५

२. वही, २, ३, ६

कहते हैं ।¹

विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहने के अभिप्राय से वैदिक परम्परा में सूत्रात्मक शैली का प्रवर्तन रहा । पालि-वाङ्मय में जो सुत्त—सूत्र शब्द चलता है, वह इस अर्थ में नहीं है । वहाँ बहुत विस्तार है, जो सूत्र शब्द के उपर्युक्त अर्थ के प्रतिरूप है ।

सुत्त-पिटक : वर्णित विषय

सुत्त-पिटक में भगवान् बुद्ध के उपदेश-वचन हैं । बुद्ध के कुछ मुख्य शिष्यों के उपदेश भी उसमें संकलित हैं, जो बुद्ध-वचनों पर आधारित थे । बुद्ध-उपदेश के अतिरिक्त वहाँ ई० पू० पाँचवीं-छठी शताब्दी के भारत के समाज एवं लोक-जीवन का जीता-जागता चित्र भी प्राप्त होता है । बुद्ध के समसामयिक धर्म - प्रवर्तकों, श्रमणों, परिव्राजकों और उनके सिद्धान्तों के विषय में प्रासंगिक रूप में इसमें विशद प्रकाश डाला गया है । तत्कालीन जन-समुदाय की रुचि, व्यवसाय, धिद्या, कला, विज्ञान, राजनीति, ग्राम, नगर, जनपद, लोगों का रहन-सहन, खेती, व्यापार, सामाजिक रीतियाँ, समाज में स्त्रियों का स्थान, दास-दासियों और नौकरों की अवस्था प्रभृति अनेक उपयोगी विषय चर्चित हुए हैं । रचना गद्य-पद्य-मिश्रित है ।

सुत्त-पिटक के पाँच बड़े-बड़े विभाग हैं, जो निकाय कहलाते हैं । वे हैं : (१) दीघ-निकाय, (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुक्त-निकाय (४) अंगुत्तर-निकाय (५) खुद्दक-निकाय ।

दीघ-निकाय : लम्बे-लम्बे उपदेशों का संग्रह है । तीन वर्गों के अन्तर्गत निम्नांकित चौतीस सुत्त (सूत्र) हैं जो इस प्रकार हैं :

(क) सीलक्खन्ध-वग्ग

१. ब्रह्मजाल-सुत्त	८. कस्सपसीहनाद-सुत्त
२. सामञ्जसकल-सुत्त	९. सोट्ठपाद-सुत्त
३. अम्बट्ट-सुत्त	१०. सुभ-सुत्त
४. सोणदण्ड-सुत्त	११. केवट्ट (केवट्ट)-सुत्त
५. कूटदन्त-सुत्त	१२. लोहिच्च-सुत्त
६. महालि-सुत्त	१३. तेविज्ज-सुत्त
७. जालिय-सुत्त	

१. स्वल्पाक्षरमसन्धिर्धं, सारवद्विष्वतो मुखम् ।

अस्तोभभनवद्यं च, सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।

(ख) महावग्ग

१४. महापदान-सुत्त	१६. महागोविन्द-सुत्त
१५. महानिदान-सुत्त	२०. महासमय-सुत्त
१६. महापरिनिब्बान (न)-सुत्त	२१. सकपव्वह-सुत्त
१७. महासुदस्सन-सुत्त	२२. महासतिपट्टान-सुत्त
१८. जनवसभ-सुत्त	२३. पायासिराजव्व-सुत्त (पायासि-सुत्त)

(ग) पाटिक-वग्ग

२४. पाटिक-सुत्त (पाथिक-सुत्त)	३०. लक्खण-सुत्त
२५. उदुम्बरिकसीहनाद-सुत्त (उदुम्बरिक-सुत्त)	३१. सिं (सि) गालोवा-सुत्त
२६. चक्रवत्तिसीहनाद-सुत्त (चक्रवत्ति-सुत्त)	३२. आटानाडिय-सुत्त
२७. अग्गज्ज सुत्त	३३. संगीतपरियाय-सुत्त (संगीति-सुत्त)
२८. सम्पसादनी (नि) स-सुत्त	३४. दसुत्तर-सुत्त
२९. पासादिक-सुत्त	

सीलवखन्ध-वग्ग के अन्तर्गत संख्या एक पर सूचित ब्रह्मजालसुत्त में बुद्ध के समसामयिक बासठ दार्शनिक मतों का उल्लेख है, जो भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । सीलवखन्ध वग्ग में संख्या तीन पर निर्दिष्ट सामञ्जसल-सुत्त में बुद्ध के समसामयिक धर्म-प्रवर्तकों का वर्णन है, जो अपने को तीर्थङ्कर कहते थे । उनके नाम हैं : पूरण कस्सप, भवसल्लि गोसाल, अजितकेसकम्बल, पकुधकञ्चायन, निगण्ठनाथपुत्त तथा संजय बेलट्टिपुत्त ।

भज्जिमनिकाय : चार आर्य सत्य, ध्यान, समाधि, कर्म आत्मवाद के दोष, निर्वाण आदि विषयों का विशद विवेचन किया गया है । यह पन्द्रह वर्गों के अन्तर्गत एक सौ बावन सुत्तन्तों में विभक्त है ।

(क) मूलपरियाय-वग्ग

१. मूलपरियाय-सुत्त	६. आंकखेय्य-सुत्त
२. सव्वासव-सुत्त	७. वत्थूपम-सुत्त
३. धम्मदायाद-सुत्त	८. सल्लेख-सुत्त
४. भयभेरव-सुत्त	९. सम्मादिट्ठि-सुत्त
५. अनंगण-सुत्त	१०. सतिपट्टान-सुत्त

(ख) सीहनाद-वग्ग

११. चूलसीहनाद-सुत्त	१६. चेतोखिल-सुत्त
१२. महासीहनाद-सुत्त	१७. वनपत्थ-सुत्त
१३. महाहुक्खवक्खन्ध-सुत्त	१८. मघुपिण्डिक-सुत्त
१४. चूलदुक्खवक्खन्ध-सुत्त	१९. द्वेधावितक-सुत्त
१५. अनुमान-सुत्त	२०. वितकसंथान-सुत्त

(ग) ओपम्म-वग्ग

२१. ककचूपय-सुत्त	२६. अरियपरियेसन-सुत्त (पासरासि-सुत्त)
२२. अलगदपम-सुत्त	२७. चूलहत्थिपदोपम-सुत्त
२३. धम्मिक-सुत्त	२८. महाहत्थिपदोपम-सुत्त
२४. रथविनीत-सुत्त	२९. महासारोपम-सुत्त
२५. निषाप-सुत्त	३०. चूलसारोपम-सुत्त

(घ) महाथमक-वग्ग

३१. चूलगोसिग-सुत्त	३६. महासच्चक-सुत्त
३२. महागोसिग-सुत्त	३७. चूलतण्हासंख्य-सुत्त
३३. महागोपालक-सुत्त	३८. महातण्हासंख्य-सुत्त
३४. चूलगोपालक-सुत्त	३९. महाऊस्सपुर-सुत्त
३५. चूलसच्चक-सुत्त	४०. चूलअस्सपुर-सुत्त

(ङ) चूलयमक-वग्ग

४१. सालेय्यक-सुत्त	४६. महाधम्मसमादान-सुत्त
४२. वेरञ्जक-सुत्त	४७. वीमंसक-सुत्त
४३. महावेदल्ल-सुत्त	४८. कोसम्बिय-सुत्त
४४. चूलवेदल्ल-सुत्त	४९. ब्रह्मनिमतनिक-सुत्त
४५. चूलधम्मसमादान-सुत्त	५०. मारतज्जनिय-सुत्त

(च) गहपति-वग्ग

५१. कन्दरक-सुत्त	५३. सेख-सुत्त
५२. अट्ठकनागर-सुत्त	५४. पोतलिय-सुत्त

५५. जीवक-सुत्त

५८. अभयराजकुमार-सुत्त

५६. उपालि-सुत्त

५९. बह्वेदनीय-सुत्त

५७. कुम्भकुक्षतिक-सुत्त

६०. अपण्णक-सुत्त

(छ) भिक्षु-वग्ग

६१. अम्बलट्टिकराहुलोवाद-सुत्त

६६. लट्टुकिकोपम-सुत्त

६२. महाराहुलोवाद-सुत्त

६७. चातुम-सुत्त

६३. चूलमालुङ्कय-सुत्त

६८. नलकपान-सुत्त

६४. महामालुङ्कय-सुत्त

६९. गुलिस्तानि-सुत्त (गोलिधानि-सुत्त)

६५. भद्दालि-सुत्त

७०. कीटागिरि-सुत्त

(ज) परिब्बाजक-वग्ग

७१. तेविजकछगोत्त-सुत्त

७६. सन्दक-सुत्त

७२. अग्निवज्जगोत्त-सुत्त

७७. महासकुलुदायि-सुत्त

७३. महावज्जगोत्त-सुत्त

७८. समणमण्डिका-सुत्त

७४. दीघनख-सुत्त

७९. खलसकुलुदायि-सुत्त

७५. मागन्धिय-सुत्त

८०. देखनस (स्त)-सुत्त

(झ) राज-वग्ग

८१. घटि (टी) कार-सुत्त

८६. अंगुलिमाल-सुत्त

८२. रट्टपाल-सुत्त

८७. पियजातिक-सुत्त

८३. मखादेव-सुत्त

८८. बाहित्तिक (य)-सुत्त

८४. मधुर-सुत्त

८९. धम्मचेतिय-सुत्त

८५. बोधिराजकुमार-सुत्त

९०. कण्णकत्थल-सुत्त

(ट) ब्राह्मण-वग्ग

९१. ब्रह्मायु-सुत्त

९६. एसुकारी-सुत्त

९२. सेल-सुत्त

९७. धानजानि-सुत्त

९३. अस्सलायन-सुत्त

९८. वासेट्ठ-सुत्त

९४. षोटमुख-सुत्त

९९. सुभ-सुत्त

९५. चङ्की-सुत्त

१००. संगारब-सुत्त

(ठ) देवदह-वग्ग

१०१. बेधदह-सुत्त

१०६. आनेज्जसप्पाय-सुत्त (आणञ्जसप्पाय-सुत्त)
या आवञ्जसप्पाय-सुत्त)

१०२. पञ्चतय-सुत्त

१०७. गणकमोग्गलान-सुत्त

१०३. किन्ति-सुत्त

१०८. गोपकमोग्गलान-सुत्त

१०४. सामयाम-सुत्त

१०९. महापुण्णभ-सुत्त

१०५. सुनक्खत्त-सुत्त

११०. चूलपुण्णभ-सुत्त

(ड) अनुपद-वग्ग

१११. अनुपद-सुत्त

११६. इसिगिलि-सुत्त

११२. छब्बिसोधन-सुत्त

११७. महाचत्तारीसक-सुत्त

११३. सप्पुरिस-सुत्त

११८. आनापानसति-सुत्त

११४. सेवितब्ब-असेवितब्ब-सुत्त

११९. कायागतासि-सुत्त

११५. बहुधातुक-सुत्त

१२०. संखारूपति-सुत्त

(ढ) सुब्बता-वग्ग

१२१. चूलसुब्बता-सुत्त

१२६. भूमिज-सुत्त

१२२. महासुब्बता-सुत्त

१२७. अनुद्ध-सुत्त

१२३. अज्झारियम्भुतधम्म-सुत्त

१२८. उपक्किलेस-सुत्त

१२४. बवकुल-सुत्त

१२९. बालपंडित-सुत्त

१२५. दन्तभूमि-सुत्त

१३०. देवदूत-सुत्त

(ण) विभंग-वग्ग

१३१. भद्देकरत्त-सुत्त

१३७. सळायतनविभंग-सुत्त

१३२. आनन्दभद्देकरत्त-सुत्त

१३८. उद्देसविभंग-सुत्त

१३३. महाकच्चानभद्देकरत्त-सुत्त

१३९. अरणविभंग-सुत्त

१३४. लोभासकगिय-सुत्त

१४०. घातुविभंग-सुत्त

१३५. चूलकम्मविभंग-सुत्त

१४१. सच्चविभंग-सुत्त

१३६. महाकम्मविभंग-सुत्त

१४२. दक्खिणाविभंग-सुत्त

(त) सळायतन-वग्ग

१४३. अनायपिण्डिकोवाद्द-सुत्त

१४४. छत्रोवाद्द-सुत्त

१४५. पुण्णेवाद-सुत्त
 १४६. मन्दकोवाद-सुत्त
 १४७. चूलराहुलोवाद-सुत्त
 १४८. छक्क-सुत्त

१४९. महासल्लायतनिक-सुत्त
 १५०. नगरविन्देय-सुत्त
 १५१. पिण्डपातपादि-सुत्त
 १५२. इन्द्रियभावना-सुत्त

संयुत-निकाय : कुल मिला कर छप्पन संयुत हैं, जो पांच वर्गों में विभक्त हैं :

(क) सनाथ-वग्ग

१. देवता-संयुत
 २. देवपुत्त-संयुत
 ३. कोसल-संयुत
 ४. मारु-संयुत
 ५. भिक्षुणी-संयुत
 ६. ब्रह्म-संयुत

७. ब्राह्मण-संयुत
 ८. वंगीस-संयुत
 ९. वन-संयुत
 १०. यक्ख-संयुत
 ११. सक्क-संयुत

(ख) निदान-वग्ग

१. निदान-संयुत
 २. अभिसमय-संयुत
 ३. धातु-संयुत
 ४. अनमतम्मा-संयुत
 ५. कस्सप-संयुत

६. लाभसक्कार-संयुत
 ७. राहुल-संयुत
 ८. लक्खण-संयुत
 ९. ओपम्म-संयुत
 १०. भिवल्लु-संयुत

(ग) खन्ध-वग्ग

१. खन्ध-संयुत
 २. राध-संयुत
 ३. दिट्ठि-संयुत
 ४. ओक्कन्तिक-संयुत
 ५. उप्पाद-संयुत
 ६. किलेस-संयुत
 ७. सारिपुत्त-संयुत

८. नाग-संयुत
 ९. सुपण्ण-संयुत
 १०. गन्धव्वकाय-संयुत
 ११. मलाह-संयुत
 १२. वच्छगोत्त-संयुत
 १३. ज्ञान-संयुत

(घ) सल्लायतन-वग्ग

१. सल्लायतन-संयुत

२. वेदना-संयुत

३. मातुगाम-संयुत	७. चित्त-संयुत
४. जम्बुखादक-संयुत	८. मामणि-संयुत
५. सामण्डक-संयुत	९. असखत-संयुत
६. मोम्मलान-संयुत	१०. अव्याकत-संयुत

(इ) महावग्ग

१. मग-संयुत	७. इद्धिपाद-संयुत
२. बोज्झग-संयुत	८. अनुद्ध-संयुत
३. सतिपट्ठात-संयुत	९. ज्ञान-संयुत
४. इन्द्रिय-संयुत	१०. आनापाण-संयुत
५. सम्मप्यधान-संयुत	११. सोत्तापन्नि-संयुत
६. बल-संयुत	१२. सच्च-संयुत

अंगुत्तर-निकाय : ग्यारह निपातों में विभक्त है। इसका विभाजन संख्या के आधार पर है। एक-एक संख्या से सम्बन्ध रखने वाले, दो-दो संख्या से सम्बन्ध रखने वाले, इस प्रकार क्रमशः ग्यारह तक की संख्या से सम्बन्ध रखने वाले बुद्धोपदेशों का यथाक्रम संकलन है। ग्यारह निपात इस प्रकार हैं :

१. एकक-निपात	७. सतक-निपात
२. दुक-निपात	८. अट्ठक-निपात
३. तिक-निपात	९. नवक-निपात
४. चतुक्क-निपात	१०. दसक-निपात
५. पंचक-निपात	११. एकादसक-निपात
६. छक्क-निपात	

खुट्ठक-निकाय : इसके अन्तर्गत पन्द्रह स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं, जो इस प्रकार हैं :

१. खुट्ठक-पाठ	९. थेरी-गाथा
२. धम्मपद	१०. जातक
३. उदान	११. निद्देस
४. इतिवृत्तक	१२. पटिसम्भिदा-मग
५. सुत्त निपात	१३. अपादान
६. विमानवत्थु	१४. बुद्धवंस
७. पेत-वत्थु	१५. चरिया-पिटक
८. थेर-गाथा	

दूसरी संख्या पर स्थित धम्मपद निःसन्देह बौद्ध धाङ्मय में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। संसार की प्रायः समस्त मुख्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसमें ४२३ गाथाएँ हैं, जो भगवान् बुद्ध द्वारा अपने जीवन-काल में उपदिष्ट हुई थीं। इन गाथाओं में धर्म, सदाचार, नीति और प्रशस्त जीवन के सम्बन्ध में बड़ी मनोज्ञ शिक्षाएँ हैं। यह छब्बीस वर्गों में विभक्त है। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उसमें वर्णित विषय और दृष्टान्तों के अनुरूप है। इसकी रचना जहाँ नैतिक दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर है, वहाँ शब्दावली प्रसाद-पूर्ण और हृदयस्पर्शी है। धम्मपद को यदि बौद्धों की गीता कहा जाए, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। लंका में बौद्धों में आज भी यह परम्परा प्रवृत्त है कि बिना धम्मपद का पारायण किये किसी भिक्षु की उपसम्पदा नहीं होती। बर्मा, स्याम, कम्बोडिया और लाओस में भी प्रायः प्रत्येक भिक्षु के लिए यह आवश्यक माना गया है कि उसे धम्मपद कण्ठाग्र हो।

धम्मपद का शब्दार्थ है—धर्म सम्बन्धी पद। पद शब्द से यहाँ गाथा, वाक्य या पंक्ति का अभिप्राय है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म से सम्बद्ध गाथाओं, पदों या वाक्यों को भिक्षु-भिक्षुणियाँ उनके जीवन-काल में कण्ठस्थ करने लगे थे, ऐसा बौद्ध-साहित्य के परिशीलन से सिद्धित होता है। धम्मपद बुद्ध के जीवन-काल में सकलित एक ऐसा संग्रह प्रतीत होता है, जिसे प्रत्येक भिक्षु कण्ठस्थ करता रहा हो। संयुक्त निकाय में भी धम्मपद शब्द का प्रयोग है, जो सम्भवतः इसी अर्थ का स्रोतक है। स्वयं धम्मपद की दो गाथाओं में धर्म-सम्बन्धी पदों के अर्थ में यह शब्द आया है। मान्यता और प्रतिष्ठा इसी से प्रकट होती है कि 'निहेस' और 'कथावत्थु' जैसे ग्रन्थों में धम्मपद की कई गाथाएँ उद्धृत की गयी हैं। इसी सन् के आरम्भ के आस-पास रचित मिलिन्दपञ्चो (मिलिन्द-प्रश्न) ग्रन्थ में^१ 'भासित पेतं भगवता देवातिदेवेन धम्मपदे' इन शब्दों के साथ दो गाथाएँ^२ उद्धृत की गयी हैं।

चिनय-पिटक

बौद्ध धाङ्मय में चिनय नियम या आचार - नियम के अर्थ में एक प्रकार से बौद्ध भिक्षु-संघ का संविधान है। भिक्षु-जीवन में आचार का महत्त्वपूर्ण स्थान था। तथागत ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा पालन किये जाने योग्य नियमों का समय-समय पर जो उपदेश किया, उस सन्दर्भ में अपराधों, दोषों, प्रायश्चित्तों आदि का भी वर्णन किया, उनका इसमें संकलन है। वस्तुतः यह आचार-प्रधान ग्रन्थ है। तत्कालीन भास्तीय समाज और जीवन का दिग्दर्शन कराने की दृष्टि से इसकी बड़ी उपयोगिता है। यद्यपि यह अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु, चिनय-वस्तु की दृष्टि से सुत-विभंग, खंघक और परिवार; इन तीन

१. मिलिन्द-पञ्चो, पृ० १७२, ३९९, बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण

२. वही, गाथा ३२, ३२७

भागों में विभक्त है ।

सुत्त-विभाग में दोषों का वर्णन है । उन नियमों के उल्लंघनों का भी वर्णन है, जिन्हें भिक्षु प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा (उपोसथ के दिन) को दुहराते थे । इन्हें पाटिमोक्ष (प्रातिमोक्ष) भी कहा जाता है । प्रातिमोक्ष के दो भाग हैं—भिक्षु प्रातिमोक्ष और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष । भिक्षु प्रातिमोक्ष में भिक्षुओं द्वारा और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष में भिक्षुणियों द्वारा होने वाले नियमोत्संघन का वर्णन है । प्रातिमोक्ष का पाठ करते समय जैसे-जैसे अपराधों का विवरण आता, उस सभा में उपस्थित प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुणी से यह आशा की जाती थी कि यदि उसने वैसा अपराध किया है, तो वह अपने स्थान पर उठ कर उसे स्वीकार करे । ऐसा करने के पीछे यह भाव था कि भविष्य में वह वैसा दोष न करे ।

भिक्षु-जीवन में प्रातिमोक्ष का बड़ा महत्व है । महावग्ग में इसके सम्बन्ध में कहा गया है : “प्रातिमोक्ष कुशल-धर्मों का आदि है, मुख है, प्रमुख है । यही कारण है कि वह प्रातिमोक्ष कहलाता है ।”^१

एक प्राचीन टीकाकार ने प्रातिमोक्ष का बड़े सुन्दर शब्दों में विश्लेषण करते हुए लिखा है : “जो उस (प्रातिमोक्ष) को रक्षा करता है, उसके नियमों का परिपालन करता है, वह (प्रातिमोक्ष) उसे अपाय—असद्गति आदि दुःखों से छुटकारा दिलाता है, मुक्त करता है, इसलिए वह प्रातिमोक्ष कहलाता है ।”^२

सन्धक महावग्ग और चुल्लवग्ग; दो भागों में विभक्त है । भिक्षुओं का संघीय जीवन कैसा होना चाहिए, उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, आदि का महावग्ग में वर्णन है । सुत्त विभाग अधिकांशतः निषेधात्मक शैली में लिखा गया है, जबकि महावग्ग उसका विधेयात्मक रूप है । महावग्ग में भगवान् बुद्ध के सम्बोधि लाभ से लेकर प्रथम संघ के संस्थापन तक का विवरण भी बड़े सुन्दर रूप में दिया गया है । महावग्ग का यह अंश ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है । उपसम्पदा, वर्षावास, प्रातिमोक्ष, प्रवारणा, चोवर रंगना आदि से सम्बद्ध विधि-क्रम और नियमों आदि का भी इसमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है ।

चुल्ल-वग्ग एक प्रकार से महावग्ग का परिपूरक है । इसमें भिक्षु के लिए उसके दैनन्दिन जीवन में क्या विहित है, क्या अविविहित है, उसे कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए;

१. पातिमोक्खं ति आविसेतं मुखमेतं पामुखमेतं कुसलानं धम्मामं तेन वुच्चति पातिमोक्खं ति ।

—गोपक मोग्गलान सुत्त, मज्झिमनिकाय, ३ । १ । ८

२. यो तं पाटिरक्खति तं मोक्खेति मोचेति अपायकाविदुक्खेहि सस्मा पाटिमोक्खं ति वुच्चति ।

—A Comparative Study of Pratimoksha, P. 4, by Pachova.

आदि विषयों का विवेचन है । अनाथ पिंडिक की दीक्षा, जेतवन-दान, महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा आदि बौद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी इसमें समावेश है ।

परिवार को परिवार या परिवार-पाठ भी कहा जाता है । यह विनय-पिटक का अन्तिम भाग है । इसे विनय पिटक में वर्णित विषय वस्तु की अनुक्रमणिका कहा जाता चाहिए । यह उन्नीस परिच्छेदों में विभक्त है । उनमें अभिधम्म की शैली पर विनय-पिटक के विषयों की आवृत्ति की गयी है; अतः विषय को समझने के लिए इसमें कोई नवीनता नहीं की गयी है । परन्तु, विनय पिटक को समझने में यह ग्रन्थ विशेष सहायक होता है । भगवान् बुद्ध ने कब, किसे, किस प्रसंग में अमुक शिक्षा-पद कहे, मध्य क्या है, अन्त क्या है, संघ के आन्तरिक संघर्ष कितनी तरह के होते हैं; आदि प्रश्न इस ग्रन्थ में उठाये गये हैं और उनके उत्तर दिये गये हैं । अमुक समस्या, शंका या प्रश्न का विनय पिटक में क्या समाधान है, इस प्रकार के तथ्यों का ज्ञान पाने की दृष्टि से इस ग्रन्थ की अपरिमी उपयोगिता है । विंटरनिज ने परिवार का विनयपिटक के साथ वही सम्बन्ध बतलाया है, जो अपनी अनुक्रमणिका और परिशिष्टों के साथ वेद का है । इसमें कुछ ऐसे उल्लेख हैं, जिनसे प्रकट होता है कि यह विनय-पिटक के बाद की रचना है । पिटकों के लिपि-बद्ध किये जाने का भी इसमें उल्लेख है । राजकुमार भिक्षु महेन्द्र के लंका जाने, वहाँ विनय की परम्परा स्थापित करने के साथ-साथ सिंहल के उन उन्नीस भिक्षुओं का नामोल्लेख भी किया गया है, जिन्होंने ताम्रपर्णी में विनय-पिटक का प्रकाश किया । इन संकेतों से सहज ही यह अनुमान होता है कि परिवार या परिवार-पाठ की रचना, जैसा वह इस समय प्राप्त है, लंका में बहुत समय बाद हुई ।

अभिधम्म-पिटक

अभिधम्म-पिटक पालि-त्रिपिटक का तीसरा मुख्य भाग है । बौद्ध परम्परा में ऐसी मान्यता है कि अभिधम्म पिटक धम्म की अत्यधिक गहराई में जाता है । उसकी रचना विशिष्ट अधिकारियों के लिए हुई है, न कि साधारण लोगों के लिए । अट्टसास्सिनी, मनोरथपूरणी और विभंगअट्टकया में उल्लेख है कि देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत ने सर्वप्रथम अभिधम्म का उपदेश त्रायस्त्रिंश स्वर्ग में स्थित अपनी माता देवी महामाया और अन्य देवताओं को दिया था । तदनन्तर उन्होंने उसी की पुनरावृत्ति अपने महाप्राज्ञ अन्ते-वासी, धम्म सेनापति सारिपुत्त को उद्दिष्ट कर की थी । धम्म सेनापति सारिपुत्त ने उसे अन्य पांचसौ भिक्षुओं को उद्दिष्ट कर उपदिष्ट किया ।

सुत्त-पिटक में अभिविनय शब्द के साथ-साथ अभिधम्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है । वहाँ ये दोनों शब्द क्रमशः विनय और धर्म सम्बन्धी गम्भीर उपदेश के अर्थ में आये हैं ।

आचार्य बुद्धघोष ने अट्टसालिनी और सुमंगलविलासिनी में अभिधम्म का अर्थ 'उच्चतम धम्म या विशेष धम्म' किया है। उसके अनुसार 'अभिधम्म' शब्द में स्थित 'अभि' उपसर्ग अतिरेक या विशेष का वाचक है।

महायान सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचार्य असंग^१ ने अभिधम्म की व्युत्पत्ति चार प्रकार से की है। उन्होंने अभि उपसर्ग का पहला अर्थ 'अभिमुखतः' करते हुए सत्य, बोधि, सुख, निर्वाण आदि के अभिमुख उपदेश करने के कारण इसे अभिधम्म बताया है। अभि का दूसरा अर्थ 'आभीक्ष्ण्यत्' करते हुए उन्होंने धर्म का अनेक प्रकार से वर्गीकरण करने या भेद-प्रभेद दिखलाते हुए विश्लेषण करने के कारण इसे अभिधम्म कहा है। उनके अनुसार अभि का तीसरा अर्थ 'अभिभवात्' भी हो सकता है। अन्य मतों या विरोधी सिद्धान्तों का अभिभव—खण्डन—निराकरण करने के कारण यह अभिधम्म है। अभि का चौथा अर्थ उन्होंने 'अभिगतिः' दिखलाते हुए इसे मूलतः सुत्त पिटक के ही सिद्धान्तों का अभिगमन—अनुगमन करने के कारण अभिधम्म बताया है।

तथागत ने जिस धर्म का सन्देश दिया, तत्त्वतः वह एक है। अन्तर केवल निरूपण का है। सुत्त-पिटक में वह उपदेश की भाषा में है, विनय-पिटक में अनुशासन, नियमन और संयमन के रूप में है तथा अभिधम्म पिटक में तत्त्व के रूप में। इसका कारण केवल अधिकार-भेद है। सुत्त सब के लिए हैं; क्योंकि वह अधिचित्त शिक्षा के रूप में है, वह व्यवहार-देशना है। अभिधम्म में भी वे ही तत्त्व हैं, पर, वे प्राज्ञों की दृष्टि से हैं; अतएव वहां उनका रूप अविप्रज्ञ शिक्षा का हो गया है। वह परमार्थ-देशना है। सुत्त सबके लिए सुज्ञेय हैं; क्योंकि वहां बुद्ध-वचन सीधे रूप में आकलित हैं। अभिधम्म में बुद्ध के मन्तव्यों का सूक्ष्म और सात्विक दृष्टिकोण से बहुत प्रकार से वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया गया है; अतः वह तत्त्व-दर्शन के गम्भीर अध्येताओं का विषय है।

अभिधम्म : रचना

बुद्ध परम्परा में यह स्वीकृत है कि धम्म और विनय की तरह अभिधम्म का भी प्रथम संगीति में संगान हुआ था। यह भी उसना ही प्राचीन है, जिसने सुत्त और विनय। आचार्य बुद्धघोष इस सम्बन्ध में आश्वस्त हैं कि बुद्ध के काल में सुत्त और विनय की तरह अभिधम्म भी विद्यमान था। ऐसा माना जाता है कि 'धम्मकथिक' शब्द अभिधम्मिक भिक्षु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।

पाटलिपुत्र में सम्पन्न तृतीय संगीति में मोगलिपुत्त तिस्र ने उस समय प्रचलित मिथ्या-

वादों के निराकरण के निमित्त 'कथावस्तु' की रचना की, जिसे अभिधम्म में सम्मिलित कर लिया गया। यह स्पष्ट है कि यह बाद की रचना है। अभिधम्म में इसके सम्मिलित कर लिये जाने से यह अनुमान करने का अवसर प्राप्त होता है कि अभिधम्म की रचना या स्वरूप-गठन सुत्त और विनय के अनन्तर समय-समय पर संयोजित होकर पूर्ण हुआ। पर, स्थविर परम्परा को यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उसके अनुसार कथावस्तु की रूपरेखा भगवान् बुद्ध, क्योंकि वे सर्वज्ञ थे; अतः भविष्य में होने वाले मिथ्या मतवादों को जानते हुए उनके निराकरण के लिए पहले ही निश्चित कर गये। आचार्य बुद्धघोष ने इस तथ्य को बलपूर्वक समर्थित करने का प्रयत्न किया है। अट्टसालिनी की निदान कथा में उन्होंने प्रतिपादित किया है कि मधुपिण्डक-सुत्त आदि भगवान् बुद्ध के शिष्यों द्वारा उपदिष्ट हैं, पर, बुद्ध द्वारा अनुमोदित होने के कारण वे बुद्ध-वचन ही कहलाते हैं। उसी प्रकार कथावस्तु को अभिधम्म पिटक का ही ग्रन्थ माना जा सकता है।

परम्परा के प्रति विशेष आदर या बहुमान के कारण यह अर्थवाद या प्रशस्ति की भाषा है। यदि प्रथम संगीति के अवसर पर अभिधम्म का स्वरूप अस्तित्व में आया हुआ होता, तो सुत्त और विनय के साथ उसकी अवश्य चर्चा रहती। चुल्लवग्ग^१ में जहाँ प्रथम संगीति में बुद्ध-वचन के संगान का प्रसंग आया है, वहाँ धम्म (सुत्त) और विनय के ही संगान का उल्लेख है, अभिधम्म का नहीं। वैशाली में आयोजित द्वितीय संगीति के अवसर पर अभिधम्म के सम्बन्ध में स्थविरवादियों और सर्वास्तिवादियों का विवाद, स्थविरवादियों द्वारा उसे साक्षात् बुद्ध-वचन सिद्ध करने का प्रयास, दूसरे सम्प्रदायवालों द्वारा अभिधम्म की प्रामाणिकता का विरोध, ऐसी जो स्थितियाँ बनीं, उनसे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि प्रथम संगीति के अनन्तर अभिधम्म का स्वरूप-निर्माण होने लगा होगा। प्रथम संगीति के अवसर तक अभिधम्म का अस्तित्व किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। उससे पहले मातृकाओं (मातृकाओं) का वर्णन प्राप्त होता है। मातृकाएं वर्गीकरण, विश्लेषण आदि विविध रूपों में थीं। ऐसा सम्भव लगता है कि अभिधम्म-पिटक का गठन इन मातृकाओं के आधार पर हुआ। तीसरी संगीति के अनन्तर भिक्षु महेन्द्र जब लंका जाते हैं, तो विनय-धम्म (सुत्त) के साथ अभिधम्म भी वहाँ ले जाते हैं। ऐसा लगता है, तब तक अभिधम्म-पिटक का सम्पूर्णतः स्वरूप-निर्धारण हो चुका था। लंका में आने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। अभिधम्म का लेखन-कार्य विनय और सुत्त के साथ-साथ ही लंका-नरेश वट्टगामणि अभय के समय में ही सम्पन्न हुआ।

१. विनयपिटक

अभिधम्म का स्थान

स्थविरवादी या थेरवादी सम्प्रदाय में अभिधम्म-पिटक का उतना ही महत्त्व है, जितना सुत्त-पिटक और विनय-पिटक का। बर्मा में अभिधम्म-पिटक का बहुत व्यापक अध्ययन हुआ है। लंका में भी अभिधम्म का अत्यधिक आदर रहा है। 'महावंश' के अनुसार लंका के राजा आदरपूर्वक अभिधम्म का श्रवण करते रहे हैं और कतिपय राजा तो ऐसे हुए हैं, जिन्होंने स्वयं अभिधम्म का उपदेश भी किया है। दशवीं शताब्दी में हुए राजा काश्यप प्रथम ने समस्त अभिधम्म पिटक स्वर्ण-पत्रों पर उत्कीर्ण करवाया। इतना ही नहीं, अभिधम्म के प्रमुख ग्रन्थ 'धम्मसंगणि' को तो उसने मूल्यवान् रत्नों से सजित करवाया। राजा विजय-बाहु प्रथम (१०५६-१११४ ईस्वी) अभिधम्म-पिटक का बहुत बड़ा विद्वान् था। उसने धम्मसंगणि को सिंहली भाषा में अनूदित किया।

अभिधम्म के प्रति जहाँ एक ओर इतना आदर रहा, दूसरी ओर स्थविर-सम्प्रदाय से भिन्न अन्य बौद्ध सम्प्रदायों में इसकी प्रामाणिकता स्वीकृत नहीं है। बहुत पहले से स्थविर-वादियों में भी ऐसे भिक्षुओं के एक वर्ग की सूचना प्राप्त होती है, जिसके अनुसार अभिधम्म प्रामाणिक बुद्ध-वचन नहीं था। उस वर्ग का सुत्तपिटक में ही सर्वाधिक विश्वास था। अट्टसालिनी में दो भिक्षुओं के वार्तालाप का एक प्रसंग बहुत मननीय है। वह वार्तालाप है : "भन्ते ! आप इतनी लम्बी पंक्ति उद्धृत कर रहे हैं, मानो सुमेरु को ही फेंक देना चाह रहे हों ! भन्ते ! यह किसकी पंक्ति है ?"

"आयुष्मन् ! यह अभिधम्म की पंक्ति है।"

"भन्ते ! आप अभिधम्म की पंक्ति को क्यों उद्धृत करते हैं ? क्या यह समुचित नहीं कि आप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट किन्हीं और पंक्तियों को उद्धृत करते।"

"आयुष्मन् ! अभिधम्म का उपदेश किसका है ?"

"निश्चय ही वह बुद्ध-भाषित नहीं है।"

उपर्युक्त विश्लेषण और ऊहापोह के आधार पर ऐसा मानना अनौचित्य की सीमा में नहीं जा सकता कि प्रणयन या स्वरूप-निर्धारण के समय की अपेक्षा से अभिधम्म सुत्त और विनय से निश्चय ही परवर्ती है।

अभिधम्म के ग्रन्थ

पालि अभिधम्म के निम्नांकित ग्रन्थ हैं :

१. धम्मसंगणि

२. विभंग

३. पुग्गल-पञ्जति

६. यमक

४. धातु-कथा

७. कथावस्तुत्पकरण

५. पट्ठान

धम्मसंगणि अभिधम्म-साहित्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। धम्मसंगणि में भौतिक और मानसिक जगत् की व्याख्या इस सूक्ष्मता तथा विशदता से की गई है कि विद्वान् अध्येता को एतत्सम्बन्धी समस्त विषयों का अच्छा दिग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। कर्म के कुशल, अकुशल तथा अव्याकृत विपाक, चित्त और चेतसिक अवस्थाओं का कुशल, अकुशल तथा अव्याकृत के रूप में विश्लेषण प्रभृति अनेकानेक विषयों का इसमें जो तलस्पर्शी विवेचन किया गया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बौद्धमनोविज्ञान की नैतिक व्याख्या का यह अनूठा दिग्दर्शक है।

पिटक-वाङ्मय का एक अन्य वर्गीकरण

धर्म-तत्त्व को विविध प्रकार से हृदयंगम कराने के अभिप्राय से पालि-वाङ्मय का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। श्रोता और अध्येता द्वारा धर्म के विभिन्न पक्ष व्यवस्थित तथा विशद रूप में समझे जा सकें, इस हेतु किये गये विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, विश्लेषण, विवेचन और व्याख्यान सचमुच पालि-साहित्य की अपनी विशेषता है। पर, साथ-ही-साथ समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि बौद्धों द्वारा साहित्य का जो अनेकविध वर्गीकरण, वर्गीकरण का पुनः वर्गीकरण; इस प्रकार वर्गीकरणों की एक श्रृंखला-सी खड़ी कर दी गयी है, उसमें विशद विश्लेषण और व्याख्यान से कहीं अधिक उनकी विश्लेषण-प्रिय वृत्ति की प्रेरणा प्रतीत होती है।

त्रिपिटक और उसके उपविभाग या तदन्तर्बर्ती ग्रन्थों के रूप में किये गये विभाजन के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के विभाजन में समस्त बुद्ध-वचनों को पांच निकायों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं :

१. दीघ-निकाय

४. अंगुत्तर-निकाय

२. मज्झिम-निकाय

५. खुद्दक-निकाय

३. संयुत्त-निकाय

सुत्त-पिटक के पांच निकायों के भी ये ही नाम हैं। पर, दोनों के आशय में कुछ अन्तर है। इस विभाजन के इन पांच निकायों में तीनों पिटकों के समग्र ग्रन्थ समाविष्ट कर लिये गये हैं। यह विभाजन विषयों की मुख्यता के आधार पर किया गया है। इसके पहले चार निकाय तो सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों के समान ही हैं। सुत्त-पिटक के उन

निकायों में जो ग्रन्थ लिये गये हैं, वे ही इन चार निकायों में गृहीत हुए हैं । दोनों में विषयाश्रित संगति है । पाँचवें खुद्दक-निकाय में सुत्त-पिटक के खुद्दक-निकाय के पन्द्रह ग्रन्थों के अतिरिक्त विनय-पिटक तथा अभिधम्म-पिटक के सभी ग्रन्थ समाविष्ट कर लिये गये हैं ।

बुद्ध-वचन का नवंगी वर्गीकरण

बुद्ध-वचनों के वर्गीकरण का एक और प्रकार नवांगों के रूप में है । महायान सम्प्रदाय के संस्कृत-निबद्ध साहित्य में भी नवांगात्मक विभाजन की चर्चा है । सद्धर्म पुण्डरीक-सूत्र में बुद्ध के मुख से कहलाया गया है कि मेरा शासन—धर्मशासन नौ अंग वाला है ।^१ धर्म-संग्रह में भगवान् बुद्ध के प्रवचनों को नवांगात्मक कहा है ।^२ वे नौ अंग इस प्रकार हैं :

१. सुत्त	६. इतिवृत्तक
२. गैय्य	७. जातक
३. वैयाकरण	८. अद्भुत धम्म
४. गाथा	९. वेदल्ल
५. उदान	

१. सुत्त—भगवान् बुद्ध के वे उपदेश, जो गद्य में संकलित हैं, इस विभाजन के अन्तर्गत सामान्यतः सुत्त कहे जाते हैं । जैसे, दीघ-निकाय, सुत्त-निपात आदि में समाविष्ट भगवान् बुद्ध के जो गद्यात्मक वचन ।

२. गैय्य—बुद्ध-वचन का गद्य-पद्य-मिश्रित भाग ।

३. वैयाकरण—यह व्याकरण शब्द का पालि रूप है । इसका अभिप्राय धर्म-सत्त्व का व्याकरण, विश्लेषण, विमर्षण या विवेचन है । व्याख्यात्मक साहित्य इस विभाग में गृहीत किया गया है । अभिधम्म-पिटक तथा बुद्ध-वचन का तत्सदृश दूसरा अंश इसमें सन्निहित है ।

४. गाथा—बुद्ध-वचन के केवल पद्य-बद्ध भाग 'गाथा' के अन्तर्गत हैं । गाथा शब्द

१. नवाङ्गमेतन्मम शासन च ।

—सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र, पृ० ३४, डॉ० एन० एन० दत्त का देवनागरी संस्करण ।

२. नवाङ्गप्रवचनानि ।

—महायानसूत्रसंग्रह, प्रथम खण्ड पृ० ३३२, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा १९६१ संस्करण ।

आर्षी^१ छन्द का पर्याय है। पर, बौद्ध और जैन साहित्य में तत्तच्छास्त्रों के पद्य मात्र को, चाहे वह किसी भी छन्द में हो, गाथा शब्द से संज्ञित करने की परम्परा है। बुद्ध-वचनों के इस (गाथात्मक) विभाग में धम्मपद आदि ग्रन्थ हैं, जो पद्यबद्ध हैं।

५. उदान—सौमनस्य पूर्ण अवस्था में तथागत के मुँह से ज्ञानमय गाथाओं के रूप में जो उद्गाद्य निकले, जो भावात्मकता और प्रीत्यात्मकता से सम्पृक्त हैं, वे उदान कहे गये हैं।

६. इतिवृत्तक—संस्कृत रूप 'इत्युक्तकम्' अर्थात् ऐसा कहा गया है। 'वृत्ता हेतुं भगवता'—भगवान् द्वारा ऐसा कहा गया; इससे आरम्भ होने वाले बुद्ध-वचन 'इतिवृत्तक' में आते हैं।

७. जातक—जात या जातक का अर्थ जन्मा हुआ होता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएँ जातकों में संग्रहित हैं। जातकों के अतिरिक्त वे त्रिपिटक में अन्यत्र भी प्राप्त होती हैं।

८. अद्भुत धम्म—योगजन्य विभूतियाँ, अलौकिक, आश्चर्यजनक या अद्भुत विभूतियों तथा वेसी अद्भुत वस्तुओं का वर्णन।

९. वेदल्ल—आन्तरिक उल्लास और तुष्टि प्राप्त कर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सन्दर्भ में जो प्रश्न और उत्तर के रूप में उपदेश हैं, वे वेदल्ल संज्ञक हैं। चुल्लवेदल्ल-सुत्तन्त, महावेदल्ल-सुत्तन्त, सम्मादिट्ठिसुत्तन्त, सब्बपञ्च-सुत्तन्त आदि इसके उदाहरण हैं।

नौ अंगों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह विभाजन केवल शैली या कथन-प्रकार के आधार पर है। इसके अनुसार एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अंश कई अंगों के समूह हो सकते हैं। यह विभाजन केवल इतना-सा ज्ञापित करता है कि इस-इस प्रकार से भगवान् बुद्ध के उपदेश हैं, जो पिटक बाह्यमय में भिन्न-भिन्न स्थलों पर संगृहीत हैं।

आचार्य हरिभद्र ने बौद्ध संस्कृत-ग्रन्थ अभिसमयालंकार की टीका में बुद्ध-वचन के बारह अंगों की चर्चा की है। वे इस प्रकार हैं :

१. सूत्र	२. गेय	३. व्याकरण
४. गाथा	५. उदान	६. अवदान
७. इतिवृत्तक	८. निदान	९. वेपुल्य

१. यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि ।

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश साऽऽर्या ।।

१०. जातक

११. उपदेश

१२. अद्भुत धर्म^१

एक और वर्गीकरण भी है, जिसके अनुसार बुद्ध-वचन चौदासी हजार धर्म-स्कन्धों में विभक्त है।

अति विस्तारपूर्ण वर्गीकरण या विभाजन बौद्धों की विस्तीर्ण-विश्लेषण-प्रियता के स्रोतक हैं। वस्तुतः अध्ययन-क्रम आदि में तीन पिटक तथा उनके उपविभाग ही व्यवहृत हैं।

बहुविध विभाजन : परम्परा

तीन पिटक, पाँच निकाय, नौ अंग तथा चौदासी हजार स्कन्धों के रूप में बुद्ध-वचनों का यह विभाजन-क्रम कब से है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। तीनों पिटकों का संकेत स्वयं पिटकों में भी प्राप्त है। भात्रू अभिलेख में सम्राट् अशोक द्वारा कुछ धम्म पलियायों या धर्मपरियायों का इस आशय से उल्लेख करवाया गया है कि सभी भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपासिकाएँ उनका सदा श्रवण करें, पालन करें। उस शिलालेख में बुद्ध-वचनों के जिन-जिन अंशों का उल्लेख है, वे कहीं-कहीं शब्दशः और अधिकांशतया अर्थशः उन विभागों से कुछ-कुछ जुड़ते हैं।^२ कौन-कौन धम्म (धम्म-पलियाय) किन-किन विभागों में आता है, इस पर विद्वानों ने अच्छा प्रकाश डाला है। विस्तारमय से उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

अशोक के भात्रू अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ई० पूर्वं तीसरी शती में त्रिपिटक अपने वर्गीकरण या विभाजन के नामों के साथ प्रायः उसी रूप में विद्यमान थे; जैसा वे आज हैं। सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के लिए तो सुनिश्चित रूप में ऐसा माना ही जा सकता है।

भात्रू-अभिलेख के अतिरिक्त उसके पश्चाद्वर्ती साँचो और भरहुत (ई० पूर्वं दूसरी शती)

१. सूत्रं गेयं व्याकरणं गायोबानावदानकम् ।

इतिवृत्ताकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम् ॥

उपदेशाद्भुतो धर्मो द्वादशाङ्गमिदं वचः ।

—अभिसमयालङ्कार, पृ० ३५, बड़ौदा संस्करण

२. इमानि भन्ते ! धम्मपलियायानि विनयसमुत्तरे, अल्लियवसानि, अनागतमयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिसपत्तिने ए वा लाघुलोवादे मुसावादं अधिगिध्य बुधेन नासिते । एतानि भन्ते धम्मपलियायानि इच्छामि किं ति बहुके भिक्षुपाये वा भिक्षुनिये वा अभिखिनं सुनयु वा उपधात्थेयु वा । हेवं मेना उपासका वा उपासिका वा । एतानि भन्ते ! इमं लिखापयामि अभिपेतं मे जानंतु ति ।

के स्तूप-लेखों में पंचनेकायिक, सुत्तन्तिक और पेटकी आदि शब्द आये हैं। पंचनेकायिक पांच निकायों के, सुत्तन्तिक सुत्त-पिटक के और पेटकी पिटकों के ज्ञाता के अर्थ में प्रयुक्त है। वहां जातकों के कुछ ऐसे दृश्य भी दिखलाये गये हैं, जिनसे पिटकों और निकायों के रूप में बुद्ध वचन के विभाजन की प्रामाणिकता सूचित होती है।

विद्वानों का अभिमत है कि इन अभिलेखों के युग से पहले बुद्ध-वचन का तीन पिटकों और पांच निकायों के रूप में आज की तरह विभाजन निश्चित हो गया था।^१ इन अभिलेखों के अनन्तर मिलिन्द पञ्चों, बुद्धघोष की अट्ठकथाएं, वीपवंस, महावंस आदि में इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है।

चौरासी हजार धर्म-ग्रन्थों के रूप में बुद्ध-वचन के विभाजन का जो एक स्वरूप और चर्चित हुआ है, वह भी बहुत प्राचीन मालूम होता है। थेरगाथा में आनन्द ने कहा कि मुझे चौरासी हजार उपदेशों का ज्ञान है। उनमें से बयासी हजार मैंने भगवान् बुद्ध से और दो हजार सभ से सीखे हैं। आचार्य बुद्धघोष द्वारा समन्तपासादिका में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रथम संगीति में इन (चौरासी हजार धर्म-स्कन्धों) का संगान हुआ था।^२

महावंस का इस सम्बन्ध में एक प्रसंग है, “सम्राट् (अशोक) ने स्थविर मोगलिपुत्त तिस्स से पूछा—“भगवान् बुद्ध द्वारा दिये हुए उपदेश कितने हैं ?” स्थविर ने उत्तर दिया—“धर्म के चौरासी हजार स्कन्ध (भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट) हैं।” सम्राट् ने कहा—“मैं प्रत्येक के लिए विहार बनवाकर उन सबकी पूजा करूंगा।”^३ तदनन्तर सम्राट् ने चौरासी हजार नगरों में विहार बनवाने आरम्भ किये। बौद्ध परम्परा में सम्राट् अशोक द्वारा चौरासी हजार विहार बनवाये जाने की बहुत प्रसिद्धि है।

१. Buddhist India, Royas Devids, P. 167

२. समन्तपासादिका, प्रथम जिल्द, पृ० २९

३. महावंस, ५. ७६. ८०

: ५ :

शिलालेखी प्राकृत

(*Inscriptional Prakritas*)

[अशोक के शिलालेख व उनकी भाषा]

भारत के इतिहास में अशोक का नाम एक ऐसे महान् सम्राट् के रूप में स्मरण किया जाता है, जिसने शस्त्र-बल से ही नहीं, मैत्री, करुणा और सेवा के आदर्शों द्वारा भी बहुत बड़ी विजय—सफलता प्राप्त की। सम्राट् अशोक बौद्ध धर्म का महान् सेवी तो था ही, वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। प्राणि-मात्र के हित में उसे आस्था थी। उस और वह जीवन-भर प्रयत्नशील भी रहा।

अशोक के जीवन, धर्म, व्यवहार, नीति, शासन और व्यवस्था के सम्बन्ध में सबसे बड़ा प्रमाण उसके शिलालेख हैं। उसने विक्षेपतः अपने साम्राज्य के सीमा-स्थानों तथा जन-संख्या-बहुल अन्तर्बर्ती भागों में ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाये।

शिलालेखों की भाषा : महत्व

भारत की प्राचीन भाषा के विश्लेषण तथा अनुसन्धान के सन्दर्भ में इन लेखों का बहुत महत्व है। जिस भाषा में ये लेख लिखे गये हैं, वह अशोक के साम्राज्य में अर्थात् लगभग ई० पूर्वं तीसरी शती में उत्तर भारत में प्रचलित भाषा का एक साहित्यिक या शिष्ट रूप प्रस्तुत करती है। उत्तर भारत से यहां बिन्द्य के उत्तर में स्थित पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत से आशय है। इन अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में पहले विद्वानों का ऐसा अभिमत रहा कि ये पालि भाषा में लिखे हुए हैं। इस सम्बन्ध में उत्तरोत्तर अनुसन्धान एवं गवेषणा चलती रही और अन्ततः विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये अभिलेख वास्तव में प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, जो उस समय यत्किञ्चित् प्रादेशिक भेद के साथ समग्र उत्तर भारत में फैली हुई थी।

शिलालेखों का वर्गीकरण

प्राकृत भाषा के लिपि-बद्ध प्राप्त होने वाले ये अभिलेख सबसे प्राचीन उदाहरण हैं। ये तीन रूपों में मिलते हैं। इनमें से कुछ चट्टानों पर, कुछ गुफाओं की दीवारों पर तथा कुछ स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त (पाकिस्तान) से लेकर बिहार और उड़ीसा तक फैले हुए हैं। समयानुसार ये अभिलेख आठ समूहों में बाँटे जा सकते हैं।

१. दो लघु शिलालेख

ई० पूर्वं २५८ या २५७ के लगभग इनका लेखन हुआ । इनमें से प्रथम शिलालेख कर्नाटक के सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में रूपनाथ तथा दतिया जिले में गुर्जरा ग्राम के निकट, बिहार के शाहाबाद जिले में सहसराम, राजस्थान के जयपुर जिले में वैराठ तथा आन्ध्र में मास्की, गविमथ, पाल्कीगुंड व इरागुड़ी में प्राप्त होता है । सम्भवतः अशोक के राज्य-काल के तेरहवें वर्ष में इसका लेखन हुआ । इस (प्रथम लघु) शिलालेख का अर्थ लगाने में विद्वानों को जितनी कठिनाता का सामना करना पड़ा, वैसे और किसी लेख के सम्बन्ध में नहीं हुआ । सम्राट् अशोक के व्यक्तिगत जीवन का कुछ वृत्तान्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है; अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है ।

द्वितीय लघु शिलालेख केवल उत्तरी कर्नाटक के सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि; इन तीन स्थानों में प्राप्त होता है । इसमें अशोक द्वारा धर्म के व्यावहारिक पक्ष का विवेचन किया गया है ।

२. भाज्रू शिलालेख

ई० पूर्वं २५७ के लगभग उसका लेखन हुआ । यह जयपुर (राजस्थान) जिले के अन्तर्गत वैराठ नामक स्थान में एक पहाड़ी की चट्टान पर प्राप्त हुआ था । कहा जाता है कि वैराठ वही स्थान है, जो महाभारत-काल में मत्स्य देशाधिपति महाराज विराट की राजधानी था, जहाँ पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था । बौद्ध धर्म के इतिहास में इस शिलालेख का बहुत महत्त्व है । इसमें सम्राट् अशोक के बौद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करने का वर्णन है । साथ-ही-साथ बौद्ध धर्म-ग्रन्थों के उन सात स्थलों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सम्राट् अशोक इस योग्य मानता था कि भिक्षु और भिक्षुणियां तथा उपासक व उपासिकाएँ उनका अनुशीलन करें, उन पर विशेष ध्यान दें । वे सातों स्थल बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में यथावत् रूप में प्राप्त हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि अशोक ने जब यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, तब वह सम्भवतः वैराठ स्थित किसी संघा-शाला में प्रवास करता था ।

३. चतुर्दश शिलालेख

ई० पूर्वं २५७ या २५६ के आस-पास ये शिलालेख लिखवाये गये थे । ये आठ भिन्न-भिन्न स्थानों में प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं :

१. शाहबाजगढ़ी (पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व में स्थित)

२. मानसेरा (जिला हजारा—पाकिस्तान)
३. कालसी (मंसूरी से लगभग १५ मील पश्चिम की ओर स्थित जिला देहरादून, उत्तरप्रदेश)
४. गिरनार (जूनागढ़ के समीप, गुजरात)
५. सोपारा (जिला थाना, महाराष्ट्र)
६. धोली (जिला कटक, उड़ीसा)
७. जोगढ़ (गंजाम, तमिलनाडु)
८. इरागुडी (आन्ध्र)

धर्म, नीति, मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा, सार्वजनिक कार्य, राजा के कर्तव्य, राजा की महानता के आधार, प्रादेशिक अधिकारियों के कर्तव्य, जन-साधारण से सम्पर्क, धार्मिक सहिष्णुता, वास्तविक कीर्ति, वास्तविक दान, कलिंग-विजय, उसके कारण, युद्ध के प्रति घृणा, भेदी-घोष के स्थान पर धर्म-घोष द्वारा देशों की विजय प्रभृति विषयों पर इन शिलालेखों में अशोक के विचार, आदेश आदि उल्लिखित हैं ।

४. दो कलिंग - शिलालेख

ई० पूर्व २५६ में इनका लेखन हुआ था । ये लेख धोली और जोगढ़ में प्राप्त हुए हैं । इन दोनों लेखों का सम्बन्ध नव-विजित कलिंग देश के शासन से है । इनमें सम्राट् अशोक द्वारा अपने अधिकारियों को दिये गये उन आदेशों का उल्लेख है, जिनमें कलिंग देश और उसकी सीमा पर बसने वाली जंगली जातियों पर किस प्रकार शासन किया जाना चाहिए । ये लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । वस्तुतः ये दोनों लेख धोली और जोगढ़ के चतुर्दश शिलालेखों के परिशिष्ट के समान हैं । चतुर्दश शिलालेखों के लिखे जाने के पश्चात् ये उनमें जोड़े गये थे ।

५. तान मुहा-लेख

गया (बिहार) की समीपवर्ती बराबर की पहाड़ियों में ये प्राप्त हुए हैं । ये लेख अशोक के राज्य-काल के १३वें और २०वें वर्ष अर्थात् ई० पूर्व २५७ और २५० में उत्कीर्ण कइवाये गये थे । इनमें उल्लेख किया गया है कि राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के बाव्ह वर्ष पश्चात् ये गुफाएँ आजीवकों को प्रदान कीं । बुद्ध और महावीर के समय में भ्रमण-परम्परा के अन्तर्गत आजीवक भी एक सम्प्रदाय था । उसके भिक्षु निर्बन्ध रहते थे । मंसलि गोशाल उस सम्प्रदाय के अधिनायक थे । सम्राट् अशोक स्वयं बौद्ध था, पर, अन्य

सम्प्रदायों के प्रति भी उसका आदर था। धार्मिक सहिष्णुता का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आजीवक-सम्प्रदाय के प्रति सम्राट् अशोक के आकर्षण का एक और कारण भी सम्भावित जान पड़ता है। महावंश सतिका में उल्लेख है कि अशोक की माता धर्मा थी। वह मौर्यवंशोत्पन्न थी। वह बिन्दुसार की अग्रमहिषी या पटरानी थी। उसका पितृ-कुल आजीवक-सम्प्रदाय का अनुयायी था। उनके धर्माचार्य का नाम जनसेन था। यह रानी भी अपनी पैतृक परम्परा के अनुसार आजीवक-सम्प्रदाय में श्रद्धा रखती थी। डा० राधाकुमुद भुक्जो का कथन है कि सम्भवतः इसी कारण अशोक का आजीवकों के प्रति भुकाव रहा हो। विद्यावदान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी लिखा है। उसे एक ब्राह्मण-कन्या बतलाया है। जो भी हो, अशोक द्वारा आजीवकों को गुफा-दान किये जाने के प्रसंग का उसकी माता के आजीवक-सम्प्रदाय की अनुयायिनी होने से जोड़ा जाना अधिक संमत नहीं लगता। शष्ठ स्तम्भ लेख में अशोक द्वारा सत्त्व पासंडा में पूजिता जो कहा गया है, वह उसकी सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति उदारतापूर्ण नीति और आदर का स्पष्ट परिचायक है।

६. तराई के दो स्तम्भ-लेख

नेपाल की तराई में रुम्मिनदेई तथा निग्लीव या निग्लीवा नामक गांव में ये लेख प्राप्त हुए हैं। इनका समय ई० पू० २५० माना जाता है। यद्यपि कलेवर में ये लेख बहुत छोटे हैं, पर, कई ऐसे कारण हैं, जिनसे इनका महत्व बढ़ जाता है। इन लेखों से निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। रुम्मिनदेई के लेख से लुम्बिनी वन का पता चल जाता है, जहां सद्योगत ने जन्म ग्रहण किया था। बौद्ध इतिहास में इस स्थान का विशेष महत्व है। निग्लीव का लेख यह प्रकट करता है कि सम्राट् अशोक की भक्ति गौतम बुद्ध के प्रति तो थी ही, पूर्व काल के बुद्धों के प्रति भी थी। साथ-ही-साथ ये लेख व्यक्त करते हैं कि नेपाल की तराई तक अशोक की साम्राज्य-सीमा थी।

७. सप्त स्तम्भ-लेख

ई० पू० २४३ से २४२ इनका समय माना जाता है। ये लेख टोपारा (हस्तिना में अम्बाला के निकट), मेरठ (उत्तर प्रदेश), कौशाम्बी (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), राम-पुरवा (चम्पाण, बिहार), लौसीया (अरराज, बिहार), लौसीया (मन्दनगढ़, बिहार) तथा आरा (बिहार) में प्राप्त हुए हैं।

टोपारा और मेरठ स्थिति स्तम्भों को फिरोज शाह दिल्ली उठवा लाया था, जो इस समय वहीं हैं। कौशाम्बी के लेख वाला स्तम्भ इस समय इलाहाबाद के किले में है। वह

कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। लगभग तीस वर्ष तक राज्य करने के बाद सम्राट् अशोक ने अपने जीवन के अन्तिम भाग में ये स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण करवाये थे। जिन विषयों का चतुर्दश शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, प्रायः उन्हीं का इन स्तम्भ लेखों में शब्दान्तर से वर्णन है। एक प्रकार से ये चतुर्दश शिलालेखों के परिशिष्ट कहे जा सकते हैं। इन स्तम्भ-लेखों में उन उपायों तथा व्यवस्थाओं का उल्लेख है, जिन्हें अशोक ने अपने सुदीर्घ शासन-काल में धर्म-प्रसार के हेतु व्यवहृत किया था। इन लेखों में अशोक की धार्मिक नीति, नैतिक आदर्श, राज्याधिकारियों के कर्तव्य, अहिंसा की सार्वजनिक तथा व्यापक क्रिया-विवृति के निमित्त वर्ष के अन्तर्गत कुछ दिनों के लिए विभिन्न पशुओं का वध न करने के सम्बन्ध में आदेश आदि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

५. लघु स्तम्भ-लेख

ऐसा समझा जाता है कि इनका उत्कीर्णन ई० पूर्वं २४८ से ई० पू० २३२ के मध्य हुआ। ये सारनाथ (वाराणसी के समीप, उत्तर प्रदेश) में प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी का स्तम्भ-लेख उसी स्तम्भ पर खुदा हुआ है, जो इलाहाबाद के किले में स्थित है।

तीनों स्तम्भ-लेखों में कहा गया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे, उन्हें संघ से पृथक् कर दिया जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट् अशोक के समय बौद्ध धर्म-संघ में बढ़ते जा रहे वैमनस्य, विद्वेष या फूट को रोकने के लिए जो ब्रह्मा हुई थी, उसमें किये गये निश्चयों को प्रसारित करने की दृष्टि से ये लेख लिखवाये गये। सम्राट् अशोक धर्म-संघ की फूट को रोकने के लिए कितना चिन्तित और जागरूक था, इससे यह प्रकट होता है।

इलाहाबाद के किले में स्थित स्तम्भ पर एक लेख और है, जो बानी के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक की द्वितीय-पत्नी का नाम कारुवाकी था, जो राजकुमार तीक्ष्ण की माता थी। इस लेख में बानी कारुवाकी की दानशीलता का उल्लेख है।

अशोक के शिलालेखों का यह संक्षिप्त परिचय है। प्रस्तुत प्रयोजन शिला-लेखों की भाषा का विश्लेषण है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले उनका स्थान-भेद तथा भाषा-भेद की दृष्टि से विभाजन किया जाये। इस अपेक्षा से ये शिलालेख उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, पूर्व-दक्षिण, मध्य देश और दक्षिण; स्थूल रूप से इन छः भागों में बाँटे जा सकते हैं। अशोक ने ये लेख अपनी राज-भाषा में लिखवाये। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पूर्व भारत में थी। उसकी राज-भाषा पूर्वीय प्राकृत थी। राज-भाषा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा शिष्टत्व की ओर झुकी रहती है। दूसरे शब्दों में वह बोलचाल की भाषा से कुछ परिभाजित होती है; अतः अशोक के काल में पूर्व भारत में जो भाषा बोलचाल में प्रयुक्त थी,

की राज-भाषा उससे कुछ भिन्न, कुछ परिनिष्ठित रूप लिये हुए थी। यद्यपि राज-भाषा का क्षेत्र समस्त राज्य होता है। राज्य-सम्बन्धी कार्यों में उसका उपयोग सर्वत्र होता है। बोल-चाल में प्रादेशिक भेदों के अनुसार उसमें कुछ-कुछ भिन्नता रहती है। सम्राट् अशोक ने जो शिलालेख लिखवाये, वहाँ उनका दृष्टिकोण था कि जहाँ-जहाँ राज-भाषा को लोग समझ सकते हों, वहाँ उसी में आदेशों व विचारों का उत्कीर्ण हो; ताकि जन-जन उन शिक्षाओं तथा भावनाओं से अवगत हो सके।

अशोक के वे शिलालेख, जो पूर्व भारत में हैं, उसी भाषा में हैं, जिसका उसके राज्य-कार्यों में प्रचलन था। मध्यदेश में भी उस भाषा को समझने में अमुविधा नहीं थी। बोल-चाल में वहाँ कुछ नगण्य भिन्नता अवश्य थी। इस प्रकार गंगा-यमुना की घाटियों से लेकर महानदी तक के शिलालेखों की भाषा लगभग समान है। जहाँ-तहाँ कुछ भेद है, पर, वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

अशोक का राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था। उसमें ऐसे भाग भी थे, जहाँ अशोक की राज-भाषा अर्थात् पूर्व की भाषा लोगों द्वारा सुगमता से नहीं समझी जा सकती थी। वहाँ की भाषा भिन्न थी। ऐसे स्थानों पर जो शिलालेख लिखवाये गये, इस बात का ध्यान रखा गया कि उनमें वही भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसे वहाँ के निवासी जन-साधारण सरलतापूर्वक हृदयंगम कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि उन-उन स्थानों की प्रादेशिक बोलियों से शिलालेखों की भाषा अत्यधिक प्रभावित हुई। यह तथ्य उत्तर-पश्चिम के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा के शिलालेखों से स्पष्ट है। यहाँ की तथा पूर्व व अन्य स्थानों के शिलालेखों की भाषा में सूक्ष्म दृष्ट्या रहे हुए अन्तर की विवेचना आगे की जायेगी।

गिरनार सौराष्ट्र (गुजरात) में स्थित है। वहाँ की बोलचाल की भाषा पूर्व की भाषा से अपेक्षाकृत भिन्न थी। गिरनार के शिलालेख की भाषा पूर्व के शिलालेखों की भाषा से कुछ भिन्न होना स्वाभाविक ही है। उस पर मध्यदेश की बोलचाल की भाषा का कुछ प्रभाव अवश्य है, जो उसमें प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है।

दक्षिण-भाषा-परिवार की भाषाओं के बाह्य का क्षेत्र है। अशोक के समय में भी यहाँ लगभग उसी प्रकार द्रविड़-परिवार की भाषाओं का प्रचलन था, जैसा आज है। इतना अवश्य है, वे द्रविड़ परिवारीय भाषाएँ आज की (द्रविड़-परिवारीय) भाषाओं की पूर्वजा थीं। भाषा-परिवारीय भिन्नता के कारण ही दक्षिण के शिलालेखों की भाषा स्थानीय भाषा से अप्रभावित रही। वहाँ के लेखों की भाषा में पूर्व की भाषा से जो थोड़ी-बहुत भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह पश्चिम का प्रभाव है। यही कारण है कि दक्षिण के शिलालेखों की बेदाठ, साँची और रुपनाथ के लेखों से यत्किञ्चित् समानता दृष्टिगत होती है।

उन (दक्षिण के) शिलालेखों में भाषा की दृष्टि से और कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है ।

शिलालेखों की भाषा : तुलनात्मक विवेचन

अशोक के शिलालेखों में चतुर्दश शिलालेख भौगोलिक दृष्टि से ऐसे भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, उदाहरणार्थ, साहबाज़गढ़ी जहाँ दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है, वहाँ घौली दूर पूर्व-दक्षिण में । इसी प्रकार कालसी जहाँ हिमाद्रि के अंचल में उत्तर में स्थित है, वहाँ जोगड़ दूर दक्षिणापथ में ।

चतुर्दश शिलालेखों की भाषा में स्थूलदृष्ट्या तीन रूप प्राप्त होते हैं — उत्तर-पश्चिम का, पूर्व व मध्य देश का तथा पश्चिम का । साहबाज़गढ़ी और मानसेरा के शिलालेख एक विशेष भाषा-रूप को लिये हुए हैं, जो ईरान आदि पश्चिम के देशों में प्रचलित आर्य-परिवारीय भाषाओं से प्रभावित और संस्कृत के अधिक निकट है । गिरमाश का शिलालेख पश्चिम भारत की भाषा से विशेष प्रभावित है । इनके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों की भाषा इनसे कुछ भिन्न रूप लिये हुए है, जो अशोक की राज-भाषा के निकट का रूप है ।

साहबाज़गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख जिस भू-भाग में स्थित हैं, सम्भवतः सम्राट् अशोक के साम्राज्य की वह उत्तर-पश्चिमी सीमा थी । वह प्राकृतों का मूल था । इस उत्तर-पश्चिमी भू-भाग में कोई एक प्राकृत प्रचलित थी, जो पूर्व की प्राकृत से अपेक्षाकृत विशेष भिन्न थी । कहीं की भी जन-भाषा पार्श्ववर्ती देशों या प्रदेशों की भाषा से सदा प्रभावित रहती है । क्योंकि उसे बोलने वाले लोगों का सम्बन्ध, व्यवहार पास-पड़ोस के लोगों से निरन्तर प्रति रहता है । इसीलिए उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में बोली जाने वाली भाषा पर पश्चिम देश की भाषा का प्रभाव स्वाभाविक था । वह चीनी तुर्किस्तान के अन्तर्गत निय नामक स्थान पर मिले अभिलेखों की प्राकृत से, जिसे निय प्राकृत कहा जाता है तथा खेतान में मिले प्राकृत-धम्मपद की भाषा के अधिक निकट है ।

अशोक के अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में परिपूर्ण विवरण या विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ गवेषणीय है, पर जितना जो कहा जा सकता है, तदनुसार अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं :

१. उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में ऋकार का विकास रि और रु के रूप में दो प्रकार से दृष्टिगोचर होता है । जैसे, साहबाज़गढ़ी के अभिलेखों में मृगः का ऋगो^१ तथा मानसेरा के

१. मृगो सो पि ऋगो नो ध्रुवं ।

अभिलेखों में मिगे^१ रूप प्राप्त होता है। कहीं-कहीं ऋकार रकार में भी परिवर्तित हुआ है।

गिरनार के अभिलेख में ऋगो या मिगे के स्थान पर मगो^२ रूप प्राप्त होता है। इससे प्रकट है कि उस ओर ऋकार का विकास अकार में होने की प्रवृत्ति थी।

कालसी और जोगढ़ के अभिलेखों में मृगः के लिए मिगे^३ रूप प्राप्त होता है। ये अभिलेख प्रायः पूर्व की भाषा के अनुरूप हैं। पूर्व में ऋ का विकास इ में होने की प्रवृत्ति रही है।

शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों में रकार के प्रभाव से उसका अनुगामी तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित दृष्टिगोचर होता है। जैसे, वृद्धेषु के लिए वहां बुद्धेषु^४ प्रयोग है, जब कि मानसेरा के अभिलेखों में वृद्धेषु के लिए बुद्धेषु^५ प्रयुक्त हुआ है।

सभी शिलालेखों में तालव्य वर्णों के मूर्धन्य वर्णों में परिवर्तित होने की नियामकता नहीं दिखाई देती। उदाहरणार्थ, द्वितीय शिलालेख में औषधानि के लिए गिरनार में औसुडानि कालसी में औसुधानि, जोगढ़ में औसधानि, शाहबाजगढ़ी में औषुडानि तथा मानसेरा में औषडिनि का प्रयोग हुआ है।^६ चतुर्थ शिलालेख में वर्धितः के लिए सर्वत्र वदितो या वदिते

१. एके मिगे से पि च मिगे नो ध्रुवं ।

(एकः मृगः सः अपि च मृगः न ध्रुवः ।)

—प्रथम शिलालेख

२. एके मिगे से पि च मिगे नो ध्रुवे ।

३. एके मिगे से पि च मिगे नो ध्रुवं ।

४. बुद्धेषु हित सुखये धमयुतस अपलिबोधे वपट.....

५. बुद्धेषु हिवं सुखये धमयुत अपलिबोधये वियपुट.....

(...वृद्धेषु हितसुखाय धर्मयुक्तस्य अपरिबाधाय व्यापृताः...)

—पंचम शिलालेख

६. गिरनार—औसुडानि च यानि मनुसोपगानि च ।

कालसी—औसधानि मुनिसोपगानि चा..... ।

जोगढ़—औसधानि आनि मुनिसोपगानि.....

शाहबाजगढ़ी—औषुडानि मनुसोपकानि मनुसोपकानि..... ।

मानसेरा—औषडिनि.....

(औषधानि मनुष्योपगानि च..... ।)

प्रयुक्त हुआ है ।^१

उत्तर-पश्चिमी शिलालेखों में तालम्ब श मूर्धन्य व तथा दन्त्य स प्रायः पद्यावत् रूप में प्राप्त होते हैं । जैसे, बोधं, समजस, प्रिय-द्रशि,^२ अनुदिवस, प्रणशतसहस्रनि, अरमियिसु^३, पशोपकानि, नस्ति, सन्नत्र^४ आदि ।

शाहबाजगढ़ी के अभिलेख में इसका अपवाद भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है । उदाहरणार्थ, द्वितीय शिलालेख में मनुष्य-चिकित्सा के लिए मनुशचिकिस तथा मनुष्योपगानि के लिए मनुशोपकानि^५ रूप प्राप्त होते हैं ।

शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेखों में र् के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में एक विशेष क्रम दिखाई देता है । रेफ अपने से पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती वर्ण में मिल जाता है ।

१. गिरनार — अतिक्रंतं अंतरं बहूनि वाससतानि बह्वितो एवं प्राणारंभो.... ।
 कालसी — अतिक्रंतं अंतलं बहूनि वाससतानि बह्विते व पानालंभे..... ।
 घौली — अतिक्रंतं अंतलं बहूनि वाससतानि बह्विते व पानालंभे..... ।
 जोगढ़ — अतिक्रंतं अंतलं बहूनि वाससतानि बह्विते व पानालंभे..... ।
 शाहबाजगढ़ी — अतिक्रंतं अंतरं बहूनि ववशतानि बह्वितो व प्रणरंभो.... ।
 मानसेरा — अतिक्रंतं अंतरं बहूनि वव-शनि बह्विते व प्रणरंभे..... ।
 (अतिक्रान्तमन्तरं बहूनि वर्षशतानि वर्धित एव प्राणालम्भः... ।)

२. बहुकहि बोधं समजस देवन प्रियो प्रियद्रशि रघ वसति ।
 (बहुकान् हि बोधान् समाजस्थ देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा पश्यति ।)
 —प्रथम शिलालेख

३. अनुदिवसो बहूनि प्रणशतसहस्रनि अरमियिसु.... ।
 (....अनुदिवसं बहूनि प्राणशतसहस्राणि आरुपसत्....)
 —प्रथम शिलालेख

४. पशोपकानि च यत्र-यत्र नस्ति-सन्नत्र हरोपित च.... ।
 (....पशुपगानि च यत्र यत्र न सन्ति सर्वत्र हारितानि च.... ।)
 —द्वितीय शिलालेख

५. प्रियद्रशिस रजो बुबि चिकिस किट मनुशचिकिस पशुचिकिस च ।
 औषुढानि मनुशोपकानि ।
 (प्रियदर्शिनः राज्ञो चिकित्से कृते मनुष्यचिकित्सा च पशुचिकित्सा च । औषधानि मनुष्योपगानि..... ।)

जैसे, धर्म-लिपि के लिये धर्मदिपि^१, सर्वत्र^२ के लिए सन्नत्र तथा प्रियवर्शिनः के लिए प्रियव्रशिस^३ प्रभृति रूप पाये जाते हैं। यकार के स्थान-परिवर्तन की ऐसी प्रवृत्ति अन्यत्र दृष्टि-गोचर नहीं होती।

जिन संयुक्त व्यंजनों के अन्त में यकार होता है, उस (यकार) का लोप हो जाता है। यह प्रवृत्ति उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, वहां कल्याण के लिए कलण^४ तथा कर्तव्य के लिए कटव^५ आया है। यकार-लोप की यह स्थिति अधिकांशतः शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों में प्राप्त होती है। मानसेरा के अभिलेखों में इससे भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। जैसे, बारहवें और पहले शिलालेख में शाहबाजगढ़ी में जहां कल्याण के लिए कलण और कर्तव्य के लिए कटव आया है, मानसेरा में कयण^६ और कटविय^७ का प्रयोग हुआ है।

उत्तर-पश्चिमी अभिलेखों में जिन व्यंजनों में र मिला रहा होता है, वे व्यंजन प्रायः

१. (अ) यं धर्मदिपि देवन प्रियस—रजो लिखपितु।

(इयं धर्मलिपिः देवानां प्रियेण राज्ञा लेखिता ।)

—प्रथम शिलालेख

२. सन्नत्र विजिते देवनं प्रियस प्रियव्रशिस ये च अंतः....।

(सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य प्रियवर्शिनः....ये च अन्ताः.... ।)

—द्वितीय शिलालेख

३. पुर महनसि देवनं प्रियस प्रियव्रशिस रजो....।

(पुरा महानसे देवानां प्रियस्य प्रियवर्शिनः राज्ञः)

—प्रथम शिलालेख

४. एवं हि देवनं प्रियस इच्छ किंति सन्न प्रषड बहुभुत च कलण वतवो.... ।

(एवं हि देवानां प्रियस्य इच्छा किमिति सर्वपाषण्डाः बहुभुताः च कल्याणवन्तः.... ।)

—द्वादश शिलालेख

५. हिब नो किचि जिबे आरमित प्रयुहोतविये । नो पि च समज कटव ।

(इह न कश्चित् जीवः आलभ्य प्रहोतव्यः । नापि च समाजः कर्तव्यः ।)

—प्रथम शिलालेख

६. एवं हि देवनं प्रियस इच्छ किंति सन्न पषड बहुभुत च कयण तविये.... ।

७. हिब नो कि चि जिबे आरमित प्रयुहोतविये नोपि च समज कटविय ।

यथावत् बने रहते हैं । जैसे, प्रज^१, ब्रमण, भ्रमण^२ इत्यादि । कहीं-कहीं अपवाद स्वरूप (द्वयर्थ के लिए) बियट^३ जैसे रूप भी मिलते हैं ।

जिन संयुक्त व्यंजनों में ल् मिला रहता है, उनमें ल् का प्रायः लोप हो जाता है । विशेषतः यह प्रवृत्ति उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में प्राप्त होती है । अन्य शिलालेखों में ऐसा नहीं पाया जाता । इसके अनुसार कल्प के लिए कप^४ तथा अल्प के लिए अप^५ जैसे प्रयोग प्राप्त होते हैं ।

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में क्ष के लिए छ का प्रयोग पाया जाता है । जैसे, मोछये^६, छमितविय, छमनये^७ ।

१. तथं च मे प्रज अनुवटतु ।

(....तथा च मे प्रजा अनुवर्तन्ताम्)

—पंचम शिलालेख

२ (क) मित्रसंस्तुत जतिकनं च ब्रमणभ्रमणनं....।

(मित्रसंस्तुत ज्ञानीनां च ब्राह्मणभ्रमणानां....।)

—तृतीय शिलालेख

(ख) तत्र हि वसन्ति ब्रमण व भ्रमण व....।

(तत्र हि वसन्ति ब्राह्मणा वा भ्रमणा वा.... ।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. त्रयोदश शिलालेख

४. इमं अवकप धर्मे शिले च तिस्तिति धर्मं अनुशशिशंति ।

(इदं यावत् कल्पं धर्मे शिले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति ।)

—चतुर्थ शिलालेख (शाह०)

५. अपवयत अपमंडत साधु ।

(अल्पवयता अल्पमाण्डता साधु ।)

—तृतीय शिलालेख

६ मौछये इयं अनुबधं.... ।

(....मोक्षाय च एवमनुबन्धं.... ।)

—पंचम शिलालेख

७ (क) यो पि च अपकरोय ति छमितवियमते वो देवनं प्रियस थं शको छमनये ।

(योऽपि च अपकरोति क्षन्तव्यमत एव देवानां प्रियस्य यः शक्यः क्षमनाय ।)

(ख) इच्छति हि देवनं प्रियो सबभुतन अछति....।

(इच्छति हि देवानां प्रियः सर्वभूतानामक्षति....।)

—त्रयोदश शिलालेख

उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त क्ष के लिए ख के प्रयोग की प्रवृत्ति प्रायः सभी शिलालेखों में प्राप्त होती है। कहीं-कहीं उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में भी क्ष के लिए ख प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के दशम शिलालेख में क्षुद्रकेन^१ के लिए क्षुद्रकेन^१ का प्रयोग हुआ है।

उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में क्ष के लिए प्रायः ज् का प्रयोग हुआ है। जैसे, रज्जो^२ तिकनं^३।

अन्यान्य शिलालेखों में ज् और न्, दोनों प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में भी न् व्याया है, पर, बहुत कम। उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में न्य के लिए भी प्रायः ज् का प्रयोग हुआ है। जैसे अज्नि^४, अजे^५ इत्यादि। मानसेरा में क्वचित् न्य के लिए ण^६ भी प्राप्त होता है। अन्यान्य अभिलेखों में प्रायः न्य के स्थान पर न प्राप्त होता है। गिरनार में भी मिलता है।

१. बुक्करं तु खो एवे क्षुद्रकेन वप्पेन उसटेन व ... ।

(बुक्करं तु खलु एतत् क्षुद्रकेन वर्गेण उशता) ।

—शाहबाजगढ़ी, दशम शिलालेख

२. अयं धम्मदिपि देवन प्रिअस रज्जो लिखयितु ।

(इयं धर्मलिपिः देवानां प्रियेण राज्ञा लेखिता)

—शाहबाजगढ़ी, प्रथम शिलालेख

३. मित्रसंस्तुतजतिकनं श्रमणन्नमणनं दनं प्रणनं अनरंमो ।

(..... मित्रसंस्तुतजातिकानां श्रमणब्राह्मणानां दानं प्राणानामनार्लभः)

—शाहबाजगढ़ी, एकादश शिलालेख

४. अज्जनि च दिवनि रूपनि व्रशयितुजनस ।

(..... अन्यानि च दिव्यानि रूपाणि दर्शयित्वा जनस्य ।)

—शाहबाजगढ़ी, चतुर्थ शिलालेख

५. एवे अजे च बहुविधे धम्मवरणे वध्धिते ।

(एतत् अन्यत् च बहुविधं धर्मचरणं वर्द्धितम् ।)

—मानसेरा, चतुर्थ शिलालेख

६. इमये धम्मनुशस्तिथे यथं अणये पिकमने ।

(अस्मै धर्मानुशिष्ट्यै यथा अन्यस्मै अपि कर्मणे ।)

—मानसेरा, तृतीय शिलालेख

पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में दन्त्य और मूर्धन्य वर्णों की नियतता दृष्टिगोचर नहीं होती । जैसे, चतुर्थ शिलालेख (शाहबाजगढ़ी) में तिष्ठति के लिये तिस्तिति ओर श्रेष्ठम् के लिए खेठ^१ प्रयुक्त हुआ है । अर्थात् एक ही स्थान पर दन्त्य और मूर्धन्य दोनों प्राप्त होते हैं ।

उत्तर-पश्चिम के अभिलेखों में कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं, जिनमें र का लोप दृष्टिगोचर होता है । जैसे, षष्ठ शिलालेख में कृतम् के लिए किट^२ रूप प्राप्त होता है । वास्तव में इन शिलालेखों की प्रयोग-परम्परा के अनुसार कृत का क्रिट होना चाहिए; जैसा कि पूर्वोत्प्लेख हुआ है, ऋकार का विकास इन शिलालेखों में रि, रु और कहीं-कहीं र के रूप में देखा जाता है । पूर्व के शिलालेखों में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है । वहाँ ऋकार, इकार उकार या अकार में परिवर्तित दृष्टिगोचर होता है । पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में क्रिट के स्थान पर किट जैसे प्रयोग (अर्थात् रकार का लोप) की प्रवृत्ति पूर्व से आई हुई प्रतीत होती है ।

उत्तर-पश्चिम के अभिलेखों में आकार को अकार में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है । जैसे, चिकित्सा के लिए चिकिस^३, यथा के लिए यथ^४ तथा

१. धमे शिले च तिस्तिति धमं अनुशशिशंति । एत हि खेठं क्रमं यं धमनुशशनं धम-
वरणं पि च ।

(.....धर्मे शिले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति । एतत् हि श्रेष्ठं कर्म यत् धर्मानु-
शासनम्)

—शाहबाजगढ़ी, चतुर्थ शिलालेख

२. तं मय एवं किटं सत्रं कलं..... ।)

(तत् मया एवं कृतं सर्वं कालं..... ।)

—शाहबाजगढ़ी, षष्ठ शिलालेख

३. प्रियद्रशिस रजो दुवि चिकिस किट मनुशचिकिस पशुचिकिस च ।

(प्रियदर्शिनः राज्ञः द्वि चिकित्से कृते मनुष्यचिकित्सा च पशुचिकित्सा च ।)

—शाहबाजगढ़ी, द्वितीय शिलालेख

४. इमिम धमनुशस्ति यथ अ ये पि क्रमये ।

(—अस्ये धर्मानुशिष्ट्यै यथा अन्यस्मै अपि कर्मणे ।)

—शाहबाजगढ़ी, तृतीय शिलालेख

के लिए तच्च^१, अधुना के लिए अधुन, पश्चात् के लिए पछ, तीव्र के लिए तिच्च^२ तथा अपराधेन के लिए अपरधेन^३ जैसे प्रयोग हुए हैं ।

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में अकारान्त नामों के प्रथमा एकवचन में ओ तथा ए दोनों मिलते हैं । वहाँ कोई निश्चित नियामकता दृष्टिगोचर नहीं होती ।

गिरनार के शिलालेख में ओ का प्रयोग अधिक हुआ है, जबकि धौली, जौगढ़ तथा कालसी के शिलालेखों में ए अधिक प्रयुक्त हुआ है ।^४

गिरनार के शिलालेखों में राजा के लिए अधिकांशतः राजा का प्रयोग हुआ है तथा कालसी, धौली और जौगढ़ के शिलालेखों में प्रायः राजा के लिए लाजा^५ आया है । शौरसेनी में र का परिवर्तन नहीं होता, जब कि मागधी में र ल में बदल जाता है ।

१. सौ च पुन तथ करतं बढतरं उपहंति अतप्रषडं ।

(..... सच्च पुनः तथा कुर्वन् वाढतरमुपहन्ति आत्मपाषण्डे ।)

—शाहबाजगढ़ी, द्वादश शिलालेख

२. ततो पछ अधुन लघेषु कलिगेषु तित्रे धमलन.....।

(ततः पश्चात् अधुना लघ्वेषु कलिगेषु तीव्रं धर्मपालने..... ।)

—शाहबाजगढ़ी, त्रयोदश शिलालेख

३. संक्षेपकरण व अलोचेति विपिकरस व अपरधेन ।

(.....संक्षेपकारणं वा आलोचयतु लिपिकरापराधेन वा)

—शाहबाजगढ़ी, चतुर्दश शिलालेख

४. देवानं प्रियो पियवसि राजा एवं आह ।—गिरनार, तृतीय शिलालेख

देवानं पिये पियवसि राजा हेवं आहा ।—कालसी

देवानं पिये विहवसि लाजा हेवं आहा ।—धौली

देवानं पिये पियवसो लाजा हेवं आहा ।—जौगढ़

देवानं प्रियो प्रियव्रशि रज अहति ।—शाहबाजगढ़ी

देवानं प्रिये प्रियव्रशि रज एव अह ।—मानसेरा

(देवानं प्रियः प्रियव्रशीं राजा एवमाह ।)

५. देवानं पि.....पियवसि राजा एवं आह ।—बछ शिलालेख, गिरनार

देवानं पिये पियवसि लाजा हेवं आहा ।—कालसी

देवानं पिये पियवसो लाजा हेवं आहा ।—धौली

.....नं पिये पियवसो लाजा हेवं आहा ।—जौगढ़

शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों में रज और रय दोनों रूप मिलते हैं । इसी प्रकार की स्थिति मानसेरा के शिलालेखों में है । इस सम्बन्ध में दोनों ही स्थानों में कोई नियामकता नहीं दिखलाई देती ।^१

मानसेरा के चतुर्थ शिलालेख में राज्ञः के लिए रजिने का प्रयोग हुआ है, जबकि शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में र का प्रयोग हुआ है ।^२ पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रायः ज के लिए ज का प्रयोग ही मिलता है ।

शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेखों में तु के लिए प्रायः चु का प्रयोग हुआ है । गिरनार के लेखों में ऐसा नहीं है । वहां तु यथावत् रहा है, पर, कालसी, धौली और जोगढ़ में उत्तर-पश्चिम की तरह चु ही दृष्टिगोचर होता है ।

सप्तम शिलालेख में तु के लिए गिरनार में तु, कालसी में चु, धौली में च, जोगढ़ में च,

१. देवनं प्रियो प्रियदर्शि रय एवं अहति ।—शाहबाजगढ़ी
देवनं प्रिये प्रियद्रशि रज एवं अह ।—मानसेरा
(देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा एवमाह ।)

२. तदिशे अज वदिते देवनं प्रियस प्रियद्रशिने रजो ध्रंमनुशस्तिय अनरंभो प्रणनं....।

—शाहबाजगढ़ी, चतुर्थ शिलालेख

तदिशे अज वदिते देवनं प्रियस प्रियद्रशिने रजिने ध्रंमनुशस्तिय अनरंभे प्रणनं....।

—मानसेरा

(.....तादृशममघवर्द्धितः देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः धर्मानुशिष्ट्या अनलंभः प्राणामाम्)

३. यो तु एत देसं पि हापेसति सो दुकटं कासति ।

—गिरनार, पंचम शिलालेख

ए चु हेता देसं पि हापयिसंति से दुकटं कछति ।—कालसी

ए.....हेत देसं पि हापयिसंति से दुकटं कछति ।—धौली

यो चु अतो.....पि हयेशति सो दुकटं कषति ।—शाहबाजगढ़ी

ये चु अत्र देश पि हपेशति से दुकट कषति ।—मानसेरा

(ये तु अत्र देशमपि हापयिष्यन्ति ते दुष्कृतं करिष्यन्ति ।)

शाहबाजगढ़ी में बु और मानसेरा में बु आया है ।^१ धौली और जौगढ़ में जो च प्रयुक्त हुआ है, उसका कोई कारण दिखाई नहीं देता । सम्भवतः लिपि-दोष से ऐसा हुआ हो । धौली और जौगढ़ के शिलालेख में, जैसा कि टिप्पणी में उद्धृत किया गया है, जनों या जने के बदले मुनिसा का प्रयोग हुआ है, जो मनुष्य का प्राकृत रूप है । इन शिलालेखों में तु के प्रसंग में ही प्रायः त के लिए च का प्रयोग मिलता है, अन्यत्र नहीं । पर, चतुर्थ शिलालेख में कालसी और धौली में तिष्ठन्तः के लिए चिठितु^२ का प्रयोग हुआ है । शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेखों में लिपि के लिए प्रायः रिपि^३ शब्द का प्रयोग हुआ है । अन्यत्र प्रायः सभी स्थानों पर लिपि या लिपी शब्द आया है ।

१. जनो तु का उच्चावचछंदो उच्चावचरागो । —गिरनार

जने च उच्चावचछंदे उच्चावचलागे । —कालसी

मुनिसा च उच्चावचछंदो उच्चावचलाग । —धौली

मुनिसा च उच्चवचछंदो उच्चावचलागा । —जौगढ़

जनो च उच्चवचछंदो उच्चवचरागो । —शाहबाजगढ़ी

जने च उच्चवचछंदे उच्चवचरागे । —मानसेरा

(जन : तु उच्चावचछन्दः उच्चावचरागः ।)

२. धंसि सिलसि चा चिठितु धमं अनुसासिसंति । —कालसी

धंसि सीलसि च चिठितु धमं अनुसासिसंति । —धौली

(धर्म शीले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति ।)

३. (क) (अ) यं धमदिपि देवन प्रियअत्त.....रओ लिखपितु ।

—शाहबाजगढ़ी, प्रथम शिलालेख

अयि धमदिपि (दे) वन (प्रि) येन (प्रिय) द (शिन) रन (लि) खपित ।

—मानसेरा

(इयं धर्मलिपि : देवानां प्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता ।)

(ख) एतये अठये अयं धमदिपि दिपिस्त.....

एतये अग्रये अयि धमदिपि लिखित.....

—मानसेरा

(एतस्मै अर्थाय इयं धर्मलिपिः लिखिता..... ।)

(ग) अयो धमदिपि देवनं प्रियेन प्रिशिन रओ दिपपितो ।

—शाहबाजगढ़ी, चतुर्थ शिलालेख

(इयं धर्मलिपिः देवानां प्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता ।)

इन अभिलेखों में सप्तमी विभक्ति के लिए मिह, सि और ए; तीनों प्रत्यय प्राप्त होते हैं । गिरनार में मिह, कालसी, धौली आदि में सि तथा शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में ए का प्रयोग प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ, चतुर्थ शिलालेख में सप्तमी के शीले रूप के लिए गिरनार में सोलमिह^१, कालसी में सिलसि^२, धौली में सीलसि^३, शाहबाजगढ़ी^४ तथा मानसेरा^५ में शिले रूप प्राप्त होते हैं ।

अभिलेखों की भाषा : कुछ सामान्य तथ्य

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों के अतिरिक्त प्रायः सभी शिलालेखों में तालव्य श, मूर्धन्य ष और दन्त्य स के स्थान पर दन्त्य सकार का ही प्रयोग हुआ है । कालसी के शिलालेख में तालव्य श और मूर्धन्य ष भी मिलता है । कालसी के प्रथम नौ शिलालेखों में तो तालव्य श और मूर्धन्य ष के स्थान पर दन्त्य स प्राप्त होता है, पर, उनके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों में अधिकांशतः मूर्धन्य ष तथा क्वचित् तालव्य श प्राप्त होता है ।

प्रियदर्शी के लिए पियदशी, यशः के लिए यषो,^६ धर्म-शुश्रूषा के लिए धंसुसुषा,

१. धममिह सोलमिह तिरइंतौ धम अनुसासिसंति ।

—गिरनार, चतुर्थ शिलालेख

२. धमसि सिलसि चा चिठितु धमं अनुसासिसंति । —कालसी

३. धम (सि) सीलसि च (चिठि) तु धमं अनुसासिसंति ।

—धौली

४. धमे शिले च तिस्तिति धमं अनुशशिशंति ।.....

—शाहबाजगढ़ी

५. धमे शिले च तिस्तितु धमं अनुशशिशंति ।

—मानसेरा

(धर्मे शीले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति ।)

६. देवानं पिये पियदषो लाजा यषो वा किति वा न महाथावहा मनति ।

(देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा यशः वा कोर्ति वा न महार्थवहं मन्यते ।)

—दशम शिलालेख

शुश्रूषताम् के लिए सुसुषातु^१ सर्वम् के लिए खवं^२, अपपरिस्त्रवः के लिए अपपलाषवे, स्यात् इति के लिए धियातिति^३, एषाः के लिए ऐषे^४, उशता के लिए उषुटेन^५, ईदृशम् के लिए हेडिषे, यादृशम् के लिए आदिषं^६, धर्मसंविभागः के लिए धर्मसंविभागे, धर्मसम्बन्ध के लिए धर्मसंबन्धे^७, दाषभट (त) कपि, सम्यक् प्रतिपत्ति के लिए सम्यापटिपति, शुश्रूषा के लिए खुषुषा^८, संस्तुत

१. धमसुसुषा सुसुषातु मे ति धमवत्तं वा अनुविधीयतुति ।

(..... धर्मशुश्रूषां शुश्रूषतां सम इति धर्मव्रतमनुविधिसामिति ।)

—दशम शिलालेख

२. त खवं पालतिकयाये वा..... ।

(.....तत् सर्वं पारत्रिकाय एव..... ।)

—दशम शिलालेख

३. किति सकले अपपलाषवे धियातिति ।

(किमिति सकलः अपपरिस्त्रवः स्यात् इति ।)

—दशम शिलालेख

४. ऐषे च पलिसवे ए अपुनै ।

(एष तु परिस्त्रवः यत् अपुण्यम् ।)

—दशम शिलालेख

५. उषुटेन वा अनत अगेना पलकमैना खवं पलितिबितु ।

(..... उशता वा अन्यत्र अग्रयात् पराक्रमात् सर्वं परित्यज्य ।)

—दशम शिलालेख

६. नथि हेडिषे दाने आदिषं धमदाने..... ।

(..... नास्ति ईदृशं दानं यादृशं धर्मदानं..... ।)

—एकादश शिलालेख

७. धमसं विभागे, धमसंबन्धे..... ।

(..... धर्मसंविभागः धर्मसम्बन्धः वा ।)

—एकादश शिलालेख

८. तत ऐष दाषभटकपि सम्यापटिपति मातापितिषु खुषुषा..... ।

(तत्र इदं भवति—दासभृतकेषु सम्यक् प्रतिपत्तिः, मातापित्रौः शुश्रूषा

—एकादश शिलालेख

के लिए बंधु^१, स्वामिना के लिए षवामिक्खेन^२, सः के लिए शे^३, प्रसूते के लिए पशवति^४, पाषण्डान् के लिए पाषण्डनि^५, सारवृद्धि के लिए शालवद्धि, स्यात् के लिए शिया, सर्वपाषण्डानाम् के लिए शवपाशंडानं^६, तस्य के लिए तश^७, अप्रकरण के लिए अपकलनशि, तस्मिन् के लिए तशि, प्रकरण के लिए पकलनशि^८, साधु के लिए बाधु, अन्योन्यस्य के लिए

१. मितथं धुतनातिक्रानं समनबंभनानं दाने।

(....मित्रसंस्तुत जातिकानां श्रमणब्राह्मणानां दानं.....।)

—एकादश शिलालेख

२. पितिता पि पुते पि भातिला पि षवामिक्खेन पि.....।

(पित्रापि पुत्रेणापि भ्रात्रापि स्वामिना पि.....।)

—एकादश शिलालेख

३. शे तथाकलंत हिदलोकिक्खे च आलधे होति ।

(स तथा कुर्वन् एहलौकिकं च आराद्धा भवति ।

—एकादश शिलालेख

४. पल्लत च अनंत पुंन पशवति तेना धंमदानेना ।

.....परत्र च अनन्तं पुण्यं प्रसूते तेन धर्मदानेन ।)

—एकादश शिलालेख

५. देवाना पिये पियदधि लाजा षवा पाषण्डनि.....।

(देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा सर्वान् पाषण्डान्.....।)

—द्वादश शिलालेख

६. अवा कित शालवद्धि शिया ति शवपाशंडानं.....।

(.....यथा किमिति सारवृद्धिः स्यात् सर्वपाषण्डानाम् ।)

—द्वादश शिलालेख

७. तश च्चु इयं मुले अ वचगुति.....।

(तस्य तु इदं मूलं या वचोगुति.....।)

—द्वादश शिलालेख

८. किति त अत्तपाशंडे पुजा पल्लपाशंडगलहा व नो शया अपकलनशि । सहका वा शिया तशि तशि पकलनशि ।

(.....किमितिआत्मपाषण्डे पूजा परपाषण्डगर्हा वा न स्यात् अप्रकरणे । लघुता वा स्यात् तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे ।)

—द्वादश शिलालेख

अनमनषा^१, शृणुयुः के लिए षुनेयु, शुश्रूषेरन् के लिए षुषुषेयु, देवानां प्रियस्य के लिए देवानं प्रियषा, अष्टवर्षाभिषिक्तस्य के लिए अष्टवर्षाभिसितषा^२, प्राणशतसहस्रम् के लिए पानषतसहस्रे^३, लब्धेषु के लिए लब्धेषु^४, धर्मानुशिष्टिः के लिए धर्मानुषधि^५, तत् के लिए त्वं, अनुशयः के लिए अनुषये^६, जनस्य के लिए जनषा^७, वसन्ति के लिए वषति^८, येषु

१. समवाये व वाधु किति अनमनषा धमं षुनेयु चा षुषुषेयु चा ति । हैवं हि देवानं प्रियषा इच्छा.....।

(समवायः एव साधुः, किमिति अन्योन्यस्य धर्मशृणुमुः च शुश्रूषेरन् च इति । एवं हि देवानां प्रियस्त इच्छा.....।

—द्वादश शिलालेख

२. अष्टवर्षाभिसितषा देवानं प्रियष प्रियदपिने लाजिने.....।

(अष्टवर्षाभिषिक्तस्य देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. दियढमाते पानषतषहस्रे ये तफा अपवृढे.....।

(द्व्यर्धमात्रं प्राणशतसहस्रं यत् ततः अपवृद्धं.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

४. तता पक्षा अधुना लब्धेषु कलिग्येषु तिघ्रे.....।

(ततः पश्चात् अधुना लब्धेषु कलिग्येषु तीघ्रे.....।

—त्रयोदश शिलालेख

५. धमवाये धमकामना धमानुषथि चा देवानं प्रियषा.....।

(धर्मपालनं धर्मकामता धर्मानुशिष्टिः च देवानां प्रियस्य.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

६. वे अथि अनुषये देवानं प्रियषा विजिनिनु कलिग्यानि ।

(तत् अस्ति अनुशयः देवानां प्रियस्य विजित्य कलिग्यान् ।

—त्रयोदश शिलालेख

७. तता वधं वा मलने वा अपवहे वा जनषा.....।

(.....तत्र वधः वा मरणं वा अपवाहः वा जनस्य.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

८. वषति धमना व धम (ना) व.....।

(.....वसन्ति ब्राह्मणाः वा श्रमणाः वा.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

के लिए येशु^१, मित्रसंस्तुतसहायज्ञातिकेषु के लिए मित्रशंथुतषहायनातिकेषु, दासमृत
केषु के लिए दाशमतकषि^२, तेषाम् के लिए तेषं,^३ स्नेहः के लिए खिनेहे, व्यसनं के लिए
वियवने^४, धमणेषु के लिए धमने,^५ मनुष्याणां के लिए मनुषानं, एकतरस्मिन् के लिए
एकतलषि, प्रसादः के लिए पसादे^६, शतभागः के लिए षते भागे, सहस्रभागः के लिए षहस्रभागे^७,
संयमम् के लिए षयमं, समचर्या के लिए षमचलियं^८, अलिकसुन्दरः के लिए

१. येशु विहिता एष अगमुत पुमुषा..... ।

(.....येषु विहिता एषा अग्रयभूतशुश्रूषा—।)

—त्रयोदश शिलालेख

२. मित्रशंथुतषहायमातिकेषु दाशमतकषि षम्यापठिपत्ति..... ।

(.....मित्रसंस्तुतसहायज्ञातिकेषु दासमृतकेषु सम्यक् प्रतिपत्ति:.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. तेषं तता होति उपघाते वा वधे वा..... ।

(तेषां तत्र भवति उपघातः वा वधः वा ।)

—त्रयोदश शिलालेख

४. खिनेहे अविपहिने एतानं मित्रशंथुतषहायनातिकष वियवने..... ।

.....स्नेहः अविप्रहीणः एतेषां मित्रसंस्तुतसहायज्ञातिकाः व्यसनं ।)

—त्रयोदश शिलालेख

५. यता नथि इमे निकाया आनन्ता येनेष बंहुने चा धमने चा..... ।

(.....यत्र न सन्ति इमे निकाया अनन्ताः, ब्राह्मणेषु च धमणेषु च.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

६. यता नथि मनुषानं एकतलषि वि पाषडषि नौ नामपसादे ।

(.....यत्र नास्ति मनुष्याणामैकतरस्मिन् अपि पाषण्डे नाम प्रसादः.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

७. तता षते भागे वा षहस्रभागे वा अज गुलुमते वा देवानं प्रियषा ।

(.....ततः शतभागः वा सहस्रभागः वा गुरुमत एव देवानां प्रियस्य ।)

—त्रयोदश शिलालेख

८. षयमं षमचलियं मदव ति ।

(.....संयमं समचर्या मार्दवमिति ।)

—त्रयोदश शिलालेख

अलिक्यपुदलो^१, विशवज्जिषु के लिए विशवधि, नामपत्तिषु के लिए नामपत्तिषु^२ भोजपित्तनिकेषु के लिए भोजपित्तनिकेषु, आन्ध्रपुल्लिन्देषु के लिए आन्ध्रपुल्लिन्देषु, सर्वत्र के लिए षवता, धर्मानुशिष्टि के लिए धर्मानुषधि^३, मन्येरन् के लिए मनिषु^४, शराकर्षिणः के लिए षयकषि, विजये के लिए विजयधि^५ लेखयिष्यामि के लिए लेखापेशामि^६ तस्य के लिए तवा, अर्थस्य के लिए अयषा^७, स्यात् के लिए धिया^८, संक्षेपकारण के लिए

१. अलिक्यपुदले नाम निचं चौड पंडिया अवं तं वपनिया ।

(.....अलिकमुन्दरः नाम नीचाः चौडाः पाण्ड्याः यावत् तान्नपणियाः ।

—त्रयोदश शिलालेख

२. विशवधि यौनकंबौजेषु नामके नामपत्तिषु।

(.....विषवज्जिषु यवनकांबौजै नामकेषु नामपत्तिषु।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. भोजपित्तनिकेषु अधपल्लेषु षवता देवानं प्रियषा धर्मानुषधि अनुवर्तन्ति ।

(.....भोजपित्तनिकेषु आन्ध्रपुल्लिन्देषु सर्वत्र देवानां प्रियस्य धर्मानुशिष्टिमनुवर्तन्ते ।)

—त्रयोदश शिलालेख

४. नवं विजय म विजयंतविय मनिषु ।

(.....नवं विजयं मा विजतेष्यं मन्येरन् ।)

—त्रयोदश शिलालेख

५. षयकषि नो विजयधि खंति चालहुदंडता चा लोचेतु।

(.....शराकर्षिणः विजये क्षान्ति च लघुदण्डतां च रोक्षयन्तां।)

—त्रयोदश शिलालेख

६. बहु च लिखिते लेखापेशामि चैव नित्यं ।

(.....बहु च लिखितं लेखयिष्यामि चैव नित्यम् ।)

—चतुर्दश शिलालेख

७. पुन पुन लपि तवा तवा अथववा मधुलियाये येन जने तथा पटिपजेया ।

(पुनः पुनः लपितं तस्य तस्य अर्थस्य मधुययि येन जना तथा प्रतिपयेत ।

—चतुर्दश शिलालेख

८. वे धिया अत किच्छि असमति लिखिते ।

(यत् स्यात् अब किंचित् असमाप्तं लिखितं ।)

—चतुर्दश शिलालेख

संक्षेपकालनं^१ का प्रयोग हुआ है ।

षकार और शकार के इस प्रकार उच्छृंखल प्रयोग की स्थिति कैसे बनी, यह विचारणीय है । अन्य किन्हीं भी अभिलेखों में ऐसी स्थिति प्राप्य नहीं है । लगता है, यह स्थिति लिपि-दोष जैसे किसी कारण से हुई हो; क्योंकि कालसी के अभिलेखों में श और ष का जो प्रयोग मिलता है, वह व्यवस्थित और नियमित नहीं है और न ही उसकी संस्कृत के श और ष के साथ कोई संगति जुड़ती है । उद्धृत अंशों से यह भी स्पष्ट है कि कहीं-कहीं एक ही शब्द में दो भिन्न स्थानों पर तालव्य शकार भी आया है और मूर्धन्य षकार भी ।

क्या यहां यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि मंसूरी के पास हिमालय के अंचल में अवस्थित कालसी के समीपवर्ती क्षेत्र में सम्राट् अशोक के समय जो बोली प्रचलित थी, उसमें बोलने वालों की प्रवृत्ति के कारण सम्भवतः षकार का प्रयोग बहुत अधिक होता रहा होगा, शकार का उससे कम तथा सकार का बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं ? क्या इसी कारण सम्राट् अशोक ने वहां के अभिलेखों में षकार और शकार का प्रयोग उसी परिमाण में करवाया हो ? एक ही शब्द में दो भिन्न स्थानों पर जो भिन्न-भिन्न मूर्धन्य ष भी और तालव्य श भी मिलते हैं, उनके लिए भी समाधान खोजा जा सकता है । हो सकता है, उन लोगों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रचलन रहा हो, जिनमें मूर्धन्य ष और तालव्य श दोनों प्रयुक्त होते रहे हों । केवल लिपि-दोष जैसे किसी बाह्य कारण से ऐसा हो गया हो, यह समाधान-कारक नहीं लगता ।

कालसी और टोपरा के अभिलेखों में एक विशेषता और प्राप्त होती है । वहां कण्ठ्य क और ग का तालव्यीकरण हो जाता है । यह प्रवृत्ति क में अधिक प्राप्त होती है । तालव्यीकरण का आशय यह है कि वहां अपेक्षाकृत क मा ग य से युक्त हो जाते हैं । जैसे, अलि कके लिये अलिव्य, कलिग के लिए कलिव्य, ज्ञातिक के लिए तातिव्य, पारत्रिक के लिए पालतिव्य जैसे प्रयोग कालसी के अभिलेखों में हुए हैं । टोपरा के अभिलेखों में भी इनके उदाहरण प्राप्त होते हैं ।

पूर्व के अभिलेखों में तालव्य श क्यों नहीं ?

पूर्व के अभिलेख अशोक की राज-भाषा में बिना किसी परिवर्तन के उत्कीर्ण करवाये गये थे; क्योंकि वह भाषा वहां सुज्ञेय थी । यह भी चर्चित हुआ है कि अशोक की राज-भाषा का मुख्य आधार मागधी थी । मागधी में मूर्धन्य ष, तालव्य श और दन्त्य स; तीनों के लिए

१. संक्षेप कालनं वा अलोक्षयितु लिपिकल्पसाधेन ।

(.....संक्षेपकारणं वा आलोक्षयितु लिपिकरापराधेन ।)

—चतुर्दश शिलालेख

केवल तालव्य शकार का ही प्रयोग प्रचलित था। यह परवर्ती मागधी नहीं है, प्राचीन मागधी में भी ऐसा ही था, जो जोगीमारा—रामगढ़ के अभिलेख^१ से भी प्रकट है। यह एक छोटा-सा अभिलेख, है पर, भाषा की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। यह लगभग सम्राट् अशोक का समकालीन है। इसमें मागधी के प्रायः सभी लक्षण घटित होते हैं। यहाँ र के लिए ल का प्रयोग हुआ है। क का तालव्यीकरण हुआ है। अकारान्त प्रथमा एक वचन में ए प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। सबसे अधिक विशेषता यह है कि इसमें श और स के लिए श का प्रयोग हुआ है।

मागधी में शकार-प्रधान प्रवृत्ति रही है। अश्वघोष के नाटक इसके उदाहरण हैं। उनमें मागधी का भी प्रयोग हुआ है। प्रो० ल्यूड्स ने अश्वघोष के नाटकों की मागधी को प्राचीन मागधी बताया है।

इस सन्दर्भ में आश्चर्यजनक यह है कि सम्राट् अशोक के पूर्व के अभिलेखों में शकार का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। तालव्य श के लिए वहाँ दन्त्य स प्राप्त होता है। मागधी-आधृत राज-भाषा में मागधी का मुख्य लक्षण घटित होना चाहिए था। तदनुसार वहाँ तालव्य, मूर्धन्य और दन्त्य सकारों के लिए तालव्य शकार ही आना चाहिए था। ऐसा न होने का कोई कारण अवश्य होना चाहिए। सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने एक कल्पना की है। तदनुसार मागधी का मुख्य लक्षण होने के उपरान्त भी शकार का प्रयोग शिष्ट-सम्मत नहीं गिना जाता रहा होगा। उसे ग्राम्योचित समझा जाता रहा होगा। ग्राम्याध्य प्राकृतों में सर्वत्र बहु-प्रचलित दन्त्य सकार की अधिक शिष्ट-सम्मतता रही होगी। इसलिए हो सकता है कि तालव्य शकार अशोक के पूर्व के अभिलेखों में स्थान न पा सका हो। इस सम्बन्ध में यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाता है, तो वर्ण-विशेष की शिष्ट-सम्मतता और ग्राम्य-सम्मतता का कोई तत्कालीन मापदण्ड तो सामने नहीं आता, पर, डा० चटर्जी की कल्पना असार्थक भी नहीं लगती। क्योंकि आगे चल कर नाटकों में प्राकृतों के प्रयोग की जो व्यवस्था हुई, उसमें मागधी का प्रयोग उच्च पात्रों के लिए नहीं बताया गया। उपलब्ध नाटकों में अश्वघोष के नाटक सबसे प्राचीन हैं। उनके एक नाटक का खल पात्र, जो दुष्ट नाम से अभिहित है, मागधी का व्यवहार करता है। यद्यपि अश्वघोष के नाटक सम्राट् अशोक के अभिलेखों और जोगीमारा—रामगढ़ के अभिलेख से तीन-चार शताब्दी बाद के हैं, फिर भी उनसे तुलनीय हैं। क्योंकि कोई भी साहित्यिक भाषा अपने प्राचीन स्तर से शीघ्र मुक्त नहीं

१. शुतनुक नाम देवदशिक्षि

तं कमयिथ बलनशेये

देवदिने नाम सुपवसे

हो सकती । उसमें उस (प्राचीन स्तर) की झलक विद्यमान रहती है । अश्वघोष की मागधी ओगीमाशा—रामगढ़ के अभिलेख से मेल खाती है । अश्वघोष के दुष्ट नामक पात्र द्वारा जिस मागधी का प्रयोग हुआ है, वहाँ दन्त्य सकार और तालव्य शकार के लिए केवल तालव्य शकार ही प्रयुक्त हुआ है । र के लिए वहाँ ल आया है । अकारान्त प्रथमा एक वचन के लिए वहाँ ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है । ये प्राचीन मागधी के लक्षण हैं, जो अश्वघोष की मागधी में घटित होते हैं । इतना अवश्य है, उत्तरवर्ती मागधी के लक्षणों से अश्वघोष की मागधी किसी अंश में कम मेल खाती है । इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष की मागधी प्राचीन मागधी के अनुरूप है ।

आचार्य भरत ने नाटक में प्राकृतों के प्रयोग का जो विधान किया है, तदनुसार राजाओं के अन्तःपुर में रहने वालों, सुरंग खोदने वालों—सैन्य लगाने वालों, कलाशों—शराब निकासने वालों, घोड़ों की देखभाल करने वालों को नाटक में मागधी का प्रयोग करना चाहिए । नाटक का नायक यदि संकट में पड़ जाये तो वह भी अपने को बचाये रखने के लिए मागधी का व्यवहार करे ।^१

आचार्य भरत ने जिन पात्रों के मागधी-भाषी होने का विधान किया है, स्पष्ट है, वे निम्न कोटि के पात्र हैं । नायक उच्च कुलीन होता है । आपत् में उसे अपने आपको छिपाये रखना होता है । अपनी भाषा से वह पहचाना जा सकता है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अथम जनो द्वारा व्यवहृत भाषा का प्रयोग करे । इससे अपने आपको बचाये रखने में उसे सहयोग मिलता है ।

डा० चटर्जी के कथन का उपर्युक्त तथ्य पोषण करते हैं । प्राचीन काल में मागधी के प्रति अथवा तालव्य शकार जैसे उसके किसी अंग-विशेष के प्रति ग्राम्यता, असुन्दरता या अप्राप्तता का भाव रहा हो, यह कल्पनातीत नहीं लगता । अश्वघोष द्वारा मागधी के व्यवहार और भरत द्वारा मागधी के व्यवहार के सम्बन्ध में किये गये विधान से जो झलक मिलती है, वह इसी ओर इंगित करती है ।

यह भी सम्भाव्य प्रतीत होता है कि मागधी की अनुब्रता का विशेष सम्बन्ध तालव्य

१. मागधी तु नरेन्द्राणामस्तः पुरनिवासिनाम् ।

—नाट्यशास्त्र, १७.५०

सुरंगाखनकादीनां शुण्डकाराश्चरक्षिणाम् ।

व्यसने नायकानां स्यादात्मरक्षासु मागधी ॥

—नाट्यशास्त्र, १७.५६

शकार के प्रयोग के साथ कल्पित कर लिया गया हो। सामान्यतः यदि आज भी दन्त्य श और तालव्य श की उच्चारण-सम्बन्धी सरसता-असरसता (सुन्दरता-असुन्दरता) पर गौर किया जाये, तो तालव्य श का बार-बार उच्चारण करना कुछ अप्रिय-सा लगता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है, दन्त्य शकार के विशेष अभ्यस्त हों। पूर्व के अभिलेखों में तालव्य शकार के अप्रयुक्त रहने के सम्बन्ध में डा० चटर्जी के निरूपण से बहुत कुछ समाधान प्राप्त हो जाता है।

पूर्व के अभिलेखों में स्वार्थक क का प्रयोग अधिक प्राप्त है। कालसी और टोपरा के अभिलेखों में इसका प्रयोग और अधिक बढ़ा हुआ मिलता है।

संयुक्त श्रृंजन में त और व के पश्चात् जो य आता है, वह (य) इस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, चतुर्दश शिलालेखों में प्रहोतव्यः के लिए कालसी में पजोहितविये का प्रयोग हुआ है। जोगड़ में भी पजोहितविये ही आया है। मानसेरा में प्रयुहोतविये व्यवहृत हुआ है। गिरनार और शाहबाजगढ़ी में यह परम्परा घटित नहीं देखती। गिरनार में प्रजुहितविव आया है, जिसका कोई ओर-छोर नहीं मिलता। शाहबाजगढ़ी में प्रयुहोतवे का प्रयोग हुआ है, जो संस्कृत के अधिक निकट है। इसी शिलालेख में कर्तव्यः के लिए कालसी में कटविये, जोगड़ में भी कटविये तथा मानसेरा में कटविय आया है।

चतुर्दश शिलालेखों के अन्तर्गत तृतीय शिलालेख में अल्पव्ययता के लिए कालसी में अपविधाता तथा धोली में अपवियति का प्रयोग हुआ है। अर्थात् त् और व् के अन्तर्गत आने वाले य के इस में परिवर्तित होने की परम्परा यहाँ घटित होती है। पर, गिरनार, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में एतदनुसूयता दृष्टिगत नहीं होती। गिरनार में अपव्ययता का प्रयोग हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि इस समस्त-पद में व्ययता ज्यों-का-त्यों रह गया है और अल्प का अप हो गया है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अपवयत का प्रयोग हुआ है। मास्की के प्रथम लघु शिलालेख में द्रष्टव्यम् के लिए दक्षितविये तथा वक्तव्यः के लिए वत्तविया का प्रयोग^१ हुआ है।

संयुक्त श्रृंजनों में श्रृंजन का अनुगमन करने वाले वकार का उव में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम शिलालेख में द्वौ के लिए कालसी में दुवे, जोगड़ में दुवे, मानसेरा में दुवे तथा शाहबाजगढ़ी में दुवि का प्रयोग हुआ है। यहाँ वकार के उव में परिवर्तित होने की बात तो

१. न हेवं दक्षितवीये उडालके व इम अधि गद्देया ति । खुदके च उडालके च वत्तविया.....।

(न एवं द्रष्टव्यमुदारा एव इम मधिगच्छेयुः इति । क्षुद्रकाः च उवारकाः च वक्तव्याः..... ।)

—मास्की, प्रथम लघु शिलालेख

घटित होती है, पर, व के साथ जुड़े स्वरों में वैभिन्न्य है, जो इन शिलालेखों के सन्दर्भ में असम्भाव्य नहीं है। क्योंकि इन शिलालेखों में किसी भी प्रकार की नियामकता या परम्परा में सर्वथा इत्थंभूतता प्राप्त नहीं होती।

चतुर्थ शिलालेख में द्वादशवर्षाभिषिक्तेन पद के अन्तर्वर्ती द्वादश शब्द के लिए कालसी में बुवाडस, धौली में बुवावस तथा मानसेरा में बुवदश का प्रयोग हुआ है। साहवाजगढ़ी के अभिलेखों में यह शब्द स्पष्ट नहीं है। गिरनार में द्वादस आया है। प्रथम शिलालेख में आये द्वौ के लिए भी गिरनार में द्वौ आया है। तात्पर्य यह है कि गिरनार में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। दो (गिरनार में उत्कीर्ण) रूप संस्कृत के बहुत निकट हैं या संस्कृत जैसे हैं। इसका कारण ऐसा प्रतीत होता है कि गिरनार के अभिलेख की भाषा शौरसेनी प्राकृत का विशेष रूप से अनुसरण करती हुई है। गिरनार शौरसेनी के क्षेत्र में आता है। शौरसेनी का संस्कृत से निकट्य होने के कारण उसके कुछ रूप संस्कृत के समान ही प्राप्त होते हैं।

नवम शिलालेख में स्वामिकेन के लिए कालसी में सुविमिकेना, धौली में सुवामिकेन तथा जोगड़ में भी सुवामिकेन का प्रयोग हुआ है। इनमें व के उव में परिवर्तित होने की परम्परा घटित होती है। गिरनार में स्वामिकेन आया है, जो संस्कृत रूप का अनुगामी है। साहवाजगढ़ी और मानसेरा में स्पमिकेन शब्द प्राप्त होता है। यहाँ सम्भवतः लिपि की अस्पष्टता भी हो सकती है।

सप्त स्तम्भ लेखों में प्रथम स्तम्भ लेख में स्वस्मिन् के लिए सुवे' का प्रयोग हुआ है। टोपरा, इलाहाबाद, लौडिया अरराज तथा लौडिया नन्दनगढ़ में यह शब्द समान रूप में प्रयुक्त हुआ है। मेरठ और रामपुरवा के अभिलेख में यह पंक्ति अस्पष्ट है।

चतुर्थ स्तम्भ लेख में इस सम्बन्ध में भिन्न स्थिति प्राप्त होती है। वहाँ स्वस्याः के लिए

१. धंमापेखा धंमकामता च सुवे सुवे वडिता.....

—टोपरा, प्रथम स्तम्भ लेख

धंमापेखा धंमकामता च सुवे सुवे वडिता.....

—इलाहाबाद, प्रथम स्तम्भ-लेख

धंमापेख धंमकामता च सुवे सुवे वडिता.....

—लौडिया अरराज, प्रथम स्तम्भ लेख

धंमापेख धंमकामता च सुवे सुवे वडित.....।

—लौडिया नन्दनगढ़, प्रथम स्तम्भ लेख

(.....धमपेक्षा धर्मकामता च स्वस्मिन् स्वस्मिन् वर्धिता.....)

अस्वथ^१ शब्द का प्रयोग हुआ है। यह विचित्र स्थिति प्रतीत होती है। ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण नहीं बताया जा सकता। क्या यह सम्भावना करना असंगत होगा कि जिन स्थानों में ये अभिलेख लिखवाये गये, वहाँ दो प्रकार के उच्चारण रहे हों, जिनमें एक में ऐसे शब्दों के प्रारम्भ में उच्चारण सुक्यता के लिए अकार को जोड़ने की प्रवृत्ति चलती हो। स्पष्ट रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कहना मात्र है।

सम्राट् अशोक के तीन गुहालेखों में प्रथम तथा द्वितीय में द्वावस शब्द के लिये दुवाडस^२ का प्रयोग हुआ है। किसी शब्द के अन्तर्वर्ती त्व पर उक्त नियम लागू नहीं होता। वही त्व का त्व हो जाता है। जैसे, चत्वारि > चत्तालि। स्म और षम के लिये फ का प्रयोग भी अभिलेखों में प्राप्त होता है। जैसे, द्वितीय कलिंग शिलालेख में युष्मासु के लिये तुफेसु,^३

१. किति लज्जका अस्वथ अभीता कमानि पवतयेवू।

—टोपरा, चतुर्थ स्तम्भ लेख

.....किति लज्जक अस्वथ अभीत कमानि पवतयेवू.....।

—लौड़िया अरराज, चतुर्थ स्तम्भ लेख

.... किति लज्जक अस्वथ अभीत कमानि पवतयेवू.....।

—लौड़िया नन्दनगढ़, चतुर्थ स्तम्भ लेख

(.... किमित रज्जुकाः स्वस्थाः अभीता कर्माणि प्रवर्तयेयुः..... ।)

२. लाजिना पियवसिना दुवाडस (वसामिसितेना) इयं (निगो) ह कुभा बि (ना) आ-
(जी-) विकेहि ।

(राजा प्रियदर्शिना द्वादशवर्षाभिषिक्तेन इयं न्यग्रोध-गुहा दत्ता आजीवकेभ्यः ।)

—प्रथम गुहालेख

लाजिना पियवसिना दुवाडसवसामिसितेना इयं कुभा खलतिक पवतसि दिना (आ-)
जीविकेहि ।

(राजा प्रियदर्शिना द्वादशवर्षाभिषिक्तेन इयं गुहा खलतिक-पर्वते दत्ता आजीवकेभ्यः ।)

—द्वितीय गुहालेख

३. एतस अथस अं तुफेसु अनुस (थि) ।

—झौगढ

एतसि उठसि अं तुफे (सु).....।

—धौली

(.....एतस्य अर्थस्य यत् युष्मासु अनुसिष्टिः)

अस्मासु के लिये अफेसु,^१ अस्माकम् के लिए अफाक^२, युष्मान् के लिये तुफेनि और तुफे^३ तथा प्रथम कलिंग शिलालेख में युस्माभिः के लिये तुफेहि^४ का प्रयोग हुआ है।

सारनाथ के लघु स्तम्भ लेख में युस्माकम् के लिये तुफाकं^५ का प्रयोग हुआ है। सारनाथ के इस लेख से एक विशेष तथ्य पर और प्रकाश पड़ता है। वहाँ ध्यम् के लिए भी (टिप्पणी में उद्धृत पंक्ति में) तुफे का प्रयोग हुआ है। इससे यह प्रकट होता है कि ध्य या स्म जहाँ प्रत्यक्ष तो नहीं होते, पर, जिनका अन्तःस्थित रूप या मूल शब्द उस प्रकार का है, वहाँ

१. सिथा अंतानं अबिजितानं किं छंदे सु लाजा अफेसु ति ।

—जोगद

सिथा अंतानं अबिजितानं किं छंद सुलाज (अ) फेस.....।

—धौली

(स्थात् अन्तानामबिजितानां किं छन्दः असौ राजा अस्मासु इति ।)

२. हेव पापुनेवू ति खमिससि ने देवानं पिये अफाकं ... ।

(एवं च प्राप्नुयुः इति क्षमिष्यते नः देवानां प्रियः अस्माकम् ... ।)

—धौली

३. एताये च अठाये हकं तुफेनि अनुसासामि ।

—जोगद

एतसि अठसि हकं अनुसासामि तुफे ।

—धौली

(एतस्मै च अर्थाय अहं युष्मान् अनुशास्मि ।)

—द्वितीय कलिंग, शिलालेख

४. तत तुफेहि इच्छितये किंति मभं पटिपादयेम ।

—जोगद

तत इच्छितबिये तुफेहि किंति मभं पटिपादयेम ति ।

—धौली

(ततः एष्टव्यं युष्मानिः किमिति मध्यं प्रतिपादयेम ति ।)

—प्रथम कलिंग, शिलालेख

५. आवतके च तुफाकं आहाले सवत विवासयाच तुफे एतेन विर्यंजनेन ।

(वावत् च युष्माक माहारः सर्वत्र विवासयत् युष्मतेन व्यंजनेन ।)

—लघु स्तम्भ लेख, सारनाथ

भी यह प्रवृत्ति प्राप्ता होती है ।

यद्यपि सप्तमी विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय स्मिन् में भी स्म है, पर, वहाँ स्म के फ में परिवर्तित होने की परम्परा नहीं है । गिरनार के अतिरिक्त प्रायः सभी अभिलेखों में स्मिन् के लिए सि का प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ, ब्रह्मगिरि के प्रथम लघु शिलालेख में जंबु-द्वीपसि,^१ भाङ्गू शिलालेख में बुधसि, धंमसि, संघसि,^२ सांची के स्तम्भलेख में अनाससि^३, चतुर्दश शिलालेखों के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख, कालसी, जौगढ़, शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा में महानससि^४ तथा टोपरा (दिल्ली) के सप्तम स्तम्भ लेख में दानविसगसि, सघसि,

१. इमिना तु कालेन अमिसा समाना मुनिसा जंबुद्वीपसि ।

(अमुना तु कालेन अमृषा समानाः मनुष्याः जम्बूद्वीपे मृषा देवैः ।)

—ब्रह्मगिरि, प्रथम लघु शिलालेख

२. विदित वे भंते आवतके हमा बुधसि धंमसि संघसीति गलवे च पसादे च ।

(विदितं वो भदन्ताः ! यावत् अस्माकं बुद्धे धर्मे संघे इति गौरवं च प्रसादः च ।)

३. ये संघं सोखति भिक्षु वा भिक्षुनि वा औदातानि कुसानि सन्धापयितु अनाससि विसयेतविये ।

(यः संघं नश्यति भिक्षुः वा भिक्षुणी वा अवदातानि कूष्याणि संनिधाप्य अनावासे आवासयितव्यः ।)

४. पुले महानससि देवानं प्रियसा प्रियदसिता लाजिने ; अनुदिवसं बहुनि पानसहसानि आलभियिसु..... ।

—कालसी

पुत्रुवं महानससि देवानं प्रियस प्रियदसिने लाजिने अनुदिवसं बहुनि पानसतसहसानि आलभियिसु..... ।

—जौगढ़

पुर महानससि देवानं प्रियस प्रियदशिस रजो अनुदिवसो बहुनि प्रणशतसहस्रानि अरभियिसु ।

—शाहबाजगढ़ी

पुर महानससि देवानं पि.....स प्रिय.....शिस रजिने अनुदिवः बहुनि प्रणशतसहस्रानि अर.....सु..... ।

—मानसेरा

(पुरा महानसे देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राजः अनुदिवसं बहुनि प्राणशतसहस्राणि आरुपसत..... ।)

आलोधनसि^१ आदि का प्रयोग हुआ है ।

द्वितीय कलिय शिलालेख में क्षणे के लिए धोली में खनसि^२ और जोगद में खने^३ का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार चतुर्दश शिलालेखों के अन्तर्गत द्वादश शिलालेख में कालसी में पकलनशि^४, शाहबाजगढ़ी में प्रकरणे^५ तथा मानसेरा में पकरणसि^६ का प्रयोग हुआ है । आशय यह है कि सप्तमी एकवचन के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग भी इन शिलालेखों में यत्र-सत्र होता रहा है ।

गिरनार के अभिलेख में सप्तमी एकवचन के लिए प्रायः म्हि का प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं भू का अनुस्वार हो गया है, हि यथावत् रहा है । एकतरम्हि^७, धम्मम्हि, सीलम्हि^८,

१. एते च अने च बहुका मुखा दानविसगसि विसपट से मम चेव देविनां च सवसि च मे आलोधनसि.....।

(एते च अन्ये च बहुकाः मुख्याः दानविसर्गे व्यापृताः ते मम चैव देवीनां च, सर्वस्मिन् च मम अवरोधन.....।)

२. इयं च लिपि.....खनसि अंतला पि तिसेन एकेन पि सोतविये ।

३. इयं च लिपि.....खने अंतला पि तिसेन एकेन पि सोतवियो ।

(इयं च लिपि....क्षणे अन्तरा अपि तिष्येन एकेन अपि श्रोतव्या ।)

४. लहका वा शिया तशि तशि पकलनशि ।

५. लहुक व सिव तसि तसि प्रकरणे ।

६. लहुक व सिव तसि तसि पकरणसि ।

(लघुता वा स्यात् तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे ।)

७. यत्र नास्ति मनुसानं एकतरम्हि पासंबम्हि न नाम प्रसादो ।

(.....यत्र नास्ति मनुष्याणामेकतरस्मिन् अपि पाषण्डे नाम प्रसादः ।)

—चतुर्थ शिलालेख के अन्तर्गत त्रयोदश शिलालेख

८. आव संबट कया धम्मम्हि सीलम्हि तिष्ठंतौ धम्मं अनुसासिसंति ।

(.....यावत् संबत् कल्पं धर्मे शीले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति ।)

—गिरनार पञ्चदश शिलालेख के अन्तर्गत षष्ठ्यं शिलालेख

महानसंहि^१, विजितंहि^२ आदि इसके उदाहरण हैं। इन अभिलेखों में सप्तमी एकवचन के लिए ए का प्रयोग भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है। जैसे, विजिते^३, विजये^४ तथा प्रकरणे^५ आदि इसके उदाहरण हैं। शाहबाजगढ़ी तथा मानघेरा आदि स्थानों के अन्यान्य शिलालेखों में भी कहीं-कहीं सप्तमी एकवचन में एकार प्रयुक्त हुआ है; जैसे, धमे, शिले^६ आदि। पर, ऐसा बहुत कम हुआ है।

चतुर्थी एकवचन के एतरमे, अमुष्मे आदि रूप, जिनमें स्म या ह्म है, में भी सर्वतमी

१. पुरा महानसंहि देवानं प्रियस प्रियदासिनो रा अनुदिवसं बहूनि प्राणशतसहस्राणि आरभिसु।
(पुरा महानसे देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः अनुदिवसं बहूनि प्राणशतसहस्राणि आरुप्सत्.....)

—गिरनार चतुर्वश शिलालेख के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

२. सर्वत विजितंहि देवानं प्रियस प्रियदासिनो राजो..... ।)
(सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः.....)

—चतुर्वश शिलालेख के अन्तर्गत द्वितीय शिलालेख

३. सर्वत विजिते मम युता च राक्षके च प्रादेशिके च पंचसु पंचसु वासेसु अनुसंधानं नियातु..... ।
(सर्वत्र विजिते मम युक्ताः रज्जुकाः प्रादेशिकाः पंचसु पंचसु वर्षेसु अनुसंधानं निष्क्रमन्तु.....)

—चतुर्वश शिलालेख में तृतीय शिलालेख

४. सरसके एव विजये छाति च..... ।
(शराकर्षिणः विजये क्षान्ति च.....)

—चतुर्वश शिलालेख में प्रयोदश शिलालेख

५. लघुका च अस तस्मि तस्मि प्रकरणे ।
(लघुका चा स्यात् तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे)

—चतुर्वश शिलालेख में द्वादश शिलालेख

६. अवकपं धमे शिले च तिस्सिति धमं अनुशशिशंति ।

—शाहबाजगढ़ी चतुर्वश शिलालेख में चतुर्थ शिलालेख

.....अवकपं धमे शिले च तिस्सितु धमं अनुशशिशंति ।

(.....यावत् कल्पं धमे शिले च तिष्ठन्तः धर्ममनुशासिष्यन्ति ।)

एकवचन के स्मिन् की तरह फ नहीं होता । एतस्मै के लिए एताय^१ व एताये^२ तथा अमुष्मै के लिए इमाय^३ का प्रयोग हुआ है । लेख में अस्माकम् के लिए हमा^४ तथा मया के लिए हमियाए^५ का प्रयोग हुआ है । इस आदेश - विधि^६ पर सूक्ष्मता से विचार किया जाना चाहिए ।

१. एताय ठाय इयं सावणे सावापिते ।

एतस्मै अर्था इदं श्रावणं श्रावितम् ।

—ब्रह्मगिरि का प्रथम लघु शिलालेख

बहका च एताय अथा.....व्यापता धम्महाम्मातां ।

(बहकाः च एतस्मै अर्थाय व्यापृताः धर्ममहामात्राः.....)

चतुर्दश शिलालेख में द्वादश शिलालेख, गिरनार

२. एताये अथाये इयं लिपि लिखित..... ।

—धौली, दो कलिंग शिलालेख के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

एताये च अथाये..... ।

—जौगढ़, दो कलिंग शिलालेखों के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

(एतस्मै अर्थाय इयं लिपिः लिखिता.....)

एताये मे अथाये धम्मसावणानि सावापितानि..... ।

—सप्तम स्तम्भ लेख, टोपरा (बिहारी)

(एतस्मै अर्थाय धर्मश्रावणानि श्रावितानि.....)

३. यि इसाय कालाय जंबुविपसि अमिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा ।

(ये अनुस्मै अमुष्मै कालाय जंबूद्वीपे अमृषा देवाः अनुवन्, ते इदानीं मृषा कृताः ।)

—रूपनाथ का प्रथम लघु शिलालेख

४. विदितं वे मंते आवतके हमा बुधसि णमसि संघसीति गलवे च प्रसादे च ।

(विदितं वो भदन्ताः ! यावत् अस्माकं बुद्धे धर्मे सधे इति गौरवं च प्रसादः च ।)

—माझू शिलालेख

५. ए च्छु खो मंते हमियाये विसेया हवं संघमे चिलठितीके होससीति.....

(यत् तु खलु भदन्ताः ! मया दिश्यते एवं सद्धर्मः चिरस्थितिकः नविध्यति इति)

—माझू शिलालेख

६. शत्रुवशादेशः

अशोक के अभिलेखों की भाषा के सन्दर्भ में अनेक विद्वानों ने कार्य किया है, जिनमें फ्रैंक, सेनार्ट तथा गुणे आदि के नाम मुख्य हैं। इस ओर गवेषणा करने वाले विद्वानों के अभिमत परस्पर मेल नहीं खाते। किन्हीं के अनुसार अशोक के अभिलेखों में दो प्रकार की भाषा प्राप्त होती है। कई तीन प्रकार की भाषा का होना मानते हैं। किन्हीं के मत से चार और किन्हीं के मत से उक्त अभिलेखों में पाँच प्रकार की बोलियाँ प्राप्त होती हैं। निश्चित और इयत्ता की भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनमें गवेषणा के लिए बहुत अवकाश है।

भिन्न-भिन्न शिलालेखों में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों की चर्चा एवं विवेचना की गयी है। उस चर्चा के प्रारम्भ में सूचित किया गया है कि उक्त अभिलेखों में मुख्यतः भाषा के तीन रूप दिखाई देते हैं। वे तीनों रूप सर्वथा व्यवस्थित और नियमित हों, ऐसा तो नहीं है, पर, एक समान-सी भाषा - सरणि को अवश्य लिये हुए हैं।

पश्चिमोत्तर के शिला-लेखों का अन्य शिलालेखों से जो शब्द - प्रयोग - सम्बन्धी भेद है, यह विशेष प्रकार का है। उससे यह अनुमान करना सर्वथा संगत प्रतीत होता है कि उस समय उत्तर - पश्चिमी भारत में जो प्राकृत प्रचलित थी, उसकी अपनी कुछ विशेषताएँ थीं। इस भिन्नता का कारण आर्यपरिवारिय निकटवर्ती पश्चिमी भाषाओं का प्रभाव रहा हो। यह वह भूभाग था, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ था; अतः वहाँ की बोली का भी यहाँ की बोली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। हो सकता है, यह पेशावी प्राकृत का प्रदेश रहा हो। अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, खरोष्टी (प्राकृत)—धम्मपद की प्राकृत, तथा निय प्राकृत से भी ये शिलालेख बहुत कुछ मेल खाते हैं, जिसके सम्बन्ध में आगे चर्चा की जाएगी।

पूर्व भारत और मध्यप्रदेश के शिलालेखों की भाषा में विशेष अन्तर नहीं है। वे शिलालेख पूर्व की प्राकृतें, जिनमें मागधी मुख्य है, का दिग्दर्शन कराते हैं। यद्यपि पूर्व और मध्य के शिलालेखों में शब्द प्रयोग-सम्बन्धी यत्किञ्चित् भेद अवश्य है, पर, वह भाषा-विज्ञान की दृष्टि से गौण है। गिरनार, जो सौराष्ट्र में है, शूरसेन देश की सीमा के अन्तर्गत था। वहाँ के शिलालेखों से शौरसेनी के पुराने रूप की प्रतीति होती है।

विविध नाम

अशोक के अभिलेखों की प्राकृत का नाम - निर्देश भी विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप में किया है। सेनार्ट ने इसे शिलालेखी प्राकृत कहा है। अन्य विद्वानों ने इसे असंगत ठहराया है; क्योंकि अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पर ही नहीं हैं। पिसेल ने इसे लेण-विभाषा के नाम से अभिहित किया है। लेण लयन का प्राकृत-रूप है। लयन का अर्थ कोठरी,

घर या गुफा होता है। पिसेल का मन्तव्य है कि अशोक के लेख गुफाओं में भी हैं; अतः उनकी भाषा के लिए यही नाम संगत है। डा० गुणे के अनुसार यह संगत नहीं है। कठिपय अन्य विद्वानों ने इसे 'लाट विभाषा' नाम भी दिया है। लाट शब्द यष्टि शब्द का विकसित (यष्टि > लट्टि > लाट) रूप है। अशोक के अनेक लेख लाटों पर उत्कीर्ण हैं; अतः उन विद्वानों ने इस नाम को उपयुक्त बतलाया है। कुछ विद्वानों ने इसे अशोकीय प्राकृत (Ashokan Prakritas) शब्द से संज्ञित किया है। इस प्रकार अशोक के अभिलेखों की भाषा का कई प्रकार से नामकरण हुआ है, पर, वह शिलालेखी प्राकृत के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है और यह नाम अपेक्षाकृत अधिक संगत भी लगता है। क्योंकि यहाँ प्रयुक्त शिला शब्द पाषाण - खण्ड के अर्थ में न लिया जाकर तत्कोटिक सामान्य (Common) पाषाणीय लेखाधार के रूप में लिया जाए, यह अधिक समीचीन होगा।

अन्य प्राकृत-अभिलेख

अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त प्राकृत के कुछ और अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। उनमें कुछ तो विस्तृत और कुछ केवल एक-एक पंक्ति के ही हैं। इनका समय ई० पूर्वं ३०० से ४०० ई० तक का है। बड़े-छोटे ये सभी शिलालेख संख्या में लगभग दो हजार तक पहुँच जाते हैं। उनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलालेख (Mahasthan Stone Plaque Inscription) मध्यप्रदेश का जोगीमार गुफा लेख (Jogimara Cave Inscription) पश्चिमोत्तर बिहार का सोहगौरा ताम्रपत्र लेख (Sohgaure Copper Plate Inscription) भालियार का बेसनगर स्तम्भ लेख (Besnagar Pillar Inscription) पश्चिमोत्तर भारत का खरोष्ठी लिपि में शिन् काट कास्केट लेख (Shinkot Casket Inscription) उड़ीसा के सम्राट् खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, उदयगिरि खण्ड गिरि के शिलालेख तथा पश्चिमी भारत के आन्ध्रवंशीय राजाओं के शिलालेख विशेष प्रसिद्ध हैं। आकार में भी बड़े हैं।

सिंहल के प्राकृत-अभिलेख

सिंहल में भी ई० पूर्वं १०० से ३०० ई० तक के प्राकृत अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख गुफाओं में तथा प्रस्तरों पर प्राप्त होते हैं। प्रस्तर-लेख प्रायः सरोवरों के तटों पर मिलते हैं, जिनमें मन्दिरों के निमित्त सरोवरों के दान का उल्लेख है।

भाषा का भुकाव

सिंहल में प्राप्त अभिलेखों की भाषा का भुकाव अधिकांश पूर्वं और मध्य के शिलालेखों की ओर है। पर, उसकी अपनी भी कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे, प्रथमा विभक्ति एकवचन

के लिए मध्य व पूर्व में अधिकांशतः प्रयुक्त ए के लिए यहां इ का प्रयोग हुआ है ।

सप्तमी विभक्ति एकवचन में यहां सि के लिए हि आया है । षष्ठी विभक्ति एकवचन में 'ह' का प्रयोग हुआ है, जैसे, अपभ्रंश में 'स' का प्रयोग होता है । कहीं-कहीं मूर्धन्य प तालव्य श में भी परिवर्तित हुआ मिलता है । गाइगर (Geiger) ने इन अभिलेखों की भाषा को सिंहली प्राकृत नाम दिया है ।

अशोकीयैतरे जिन अभिलेखों की चर्चा की गयी है, उनका ऐतिहासिक महत्व तो ही है, पर, विस्तार, भाषा-प्रयोग के वैविध्य-भाषा-तत्त्व के सन्दर्भ में पुष्कल सामग्री आदि अनेक दृष्टियों से असोक के अभिलेखों का ही सर्वाधिक महत्व है ।



॥ ६ ॥

संक्रान्ति-काल की प्राकृतें

(*Prakritas of Transional Period*)

भारत से बाहर प्राप्त प्राकृत-लेख

पालि-पिटक बाह्म्य तथा प्राकृत (अर्द्धमागधी)-जैन-आगम बाह्म्य की प्राचीनता और मूल्यवत्ता अनेक दृष्टियों से समकक्षता लिये हुए है। क्रमागत रूप में उनसे सम्बद्ध यहाँ विचार किया जाना चाहिए, पर, यह अधिक उपयुक्त होगा कि भारत से बाहर प्राप्त प्राकृतों पर पहले विचार करें। अशोक के शिलालेखों—विशेषतः उत्तर-पश्चिमी शिलालेखों से उनकी विशेष निकटता है।

संक्रान्ति-काल

मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं (Middle Indo-Aryan Languages) का काल ई० पू० ५०० से १००० ई० तक माना गया है। इसे प्राकृत-काल कहा गया है। यह (प्राकृत - काल) भी तीन भागों में बाँटा गया है—१. प्रथम प्राकृत (Early Middle Indo-Aryan) काल, २. द्वितीय प्राकृत (Middle Middle Indo-Aryan) काल तथा ३. तृतीय प्राकृत (Later Middle Indo-Aryan Language) काल। प्रथम प्राकृत काल का समय मध्यकालीन भारतीय आर्य - भाषा-काल के प्रारम्भ से अर्थात् ई० पू० ५०० से ई० सन् के प्रारम्भ तक माना जाता है। इस प्रथम काल में पालि और शिलालेखी प्राकृत को लिया गया है। द्वितीय प्राकृत-काल इसी सन् से ५०० ई० तक माना जाता है। इस काल की भाषा का नाम प्राकृत है। उसके अन्तर्गत अर्द्धमागधी, शौरसेनी, पेशावी, महाशद्री आदि प्राकृतें आती हैं। तृतीय प्राकृत-काल ५०० ई० से १००० ई० तक माना जाता है। यह अपभ्रंश के उद्भव, विकास और प्रसार का समय है।

एक दूसरा विभाजन

कुछ विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य-भाषा-काल के अन्तर्बर्ती विभाजन में एक भिन्न क्रम भी अपनाया है। उनके अनुसार प्रथम प्राकृत अर्थात् पालि और शिलालेखी प्राकृत का काल ई० पू० ७०० से ई० पू० २०० तक या चार सौ वर्षों का है। द्वितीय प्राकृत-काल उनके मन्तव्यानुसार २०० ईसवी से ७०० ईसवी तक है। इस प्रकार ई० पू० २०० से २०० ई० तक का बीच का समय बच जाता है, जिसे संक्रान्ति-काल माना गया है।

इस संक्रान्ति-काल में वे प्राकृत आती हैं, जो भारत से बाहर प्राप्त हुई हैं। बाहर से प्राप्त प्राकृत - सामग्री तीन रूपों में है—अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, धम्मपद की प्राकृत और निय प्राकृत।

अश्वघोष के नाटक : प्राकृतों का प्रयोग

अश्वघोष बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और कवि थे। उनका रचना-काल ईसा की प्रथम शती माना जाता है। उनके द्वारा रचित दो संस्कृत नाटकों की खण्डित प्रतियाँ मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् प्रो० ल्यूडर्स (Luders) ने उनका विद्वतापूर्ण सम्पादन किया है। उन नाटकों में कुछ पात्र प्राकृत बोलते हैं। उत्तरवर्ती नाटकों में प्राकृतों का जैसा प्रयोग, जो कृत्रिम अधिक है, स्वाभाविक कम, हुआ है। अश्वघोष के नाटकों में ऐसा नहीं है। वहाँ प्रयुक्त प्राकृतें प्राचीन रूप लिये हुए हैं, जो स्वाभाविक है।

तीन प्राचीन प्राकृतें

प्रो० ल्यूडर्स ने अश्वघोष के नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतों का विश्लेषण करते हुए जो बताया है, उसके अनुसार वहाँ तीन प्रकार की प्राकृतें प्रयुक्त हुई हैं : प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी तथा प्राचीन अर्द्धमागधी। प्रो० ल्यूडर्स के अनुसार दुष्ट संज्ञक पात्र की भाषा प्राचीन मागधी, विदूषक तथा गणिका की भाषा प्राचीन शौरसेनी एवं गोमस-तापस की भाषा प्राचीन अर्द्धमागधी है। यहाँ प्रयुक्त भाषा अशोक के खिलालेखों से भी कुछ मेल जाती है।

प्राचीन मागधी

दुष्ट संज्ञक पात्र द्वारा प्रयुक्त भाषा के अनुशीलन से जो तथ्य उद्घाटित होते हैं, वे प्राचीन मागधी के स्वरूप के ज्ञापक हैं। वहाँ र् के स्थान पर ल् का प्रयोग हुआ है। तालव्य शकार के लिए तो श है ही, मूर्धन्य षकार और दन्त्य सकार के लिए तालव्य शकार का प्रयोग हुआ है। प्रथमा एकवचन में ए विभक्ति का प्रयोग है। अहम् के लिए अहम् आया है, जो आगे चसकब हगे बन गया है तथा षष्ठी विभक्ति एकवचन में 'हो' प्रत्यय व्यबहृत हुआ है। ये प्रयोग प्राचीन मागधी के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं, जो प्राकृतन अभिलेखों में प्रयुक्त मागधी से तुलनीय है।

प्राचीन शौरसेनी

विदूषक तथा गणिका द्वारा प्रयुक्त प्राचीन शौरसेनी की विशेषताएं इस प्रकार हैं :— प्रथमा विभक्ति एकवचन में अः (सु) के लिए ओ प्राप्त होता है। अ और न्य के लिए वहाँ अ का प्रयोग हुआ है। ऋ के लिये इ आया है। व्य के लिए व्व तथा क्ष के लिए व्व

व्यवहृत हुआ है। भवान् के लिए भवां, खलु के लिए खू, कृत्वा के लिए करिष, त्वम् के लिए तुवब जैसे कुछ विशेष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। त्वम् के लिये जो तुवब होता है, वह प्राचीन फारसी के तुवम् से, जो त्वम् के अर्थ में है, ब्रुलनीय है।

कर्तृवाच्य में आत्मनेपदी धातु के साथ संयोजित होने वाले, वर्तमान कालवाची शानच् प्रत्यय से निष्पन्न रूप इस प्राचीन शौरसेनी में अपने प्राकृत-परिवेश में सुविशेष हैं। मुअमानो, पाठ्यमानो आदि इसके उदाहरण हैं।

प्राकृत में आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी के रूप में धातुओं का विभेद प्रचलित नहीं है; अतः इस भाषा में प्राप्त होने वाले शानच् प्रत्ययान्त रूपों पर इस दृष्टि से चिन्तन की आवश्यकता नहीं है। शानच् प्रत्यय का प्रयोक्तव्य रूप आन है, जो शकार और च्कार की वृत्तंका^१ होने से बचा रहता है।

प्राचीन अर्द्धमागधी

गोमस-तापस द्वारा प्रयुक्त प्राचीन अर्द्धमागधी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं : मुख्यतः प्रथमा एकवचन की विभक्ति अः (सु) के लिए ओ प्राप्त होता है। जैन आगमों में तथा उत्तरवर्ती अर्द्धमागधी में प्रथमा एकवचन के लिए ओ तथा ए दोनों प्राप्त होते हैं। तालभ्य शकार का प्रयोग वहां प्राप्त नहीं होता। वहां क, आक तथा इक प्रत्यय बहुलतया प्रयुक्त हैं। र के लिए वहां ल का प्रयोग हुआ है।

अस्पष्टता या अल्प-स्पष्टता

अवशेषों के नाटकों में प्रयुक्त प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी तथा प्राचीन अर्द्धमागधी की जो कतिपय विशेषताएं उल्लिखित की गई हैं, उनसे प्राचीन मागधी और प्राचीन शौरसेनी का स्वरूप जितना स्पष्ट लगता है, वैसा अर्द्धमागधी का नहीं। अर्द्धमागधी के सम्दर्भ में किये गए विवेचन से उसका स्वरूप कोई विशेष स्पष्ट तो नहीं प्रतीत होता, किन्तु भी अर्द्धमागधी की प्रवृत्ति के कुछ संकेत वहां माने जा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो केवल इतना-सा यहाँ गम्य है--र का ल होना मागधी से अर्द्धमागधी में आई हुई विशेषता है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। शकार के प्रयोग का अभाव कोई विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि मागधी के अतिरिक्त प्रायः सभी प्राकृतों में केवल दन्त्य शकार का ही प्रयोग होता है।

१. तस्य लोपः ॥

तस्येतो लापः स्यात् ।

—पाणिनीय अष्टाध्यायी, १।३।६

प्राकृत (खरोष्ठी) धम्मपद

भारत से बाहर अर्थात् खेतान में एम० दुत्रेइल द रॉ (M. dutreuil De Rhine) नामक फ्रांसीसी यात्री को सन् १८६२ में कुछ महत्वपूर्ण लेख प्राप्त हुए। तब तक उन लेखों के सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं था। डी० आल्डेनवर्ग नामक रूसी विद्वान् ने उन पर अन्वेषण-कार्य किया तथा उनके सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये। एक दूसरे फ्रांसीसी विद्वान् सेनार्ट ने उस कार्य को आगे बढ़ाया तथा सन् १८६७ में घोषित किया कि ये प्राकृत-लेखों के अंश हैं। तदनन्तर अंग्रेज तथा भारतीय विद्वानों का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने उन लेखों के सम्बन्ध में गवेषणा का प्रयत्न किया। इन सब प्रयासों का परिणाम था कि सन् १८२१ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रो० बी० एम० बरुआ तथा प्रो० एस० मित्रा द्वारा उनका प्रकाशन हुआ, जिसे प्राकृत-धम्मपद नाम दिया गया। खरोष्ठी लिपी में होने के कारण खरोष्ठी-धम्मपद भी उसका नामकरण हो गया। प्रो० ज्यूलस ब्लाक ने इसकी रचना, भाषा, ध्वनियों आदि के सम्बन्ध में विशेष अन्वेषण किया। उनका निष्कर्ष था कि यह मूल रूप में भारतवर्ष में ही लिखा गया। वहीं से यह पश्चिम में गया। प्रो० ज्यूलस ब्लाक का मन्तव्य संगत प्रतीत होता है; क्योंकि तब तक बौद्ध धर्म बाहर भी विस्तार पा चुका था। वह भारत के निकटवर्ती पश्चिमी देशों में भी पहुंचा, यह सम्भावना से परे नहीं है। इसके और भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। वहां पहुंचने पर यह भी सम्भव है कि उसकी भाषा उधर की भाषाओं से प्रभावित हुई हो। इसकी भाषा का अशोक के पश्चिमोत्तर के शिलालेखों की भाषा से भी कुछ-कुछ सादृश्य है। धम्मपद बारह परिच्छेदों में विभक्त है। कुल २३२ गाथाएँ हैं। रचना-काल ईसा की दूसरी शती के लगभग माना जाता है।

निय प्राकृत

भारत के बाहर प्राप्त प्राकृतों में निय प्राकृत का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी तुर्किस्तान के निय नामक प्रदेश में सर ऑरैल स्टेन को तीन बार की यात्राओं में खरोष्ठी लिपी के कुछ लेख प्राप्त हुए। उनकी पहली यात्रा ई० सन् १६००-१६०१ में, दूसरी यात्रा १६०६-१६०७ में तथा तीसरी यात्रा १६१३-१६१४ में हुई। अर्थात् १६०० से १६१४ तक के उनके १४ वर्ष के प्रयास का यह फल था।

एक अज्ञात तथ्य प्रकाश में आया। विद्वानों का उस ओर ध्यान गया। सन् १८२० में ए० एम० ब्वायर ने, सन् १८२७ में ई० जे० रेण्डन ने तथा सन् १८२६ में सेनार्ट ने खरोष्ठी शिलालेखों (Kharoshthi Inscriptions) के नाम से इनका सम्पादन किया। इन लेखों पर महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य करने वाले डी० बरो थे। उन्होंने इन लेखों को किसी भारतीय प्राकृत में लिखित बतलाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह वह प्राकृत है, जो

तीसरी शती में 'शनशन' नामक प्रदेश में राज-भाषा के पद पर अभिष्टित थी ।

निय प्राकृत के स्वरूप तथा गठन के पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि इसका मूल स्थान सम्भवतः पेशावर का समीपवर्ती भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश रहा हो । खरोष्ठी धम्मपद के साथ यह भाषा कुछ मेल खाती है । अशोक के पश्चिमोत्तर के शिलालेखों से इसका विशेष सादृश्य है । इस कारण से भी इसके मूल स्थान से सम्बद्ध सम्भावना और बलवती हो जाती है । अधिकांशतः इन लेखों के निय नामक प्रदेश में प्राप्त होने के कारण यह भाषा निय प्राकृत के नाम से अभिहित की जाने लगी । पश्चिमोत्तर के शिलालेखों के साथ यह भाषा तुलनात्मकतया विशेष रूप से विश्लेषणीय है ।

निय प्राकृत में जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे उल्लेख हैं, जिनमें शासकों (राजाओं) की ओर से जिलाधिकारियों को दिये गये आदेश हैं । अय-विक्रय-सम्बन्धी पत्र भी उनमें हैं । साथ-ही-साथ कुछ निजी पत्र भी उनमें समाविष्ट हैं । उन लेखों में अनेक प्रकार की सूचियाँ भी प्राप्त हैं । इन सबसे प्रकट होता है कि उन लेखों का विशेष सम्बन्ध शासन-व्यवस्था और व्यवसाय आदि से है ।

कुछ लिपि-चिन्ह भी इस भाषा में प्राप्त होते हैं, जो भारतवर्ष में व्यवहृत प्राकृतों में नहीं पाये जाते । दीर्घ स्वर, इतर स्वर, सघोष ऊष्म ध्वनियों आदि पर उन लिपि-चिन्हों का प्रयोग हुआ है । यह भारतीयेलर भाषाओं के प्रभाव का प्रतिफल प्रतीत होता है । विदेश में प्रचलित होने पर किसी भी भाषा पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है । भाषा-वैज्ञानिक निय प्राकृत का समय लगभग तीसरी शताब्दी स्वीकार करते हैं ।

निय प्राकृत को एक दूसरी विशेषता है, ध्वनियों की दृष्टि से उसके व्याकरण की अत्यन्त विकसितता । सम्भवतः इसका यह कारण रहा हो, यह भारत से बाहर व्यवहृत थी; अतः इस पर संस्कृत का प्रभाव नहीं पड़ सका । भारत में प्रचलित प्राकृतों के साथ ऐसा नहीं है । उन पर संस्कृत का प्रभाव पड़ता रहा; अतः ध्वनियों आदि की दृष्टि से वे निय प्राकृत की तरह सुरक्षित नहीं रह सकीं ।

निय प्राकृत की स्वरूपात्मक विशेषताएँ

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से निय प्राकृत का विशेष महत्त्व है; अतः उसकी स्वरूपात्मक विशेषताएँ अध्येतव्य हैं । "प्राकृत-विमर्श" में निय प्राकृत के सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया है, उसके अनुसार उसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं :

निय प्राकृत के अन्तर्गत—य, या, - ये - इ मिलता है । उदा० समादाय > समवि, मादये > मवइ, भूत्य > भूलि, ऐस्वर्य > एस्वरि । मध्य-ए > इ का प्रयोग होता है । उदा०

इमे > इमि, उतेतः > उवितो, क्षेत्र > छू इत्र, अन्त > अः > उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है। उदा० प्रातः > प्रतु। स्वरमध्यवर्ती स्पर्श ऊष्म और स्पर्शसंघर्षी अवोष व्यंजन सघोष में बदल जाते हैं। ऊष्म के अतिरिक्त अन्य व्यंजन का लोप और उसके स्थान पर इ-या-य के प्रयोग मिलते हैं। उदा० यथा > यथा, सत्तिके > सदिइ, त्वच्चा > त्वया, प्रयम > पढम, अवकाश > अवगज्ज, कोटि > कोडि, गोचरे > गोयरि, भोजन > भोयन। यदि संयुक्त व्यंजन में अनुनासिक अथवा कोई ऊष्म ध्वनि सन्निविष्ट हो, तो अवोष व्यंजन सघोष का रूप ले लेता है। उदा० पंच > पज, सिञ्च > सिज, सम्पन्न > सम्बन्नो, दुष्प्रकृति > दुबकति, संस्कार > सघर, अन्तर > अवर, हन्ति > हदि आदि। सघोष के स्थान पर अवोष के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। उदा० विराग > विरकु, समागता > समकत, विगाहा > विकय, योग > योक, श्लामः > किलेन, वण्ड > तण्ट, भोग > योग आदि। महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अल्पप्राण व्यंजनों का प्रयोग ईरानी और अनाई भाषाओं के प्रभाव का कारण माना गया है। उदा० भूमि > बूम, धनानाम् > तनना। शब्द में विसर्ग के अनन्तर 'क्ष' और स्वतंत्र रूप से 'क्ष' का परिवर्तन ह में मिलता है। उदा० कुःख > कुह, अनपेक्षिणः > अन्वेहिनो, अपेक्ष > अवेह आदि।

शब्द में सघोष ऊष्म ध्वनि रूप में उच्चारण के कारण थ के स्थान पर ऊष्म व्यंजन का प्रयोग मिलता है। उदा० मधुर > मसुर, गाथानाम् > गशन, शिथिल > शिशिल, मधु > मसु, अधिमात्रा > असिमत्र आदि। तीनों ऊष्म ध्वनियों श, ष, स का प्रयोग होता है, परन्तु, इनमें 'स' का प्रयोग अधिक व्यापक मिलता है। सघोष ऊष्म ध्वनि ज का स, म लिखित रूप मिलता है। शब्दों में ऋ के स्थान पर अ, इ, उ, रु, रि का विकास मिलता है। उदा० मृतः > मुतु, संवृतः > सव्वतो, स्मृति > स्वति, वृद्ध > व्रिद्ध, कृत > किड, पृच्छितव्य > पुच्छिवो आदि।

संयुक्त व्यंजन में यदि -र्, -ल् सन्निविष्ट हों, तो उनका परिवर्तन नहीं होता। उदा० प्राप्नोति > प्रनोदि, कीर्ति > कीर्ति, धर्म > धर्म, धम, मार्ग > मर्ग, परिप्लवति > परिप्लयति, बीर्धम् > ब्रिधम्, मैत्र > मैत्र आदि। संयुक्त व्यंजन की एक अनुनासिक ध्वनि में दूसरी निरनुनासिक ध्वनि का समीकरण हो जाता है। उदा० पण्डित > पणिदो, वण्ड > वण, प्राप्नोति > प्रनोदि, गन्धीर > गमिर, कुंजरः > कुंजर, प्रजा > प्रज, शून्य > शुज, विजति > विनति आदि। संयुक्त व्यंजन अ > ष का परिवर्तन मिलता है। उदा० श्रावक - यवक, शमभु > मभु। संयुक्त व्यंजन क्र, प्र, च, द्र, प्र, ब्र, अ, स्त का प्रयोग स्थिर रहता है। उदा० त्रिभिः > त्रिहि, प्रियाप्रिय > प्रिअप्रिअ, संभ्रम > संभ्रमु आदि।

संयुक्त व्यंजन छ, छ का समीकृत रूप हो जाता है। उदा० अवेडः > शेडो, दृष्टि > बिठी,

ज्येष्ठ > जेठ आदि । स्था धातु में स्थ > ठ मिलता है । उदा० स्थान > ठणेहि, उत्स्थान > उठन, काष्ठ > कठ, उष्ट्र > उठ । संयुक्त व्यंजन में यदि ऊष्म ध्वनि निहित हो, तो उसका परिवर्तन नहीं होता । उदा० अस्ति > अस्ति, वत्स > वत्स आदि । द्वितीया एक० -म् और प्रथमा एक० -स् का लोप मिलता है । द्विवचन का प्रयोग केवल दो उदाहरणों में मिलता है । उदा० पदेभ्यां और पदेयो । षष्ठी एक० का रूप -अस विभक्तियुक्त मिलता है ।

क्रियाओं की काल-रचना में वर्तमान निश्चयार्थ, आज्ञा, विधि, भविष्य निश्चयार्थ आदि के रूप मिलते । वर्तमान, विधि लिंग के रूप अशोकी प्राकृत के सदृश मिलते हैं । उदा० करेयसि, करेयति, स्यति; अशोकी प्राकृत में उपकरेयति, सियति आदि रूप मिलते हैं । भूतकाल का विकास कर्मवाच्य कृदन्त में प्रथम पु० बहु० में -न्ति और उत्तम पु०, मध्यम पु० में वर्तमान निश्चयार्थ कर्तृवाच्य अस् के सदृश विभक्ति रूपों को जोड़ कर किया जाता है । उदा० श्रुतोस्मि > श्रुतेमि, श्रुतः स्मः > श्रुतम, वत्तोसि > दितेसि आदि । कर्तृवाचक संज्ञा का विकास पश्चिमोत्तर अशोकी प्राकृत के सदृश स्त्री, स्था और इ प्रत्ययों के योग से होता है । उदा० श्रुनिति अपुछिति । पूर्वकालिक कृदन्त का विकास क्रियार्थक संज्ञा अन् के चतुर्थी एक० के रूप से होता है । उदा० गच्छनाय > गच्छनए, बेयनए । कुछ रूप तुमन् में भी मिलते हैं । उदा० कर्तु और करनए, विसजिबुं और विसर्जनए ।

समीक्षा : तुलना

उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में संयुक्त व्यंजन अपरिवर्तित रहते हैं । निय प्राकृत में भी यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में संयुक्त व्यंजनों में र के स्थान-परिवर्तन की जो विशेष प्रवृत्ति प्राप्त होती है, निय प्राकृत में वैसा बहुत कम है, लगभग नहीं के तुल्य है और न उत्तरकालीन खरोष्ठी लेखों में ही ऐसा है । प्राकृत-धम्मपद में ऐसा अवश्य मिलता है ।

उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में ल-युक्त संयुक्त व्यंजनों में ल-लोप की प्रवृत्ति देखी जाती है, किन्तु, निय प्राकृत में वैसे शब्दों में ल-युक्त रूप प्राप्त होते हैं । जैसे, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अल्प के लिये अप तथा कल्प के लिए कप का प्रयोग हुआ है, किन्तु, उदाहरणार्थ, निय प्राकृत में अल्प के लिये अल्प तथा जल्पित के लिए अल्पित ही मिलते हैं, न कि अप और अपित ।

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः क्ष के लिए छ आता है । निय प्राकृत में भी ऐसा ही है । त्स के लिये स का प्रयोग हुआ है । जैसे, चिकित्सा के लिए वहां चिकिस आया है । निय प्राकृत में ऐसा नहीं होता । वहां वरस और संबत्सय के लिए

क्रमशः वत्स और संघत्सव का ही प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं अपवाद भी दृष्टिगोचर होते हैं, पर, बहुत कम। सप्तमी विभक्ति का स्मिन् प्रत्यय स्मि रहता है। निय प्राकृत में स्म प्रायः स्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है; अतः सप्तमी विभक्ति एकवचन का स्मिन् प्रत्यय वहाँ स्म मिलता है। प्राकृत धम्मपद स्म, स्व और स तीनों की विद्यमानता देखी जाती है। इससे पश्चिमोत्तर की भाषा की एक विशेष प्रवृत्ति भलकती है—वहाँ सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयुज्यमान रूप में बहुत बेकल्पिकता थी।

सम्बन्धक भूत कृदन्त अर्थात् हिन्दी व्याकरण के अनुसार पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय त्वी वैदिक संस्कृत में बहुलतया प्रयुक्त रहा है। लौकिक संस्कृत में वैसा नहीं रहा। निय प्राकृत में यह त्वी प्रत्यय ति के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, वहाँ भूत्वा के लिए भ्रुनिति और अपृष्ट्वा के लिए अपुष्टिति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार धम्मपद में उपजित्वा के लिए उपजिति और पश्चिर्जयित्वा के लिए पश्चिजेति आया है।

हैत्वर्थ में अशोक के शिलालेखों में और निय प्राकृत में 'नये' प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। अन्यत्र हैत्वर्थ में तवे का प्रयोग दृष्टिगत होता है। निय प्राकृत में तुमन् प्रत्ययान्त रूप भी मिलते हैं, पर, बहुत कम। अशोक के पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रथमा एकवचन में अ और ए दोनों प्रत्यय प्राप्त होते हैं। शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों में ओ का और मानसेरा के अभिलेखों में ए का अधिक प्रयोग हुआ है। निय प्राकृत में भी ए का प्रचलन अधिक प्राप्त होता है। उत्तरकालीन खरोष्ठी लेखों में ओ और ए दोनों का प्रयोग रहा है। सिन्धु नदी के पश्चिम में जो अभिलेख प्राप्त हुये हैं, वहाँ ए अधिक है तथा अन्य स्थानों पर ओ। प्राकृत धम्मपद में ए का प्रयोग प्रायः अनुपलब्ध है। ओ मिलता है और उ भी मिलता है। उ का मिलना आश्चर्यजनक है; क्योंकि उ उत्तरवर्ती काल की प्रवृत्ति है, विशेषतः अपभ्रंश-काल की। उ का समावेश अर्वाचीनता के प्रभाव का द्योतक कहा जा सकता है। पंचमी विभक्ति एकवचन में प्रयुक्त तसिल् प्रत्यय, जिसके इकाश् और लकाश् की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है और तस्=तः के रूप में बचा रहता है, के लिए भी निय प्राकृत में ए का प्रयोग प्राप्त होता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस ए प्रत्यय का प्रयोग मागधी प्राकृत की अपनी एक विशेषता है।

निय प्राकृत में नामों (संज्ञाओं) के सब रूप प्रायः अकारान्त नामों के अनुसार होते हैं। नामों के अन्त में अ लगा कर ऐसी स्थिति निष्पन्न की गई है, जो उत्तरवर्ती अपभ्रंश की ओर ध्यान आकर्षित करती है। प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति में कोई प्रत्यय-भेद नहीं है। अपभ्रंश में भी ऐसी ही स्थिति है।

तुलनात्मक विवेचन से यह प्रकट होता है कि संक्रान्ति-कालीन प्राकृतों में, चाहे संकड़ी ही सही, सादृश्य की धारा प्रवहमान है।



: ७ :

भारत में लिपि-कला का उद्भव और विकास

(The Origin of Script and Its Development in India)

प्राकृत-अभिलेख : लिपियां

प्राकृत के जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुये हैं, वे मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में हैं। एक अन्य लिपि का भी उनमें प्रयोग हुआ है, जो खरोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के पश्चिमोत्तर शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं। कांगड़ा के दो ऐसे शिलालेख हैं, जिनमें खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है और ब्राह्मी का भी। ऐसा अनुमान होता है कि वहां सम्भवतः इन दोनों लिपियों का व्यवहार रहा हो। आश्चर्य है, ब्राह्मी लिपि के क्षेत्र मथुरा का भी एक प्रसिद्ध शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। पटना में भी इस प्रकार का एक शिलालेख है। उन अभिलेखों की लिपियों के सन्दर्भ में भारत में लिपि-कला के उद्भव, विकास तथा विस्तार आदि पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक होगा।

ब्राह्मी लिपि

भारतवर्ष में प्रयुक्त लिपियों में ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है। जिस प्रकार भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न घर्मों में आरुधा रखने वालों के अपने-अपने धर्म-ग्रन्थों की भाषाओं के सम्बन्ध में आर्यता या अनादिता के सूचक मत हैं, उसी प्रकार उन सबका ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में विचार है। यहां प्रशस्तिपदकता (Superlativeness) की मात्रा अधिक है, तथ्यपदकता कम। मानव की कुछ इस प्रकार की दुर्बलता है कि जिसे वह 'स्व' से जोड़ता है, उसे प्रशस्त भी बताना चाहता है।

वैदिक अभिमत

वैदिक परम्परा में विश्वास रखने वालों का यह अभिमत है कि ब्राह्मी शब्द ब्रह्मा से निष्पन्न हुआ है। त्रिदेवों^१ में ब्रह्मा जगत् के स्रष्टा या विधाता हैं। जिस प्रकार जगत् की, समस्त जागतिक पदार्थों की उन्होंने रचना की, लिपि का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ। जगत् के साथ-साथ जन्मने वाली वह लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ब्रह्मा द्वारा कृत लिपि-

१. ब्रह्मा=सर्जक, विष्णु=रालक, शिव=संहारक

रचना की उपादेयता का वर्णन करते हुए नारद-स्मृति^१ में लिखा है : “यदि ब्रह्मा लिखित या लेखन-कला, दूसरे शब्दों में लिपि रूप उत्तम नेत्र का सर्जन नहीं करते, तो इस जगत् की शुभ गति नहीं होती ।”

लिखितविस्तर में चर्चा

लिखितविस्तर बीड़ों का प्रसिद्ध संस्कृत-ग्रन्थ है । उसके दशम अध्याय में लिपियों की चर्चा है । वहाँ चौसठ लिपियों^२ का उल्लेख है, जिनमें ब्राह्मी पहली है ।

६४ नामों में कतिपय ऐसे नाम हैं, जिनका आधार देश-विशेष, प्रदेश-विशेष या जाति-विशेष है । जैसे, अंग-लिपि, बंग-लिपि, मगध-लिपि, ब्रह्मवल्ली - लिपि, द्राविड़-लिपि, कनारि-लिपि, दक्षिण - लिपि, दरद-लिपि, खास्य-लिपि, चीन-लिपि, हूण-लिपि, देव-लिपि, नाग-लिपि, यक्ष-लिपि, गन्धर्व-लिपि, किम्बर-लिपि, महोरग-लिपि, असुर-लिपि, गहड़-लिपि,

१. नाकरिष्यद्यवि ब्रह्मा लिखितं चक्षुस्तमम् ।

सत्रैयमस्य लोकस्य नामविष्यच्छुभा गतिः ॥

२. १. ब्राह्मी, २. खरोष्ठी, ३. पुष्करसारी, ४. अंग-लिपि, ५. बंग-लिपि, ६. मगध-लिपि, ७. मागध-लिपि, ८. मनुष्य-लिपि, ९. अंगुलीव-लिपि, १०. शकार-लिपि, ११. ब्रह्मवल्ली-लिपि, १२. द्राविड़-लिपि, १३. कनारि-लिपि, १४. दक्षिण-लिपि, १५. उग्र-लिपि, १६. संख्या-लिपि, १७. अनुलोम-लिपि, १८. ऊर्ध्वधनुर्लिपि, १९. दरद-लिपि, २०. खास्य-लिपि, २१. चीन-लिपि, २२. हूण-लिपि, २३. मध्याक्षर-विस्तर-लिपि, २४. पुण्य-लिपि, २५. देव-लिपि, २६. नाग-लिपि, २७. यक्ष-लिपि, २८. गन्धर्व-लिपि, २९. किम्बर-लिपि, ३०. महोरग-लिपि, ३१. असुर-लिपि, ३२. गहड़-लिपि, ३३. मृगचक्र-लिपि, ३४. खक्र-लिपि, ३५. बाधुमद-लिपि, ३६. भौमदेव-लिपि, ३७. अक्षरिषदेव-लिपि, ३८. उत्तरकुक्षीय-लिपि, ३९. अपरगौडावि-लिपि, ४०. पूर्वविदेह-लिपि, ४१. अक्षेय-लिपि, ४२. निक्षेय-लिपि, ४३. विक्षेय-लिपि, ४४. प्रक्षेय-लिपि, ४५. सागर-लिपि, ४६. सज्ज-लिपि, ४७. लेखप्रतिलेख-लिपि, ४८. अनव्रत-लिपि, ४९. शास्त्रावर्त-लिपि, ५०. गमावर्त-लिपि, ५१. उक्षेपावर्त-लिपि, ५२. विक्षेपावर्त-लिपि, ५३. पावलिखित-लिपि, ५४. शिरुत्तरपदसन्धिलिखित-लिपि, ५५. दशोत्तर-पदसन्धिलिखित-लिपि, ५६. अध्याहारिणी-लिपि, ५७. सवेदसंग्रहणी-लिपि, ५८. विद्यानुलोम-लिपि, ५९. विमिश्रित-लिपि, ६०. ऋषितपस्तस-लिपि, ६१. धरणीप्रेक्षपण-लिपि, ६२. सर्वोद्यननिष्यन्द-लिपि, ६३. सर्वसारसंग्रहणी-लिपि, ६४. सर्वभूतस्तग्रहणी-लिपि ।

—पृष्ठ १२५-१२६

उत्तरकुव्दीप-लिपि, अपरगोडादि-लिपि, पूर्वं विदेह-लिपि ।

कुछ ऐसे नाम हैं, जो सम्भवतः वर्णों के आकार, लेखन-विधि या लेखन-वैशिष्ट्य से सम्बद्ध हैं । जैसे, अनुलोम-लिपि, चक्र-लिपि, उत्क्षेप-लिपि, प्रक्षेप-लिपि, लेख-प्रतिलेख-लिपि, पादलिखित-लिपि, द्विरुत्तर-सन्धिलिखित-लिपि, दशोत्तरपदसन्धिलिखित-लिपि, विमिश्रित-लिपि, इत्यादि ।

कुछ नाम ऐसे हैं, जो देवप्रशस्तिमूलकता तथा विषयविशेष-प्रयोज्यता आदि से सम्बद्ध हैं । कुछ नाम अन्यान्य कारणों पर भी आद्धृत हो सकते हैं ।

जैन मान्यता

जैन ग्रन्थों में भी ब्राह्मी लिपि के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है । जैन अंग-वाङ्मय के पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र के प्रारम्भ में जहाँ अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु को नमन किया गया है, वहाँ ब्राह्मी लिपि को भी नमन करने का उल्लेख है ।^१ व्याख्याप्रज्ञप्ति जैसे अत्यन्त मान्य ग्रन्थ में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख निःसन्देह उसकी प्राचीनता का द्योतक है ।

ऋषभ द्वारा लिपि-शिक्षण

लिपियों के उद्भव के सम्बन्ध में जैन पौराणिक साहित्य में उल्लेख है कि श्रामण्य अंगीकार करने से पूर्व आद्य तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभ ने जब वे राजा थे, सभी प्रकार की लोक-व्यवस्थाओं का प्रतिष्ठापन किया । विद्याओं, कलाओं आदि का भी शिक्षण दिया । कहा जाता है, ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को पुस्तक-प्रयोज्य बहत्तर कलाओं की शिक्षा दी और साथ ही परम-तत्त्व का ज्ञान भी दिया । पुत्र बाहुबली को प्राणि-लक्षण का ज्ञान, पुत्री ब्राह्मी^२ को अठारह लिपियों का ज्ञान और पुत्री मुन्दरी को गणित का शिक्षण दिया ।

विद्याओं तथा कलाओं को आत्मसात् करने वाले ऋषभ के पुत्रों और पुत्रियों ने जगत् में उनका प्रसार किया । ब्राह्मी द्वारा प्रसारित लिपियों में जो मुख्य लिपि थी, उसी के नाम से वह ब्राह्मी कहलाई ।

१. जमो अरहंताणं जमो सिद्धाणं, जमो आयरियाणं जमो उवज्झावाणं जमो लोए सख्खाहणं । जमो बंभीए लिबीए ।

२. लेहं लिबी विहाणं, जिणेण बंभीए बाहिण करेण ।

—अभिधान राजेन्द्र कोष, पंचम भाग, पृ० १२४४

समवायांग सूत्र में उल्लिखित अठारह लिपियों में पहला नाम ब्राह्मी^१ लिपि का है । प्रज्ञापना सूत्र में वर्णित अठारह लिपियों के नाम समवायांग सूत्र से पूरी तरह तो नहीं मिलते, पर, बहुलांश में सादृशता है । उनमें भी पहला नाम ब्राह्मी^२ लिपि का है । विशेषावश्यक टीका^३ तथा कल्पसूत्र^४ में उल्लिखित अठारह लिपियों के नाम समवायांगसूत्र व प्रज्ञापना सूत्र में दिये गये नामों से भिन्न हैं । आश्चर्य है, दोनों में दी गयी लिपि नामावली में ब्राह्मी लिपि का नाम ही नहीं आया । इन दोनों सूचियों में जो नाम हैं, उनसे प्रतीत होता है कि ये नाम बहुत अर्धाचीन हैं, जब इस देश में ब्राह्मी का प्रयोग तो अवलुद्ध हो ही गया था, महत्व भी समाप्त प्रायः हो गया था ।

विशेषावश्यक की टीका में आये हुए नामों में यवनी, तुख्की, द्रविडी, सिंधवी, मालवीनी, नागरी, लाट, पारसी आदि कुछ ऐसे हैं, जो देशों और प्रदेशों के आधार पर दिये हुए हैं । ऐसा लगता है, विशेषावश्यक के टीकाकार के समय जिन-जिन भू-भागों में जो भिन्न-भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं, सम्भवतः उन्हीं के आधार पर उनके नाम दे दिये गये ।

१. १. ब्राह्मी, २. यावनी, ३. दोष उपरिका, ४. खरोष्टिका, ५. रुर-शत्रिका, ६. पहरातिगा, ७. उच्चसरिका, ८. अक्षर पृष्ठिका, ९. भोगवतिका, १०. वेणकिया, ११. निह्विका, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गन्धर्वलिपि, १५. आदर्श-लिपि, १६. माहेश्वरी, १७. बामिलिपि, १८. बोस्त्रि लिपि

—समवायांग सूत्र, समवाय १८

२. १. ब्राह्मी, २. यावनी, ३. दोसापुरिया, ४. खरोष्टी, ५. पुक्खरासारिया, ६. भोगवतिका (भोगवड्या), ७. पहराड्या ८. अन्तक्खरिया, ९. अक्खरपुट्टिया, १०. बैनयिकी, ११. निह्विकी, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गन्धर्वलिपि, १५. आदर्शलिपि, १६. माहेश्वरी, १७. दोमि लिपि, १८. पोलिन्वी ।

—प्रज्ञापना सूत्र, पद १, सूत्र ३७

३. १. हंस, २. झूत, ३. यक्षी, ४. राक्षसी, ५. उड्डी, ६. यवनी, ७. तुख्की, ८. कीरी, ९. द्रविडी, १०. सिंधवी, ११. मालवीनी, १२. नडि, १३. नागरी, १४. लाट, १५. पारसी, १६. अनिमिती, १७. चाणक्की, १८. मूलवेवी ।

—पृ० ४६४

४. १. लाटी, २. खौडी ३. बाहाली, ४. कानडी, ५. गुजरी, ६. सोरहठी, ७. मरहठी, ८. कोकणी, ९. खुरासानी, १०. मागधी, ११. सिंहली, १२. हाडी, १३. कीडी, १४. हुन्मीरी, १५. पारसी, १६. मसी, १७. मालवी, १८. महायोधी ।

इन नामों में स्पष्ट रूप में सबनी, पारसी और तुर्की; तीन अभारतीय हैं। अन्य बहुत से नाम भारत के अन्तर्गती प्रदेशों के आधार पर दिये हुए प्रतीत होते हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न लिपियां ब्राह्मी से बद्धभूत हुईं। हंस आदि कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका स्पष्ट आधार दिखलाई नहीं पड़ता।

कल्पसूत्र में आये नामों में लाटी, बौड़ी^१, डाहाली, कानड़ी, गुजरी, सौरहठी, मरहठी, कौकणी, मागधी, हाड़ी, मालवी आदि नाम विशेषावश्यक के टीकाकार द्वारा प्रस्तुत अधिकांश नामों की तरह भारत के प्रदेशों के नामों पर आधृत लिपि-नाम हैं। उनके लिए उसी प्रकार कहा जा सकता है, जैसा विशेषावश्यक के टीकाकार द्वारा प्रस्तुत नामों के सम्बन्ध में कहा गया है। ब्राह्मी और खरोष्ठी पर अनेक लिपि-विज्ञान-वेत्ताओं ने अनुशीलन और अन्वेषण किया है। उनके भिन्न-भिन्न मत हैं। उन मतों की चर्चा, विश्लेषण तथा समीक्षा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि अब तक लिपि के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में जो सोचा गया है, उसकी कुछ चर्चा की जाए।

लिपि का उद्भव : कल्पना

आदि मानव का एक अव्यक्त उपक्रम

विद्वानों का मतव्य है कि आदिकालीन मानव विभिन्न देवताओं की पूजा में विश्वास करता था। टोनों-टोटकों में भी उसकी आस्था थी। तब तक उसकी तर्कणा-शक्ति विकसित नहीं हो पाई थी। पर, स्वभावतः वह कल्पनाशील तो था ही। अपने इष्ट देवता का प्रतीक या चित्र बनाने का उसमें भाव जगा हो। उसने उसे पूरा करने का कुछ प्रयत्न किया हो। कुछ आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ खींची हों। इसी प्रकार सौभाग्य और शुभ की प्राप्ति, दौर्भाग्य और अशुभ की निवृत्ति के हेतु कुछ जादू-मन्त्र, टोने-टोटके साधने के लिए भी उसके द्वारा कुछ ऐसा ही प्रयत्न चला हो। इस प्रकार रेखाएँ खींचने, कुछ चिह्न बनाने के प्रयत्न का एक अभ्य कारण भी सम्भावित है। अपने बर्तन-भाड़े, घड़े आदि वस्तुएँ जब कभी किसी समा-रोह आदि के अवसर पर या और किसी कारण से एकत्र रखी जाती हों, तब लगभग एक-जैसी होने से वे परस्पर मिल न जाएँ, बाद में अपनी-अपनी वस्तु की पहचान में कठिनाई न हो, इसके लिए भी हो सकता है, मानव ने कुछ चिह्न बनाये हों। यह उपक्रम, जिसके पीछे कोई गहरा चिन्तन नहीं था, तात्कालिक कम विकसित समाज के लोगों की एक भाव-प्रवण उत्प्रेरणा थी। यह क्रम चलता रहा। मानव अपने अमिलयित की एक कल्पित, परिपूर्ति मानता रहा। यह एक सम्भव है, जो लिपि-कला के उद्भव से सम्बद्ध ऊहापोह में उपयोगी है।

१. बौड़ी लिपि सम्भवतः बोल-राजाओं द्वारा शासित राज्य की लिपि रही हो।

व्यवहार-निर्वाह और भाव-स्थापित्व

तत्कालीन मानव भाषा का आविष्कार कर चुका था । सुनकर और बोलकर दूसरों के विचार जानने और ज्ञापित करने की क्षमता उस युग के मनुष्य को प्राप्त थी । उसका कार्य चलता रहा । भाषा के अभाव में उसे व्यवहार में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वह मिट गया था । पर, ज्यों-ज्यों विभिन्न लोगों के साथ उसके व्यवहार का क्षेत्र विस्तृत होता गया, उसे कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं । जिन किन्हीं के साथ उसका व्यवहार था, वे सब उसके सामने उपस्थित होते या होते रहते, तो उसे पारस्परिक व्यवहार की निभाने में कठिनाई नहीं होती; क्योंकि स्वयं बोलकर अपने भाव ज्ञापित कर देता और उनके द्वारा बोलकर व्यक्त किये गये भाव ज्ञात कर लेता । पर, यह सम्भव नहीं था । इसलिए तत्कालीन मानव ऐसा कोई माध्यम खोजने के लिए बेचैन हो उठा हो, जिससे उसकी यह कठिनाई दूर हो सके ।

अन्य कारण भी सम्भाव्य है । ज्यों-ज्यों मानव को बौद्धिक चेतना उद्बुद्ध होती गयी, वह चिन्तन तथा विचार के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ा । वैचारिक दृष्टि से विकसित होते मानव के मन में स्वभावतः यह भाव उठता है, वह अपने विचारों को स्थापित्व दे सके । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे ऐसा करने में तुष्टि प्राप्त होती है । साथ ही उसके विचारों से दूसरे लोग तभी लाभान्वित होते रह सकते हैं, जब वैदिक दृष्टि से उसकी विद्यमानता न रहे; अतः प्रबुद्धचेता मानव को भी यह खोज थी कि उसे कोई ऐसा साधन या सहारा प्राप्त हो, जिससे उसका यह अभाव मिट जाये ।

एक आधार

मानव अपनी मनोभावनाओं, एषणाओं और कामनाओं की परितुष्टि के लिए कुछ प्रतीकात्मक तथा चाहें बहुत अस्पष्ट ही क्यों न हो, चित्रात्मक आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ खींचने में प्रवृत्त हो चुका था । अपने भावों को मूर्त रूप देने के अभिलाषुक मानव का उस प्रयत्न की ओर झुकाव हुआ । उसे शान्ति मिली कि उसका वह उपक्रम उसके लिए आधार बन सकता है । वह उस ओर प्रवृत्त हुआ । अपनी भावनाओं को चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से, चाहे वे अपूर्ण, अस्त-व्यस्त व असुन्दर जैसे रहे हों, प्रकट करने का उसमें उत्साह जगा । चित्र-लिपि के उद्भव की यह कहानी है । चित्रों या प्रतीकों को उद्दिष्ट कर जिस प्रकार खींची जाने वाली टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं ने लिपि-कला के आदि-स्रोत का काम किया, चित्र-कला का भी उन्हें ही मूल आधार माना जा सकता है ।

अन्वेषणों और विद्वानों ने अब तक लिपि के सम्बन्ध में जो अध्ययन तथा गवेषणा की है, उसके अनुसार ईसा से लगभग चार सहस्राब्दियों पूर्व तक लिपि जैसा कोई व्यवस्थित

रूप अस्तित्व में नहीं आया। विद्वानों की मान्यता है कि इस प्रकार के माध्यम की खोज मानव ने ईसा से लगभग दश सहस्राब्दी पूर्व प्रारम्भ की थी। उसके छः सहस्राब्दियों के प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप लिपि अस्पष्ट और अभ्यवस्थित ही सही, प्रादुर्भूत हुई, जो उत्तरोत्तर विकसित होती गयी।

चित्र-लिपि

चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव व्यक्त करने के उपक्रम को चित्र-लिपि की संज्ञा दी गयी। इस उपक्रम में प्रारम्भ के चित्र बहुत ही अपूर्ण और भद्दे रहे होंगे। उस समय के मानव का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था; अतः मानव, मानव के साथी पशु, जीव-जन्तु, उसके द्वारा प्रयोज्य वनस्पतियाँ आदि के चित्र उसने बनाये होंगे। इस प्रयत्न में कुछ ऐसे ठेढ़े-मेढ़े चित्र भी बन गये होंगे, जो कुछ-कुछ ज्यामितीय आकारों से मिलते-जुलते होंगे।

देववाद का युग था। पूजा, उपासना, तत्सम्बन्धी कर्मकाण्ड सम्पादित करने के हेतु देवी-देवताओं के चित्र भी बने होंगे। ऐसे चित्र पर्वतीय कन्दराओं, भित्तियों आदि पर बने होंगे। पत्थर, हड्डी, पशुओं के चर्म, वृक्षों की छाल, मिट्टी के बर्तन, हाथी-दांत आदि का भी इन चित्रों के हेतु उपयोग हुआ प्रतीत होता है।

अभिध्वंजना

अविकसित दशा से विकास की ओर गति करना मानव का स्वभाव है। आदि काल में मानव का अधिकतम सम्बन्ध स्थूल जगत् से था; अतः जिन प्राणियों, पदार्थों व वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ प्रकट करना होता, तो वह उन प्राणियों, पदार्थों तथा वस्तुओं के चित्र अंकित करने का प्रयत्न करता। जैसे, मनुष्य के लिए मनुष्य का चित्र, उसके अंगोपांगों के लिए उसके अंगोपांगों के चित्र, पशुओं के लिए पशुओं के चित्र, सूर्य-चन्द्र व तारों के लिए बड़े-छोटे गोल आकार। सूर्य की रश्मियाँ छोटित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े गोले से उसके चारों ओर निकलती हुई रेखाएँ अंकित करना, ऐसा कुछ उपक्रम था। इस प्रकार उस युग में मानव को अपना कुछ बताने और दूसरों का समझ लेने में किंचित् सन्तोष प्राप्त हो जाता।

ऐसा प्रतीत होता है; चित्रात्मक आधार से मानव का कुछ समय काम चला होता। एक तथ्य ज्ञातव्य है कि चित्र-लिपि केवल स्थूल वस्तु को व्यक्त करने मात्र की क्षमता के कारण अपरिपूर्ण थी। पर, इसमें सार्वजनीनता और सार्वदेशीयता अवश्य थी, क्योंकि स्थूल दृष्ट्या मनुष्य, पशु, पर्वत, नदी आदि प्रायः सर्वत्र सदृश होते हैं। उदाहरणार्थ, उनका आकार जो पश्चिम एशिया में बनता, वैसे ही अमेरिका के किसी देश में बनता और उसे उसी अर्थ में समझ भी लिया जाता, यद्यपि दोनों के बीच बहुत दूरी होती। इस तरह एक प्रकार से यह लिपि, चाहे जैसी ही सही, विश्वजनीन या अन्तर्राष्ट्रीय कही जा सकती है।

परिवर्तन भी पूर्ण सक्षम नहीं

चित्र-लिपि भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम था, पर, बहुत सक्षम नहीं। स्थूल पदार्थों का बोध तो उससे हो जाता, पर, तद्गत या तत्सम्बद्ध भावों को व्यक्त करने का जब प्रसंग आता, तो मानव को कठिनता अनुभूत होती। चित्र में कुछ संयुक्त करने का एक प्रयत्न और हुआ। यदि एक प्यासी गाय को दिखाना है, तो दौड़ती हुई गाय और पास ही पानी दिखा दिया जाता। इसी प्रकार यदि दुर्भिक्ष का भाव व्यक्त करना होता, तो ऐसा मनुष्य दिखाया जाता, जो दुबल दीखता, जिसकी पसलियाँ निकली हुई होतीं। दुःख या विषाद का भाव व्यक्त करना होता, तो ऐसी आंखों का चित्र प्रस्तुत किया जाता, जिनसे आंसू ढल रहे हों। चलने का भाव दिखाना होता, तो केवल पैर दिखा दिये जाते, पर, इससे काम नहीं चला।

चीन में प्राचीन काल में चित्र-लिपि का प्रचलन था। वहाँ भी आन्तरिक भावों को व्यक्त करने हेतु कुछ इसी प्रकार का प्रयास हुआ। यदि वहाँ मैत्री का भाव व्यक्त करना होता, तो दो मिले हुए हाथों का चित्र बना दिया जाता। यदि सुत्ने का भाव व्यक्त करना होता, तो एक ऐसे मनुष्य का चित्र बना दिया जाता, जो दरबाने के पास कान लगाये खड़ा हो।

मिश्र भी चीन की तरह प्राचीन काल से ही सम्यता और कला-कौशल में उन्नत रहा है। वहाँ चित्र-लिपि का प्रचलन रहा। भावाभिव्यक्ति के सन्दर्भ में वहाँ भी इसी प्रकार के प्रयास हुए, जो आवश्यकता के वास्तविक पूरक नहीं हो सके। उनसे एक सीमा तक काम तो चलता रहा, पर, विविध भावों की अभिव्यक्ति ऐसे उपायों से सम्भव नहीं हो सकी।

दूसरी विशेष कठिनता यह भी थी कि जाति-वाचक संज्ञाएँ तो चित्रों द्वारा व्यक्त कर दी जातीं, जैसे, किसी मनुष्य का बोध कराना है, तो मनुष्य का चित्र बना दिया जाता पर, यदि किसी मनुष्य-विशेष—अमुक मनुष्य का बोध कराना हो तो कठिनाई थी। अर्थात् व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं था। अनेक नामों के अनेक व्यक्ति, उनके भिन्न-भिन्न रूप, कभी सम्भव नहीं थे, जो चित्रों द्वारा प्रकट किये जा सकते।

अकलात्मकता और चित्र : एक द्विविधा

बाढ़े सुन्दर न सही, पर, चित्र बनाना भी तो एक कला है। वह सबसे सध सके, सम्भव नहीं; अतः उन लोगों को बड़ी असुविधा होती, जो चित्र बनाने में अक्षम थे। जो चित्र तो बना सकते थे, पर, अतिशीघ्र कोई अभिव्यक्ति करनी होती, तो शीघ्रता में चित्र बनाने में उन्हें बड़ी कठिनता होती। चित्र और उनके योग द्वारा केवल वर्तमान का भाव व्यक्त होता, पर, अतीत तथा भविष्य की अभिव्यञ्जना के लिये कोई साधन नहीं था।

चित्र-लिपि के युग में इस प्रकार मानव येन-केन-प्रकारेण अपने को व्यक्त करने का प्रयत्न

तो करता, पर, उसे सन्तोष नहीं था, अनेक कठिनाइयाँ थीं। वह कुछ खोज में था, ताकि वह असन्तोष, वे कठिनाइयाँ मिट सकें।

प्रतीक-लिपि

चित्र-खींचने में असुविधा थी और साथ-ही-साथ अमनोनुकूल कालक्षेप भी था। सतत गतिशील मानव लम्बे समय तक कैसे सह पाता ! शीघ्रातिशीघ्र भाव व्यक्त करने के लिये समय बचाने के लिए वह बहुत तत्परता से चित्र बनाता। चित्र ठीक नहीं बनते। विकृत चित्रों से भी कुछ काल तक वह काम चलाता रहा। लेखिनी की शीघ्रता के कारण चित्रों का उत्तरोत्तर घसीट रूप होता गया। तब पूरे चित्र के प्रतीक के रूप में कुछ रेखाओं का प्रयोग होने लगा। उदाहरणार्थ, पहले पर्वत को दिखाना होता तो उसका एक रेखा-चित्र-सा बनाया जाता, उसकी चोटियाँ रेखाओं द्वारा विशेष रूप से दिखाई जातीं। पर, आगे चल कर वह सारा कुछ रेखाओं के रूप में ही बसा रहा। इस प्रकार चित्रों के स्थान पर प्रतीक-चिह्नों से काम चलने लगा। चित्र में समझने की दृष्टि से एक सुविधा थी। उसे देखते ही वस्तु समझ ली जाती। प्रतीक चिह्नों में वह नहीं रहा। उन्हें स्मरण रखना पड़ता, यह चिह्न अमुक वस्तु के लिए है और यह किसी अन्य के लिए। चित्रों में एक सीमा तक सद्दृशता थी; अतः उन्हें समझने में भिन्न-भिन्न देशों या स्थानों के लोगों को कठिनाई नहीं होती। रेखा-चिह्नों में यह बात नहीं रही। वहाँ जिस वस्तु के लिए, जिस भाषा के लिए जो रेखा-चिह्न कल्पित कर लिये गये, उन चिह्नों को देखने मात्र से बँसा कुछ ज्ञात नहीं होता, जब तक उन चिह्नों से सम्बद्ध मान्यता को आत्मगत न कर लिया जाता। इस प्रकार चित्रों द्वारा तत्कालीन लिपि में जो सार्वजनीनता आई थी, वह नहीं रह पाई। भिन्न-भिन्न देशों के व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए एक ही समान रेखा-चिह्न स्वीकार किये हों, ऐसा भी सम्भव नहीं।

भाव-ध्वनिमूलक लिपि

वस्तु और भाव दोनों के लिए अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त प्रतीकात्मक लिपि में अगला विकास हुआ कि कुछ तो भावमूलक प्रतीक, जिनसे भावों के समझने में तत्कालीन मानव कुछ सुविधा अनुभव करता था, जो चित्रों के संक्षिप्त या संकेतिक रूप थे, विद्यमान रहे और कुछ प्रतीक भावों के परिवर्तन में ध्वनियों के साथ संयुक्त कर दिये गये। इस प्रकार मानव को लिपि-विकास के अभियान में कुछ सुविधा मिली। इस पद्धति को भाव-ध्वनिमूलक लिपि कहा जाता है।

ध्वनिमूलक-लिपि

प्रतीक-चिह्न भाव और ध्वनि; दोनों के लिए प्रयुक्त थे। दोनों में होने वाली सुविधा-

अबुधिया को मानव ने अनुभव किया। सम्भवतः उसे प्रतीत हुआ, चिह्नों का प्रयोग ध्वनियों के लिए अधिक संगत तथा समीचीन है। जो चिह्न जिस ध्वनि के लिये प्रयुक्त था, उससे संबंध वही ध्वनि समझी जाती थी। भावमूलक चिह्नों में बहुत स्पष्ट रूप में वंसी स्थिति नहीं बनती थी; इसलिये भाव-ध्वनिमूलक लिपि का विकास ध्वनिमूलक लिपि में हुआ।

ध्वनिमूलक लिपि के भेद

ध्वनिमूलक लिपि दो प्रकार की है। एक अक्षरात्मक (Syllabic) और दूसरी वर्णात्मक (Alphabetic)।

अक्षरात्मक लिपि—वर्ण और अक्षर में एक अन्तर है। वर्ण एक ध्वनि का उद्बोधक है और अक्षर एक से अधिक मिलित ध्वनियों का सूचक है। स्थूल दृष्टि से अक्षरात्मक लिपि के प्रयोग में कोई अभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, पर, यदि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता में जायें, तो वहां कुछ न्यूनता लगेगी। उदाहरण के लिये हिन्दी के 'प्रिय' शब्द को लें। देवनागरी लिपि में इसके 'प्रि' और 'य' दो भाग दृष्टिगोचर होंगे। 'प्रिय' शब्द में समस्त वर्ण किन्तु हैं, उसके बाह्य दर्शन से कुछ ज्ञात नहीं होता। पर, यह शब्द यदि रोमन लिपि में लिखा जायेगा, तो इसमें P, R, I, Y तथा A; ये पांच ध्वनियां स्पष्ट दिखाई देंगी। संस्कृत भाषा के देवनागरी में लिखे हुये शब्दों के वर्णों को संस्कृतज्ञ तत्काल जान सकते हैं, पर, वह शब्द अपने कलेवर से उन वर्णों का पृथक्-पृथक् स्वरूप प्रकट नहीं कर सकता; जैसे संस्कृत का वृक्ष शब्द। बाह्य दृष्टि से देखने पर इसमें केवल दो भाग हैं— दो अक्षर दिखाई देते हैं, पर, वस्तुतः इसमें ब्, ऋ, क्, ष्, तथा अ; ये पांच वर्ण हैं, जो वृक्ष शब्द के कलेवर से प्रतीत नहीं होते। यह लिपि की परिपूर्णता में एक कमी है। आधुनिक लिपियों में देवनागरी की तरह बंगला, गुजराती, उडिया, तमिल, तेलुगु, अरबी, फारसी आदि लिपियां अक्षरात्मक हैं।

वर्णात्मक लिपि—लिपि के विकास में जो उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, उसकी पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष वर्णात्मक लिपि है। रोमन लिपि इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्णात्मक लिपि की यह विशेषता है कि उसकी प्रत्येक ध्वनि के लिये पृथक्-पृथक् चिह्न होते हैं; इसलिये उसमें किसी भी भाषा का शब्द जितने वर्णों का होगा, उतने वर्णों में लिखा जायेगा। जहां रोमन लिपि में लिखे गये शब्दों के उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, जैसे अंग्रेजी के Should, Could, Would आदि शब्द अपने अन्तर्बर्ती वर्णों के उच्चारण के अनुरूप उच्चारित न होकर शुड, कुड, वुड जैसे विभिन्न उच्चारणों में बोले जाते हैं, वहां उस लिपि में लिखी गयी भाषा की न्यूनता है या उसकी अपनी विशेष प्रवृत्ति है, उसमें लिपि का दोष नहीं है।

विश्व की लिपियाँ : दो वर्ग

विश्व की लिपियाँ अपने स्वरूप के आधार पर दो वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। पहला वर्ग उन लिपियों का है, जिनमें बिड़ पृथक्-पृथक् वर्णों या अक्षरों के छोटक नहीं हैं, एक शब्दात्मक ध्वनि के छोटक है। दूसरा वर्ग उन लिपियों का है, जिनमें प्रयुक्त बिड़ आकार पृथक्-पृथक् वर्णों या अक्षरों के छोटक हैं। भाषा-वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से उनका निम्नांकित रूप में वर्गीकरण किया है :

पहला वर्ग—मुख्य लिपियाँ :

१. क्यूनीफार्म
२. हीरोग्लाइफिक
३. क्रीट की लिपियाँ
४. सिन्धु घाटी की लिपि
५. हिट्टाइट लिपि
६. चीनी लिपि
७. प्राचीन मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ

दूसरा वर्ग—मुख्य लिपियाँ :

१. दक्षिण सामी लिपि
२. हिब्रू लिपि
३. फिनिशियन लिपि
४. खराष्टी लिपि
५. आर्मेइक लिपि
६. अरबी लिपि
७. भारतीय लिपि
८. ग्रीक लिपि
९. लैटिन लिपि

ब्राह्मी की उत्पत्ति : मत-मतान्तर

ब्राह्मी के सम्बन्ध में जो मत-मतान्तर हैं, उनका विश्लेषण अपेक्षित है। यह विषय ऐसा है, जिस पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। पर, अब तक किसी सर्वसम्मत मत पर नहीं पहुँचा जा सका है। स्थिति ऐसी रही है, भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने-अपने तर्कों के आधार पर अपने-अपने मत प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। अब भी प्रस्तुत विषय

पर सुक्ष्मता से गवेषणा की जानी अपेक्षित है ।

यूनानी से ब्राह्मी

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि ब्राह्मी-लिपि का उद्गम-स्रोत यूनानी लिपि है । इस मत के परिपोषक विद्वानों में डा० अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिन्सेप तथा सेनार्ट आदि मुख्य हैं । सेनार्ट ने इस सम्बन्ध में जो विश्लेषण किया है, उसके अनुसार सिक्खन्दर के भारत-आक्रमण के अनन्तर यूनानियों तथा भारतीयों का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ा । तब तक भारतीयों में लेखन-कला प्रचलित नहीं थी । उन्होंने यूनानियों से उसे सीखा । उसके आधार पर उन्होंने ब्राह्मी-लिपि की रचना की ।

यूनानियों के साथ सम्पर्क जुड़ने से बहुत पहले भारत में लिपि-कला का प्रसार था । यहां के निवासी लिखना जानते थे; अतः यूनानी लिपि के साथ ब्राह्मी का सम्बन्ध जोड़ने की स्थिति नहीं आती । इस प्रकाश के विचार बूलर तथा डिरिजर आदि विद्वानों ने व्यक्त किये, जो महत्वपूर्ण हैं । क्योंकि चन्द्रगुप्त मौर्य के काल के आस-पास ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति मानी जाये तो उसके पौत्र अशोक के समय तक वह इतनी विकसित व समुन्नत हो जाये, यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

फॉन्ट विद्वान् कुपेटी

कभी-कभी प्रबुद्ध जन भी कुछ ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं, जो स्पष्टतया असंगत होती हैं । ऐसी ही एक कल्पना फॉन्ट विद्वान् कुपेटी की ब्राह्मी लिपि के उद्भव के सम्बन्ध में है । उनकी मान्यता है कि ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई । लिपि-विज्ञान पर कार्य करने वाले विद्वान् तथा अध्येता जानते हैं कि चीनी और ब्राह्मी का कोई मेल नहीं है । चीनी मूलतः चाहे कितना ही परिष्कृत सही, एक प्रकार से चित्र-लिपि का ही कलेवर लिपे हुए है । जैसा कि पहले कहा गया है, चीनी लिपि में वर्णात्मक व अक्षरात्मक ध्वनियां नहीं हैं । उसमें शब्दात्मक ध्वनियों के परिचायक चित्रात्मक चिह्न हैं । ऐसे चिह्न उसमें बहुत अधिक हैं । वे चालीस-पचास हजार की सीमा तक पहुँच जाते हैं । यद्यपि अब चीनी विद्वानों ने उनमें से सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त चिह्नों को लिया है, जिनकी संख्या लगभग पाँच सौ है । उन्हें भी जितना हो सका, सरल बनाने का प्रयास किया है और अब उन्हीं चिह्नों से सारा काम लिया जा रहा है । यह स्वयं सोचा जा सकता है, ब्राह्मी जैसी लिपि से जिसके चिह्न अक्षरात्मक ध्वनियों के अभिव्यंजक हैं, दूसरे शब्दों में जो लिपि अक्षर-गठित है, चीनी लिपि का कैसे मेल हो सकता है ?

माना कि चीनी लिपि बहुत प्राचीन है । चीनी किंवदन्ती के अनुसार ई० पूर्वं ३२००

में उसका आविष्कार हुआ। दूसरे मत के अनुसार यह ई० पूर्वं २७०० वर्षों में निर्मित हुई। पर, प्राचीनता मात्र कोई कारण नहीं है, जिससे संगत-असंगत सब कुछ उसके साथ जोड़ दिया जाये। जहाँ लिपि-विश्लेषण और समीक्षा का प्रश्न आता है, विद्वान् इस मत की चर्चा तक नहीं करते।

उत्तरी सेमेटिक लिपि

भाषा-विज्ञान में सेमेटिक और हेमेटिक दो शब्द आते हैं, जो दो विशिष्ट भाषा-परिवारों को व्यक्त करने के हेतु विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सेमेटिक भाषा-परिवार, हेमेटिक-भाषा-परिवार। सेमेटिक शब्द लिपि के साथ भी जुड़ा है।

कहा जाता है, हजरत नोह (नूह) के दो पुत्र थे। बड़े का नाम सेम और छोटे का हेम था। परम्परया सेम को दक्षिण-पश्चिम एशिया के निवासियों का आदि पुरुष माना जाता है। उस भू-भाग में प्रसृत भाषा-परिवार सेम के नाम पर सेमेटिक कहलाया। भाषा की तरह वहाँ प्रयुक्त प्राचीन लिपि के साथ भी यह विशेषण जुड़ा। सेमेटिक का हिन्दी में सामी अनुवाद किया गया है। सेमेटिक भाषा-परिवार के दक्षिणी क्षेत्र में जो लिपि प्रयुक्त होती थी, उसे दक्षिणी सेमेटिक लिपि कहते हैं।

बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि उत्तरी सेमेटिक लिपि से ब्राह्मी का उद्भव हुआ। उनमें बूलर का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। देबर, बैमके, वेस्टरगाड, ह्यूटनी, जॉनसन, विलियम जॉन्स आदि विद्वानों के अभिमत भी बहुत कम भेद के साथ, लगभग इसी प्रकार के हैं। बूलर के मन्तव्यानुसार इसवी सन् से लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व सेमेटिक अक्षरों का भारत में प्रवेश हुआ।¹

फिनिशियन और ब्राह्मी

उत्तरी सेमेटिक लिपि की एक मुख्य शाखा फिनिशियन थी। फिनिशिया (देश) में प्रचलित होने के कारण यह फिनिशियन कहलाई। प्राचीन काल में एशिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित भू-भाग (सीरिया) फिनिशिया कहा जाता था। फिनिशिया प्राचीन काल से ही शिक्षा, सभ्यता, कला-कौशल व व्यापार आदि में बहुत समुन्नत था। भारतीय लोग व्यापारार्थ फिनिशिया आते-जाते थे। उन विद्वानों के अनुसार तब तक भारत में लेखन-कला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था; अतः पारस्परिक व्यवहार में सुविधा रहे, इस हेतु उन्हें फिनिशियन लिपि का अक्षर सीखना आवश्यक लगा। उन्होंने बैसा किया। उनकी कठिनाई दूर हो गयी। उन व्यापारियों के साथ वे फिनिशियन अक्षर भारत आये। वे अक्षर

ब्राह्मणों के द्वारा क्रमशः परिवर्तित, परिष्कृत और परिवर्धित होकर एक विशिष्ट अक्षरमाला में परिणत हो गये। संस्कृत तथा प्राकृत के लिखने में सरलता से प्रयुक्त होने लगे। ब्राह्मणों द्वारा नूतन रूप दिये जाने के कारण सम्भवतः इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। अधिकांश विद्वान् ब्राह्मी के फिनिशियन से निकलने के पक्ष में हैं।

नई स्थापना

डा० राजबली पाण्डेय ने एक नई स्थापना की है। उन्होंने फिनिशिया बासियों को मूलतः भारतीय बताया है। उनके अनुसार भारत से चल कर कुछ लोग फिनिशिया बस गये थे। वे जाते समय अपनी ब्राह्मी लिपि भी साथ लेते गये। वह लिपि वहाँ अन्य लिपियों और स्थितियों से प्रभावित होती हुई फिनिशियन के रूप में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि फिनिशियन और ब्राह्मी में सादृश्य प्राप्त होता है। डा० पाण्डेय ने ऋग्वेद ६-५१, १४; ६१, १ के प्रमाणों से इस सत्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है।

डा० पाण्डेय उच्चकोटि के विद्वान् हैं। तर्क और युक्ति से उन्होंने प्रस्तुत सन्दर्भ में जो नई स्थापना करने का प्रयत्न किया है, वह निःसन्देह लिपि-विज्ञान के क्षेत्र में एक दिशा-दर्शन है, पर, भारतवासी फिनिशिया गये, अपनी लिपि साथ ले गये, उनकी अर्थात् ब्राह्मी-लिपि का ही विकास फिनिशियन लिपि है, इत्यादि सत्य बहुत महत्व के हैं। उनके लिए कुछ ठोस प्रमाण चाहिए, केवल शास्त्रीय प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं।

दक्षिणी सेमेटिक और ब्राह्मी

कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि ब्राह्मी का विकास दक्षिणी सेमेटिक लिपि से हुआ है। ऐसा मानने वालों में टेलर, सेथ आदि के नाम मुख्य हैं।

कुछ विद्वान् ब्राह्मी-लिपि का उद्भव दक्षिणी सेमेटिक की शाखा अरबी लिपि से मानते हैं। पर, वस्तुतः दक्षिणी सेमेटिक लिपि और उसकी शाखा-लिपियों से ब्राह्मी का सादृश्य नहीं है। अरबवासियों का भारतीयों के साथ पुराना सम्बन्ध रहा है केवल इस आधार पर अरबी से ब्राह्मी के उद्भव की कल्पना करना संगत नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अरबवासियों और भारतीयों का सम्पर्क इतना पुराना नहीं है, जिससे ब्राह्मी लिपि के अरबी लिपि से निकलने की कल्पना की जा सके, जो सम्राट् अशोक के समय एक समृद्ध लिपि थी।

डा० राइस डेविड्स

डा० राइस डेविड्स ने एक ऐसी लिपि की परिकल्पना की है, जो सेमेटिक अक्षरों के उद्भव से पूर्व ही यूफ्रेटिस नदी की घाटी में व्यवहृत थी। डा० राइस डेविड्स के अनुसार

ब्राह्मी का सीधा सम्बन्ध उस प्राकृत लिपि से है, जो सेमेटिक लिपियों की भी जनयित्री थी। इस अभिमत के समक्ष बहुत से ऐसे स्पष्ट प्रश्न-चिह्न हैं, जो असमाधेय प्रतीत होते हैं; अतः इस पर ऊहापोह संगत नहीं लगता।

भारत : ब्राह्मी का उत्पत्ति-स्थान

कतिपय पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान् यह नहीं मानते कि ब्राह्मी किसी वंदेशिक लिपि से उद्भूत हुई। उनका मन्तव्य है कि ब्राह्मी का उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष है। एडवर्ड ग्रामर, गोल्ड स्टूकर, राजेन्द्रलाल मित्र, लासेन, डासन, कनिंघम आदि के नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस विचारधारा के कतिपय विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष में आर्यभाषी जनता द्वारा किसी चित्र-लिपि का प्रयोग किया जाता था। सम्भवतः उसी से ब्राह्मी का प्रादुर्भाव हुआ।

वूलर ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत में जब कोई प्राचीन चित्र लिपि मिलती ही नहीं, तब यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि ब्राह्मी का चित्र-लिपि से विकास हुआ। जब वूलर ने यह मत व्यक्त किया था, तब तक मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा का उत्खनन नहीं हो पाया था। इस उत्खनन के परिणाम-स्वरूप ऐसे प्रश्न और शंकाएँ स्वयं समाहित हो जाती हैं।

डा० चटर्जी का विचार

भारत के महान् भाषा-विज्ञानवेत्ता डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के विचार इस सन्दर्भ में अनेक दृष्टियों से मननीय हैं। उन्हें अविकल रूप में यहाँ उद्धृत किया जाता है : “भारत की जो लिपियाँ अभी तक पढ़ी जा सकी हैं, उनमें ब्राह्मी-लिपि सबसे प्राचीन है। यही भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित प्राचीनतम लिपि है। हमारी हिन्दू-सभ्यता का इतिहास बहुत प्राचीन है। पुराण ईसा पूर्व बहुत हजार वर्षों की बात बतलाने हैं, लेकिन भारतवर्ष में ई० पू० ३०० के पूर्व की आर्य-भाषा में रचित कोई लेख अभी तक नहीं मिला है और न पढ़ा हो गया है। मोर्य युग की ब्राह्मी-लिपि को ही वर्तमान क्षेत्र में आधुनिक भारतीय लिपियों में आदि-लिपि कहना पड़ता है। ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। अब तक करीब सभी समझते थे कि यह फिनिशिय अक्षरों (जो ई० पू० १००० के पहले ही सीरिया देश के Phoenicia फिनिशिया में प्रचलित शैमोय परिवार की फिनिशिय भाषा के आधार पर बने), से उत्पन्न हुई, या तो दक्षिण-अरब के रास्ते, नहीं तो ईरान की खाड़ी के रास्ते, द्राविड़ जाति के क्षत्रियों की मार्फत ये अक्षर ई० पू० ५००-६०० के लगभग भारत में लाये गये और बाद में ब्राह्मणों के द्वारा परिवर्तित और परिवर्द्धित होकर इस अक्षरमाला

(ब्राह्मी) की सम्पूर्णता साधित हुई । कोई-कोई फिनिशिय अक्षरों से ब्राह्मी अक्षरों की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते थे । वे अनुमान करते थे कि भारतवर्ष की भार्यभाषी जनता द्वारा सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप से, किसी प्रकार की मौलिक चित्र-लिपि से, ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है, सम्प्रति मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा में मिली सैंकड़ों मुद्रालिपियों से एक नया मत प्रतिपादित हो रहा है कि प्राग्-आर्य युग की चित्र-लिपि का विकास ही ब्राह्मी-लिपि है । जो कुछ भी हो, यह बात ठीक है कि ई० पू० १००० के लगभग, अशोक आदि मौर्य सम्राटों के काल में व्यवहृत हमारी प्राप्त ब्राह्मी-लिपि की प्रतिष्ठा का काल माना जा सकता है ।^१

डा० चटर्जी ने कई विचारधाराओं का नखनीत उपस्थित करते हुए यहां जो संकेत किया है, प्रस्तुत प्रकरण के उपसंहार में समीक्षारमक विवेचन के सन्दर्भ में वह उपयोगी होगा ।

भारत में लिपि-कला

ऋग्वेद प्रभृति वेद

भारतीय षाड्मय में प्राचीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है । भारतीय षाड्मय ही नहीं, भारतीय भाषा परिवार के समस्त उपलब्ध साहित्य में भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका असाधारण महत्व है । ऋग्वेद में यत्र-तत्र इस प्रकार के संकेत दूढ़े जा सकते हैं, जो लेखन-परम्परा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं । उदाहरणार्थ, एक प्रयोग है—
“सहस्रं मे वदतो अष्टकर्णः” । यहां आठ कानों वाली हजार गौएं देने का उल्लेख है । अष्टकर्ण का अभिप्राय उन गौओं से है, जिनके कानों पर किसी कारण से, जो धार्मिक परम्परा से सम्बद्ध हो सकता था अथवा किसी शुभ फल का द्योतक हो सकता था, आठ का अंक लिखा जाता रहा होगा । वैसे गौओं को अष्टकर्णी कहा जाता होगा । आठ का अंक लिखने का ज्ञान होने का स्पष्ट आशय यह है कि ऋग्वेद के काल में लेखन-परम्परा या लिपि-कला विकसित रूप में थी ।

ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक् आदि छन्दों के नाम प्राप्त होते हैं । छन्दों के नाम प्राप्त होने का अर्थ है, वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या-वद्ध पंक्ति-सूचक रचना, जिससे लिपि-ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

वाजसनेयी संहिता अर्थात् शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे लिपि के अस्तित्व का सूचन होता है । कृष्ण यजुर्वेद की काण्व संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता में कई छन्दों का उल्लेख है तथा उनके पादों के वर्णों की संख्या

१. भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्याएं, पृ० १७०-७१

तक गिनाई गयी है। अथर्व-वेद में भी इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनमें छन्दों की संख्या तक का उल्लेख है। वहाँ एक स्थान पर छन्दों की म्यारह संख्याएं सूचित की गयी हैं।

उपनिषद् एवं ब्राह्मण ग्रन्थ

छान्दोग्योपनिषद् में अक्षर व ईकार, ऊकार एवं एकार संज्ञाओं तथा तैत्तिरीय उपनिषद् में वर्ण, स्वर, मात्रा व बल की चर्चा है। ऐतरेह ब्राह्मण में ओं को अकार, उकार तथा मकार के संयोग से निष्पन्न कहा है। शतपथ ब्राह्मण में एकवचन, बहुवचन, तीन लिंग आदि का विवेचन है। पंचविंश ब्राह्मण आदि में भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे लेखन-कला का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ये ग्रन्थ निरुक्तकार यास्क और अष्टाध्यायी-कार पाणिनि से पूर्ववर्ती माने जाते हैं। इससे अनुमित होता है कि वैदिक काल, उपनिषद्-काल और ब्राह्मण-काल में भारतवर्ष में लिपि-कला प्रचलित थी।

तत्परक इतर वाङ्मय

रामायण और महाभारत बहुत प्राचीन माने जाते हैं। फिर भी उन्हें यदि उतना प्राचीन न माना जाये तो कम-से-कम ई० पू० ४००-५०० तक तो उनका अस्तित्व सम्पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। उनमें भी लिपि-कला सूचक उल्लेख हैं।

संस्कृत-व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रन्थ अष्टाध्यायी है। उसके रचयिता पाणिनि थे। गोलहड्डकर ने अष्टाध्यायी का रचना-काल बुद्ध से पूर्व माना है। डा० बासुदेव शरण अग्रवाल ने उसका समय ई० पू० ४००-४३० स्वीकार किया है। उन्होंने पाणिनि-कालीन भारत नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय पर भी प्रकाश डाला है, जो पठनीय है। लिपि, लिपिकर, उन्हीं के परिवर्तित रूप लिबि, लिबिकर आदि का अष्टाध्यायी में उल्लेख आया है। वहाँ यवनानी शब्द बनाने के सम्बन्ध में भी नियमोल्लेख है। धार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतंजलि ने यवनानी का तात्पर्य यवनों की लिपि बतलाया है। ग्रन्थ आदि शब्द भी वहाँ आये हैं। इन सबसे पाणिनि के समय में भारत में लिपि-ज्ञान था, यह सूचित होता है।

प्रो० मैक्समूलर ने पाणिनि का समय ई० पू० चार सौ वर्ष माना है। उन्होंने लिखा है कि अष्टाध्यायी में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, जिससे लिपि-ज्ञान का अस्तित्व सूचित होता हो। डा० बासुदेव शरण अग्रवाल के उक्त ग्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात् इस सम्बन्ध में सब स्पष्ट हो गया है। वस्तुतः प्रो० मैक्समूलर की उक्त धारणा भ्रान्त थी। सम्भवतः अष्टाध्यायी का उस दृष्टिकोण से वे सूक्ष्म अनुशीलन न कर पाये हों।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हैं, जो लिपि-ज्ञान को द्योतक हैं। अर्थशास्त्र का समय भी ई० पूर्वं चौथी शती माना जाता है। वशिष्ठ धर्मसूत्र, मनुस्मृति, वात्स्यायन कामसूत्र आदि अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी लिपि-संकेतक उल्लेख हैं।

बौद्ध बाङ्मय में

अक्खटिका

बौद्ध पिटक बाङ्मय के ब्रह्मजालसुत्त नामक ग्रन्थ में किसी प्रसंग में एक खेल का वर्णन है, जिसका नाम वहाँ अक्खटिका दिया गया है। इसका संस्कृत रूप अक्षरिका होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है -- एक व्यक्ति द्वारा आकाश में कुछ अक्षर लिखे जाते या किसी अन्य व्यक्ति की पीठ पर अक्षर लिखे जाते, जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानना होता। आकाश में अक्षर लिखे जाने का आशय है, अंगुली से आकाश में अक्षरों के आकार बनाने का उपक्रम करना। उसी तरह किसी की पीठ पर अक्षर लिखने का तात्पर्य भी वैसा ही है, अंगुली से पीठ पर अक्षर का स्वरूप आंकना। दूसरे व्यक्ति को उसे पहचान कर बताना होता कि आकाश में क्या लिखा गया? जिसकी पीठ पर अंगुली से अक्षर स्वरूप अंकित किया जाता, उसे भी बताना होता कि वे कौन-कौन अक्षर थे। पहचान पाने और न पाने पर ही उस खेल में विजय-पराजय आधृत थी। यदि अक्षरों के स्वरूप या लिपि का प्रचलन नहीं होता, तो इस प्रकार के खेल की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

ब्रह्मजालसुत्त, जिसमें 'अक्खटिका' का उल्लेख है, सुत्तपिटक के दीघ निकाय के अन्तर्वर्ती सोलसखन्ध वग्न का प्रथम सूत्र है।

विनय पिटक और जातक ग्रन्थ

पिटक बाङ्मय के प्रमुख अंग विनय पिटक में ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे लेखन-कला की प्रशस्ति तथा लेख, लेखक आदि शब्दों का सूचन प्राप्त होता है। आलडन वग्न ने विनय पिटक की ऐतिहासिकता ई० पू० चार शताब्दी से पहले की स्वीकार की है।

जातक ग्रन्थ प्राचीन भारत के समाज, जीवन, कला, कोशल, विद्या, व्यवसाय आदि का चित्र उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा जैसे विद्वानों के अनुसार इनमें लगभग ई० पूर्वं छठी शताब्दी या उससे भी पहले के भारतीय जन-जीवन का चित्र उपस्थित है। जातक ग्रन्थों में लेखनी, पुस्तक, पाठशाला, लेख, लेखक, अक्षर तथा काठ, बांस, पत्र, सुवर्ण-पत्र, काष्ठकलक आदि लेखनोपयोगी सामग्री का उल्लेख प्राप्त होता है। इनसे स्पष्टतया लेखन या लिपि-कला का संकेत मिलता है।

जैन वाङ्मय में

व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतो) सूत्र में ब्राह्मी-लिपि का नाम आया है । समवायांग सूत्र तथा प्रज्ञापना सूत्र में १८ लिपियों का नामोल्लेख हुआ है । लिपियों के नाम-सम्बन्धी दूसरे उद्धरण भी पाद-टिप्पण में उल्लिखित किये गये हैं ।^१ जैन वाङ्मय में और भी अनेक स्थलों पर ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे लेखन तथा उससे सम्बद्ध उपकरणों पर प्रकाश पड़ता है । राजप्रश्नीय सूत्र में सूर्याभदेव का प्रसंग है । वहाँ पुस्तक-रत्न का वर्णन है । पुस्तक-रत्न शब्द के प्रयोग का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि पुस्तक को तब रत्न की तरह प्रशस्त माना जाता रहा हो । उस प्रसंग में उल्लेख है : “तब सूर्याभदेव के सामानिक परिषद् का (सामानिक परिषद् से उपपन्न) देवता सूर्याभदेव को पुस्तक-रत्न देता है । सूर्याभदेव पुस्तक-रत्न को ग्रहण करता है, पुस्तक-रत्न को खोलता है, पुस्तक-रत्न को विघाटित करता है—पत्र उलटता है, पुस्तक-रत्न का वाचन करता है, (उससे) धार्मिक व्यवसाय ग्रहण करता है, पुस्तक-रत्न को वापिस प्रतिनिक्षिप्त करता है ।”^२

समवायांग सूत्र में ब्राह्मी-लिपि के छायालीस मातृकाक्षर—मूल अक्षर बतलाये गये हैं ।^३ बृहत्कल्पभाष्य में पुस्तकों के पांच भेद किये गये हैं : गंडी, कण्ड्वि, मुट्टि, संपुटफलक तथा छेदपाटी ।^४ आचार्य हरिभद्र रचित दशवैकालिक सूत्र की टीका में भी प्राचीन आचार्यों की एतद्विषयक मान्यता के सम्बन्ध में पांच प्रकार की पुस्तकों की चर्चा है । निशीथ-चूर्णि में भी इनका उल्लेख है । समवायांग सूत्र की टीका में ताम्र, लौह, काष्ठ, वल्कल, दन्त, पत्र, रजत आदि पर अक्षर लिखने, उत्कीर्ण करने आदि का वर्णन है ।^५ वासुदेव हिण्डी में ताम्रपत्र पर पुस्तक लिखने—उत्कीर्ण करने आदि की चर्चा है ।^६

१. देखें, इसी अध्याय में ‘जैन मान्यता’ शीर्षक के अन्तर्गत पाद-टिप्पण ।

२. तएणं तस्स सूरियामस्स देवस्स सामानिय परिसोवन्नगो देवो पोत्थरयणं उवणेति, ततेणं सूरियामे देवे पोत्थरयणं गिण्हइ, पोत्थरयणं मुयई, पोत्थरयणं त्रिहाडेइ, पोत्थरयणं बाएति, धम्मिवं ववसायं गिण्हइ पोत्थरयणं पडिणिश्लमति ।

—राजप्रश्नीय सूत्र, पृ० १६७

३. बंभीएणं लिबीए छायालीसं माउयक्खरा ।

—समवायांग सूत्र, ४६

४. बृहत्कल्पभाष्य, ३.३८२२

५. समवायांग सूत्र टीका, पृ० ७८

६. पृ०, १८९

जैन परम्परा में ऐसा भी प्राप्त होता है कि चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व साध लेने के अनन्तर पर्वत पर अपना नामोल्लेखन करते हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में एक ऐसा ही प्रसंग है, जहाँ भरत चक्रवर्ती द्वारा ऐसा किये जाने का वर्णन है। वहाँ लिखा है : ".....तत्पश्चात् राजा भरत ने अपने अश्वों को नियुहीत किया, उन्हें मोड़ा और वह ऋषभकूट पर्वत के पास आया। अपने रथ के अग्रभाग से ऋषभकूट पर्वत का तीन बार स्पर्श किया और अश्वों को रोका। फिर छः तल वाले, बारह अंश वाले, आठ कोने वाले, अधिकरणी के समान आकार वाले, सुन्दर वर्ण वाले काकिणी रत्न को लिया। उसे लेकर ऋषभकूट पर्वत की पूर्व दिशा के समतल भाग में लिखा : 'मैं भरत नामक चक्रवर्ती हूँ। इस अधसर्पिणी-काल में तृतीय आरे के पश्चिम भाग में प्रथम राजा हूँ। भरत क्षेत्र का अधिपति हूँ। नखरेन्द्र हूँ। मेरा कोई प्रतिशत्रु नहीं है। मैंने भरत क्षेत्र को विजित किया है। इस प्रकार उसने आलेखन किया। आलेखन कर अपने रथ पर लौट आया।'"^२

कल्पसूत्र की टीका में भगवान् गृहाधीर के जीवन-वृत्त के प्रसंग में लिखा है कि जब वे आठ वर्ष के हुए, तब उनके पिता सिद्धार्थ ने महोत्सव पूर्वक उन्हें लेखशाला भेजा। अध्यापक को बहुमूल्य उपहार दिये और लेखशाला के विद्यार्थियों को अन्यान्य वस्तुओं के साथ मसी-पात्र, लेखनी तथा पट्टी (स्लेट) आदि पठनोपकरण भी प्रदान किये।^३

अनुयोग-द्वारा सूत्र में आवश्यक पर चार निक्षेपों के प्रसंग में 'आगमतः द्रयावश्यक' का वर्णन करते हुए अन्यान्य विशेषणों के साथ उसके अहीनाक्षर, अनत्यक्षर तथा अव्याविद्धाक्षर,

५. लोहार का एक उपकरण।

—पाइअसहमहणवो, पृ० ९६

१. तएणं से भरहे राया तुरए णिगिण्हइ २ ता रहं परावत्तेइ २ ता जेणेव उसहकूडे तेणेव उवागच्छइ २ ता उसहकूडं पव्वयं तिकखुत्तो रहसिरेणं फुसइ २ ता तुरए णिगिण्हइ २ ता रहं ट्ठवेइ २ ता छत्तलं दुवालसंसियं अट्ठकणियं अहिरणिसंठियं सोवणियं कागणिरयणं परामुसइ २ ता उसहकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमिल्लंसि कडगंसि णामगं आउडेइ।

अस्तपिणी इमीसे, तइआइ समाइ पच्छिमे भाए।

अहमंसि चक्कबट्ठी, भरहोइअ नामविज्जेण।

अहमंसि पढम राया, अहमं भरहाहिवो भरवरिंदो।

णत्थि महं पडिसत्तू, जियं मए भारहं वासं।

इति कट्ठू णामगं आउडेइ २ ता रहं परावत्तेइ.....।

—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, चक्रवर्ती-अधिकार, पृ० २१७-१८

२. कल्पसूत्र टीका ५, पृ० १२०

ये तीन विशेषण और दिये गए हैं^१, जिनसे अक्षरों का सूक्ष्म प्रयोग वृत्तित होता है। अक्षरों का सूक्ष्म प्रयोग जहाँ होगा, वहाँ लिपि का अस्तित्व न हो, यह कैसे सम्भव होगा ?

पोत्यकम्म और पोत्यकार शब्दों का प्रयोग भी इसी सूत्र में हुआ है। 'पोत्य' शब्द 'पुस्त' का प्राकृत रूप है। पुस्त से ही स्वार्थिक क प्रत्यय लगाकर पुस्तक शब्द बना है। टीकाकार ने पोत्यकम्म का अर्थ ताडपत्र आदि पत्र घटिका आदि से लिखना बताया है। इसी प्रकार पुस्तक का प्राकृत रूप है। टीकाकार के अनुसार इसका तात्पर्य पुस्तक के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला है। पुस्तक के द्वारा जीविका चलाने का अर्थ पुस्तक को लेख-बढ़ या लिपि बढ़ करके पारिश्रमिक प्राप्त करना है। नई पुस्तक लिखने का अभिप्राय यहाँ नहीं है। आज की भाषा में उसे प्रतिलिपिकार या Copyist कहा जा सकता है।

भारत में बहुत प्राचीन काल से लेखन-कला विद्यमान थी, यह इन उल्लेखों के साक्ष्य से प्रकट होता है। वैदिक और बौद्ध वाङ्मय के आधार पर किये गये विवेचन की तरह इन प्रसंगों की भी अपनी ऐतिहासिक महत्ता है।

चीनी विश्वकोश

चीनी भाषा के सुप्रसिद्ध विश्वकोश फा-वान-शु-लिन (रचना-काल ६६५ ई०) में ब्राह्मी-लिपि के सम्बन्ध में उल्लेख है कि इसकी रचना ब्रह्म या ब्रह्मा नामक आचार्य ने की थी। ब्रह्म या ब्रह्मा द्वारा रचित होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ गया। चीनी विश्वकोश का उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है।

भारतवर्ष को ब्राह्मी का उद्भव-स्थल मानने वाले विद्वानों में एडवर्ड थामस आदि के मन्तव्यानुसार मूलतः ब्राह्मी-लिपि का आविष्कार द्रविड़ों द्वारा हुआ। डा० राजबली पाण्डेय ने इस मत का खण्डन किया है। उनका अभिमत है कि द्रविड़ों का मूल स्थान दक्षिण भारत है, न कि उत्तर भारत। दक्षिण भारत में ब्राह्मी-लिपि के अभिलेख प्राप्त नहीं होते, वे उत्तर भारत में ही पाये जाते हैं। यदि द्रविड़ों द्वारा ब्राह्मी-लिपि आविष्कृत होती, तो दक्षिण भारत में ब्राह्मी के अभिलेख प्रभृति सामग्री मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती।

डा० पाण्डेय भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करते हैं। द्रविड़-

१. से किं तं आगमओ व्वावस्सयं ? आगमओ व्वावस्सयं—जस्सणं आवस्सएति पदं सिक्खितं ठितं जितं मितं परिजितं नामसमं घोससमं अहीणक्खरं अणच्चक्खरं अव्वाइद्वक्खरं अक्ख-
ल्लियं अमिलियं अवच्चाभेलियं पडिपुण्णं पडिपुण्णघोसं कंडोद्विण्णमुक्कं गुरुवामणेवगयं ।

—अनुयोगद्वार सूत्र, पृ० ७

भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। उनके कथन का सार है कि तमिल में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि वर्गों में केवल पहले और पांचवें वर्णों का ही उच्चारण होता है अर्थात् बीच के वर्णों की ध्वनियां तमिल में अनुच्चारित रहती हैं। ब्राह्मी में वर्गों के पांचों वर्ण हैं। यदि ब्राह्मी का उद्भव द्रविड़ों से होता, तो उसमें तमिल का अनुसरण अवश्यम्भावी था, जो नहीं मिलता।

डा० भोलानाथ तिवारी ने इसकी आलोचना करते हुए जो लिखा है, प्रस्तुत विषय में अत्यन्त उपयोगी है। वे लिखते हैं : “किसी ठोस आधार के अभाव में यह कहना तो संचमुच ही सम्भव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कर्ता द्रविड़ ही थे, पर पाण्डेयजी के तर्क भी बहुत युक्तिसंगत नहीं दृष्टिगत होते। यह सम्भव है कि द्रविड़ों का मूल स्थान दक्षिण में रहा हो, पर, यह भी बहुत से विद्वान् मानते हैं कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे और हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे। पश्चिमी पाकिस्तान में ब्राह्मी भाषा का मिलना (जो द्रविड़ भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत में निवास की ओर संकेत करता है। बाद में सम्भवतः आर्यों ने वहाँ पहुँचकर उन्हें मार भगाया और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली।.....पाण्डेयजी की दूसरी आपत्ति तमिल से ब्राह्मी में कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में है। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्यों ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी लिपि ली हो और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुकूल उनमें परिवर्द्धन कर लिया हो। किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक होना बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो। किसी अपूर्ण-लिपि से पूर्ण लिपि के निकलने की बात तत्त्वतः असम्भव न होकर बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक है।”¹

क्या आर्य जाति के लोग वस्तुतः भारत से बाहर के थे? क्या द्रविड़ जाति के लोग ही भारत के मूल निवासी थे? क्या मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से उद्घाटित सहस्रों वर्ष पूर्व की संस्कृति द्रविड़ संस्कृति थी? क्या वहाँ से प्राप्त चित्र-लिपि-सूचक सामग्री भारत के मूल निवासियों द्वारा प्रयुक्त किसी लेखन-क्रम की छोटक है? इत्यादि अनेक पहलू हैं, जिन पर सूक्ष्म परिशीलन और गवेषणा की अब भी बहुत आवश्यकता है। यदि विद्वज्जनों का अनवरत प्रयास रहा, तो हो सकता है, कुछ ऐसे नूतन तथ्य प्रकाश में आयें, जिनसे अब तक जो तमसावृत हैं, ऐसे प्रश्न समाधान पा सकें, नया आलोक प्रकट हो सकें। इसके अतिरिक्त और क्या आशा की जा सकती है।

महामहोपाध्याय डा० ओझा

महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा लिपि-विद्या के प्रसिद्ध विद्वान् थे । उन्होंने भारत की प्राचीन लिपियों पर महत्वपूर्ण गवेषणा-कार्य किया । इस सम्बन्ध में प्राचीन लिपि-माला उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । ब्राह्मी-लिपि के सम्बन्ध में डा० ओझा लिखते हैं : “जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली और चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी प्रौढ़ावस्था में थी । उसके आरम्भिक विकास का पता नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी-लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक्व रूप में वह किन-किन परिवर्तनों के बाद पहुँची ।” निश्चय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी-लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता ।”^१

बहुत अन्वेषण-अनुशीलन के पश्चात् डा० ओझा ने जो निष्कर्ष निकाला, उसके अनुसार ब्राह्मी-लिपि और फिनिशियन लिपि का केवल एक ही अक्षर (ब्राह्मी का ज और फिनिशियन का गिमेल) मिलता है । इतने से आधार पर किन्हीं दो लिपियों की परस्पर सम्बद्धता या किसी एक को दूसरी का उद्गम मानना कैसे संगत हो सकता है ? आधार बहुत साधारण तथा अत्यल्प और उस पर निर्णय इतना बड़ा, कैसे संगत हो सकता है । डा० ओझा निःसन्देह अपने विषय के अधिकारी विद्वान् थे । उन्होंने इस विषय पर अनवरत काम किया । उनके निष्कर्ष उपेक्ष्य नहीं माने जा सकते । उन पर और चिन्तन तथा अनुशीलन किया जाना चाहिए ।

अशोक के पूर्ववर्ती दो शिलालेख

सम्राट् अशोक के ही शिलालेख प्राचीन भारत में व्यवहृत लिपि के प्राचीनतम वृहत् प्रतीक हैं, पर, छोटे-छोटे दो शिलालेख और प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक राजस्थान में अजमेर जिले के अन्तर्गत बड़ली (बर्ली) नामक गाँव में है तथा दूसरा नेपाल की तराई में पिप्राघा नामक स्थान में । यद्यपि इनमें सामग्री बहुत कम है, पर, जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक के अभिलेखों से भी प्राचीन है ; अतः प्राचीन लिपि के सन्दर्भ में उनके आधार पर कुछ और सोचने का, थोड़ा ही सही, अवकाश मिलता है ।

डा० ओझा ने उनके सम्बन्ध में लिखा है : “पहला एक स्तम्भ पर खुदे हुए लेख का

१. प्राचीन लिपिमाला

टुकड़ा है। जिसकी पहली पंक्ति में 'वीर (१) य भगव (त)' और दूसरी में 'चतुरासिति व (स)' खुदा है। इस लेख का ८४ वां वर्ष जेनों के अन्तिम तीर्थंकर वीर (महावीर) के निर्वाण संवत् का ८४वां वर्ष होना चाहिये। यदि यह अनुमान ठीक हो, तो यह लेख ई० पू० ५२७ - ८८ = ४४३ का होगा। इसकी लिपि अशोक के लेखों से पहले की प्रतीत होती है। इसमें 'वीराय' का 'वी' अक्षर है। उक्त 'वी' में जो 'ई' की मात्रा का चिह्न है, वह न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख में मिलता है, अतएव यह चिह्न अशोक से पूर्व की लिपि का होना चाहिए, जिसका व्यवहार अशोक के समय तक मिट गया होगा और उसके स्थान में नया चिह्न व्यवहृत होने लग गया होगा। दूसरे अर्थात् पिप्प्रावा के लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शक्य जाति के लोगों ने मिल कर उस स्तूप में स्थापित की थी। इस लेख को बूलर ने अशोक के समय से पहले का माना है। वास्तव में यह बुद्ध के निर्वाण-काल अर्थात् ई० पू० ४८७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिये। इन शिलालेखों से प्रकट है कि ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में कोई नई बात नहीं थी।^१

डा० ओभा ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके सन्दर्भ में सिन्धु घाटी में मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में निकली चित्र-लिपि की ओर पुनः हमारा ध्यान जाता है। यद्यपि उस चित्र-लिपि का अब तक इतना विश्लेषण नहीं हो सका है, जिस पर कहा जा सके कि ब्राह्मी-लिपि उसी का विकसित रूप है, पर, इस प्रकार की सम्भावना तो बलवत्तर होती ही है।

उपसंहार

एक प्रश्न-चिह्न ?

विद्वानों द्वारा किये गए वैचारिक ऊहापोह और मत-स्थापन के वैधिय के सन्दर्भ में प्रस्तुत विषय पर निश्चित भाषा में कुछ कहा जा सके, यह सम्भव नहीं है। पर, कुछ पहलू हैं, जिन पर कुछ विचार करना है, जिनमें एक यह है, जो एक प्रश्न-चिह्न के रूप में विद्यमान है।

ब्राह्मी-लिपि के स्पष्ट प्राचीनतम उदाहरण अशोक के शिलालेखों के रूप में प्राप्त हैं। बड़ली (बर्ली) और पिप्प्रावा के जो छोटे-छोटे अन्तिलेख मिले हैं, वे लिपि की दृष्टि से अधिक और स्पष्ट तथ्यपरक नहीं हैं; अतः इस प्रकार कहना यथार्थ से दूर नहीं होगा कि अशोक के शिलालेखों से पूर्ववर्ती कोई ठोस—चक्षुर्गम्य आधार नहीं है, जो ब्राह्मी-लिपि

का सूचक हो। यदि ब्राह्मी-लिपि बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रचलित रही हो, तो फिर ऐसा क्यों है कि अशोक से पूर्व का कोई भी शिलालेख, गुहालेख, स्तम्भ लेख आदि नहीं मिलता, जो ब्राह्मी या और किसी लिपि का सूचक हो। इनके अतिरिक्त और भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली, जिस पर कुछ लिखा हो।

धार्मिक ग्रन्थों के लिए तो कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में उन्हें कण्ठस्थ रखने की परम्परा थी, इसलिए वे लिपि-बद्ध नहीं किये गये; क्योंकि वेसा करना आवश्यक नहीं समझा गया। ऐसी भी मान्यता रही हो कि शास्त्र-ज्ञान लेखन द्वारा सर्व-मुलभ हो जाने से कहीं अनाधिकारी के पास न चला जाये, इसलिए सम्भवतः शास्त्र-लेखन वर्जित रहा हो। पर, धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक स्थितियाँ सम्भाव्य थीं, जहाँ लिपि-प्रयोग हो सकता था। ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र, रजतपत्र, सिक्के, मुद्राएँ आदि कुछ भी तो नहीं मिलते। पुनः-पुनः यह प्रश्न उठता है, ऐसा कैसे हुआ ?

एक कल्पना

भारतवर्ष में एक प्रवृत्ति रही है, बहुत बड़े विद्वान्, लेखक या साहित्यकार अपनी रचना में अपना नाम नहीं देते रहे हैं, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र में एक दुःखद परिणाम देखा जा सकता है। उनके ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो कर्ता और काल आदि की दृष्टि से सन्दिग्ध हैं। केवल कल्पना द्वारा अथवा इधर-उधर से बटोरे हुए अस्त-व्यस्त आधारों द्वारा रचयिता और रचना-काल का कुछ अनुमान बाँधा जाता है। ऐसा करने के पीछे विद्वानों का अभिप्राय अपनी चर्चा से दूर रहना था; क्योंकि वे आत्म-प्रचार, आत्म-श्लाघा या लोकैषणा से सदा बचे रहना चाहते थे। केवल इतनी-सी उनकी भावना रहा करती, वे एक उत्कृष्ट तथा उपादेय कृति का सर्जन कर सकें।

इस सन्दर्भ में क्या यह कल्पना करना अतिरंजित होगा कि हो सकता है, विद्वानों के अनुसरण पर प्राचीन काल के सम्राटों, शासकों और विशिष्ट जनों की भी सम्भवतः यह प्रवृत्ति रही हो, वे उत्तमोत्तम कार्य तो करें, पर, ऐसा कोई मूर्त या स्थूल प्रतीक खड़ा न करें, जो उनकी प्रशस्ति और कीर्ति को उज्जीवित बनाये रख सके।

एक अन्य पहलू भी विचारणीय है, शिलालेख आदि केवल प्रशस्तिमूलक ही हों, ऐसा नहीं है। वे घटनामूलक, सत्प्रचारमूलक भी तो हो सकते थे। वेसा होने में क्या बाधा थी ? प्रश्न यथार्थ की कोटि से बाहर का नहीं है, पर, वास्तविक समाधान पकड़ में नहीं आता।

डा० चटर्जी आदि विद्वानों के अनुसार लगभग एक हजार वर्ष ई० पू० ब्राह्मी अपने विकसित रूप में थी। डा० ओझा भी प्राचीन काल से ही इसकी परिपक्वता और व्यवहारो-पयोगिता की पुष्टि करते हैं।

ऋग्वेद के लिपि-सूचक संकेतों के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि यदि विलम्बित से विलम्बित भी मानें तो ऋग्वेद का अन्तिम मण्डल ई० पू० १२०० से पश्चाद्वर्ती नहीं है, अन्य मण्डल तो और भी प्राचीन हैं। इस प्रकार ई० पू० १२०० से पहले ब्राह्मी-लिपि का अस्तित्व होना चाहिए।

एक ओर यह सब, दूसरी ओर अशोक के अभिलेखों के पूर्व वैसा कुछ न मिलना, जिससे लेखन सिद्ध हो, कुछ निराशा उत्पन्न करता है।

एक और कल्पना

कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो, ब्राह्मी का पूर्ववर्ती कोई रूप रहा हो, जो उतना समृद्ध और व्यवहार्य न हो, जिसका अभिलेखों में समीचीनता से प्रयोग हो सके। फिनिसिया आदि पश्चिम एशिया के देशों के लोगों के साथ भारतवासियों का व्यावसायिक प्रयोजन से जो सम्पर्क बढ़ा, तब यह स्वाभाविक था, एक-दूसरे की विशेषताओं का आदान-प्रदान हो। उस प्रसंग में भारतीयों ने अपनी लिपि को कुछ परिष्कृत किया हो। क्योंकि उन्हें वैसे वैदेशिक लोगों के साथ व्यवहार चलाना था, जिनकी अपनी लिपि थी। उस परिष्कार के परिणाम-स्वरूप उन (भारतीयों) की लिपि विकसित हुई हो। शताब्दियों की अवधि बीतने पर उसका और अधिक सम्पार्जन हुआ हो और वह शिलालेख आदि में प्रयोग-योग्य हो गयी हो।

भारत के पुरातन कला-कौशल की प्रशस्ति के पक्षपाती इस कल्पना पर अन्यथा भी सोच सकते हैं। सम्भवतः ऐसा भी उनके मन में आ सकता है, यह अधुनातन पाश्चात्य मनोवृत्ति का द्योतक है। किन्तु, प्रस्तुत प्रयोजन ऐसा नहीं है। जब तक कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं होता, उस तक पहुँचने के प्रयत्न में कल्पनाएं करनी ही होती हैं, जो अनेक प्रकार की हो सकती हैं; अतः प्रस्तुत उल्लेख केवल कल्पना मात्र है। बिद्वज्जन इस पक्ष पर भी विचार करें।

केवल इतने मात्र से आज के अनुसन्धान-प्रधान युग में काम नहीं चल सकता कि हमारे ग्रन्थों में ब्राह्मी की प्रशस्ति प्राप्त है। वह प्राचीन काल से परम समृद्ध रही है। अनुसंधान और गवेषणा का पथ अवरोध नहीं सहता। वह सदा गतिशील रहता है। वह इयत्ता और इत्थंभूतता के जड़ बन्धन में जकड़ा नहीं रहता। वह नवनवोन्मेषशाली होता है; इसलिए केवल प्रशस्ति की भाषा (Superlative Language) में ही नहीं कहना होगा, न्याय और युक्ति द्वारा प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। ब्राह्मी-लिपि के प्रसंग में इन्हीं कुछ करणीयताओं की मांग है। आशा है, अनुसन्धित्सु जन इसे पूरा करने में संलग्न होंगे। यह किसी एक का नहीं, सब का काम है। वे ज्यों-ज्यों गम्भीर पश्चिमीय और गवेषणा

में आगे बढ़ने और नूतन तथ्य प्रकाश में आयेगे, ऐसी आशा करना अनुचित नहीं होगा ।

ब्राह्मी से विभिन्न लिपियों का विकास

ब्राह्मी के अक्षर बहुत सरल थे । उनके लिखने में अपेक्षाकृत अधिक सुविधा थी । उनमें मात्राओं की अनावश्यक बहुलता नहीं थी । अक्षरों की रचना ग्रीक या लैटिन कैपिटल लैटर्स (Capital Letters) जैसी थी । निम्नांकित अक्षरों के उदाहरण से यह भली-भाँति प्रकट होता है :

ब्राह्मी	देवनागरी	ब्राह्मी	देवनागरी
𑀀	अ	𑀁	थ
𑀂	इ	𑀃	द
𑀄	उ	𑀅	ध
𑀆	ए	𑀇	न
𑀈	ओ	𑀉	ब
𑀊	क	𑀋	म
𑀌	च	𑀍	य
𑀎	छ	𑀏	श
𑀐	त	𑀑	ह

व्यंजनों से मिलने वाले स्वरों के विशेष चिह्न व्यंजनों के मस्तक, पैर, शरीर आदि पर लगाये जाते थे । इस पद्धति का प्रभाव आज भी भारतीय अक्षरों पर प्राप्त होता है ।

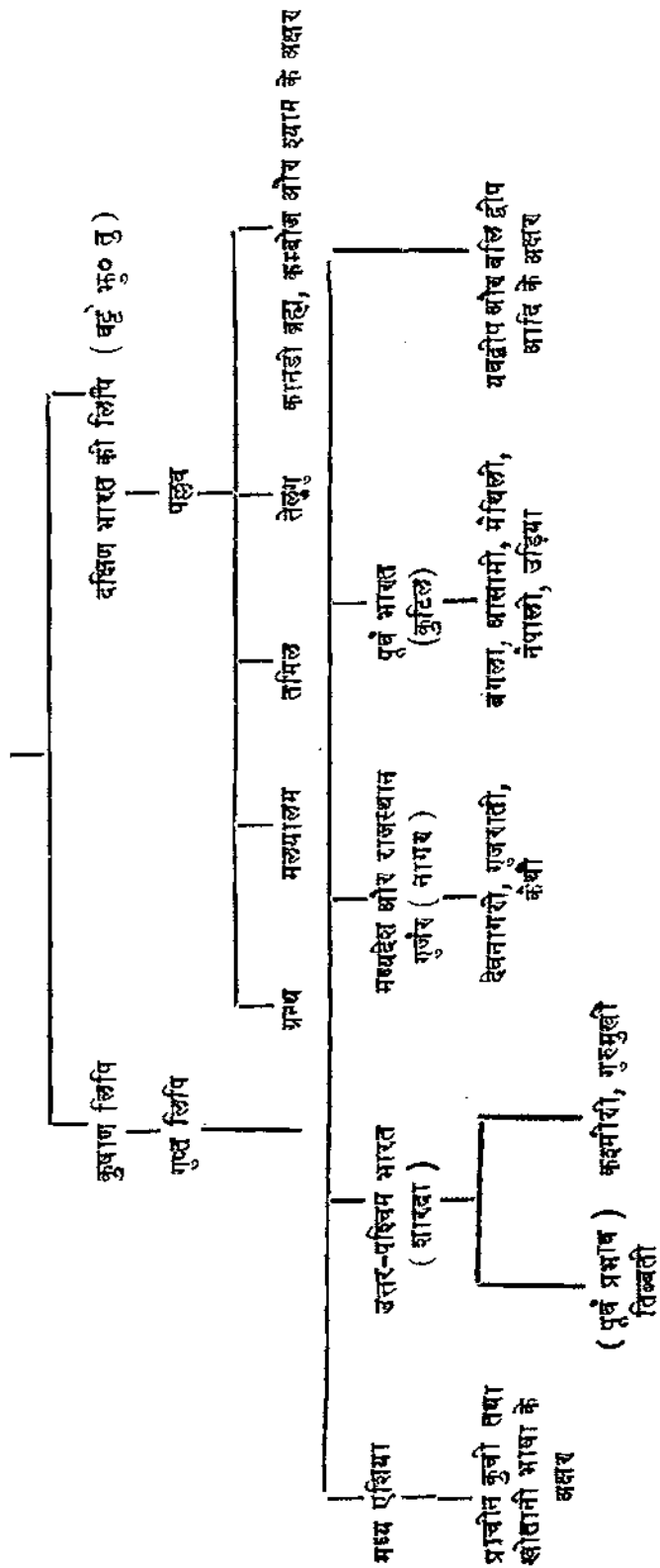
ब्राह्मी-लिपि के अक्षर जब तक प्रस्तर-शिलाओं पर छेनी से उत्कीर्ण किये जाते रहे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आया; क्योंकि यह कार्य बहुत धीमी गति से होता है । यह शीघ्रता का काम नहीं है ।

शिलालेखों के पश्चात् वह युग आता है, जब अक्षर भोजपत्रों या ताड़पत्रों पर लिखे जाने लगे । शिलालेखों की तुलना में इन पर लिखे जाने की गति में अन्तर आया । कीलक या लेखिनी छेनी से तेज चलती है । गति में शीघ्रता या तीव्रता आने के कारण अक्षरों का रूप कुछ परिवर्तित होने लगा । ब्राह्मी-लिपि का आदि रूप अधिकांशतः सीधी आकृति का था । लेखन में प्रयुक्त होने के परिणाम-स्वरूप वह जटिल होने लगा । भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक भाषाओं के साहचर्य से ब्राह्मी की परिवर्तित होती हुई अक्षरमाला परस्पर कुछ-कुछ जटिलतापूर्ण भिन्न रूप लेने लगी । यदि आज विभिन्न प्रदेशों में व्यवहृत होती अक्षरमालाओं की ब्राह्मी अक्षरों से तुलना की जाये, तो यह स्पष्ट

प्रतीत होगा । सारांश यह है कि भारतवर्ष में प्रचलित लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं ।

भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्याएं नामक पुस्तक में डा० सुनीति-कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी से विकसित लिपियों का एक मानचित्र दिया है । विवेच्य प्रसंग में उपयोगी होने से उसे यहाँ दिया जा रहा है :

प्राचीन भारत की
ब्राह्मी-लिपि



ब्राह्मी-लिपि के विकास के मानचित्र से ज्ञात होता है कि वह भारत से बाहर भी प्रसृत हुई। अन्य लिपियों पर उसका प्रभाव भी पड़ा। प्राचीन कुची, खोतानी, यव-द्वीप तथा बलिद्वीप आदि की भाषाओं के अक्षरों की निष्पत्ति और विकास में वह सहायक हुई। सान्धार देश, जिसमें पेशावर, रावलपिण्डी तथा काबुल आदि का क्षेत्र रहा है, में भी यह लिपि प्रचलित थी। वहाँ के पुराने खंसावशेषों में ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं, जिन पर ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में अक्षर खुदे हुए हैं। सारांश यह है कि एक ऐसा समय रहा है, जब ब्राह्मी भारत की राष्ट्रीय लिपि थी तथा उसने आस-पास के देशों की लिपियों को भी प्रभावित किया।

खरोष्ठी लिपि

खरोष्ठी : प्रयोग

ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि में भी कतिपय शिलालेख हैं; अतः उस लिपि पर संक्षेप में विचार करना प्रसंगोपात्त है। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम उदाहरण अशोक के पश्चिमोत्तर के—शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख हैं। कांगड़ा आदि के भी कुछ शिलालेख हैं, जिनमें खरोष्ठी का प्रयोग हुआ है। इस लिपि का प्रयोग बौद्धिक राजाओं के अभिलेखों तथा सिक्कों आदि में भी होता रहा है। इस लिपि के प्रयोग का समय लगभग ई० पू० चौथी शती से ईस्वी तीसरी शताब्दी तक का है अर्थात् सात शताब्दियों तक इसका प्रयोग होता रहा। खरोष्ठी इण्डो-बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन, बैक्ट्रो-पालि, बैक्ट्रो-आर्यन तथा काबुलियन आदि नामों से भी अभिहित की गयी है।

जैन वाङ्मय

ब्राह्मी-लिपि के विवेचन के प्रसंग में जैन ग्रन्थों के जो अंश उद्धृत किये गये हैं, उनमें से कुछ में ब्राह्मी के साथ-साथ खरोष्ठी का भी उल्लेख है, समवायांग सूत्र में जिन अठारह लिपियों का उल्लेख है, उनमें चौथे स्थान पर खरोष्ठीका नाम आया है, जो खरोष्ठी का पर्यायवाची है। प्रज्ञापना सूत्र के उद्धरण में भी चौथे स्थान पर खरोष्ठी का उल्लेख है। विशेषावश्यक टीका तथा कल्पसूत्र में जिस प्रकार ब्राह्मी का उल्लेख नहीं है, उसी प्रकार खरोष्ठी का भी कोई उल्लेख नहीं है।

कल्पनाएं : हेतु

इस लिपि का खरोष्ठी नाम पड़ा, इस सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार से कल्पनाएं कर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस लिपि के नाम के शाब्दिक स्वरूप के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस सम्बन्ध में विश्लेषण किया है। उनके अनुसार इसमें खर और उष्ट्र

दो शब्द मिले हुए हैं। खर का अर्थ गधा और उष्ट्र का अर्थ ऊँट होता है। इसके अक्षर गधे और ऊँट की तरह आकार में कुछ बेइंगे थे; अतः यह खरोष्ठी कहलाई। खरोष्ठी खरोष्ठी का ही विकास है।

खर और उष्ट्र के शाब्दिक आधारा पर व्याख्या तो हो गयी, पर, इसमें संगति प्रतीत नहीं होती। गधे और ऊँट दोनों के आकार का कोई मेल नहीं है। दोनों के आकार परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं। खरोष्ठी के आकार का दोनों (गधे और ऊँट के आकार) के समन्वय से सादृश्य घटित नहीं होता। यदि ऊँट के आकार के बेइंगेपन के साथ मेल बिठाने की बात होती, तो वह किसी तरह सम्भाव्य थी।

डा० प्रजिलुको ने भी इस शब्द के आधार पर विचार किया है। उनके अनुसार इसका नाम खरपृष्ठी है। गधे के चमड़े पर लिखे जाते रहने के कारण इसका यह नामकरण हुआ, जो बाद में खरोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गया।

डा० राजबली पाण्डेय ने जो इसकी शाब्दिक व्याख्या की है, उसके अनुसार इसके अधिकारि अक्षर खर (गधे) के ओष्ठ की तरह हैं। इस प्रकार खर और ओष्ठ के मेल से खरोष्ठी कहलाई।

डा० सुनोति कुमार चटर्जी के अनुसार खरोष्ठी नाम खरोशेथ (Kharosheth) के संस्कृत रूप खरोष्ठ से बना है। खरोशेथ हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ लिखावट है। हिब्रू भाषा से यह शब्द इथर आया है।

चीनी भाषा के विश्वकोश फा-वान-शु-लिन में खरोष्ठ नामक व्यक्ति को इस लिपि का निर्माता कहा है। उसी के नाम पर इस का खरोष्ठी नामकरण हुआ।

कुछ विद्वानों का कहना है कि यह लिपि सीमाप्रान्त के खरोष्ठ संज्ञक अथे सभ्य लोगों द्वारा व्यवहृत रही है; इसलिए उनके नामानुरूप इसका नाम खरोष्ठी पड़ गया।

सिलखां लेवी के मन्त्रभ्यानुसार काशगर कभी इस लिपि का मुख्य केन्द्र रहा है। चीनी भाषा में काशगर का नाम "किया छु-सु-छा-ले" है। उसका परिवर्तन होते-होते खरोष्ठ हो गया, जिससे खरोष्ठी शब्द बना।

आमक व्युत्पत्ति

कुछ लोग आमैइक भाषा के खरोठु शब्द के साथ इसे संयुक्त करते हैं। कभी-कभी आमक व्युत्पत्ति के कारण ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। दो शब्दों की पारस्परिक ध्वनि-समता को देखकर किसी ओर ही अर्थ के शब्द को अन्य समझ लेना और तत्सदृश किसी अन्यायिक शब्द

को परिष्कृतता की दृष्टि से उसके स्थान पर रख देना आमक व्युत्पत्ति है। खरोट्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। खरोट्ट को खरोष्ठी में परिवर्तित कर दिया गया और उससे खरोष्ठी बना लिया गया। विभिन्न विद्वानों ने खरोष्ठी के नाम के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अधिकांशतः अपनी-अपनी दृष्टि से सम्भावनात्मक कल्पनाएँ हैं। ऐतिहासिक तथ्य या ठोस प्रमाण जैसा उनके साथ नहीं है।

आर्मेइक भाषा के खरोट्ट शब्द की आमक व्युत्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, वह विशेष रूप से विचारणीय है। खरोष्ठी के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में जब आगे विचार करेंगे तब आर्मेइक का प्रसंग आयेगा, जिससे यह पहलू कुछ स्पष्ट होगा।

खरोष्ठी का उद्भव

डा० राजबली पाण्डेय खरोष्ठी को भारतवर्षोत्पन्न स्वीकार करते हैं। Indian Palaeography (भारतीय प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन) नामक पुस्तक में उन्होंने अपने इस मत का प्रतिपादन किया है। उनका मत विशेषतः तार्किक ऊहापोह पर आधारित है। प्रस्तुत विषय को यथार्थतः सिद्ध करने के लिए जेसे प्रमाण चाहिए, नहीं दिखाई देते।

आर्मेइक लिपि में खरोष्ठी की उत्पत्ति

अनेक विद्वान् खरोष्ठी लिपि का उद्भव आर्मेइक लिपि से मानते हैं। उसकी दो शाखाएँ थीं—एक फिनिशियन तथा दूसरी आर्मेइक। आर्मेइक लिपि से अनेक लिपियाँ उद्भूत हुईं, जिनमें हिब्रू, फ़ारसी तथा नेबालेन के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। इनमें नेबालेन से सिनेतिक नामक लिपि का उद्भव हुआ और उससे पुराने अरबी का। ऐसा माना जाता है कि ई० पूर्वं चतुर्थ या पंचम शताब्दी में आर्मेइक लिपि एशिया माइनर से लेकर गान्धार तक अर्थात् लगभग समग्र पश्चिम एशिया में प्रसृत पारसीक साम्राज्य में व्यवहृत थी।

प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिम-एशिया के देशों से, विशेषतः ईरान आदि से सम्बन्ध रहा है। ई० पू० पाँचवीं शती (५५८-५३०) में ईरान में साइरस नामक बादशाह हुआ, जो एक उग्र विजयाभिलाषी शासक था। गान्धार तक का भू-भाग उसने अधिकृत कर लिया था। तत्पश्चात् ईरान के बादशाह द्वारा (प्रथम) ने (लगभग ई० पू० ५०० में) भारतवर्ष का सिन्धु नदी तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा सम्भाव्य प्रतीत होता है, जब इन विजित प्रदेशों में आर्मेइक से विकसित खरोष्ठी का प्रसार हुआ। काल-क्रम से इसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया और इसे प्राकृत लिखने योग्य बना लिया गया।

आर्मेइक व खरोष्ठी

प्रो० बूलर लिपि-विज्ञान के विशिष्ट वेत्ता थे। उन्होंने उस पर बहुत काम किया। खरोष्ठी पर भी उनका महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं, वे मननीय हैं। उनके अनुसार आर्मेइक लिपि खरोष्ठी से पूर्ववर्ती है। उन्होंने बताया कि तक्षशिला में आर्मेइक लिपि में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि आर्मेइक लोगों का भारतवासियों से सम्पर्क रहा है। खरोष्ठी लिपि का क्रम दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखे जाने का है। ठीक वैसा ही क्रम आर्मेइक लिपि का है। खरोष्ठी लिपि के ग्यारह अक्षरों की रचना और ध्वनि की आर्मेइक लिपि के अक्षरों से तुलना करते हुए बूलर ने बताया है कि वे परस्पर बहुत अधिक मिलते-जुलते हैं।

बूलर ने जो हेतु उपस्थित किये हैं, वे खोजपूर्ण हैं, प्रामाणिक हैं। महान् लिपि-विज्ञान-वेत्ता महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भी इन विचारों से सहमत हैं। इस युग के प्रमुख लिपि-विज्ञान-वेत्ता डिरिंजर ने भी इसी मत को प्रथम दिया है।

ब्राह्मी का प्रभाव

खरोष्ठी आर्मेइक, उससे निःसृत अरबी आदि की तरह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसका पश्चिमोत्तर भारत के लोगों में प्रचलन हुआ। भारत की राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी थी। खरोष्ठी पर ब्राह्मी का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। फलतः खरोष्ठी ब्राह्मी की तरह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने लगी।

डिरिंजर आदि विद्वानों ने कुछ और तथ्यों का भी अनुमान किया है, जो ब्राह्मी के साहचर्य से खरोष्ठी में आये। मूलतः खरोष्ठी में स्वर नहीं थे। ह्रस्व-स्वरांकन-हेतु इसमें अक्षरों के साथ रेखा, वृत्त आदि लगाने का उपक्रम चला, जो ब्राह्मी का प्रभाव कहा जा सकता है। इसी प्रकार भ, घ आदि कुछ वर्ण जो आर्मेइक में मूलतः नहीं थे, वे खरोष्ठी में भी नहीं थे। ब्राह्मी के आधारा पर वे खरोष्ठी में बढ़ाये गये।

एक अपरिपूर्ण लिपि

खरोष्ठी पर ब्राह्मी के प्रभाव से यह प्रकट है कि खरोष्ठी लिपि-विज्ञान की दृष्टि से एक परिपूर्ण लिपि नहीं है। लिपि द्योतक है, अक्षरात्मक या वर्णात्मक ध्वनि द्योतक। परिपूर्ण लिपि में कोई ध्वनि अद्योतक नहीं होती। खरोष्ठी में वैसा है। ऊपर खरोष्ठी की जिन कमियों की ओर संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त उसमें और भी कमियाँ हैं। जैसे, उसमें दीर्घ स्वर बिलकुल नहीं हैं। संयुक्त व्यंजनों के द्योतक अक्षर नगण्य से हैं; प्रायः नहीं हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए। इसके वर्णों की मूलतः कुल संख्या ३७ है।

संस्कृत-लेखन के लिए अनुपयुक्त

खरोष्ठी संस्कृत भाषा के लिखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। संस्कृत में संयुक्ताक्षर बहुत आते हैं। सन्धि-नियमों के अनुसरण के कारण उनकी संख्या और बढ़ जाती है। उन्हें व्यक्त करने में खरोष्ठी सक्षम नहीं है। यही कारण है कि संस्कृत-ग्रन्थ इसमें बिलकुल नहीं लिखे गये।

तीसरी शताब्दी के अनन्तर खरोष्ठी का कोई अभिलेख नहीं मिलता। अर्थात् पश्चिम एशिया के विजेताओंका शासन समाप्त होने के अनन्तर क्रमशः खरोष्ठी का प्रयोग अवरुद्ध होता गया। तब तक (तीसरी शताब्दी तक) ब्राह्मी की भी वैसे ही स्थिति हो गयी थी। पर, उससे अभिनव लिपियाँ उद्भूत होने लगी थीं और वे क्रमशः उसका स्थान लेने लगी थीं। खरोष्ठी के साथ ऐसा नहीं था। वैसे स्थिति में अपने क्षेत्र में उसका प्रयोग चालू रहना चाहिए था, यदि वह मूलतः भारतीय लिपि होती।

एक महत्वपूर्ण पहलू और है। संस्कृत लिखे जाने के लिए खरोष्ठी योग्य नहीं थी। यहाँ यह विचारणीय है कि मूलतः जो भारतीय लिपि हो और संस्कृत भाषा उसमें न लिखी जा सके, यह कैसे हो सकता है? लिपि का सज्जन भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए होता है। यदि खरोष्ठी मूलतः भारतीय लिपि होती, तो उसका प्रारम्भ से ही इस प्रकार का गठन होता कि भारत की प्रमुख भाषा संस्कृत के लिये वह व्यवहार्य हो सके। ऐसा नहीं होने से यह सिद्ध होता है कि इसका उद्गम किसी बंदेशिक स्रोत से है और आर्मेइक से इसकी सम्भावना है।

ब्राह्मण-धर्म से सम्बद्ध कोई भी ग्रन्थ इस भाषा में नहीं लिखा गया। संस्कृत में ग्रन्थ न लिखा जाना समझ में आता है; क्योंकि उसमें तदनुरूप क्षमता नहीं थी। पर, ब्राह्मण-धर्म के किसी भी ग्रन्थ के इसमें लिपि-बद्ध न किए जाने के पीछे एक और हेतु भी हो सकता है। सम्भवतः खरोष्ठी के बंदेशिक स्रोत के कारण, उसे अपवित्र मानते हुये ब्राह्मण विद्वानों का ऐसा प्रयत्न रहा हो कि उनके धर्म का कोई भी ग्रन्थ उसमें न लिखा जाये। जैनों और बौद्धों के लिये वैसे नहीं था; क्योंकि उनका दृष्टिकोण भिन्न था।

जैसा भी रहा हो, ब्राह्मणों द्वारा इसके सर्वथा न अपनाये जाने से यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि इसमें जुड़ा हुआ कोई कारण अवश्य था, जिससे इसकी पवित्रता बाधित थी और वह कारण इसकी बंदेशिकता के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता।

समवायांग सूत्र में लिपियों के अठारह नामों में पहला ब्राह्मी का, दूसरा यावनी का तथा चौथा खरोदिका या खरोष्ठी का है। यह स्पष्ट है कि यहाँ यावनी लिपि से मूलान देश की

लिपि का आशय है। ऐसी ही स्थिति प्रज्ञापना सूत्र के वर्णों के साथ है। वहाँ भी ब्राह्मी के अनन्तर अर्थात् दूसरी संख्या पर यावनी का नाम आया है तथा चौथी संख्या पर खरोष्ठी का। इन तालिकाओं में और भी ऐसी लिपियाँ उल्लिखित हैं, जो नाम से वैदेशिक प्रतीत होती हैं।

अन्य देशों की लिपियों के नामों से यह आशय स्पष्ट हो जाता है कि लिपियों की जो तालिका समवायांग सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में है, वह सारी भारतीय लिपियों से सम्बद्ध हो, यह सम्भव नहीं है। यदि ऐसा होता, तो 'यावनी' जैसा शब्द क्यों आता, जो स्पष्ट ही यवनानी लिपि के अर्थ में है ?

भगवान् ऋषभ ने पुत्री ब्राह्मी को लिपि-ज्ञान दिया, उसका यथार्थ अभिप्राय यही हो सकता है कि तब तक जो-जो भारतीय और अभारतीय लिपियाँ प्रचलित थीं, उन सबका ज्ञान उन्होंने कराया। विशेषावश्यक टीका में उल्लिखित लिपियों के नामों में पारसी लिपि का भी समावेश है। वह पारसीक साम्राज्य की लिपि होनी चाहिए, जो उत्तरी सैमेटिक लिपियों की आर्मेइक शाखा में से कोई एक लिपि हो सकती है। कल्पसूत्र में दी गई लिपियों की सूची में दो नाम खुदासानी और पखसी वैदेशिक लिपियों से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। पखसी सम्भवतः पारसी के लिए व्यवहृत हुआ है।

ललितविस्तर में ६४ लिपियाँ बतलाई गई हैं, उनमें दश-लिपि, खास्य-लिपि, चीन-लिपि तथा हूण-लिपि के भी नाम हैं। ये लिपियाँ भारत से बाहर की प्रतीत होती हैं।

खरोष्ठी लिपि का मूल उद्गम-स्रोत कोई वैदेशिक लिपि था। भारत के कुछ भाग में कुछ समय तक वैदेशिक शासन रहने के समय इस लिपि को प्रचलन और विस्तार का विशेष अवसर मिला, जो बाद में वैदेशिक शासन की समाप्ति के साथ-साथ कम होता गया। शासक वर्ग की लिपि होने से उनके शासन-काल में उसका समादृत रहना और उनके द्वारा शासित प्रजा में इसका प्रचलित होना स्वाभाविक था। शासन के चले जाने पर भी उसके परिपाक्ष और प्रथम में प्रसृत कोई वस्तु तत्काल नहीं मिट जाती। किसी भी प्रचलित परम्परा के मिटने में समय लगता है, जिसके लिए संख्यात्मक दृष्टि से शताब्दियाँ भी अधिक नहीं हैं; अतः पारसीक सम्राटों के शासन के उन्मूलित हो जाने पर भी कुछ समय तक खरोष्ठी का प्रचलन यहाँ अवरोध नहीं हुआ। अन्ततः तो अवरोध हुआ ही, जो निश्चय ही होता था।



: ८ :

आर्ष (अर्द्धमागधी) प्राकृत और आगम वाङ्मय

*(Arsa (Ardhamagadhi) Prakrita and the Jaina Canonical
Literture)*

धर्म-देशना

तीर्थङ्कर अर्द्धमागधी में धर्म-देशना देते हैं । उनका अपना वैशिष्ट्य होता है, विविध भाषा-भाषी श्रोतृगण अपनी-अपनी भाषा में उसे समझ लेते हैं । दूसरे शब्दों में वे भाषात्मक पुद्गल श्रोताओं की अपनी-अपनी भाषाओं में परिणित हो जाते हैं । जैन वाङ्मय में अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं । समवायांग सूत्र में जहाँ तीर्थङ्कर के चौत्तीस अतिशयों का वर्णन है, वहाँ उनके भाषातिशय के सम्बन्ध में कहा गया है : “तीर्थङ्कर अर्द्धमागधी भाषा में धर्म का आस्थान करते हैं । उनके द्वारा भाष्यमान अर्द्धमागधी भाषा आर्य, अनार्य, द्विपद चतुष्पद, मृग, पशु पक्षी तथा सरीसृप^१ प्रभृति जीवों के हित, कल्याण और सुख के लिए उनकी अपनी-अपनी भाषाओं में परिणित हो जाती है ।”^२

प्रज्ञापना सूत्र में आर्य की बहुमुखी व्याख्या के सन्दर्भ में सूत्रकार ने भाषा-आर्य का वर्णन करते हुये कहा है : “भाषा-आर्य किन्हें कहा जाता है ? अनेक प्रकार के भाषा-आर्य प्रसूत हुए हैं—कहे गए हैं; जैसे—“जो अर्द्धमागधी भाषा बोलते हैं और ब्राह्मी-लिपि का प्रयोग करते हैं (वे भाषा-आर्य हैं) ।”^३

औपवातिक सूत्र का प्रसंग है : “.....तब भगवान् महावीर अनेकविध पद्मिन्-पद्मि-वृत् (श्रेणिक) त्रिम्बिसार के पुत्र कूणिक (अजातशत्रु) के समक्ष शरद् ऋतु के नव स्तमित—मृतन मेघ के गर्जन के समान मधुर तथा गम्भीर, कौष पक्षी के घोष के समान मुखर, दुन्दुभि की ध्वनि की तरह हृद्य बाणी से, जो हृदय में विस्तार पाती हुई, कण्ठ में वर्तुलित होती हुई तथा मधुर में आकर्षण होती हुई व्यक्त, पृथक्-पृथक् स्पष्ट अक्षरों में उच्चारित, मम्मणा—

१. कुंय आदि रेंग कर चलने वाले प्राणी ।

२. मगध ख णं अर्द्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ । सावि य णं अर्द्धमागही भासा मासिज्जमाणी तेसिं सव्वेसिं आरियमनारियाणं दुप्पय-सङ्गय-मिय-यसु-यणिक-सरीसिवाणं अप्पपणो हिय-सिब-सुहवाय भाससाए परिणमइ ।

—समवायांग, ३४

३. से किं तं भासारिया ? भासारिया अणेगविहा पणसा । तं जहा—जेणं अर्द्धमागहाए भासाए भासइ जत्थ विषमं बंभी लिबी पवत्तइ ।

—प्रज्ञापना, पद १.३२

अव्यक्त वचनता रहित, सर्वाक्षरसमन्वययुक्त, पुण्यानुरक्त, सर्वभाषानुगामिनी, योजनपर्यन्त श्रूयमाण अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं, धर्म का परिकथन करते हैं। भगवान् वहाँ उपस्थित सभी आर्यों, अनार्यों को अग्लान रूप में धर्म का उपदेश करने हैं। वह अर्द्धमागधी भाषा उन सभी आर्यों, अनार्यों की अपनी-अपनी भाषाओं में परिणत हो जाती है।”^१

आचार्य हेमचन्द्र ने जिस प्रकार काव्यानुशासन के मंगलाचरण में जैनी वाक्, जिसकी उन्होंने स्वयं अर्द्धमागधी भाषा के रूप में व्याख्या की है, की सर्वभाषापरिणताम् पद से प्रशस्तता प्रकट की है, उसी प्रकार अलंकार-तिलक के रचयिता वाग्भट ने सर्वज्ञाश्रित अर्द्धमागधी भाषा की स्तवना करते हुए भाव व्यक्त किये हैं : “हम उस अर्द्धमागधी भाषा का आदर्शपूर्णक व्यान-स्तवन करते हैं, जो सब की है, सर्वज्ञों द्वारा व्यवहृत है, समग्र भाषाओं में परिणत होने वाली है, सार्वजनीन है, सब भाषाओं का स्रोत है।”^२

एक विशेष कथन-परम्परा को ज्ञापित करने की दृष्टि से उपर्युक्त प्रसंग उद्धृत किया गए हैं। भाषा-प्रयोग की अनेक विधाएं होती हैं। जहां श्रद्धा, प्रशस्ति तथा समादर का भाव अधिक होता है, वहां भाषा अर्थवाद-प्रधान (Superlative) हो जाती है। इसे दुषणीय नहीं कहा जाता। पर, जहां भाषा का प्रयोग जिस विधा में है, उसे यथावत् रूप में समझ लें, तो कठिनाई नहीं होती। इसी दृष्टिकोण से ये प्रसंग ज्ञेय और व्याख्येय हैं। महावीर इस युग के अन्तिम तोषंकर थे। इस समय उपलब्ध अर्द्धमागधी आगम-वाङ्मय उन्हीं की देशना पर आधारित है।

अध्यागम : सुत्तागम

आगम दो प्रकार के कहे गये हैं— १. अध्यागम (अधीगम), २. सुत्तागम (सुत्रागम)।

१. समणे भगवं महावीरे कूणियस्स रण्णो भंसासार पुत्तस्स.....सारदनवत्थणिय-
महुरगमीर कोच्चणिओसुवुंढुमिस्सरे उवेवोत्थडाए कडे वट्ठिवाए सिरे सभाईणाए अगरलाए
अमम्मणाए सबबल्लरसणिवाईयाए पुणरत्ताए सब्बमासाणु गामणिए सरस्सईए ज्येष्ण-
हारिणासरेणं अद्धमागहाए भाषाए भासंति अरिहा धम्म परिकहेति तेसि सब्बेसि
आरियमणारियाणं अतिलाए धम्म-माइवल्लति। सा वि य णं अर्द्धमागहां भासा तेसि
सब्बेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सनासाए परिणमंति।

—औपपातिक सूत्र, पृ० ११७, ११८

२. सर्वार्धमागधी सर्व-भावामु परिणामिनीम् ।

सर्वीयां सर्वतोबाचं सार्वज्ञीं प्रणिबध्महे ॥

—अलंकार-तिलक, १.१

तीर्थंकर प्रकीर्ण रूप में जो उपदेश करते हैं, वह अर्धागम है। अर्थात् विभिन्न अर्थों—विषय-वस्तुओं पर, जब-जब प्रसंग आते हैं, तीर्थंकर प्ररूपणा करते रहते हैं। उनके प्रमुख शिष्य जो गणधर कहे जाते हैं, तीर्थंकर द्वारा अर्थात्मक दृष्ट्या किये गये उपदेशों का सूत्ररूप में संकलन या संग्रहण करते रहते हैं। आचार्य भद्रबाहुकृत आवश्यक निर्धुस्ति में इसी आशय को अग्रां-कित शब्दावली में कहा गया है : 'अर्हेत् अर्थ का भाषण या व्याख्यान करते हैं। धर्म-शासन के हित के लिए गणधर उनके द्वारा व्याख्यात अर्थ का सूत्र रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सूत्र प्रवृत्त होता है।'

महावीर के गणधर : आगम-संकलन

भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं : १. इन्द्रभूति, २. अग्निभूति, ३. वायुभूति, ४. व्यक्त, ५. सुधर्मा, ६. मण्डित, ७. मौर्यपुत्र, ८. अकम्पित, ९. अचलभ्राता, १०. मेतार्य, ११. प्रभास।

भगवान् महावीर का श्रमण-संघ ती गणों में विभक्त था : १. गोदास गण, २. उत्तर-बलियस्सय गण, ३. उद्देह गण, ४. चारण गण, ५. ऊर्ध्ववातिक गण, ६. विद्वत्वादि गण, ७. कामविक गण, ८. माणव गण तथा ९. कोटिक गण।^१

गणधर : विशेषताएं

गणधर आगम-वाङ्मय का प्रसिद्ध शब्द है। आगमों में मुख्यतया यह दो अर्थों में व्यव-हृत हुआ है। तीर्थंकरों के प्रदान शिष्य गणधर कहे जाते हैं, जो तीर्थंकरों द्वारा अर्धागम के रूप में उपदिष्ट ज्ञान का द्वादश अर्थों के रूप में संकलन करते हैं। प्रत्येक गणधर के निय-न्त्रण में एक गण होता है, जिसके संयम-जोवित्तव्य के निर्वाह का गणधर पूरा ध्यान रखते हैं। गणधर का उससे भी अधिक आवश्यक कार्य है, अपने अद्योनस्थ गण को आगम-धावना देना।

तीर्थंकर अर्थ रूप में जो आगमोपदेश करते हैं, उन्हें गणधर शब्द-बद्ध करते हैं। अर्थ को दृष्टि से समस्त आगम-वाङ्मय एक होता है, पर, भिन्न-भिन्न गणधरों द्वारा संग्रहित होने के कारण वह शाब्दिक दृष्टि से सर्वथा एक हो, ऐसा नहीं होता। शाब्दिक अन्तर

-
१. समणस्य भगवओ महावीरस्स नव गणा हात्था। तं जहा—गोदास गणे, उत्तरबलि-यस्सय गणे, उद्देह गणे, चारण गणे, उड्ढवाइय गणे, विस्सवाइ गणे, कामिडिइय गणे, माणव गणे, कोटिय गणे।

स्वाभाविक हैं; अतः भिन्न-भिन्न गणधरों की वाचनाएं साब्दिक दृष्टि से सहज नहीं होतीं । तत्त्वतः उनमें ऐक्य होता है ।

गणधर की तीर्थंकर-सापेक्षता

गणधर का जो सीधा अर्थ गण का धारक, अधिपति, धारणादाता आदि है, वह एक विशेष परम्परा को लिये हुए है । इस शब्द का व्यवहार तीर्थंकर-सापेक्ष है । तीर्थंकरों की विद्यमानता में उनके प्रमुख शिष्य गणधर संज्ञा से अभिहित होते हैं । तीर्थंकरों के अनन्तर या दो तीर्थंकरों के समय गणधर नहीं होते । इस प्रकार का गणधर का एक पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग है । मात्र अपने शब्दानुगामी साधारण अर्थ में गणधर शब्द प्रयोज्य नहीं है ।

गणधर का एक विशेष अर्थ

स्थानांग सूत्र की वृत्ति में गणधर की एक विशेष व्याख्या की गयी है । वहां उसे साध्वियों का प्रतिजागरक^१ कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि गणधर का एक यह कार्य भी होता था कि वह साध्वीवृद्ध को प्रतिजागृत रखने—उन्हें संयम-जीवित्तव्य में उत्तरोत्तर गतिशील रखने में प्रेरक रहे, उनका मार्ग-दर्शन करे । इस व्याख्या से यह प्रतीत होता है कि जैन संघ में साध्वियों की प्रगति, अध्यात्म-विकास एवं सुखपूर्वक संयमोत्तर जीवन-यापन की ओर सजगता बरती जाती रही है, जो जैन आम्नाय की उद्बुद्ध चेतना का परिचायक है ।

ग्यारह गणधर : नौ गरा

भगवान् महावीर के संघ में गणों और गणधरों की संख्या में जो दो का अन्तर था, उसका कारण यह है कि पहले से सातवें तक के गणधर एक-एक गण की व्यवस्था देखते थे, पृथक्-पृथक् उसे आगम-वाचना देते थे, पर, आगे चार गणधरों में दो-दो का एक-एक गण था । इसका तात्पर्य यह है कि आठवें और नौवें गण में ध्वज-संख्या कम थी; इसलिये दो-दो गणधरों पर सम्मिलित रूप से एक-एक गण का दायित्व था । तदनुसार अकम्पित और अचलभ्राता के पास आठवें गण का उत्तरदायित्व था तथा मैतार्य और प्रभास के पास नौवें गण का ।

महावीर की विद्यमानता : नौ गणधरों का निर्वारण

कल्पसूत्र में कहा गया है : “भगवान् महावीर के सभी ग्यारहों गणधर द्वादशांग-वेत्ता,

१. आर्यिकाप्रतिजागरको वा साधुविशेषः समयप्रसिद्धः ।

—स्थानांगसूत्र वृत्ति, ४. ३. ३२३

चतुर्दश पूर्वो तथा समस्त गणि-पिटक के धारक थे। राजगृह नगर में मासिक अनशन पूर्वक वे कालगत हुए, सर्वदुःख प्रहीण बने अर्थात् मुक्त हुए। स्थविर इन्द्रभूति (गौतम) तथा स्थविर आर्य सुधर्मा; ये दोनों ही महावीर के सिद्धिगत होने के पश्चात् मुक्त हुए।^१ ज्यों-ज्यों गणधर कालगत होते गये, उनके गण सुधर्मा के गण में अन्तर्भावित होते गये।

द्वादश अंगों के रूप में श्रुत-संकलना

तीर्थंकर सर्वज्ञतत्त्व प्राप्त करने के अनन्तर उपदेश करते हैं। तब उनका ज्ञान सर्वथा स्वाधित या आत्म-साक्षात्कृत होता है, जिसे दर्शन की भाषा में पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा गया है। सर्वज्ञ होने के बाद भगवान् महावीर ने समस्त जगत् के समग्र प्राणियों के कल्याण तथा श्रेयस् के लिए धर्म-देशनाएँ दीं। उनकी धर्म-देशनाओं के सन्दर्भ में बड़ा सुन्दर क्रम मिलता है। उनके निकटतम सुविनीत अन्तेवासी गौतम, यद्यपि स्वयं भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर, लोक-कल्याण की भावना से भगवान् महावीर से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। भगवान् उनका उत्तर देते थे। श्रुत का वह प्रथमान् स्त्रोत एक विपुल ज्ञान-राशि के रूप में परिणत हो गया।

भगवान् महावीर द्वारा अर्द्धमागधी में उपदिष्ट अर्थागम का आर्य सुधर्मा ने सूत्रागम के रूप में जो संप्रथन किया, अंशतः ही सही, द्वादशांगी^२ के रूप में वही प्राप्त है। श्रुत-परम्परा के (महावीर से उत्तरवर्ती) स्त्रोत का आर्य सुधर्मा से जुड़ने का हेतु यह है कि वे ही भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी हुए। इसमें कुछ परम्परा-भेद है। भगवान् महावीर की उत्तरवर्ती श्रमण-परम्परा के अधिनायक आर्य सुधर्मा हुए; इसलिए आगे की सारी परम्परा आर्य सुधर्मा की (धर्म-) अपत्य-परम्परा या (धर्म-) वंश-परम्परा कही जाती है। कल्पसूत्र में लिखा है: “जो आज श्रमण-निग्रन्थ विद्यमान हैं, वे सभी अनागार आर्य सुधर्मा की अपत्य-परम्परा के हैं; क्योंकि और सभी गणधर निरपत्य रूप में निर्वाण को प्राप्त हुए।”^३

१. सखे एए समणस्स भगवओ महावीरस्स एक्कारस्स वि गणहरा बुबालसंगिणो चौहत्तपुब्बिणो समसागणिपिडग धरा रायगिहे नगरे मासिएणं मतेणं अपाणएणं कालगया जाव सख-बुक्खपाहीणा । थेरे इब्बसूई थेरे अज्ज सुहम्मस्स सिद्धि गए महावीरे पच्छा वेत्ति वि परिनिब्बुया ॥ २०३ ॥

२. बारहवां अंग दृष्टिवाद अभी सुप्त है।

३. जे इमे अज्जताते समणा निगांधा बिहरति ए ए णं सखे अज्ज सुहम्मस्स अनागारस्स आहावच्छिज्जा, अवसेसा गणहरा निरवच्छा बोद्धिन्ना ।

आर्य सुधर्मा : ऋतु-संवाहक परम्परा

कल्पसूत्र में आर्य-सुधर्मा के परिचय में कहा गया है : “काश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के अन्तेवासी आर्य सुधर्मा स्थविर अग्निवैश्यायन गोत्रीय थे ।^१ आर्य सुधर्मा का जन्म ई० पू० ६०७ के आस-पास हुआ । उनका पचास वर्ष का जीवन-काल गार्हस्थ्य में बीता । तीस वर्ष वे संघीय श्रमण के रूप में रहे । भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर गौतम के द्वादशवर्षीय केवल-ज्ञान-काल में वे संघाधिपति रहे । गौतम के निर्वाण के पश्चात् आठ वर्ष तक वे केवल-ज्ञानी के रूप में रहे । इस प्रकार एक सौ वर्ष का उनका आयुष्य होता है । दिगम्बर-परम्परा में उनका केवल-ज्ञान-काल दश वर्ष का माना जाता है । इस प्रकार दोनों परम्पराओं में दो वर्ष का अन्तर रहता है ।

वर्ण्य विषय यद्यपि यहाँ अर्द्धमागधी आगम बाङ्मय है; अतः ऐतिहासिक प्रसंगों की विशद विवेचना ग्राह्य नहीं है, पर कुछ पहलू ऐसे हैं, जो ज्ञान संवाहकता के स्रोत से जुड़े हैं । उनको खर्चा छोड़ना समुचित नहीं है । उदाहरणार्थ, भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी गौतम थे या सुधर्मा, इस सम्बन्ध में मत-वैभिन्न है । इस पहलू पर संक्षेप में विवेचन अपेक्षित है ।

दिगम्बर-मान्यता

दिगम्बर-परम्परा में माना गया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद गौतम संघाधिपति हुए और गौतम के कालगन होने के पश्चात् सुधर्मा । ईस्वी दूसरी या तीसरी शती के यति वृषभ द्वारा रचित दिगम्बर-परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोपपण्णति में सर्वज्ञानियों (केवलज्ञानियों या सर्वज्ञों) की परम्परा का वर्णन करते हुए कहा है: “जिस दिन महावीर सिद्धावस्था को प्राप्त हुए, गौतम को परम ज्ञान या सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ । गौतम के निर्वाण-प्राप्त कर लेने पर सुधर्मा सर्वज्ञ हुए । सुधर्मा द्वारा समस्त कर्मों का उच्छेद कर दिये जाने पर या वैसा कर मुक्त हो जाने पर जम्बू स्वामी को सर्वज्ञत्व-लाभ हुआ । जम्बू स्वामी के सिद्धि-प्राप्त हो जाने के पश्चात् सर्वज्ञों की अनुक्रमिक परम्परा विलुप्त हो गयी । गौतम प्रभृति ज्ञानियों के धर्म-प्रवर्तन का समय पिण्डरूप में—सम्मिलित रूप में बासठ वर्ष का है ।”^२

१. समणस्स णं भगवओ महावीरस्स कासवगोटास्स अज्ज सुहम्मे थेरे अन्तेवासी अग्निवैसायणगोते ।
२. जादो सिद्धो वीरो तद्विसे गोवमो परम णाणी ।
जादे तस्सिं सिद्धो सुधम्मसामी तवो जादो ॥ १४७६
तम्मि कवकम्मणासे जंभू सामि त्ति केवली जादो ।
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणी नत्थि अणुवद्धा ॥ १४७७
वासट्ठी वासाणि गोदम पनुदीण णाणवंताणं ।
धम्मपयट्ठकाले परिमाणं पिण्डरूपं ॥ १४७८

तिलोपपणसिकार ने गौतम, सुधर्मा और जम्बू के कैवल्यावस्था के समय को धर्म-प्रवर्तन-काल शब्द से संज्ञित किया है। इसके अनुसार गौतम के बारह वर्ष, सुधर्मा के बारह वर्ष तथा जम्बू के अड़तीस वर्ष कुल बासठ वर्ष होते हैं।

गौतम पट्टधर क्यों नहीं ?

गौतम भगवान् महावीर के निकटतम अन्तेवासी थे। जीवन भर उनका सान्निध्य पाया। दिन-रात चलते रहने वाले उनके प्रश्न और महावीर के उत्तर जैन बाङ्मय की एक अमूल्य धाती बन गये। वे भगवान् महावीर के प्रथम गणधर थे। यह स्वाभाविक था कि देहिक दृष्टि से भगवान् के न रहते पर संघ का उत्तरदायित्व उन पर आता। वे उसे सम्भालते। यह सब नहीं हुआ, इसके पीछे क्या तथ्य था ? यह विचारणीय है।

श्वेताम्बर-परम्परा : एक समाधान

श्वेताम्बर-परम्परा ऐसा विश्वास करती है कि कैवल्य प्राप्त हो जाने के अनन्तर वह श्रमण—केवलज्ञानी संघाधिपति, पट्टधर अथवा आचार्य जैसा कोई भी पद नहीं सम्भालता। इतना अवश्य है, यदि कोई पद पर रहते केवली हो जाए, तो वह पद छोड़ना आवश्यक नहीं होगा।

केवली के ज्ञान की अपरिसीमता इतनी बड़ी होती है कि उसमें कुछ भी ज्ञेय अवशिष्ट नहीं रह जाता। सभी तो वे सर्वज्ञ कहे जाते हैं। सर्वज्ञ की भाषा साक्षात्कृत ज्ञान पर आश्रित होती है। उसमें किसी भी पूर्ववर्ती ज्ञानी का सन्दर्भ, उद्धरण या आधार नहीं रहता। केवली यदि पट्टासीन हो जाए और धर्म-देशना दें तो वे इस भाषा में नहीं बोल सकते कि जैसा उन्होंने तीर्थंकर (धर्म-संघ के संस्थापक; कैवल्य प्राप्त श्रमण) से सुना है, वैसा वे प्रतिपादित कर रहे हैं। उनकी भाषा यही होती है, जो वे साक्षात् जान रहे हैं, वैसा ही निरूपित कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तीर्थंकर द्वारा जो श्रुत प्रसूत हुआ, जिसका स्रोत आगे भी प्रवहमान रहना चाहिए, वह अवच्छेद हो जाता है। सम्भवतः इसीलिए श्वेताम्बर-परम्परा को गौतम का संघ-नायकत्व या महावीर के उत्तराधिकारी के रूप में पट्टधरता स्वीकार नहीं है; क्योंकि ज्यों ही महावीर का निर्वाण हुआ, गौतम को कैवल्य-लाभ हुआ।

दिगम्बर-परम्परा का आधार

केवली के पट्टधर होने में जिस बाधा की चर्चा की गई है, दिगम्बर-परम्परा में वैसी बाधा नहीं आती। दिगम्बर तीर्थंकर को धर्म-देशना की शब्दात्मकता स्वीकार नहीं करते अर्थात् तीर्थंकर उपदेश की भाषा में कुछ नहीं बोलते। उनके शोम-शोम से आँकार की ध्वनि

निःसृत और समवसरण में प्रसृत होती है। वही ओंकार-ध्वनि श्रोतृगण की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जातो है। उसी (भाषात्मक) रूप में श्रोतृगण उसे ग्रहण करते हैं, समझते हैं।

श्री धर्मघोष सूरि का कथन

श्वेताम्बर आचार्य श्री धर्मघोष सूरि की एक रचना है सिरिवुसमाकालमणसंघययं (श्री बुःषमकालमणसंघस्तवः)। उसकी अवचरि में वे लिखते हैं : ' श्री जिन-भगवान् महावीर के निर्वाण-गमन की रात्रि में उज्जयिनी में चण्डप्रघोट का मरण होने पर पालक राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ। पाटलिपुत्र के राजा उदायी के निष्पुत्र रूप में मरणगत हो जाने पर उसने कोणिक (अजातशत्रु) का पाटलिपुत्र का राज्य भी अधिकृत कर लिया। उसके साठ वर्ष के राज्य-काल में गौतम १२ वर्ष, सुधर्मा ८ वर्ष तथा जम्बू ४४ वर्ष तक युगप्रधान रहे।'^१

अवचूरिकार ने जो ६० वर्ष की संख्या दी है, वह गौतम, सुधर्मा तथा जम्बू के युग-प्रधान-काल (१२ + ८ + ४४ = ६४) से मेल नहीं खातो। अवचूरिकार ने आगे इसे स्पष्ट कर दिया है। जम्बू का ४४ वर्ष का युगप्रधान-काल जो उन्होंने बतलाया है, उसमें ४० वर्ष तो पालक के राज्य के हैं और अगले ४ वर्ष नौ नन्दों के राज्य के हैं। जम्बू के समग्र काल को कहने के लिए ऐसा किया गया है। आचार्य धर्म-घोष ने यहां युगप्रधान के रूप में जहां सुधर्मा और जम्बू को लिया है, गौतम को भी लिया है। युगप्रधान शब्द के साथ रहा आशय विशेष रूप से विचारणीय है।

युगप्रधान : सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता

यद्यपि संघ में निर्धारित आचार्य, उपाध्याय, गणी, प्रवर्तक आदि पदों की तरह युग-प्रधान कोई पद नहीं था, पर, इसके साथ जो गरिमा, समादर और उच्चता का भाव देखते हैं, उससे स्पष्ट है कि यह सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता का सूचक था।

कल्पसूत्र और नन्दिसूत्र में स्वधिरावलि (पट्टावलि) वर्णित हैं। वे परस्पर कुछ भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि कल्पसूत्र में दी गयी स्वधिरावली सम्भवतः पट्टानुपट्टक्रम या आचार्यानुक्रम से दी गयी है और नन्दिसूत्र की स्वधिरावली युगप्रधानानुक्रम से। अतएव इन दोनों में जहां-जहां भिन्नता है, उसका कारण नन्दोकार द्वारा कुछ ऐसे महान् श्रमणों

१. अवचूरि : ॥८०॥ सिरिजिनिव्यागमणरयणि ए उज्जोणी ए चण्डपज्जोमरणे पालओ राया अहिसिसो । तेण य अणुस उदाइमरणे कोणिमरज्जं पाटलिपुरं विजिट्ठं ।

तस्स य वरिसं ६० रज्जे—गोयम १२, सुहम्म ८, जम्बू ४४ युगप्पहाणा ।

को लिखा जाना है, जो वैधानिक दृष्ट्या आचार्य-पद पर अवस्थित नहीं थे, पर धार्मिक अभ्युदय की दृष्टि से युग प्रवर्तक थे—युगप्रधान थे। जो आचार्य भी थे और युगप्रधान भी, ऐसे नाम दोनों पट्टावलियों में सहज हैं।

युगप्रधान की विशेषताएं

नन्दीकार ने युगप्रधान स्वविरावली के समापन पर दो गाथाओं में युगप्रधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है : “जो तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आश्रवे, शांति और मार्ग में अभिरत हैं, जो शील गुण से विश्रुत हैं, जो सुकुमार और सुकोमल देह-सम्पदा के धनी हैं, जो उत्तमोत्तम लक्षणों से तथा प्रवाचनीयता आदि विशेषताओं से युक्त हैं, सैंकड़ों श्रमणों द्वारा जो समादृत हैं, मैं उन युगप्रधानों को प्रणमन करता हूँ।”^१

युगप्रधान का विरुद्ध कब मिलता ?

जैन परम्परा में समय-समय पर महान् गौरवास्पद, प्रभावक, तेजस्वी, परमोज्ज्वल ज्ञान एवं चारित्र्य के धनी श्रवण होते रहे हैं, जिनका विशाट् व्यक्तित्व युग के लिए प्रेरणा का दिग्गज स्रोत रहा है। इस प्रकार के महापुरुष युग को एक नया मोड़ देते रहे हैं, जन-जन को सत् की ओर आगे बढ़ते जाने को प्रेरित एवं उद्बोधित करते रहे हैं। ऐसे संयमोत्तम, मनीषिप्रवर मुनिवर्गों का स्थान समग्र जैन संघ में बहुत उच्च और पवित्र माना जाता रहा है। संघ के शाखा-प्रशाखात्मक भेद उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कभी बाधक नहीं बने, प्रत्युत् पोषक ही रहे। इस प्रकार के विशाट् व्यक्तित्व के धनी और युग को झकझोरने वाले महान् श्रमण ‘युगप्रधान’ के विरुद्ध से विभूषित किये जाते रहे हैं।

युगप्रधान के साथ संघ के विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्यों का व्यवस्थात्मक दृष्टि से किस प्रकार का सम्बन्ध रहा है, इस विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्य उनका आदर करते थे, उनको ऊँचा मानते थे। उनका नेतृत्व स्वीकार करते थे। उनका स्थान किसी एक सम्प्रदाय, गण, गच्छ, शाखा आदि में ही नहीं, समग्र जैन संघ—जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका; इस चतुष्टय की समन्विति थी, सर्वोत्कृष्ट था।

१. तप-णियम-सच्च-संजम-विणयज्जवलन्तिमहवरयानं ।

सीलगुणगहियानं, अणुओगे जुगप्पहाणानं ॥

सुकुमालकोमलत्ते, तेसिं पणमामि लक्खणपसत्थे ।

एए पवायणीणं, पाळित्थगस एहिं पणिवइ एहिं ॥

युगप्रधान का विरुद्ध या पद समग्र संघ की ओर से उपयुक्त विशिष्टातिविशिष्ट गुणों के धारक किसी महान् श्रमण को दिया जाता है । युगप्रधान अपने व्यक्तित्व की व्यापकता, गुणों की अप्रतिमता आदि की दृष्टि से सर्वमान्य तो थे, पर, वे भी दैनन्दिन संयम-जीवितव्य के निर्वाह की दृष्टि से किसी एक सम्प्रदाय या शाखा से जुड़े रहते थे; इसलिए समाचार-व्याप्तिक दृष्टि से उनका सम्बन्ध उस शाखा से रहता ।

नन्दीसूत्र की युगप्रधान-परम्परा पर आधृत स्वचित्रावली से अनुमान होता है कि उत्तरोत्तर युगप्रधान मनोनीत करने की परम्परा सम्भवतः जैन संघ में काफी समय तक चलती रही हो । एक युगप्रधान के दिवंगत हो जाने पर उनके स्थान पर सभी सम्प्रदायों या शाखाओं में से योग्यतम, प्रभावक श्रमण को चतुर्विध संघ युगप्रधान के पद पर अधिष्ठित करता रहा है । यह परम्परा निरवच्छिन्नतया चली हो, निश्चित रूप में वेसा कुछ नहीं कहा जा सकता । हो सकता है, ऐसा भी कभी रहा हो, उस कोटि का महिमामण्डित, परमोच्च व्यक्तित्व का धनी श्रमण चतुर्विध संघ के सामने न आया हो और कुछ समय तक यह पद खाली रहा हो या इस विरुद्ध से विभूषित व्यक्ति का अभाव रहा हो ।

धर्मघोष का उल्लेख : ऊहापोह

श्रमण भगवान् महावीर के मुक्तिगामी होने के पश्चात् गौतम बारह वर्ष तक जीवित रहे और सुधर्मा बीस वर्ष तक । जिस दिन गौतम का निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्मा को केवल्य-प्राप्ति हुई । सुधर्मा का केवल्य-काल आठ वर्ष का है ।

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार सुधर्मा का आचार्य-काल बीस वर्ष का है; क्योंकि महावीर का निर्वाण होते ही वे इस पद पर आ गये थे । आचार्य धर्मघोष ने जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार सुधर्मा २० वर्ष तक संघ के आचार्य-पद पर अधिष्ठित रहे तथा आठ वर्ष तक आचार्य और युगप्रधान, दोनों पदों के धारक रहे । सुधर्मा के प्रारम्भ के बारह वर्ष के आचार्य काल में युगप्रधान गौतम रहे । इस पर कुछ सूक्ष्मता से विचार करना है ।

भगवान् महावीर के जीवन-काल में गौतम का आगम-बाङ्गम्य में पुनः-पुनः उल्लेख प्राप्त होता है, पर, उसके पश्चात् वेसा नहीं है । गौतम महान् थे, अपरिशीम प्रज्ञा के धनी थे, परमोज्ज्वल चारित्र्य के धारक थे । यह सब कुछ था, पर, युगप्रधान के साथ कुछ जो और होता है, जिसका सम्बन्ध लोकोन्नयन, जन-जागरण, धर्म-प्रभावना और युग-प्रवर्तन से होता है, उनके साथ सम्भवतः न रहा हो अथवा कम रहा हो । हो सकता है, उनका अधिकतम भुकाव आत्म-साधना और स्वरूपोपलब्धि की ओर रहा हो । सहज ही प्रासंगिक रूप में जो लोक-जागरण का कार्य बन पड़ता, वेसा होता रहा हो, उस और विशेष अव्यवसाय न रहा हो; अतः युग-प्रधानोचित विशेषताओं की संलग्नता सुधर्मा के

साथ प्राप्त होती है । भगवान् महावीर के अनन्तर उनके द्वारा प्रवाहित श्रुत की धारा को उत्तरोत्तर गतिशील रखते हुए, चतुर्विध संघ को अर्मानुप्राणित करते हुये अध्यात्मोद्धार की दृष्टि से आर्य सुधर्मा ने जो महान् कार्य किये, वे जैन-परम्परा के इतिहास में सदा स्पर्णाक्षरों में लिखे रहेंगे ।

आचार्य धर्मघोष तो स्वयं श्वेताम्बर-परम्परा में आस्थावान् थे, फिर उन्होंने ऐसा उल्लेख कैसे किया, जिसकी श्वेताम्बर मान्यता के साथ संगति नहीं बैठती ? ऐसा सम्भाव्य प्रतीत होता है कि आचार्य धर्मघोष पर भगवान् महावीर की पट्टधर परम्परा के सम्बन्ध में दिगम्बर-मान्यता का प्रभाव पड़ा हो; क्योंकि वे श्वेताम्बर थे; अतः पट्टानुपट्टता के क्रम में तो उनके लिए यह शक्य नहीं था कि वे गौतम का समावेश कर सकें, पर, युगप्रधानों के क्रम में उन्हें (गौतम को) जोड़ देने में उन्हें बाधा नहीं थी । हो सकता है, ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हो ।

आर्य सुधर्मा : द्वादशांग

भगवान् महावीर ने जो अर्थ कहे, व्याख्यात किये, सुधर्मा ने द्वादश अंगों के रूप में उनका आकलन किया । वर्तमान जो जितना बच पाया है, प्राप्त है; उन्हीं के अनुग्रह का फल है । द्वादश अंग इस प्रकार हैं :

(१) आचार्यांग	(७) उपासकदशांग
(२) सूत्रकृतींग	(८) अन्तःकृद्दशांग
(३) स्थानांग	(९) अनुत्तरोपपातिक दशा
(४) समवायांग	(१०) प्रश्नव्याकरण
(५) व्याख्याप्रकृति (भगवती)	(११) विपाक
(६) ज्ञातृधर्मकथांग	(१२) दृष्टिवाद

एक अन्य परम्परा

भगवान् महावीर के पश्चाद्वर्ती पट्टानुक्रम के विषय में एक और उल्लेख मिलता है, जिसमें पूर्वोक्त परम्परा से कुछ भिन्नता है । पार्श्वनाथ वसति में एक शिलालेख है । उसका लेखन-काल ५२२ शक-संवत् के आस-पास का है । उसका एक अंश निम्नांकित प्रकार से है :

“..... महावीरसचिवरि परिनिर्बृते भगवत्परमर्षिगौतमगणधरसाक्षाच्छिष्यलोहार्य-जम्बुविष्णुदेवापराजितपोवर्द्धनमद्रबाहुविशाखप्रोष्ठिलकृत्तिकायजथनागसिद्धार्थधृतिषेणबुद्धिलादि-गुह्यरम्परीण वक्र (क) मान्यागतमहापुरुष सन्ततिसमवद्योतितान्वयमद्रबाहुस्वामिनो उज्जयिन्या-मण्डानं महानिमित्ततत्त्वज्ञैर्ना त्रैकाल्यदर्शिना निमित्तने द्वादशसंवरसरकालवैषम्यमुपलभ्य कथिते सर्वसंघ उत्तरापथाद् दक्षिणापथं प्रस्थितः ।”

प्रस्तुत शिलालेख में गौतम गणधर के पश्चात् लोहायं तथा तदनन्तर जम्बू का उल्लेख आता है। सुधर्मा का नामोल्लेख नहीं है। इसके अनुसार गौतम के उत्तराधिकारी लोहायं हुए और लोहायं के उत्तराधिकारी जम्बू। सुधर्मा का ही दूसरा नाम या उपनाम लोहायं रहा हो, ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि वस्तुतः ऐसा ही रहा हो, तो दिगम्बर-परम्परा से भिन्नता की स्थिति नहीं आती। पर, इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण देखने में नहीं आया।

पट्टानुक्रम में अन्य नाम : भिन्नता

प्रस्तुत शिलालेख में क्रमशः जो और नाम दिये गये हैं, वे भी दिगम्बर-परम्परा द्वारा स्वीकृत पट्टानुक्रम से पूर्णतया मेल नहीं खाते। इस सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति एक प्रामाणिक आधार माना जाता है। इसका रचना-काल सम्भवतः ईसा की दूसरी शती है। शिलालेख में वर्णित आचार्य-परम्परा के समकक्ष तिलोयपण्णत्ति में वर्णित आचार्य-परम्परा इस प्रकार है :

शिलालेख	तिलोयपण्णत्ति
१. गौतम	गौतम
२. लोहायं	सुधर्मा
३. जम्बू	जम्बू
४. विष्णु	नन्दी
५. देव	नन्दिमित्र
६. अपराजित	अपराजित
७. गोवर्द्धन	गोवर्द्धन
८. भद्रबाहु	भद्रबाहु
९. विशाल	विशाल
१०. प्रोष्ठिल	प्रोष्ठिल
११. कृतिकाय	क्षत्रिय
१२. जय	जय
१३. नाग	नाग
१४. सिद्धार्थ	सिद्धार्थ
१५. धृतिषेण	धृतिषेण
१६. बुद्धि	विजय

शिलालेख

तिलोयपण्णत्ति

१७.

बुद्धिल^१

दोनों नामावलियों में द्वितीय, चतुर्थ, पंचम तथा एकादश संख्या पर आये हुए नाम परस्पर नहीं मिलते । पार्श्वनाथ-वसति के शिलालेख में बुद्धिल सोलहवां नाम है तथा तिलोयपण्णत्ति में वह सतरहवां है । तिलोयपण्णत्ति में सोलहवां नाम विजय है, जिसका शिलालेखीय नामावलि में कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार बुद्धिल तक दोनों नामावलियों में एक का अन्तर पड़ता है । शिलालेख में एक नाम कम है । एक ही क्रम-संख्या पर दोनों नामावलियों में जो अदृश्य नाम मिलते हैं, उनके सम्बन्ध में सम्भावना यह भी हो सकती है कि ये आचार्य दो-दो नामों से प्रसिद्ध रहे हों । पर, सुधर्मा और लोहार्य एक ही व्यक्ति थे, विद्वानों के लिए यह गवेषणा का विषय है । उपर्युक्त चिन्तन के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि बहुत थोड़े से अपवादों के अतिरिक्त प्रायः सर्वत्र आर्य सुधर्मा ही भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी माने गये हैं । भगवान् महावीर द्वारा प्रवर्तित श्रुत-स्रोत आर्य सुधर्मा के माध्यम से ही आगे प्रवहणशील रहा ।

१. जादो सिद्धो वीरो तद्धित्ते गोदमो परमणाणी ।

जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥

तस्मि कवकम्मणासे जंबू सामि त्ति केवलो जादो ।

तत्थ वि सिद्धिपवण्णो केवल्लिणो णत्थि अणुबद्धा ॥

वासट्ठो वासाणि गोदमपहुदीण णाणवन्ताणं ।

धम्मपयट्ठणकाले परिमाणं पिण्डरूपेणं ॥

णंदो मा णंदिमित्तो विदिओ अवराजिओ तद्गज्जो य ।

गौवद्धणो अउत्थो पंचमओ भद्दबाहु त्ति ॥

पंच इमे पुरिसवरा अउदसपुव्वो जगम्मि विक्खादा ।

ते बारस अंगधरा तित्थे सिरि वड्ढमाणस्त ॥

पढमो विसाह्णामो पुट्ठिलो खत्तिओ जओ णागो ।

सिद्धत्थो धिरिसेणो विजओ बुद्धिल गंगदेवा य ॥

एकरसो य सुधम्मो दस पुव्वधरा इमे सुविक्खादा ।

पारंपरिओवगदो तेसीवि सबं च ताण वासाणं ।

—तिलोयपण्णत्ति, १४७६-७८, ८२-८३, ८५-८६

आर्य सुधर्मा : एक परिचय

जन्म

आर्य सुधर्मा का जन्म विदेह-प्रदेश में हुआ था। प्राचीन मान्यता के अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशिकी और पश्चिम में गण्डकी नदी से घिरा प्रदेश विदेह कहा जाता था।^१

आवश्यक-निर्युक्ति में गणधरों की जाति, गोत्र, माता-पिता, शरीर-सम्पदा, ज्ञान-वैशिष्ट्य आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। तदनुसार सुधर्मा अभिषेक्ष्यायन-गोत्रीय ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए थे।^२ उनके पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम भद्रिला था।^३

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने आर्य सुधर्मा का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होना लिखा है। उन्होंने सभी गणधरों के जन्म के नक्षत्रों का वर्णन किया है।^४ इससे प्रतीत होता है, उन दिनों (आचार्य भद्रबाहु के समय) लोगों की सम्भवतः ज्योतिष में विशेष अभिरुचि रही हो अथवा एक कारण यह भी हो सकता है कि तीर्थंकरों के वर्णन में अन्याय पहलुओं के साथ उनके जन्म के नक्षत्रों का भी उल्लेख किया जाता रहा हो। उसी पद्धति का अनुकरण करते हुए निर्युक्तिकार ने गणधरों के गोत्रों का उल्लेख करना आवश्यक समझा हो। ऐतिहासिक दृष्टि से भी जन्म के मुहूर्त, नक्षत्र आदि का उल्लेख करने की उपयोगिता है। काल-गवेषणा में किसी अपेक्षा से यह सहायक होता है।

विद्वत्ता : वैभव

भगवान् महावीर के समय में राजनैतिक दृष्टि से तो विदेह विशेष जाग्रत था। विश्व की प्रागितिहासकालीन गणराज्यात्मक शासन-पद्धति के प्रयोग का यह सम्भवतः सर्वाधिक

१. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २२

२. तिग्नि य गोयमगुत्ता भारद्वा अग्निवेश वासिष्ठ ।

कासव गोअम हारिअ कोडिन्नडु'गं च गुत्ताइ' ॥

—आवश्यक-निर्युक्ति, गाथा ६४९

३. वसुसूई धणमित्तो धम्मिल धणदेव मोरिए चैव ।

देवे वसु अ दत्तो बले अ पिअरो गणहराणं ॥ —गाथा ६४७

४. जेट्ठा कत्तिय साई सवणो हत्थुत्तरा महाअरे अ ।

रोहिणि उत्तरसाइ मिमसिर तह अस्सिणी पुत्तो ॥

—आवश्यक-निर्युक्ति, गाथा ६४६

प्राचीन भू-भाग था। पर, उन दिनों धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से लोगों की विचार-चेतना कुछ कुण्ठित जैसी बनी जा रही थी। पुरातन परम्परा का नेत्र मूढ़े अनुसरण करते जाने में लोग अभ्यस्त से होने लगे थे। कर्मकाण्ड और यज्ञवाद का प्राबल्य था। इस वातावरण के परिपाश में आर्य सुधर्मा का लालन-पालन हुआ। वे एक विद्वान् पिता के पुत्र थे। वेद, वेदांग आदि अनेक विषयों का गम्भीर अध्ययन करने का सुअवसर उन्हें मिला। निर्युक्तिकार ने गणधरों की जाति, विद्या आदि का विवेचन करते हुए जो गाथा^१ कही है, अन्यान्य विशेषणों के साथ एक विशेषण विऊ भी है। विऊ 'विदः' का प्राकृत रूप है। आचार्य मलयगिरि ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है :

“.....विदन्तीति विदः—विद्वानाः, चतुर्दशविद्यास्थान पारगमनात् । तानि चतुर्दश विद्यास्थानान्यमुनि—अंगानि वेदाश्चत्वारो, मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश । तत्रांगानि तद्यथा शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषं चेति, एष गृहस्थाश्रम उक्तः ।”^२

विद्वद्दश-परम्परा में उत्पन्न होने के नाते आर्य सुधर्मा ने ऋक्, यजुष्, साम और अथर्व; इन चारों वेदों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष; इन छहों वेदांगों, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र तथा पुराण, आदि सब मिलकर इन चवदह विद्याओं का सम्यक्तया अध्ययन किया, उनके पूर्ण अधिकांशी विद्वान् बने। शास्त्रोप पाण्डित्य के प्रति लोगों में श्रद्धा थी, आदर था; अतः उन्हें असाधारण ख्याति तथा प्रतिष्ठा भी मिली हो, ऐसा सम्भाव्य है।

नवोन तथा क्रान्तिपूर्ण चिन्तन का मानस लोगों का अपेक्षाकृत कम था, पर, विभिन्न शास्त्रों का परम्परा से विधिपूर्वक बहुश्रुत गुरु के पास अध्ययन करने की लोगों में अभिरुचि रहती थी। विशेषतः ब्राह्मण-जाति में वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन का एक व्यवस्थित क्रम था। प्राचीन वैदिक-परम्परा की गुरुकुल प्रणाली पूर्णतया तो नहीं, पर, अंशतः प्रचलित थी। यही कारण है कि इन्द्रभूति, सुधर्मा आदि विद्वान् सैकड़ों शिष्यों के (विद्या) परिवार वाले थे। आर्य सुधर्मा के पाँच सौ अन्ते-वासी थे, जो उनके पास विद्याध्ययन करते थे। सम्भवतः उनके यहीं रहते हों। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको विद्याशाला, गृह-व्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति

१. सव्वे य माहणा जच्चा, सव्वे अज्जावया विऊ ।

सव्वे दुवालसंगिआ, सव्वे चउदसपुब्बिणो ।।

—आवश्यक-निर्युक्ति, गाथा ६५७

२. श्री आवश्यकसूत्रम्, द्वितीय भागः, पृ० ३३९

कितनी समृद्ध तथा सम्पन्न थी ।

जिज्ञासा : मुमुक्षा का द्वार

सौमिल ब्राह्मण के यहां इन्द्रभूति आदि अन्य विद्वानों की तरह आर्य सुधर्मा भी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ यज्ञ-भूमि में उपस्थित थे । वहां से भगवान् महावीर के सान्निध्य में उपस्थित होना, धार्मिक दृष्टि से एक उत्क्रांत मोड़ लेना, श्रामण्य-धर्म स्वीकार करना, अत्यन्त जिज्ञासु तथा विनम्र भाव से भगवान् महावीर के चरणों में अपने को समर्पित कर देना; सब ऐसी घटनाएँ थीं, जिनसे आर्य सुधर्मा के सत्योन्मुख, निष्पक्ष एवं मुमुक्षु-जीवन का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है ।

आर्हती दीक्षा स्वीकार करने के समय आर्य सुधर्मा की आयु पचास वर्ष की थी । तब वे अवस्था में भगवान् महावीर से लगभग आठ वर्ष ज्यादा थे । इसका अर्थ हुआ, वे तब तक बहुत प्रौढ़ हो चुके थे, ख्याति प्राप्त तो थे ही । जिन विषयों में उनका अध्ययन था, वह भी तब तक विशेष परिपक्व हो चुका था, पर, जिज्ञासा का भाव उनके अन्तरमन में उस समय भी परिध्याप्त था । सत्य की उपलब्धि के लिए बुद्धि का द्वार सर्वथा उन्मुक्त था; अतएव ज्यों ही भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित सत्य से वे अवबुद्ध हुए, बिना किसी नतुनच या संकोच के शिशु की तरह अत्यन्त सरल और विनीत भाव से उसे अपनाने को तत्पर हो गये । उनके मन में नहीं आया, वर्षों तक जिन सिद्धान्तों के आधार पर जीवन चला है, प्रतिष्ठा अर्जित की है, उनका सहसा कैसे परित्याग किया जाय । न यह भी भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ कि अपने अनुयायियों, श्रद्धालुओं एवं शिष्यों में उनकी कितनी ख्याति और यश है । उनके (सुधर्मा) द्वारा नये पथ का अवलम्बन कर लिये जाने से उन सबके मन में क्या आयेगा ? क्या वे उनकी दृष्टि में अवहेलना के पात्र नहीं बनेंगे ? यही वे प्रतिबन्ध, विघ्न या अन्तराय हैं, जो मानव को उन्मुक्त रूप से विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होने देते । आर्य सुधर्मा इन अवरोधों से, जिन्हें वस्तुतः दुर्बलता कहा जाना चाहिए, ऊपर उठे हुए थे । वे स्वाभिमानो थे, पर, अहंकारी नहीं । स्वाभिमान में मानव का विवेक उद्बुद्ध रहता है और अहंकार में मूर्च्छित ।

आर्य सुधर्मा ने पीढ़ियों से स्वीकृत, पालित और पोषित परम्परा को अद्यथायं समझ लिया, उसका तत्क्षण परित्याग कर दिया । वास्तव में जिनकी अन्तर्चेतना जाग्रत होती है, ऐसे व्यक्ति, कौन क्या कहता है, उससे जरा भी प्रभावित नहीं होते । वस्तु-सत्य या तथ्य क्या है, इसका उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है ।

अन्तेवासियों पर प्रभाव

आर्य सुधर्मा ने जो मोड़ लिया, उसकी प्रतिक्रिया दूसरों पर भी उसी प्रकार की हुई,

जैसी एक सत्यान्वेषक के मन पर होनी चाहिए। उन के पाँचसी अन्तेवासी, जो उनके सान्निध्य में रहते हुए विद्यार्जन करते थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, यह उनके आचार्य की पराजय है। क्यों नहीं, वे इसका प्रतिशोध लें ? जहाँ अपने द्वारा स्वीकृत पक्ष का ऐकान्तिक आग्रह होता है, वहाँ मानव का चिन्तन मुक्त नहीं होता, वह प्रतिबद्ध बना रहता है। पर, जहाँ सत्य का आग्रह होता है, वहाँ यह सब नहीं होता। वहाँ मान-अपमान, सत्कार-तिरस्कार, आदर-अनादर की सुच्छ भूमिका अपगत हो जाती है। यह तो नितान्त व्यावहारिक किंवा स्थूल दृष्टि है, प्रबुद्ध मन इसमें कैसे उलझेगा ? परिणाम यह हुआ, आर्य सुधर्मा के सबके सब अन्तेवासियों ने अपने आचार्य के साथ श्रामण्य स्वीकार कर लिया।

आर्य सुधर्मा का छद्मस्थ-काल : ज्ञानाराधना

आर्य सुधर्मा विद्वान् थे। उन्होंने अपनी शास्त्रीय विद्वता और प्रजा को अध्यात्म से जोड़ दिया। भगवान् महावीर जैसे सर्वज्ञता, सर्वद्रष्टा, मार्ग-दर्शक उन्हें मिले। साधक को और क्या चाहिए। उन्होंने भगवान् महावीर के सान्निध्य में ज्ञानाराधना और चारिश्चाराधना में अपने को लगा दिया। बहुत शीघ्र ही उन्हें भगवान् महावीर से द्वादश्याग रूप ज्ञान का प्रसाद प्राप्त हो गया। भगवान् के वे पाँचवें गणधर बने। आत्म-साधना में संलग्न रहते हुए वे अपने अनुशासन और देख-रेख में स्थित गण के श्रमणों को अध्यात्म की सुधा पिलाते रहे तथा जन-जन को धर्म की ओर प्रेरित करते रहे।

भगवान् महावीर का सान्निध्य

आर्य सुधर्मा को परम गुरु भगवान् महावीर का तीस वर्ष तक साक्षात् सान्निध्य प्राप्त रहा, जिस बीच उन्होंने अपने आराध्य से बहुत कुछ पाया, पाते ही गये। भगवान् महावीर ने अपनी साधना का चरम साध्य साध लिया। साधक, साधना और सिद्धि का तादात्म्य हो गया, विभेद मिट गया। अत्यन्त गौरवशील दिन वह था, जब अध्यात्म के अनन्त बालोक का कभी न बुझने वाला दीप जला, जिसकी लौकिक स्मृति आज का दीपावली पर्व है, जिस दिन टिमटिमाते दीपकों का प्रकाश उसी अपरिसीम, अप्रतिम एवं अनन्त प्रकाश की ओर इंगित करता है, जिसकी प्राप्ति प्रत्येक साधक के जीवन का उत्कृष्टतम किंवा पवित्रतम ध्येय है।

संघ-नायक के रूप में

भगवान् महावीर का निर्वाण हो जाने पर आर्य सुधर्मा उनके उत्तराधिकारी हुए। समग्र श्रमण संघ की व्यवस्था, निर्देशन, संरक्षण, संवर्धन आदि का उत्तरदायित्व उनके सबल कर्णों पर आया। भगवान् महावीर के ग्यारह गणधरों में से नौ गणधर उनके जीवन-

काल में ही निर्वाण प्राप्त कर चुके थे । आर्य सुधर्मा को दीर्घायु और साथ-ही-साथ भावी आचार्य जान वे निर्वाण से पूर्व अपने-अपने गण उन्हें सम्मिलाते जाते थे ।

दो गणधर—गौतम और सुधर्मा भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर विद्यमान रहे । भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन गणधर गौतम को कैवल्य प्राप्त हो गया; अतः भगवान् महावीर के श्रमण-संघ के अधिनायक के रूप में कार्य करना आर्य सुधर्मा ने अंगीकार किया । उस समय आर्य सुधर्मा की आयु अक्षी वर्ष की थी । पर, उनका धर्मोत्साह अपरिसीम था तथा धर्म-प्रभावना व जन-जागरण के पवित्र अभियान में वे अनवरत प्रयत्नशील थे । भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर वे बीस वर्ष तक सदेह विद्यमान रहे । इन बीस वर्षों में उनके प्रारम्भ के बारह वर्ष लघुमस्थता के और अन्तिम आठ वर्ष सर्वज्ञता के थे ।

आर्य सुधर्मा की असंज्ञावस्था का कार्य-काल भी बड़ा महत्व का था । उत्तर भारत के अनेक ग्रामों, नगरों, जनपदों में उन्होंने पर्यटन किया, जन-जन को अध्यात्म से अनुप्राणित किया । शम्भू जैसे सुयोग्य मुमुक्षु जन उनसे प्रव्रजित हुए ।

आर्य सुधर्मा का विराट् व्यक्तित्व

आर्य सुधर्मा एक बार अपने विहार-क्रम के बीच चम्पा नगरी पधारे । यह बिहार के भागलपुर नगर के समीप था । गायधम्मकहाओ नामक षष्ठ अंग का प्रारम्भ इसी (आर्य सुधर्मा के चम्पा-आगमन के) प्रसंग से होता है । वहाँ आर्य सुधर्मा के कतिपय विशेषणों का उल्लेख^१ है, जो उनके विराट् एवं ओजस्वी व्यक्तित्व के द्योतक हैं ।

आर्य

पहला विशेषण आर्य है । आर्य शब्द अनेक दृष्टियों से अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अज्ज सुहम्मे णामं धेरेजाइसंपन्ने, कुलसंपन्ने, बल-रूक्-विणय-णाण-दंसण-चरित्ता-लाघवसंपन्ने, ओयंसी, तेयंसी, वच्चंसी, जसंसी, जियकोहे, जियमाणे, जियमाए, जियलोहे, जिइंदिए, जियनिद्दे, जियपरिस्से, जीवियासामरणमयविप्पमुक्के, तवप्पहाणे, गुणप्पहाणे, एवं करण-चरण-णिग्गह-णिच्छय-अज्जव-मद्दव-लाघव-खंति-गुत्ती-मुत्ती-विज्जामंत-ब्रमचेर-वेद्य-णाय - णियम-सच्च-सोयत्ताण-दंसण-चरित्ताप्पहाणे, ओराले, धोरे, धोरवए, धोरतवस्सो, धोरब्रमचेर-वासो, उच्चूढसरीरे, सखित्तेविउल्लतेयलेसे, चौद्दे पुब्बो चउणाणोवणए.....
बिहरइ ।

—जातुधर्मकथा, प्रथम अध्याय

रहा है। आगम-वाङ्मय^१ में उसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। प्रज्ञापना-टीका में कहा गया है : आरात् सर्वहेयधर्मेभ्यो यातः—प्राप्तो गुणेरित्यार्यः अर्थात् जो हेय धर्मों से—त्याज्य कर्मों से दूर हट गये, जिन्होंने उनका परित्याग कर दिया, फलतः जो उपादेय—ग्रहण करने योग्य धर्मों से जुड़ गये, वे आर्य कहे जाते हैं।

प्रज्ञापना में आर्य के विवेचन में क्षेत्र-आर्य, जाति-आर्य, कुल-आर्य, कर्म-आर्य, शिल्प-आर्य, भाषा-आर्य, ज्ञान-आर्य, दर्शन-आर्य तथा चारित्र-आर्य आदि भेदों^२ पर प्रकाश डाला गया है।

सुधर्मा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त आर्य शब्द साधारणतया सात्त्विक, प्रशस्त या सद्गुण-सम्पन्न के अर्थ में आया है। जैसा कि कहा गया है :

प्रमाद मिथ्यात्वकषायदोषा दाराद् गतः सद्गुणराशिमाप्तः ।

बुद्धः परेषां प्रतिबोधको यः तमाहुरार्यं विबुधा गुणज्ञाः ॥

जो प्रमाद—धर्म या आत्म-स्वभाव के प्रति अनुत्साह, मिथ्यात्व, कषाय आदि दोषों से रहित, अनेक उत्तमोत्तम गुणों से युक्त, स्वयं प्रतिबुद्ध तथा दूसरों को प्रतिबोध देने वाले है, उन्हें ज्ञानी और गुणी जन आर्य नाम से सम्बोधित करते हैं।

आगम-वाङ्मय में आर्य विशेषण प्रायः सभी महापुरुषों के नाम के पहले प्रयुक्त होता रहा है।

स्थविर

सुधर्मा का दूसरा विशेषण स्थविर है, जो आर्य की भांति प्रायः सभी उत्तम कोटि के श्रमणों के नाम के साथ प्रयोग में आता रहा है। यह विशेषण चारित्रिक दृढ़ता, स्थिरता और निश्चल भाव का द्योतक है। स्थविर स्वयं तो अधिचल भाव से संयम-रत होते ही हैं, औरों को भी उसमें सुदृढ़ बनाये रखने के हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। मानव में, जब तक वह-पूर्णरूपेण विकास नहीं कर पाता, अनेक दुर्बलताएं समय-समय पर उभरती रहती हैं। उनके कारण साधना-निरत व्यक्ति भी अपने स्वीकृत पथ से कभी-कभी विचलित होने लगते हैं। उस समय किसी प्रबल, प्रौढ़ एवं उदात्त व्यक्तित्व के धनी महान् श्रमण द्वारा दी गयी प्रेरणा उनके लिये डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध होती है। यह कार्य स्थविर का है।

१. प्रज्ञापना, पद १; स्थानांग, स्था० ४, उद्देशक २; दशवैकालिक, अध्ययन ६, आचारांग, १.५.२; व्यवहार, उद्देशक १; वृहत्कल्प, १

२. प्रज्ञापनोपांगम्, पूर्वार्द्धम्, पद १, ३४-३५

इसी गरिमा के कारण इसका आचार्य, उपाध्याय जैसे पदों पर आसीन पुरुषों के लिये भी विशेषण के रूप में प्रयोग होता रहा है ।

जाति-सम्पन्न : कुल-सम्पन्न

आर्य सुधर्मा का मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष उत्तम था, जो उनके जाति-सम्पन्न तथा कुल-सम्पन्न विशेषणों से प्रकट होता है । यहाँ कुल और जाति शब्द एक विशिष्ट पारि-भाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । जैसा कि कहा गया है : कुलं पेइयं माइया जाई अर्थात् पितृवंश कुल तथा मातृवंश जाति कहा जाता है । आगे चल कर इन दोनों शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गये, जिसे भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ-विस्तार कहा जा सकता है ।

जो महान् और प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनमें सभी प्रकार की विशेषताएँ होती हैं । देहिक सुष्ठुता, दृढ़ता एवं सबलता भी उनमें होती है, पर, इन सबका उपयोग आत्म-परिष्कार तथा अन्तर्विजय में होता है । आर्य सुधर्मा में यह सब था । एक विशेष सबल, सुदृढ़ शरीर-संहनन के धारक होने के कारण वे देहिक शक्ति-सम्पन्न थे । धीरे तप एवं साधना-सम्बन्धी ऐसे अनेक उपक्रम हैं, जो अत्यन्त दृढ़ देह-संहनन या शारीरिक गठन के बिना सध नहीं पाते ।

विनय-लाघवादि सम्पन्न

विशेषण-क्रम के मध्य कहा गया है कि सुधर्मा विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा लाघव-सम्पन्न थे । लाघव शब्द लघु^१ से बना है । लघु शब्द के दो अर्थ हैं—छोटा तथा हल्का । हल्कापन दो प्रकार का है—पादार्थिक और भावात्मक । पदार्थों या वस्तुओं की दृष्टि से एक जैन श्रमण होने के नाते आर्य सुधर्मा बहुत कम उपधि या उपकरण रखते थे; अतएव वे लघु या हल्के थे । भावात्मक दृष्टि से वे गर्व, अहंकार या अभिमान का त्याग कर चुके थे; अतः हल्के थे । दोनों ही दृष्टियों से यह विशेषण उन पर लागू होता था ।

ओजस्वी : तेजस्वी : वर्चस्वी : यशस्वी

आर्य सुधर्मा ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी थे । तप आदि के कारण व्यक्तित्व में जो एक प्रभावपूर्ण आभा निखर उठती है, उसे ओज शब्द से अभिहित किया जाता है । आन्तरिक और बाह्य तप से व्यक्ति में जो दीप्तता होती है, उसे तेज कहते हैं । जैन पारि-भाषिक दृष्टि से तेजस्वी का अर्थ तेजोलेश्या (विशेष योगिक शक्तियाँ) आदि से युक्त भी हो सकता है । लब्धियों या विशेष प्रकार की योगिक अभिसिद्धियों द्वारा व्यक्ति में जो प्रभाव-प्रवणता उत्पन्न होती है, उसे वर्चस्विता कहा गया है । वर्चस्वी के लिए मूल

१. लघोजिघ्रिः—लाघवम्

अर्द्धमागधी पाठ जो वचस्वी आया है, पाठान्तर में उसके स्थान पर वयस्वी भी आया है, जिसका अर्थ वचस्वी—वचनवान्—आदेय, हितावह और निरवद्य-निर्दोष—निष्पाप वचन बोलने वाला होता है। यशस्वी विशेषण का आशय यह है कि उत्कृष्ट साधक को यद्यपि जरा भी यश की कामना नहीं होती, पर उनकी उग्र तपःशीलता, कठोर संयम-चर्या, तित्ति-क्षामय जोषन-पद्धति, ज्ञान और अनुभूति की दिव्यता आदि विशेषताओं के कारण स्वतः उनका यश सर्वत्र प्रस्फुटित होने लगता है। आर्य सुधर्मा भगवान् महावीर के पटुधर थे। उत्तमोत्तम गुणों से वे अलंकृत थे; अतः सर्वत्र उनकी ख्याति, यश और प्रशस्ति का प्रसृत होना स्वाभाविक था। इसी अपेक्षा से उनके लिए यशस्वी विशेषण का प्रयोग किया गया है।

क्रोधादि विजेता

आर्य सुधर्मा क्रोध, अहंकार, माया, प्रवंचना, इन्द्रिय, निद्रा तथा परिषहों को जीत चुके थे। जीने की आशा या कामना तथा मृत्यु की भीति से वे छूट चुके थे। तप उनके जीवन का प्रधान अंग था। वे गुणों से विभूषित—सुशोभित थे। यहां प्रयुक्त गुण शब्द सयममूलक गुणों के अर्थ में है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों के निर्जरण तथा संयम या संवर के द्वारा नये कर्मों के बंधन का निरोध करते हुए वे अपने पावन पथ पर गतिशील थे। आर्य सुधर्मा शास्त्र-वर्णित पिण्ड-विशुद्ध आदि उत्तर गुण रूप करण, महाव्रत आदि मूल गुण रूप करण में सतत जागरूक थे। वे इन्द्रिय और मन का निग्रह कर चुके थे। जीव, अजीव आदि तत्त्वों के ज्ञान में उनके निश्चयात्मकता थी अर्थात् उनका तत्त्व-ज्ञान सन्देह-वर्जित था। उनमें स्वभावतः ऋजुता, मृदुता, निरभिमानीता, क्षमाशीलता—सहिष्णुता, गुप्ति—अकुशल मन, वाणी और काय का निवर्तन-मन, वचन और देह की अकुशल-अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति, निर्लोभता आदि उदात्त गुण थे। वे विद्वान् थे, मन्त्रवित् थे। ब्रह्मचारी—ब्रह्म—आत्मा में चरणशाल थे।

वेद-प्रधान

वेद का सामान्य अर्थ ज्ञान है। जिससे जीव, अजीव आदि का स्वरूप जाना जाता है, उसे वेद कहा जा सकता है। यहां वेद का आशय जैन आगम वाङ्मय से है। प्रस्तुत प्रसंग में वेद का दूसरा अर्थ स्व-सिद्धान्तों और पर-सिद्धान्तों का ज्ञान है। आर्य सुधर्मा वेद-प्रधान अर्थात् आगम-प्रधान, नय-प्रधान, नियम-प्रधान तथा सत्य-प्रधान थे। वे शौच—शुचिता—आन्तरिक शुद्धि से विशेषतः युक्त थे। वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से भूषित—विराजित थे।

उदार : धोर

आर्य सुधर्मा उदार थे। क्रोध आदि को जीत लेने के कारण उनके जीवन में उदारता

एवं प्रशस्तता परिग्याप्त थी। उदार के बाद दूसरा विशेषण घोर है। जिन तपों के आचरण में बहुत कठिनाई होती है, उनका सहजतया आचरण करने के कारण आर्य सुधर्मा घोर कहे गये हैं। घोर का अर्थ यहाँ भयानक या डरावना नहीं है। क्योंकि आर्य सुधर्मा तो अत्यन्त उदार, सरल और कोमल वृत्तियों के धनी थे। उनमें कठोरता या घोरता कैसे हो सकती थी? स्वकल्प-आत्मबली जिन व्रतों और तपश्चर्याओं को बड़ी कठिनाई से साध सकते थे, आर्य सुधर्मा अत्यन्त सहज भाव से उनका परिपालन करते जाने के कारण इस विशेषण से विशेषित किये गये हैं। इसी प्रकार घोर तपस्वी शब्द भी उनके लिए प्रयुक्त हुआ है।

घोर ब्रह्मचर्यवासी

आर्य सुधर्मा की ब्रह्मचर्य-साधना परम उच्चकोटि की थी; अतः उन्हें घोर ब्रह्मचर्य-वासी—उत्कट ब्रह्मचारी कहा है। अपने देह के प्रति वे सर्वथा अनासक्त थे। उनके लिए अपना देह उत्क्रिप्त या परित्यक्त जैसा था। उनको तेजोलेख्या जैसी विपुल—विशाल और दुर्धर सिद्धियाँ प्राप्त थीं, पर, उनका प्रयोग करना तो दूर, वे उन्हें सम्यक्तया संगोपित किये रहते थे। यदि ऐसा न होता, तो अतितेजस्तप्त, प्रखर सूर्य की तरह उनकी ओर देखना कठिन हो जाता। वे मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव रूप ज्ञान-चतुष्टय तथा चतुर्दश पूर्वों के धारक थे। आवश्यक निर्युक्ति में आर्य सुधर्मा को सभी लब्धियों से युक्त कहा गया है।^१ उनका देहिक गठन वज्र-ऋषभ-नाराच संहनन^२ तथा समचतुरस्र संस्थान^३ मय था।

१. मासं पाओवत्या सव्वेऽवि य सव्वलद्धिसंपन्ना ।

वज्जरिसहसंधयणा समचउरंसा य संठाणे ॥

—आवश्यक-निर्युक्ति, गाथा ६५६

२. संहननम्—अस्थिसंचयविशेषः, वज्रादीनां लक्षणमिवम्—रिसहो य होइ पट्टो वज्जं पुण कीलियं वियाणाहि । उमओ मक्कडबंधो नाराचं तं वियाणा हि ॥ ति तत्र वज्जं च तत् कीलिका-कीलित-काष्ठसंपुटोपमं सामर्थ्ययुक्तत्वात्, ऋषभश्च लौहादिमयपट्टबद्ध काष्ठसंपुटोपमः सामर्थ्यान्वितत्वात्, वज्रधर्मः, स चासौ नाराचं च उमयसो मर्कटबन्धनिबद्धकाष्ठ संपुटोपमं सामर्थ्योपेतत्वात्, वज्रधर्मनाराचम्, तत् संहननम्—अस्थिसंचयविशेषोऽनुत्तमसामर्थ्ययोगात् ।

—भगवती, शतक १, प्रश्नोत्थान, पृ० ३४

३. नाभेस्वरि अधश्च सकलपुरुषलक्षणोपेतावयवतया तुल्यम् । तच्च च तत् चतुरस्रं च प्रधानं समचतुरस्रम् । अथवा समाः शरीरलक्षणोक्तप्रमाण विसंवादिन्यश्चतस्रोऽङ्गयो यस्य तत् समचतुरस्रम्, अत्रयस्त्विह चतुर्विम्बभागोपलक्षिताः शरीरावयवा इति । अन्ये त्वाहुः—समा अन्यूनाधिकाश्चतस्रोऽपि अङ्गयो यत्र तत् समचतुरस्रम् । अत्रयश्च पर्यकासनोपविष्टस्य जानुनोरन्तरम्, आद्यनस्य ललाटोपरि भागस्य चान्तरम्, दक्षिणस्कन्धस्य वामजानु-नश्चान्तरम्, वामस्कन्धस्य दक्षिणजानुनश्चान्तरम् ।

—वही, पृ० ३४

जैसा कि यथाप्रसंग इंगित किया गया है, वैहिक दृढ़ता का भी उग्र तप साधने एवं घोर परिषह सहने में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि वहाँ मुख्य आधार तो आत्म-बल ही होता है, पर, अत्यधिक प्रतिकूल भौतिक स्थितियों—शीत, ताप, वृष्टि आदि प्रबल प्रहार सावात आदि सहने में देह-संहनन भी सहायक होता है। संस्कारी महान् पुरुषों को पूर्वा-र्जित पुण्यात्मक कर्मों के फलस्वरूप सहज ही वैहिक शक्तिमत्ता, सुगठितता तथा परिपूर्णता प्राप्त होती है। आर्य सुधर्मा में स्वभावतः ये सब विशेषताएँ विद्यमान थीं।

केवली और पट्टधर

केवली पट्टासीन नहीं होते; अतः सहज ही प्रश्न उपस्थित होता है, जब आर्य सुधर्मा को केवल-ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनकी क्या स्थिति रही? जब केवली पट्टधर, संघ-नायक या आचार्य का पद स्वीकार नहीं करते, तो केवली होने पर फिर वे पट्टासीन कैसे रहते?

केवली द्वारा संघाधिपति या पट्टधर का पद स्वीकार किया जाना और संघाधिपति रहते हुए उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त होना; ये दो भिन्न स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में संघ-नायक या आचार्य होने में जो बाधा है, वह दूसरी स्थिति में नहीं होती। केवली के पट्ट पर केवली आसीन हों, तो द्वादशांग रूप ज्ञान का परम्परा प्राप्त श्रृंखलागत स्रोत यथावत् नहीं रह पाता। क्योंकि पट्टासीन नव केवली द्वारा उद्घोष्यमान देशना स्वयं ज्ञात और दृष्ट साक्षात्—प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उसी भाषा में होती है। आर्य सुधर्मा का बारह वर्ष का जो असर्वशक्त-काल था, ऐसा मानना बहुत संगत प्रतीत होता है कि वे तब तक अपने अन्तेवासी आर्य जम्बू को सम्पूर्णरूपेण द्वादशांगी का ज्ञान दे चुके हों। धर्म की सामान्य देशना उजागर करने में कभी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता नहीं। सर्व-ज्ञता या केवल्य अधिगत करने के पश्चात् भगवान् सुधर्मा जनपद-विहार करते हुए अपने वचनामृत से जन-जन को धर्म का दिव्य सन्देश देते रहे, जिस और आगम-वाङ्मय में स्थान-स्थान पर संकेत प्राप्त होते हैं।

निर्वाण

निर्वाण से पूर्व आर्य सुधर्मा एक मास तक पादोपगमन आमरण अनशन में रहे। नियुक्तिकार ने सभी गणधरों के लिए इसी प्रकार के अन्तिम तप का उल्लेख किया है।^१

जहां यावज्जीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है, वह चतुर्विध

१. मासं पाओवगया सव्वेऽपि य सव्वलद्धिसंयत्ता ।

वज्जदिसहस्रंघयणा समचउरंसा य संढाणे ॥

—आवश्यक-निर्यक्ति, गाथा ६५६

आहार^१-त्यागजनित (आमरण) अनशन है। उसका एक भेद पाओवगमण—पादोपगमन है। नियुक्तिकार द्वारा प्रयुक्त पाओवगम शब्द इसी से सम्बद्ध है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र^२ में भरत चक्रवर्ती के वर्णन-प्रसंग में प्रयुक्त इसी शब्द का विवेचन करते हुए वृत्तिकार शास्त्रि चन्द्र ने लिखा है : “पाद का अर्थ वृक्ष का जमीन में गड़ा हुआ जड़ का भाग है। उसकी तरह जिस (गृहीत-अनशन) व्यक्ति की अप्रकम्प स्थिति होती है, उसे पादोपगत कहा जाता है।”

पादोपगमन के स्थान पर कुछ ग्रन्थों में पादपोपगमन मान कर व्याख्या की गयी है, जिनका सारांश है : “आमरण-अनशन-प्राप्त साधक, जिसमें पादप-वृक्ष की तरह परिस्पन्दन—कम्पन आदि से सर्वथा रहित हो जाता है, वह पादपोपगमन अनशन कहा जाता है।” इस अनशन में साधक की सर्वथा निश्चल स्थिति होती है। अनशन स्वीकार करते समय वह पीठ के बल सीधा लेट जाता है। जरा भी हिलता-डुलता नहीं। वह जीवन भर उसी अवस्था में रहने को दृढ़प्रतिज्ञा होता है। उसके अचंचल या कम्पन रहित अवस्थान का बोध कराने के लिए पाद या पादप की उपमा दी गई है। उसी के आधार पर उसका नामकरण हुआ है। पादप स्थिरता या अप्रकम्पावस्था का प्रतीक है। उसकी शाखाओं, टहनियों आदि में जो हलचल दिखाई देती है, वह उसकी अपनी नहीं है। वह पवन आदि के कारण है। उसी प्रकार पादपोपगत-अनशन-प्राप्त व्यक्ति अपने किसी भी अंग-उपांग को अपने ओर से जरा भी हिलने-डुलने नहीं देता। किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण वैसा हो जाना अन्य बात है।

१ चउविहे आहारे पणत्ते, तं जहा—असणे, पाणे, खाइमे, साइमे।

—स्थानांग सूत्र, स्थान ४

अशनं मण्डकौदनादि, पानं चैव द्राक्षापानादि खादिमं फलादि, स्वादिमं गुडादि—एष आहारविधिश्चतुर्विधो भवति।

—अभिधानराजेन्द्र, भाग २, पृ० ५२४

२. पादो वृक्षस्य मूलगतो मूलभागः, तस्यैव अप्रकम्पतया उपगतम्-अवस्थानं यस्य स तथा।

—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ३, सूत्र ७० वृत्ति

३. (क) पादपो वृक्षः, उपशब्दश्चोपमेयो पि सादृश्ये पि दृश्यते। ततश्च पादपमुपगच्छति सादृश्येन प्राप्नोतीति पादपोपगमनम् पादपवन्निश्चले।

—धर्मसंग्रह सटीक, अधिकार ३

(ख) सर्वथा परिस्पन्दवर्जिते चतुर्विधाहारत्यागनिष्पन्ने नशनभेदे।

—पञ्चाशक टीका, विवरण १९

(ग) पादपस्यैवोपगमनमस्यन्तया वस्थानं पादपोपगमनम्।

—मगधती सूत्र, शतक २५, उद्देशक ७

जम्बूद्वीप-प्रजासि के वृत्तिकार शान्तिचन्द्र ने पादप की उपमा के बजाय जो पाद की भूमिगत जड़ की उपमा दी है, वह स्यात् अधिक संगत है। अर्धचल, स्थिर तथा निश्चल दशा व्यक्त करने में जड़ अधिक उपयुक्त है। भूमि में गड़े रहने से दूसरे ऐसे निमित्त साधारण-तया नहीं मिलते, जो उसे हिलाएँ-डुलाएँ, जबकि वृक्ष के हिलते-डुलते रहने के बराबर प्रसंग बनते रहते हैं। पादोपगत आमरण-अनशन प्राप्त साधक के हिलने-डुलने के प्रसंग प्रायः नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। दूसरे लोग भी प्रायः ध्यान रखते हैं तथा यथाप्रसंग उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करते, जिससे उसकी अर्धचल दशा बाधित हो।

आर्य सुधर्मा ने एक दीर्घ, पवित्र और सकल जीवन जीते हुए सप्त वर्षीय आयु में जीवन का चरम साध्य, जिसे साधने के लिए वे सर्वस्व त्याग कर साधना के पावन पथ पर चल पड़े थे, प्राप्त किया। उनका निर्वाण मगध की राजधानी राजगृह में हुआ।^१

उपसंहार

आर्य सुधर्मा का जन्म ई० पू० ६०७ में हुआ। इन्द्रभूति गौतम का भी जन्म इसी वर्ष माना जाता है। सुधर्मा ५० वर्ष की आयु तक गृहस्थ-पर्याय में रहे। ३० वर्ष तक साधु-पर्याय में रहे। भगवान् महावीर के निर्वाण और गौतम के केवली होने पर गौतम के जीवन-काल में वे १२ वर्ष अखर्वज रूप में संघ के अधिनायक रहे। जिस दिन गौतम का निर्वाण हुआ, सुधर्मा को केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका आठ वर्ष का केवलि-काल है; अतः इस अवधि में केवली के रूप में संघ-नायक रहे।

इस प्रकार ५० वर्ष गृहस्थ-जीवन + ३० वर्ष साधु-जीवन + १२ वर्ष अखर्वज रूप में संघ-प्रधान तथा + ८ वर्ष सर्वज्ञ रूप में संघ-प्रधान = कुल १०० वर्ष का वयोमान होता है। दिगम्बर-परम्परा इससे कुछ भिन्न है। वहाँ इनका केवलि-काल बारह वर्ष का माना जाता है।

जम्बूसामिचरित्त के रचयिता वीर कवि (११ वीं शती) ने सुधर्मा के १८ वर्ष तक केवली के रूप में रहने का उल्लेख किया है, जो दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के विरुद्ध है। हो सकता है, वीर कवि के सामने कोई ऐसी पट्टावली बही हो, पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है।

आर्य जम्बू

आर्य जम्बू इस युग के अन्तिम केवली थे। वे भगवान् महावीर के साक्षात् शिष्य आर्य

१. परिनिष्क्या गणहरा जीवते नायए नव जणा उ।

इंदसूई सुहम्मो अ रायग्गिहे निष्कुए वीरे।

—आवश्यक-निर्यक्ति, गाथा ६५८

सुधर्मा के अन्तेवासी थे। अष्टभाषागी आगम-वाङ्मय के अब तक चले आने वाले स्रोत का बहुत कुछ श्रेय आर्य जम्बू को है। भगवान् महावीर ने त्रिपदी के रूप में धर्म-देशना दी। गणधरों द्वारा सूत्रात्मकतया उसका ग्रथन हुआ। भगवान् महावीर ने प्रासंगिक रूप में अपने निकटतम अन्तेवासी गणधर गौतम आदि द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर रूप में भी तत्त्व व्याख्यात किया। सामाष्टिकरूपेण यही सब मिला कर द्वादशांगी का कलेवर है।

परम जिज्ञासु

भगवान् महावीर के अनन्तर आगम-वाङ्मय के उत्तरवर्ती माध्यम गणधर सुधर्मा थे। उनके अनन्य अन्तेवासी आर्य जम्बू परम जिज्ञासु एवं मुमुक्षु थे। उनके मानस में जिज्ञासाएं उभरतीं। वे अपने श्रद्धास्पद एवं पूजनीय गुरु आर्य सुधर्मा के समक्ष उन्हें उपस्थित करते। सुधर्मा उनका समाधान देते। अपनी ओर से नहीं, जैसा उन्हें भगवान् महावीर की बाणी के रूप में प्राप्त था, प्रायः वैसा कथन करते। इसी प्रकार कभी भगवान् के प्रथम गणधर आर्य गौतम जिज्ञासु भाव लिए अपने आराध्य से पूछा करते थे। अन्य गणधर या जिज्ञासु उपासक जन भी पूछते। भगवान् उन सबका समाधान करते। कुछ अपृष्ट, पर अपेक्षित तथ्य भी भगवान् प्रतिपादित करते। इन्हीं सब का आकलन श्रुत की अप्रतिम निधि के रूप में जुड़ता गया। आर्य सुधर्मा अपने अन्तेवासी जम्बू को जब उत्तर देते, तो यह आप्त स्रोत मुख्यतः उनका आधार रहता। जैन आगम-वाङ्मय के अब तक जीवित रहने का यह एक पुष्ट आधार है। आर्य जम्बू के प्रश्न, आर्य सुधर्मा द्वारा विवेचन—श्रुत-सुरसरी का इस प्रकार उत्तरोत्तर संप्रसार, यह जो सधा, सचमुच जैन इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है, जो आर्हती संस्कृति के विकास तथा विस्तार का मूल है।

प्रश्नोत्तर-क्रम

प्रश्नोत्तर-क्रम का मनोज्ञ रूप प्रस्तुत करने के लिये नाया धम्मकहाओ के प्रारम्भ का कुछ अंश मननीय है : “उस समय आर्य सुधर्मा अनगार के ज्येष्ठ शिष्य काश्यपगोत्रोत्पन्न आर्य जम्बू अपने गुरु के न बहुत दूर न बहुत समीप, ऊर्ध्व जानु, प्रवृत्त मस्तक, धर्म-ध्यान व शुक्ल ध्यान रूपी कोष्ठ में अवस्थित, संयम और तपस्या से अपने को प्रतिभाषित करते हुए उपस्थित थे। उनको श्रद्धा, संशय और कुतूहल उत्पन्न हुआ। वे उठे। जहाँ आर्य सुधर्मा थे, आये। उन्हें तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कर वन्दन और नमन किया। आर्य सुधर्मा के न अति आसन्न-समीप, न अति दूर, शूश्रूषा से सम्मुख होते हुए, अंजलिपुट किये हुए—दोनों जुड़े हुए हाथों पर ललाट रखे हुए, विनय-पूर्वक अभ्यर्थना करते हुए बोले—भगवान् ! श्रमण भगवान् महावीर....पाँचवें (व्याख्याप्रज्ञप्ति-भगवती) अंग का यह अर्थ व्याख्यात किया, छठे अङ्ग ज्ञातृधर्मकथा (णायधम्मकहाओ) का क्या अर्थ है ? कृपया बतलाइए।

आर्य स्थविर सुधर्मा जम्बू को सम्बोधन करते हुए कहने लगे.....¹

जम्बू द्वारा पूछे गये प्रश्न, पूछने की विधि आदि से यह प्रकट है कि वे आचार्य के प्रति कितने श्रद्धालु, भक्तिशील और विनयाचनल थे । जिज्ञासु शिष्य किस प्रकार श्रद्धा, सम्मान और धन्यपूर्वक अपनी जिज्ञासा गुरु के सम्मुख उपस्थित करे, प्रस्तुत प्रसंग में इसकी गौरव-पूर्ण झलक है । आर्य जम्बू के हृदय में आर्य सुधर्मा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा थी । आचार्य से उन्हें सत्य का आलोक प्राप्त होगा, उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था । जायसङ्गे विशेषण इसी आशय को व्यक्त करता है । उनका प्रश्न-क्रम श्रद्धानुस्यूत हो आगे बढ़ता है । उन्हें जो विषय स्पष्ट करने हैं, उनके सम्बन्ध में उनमें अद्वय जिज्ञासा का भाव उभरता है, जिसे सूत्र में जायसंसए पद द्वारा प्रकट किया गया है । यह पद वास्तव में तत्त्व-सम्बन्धी आस्था के विषय में सन्देह का सूचक नहीं है । जम्बू अर्थ का विक्षेप विशदीकरण या सापष्ट्य चाहते हैं, अतएव जातसंसए पद व्यवहृत हुआ है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) में भगवान् महावीर से गणधर गौतम द्वारा पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त इसी (जायसंसए) पद की व्याख्या करते हुए नवांगी टीकाकार आचार्य अभयदेव सूरि लिखते हैं : “.....तथा जातः संशयो यस्य स जातसंशयः, संशयश्चानवधारितार्थं ज्ञानम्, स चैवं तस्य भगवतो जातः । भगवता हि महावीरेण ‘चलमाणे चलि’ इत्यादौ सूत्रे चलन् अर्थश्चलितो निर्दिष्टः । तत्र स एव चलन् स एव चलित इत्युक्तः, ततश्चैकार्थविषयावेतौ निर्देशौ—चलन् इति च वर्तमानकालविषयः, चलित इति चातीतकालविषयः । अतो न संशयः—कथं नाम यः स्वार्थो वर्तमानः,

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स जेट्ठे अंतेवासी अज्जजंबू नामं अणगारे कासवगोत्तेणं जाव सत्तुस्से हे अज्जसुहम्मस्स थेरस्स अदूरसांभते उड्ढजाणू अहौसिरे ज्झाणकोट्ठगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं से अज्ज जंबू णामे जायसङ्गे जायसंसए जायकोउहले संजायसङ्गे संजायसंसए संजायकोउहले उप्पन्नसङ्गे उप्पन्नसंसए उप्पन्नकोउहले समुप्पन्नसङ्गे समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहले उट्ठाए, उट्ठित्ता जेणमेव अज्ज सुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अज्जसुहम्मे थेरे तिक्षुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ बंदइ नमसइ, वदिता नमंसित्ता अज्ज सुहम्मस्स थेरस्स नच्चान्ने नाइ दूरे सुस्सुत्तमाणे नमंसमाणे अभिमुहे पंजलिउडे विणएणं पज्जुवासमाणे एवं एवं वयासी—जइ णं भंते ! समणोणं भगवया महावीरेणं—पंचमस्स अंगस्स अयमट्ठे पन्नत्ते, छट्ठस्स णं भंते ! नायाधम्मकहाणं के अट्ठे पन्नत्ते ? जंबू त्ति अज्जसुहम्मे थेरे अज्जजंबूनामाणं अणगारं एवं बयासी ।

—नायाधम्मकहाओ, अध्ययन १.६

स एवातीतो भवति ?”^१

जो ज्ञान यथावत् अवधारित नहीं है अर्थात् यथार्थरूपेण जिसकी धारणा नहीं है, आचार्य अभयदेव सूरि के अनुसार यह यहाँ संशय कहा गया है। भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित चरमाणो चलिए का उदाहरण देते हुए आचार्य अभयदेव सूरि ने बतलाया है कि ‘चलन’ वर्तमान काल का सूचक है और चलितः अतीत का। दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? इस प्रकार जो जिज्ञासा होती है, संशय का अभिप्राय उसी से है।

इस प्रसंग को इतना स्पष्ट करने का तात्पर्य यह है, आर्य जम्बू वास्तव में सन्दिग्धचेता नहीं थे, वे उत्कट जिज्ञासु थे। जायकोउहले विशेषण से यह स्पष्टतया व्यक्त होता है। कुतूहल का आशय ओत्सुक्य है, वास्तव में उत्सुकता जिज्ञासु व्यक्ति को ही होती है। संशय-ग्रस्त व्यक्ति विपरीत धारणा बना लेता है। ऐसा होने पर उत्सुकता का भाव मन से निकल जाता है।

आर्य जम्बू नायाधम्मकहाओ के उक्त प्रसंग में किस प्रकार प्रश्न करते हैं, प्रायः अन्यत्र भी वे लगभग उसी शैली से प्रश्न करते पाये जाते हैं। शब्दावली में कोई विशेष अंतर नहीं है।

प्रश्न-क्रम का एक अन्य रूप

सूत्रकृतांग सूत्र में आर्य जम्बू द्वारा आर्य सुधर्मा से प्रश्न किये जाने का एक और प्रकार प्राप्त होता है। आर्य जम्बू कहते हैं :

पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य,
अगारिणो य परतित्थिआ य ।
से केह्म जेगंतहिं यम्ममाहु,
अणे कितं साहु समिक्खयाए ॥
कहं च णाणं कहं वंसणं से,
सीलं कहं नायमुत्तस्स आसि ।
आणासि णं मिक्खु जहात्तहेणं,
अहासुहं बूहि जहा णितंतं ॥^२

— धमण, ब्राह्मण, गृहस्थ तथा अन्य तीर्थी—अन्य सम्प्रदायानुयायी मुझ से पूछते हैं कि एकान्त रूप से प्राणियों का हित करने वाले धर्म का सम्यक्त्व आख्यान किसने किया ?

१. व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र, १.१. प्रश्नोत्थान

२. सूत्रकृतांग सूत्र, १.६.१, २

वे पूछते हैं कि ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर का ज्ञान, दर्शन और शील कैसा था ? हे भिक्षो ! आप इसे यथावत् जानते हैं । जैसा आपने सुना है, तदनुसार बतलाएं ।

उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आर्य जम्बू आर्य सुधर्मा के मुख्य शिष्य थे । इसलिए जिज्ञासु व्यक्ति कभी-कभी सीधे प्रश्न पूछ लेते थे । उपर्युक्त गाथाओं में इसी प्रकार का उल्लेख है । जिज्ञासु श्रमणों, ब्राह्मणों, गृहस्थों तथा उत्तर धर्मावलम्बी जनों ने उनसे जो जानना चाहा, वह कोई ऐसा विषय नहीं जान पड़ता, जिसे आर्य जम्बू न जानते हों । पर जम्बू सीधा अपनी ओर से उत्तर नहीं देते । वे श्रुत-स्रोत की परम्परा का निर्वाह करते हैं । फलतः अपने आराध्य गुरुवर्य सुधर्मा से पूछते हैं । इससे उक्तका यह अभिप्राय स्पष्ट अनुमेय है कि तीर्थकरानुप्राणित तथा गणवरानुप्राणित, श्रृंखलानुगत श्रुत-स्रोत अविच्छिन्न या अव्यव-हित रूप से जन-जन तक पहुँचे ।

सूत्रकृतांग सूत्र में आर्य सुधर्मा द्वारा स्वयं भगवान् महावीर से पूछे जाने का उल्लेख है । वह प्रसंग इस प्रकार है :

पुच्छिस्स हं केवलियं महेसि,
कहं भितावा पारगा पुरत्था ।
अजाणओ मे मुणि बूहि जाणं,
कहं मु बाला नरयं उविति ॥
एव मए पुट्ठे महानुभावे,
इणमोन्वणी कासवे आसुपप्पे ।
पवेव्वस्सं बुहमहुबुगं,
आदीणियं बुधकच्चियं पुरत्था ॥^१

—आर्य सुधर्मा कहते हैं, मैंने प्राप्त-केवल्य महामुनि भगवान् महावीर से पूछा कि नरक में प्राणी किस प्रकार अभितप्त होते हैं ? बाल—ज्ञान-रहित प्राणी कितन-कितन कारणों से नशुक उपात्त करते हैं । प्रभो ! मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, बतलाएं । मेरे द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महान् प्रभावशील, काश्यपगोत्रोत्पन्न, आशुप्राज्ञ भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा—जो दुःपूर्ण है, जो अर्थ-दुर्ग—छद्मस्थों या असर्वज्ञों के लिए जिसका अर्थ—यथास्तथ्य दुर्गम है, जो दोन—पापी—कष्टपूर्ण जीवों से परिभ्याप्त है, जो दुष्कृतिक है—जहाँ दुष्कर्मों का फल भोग होता है, उस (नरक) के स्वरूप का आख्यान करूँगा ।

इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आर्य सुधर्मा भी जम्बू से जो कहना चाहते हैं, वह पार-स्परिक स्रोतानुगत हो, इस ओर वे पूर्णतया जागरूक प्रतीत होते हैं । भगवान् से मैंने पूछा,

वे बोले—ये शब्द आर्य सुधर्मा का विवक्षित विषय पर भगवद्-वाणी को यथावत् रूप में प्रस्तुत करने का मानस सूचित करते हैं ।

आर्य सुधर्मा जो कहते हैं, “अज्ञाणओ मे मुणि बूहि जाण” —मैं अज्ञाता हूँ, आप ज्ञाता हैं, बतलाएँ—वह उन (आर्य सुधर्मा के) असीम धिय, सरलता, श्रद्धा और भाव-प्रवणता का द्योतक है । अत्यन्त उन्नत ज्ञान के धनी, महनीय गणधर-पद के अधिकारी आर्य सुधर्मा नरक के दुःखों और कारणों के सम्बन्ध में नहीं जानते थे, यह कैसे माना जा सकता है ? यह सर्वथा उपपन्न है कि वे जानते-बूझते भी तीर्थंकर के मुख से साक्षात् ज्ञात, दृष्ट, अनुभूत वाणी सुनना चाहते रहे हों और उन्हीं के यथावत् शब्दों में कहना भी ।

जैन दर्शन में प्रमाण के दो भेद माने गये हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय-सापेक्ष और मन-सापेक्ष न होकर एकमात्र आत्म-सापेक्ष होता है, वह प्रत्यक्ष है । वह सम्पूर्ण रूप में केवल केवली या सर्वज्ञ के होता है । क्योंकि उनके ज्ञानावरणीय कर्म परिपूर्णरूप में क्षीण हो चुके हैं । मनःपर्यवज्ञानों और अवधिज्ञानों के वह (ज्ञानावरणीय) अंशतः क्षीण होता है अर्थात् उनका ज्ञान भी सोधा आत्म-सापेक्ष होता है, परन्तु (आंशिकतया ज्ञाना-वरणीय कर्म के क्षय के कारण) वह सीमित होता है । इसके अतिशिक्त मन और इन्द्रिय के माध्यम से जो जाना जाता है, तत्कालः वह प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है । व्यवहार की भाषा में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है । इसीलिए जैन नेपायिकों ने उसे सांख्यावहारिक प्रत्यक्ष को संज्ञा दी है ।

तब तक आर्य सुधर्मा के ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा विलय या सम्पूर्णतया क्षय नहीं हो पाया था । वे सर्वज्ञ नहीं हुए थे; अतः सर्वज्ञता की अपेक्षा से उनका ज्ञान अपरिपूर्ण था । श्यात् इस अपेक्षा से उन्होंने नारकोय दुःखों के न जानने की चर्चा की हो । जैसा भी हो, यहां मुख्य अभिप्राय ज्ञान की निव्यवधान-धारा यथावत् प्रवहणशील बनाये रखने का ज्ञात होता है ।

आचारांग, समवायांग, स्थानांग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति आदि अंग-सूत्रों में आर्य सुधर्मा द्वारा विवक्षित विषय का विवेचन प्रायः निम्नांकित शब्दावली की पृष्ठभूमि के साथ किया जाता रहा है : सुप मे आउसं । तेण भगवया समखयं । अर्थात् आयुष्यन् । जैसा मैंने सुना है, भगवान् महावीर ने (प्रसंगोपात विषय का) इस प्रकार आख्यान—प्रतिपादन किया है । इस आशय के भाषा-प्रयोगों से स्पष्ट है कि आगम-श्रुत की परम्परानुस्यूति बनाये रखने की ओर विशेष ध्यान रखा जाता रहा है ।

जम्बू के सम्बन्ध में उल्लेख

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर-सम्बन्धी प्रसंगों के अतिशिक्त परिचयात्मक दृष्टि से कल्पसूत्र में

निरूपित स्थविरावली में आर्य जम्बू के सम्बन्ध में इतना-सा उल्लेख है : थेरस्स णं अज्जसु-हम्मस्स अग्निवेसायण गुत्तस्स अज्जजज्जुनामथेरे अतेवासी कामवगुत्तेण अर्यात् अग्निवैश्यन गोत्रोत्पन्न, स्थविर आर्य सुधर्मा के काश्यपगोत्रोत्पन्न आर्य जम्बू नामक स्थविर अन्तेवासी थे।

नन्दी सूत्र में स्थविरावली के वर्णन के अन्तर्गत आर्य जम्बू का आर्य सुधर्मा के पट्टधर के रूप में उल्लेख हुआ है :

सुहम्मं अग्निवेसाणं, जम्बू नामं च कासवं ।^१

यह स्तुत्यात्मक रचना है। इस गाथाधर्म में आर्य सुधर्मा और आर्य जम्बू का द्वितीया विभक्त्यन्त प्रयोग है। गाथा के उत्तरार्ध में वन्दे पद आया है, जो इनके साथ भी योजनीय है।

आर्य जम्बू के सम्बन्ध में अङ्ग, उपांग तथा तत्सम्बद्ध आगम-वाङ्मय में ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक वर्णन प्राप्त नहीं होता। दिगम्बर-वाङ्मय में आर्य जम्बू के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तिलोयपण्णत्ती^२ में है। वहाँ केवल नामोल्लेख मात्र है।

मोहक व्यक्तित्व : कवियों और लेखकों का आकर्षण

आर्य जम्बू अत्यन्त सुन्दर, सुकुमार, हृद्य और प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी थे। उनका देहिक सौष्ठव बड़ा आकर्षक था। छोटी-सी आयु में अनेक विद्याओं तथा कलाओं के मर्मज्ञ थे। पतृक परम्परा से अतुल सम्पदा के अधिपति थे। माता-पिता के इकलौते पुत्र थे; इसलिए जो स्नेह एवं लाड़-प्यार उन्हें मिला, वह कुछ बिरखे ही सौभाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। जम्बू का जिन आठ श्रेष्ठि-कन्याओं के साथ विवाह हुआ, वे अनुपम सौन्दर्य, प्रेम और सौहार्द की प्रतिमूर्ति थीं। जिसके लिए लोग सत्पुण्य भाव से तरसते रहते हैं, अपरिश्रान्त रूप से अहर्निश उद्यम तथा प्रयत्न करते हैं, वह सब सम्पत्, वैभव, समृद्धि जम्बू को सहज ही प्राप्त थी। पर, मुमुक्षानुभावित जम्बू ने इन सबका अनायास ही परित्याग कर दिया। तीव्रतम वैराग्य और उत्कृष्टतम त्याग का यह एक ऐसा उदाहरण था, जिसकी समानता जगत् में बहुत कम मिल सकती है। उद्दाम यौवन, अपरिमित

१. सुहम्मं अग्निवेसाणं, जम्बू नामं च कासवं ।

पमवं कच्चायणं वन्दे, वच्छं सिज्जंभवं तथा ॥

—नन्दीसूत्र, स्थविरावली, गाथा २५

२. तम्मि कवकम्मणासे जंझु सामि त्तिकेवली जादो ।

तस्य वि सिद्धि पवणो केवल्लिणो णत्थि अणुबद्धा ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४७७

भोग्य वस्तुएं; यह सब होते हुए भी भौतिक वासनाओं, एषणाओं और अभिसिद्धियों का अस्वीकार, अष्टात्म-अर्पित नितान्त निरुपबाध साधक-दशा का स्वीकार—निःसन्देह एक असाधारण एवं आश्चर्यकर घटना थी ।

जम्बू के इस परम पुनीत, अत्यन्त विरल, साहस-संबलित, आत्म-साधना की अमिट लो-से उद्दीप्त व्यक्तित्व अनेक कवियों, लेखकों और कथाकारों को आकृष्ट और प्रेरित किया । फलतः आर्य जम्बू के जीवन पर अनेक भाषाओं व शैलियों में विपुल साहित्य सजित हुआ । उनके जीवन से सम्बद्ध दूसरी कोटि का साहित्य यह है, जहां अन्य महापुरुषों के चरितों के साथ उनका चरित्र भी समाविष्ट है । इस प्रकार जम्बू जीवन के सम्बद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के समाकलन के लिए साहित्यिक दृष्टि से उक्त दो प्रकार के आधार प्राप्त हैं ।

वसुदेव-हिंडी

उपलब्ध साहित्य में वसुदेव-हिंडी^१ सबसे पुरानी रचना है, जिसमें आर्य जम्बू का भी जीवन-वृत्तान्त वर्णित है । वसुदेव हिंडी के रचनाकार श्री संघदास गणी हैं । उनका समय विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी माना जाता है । वसुदेव हिंडी जैन महाराष्ट्री प्राकृत की सबसे पुरातन कृति है । इसके अनन्तर जो आर्य जम्बू विषयक चरित-साहित्य रचा जाता रहा, उसका मुख्य आधार प्रायः यही ग्रन्थ रहा । इस ग्रन्थ के कथोत्पत्ति नामक प्रकरण में आर्य जम्बू का इतिवृत्त है । आगम-वाङ्मय के प्रमुख संवाहक होने के नाते यह वांछनीय है कि आर्य जम्बू के चरित से पाठक अवगत हों; अतः यहां वसुदेव हिंडी के अनुसार संक्षेप में उसका साथ उपस्थित है ।

माता-पिता, जन्म, निवास

वसुदेव-हिंडीकार ने सर्वप्रथम मगध देश की तथा उसकी राजधानी राजगृह को नैसर्गिक छटा, वैभव, जन-समुदाय के सम्पन्न, समृद्ध एवं उल्लासपूर्ण जीवन का सजीव चित्र अंकित किया है । वहां के राजा श्रेणिक को महत्ता, उदारता, विजिगीषुता और यशस्विता की चर्चा की है । श्रेणिक की पटरानी चिल्लणा (चेल्लणा) और राजकुमार कोणिक (अजातशत्रु) का भी यथाप्रसंग उल्लेख किया है ।

१. प्राकृत में हिंड धातु चलने, फिरने या परिभ्रमण करने के अर्थ में है । अतः वसुदेव हिंडी का अर्थ वसुदेव (वासुदेव-कृष्ण के पिता) के परिभ्रमण-वृत्तान्त हैं । इस ग्रन्थ में वसुदेव के परिभ्रमण-यात्राओं का विशद वर्णन है । वे घर छोड़कर घूमने निकल जाते हैं । अनेक वर्षों तक परिभ्रमण करते रहते हैं । अनेक कन्याओं से उनका परिणय होता है । इन सब वृत्तान्तों तथा नव-नवअनुभवों का प्रस्तुत कृति में कर्तरा-रंजित साहित्यिक शैली में वर्णन किया गया है ।

राजगृह में ऋषभदत्त नामक श्रेष्ठी था। उसके पास उसके पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रचुर सम्पत्ति थी। वह विनयवान्, विद्वान्, कार्य-कुशल, दयावान्, सत्यप्रतिज्ञ तथा दानशील था। अर्हत्-शासन (जैन धर्म) में उसका अनुशास था। उसकी गृहणी का नाम धारिणी था। निरूपहत स्फटिक मणि के समान उसका निर्मल स्वभाव था। वह शील-सदाचार से अलंकृत थी। उसने एक बार सोते हुए अर्द्ध जागृत अवस्था में पाँच स्वप्न देखे। वह जाग उठी। वे स्वप्न इस प्रकार थे :

१. निर्धूम अग्नि

२. विकसित कमल, कुमुद और कुबलय समूह से सुशोभित सरोवर।

३. फल-भार से झुका हुआ धान का खेत।

४. जो जल-वृष्टि कर चुके हैं, ऐसे बादलों के समान धवल तथा अपने समुच्चिन्न—
ऊर्ध्वोन्नत चार दांतों से युक्त गजराज।

५. वर्षा, गन्ध तथा रस पूरित जम्बू फल।

धारिणी ने अपने स्वप्न पति ऋषभदत्त को सुनाये। ऋषभदत्त ने कहा कि अर्हत्—सर्वज्ञ द्वारा ऐसे स्वप्नों का जो फल व्याकृत—व्याख्यात किया गया है, उसके अनुसार तुम्हें एक प्रभावपन्न पुत्र-रत्न की प्राप्ति होगी। इससे धारिणी का हृदय आनन्द-विभोर हो गया और उसने यह उत्कण्ठा प्रकट की कि ऐसा ही हो, आप ठीक हो कहते हैं।

ब्रह्मलोक से च्युत एक देव उसके गर्भ में आया। धारिणी को अर्हत्-पूजा और साधु-उपासना का दोहद उत्पन्न हुआ। अपनी वैभवपूर्ण स्थिति और सम्पदा के अनुरूप दोहद की पूर्ति की गयी। नव मास पूर्ण होने पर धारिणी ने पुत्र-रत्न को जन्म दिया। नव-जात शिशु शारद शशी जैसा कान्ति और भानु जैसा दीप्ति से शोभित था। शुद्ध सोने के कमल तथा कर्णिकार के रस-स्निग्ध किजलक जैसा उसका वर्ण था। उसके हस्त, पाद तथा मुख पर अशुभवर्जित सामुद्रिक शास्त्रानुमोदित शुभ तथा प्रशस्त चिह्न थे। जात-कर्म को सम्प्रज्ञता के पश्चात् उसका नामकरण संस्कार हुआ। माता द्वारा स्वप्न में जम्बू फल देखे जाने तथा जम्बू द्वीप के अविष्ठातृ-देव की सन्निधि के कारण शिशु का नाम जम्बू रखा गया। धात्री द्वारा पालित-पोषित होता हुआ शिशु क्रमशः बड़ा हुआ। उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे; अतः उसने देखते-देखते शीघ्र ही अनेक कलाएं आद्यत कर लीं।

आर्य सुधर्मा से सम्पर्क

जम्बू युवा हुए। उन्हें देख लोगों की आँखों में प्रसन्नता चिह्नक उठती। वे प्रशंसा-विलिप्त शब्दों में कहते—ये कितने दयावान्, मधुर भावो, दूरदर्शी तथा सत्पुरुषों के प्रति आदर व सेवा के भाव रखने वाले हैं। जम्बू वास्तव में मगध देश की शोभा थे। उनका

जीवन आनन्द-उल्लासपूर्ण था । जिनेश्वर देव की तरह गणधर सुधर्मा भग्न (मोक्ष जाने योग्य) प्राणियों का मन उल्लसित करते हुए अपने श्रमण-समुदाय सहित बाजगृह आये । वे वहाँ गुण-शील चैत्य में रुके । जम्बू ने आर्य सुधर्मा का आगमन सुना । मेष का गर्जन सुनकर जैसे मयूर परम हर्षान्वित होता है, वैसे ही अपरिचिन्तित हर्ष सब जम्बू को हुआ । वे रथ पर बैठे, प्रयाण किया, वहाँ आये । कुछ दूरी पर वाहन से उतर पड़े । अत्यन्त घेराव भाव लिये गणधर सुधर्मा के पास आये । उन्हें तीन बार प्रदक्षिणा की, मस्तक से प्रणमन और वन्दन किया, बैठे ।

आर्य सुधर्मा ने कुमार जम्बू तथा समवेत जन-परिषद् को उद्दिष्ट कर जीव, अजीव, आस्रव, सम्बर, निर्जरा, बन्ध तथा अनेक पर्यायात्मक मोक्ष के स्वरूप का विश्लेषण किया । गणधर सुधर्मा का उपदेश-बचन सुन जम्बू के मन में घेराव-भाव जागा । अत्यन्त आत्म-तुष्ट होते हुए वे उठे । विनम्रतापूर्वक वन्दन किया तथा उनसे निवेदन करने लगे—‘प्रभो ! आपसे मैंने धर्म-तत्त्व श्रवण किया । अब मैं अपने माता-पिता को स्वीकृति लेकर आपके श्रीचरणों का आश्रय ले आत्म-कल्याण का अनुष्ठान करूँगा ।’

गणधर सुधर्मा बोले—“भग्न जनों के लिए यह करणीय—रुखने योग्य है ।”

भाव-आगृति

आर्य सुधर्मा को प्रणमन कर कुमार जम्बू रथ पर आरुढ़ हुए । जिस मार्ग से आये थे । उसी से प्रयाण कर नगर के द्वार पर पहुँचे । वहाँ सामने उन्हें यानों की भीड़ दिखाई दी । सोचा, इस द्वार से जाने से अनावश्यक विलम्ब होगा । अधिक अच्छा यह होगा, नगर के दूसरे द्वार से प्रवेश करूँ, ताकि शीघ्र पहुँच सकूँ । वे सारथि से कहने लगे कि रथ वापिस लौटाओ, दूसरे द्वार से नगर में प्रवेश होना है । सारथि ने बोड़े हाँके । रथ दूसरे द्वार पर पहुँचा । वहाँ जम्बू ने देखा—शिला, शतृघ्नी, कालबक आदि शस्त्र राजा लटकाये हुए हैं । वे शत्रु-सेना के नाश के लिए थे । उन्हें देखने पर जम्बू मन में ऊहापोह करने लगे, यदि संयोगवश ये शस्त्र मेरे रथ पर गिर जाएं तो कितना बुरा हो, व्रत स्वीकार किये बिना ही मेषा मरण हो जाए और मैं दुर्गति में जाऊँ । मन में इस प्रकार संकल्प करते हुए वे सारथि से बोले कि रथ को वापिस लौटा लो । मैं आर्य सुधर्मा के पास गुणशील चैत्य जाना चाहता हूँ । सारथि ने रथ लौटा लिया ।

कुमार जम्बू आर्य सुधर्मा के पास पहुँचे । उनसे अभ्यर्थना की—मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा । इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया । रथ पर आरुढ़ हुए । नगर में आये । अपने घर पहुँचे ।

माता-पिता से निवेदन

कुमार जम्बू रथ से नीचे उतरे । उनका मुख प्रफुल्लित था । उन्होंने माता-पिता को प्रणाम किया । उनसे कहने लगे—‘मैंने आज गणधर सुधर्मा से धर्मोपदेश सुना, प्रभावित हुआ । मैं वह पद प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ न बुद्धावस्था है, न मरण है और न रोग व शोक ही । मैं श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार करना चाहता हूँ । मुझे आज्ञा दीजिए ।’

कुमार जम्बू का निश्चयात्मक भाषा में वचन सुन कर माता-पिता के मुख पर आंसू छा गये । वे कहने लगे—‘तुमने धर्मोपदेश सुना, यह अच्छा है । देखो, हमारे पूर्वज भी जिन-शासन में अभिरुच थे, पर, हमने नहीं सुना, उनमें से किसी ने भी प्रव्रज्या स्वीकार की हो । हम लोग भी लम्बे समय से धर्म-अवगण करते आ रहे हैं, परन्तु, हमारा ऐसा मनोभाव कभी नहीं बना । तुमने केवल एक दिन में ऐसी कोन सी विशेषता प्राप्त कर ली कि प्रव्रज्या लेने की ठान ली ।

कुमार जम्बू ने माता-पिता को समझाते हुए कहा— ‘कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत काल के पश्चात् भी अपने करणीय का निश्चय नहीं कर पाते हैं और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो थोड़े ही समय में उसे विशेषतः परिज्ञात कर लेते हैं ।

जम्बू कुमार ने इस सन्दर्भ में माता-पिता को विशेष-परिज्ञा के उदाहरण के रूप में एक श्रेष्ठि-पुत्र का दृष्टान्त देते हुए दीक्षा लेने की स्वीकृति देने के हेतु उनसे पुनः अनुरोध किया । माता-पिता ने कहा—‘आर्य सुधर्मा विहार करते हुए फिर जब यहाँ पधारे, अच्छा होगा, तब तुम प्रव्रजित होना ।’

दुर्लभ धर्म-प्राप्ति के सम्बन्ध में कुमार जम्बू ने कई एक मित्रों का दृष्टान्त सुनाते हुए अविलम्ब संयम-पथ अंगीकार करने की तीव्र उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए कहा—‘जिस प्रकार उन मित्रों ने तीर्थंकर का उपदेश श्रवण कर समवसरण में प्रव्रज्या स्वीकार कर ली तथा जन्म-मरण का अन्त किया, इसी प्रकार यदि मैं अभी ऐसा न करूँ, तो समय बीतने पर हो सकता है, विषयों में आसक्त हो जाने के कारण मेरा धर्म के प्रति आकर्षण हो न रहे । इसलिए मैं चाहता हूँ, मुझे अभी स्वीकृति प्रदान करें ।

पिता ऋषभदेव ने कहा—‘तुम्हारे पास विपुल सम्पदा है, जिससे सभी भोग्य पदार्थ सुलभ हैं । इसलिए अच्छा है, भोगों का पर्याप्त भोग करो, तब दीक्षा लो ।’

कुमार जम्बू ने इन्द्रियासक्ति के सम्बन्ध में शिलाजीत में चिपक कर मरने वाले एक मकंद का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कहा—‘अभी व्रज्य के कारण मुझे केवल खाने-पीने के पदार्थों की आसक्ति बहती है । दूसरे शब्दों में केवल जिह्वा के स्वाद में बंसा हूँ, जिससे मैं

अपने को सुगमता से मुक्त कर सकता हूँ । पर, जब मैं पाँचों इन्द्रियों के भोगों में आसक्त और ग्रस्त हो जाऊँगा, तब जिस प्रकार वह बन्दर दुःख से मरा, क्या मैं भी जन्म-मरण का भागो नहीं बनूँगा ? मैं मोक्ष के भय से विभीत हूँ । प्रज्ज्या की आज्ञा चाहता हूँ ।”

जम्बू कुमार के कथन पर माता कण-कन्दन करने लगी । उसने कहा—“पुत्र ! मेरी जिसकाल से यह अभिलाषा रही है कि मैं वर-वेश में तुम्हारा मुख देखूँ, पर, सुपने ऐसा निश्चय कर लिया है, जो मेरे मनोरथ की सिद्धि के प्रतिकूल है । यदि तुम मेरी अभिलाषा पूरी करोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ-साथ दीक्षा ग्रहण कर लूँगी ।”

जम्बू ने कहा—“माँ ! यदि आपको ऐसी उरकड़ा है, तो बहुत सुन्दर है । मैं आपके वचन का प्रतिपालन करूँगा । पर, उस शुभ वेला के व्यतीत हो जाने पर आप मुझे नहीं रोकेंगी ।”

माता परिशुष्ट हो गयी । कहने लगी, जैसा तुम कहते हो, वैसा ही होगा । उसने आगे कहा—“जम्बू ! पहले से ही आठ श्रेष्ठि-कन्याओं का तुम्हारे लिये वाग्दान हो चुका है । यहीं निवास करने वाले समुद्रप्रिय, समुद्रदत्त, सागरदत्त, कुबेरदत्त, कुबेरसेन, वैश्रमणदत्त, वसुसेन तथा वसुपाल नामक सार्यवाह हैं । जिन-शासन में उनका अनुयाय है । पद्मावती, कनक-माला, बिनयत्री, वनश्री, कनकदत्ती, श्रीसेना, क्षीमती तथा जयसेना नामक क्रमशः उनकी पत्नियाँ हैं । समुद्रश्री, सिन्धुमती, पद्मश्री, पद्मसेना, कनकश्री, विजयश्री, कमलावती तथा यशोमती नामक उनकी पुत्रियाँ हैं । ये कन्याएँ तुम्हारे अनुयायी हैं । तुम्हारे से इनके पाणि-ग्रहण का पहले से ही निश्चय किया हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके पिताओं को यह सब कहलाएँ ।”

जम्बू के माता-पिता की ओर से कन्याओं को सन्देश प्रेषित किया गया कि कुमार जम्बू का ऐसा निश्चय है कि वे विवाह सम्पन्न होते ही संयम ग्रहण कर लेंगे । इस पर आप लोगों का क्या विचार है ?

सार्यवाहों ने ज्यों ही यह सुना, उनका मन विषण्ण हो गया तथा अपनी पत्नियों के साथ इस सम्बन्ध में वे विचार-विमर्श करने लगे । उनकी कन्याओं ने वह बातोंलाप सुन लिया । सभी कन्याओं ने एक जैसा ही निश्चय किया और कहा—“आपने हमें (वचन द्वारा) कुमार जम्बू को दे दिया है । धर्मतः वे हो हमारे स्वामी हैं । वे जैसा करेंगे, जैसे मार्ग को ग्रहण करेंगे, हमारा भा वही पथ होगा ।” कन्याओं का इस प्रकार निश्चित अभिप्राय जान कर उनके पिता—सार्यवाहों ने श्रेष्ठो श्रुवभदत्त के पास वह संवाद भेज दिया । दिगम्बर-परम्परा में आठ के स्थान पर चार कन्याओं का उल्लेख है ।

विवाह सम्पन्न

शुभ दि वस में जम्बू कुमार के पीठी लगाई गयी । कन्याओं के भी अपने-अपने घरों में पीठी लगी । आवश्यक विधि-विधान के अनन्तर कुमार जम्बू उसी प्रकार कन्याओं के घर गये, जेसे चन्द्र तारिकाओं के सम्मिष्ट जाते हैं । कन्याओं के साथ वे इस प्रकार घर लौटे, मानो श्री, धृति, कीर्ति और लक्ष्मी को साथ लिये आये हों ।

सैकड़ों आनन्द तथा उल्लासपूर्ण विधि-विधानों द्वारा कुमार जम्बू को स्नान कराया गया तथा अनेकविधि आभरणों से उन्हें अलंकृत किया गया । नागर जनों द्वारा कुमार जम्बू का अभिनन्दन किया गया । इस अवसर पर श्रमण-ब्राह्मणों का आदर-सत्कार किया गया । सन्ध्या समय पारिवारिक जनों तथा नागरिकों को विशेष भोज दिया गया । कुमार जम्बू माता-पिता तथा नवोद्वाहिता वधुओं के साथ अपने वास-गृह में आये ।

तत्स्करराज प्रभव : आगमन

उसी देश-काल में उन्हीं दिनों वहाँ प्रभव नामक एक प्रसिद्ध चोर था ; वह विन्ध्यराज का पुत्र था, जघपुत्र निवासी था । वह अनेक कलाओं का मर्म-वेत्ता था । विन्ध्यराज ने उस (प्रभव) के छोटे भाई अर्थात् अपने कनिष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया था । प्रभव ने इसे अपना अपमान माना । वह घर से निकल पड़ा । वह विन्ध्याचल की दुर्गम घाटियों में रहने लगा और चोरी द्वारा जीवन चलाने लगा । उसने सुना, कुमार जम्बू अत्यधिक वैभवशाली हैं । उनके वैवाहिक समारोह में अनेक समृद्धिशाली व्यक्ति सम्मिलित हैं । वह चला । वह तालो-दुघाटिनी विद्या जानता था । उसने उसके द्वारा कपाट खोल लिये । अनेक तत्स्कर-योद्धाओं के साथ वह कुमार जम्बू के भवन में प्रविष्ट हुआ । वह अवस्थापिनी विद्या भी जानता था । उसके द्वारा उसने लोगों को अवसुप्त कर दिया । सभी ऊँघने लगे । तत्स्कर उनके आभूषण तथा वस्त्र उतारने लगे । कुमार जम्बू ने यह देखा । उसने असम्भ्रान्त—निर्भय भाव से तत्स्कर-वृक्ष को कहा—अतिथियों को न छूएँ । जम्बू के कथनमात्र से लेप्य-निर्मित (मिट्टी से बने) पक्षों की तरह वे तत्स्कर स्तम्भित तथा चेष्टा-शून्य हो गये । प्रभव ने देखा, कुमार जम्बू वधुओं सहित सुखासन पर बैठे हुए ऐसे लगते हैं, मानो तारिकाओं से धिरा शरत्पूर्णिमा का चन्द्र हो ।

जम्बू और प्रभव : सम्वाद

साथी तत्स्कर-योद्धाओं को स्तम्भित तथा निश्चेष्ट देखकर तत्स्करराज प्रभव ने कुमार जम्बू से कहा—“मैं विन्ध्यराज का पुत्र प्रभव तत्स्कर हूँ । आपके प्रति सहज ही मेरे मन में मैत्रि-भाव उद्भूत हो गया है । मेरा अनुरोध है, आप मुझे स्तम्भिनी तथा मोचनी नामक विद्याएं सिखा दें, मैं आपको तालोदुघाटिनी एवं अवस्थापिनी विद्याएं सिखला दूँगा ।”

कुमार जम्बू ने कहा—“प्रभव ! सुनो, मैं समस्त पारिवारिकों तथा इस विपुल वंशव और सम्पत्ति का परित्याग कर कल प्रज्ञया ग्रहण करूंगा । मैंने भावात्मक दृष्ट्या सभी आरंभ-समारंभ व्यक्त कर दिये हैं । मैं एक प्रकार से अप्रमत्त बन गया हूँ । मुझ पर विद्या या देवता का प्रभाव कार्यकर नहीं होता । मुझे इन साधव-अधव सहित या पापपंकिल विद्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है । इन विद्याओं का परिणाम दुर्गति है । मैंने आर्य सुधर्मा से संसार-विमोचनी विद्या प्राप्त की है ।”

प्रभव ने यह सब सुना । उसके चिन्मय का पार नहीं रहा । मन-ही-मन सोचने लगा, कितना आश्चर्य ! जम्बू कुमार इस विपुल सम्पदा का परित्याग करने जा रहे हैं । वास्तव में वे महान् पुरुष हैं, वन्द्य हैं । प्रभव विनयाभिमत हो गया । पर, कहने लगा—“जम्बू कुमार ! भोग्य विषय इस मनुष्य-लोक में सारभूत हैं । सपत्नीक उनका परिभोग करो । पण्डितजन, जो सुख प्राप्त हैं, उनके परित्याग की प्रशंसा नहीं करते । यह आपके दीक्षा लेने का समय नहीं है । असमय में ऐसा करने की बुद्धि आप में कैसे उत्पन्न हुई ? जो परिपक्व-बुद्ध या प्रौढ़ अवस्था के हैं, वे यदि इस प्रकार का धर्माचरण स्वीकार करें, तो गह्वर नहीं है ।

कुमार जम्बू ने प्रभव को ‘मधु-विन्दु’ आदि दृष्टान्तों द्वारा भोग की त्याज्यता और त्याग की वरेण्यता का सार हृदयङ्गम कराया । फलतः कुमार जम्बू के साथ जहाँ उनकी तपपरिणीता पत्नियां प्रव्रजित हुईं, तत्करराज प्रभव भी अन्ततः उनके तितिक्षु तथा मुमुक्षु ध्याक्त्वि से प्रभावित हो अपने तत्कर-साधियों सहित दीक्षित हो गया ।

तत्कर-कर्म में प्रभव ने जहाँ एक असाधारण ख्याति अर्जित की थी, साधना के क्षेत्र में भी उसने वस्तुतः चमत्कार किया । वह आर्य जम्बू का प्रमुख अन्तेवासी हुआ तथा आर्य जम्बू के पश्चात् आचार्य प्रभव के रूप में उनका उत्तराधिकारी, धर्म-संघ का अधिनायक तथा द्वादशांगारमक श्रुत-संपदा का सकल संवाहक भी ।

दिगम्बर परम्परा में प्रभव के स्थान पर विद्युक्चर नामक तत्कर का उल्लेख है । पर, जम्बू के प्रधान शिष्य या पट्टधर के रूप में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । दिगम्बर-परम्परानुसार जम्बू के पट्टधर विष्णु या नन्दी नामक आचार्य हैं ।

आर्य जम्बू : काल-क्रम

आर्य जम्बू के जीवन का काल-क्रम सामान्यतः निम्नांकित रूप में माना जाता है :

जन्म : ई० पू० ५४३

दीक्षा : ई० पू० ५२७ / १६ वर्ष की आयु में, भगवान् महावीर के निर्वाण के कुछ वर्ष ।

केवल-ज्ञान : ई० पू० ५०७

निर्वाण : ई० पू० ४६३ । सम्पूर्ण आयु ८० वर्ष ।

एक और कल्पना

प्रायः अधिकांश जैन लेखकों ने इस प्रकार उल्लेख किया है कि मगध नरेश सम्राट् श्रेणिक ने भगवान् महावीर से या गणधर गौतम से जम्बू के जन्म के सम्बन्ध में प्रश्न किये । इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि जम्बू का जन्म सम्राट् श्रेणिक के जीवन-काल में या उसके देहावसान से कुछ पूर्व या उसके आस-पास होना चाहिए ।

बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ । उससे आठ वर्ष पूर्व अजातशत्रु मगध के राज-सिंहासन पर बैठा । लगभग उसी समय श्रेणिक की मृत्यु का समय ई० पू० ५५२ के आस-पास ठहरता है । उपर्युक्त विचार के सन्दर्भ में जम्बू का जन्म भी इसी के आस-पास होना चाहिए । यदि ऐसा माना जाए तो स्वोक्त मान्यता में लगभग १० वर्षों का अन्तर आता है । तदनुसार जम्बू की आयु ८० वर्षों की न होकर ९० वर्षों की होती है ।

वीर कवि का अभिमत

जंबूसामि चरिउ के लेखक वीर कवि (११वीं शती) ने तथा उसके अनुसार ब्रह्म जिन दास (वि० १३ वीं शती) तथा राजमल्ल (वि० १७ वीं शती) ने भी यह उल्लेख किया है कि कुमार जम्बू ने मगधराज श्रेणिक के राज्य-काल में दीक्षा ग्रहण की थी । इतना ही नहीं, सम्राट् श्रेणिक ने उसका दीक्षोत्सव बड़े आनन्दोत्साह तथा विशाल समारोहपूर्वक आयोजित किया था । इसके अनुसार जम्बू का जन्म श्रेणिक के देहावसान के समय ई० पू० ५५२ से कम-से-कम पन्द्रह-सोलह वर्षों पूर्व अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार जन्म का समय लगभग ई० पू० ५६८-५६९ सम्भावित होता है । इसे मान कर चलें, तो आर्य जम्बू की आयु लगभग १०५ वर्ष होती है । भिन्न-भिन्न पहलुओं को लेते हुए यद्यपि विद्वानों ने कुछ विचार किया है, पर, गदेवणात्मक दृष्टि से इन पर और अधिक विचार किया जाना अपेक्षित है । आशा है, विद्वज्जन ऐसा करेंगे ।

आर्य जम्बू का निर्वाण

शौरसेनी षट्खण्डागम के धवला टीका के रचयिता धीरसेन (आठवीं-नौवीं शती)^१, गौम्मटसार के कर्ता सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य (नौवीं शती), उत्तरपुराण के लेखक गुणधर (८६८ ई० से पूर्व), अपभ्रंश महापुराण (तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकार) के प्रणेता

१. इनका समय ईसा की आठवीं शती का अन्तिम क्षरण तथा नौवीं शती का प्रथम क्षरण माना जाता है ।

पुष्पदन्त (दशम शती ई०); दिगम्बर-परम्परा के इन सभी विद्वानों ने वीर निर्वाण के १२ वर्ष पश्चात् गौतम, उसके १२ वर्ष पश्चात् सुधर्मा तथा उसके ४० वर्ष पश्चात् जम्बू का मोक्ष गमन मान्य किया है। इस प्रकार $१२ + १२ + ४० =$ वीर-निर्वाण से जम्बू-निर्वाण तक ६४ वर्ष होते हैं।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भी गौतम, सुधर्मा और जम्बू के कैवल्य काल की कुल संख्या ६४ वर्ष होती है। पर, वह इस प्रकार है—गौतम का कैवल्य काल १२ वर्ष, सुधर्मा का कैवल्य काल ८ वर्ष तथा जम्बू का कैवल्य काल ४४ वर्ष=कुल ६४ वर्ष।

तिलोचपण्णत्तीकार यतिवृषभ यद्यपि दिगम्बर परम्परा से सम्बद्ध थे, पर, प्रस्तुत विषय में उनकी काल-गणना भिन्न है। उन्होंने गौतम, सुधर्मा और जम्बू का कैवल्य-काल ६२ वर्ष^१ का बताया है। अप्रभ्रंश जंबूसामि शरिउ के लेखक वीर कवि (११वीं शती) ने जम्बू के कैवल्य-काल के सम्बद्ध में एक नई कल्पना की है। उनके अनुसार जम्बू स्वामी दीक्षित होने के अठारह वर्ष बाद माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः आर्य सुधर्मा मोक्षगामी हुए। सुधर्मा के निर्वाण के अठारह वर्ष बाद जम्बू का मोक्ष हुआ।

हिमवत् बेरावली में वीर निर्वाणाब्द ७० में जम्बू का निर्वाण सूचित किया है। इसके अनुसार गौतम, सुधर्मा और जम्बू का सर्वज्ञावस्था का समय ७० वर्ष का होता है।

कुछ और

ब्रह्म के धर्म-सम्प्रदायों का इतिहास के प्रसंग में आर्य जम्बू के सम्बन्ध में चर्चा की है। वहाँ लिखा है :..... उन्होंने १६ वर्ष की किशोरावस्था में ही अपने विवाह के तत्काल पश्चात् महावीरजी के पट्ट शिष्य सुधर्मा स्वामी से प्रसज्या ली थी और जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। प्रसज्या लेने के अनन्तर २० वर्ष तक मुनि-वृत्ति धारण करने पर वे केवल-ज्ञानी हुए थे। बाद में ४४ वर्ष तक केवल-ज्ञानी रहने के उपरान्त ८० वर्ष की आयु में उन्होंने महावीर-निर्वाण के ६२ वें वर्ष में मोक्ष-लाभ किया था। उनका देहावसान-काल वि० पू० सं० ४०८ माना जाता है। उन्होंने मथुरा के “चौरासी” नामक स्थान में तपस्या कर सिद्ध-पद प्राप्त किया था और वहाँ पर ही उनका निर्वाण हुआ था। वे जैन-धर्म के अन्तिम केवल-ज्ञानी थे।^२

१. वासट्ठी वासार्णि गोबमण्डवीण णाणवन्तारं ।

धम्मपयट्टकाले परिमाणं पिंडस्वेजं ॥

—तिलोचपण्णत्ती, १४७८

२. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, भाग २, पृ० ५५

लेखक ने यहां वीर-निर्वाण के ६२ वें वर्ष में ४४ वर्ष की कैवल्यवस्था के अनन्तर जम्बू के निर्वाण प्राप्त करने का जो उल्लेख किया है, वह चिन्त्य प्रतीत होता है। ६२ वर्ष की संख्या तो तिलोयपण्णत्ती से मिलती है, पर, जम्बू का ४४ वर्ष का जो केवल-काल बताया है, वह कठिनाई उत्पन्न करता है। इसके अनुसार गौतम और सुधर्मा, दोनों के केवल-काल के १८ वर्ष बचे रहते हैं, जिनकी संगति किसी भी परम्परा से नहीं बैठती।

जम्बू के अनन्तर कतिपय विच्छेद

जम्बू अन्तिम केवली थे। प्रायः सभी जैन परम्पराएं इस सम्बन्ध में एकमत हैं। जैन मान्यता के अनुसार जम्बू के पश्चात् १. मनःपर्यव ज्ञान, २. परम अवधि ज्ञान, ३. पुलाक लब्धि, ४. आहारक शरीर, ५. उपशम श्रेणी, ६. क्षपक श्रेणी, ७. जिनकल्प साधना, ८. परिहार विशुद्धि चारित्र, ९. सूक्ष्म सम्पराय चारित्र, १०. यथाख्यात चारित्र, ११. केवल-ज्ञान, १२. मोक्ष-गमन का विच्छेद हो गया। इस विच्छेद क्रम का अन्यान्य हेतुओं के साथ काल-प्रभाव भी एक कारण हो सकता है।

तिलोयपण्णत्ती का एक विवेच्य प्रसंग

तिलोयपण्णत्ती में भगवान् महावीर से आर्य जम्बू तक का जो केवल-क्रम वर्णित हुआ है, वहां अन्त में उल्लेख है कि जम्बू स्वामी द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लिये जाने पर अनुबद्ध केवली^२ नहीं हुए। साधारणतया इसका यही अर्थ लिया जाता है कि जम्बू के पश्चात् केवल-ज्ञान की परम्परा गतिशील नहीं रही। जम्बू के अनन्तर विच्छिन्न होने वाले दश बोलों में केवल-ज्ञान का विच्छेद है ही। पर, तिलोयपण्णत्ती में एक प्रसंग और आया है, जिसमें अन्तिम केवलज्ञानी, अन्तिम चारण ऋषि, अन्तिम प्रज्ञा-श्रमण, अन्तिम अवधि-ज्ञानी तथा आर्हन्ती दीक्षा से दीक्षित अन्तिम मुकुटधारी सम्राट् आदि का वर्णन है। वहां कहा गया है

१. मण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवससे कप्पे ।

अंजमत्ति-केवलि-सिग्गणा य जंबूमि वोच्छिण्णा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा २५९३

२. जादो सिद्धो वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी ।

जादो तरिसं सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥

तम्मि कदकम्मणा से जंबू सामि त्ति केवलो जादो ।

तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुबद्धा ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४७६-७७

कि केवल-ज्ञानियों में अन्तिम श्रीधर कुण्डलगिरि पर सिद्ध^१ हुए ।

प्रश्न उपस्थित होता है, यदि वृषभ एक स्थान पर जम्बू के अनन्तर (अनुबद्ध) केवली होने का निषेध करते हैं और यहां श्रीधर को वे अन्तिम केवली बतलाने हैं, इसकी संगति कैसे हो ? गहराई में जाने पर एक तथ्य पकड़ में आता है । यदि वृषभ ने केवली के पूर्व जो अनुबद्ध विशेषण दिया है, वह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । यह विशेषण सम्भवतः इस अर्थ का द्योतक है कि जम्बू के पश्चात् क्रमबद्ध—अनवरत केवली नहीं हुए अर्थात् केवलि-परम्परा सतत चालू नहीं रही । इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर, जो अन्तिम केवली हुए, अनुक्रम में न होकर जम्बू के कतिपय पीढ़ियों के पश्चात् केवली हुए हों । इतना होते हुए भी यह तथ्य जम्बू के पश्चात् विच्छिन्न होने वाले बोलों में केवलज्ञान के विच्छेद का जो उल्लेख है, उसके प्रतिकूल है ही ।

श्रीधर के समय, अवस्थिति आदि पर गवेषणा किया जाना वांछनीय है; क्योंकि अब तक प्रायः यही मान्यता प्रचलित है कि आर्य जम्बू अन्तिम केवलज्ञानी थे । पर, चरम केवली के रूप में यदि वृषभ ने जो श्रीधर का प्रसंग उपस्थापित किया है, उससे वह मान्यता टकराती है ।

श्रुत : कण्ठाग्र : अपरिवर्त्य

वेदों को श्रुति कहे जाने का कारण सम्भवतः यही है कि उन्हें सुनकर, गुरु मुख से आयत्त कर स्मरण रखने की परम्परा रही है । जैन आगम-वादूमय को भी श्रुत कहा जाता है । उसका भी यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि उसे सुनकर, आचार्य या उपाध्याय से अधिगत कर याद रखे जाने का प्रचलन था । सुनकर जो स्मरण रखा जाए, उसमें सुनी हुई शब्दावली की यथावता स्थिर रह सके, यह कठिन प्रतीत होता है । पुरा कालीन मनीषियों के ध्यान से यह तथ्य बाहर नहीं था; अतः वे आरम्भ से ही इस ओर यथेष्ट जागरूकता और सावधानी बरतते रहे । वैदिक विद्वानों ने संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम पाठ, जटा-पाठ तथा घन-पाठ के रूप में वेद-मन्त्रों के पठन या उच्चारण का एक वैज्ञानिक अभ्यास-क्रम

१. कुण्डलगिरिस्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो ।

चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधानो य ॥

पणसमणेषु चरिमो वडरजसो नाम ओहिणाणीसु ।

चरिमो सिरिणामो सुदविजयसुसीलादि संवण्णो ॥

मउडधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं धरदि चंदगुत्तो य ।

तत्तो मउडधरा दु प्पव्वजं गोव गेण्हंति ॥

—तिलोपपण्णसो, १४७९-८१

निर्धारित^१ किया था । इस वैज्ञानिक पाठ क्रम के कारण ही वेदों का शाब्दिक कलेवर आज भी अक्षुण्ण विद्यमान है ।

जैन आगमज्ञों ने इसे भलीभांति अनुभव किया । उन्होंने भी आगमों के पाठ या उच्चारण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी मर्यादाएं, नियमन या परम्पराएं बांधीं, जिनसे पाठ का शुद्ध स्वरूप अपरिवर्त्य रह सके ।

अनुयोगद्वार सूत्र में आगमतः द्रव्याश्रयक के प्रसंग में सूचित किया गया है कि आगम-पाठ की क्या-क्या विशेषताएं हैं । वे इस प्रकार हैं :^२

१. शिक्षित—साधारणतया पाठ सीख लेना, उसका सामान्यतः उच्चारण जान लेना ।
२. स्थित—सीखे हुए पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करना ।
३. जित—क्रमानुरूप आगम-वाणी का पठन करना । यह तभी सधता है, जब पाठ जिन-वर्णगत-अधिकृत या स्वायत्त हो जाता है ।
४. मित—मित का अर्थ मान परिमाण या माप होता है । पाठ के साथ मित विशेषण जुड़ने का आशय पाठगत अक्षर आदि की मर्यादा, नियम, संयोजन आदि जानना है ।
५. परिजित—अनुक्रमतया पाठ करना सरल है । यदि उसी पाठ का व्यतिक्रम से या व्युत्क्रम से उच्चारण किया जाए, तो बड़ी कठिनता होती है । यह तभी सम्भव होता है, जब पाठ परिजित अर्थात् बहुत अच्छी तरह अधिकृत हो । अव्येता को व्यतिक्रम या व्युत्क्रम से पाठ करने का भी अभ्यास हो ।
६. नामसम—हर किसी को अपना नाम प्रतिक्षण, किसी भी प्रकार की स्थिति में सम्यक् स्मरण रहता है । वह प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसात् हो जाता है । अपने नाम की तरह आगम-पाठ का आत्मसात् हो जाना । ऐसा होने पर अव्येता किसी भी समय पाठ का यथावत् सहज रूप में उच्चारण कर सकता है ।

१. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ का 'वेद और उनकी भाषा' शीर्षक विवेचन

२. आगमओ दब्बावस्सयं—जस्स ण आवस्स एति पवं—सिक्खत्तं, ठितं, जितं, मितं, परिजितं, नामसमं, घोससमं, अहीणवखरं, अणक्खवखरं, अब्बाइद्धवखरं, अभखलियं, अमिलियं, अवच्चाभेलियं पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, कट्ठोद्धिप्पिमुक्कं गुरु वायणोवगयं ।

—अनुयोगद्वार सूत्र, ११

७. घोषसम—घोष का अर्थ ध्वनि है। पाठ शुद्ध घोष या ध्वनिपूर्वक उच्चारित किया जाना चाहिए। व्याख्याकारों ने घोष का आशय उदात्त^१, अनुदात्त^२ तथा स्वरित^३ अभिहित किया। जहाँ जिस प्रकार का स्वर उच्चारित होना अपेक्षित हो, वहाँ वैसा ही उच्चारित होना। वेद-मन्त्रों^४ के उच्चारण में बहुत सावधानी रखी जाती थी। घोषसम के अभिप्राय में इतना और जोड़ा जाना भी संगत प्रतीत होता है कि जिन वर्णों के जो-जो उच्चारण-स्थान हों, उनका उन-उन स्थानों से यथावत् उच्चारण किया जाए। व्याकरण में उच्चारण-सम्बन्धी जिस उपक्रम को प्रयत्न^५ किया जाता है, घोषसम में उसका भी समावेश होता है।

१. उच्चैरुदात्तः । —

२. नीचैरनुदात्तः । —

३. समवृत्त्या स्वरितः । —वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी, १.२ २९-३१

४. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

सा वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

—पाणिनीय शिक्षा, ५२

५. वर्णों के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, उसे 'यत्न' कहते हैं। यह दो प्रकार का है। जो वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर होता है, उसको अभ्यान्तर कहते हैं। यह मुख के भीतर होता है और पहले होता है। बिना इसके बाह्य यत्न निष्फल है। यही इसकी प्रकृष्टता है; अतएव इसे प्रयत्न कहा जाता है। 'प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः' यह अर्थ संगत भी इसीलिए है। इसका अनुभव उच्चारण करने वाला ही कर सकता है; क्योंकि उसी के मुख के भीतर तो यह होता है। दूसरा यत्न मुख से वर्ण निकलते समय होता है; अतएव यह बाह्य कहा जाता है। इसका अनुभव सुनते वाला भी कर सकता है। यत्नो द्विधा—आभ्यन्तरो बाह्यश्च। आद्यः पंचधा—स्पृष्ट-ईषत्स्पृष्ट-ईषद्विवृत-विवृत-संवृत मेवात्। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्। ईषत्स्पृष्ट-मन्तःस्थानाम्। ईषद्विवृतभूषणाम्। विवृतं स्वराणाम्। ह्रस्वस्थावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्, प्रक्रियावशायां तु विवृतमेव।

बाह्यस्वेकादशधा—विचारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति।

खरो विचाराः श्वासा अघोषाश्च।

ह्रस्वः संवारा नादा घोषाश्च।

वर्गिणां प्रथम तृतीयपंचमा मणश्चाल्पप्राणाः।

वर्गिणां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः।

—लघु सिद्धान्त कौमुदी, संज्ञाप्रकरणम्, पृ० १८-२०

८. अहीनाक्षर—उच्चार्यमाण पाठ में किसी भी वर्ण को हीन अर्थात् गायब या अस्पष्ट न करना । पाठ स्पष्ट होना चाहिए ।

९. अन्त्यक्षर—अच्चार्यमाण पाठ में जितने अक्षर हों, ठीक वे ही उच्चरित हों, कोई अतिरिक्त या अधिक न मिल जाए ।

१०. अव्याविद्धाक्षर—अ+वि+आ+विद्ध के योग से अव्याविद्ध शब्द बना है । विद्ध का अर्थ बिधा हुआ है और उसके पहले 'अ' उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ सब ओर से या भली-भांति बिधा हुआ हो जाता है । 'आ' से पूर्व लगा 'वि' उपसर्ग बिध जाने के अर्थ में और विशेषता ला देता है । अक्षर के व्याविद्ध होने का अर्थ है, उसका अपहृत होना, पीड़ित होना । उपहनन या पीड़न का आशय अक्षरों के बिपरीत या उल्टे पठन से है । वैसे नहीं होना चाहिए ।

११. अस्खलित—पाठ का यथाप्रवाह उच्चारण होना चाहिए । प्रवाह में एक लय (Rhythm) होती है, जिससे पाठ द्वारा व्यज्यमान आशय सुष्ठुतया अवस्थित रहता है; अतएव पाठ में स्खलन नहीं होना चाहिए । अस्खलित रूप में किये जाने वाले पाठ की अर्थ-ज्ञापकता वंशद्वय लिये रहती है ।

१२. अमिलित—अजागरूकता या असावधानी से किये जाने वाले पाठ में यह आशंकित रहता है कि दूसरे अक्षर कदाचित् पाठ के अक्षरों के साथ मिल जाए । वैसे होने से पाठोच्चारण की शुद्धता व्याहृत हो जाती है । वैसे नहीं होना चाहिए ।

१३. अव्यत्यासोद्धित—अ+वि+अति+आमेद्धित का अर्थ शब्द या ध्वनि की आवृत्ति^१ है । इस शब्द का मूल रूप 'अव्यवामेलिय' है । 'अ' उपसर्ग निषेधा-र्थक 'अ' के बिना इसका रूप 'व्यवामेलिय' है । पाइअसद्महण्णवो में 'व्यवामेलिय' और 'विचवामेलिय' दोनों रूप दिये हैं । दोनों का एक ही अर्थ है । वहाँ भिन्न-भिन्न अंशों से मिश्रित 'अस्थान में ही छिन्न होकर चिर ग्रथित' तथा 'तोड़ कर सांधा हुआ' अर्थ^२ किया गया है । सुत्र-

१.(क) संस्कृत-हिन्दी कोश, आष्टे, पृ० ११५

(ख) Reduplication : Sanskrit-English Dictionary : Sir Monier M. Williams, P. 147

२. पाइअसद्महण्णवो, पृ० ७७६

व्याख्याताओं ने इसका अर्थ अन्य सूत्रों अथवा शास्त्रों के मिलते-जुलते या सामानार्थक पाठ को चालू या क्रियमाण—उच्चार्यमाण पाठ से मिला देना किया है, जो कोशकारों द्वारा की गयी व्याख्या से मिलता हुआ है। शास्त्र-पाठ या सूत्रोच्चारण में आम्नेडन, अत्यधिक आम्नेडन—व्यत्याम्नेडन नहीं होना चाहिए।

१४. प्रतिपूर्ण—शीघ्रता या अतिशीघ्रता से अस्त-व्यस्तता आती है। जिससे उच्चारणीय पाठ का अंश छूट भी सकता है। पाठ का पूर्णरूप से—समग्रतया, उसके बिना किसी अंश को छोड़े उच्चारण करना चाहिए।

१५. प्रतिपूर्ण घोष—पाठोच्चारण में जहाँ लय के अनुरूप (Rhythmically) बोलना आवश्यक है, वहाँ ध्वनि का परिपूर्ण या स्पष्ट उच्चारण भी उतना ही अपेक्षित उच्चार्यमाण है। पाठ का उच्चारण इतने मन्द स्वर से न हो कि उसके सुनाई देने में भी कठिनाई हो। प्रतिपूर्ण घोष समोचीन, संगत, बांझित स्वर से उच्चारण करने का सूचक है। जैसे, मन्द स्वर से उच्चारण करना धर्म्य है, उसी प्रकार अति तीव्र स्वर से उच्चारण करना भी दूषणीय है।

१६. कण्ठौष्ठविप्रमुक्त—कण्ठ+ओष्ठ+विप्र+मुक्त के योग से यह शब्द निम्न हुआ है। मुक्त का अर्थ छूटा हुआ है। जहाँ उच्चारण में कन सावधानी बरती जाती है, वहाँ उच्चार्य मानी वर्ण कुछ कण्ठ में, कुछ होठों में बहुधा अटक जाते हैं। जैसा अपेक्षित हो, वैसा स्पष्ट और सुबोध्य उच्चारण नहीं हो पाता।

पाठोच्चारण के सम्बन्ध में जो सूचन किया गया है, एक ओर वह उच्चारण के परिष्कृत रूप और प्रवाह की यथावत्ता बनाये रखने के यत्न का द्योतक है, वहाँ दूसरी ओर उच्चारण, पठन, अभ्यास पूर्वक अभिगत या स्वायत्त किये गये शास्त्रों को यथावत् स्मृति में टिकाये रखने का भी सूचक है। इन सूचनाओं में अनुक्रम, व्यतिक्रम तथा व्युत्क्रम से पाठ करना, पाठ में किसी वर्ण को लुप्त न करना, अधिक या अतिरिक्त अक्षर न जोड़ना, पाठगत अक्षरों को परस्पर न मिलाना या किन्हीं अन्य अक्षरों को पाठ के अक्षरों के साथ न मिलाना आदि के रूप में जो तथ्य उपस्थापित किये हैं, वे वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिये सम्भवतः यही भावना रही हुई प्रतीत होता है कि भ्रमण-परमारा से उत्तरोत्तर गतिशील द्वादशांगमय आगम-बाङ्गमय का स्रोत कभी परिवर्तित, विचलित तथा विकृत न होने पाए।

श्रुत का उद्भव

सर्वज्ञ ज्ञान की गहवर्णा या अभिव्यञ्जना क्यों करते हैं, वह आगम रूप में किस प्रकार

परिणत होता है, इसका विशेषावश्यक भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है : 'तप, नियम तथा ज्ञान रूपी वृक्ष पर आरुढ़ अमित—अनन्त-सम्पन्न केवल ज्ञानी भव्य जनों को उद्बोधित करने के हेतु ज्ञान-पुष्पों की वृष्टि करते हैं । गणधर उसे बुद्धिरूपी पट में ग्रहण कर उसका प्रवचन के निमित्त ग्रथन करते हैं ।'^१

वृक्ष के दृष्टांत का विशदीकरण करते हुए भाष्यकार लिखते हैं : 'जैसे, विपुल वन-खण्ड के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्ब शाखान्वित कल्प-वृक्ष है । एक साहसिक व्यक्ति उस पर आरुढ़ हो जाता है । वह वहाँ अनेक प्रकार के सुरभित पुष्पों को ग्रहण कर लेता है । भूमि पर ऐसे पुरुष हैं, जो पुष्प लेने के इच्छुक हैं और तदर्थ उन्होंने वस्त्र फेंका रखे हैं । वह व्यक्ति उन फूलों को फेंकाये हुए वस्त्रों पर प्रक्षिप्त कर देता है । वे पुरुष अन्य लोगों पर अनुकम्पा करने के निमित्त उन फूलों को गूँथते हैं । इसी तरह यह जगत् एक वन-खण्ड है । वहाँ तप, नियम और ज्ञानमय कल्प-वृक्ष है । चौतीस अतिशय-युक्त सर्वज्ञ उस पर आरुढ़ हैं । वे केवली परिपूर्ण ज्ञान-रूपी पुष्पों को छद्मस्थता रूप भूमि पर अवस्थित ज्ञान रूपी पुष्प के अर्थी—इच्छुक गणधरों के निमल बुद्धिरूपी पट पर प्रक्षिप्त करते हैं ।'^२

१. तत्र-नियम-नाणखखं आरुढो केवली अभियनाणो ।

तो मुयइ नाणबुद्धिं भवियजणाविबोहणद्वाए ॥

तं बुद्धिमएण पडेण गणहरा गिण्हंडं निरवसेसं ।

तित्थपरमासियाहं गथंति तओ पवयणद्वा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४-६५

२. खखाइरुवयतिरुवणत्थ मिह दग्गखखविट्ठतो ।

जह कोई विडलवणसंजमज्झयारट्ठयं रम्मं ।

तु'गं विडलवहं साइसओ कप्पखखमारुढो ।

पज्जवगहियबहुविहसुसुरभिकुमुमो ण्णकंपाए ।

कुसुमत्थिभूमिच्चिद्धिय पुरिसपसारिय पडेसु पखिखवइ ।

गंयंति तेऽवि घेतं सेसजणाणुगहड्ढाए ॥

लोगवणसंडमज्जे चौत्तीसाइसयसंपदोवेओ ।

तत्र-नियम-नाणाम इयं स कप्पखखं समारुढो ॥

मा होज्ज नाणगहणम्मि संसओ तेण केवलिरगहणं ।

सोऽवि चउहा तओऽयं सव्वण्णू अभियनाणित्ति ॥

पज्जत्तनाणकुसुमो ताइ' छउमत्थभूमिसंथेसु ।

नाणकुसुमत्थिगणहरसिथबुद्धिपडेसु पखिखवइ ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६६-११०१

एक प्रश्न : एक समाधान

भाष्यकार ने स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करते हुये इसका और विश्लेषण किया है, जो पठनीय है : “सर्वज्ञ भगवान् कृतार्थ है । कुछ करना उनके लिये बेष नहीं है । फिर वे धर्म-प्ररूपणा क्यों करते हैं ? सर्वज्ञ सर्व उपाय और विधि-वेत्ता हैं । वे भग्न जनो को ही बोध देने के लिए ऐसा करते हैं, अभग्न्यों को क्यों नहीं उद्बोधित करते ?”

समाधान प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं : “तीर्थंकर एकान्त रूप से कृतार्थ नहीं हैं; क्योंकि उनके जिन नाम-कर्म का उदय है । वह कर्म बन्ध या निष्फल नहीं है; अतः उसे क्षीण करने के हेतु यही उपाय है । अथवा कृतार्थ होते हुये भी जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश करना है, वैसे ही दूसरों से उपकृत न होकर भी परोपकारपरायणता के कारण दूसरों का परम हित करना उनका स्वभाव है । कमल सूर्य से बोध पाते हैं—विकसित होते हैं तो क्या सूर्य का उनके प्रति राग है ? कुमुद विकसित नहीं होते, तो क्या सूर्य का उनके प्रति द्वेष है ? सूर्य की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कमल उससे जो विकसित होते हैं और कुमुद नहीं होते, यह सूर्य का, कमलों का, कुमुदों का अपना अपना स्वभाव है । उगा हुआ भो प्रकाशधर्मी सूर्य उल्लु के लिये उसके अपने दोष के कारण अन्धकार-रूप है, उसी प्रकार जिन रूपी सूर्य अभग्न्यों के लिये बोध-रूपी प्रकाश नहीं कर सकते । अथवा जिस प्रकार साध्य रोग को चिकित्सा करता हुआ बंध रोगी के प्रति रागी और असाध्य रोग की चिकित्सा न करता हुआ रोगी के प्रति द्वेषी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भग्न जनो के कर्म-रोग को नष्ट करते हुए जितेन्द्ररूपी बंध उसके प्रति रागी नहीं होते तथा अभग्न जनो के असाध्य कर्म-रूपी रोग का अपचय न करने से उसके प्रति वे द्वेषी नहीं कहे जा सकते । जैसे, कलाकार अनुपयुक्त काष्ठ आदि को छोड़ कर उपयुक्त काष्ठ आदि में रूपा-रक्ता करता हुआ अनुपयुक्त काष्ठ के प्रति द्वेषी और उपयुक्त काष्ठ के प्रति अनुदागी नहीं कहा जाता, उसी प्रकार योग्य को प्रतिबोध देते हुए और अयोग्य को न देते हुए जिनेश्वर देव न योग्य के प्रति रागी और न अयोग्य के प्रति द्वेषी कहे जा सकते हैं ।”

१. कोस कहेइ कयत्थो किं वा भविमाणं जेव बोहत्थं ।

सत्त्वोपायविहिण्णो किं वाऽभव्वे न बोहेइ ॥

नेगतेण कयत्थो जेणोदिन्नं जिणिब्बनामं से ।

तदव्वंफलं तस्स य खण्णोवाओऽयमेव जओ ॥

जं व कयत्थस्स वि से अणुवकयपरोवगारिसाभव्वं ।

परमहियवेसथरां भातयसाभव्वमिव रविणो ।

किं व कमलसु राओ रविणो बोहेइ जेण सो ताइं ।

कुमुएसु व से दोसो जं न विवुक्कंति से ताइं ॥

पुष्पमाला की तरह सूत्रमाला का ग्रथन

बीजादि बुद्धि^१ सम्पन्न व्यक्ति (गणधर : उस ज्ञानमयी पुष्प-वृष्टि को समग्रतया ग्रहण कर विचित्र पुष्प-माला की तरह प्रवचन^२ के निमित्त सूत्र-माला—शास्त्र-माला ग्रथित करते हैं ।

जिस प्रकार मुक्त—बिखरे हुए पुष्पों का ग्रहण दुष्कर होता है और मूँचे हुए पुष्पों या पुष्प-गुच्छों का ग्रहण सुकर होता है, वही प्रकार जिन-वचन रूपी पुष्पों के सम्बन्ध में है । पद, वाक्य, प्रकरण, अवयवन, प्राभृत आदि निश्चित क्रमपूर्वक वे (सूत्र) व्यवस्थित हों, तो यह गृहीत है, यह गृहीतव्य है, इस प्रकार समीचीनता और सरलता के साथ उनका ग्रहण,

जं बोहमउलणाइं सूरकरामरिसओ समानाओ ।

कमलकुमुद्याण तो तं सान्भवं तस्स तेसिं च ॥

जह् चोलूपाईणं पगास धम्मावि सो सबोसेणं ।

उइओऽवि तमोरुओ एवमभउद्याण जिणसूरो ॥

सज्जं तिगिच्छमाणो रोगं रागी न मण्णए वेज्जो ।

मुणमाणो य असज्जं निसेह्यंतो जह् अदो अदोसो ॥

तह् भव्वकम्मरोगं नासंतो रागव' न जिणवेज्जो ।

न य दोसि अमव्वासज्जकम्मरोगं निसेहंतो ॥

मोत्तु अजोमं जोगे दल्लिए रुअं करेइ रुवारो ।

न य रागदोसिल्लो तहैव जोगे विबोहेतो ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, ११०२-१११०

१. जिस बुद्धि द्वारा एक पद से अनेक पद गृहीत कर लिये जाते हैं, उसे बीज-बुद्धि कहते हैं । बीज-बुद्धि के साफ पाठ में उल्लिखित आदि शब्द कोष्ठ-बुद्धि का सूचक है । जैसे, धान्य कोष्ठ अपने में अलण्ड धान्य-मण्डार संजोये रखता है, उसी प्रकार जो बुद्धि अलण्ड सूत्र-बाङ्मय को धारण करती है, वह कोष्ठ-बुद्धि कही जाती है ।

२. प्रवचन का अन्निप्राय प्रसिद्ध वचन या प्रशस्त वचन या धर्मसंघ से है अथवा प्रवचन से द्वादशांग श्रुत लिया जा सकता है । वह (द्वादशांग श्रुत) किस प्रकार (उद्भावित) हो, इस आशय से द्वादशांगात्मक प्रवचन के विस्तार के लिए या संघ पर अनुग्रह करने के लिए गणधर सूत्र-रचना करते हैं । द्वादशांग रूपा प्रवचन सुलपूर्वक ग्रहण किया जा सके, उसका सुलपूर्वक गुणन—परावर्तन, धारण—स्मरण किया जा सके, सुलपूर्वक दूसरों को दिया जा सके, सुलपूर्वक पृच्छा—विवेचन, विश्लेषण, अव्यंशण किया जा सके, एतदर्थ गणधरों का सूत्र-रचना का प्रयत्न होता है ।

गुणन—परावर्तन, धारण—स्मरण, दान, पृच्छा आदि सब सकते हैं। इसी कारण गणधरों ने श्रुत की अविच्छिन्न रचना की। उनके लिए वैसा अवश्य करणीय था, क्योंकि उन (गणधरों) की वैसी मर्यादा है। गणवर-नाम-कर्म के उदय से उनके द्वारा श्रुत-रचना किया जाना अनिवार्य है। सभी गणवर ऐसा करते रहे हैं।^१

स्पष्टीकरण के हेतु भाष्यकार जिज्ञासा-समाधान की भाषा में आगे बतलाते हैं : “तीर्थंकर द्वारा आख्यात वचनों को गणधर स्वरूप या कलेवर देते हैं। फिर उनमें क्या विशेषता है? यथार्थता यह है कि तीर्थंकर गणधरों की बुद्धि की अपेक्षा से संक्षेप में तत्वाद् व्याप्त करते हैं, सर्वसाधारण हेतुक विस्तार से नहीं। दूसरे शब्दों में अर्हत् (सूक्ष्म) अर्थ—भाषित करते हैं। गणधर निपुणतापूर्वक उसका (विस्तृत) सूत्रात्मक ग्रथन करते हैं। इस प्रकार धर्म-शास्त्र के हित के लिए सूत्र प्रवर्तित होते हैं।”^२

- १ तं ताणकुसुमबुद्धिं धेतुं बीयाइबुद्धओ सव्वं ।
गंथंति पवयणद्वा माला इव चित्ताकुसुमाणं ॥
पगयं वयणं पवयणमिह सुयनाणं कहं तयं होउजा ।
पवयणमहवा संघो गहंति तयणुगट्ठाए ।
धेतुं व सुहं सुहगुणधाराणा दाउं पुच्छिउं चव ।
एएहिं कारणेहिं जीयं ति कयं गणहरेहिं ॥
सुक्ककुसुमाण गहणाइयाइं जहं दुक्करं करेउं जे ।
सुच्छाणं च सुहयं तहेव जिणवयणकुसुमाणं ॥
पय-वक्क-पगरण-ज्जाय-पाहुडाइनियतं कम्मपमाणं ।
तवणुसरता सुहं चिय धेयइ गहियं इदं गेज्जं ।
एवं गुणणं धरणं धाणं पुच्छा य तदणुसारेण ।
होइ सुहं जीयंति य कायव्वमियं जओऽवस्सं ॥
सव्वेहिं गणहरेहिं जीयंति सुयं जओ न वोच्छिन्नं ।
गणहरमज्जाया वा जीयं सव्वाणुचिन्नं वा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, ११११-१७

२. जिणमणिइ च्चिय सुत्तुं गणहरकरणम्मि को विसेसो त्थ ।
सो तवविक्खो भासइ न उ वित्थर औ सुय किं तुं ॥
अत्थं भासइ अरहा सुत्तुं गंथंति गणहरा निउणं ।
सासणस्स हियट्ठाए तओ सुत्तं पवरोई ॥

—वज्री. १११८-१९

अर्थ की अनभिलाष्यता

अर्थ की वागम्यता या वागगम्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के अभिप्राय से भाष्यकार लिखते हैं : “अर्थ अनभिलाष्य है—वह अभिलाष या निर्ध्वन का विषय नहीं है । इसलिए शब्दरूपात्मक नहीं है । ऐसी स्थिति में अर्थ का किस प्रकार कथन कर सकते हैं ? शब्द का कल अर्थ-प्रत्यायन है—वह अर्थ की प्रतीति कराता है । इसलिए शब्द में अर्थ का उपचार किया गया है । इस दृष्टिकोण से अर्थ-कथन का उल्लेख किया गया है ।

पुनः आशुंका करते हैं—“तत्र ऐसा कहा जा सकता है, अर्हत् अर्थ-प्रत्यायक सूत्र ही भाषित करते हैं, अर्थ नहीं । गणधर उसी का संचयन करते हैं । तब दोनों में क्या अन्तर हुआ है ?”

समाधान दिया जाता है—“अर्हत् पुरुषापेक्षया — गणधरों की अपेक्षा से स्तोक—थोड़ा-सा कहते हैं, वे द्वादशांगी नहीं कहते; अतः द्वादशांगी की अपेक्षा से वह (अर्हत्-भाषित) अर्थ है तथा गणधरों की अपेक्षा से सूत्र ।”^१

मातृका-पद

उत्पाद, व्यय तथा ध्रुवत्व मूलक तीन पद, जो अर्हत् द्वारा भाषित होते हैं, मातृका-पद कहे जाते हैं । उस सम्बन्ध में भाष्यकार लिखते हैं : “अंगादि सूत्र-रचना से निरपेक्ष होने के कारण (तीन) मातृका-पद अर्थ कहे जाते हैं । जिस प्रकार द्वादशांग प्रवचन—संघ के लिए हितकर है, उस प्रकार वे (मातृका-पद) हितकर नहीं हैं । संघ के लिए वही हितकर है, जो सुखपूर्वक ग्रहण किया जा सके । वह गणधरों द्वारा रचित बारह प्रकार का श्रुत है । वह निपुण—नियतगुण या निर्दोष, सूक्ष्म तथा महान्—विस्तृत अर्थ का प्रतिपादक है ।”^२

१. ननु अत्योऽणभिलष्यो स कर्हं भासइ न सहकवो सो ।

सहम्मि तद्भुवयारो अत्यपक्वायणफलम्मि ॥

तो सुत्तमेव भासइ अत्यपक्वायणं, न नामत्थं ।

गणहारिणोऽवि तं चिय करिंति को पइविसंसेतो त्थ ।

सो पुरिसावेक्खाए थोवं भणइ न उ बारसंगाइ ।

अत्थो तवविक्खाए सुत्तां चिय गणहराणं तं ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, ११२०-२२

२. अंगाइसुत्तरयणानिरवेक्खो जेण तेण सो अत्थो ।

अहवा न सेसपक्वणहियउत्ति जह् बारसंगयिणं ॥

पक्वणहियं पुण तयं जं सुहगहणाइ गणहरेहिंतो ।

बारसविहं पक्वइ निउणं सुहमं महत्थं च ॥

नियययुणं वा निउणं निहोसं गणहराऽहवा निउणा ।

तं पुण किमाइ-पज्जंतमाणमिह को वा से सारो ॥

—वही, ११२३-२५

भाष्यकार ने द्वादशांगीय आगम-रचना के हेतु, परम्परा, क्रम, प्रयोजन आदि के सम्बन्ध में बहुत विस्तार से जो कहा है, उनका मानसिक भुकाव यह सिद्ध करने की ओर विशेष प्रतीत होता है कि आगमिक परम्परा का उद्गम-स्रोत तीर्थंकर है; अतः गणधरों का कर्तृत्व केवल नियुहण, संकलन या ग्रथन मात्र से है।

वैदिक-परम्परा में वेद अपौरुषेय माने गये हैं। परमात्मा ने ऋषियों के मन में वेद—ज्ञान-मय मन्त्रों की अवतारणा की। ऋषियों ने अन्तश्चक्षुओं से उन्हें देखा। फलतः शब्दरूप में उन्होंने उन्हें अभिर्भूजता दी। ऋषि मन्त्र-द्रष्टा थे, मन्त्र-स्रष्टा नहीं। इसी प्रकार भाष्यकार द्वारा व्याख्यात किये गये तथ्यों से यह प्रकट होता है, गणधर वास्तव में आगम-स्रष्टा नहीं थे, प्रत्युत् वे अहंत्-प्ररूपित श्रुत के द्रष्टा या अनुभविता मात्र थे। जो उनके दर्शन और अनुभूति का विषय बना, उन्होंने शब्द-रूप में उसकी अवतारणा की। भारतवर्ष की प्रायः सभी प्राचीन धार्मिक परम्पराओं का यह सिद्ध करने का विशेष प्रयत्न देखा जाता है कि उनका वाङ्मय अपौरुषेय, अनादि, ईश्वरीय या आर्ष है।

पूर्वात्मिक ज्ञान और द्वादशांग

जैन वाङ्मय में ज्ञानियों को दो प्रकार की परम्पराएं प्राप्त होती हैं : पूर्व्वर और द्वादशांग-वेत्ता। पूर्व्वों में समग्र श्रुत या वाक्-परिणेत समग्र ज्ञान का सन्निवेश माना गया है। वे संख्या में चतुर्दश हैं। जैन श्रमणों में पूर्व्वरों का ज्ञान को दृष्टि से उच्च स्थान रहा है। जो श्रमण चतुर्दश पूर्व्वों का ज्ञान धारण करते थे, उन्हें श्रुत-केवला कहा जाता था।

पूर्व-ज्ञान की परम्परा

एक मत ऐसा है, जिसके अनुसार पूर्व-ज्ञान भगवान् महावीर से पूर्व्वरों समय से चला आ रहा था। महावीर के पश्चात् अर्थात् उत्तरवर्ती काल में जो वाङ्मय सजित हुआ, उससे पूर्व का होने से वह (पूर्वात्मिक ज्ञान) 'पूर्व' नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। उसकी अभिधा के रूप में प्रयुक्त 'पूर्व' शब्द सम्भवतः इसी तथ्य पर आधृत है।

द्वादशांगी से पूर्व पूर्व-रचना

एक दूसरे अभिमत के अनुसार द्वादशांगी को रचना से पूर्व गणधरों द्वारा अहंद्-भाषित तीन मातृका-पदों के आधार पर चतुर्दश शास्त्र रचे गये, जिनमें समग्र श्रुत की अवतारणा की गयी—आवश्यक-निर्युक्ति में ऐसा उल्लेख है।^१

१. धम्मोवाओ पवयणमहवा पुब्बाइं देसया तस्स ।

सव्वजिणाण गणहरा चोइसुव्वी उ ते तस्स ॥

सामाइयाइया वा वयजीविकायमावणा पढमं ।

एसो धम्मोवादो जिणेहिं सव्वेहिं उवइट्ठो ॥

—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा २९२-९३

द्वादशांगी से पूर्व—पहले यह रचना की गई; अतः ये चतुर्दश शास्त्र चतुर्दश पूर्वों के नाम से विख्यात हुए । श्रुत—ज्ञान के कठिन, कठिनतर और कठिनतम विषय शास्त्रीय पद्धति से इनमें निरूपित हुए । यही कारण है, यह वाङ्मय विशेषतः विद्वत्प्रयोज्य था, साधारण बुद्धि-वालों के लिये यह दुर्गम था; अतएव इसके आधार पर सर्वसाधारण के लाभ के लिए द्वादशांगी की रचना की गई । आवश्यक-निर्युक्ति-^१ विवरण में आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में जो लिखा है, पठनीय है ।

दृष्टिवाद में पूर्वों का समावेश

द्वादशांगी के बारहवें भाग का नाम दृष्टिवाद है । वह पांच भागों में विभक्त है— १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. पूर्वानुयोग, ४. पूर्वगत और ५. चूलिका । चतुर्थ विभाग पूर्वगत में चतुर्दश पूर्व-ज्ञान का समावेश माना गया है । पूर्वज्ञान के आधार पर द्वादशांगी की रचना हुई, फिर भी पूर्वं ज्ञान को छोड़ देना सम्भवतः उपयुक्त नहीं लगा । यही कारण है कि अन्ततः दृष्टिवाद में उसे सन्निविष्ट कर दिया गया । इससे यह स्पष्ट है कि जैन तत्त्व-ज्ञान के महत्वपूर्ण विषय उसमें सूक्ष्म विद्वलेषण पूर्वक बड़े विस्तार से व्याख्यात थे ।

विशेषावश्यक भाष्य में उल्लेख है कि यद्यपि भूतवाद या दृष्टिवाद में समग्र उपयोग—ज्ञान का अवतरण अर्थात् समग्र वाङ्मय अन्तर्भूत है । परन्तु, अल्प बुद्धि वाले लोगों तथा स्त्रियों के उपकार के हेतु उससे शेष श्रुत का निर्यूहण हुआ, उसके आधार पर सारे वाङ्मय का सर्जन हुआ ।^२

स्त्रियों के लिए दृष्टिवाद का वर्जन

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्रियों को दृष्टिवाद का शिक्षण देना वर्जित था । इस

१. ननु पूर्व तावत् पूर्वाणि भगवद्भिर्गणधरैरूपनिबध्यन्ते, पूर्व करणात् पूर्वाणीति पूर्वाचार्यप्रदर्शितव्युत्पत्तिश्रवणात्, पूर्वेषु च सकलवाङ्मयस्यावतादो, न खलु तदस्ति यत्पूर्वेषु नाभिहितं, ततः किं शेषांगविरचननांगबाह्विरचनेन वा ? उच्येत; इह विचित्रा जगति प्राणिनः तत्र ये दुर्मेधसः ते पूर्वाणि नाध्येतुमीशते, पूर्वाणामतिगम्भीरार्थत्वात्, तेषां च दुर्मेधत्वात्, स्त्रीणां पूर्वाध्ययनानधिकार एव, तासां तुच्छावादिदोषबहुत्वात् ।

—पृ० ४८, प्रकाशक, आगमोद्यम समिति, बम्बई

२. जइवि य भूयावाए सव्वस्स व ओगयस्स ओयारो ।

निज्जुहणा तहावि ह् दुम्मेहे पप्प इत्थो य ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ५५१

सम्बन्ध में विशेषावश्यक भाष्य में जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है : “स्त्रियां तुच्छ, गर्वोन्मत्त और चंचलेन्द्रिय होती हैं। उनकी मेधा अपेक्षाकृत दुर्बल होती है; अतः उत्थान, समुत्थान आदि अतिशय या चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टिवाद का ज्ञान उनसे लिए नहीं है।”^१

भाष्यकार ने स्त्रियों की किन्हीं तथाकथित दुर्बलताओं की ओर लक्ष्य किया है। उनका तुच्छ, गर्वबहुल स्वभाव, चंचलेन्द्रियता और बुद्धिमान्य भाष्यकार के अनुसार वे हेतु हैं, जिनके कारण उन्हें दृष्टिवाद का शिक्षण नहीं दिया जा सकता।

विशेषावश्यक भाष्य की गाथा ५५ की व्याख्या करते हुए मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने जो लिखा है, उसका सावांश इस प्रकार है : “स्त्रियों को यदि किसी प्रकार दृष्टिवाद श्रुत प्राप्त करा दिया जाए, तो तुच्छता आदि से युक्त प्रकृति के कारण वे भी दृष्टिवाद की अभ्येता हैं, इस प्रकार मन में अभिमान ला कर पुरुष के परिभव—तिरस्कार आदि में प्रवृत्त हो जाती हैं। फलतः उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। यह जानकर दया के सन्निध, परोपकार-परायण तीर्थंकरों ने उत्थान, समुत्थान आदि अतिशय—चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टिवाद स्त्रियों को देने का निषेध किया है। स्त्रियों को श्रुत-ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए, यह उन पर अनुग्रह करते हुए शेष ग्यारह अंग आदि बाङ्मय का सर्जन किया गया।

भाष्यकार आचार्य बिनभद्रगणी क्षमाश्रमण तथा वृत्तिकार आचार्य मलधारी हेमचन्द्र ने स्त्रियों की प्रकृति, प्रवृत्ति, मेधा आदि की जो आलोचना की है, वह विमर्श-साक्षेप है, उस पर तथ्यान्वेषण की दृष्टि से ऊहापोह किया जाना चाहिए। गर्व, चापल्य तथा बुद्धिदोषल्य या प्रतिभा की मन्दता आदि स्त्री-धर्म ही हैं, यह कहा जाना तो संगत नहीं लगता। पर, प्राचीन काल से ही सामान्य लोक-मान्यता कुछ इसी प्रकार की रही है। गर्व का अभाव—श्रृजुता, जितेन्द्रियता और बुद्धि-प्रकर्ष संस्कार-लभ्य भी हैं और अध्यवसाय-गम्य भी। वे केवल पुरुष जात्याश्रित ही हों, यह कैसे माना जा सकता है? स्त्री जहाँ तीर्थंकर नाम कर्म तक का बन्ध कर सकती है अर्थात् स्त्री में तीर्थंकर-पद, जो अध्यात्म-साधना की सर्वोच्च सफल कोटि की स्थिति है, तक अविगत करने की क्षमता है, तब उसमें उपर्युक्त दुर्बलताएं आरोपित कर उसे दृष्टिवाद-श्रुत की अधिकारिणी न मानना एक प्रश्न-चिह्न उपस्थित करता है।

१. तुच्छा गारवबहुला चलिंविया दुब्बला धिईए य।

इति आइसेसज्जयणा भूवावाओ य तो स्थीणं ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ५५२

नारी और दृष्टिवाद : एक और चिन्तन

प्रस्तुत विषय में कतिपय विद्वानों की एक ओर मान्यता है। उसके अनुसार पूर्व-ज्ञान लब्ध्यात्मक है। उसे स्वायत्त करने के लिये केवल अध्ययन या पठन ही यथेष्ट नहीं है, अनिवार्यतः कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं भी करनी होती हैं, जिनमें कुछ काल के लिए एकान्त और एकाकी वास भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के दैहिक संस्थान के कारण स्त्री के लिये यह सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उसे दृष्टिवाद सिखाने की आज्ञा नहीं है। यह हेतु अवश्य विचारणीय है।

पूर्व-रचना : काल-तारतम्य

पूर्वों की रचना के सम्बन्ध में आचारांग-निर्युक्ति में एक ओर संकेत किया गया है, जो पूर्व के उल्लेखों से भिन्न है। वहां सर्वप्रथम आचारांग की रचना का उल्लेख है, उसके अनन्तर अंग साहित्य और इतर वाङ्मय का। जब एक ओर पूर्व वाङ्मय की रचना के सम्बन्ध में प्रायः अधिकांश विद्वानों का अभिमत उनके द्वादशांगी से पहले रचे जाने का है, वहां आचारांग-निर्युक्ति में सबसे पहले आचारांग के सज्जन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न करता है। अभी तो उसके अपाकरण का कोई साधक हेतु उपलब्ध नहीं है; इसलिये इसे यहीं छोड़ते हैं, पर, इसका निष्कर्ष निकालने की ओर विद्वज्जनों का प्रयास रहना चाहिए।

सभी मतों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है कि पूर्व-वाङ्मय की परम्परा सम्भवतः पहले से रही है और वह मुख्यतः तत्त्ववाद की निरूपक रही है। वह विशेषतः उन लोगों के लिये थी, जो स्वभावतः दार्शनिक मस्तिष्क और तार्त्विक रुचि-सम्पन्न होते थे। सर्वसाधारण के लिए उसका उपयोग नहीं था। इसीलिए बालकों, नारियों, वृद्धों, अल्प-मेधावियों या गूढ़ तत्त्व समझने की न्यून क्षमता वालों के हित के लिए प्राकृत में धर्म-सिद्धान्त की अवतारणा हुई, जैसी उक्तिमां अस्तित्व में आई^१।

पूर्व वाङ्मय की भाषा

पूर्व वाङ्मय अपनी अत्यधिक विशालता के कारण शब्द-रूप में पूरा-का-पूरा व्यक्त किया जा सके, सम्भव नहीं माना जाता। परम्परया कहा जाता है कि मसी-चूर्ण की इतनी विशाल राशि हो कि अंबारी सहित हाथी भी उसमें डंक जाये, उस मसी-चूर्ण को जल में घोला जाए और उससे पूर्व लिखे जाएं, तो भी यह कभी शक्य नहीं होगा कि वे लेख में

१. नालस्त्रीवृद्धसूक्ष्माणां नृणां चारित्रकाक्षिणाम्।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥

—वशवैकालिक वृत्ति, पृ० २०३

बांधे जा सकें। अर्थात् पूर्व ज्ञान समग्रतया शब्द का विषय नहीं है। वह लब्धिरूप—आत्मक्षमता नुस्यूत है। पर, इतना सम्भाव्य मानना ही होगा कि जितना भी अंश रहा हो, शब्द-रूप में उसको अवतारणा अवश्य हुई। तब प्रश्न उपस्थित होता है, किस भाषा में ऐसा किया गया ?

साधारणतया यह मान्यता है कि पूर्व संस्कृत-बद्ध थे। कुछ लोगों का इस सम्बन्ध में अन्यथा मत भी है। वे पूर्वों के साथ किसी भी भाषा को नहीं जोड़ना चाहते। लब्धिरूप होने से जिस किसी भाषा में उनकी अभिव्यंजना सम्भाव्य है। सिद्धान्ततः ऐसा भी सम्भावित हो सकता है, पर चतुर्दश पूर्वधरों की, दश पूर्वधरों की, क्रमशः हीयमान पूर्वधरों की एक परम्परा रही है। उन पूर्वधरों द्वारा अधिगत पूर्व-ज्ञान, जितना भी वाग्-विषयता में संचिर्ण हुआ, वहां किसी-न-किसी भाषा का अवलम्बन अवश्य ही रहा होगा। यदि संस्कृत में वंसा हुआ, तो स्वभावतः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जैन मान्यता के अनुसार प्राकृत (अद्धमागधी) आदि-भाषा है। तीर्थंकर अद्धमागधी में धर्म-देशना देते हैं, जो श्रोतृ-समुदाय की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती है। देवता इसी भाषा में बोलते हैं। अर्थात् वेदिक परम्परा में विश्वास रखने वालों के अनुसार छन्दस् (वेदिक संस्कृत) का जो महत्व है, जैन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए आर्षत्व के सन्दर्भ में प्राकृत का वही महत्व है।

भारत में प्राकृत-बोलिया अत्यन्त प्राचीन काल से लोक-भाषा के रूप में व्यवहृत रही हैं। छन्दस् सम्भवतः उन्हीं बोलियों में से किसी एक पर आधृत शिष्ट रूप है। लौकिक संस्कृत का काल उससे पश्चाद्बर्ती है। इस स्थिति में पूर्व-श्रुत को भाषात्मक दृष्टि से संस्कृत के साथ जोड़ना कहां तक सगत है ? कहीं परवर्ती काल में ऐसा तो नहीं हुआ, जब संस्कृत का साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वातिशायी गौरव पुनः प्रतिष्ठापन्न हुआ, तब जैन विद्वानों के मन में भी वंसा आकर्षण जगा हो कि वे भी अपने आदि-वाङ्मय का उसके साथ लगाव सिद्ध करें, जिससे उसका महात्म्य बढ़े। निश्चयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर सहसा यह मान लेना समाधायक नहीं प्रतीत होता कि पूर्व-श्रुत संस्कृत-निबद्ध रहा।

पूर्वगत : एक परिचय

पूर्वगत के अन्तर्गत विपुल साहित्य है। उसके अन्तर्बर्ती चौदह पूर्व हैं :

१. उत्पाद पूर्व—समग्र द्रव्यों और पर्यायों के उत्पाद या उत्पत्ति को अधिकृत कर विश्लेषण किया गया है। इसका पद-परिमाण एक कबोड़ है।
२. अग्रायणीय पूर्व—अग्र तथा अग्र्य शब्दों के मेल से अग्रायणीय शब्द निष्पन्न हुआ है।

अग्र का अर्थ ^१ परिमाण और अग्र का अर्थ गमन—परिच्छेद या विशदीकरण है ।
अर्थात् इस पूर्व में सब द्रव्यों, सब पर्यायों और सब जीवों के परिमाण का वर्णन है ।
पद-परिमाण छियावनवे लाख है ।

३. वीर्यप्रवाद पूर्व—सकर्म और अकर्म जीवों के दोर्य ^२ का विवेचन है । पद-परिमाण सतर लाख है ।

४. अस्ति-नास्ति-प्रवाद पूर्व—लोक में धर्मास्तिकाय आदि जो हैं और खर-विषणादि जो नहीं हैं, उनका इसमें विवेचन है अथवा सभी वस्तुएं स्वरूप की अपेक्षा से हैं तथा पर-रूप की अपेक्षा से नहीं हैं, इस सम्बन्ध में विवेचन है । ^३ पद-परिमाण साठ लाख है ।

५. ज्ञान-प्रवाद पूर्व—मति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान का विस्तारपूर्वक विश्लेषण है ।
पद-परिमाण एक कम एक करोड़ है ।

६. सत्य-प्रवाद पूर्व—सत्य का अर्थ संयम या वचन ^४ है । उनका विस्तारपूर्वक सूक्ष्मता से इसमें विवेचन है । पद-परिमाण छः अधिक एक करोड़ है ।

७. आत्म-प्रवाद पूर्व—आत्मा या जीव का नय-भेद से अनेक प्रकार से वर्णन है ।
पद-परिमाण छब्बीस करोड़ है ।

८. कर्म-प्रवाद पूर्व—ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि भेदों की दृष्टि से विस्तृत वर्णन किया गया है । पद-परिमाण एक करोड़ छियासी हजार है ।

९. प्रत्याख्यान पूर्व—भेद-प्रभेद सहित प्रत्याख्यान—त्याग का विवेचन है । पद-परिमाण चौरासी लाख है ।

१. अग्रं परिमाणं तस्य अग्रं गमनं परिच्छेद इत्यर्थः । तस्मै हितमप्रायणीयम्, सर्वद्रव्यादि-परिमाणपरिच्छेदकारि - इति भावार्थः तथाहि तत्र सर्वद्रव्याणां सर्वपर्यायाणां सर्वजीव-विशेषाणां च परिमाणमुपवर्ण्यते ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

२. अन्तरंग शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम ।

३. यद् वस्तु लोकेऽस्ति धर्मास्तिकायाऽऽदि यच्च नास्ति खरशृंगादि तत्प्रवर्तनीत्यस्तिनास्ति प्रवादम् । अथवा सर्व वस्तु स्वरूपेणास्ति, पररूपेण नास्तीति अस्तिनास्तिप्रवादम् ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

४. सत्यं संयमो वचनं वा तत्सत्यसंयमं वचनं वा प्रकर्षेण सप्रपञ्चं वर्ततीति सत्यप्रवादम् ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

१०. विद्यानुप्रवाद पूर्व—अनेक अतिशय—चमत्कार-युक्त विद्याओं का, उनके अनुरूप साधनों का तथा सिद्धियों का वर्णन है। पद-परिमाण एक करोड़ दस लाख है।
११. अवन्ध्य पूर्व—अवन्ध्य शब्द का अर्थ निष्फल होता है। निष्फल न होना अवन्ध्य है। इसमें निष्फल न जाने वाले शुभ फलात्मक ज्ञान, तप, संयम आदि का तथा अशुभ फलात्मक प्रमाद आदि का निरूपण है। पद-प्रमाण छब्बीस करोड़ है।
१२. प्राणायुप्रवाद पूर्व—प्राण अर्थात् पांच इन्द्रिय, मानस आदि तीन बल, उच्छ्वास-निःश्वास तथा आयु का भेद-प्रमेद सहित विश्लेषण है। पद-परिमाण एक करोड़ छप्पन लाख है।
१३. क्रिया-प्रवाद पूर्व—कायिक आदि क्रियाओं का, संयमात्मक क्रियाओं का तथा स्वच्छान्द क्रियाओं का विशाल-विपुल विवेचन है। पद-परिमाण नौ करोड़ है।
१४. लोकबिन्दुसार पूर्व—लोक में या श्रुत-लोक में अक्षर के ऊपर लगे बिन्दु की तरह जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर-सन्निपात लब्धि है, तुक है, उस ज्ञान का वर्णन है।^१ पद-परिमाण साढ़े बारह करोड़ है।

चूलिकाएं

चूलिकाएं पूर्वों का पूरक साहित्य है। इन्हें परिकर्म, सूत्र, पूर्व गत तथा अनुयोग (दृष्टिवाद के भेदों) में उक्त और अनुक्त अर्थों की संग्राहिका ग्रन्थ-पद्धतियां^२ कहा गया है। दृष्टिवाद के इन भेदों में जिन-जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन-उन विषयों में विवेचित महत्वपूर्ण अर्थों—तथ्यों तथा कतिपय अविवेचित अर्थों—प्रसंगों का इन चूलिकाओं में विवेचन किया गया है। इन चूलिकाओं का पूर्व वाङ्मय में विशेष महत्व है। ये चूलिकाएं श्रुत रूपी पर्वत पर चोटियों की तरह सुशोभित हैं।

१. लोके जगति श्रुत-लोके वा अक्षरस्थोपरि बिन्दुरिव सारं सर्वोत्तमं सर्वाक्षरसन्निपात-लब्धि-हेतुत्वात् लोकबिन्दुसारम्।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

२. यथा मेरो चूलाः, तत्र चूला हव दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रपूर्वानुयोगोक्तानुक्तार्थसंग्रहपरा गन्धपद्धयतः।

—वही, पृ० २५१५

चूलिकाओं की संख्या

पूर्वगत के अन्तर्गत चतुर्दश पूर्वों में प्रथम चार पूर्वों के चूलिकाएं हैं। प्रथम उपस्थित होता है, दृष्टिवाद के भेदों में पूर्वगत एक भेद है। उसमें चतुर्दश पूर्वों का समावेश है। उन पूर्वों में से चार—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्य-प्रवाद तथा अस्ति-नास्ति-प्रवाद पर चूलिकाएं हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध इन चार पूर्वों से होता है। तब इन्हें परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत और अनुयोग में उक्त, अनुक्त अर्थों—विषयों की जो संग्राहिका कहा गया है, वह कैसे संगत है ?

विभाजन या व्यवस्थापन की दृष्टि से पूर्वों को दृष्टिवाद के भेदों के अन्तर्गत पूर्वगत में लिया गया है। वस्तुतः उनमें समग्र श्रुत को अवतारणा है; अतः परिकर्म, सूत्र तथा अनुयोग के विषय भी मौलिकतया उनमें अनुस्यूत हैं ही।

चार पूर्वों के साथ जो चूलिकाओं का सम्बन्ध है, उसका अभिप्राय है कि इन चार पूर्वों के सन्दर्भ में इन चूलिकाओं द्वारा दृष्टिवाद के सभी विषयों का, जो वहां विस्तृत या संक्षिप्त रूप में व्याख्यात हैं, कुछ कम व्याख्यात हैं, कुछ केवल संकेतित हैं, विशदरूपेण व्याख्यात नहीं हैं, संग्रह हैं। इसका आशय है कि वैसे चूलिकाओं में दृष्टिवाद के सभी विषय सामान्यतः संकेतित हैं, पर, विशेषतः जो विषय परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत तथा अनुयोग में विशदतया व्याख्यात नहीं हैं, उनका इनमें प्रस्तुतीकरण है। पहले पूर्व की चार, दूसरे की बारह, तीसरे की आठ तथा चौथे की दस चूलिकाएं मानी गई हैं। इस प्रकार कुल $४+१२+८+१०=३४$ चूलिकाएं हैं।

वस्तु-वाङ्मय

चूलिकाओं के साथ-साथ 'वस्तु' संज्ञक एक और वाङ्मय है, जो पूर्वों का विश्लेषक या विवर्धक है। इसे पूर्वान्तर्गत अध्ययन-स्थानीय ग्रन्थों के रूप में माना गया है^१। श्रोताओं की अपेक्षा से सूक्ष्म जीवादि भाव-निरूपण में भी वस्तु शब्द अभिहित है।^२ ऐसा भी माना जाता है, सब दृष्टियों की उसमें अवतारणा है।^३

वस्तुओं की संख्या

प्रथम पूर्व में दश, दूसरे में चवदह, तीसरे में आठ, चौथे में अठारह, पांचवें में बारह,

१. पूर्वान्तर्गतेषु अध्ययनस्थानीयेषु ग्रन्थविशेषेषु।

—अभिधान राजेन्द्र, षष्ठ भाग, पृ० ८७६

२. श्रोत्रपेक्षया सूक्ष्मजीवाविभावकथने।

३. सर्वदृष्टीनां तत्र समवतारस्तस्य जनके।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१६

छठे में दो, सातवें में सोलह, आठवें में तीस, नौवें में बीस, दशवें में पन्द्रह, ग्यारहवें में बारह, बारहवें में तेरह, तेरहवें में तीस तथा चवदहवें पूर्व में पच्चीस वस्तुएं हैं। इस प्रकार कुल $10 + 14 + 5 + 15 + 12 + 2 + 16 + 30 + 20 + 14 + 12 + 13 + 30 + 24 = 222$ दो सौ पच्चीस वस्तुएं हैं। विस्तृत विश्लेषण का यहां अवकाश नहीं है; अतः प्रसंगोपात्ततया पूर्व बाह्यमय का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

आर्य जम्बू के बाद श्रुत-परम्परा

आर्य प्रभव

एक दुर्दम तथा कुशल तस्कर के रूप में प्रभव का आर्य जम्बू से सम्पर्क हुआ। आर्य जम्बू के तितिक्षामय उपदेश सुन, उनका संयमोन्मुख जीवन देख प्रभव का मन इतना बदला कि आर्य जम्बू का पदानुसरण करते हुए उसने भी यावज्जीवन संयम-पथ पर चलते रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। प्रभव का तस्कर-रूप धामण्य में परिवर्तित हो गया। अपनी विज्ञासा व तितिक्षामय उज्ज्वल वृत्ति तथा संयमानुप्राणित सात्त्विक चर्या से वह इतना आगे बढ़ा कि जम्बू के अनन्तर भगवान् महावीर के धर्म-संघ का समग्र उत्तरदायित्व उसी के सबल कन्धों पर आया। आर्य प्रभव आर्य जम्बू के उत्तराधिकारी हुए। कल्पसूत्र में उनका केवल इतना-सा परिचय प्राप्त होता है : “काश्यपगोत्रीय स्थविर आर्य जम्बू के अन्तेवासी कार्यायनगोत्रीय स्थविर आर्य प्रभव थे।”^१ आर्य जम्बू से समवस्तुतः श्रुत-परम्परा आर्य प्रभव के माध्यम से यथावत् रूप में गतिशील रही। वे चतुर्दश पूर्ववारी, श्रुत-केवली थे।

आर्य प्रभव का आचार्य-काल

आर्य जम्बू के उत्तराधिकारी के रूप में उनका कार्य-काल म्यारह^२ वर्ष का माना जाता है। श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार भगवान् महावीर के निर्वाण के ७५ वर्ष पश्चात् वे स्वर्गगामी हुए। यही समय हिमवत्^३ थेरावली में उल्लिखित है।

१. थेरस्स णं अज्ज जम्बू नामस्स कासवगोत्तस्स अज्ज पजवे थेरे अन्तेवासी कच्चायणममोत्ते ... ।
२. पुणो पाडलीपुरे ११, १०, १३, २५, २५, ६, ६, ४, ५५ नवन्ध एवं वर्षे १५५ रज्जे जम्बू शेववर्षाणि ४, प्रभव ११, शय्यम्मव २३, यशोमद्र ५०, सम्मूतिविजय ८, मद्रबाहु १४, स्थूलमद्र ४५ (१५५) एवं बीर-निर्वाण २१५।

—श्री धर्मघोषसूरि कृत दुःषमाकालश्रीश्रमण संघ स्तोत्रम्

३. मुनि कल्याणविजयजी के अनुसार आचार्य हिमवान् एक प्रसिद्ध स्थविर थे। प्रसिद्ध अनुयोग-प्रवर्तक स्कन्दिलाचार्य और नागार्जुन वाचक का सत्ता-समय ही हिमवान् का सत्ता-समय था, इसमें कोई सन्देह नहीं। क्योंकि देवर्दिगणी की नन्दी थेरावली में

दिगम्बर-परम्परा में तत्कर प्रभव के स्थान पर तत्कर विद्युम्बर का उल्लेख है। जम्बू की उत्तराधिकार-परम्परा में प्रभव का कोई उल्लेख नहीं है। दिगम्बर-मान्यता के अनुसार जम्बू के उत्तराधिकारी विष्णु या नन्दी थे। उनका आचार्य-काल चौदह वर्ष का था। तिलोयपण्णती में 'नन्दी' नाम का उल्लेख^१ है।

आर्य शय्यम्भव

आर्य जम्बू के पश्चान् श्रोत-स्रोतस्विनी के संवाहक एवं सम्प्रसारक आर्य शय्यम्भव थे। वे अपने युग के उद्भूत विद्वान् थे। वे वेदज्ञ, याज्ञिक एवं कर्मकाण्ड-निष्णात थे। कहा जाता है, आर्य प्रभव को कुछ ऐसी अन्तः प्रेरणा हुई कि उन्होंने विद्वान् शय्यम्भव को प्रतिबोध देने के हेतु दो मुनियों को उनके पास भेजा। उस समय शय्यम्भव यज्ञ-निरत थे। वे मुनियों द्वारा उद्बुद्ध एवं उत्प्रेरित हुए। आर्य प्रभव के पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार की। प्रगाढ़ विद्वान् तो थे ही, प्रतिभा और मेधा के द्वारा श्रुत की अनवरत उपासना की। चतुर्दश पूर्वों का ज्ञान अर्जित किया। श्रुत केवली हुए।

जिस समय शय्यम्भव दीक्षित हुए थे, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। यथासमय पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम मनक रखा गया। पुत्र सयाना हुआ। उसने जाना, उसके पिता श्रमण हैं। वह उनके पास आया। उनके तपःपूत जीवन से प्रभावित हुआ और दीक्षित हो गया। अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा आचार्य शय्यम्भव ने जाना, मनक का आयुष्य बहुत कम है। उसका जीवन केवल छः मास का है। उन्होंने उसके कल्याण के लिए संयम तथा साधना-मूलक श्रुतागमों में से सार-सार आकलित कर दशवैकालिक की रचना की, जिससे वह नवदीक्षित श्रमण उसका परिशीलन करता हुआ अपने संयम-जीवितव्य का सफलतापूर्वक निर्वाह करता जाए। आचार्य शय्यम्भव की श्रुत-जगत को यह एक महत्वपूर्ण देन है।

इनका स्कन्धिल के बाद और नागार्जुन के पहले उल्लेख है और प्रस्तुत घेरावली में इनको स्कन्धिल का शिष्य लिखा है, पर, यह निश्चय होना कठिन है कि यह घेरावली प्रस्तुत हिमवत्-कृत है या अन्य कृत। इसमें कई प्राचीन और अभुतपूर्व ऐसे उल्लेख हैं, जिनका प्राचीन शिलालेखों से भी समर्थन होता है। इन तथ्यों का प्रतिपादन इसमें देख कर यह अनुमान होता है कि स्यात् यह प्राचीन हो, पर, कतिपय उल्लेख ऐसे भी हैं, जो इस घेरावली की हिमवत् कर्तृकता में शंका उत्पन्न करते हैं। अतएव अब तक यह अनिर्णित जैसा है कि वस्तुतः यह घेरावली किसके द्वारा रचित है।

१. णंकी य णंदिमित्तो विदिओ अवराजिदो तइज्जो य ।

गोवर्द्धणो षउत्थो पंचमओ महबाहुत्ति ॥

—तिलोयपण्णती, १४८२

पूर्वों के आधार पर रचना

दशवैकालिक की रचना के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि वह पूर्वों पर आधारित^१ है। उदाहरणार्थ, दशवैकालिक का धर्मप्रज्ञप्ति नामक अध्ययन आत्म-प्रवाद पूर्व के, पिण्डेष्णा नामक अध्ययन कर्म-प्रवाद पूर्व के, धाक्य-शुद्धि नामक अध्ययन सत्य-प्रवाद पूर्व के तथा शेष अध्ययन प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु के आधार पर प्रणीत हुए।

कल्पसूत्र-स्थविदावली में आर्य शय्यम्भव के लिए केवल इतना-सा उल्लेख है : “कौट्या-यनगोत्रीय स्थविर आर्य प्रभव के अन्तेवासी आर्य शय्यम्भव थे। वे वत्सगोत्रीय थे और मनक के पिता थे।”^२

आचार्य-काल

आचार्य शय्यम्भव तेईस वर्ष तक संघनायक (आचार्य) रहे। हिमवत् घेरावली में उनके स्वर्गवास का समय ६८ वीर-निर्वाणानन्द लिखा है, जो इससे संगत है। दिगम्बर-मान्यता के अनुसार विष्णु या नन्दी के पट्टधर अर्थात् जम्बू के पश्चात् दूसरे पट्टधर नन्दिमित्र थे, जिनका संघ-नायक-काल सोलह वर्ष का माना जाता है।

आर्य यशोभद्र

आर्य यशोभद्र आर्य शय्यम्भव के अन्तेवासी थे। कल्पसूत्र स्थविदावली में उनके परिचय में लिखा है : “मनक के पिता, वत्सगोत्रीय स्थविर शय्यम्भव के अन्तेवासी आर्य स्थविर यशोभद्र थे। वे तुंगियायन गोत्रोत्पन्न थे।”^३ आर्य शय्यम्भव के पश्चात् श्रुत-संवाहन तथा संघ-संचालन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आर्य यशोभद्र पर आया, जिसका उन्होंने अत्यन्त सफलतापूर्वक निर्वह किया। वे चतुर्विंश पूर्वधर थे।

नन्दराजाओं को प्रतिबोध

कहा जाता है, आर्य यशोभद्र ने नन्दराजाओं को प्रतिबोध दिया। फलतः उन्होंने आईत धम स्वीकार कर लिया।

हिमवत् घेरावली में उल्लेख है कि आर्य यशोभद्र के समय आठवाँ नन्द मगध का राजा था। वह बहुत लोभी था। उसने विरोचन नामक ब्राह्मण-मन्त्री की प्रेरणा से कर्लिंग देश

१. जैन आगम, पं० कलसुख मालवणिया, पृ० १७

२. थेरस्स णं अज्जप्पमवस्स कच्चायणसगोत्तस्स अज्जसेज्जमवे अन्तेवासी मणगपिप्सा वच्छसगोत्ते।

३. थेरस्स णं अज्ज सेज्जमवस्स मणगपिउणो वच्छसगोत्तस्स अज्ज जसमद्दे थेरे अन्तेवासी तुंगियायणस गोत्ते।

पर चढ़ाई की। उसे खस्त-बिखस्त कर दिया। साथ-ही-साथ उसने मगध सम्राट् श्रेणिक द्वारा कुमार गिरि पर निर्मापित ऋषभ-प्रासाद का भी खंस किया और भगवान् ऋषभ की स्वर्णमयी प्रतिमा को मगध ले आया।¹

आचार्य-काल

आर्य यशोभद्र का संवाधिपत्यकाल पचास वर्ष का माना जाता है। हिमवत् श्रेणिकली में १४८ कीर्तिनिर्वाणानन्द में उनके स्वर्णगामी होने का उल्लेख है। उनका पचास वर्ष का आचार्य-काल इससे समर्थित है। दिगम्बर-मान्यता के अनुसार जम्बू के अनन्तर तीसरे आचार्य अर्थात् अर्य नन्दिमित्र के उत्तराधिकारी अपराजित हैं। उनका आचार्य-काल बाईस वर्ष का माना जाता है।

आर्य यशोभद्र के पश्चात्

कल्पसूत्र के अनुसार आर्य यशोभद्र के अनन्तर स्थविरावली के दो रूप हैं—संक्षिप्त और विस्तृत। वहाँ उल्लेख है : “संक्षिप्त वाचना के अनुसार आर्य यशोभद्र से आगे स्थविरावली इस प्रकार है—तुंगियायण गोत्रीय, स्थविर आर्य यशोभद्र के दो स्थविर अन्तेवासी थे—मादर गोत्रीय, स्थविर आर्य सम्भूतिविजय तथा प्राचीन गोत्रीय स्थविर आर्य भद्रबाहु।”²

१. इस सम्बन्ध में कुछ पहलू विचारणीय हैं। यदि नन्ववंशीय राजा जैन धर्मानुयायी थे, तो कलिंग के जैन राजा पर कैसे चढ़ाई करते, ऋषभ-प्रासाद को कैसे खस्त किया जाता, भगवान् ऋषभ की स्वर्णमयी प्रतिमा को कुमारगिरि से उठा कर मगध क्यों लाया जाता ?

विद्वानों के इस सम्बन्ध में कई प्रकार के अभिमत हैं। कुछ का कहना है कि नन्व राजा की जैन धर्म के प्रति श्रद्धा न होती, तो ऋषभ की प्रतिमा को कलिंग से मगध क्यों ले जाया जाता, उसे नष्ट भी किया जा सकता था। वस्तुतः उस काल की राज-मनोवृत्ति के अनुसार अपने किसी धार्मिक राजा पर आक्रमण करना एक बात थी और धर्म की आराधना व विरोधना का प्रश्न उससे पृथक् था। जैन मान्यतानुसार मगध-नरेश कुणिक—अजातशत्रु जैन था और लिच्छवि गणाध्यक्ष चेटक भी जैन था, पर, उनमें परस्पर मीथण संग्राम हुआ। फलतः जनतन्त्रात्मक शासन का उन दिनों का एक उत्कृष्ट प्रतीक लिच्छवि-गणराज्य सदा के लिए नष्ट हो गया।

२. संक्षिप्तवायणाए अज्ज जसमद्दाओ अगगओ एवं श्रेणिकली भणिया, तं जहा—थेरस्स णं अज्जजसमद्दस्स तुंगियायणगोत्तस्स अन्तेवासी बुवे थेरा—थेरे अज्ज संभूयविजए मादरस-गोत्ते, थेरे अज्ज भद्दबाहु पाईणसगोत्ते।

आर्य यशोभद्र द्वारा निब्यूद्ध श्रुत-परम्परा तथा संघ-व्यवस्था आर्य सम्भूतिविजय तथा आर्य भद्रबाहु के माध्यम से गतिशील रही ।

दो उत्तराधिकारी : एक नवीन परम्परा

आर्य यशोभद्र तक धर्म-संघ के अधिनायक या उत्तराधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति का मनोनयन किया जाता रहा । एक ही आचार्य के नेतृत्व में धर्म-संघ कार्य-रत रहा । आर्य यशोभद्र के अनन्तर एक नई परम्परा का सुत्रपात हुआ । आर्ययशोभद्र को सम्भवतः अपने शिष्यों में पूर्वोक्त दो बहुत ही योग्य लगे हों । दोनों की असामान्य योग्यता और पात्रता को देखते हुए सम्भवतः उन्हें निर्णय लेने में कठिनता का अनुभव हुआ हो, किसे उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाए । दोनों में से किसी एक के पक्ष में मनोनयन-सम्बन्धी निर्णय न ले सकने के कारण उन्होंने दोनों शिष्य, सम्भूतिविजय तथा भद्रबाहु को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया । इस प्रकार एक विशेष परिपाटी का प्रचलन हुआ । पर, उसका परिणाम असुखावह नहीं हुआ । विधिक्रम इस प्रकार का रहा कि एक पट्ट पर दो संघपतियों के होने पर भी संघ-व्यवस्था तथा संचालन में कोई दुविधा नहीं हुई; क्योंकि दोनों का निरपेक्ष उत्तराधिकार नहीं था । संघीय व्यवस्था, संचालन, निर्देशन आदि में प्रथम या ज्येष्ठ पट्टधर का सीधा अधिकार था । द्वितीय या कनिष्ठ पट्टधर उनके जीवन-काल में उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते । ज्येष्ठ पट्टधर का स्वर्गवास होने पर कनिष्ठ पट्टधर के हाथों में वे सारे अधिकार आ गये, जो ज्येष्ठ पट्टधर के पास थे ।

केवल अन्तर इतना-सा हुआ, एक ही उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने की परम्परा में अग्रिम उत्तराधिकारी या संघनायक के मनोनयन का अधिकार वर्तमान संघपति को होता, वहाँ इस नई परम्परा के अनुसार पहले उत्तराधिकारी के पश्चात् दूसरे उत्तराधिकारी के पास संघ का सारा दायित्व स्वयमेव आ जाता; क्योंकि उसका मनोनयन पहले से ही किया हुआ था । इस द्वि-आचार्य-परम्परा से संघीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं आई । दूसरे, यह स्थिति तो कादाचित्क थी, वस्तुतः अभिकांक्षित एक ही आचार्य या उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने की परम्परा प्रचलित थी ।

आर्य सम्भूतिविजय

आर्य सम्भूतिविजय ज्यामान् थे; अतः आर्य यशोभद्र के पश्चात् संघनायक या आचार्य वे ही हुए । वे चतुर्दश पूर्वधर थे । उनका आचार्य-काल आठ वर्ष का माना जाता है । हिमवत् श्रेणाली के अनुसार उनका स्वर्गवास १५६ बौद्ध-निर्वाणान्त में हुआ । दिगम्बर-आम्नाय में अम्बू के पश्चात् चतुर्थ संघनायक अपराजित के उत्तराधिकारी आचार्य शोबद्धन माने गये हैं । उनका आचार्य-काल उन्नीस वर्ष का है ।

महान् प्रभावक आचार्य भद्रबाहु

परम्परया ऐसा माना जाता है कि आचार्य भद्रबाहु का दक्षिण में प्रतिष्ठान पुर (पेहन) में एक ब्राह्मण-परिवार में जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी वंश-पर्यादा के अनुसार अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। उनके पारगामी बने। कहा जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति कष्टपूर्ण थी। कोई ऐसा प्रसंग बना हो, आर्हत्-दर्शन के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा तथा उन्होंने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली।

वराहमिहिर से सम्बन्ध

ऐसा भी जन-श्रुति प्रचलित है, महान् ज्योतिर्विद् वराहमिहिर आचार्य भद्रबाहु के अनुज थे। पर, वराहमिहिर के प्राप्त साहित्य के आधार पर उनका काल विक्रम की षष्ठ शताब्दी निश्चित होता है। आचार्य भद्रबाहु का समय विक्रम के बहुत पूर्ववर्ती है; अतः भद्रबाहु तथा वराहमिहिर का जो सम्बन्ध कल्पित किया जाता है, वह असंगत है।

छेद-सूत्रों के रचनाकार

श्रुत-वाङ्मय में निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, वशाश्रुतस्कन्ध, कल्प (वृहत्कल्प) तथा पंचकल्प (अथवा जीतकल्प) छेद-सूत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वशाश्रुतस्कन्ध में भारत का इतिहास क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी था या वह वैदिक धर्म को मानता था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है।

परिशिष्ट पर्व

परिशिष्ट पर्व में उल्लेख किया गया है कि महामात्य चाणक्य जैन था। वह चन्द्रगुप्त को जैन बनाने के लिये प्रयत्नशील था। एक बार उसने दो पक्षियों में विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं के साधुओं को समाहित किया। एक पक्षिपद में जैन श्रमण भी आमन्त्रित थे। चन्द्रगुप्त जैन श्रमणों से प्रभावित हुआ। उसने जैन धर्म स्वीकार भी कर लिया। प्रायः समस्त श्वेताम्बर, दिगम्बर जैन वाङ्मय में चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न प्रसिद्ध हैं, जिनमें अभिषेक में धर्म-क्षेत्र में होने वाली हासोन्मुख स्थितियों का सूचन है।

चन्द्रगुप्त की राज-सभा में रहने वाले यूनान के राजदूत मेगस्थनीज़ ने जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के धर्म-सिद्धान्त के प्रतिरूप जैन श्रमणों के सिद्धान्त या धर्मोपदेश स्वीकार किये थे। सुप्रसिद्ध विद्वान् टामस के अनुसार केवल चन्द्रगुप्त ही नहीं, उसका पुत्र बिन्दुसार तथा पौत्र अशोक भी जैन थे। टामस ने मुद्राराक्षस, राजतरंगिणी तथा आइने अकबरी आदि ग्रन्थों द्वारा इसे समर्थित करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध धर्म-

ग्रन्थों के अनुसार चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार का ब्राह्मण धर्म के प्रति श्रद्धावान् होना प्रकट होता है ।

अशोक के लिए ऐसा सम्भव हो सकता है कि वह पहले जैन रहा हो । बाद में उसने धर्म-परिवर्तन कर लिया हो । हिमवत् थेरावली में उल्लेख है कि अशोक राज्य-प्राप्ति के चार वर्ष पश्चात् बौद्ध हो गया था । उसके शिलालेखों में बोधनाओं के अन्तर्गत निर्ग्रन्थों को दान देने का उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर भी सम्राट् का निर्ग्रन्थों के प्रति आदर तथा श्रद्धा-भाव था । अनुमान किया जा सकता है, उसका मुख्य कारण सम्राट् का कभी निर्ग्रन्थ-मतानुयायी रहना है । डा० ल्यूमेन, हार्नेले, स्मिथ, राइस डेविड्स, जायसवाल प्रभृति इतिहासकारों का अभिमत है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य जैन था । वे यह भी मानते हैं कि सम्राट् आचार्य भद्रबाहु का शिष्य था ।

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध

आचार्य भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के गुरु-शिष्यात्मक सम्बन्ध के विषय में कोई बहुत पुष्ट प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं । यह विषय गवेषणा और विवेचना-सापेक्ष है । प्रमुख इतिहास-अध्येता मुनि कल्याणविजयजी का भी इसी प्रकार का मत है । उनके अनुसार अभी तक कोई भी उस प्रकार का ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके । उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त के समय में जब उसके राज्य में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, तब पाटलिपुत्र में सुद्धिम—सुस्थित नामक बृद्ध आचार्य थे, इस प्रकार के पुराने लेख तो प्राप्त होते हैं, पर, दशम शती से पूर्व का कोई भी ऐसा लेख या ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके । हिमवत् थेरावली में जो उल्लेख है, उसके अनुसार आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गवास १७० वीर-निर्वाणाब्द में तथा चन्द्रगुप्त का देहावसान १८४ वीर-निर्वाणाब्द में सूचित होता है । इस प्रकार आचार्य भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त के देह-त्याग में चौदह वर्ष का अन्तर है, जो उनकी समसामयिकता के सूचन के लिए पर्याप्त है । इन सब स्थितियों के होते हुए भी आचार्य भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर परवर्ती ही सही, जैन साहित्य व जैन अनुश्रुतियों में जो इतनी चर्चा है, उस पर और गहराई से सोचना कम आवश्यक नहीं है ।

आगमों की प्रथम वाचना

अनेक स्रोतों से यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष पड़ा । जनता अन्नादि खाद्य पदार्थों के अभाव में त्राहि-त्राहि करने लगी । भिक्षोपक्षी की श्रमणों को भी तब भिक्षा कहां से प्राप्त होती । स्थविरावली में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : “वह दुष्काल काल-शान्ति के समान कष्टाल था । साधु-संघ (भिक्षापूर्वक)

जीवन-निर्वाह हेतु समुद्र-तट पर चला गया। अधीत का गुणन—आवृत्ति न किये जाने के कारण साधुओं को श्रुत विस्मृत हो गया। अभ्यास न करते रहने से मेधावी जनो द्वारा किया गया अध्ययन भी नष्ट हो जाता है। दुष्काल का अन्त हुआ। सारा साधु-संघ पाटलिपुत्र में मिला। जिस-जिस को जो अंग, अध्ययन, उद्देशक आदि स्मरण थे, उन्हें संकलित किया गया। बारहवें अंग दृष्टिवाद का संकलन नहीं हो सका। संघ को चिन्ता हुई। आचार्य भद्रबाहु चतुर्दश पूर्वधर थे, वे नेपाल के मार्ग में थे। श्रीसंघ ने उन्हें बुलाने के लिए दो मुनि भेजे।^१ आचार्य हरिभद्र के प्राकृत उपदेश पद में भी इसी प्रकार का उल्लेख^२ है। आवश्यक घूर्णन में भी इसी तरह का वर्णन है।

दक्षिण जाने की कल्पना

नीरनिधि अथवा समुद्र-तट पर साधुओं के जाने का जो यहां उल्लेख है, उससे श्रमण-संघ के दक्षिणी समुद्र-तट या दक्षिण देश जाने की कल्पना की जाती है। नीरनिधि से दक्षिणी समुद्र-तट ही क्यों लिया जाए? उससे बगोपसागर (बंगाल की खाड़ी) भी लिया जा सकता है, जिसके तट पर उड़ीसा की एक लम्बी पट्टी अवस्थित है, जहां जैन धर्म का संचार हो चुका था।

१. इतश्च तस्मिन् दुष्काले, कराले कालरात्रिवत् ।

निर्वाहार्थं साधुसंघस्तीरं नीरनिधेर्ययौ ॥

अगुण्यमानं तु तदा, साधुनां विस्मृतं श्रुतम् ।

अनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं धीमतामपि ॥

संघोऽयं पाटलिपुत्रे, दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत् ।

यद्व्याध्ययनोद्देशाद्यासीद् यस्य तदादे ॥

ततश्चेकावसांगानि, श्रीसंघोऽमेलयत्तदा ।

दृष्टिवादनिमित्तं च, तस्थौ किंचिद् विचिन्तयन् ॥

नेपालदेशमार्गस्थं, भद्रबाहुं च पूर्विणम् ।

ज्ञात्वा संघः समाह्वातुं, ततः प्रैषीमुनिद्वयम् ॥

—स्यविरावली चरितम्, ९, ५५-५६

२. जाओ अ तस्मि समये दुष्कालो दो य वसम बरिसाणि ।

सब्बो साहुसमूहो गओ तओ जलहितीरेसु ॥

तबुबरमे सो पुणरवि पाडलिपुत्ते समागओ विहिया ।

संघेणं सुयचित्तया चिंता किं कस्स अत्थेति ॥

जं जस्स आसि पासे उद्देशं ऊयणं साहुसंघडिं ।

तं सब्बं एक्कारय अंगाहं तद्देव ठविपाहं ॥

भद्रबाहु द्वारा पूर्वों की वाचना

आचार्य भद्रबाहु के पास श्रीसंघ का सन्देश पहुँचा । वे महाप्राण ध्यान की साधना में निरत थे । उनके लिए पाटलिपुत्र आ पाना सम्भव नहीं था । उससे उनकी साधना व्याहृत होती । इसलिए उन्होंने स्वीकृति दी कि वहाँ रहते हुए वे समागत अध्ययनाधियों को पूर्वों की वाचना दे सकेंगे—अध्यापन करा सकेंगे । कहा जाता है, तदनुसार श्रीसंघ ने पन्द्रह सौ श्रमणों को नेपाल भेजा । उनमें पाँच सौ विद्यार्थी श्रमण थे तथा प्रत्येक अध्ययनार्थी श्रमण के खान-पान आदि आवश्यक कार्यों की व्यवस्था, परिचर्या आदि के हेतु दो-दो श्रमण नियुक्त थे । इस प्रकार कुल एक हजार परिचारक श्रमण थे ।

आचार्य भद्रबाहु ने वाचना देना प्रारम्भ किया । आगे उत्तरोत्तर वाचना चलते रहने में कठिनाई सामने आने लगी । दृष्टिवाद—पूर्व ज्ञान को अत्यधिक दुरुहता व जटिलता तथा तदनुरूप (तदपेक्ष) बौद्धिक क्षमता व धारणा-शक्ति की न्यूनता के कारण अध्ययनार्थी श्रमण परिश्रान्त होने लगे । अन्ततः वे घबड़ा गये । उनकी हिम्मत टूट गयी । स्थूलभद्र के अतिरिक्त कोई भी श्रमण अध्ययन में नहीं टिक सका । स्थूलभद्र ने अपने अध्ययन का क्रम निरबाध चालू रखा । दश पूर्वों का सूत्रात्मक तथा अर्थात्मक ज्ञान उन्हें अधिगत हो गया । आगे अध्ययन चल ही रहा था । इस बीच एक घटना घट गयी । उनकी बहिन जो साध्वियाँ थीं, श्रमण भाई की श्रुताराधना देखने के लिए आईं । स्थूलभद्र इसे पहले ही जान गये । बहिनों को चमत्कार दिखाने के हेतु विद्या-बल से उन्होंने सिंह का रूप बना लिया । बहिनें भय से ठिठक गयीं । स्थूलभद्र तत्क्षण अपने असली रूप में आ गये । बहिनें आश्चर्य-चकित हो गयीं ।

आचार्य भद्रबाहु ने सब कुछ जान लिया । वे विद्या के द्वारा बाह्य चमत्कार दिखाने के पक्ष में नहीं थे; अतः इस घटना से वे स्थूलभद्र पर बहुत रूढ़ हुए । आगे वाचना देना बन्द कर दिया । स्थूलभद्र ने क्षमा मांगी, बहुत अनुनय-विनय किया, तब उन्होंने उनको आगे के चार पूर्वों का ज्ञान केवल सूत्र रूप में दिया, अर्थ नहीं बतलाया । स्थूलभद्र को चतुर्दश पूर्वों का पाठ तो ज्ञात हो गया, पर, वे अर्थ दश ही पूर्वों का जान पाये; अतः उन्हें पाठ की दृष्टि से चतुर्दश पूर्वोपर और अर्थ की दृष्टि से दश पूर्वोपर कहा जा सकता है । इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से भद्रबाहु के अनन्तर चार पूर्वों का विच्छेद हो गया ।

प्रथम वाचना के अध्यक्ष या निर्देशक ?

व्यासहर्षों का संकलन पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ । इसे प्रथम-वाचना कहा जाता है । इसकी विधिवत् अध्यक्षता या नेतृत्व किसने किया, स्पष्ट ज्ञात नहीं होता । आचार्य भद्रबाहु विशिष्ट योग-साधना के सन्दर्भ में नेपाल गये हुए थे; अतः उनका नेतृत्व तो सम्भव था ही

नहीं। भद्रबाहु के बाद स्थूलभद्र की ही सब दृष्टियों से वरीयता अभिमत है। यह भी हो सकता है, आचार्य भद्रबाहु जब नेपाल जाने लगे हों, उन्होंने संघ का अधिनायकत्व स्थूलभद्र को सौंप दिया हो। अधिकतम यही सम्भावना है, प्रथम आगम-वाचना स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई हो।

आचार्य भद्रबाहु : दिगम्बर-मान्यता

दिगम्बर-परम्परा में सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध में पड़े द्वादश वर्षीय दुष्काल के समय आचार्य भद्रबाहु जैन संघ सहित दक्षिण चले गये। सम्राट् चन्द्रगुप्त भी उनके साथ गया, एक मुनि के रूप में। श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) के चन्द्रागिरि नामक पर्वत पर उनका स्वर्गवास हुआ।

श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) स्थित पार्श्वनाथ-वसति के एक शिलालेख में उल्लेख है कि आचार्य भद्रबाहु के वचन से जैन संघ उत्तरापथ (उत्तर भारत) से दक्षिणापथ (दक्षिण भारत) गया। पर, उस शिलालेख में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि आचार्य भद्रबाहु भी उनके साथ दक्षिण गये थे। यह शिलालेख शक संवत् ५२२ के आस-पास का लिखा हुआ है।

बृहत्कथाकोष

बृहत्कथाकोष ग्रन्थ में भी इस सम्बन्ध में वर्णन है। इसके लेखक आचार्य हरिवर्षेण हैं और रचना-समय शक-संवत् ८५३ है। उसमें जो विवरण है, उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—आचार्य भद्रबाहु किसी समय विहार करते हुए उज्जयिनी पहुँचे। वहाँ शिप्रा नदी के किनारे एक उद्यान में ठहरे। वे भिक्षाथे नगर में गये। एक घर में देखा, एक बच्चा भूले में झूल रहा है। बच्चे ने चिल्लाकर कहा—निकल जाओ। इस निमित्त से उन्हें प्रतीत हुआ कि बारह वर्षों का एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। उन्होंने संघ को बुलाया और सारे वृत्तान्त से अवगत कराया। उन्होंने कहा, अच्छा यही है, लोग दक्षिण देश चले जाएँ। मुझे स्वयं यहीं ठहरना होगा; क्योंकि मेरी आयु अब सीण हो चुकी है।¹

विशाखाचार्य का दक्षिण-गमन

इसी कथाकोष में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाहु से श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। वे विशाखाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु की आज्ञा से वे संघ-सहित दक्षिण में पन्नाट देश गये। वहाँ रामिल्ल, स्थूलबुद्ध तथा भद्राचार्य को अपने-अपने संघों सहित सिन्धु आदि देशों में भेजे जाने की चर्चा है। बृहत्कथाकोष में यह भी उल्लेख

१. अहमत्रैव तिष्ठामि क्षीणमायुर्ममाधुना।

है कि आचार्य भद्रबाहु ने उज्जयिनी के भारपद संज्ञक स्थान में समाधि-मरण प्राप्त किया ।^१

भद्रबाहु चरित्र

आचार्य रत्ननन्दि रचित भद्रबाहु चरित्र (रचना काल विक्रम की सोलहवीं शताब्दी) में भी लगभग बृहत्कथा कोष के सट्ठश वर्णन है। वहाँ लिखा है : 'आचार्य भद्रबाहु भिक्षार्थ एक घर में गये। उस सुने घर में एक साठ दिन का बच्चा झूले में झूल रहा था। वह मुनि को उद्दिष्ट कर बोला—चले जाओ, चले जाओ।'^२

आचार्य भद्रबाहु ने झूट पूछा—कितने वर्ष के लिये? बच्चे ने कहा—बारह वर्ष।'^३

आचार्य भद्रबाहु ने इस निमित्त से बारह वर्षों के भयंकर दुर्भिक्ष की आशंका की। वे स्वयं बारह सहस्र श्रमणों सहित दक्षिण को प्रयाण कर गये। श्रावकों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने रामल्य, स्थूलभद्र तथा स्थूलाचार्य को वहीं छोड़ दिया।^४ इसी ग्रन्थ में उज्जयिनी के राजा द्वारा आचार्य भद्रबाहु से श्रमण-दीक्षा स्वीकार करने का भी उल्लेख है। वहाँ उसका नाम 'चन्द्रगुप्त' के स्थान पर चन्द्रगुप्ति लिखा है।^५

१. प्राप्य भारपदं देशं, श्रीमदुज्जयनी नवम् ।

चकारानशनं धीरः, स दिनानि बहून्मलम् ॥

समाधिमरणं प्राप्य, भद्रबाहुर्दिवं ययौ ।

२. तत्र शून्यगृहे चैको, विद्यते केवलं शिशुः ॥

भोलिकान्तर्गतः षष्टि-दिनस प्रमितस्तथा ।

गच्छ गच्छ बचो बावीत्तच्छ्रुत्वा मुनिना कुतम् ॥

शिशुरुक्ता पुनस्तेन, कियन्तोऽब्दाः शिशो ! बह ।

द्वादशाम्बा मुने ! प्रोचे, निशम्य तद्वचः पुनः ॥

—द्वितीय परिच्छेद, श्लोक ५८-६०

३. विदित्वा विश्वसंधोऽसौ गुरुणामाशयं पुनः ।

रामल्यस्थूलमद्राख्यस्थूलाचार्याविधोगिनः ॥

प्रणम्य प्रार्थयामास भवत्या संस्थितिहेतवे ।

आदानामुपरोधेन प्रतिपन्नं तु तद्वचः ॥

रामल्यप्रमुखास्तस्य सहस्रद्वादशवर्षयः ।

—वही, ८८-९०

४. चन्द्रावदातसत्कीर्तिश्चन्द्रवन्मोदकृन्तुणाम् ।

चन्द्रगुप्तिर्नृपस्तत्राऽचकच्चाह गुणोदयः ॥ २. ७

चन्द्रभीर्मीमिनी तस्य चन्द्रमः श्रीरिवापरा ।

सती भतल्लिका जाता रूपादिगुणशानिली ॥ २. ९

गणितोऽनुज्ञया भूपो हित्वा संगं द्विधा सुधीः ।

जप्राह संयमं शुद्धं साधकं शिवशर्मणः ॥

—वही, ५६

आकाशवाणी

आचार्य भद्रबाहु संघ-सहित दक्षिण की ओर बढ़े जा रहे थे कि एक जंगल को पार करते समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी । उससे उन्होंने जाना कि उनकी आयु बहुत कम बेष रही है । उन्होंने दशपूर्व वर विशाखाचार्य को गम्भीर्य आदि अनेक सद्गुणों से युक्त ज्ञान कर धर्मसंघ की सारणा-वारणा के लिए अपने पद पर अधिष्ठित कर दिया ।^१ गुरुभक्त, नवदीक्षित मुनि चन्द्रगुप्ति उनकी सेवा में रह गया^२ । थोड़े समय बाद आचार्य भद्रबाहु ने वहीं समाधि-मरण प्राप्त किया ।^३

विशाखाचार्य दक्षिण की ओर बढ़ते-बढ़ते जैन शासन को उद्दीप्त तथा नव-दीक्षितों को अप्रियापित करते हुए चोल देश पहुँचे । उनके दक्षिण देश में पथटन करते, प्रवास करते तथा धर्म-प्रसार करते हुए बारह वर्ष का समय व्यतीत हो गया । तदनन्तर विशाखाचार्य के नेतृत्व में संघ वापिस (उज्जयिनी) लौट आया । पीछे रहे साधुओं में शिथिलता आ गयी थी । विशाखाचार्य ने उन साधुओं को समझाने का प्रयत्न किया कि इस प्रतिकूल (शास्त्र-विरुद्ध) चर्या का पश्चिन्त्याग कर दें । पर, वे सुविद्या-भोगी मुनि नहीं माने । जब स्थूलाचार्य ने भी उन्हें समझाने की चेष्टा की, तो वे उबल पड़े और उन्हें उण्डों से पीटते-पीटते गङ्गे में

१. अथाऽसौ विहरन्स्वामी भद्रबाहुः शनैः शनैः ।

प्रापन्महादवीं तत्र शुभाव गगन-ध्वनिम् ॥

धृत्वा महाद्भुतं शब्दं निमित्तज्ञानतः सुधीः ।

आयुरल्पिष्ठमात्मीयमज्ञासौद्बोधलोचनः ॥

तदा साधुः समाहूय तत्रैव सकलान्मुनीन् ।

विशाखाचार्य मापन्नं ज्ञात्वा सद्गुणसम्पदा ॥

दशपूर्वधरं धीरं गम्भीर्यविगुणान्वितम् ।

स्वकीयगणरक्षार्थं स्वपदे पर्यकल्पयत् ॥

—तृतीय परिच्छेद, १-४

२. चन्द्रगुप्तिस्तदाबादीद्विनयान्नवदीक्षितः ।

द्वादशाब्दं गुरोः पादौ पर्युपासेऽति भक्तितः ॥

गुरुणा वार्यमाणोऽपि गुरुभक्तः स तस्थिवान् ।

गुरु शिष्टिबशाहूये तस्माच्चेतुस्तपोधनाः ॥

—वही, ८-९

३. समाधिना परित्यज्य देहं गेहं रुजां मुनिः ।

नाकिलोकपदं प्राप्तो देवदेवीनमस्कृतम् ॥

—वही, ३६

फेंक दिया ।^१

कन्नड़ ग्रन्थ राजावली

कन्नड़ भाषा में राजावली नामक ग्रन्थ है, जिसमें आचार्य भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त का कथानक है । राजावली शक संवत् १७५१ की रचना है । इसके रचयित्त देवचन्द्र हैं । अधिकांश वर्णन भद्रबाहु-चरित्र जैसा है । कुछ नये समावेश भी हैं । उदाहरणार्थ— भद्रबाहु चरित्रकार ने उज्जयिनी के राजा चन्द्रगुप्त (चन्द्रगुप्ति) के सोलह स्वप्नों का वर्णन किया है, वहाँ राजावलीकार ने उन (स्वप्नों) का सम्बन्ध पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त से जोड़ा है ।

भिन्न-भिन्न आधारों पर जो उल्लेख किया गया है, उससे यह तथ्य समर्थित नहीं होता कि श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु-दक्षिण गये, वहाँ टिके, दिवंगामी हुए । बृहत्कथाकोषकार आचार्य भद्रबाहु के उज्जयिनी क्षेत्र में दिवंगत होने का उल्लेख करते हैं, जब कि भद्रबाहु-चरित्रकार उनकी दक्षिण-यात्रा के बीच मार्ग में उनके समाधि-मरण की चर्चा करते हैं । ये परस्पर टकराने वाले तथ्य हैं । बृहत्कथाकोषकार ने आचार्य भद्रबाहु द्वारा रामित्तल, स्थूलवृद्ध तथा भद्राचार्य को सिन्धु आदि देशों में भेजे जाने का संकेत किया है और भद्रबाहु-चरित्रकार ने उन्हें उज्जयिनी में ही रखा है । इतना ही नहीं, उन्होंने स्थूलवृद्ध को स्थूलभद्र तथा भद्राचार्य को स्थूलाचार्य तक बना दिया है । भद्रबाहुचरित्रकार द्वारा ये नाम परिवर्तित रूप में कंसे दिये गये, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, जब कि उनसे पूर्ववर्ती लेखक स्थूलवृद्ध और भद्राचार्य ही प्रयुक्त करते आये हैं ।

चन्द्रगुप्त से सम्बद्ध एक विशेष प्रश्न उपस्थित होता है—उसका सम्बन्ध पाटलिपुत्र से था या उज्जयिनी से । दिगम्बर लेखकों का भुकाव चन्द्रगुप्त को उज्जयिनी का मानने की ओर अधिक है । केवल कन्नड़ ग्रन्थ राजावली के लेखक देवचन्द्र ही ऐसे हैं, जिनके अनुसार पौडस स्वप्न-द्रष्टा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध पाटलिपुत्र से था—वह वहाँ का राजा था ।

१. कुपितास्ते तवा प्रोचुर्बर्षीयानेव वेत्ति न ।

वक्तीतथ' बातुलीभूतो वार्धक्ये वा मतिभ्रमात् ॥

वृद्धोऽयं यावदव्रास्ति तावन्तो न सुखस्थितिः ।

इति संचिन्त्य ते पापास्तं हन्तुं मतिमादधुः ॥

वृष्टेश्चण्डेः शिष्यैर्मौढण्डैर्बर्हृतो हठात् ।

जीर्णाचार्यस्ततो क्षितो गर्ते कूटेन तत्र वै ॥

—चतुर्थ परिच्छेद, १६-१८

आचार्य भद्रबाहु तक यद्यपि जैन धर्म भारत में चारों ओर फैल चुका था, पर, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तब तक जैन धर्म का मुख्य केन्द्र मगध और समीपवर्ती प्रदेश थे। इसलिये यह सम्भावित माना जा सकता है कि सामान्यतः आचार्य भद्रबाहु का भी अधिक प्रवास और विहार मगध व उसके पार्श्ववर्ती भू-भागों में होता रहा हो। इस आधार पर उनसे सम्बद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र में स्थित होना कहीं अधिक संगत है। पाश्चात्य तथा भारतीय इतिहासज्ञों के अभिमत भी प्रायः चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र से सम्बद्ध मानने की ओर अधिक हैं।

सभी श्वेताम्बर लेखक आचार्य भद्रबाहु का विशिष्ट योगिक-साधना (महाप्राणध्यान) की दृष्टि से नेपाल जाना स्वीकार करते हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र से नेपाल जाना सर्वथा संगत और सम्भाव्य प्रतीत होता है। नेपाल पर्वतीय प्रदेश है। योग-साधना के अनुकूल है। पाटलिपुत्र से बहुत दूर भी नहीं है।

यह भी कल्पना की जाती है कि अवन्ती-प्रदेश मगध-साम्राज्य का भाग रहा हो। मगध-साम्राज्य के पश्चिमी भाग का केन्द्र-स्थान, प्रादेशिक राजधानी या साम्राज्य की उप-राजधानी उज्जयिनी रही हो। पाटलिपुत्र (मगध)-नरेश चन्द्रगुप्त अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में उज्जयिनी में रहते लगा हो और आचार्य भद्रबाहु से सम्बद्ध घटना-क्रम उस समय के हों।

स्थिति आकलन का स्पष्ट रूप इस सम्बन्ध में इस प्रकार है—अशोक के समय से तो ऐसा हुआ था। पाटलिपुत्र मगध-साम्राज्य की केन्द्रीय राजधानी था तथा उज्जयिनी का स्तर भी मगध-साम्राज्य के पश्चिमी भाग पाटनगर या मगध-साम्राज्य की उपराजधानी जैसा था। अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को पश्चिम का प्रादेशिक शासक बना कर वहीं भेजा था। हिमवत् शिखरों में भी उल्लेख है कि २४६ वीर निर्वाणाब्द में संप्रति (अशोक का पौत्र) उज्जयिनी चला गया था। पर, चन्द्रगुप्त ने ऐसा किया हो, वह स्वयं वहां रहा हो, इस सम्बन्ध में पुष्ट प्रमाण अप्राप्त हैं; अतः यह कल्पना अस्थानीय है।

वस्तुतः चन्द्रगुप्त मौर्य का सम्बन्ध पाटलिपुत्र से ही संगत प्रतीत होता है। फिर भी इसे इत्थंभूत तथ्य न मानते हुए गवेषणा-सापेक्ष माना जाना चाहिए। अन्ततः इस प्रसंग को यही उल्लेख करते हुए समाप्त किया जाता है, आचार्य भद्रबाहु दक्षिण गये होंगे, पर, सम्भवतः वे द्वितीय भद्रबाहु रहे होंगे। प्रथम भद्रबाहु के साथ दक्षिण जाने का प्रसंग घटित नहीं होता।

संघाधिपत्य

आर्य जम्बू के अनन्तर भगवान् महावीर के धर्म-संघ के पाँचवें अधिकारी या

संघनायक आचार्य भद्रबाहु श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत हैं। क्रमशः होने वाले पाँच पट्टधरों में एकमात्र यही पट्टधर हैं, जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर-दोनों पट्टानुक्रमों में एक हैं। इनके संघनायकत्व के काल के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में ऐकमत्य नहीं है। श्वेताम्बर आचार्य भद्रबाहु का आधिपत्य-काल चौदह वर्ष का मानते हैं, जब कि दिगम्बरों के अनुसार यह काल उनतीस वर्ष का है। श्वेताम्बर मान्यतानुसार आर्य जम्बू के मोक्षगामी होने से लेकर आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गगामी होने तक का समय (प्रभव ११ वर्ष + शय्यम्भव २३ वर्ष + यशोभद्र ५० वर्ष + सम्भूतिविजय ८ वर्ष तथा भद्रबाहु १४ वर्ष = १०६ वर्ष) एक सौ छः वर्ष का होता है। महावीर-निर्वाण से जम्बू-निर्वाण तक का समय चौंसठ वर्ष का है ही। इस प्रकार (६४+१०६=१७०) भगवान् महावीर से आचार्य भद्रबाहु तक का समय १७० वर्ष का होता है।

दिगम्बर-परम्परानुसार आर्य जम्बू के पश्चात् आचार्य भद्रबाहु तक — विष्णु या नन्दो १४ वर्ष + नन्दिमित्र १६ वर्ष + अपराजित २२ वर्ष + गोषट्ठन १९ वर्ष + भद्रबाहु २६ वर्ष = कुल समय १०० वर्ष का होता है। ये पाँचों आचार्य श्रुत केवलो माने जाते हैं। इनके बाद भरत क्षेत्र में श्रुतकेवली होना वे स्वीकार नहीं करते^१। महावीर-निर्वाण से जम्बू-निर्वाण तक का समय ६२ वर्ष का है^२। इस प्रकार (६२ + १०० = १६२) महा-वीर-निर्वाण से आचार्य भद्रबाहु तक का समय १६२ वर्ष का होता है।

आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गवास

आचार्य भद्रबाहु के बारे में दिगम्बर लेखकों द्वारा उनके स्वर्गवास के विषय में भी चर्चा की गयी है। श्वेताम्बर-परम्परा में उनके स्वर्गवास के सम्बन्ध में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वे उनसे भिन्न हैं। हिमवत् पर्वतश्रृंखला में इस विषय में जो उल्लेख है, उसका सारांश इस प्रकार

१. णंदो य णदिमित्तो विदिओ अत्रराजिदो तइज्जोय ।

गोषट्ठणो चउत्थो पंचमओ भद्दबाहु ति ॥

पंच इमे पुरिसवरा उदसपुण्वो जगम्मि विवखादा ।

बारस अंगधरा तित्थे तिरि बड्डमाणस्स ॥

पंचाणं मेल्लियाणं कालपमाणं ह्वेदि वाससदं ।

कीवम्मि य पंचमए भरहे सुदकेवलो णत्थि ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४८२-८४

२. बासद्धी वासाणि गोदम पहुवीण णाणवताणं ।

धम्मपयट्ठणकाले परिमाणं पिंडरुवेणं ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४७८

है : अन्तिम चतुर्दश पूर्ववत्, श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु ने स्थूलभद्र को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, जो महामात्य शकटाल के पुत्र थे । इस प्रकार भगवान् महावीर के निर्वाण के एक सौ सत्तर वर्ष पश्चात् उन्होंने चतुर्विध आहार का त्याग करते हुए आमरण अनशन (सन्धारा) किया । पन्द्रह दिन के अनशन में उनका कर्लिंग प्रदेश के कुमार नामक पर्वत पर विशिष्ट ध्यानावस्था में स्वर्गवास हुआ । मेरुतुंग की अंचलगच्छ की पट्टावली में भी इसी तरह का उल्लेख है ।

आचार्य स्थूलभद्र

कहा जाता है, मगध के शासक नव नन्दों में प्रथम नन्द का कल्पक महामात्य था । वह ब्राह्मण था । जैन धर्म में उसकी दृढ़ आस्था थी । नवम नन्द का महामात्य शकटाल कल्पक का वंशज था । आवश्यक चूर्णि तथा परिशिष पर्व आदि में उल्लेख है कि शकटाल दृढ़ आस्थावान् जैन था । इसी कारण ब्राह्मणों का वह द्वेष-भाजन बना । स्थूलभद्र महामात्य शकटाल के पुत्र थे । इनके सात बहिनें थीं । स्थूलभद्र ने तथा उनकी सातों बहिनों ने श्रमण-दीक्षा अंगीकार कर ली ।

कल्पसूत्र स्थविरावली की विस्तृत वाचना या वर्णन के अनुसार स्थूलभद्र ने आर्य सम्भूति-विजय के पास दीक्षा ग्रहण की । वहाँ लिखा है : माढर गोत्रीय आर्य सम्भूतिविजय के अपत्यवत् के बारह अन्तेवासी थे : १. नन्दनभद्र, २. उपनन्दन भद्र, ३. तिष्यभद्र, ४. यशोभद्र, ५. सुमनभद्र, (स्वप्नभद्र), ६. मणिभद्र, ७. पुण्यभद्र (पूर्णभद्र), ८. स्थूलभद्र, ९. श्रृजुमति, १०. जम्बू, ११. दीर्घभद्र तथा १२. पाण्डुभद्र । आठवें स्थान पर स्थूलभद्र का उल्लेख है । स्थूलभद्र की बहिनें भी आर्य सम्भूतिविजय से दीक्षित हुईं । कल्पसूत्र की विस्तृत स्थविरावली में लिखा है : माढर गोत्रीय आर्य सम्भूतिविजय के अपत्यवत् सात अन्तेवासिनियाँ थीं : १. यक्ष, २. यक्षदत्ता, ३. भूता, ४. भूतदत्ता, ५. सेना, ६. वेणा तथा ७. रेणा ।

आर्य जम्बू के पश्चात् तीसरे संघपति—आचार्य आर्य यशोभद्र ने अपने दो उत्तराधिकारी मनोनीत किये । आर्य यशोभद्र के दिवंगमन के बाद ज्येष्ठता के कारण आर्य सम्भूतिविजय पट्टाधिकारी हुए, उनके अनन्तर आचार्य भद्रबाहु । स्थूलभद्र तथा उनकी सात बहिनें आर्य सम्भूतिविजय के आचार्य-काल में उन्हीं से दीक्षित हुई थीं ।

देहावसान

आचार्य धर्मधोषसूत्र कृत दुःषमाकाल श्री श्रमण संघ स्तोत्र के अनुसार आचार्य स्थूलभद्र का संघाधिपत्य-काल पैंतालीस वर्ष का है । तदनुसार वीर-निर्वाणाब्द दो सौ पन्द्रह में उनका स्वर्गवास हुआ ।

पूर्व-विच्छेद-काल

इवेताम्बर-मान्यता के अनुसार आचार्य स्थूलभद्र के देहावसान के साथ अन्तिम चार पूर्वों (जो उन्हें सूत्रात्मक रूप में प्राप्त थे, अर्थात्मक रूप में नहीं) का विच्छेद हो गया । तदनन्तर दश पूर्वों की परम्परा आयं वज्र तक चलती रही । नन्दी स्थविरावली के अनुसार आयं वज्र भगवान् महावीर के १८ वें पट्टधर थे । उनका देहावसान वीर-निर्वाणाब्द ५८४ में माना जाता है । आयं वज्र के स्वर्गवास के साथ दशम पूर्व विच्छिन्न हो गया ।

आचार्य स्थूलभद्र से आचार्य वज्र तक जो दश पूर्व-ज्ञान की परम्परा प्रवृत्त रही, तद्गत ज्ञानियों के नाम और समय इस प्रकार हैं :

नाम	समय
आचार्य स्थूलभद्र	४५ वर्ष
आचार्य महागिरि	३० वर्ष
आचार्य सुहृस्ती	४६ वर्ष
आचार्य गुणसुन्दर	४४ वर्ष
आचार्य कालक	४१ वर्ष
आचार्य स्कन्दिल	३८ वर्ष
आचार्य रेवतीमित्र	३६ वर्ष
आचार्य मंगू	२० वर्ष
आचार्य धर्म	२४ वर्ष
आचार्य भद्रगुप्त	३६ वर्ष
आचार्य श्रीगुप्त	१५ वर्ष
आचार्य वज्र	३६ वर्ष
	कुल ४१४ वर्ष
	पहले के १७० वर्ष
	२४४ वर्ष

आयं वज्र के पट्टाधिकारी आयं रक्षित हुए । विशेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मलघारी हेमचन्द्र ने २५११ वीं गाथा की व्याख्या में जो विवेचन किया है, उससे प्रतीत होता है कि आयं रक्षित को नौ पूर्वों का परिपूर्ण तथा दशम पूर्व के सिर्फ २४ यविकों का ज्ञान था । आयं रक्षित का युगप्रधान-काल ५८४-५६७ वीर-निर्वाणाब्द माना जाता है । उनके एक शिष्य दुर्बलिका पुष्यमित्र थे । कहा जाता है, उन्होंने नौ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया, पर, यथेष्ट अभ्यास न कर पा सकने के कारण उन्हें नौवां पूर्व विस्तृत होने लगा ।

उनके देहावसान के साथ नवम पूर्व का ज्ञान विच्छिन्न हो गया। उनका देहावसान वीर-निर्वाणबुद्ध ६०४ में माना जाता है। नन्दी स्थविरावली में दुर्बलिका पुण्यमित्र का उल्लेख नहीं है। नन्दी स्थविरावली वस्तुतः युगप्रधान-क्रम पर आधारित है। उसमें सम्भवतः उन्हीं का उल्लेख है, जो आचार्य—पट्टाधिकारी भी थे और युगप्रधान भी। भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर लगभग एक सहस्र वर्ष पर्यन्त पूर्व-ज्ञान का अंशतः अस्तित्व रहा। तत्पश्चात् वह विच्छिन्न हो गया ^१।

दिगम्बर-परम्परा

पूर्व-ज्ञान के विच्छेद के सम्बन्ध में दिगम्बर-परम्परा में स्वीकृत काल-क्रम भिन्न है। दिगम्बर एक समय-विशेष के अनन्तर एकादश अंगों का भी विच्छेद मानते हैं। इस विषय में तिलोयपण्णती में उल्लेख है। (चतुर्दश पूर्वधर परम्परा का आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गवास के साथ विच्छेद हो जाने के अनन्तर) विशाल, प्रोपिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृति-प्रेम, विजय, बुद्धि, गंगदेव और सुधर्म; ये ग्यारह आचार्य दश पूर्वधरों के रूप में विख्यात हुए। परम्परा से इनका काल एक सौ तिरासी वर्ष का है। ^२ कालक्रम से उनके दिवंगत हो जाने पर फिर भरत क्षेत्र में दश पूर्वधर-परम्परा विच्छिन्न हो गयी।

ग्यारह अंगों के धारक भ्रमणों की अवस्थिति के सम्बन्ध में तिलोयपण्णती में उल्लेख है : “नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस; ये पाँच आचार्य भगवान् महावीर के तीर्थ में (पूर्वोक्त परम्परा के अनन्तर) ग्यारह अंगों के धारक हुए। इनके समय का परिमाण पिण्डरूप से कुल दो सौ बीस वर्ष का है। इनके स्वर्गगामी होने पर फिर भरत क्षेत्र में कोई

१. वो (वो) लोणम्मि सहस्से, बरिसाणं वीरमोक्खगमणाउ ।

उत्तरवायगवसमे पुब्बगयस्य भवे छेदो ॥

बरिससहस्से पुण्णे, तित्थोग्गाली ए बद्धमाणस्स ।

नासिहि ई पुव्वगतं, अणुपरिवाडो ए जं जस्स ॥

—तित्थुगाली पयन्ना, ८०१-२

२. पढमो विसाइ णामो पुट्ठिलो खत्तिओ जओ णामो ।

सिद्धत्थो धिरित्थेणो विजओ बुद्धिलगंगदेवा य ॥

एवकरसो य सुधम्मो वसपुव्वधरा इमे सुव्विक्खादा ।

पारंपरिओवगदो तेसीवि सबं च ताण वासाणं ॥

—तिलोयपण्णती, १४८५-८६

ग्यारह अंगों के धारक नहीं रहे ।^{११}

आचारांगधरों के विच्छेद के सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ती में लिखा है : “सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु तथा लौहाय; ये चार श्रमण आचारांग के धारक हुए। इन चारों के अतीत हो जाने पर चौदह पूर्व और ग्यारह अंगों के एक देश के—आंशिक धारक रहे। आचारांगधरों का काल-परिमाण एक सौ अठारह वर्ष है। इन (आचारांगधरों) के स्वर्गगत हो जाने पर फिर भ्रष्ट क्षेत्र में कोई आचारांग के धारक नहीं हुए। गौतम से लेकर सब तक का काल परिमाण (केवली काल १६२ वर्ष + चतुर्दश पूर्वधर काल १८३ वर्ष + दशपूर्वधर काल २२० वर्ष + आचारांगधर काल ११८ वर्ष = ६८३) छः सौ तिरासी वर्ष का है ।”^{१२}

तुलनात्मक पर्यवेक्षण

केवल-ज्ञान की अवस्थिति के सम्बन्ध में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर; दोनों का ऐकमत्य है। दोनों आर्य जन्म तक उसे स्वीकार करते हैं। चतुर्दश पूर्वों के ज्ञान के विषय में भी दोनों के विचार एक समान हैं। दोनों के अनुसार अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु हैं। केवल काल-गणना में आठ वर्ष का अन्तर आता है। महावीर-निर्वाण से आचार्य भद्रबाहु के देहावसान तक का समय श्वेताम्बरों के अनुसार एक सौ सत्तर वर्ष है और दिगम्बरों के अनुसार एक सौ बासठ वर्ष। इसके अनन्तर दोनों धाराओं में भिन्नता दिखाई देती है। श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार आर्य वज्र (स्वर्गवास धीर-निर्वाणाब्द ५८४) तक दश पूर्व रहे, जब कि दिगम्बर-परम्परा के अनुसार धीर-निर्वाण से ३४५ वर्ष तक उनका अस्तित्व रहा। दोनों परम्पराओं में २३६ वर्ष का अन्तर आता है। दिगम्बर श्वेताम्बरों

१. णक्खत्तो जयपालो पंडुयधुवसेणकंस आइरिया ।

एक्कारसंगधारी पंच इमे वोरतित्थम्मि ॥

दोण्णि सया वीस जुदा वासाणं ताण पिडपरिमाणं ।

तेसु अदीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसंगधरा ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४८८-८९

२. पढमो सुभट्ठणामो जसमदो तह्य होदि जसबाहु ।

तुरियो य लोहणामो एदे आयार अंगधरा ॥

सेसेक्करसंगाणं चोहसपुव्वाण मेक्कदेसधरा ।

एक्कसयं अट्टारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥

तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होति भरहम्मि ।

गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥

—वही, १४९०-९२

से २३६ वर्ष पूर्व दश पूर्वों का विच्छेद मानते हैं। श्वेताम्बर उसके बाद भी (वीर-निर्वाणान्द ५८४ तक) उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आद्य वज्र के पश्चात् २० वर्ष तक वे नौ पूर्वों की विद्यमानता मानते हैं। उससे आगे तीन सौ छियानवे वर्ष तक वे पूर्व-ज्ञान का उत्तरोत्तर हीयमान अस्तित्व स्वीकार करते हैं अर्थात् तब तक वीर-निर्वाणान्द १००० वर्ष तक जिस किसी अंश में वे पूर्व-ज्ञान की विद्यमानता में विश्वास करते हैं।

ग्यारह अंग : विद्यमानता : विच्छिन्नता

श्वेताम्बर परम्परा में ग्यारह अंगों की स्थिति अब तक स्वीकार की जाती है, जब कि दिगम्बर वीर-निर्वाणान्द ५६५ तक उनका अस्तित्व मानते हैं। उसके पश्चात् वीर-निर्वाणान्द ६८३ तक वे आचारांगधरों की स्थिति मानते हैं। तत्पश्चात् न पूर्वज्ञान, न ग्यारह अंग और न आचारांग के परिपूर्ण वेत्ता यहां रहे। पूर्वज्ञान तथा ग्यारह अंगों का आंशिक अस्तित्व ही रहा। श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु के पश्चाद्बर्ती श्रुत-प्रवर्तन के सम्बन्ध में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों परम्पराओं में बहुत अधिक मत-भेद है। दोनों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि दिगम्बर-मान्यता में वर्तमान में अंगों का अस्तित्व अस्वीकृत है और श्वेताम्बर मान्यता में स्वीकृत।

क्या अनुसन्धित्सु विद्वान् इस खाई को पाटने का कोई युक्तिपूर्ण और न्यायसंगत मार्ग निकाल सकते हैं? ज्ञान और गवेषणा की प्रवृत्ति और आगे बढ़ेगी तथा यह आशा की जानी चाहिए कि इस परिपार्श्व में भी कुछ नये दिशा-बोध प्रस्तुत होंगे।

आगमों में अनुयोग

अनुयोग का अर्थ

अनुयोग शब्द अनु और योग के संयोग के बना है। अनु उपसर्ग यहां आनुकूल्यार्थवाचक है। सूत्र (जो संक्षिप्त होता है) का, अर्थ (जो विस्तीर्ण होता है) के साथ अनुकूल, अनुरूप या सुसंगत संयोग अनुयोग कहा जाता है। आगमों के विश्लेषण तथा व्याख्यान के प्रसंग में प्रयुक्त विषय-विशेष का द्योतक है।

१. अणु सूत्रं महानर्थस्ततो महतोऽर्थस्याणुना सूत्रेण योगोऽणुयोगः । अनुयोजन मनुयोगः ।
अनुरूपो योगोऽनुयोगः । अनुकूलो वा योगोऽनुयोगः । व्याख्याने विधिप्रतिषेधान्यामर्थं
प्ररूपणे ।

—अभिधान राजेन्द्र, प्रथम भाग, पृ०. ३४०

अनुयोग के प्रकार

अनुयोग चार भेदों में विभक्त किये गये हैं^१ : १. चरणकरणानुयोग^२, २. धर्मकथानुयोग, ३. गणितानुयोग तथा ४. द्रव्यानुयोग^३। आगमों में इन चार अनुयोगों का विवेचन है। किन्हीं में कोई विस्तार से वर्णित हुए हैं और किन्हीं में संक्षेप से।

अनुयोग : अपृथक्ता

आर्य वज्र तक आगम इस स्थिति में रहे कि वहाँ अनुयोगात्मक दृष्टि से पृथक्ता नहीं थी। प्रत्येक सूत्र चारों अनुयोगों द्वारा व्याख्यात होता था। आवश्यक निर्युक्ति में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : “कालिक श्रुत (अनुयोगात्मक) व्याख्या की दृष्टि से अपृथक् थे अर्थात् उनमें चरणकरणानुयोग प्रभृति अनुयोग चतुष्टय के रूप में अविभक्तता थी। आर्य वज्र के अनन्तर कालिक श्रुत और दृष्टिवाद की अनुयोगात्मक पृथक्ता (विभक्तता) की गयी।”^४

आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि तब तक साधु तीक्ष्णप्रज्ञ थे; अतः (अनुयोगात्मक दृष्ट्या) अविभक्तरूपेण व्याख्या का प्रचलन था—प्रत्येक सूत्र में चरणकरणानुयोग आदि का अविभागपूर्वक वर्तन था।

निर्युक्ति में जो केवल कालिक श्रुत का उल्लेख किया गया है, आचार्य मलयगिरि ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यता की दृष्टि से यहाँ कालिक श्रुत का ग्रहण है अन्यथा अनुयोगों का तो कालिक, उत्कालिक आदि में—सर्वत्र अविभाग^५ था ही।

१. चत्तारिउ अणुओगे, चरणे धम्मगणिआणुओगे य ।

वधिआणुओगे य तथा, जहकम्मं ते महइदीया ॥

—अभिधान राजेन्द्र, प्रथम भाग, पृ० ३५६

२. चरण का अर्थ चर्या, आचार या चारित्र्य है। इस सम्बन्ध में जहाँ विवेचन-विश्लेषण हो, वह चरणकरणानुयोग है।

३. द्रव्यों के सन्दर्भ में सदसत्पर्यायालोचनात्मक विश्लेषण या विशद विवेचन जिसमें हो, वह द्रव्यानुयोग है।

४. जावन्त अज्ज वइरा अपुहुत्तं कालिआणुओगस्स ।

तेणारेण पुहुत्तां कालिअ सुअ विट्ठिवायं य ॥

—आवश्यक-निर्युक्ति, ७६३

५. यावदायवज्जा—आर्यवज्रस्वामिनो मुखो महामतयस्तवित्कालिकानुयोगस्य—कालिकश्रुत-व्याख्यानस्यापृथक्त्वं—प्रतिसूत्रं चरणकरणानुयोगादीनामविभागेन वर्तनमासीत्, तदा साधूनां तीक्ष्ण प्रज्ञत्वात्। कालिकग्रहणं प्राधान्यख्यापनार्थम्, अन्यथा सर्वानुयोगस्यापृथक्त्वमासीत्।

—आवश्यक-निर्युक्ति, पृ० ३८३, प्रकाशक, आगमोदय समिति, बम्बई

विशेषावश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में विश्लेषण करते हुए कहा गया है : आर्य वज्र तक जब अनुयोग अपृथक् थे, तब एक ही सूत्र की चारों अनुयोगों के रूप में व्याख्या होती थी ।

अनुयोग विभक्त कर दिये जाएं, उनकी पृथक्करण कर छंटनी कर दी जाए, तो वहाँ (उस सूत्र में) वे चारों अनुयोग व्यवच्छिन्न नहीं हो जाएंगे ? भाष्यकार समाधान देते हैं कि जहाँ किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों अनुयोगों में होती थी, वहाँ चारों में से अमुक अनुयोग के आधार पर व्याख्या किये जाने का यहाँ आशय है ।

आर्य रक्षित द्वारा विभाजन

अनुयोग विभाजन का कार्य आर्य रक्षित द्वारा सम्पादित हुआ । आर्य रक्षित आर्य वज्र के पट्टाधिकारी थे । वे महान् प्रभावशाली थे, देवन्द्रों द्वारा अभिपूजित थे । उन्होंने युग की विषमता को देखते हुए कहीं कौन-सा अनुयोग व्याख्येय है, इसकी मुख्यता की दृष्टि से चार प्रकार से विभाजन किया—सूत्र-ग्रन्थों को चार अनुयोगों में बाँटा ।^१

आर्य रक्षित ने शिष्य पुष्यमित्र—दुर्बलिका पुष्यमित्र को, जो मति^२, मेधा^३ और धारणा^४ आदि समग्र गुणों से युक्त थे, कष्ट से श्रुतार्णव को धारण करते देखकर अतिशय ज्ञानोपयोग द्वारा यह जाना कि लोग क्षेत्र और काल के प्रभाव से भविष्य में मति, मेधा और धारणा से परिहीन होंगे । उन पर अनुग्रह^५ करते हुए उन्होंने कालिक आदि श्रुत के विभाग द्वारा अनुयोग^६ किये ।

१. अपुद्ग्लो अणुओगे चत्तारि दुवार भासए एगो ।

पुहुताणुओगकरणे ते अत्य तओ वि बोच्छिन्ता ॥

किं वट्टरेहिं पुहुतां कयमह तदणंतरेहिं मणियम्मि ।

तवणंतरेहिं तदभिहियगहियमुत्तत्थसारेहिं ॥

देविंदवदिहं महाणुभावेहिं रविखयज्जेहिं ।

जुगमासज्ज विभत्तो अणुओगो तो कओ चउहा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, २२८६-८८

२. मति = अवबोध-शक्ति

३. मेधा = पाठ-शक्ति

४. धारणा = अवधारण-शक्ति

५. ऐदंयुगोन पुख्खानुग्रहबुद्ध्या चरणकरण द्रव्यधर्मकथागणितानुयोग भेदाच्चतुर्धा ।

—सूत्रकृतांग टीका, उपोद्घात

६. नाऊन रक्खियज्जो मइमेहाधारणासमग्ग पि ।

किच्छेण धरेमाणं सुयण्णवं पूसमित्तं ति ॥

अइसयकओवओगो मइमेहाधारणाइपरिहीणे ।

नाऊ गमेस्स पुरिसे खेत्तं कालाणुभावं च ॥

साणुग्गहोणुओगे वीसुं कासी य सुयविमाणेणं ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, २२८९-९१

विशेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मल्लघारी हेमचन्द्र ने २५११ वीं गाथा की व्याख्या में प्रसंगोपात्ततया यह सूचित किया है कि दुर्बलिका पुष्यमित्र के अतिरिक्त आर्य रक्षित के तीन मुख्य शिष्य और थे—विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल । आचार्य रक्षित ने दुर्बलिका पुष्यमित्र को आदेश दिया, वे विन्ध्य को पूर्वी की वाचना दें । दुर्बलिका पुष्यमित्र वाचना देने लगे । पर, पुनरावृत्ति न कर पाने के कारण नवम पूर्व की विस्मृति होने लगी । आचार्य रक्षित को उस समय लगा, ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति को भी यदि सूत्रार्थ विस्मृत होने लगे हैं, तब भविष्य में और कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । उन्होंने इस विवशता से प्रेरित हो कर पृथक्-पृथक् अनुयोगों की व्यवस्था की ।

आगम : अनुयोग : सम्बन्ध

अनुयोगों के आधार पर सूत्रों का विभाजन निम्नांकित प्रकार से हुआ ^१ :

१. प्रथम—चरणकरणानुयोग में ग्यारह कालिक श्रुत—ग्यारह अंग, महाकल्प श्रुत तथा छेद सूत्र ।
२. द्वितीय—धर्मकथानुयोग में ऋषिभाषित ।
३. तृतीय—गणितानुयोग में सूर्यप्रज्ञप्ति आदि ।
४. चतुर्थ—द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद ।

दिगम्बर-आम्नाय में अनुयोग

दिगम्बर-परम्परा में भी चार अनुयोग माने गये हैं । श्वेताम्बरों से उनके नाम कुछ भिन्न हैं । वे इस प्रकार हैं :

१. प्रथमानुयोग—बोधि तथा समाधि के निधान—तदुपजीवी प्रचुर सामग्री से युक्त पुराण, चरित तथा कथाएँ—आख्यान-प्रधान ग्रन्थ ।
२. करणानुयोग—लोक-अलोक-विभक्ति, गति-चतुष्क, ज्योतिष, गणित आदि से सम्बद्ध ग्रन्थ ।
३. चरणानुयोग—चारिष्य की उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्षण से सम्बद्ध नियमों व उप-

-
१. कालियसुयं च इतिमासियाडं तड्मा य सूरपन्नती ।
सञ्जो य विद्धिवाओ चउत्थओ होइ अणुओगो ॥
जं च महाकप्पसुयं जाणि अ सेसाणि छेयसुत्ताणि ।
चरणकरणानुओगो ति कालियस्ये उक्कयाणि ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, २२६४-६५

नियमों के प्रतिपादक ग्रन्थ; जो मुनिबों और गृहस्थों के लिए यथोचितरूपेण वांछनीय हैं ।

४. द्रव्यानुयोग—जीव, अजीव, पुण्य पाप, बन्ध तथा मोक्ष आदि तत्त्वों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक किंवा सैद्धान्तिक ग्रन्थ ।^१

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार आगम लुप्त हैं; इसलिए उन्होंने अपने उत्तरवर्ती ग्रन्थों को जिन्हें प्रामाणिक तथा श्रद्धास्पद मानते हैं, उनके विषयानुरूप इन चार अनुयोगों में निघापित किया है ।

प्रथमानुयोग—महापुराण, पुराण आदि ग्रन्थ ।

करणानुयोग—तिलोमपण्णती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति), त्रिलोकसार आदि ।

चरणानुयोग—मूलाचार आदि ।

द्रव्यानुयोग—प्रवचनसार, गोष्मटसार आदि ।

संक्षेप में ही सही, प्रायः सभी सूत्रों में यत्किञ्चित् सभी अनुयोगों से सम्बद्ध विचार-सामग्री है । कहीं किन्हीं विषयों या विचारों की प्रधानता है, किन्हीं की गौणता । व्याख्या-क्रम सम्भवतः ऐसा रहा हो, सूत्रवाङ्मय में जो विषय अत्यन्त गौण या सांकेतिक रूप में सूचित हैं, उनके विशद विश्लेषण तथा विस्तृत विवेचन की एक विशेष परम्परा या पद्धति थी । दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूत्रों में मूल रूप में संक्षिप्ततया संकेतित उन-उन विषयों से सम्बद्ध, मौखिक ही सही, कोई व्याख्या-साहित्य रहा हो, जिसे उन मूल विषयों का पूरक व विश्लेषक साहित्य कहा जा सकता है तथा जिसे अध्येतृगण परम्परा से अधिगत करते रहते थे । उसके आधार पर एक ही सूत्र में चारों अनुयोग व्याख्यात होते रहे । पर, कार्य जटिल था । जहाँ मूल में बहुत कम शब्दावली हो, उसके

१. प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमविपुष्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥

लोकालोकविभक्त्युपगारवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥

गृहमेध्यनगराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् ।

चरणानुयोगसमर्थं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥

जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगवीथः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥

—रत्नकरावकाचार, प्रथम अधिकार, ४३-४६

यथेष्ट, विस्तृत विश्लेषण की यथावत् व्यवस्था बुद्धि में बनाये रखने में अवश्य जटिलता होती है। अतएव आर्य रक्षित को ऐसा लगा हो कि इससे अध्ययन तथा व्याख्या स्वस्थ नहीं रह सकेगी; क्योंकि यह शैली प्रखर प्रतिभा, सतत जागरूकता तथा अनवरत अभ्यास-परायणता-गम्य है। इसलिये उन्होंने अनुयोग-विभाजन किया, जिसके अनुसार भिन्न-भिन्न सूत्रों का तद्गत विषय की प्रधानता की दृष्टि से किसी एक अनुयोग में परिसोमन हो जाता है। जैसे, चरण-करणानुयोग में जिन सूत्र-ग्रन्थों का समावेश है, उनमें मुख्यतः चरण—आचार या चारित्र्य का विश्लेषण है। इसी प्रकार धर्मकथानुयोग में उन ग्रन्थों का ग्रहण है, जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ मुख्यतः धर्म-निरूपण में कथाओं का माध्यम परिगृहीत है। गणितानुयोग गणित से सम्बद्ध है और द्रव्यानुयोग पदार्थ-विज्ञान से।

यह नूतन विभाग-क्रम बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ। मेधा और प्रज्ञा की उत्तरोत्तर हीयमानता के होते हुए भी इससे अव्येताओं की श्रुतानुशीलन में सम्यक् गति बनी रही। उनका शास्त्राभ्यास का मार्ग इससे सुगम बना। जिस अनुयोगगत विषय का उन्हें अध्ययन करना हो, उसके लिये उन्हें एक सुनिश्चित सरणि तथा परिशीलनीय बाङ्गमय का स्पष्ट दर्शन प्राप्त हुआ।

द्वितीय आगम-वाचना

माधुरी वाचना

आगमों की प्रथम वाचना पाटलिपुत्र में आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में सम्पन्न हुई थी। आवश्यक चूर्ण के अनुसार महावीर-निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात् हुई। उसमें स्यारह अंग सकलित हुए। गुरु शिष्य-क्रम से वे शताब्दियों तक चालू रहे, पर, फिर वीर-निर्वाण के लगभग पौने सात शताब्दियों के पश्चात् ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हुई कि आगमों के पुनः संकलन का उद्योग करना पड़ा।

बारह वर्षों का भीषण दुर्भिक्ष

कहा जाता है, तब बारह वर्षों का भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। लोक-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लोगों को खाने के लाले पड़ गये। श्रमणों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खान-पान, रहन-सहन आदि की अनुकूलता मिट गयी। आमण्य में स्थिर रह पाना अत्यधिक कठिन हो गया। अनेक श्रमण काल-कबलित हो गये।

नन्दी चूर्ण में इस सम्बन्ध में उल्लेख है—ग्रहण, गुणन, अनुप्रेक्षा आदि के अभाव से श्रुत नष्ट हो गया। कुछ का कहना है, श्रुत नष्ट नहीं हुआ, अधिकांश श्रुत-वेत्ता नष्ट हो गये। हार्द लगभग समान ही है। किसी भी प्रकार से हो, श्रुत-शृङ्खला व्याप्त हो गयी।

दुर्भिक्ष का समय बीता । समाज की स्थिति सुचरी । जो भ्रमण बच पाये थे, उन्हें चिन्ता हुई कि श्रुत का संरक्षण कैसे किया जाय ? उस समय आचार्य स्कन्दिल युग-प्रधान थे । उनका युगप्रधानत्व-काल इतिहास-वेत्ताओं के अनुसार वीर-निर्वाण ८२७-८४० माना गया है । नन्दी स्थविरावली में आचार्य स्कन्दिल का उल्लेख भगवान् महावीर के अनन्तर चौबीसवें स्थान पर है । नन्दी-काश ने उनकी प्रशस्ति में कहा है कि आज जो अनुयोग—शास्त्रीय अर्थ-परम्परा भारत में प्रवृत्त है, वह उन्हीं की देन है । वे परम यशस्वी थे । नगर-नगर में उनकी कीर्ति परिब्याप्त थी ।

नन्दी-सूत्र देवद्विगणी क्षमाश्रमण द्वारा विरचित माना जाता है । वे अन्तिम आगम-वाचना (तृतीय वाचना) के अध्यक्ष थे । देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने आचार्य स्कन्दिल के अनुयोग के भारत में प्रवृत्त रहने का जो उल्लेख किया है, उसका कारण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में समायोजित वाचना में यद्यपि पिछली दोनों (माथुरी और बालभी) वाचनाओं को दृष्टिगत रखा था, फिर भी आचार्य स्कन्दिल की (माथुरी) वाचना को मुख्य आधार-रूप में स्वीकार किया था; अतः उनके प्रति आदर व्यक्त करने की दृष्टि से उनका यह कहना स्वाभाविक है ।

माथुरा तब उत्तर भारत में जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था । वहाँ आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम-वाचना का आयोजन हुआ । आगम वेत्ता मुनि दूर-दूर से आये । जिन्हें जैसा-जैसा स्मरण था, सब समन्वित करते हुए कालिक श्रुत संकलित किया गया । उस समय आचार्य स्कन्दिल ही एकमात्र अनुयोगधर थे । उन्होंने उपस्थित श्रमणों को अनुयोग की वाचना दी । यह वाचना माथुरा में दी गयी थी; अतः 'माथुरी वाचना' कहलाई । इसका समय वही अर्थात् वीर निर्वाणारब्ध ८२७ और ८४० के मध्य होना चाहिए, जो आचार्य स्कन्दिल का युग-प्रधान-काल है ।

बालभी वाचना

लगभग माथुरी वाचना के समय में ही बलभी—सौराष्ट्र में नागार्जुन सूरि के नेतृत्व में एक मुनि-सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य विस्मृत श्रुत को व्यवस्थित करना था । उपस्थित मुनियों की स्मृति के आधार पर श्रुतोद्धार किया गया । आगम तथा उनके अतिरिक्त और भी जो-जो प्रकरण-ग्रन्थ नागार्जुन सूरि और समागत मुनियों को स्मरण थे, सम्पादित—व्यवस्थित किये गये । जो अत्यन्त विस्मृत पाठ वाले स्थल थे, उनका भलीभाँति पर्यवेक्षण कर अर्थ-संगति के अनुसार उन्हें ठीक किया गया । इस प्रकार जितना उपलब्ध हो सका, वह सारा वाङ्मय सुव्यवस्थित किया गया । नागार्जुन सूरि ने समागत साधुओं को वाचना दी ।

आचार्य नागार्जुन सूत्रि ने इस वाचना को अध्यक्षता या नेतृत्व किया। उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, अतः यह नागार्जुनीय वाचना कहलाती है। बलभी की पहली वाचना के रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है।

एक ही समय में दो वाचनाएं ?

कहा जाता है, उक्त दोनों वाचनाओं का समय लगभग एक ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ही समय में दो भिन्न स्थानों पर वाचनाएं क्यों आयोजित की गयीं ? बलभी में आयोजित वाचना में जो मुनि एकत्र हुए थे, वे मथुरा भी जा सकते थे।

इसका एक कारण यह हो सकता है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत के श्रमण-संघ में स्यात् किन्हीं कारणों से मतभेद नहीं हो। इसलिए बलभी में सम्मिलित होने वाले मुनि मथुरा में सम्मिलित नहीं हुए हों। उनका उस (मथुरा में आयोजित) वाचना को समर्थन न रहा हो।

इसी कोटि की एक परिकल्पना इस प्रकार भी की जा सकती है कि मथुरा में होने वाली वाचना की गतिविधि, कार्यक्रम, पद्धति तथा नेतृत्व आदि से पश्चिम का श्रमण-संघ सहमत न रहा हो।

तीसरा कारण यह भी सम्भाव्य है कि माथुरी वाचना के समाप्त हो जाने के पश्चात् यह वाचना आयोजित की गयी हो। माथुरी वाचना में हुआ कार्य इसर के मुनियों को पूर्ण सन्तोषजनक न लगा हो; अतः आगम एवं तदुपजीवि वाङ्मय का उससे भी उत्कृष्ट संकलन तथा सम्पादन करने का विशेष उत्साह उनमें रहा हो और उन्होंने इस वाचना की आयोजना की हो। फलतः इसमें कालिक श्रुत के अतिरिक्त अनेक प्रकरण-ग्रन्थ भी संकलित किये गये, विस्तृत पाठ वाले स्थलों को अर्थ-संगति पूर्वक व्यवस्थित किया गया।

इस प्रकार की और भी कल्पनाएं की जा सकती हैं। पर, इतना तो मानना ही होगा कि कोई-न-कोई कारण ऐसा रहा है, जिससे समसामयिकता या समय के थोड़े से व्यवधान से ये वाचनाएं आयोजित की गयीं। कहा जाता है, इन वाचनाओं में वाङ्मय लेख-वद्ध भी किया गया।

दोनों वाचनाओं में संकलित साहित्य में अनेक स्थलों पर पाठान्तर या वाचना-भेद भी दृष्टिगत होते हैं। ग्रन्थ-संकलन में भी कुछ भेद रहा है। ज्योतिष्करण्डक की टीका^१ में उल्लेख है कि अनुयोगद्वारा आदि सूत्रों का संकलन माथुरी वाचना के आधार पर किया गया। ज्योतिष्करण्डक आदि ग्रन्थ बालभी वाचना से ग्रहीत हैं। उपर्युक्त दोनों वाचनाओं

की सम्पन्नता के अनन्तर आचार्य स्कन्दिल और नागार्जुन सूरि का परस्पर मिलना नहीं हो सका । इसलिये दोनों वाचनाओं में संकलित सूत्रों में यत्र-तत्र जो पाठ-भेद चल रहा था, उसका समाधान नहीं हो पाया और वह एक प्रकार से स्थायी बन गया ।

तृतीय वाचना

उपर्युक्त दोनों वाचनाओं के लगभग डेढ़ शताब्दी पश्चात् अर्थात् वीर निर्वाणानन्तर १८० वें या १९३ वें वर्ष में बलभी में फिर उस युग के महान् आचार्य और विद्वान् देवर्द्धि-गणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में तीसरी वाचना^१ आयोजित हुई । इसे बलभी की दूसरी वाचना भी कहा जाता है ।

श्रुत-स्रोत की सतत प्रवहणशीलता के अवरुद्ध होने की कुछ स्थितियाँ पैदा हुईं, जिससे जैन संघ चिन्तित हुआ । स्थितियों का स्पष्ट रूप क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता । पर, जो भी हो, इससे यह प्रतीत होता है कि श्रुत के संरक्षण के हेतु जैन संघ विशेष चिन्तित तथा प्रयत्नशील था । पिछली डेढ़ शताब्दी के अन्तर्गत प्रतिकूल समय तथा परिस्थितियों के कारण श्रुत-बाङ्मय का बहुत ह्रास हो चुका होगा, अनेक पाठान्तर तथा वाचना-भेद आदि का प्रचलन था ही; अतः श्रुत के पुनः संकलन और सम्पादन की आवश्यकता अनुभूत किया जाना स्वाभाविक था । उसी का परिणाम यह वाचना थी । पाठान्तरों, वाचना-भेदों का समन्वय, पाठ की एकरूपता का निर्धारण, अब तक असंकलित सामग्री का संकलन आदि इस वाचना के मुख्य लक्ष्य थे । सूत्र-पाठ के स्थिरीकरण या स्थायित्व के लिये यह सब अपेक्षित था । वस्तुतः यह बहुत महत्वपूर्ण वाचना थी ।

भारत के अनेक प्रदेशों से आगमज्ञ, स्मरण-शक्ति के धनी मुनिवृन्द आये । पिछली माथुरी और बालभी वाचना के पाठान्तरों, वाचना-भेदों को सामने रखते हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण से विचार किया गया । समागत मुनियों में जिन-जिन को जैसा-जैसा पाठ स्मरण था, उससे तुलना की गयी । इस प्रकार बहुलांशतया एक समन्वित पाठ का निर्धारण किया जा सका । प्रयत्न करने पर भी जिन पाठान्तरों का समन्वय नहीं हो सका, उन्हें टीकाओं,

१. पिछली दोनों वाचनाओं के साथ जिस प्रकार दुर्मिक्ष की घटना जुड़ी है, इस वाचना के साथ भी वैसा ही है । समाचारी शतक में इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि बारह वर्ष भयावह दुर्मिक्ष के कारण बहुत से साधु दिवंगत हो गये, बहुत-सा श्रुत विच्छिन्न हो गया, तब मध्य लोगों के उपकार तथा श्रुत की अभिव्यक्ति के हेतु श्रीसंघ के अनुरोध से देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण ने (१८० वीर निर्वाणान्तर) पुष्काल में जो बच सके, उन सब साधुओं को बलभी में बुलाया । विच्छिन्न, अवशिष्ट, न्यून, अधिक, क्षणिक, अल्पिक आगमालापक उनसे सुन बुद्धिपूर्वक अनुक्रम से उन्हें संकलित कर पुस्तकाकृत किया ।

चूणियों आदि में संगृहीत किया गया। मूल में और टीकाओं में इस ओर संकेत^१ किया गया है। जो कतिपय प्रकीर्णक केवल एक ही वाचना में प्राप्त थे, उन्हें ज्यों-का-त्यों रख लिया गया और प्रामाणिक स्वीकार कर लिया गया।

पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं में संकलित बाङ्गमय के अतिरिक्त जो प्रकरण-ग्रंथ विद्यमान थे, उन्हें भी संकलित किया गया। यह सारा बाङ्गमय लिपिबद्ध किया गया। इस वाचना में यद्यपि संकलन, सम्पादन आदि सारा कार्य तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक शैली से हुआ, पर यह सब मुख्य आधार माथुरी वाचना को मानकर किया गया। आज जो अंगोपांगोंदि श्रुत-बाङ्गमय उपलब्ध है, वह देवद्विगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न इस वाचना का संस्करणरूप है।

बौद्ध संगीतियां : जैन वाचनाएँ

कैसा संयोग बना, बौद्ध पिटकों की संकलना के हेतु जहाँ मुख्यतः तीन संगीतियां आयोजित होती हैं, जैन आगमों का संकलन-कार्य अन्ततः तीन वाचनाओं में परिपूर्ण होता है। संगीतियों और वाचनाओं के काल-क्रम में बहुत अन्तर है। तीनों बौद्ध-संगीतियां^२ बुद्ध परिनिर्वाण के अनन्तर केवल २३६ वर्षों में समाप्त हो जाती हैं, जब कि जैन वाचनाओं की अन्तिम सम्पन्नता महावीर के निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष बाद में होती है।

बौद्ध-पिटक सिंहल में वहाँ के राजा वट्टगामणि अभय के शासन-काल में ई० पू० २६-१७ में ताड़पत्रों पर लिपि-बद्ध होते हैं। उस सम्बन्ध में संगीति भी आयोजित हुई, पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पिटक जिस रूप में राजकुमार महेन्द्र के साथ सिंहल पहुँचे थे, उसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। कथनभात्र के लिये राजकुमार महेन्द्र के लंका-गमन और राजा वट्टगामणि अभय के समय में पिटक-लेखन के बीच दो संगीतियां और भी हुई थीं। बौद्ध-पिटक जैन आगमों से लगभग साढ़े सात सौ वर्ष पूर्व अन्तिम रूप से संकलित तथा लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व लिपि-बद्ध कर लिये गये थे। काल-क्रम के इस अन्तर को देखते हुए स्वभावतः यह कल्पना की जा सकती है कि भाषात्मक दृष्टि से जितनी प्राचीनता और प्रामाणिकता पालि-त्रिपिटक में है, वैसी जैन आगमों में कैसे हो सकती है? बौद्ध-संगीतियों का क्रम बुद्ध-परिनिर्वाण के अनन्तर बहुत शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाता है। यहां तक कि पहली संगीति का आयोजन तो बुद्ध के परिनिर्वाण के केवल चार मास पश्चात् ही हो गया था। इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि तब तक, बुद्ध ने जिस भाषा में, जिन शब्दों में उपदेश किया, उसकी यथावत्ता या मौलिकता अधिक रहनी चाहिए।

१. 'वाचनान्तरे तु पुनः', 'नागार्जुनीयास्तु एवं पठन्ति' इत्यादि द्वारा संकेतित।

२. विस्तार के लिए देखें, इसी पुस्तक का 'त्रिपिटक बाङ्गमय' अध्याय।

दीनों की स्थितियों का अन्तर

बुद्ध और महावीर के धर्म की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं। इतिहासज्ञों के अनुसार बुद्ध के जीवन-काल में ही उनका धर्म मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का अवलम्बी होने के कारण दूर-दूर के प्रदेशों में फैल गया था। उनके संघ में दीक्षित भिक्षु भी अनेक प्रदेशों के, भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी थे। उनके कार्य-क्षेत्र, प्रचार-क्षेत्र भी बहुत दूर-दूर थे, जहाँ वे विहार करते थे। इसलिए यह बहुत सम्भावित था कि अपनी मातृभाषा की भिन्नता, अपने प्रचार-क्षेत्रों की भाषाओं की भिन्नता आदि के कारण बुद्ध-वाणी में, जिसका वे उपदेश करते थे, भाषा आदि की दृष्टि से अनिवार्यतः परिवर्तन, सम्मिश्रण आदि हों। यही कारण है कि बुद्ध के परिनिर्वाण को केवल चार ही मास बीत पाये थे कि भिक्षुओं को बुद्ध-वचन का संग्रह करना आवश्यक प्रतीत हुआ।

जैन धर्म भी भगवान् महावीर के काल में बहुत विस्तार पा चुका था, पर उतना नहीं, उतने प्रदेशों में नहीं, जितना बौद्ध धर्म ने पाया। इसका मुख्य कारण जैन धर्म के कठोर नियम, व्रत-पालन की कड़ी व्यवस्था तथा उत्कृष्ट संयम व तपमूलक साधना था, जिन्हें आत्मसात् करना उतना सरल नहीं था। जैन धर्म में दीक्षित साधु भी अधिकांशतः विदेह, मगध, कौशल आदि समीपवर्ती प्रदेशों के ही अधिक थे, जिनकी भाषाओं में बहुत अधिक अन्तर नहीं था। उनका प्रचार-क्षेत्र भी उतना विशाल नहीं था, जितना बौद्धों का; अतः महावीर की वाणी अधिक विलम्ब से संकलित होने पर भी अपने सही रूप में अधिक सुरक्षित रह सकी, ऐसा अनुमान करना अयुक्तियुक्त नहीं।

समय-समय पर दुष्काल आदि के कारण प्रायः जैन श्रुत नष्ट हो गया था या श्रुतधर मुनि बहुत कम रह गये थे। वैसे स्थिति में आगमों का जो संकलन हुआ, उसमें उनका स्वरूप यथावत् कहां तक रह सकता था? सब कुछ हुआ, फिर भी जैन आगम भाषात्मक दृष्टि से प्राचीनता लिये हुए हैं। उनमें अनेक ऐसे हैं, जिनमें महावीर और बुद्ध के काल की भाषा का स्पष्ट दर्शन मिल सकता है। इसका प्रधान कारण है, जैन श्रमणों की आगमों को केवल अर्थशः ही नहीं, बल्कि शब्दशः भी स्मृति में बनाये रखने की अत्यधिक जागरूकता। जैन शास्त्रों में उच्चारण सम्बन्धी नियमों का जो विवेचन है, उससे स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से भी श्रुत की अपरिवर्त्यता की ओर बहुत ध्यान रखा गया। यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें परिवर्तन हुआ ही नहीं, वे ज्यों-के-त्यों हैं, पर, इतना अवश्य है कि प्राकृत (जैन) आगमों की भाषा बालि—पिटकों की अपेक्षा निश्चय ही अपने मूल स्वरूप को अधिक सुरक्षित रखे हुए है, जो इस और जैन श्रमणों के अत्यधिक सावधान तथा कृतप्रयत्न रहने का प्रमाण है।

बौद्ध पिटकों की रचना मगध में हुई। वहाँ से वे सिंहल गये, एक ऐसे राजपुत्र के साथ जो अवन्ती में पला-पुसा था। यद्यपि वह मगधराज अशोक का पुत्र था, पर, उसकी मातृभाषा मागधी न होकर आवन्ती होना अधिक सम्भावित है। फिर सिंहल में कुछ शताब्दियों के बाद वे लेख-बद्ध किये गये। वही संस्करण प्रायः अन्य त्रिपिटक-संस्करणों का प्रमुख आधार है। इससे तथा पीछे उल्लिखित कारणों से सुगमता से समझा जा सकता है कि पालि-त्रिपिटक के रूप में परिवर्तन व मिश्रण क्यों होता गया ?

जैन आगमों की रचना जहाँ मगध और विदेह में हुई, वहाँ उनके संकलनार्थ वाचनम्प्रे मगध, शूरसेन—व्रजभूमि तथा सौराष्ट्र में हुई। अन्ततः उनका संकलन सौराष्ट्र में हुआ, उन मुनियों द्वारा जो परम्परया मूल पाठ को बनाये रखने के लिए सन्नद्ध थे। पूर्वार्थ प्राकृतों के क्षेत्र में आगम रचित हुए और पश्चिमी प्राकृतों (उस समय अपभ्रंशों) के क्षेत्र में संकलित, सम्पादित तथा लिपि-बद्ध किये जाने में पिटकों की तरह स्थानिक दृष्टि से सम्बा व्यवधान नहीं था। इस व्यवधान का भी (जितना था) भाषात्मक दृष्टि से प्रभाव तो कुछ हुआ ही, पर कम। और भी कुछ ऐसे हेतु रहे हैं, जिनसे भाषा आदि की दृष्टि से आगम-वाङ्मय में कुछ सम्मिश्रण भी हुआ, पर, आगमों के साथ, जैसा उल्लेख किया गया है, कुछ ऐसी स्थितियाँ रहीं, जिससे सम्मिश्रण, परिवर्तन आदि का परिमाण पालि-त्रिपिटक की तुलना में बहुत कम रहा। इसी कारण बुद्ध और महावीर-कालीन भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से प्राकृत-आगमों का पालि-त्रिपिटक की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व है।

अंगप्रविष्ट तथा अंगबाह्य

आगम-वाङ्मय के प्रवहमान स्रोत की अनेक दृष्टियों से चर्चा की गयी। प्रणयन या प्रणेता की दृष्टि से इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है। १. अंग-प्रविष्ट तथा २. अंग-बाह्य। आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में अंग अर्थात् अंग प्रविष्ट तथा अनंग अर्थात् अंगबाह्य का विश्लेषण करते हुए लिखा है : “गणधरकृत व स्थविरकृत, आदेशसृष्ट (अर्थात् तीर्थंकर प्ररूपित त्रिपदी-जनित) व उन्मुक्त व्याकरण-प्रसूत (अर्थात् विश्लेषण-प्रतिपादन जनित) ध्रुव-नियत व चल-अनियत इन द्विविध विशेषताओं से युक्त वाङ्मय अंगप्रविष्ट तथा अंगबाह्य नाम से अभिहित है^१। गणधरकृत, आदेशजनित तथा ध्रुव; ये विशेषण अंगप्रविष्ट से सम्बद्ध हैं तथा स्थविरकृत, उन्मुक्त व्याकरण-प्रसूत और चल, ये विशेषण अंगबाह्य के लिए हैं।

१. गणधरकृतं वा आदेशमुक्कवासरणो वा।

ध्रुवचलविसेसो वा अंगाणंगेषु नाणसं॥

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ५५०

मलधारी हेमचन्द्र द्वारा व्याख्या

आचार्य मलधारी हेमचन्द्र ने भाष्य की इस गाथा का विश्लेषण करते हुए लिखा है :
 “गौतम आदि गणधरों द्वारा रचित द्वादशांग रूप श्रुत अंगप्रविष्ट श्रुत कहा जाता है तथा भद्रबाहु स्वामी आदि स्थविर-बुद्ध आचार्यों द्वारा रचित आवश्यक-निर्युक्ति आदिश्रुत अंगबाह्य श्रुत कहा जाता है। गणधर द्वारा तीन बार पूछे जाने पर तीर्थंकर द्वारा उद्गोर्ण उत्पाद, व्यय व ध्रुव्य मूलक त्रिपदी के आधार पर निष्पादित द्वादशांग श्रुत अंग-प्रविष्ट श्रुत है तथा अर्थ विश्लेषण या प्रतिपादन के सन्दर्भ में निष्पन्न आवश्यक आदिश्रुत अंगबाह्य श्रुत कहा जाता है। ध्रुव या नियत श्रुत अर्थात् सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में अवश्य होने वाला द्वादशांग रूप श्रुत अंगप्रविष्ट श्रुत है तथा जो सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में अवश्य हो ही, ऐसा नहीं है, वह तन्मूलवैचारिक आदि प्रकरण रूप श्रुत अंगबाह्य श्रुत है।

आचार्य मलयगिरि की व्याख्या

नन्दी सूत्र की टीका में टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने अंग-प्रविष्ट तथा अंगबाह्य श्रुत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सर्वोत्कृष्ट श्रुतलङ्घि-सम्पन्न गणधर रचित मूलभूत सूत्र, जो सर्वथा नियत हैं, ऐसे आचारांगादि अंगप्रविष्ट श्रुत है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रुत—स्थविरों द्वारा रचित श्रुत अंगबाह्य श्रुत है।

अंगबाह्य श्रुत दो प्रकार का है : (१) सामायिक आदि छः प्रकार का आवश्यक तथा (२) तद्व्यतिरिक्त।

आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रुत दो प्रकार का है : (१) कालिक एवं (२) उत्कालिक। जो श्रुत रात तथा दिन के प्रथम प्रहर व अन्तिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, वह कालिक^१ श्रुत है तथा जो काल-वेला को वजित कर सब समय पढ़ा जाता है, वह उत्कालिक श्रुत है, जो वंशकालिक आदि अनेक प्रकार का है। उनमें कतिपय अप्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं :

१. कल्प-श्रुत, जो स्थविरादि कल्प का प्रतिपादन करता है। वह दो प्रकार का है—एक चुल्लकल्प श्रुत है, जो अल्प ग्रन्थ तथा अल्प अर्थ वाला है। दूसरा महाकल्प श्रुत है, जो महाग्रन्थ और महा अर्थ वाला है।
२. प्रज्ञापना, जो जीव आदि पदार्थों की प्ररूपणा करता है।
३. प्रमादाप्रमाद अध्ययन, जो प्रमाद-अप्रमाद के स्वरूप का भेद तथा विपाक का ज्ञापन करता है।

१. जिसके लिए काल-विशेष में पढ़े जाने की नियामकता नहीं है।

४. नन्दी, ५. अनुयोगद्वार, ६. देवेन्द्रस्तव, ७ तन्दुलवैचारिक, ८. चन्द्रावेध्यक, ९. सूर्यप्रज्ञप्ति, १०. पोरिषीमण्डल, ११. मण्डल-प्रवेश, १२. विद्याचारण-विनिश्चय, १३. गणिविद्या, १४. ध्यान-विभक्ति, १५. मरण-विभक्ति १६. आत्म-विशुद्धि १७. वीतराग-श्रुत, १८. संलेखना श्रुत, १९. विहार-कल्प, २०. चरणविधि, २१. आतुर-प्रत्याख्यान, २२. महाप्रत्याख्यान आदि । ये उत्कालिक श्रुत के अन्तर्गत हैं ।

कालिक श्रुत अनेक प्रकार का है : १. उत्तराध्ययन, २. दशाकल्प, ३. व्यवहार, ४. बृहत्कल्प, ५. निशीथ, ६. महानिशीथ, ७. ऋषिभाषित ग्रन्थ, ८. जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति, ९. द्वीपसागर-प्रज्ञप्ति, १०. चन्द्र-प्रज्ञप्ति, ११. क्षुल्लकविमान-प्रविभक्ति, १२. महाविमान-प्रविभक्ति, १३. अंगचूलिका, १४. वर्गचूलिका, १५. विवाह-चूलिका, १६. अरुणोपपात, १७. वरुणोपपात, १८. गरुडोपपात, १९. धरुणोपपात, २०. वैश्रमणोपपात, २१. वेल्धरोपपात, २२. देवेन्द्रोपपात, २३. उत्थान-श्रुत, २४. समुत्थान-श्रुत, २५. नाग-परिज्ञा, २६. निरया-वलीका, २७. कल्पिका, २८. कल्पावर्तसिका, २९. पुष्पिका, ३०. पुष्पचूला, ३१. वृष्णिदशा; इत्यादि चौरासी हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ के समय में थे । संख्यात हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ बीच के आईस तीर्थंकरों के समय तथा चौदह हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ भगवान् महावीर के समय में थे । अथवा जिस तीर्थंकर के औत्पातिकी आदि चार प्रकार की बुद्धि से युक्त जितने शिष्य थे, उनके उतने हजार ग्रन्थ थे । प्रत्येक बुद्ध भी उतने ही होते थे । यह (उपर्युक्त) कालिक, उत्कालिक श्रुत अंगवाह्य कहा जाता है ।

अंग-प्रविष्ट : अंग बाह्य : सम्यक्ता

जैन दर्शन का तत्त्व-ज्ञान जहां सूक्ष्मता, गम्भीरता, विशदता आदि के लिए प्रसिद्ध है, वहां उदारता के लिए भी उसका विश्व-वाङ्मय (विश्व-दर्शन) में अनुपम स्थान है । वहां किसी वस्तु का महत्व केवल उसके नाम पर आधृत नहीं है, वह उसके यथावत् प्रयोग तथा फल पर टिका है । अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के सन्दर्भ में जिन शास्त्रों की चर्चा की गयी है, वे जैन परम्परा के मान्य ग्रन्थ हैं । उनके प्रति जैनों का बड़ा आदर है । इन ग्रन्थों की आदेयता और महनीयता इनको ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व पर अवस्थित है । यद्यपि ये शास्त्र अपने स्वरूप की दृष्टि से सम्यक् श्रुत हैं, पर गृहीता की दृष्टि से इन पर इस प्रकार विचार करना होगा—यदि इनका गृहीता सम्यक्दृष्टि-सम्पन्न या सम्यक्त्वी है, तो ये शास्त्र उसके लिये सम्यक् श्रुत हैं और यदि इनका गृहीता मिथ्या-दृष्टिसम्पृक्त—मिथ्यात्वी है, तो ये मान्य ग्रन्थ भी उसके लिए मिथ्या श्रुत की कोटि में चले जाते हैं । इतना ही नहीं, जो अजैन शास्त्र, जिन्हें सामान्यतः असम्यक् (मिथ्या) श्रुत कहा जाता है, यदि सम्यक्त्वी द्वारा परिगृहीत होते हैं, तो वे उसके लिए सम्यक् श्रुत की कोटि में आ जाते

हैं। इस तथ्य का विशेषावश्यक भाष्यकार ने तथा आवश्यक नियुक्ति के विवरणकार आचार्य मलयगिरि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है^१।

गृहीता का इतना वैशिष्ट्य कैसे ?

प्रत्येक पदार्थ अस्तित्व-धर्मा है, वह अपने स्वरूप में अधिष्ठित है, अपने स्वरूप का प्रत्यायक है। उसके साथ संयोजित होने वाले अच्छे-बुरे विशेषण पर-सापेक्ष हैं। अर्थात् दूसरों—अपने भिन्न-भिन्न प्रयोक्ताओं या गृहीताओं की अपेक्षा से उसमें सम्यक् या असम्यक् का व्यवहार होता है। प्रयोक्ता या गृहीता द्वारा अपनी आस्था या विश्वास के अनुरूप प्रयोग होता है। यदि प्रयोक्ता का मानस विकृत है, उसकी आस्था विपरीत है, विचार दूषित हैं, तो वह अच्छे-से-अच्छे कथित प्रसंग का भी जघन्यतम उपयोग कर सकता है ; क्योंकि वह उसके यथार्थ स्वरूप का अंकन नहीं कर पाता। जिसे बुरा कहा जाता है, उसके गृहीता का विवेक उद्बुद्ध और आस्था सत्परायण है तो उसके द्वारा उसका जो उपयोग होता है, उससे अच्छाईयां ही फलित होती हैं; क्योंकि उसकी बुद्धि सद्ग्राहिणी है।

जैन दर्शन का तत्व-चिन्तन इसी आदर्श पर प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि अंग-प्रविष्ट श्रुत और अंगबाह्य श्रुत जैसे आर्ष वाङ्मय को मिथ्या श्रुत तक कहने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती, यदि वे मिथ्यात्वी द्वारा परिगृहीत हैं। वास्तविकता यह है, जिसका दर्शन—विश्वास मिथ्यात्व पर टिका है वह उसी के अनुरूप उसका उपयोग करेगा अर्थात् उसके द्वारा किया गया उपयोग मिथ्यात्व-संवलित होगा। उससे जीवन की पवित्रता नहीं सवेगी। मिथ्यात्व-ग्रस्त व्यक्ति के कार्य-कलाप आत्म-साधक न होकर अनात्म-पूरक होते हैं। इसीलिए सम्यक् श्रुत भी उसके लिए मिथ्या-श्रुत है। यही अपेक्षा सम्यक्दृष्टि द्वारा गृहीत मिथ्या-श्रुत के सम्बन्ध में होती हैं। सम्यक्त्वी के कार्य-कलाप

१. क) अंगारंगपविट्टं सम्मसुयं लोइयं तु मिच्छसुयं।

आसज्ज उ सामित्तं लोइय-लोउत्तरे भयणा।

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ५२७

(ख) सम्यक् श्रुतम्—अंगानंगप्रविष्टमाचारावश्यकवि, तथा मिथ्याश्रुतम्—पुराण रामायणभारतादि, सर्वमेव वा दर्शनपरिग्रहविशेषात् सम्यक् श्रुत-मितरद् वा, तथाहि—सम्यग्दृष्टौ सर्वमपि श्रुतं सम्यक् श्रुतम्, हेयोपादेयशास्त्राणां हेयोपादेयतथा परिज्ञानात्, मिथ्यादृष्टौ सर्वं मिथ्याश्रुतम्, विपर्ययात्।

—आवश्यकनियुक्ति, पृ० ४७, प्रका० आगमोदय समिति, बम्बई

सम्यक् या आत्म-साधक, स्वपरिष्कारक तथा शुद्धिभूलक होते हैं। वह किसी भी शास्त्र का उपयोग अपने हित में कर लेता है। यह ठीक ही है, ऐसे पुरुष के लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यक् श्रुत का काम करता है। जैन-तत्त्व-चिन्तन का यह वह वरेण्य पक्ष है, जो प्रत्येक आत्म-साधक के लिए समाधानकारक है।

अंग : उपांग : छेद : मूल : संक्षिप्त परिचय

अंग प्रविष्ट तथा अगबाह्य के रूप में जिन आगम-ग्रन्थों की चर्चा की गयी है, उनमें कुछ उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं, उनमें कुछ निर्युक्तियों को सन्निहित कर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय ४५ आगम-ग्रन्थों को प्रमाण-भूत मानता है। वे अंग, उपांग, छेद तथा मूल आदि के रूप में विभक्त हैं।

अंग

अङ्ग-संज्ञा क्या है ?

अर्थ रूप में (त्रिपद्यात्मकतया) तीर्थंकर-प्ररूपित तथा गणधर-प्रथित वाङ्मय अंग-वाङ्मय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे अंग नाम से क्यों अभिहित किया गया ? यह प्रश्न स्वाभाविक है। उत्तर भी स्पष्ट है। श्रुत की पुरुष के रूप में कल्पना की गयी। जिस प्रकार एक पुरुष के अंग होते हैं, उसी प्रकार श्रुत-पुरुष के अंगों के रूप में बारह आगमों को स्वीकार किया गया। कहा गया है : “श्रुत-पुरुष के पादद्वय, जंघाद्वय, ऊरुद्वय, गात्रद्वय—देह का अग्रवर्ती तथा पृष्ठवर्ती भाग, बाहुद्वय, ग्रीवा तथा मस्तक (पाद २ + जंघा २ + ऊरु २ + गात्रार्द्ध २ + बाहु २ + ग्रीवा १ + मस्तक १ = १२), ये अंग बारह हैं। इनमें जो प्रविष्ट हैं, अंगत्वेन अवस्थित हैं, वे आगम श्रुत-पुरुष के अंग हैं^१।” बारहवां अंग दृष्टिवाद विच्छिन्न हो गया। इस समय ग्यारह अंग प्राप्त हैं।

१. इह पुरुषस्य द्वादश अंगानि भवन्ति तद्यथा द्वे पादौ द्वे जंघे द्वे ऊरुणी द्वे, गात्राद्वे द्वौ बाहू ग्रीवा शिरश्च एवं श्रुतपुरुषस्यापि परमपुरुषस्याचारायीनि द्वादशांगानि क्रमेण वेदितव्यानि तथा चोक्तम्—

“पायकुगं जंघोरु गायकुगद्धं तु दो य बाहू य ।

ग्रीवा सिरं च पुरिसो बारस अंगेषु य पविट्ठो ॥”

श्रुतपुरुषस्यांगेषु प्रविष्टमंगप्रविष्टम् । अंगभावेन व्यवस्थिते श्रुत भेदे..... ।

—अभिधान राजेन्द्र, भाग १, पृ० ३८

१. आचारंग (आचारांग)

आचारंग में श्रमण के आचार का वर्णन किया है। यह दो श्रुत-स्कन्धों में विभक्त है। प्रत्येक श्रुत-स्कन्ध का अध्ययनों तथा प्रत्येक अध्ययन का उद्देश्यों या चूलिकाओं में विभाजन है। प्रथम श्रुत-स्कन्ध में नौ अध्ययन एवं चौवालीस उद्देश हैं। द्वितीय श्रुत-स्कन्ध में तीन चूलिकाएँ हैं, जो १६ अध्ययनों में विभाजित हैं। भाषा, रचना-शैली, विषय-निरूपण आदि को दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रुत-स्कन्ध बहुत प्राचीन है। अधिकांशतया यह गद्य में रचित है। बीच-बीच में यत्र-तत्र पद्यों का भी प्रयोग हुआ है। अर्द्ध-मागधी प्राकृत के भाषात्मक अध्ययन तथा उसके स्वरूप के अवबोध के लिए यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है।

सातवें अध्ययन का नाम महापरिज्ञा निर्दिष्ट किया गया है, पर, उसका पाठ प्राप्त नहीं है। इसे व्युच्छिन्न माना जाता है। कहा जाता है, इसमें कतिपय चमत्कारी विद्याओं का समावेश था। लिपि-बद्ध हो जाने से अधिकारी, अनधिकारी; सबके लिए वे सुलभ हो जाती हैं। अनधिकारी या अपात्र के पास उनका जाना ठीक न समझ श्री देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने आगम-लेखन के समय इस अध्ययन को छोड़ दिया। यह एक कल्पना है, वस्तुस्थिति क्या रही, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है, बाद में इस अध्ययन का विच्छेद हो गया हो।

नवम उपधान अध्ययन में भगवान् महावीर की तपस्या का मासिक और रोमांचकारी वर्णन है। वहाँ उनके लाढ़ (बर्द्धवान जिला), वज्रभूमि (मानभूम और सिंहभूम जिले) तथा शुभ्र भूमि (कोडरमा, हजारीबाग का क्षेत्र) में बिहार—पर्यटन तथा अज्ञ जनों द्वारा किये गये विविध प्रकार के घोर उपसर्ग—कष्ट सहन करने का उल्लेख किया गया है। भगवान् महावीर के घोर तपस्वी तथा अप्रतिम कष्ट-सहिष्णु जीवन का जो लेखा-जोखा इस अध्ययन में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है।

भगवान् महावीर की कठोर साधना : परिषद

एक वर्ष और कुछ अधिक मास, भगवान् महावीर के कन्धे पर इन्द्र द्वारा प्रक्षिप्त देवदूष्य रहा। पर, उन्होंने कभी यह न सोचा कि मैं इससे हेमन्त ऋतु में अपना शरीर ढकूंगा। उक्त काल के पश्चात् उस वस्त्र का त्याग कर दिया।

गृहस्थी के सम्पर्क में

कभी उनका गृहस्थ-संश्लिष्ट प्रवास होता, तो स्त्रियां मोहित और आसक्त होकर उनसे काम-प्रार्थना करतीं, पर, वे अपने को विरक्ति के मार्ग में लगाये ध्यान-निरत रहते।

गृहस्थों के सम्पर्क में रहने का अवसर आने पर भी वे उनसे घुलते-मिलते नहीं। उनकी ओर से ध्यान हटा धर्म या शुक्ल ध्यान में लीन रहते। उनके पूछने पर भी उत्तर नहीं देते। अभिवादन करने पर भी भाषण नहीं करते। सर्वसाधारण के लिए ऐसा करना बड़ा दुष्कर है।

समभाव से कष्ट सहन

जब वे अनार्य-देशों में जाते, पुण्यहीन प्राणी उन्हें डण्डों से पीटते, उनके बाल नोचते, पर वे सम-भाव से सब सहते।

कुतूहल तथा विस्मय से दूर

कथा, नृत्य, गीत आदि देख कुतूहल अनुभव नहीं करते। दण्ड-युद्ध, मुष्टि-युद्ध से विस्मित नहीं होते। किन्हीं को काम-कथा लीन देख न हर्ष करते, न शोक करते, अपितु सर्वथा तटस्थ रहते।

अपरिग्रह की पराकाष्ठा

भगवान् अवलोक और पाणिपात्र थे। वे दूसरे का दिया वस्त्र या पात्र स्वीकार नहीं करते थे।

रसों में अनासक्त : सुविद्या से दूर

वे दूध दही आदि रसों में आसक्ति नहीं रखते थे। आंख में रज आदि गिर जाने पर उसे नहीं पोंछते थे न ही निकालते थे, खुजली आने पर भी शरीर को नहीं खुजलाते थे।

यत्नाभय चर्या

वे सामने युग-प्रमाण मार्ग का अवलोकन कर चलते थे। इधर-उधर या पीछे नहीं देखते थे। किसी के पूछने पर उत्तर नहीं देते, मौन रहते थे।

शीत से अभीत

देव-दूष्य के त्याग के अनन्तर शिशिर ऋतु में वे दोनों हाथ फैलाकर चलते थे। शीत से घबड़ा कर न वे हाथ सिकोड़ते और उन्हें न कन्धों पर ही रखते। विहार करते-करते जहां चरम पौषी का समय आता, वहीं रात्रि व्यतीत करते।

कैसा अनिकेत जीवन ?

कभी भीतवाले खाली घरों में, सभाओं — विश्रान्ति गृहों में, पानी की प्याऊ में, दूकानों में, लोहकार-शालाओं में, घास से बने मंचों—मंचानों के नीचे, गांव के बाहर

कान्तारागारों—मुसाफिर खानों में, बगीचे में बने मकानों में, नगर में, खण्डहरों में, वृक्ष के नीचे प्रवास करते हुए तेरह वर्ष तक इस प्रकार तपस्या-लीन निश्चलचेता, अहर्निश अप्रमत्तरूपेण संयम में उद्यत रह किसी प्रकार की शंका न करते हुए समाधिपूर्वक धर्म-शुक्ल-ध्यान में संलग्न रहे ।

निद्रा-विजय की अखण्ड साधना

कदाचित् निद्रा आती, तो वे उत्थित होकर अपने को जागृत करते । अब मैं सो जाऊँ; इस भाव से भगवान् ने कभी शयन नहीं किया । निद्रा मिटाने के लिए वे सीधे तनकर बैठते । शीतकाल की कड़कड़ाती सर्दियों में रात्रि में बाहर निकल कर मुहूर्त भर भ्रमण करते, पुनः ध्यानस्थ हो जाते । परिषद् की उदीरणा कर प्रमाद को हटाते ।

सूने घरों में उपसर्ग

उन्हें सूने घरों में ध्यानस्थ देख वहाँ छिपने या गुप्त कार्य करने के लिये आये हुए दुराचारी—इस शंका से कि इसने हमें देख लिया है, किसी से कह देगा, उन्हें कष्ट देते । कभी ग्राम-रक्षक (सिपाही) अपने शस्त्रों द्वारा उन्हें वास देते ।

कितने ही कष्टपूर्ण परिषद्‌हों पर विजय

उनकी मनोहर मुख-मुद्रा देख मुग्ध हुई स्त्रियाँ व पुष्प उन्हें उपसर्ग (कष्ट) करते ।

कभी दिन व रात में किसी निर्जन स्थान में कायोत्सर्ग में स्थित भगवान् को चोर, जार तथा अन्य लोग पूछते—तुम कौन हो ? क्यों खड़े हो ? उत्तर न पाकर, क्रुद्ध होकर वे उन्हें पीटते ।

भगवान् जब ध्यान में नहीं होते, तो किसी के पूछने पर उत्तर देते—मैं भिक्षु हूँ । यदि वह क्रोध से भर वह स्थान छोड़ने के लिए कहता, तो वे उसे छोड़ देते ।

शिशिर में जब लोग शीत से थर-थर कांपते, अन्य तीर्थी साधु आग सुलगाते, गर्म कम्बल आदि खोजते, हवा न आ सके, ऐसा बन्द स्थान ढूँढते, दो-तीन वस्त्र धारण करने का सोचते, तब भगवान् वृक्ष आदि के नीचे शीत सहन करते ।

वे तृण के तीक्ष्ण स्पर्श, शीत, ऊष्मा तथा डांस, मच्छर आदि के डंक समभाव से सहते ।

लाठ आदि में उपसर्ग

दुर्गम लाठ देश, वज्रभूमि और शुभ्रभूमि नामक स्थानों में जब भगवान् विचरते,

तब उन्हें रहने के लिए सर्वथा गये बीते स्थान—उपद्रव युक्त खण्डहर आदि मिलते, आसन भी धूल आदि से भरे और विषम मिलते ।

लाह देश के अनार्य जन भगवान् को मारते और दांतों से काटने दौड़ते । वहां बड़ी कठिनाई से रूखा-सूखा आहार मिलता, कुत्ते कण्ट देते, काटने को भपटते । वहां अनेक लोगों में से कोई एक उन काटने आते हुए कुत्तों को रोकता । शेष तो कुतूहलवश छूछू कर कुत्तों को काटने के लिए प्रेरित करते ।

वज्रभूमि में अन्यतीर्थी भिक्षु यष्टिका और नालिका (शरीर-प्रमाण से चार अंगुल बड़ी लकड़ी) रखते थे, इस पर भी कुत्ते उन्हें काटते थे ।

लाह देश में ग्राम इतने कम थे कि सायंकाल तक चलते-चलते गांव नहीं आता था, तो वृक्ष के नीचे ठहर कर भगवान् रात बिताते ।

कितनेक अनार्य लोग गांव से बाहर निकल, सामने जा भगवान् को मारने लगते और कहते—यहां से निकल जाओ ।

लाह देश के अनार्य जन लकड़ी, मुक्के, भाले की नोंक, ईंट-पत्थर अथवा घट के खप्पर से उन्हें मारते थे । वे कभी-कभी भगवान् के शरीर का मांस भी काट लेते । कभी धूल बरसाते । कभी भगवान् को ऊँचा उठा कर पटकते । कभी भगवान् ध्यान के लिए गोदोहासन या वीरासन में बैठे होते, तो वे धक्का देकर लुढ़का देते ।

तितिक्षा का विस्मायक रूप

भगवान् निरोग होने पर भी अल्प भोजन करते । रोगी होने या न होने पर चिकित्सा नहीं कराते । संशोधन—विरेचन, बमन, तेल-मर्दन, स्नान, संवाहन (शरीर दबवाना) तथा दन्त-प्रक्षालन—इन सबका वे त्याग किये हुए थे ।

शिशिर ऋतु में शीतल छाया में ध्यान करते तथा ग्रीष्म ऋतु में ताप के सामने आतापना लेते ।

रूखे-सूखे चावल, बेर का दूरा, उर्द और नीरस आहार से निर्वाह करते । इन तीन पदार्थों पर वे आठ मास तक रहे । अनेक बार पन्द्रह-पन्द्रह दिन और मास-मास तक आहार तो क्या जल तक नहीं लेते । कभी-कभी दो-दो मास, कभी-कभी छः-छः मास तक आहार-पानी का सर्वथा त्याग करते । पारणे में भी सदा नीरस पदार्थ लेते । कभी-कभी दो-दो दिन के अन्तर से, कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच दिन के अन्तर से आहार करते ।

जब कहीं भिक्षा के लिए जाते, पशु, पक्षी तथा अन्य भिक्षु आदि को देख धीरे से निकल जाते ।

जो भी शुद्ध आहार चाहे दूध, दही से आर्द्र हो, चाहे सूखा-ठण्डा हो, चाहे बहुत दिन के पकाये उर्द हों, वे समभाव से लेते ।

गोदोहिका, उत्कटिक, वीर आदि आसनों में संस्थित हो निर्विकार-भाव से धर्म-ध्यान, शुक्ल-ध्यान ध्याते । उसमें ऊर्ध्व-लोक, अधोलोक तथा तिर्यक् लोक के स्वरूप का चिन्तन करते ।

आचारांग प्रथम श्रुत-स्कन्ध के नवम अध्यायन के आधार पर किये गये इस विवेचन से स्पष्ट है कि आचारांग की रचना, विवेचन-पद्धति, वस्तु-प्रतिपादन आदि में अपनी असाधारण विशेषता है ।

भगवान् महावीर के उत्कृष्ट साधक-जीवन का यह जीता-जागता चित्र जहाँ उनके नितान्त साधना-निष्णात तथा तितिक्षोन्मुख जीवन का परिचायक है, वहाँ भारत के अन्तर्वर्ती कुछ एक प्रदेशों की तत्कालीन अवस्थिति की भी एक जीवित भांकी प्रस्तुत करता है ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध : रचना : कलेवर

द्वितीय श्रुत-स्कन्ध में श्रमण के लिए निर्देशित व्रतों व तत्सम्बद्ध भावनाओं का स्वरूप भिक्षु-चर्या, आहार-पान-शुद्धि, शय्या-संस्तरण-ग्रहण, विहार-चर्या, चातुर्मास्य-प्रवास, भाषा, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण, मल-मूत्र-विसर्जन आदि के सम्बन्ध में नियम-उपनियम आदि का विवेचन किया गया है । ऐसा माना जाता है कि महाकल्पश्रुत नामक आचारांग के निशीथरध्ययन की रचना प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय आचार-वस्तु के बीसवें प्राभृत के आधार पर हुई है । आचारांग वास्तव में द्वादशांगात्मक वाङ्मय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । “अंगाणं किं सारो ? आचारो^१” जैसे कथन इसके परिचायक हैं ।

व्याख्या-साहित्य

आचारांग पर आचार्य भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति, श्री जिनदास गणी द्वारा चूणि, श्री शीलांकाचार्य द्वारा टीका तथा श्री जितहंस द्वारा दीपिका की रचना की गयी ।

जैन वाङ्मय के प्रख्यात अध्येता डा० हर्मन जेकोबी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसकी गवेषणापूर्ण प्रस्तावना लिखी । प्रो० एफ० मैक्समूलर द्वारा सम्पादित ‘Sacred Books of the East’ नामक ग्रन्थमाला के अन्तर्गत उसके २२ वें भाग में उसका आक्सफोर्ड से प्रकाशन हुआ । आचारांग के प्रथम श्रुत-स्कन्ध का प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्

प्रो० वाल्टर शुब्रिंग ने सम्पादन किया तथा सन् १९१० में लिप्जग से इसका प्रकाशन किया। आचार्य भद्रबाहुकृत निर्युक्ति तथा आचार्य शीलांक रचित टीका के साथ सन् १९३५ में आगमोदय समिति, बम्बई द्वारा इसका प्रकाशन हुआ।

२. सूयगडंग (सूत्रकृतांग)

सूत्रकृतांग के नाम

सूत्रकृतांग के लिए सूयगड, सुत्तकड तथा सूयागड; इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूयगड या सुत्तकड का संस्कृत-रूप सूत्रकृत है। इसकी शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार है—अर्थरूपतया तीर्थंकरों से सूत्र का उद्भव हुआ, उससे गणधरों द्वारा किया गया या निबद्ध किया गया ग्रन्थ। इस प्रकार सूत्रकृत शब्द फलित होता है। अथवा सूत्र के अनुसार जिसमें तत्वावबोध कराया गया हो, वह सूत्रकृत है। सूयागड का संस्कृत रूप सूत्राकृत है। इसका अर्थ है—स्व और पर समय-सिद्धान्त का जिसमें सूचन किया गया हो, वह सूत्राकृत या सूयागड है।

सूत्र का अर्थ भगवद्भाषित और कृत का अर्थ उसके आधार पर गणधरों द्वारा किया गया या रचा गया—इस परिधि में तो समस्त द्वादशांगी ही समाहित हो जाती है; अतः सूत्रकृतांग की ही ऐसी कोई विशेषता नहीं है। स्व—अपने, पर—दूसरों के समय—सिद्धान्तों या तात्त्विक मान्यताओं के विवेचन का जो उल्लेख किया गया है, वह महत्त्वपूर्ण है। वैसा विवेचन इसी आगम में है, अन्य किसी में नहीं।

सूत्रकृतांग का स्वरूप : क्लेश्वर

यह दो श्रुत-स्कन्धों में विभक्त है। प्रथम श्रुत-स्कन्ध में सोलह तथा दूसरे में सात अध्याय हैं। पहला श्रुत-स्कन्ध प्रायः पद्यों में है। उसके केवल एक अध्यायन में गद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्रुत-स्कन्ध में गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इस आगम में गाथा छन्द के अतिरिक्त इन्द्रवज्रा वैतालिक, अनुष्टुप् आदि अन्य छन्दों का भी प्रयोग हुआ है।

१. सूयगडं अंगारुं, बितियं तस्स य इमारि नामानि ।

सूयगडं सुत्तकडं, सूयागडं चेव गोणाइ ॥

सूत्रकृत मिति-एतदंगानां द्वितीयं तस्य चामून्येकार्थिकानि, तद्यथा—सूत्रमुत्पन्नमर्थरूपतया तीर्थकृद्भ्यः ततः कृतं ग्रन्थरचनया गणधरैरिति तथा, सूत्रकृतमिति सूत्रानुसारेण तत्त्वावबोधः क्रियतेऽस्मिन्निति तथा सूत्राकृतमिति स्वपरसमयार्थसूचनं सूत्रा साऽस्मिन् कृतेति । एतानि चास्य गुणनिष्पन्नानि नामानि ।

—अभिधान राजेन्द्र, सप्तम भाग, पृ० १०२७

विभिन्न वादों का उल्लेख

पंचभूतवाद ब्रह्मकवाद-अद्वैतवाद या एकात्मवाद, देहात्मवाद, अज्ञानवाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, आत्म अकृतृत्ववाद सद्वाद, पंचस्कन्धवाद तथा धातुवाद आदि का इसके प्रथम स्कन्ध में प्ररूपण किया गया है। तत्पक्षस्थापन और निरसन का एक सांकेतिक-सा अस्पष्ट-सा क्रम वहाँ है। इससे यह बहुत स्पष्ट नहीं होता कि उन दिनों अमुक-अमुक वाद किस प्रकार की दार्शनिक परम्पराएँ लिये हुए थे। हो सकता है, इन वादों का तब तक किसी व्यवस्थित तथा परिपूर्ण दर्शन के रूप में विकास न हो पाया हो। इन वादों पर अवस्थित दार्शनिक परम्पराओं (Schools of Philosophy) के ये प्रारम्भिक रूप रहे हों। अमरुणों द्वारा भिक्षाचार में सतर्कता, परिषदों के प्रति सहनशीलता, नरकों के कष्ट, साधुओं के लक्षण, ब्राह्मण, अमरुण, भिक्षु तथा निर्गन्ध जैसे शब्दों की व्याख्या उदाहरणों तथा रूपकों द्वारा अच्छी तरह की गयी है। उल्लिखित मतवादों की चर्चा सम्बन्धित व्याख्या ग्रन्थों में विस्तार से भी मिलती है।

द्वितीय श्रुत-स्कन्ध में पर-मतों का खण्डन किया गया है—विशेषतः वहाँ जीव व शरीर के एकत्व, ईश्वरकृतृत्व, नियतिवाद आदि की चर्चा है। प्रस्तुत श्रुत-स्कन्ध में आहार-दोष, भिक्षा-दोष आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। प्रसंगवश भीम, उत्पाद-स्वप्न, स्वर, व्यंजन, स्त्री-लक्षण आदि विषयों का भी निरूपण हुआ है। अन्तिम अध्ययन का नाम नालन्दीय है। इसमें नालन्दा में हुए गौतम गणधर और प्राश्नार्पणिक उदक पेढालपुत्र का वार्तालाप है। अन्त में उदक पेढाल पुत्र द्वारा चतुर्थांश धर्म के स्थान पर पंच महाव्रत स्वीकार करने का वर्णन है।

प्राचीन मतों, वादों और दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए तो यह श्रुतांग महत्वपूर्ण है ही, भाषा की दृष्टि से भी विशेष प्राचीन सिद्ध होता है। भाषा-वैज्ञानिक भी इसमें अध्ययन की प्रचुर सामग्री पाते हैं।

व्याख्यान-साहित्य

आचार्य भद्रबाहु ने सूत्रकृतांग पर निर्युक्ति की रचना की। आचार्य शीलांक ने बाहुरि गैणी के सहयोग से टीका लिखी। चूणि भी लिखी गयी। हर्ष कुल और साधुरंग द्वारा दीपिकाओं की रचना हुई। डा० हर्मन जैकोबी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो Sacred Books of the East के पैतालीसवें भाग में आक्सफोर्ड से प्रकाशित हुआ।

३. ठाणांग (स्थानांग)

दश अध्ययनों में यह श्रुतांग विभाजित है। इसमें ७८३ सूत्र हैं। उपर्युक्त दो श्रुतांगों से इसकी रचना भिन्न कोटि की है। इसके प्रत्येक अध्ययन में, अध्ययन की संख्या के अनुसार वस्तु-संख्याएँ गिनाते हुए वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, पहले अध्ययन में

कहा गया है—एक लोक, एक अलोक, एक धर्म, एक अधर्म, एक दर्शन एक चारित्र्य, एक समय आदि। इसी प्रकार दूसरे अध्ययन में उन वस्तुओं की गणना और वर्णन आया है, जो दो-दो हैं—जैसे दो क्रियाएँ आदि। इसी क्रम से दसवें अध्ययन तक यह वस्तु-भेद और वर्णन दश की संख्या तक पहुँच गया है। इस कोटि की वर्णन-पद्धति की दृष्टि से यह श्रुतांग पालि बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय से तुलनीय है।

नाना प्रकार के वस्तु-निर्देश अपनी-अपनी दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। उदाहरणार्थ, ऋक्, यजुष और साम; ये तीन वेद बतलाये गये हैं। धर्म-कथा, अर्थ-कथा और काम-कथा; तीन प्रकार की कथाओं का उल्लेख है। वृक्ष तीन प्रकार के बतलाये गये हैं। भगवान् महावीर के तीर्थ—अर्थ संव में हुए सात निह्न्वों (धर्म शासन से विमुख और अपलापक-विपरीत प्ररूपणा करने वालों) की भी चर्चा आई है। भगवान् महावीर के तीर्थ में जिन नौ पुरुषों ने तीर्थकर-गोत्र बाँधा, यथाप्रसंग उनका भी उल्लेख है। इस प्रकार संख्यानुक्रम के आधार पर इसमें विभिन्न विषयों का वर्णन प्राप्त होता है, जो अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।

व्याख्या-साहित्य

आचार्य अभयदेव सूरि (सन् १०६३) ने स्थानांग पर टीका लिखी आचारांग, सूत्रकृतांग, तथा दृष्टिवाद (जो उपलब्ध नहीं है) के अतिरिक्त शेष नौ अंगों पर उनकी टीकाएँ हैं। वे नवांगी टीकाकार कहलाते हैं। आचार्य अभयदेव ने टीकाकार के उत्तरदायित्व-निर्वाह की कठिनाइयों का उसमें जो वर्णन किया है, उससे उस समय की शास्त्राव-स्थिति ज्ञात होती है। वे लिखते हैं : “शास्त्राध्येतृ-सम्प्रदायो^१ के नष्ट हो जाने, सद्-ऊह, सद्-विवेक, सद् वितर्कणा के वियोग, सब विषयों के विवेचनपरक शास्त्रों की अस्वायत्तता, स्मरण-शक्ति के अभाव, वाचनाओं के अनेकत्व, पुस्तकों के अशुद्ध पाठ, सूत्रों की अति गम्भीरता तथा कहीं-कहीं मतभेद; आदि कारणों से त्रुटियाँ रह जाना सम्भावित हैं। विवेकशील व्यक्तियों ने शास्त्रों का जो अर्थ स्वीकार किया है, वही हमारे लिए ग्राह्य है, दूसरा नहीं^२।”

१. सम्प्रदायो गुरुक्रमः ।

२. सत्सम्प्रदायवहीनत्वात् सद्ग्रहस्य वियोगतः ।

सर्वस्वपर शास्त्राणामवृष्टेरस्मृतेश्च मे ॥

वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामशुद्धितः :

सूत्राणामतिगम्भीर्यान्मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥

क्षुण्णानि सम्भवन्तीह, केवलं सुविवेकिभिः ।

सिद्धान्तेऽनुगतो योऽर्थः सोऽस्मृद्ग्राह्यो न चेतः ॥

—पृ० ४९९

४. समवायांग

समवाय^१ का अर्थ समूह या समुदाय होता है। इस सूत्र का वर्णन क्रम स्थानांग जैसा है। स्थानांग में एक से दश तक संख्याएँ पहुँचती हैं, जब कि इसमें वे संख्याएँ एक से आरम्भ होकर कोश्वनुकोटि (कोडा-कोडी) तक जाती हैं। समवायांग में बारह अंगों तथा उनके विषयों का उल्लेख है। संख्याक्रमिक वर्णन के अन्तर्गत यथाप्रसंग आचारांग के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के नौ अध्ययनों सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के सोलह अध्ययनों, सायाधम्मकहाओ के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के उन्नीस अध्ययनों, दृष्टिवाद के कतिपय सूत्रों का त्रैराशिक^२ सूत्र-पद्धति से रचे जाने, उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों तथा चवत्तीस ऋषिभाषित अध्ययनों, अन्तिम रात्रि में भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित पचपन अध्ययनों तथा व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र के चौरासी हजार पदों आदि का इसमें उल्लेख है। नन्दी-सूत्र की भी इसमें चर्चा है। इन उल्लेखों से ऐसा प्रकट होता है कि द्वादशांग के सूत्र-बद्ध हो जाने के पश्चात् इसका लेखन हुआ।

वर्णन-क्रम

समवायांग में चौबीस कुलकरो, चौबीस तीर्थकरो, चक्रवर्तियों, बलदेवों एवं वासुदेवों का, उनके माता-पिता, जन्म स्थान आदि का नामानुक्रम से वर्णन किया गया है। उत्तम शलाका-पुरुषों की संख्या चीवन (तीर्थकर २४ + चक्रवर्ती १२ + वासुदेव ९ + बलदेव ९ = ५४) दी गयी है, त्रिरेसठ नहीं। वहाँ प्रतिवासुदेवों को शलाका-पुरुषों में नहीं लिया गया है। इससे यह सम्भावित प्रतीत होता है कि उन्हें बाद में शलाका-पुरुषों में स्वीकार किया गया हो। यह सारा वर्णन समवायांग के जिस अंश में है, उसे एक प्रकार से संक्षिप्त जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। जैन पुराणों के उपजीवक के रूप में निश्चय ही इस भाग का बड़ा महत्व है। भगवान् ऋषभ को यहां कौशलीय तथा भगवान् महावीर को वैशालीय कहा गया है, इससे भगवान् महावीर के वैशाली के नागरिक होने का तथ्य पुष्ट होता है।

समवायांग में लेख, गणित, रूपक, नाट्य, गीति, वाङ्मय आदि बहत्तर कलाओं का वर्णन है। ब्राह्मी लिपि आदि अठारह लिपियों तथा ब्राह्मी के छयालीस मातृका-अक्षरों की चर्चा है। इस पर आचार्य अभयदेव सूरि की टीका है।

१. दुवालसंगे गणिविडए पन्नते । तं जहा—आयारे, सूपगडे, ठाणो, समवाए, विवाहपन्नत्ती णायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पणहावागरसाइं विवागसुए, दिट्ठिवाए । से किं तं आयारे ? आयारेणं समणारणं निगंथाणं-माहिज्जइ ॥

—समवायांग सूत्र, द्वादशांगाधिकार, पृ० २३१-३२

२. मंखलिपुत्र गोशालक का मत

५. विवाह-पण्यति (व्याख्या-प्रज्ञप्ति)

जीव-अजीव आदि पदार्थों की विशद विस्तृत व्याख्या होने के कारण इस अंग का नाम व्याख्या-प्रज्ञप्ति^१ है। संक्षेप में भगवती सूत्र भी कहा जाता है। इसमें एकतालीस शतक हैं। प्रत्येक शतक अनेक उद्देशों (उद्देशकों) में बंटा हुआ है। प्रथम से आठ तक, बारह से चौदह तक तथा अठारह से बीस तक के शतकों में से प्रत्येक में दश-दश उद्देशक हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शतकों में उद्देशों की संख्याएं न्यूनाधिक पाई जाती हैं। पन्द्रहवें शतक का उद्देशों में विभाजन नहीं है। उसमें मंखलिपुत्र गोशालक का चरित्र है। यह अपने आप में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति का सूत्र-क्रम से भी विभाजन प्राप्त होता है। इसमें कुल सूत्र-संख्या ८६७ है।

वर्णन शैली

व्याख्या-प्रज्ञप्ति की वर्णन-शैली प्रश्नोत्तर के रूप में है। गणधर गौतम जिज्ञासु-भाव से प्रश्न उपस्थित करते हैं और भगवान् महावीर उनका उत्तर देते हैं या समाधान करते हैं। टीकाकार आचार्य अमरदेव सूरि ने इन प्रश्नोत्तरों की संख्या छत्तीस हजार बतलाई है। उन्होंने पदों की संख्या दो लाख अठासी हजार दी है। इसके विपरीत समवायांग में पदों की संख्या चौरासी हजार तथा नन्दी में एक लाख चौवालीस हजार बतलाई गयी है।

कहीं-कहीं प्रश्नोत्तर बहुत छोटे-छोटे हैं। उदाहरणार्थ—

प्रश्न—भगवान् ! ज्ञान का फल क्या है ?

उत्तर—विज्ञान ।

प्रश्न—विज्ञान का फल क्या है ?

उत्तर—प्रत्याख्यान ।

प्रश्न—प्रत्याख्यान का फल क्या है !

उत्तर—संयम ।

कहीं-कहीं ऐसे प्रश्नोत्तर भी हैं, जिनमें पूरा शतक ही आ गया है। मंखलिपुत्र गोशालक के वर्णन से सम्बद्ध पन्द्रहवां शतक इसका उदाहरण है।

-
१. विविधाः—जीवाजीवादिप्रचुरतरपदार्थविषयाः आ.....अभिविधिना कथांचन्निखिल ज्ञेयव्याप्त्या मर्यादया वा—परस्परासंकीर्ण-लक्षणाभिधानरूपया ध्यानानि—भगवतो महावीरस्य गौतमादिविनियान्प्रतिप्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्यास्ताः प्रज्ञाप्यन्ते—प्ररूप्यन्ते भगवता सुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमभियस्याम् । अथवा विवाहा-विविधा विशिष्टा वाऽर्थप्रवाहा नयप्रवाहा वा प्रज्ञाप्यन्ते—प्ररूप्यन्ते प्रबोध्यन्ते वा यस्याम्—अभिधानराजेन्द्रः खण्ड भाग, पृ० १२३८

जैन धर्म का विश्वकोश

प्रश्नोत्तर-क्रम के मध्य जैन तत्त्वज्ञान, इतिहास, अनेकानेक घटनाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों का वर्णन, विवेचन इतना विस्तृत हो गया है कि उनसे सम्बद्ध अनेक पहलुओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से इसे प्राचीन जैन ज्ञान का विश्वकोश कहना प्रतिरंजन नहीं होगा।

अन्य ग्रन्थों का सूचन

विस्तार में जाते हुए विवरण को संक्षिप्त करने के निमित्त स्थान-स्थान पर प्रज्ञापना, जीवाभिगम, औपपातिक व नन्दी जैसे ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उनमें से उन-उन प्रसंगों को ले लेने का सूचन किया है। नन्दीसूत्र बलभी वाचना के आयोजक एवं प्रधान देवद्विगणी क्षमाश्रमण की रचना माना जाता है। उसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख होने से तथा यहाँ के विवरणों को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की जो सूचना की गयी है, उससे यह प्रमाणित होता है कि इस श्रुतांग को अपना वर्तमान रूप नन्दीसूत्र रचे जाने के पश्चात् वीर निर्वाण से लगभग १००० वर्ष पश्चात् ई० सन् ५२७ में प्राप्त हुआ है। यही स्थिति अन्य श्रुतांगों के सम्बन्ध में भी घटित होती है। ऐसा होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि विषय-वस्तु पुरातन तथा आचार्य-परम्परानुस्यूत है।

ऐतिहासिक सामग्री

भगवान् महावीर के जीवन-चरित, उनके अनेक शिष्य, श्रावक-गृहस्थ अनुयायी तथा अन्य तीर्थकों के सम्बन्ध में इस श्रुतांग में विवेचन प्राप्त होता है, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें शतक में वर्णित महाशिला कंटक संग्राम तथा रथभूसल संग्राम ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा युद्ध-विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। अंग, बंग, मलय, मालव, अच्छा, वच्छ, कोच्छ, दाढ़, लाढ़, वज्जि, मोलि, कासी, कोशल, अबाह, सुमुत्तर आदि जनपदों का उल्लेख भारत की तत्कालीन प्रादेशिक स्थिति का सूचना करता है। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक, भगवान् महावीर के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मंछलिपुत्र गोशालक के जीवन, कार्य आदि के सम्बन्ध में जितने विस्तार से यहाँ परिचय प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं होता। स्थान-स्थान पर पार्श्वपत्थों तथा उनके द्वारा स्वीकृत व पालित चातुर्वर्ग धर्म का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर के समय में तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के युग से चले आने वाला निग्रन्थ सम्प्रदाय स्वतन्त्र रूप में विद्यमान था। उसका भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित

पंचमहाव्रत मूलक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था तथा क्रमशः उसका भगवान् महावीर के श्राम्नाय में सम्मिलित होना प्रारम्भ हो गया था ।

आचार्य अमरदेव सूरि की टीका के अतिरिक्त इस पर अवबृष्टि तथा लघुवृत्ति भी है । लघुवृत्ति के लेखक श्री दानशेखर हैं ।

६. ज्ञायाधम्मकहाओ (ज्ञाता धर्मकथा या ज्ञातृ धर्मकथा)

नाम की व्याख्या

ज्ञायाधम्मकहाओ के तीन संस्कृत-रूपान्तर हो सकते हैं—ज्ञाता धर्मकथा, ज्ञातृधर्मकथा न्याय धर्मकथा । अभिधान राजेन्द्र में ज्ञाता धर्मकथा की व्याख्या में कहा गया है : “ज्ञात का अर्थ उदाहरण है । इसके अनुसार इसमें उदाहरण-प्रधान धर्मकथाएं हैं । अथवा इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है—जिसके प्रथम श्रुत-स्कन्ध में ज्ञात अर्थात् उदाहरण हैं तथा दूसरे श्रुत-स्कन्ध में धर्म-कथाएं हैं, वह ज्ञाता धर्मकथा है ।”

ज्ञातृधर्मकथा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है : ज्ञातृ अर्थात् ज्ञातृ कुलोत्पन्न या ज्ञातृपुत्र भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्मकथाओं का जिसमें वर्णन है, वह ज्ञातृ धर्मकथा सूत्र है । परम्परया इसी नाम का अधिक प्रचलन है ।”

तीसरा रूप जो न्यायधर्मकथा सूचित किया गया है, इसके अनुसार न्याय—ज्ञान अथवा नीति-सम्बन्धी सामान्य नियमों—विधानों और दृष्टान्तों द्वारा बोध कराने वाली धर्मकथाएं जिसमें हों, न्याय-धर्मकथा सूत्र है ।

आगम का स्वरूप : कलेवर

दो श्रुत-स्कन्धों में यह आगम विभक्त है । प्रथम श्रुत-स्कन्ध में उन्नीस अध्यायन हैं तथा दूसरे में दश वर्ग । प्रथम श्रुत-स्कन्ध के प्रथम अध्यायन में राजगृह के राजा श्रेणिक-बिम्बिसार के धारिणी नामक रानी से उत्पन्न राजपुत्र मेघकुमार का वर्णन है । जब वह कुमार अपने वैभव तथा समृद्धि के अनुरूप अनेक विद्याओं तथा कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए युवा हुआ, उसका अनेक राजकुमारियों से विवाह कर दिया गया । एक बार ऐसा प्रसंग बना, राजकुमार ने भगवान् महावीर का उपदेश श्रवण किया ।

१. ज्ञातानि उदाहरणानि तत्प्रधाना धर्मकथा ज्ञाताधर्मकथा । अथवा ज्ञातानि ज्ञाताध्ययनानि प्रथमश्रुतस्कन्धे, धर्मकथा द्वितीये, यासु अन्य-पद्धतिषु ना ज्ञाताधर्मकथाः ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २००९

उसके मन में वैराग्य हुआ। उसने दीक्षा स्वीकार कर ली। श्रमण-धर्म का पालन करते हुए उसके मन में कुछ दुर्बलता आई, वह क्षुब्ध हुआ और अनुभव करने लगा, जैसे उसने राज-वैभव छोड़ श्रमण-धर्म स्वीकार कर मानो भून की हो। किन्तु, भगवान् महावीर ने उसे उसके पूर्व भव का वृत्तान्त सुनाया, तो उसका मन संयम में स्थिर और दृढ़ हो गया। अन्य अध्ययनों में इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कथानक हैं, जिनके द्वारा तप, त्याग व संयम का उद्बोध दिया गया है। अ ठवे अध्ययन में विदेह-राजकन्या मल्लि तथा सोलहवें अध्ययन में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है। दोनों कथाएँ बहुत महत्पूर्ण हैं।

द्वितीय श्रुत-स्कन्ध दश वर्गों में विभक्त है। इन वर्गों में प्रायः स्वर्गों के इन्द्रों की अग्रमहिषियों के रूप में उत्पन्न होने वाली स्त्रियों की कथाएँ हैं।

आचार्य अभयदेव सूरि की टीका है। उसे द्रोणाचार्य ने संशोधित किया था। आचार्य अभयदेव सूरि ने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में जो लिखा है, उसके अनुसार तब अनेक वाचनाएँ प्रचलित रही हैं।

७. उपासक दसाओ (उपासकदशा)

नामः अर्थ

उपासक का अर्थ श्रावक तथा दशा का अर्थ तद्वगत-अणुव्रत आदि क्रिया-कलाप से प्रतिबद्ध या युक्त अध्ययन (ग्रन्थ-प्रकरण) है।^१

विषय-वस्तु

प्रस्तुत श्रुतांग में दश अध्ययन हैं, जिनमें दश श्रावकों के कथानक हैं। इन कथानकों के माध्यम से जैन गृहस्थों द्वारा पालनीय घासिक नियम समझाये गये हैं। साथ-साथ यह भी बतलाया गया है कि धर्मोपासकों को अपने धर्म के परिपालन के सन्दर्भ में कितने ही विघनों तथा प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, पर, वे उनसे कभी विचलित या धर्मच्युत नहीं होते। अन्त में बारह गाथाओं द्वारा दशों कथानकों के मुख्य वर्ण्य विषयों का संकेत करते हुए ग्रन्थ का सार उपस्थित किया गया है।

आचारांग का पूरक

इम श्रुतांग को एक प्रकार से आचारांग का पूरक कहा जा सकता है। आचारांग में जहाँ श्रमण-धर्म का निरूपण किया गया है, वहाँ इसमें श्रमणोपासक—श्रावक या गृहस्थ-धर्म निरूपण किया गया है। आनन्द आदि महावैभवंशाली गृहस्थों का

१ उपासकाः श्रावकास्तद्गताणुव्रतादि क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशाध्ययनानि उपासकदशा।

—अभिधान राजेन्द्र, भाग २, पृ० १०९४

जीवन कैसा था, उस समय देश की समृद्धि कैसी थी, इत्यादि विषयों का इस श्रुतांग से अच्छा परिचय मिलता है। आचार्य अभयदेव सूरि की इस पर टीका है।

८. अन्तगडदसाओ (अन्तकृदशा)

नामः व्याख्या

जिन महापुरुषों ने घोर तपस्या तथा आत्म-साधना द्वारा निर्वणि प्राप्त कर जन्म-मरण—आवागमन का अन्त किया, वे अन्तकृत् कहलाये। उन अर्हत्तों का वर्णन होने से इस श्रुतांग का नाम अन्तकृदशांग है। इस श्रुतांग में आठ वर्ग हैं। प्रथम में दश, द्वितीय में आठ, तृतीय में तेरह, चतुर्थ में दश, पंचम में दश, षष्ठ में सोलह, सप्तम में तेरह तथा अष्टम वर्ग में दश अध्ययन हैं। इस श्रुतांग में कथानक वर्णित नहीं पाये जाते। 'वर्णओ' और 'जाव' शब्दों द्वारा अधिकांश वर्णन व्याख्या-प्रज्ञप्ति अथवा ज्ञातृधर्मकथा आदि से पूर्ण कर लेने की सूचना मात्र कर दी गयी है।

शक ऊहापीह

स्थानांग में अन्तकृदशा का जो वर्णन आया है, उससे इसका वर्तमान स्वरूप मेल नहीं खाता। वहाँ इसके दश^१ अध्ययन बतलाये हैं। उन अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं : १. नमि अध्ययन, २. मातंग अध्ययन, ३. सोमिल अध्ययन, ४. रामगुप्त अध्ययन, ५. सुदर्शन अध्ययन, ६. जमालि अध्ययन, ७. भगालि अध्ययन, ८. किंकर्मपल्लित अध्ययन, ९. फालित अध्ययन, १०. मंडितपुत्र अध्ययन।

बहुत सम्भावित यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इस ग्रन्थ में उपासकदशांग की तरह दश ही अध्ययन रहे होंगे। पीछे पल्लवित होकर ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप में पहुँचा हो। जिस प्रकार उपासक दशा में गृहस्थ साधकों या श्रावकों के कथानक वर्णित हैं, उसी तरह इस श्रुतांग में अर्हत्तों के कथानक वर्णित किये गये हैं और वे प्रायः एक जैसी शैली में लिखे गये हैं।

१. दस दसाओ पणत्ताओ तं जहा—

कम्मविवागदसाओ, उवासगदसाओ,
अंतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ;
आयारदसाओ, पण्हा वागरणदसाओ, बंधदसाओ,
योगिद्धि दसाओ, वीहवसाओ, संखेबियदसाओ।

—स्थानांग सूत्र, स्थान १०, १२

अन्तर्कृद्दशा के तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन में देवकी-पुत्र गजसुकुमाल का कथानक है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह कथानक उत्तरवर्ती जैन साहित्य में पल्लवित और विकसित होकर अवतारित हुआ है। छठे वर्ग के तृतीय अध्ययन में अर्जुन मालाकार का कथानक है, जो जैन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। स्वतन्त्र रूप से इस कथानक पर अनेक रचनाएं हुई हैं। अष्टम वर्ग में अनेक प्रकार की तपोविधियों, उपवासों तथा व्रतों का वर्णन है।

६. अणुत्तरोववाइयदसाओ (अनुत्तरोपपातिक दशा)

नाम : व्यग्रस्था

श्रुतांग में कतिपय ऐसे विशिष्ट महापुरुषों के आख्यान हैं, जिन्होंने तपःपूर्ण धर्म-साधना के द्वारा समाधि-मरण प्राप्त कर अनुत्तर विमानों में जन्म लिया, वहां से पुनः केवल एक ही बार मनुष्य-योनि में आना होता है अर्थात् उसी मानव-भव में मोक्ष हो जाता है। अनुत्तर और उपपात (उद्भव, जन्म) के योग से यह शब्द बना है, जो अन्वर्थक है।

तीन वर्गों में यह श्रुतांग विभक्त है। प्रथम वर्ग में दश, दूसरे वर्ग में तेरह तथा तीसरे वर्ग में दश अध्ययन हैं। इनमें चरित्रों का वर्णन परिपूर्ण नहीं है। केवल सूचन मात्र कर अन्यत्र देखने का इंगित कर दिया गया है। प्रथम वर्ग में धारिणी-पुत्र जालि तथा तृतीय वर्ग में भद्रा-पुत्र धन्य का चरित्र कुछ विस्तार के साथ प्रतिपादित किया गया है। धन्य द्वारा अनगार की तपस्या, तज्जनित देह-क्षीणता आदि ऐसे प्रसंग हैं, जो महासीहनावसुत्त, कस्सपसीहनावसुत्त आदि पालि-ग्रन्थों में वर्णित बुद्ध की तपस्या-जनित दैहिक क्षीणता का स्मरण कराते हैं।

वर्तमान रूप : अपरिपूर्णा, अयथावत्

ऐसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ का वर्तमान में जो स्वरूप प्राप्त है, वह परिपूर्ण और यथावत् नहीं है। स्थानांग में इसके भी दश अध्यायों की चर्चा आई है। प्रतीत होता है, प्रारम्भ के उपासकदशा तथा अन्तर्कृद्दशा की तरह इसके भी दश अध्ययन रहें हों, जो अब केवल तीन वर्गों के रूप में अवशिष्ट हैं।

१. अणुत्तरोववाइयदसाणं वस अज्झयणा पणत्ता तं जहा—

इतिवासेय धण्णेय, सुनक्खत्तेय कित्तिये ।

संठाणे सालिभद्दे ए, आणंदे तेयसी इय ॥

वसन्नभद्दं अहमुत्ते एमेते वस आहिया ॥

—स्थानांग सूत्र, स्थान १०, ९६

१०. पण्डवागारणाई (प्रश्नव्याकरण)

नाम के प्रतिरूप

श्रुतांग के नाम में प्रश्न और व्याकरण; इन दो शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है, प्रश्नों का विश्लेषण, उत्तर या समाधान ।^१ पर, आज इसका जो स्वरूप प्राप्त है, उससे स्पष्ट है कि इसमें प्रश्नोत्तरों का सर्वथा अभाव है ।

वर्तमान रूप

प्रश्नव्याकरण का जो संस्करण प्राप्त है, वह दो खण्डों में विभक्त है । पहले खण्ड में पाँच अक्षरद्वार—हिमा, मृषावाद (प्रपन्थ) अदन (चौर) अग्रहृ-मर्चय तथा परिग्रह का स्वरूप बड़े विस्तार के साथ बतलाया गया है । द्वितीय खण्ड में पाँच सवरद्वार—अहिंसा सत्य, दत्त (अचौर्य), ब्रह्मचर्य तथा निष्परिग्रह की विशद व्याख्या की गयी है । आचार्य अभयदेव सूरि की टीका के अतिरिक्त आचार्य नयविमल की भी इस पर टीका है ।

वर्तमान-स्वरूप : समीक्षा

स्थानांग सूत्र में प्रश्नव्याकरण के उपमा, संख्या, ऋषि-भाषित, आचार्य-भाषित, महावीर-भाषित, क्षीमक^२ प्रश्न, कोमल प्रश्न, आदर्श-प्रश्न^३ तथा बाहुप्रश्न ; इन दश^४ अध्ययनों की चर्चा है ।

१. प्रश्नाश्च पृच्छाः, व्याकरणानि च निर्वचनानि समाहारत्वात् प्रश्नव्याकरणम् । तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि प्रश्नव्याकरणम् । प्रश्ना अंगुष्ठादिप्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते अमिधीयन्ते यस्मिन्निति प्रश्नव्याकरणम् । प्रवचन पुरुषस्य दशमेऽङ्गे । अयं च व्युत्पत्त्यर्थोऽस्य पूर्वकालेऽभूत् । इदानीं त्वात्त्रयपंचकसंवरपंचकशकृतिरेवोपोपलभ्यते — ।

—अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ३९१

२. विद्या-विशेष जिससे वस्त्र में देवता का आहुवान किया जाता है ।

—पाइअ सहमहण्णवो, पृ० २८१

३. विद्या-विशेष, जिससे दर्पण में देवता का आगमन होता है ।

—पाइअसहमहाण्णवो, पृ० ५१

४. पण्डवागारणाइसाणं दस अज्झपणाप०, तं० उवमा, संखा, इसिभासियाइं, आयरियमासियाइं, महावीरमासियाइं, खोमगपसियाइं, कोमलपसियाइं, अद्दागपसियाइं, अंगुठपसियाइं, बाहुपसियाइं ।

—स्थानांग, स्थान १०, ९३

नन्दीसूत्र में एक सौ आठ प्रश्न, एक सौ आठ अप्रश्न, एक सौ आठ प्रश्नाप्रश्न, अंगुष्ठ के प्रश्न, बाहु के प्रश्न अर्द्ध (द्वय) प्रश्न, अन्य अनेक दिव्य विद्याएँ (मन्त्र-प्रयोग), नागकुमार तथा स्वर्णकुमार देवों को सिद्ध कर दिव्य संवाद प्राप्त करना आदि प्रश्नव्याकरण के विषय वर्णित हुए हैं ।^१

स्थानांग और नन्दी में प्रश्न-व्याकरण के स्वरूप का जो विश्लेषण हुआ है, वैसा कुछ भी आज उसमें नहीं मिलता । इससे यह अनुमान करना अनुचित नहीं होगा, स्थानांग और नन्दी के अनुसार इस का जो मौलिक रूप था, वह रह नहीं पाया । सम्भवतः उसका विच्छेद हो गया है ।

११. विनागसुय (विराकश्रुत)

अशुभ—पाप और शुभ—पुण्य कर्मों के दुःखात्मक तथा सुखात्मक विपाक (फल) का इस श्रुतांग में प्रतिपादन किया गया है । इसी कारण यह विषय श्रुत या विपाक सूत्र कहा जाता है । दो श्रुत-स्कन्धों में यह श्रुतांग विभक्त है । पहला श्रुत-स्कन्ध दुःख-विपाक विषयक है तथा दूसरा सुख-विषयक । प्रत्येक में दश-दश अध्यायन हैं, जिनमें जीव द्वारा आचरित कर्मों के अनुरूप होने वाले दुःखात्मक और सुखात्मक फलों का विश्लेषण है ।

जैन दर्शन में कर्म-सिद्धान्त का जो सूक्ष्म, तलस्पर्शी एवं विवक्षित विवेचन हुआ है, विश्व के दर्शनवाङ्मय में वह अनन्य साधारण है । उसके सोदाहरण विश्लेषण-विवेचन की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । इसमें जहाँ-कहीं लट्ठी टेक कर चलता हुआ, भीख मांगता हुआ कोई अन्धा दिखाई देता है, वहाँ कहीं श्वास, कास, कफ, भगन्दर, खुजली, कुष्ठ आदि भयावह रोगों से पीड़ित मनुष्य मिलते हैं । राजपुरुषों द्वारा निर्दयता-पूर्वक ताड़ित, पीड़ित तथा उद्धेलित किये जाते लोग दिखाई देते हैं । गर्भवती स्त्रियों के दौहद, नर-बलि, वेश्याओं के प्रलोभन, नाना प्रकार के मांस सस्कार व मिष्टान आदि के विषय में भी प्रस्तुत ग्रन्थ में विवरण प्राप्त होते हैं । इससे पुरातन कालीन मान्यताओं प्रवृत्तियों, प्रथाओं, अपराधों आदि का सहज ही परिचय प्राप्त होता है । सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से यह श्रुतांग बहुत महत्वपूर्ण है ।

१. से कि तं पण्हावागरणाइं ? पण्हावागरणे सुणं अट्ठत्तरं पसिणसयं अट्ठत्तरं अपसिणसयं अट्ठत्तरं पसिणापसिणसयं तंजहा—अंगुट्ठपसिणाइं, बाहुपसिणाइं, अहागपसिणाइं, सया नाग-सुवण्णेहिं सिद्धि दिव्वा संवाया आघदिज्जंति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा संखिज्जा अणुओगवारा, संखिज्जा सिलोगा ।—

—नन्दी सूत्र, पृ० १८५-८६

स्थानांग में कम्मविभागवसाओ के नाम से उल्लेख हुआ है। वहाँ उवासगदसाओ, अंतगडवसाओ, अणुत्तरोववाइयइसाओ तथा पण्हावागरणवसाओ की तरह इसके दश अध्ययन¹ बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं : १. मृगापुत्र अध्ययन, २. गोत्रास अध्ययन, ३. अण्ड अध्ययन, ४. शकट अध्ययन, ५. ब्राह्मण अध्ययन, ६. नन्दिसेण अध्ययन, ७. सौकरिक अध्ययन, ८. उद्म्बर अध्ययन, ९. सहस्वाह आमलक अध्ययन, १०. कुमारलक्ष्मी अध्ययन।

वर्तमान में प्राप्त विपाक सूत्र के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के दस अध्ययन² इस प्रकार हैं— १. मृगापुत्र अध्ययन, २. उज्झित अध्ययन, ३. अभग्ग (अभग्न) सेन अध्ययन, ४. शकट अध्ययन, ५. बृहस्पति अध्ययन, ६. नन्दि अध्ययन, ७. उम्बर अध्ययन, ८. शौर्यदत्त अध्ययन, ९. देवदत्ता अध्ययन, १०. अंजु अध्ययन।

द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं : १. सुबाहु अध्ययन, २. भद्रनन्दी अध्ययन, ३. सुजात अध्ययन, ४. सुवासव अध्ययन, ५. जिन दास अध्ययन, ६. धनपति अध्ययन, ७. महाबल अध्ययन, ८. भद्रनन्दि अध्ययन, ९. महाचन्द्र अध्ययन तथा १०. वरदत्त अध्ययन।³ द्वितीय श्रुत-स्कन्ध में सुबाहुकुमार से सम्बन्धित प्रथम अध्ययन विस्तृत है। अग्रिम नौ अध्ययन, अत्यन्त संक्षिप्त हैं। उनमें पात्रों के चरित की सूचनाएँ मात्र हैं। प्रायः सुबाहुकुमार की तरह परिज्ञात करने का संकेत कर कथानक का संक्षेप कर दिया गया है। इन्हें केवल नाम मात्र के अध्ययन कहा जा सकता है। स्थानांग सूत्र में वर्णित कम्मविभागवसाओ के तथा विपाक सूत्र प्रथम श्रुत-स्कन्ध के निम्नांकित अध्ययन प्रायः नाम-सादृश्य लिये हुए हैं :

१. कम्मविभागवसाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा —

मियापुत्ते य गुत्तासे अंडे सगड्ढे यावरे ।

माहणे नंदिसेणोय, सूरिए य उबुंबरे ॥

सहसुदाहे आमलए, कुमारे लच्छई ति य ।

स्थानांग, स्थान १०, १३

२. समणेणं आइगरेणं जाव संपत्तेणं बृहविवागाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा —

मियापुत्ते, उज्झिय ए, अभग्ग, सगड्ढे, बहस्सइ, नंदी, उंबर, सोरियदत्ते य, देवदत्ता य, अंजु य ।

—विपाक सूत्र, प्रथम श्रुत-स्कन्ध, प्रथम, अ०, ९

१. समणेणं जाव संपत्तेणं बृहविवागाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा —

सुबाहु, भदरांडी, सुजाए, सुवासवे, सहेण जिणवासे ।

धणपति य महब्बलो, भदरांडी, महचवे वरदत्ते ॥

—विपाक सूत्र, द्वितीय श्रुत-स्कन्ध, प्रथम, अ० २

स्थानांग

१. मृगापुत्र अध्ययन
४. शकट अध्ययन
६. नन्दिषैण अध्ययन
७. उम्बर अध्ययन

विपाक सूत्र प्रथम श्रुत-स्कन्ध

१. मृगापुत्र अध्ययन
४. शकट अध्ययन
६. नन्दि (नन्दिषैण) अध्ययन
७. उदम्बर अध्ययन

तुलनात्मक विवेचन से ऐसा अनुमान असम्भाव्य कोटि में नहीं जाता कि विपाक श्रुत (सूत्र) का स्वरूप कुछ यथावत् रहा हो, कुछ परिवर्तित या शब्दान्तरित हुआ हो। अध्ययनों की क्रम-स्थापना में भी कुछ भिन्नता आई हो।

१२. दिट्ठिवाय (दृष्टिवाद)

स्थानांग में दृष्टिवाद के पर्याय

पूर्वों के विवेचन-प्रसंग में दृष्टिवाद के विषय में संकेत किया गया है। इसे विच्छिन्न माना जाता है। स्थानांग सूत्र में इसके दश पर्यायवाची शब्दों^१ का उल्लेख हुआ है : १. दृष्टिवाद, २. हेतुवाद, ३. भूतवाद, ४. तत्त्ववाद, ५. सम्यक्वाद, ६. धर्मवाद, ७. भाषा-विजय, ८. पूर्वगत, ९. अनुयोगगत, १०. सर्वप्राणभूतजीव सत्त्व सुखावह। समवायांग आदि में दृष्टिवाद के पांच भेदों का उल्लेख है : १. परिकर्म, २. सूत्र ३. पूर्वगत ४. अनुयोग ५. चूलिका।

स्थानांग सूत्र में दिये गये दृष्टिवाद के पर्यायवाची शब्दों में आठवां पूर्वगत है। यहाँ दृष्टिवाद के भेदों में तीसरा पूर्वगत है। अर्थात् पूर्वगत का प्रयोग दृष्टिवाद के पर्याय के रूप में भी हुआ है और उसके एक भेद के रूप में भी। दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है, भिन्नार्थकता लिये हुए होना चाहिए; क्योंकि दृष्टिवाद समष्ट्यात्मक संज्ञा है, इसलिये उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त पूर्वगत का यही अर्थ होता है, जो दृष्टिवाद का है। दृष्टिवाद के एक भेद के रूप में आया हुआ 'पूर्वगत' शब्द सामान्यतः दृष्टिवाद के एक भाग या अंश का द्योतक होता है, जिसका आशय चतुर्दश पूर्वात्मक ज्ञान है।

शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से दृष्टिवाद और पूर्वगत—चतुर्दश पूर्व-ज्ञान एक नहीं कहा जा सकता। पर, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना होगा। वस्तुतः चतुर्दश पूर्वों के ज्ञान की

१. दिट्ठिवायस्स एं वस नामघिज्जा प० त० दिट्ठिवाएइवा हेतु-वाएइवा भूयवाएइवा तच्चावाएइवा धम्मावाएइवा मासाविजयेइ वा पूर्वगएइवा अणभोगएइवा सत्त्वपाणभूजजीव-सत्त्वसुहावहेइवा।

—स्थानांग सूत्र, स्थान १०, ७७

व्यापकता इतनी अधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। कुछ भी अवशेष नहीं रहता। यही कारण है कि चतुर्दश पूर्वघर की संज्ञा श्रुत-केवली है। पूर्वगत को दृष्टिवाद का जो एक भेद कहा गया है, वहाँ सम्भवतः एक भिन्न दृष्टिकोण रहा है। पूर्वगत के अतिरिक्त अन्य भेदों द्वारा विभिन्न विधाओं को संकेतित करने का अभि-प्राय उनके विशेष परिशीलन से प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख विषय—ज्ञान के कतिपय विशिष्ट पक्ष, जिनकी जीवन में अपेक्षाकृत विशेष उपयोगिता होती है, विशेष रूप से परिशीलनीय होते हैं; अतः सामान्य-विशेष के दृष्टिकोण से यह निरूपण किया गया प्रतीत होता है। अर्थात् सामान्यतः तो पूर्वगत में समग्र ज्ञान-राशि समाई हुई है ही, पर, विशेष रूप से तद्-व्यतिरिक्त भेदों की वहाँ अध्येतव्यता विवक्षित है।

भेद-प्रभेदों के रूप में विस्तार

दृष्टिवाद के जो पांच भेद बतलाये गये हैं, उनके भेद-प्रभेदों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनसे अधिगत होता है कि परिकर्म के अन्तर्गत लिपि-विज्ञान और गणित का विवेचन था। सूत्र के अन्तर्गत छिन्नछेदनय, विच्छन्न छेदनय तथा चतुर्नय आदि विमर्श-परिपाटियों का विश्लेषण था। छिन्नछेदनय व चतुर्नय की परिपाटियाँ निग्नन्धों द्वारा तथा अच्छिन्नछेदनयात्मक परिपाटी आजीवकों द्वारा व्यवहृत थी। आगे चल कर इन सबका समावेश जैन नयवाद में हो गया।

अनुयोग का तात्पर्य

दृष्टिवाद का चतुर्थ भेद अनुयोग है, उसे प्रथमानुयोग तथा गण्डिकानुयोग के रूप में दो भागों में बांटा गया है। प्रथम में अर्हत्तों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान आदि से सम्बद्ध इतिवृत्त का समावेश है, जब कि दूसरे में कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों के चरित का। जिस प्रकार के विषयों के निरूपण की चर्चा है, उससे अनुयोग को प्राचीन जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। दिगम्बर-परम्परा में इसका सामान्य नाम प्रथमानुयोग ही प्राप्त होता है।

दृष्टिवाद के पंचम भेद चूलिका के सम्बन्ध में कहा गया है—चूला (चूलिका) का अर्थ शिखर है। जिस प्रकार मेरु पर्वत के चूलाएँ (चूलिकाएँ) या शिखर हैं, उसी प्रकार दृष्टिवाद के अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में उक्त और अनुक्त ;

१. इहैकवक्त्व्यतार्थाधिकारानुगता वाक्यपद्धतयो गण्डिका उच्यन्ते ।

तासामनुयोगोऽर्थकथनविधिर्गण्डिकानुयोगः ।

—अभिधान राजेन्द्र, तृतीय भाग, पृ० ७९१

दोनों प्रकार के अर्थों —विवेचनों की संग्राहिका, ग्रन्थ-पद्धतियां बूलिकाएं हैं। चूणिकार ने बतलाया है कि दृष्टिवाद में परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में जो अभिहित या अव्याख्यात है, उसे बूलिकाओं में व्याख्यात किया गया है। प्रारम्भ के चार पूर्वों^१ की जो बूलिकाएं हैं, उन्हीं का यहां अभिप्राय है^२। दिगम्बर-परम्परा में ऐसा नहीं माना जाता। वहां बूलिका के पांच भेद बतलाये गये हैं : १. जलगत, २. स्थलगत, ३. मायागत ४. रूपगत तथा ४. आकाशगत। ऐसा अनुमेय है कि इन बूलिका-भेदों के विषय सम्भवतः इन्द्रजाल तथा मन्त्र-तन्त्रात्मक आदि थे, जो जैन धर्म की तात्त्विक (दार्शनिक) तथा समीक्षा-प्रधान दृष्टि के आगे अधिक समय तक टिक नहीं सके ; क्योंकि इनकी ग्रह्यात्म-उत्कर्ष से संगति नहीं थी।

द्वादश उपांग

उपांग

प्राचीन परम्परा से श्रुत का विभाजन अंग-प्रविष्ट और अंग-बाह्य के रूप में चला आ रहा है। मन्दी सूत्र में अंग-बाह्य का कालिक और उत्कालिक के रूप में विवेचन हुआ है। जो सूत्र-ग्रन्थ आज उपांगों में अन्तर्गमित हैं, उनका उनमें समावेश हो जाता है। अंग-ग्रन्थों के समकक्ष उतनी ही (बारह) संख्या में उपांग-ग्रन्थों का निर्धारण हुआ। उसके पीछे क्या स्थितियां रहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आगम-पुरुष की कल्पना की गयी। जहां उसके अंग-स्थानीय शास्त्रों की परिकल्पना और अंग-सूत्रों की तत्स्थानिक प्रतिष्ठापना हुई, वहां उपांग भी कल्पित किये गये। इससे अधिक सम्भवतः कोई तथ्य, जो ऐतिहासिकता की कोटि में आता हो, प्राप्त नहीं है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थ-भाष्य में उपांग शब्द व्यवहृत हुआ है।

अंग : उपांग : असादृश्य

अंग गणधर-रचित हैं। उनके अपने विषय हैं। उपांग स्थविर रचित हैं। उनके अपने विषय हैं। विषय-वस्तु, विवेचन आदि की दृष्टि से वे परस्पर प्रायः असदृश यद्भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, पहला उपांग पहले अंग से विषय, विश्लेषण प्रस्तुतीकरण आदि की दृष्टि से सम्बद्ध होना चाहिए, पर, वैसा नहीं है। यही लगभग सभी उपांगों के सम्बन्ध

(१) उत्पाद, (२) अप्रायणीय, (३) वीर्यप्रवाद, (४) अस्ति-नास्तिप्रवाद।

२. अथ कास्ताश्चूलाः ? इह चूला शिखरमुच्यते। यथा भेरी चूलाः, तत्र चूला इव चूला दृष्टिवादे परिकर्मसूत्र पूर्वानुयोगोक्तानुक्तार्थसंग्रहपरा ग्रन्थपद्धतयः। तथा चाऽऽह चूणिकृत्-दिदिठवाए जं परिकम्मसुत्तपुब्बाएणजोणे चूलिअं न भणियं, तं चूलासु भणियं ति। अत्र सूरिराह चूला आदिमानां चतुर्णां पूर्वाणाम्, शेषाणि पूर्वाण्यचूलिकानि, ता एव चूलाः....

—अभिधानराजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

में कहा जा सकता है। यदि यथार्थ संगति जोड़े, तो उपांग अंगों के पूरक होने चाहिए, जो नहीं हैं। फिर इस नाम की प्रतिष्ठापना कैसे हुई, कोई व्यक्त समाधान दृष्टिगत नहीं होता।

वेदों के अंग

भारत के प्राचीन वाङ्मय में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों के अर्थ को समझने के लिए, वहाँ वेदांगों की कल्पना की गयी, जो शिक्षा (वैदिक संहिताओं के शुद्ध उच्चारण तथा स्वर-संचार के नियम-ग्रन्थ), व्याकरण, छन्दःशास्त्र, निरुक्त (व्युत्पत्ति-शास्त्र), ज्योतिष तथा कल्प (यज्ञादि-प्रयोगों के उपपादन-ग्रन्थ) के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ इनके सम्यग् अध्ययन के बिना वेदों को यथावत् समझना तथा याज्ञिक रूप में उनका क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकता; अतः उनका अध्ययन आवश्यक माना गया।

वेदों के उपांग

वेदार्थ की और अधिक स्पष्टता तथा जन-प्राप्तता साधने के हेतु उपर्युक्त वेदांगों के अतिरिक्त वेदों के चार उपांगों की कल्पना की गयी, जिनमें पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र का स्वीकार हुआ।^२ यह भी आवश्यकता के अनुरूप हुआ और इससे अभीप्सित ध्येय सदा भी। फलतः वेदाध्ययन में सुगमता हुई।

उपवेदों की परिकल्पना

वैदिक साहित्य में चारों वेदों के समकक्ष चार उपवेदों की भी कल्पना हुई, जो आयुर्वेद, गान्धर्व वेद (संगीत-शास्त्र), धनुर्वेद और अथर्वशास्त्र (राजनीति-विज्ञान) के रूप में प्रसिद्ध हैं।

१. छन्दः पादौ तु वेदस्य, इस्ती कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा द्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात् सांगमधीत्येव, ब्रह्मलोके महीयते ॥

—पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२

२. (क) संस्कृत-हिन्दी कोश : आपटे, पृ० २१४

(ख) Sanskrit-English Dictionary, by Sir Monier M. Williams, P. 213

(ग) पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ।

—याज्ञवल्क्य स्मृति, १-३

वेदों के अंगों तथा उपांगों की प्रतिष्ठापना की तो सार्थकता सिद्ध हुई, पर, उपवेद वेदों के किस रूप में पूरक हुए ; दार्शनिक दृष्ट्या उतना स्पष्ट नहीं है, जितना होना चाहिए। उदाहरणार्थ, सामवेद से गान्धर्व उपवेद को जोड़ा जा सकता है, उसी तरह अन्य उपवेदों की भी वेदों के साथ संगति साधने से लिए विवक्षा हो सकती है। दूरान्विततया संगति जोड़ना या परस्पर तालमेल बिठाना कहीं भी दुःसम्भव नहीं होता। पर, वह केवल तर्क-कौशल और वाद-नैपुण्य की सीमा में आता है। उसमें वस्तुतः सत्योपपादन का भाव नहीं होता। पर, 'उप' उपसर्ग के साथ निष्पन्न शब्दों में जो 'पूरकता' का विशेष गुण होना चाहिए, वह कहां तक फलित होता है, यही देखना है। जैसे, गान्धर्व उपवेद सामवेद से निःसृत या विकसित शास्त्र हो सकता है, पर, वह सामवेद का पूर्वक हो, जिसके बिना सामवेद में कुछ अपूर्णता प्रतीत होती हो, ऐसा कैसे माना जा सकता है? अस्तु, सामवेद और गान्धर्व उपवेद की तो किसी-न-किसी तरह संगति बैठ भी सकती है, पर, औरों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा किया गया, यह क्यों? इस प्रश्न का इत्थंभूत समाधान सुलभ नहीं दीखता। हो सकता है, धनुर्वेद आदि-लोकजनीन शास्त्रों को ठेठ वैदिक वाङ्मय का अंश या भाग सिद्ध करने की उत्कण्ठा का यह परिणाम हुआ हो।

प्रस्तुत सन्दर्भ : जैन श्रुतोपांग

अंग-प्रविष्ट या अंग-श्रुत सर्वाधिक प्रामाणिक है ; क्योंकि वह भगवत्प्ररूपित और गणधर-सजित है। तद् व्यतिरिक्त साहित्य (जो स्थविरकृत) का प्रामाण्य उसके अंगानुगत होने पर है। वर्तमान में जिसे उपांग-साहित्य कहा जाता है, वह सब अंग-बाह्य में सन्निविष्ट है। उसका प्रामाण्य, जैसा कहा गया है, अंगानुगतता पर है, स्वतन्त्र नहीं। फिर बारह ग्रन्थों को उपांगों के रूप में लिये जाने के पीछे कोई विशेष उपयोगितावादी, सार्थकतावादी दृष्टिकोण रहा हो, यह स्पष्ट भासित नहीं होता। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष तथ्यों की ओर संकेत किया ही जा चुका है।

वेद के सहायक अंग तथा उपांग ग्रन्थों की तरह जैन मनीषियों का भी अपने कुछ महत्वपूर्ण अंग-बाह्य ग्रन्थों को उपांग-नाम दे देने का विचार हुआ हो। क्रम-सज्जा नाम-सौष्ठव आदि के अतिरिक्त इसके मूल में कुछ और भी रहा हो, यह गवेष्य है ; क्योंकि हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं है। उपांगों (जैन श्रुतोपांगों) के विषय में ये विकीर्ण जैसे विचार हैं, जिन्हें यहां उपस्थित किया गया है। जैन मनीषियों पर इनके सन्दर्भ में विशेष रूप से चिन्तन और गवेषणा का दायित्व है।

१. उववाइय (ओववाइय) (औपपातिक)

औपपातिक का अर्थ

उपपात का अर्थ प्रादुर्भाव या जन्मान्तर-संक्रमण है। उपपात ऊर्ध्वगमन या सिद्धि-गमन (सिद्धत्व-प्राप्ति) के लिए भी व्यवहृत हुआ है। इस अग में नरक व स्वर्ग में उत्पन्न होने वालों तथा सिद्धि प्राप्त करनेवालों का वर्णन है ; यह इसलिये औपपातिक है। यह पहला उपांग है।

विषय-वस्तु

प्रस्तुत ग्रन्थ में नाना परिणामों, विचारों, भावनाओं तथा साधनाओं से भवान्तर प्राप्त करनेवाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस आगम में हृदयग्राही विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें नगर, उद्यान, वृक्ष, पृथ्वीशिला, राजा, रानी, मनुष्य-परिषद्, देव-परिषद्, भगवान् महावीर के गुण, उनका नख-शिख शरीर, चौंतीस अतिशय, साधुओं के गुण, साधुओं की उपमाएं, तप के ३५४ भेद, केवलि-समुद्रात, सिद्ध, सिद्ध-सुख आदि के विशद वर्णन प्राप्त होते हैं। अन्य (श्रुत) ग्रन्थों में इसी ग्रन्थ का उल्लेख कर यहां से परिज्ञात करने का संकेत कर उन्हें वर्णित नहीं किया गया है। श्रुत-वाङ्मय में वर्णनात्मक शैली की रचनाओं में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

२. रायपसेणीअ (राज-प्रश्नीय)

देव अधिकार, देव विमान अधिकार, देव ऋद्धि अधिकार, परदेशी राजा अधिकार तथा दृढ़प्रतिज्ञकुमार अधिकार, नामक पांच अधिकारों में यह आगम विभक्त है। प्रथम तीन अधिकारों में सूर्याभ देव का, चतुर्थ अधिकार में परदेशी राजा का तथा पंचम में दृढ़प्रतिज्ञकुमार का वर्णन है।

विषय-वस्तु

गणधर गौतम द्वारा महा समृद्धि, विपुल वैभव, अनुपम दीप्ति कान्ति और शोभा-सम्पन्न सूर्याभदेव का पूर्व भव पूछे जाने पर भगवान् महावीर उन्हें उनका पूर्व भव बतलाते

१. उपपतनमुपपातो देवनारकजन्म सिद्धिगमनं चातस्तमधिकृत्य कृतमध्ययनमौपपातिकमिदं चोपांग वर्तते ।

—अभिधान राजेन्द्र, तृतीय भाग, पृ० ९०

हुए कहते हैं कि यह पूर्व भव में राजा परदेशी था। यहीं से राजा परदेशी का वृत्तान्त प्रारम्भ हो जाता है, जो इस सूत्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। राजा परदेशी अनात्मवादी या जड़वादी था। उसका भगवान् पार्श्व के प्रमुख शिष्य केशीकुमार के सम्पर्क में आने का प्रसंग बनता है। अनात्मवाद और आत्मवाद के सन्दर्भ में विस्तृत बातलाप होता है। राजा परदेशी अनात्मवादी, अपुनर्जन्मवादी तथा जड़वादी दृष्टिकोण को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित करता है। श्रमण केशीकुमार युक्ति और न्यायपूर्वक विस्तार से उसका समाधान करते हैं। राजा परदेशी सत्य को स्वीकार कर लेता है और श्रमणोपासक बन जाता है। धर्मारोपणपूर्वक जीवन-यापन करने लगता है। रानी द्वारा विष-प्रयोग, राजा द्वारा किसी भी तरह के विद्विष्ट और विक्षुब्ध भाव के बिना आमरण-अनशन पूर्वक प्राणत्याग के वर्णन के साथ यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

आत्मवाद तथा जड़वाद की प्राचीन परम्पराओं और विमर्श-पद्धतियों के अध्ययन की दृष्टि से इस सूत्र का यह भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गरुधर गौतम के पूछे जाने पर भगवान् महावीर ने आगे बताया कि सूर्याभदेव अपने अग्रिम जन्म में वृद्धप्रतिज्ञकुमार होगा। इस प्रकार अन्तिम अधिकार वृद्धप्रतिज्ञकुमार का है, जिसमें उसके भविष्यमाण जीवनवृत्त का उल्लेख है।

महत्वपूर्ण साधना

सूर्याभदेव के विमान, जो उस (देव) का विशाल, सुन्दर, समृद्ध और सर्वविध सुविधापूर्ण सुसज्ज लोक था, के रचना आदि के प्रसंग में जो वर्णन आया है, वहाँ तोरण, शालभंजिका, स्तम्भ, वेदिका, सुप्रतिष्ठक, फलक, करण्डक, सूचिका, प्रेक्षागृह, वाद्य, अभिनय आदि शब्द भी प्राप्त होते हैं। वास्तव में प्राचीन स्थापत्य, संगीत, आदि के परिशीलन की दृष्टि से यह प्रसंग महत्वपूर्ण है। भगवान् महावीर के समक्ष देवकुमार तथा देवकुमारियों द्वारा बत्तीस प्रकार के नाटक प्रदर्शित किये जाने का प्रसंग प्राचीन नृत्त, नृत्य^२ और नाट्य^३ आदि के सन्दर्भ में एक विश्लेषणीय और विवेचनीय विषय है।

शक अहोपरीह

नन्दी-सूत्र में रायपसेणिय आया है। आचार्य मलयगिरि ने इस नाम को रायपसेणीअ माना है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसके लिए रायपसेणइय का प्रयोग किया है। इस

१. नृत्तं ताललयाश्रयम् । ताल से मात्रा और लय से द्रुत, मध्य तथा मन्द । जैसे, लोक-नृत्य, भीलों का गरबा ।
२. भावाश्रयं नृत्यम्-नृत्य में गात्र-विशेष से भाव-व्यंजना । जैसे, भरतनाट्यम् कथक-नृत्य उदयशंकर के नृत्य ! विशेष—नृत्त और नृत्य के दो-दो भेद—सास्य-मधुर, ताण्डव-उद्धत ।
३. अवस्थानुकृतिनाट्यम् । आंगिक, वाचिक आहार्य एवं सात्विक अभिनयों द्वारा किसी की अवस्था का अनुकरण ।

सूत्र के प्रधान पात्र या कथानायक के सम्बन्ध में ऐकमत्य नहीं है। उस मत-द्वैध का आधार यह नाम भी बना है। परम्परा से राजा परदेशी इस सूत्र के कथानक का मुख्य पात्र है, पर, डा० विण्टरनिट्ज के मतानुसार मूलतः इस आगम में कौशल के इतिहास प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित् की कथा थी। बाद में उसे राजा परदेशी से जोड़ने का प्रयत्न हुआ।

रायपसेणीअ तथा रायपसेणइय शब्दों का सम्बन्ध तो राजा प्रसेनजित् से जुड़ा है, पर, वर्तमान में प्राप्त कथानक का सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से राजा प्रसेनजित् से जोड़ना सम्भव प्रतीत नहीं होता। यह सारा कथा-क्रम कैसे परिवर्तित हुआ, क्या-क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, कुछ कहा जाना शक्य नहीं है। इसलिए जब तक परिपुष्ट प्रमाण न मिलें, तब तक केवल नाम-सांगत्य कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता।

३. जीवाजीवाभिगम

उपांग के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जीव, धंजीव, उनके भेद प्रभेद आदि का विस्तृत वर्णन है। संक्षेप में इसे जीवाभिगम भी कहा जाता है। परम्परया ऐसा माना जाता है कि कभी इसमें बीस विभाग थे, परन्तु, वर्तमान में जो संस्करण प्राप्त है, उसमें केवल नौ प्रतिपत्तियाँ^१ (प्रकरण) मिलती हैं, जो २७२ सूत्रों में विभक्त हैं। हो सकता है, वे बीस विभाग या उनका महत्वपूर्ण भाग या लुप्त हो जाने से बचा हुआ भाग इन नौ प्रतिपत्तियों में विभक्त कर संकलन की दृष्टि से नये रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हो। ये सब कल्पनाएँ और अनुमान हैं, जिनसे अधिक वितर्कणा करने के साधन आज उपलब्ध नहीं हैं।

गणधर गीतम के प्रश्न और भगवान् महावीर के उत्तर की शृंखला में इस ग्रन्थ में रूपी, अरूपी, सिद्ध, संसारी, स्त्री, पुरुष व नपुंसक वेद, सातों नरकों के प्रतर तिर्यंच भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क देव, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, उत्तर कुरु, नीलवन्तादि द्रह, धातकी खण्ड, कालोदधि, मानुषोत्तर पर्वत, मनुष्य लोक, अन्यान्य, द्वीप, समुद्र आदि का वर्णन है। कहीं-कहीं वर्णनों का विस्तार हुआ है। प्रसंगोपात्ततया इसमें लोकोत्सव, यान, अलंकार, उद्यान, वापिका, सरोवर, भवन, सिंहासन, मिष्टान्न, मदिरा, धातु आदि की भी चर्चा है। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की दृष्टि से इसका महत्व है।

१. ज्ञान, निश्चिति, अवाप्ति।

व्याख्यान साहित्य

आचार्य मलयगिरि ने इस पर टीका की रचना की। उन्होंने इस उपांग के अनेक स्थानों पर वाचना-भेद होने का उल्लेख किया है। साथ-साथ यह भी सूचित किया है कि इसके अनेक सूत्र विच्छिन्न हो गये। आचार्य हरिभद्र तथा देवसूरि द्वारा लघु-वृत्तियों की रचना की गयी। एक अप्रकाशित चूर्ण भी बतलाई जाती है।

४. पन्नवणा (प्रज्ञापना)

नाम : अर्थ

प्रज्ञापना का अर्थ बतलाना, सिखलाना या ज्ञापित करना है। इस उपांग का नाम वस्तुतः अन्वर्थक है। यह जैन तत्त्व ज्ञान का उत्कृष्ट उद्बोधक ग्रन्थ है। यह प्रज्ञापन स्थान, बहु-वक्तव्य, क्षेत्र, स्थिति, पर्याय, श्वासोच्छ्वास, संज्ञा, योनि, भाषा, शरीर, परिणाम, कषाय, इन्द्रिय, प्रयोग, लेश्य, काय-स्थिति, दृष्टि, क्रिया, कर्म-बन्ध, कर्म-स्थिति, कर्म-वेदना, कर्म-प्रकृति, आहार, उपयोग, संज्ञो, अवधि, परिचारणा, वेदना-परिणाम, समुद्रघात प्रभृति छत्तीस पदों में विभक्त है।

पदों के नाम से स्पष्ट है कि इसमें जैन सिद्धान्त के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर विवेचन हुआ है, जो तत्त्वज्ञान के परिशीलन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। उपांगों में यह सर्वाधिक विशाल है। अंगों में जो स्थान व्याख्याप्रज्ञप्ति का है, उपांगों में वैसा ही स्थान इस आगम का है। व्याख्या-प्रज्ञप्ति की तरह इसे भी जैन तत्त्व ज्ञान का वृहत् कोश कहा जा सकता है।

रचना

ऐसा माना जाता है कि वाचकवंशीय आर्य श्याम ने इसकी रचना की। वे अंशतः पूर्वधर माने जाते थे। अज्ञातकर्तृक दो गाथाएँ ' प्राप्त होती हैं, जिनसे ये तथ्य पुष्ट होते हैं। उनका आशय इस प्रकार है : 'वाचकवंशीय, आर्य सुधर्मा की तेवीसवीं पीढ़ी में स्थित, धैर्यशील, पूर्वश्रुत से समृद्ध, बुद्धि-सम्पन्न आर्य श्याम को वन्दन करते हैं, जिन्होंने श्रुत—ज्ञान रूपी सागर में से अपने शिष्यों को यह (प्रज्ञापनारूप) श्रुत-रत्न प्रदान किया।'

आर्य श्याम के आर्य सुधर्मा से तेवीसवीं पीढ़ी में होने का जो उल्लेख किया है, वह किस स्थविरावली या पट्टावली के आधार पर किया गया है, ज्ञात नहीं होता। नन्दी-सूत्र

१. वाघववरवंसाओ तेवीसइमेण धीर पुरिसेण ।

बुद्धरधरेण मुणिणा, पुब्बसुयसमिद्धबुद्धीणं ।

सुयसागरविण्णुण, जेण सुययणमुत्तमं विण्णं ।

—अमोलक ऋषि द्वारा अनूदित प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम भाग में पृ० २ पर उद्धृत

में वर्णित स्थविरावली में श्याम नामक आचार्य का उल्लेख तो है, पर, वे सुधर्मा से प्रारंभ होने वाली पट्टावली में बारहवें^१ होते हैं। तेवीसवें स्थान पर वहाँ ब्रह्मादीपकसिंह नामक आचार्य का उल्लेख है। उन्हें कालिक श्रुत तथा चारों अनुयोगों का धारक व उत्तमवाचक-पद-प्राप्त^२ कहा है। कल्पसूत्र की स्थविरावली से आर्य श्याम की क्रमिक संख्या मेल नहीं खाती।

रचन्या का आधार : शुक कल्पन्या

प्रज्ञापना सूत्र के प्रारम्भ में लेखक की ओर से स्तवनात्मक दो गाथाएँ हैं,^३ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं : “सूत्र-रत्नों के निधान, भव्यजनों के लिए निर्वृत्तकारक भगवान् महावीर ने सब जीवों के भावों की प्रज्ञापना उपदिष्ट की। भगवान् ने दृष्टिवाद से निर्भरित, विविध अध्ययनयुक्त इस श्रुत-रत्न का जिस प्रकार विवेचन किया है, मैं भी उसी प्रकार करूँगा।”^३

इन गाथाओं में प्रयुक्त विद्विनायणीसंबं पद पर विशेष गौर करना होगा। दृष्टिवाद व्युच्छिन्न माना जाता है। श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु के पश्चात् उसके सम्पूर्ण वेत्ताओं की परम्परा मिट गयी। पर, अंशतः वह रहा। श्यामार्य के सम्बन्ध में जिन दो वन्दनमूलक गाथाओं की चर्चा की गयी है, वहाँ उन्हें पूर्वज्ञान से युक्त भी कहा गया है। सम्भवतः आर्य श्याम आंशिक दृष्ट्या पूर्वज्ञ रहे हों। हो सकता है, इसी अभिप्रायः से उन्होंने यहाँ दृष्टिवाद निस्यन्द शब्द जोड़ा हो, जिसका आशय यह रहा हो कि दृष्टिवाद के मुख्यतम भाग पूर्व ज्ञान से इसे गृहीत किया गया है।

१. सुहम्मं^१ अग्निवेसाणं, जंबूनाम^२ च कासवं ।

पमवं^३ कच्चायणं वंदे, वच्छं सिज्जंभवं^४ तथा ॥

जसभद्दं^५ तुगीयं वंदे संभुयं,^६ चेव माढरे ।

भद्दबाहु^७ च पाइन्नं, थुलभद्दं^८ च गोयभा ॥

एलावच्चसगोत्तं, वंदामि महागिरिं^९ सुहत्थिं च ॥

ततो कोसियगोत्तं बहुलरस बलिस्सहं^{१०} वंदे ॥

हारियगोत्तं^{११} सायं च, वंदे मोहारियं^{१२} च सामज्जं ।

— नन्दीसूत्र स्थविरावली, गाथा २५-२८

२. अयलपुरम्मि खेत्ते, कालियसुय अण्णगए धीरे ।

बंभद्दीवगसीहे, वायगपयमुत्तमं पत्ते ॥

— नन्दीसूत्र स्थविरावली, गाथा ३६

३. सुयरयणनिहाणं, जिणवरेण भवियणनिब्बुद्धकरेण ।

उबवंसिया भगवया, पण्णवणा सव्वभावाणं ॥

अज्झयणमिणं जित्तं, सुयरयणं विद्विठवायणीसंबं ।

जहवणिणयं भगवया, अहमवि तह वण्णइस्सामि ॥

— प्रज्ञापना, मंगलाचरण, २, ३

व्याख्या-साहित्य

आचार्य हरिभद्र सूरि ने प्रदेशाख्या लघुवृत्ति की रचना की। उन्होंने कठिन पदों की व्याख्या की है। आचार्य मलयगिरि ने उसी के आधार पर टीका की रचना की। कुलमण्डन ने अवतूरि लिखी।

व्याख्याकारों ने एतद्ग्रन्थगत पाठ-भेदों का भी उल्लेख किया है। अनेक स्थलों पर कतिपय शब्दों को अव्याख्येय मानते हुए टीकाकार ने उन्हें सम्प्रदायगम्य कह कर छोड़ दिया। सम्भव है, वे शब्द स्पष्टार्थ-द्योतक नहीं प्रतीत हुए हों; अतः आम्नाय या परम्परा से समझ लेने के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता था? प्रज्ञापना का ग्यारहवां पद भाषा-पद है। उपाध्याय यशोविजयजी ने इसका विवेचन किया है।

५. सूरियपन्नति (सूर्यप्रज्ञप्ति)

नामः : अन्वर्थकता

द्विसूर्यसिद्धान्त, सूर्य के उदय, अस्त, आकार, ओज, गति आदि का विस्तार से वर्णन है, जिससे इसके नाम की अन्वर्थकता प्रकट होती है। साथ-ही-साथ चन्द्र, अन्यान्य नक्षत्र आदि के आकार, गति, अवस्थिति आदि का भी विशद विवेचन है। बीस प्राभृतों में विभक्त यह ग्रन्थ एक सौ आठ सूत्रों में सन्निविष्ट है। प्राभृत प्राकृत के पाहुड़ शब्द का संस्कृत-रूपान्तर है।

प्राभृत का अर्थ

अनेक ग्रन्थों के अध्याय या प्रकरण के अर्थ में प्राभृत शब्द प्रयुक्त पाया जाता है। इसका शाब्दिक तात्पर्य उपहार, भेंट या समर्पण है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसकी व्याख्या इस प्रकार है : “अपने अभीष्ट—प्रिय जन को जो परिणाम-सरस, देश-कालोचित दुर्लभ वस्तु दी जाती है और जिससे प्रिय जन की चित्त-प्रसन्नता आसादित की जाती है, लोक में उसे प्राभृत कहा जाता है।”^१

ग्रन्थ के प्रकरण के सन्दर्भ में इसकी व्याख्या इस प्रकार है : “अपने प्रिय तथा विनय आदि गुण-युक्त शिष्यों को देश और काल की उचितता के साथ जो ग्रन्थ सरणियां दी

१. उच्यते—इह प्राभृतं नाम लोके प्रसिद्धं यदभीष्टाय पुरुषाय देश-कालोचितं दुर्लभं वस्तु परिणामसुन्दरमुपनीयते ततः प्राप्न्यते—प्राप्यते चित्तमभीष्टस्य पुरुषस्यानेनेति प्राभृतमिति व्युत्पत्तेः।

— अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ११९

जाती हैं, उन्हें भी प्राभृत कहा जाता है।^१ शब्द-चयन में जैन विद्वानों के मस्तिष्क की उर्वरता इससे स्पष्ट है। प्रकरण के अर्थ में प्राभृत शब्द वास्तव में साहित्यिक सुषमा लिये हुए है।

व्याख्यान-साहित्य

श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु ने इस पर नियुक्ति की रचना की, ऐसा प्रसिद्ध है। पर, वह प्राप्त नहीं है, काल-कवलित हो गयी है। आचार्य मलयगिरि की इस पर टीका है। वास्तव में यह ग्रन्थ इतना दुर्जय है कि टीका की सहायता के बिना समझ पाना सरल नहीं है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि से सम्बद्ध अपने विशेष प्रकार के विश्लेषण के कारण यह ग्रन्थ दिद्वज्जगत् में आकर्षण का केन्द्र रहा है। प्रो० वेबर ने जर्मन भाषा में इस पर एक निबन्ध लिखा, जो सन् १८६८ में प्रकाशित हुआ। सुना जाता है, डा० आर० शाम शास्त्री ने इसका A Brief Translation of Mahavir's Suryaprajnapiti के नाम से अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद किया था, पर, वह अप्राप्य है। डा० थीबो ने सूर्यप्रज्ञप्ति पर लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने जैनों के द्विसूर्य और द्विचन्द्रवाद की भी चर्चा की थी। उनके अनुसार यूनान के लोगों में उनके भारत आने के पूर्व यह सिद्धान्त सर्व स्वीकृत था। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. no. 49 में वह लेख प्रकाशित हुआ था।

६. जम्बूद्वीपपन्नति (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति)

स्वरूप

जम्बूद्वीप से सम्बद्ध इस उपांग में अनेक विध वर्णन हैं। इस ग्रन्थ के दो भाग हैं—पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क। पूर्वाङ्क चार वक्षस्कारों में तथा उत्तराङ्क तीन वक्षस्कारों में विभक्त है। समग्र ग्रन्थ में १७६ सूत्र हैं।

वक्षस्कार का तात्पर्य

वक्षस्कार शब्द यहाँ प्रकरण को बोधित कराता है। पर, वास्तव में जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पर्वत हैं, जिनका जैन भूगोल में कई अपेक्षाओं से बड़ा महत्व है। जम्बूद्वीप से सम्बद्ध विवेचन के सन्दर्भ में ग्रन्थकार प्रकरण का अवबोध कराने के हेतु वक्षस्कार का जो प्रयोग करते हैं, वह सर्वथा संगत है।

१. विधिक्षिता अपि च ग्रन्थपद्धतयः परमकुर्लभा परिणाम सुन्दराश्चाभीष्टेभ्यो विनयादिगुण-कलितेभ्यः शिष्येभ्यो देशकालौचित्येनोपनीयन्ते।

—अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ९१४

विषय-वस्तु

जम्बूद्वीपस्थ भरत क्षेत्र आदि का इस उपांग में विस्तृत वर्णन है। उनके सन्दर्भ में अनेक दुर्गम स्थल, पहाड़, नदी, गुफा, जंगल, आदि की चर्चा है।

जैन काल-चक्र—अवसर्पिणी—सुषम-सुषमा, सुषमा, सुषम-दुःषमा, दुःषम-सुषमा, दुःषमा, दुःषम-दुःषमा तथा उत्सर्पिणी—दुःषम-दुःषमा, दुःषमा, दुःषम-सुषमा, सुषम-दुःषमा, सुषमा, सुषम-सुषमा का विस्तार से वर्णन है। उस सन्दर्भ में चौदह कुलकर आदि, तीर्थंकर ऋषभ, बह्मर कलाएँ, स्त्रियों के लिए विशेषतः चौसठ कलाएँ तथा अनेक शिल्प आदि की चर्चा है। इस कोटि का और भी महत्वपूर्ण वर्णन है। जैन भूगोल तथा प्रागितिहास-कालीन भात के अध्ययन की दृष्टि से जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का विशेष महत्व है।

७. चन्द्रपन्नति (चन्द्रप्रज्ञप्ति)

स्थानांग में उल्लेख

स्थानांग सूत्र^१ में सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति तथा द्वीपसागर प्रज्ञप्ति के साथ चन्द्रप्रज्ञप्ति का भी अंगबाह्य के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सूर्यप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्रज्ञप्ति दोनों प्राचीन ग्रन्थ हैं। दोनों कभी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ थे, दोनों के अपने-अपने विषय थे।

वर्तमान संस्करण : एक प्रश्न

वर्तमान में चन्द्रप्रज्ञप्ति का जो संस्करण प्राप्त है, वह सूर्यप्रज्ञप्ति से सर्वथा—अक्षरशः मिलता है। भेद है तो केवल मंगलाचरण तथा ग्रन्थ में विवक्षित बीस प्राश्रुतों का संक्षेप में वर्णन करने वाली अठारह गाथाओं का। चन्द्रप्रज्ञप्ति के प्रारम्भ में ये गाथाएँ हैं। तत्पश्चात् क्रम-निर्दिष्ट विषय आरम्भ होता है। सूर्यप्रज्ञप्ति में ये गाथाएँ नहीं हैं अर्थात् मंगलाचरण तथा विवक्षित-विषय-सूचन के बिना ही ग्रन्थ आरम्भ होता है, जो आद्योपान्त चन्द्रप्रज्ञप्ति जैसा है। वास्त में यदि ये दो ग्रन्थ हैं, तो ऐसा क्यों? यह एक प्रश्न है, जिसका अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है।

१. चत्तारि पण्णसीओ अंगबाहिरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—चन्दपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, जम्बूद्वीपपण्णत्ती, द्वीपसागरपण्णत्ती।

रहस्यमय : एक समाधान

अतिपरम्परावादी धार्मिक, जिन्हें स्वीकृत मान्यता की परिधि से बाहर निकल कर जरा भी सोचने का अवकाश नहीं है, सूर्यप्रज्ञप्ति और चन्द्रप्रज्ञप्ति के परिपूर्ण पाठ-साम्य को देखते हुए भी आज भी यह मानने को तैयार नहीं होते कि ये दो ग्रन्थ नहीं हैं। उनका विचार है कि सूर्य, चन्द्र, कतिपय नक्षत्र आदि की गति, क्रम आदि से सम्बद्ध कई ऐसे विषय हैं, जो प्रवृत्ति एक समान हैं; अतः उनमें तो भेद की कोई बात ही नहीं है। एक जैसे दोनों वर्णन दोनों स्थानों पर लागू होते हैं। अनेक विषय ऐसे हैं, जो दोनों में भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि उनकी शब्दावली एक है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सामान्यतः प्रचलित अर्थ को ही लोग अधिकांशतः जानते हैं। अप्रचलित अर्थ प्रायः अज्ञात रहता है। बहुत कम व्यक्ति उसे समझते हैं। यहां कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है।

वास्तव में दोनों ग्रन्थों में प्रयुक्त एक जैसे शब्द भिन्नार्थक हैं। ऐसा किये जाने के पिछे भी एक चिन्तन रहा होगा। बहुत से विषय ऐसे हैं, जिनका उद्घाटन सही अधिकारी या उपयुक्त पात्र के समक्ष ही किया जाना है, अनधिकारी या अपात्र के समक्ष नहीं; अतः उन्हें रहस्यमय या गुप्त बनाये रखना आवश्यक होता है। अधिकारी को उन्हीं शब्दों द्वारा वह ज्ञान दे दिया जाता है, जिनका अर्थ सामान्यः व्यक्त नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ रही हो, तो आश्चर्य नहीं। कभी परम्परया इन रहस्यों को जानने वाले विद्वान् रहे होंगे, जो, अधिकारी पात्रों के समक्ष उन रहस्यों को प्रकाशित करते रहे हों। पर वह परम्परा सम्भवतः मिट गयी। रहस्य रहस्य ही रह गये। यही कारण है, इन दोनों उपांगों के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। वास्तव में एवंगुणिन ज्ञान के अल्पत्व के कारण ऐसा है। तथ्य यही है, दोनों उपांग, जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, यथावत् हैं अपरिवर्तित हैं। उन्हें भिन्न-भिन्न ही माना जाना चाहिए।

कहने को स्वीकृत परम्परा के संरक्षण के हेतु जो कुछ कहा जा सकता है, पर विवेक के साथ उसकी यथार्थता का अंकन करने का प्रबुद्ध मानव को अधिकार है। इसलिए यह कहना परम्परा का खण्डन नहीं माना जाना चाहिए कि रहस्यमयता और शब्दों की अनेकार्थकता का सहारा पर्याप्त नहीं है, जो इन दोनों उपांगों के अनैक्य या असादृश्य को सिद्ध कर सके। इस पर अधिक युक्तियाँ उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान उन्मुक्त भाव से चिन्तन करेगा, तो ऐसा सम्भाव्य प्रतीत होता है कि उनमें से अधिकांश को किसी रहस्यमयता तथा शब्दों के बहुवर्थकता-मूलक समाधान से तुष्टि नहीं होगी। यह मानने में कोई अन्यथाभाव नहीं प्रतीत होना चाहिये कि वर्तमान में उपलब्ध ये दोनों ग्रन्थ स्वरूपतः—शाब्दिक दृष्ट्या एक हैं और तात्पर्यतः भी दो नहीं प्रतीत होते।

शक ऊहापोह : शक कल्पना

हो सकता है, कभी प्राचीन काल में कहीं किसी ग्रन्थ-भण्डार में सूर्यप्रज्ञप्ति की दो हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हों। उनमें से एक प्रति ऊपर के पृष्ठ व उस पर लिखित सूर्यप्रज्ञप्ति नाम सहित रही हो तथा दूसरी का ऊपर का पत्र—नाम का पत्र नहीं रहा हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो। नामवाली प्रति में भी प्रारम्भ का पत्र, जिसमें मांगलिक व विषयसूचक गाथाओं का उल्लेख था, खोया हुआ हो। अर्थात् अब दोनों प्रतियों का स्वरूप इस प्रकार समझा जाना चाहिए—उन दोनों प्रतियों में एक प्रति ऐसी थी, जिसका ऊपर का पृष्ठ था, उस पर ग्रंथ का नाम था। पर, उसमें गाथाएँ नहीं थी। ग्रंथ का विषय सीधा प्रारम्भ होता था। गाथाओं का पत्र लुप्त था। दूसरी प्रति इस प्रकार की थी, जिसमें ऊपर का पृष्ठ, ग्रंथ का नाम नहीं था। ग्रन्थ का प्रारम्भ गाथाओं से होता था। दोनों में केवल भेद इतना-सा था, एक गाथाओं से युक्त थी, दूसरी में गाथाएँ नहीं थीं, पर, आयाततः देखने पर दोनों का प्रारम्भ भिन्न लगता था, इससे इस विषय को नहीं समझने वाले व्यक्ति के लिए असमंजसता हो सकती थी। किसी व्यक्ति ने भण्डार में ग्रन्थों को व्यवस्थित करने हेतु या सूची बनाने के हेतु ग्रन्थों की छान-बीन की हो। जैन अंगों, उपांगों आदि के पर्यवेक्षण के संदर्भ में ये दोनों प्रतियां उसके सामने आई हों। नाम सहित प्रति के सम्बन्ध में तो उसे कोई कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि वह नाम भी स्पष्ट था और ग्रन्थारम्भ भी। ऊपर के पत्र से रहित, बिना नाम की प्रति के सम्बन्ध में उसे कुछ सन्देह हुआ हो, उसने ऊहापोह किया हो। सम्भवतः वह व्यक्ति विद्वान् न रहा हो। भण्डार की व्यवस्था या देखरेख करने वाला मात्र हो या ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने वाला साधारण पठित व्यक्ति रहा हो।

ऐसा सम्भाव्य है कि प्रथम प्रति को जिसमें ग्रन्थ-नाम था, गाथाएँ नहीं थीं, प्रकरण प्रारम्भ से चालू होता था, उसने यथावत् रहने दिया। दूसरी प्रति, जिस पर नाम नहीं था, गाथाओं के कारण जो भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होता था, के लिए उसने कल्पना की हो कि वह कृयात् चन्द्रप्रज्ञप्ति हो और अपनी कल्पानुसार वैसा नाम लगा दिया हो। वह ग्रन्थ को भीतर से देखता, गवेषणा कराता, पाठ मिलाता, यह सब तो तब होता, जब वह एक अनुसन्धित्सु विद्वान् होता।

सम्भवतः चन्द्रप्रज्ञप्ति का यथार्थ रूप तब तक नष्ट हो गया होगा; अतः अन्यत्र कहीं उसकी सही प्रति मिल नहीं सकी हो और उसी प्रति के आधार पर, जिस पर नाम लगाया गया था, एक ही पाठ के ग्रन्थ दो नामों से चल पड़े हों, चलते रहे हों। शताब्दियां बीतती गयीं और एक ही पाठ के दो ग्रन्थ पृथक्-पृथक् माने जाते रहे।

धर्म श्रद्धा भी देता है और विवेक भी। विवेक-शून्य श्रद्धा अचक्षुष्मती कही जाती है।

पर, धर्म के क्षेत्र में वैसा भी होता है, जो आलोच्य है, आदेय नहीं। अति श्रद्धा-पूर्ण मानस के बाहुल्य के कारण आगम-वेत्ताओं में इस तथ्य को जानते हुए भी व्यक्त करने का उत्साह क्यों होता? जब लोगों के समक्ष यह स्थिति आई, तो अपनी मान्यता और परम्परा के परिरक्षण के निमित्त ऐसे तर्कों का, जिस और इंगित किया गया है, जिन्हें तर्क नहीं, तर्काभास कहा जा सकता है, सहारा लिया जाने लगा।

वर्तमान में दो कहे जाने वाले उपांगों का जो कलेवर है, उसे देखते हुए यह मानने में धर्म की जरा भी विराघना या सम्यक्त्व का हनन नहीं लगता कि एक ही पाठ कौनों ग्रन्थों के रूप में स्वीकार करने की बात कुछ और गवेषणा, चिन्तन तथा परिशीलन की मांग करती है, ताकि यथार्थ की उपलब्धि हो सके।

संख्या-क्रम में भिन्नता

उपांगों के संख्या-क्रम में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति और चन्द्रप्रज्ञप्ति की स्थानापन्नता में कुछ भेद।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति : ६ : अमोलक ऋषि ने को सातवां उपांग प्रज्ञप्ति की गणना के चन्द्रप्रज्ञप्ति का

माना है। विष्णु सूर्यप्रज्ञप्ति से पहले राज जो रूप है, संक्रान्ति-काल की प्राकृते

मैंने संख्या-सातवें स्थान पर (*Prakritas of Transitional Period*) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति तथा सूर्यप्रज्ञप्ति अपने यथावत् रूप में व्यवस्थित हैं। अतः मान्यता प्रचलित है, उसमें सूर्य-सम्बन्धी वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है। चन्द्र का भी वर्णन है, पर, विस्तार और विविधता में उससे कम। चन्द्रप्रज्ञप्ति का वर्तमान संस्करण स्पष्ट ही मौलिकता की दृष्टि से आलोच्य है; अतः उसे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के पश्चात् लिया गया है। आचार्य मलयगिरि की इस पर टीका है।

पांच निरयावलिया

निरयावलिया (निरयावलिका) में पांच उपांगों का समावेश है, जो इस प्रकार हैं :

१. निरयावलिया या कप्पिया (कल्पिका)
२. कप्पवडंसिया (कल्पावतंसिका)
३. पुप्फिया (पुष्पिका)
४. पुप्फचूलिया (पुष्पचूलिका)
५. वहिन्दक्षा (वृष्टि-दशा)

पहले कभी सम्भवतः ये पाँचों एक ही निरयावलिका सूत्र के रूप में रहे हों। पर, जब अंगों के समकक्ष उपांग भी बारह की संख्या में प्रतिष्ठित किये जाने अपेक्षित माने गये, तो उन्हें पाँच उपांगों के रूप में पृथक्-पृथक् मानने की परम्परा चल पड़ी।

८. निरयावलिया (निरयावलिका) या कप्पिया (कल्पिका)

विभाजन

प्रस्तुत उपांग दश अध्ययनों में विभक्त है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :

१. कालकुमार - अध्ययन, २. सुकालकुमार - अध्ययन, ३. महाकालकुमार-अध्ययन,
४. कृष्णकुमार-अध्ययन, ५. सुकृष्णकुमार-अध्ययन, ६. महाकृष्णकुमार-अध्ययन,
७. वीरकृष्णकुमार-अध्ययन, ८. रामकृष्णकुमार-अध्ययन, ९. प्रियसेन-कृष्णकुमार-अध्ययन
- तथा १०. महासेन कृष्णकुमार-अध्ययन।

जिन कुमारों के नाम से ये अध्ययन हैं, वे मगधराज श्रेणिक के पुत्र तथा कूणिक (अजातशत्रु, के भाई थे, जो वंशाली गणराज्य के अधिनायक चेटक और कूणिक के बीच हुए संग्राम में चेटक के एक-एक बाण से क्रमशः मारे गये।

विषय-वस्तु

प्रथम अध्ययन कृष्णकुमार के प्रसंग से प्रारम्भ होता है। उसकी माता कालीदेवी कूणिक के साथ युद्ध में गये हुए अपने पुत्र के विषय में भगवान् महावीर से प्रश्न पूछती है। भगवान् से यह जानकर कि वह युद्ध में चेटक के बाण से मारा गया है, वह बहुत दुःखित और शोकान्वित हो जाती है। कुछ यथावस्थ होने पर वाफिस लौट जाती है। मगधर गौतम तब भगवान् महावीर से कालकुमार के अग्रिम भव और विगत भव के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं। उसका भगवान् जो उत्तर देते हैं, उस सन्दर्भ में कूणिक—अजातशत्रु के जीवन का इतिवृत्त विस्तृत रूप में उपस्थित हो जाता है। श्रेणिक की गर्भवती रानी चेल्लणा का पति के कलेजे के मांस के तले हुए शौलों^१ तथा मदिरा का प्रसन्नतापूर्वक आस्वाद लेने का निर्घृण दोहद, अभयकुमार द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक उसकी पूति, कूणिक का जन्म, माता द्वारा उसे उकुरुडी (धूरे) पर फिकवाया जाना, श्रेणिक द्वारा उसे वापिस लाया जाना, स्नेहपूर्वक पाला जाना, बड़े होने पर कूणिक द्वारा पिता श्रेणिक को बन्दी-गृह में डाल राजसिंहासन हथियाया जाना, श्रेणिक द्वारा दुःखातिरेक से आत्म-हत्या किया जाना, अपने छोटे भाई बोहल्लकुमार के कारण सेचनक हस्ती आदि न लौटाये जाने से वंशाली गणराज्य के अधिपति चेटक पर कूणिक द्वारा चढ़ाई किया जाना आदि

१. मूल पाठ में 'सोलेहि' शब्द आया है, जिसका संस्कृत रूप 'शौलः' होगा। शूल या काँटे से तले जाने के कारण उस प्रकार के मांस के टुकड़ों को शौल कहा जाता होगा।

का इस प्रसंग में वर्णन आता है। रथभूसल तथा महाशिला-कंटक संग्राम का वहाँ उल्लेख मात्र है। उस सम्बन्ध में व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का संकेत कर दिया गया है।

दूसरे अध्ययन की सामग्री केवल इतनी-सी है :—“उस समय चम्पा नगरी थी। पूर्णभद्र चैत्य था। कृणिक राजा था और पद्मावती उसकी रानी थी। वहाँ चम्पा नगरी में पहले राजा श्रेणिक की भार्या, कृणिक की कनिष्ठा माता सुकुमारांगी सुकाली रानी थी। सुकाली देवी के सुकुमारांग सुकाल कुमार हुआ। तीन सहस्र हाथियों को लिये युद्ध में गया हुआ, कालकुमार जिस प्रकार मारा गया, उसी तरह का समग्र वृत्तान्त सुकालकुमार का भी है। अन्ततः सुकालकुमार भी महाविदेह-क्षेत्र में संसार का अन्त करेगा—सिद्ध होगा।” दूसरे अध्याय का वृत्तान्त यहीं समाप्त हो जाता है।

तीसरे से दसवें तक के अध्ययनों का वर्णन भी केवल इतनी-सी पंक्तियों में है : “शेष आठों अध्ययनों को प्रथम अध्ययन के सदृश समझना चाहिए। पुत्रों और माताओं के नाम एक जैसे हैं। निरयावलिका सूत्र समाप्त होता है।”²

६. कल्पवडंसिया (कल्पावतंसिका)

कल्पावतंस का अर्थ विमानवासी देव होता है। कल्पावतंसिका शब्द उसी से निष्पन्न हुआ है। इस उपांग में दश अध्ययन हैं, जिनमें राजा श्रेणिक के दश पौत्रों के संक्षिप्त कथानक हैं, जो स्वर्गगामी हुए। दश अध्ययनों के नाम चरित-नायक कुमारों के नामों के अनुरूप हैं; जैसे, १. पद्मकुमार-अध्ययन, २. महापद्मकुमार-अध्ययन, ३. भद्रकुमार-अध्ययन, ४. सुभद्रकुमार-अध्ययन ५. पद्मभद्रकुमार-अध्ययन, ६. पद्मसेनकुमार-अध्ययन, ७. पद्मगुल्मकुमार-अध्ययन, ८. नलिनीगुल्मकुमार-अध्ययन, ९. आनन्दकुमार-अध्ययन तथा १०. नन्दकुमार-अध्ययन।

दशों कुमार निरयावलिका (कल्पिका) में वर्णित राजा श्रेणिक के कालकुमार आदि

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा एणमं रायरी होत्था. पुण्णभद्दे चेइए, कुणिय राया, पडमावई देवी। तत्थएणं चंपा नथरीए सेणियस्स रण्णो अज्ज कोणियस्स रण्णो चुल्लमाजया सुकाली नामं देवी होत्था सुकुमाला। तीसेणं सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नामे कुमारे होत्था सुकुमाले। तते णं से सुकालेकुमारे अन्नयाकयाइ तिहि दंति-सहस्सेहि जहा काले कुमारे निरवित्तेसं तहेव महाविदेहवासे अंते करेहिंति।

—निरयावलिका, द्वितीय अध्ययन, पृ० ६३-६४

२. एवं सेसा वि अट्ठ अज्जयणा। नायक्का पढमं सरिसा, णवरं भाताओ सरिसा एणमा। निरयावलीयाओ सम्मताओ।

—निरयावलिका, समाप्ति-प्रसंग

दशों पुत्रों के क्रमशः पुत्र थे । प्रथम अध्ययन में कालकुमार के पुत्र पद्मकुमार के जन्म, दीक्षा-ग्रहण, स्वर्ग-गमन तथा अन्ततः महा-विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धत्व प्राप्त करने तक का संक्षेप में लगभग चार-पाँच पृष्ठों में वर्णन है । दूसरे अध्ययन में सुकालकुमार के पुत्र महापद्मकुमार का संक्षिप्ततम विवरण है । केवल उसके जन्म के वृत्तान्त का पाँच-सात पंक्तियों में सूचन कर आगे प्रथम अध्ययन की तरह समझ लेने का संकेत किया गया है । तीसरे अध्ययन से दशवें अध्ययन तक की सूचना केवल आधी पंक्ति में यह कहते हुए कि उन्हें प्रथम अध्ययन की तरह समझ लेना चाहिए, दे दी गयी है । साथ-साथ यह भी सूचित किया गया है कि उनकी माताएँ उनके सदृश नामों की धारक थीं । अन्त में दशों कुमारों के दीक्षा-पर्याय की भिन्न-भिन्न समयावधि तथा भिन्न भिन्न देवलोक प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए उपांग का परिसमापन कर दिया गया है । यह उपांग बहुत संक्षिप्त है ।

मगध भगवान् महावीर तथा बुद्ध के समय में पूर्व भारत का एक प्रसिद्ध एकतन्त्रीय (एक राजा द्वारा शासित) राज्य था । कल्पिका तथा कल्पावर्तसिका प्रागितिहासकालीन समाज की स्थिति जानने की दृष्टि से उपयोगी हैं ।

१०. पुष्पिका (पुष्पिका)

प्रस्तुत उपांग में दश अध्ययन हैं, जिनमें ऐसे स्त्री-पुरुषों के कथानक हैं, जो धर्माश्रयना और तपः साधना द्वारा स्वर्ग गये । अपने विमानों द्वारा वैभव, समृद्धि एवं सज्जापूर्वक भगवान् महावीर को वन्दन करने आये ।

तापस-वर्शान

तीसरे अध्ययन में सोमिल ब्राह्मण के कथानक के सन्दर्भ में चालीस प्रकार के तापसों का वर्णन है । उनमें कुछ इस प्रकार है :

- (क) केवल एक कमण्डलु धारण करने वाले ।
- (ख) केवल फलों पर निर्वाह करने वाले ।
- (ग) एक बार जल में डुबकी लगाकर तत्काल बाहर निकलने वाले ।
- (घ) बार-बार जल में डुबकी लगाने वाले ।
- (ङ) जल में ही गले तक डूबे रहने वाले ।
- (च) सभी वस्त्रों, पात्रों और देह को प्रक्षालित रखने वाले ।
- (छ) शंख-ध्वनि कर भोजन करने वाले ।
- (ज) सदा खड़े रहने वाले ।

१. भमरा-जीवन

- (भ) मृग-मांस के भक्षण पर निर्वाह करने वाले ।
- (ट) हाथी का मांस खाकर रहने वाले ।
- (ठ) सदा ऊँचा दण्ड किये रहने वाले ।
- (ड) वल्कल-वस्त्र धारण करने वाले ।
- (ढ) सदा पानी में रहने वाले ।
- (ण) सदा वृक्ष के नीचे रहने वाले ।
- (त) केवल जल पर निर्वाह करने वाले ।
- (थ) जल के ऊपर आने वाली शैवाल खा कर जीवन चलाने वाले ।
- (द) वायु-भक्षण करने वाले ।
- (ध) वृक्ष-मूल का आहार करने वाले ।
- (न) वृक्ष के कन्द का आहार करने वाले ।
- (प) वृक्ष के पत्तों का आहार करने वाले ।
- (फ) वृक्ष की छाल का आहार करने वाले ।
- (ब) पुष्पों का आहार करने वाले ।
- (भ) बीजों का आहार करने वाले ।
- (म) स्वतः दूट कर गिरे हुए पत्रों, पुष्पों तथा फलों का आहार करने वाले ।
- (य) दूसरों द्वारा फँके हुए पदार्थों का आहार करने वाले ।
- (र) सूर्य की आतापना लेने वाले ।
- (ल) कष्ट सह कर शरीर को पत्थर जैसा कठोर बनाने वाले ।
- (व) पंचाग्नि तापने वाले ।
- (श) गर्म बर्तन पर शरीर को परितप्त करने वाले ।

तापसों के वे विभिन्न रूप उस समय की साधना-प्रणालियों की विविधता के द्योतक हैं । साधारणतः इनमें से कुछ का भुकाव हठयोग या काय-क्लेश मूलक तप की ओर अधिक प्रतीत होता है । इन साधनाओं का सांगोपांग रूप क्या था, इनका किन दार्शनिक परम्पराओं या धर्म-सम्प्रदायों से सम्बन्ध था, उन दिनों भारत में उस प्रकार के उनसे भिन्न और भी साधना-क्रम थे क्या, उनके पीछे तत्त्व-चिन्तन की क्या पृष्ठ-भूमि थी, इत्यादि विषयों के अध्ययन की दृष्टि से ये सूचनाएँ उपयोगी हैं ।

११ पुष्पचूला (पुष्पचूला)

१. श्रीदेवी-अध्ययन, २. ह्रीदेवी-अध्ययन, ३. श्रुतिदेवी-अध्ययन, ४. कीर्तिदेवी-अध्ययन
५. बुद्धिदेवी-अध्ययन ६. लक्ष्मीदेवी-अध्ययन ७. इलादेवी-अध्ययन, ८. सुरादेवी-अध्ययन,

९. रसदेवी-अध्ययन, १०. गन्धदेवी-अध्ययन ; ये दश अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन, में श्रीदेवी का वर्णन है। वह देवी, देवी-वैभव, समृद्धि तथा सज्जा के साथ अपने विमान द्वारा भगवान् महावीर के दर्शन के लिए आती है। गणधर गौतम भगवान् महावीर से उसका पूर्व भव पूछते हैं। भगवान् उसे बतलाते हैं। इस प्रकार श्रीदेवी के पूर्व जन्म का कथानक उपस्थित किया जाता है।

दूसरे से दसवें तक के अध्ययन केवल संकेत मात्र हैं, जो इस प्रकार हैं : “जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में श्रीदेवी का वृत्तान्त वर्णित हुआ है, उसी प्रकार अवशिष्ट नौ देवियों का समझ लें। उन देवियों के विमानों के नाम उनके अपने-अपने नामों के अनुसार हैं। सभी सौधर्म-कल्प में निवास करने वाली हैं। पूर्व भव के नगर, चैत्य, माता-पिता, उनके अपने नाम संग्राहिणी गाथा के अनुसार हैं। अपने पूर्व-भव में वे सभी भगवान् पार्श्व के सम्पर्क में आईं, पुष्पचूला आर्या की शिष्याएं हुईं। सभी शरीर आदि का विशेष प्रक्षालन करती थीं, शौच-प्रधान थीं। सभी देवलोक से च्यवन कर महाविदेह क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करेंगी। इस प्रकार पुष्पचूला का समापन हुआ।”²

१२. वह्निदशा (वृष्णिदशा)

नाम

नन्दी-चूणि के अनुसार इस उपांग का पूरा नाम अन्धक-वृष्णि दशा था। अन्धक शब्द काल-क्रम से लुप्त हो गया, केवल वृष्णि-दशा बचा रहा। अब यह उपांग इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बारह अध्ययन हैं, जिनमें वृष्णिवंशीय बारह राजकुमारों का वर्णन है। उन्हीं राजकुमारों के नाम से वे अध्ययन हैं : १. निषधकुमार-अध्ययन २. अनीक-कुमार-अध्ययन, ३. प्रह्लकुमार-अध्ययन, ४. वेधकुमार-अध्ययन, ५. प्रगतिकुमार-अध्ययन, ६. मुक्तिकुमार-अध्ययन, ७. दशरथकुमार-अध्ययन, ८. हृदयकुमार-अध्ययन, ९. महा-धनुकुमार-अध्ययन, १०. सप्तधनुकुमार-अध्ययन, तथा ११. दशधनुकुमार-अध्ययन, तथा १२. शतधनुकुमार-अध्ययन।

१. संग्राहिणी गाथा, जिसमें पूर्व-भव के नगर, नाम, माता-पिता आदि का उल्लेख रहता है, विच्छिन्न प्रतीत होती है।
२. एवं सेसाण वि गावहं ऋणियब्बं, सरिसणामा विमाणा, सोहम्मे कप्पे। पुब्बम्मे नगरे चेद्वय पियमाईणं अप्पणो या नामइ जहा संगहणीए। सव्वा पासस्स अंतिणं निवखंताओ, पुष्कचूलाणं सिंशिणीयाओ सरीरपाउसिणीयाओ सच्चाओ अणंतरं चइचइत्ता महाविदेहेवासे सिज्जाहि ति। एवं जलु निक्खेदओ। पुष्कचूलाओ सम्मत्ताओ।

—पुष्कचूला, अन्तिम अंश

विषय-वस्तु

प्रथम अध्ययन में बलदेव और रेवती के पुत्र निषधकुमार के उत्पन्न होने, बड़े होने, श्रमणोपासक बनने तथा भगवान् अरिष्टनेमि से श्रमण-प्रव्रज्या ग्रहण करने आदि का वर्णन है। उसके विगत भव तथा भविष्यमाण दो भवों व अन्ततः (दूसरे भव के अन्त में) महाविदेह क्षेत्र में सिद्धत्व प्राप्त करने का भी वर्णन है।

यद्यपि इस अध्ययन में वासुदेव कृष्ण का वर्णन प्रसंगोपात्त है, पर, वह महत्वपूर्ण है। वासुदेव कृष्ण के प्रभुत्व, वैभवं, सैन्य, समृद्धि, गरिमा, सज्जा आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। वृष्णिभ्यंश या यादव कुल के राज्य, यादववंश का वैपुल्य, आज के सौराष्ट्र के प्रागितिहासकालीन विवरण आदि के अध्ययन की दृष्टि से इस उपांग का यह भाग उपयोगी है। अन्य ग्यारह अध्ययन केवल सूचना मात्र हैं। जैसे—“इसी प्रकार (प्रथम की तरह) अवशिष्ट ग्यारह अध्ययन समझने चाहिए। पूर्व भव के नाम आदि संग्रहणी गाथा से ज्ञातव्य है। इन ग्यारह कुमारों का वर्णन निषधकुमार के वर्णन से न न्यून है और न अधिक। इस प्रकार वृष्णिदशा का समापन हुआ।”^१

शक महत्वपूर्ण सूचना

वृष्णि-दशा के समाप्त होने का कथन करने के अनन्तर अन्त में इन शब्दों द्वारा एक और सूचन किया गया है : “निरयावलिका श्रुत स्कन्ध समाप्त हुआ। उपांग समाप्त हुए। निरयावलिका उपांग का एक ही श्रुत-स्कन्ध है। उसके पांच वर्ग हैं। वे पांच दिनों में उपदिष्ट किये जाते हैं। पहले से चौथे तक के वर्गों में दश दश अध्ययन हैं और पाचवें वर्ग में बारह अध्ययन हैं। निरयावलिका श्रुत-स्कन्ध समाप्त हुआ।”^२ इस उल्लेख से बहुत स्पष्ट है, वर्तमान में पृथक्-पृथक् पांच गिने जाने वाले निरयावलिका (कल्पिका, कल्पावर्तसिका, पुष्पिका पुष्पचूला तथा वृष्णिदशा) ये उपांग कभी एक ही ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित थे।

१. एवं सेसा वि एकारस अज्जयणा नेयव्वा। संगहणी अणुसारेणं अहीणमइरित्तं एकारस सु वि। इति वृष्णिदसा सम्मत्तां।

—वृष्णिदशा सूत्र, अन्तिम अंश।

२. निरवालिया सुयखंधो सम्मतो। सम्मताणि य उबंगाणि। निरयावलि उबंगेणं एगो सुयखंधो पंचवग्गा पंचसु दिवसेसु उद्दिस्सति। तत्थ सुवयसु दस उद्देसगा, पंचसवग्गे बारस उद्देसगा। निरयावलि सुयखंधो सम्मतो।

—निरयावलिया, (बहि नवसा), अन्तिम भाग

छेद-सूत्र

बौद्ध वाङ्मय में विनय-पिटक की जो स्थिति है, जैन वाङ्मय में छेद-सूत्रों की लगभग उसी प्रकार की स्थिति है। इनमें जैन श्रमणों तथा श्रमणियों के जीवन से सम्बद्ध आचार-विषयक नियमों का विश्लेषण है, जो भगवान् महावीर द्वारा निरूपित किये गये थे तथा आगे भी समय-समय पर उनकी उत्तरवर्ती परम्परा में निर्धारित होते गये थे। नियम-भंग हो जाने पर साधु-साधवियों द्वारा अनुसरणीय अनेक प्रायश्चित्त विधियों का इनमें विशेषतः विश्लेषण है।

श्रमण-जीवन की पवित्रता को बनाये रखने की दृष्टि से छेद-सूत्रों का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है। यहाँ कारण है कि इन्हें उत्तम श्रुत कहा गया है। भिक्षु-जीवन के सम्यक् संचालन के हेतु छेद-सूत्रों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक समझा गया है। आचार्य, उपाध्याय जैसे महत्त्वपूर्ण पदों के अधिकारी छेद-सूत्रों के मर्म-वेत्ता हों, ऐसा अपेक्षित माना जाता रहा है। कहा गया है, कोई भी आचार्य छेद-सूत्रों के गम्भीर अध्ययन के बिना अपने श्रमण-समुदाय को लेकर ग्रामानुग्राम विहार नहीं कर सकता।

निशीथ-भाष्य में बतलाया गया है कि छेद-सूत्र अर्द्ध-प्रवचन का रहस्य उद्बोधित करने वाले हैं, गुह्य—गोप्य हैं। वे अल्प सामर्थ्यवान् व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते। पूर्ण पात्र ही उनके अधिकारी होते हैं। भाष्यकार का कहना है कि जिस प्रकार अपरिपक्व घट में रखा गया जल घट को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार छेद-सूत्रों में सन्निहित सिद्धान्तों का रहस्य अनधिकारी व्यक्ति के नाश का कारण होता है। विनय-पिटक के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की गुह्यता (गोपनीयता) की चर्चा प्राप्त होती है। मिलिन्द-प्रश्न में उल्लेख है कि विनय-पिटक को छिपाकर रखा जाना चाहिए, जिससे अपयश न हो। कहने का आशय यह है कि प्रायश्चित्त-प्रकरण में भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा प्रमाद या भोगाकांक्षा के उभर आने के कारण सेवित उन चारित्रिक दोषों का भी वर्णन है, जिनकी वृद्धि के लिए अमुक-अमुक प्रायश्चित्त करने होते हैं। जन-साधारण तक उस स्थिति का पहुँचना लाभकर नहीं होता। जो वस्तु-स्थिति के परिपूर्ण ज्ञाता नहीं होते, उनमें इससे श्रमण श्रमणियों के प्रति अनेक प्रकार की विचिकित्सा तथा अश्रद्धा का उत्पन्न होना आशंकित है। सम्भवतः इसी कारण गोप्यता का संकेत किया गया प्रतीत होता है।

१. निशीह (निशीथ), २. महानिशीह (महानिशीथ), ३. व्यवहार (व्यवहार), ४. दसासुयखंघ (दशाश्रुतस्कन्ध), ५. कप्प (कल्प), ६. पंच-कप्प अथवा जीयकप्प (पंच कल्प अथवा जीवकल्प) प्रभृति छः छेद-सूत्र माने गये हैं।

१. निशीथ (निशीथ)

निशीथ शब्द का अर्थ

निशीथ शब्द का अर्थ अन्धकार, अप्रकाश या रात्रि है। निशीथभाष्य में इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया है: “अप्रकाश या अन्धकार लोक में निशीथ शब्द से अभिहित होता है। जो अप्रकाशधर्म—रहस्यभूत या गोपनीय होता है, उसे भी निशीथ कहा गया है।”^१ इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार रहस्यमय विद्या, मन्त्र, तन्त्र, योग आदि अनधिकारी या अपरिपक्व बुद्धिवाले व्यक्तियों को नहीं बताये जा सकते अर्थात् उनसे उन्हें छिपा कर या गोप्य रखा जाता है, उसी प्रकार निशीथ सूत्र भी गोप्य है—हर किसी के समक्ष उद्घाट्य नहीं है।

स्वरूप : विषय

निशीथ आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध से सम्बद्ध माना जाता है। इसे आचारांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध की पंचम खूला के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे निशीथ-खूला-अध्ययन कहा जाता है। निशीथ को आचार-प्रकल्प के नाम से भी अभिहित किया गया है।

निशीथ सूत्र में साधुओं और साध्वियों के आचार से सम्बद्ध उत्सर्ग-विधि तथा अपवाद-विधि का विवेचन है एवं उनमें स्खलना होने पर आचरणीय प्रायश्चित्तों का विवेचन है। इस सन्दर्भ में वहाँ बहुत सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है, जो अपने संयम-जीवितव्य का सम्यक् निर्वाह करने की भावना वाले प्रत्येक निर्ग्रन्थ तथा निर्ग्रन्थिनी के लिए पठनीय है। ऐसी मान्यता है कि यदि साधु निशीथ सूत्र विस्मृत कर दें तो यावज्जीवन आचार्य-पद का अधिकारी नहीं हो सकता।

रचना : रचनाकार

निशीथ सूत्र की रचना कब हुई, किसके द्वारा हुई, यह निर्विवाद नहीं है। बहुत पहले से इस सम्बन्ध में मत-भेद चले आ रहे हैं। निशीथ भाष्यकार का अभिमत है कि पूर्वधारी श्रमणों द्वारा इसकी रचना की गयी। अर्थात् यह पूर्व-ज्ञान के आधार पर निबद्ध है। इसका और अधिक स्पष्ट रूप इस प्रकार माना जाता है कि नवम प्रत्याख्यान पूर्व के आचार-संज्ञक तृतीय अधिकार के बीसवें प्राभृत के आधार पर यह (निशीथ सूत्र) रचा गया।

१. जं होति अप्पगासं, तं तु निसीहं ति लोगसंसिद्धं । जं अप्पगासधम्मं अप्पणं पि तयं निसीधंति ।

— गाथा ६९ ।

चूणिकार जिनदास महत्तर का मन्तव्य है कि विसाहगरिण (विशाख गरिण) महत्तर ने इसकी रचना की, जिसका उद्देश्य अपने शिष्यों-प्रशिष्यों का हित-साधन था। पंचकल्प चूणि में बताया गया है कि आचार्य भद्रबाहु निशीथ सूत्र के रचयिता थे।

निशीथ-सूत्र में बीस उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्देशक भिन्न-भिन्न संख्यक सूत्रों में विभक्त है।

व्याख्या-साहित्य

निशीथ के सूत्रों पर निर्युक्ति की रचना हुई। परम्परा से आचार्य भद्रबाहु निर्युक्ति-कार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूत्र एवं निर्युक्ति के विश्लेषण हेतु संघदास गरिण ने भाष्य की रचना की। सूत्र, निर्युक्ति और भाष्य पर जिनदास महत्तर ने विशेष चूणि की रचना की, जो अत्यन्त सार-गर्भित है। प्रद्युम्न सूरि के शिष्य द्वारा इस पर अवचूणि की भी रचना की गयी। इस पर वृहद् भाष्य भी रचा गया, पर, वह आज प्राप्त नहीं है। सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा द्वारा निशीथ सूत्र का भाष्य एवं चूणि के साथ चार भागों में प्रकाशन हुआ है, जिसका सम्पादन सुप्रसिद्ध विद्वान् उपाध्यायश्री अमरमुनिजी तथा मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल' द्वारा किया गया है।

२. महानिशीह (महानिशीथ)

महानिशीथ को समग्र आर्हत् प्रवचन का सार बताया गया है। पर, वस्तुतः जो मूल रूप में महा-निशीथ था, वह यथावत् नहीं रह सका। कहा जाता है कि उसके पन्ने नष्ट-भ्रष्ट हो गये, उन्हें दीमक खा गये। तत्पश्चात् आचार्य हरिभद्र सूरि ने उसका पुनः परिष्कार या संशोधन किया और उसे एक स्वरूप प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि वृद्धवादी, सिद्धसेन, यक्षसेन, देवगुप्त, यशोधर्धन, रविगुप्त, नेमिचन्द्र तथा जिनदास गरिण प्रभृति आचार्यों ने उसे समादृत किया। वह प्रवर्तित हुआ। साधारणतया निशीथ को लघु निशीथ और इसे महानिशीथ कहा जाता है। पर, वास्तव में ऐसा घटित नहीं होता; क्योंकि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महानिशीथ का वास्तविक रूप विद्यमान नहीं है।

कलेवर : विषय-वस्तु

महानिशीथ छः अध्ययनों तथा दो चूलाओं में विभक्त है। प्रथम अध्ययन का नाम शल्योद्धरण है। इसमें पाप रूप शल्य की निन्दा और आलोचना के सन्दर्भ में अठारह पाप-स्थानकों की चर्चा है। द्वितीय अध्ययन में कर्मों के विपाक तथा ताप-कर्मों की आलोचना की विधेयता का वर्णन है। तृतीय और चतुर्थ अध्ययन में कुत्सित शील या आचरण वाले साधुओं का संसर्ग न किये जाने के सम्बन्ध में उपदेश हैं। प्रसंगोपात्ततया यहाँ नवकार मन्त्र की भी चर्चा है और बताया गया है कि आर्य वज्र ने नवकार मन्त्र का

उद्धार किया और इसे मूल सूत्र में स्थान दिया । नवनीतसार संज्ञक पंचम अध्यायने में गुरु-शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन है । उस प्रसंग में गच्छ का भी वर्णन किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि गच्छाचार नामक प्रकीर्णक की रचना इसी के आधार पर हुई । षष्ठ अध्यायन में आलोचना तथा प्रायश्चित्त के क्रमशः दश और चार भेदों का वर्णन है ।

पति की मृत्यु पर स्त्री के सती होने तथा यदि कोई राजा निष्पुत्र मर जाए, तो उसकी विधवा कन्या को राज्य-सिंहासनासीन किये जाने का यहां उल्लेख है ।

ऐतिहासिकता

इस सूत्र की भाषा तथा विषय के स्वरूप को देखते हुए इसकी गणना प्राचीन आगमों में किया जाना समीचीन नहीं लगता । इसमें तन्त्र सम्बन्धी वर्णन भी प्राप्त होते हैं । जैन आगमों के अतिरिक्त इतर ग्रन्थों का भी इसमें उल्लेख है । अन्य भी ऐसे अनेक पहलू हैं, जिनसे यह सम्भावना पृष्ठ होती है कि यह सूत्र अर्वाचीन है ।

३. व्यवहार (व्यवहार)

श्रुत-वाङ्मय में व्यवहार सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है । यहां तक कि इसे द्वादशांग का नवनीत कहा गया है । यद्यपि संख्या में छेद-सूत्र छः हैं, पर, वस्तुतः उनमें विषय, सामग्री, रचना आदि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण तीन ही हैं जिनमें व्यवहार सूत्र मुख्य है । अवशिष्ट दो निशीथ और बृहत्कल्प हैं ।

कलेवर : विषय-वस्तु

इसमें दश उद्देशक हैं, जो सूत्रों में विभक्त हैं । कलेवर में यह श्रुत-ग्रन्थ निशीथ से छोटा और बृहत् कल्प से बड़ा है । भिक्षुओं, भिक्षुणियों द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूप में आचरित दोषों या सबलनाओं की शुद्धि या प्रतिकार के लिए प्रायश्चित्त, आलोचना आदि का यहां बहुत मार्मिक वर्णन है । उदाहरणार्थ, प्रथम उद्देशक में एक प्रसंग है । यदि एक साधु अपने गण से पृथक् होकर एकाकी विहार करने लगे और फिर यदि अपने गण में पुनः समाविष्ट होना चाहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उस गण के आचार्य, उपाध्याय आदि के समक्ष अपनी गद्दी, निन्दा, आलोचना-पूर्वक प्रायश्चित्त अंगीकार कर आत्म-मार्जन करे । यदि आचार्य या उपाध्याय न मिलें, तो साम्भोगिक, विद्यागमी साधुओं के समक्ष ऐसा करे । यदि वह भी न मिले, तो सूत्रकार ने अन्य साम्भोगिक

१. यहाँ यह ज्ञातव्य है कि दिगम्बर आम्नाय में नवकार मन्त्र के विषय में शिष्य सायतन है । षट्खण्डागम के धवला टीकाकार वीरसेन का अभिमत है कि आचार्य पुण्यवन्त नवकार मन्त्र के स्वप्ता हैं ।

इतर सम्प्रदाय के विद्यागामी साधु के समक्ष बैसा करने का विधान किया है। उसके भी न मिलने पर सूत्रकार ने अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के विकल्प उपस्थित किये हैं, जिनके साक्ष्य से आलोचना, निन्दा, गृह्य द्वारा अन्तःपरिष्कार कर प्रायश्चित्त किया जाए। यदि बैसा कोई भी न मिल पाए, तो सूत्रकार का निर्देश है कि ग्राम, नगर, निगम, राजधानी खेड़, कर्पट, मडम्ब, पट्टण, द्रोणमुख आदि के पूर्व या उत्तर दिशा में स्थित हो, अपने मस्तक पर दोनों हाथों की अंजलि रख इस प्रकार कहते हुए आत्म-पर्यालोचन करे कि मैंने अपराध किये हैं, मैं साधुत्व में अपराधी-दोषी बना हूँ। मैं अर्हत्तों और मित्रों के साक्ष्य से आलोचना करता हूँ। आत्म-प्रतिक्रान्त होता हूँ, आत्म-निन्दा तथा गृह्य करता हूँ, प्रायश्चित्त स्वीकार करता हूँ।

आत्म-परिष्कृति या अन्तःशोधन की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो श्रामण्य के शुद्ध-निर्वहन में निःसन्देह उद्बोधक तथा उत्प्रेरक है।

व्यवहार-सूत्र में इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं, जिनका श्रमण-जीवन एवं श्रमण-संघ के व्यवस्था-क्रम, समीचीनतया संचालन तथा पावित्र्य की दृष्टि से बड़ा महत्व है।

कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंग

प्रायश्चित्तों के विश्लेषण की दृष्टि से दूसरा उद्देश्य भी विशेष महत्वपूर्ण है। अन्वस्थाप्य, पारंरिक आदि प्रायश्चित्तों के सन्दर्भ में इस में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन हुआ है। एक स्थान पर वर्णन है—‘जो साधु रोगाक्रान्त है, वायु आदि के प्रकोप से जिसका चित्त विक्रान्त है, कारण-विशेष (कन्दर्पोद्भव आदि) से जिसके चित्त में बैकल्प है, यक्ष आदि के आवेश के कारण जो ग्लान है, शैव्य आदि से अत्याक्रान्त है, जो उन्माद-प्राप्त है, जो देवकृत उपसर्ग से ग्रस्त होने के कारण अस्त-व्यस्त है, क्रोध आदि कषाय के तीव्र आवेश के कारण जिसका चित्त अस्थिर एवं ग्लान है, अधिक प्रायश्चित्त की आशंका से जिसका चित्त खिन्न है, उसको—उन सबको जब तक वे स्वस्थ न हो जाएं, तब तक उन्हें गण से बहिष्कृत करना अकल्प्य है।’ इस प्रकार के और भी अनेक प्रसंग हैं।

गण-धारकता के लिए अपेक्षित स्थितियाँ, विहार-चर्या के विधि-निषेध, पदासीनता, भिक्षा-चर्या, सम्भोग-विसम्भोग का विधिक्रम, स्वाध्याय के सम्बन्ध में सूचना आदि अनेक विवरण हैं, जो श्रमण-जीवन के सर्वांगीण अध्ययन एवं अनुशीलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

सातवाँ उद्देशक साधुओं और साध्वियों के पारस्परिक व्यवहार की दृष्टि से अध्येतव्य है। वहाँ उल्लेख है कि तीन वर्ष के दीक्षा-पर्याय वाला अर्थात् जिसे प्रव्रजित हुए केवल तीन वर्ष हुए हैं, वैसा साधु उस साध्वी को, जिसे दीक्षा ग्रहण किये तीस वर्ष हो गये हैं, उपाध्याय के रूप में आदेश-उपदेश दे सकता है। इसी प्रकार केवल पाँच वर्ष का दीक्षित

साधु साठ वर्ष की दीक्षिता साध्वी को आचार्य-रूप में उपदेश दे सकता है। ये विधान विनयपिटक के उस प्रसंग से तुलनीय हैं, जहाँ सौ वर्ष की उपसम्पदा-प्राप्त भिक्षुणी को भी उसी दिन उपसम्पन्न भिक्षु के प्रति अभिवादन, प्रत्युत्थान, अंजलि-प्रणति आदि करने का विधान है। साधुओं एवं साध्वियों के आचार-व्यवहार सम्बन्धी तारतम्य और भेद-रेखा की दृष्टि से ये प्रसंग विशेष रूप से मननीय एवं समीक्षणीय हैं।

नवम उद्देशक में साधु की प्रतिमाओं तथा अभिग्रह का और दशम अध्ययन में यवमध्य-चन्द्र प्रतिमा, वज्रमध्य-चन्द्र प्रतिमा आदि का वर्णन है।

दशम अध्ययन में शास्त्राध्ययन की मर्यादा एवं नियमानुक्रम का विवेचन है, जो प्रत्येक साधु-साध्वी के लिए ज्ञातव्य है। उसके अनुसार निम्नांकित दीक्षा-पर्याय-सम्पन्न साधु निम्नांकित रूप में शास्त्राध्ययन का अधिकारी है :

दीक्ष-पर्याय	शास्त्र
तीन वर्ष	आचार-कल्प
चार वर्ष	सूत्रकृतांग
पाँच वर्ष	दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार
आठ वर्ष	स्थानांग, समवायांग
दश वर्ष	व्याख्या-प्रज्ञप्ति
बारह वर्ष	शुल्लिका-विमान-प्रविभक्ति, महती-विमान-प्रविभक्ति अंगचूलिका, वंग (वर्ग)-चूलिका एवं व्याख्या-चूलिका
बारह वर्ष	अरुणोपपात, गरुडोपपात, वरुणोपपात, वैश्रमणोपपात, वेलघरोपपात।
तेरह वर्ष	उत्थान-श्रुत, समुत्थान-श्रुत, देवेन्द्रोपपात, नागपरियापनिका
चौदह वर्ष	स्वप्न-अध्ययन
पन्द्रह वर्ष	चारण-भावना-अध्ययन
सोलह वर्ष	वेद-निसर्ग
सतरह वर्ष	आशीविष-भावना-अध्ययन
अठारह वर्ष	दृष्टि-विष-भावना-अंग
उन्नीस वर्ष	दृष्टिवाद अंग
बीस वर्ष	सभी शास्त्र

इस उद्देशक में आचार्य, उपाध्याय, स्थविर तपस्वी, नव दीक्षित शैक्ष (शिष्य), वार्धक्य आदि के कारण ग्लान (श्रमण), कुल, गण, संघ तथा साधर्मिक ; इन दश के वैयावृत्य—दैहिक सेवा आदि का भी उल्लेख है।

रचयिता और व्याख्याकार

व्यवहार सूत्र के रचनाकार आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। उन्हीं के नाम से इस पर नियुक्ति है। पर, सूत्रकार तथा नियुक्तिकार भद्रबाहु एक ही थे, यह विवादास्पद है। बहुत सम्भव है, सूत्र तथा नियुक्ति भिन्नकर्तृक हों ; इस नाम के दो भिन्न आचार्यों की रचनाएं हों। व्यवहार सूत्र पर भाष्य भी उपलब्ध है, पर, नियुक्ति तथा भाष्य परस्पर मिश्रित से हो गये हैं। आचार्य मलयगिरि द्वारा भाष्य पर विवरण की रचना की गयी है। व्यवहार सूत्र पर चूणि और अवचूरि की भी रचना हुई। ऐसा अभिमत है कि इस पर वृहद् भाष्य भी था, पर, वह आज उपलब्ध नहीं है।

४. दशासुयकखंड (दशाश्रुतस्कन्ध)

यह छेद-सूत्रों में चौथा है। इसे दशा, आचार-दशा या दशाश्रुत भी कहा जाता है। यह दश भागों में विभक्त है, जिन्हें दशा नाम से अभिहित किया गया है। आठवां भाग अध्ययन नाम से संकेतित है।

प्रथम दशा में असमाधि के बीस स्थानों का वर्णन है। द्वितीय दशा में शबल के इक्कीस स्थानों का विवेचन है। शबल का अर्थ धब्बों वाला, चितकबरा या सदोष है। यहां शबल का प्रयोग दूषित आचरण-रूप धब्बों के अर्थ में है। तृतीय दशा में आशातना के तेतीस प्रकार आदि का उल्लेख है।

गणि-सम्पदा

चतुर्थ दशा में गणी या आचार्य की आठ सम्पदाओं का वर्णन है। वे आठ सम्पदाएं इस प्रकार हैं : १. आचार-सम्पदा, २. श्रुत-सम्पदा, ३. शरीर-सम्पदा, ४. वचन-सम्पदा, ५. वाचना-सम्पदा, ६. मति-सम्पदा, ७. प्रयोग-सम्पदा, ८. संग्रह-सम्पदा। प्रत्येक सम्पदा के भेदों का जो वर्णन किया गया है, वह श्रमण-संस्कृति से आप्यायित विराट् व्यक्तित्व के स्वरूप को जानने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है; अतः उन भेदों का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

आचार-सम्पदा के चार भेद : १. संयम में ध्रुव योगयुक्त होना, २. अहंकाररहित होना, ३. अनियतवृत्ति होना, ४. वृद्धस्वभावी (अचंचल स्वभाव वाला) होना।

श्रुत-सम्पदा के चार भेद : १. बहुश्रुतता, २. परिचितश्रुतता, ३. विचित्र-श्रुतता, ४. घोषविशुद्धिकारकता ।

शरीर-सम्पदा के चार भेद : १. शरीर की लम्बाई-चौड़ाई का सम्यक् अनुपात, २. अलज्जास्पद शरीर, ३. स्थिर संगठन, ४. प्रतिपूर्णोन्मिद्यता ।

वचन-सम्पदा के चार भेद : १. आदेय वचन (ग्रहण करने योग्य वाणी), २. मधुर वचन, ३. अनिश्चित (प्रतिबन्धरहित), वचन, ४. असन्दिग्ध वचन ।

वाचना-सम्पदा के चार भेद : १. विचार पूर्वक वाच्य विषय का उद्देश-निर्देश करना, २. विचार पूर्वक वाचना करना, ३. उपयुक्त विषय का ही विवेचन करना, ४. अर्थ का सुनिश्चित निरूपण करना ।

मति-सम्पदा के चार भेद : १. अवग्रह-मति-सम्पदा, २. ईहा-मति-सम्पदा, ३. अवाय-मति-सम्पदा, ४. धारण-मति-सम्पदा ।

प्रयोग-सम्पदा के चार भेद : १. आत्म-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, २. परिषद्-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, ३. क्षेत्र-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, ४. वस्तु-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग ।

संग्रह-सम्पदा के चार भेद : १. वर्षाऋतु में सब मुनियों के निवास के लिए योग्य स्थान की परीक्षा करना, २. सब मुनियों के लिए प्रातिहारिक पीठ-फलक-शय्या संस्कार की व्यवस्था करना, ३. नियत समय पर प्रत्येक कार्य करना, ४. अपने से बड़ों की पूजा-प्रतिष्ठा करना ।

पंचम दशा में चित्त-समाधि-स्थान तथा उसके दश भेदों का वर्णन है । षष्ठ दशा में उपासक या श्रावक की दश प्रतिमाओं का निरूपण है । उस सन्दर्भ में सूत्रकार ने मिथ्यात्व-प्रसूत अक्रियावाद तथा आरम्भ-समारम्भ-मूलक क्रियावाद का विस्तार से विश्लेषण करते हुए द्रोह, राग, मोह, आसक्ति, वैमनस्य तथा भोगैषणा, लौकिक सुख, लोकैषणा—लोक-प्रशस्ति आदि से उद्भूत अनेकानेक पाप-कृत्यों का विश्लेषण करते हुए उनके नारकीय फलों का रोमांचक वर्णन किया है ।

सप्तम दशा में द्वादशविध भिक्षु-प्रतिमा का विवेचन है । जैसे, प्रथम एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा में पालनीय आचार-नियमों के सन्दर्भ में विहार-प्रवास को उद्दिष्ट कर बतलाया गया है कि एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा-उपपन्न भिक्षु, जिस क्षेत्र में उसे पहचानने वाले हों, वहां केवल रात्रि-प्रवास कर विहार कर जाए । जहां कोई पहचानने वाला न हो, वहां एक रात, अधिक हो तो दो रात प्रवास कर जाए । ऐसा न करने पर वह भिक्षु दीक्षा-छेद अथवा परिहारिक तप के प्रायश्चित्त का भागी होता है । प्रत्येक प्रतिमा के

सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है, जो प्रत्येक संयम एवं तप-रत भिक्षु के लिए परिशीलनीय है।

अष्टम अध्ययन में भगवान् महावीर के ज्यवन, गर्भ-संहरण, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान, मोक्ष आदि का वर्णन है। इसे पञ्चोत्तरण-कल्प या कल्प-सूत्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। उस पर अनेक आचार्यों की टीकाएँ हैं, जिनमें जिनप्रिय, धर्मसागर, विनय-विजय, समयसुन्दर, रत्नसागर, संचविजय, लक्ष्मीवल्लभ आदि मुख्य हैं। पयुषण के दिनों में साधु प्रवचन में इसको पढ़ते हैं। छेद-सूत्रों का परिषद् में पठन न किये जाने की परम्परा रही है; क्योंकि उनमें अधिकांशतः साधु-साधवियों द्वारा ज्ञान-अनजान में हुई भूलों, दोषों आदि के सम्मार्जन के विधि-क्रम हैं, जिन्हें विशेषतः उन्हें ही समझना चाहिए, जिनका उनसे सम्बन्ध हो। पयुषण-कल्प छेद-सूत्र का अंग होते हुए भी एक अपनी भिन्न स्थिति लिये हुए है; अतः उसका पठन अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के इतिहास का अवबोध कराने के हेतु उपयोगी है। किम्बदन्ती है कि विक्रमानन्द ५२३ में आनन्दपुर के राजा ध्रुवसेन के पुत्र का मरण हो गया। उसे तथा उसके पारिवारिक जनों को शान्ति देने की दृष्टि से तब से इसका व्याख्यान में पठन-क्रम आरम्भ हुआ।

रचनाकार : व्याख्यान-साहित्य

वशाश्रुतस्कन्ध के रचयिता आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। उन्हीं के नाम से इस पर नियुक्ति है। पर, जैसा कि व्यवहार-सूत्र के वर्णन के प्रसंग में उल्लेख हुआ है, सूत्र और नियुक्ति की एककर्तृवता सन्दिग्ध है। इस पर चर्चा की भी रचना हुई। ब्रह्मर्षि पार्श्वचन्द्रोदय-प्रणीत वृत्ति भी है।

५. कल्प (कल्प अथवा वृहत्कल्प)

वशाश्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्ययन के सन्दर्भ में पयुषण-कल्प की चर्चा की गयी है, उससे यह भिन्न है। इसे कल्पाध्ययन भी कहा जाता है। कल्प या कल्प्य का अर्थ योग्य व विहित है। साधु-साधवियों के संयम-जीवन के निमित्त जो साधक आचरण हैं, वे कल्प या कल्प्य हैं और उसमें बाधा या विघ्न उपस्थित करने वाले जो आचरण हैं, वे अकल्प या अकल्प्य हैं। प्रस्तुत सूत्र में साधु-साधवियों के संयत चर्या के सन्दर्भ में वस्त्र, पात्र, स्थान आदि के विषय में विशद विवेचन है। इसे जैन श्रमण-जीवन से प्राचीनतम आचार-शास्त्र का महान् ग्रन्थ माना जाता है। निशोथ और व्यवहार की तरह उसका भी भाषा, विषय आदि की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इसकी भाषा विशेष प्राचीनता लिये हुए है। पर, टीकाकारों द्वारा यत्र-तत्र परिवर्तन, परिवर्धन आदि किया जाता रहा है, जैसा कि अन्यान्य आगमों में भी हुआ है।

कलेवर : विषय-वस्तु

छः उद्देशकों में यह सूत्र विभक्त है। श्रमणों के खान-पान, रहन-सहन, विहार-चर्या आदि के गहन विवेचन की दृष्टि इसमें परिलक्षित होती है। प्रसंगोपात्ततया इसके प्रथम उद्देशक में साधु-साधवियों के विहार-क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें पूर्व में अंग और मगध तक, दक्षिण में कोशाम्बी तक, पश्चिम में थानेश्वर-प्रदेश तक तथा उत्तर-पूर्व में कुणाल-प्रदेश तक विहार करना कल्प्य है। इतना आर्य-क्षेत्र है। इससे बाहर विहार कल्प्य नहीं है। इसके अनन्तर कहा गया है कि यदि साधुओं को अपने ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य का विघात न प्रतीत होता हो, लोगों में ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य की वृद्धि होने की सम्भावना हो, तो उक्त सीमाओं से बाहर भी विहार करना कल्प्य है।

तीसरे उद्देशक में साधुओं और साधवियों के एक-दूसरे के ठहरने के स्थान में आवागमन की मर्यादा, बैठने, सोने, आहार करने, स्वाध्याय करने, ध्यान करने आदि नेषध प्रभृति का वर्णन है। श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार करने के समय उपकरण-ग्रहण का विधान, वर्षा-काल के चार तथा अवशिष्ट आठ मास में वस्त्र-व्यवहार आदि और भी अनेक ऐसे विषय इस उद्देशक में व्याख्यात हुए हैं, जो सतत जागरूक तथा संयम-रत जीवन के सम्यक् निर्वाह की प्रेरणा देते हैं।

चतुर्थ उद्देशक में आचार-विधि तथा प्रायश्चित्तों का विश्लेषण है। उस सन्दर्भ में अनुद्धातिक, पारंरिक तथा अनवस्थाप्य आदि की चर्चा है।

कतिपय महत्वपूर्ण उल्लेख

प्रासंगिक रूप में चतुर्थ उद्देशक में उल्लेख हुआ है कि गंगा, यमुना, सरयू, कोसी और मही नामक जो बड़ी नदियाँ हैं, उनमें से किसी भी नदी को एक मास में एक बार से अधिक पार करना साधु-साध्वी के लिए कल्प्य नहीं है। साथ-ही-साथ वहाँ ऐसा भी कहा गया है : 'जैसे, कुणाला में एरावती नदी है। वह कम जल वाली है; अतः एक पैर को पानी के भीतर और दूसरे को पानी के ऊपर करते हुए पानी देख-देख कर (नितार-नितार कर) उसे पार किया जा सकता है। उसे एक मास में दो बार, तीन बार पार करना भी कल्प्य है। पर, जहाँ जल की अधिकता के कारण वैसा करना शक्य नहीं है, वहाँ एक बार से अधिक पार करना अकल्प्य है।

छठे उद्देशक में एक प्रसंग में कहा गया है कि किसी साधु के पांव में कीला, कांटा, काच का तीखा टुकड़ा गड़ जाए, साधु उसे स्वयं निकालने में सक्षम न हो, निकालने वाला अन्य साधु भी पास में न हो, तो यदि साध्वी उसे शुद्ध भाव पूर्वक निकाले, तो वह

तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती। इसी प्रकार साधु की आज्ञा में कोई जीव-भुगता, बीज, रज-कण आदि पकड़ जाए, उसे वह स्वयं न निकाल सके और न वैसा कर सकने वाला कोई दूसरा साधु पास में हो, तो साध्वी शुद्ध भाव से वैसा करती हुई तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती।

साध्वी की भी वैसी ही स्थिति हो, जैसी साधु की बतलाई गयी है, तो साधु शुद्ध भाव से साध्वी के पैर से कील, कांटा, काष का टुकड़ा आदि निकाल सकता है। आज्ञा में से कौटानु, बीज, रज-कण आदि हटा सकता है। वैसा करता हुआ वह तीर्थंकर की आज्ञा की विराधता नहीं करता।

एक और प्रसंग है, जिसमें बतलाया गया है कि यदि कोई साध्वी किसी दुर्गम स्थान से, विषम स्थान से, पर्वत से स्थलित हो रही हो, गिर रहा हो; उसे बचा सके, वैसी कोई दूसरी साध्वी उसके पास न हो तो साधु यदि उसे पकड़ कर, सहारा देकर बचाए, तो वह तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। इसी प्रकार यदि कोई साधु नदी में, जलाशय में, कौचड़ में फंसी साध्वी को पकड़ कर निकाल दे, तो वह तीर्थंकर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार नौका में चढ़ते-उतरते समय साध्वी के लड़खड़ा जाने, पड़ने लगने, वात आदि दोष से विक्षिप्त हो जाने के कारण अपने को न सम्हाल पाने, हर्षातिरेक या शोकातिरेक से गुस्त-चिस्त हो कर आत्म-धात आदि के लिए उद्यत होने, यक्ष, भूत, प्रेत आदि से आविष्ट हो जाने के कारण अस्त-व्यस्त दशा में हो जाने जैसे अनेक प्रसंग उपस्थित करते हुए सूत्रकार ने निर्दिष्ट किया है कि उक्त स्थिति में साधु साध्वी को पकड़ कर बचा सकता है। वैसा करने में उसे कोई दोष नहीं आता।

स्पष्ट है कि सूत्रकार ने इन प्रसंगों से श्रमण-जीवन के विविध पहलुओं को सूक्ष्मता से परखते हुए एक व्यवस्था निर्देशित की है, जो श्रामण्य के शुद्धिपूर्वक निर्वहण-हेतु अपेक्षित एवं उपयुक्त सुविधाओं की पूरक है।

रचना एवं व्याख्या-साहित्य

रूप या बृहत्कल्प के रचनाकार आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। आचार्य मलयगिरि ने लिखा है कि प्रत्याख्यान संज्ञक नवम पूर्व की आचार नामक तृतीय वस्तु के बीसवें प्राकृत के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवेचन के आधार पर इसकी रचना की गयी। पूर्व-ज्ञान की परम्परा उस समय अस्तोन्मुख थी; अतः प्रायश्चित्त-विधान, जिन्हें प्रत्येक श्रमण-

श्रमणी को भलीभांति जानना चाहिए, कहीं उच्छिन्न या लुप्त न हो जाए, एतदर्थ आचार्य भद्रबाहु ने व्यवहार सूत्र और कल्प-सूत्र रचे ।

कल्प पर भद्रबाहुकृत नियुक्ति भी है, जिसकी कर्तृकता असन्दिग्ध नहीं है । इस पर संघदास गणी ने लघु भाष्य की रचना की । मलयगिरि^१ ने उल्लेख किया है कि आचार्य भद्रबाहु की नियुक्ति तथा संघदास गणी का भाष्य; दोनों इस प्रकार परस्पर विभिन्नित जैसे हो गये हैं कि उन दोनों को पृथक्-पृथक् स्थापित करना असम्भव जैसा है । भाष्य पर आचार्य मलयगिरि ने विवरण की रचना की । पर, वह रचना पूर्ण नहीं थी । लगभग दो शताब्दियों के पश्चात् क्षेमकीर्ति सूरि ने उसे पूरा किया । बृहत्कल्प पर बृहद् भाष्य भी है, वह पूर्ण नहीं है, केवल तृतीय उद्देशक तक ही प्राप्य है । इस पर विशेष खूणि की भी रचना हुई ।

६. पंचकल्प (पंच-कल्प)

पंचकल्प सूत्र और पंचकल्प-भाष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं, जिनसे सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये दो ग्रन्थ हों । पर वास्तव में ऐसा नहीं है । नाम दो हैं, ग्रन्थ एक । मलयगिरि और क्षेमकीर्ति के अनुसार पंचकल्प भाष्य वस्तुतः बृहत्कल्प-भाष्य का ही एक अंश है । इसकी वैसी ही स्थिति है, जैसी पिण्ड-नियुक्ति और औघ-नियुक्ति की है । पिण्ड-नियुक्ति कोई मूलतः पृथक् ग्रन्थ नहीं है, वह दशवैकालिक नियुक्ति का ही भाग है । उसी प्रकार औघ-नियुक्ति भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर आवश्यक-नियुक्ति का ही भाग है । विषय-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण पाठकों की सुविधा की दृष्टि से उन्हें पृथक्-पृथक् कर दिया गया है ।

बृहत्कल्प-भाष्य का अंश होने के नाते पंचकल्प सूत्र या पंचकल्प-भाष्य संघदास गणी द्वारा रचित ही माना जाना चाहिए । इस पर खूणि की भी रचना हुई ।

जीयकल्पसुत्त (जीतकल्प-सूत्र)

जीअ, जीय या जीत का अर्थ परम्परागत से आगत आचार, मर्यादा, व्यवस्था या प्रायश्चित्त से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रकार का रिवाज^१ आदि है । इस सूत्र में जैन

श्रमणों के सन्दर्भ में प्रायश्चित्तों का विधान है। इस सूत्र में एक सौ तीन गाथाएँ हैं। इसमें प्रायश्चित्त का महत्त्व, आत्म-शुद्धि या अन्तः-परिष्कार में उसकी उपादेयता आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रायश्चित्त के दश भेदों का वहाँ विवेचन है : १. आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. मिश्र-आलोचना-प्रतिक्रमण, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अमवस्थाप्य, १०. पारंरिक। ऐसी मान्यता है कि आचार्य भगवान् के अनन्तर अन्तिम दो अनवस्थाप्य और पारंरिक नामक प्रायश्चित्त व्युच्छन्न हो गये।

रचना : व्याख्यान-साहित्य

सुप्रसिद्ध जैन लेखक, विशेषावश्यक-भाष्य जैसे महान् ग्रन्थ के प्रणेता जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण (सप्तम वि. शती) इस सूत्र के रचयिता माने जाते हैं। क्षमाश्रमण इसके भाष्य-कार भी कहे जाते हैं, पर, यह भाष्य वस्तुतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न हो कर बृहत्कल्प-भाष्य, व्यवहार-भाष्य, पंचकल्प-भाष्य, तथा पिण्ड-निर्युक्ति प्रभृति ग्रन्थों की विषयानुरूप भिन्न-भिन्न गाथाओं का संकलन मात्र है। आचार्य सिद्धसेन ने इस ग्रन्थ पर चूणि की रचना की। श्रीचन्द्र सूरि (१२२८ विक्रमाब्द में) उस (चूणि) पर विषम-पद-व्याख्या नामक टीका की रचना की। श्रीतिलकाचार्यप्रणीत वृत्ति भी इस पर है। यति-जीतकल्प और श्राद्ध-जीतकल्प नामक ग्रन्थ भी जीतकल्पसूत्र से ही सम्बद्ध या तद्विषयान्तर्गत माने जाते हैं। यति-जीतकल्प में यतियों या साधुओं के आचार का वर्णन है और श्राद्ध-जीतकल्प में श्राद्ध-श्रमणोपासक या श्रावक के आचार का विवेचन है। यति-जीतकल्प की रचना सोमप्रभसरि ने की। साधुरत्न ने उस पर वृत्ति लिखी। श्राद्ध-जीतकल्प की रचना धर्म-घोष द्वारा की गयी। उस पर सोमतिलक ने वृत्ति की रचना की।

मूल सूत्र

उत्तराध्ययन, दशवर्कालिक, आवश्यक, पिण्ड-निर्युक्ति तथा ओघ-निर्युक्ति को सामान्यतः मूल सूत्रों के नाम से अभिहित किया जाता है। यह सर्वसम्मत तथ्य नहीं है। कुछ विद्वान् उत्तराध्ययन, दशवर्कालिक तथा आवश्यक; इन तीन को ही मूल सूत्रों में गिनते हैं। वे पिण्ड-निर्युक्ति तथा ओघ-निर्युक्ति को मूल सूत्रों में समाविष्ट नहीं करते। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, पिण्ड-निर्युक्ति दशवर्कालिक निर्युक्ति का तथा ओघ-निर्युक्ति आवश्यक-निर्युक्ति का अंश है। कतिपय विद्वान् उक्त तीन मूल सूत्रों में पिण्ड-निर्युक्ति को सम्मिलित कर उनकी संख्या चार मानते हैं। कुछ के अनुसार, जैसा कि प्रारम्भ में सूचित

किया गया है, ओघ-नियुक्ति सहित वे पांच हैं। कतिपय विद्वान् उपर्युक्त तीन में से आवश्यक को हटा कर तथा अनुयोगद्वारा व नम्बी को उनमें सम्मिलित कर; चार की संख्या पूरी करते हैं। कुछ लोग पश्चिम सूत्र (पाक्षिक सूत्र) का भी इनके साथ नाम ले संयोजित करते हैं।

महत्व

मूल सूत्रों में वस्तुतः उत्तराध्ययन और दशवैकालिक का जैन वाङ्मय में बहुत बड़ा महत्व है। विद्वान् इन्हें जैन आगम-वाङ्मय के प्राचीनतम सूत्रों में गिनते हैं। भाषा की दृष्टि से भी इनकी प्राचीनता अक्षुण्ण है। विषय-विवेचन की अपेक्षा से ये बड़े समृद्ध हैं। ये सुस्तनिपात व धम्मपद जैसे सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों से तुलनीय हैं। जैन दर्शन, आचार-विज्ञान तथा तत्सम्मत जीवन के विश्लेषण की दृष्टि से ग्रन्थेताओं और अन्वेष्टाओं के लिए ये ग्रन्थ विशेष रूप से परिशीलनीय हैं।

मूल : नामकरण क्यों ?

मूल-सूत्र नाम क्यों और कब प्रचलित हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राचीन आगम-ग्रन्थों में मूल या मूल सूत्रों के नाम से कहीं भी उल्लेख नहीं है। पश्चाद्वर्ती साहित्य में भी सम्भवतः इस नाम का पहला प्रयोग भावदेवभूरि-रचित जैनधर्मचरितोक्त के तीसवें श्लोक की टीका में है। वहाँ "अथ उत्तराध्ययन-आवश्यक-पिण्डनियुक्ति-ओघ-नियुक्ति-दशैकालिक इति चत्वारि मूल सूत्राणि" इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है।

पश्चात्त्य विद्वानों द्वारा विमर्श

गहन अध्ययन, तलरूपी अनुसन्धान और गवेषणा की दृष्टि से योरोपीय देशों के कतिपय विद्वानों ने भारतीय वाङ्मय पर जिस रुचि और अपरित्रान्त अध्यवसाय व लगन के साथ जो कार्य किया है, निःसन्देह वह स्तुत्य है। कार्य किस सीमा तक हो सका, कितना हो सका, उसके निष्कर्ष कितने उपादेय हैं; इत्यादि पहलू तो स्वतन्त्र रूप में चिन्तन और आलोचना के विषय हैं, पर, उनका श्रम, उत्साह और सतत प्रयत्नशीलता भारतीय विद्वानों के लिए भी अनुकरणीय है। जैन वाङ्मय तथा प्राकृत भाषा के क्षेत्र में जर्मनी आदि पश्चिमी देशों के विद्वानों ने अधिक कार्य किया है। जैन आगम-साहित्य पर अनुसन्धान कर्ता विद्वानों के प्रस्तुत विषय पर जो भिन्न-भिन्न विचार हैं, उन्हें यहाँ उपस्थित किया जाता है।

प्र० शर्पेन्टियर का मत

जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राच्य-अध्येता प्रो. शर्पेन्टियर (Prof. Charpentier) ने उत्तरा-ख्ययन सूत्र की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में जो लिखा है, उसके अनुसार इनका मूल सूत्र नाम पड़ने का कारण इनमें भगवान् महावीर के मूल शब्दों का (Mahavira's own words) का संगृहीत होना है। इसका आशय यह है कि इनमें जो शब्द संकलित हुए हैं, वे स्वयं भगवान् महावीर के मुख से निःसृत हैं।

डॉ० वाल्टर शुब्रिंग का जर्निमत

जैन वाङ्मय के विख्यात अध्येता जर्मन के विद्वान् डॉ. वाल्टर शुब्रिंग (Dr. Walter Schubring) ने Lax Religion Dyaina¹ नामक (जर्मन भाषा में लिखित) पुस्तक में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि मूल सूत्र नाम इसलिए दिया गया प्रतीत होता है कि साधुओं और साध्वियों के साधनामय जीवन के मूल में—जन्म में उनके उपयोग के लिए इनका सर्जन हुआ।

प्र० गेरीनो की कल्पना

जैन शास्त्रों के गहन अनुशीलक इटली के प्रोफेसर गेरीनो (Prof. Guerinot) ने इस सम्बन्ध में एक दूसरी कल्पना की है। वैसे करते समय उनके मस्तिष्क में ग्रन्थ के दो रूप मूल तथा टीका का ध्यान रहा है; अतः उन्होंने मूल का आशय Traites Original से लिया। अर्थात् प्रो. गेरीनो ने मूल ग्रन्थ के अर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग माना; क्योंकि इन ग्रन्थों पर निर्युक्ति, धूर्णि, टीका, वृत्ति प्रभृति अनेक प्रकार का विपुल व्याख्यात्मक साहित्य रचा गया है। टीका या व्याख्या ग्रन्थों में उस ग्रन्थ को सर्वत्र मूल कहा जाता है, जिसकी वे टीकाएं या व्याख्याएं होती हैं। जैन आगम वाङ्मय-सम्बन्धी ग्रन्थों में उत्तराख्ययन और बसवैकालिक पर अत्यधिक टीका-व्याख्यात्मक साहित्य रचा गया है; जिनमें प्रो. गेरीनो के अनुसार टीकाकारों ने मूल ग्रन्थ के अर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग किया हो। उसी परिपाटी का सम्भवतः यह परिणाम रहा हो कि इन्हें मूल सूत्र कहने की परम्परा आरम्भ हो गयी हो।

समीक्षा

पाश्चात्य विद्वानों ने जो कल्पनाएं की हैं, उनके पीछे किसी अपेक्षा का आधार है, पर, समीक्षा की कसौटी पर कसने पर वे सर्वांशतः खरी नहीं उतरतीं। प्रो. शर्पेन्टियर ने भगवान् महावीर के मूल शब्दों के साथ इन्हें जोड़ते हुए जो समाधान उपस्थित किया, उसे उत्तराध्ययन के लिए तो एक अपेक्षा से संगत माना जा सकता है, पर, दशवैकालिक आदि के साथ उसकी बिल्कुल संगति नहीं है। भगवान् महावीर के मूल या साक्षात् वचनों के आधार पर यदि मूल सूत्र नाम पड़ता, तो यह आचारांग, सूत्रकृतां जैसे महत्वपूर्ण अंग-ग्रन्थों के साथ भी जुड़ता, जिनका भगवान् महावीर की देशना के साथ (गणधरों के माध्यम से) सीधा सम्बन्ध माना जाता है। पर, वहां ऐसा नहीं है; अतः इस कल्पना में निहित मूल शब्द का वह आशय यथावत् रूप में घटित नहीं होता।

डा. वाल्टर शुब्रिंग ने श्रमण-जीवन के प्रारम्भ में—मूल में पालनीय आचार-सम्बन्धी नियमों, परम्पराओं एवं विधि-विधानों के शिक्षण की दृष्टि से मूल सूत्र नाम दिये जाने का समाधान प्रस्तुत किया गया है, वह भी मूल सूत्रों के अन्तर्गत माने जाने वाले सब ग्रन्थों पर कहां घटता है। दशवैकालिक की तो लगभग वैसी स्थिति है, पर, अन्यत्र बहुलांशतया वैसा नहीं है। उत्तराध्ययन में, जो मूल सूत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, श्रमण-चर्या से सम्बद्ध नियमोपनियमों तथा विधि-विधानों के अतिरिक्त उनमें जैन धर्म और दर्शन-सम्बन्धी अनेक विषय-व्याख्यात किये गये हैं। अनेक दृष्टान्त, कथानक तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम भी उपस्थित किये गये हैं, जो श्रमण-संस्कृति और जैन तत्त्व-धारा के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए डा. वाल्टर शुब्रिंग के समाधान को भी एकांगी चिन्तन से अधिक नहीं कहा जा सकता। मूल सूत्रों में जो सन्निहित है, शुब्रिंग की व्याख्या में वह सम्पूर्णतया अन्तर्भूत नहीं होता।

इटालियन विद्वान् प्रो. मेरीनो ने मूल और टीका के आधार पर मूल-सूत्र नाम पड़ने की जो कल्पना की है, वह बहुत स्थूल तथा बहिर्गामी चिन्तन पर आधृत है। उसमें सूक्ष्म गवेषणा या गहन विमर्श की दृष्टि नहीं प्रतीत होती। मूल-सूत्रों के अतिरिक्त अन्य सूत्रों पर भी अनेक टीकाएं हैं। परिमाण की न्यूनता-अधिकता हो सकती है। उससे कोई विशेष फलित निष्पन्न नहीं होता; अतः इस विश्लेषण की अनुपादेयता स्पष्ट है।

उपर्युक्त ऊहापोह के समदर्भ में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैन दर्शन,

धर्म, आचार एवं जीवन के मूलभूत आदर्शों, सिद्धान्तों या तथ्यों का विश्लेषण अपने आप में सहेजे रखने के कारण सम्भवतः ये मूल-सूत्र कहे जाने लगे हों। मुख्यतः उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिक की विषय-वस्तु पर यदि दृष्टिपात किया जाए, तो यह स्पष्ट प्रतिभासित होगा।

उत्तराध्ययन (उत्तराध्ययन)

नाम : विश्लेषण

उत्तराध्ययन शाब्दिक दृष्टि से उत्तर और अध्ययन; इन दो शब्दों की समन्विति से बना है। उत्तर शब्द का एक अर्थ पश्चात् या पश्चाद्भवर्ती है। दूसरा अर्थ उत्कृष्ट या श्रेष्ठ है। इसका अर्थ प्रश्न का समाधान या उत्तर तो है ही।

पश्चाद्भवर्ती अर्थ के आधार पर उत्तराध्ययन की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि इसका अध्ययन आचारांग के उत्तर-काल में होता था। श्रुतकेवली आचार्य शय्यम्भव के अनन्तर इसके अध्ययन की कालिक परम्परा में अन्तर आया। यह दशवैकालिक के उत्तर-काल में पढ़ा जाने लगा। पर, 'उत्तराध्ययन' संज्ञा में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं हुआ; क्योंकि दोनों ही स्थानों पर पश्चाद्भवर्तिता का अभिप्राय सदा ही है।

उत्तर शब्द का उत्कृष्ट या श्रेष्ठ अर्थ करने के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस शब्द की यह व्याख्या की कि जैन श्रुत का इसमें असाधारण रूप में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ विवेचन है; अतः इसका उत्तराध्ययन अभिधान अन्वर्थक है।

प्रो. ल्यूमैन (Prof. Leumann) ने उत्तर और अध्ययन शब्दों का सीधा अर्थ पकड़ते हुए उत्तराध्ययन का आशय Later Readings अर्थात् पश्चात् या पीछे रचे हुए अध्ययन किया। प्रो. ल्यूमैन के अनुसार इन अध्ययनों की या इस आगम की रचना अंग-ग्रन्थों के पश्चात् या उत्तर-काल में हुई; अतएव यह उत्तराध्ययन के नाम से अभिहित किया जाने लगा।

कल्पसूत्र में तथा टीकाग्रन्थों में उल्लेख है कि भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम समय में अपृष्ट—अनपूछे छत्तीस प्रश्नों के सन्दर्भ में विश्लेषण-विवेचन किया। इस आधार पर उन अध्ययनों का संकलन 'अपृष्ट व्याकरण' नाम से अभिहित हुआ। उसी का नाम

अपृष्ट प्रश्नों का उत्तर-रूप होने के कारण उत्तराध्ययन हो गया 'अपृष्ट व्याकरण' की चर्चा आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 'त्रिषष्टिशलाकापुराणचरित' महाकाव्य में भी की है।¹

विमर्श

कल्पसूत्रकार तथा टीकाकारों द्वारा दिया गया समाधान तथा प्रो. ल्यूमैन द्वारा किया गया विवेचन; दोनों परस्पर भिन्न हैं। भगवान् महावीर ने बिना पूछे छत्तीस प्रश्नों के उत्तर दिये, उनका संकलन हुआ—उत्तराध्ययन के अस्तित्व में आने के सम्बन्ध में यह कल्पना परम्परा-पुष्ट होते हुए भी उतनी हृद्-ग्राह्य प्रतीत नहीं होती। भगवान् महावीर ने अपृष्ट प्रश्नों के उत्तर दिये, इसके स्थान पर यह भाषा क्या अधिक संगत नहीं होती कि उन्होंने अन्तिम समय में कुछ धार्मिक उपदेश, विचार या सन्देश दिये। फिर वहाँ उत्तर शब्द भी न आकर 'व्याकरण' शब्द आया है, जिसका अर्थ विश्लेषण है। यदि अन्तिम के अर्थ में उत्तर शब्द का प्रयोग माना जाता, तो फिर भी कुछ संगति² होती। पर, जबाब के अर्थ में उत्तर शब्द का यहाँ ग्रहण उत्तराध्ययन सूत्र के स्वरूप के साथ सम्भवतः उतना मेल नहीं खाता, जितना होना चाहिए। उत्तराध्ययन में दृष्टान्त हैं, कथानक हैं, घटनाक्रम हैं—यह सब उत्तर शब्द के अभिप्राय में अन्तर्भूत हो जाएं, कम संगत प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी उत्तर शब्द वस्तुतः प्रश्न-सापेक्ष है। प्रश्न के बिना जो भी कुछ कहा जाए, वह व्याख्यान, विवेचन, विश्लेषण, निरूपण आदि सब हो सकता है, पर, उसे उत्तर कैसे कहा जाए? नियुक्तिकार ने उत्तराध्ययन की रचना के सम्बन्ध में जो लिखा है, उससे यह तथ्य बाधित है।

प्रो. ल्यूमैन ने जो कहा है, उसकी तार्किक असंगति नहीं है। भाषा-शास्त्रियों ने जो परिशीलन किया है, उसके अनुसार उत्तराध्ययन की भाषा प्राचीन है, पर, उससे प्रो. ल्यूमैन का कथन खण्डित नहीं होता। क्योंकि उन्होंने इसकी कोई विशेष अर्वाचीनता तो स्थापित की नहीं है, इसे अंग-ग्रन्थों से पश्चाद्गवर्ती बताया है। वैसा करने में कोई असम्भाव्यता प्रतीत नहीं होती।

१. षट्त्रिंशत्शलाकाप्रश्नव्याकरणान्वयमिधाय च ।

प्रश्नानां नामाध्ययनं जगद्गुरुमवाचयत् ॥

—पर्व १०, सर्ग १३, श्लो० २२४

२. भगवान् महावीर ने अपने उत्तर या अन्तिम काल में ये अध्ययन उपबिम्ब किये।

एक प्रश्न और उठता है, अंग-ग्रन्थों के पश्चाद्वर्ती तो अनेक ग्रन्थ हैं, पश्चाद्वर्तिता या उत्तरवर्तिता के कारण केवल इसे ही उत्तराध्ययन क्यों कहा गया ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह अंग-ग्रन्थों के समकक्ष महत्व लिये हुए है। रचना, विषय-वस्तु, विश्लेषण आदि की दृष्टि से उन्हीं की कोटि का है; अतः इसे ही विशेष रूप से इस अभिधा से संज्ञित किया गया। यह भी एक अनुमान है। उससे अधिक कोई ठोस तथ्य इससे प्रकट नहीं होता।

संक्षेप में विशाल जैन तत्व-ज्ञान तथा आचार-शास्त्र को व्यक्त करने में आगम-वाङ्मय में इसका असाधारण स्थान है। भगवद् गीता जिस प्रकार समग्र वैदिक धर्म का निष्कर्ष या नवनीत है, जैन धर्म के सन्दर्भ में उत्तराध्ययन की भी वही स्थिति है। काव्यात्मक हृदयस्पर्शी शैली, ललित एवं पेशल संवाद, साथ-ही-साथ स्वभावतः सालंकार भाषा प्रभृति इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जिन्होंने समीक्षक तथा अनुसन्धित्सु विद्वानों को बहुत आकृष्ट किया है। डा. विण्टरनिट्ज ने इसे श्रमण-काव्य के रूप में निरूपित किया है तथा महाभारत, सुत्तनिपात, धम्मपव आदि के साथ इसकी तुलना की है।

उत्तराध्ययन का यह महत्व केवल इन शताब्दियों में ही नहीं उभरा है, प्रत्युत बहुत पहले से स्वीकार किया जाता रहा है। निर्युक्तिकार ने तीन गाथाएं उल्लिखित करते हुए इसके महत्व का उपपादन किया है : “जो जीव भवसिद्धि हैं—भव्य हैं, परित्तसंसारी हैं, वे उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययन पढ़ते हैं। जो जीव अभवसिद्धि हैं—अभव्य हैं, ग्रन्थिक-सत्त्व हैं—जिनका ग्रन्थि-भेद नहीं हुआ है, जो अनन्तसंसारी हैं, संक्लिष्टकर्मा हैं, वे उत्तराध्ययन पढ़ने के अयोग्य हैं। इसलिए (साधक को) जिनप्रज्ञप्त, शब्द और अर्थ के अनन्त पर्यायों से संयुक्त इस सूत्र का यथाविधि (उपधान आदि तप द्वारा) गुरुजनों के अनुग्रह से अध्ययन करना चाहिए।”^१

१. जे किर भवसिद्धीया, परित्तसंसारिआ य भविआ य ।

ते किर पढंति धीरा, छत्तीस उत्तरज्जयसो ॥

जे हुंति अभवसिद्धीया, गंभिरसत्ता अणंतसंसारा ।

ते संक्लिद्धकम्मा, अभविय उत्तरज्जाए ॥

तम्हा जिणपण्णसो, अणंतगमपण्णवेहि संजुत्तो ।

अज्जाए जहाजोणं, गुह्यसाया अहिज्जाज्जा ॥

उत्तराध्यायन सूत्र छत्तीस अध्ययनों में विभक्त है। समवायांग सूत्र के छत्तीसवें समवाय में उत्तराध्यायन के छत्तीस अध्ययनों के शीर्षकों का उल्लेख है, जो उत्तराध्यायन में प्राप्त अध्ययनों के नामों से मिलते हैं। उत्तराध्यायन के जीवाजीवविभक्ति संज्ञक छत्तीसवें अध्ययन के अन्त में निम्नांकित शब्दों में इस ओर संकेत है : “भवसिद्धि जीवों के लिए सम्मत उत्तराध्यायन के छत्तीस अध्ययन प्रादुर्भूत कर ज्ञातपुत्र, सर्वज्ञ भगवान् महावीर परिनिर्बृत्त—मुक्त हो गये।”¹ उत्तराध्यायन के नाम-सम्बन्धी विश्लेषण के प्रसंग में यह विषय चर्चित हुआ ही है कि भगवान् महावीर ने अपने अन्त समय² में इन छत्तीस अध्ययनों का आख्यान किया।

निर्युक्तिकार का अभिमत

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु का अभिमत उपर्युक्त पारम्परिक मान्यता के प्रतिकूल है। उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्युक्ति में लिखा है : “उत्तराध्यायन के कुछ अध्ययन अंग-प्रभव हैं, कुछ जिन-भाषित हैं, कुछ प्रत्येक बुद्धों द्वारा निर्देशित हैं, कुछ संवाद-प्रसूत हैं। इस प्रकार बन्धन से छूटने का मार्ग बताने के हेतु उसके छत्तीस अध्ययन निर्मित हुए।”³

चूणिकार जिनदास महत्तर और वृहद्वृत्तिकार वादिवेताल शान्ति सूरि ने निर्युक्तिकार के मत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार उत्तराध्यायन के दूसरे परिषदाध्ययन की रचना द्वादशांगी के बारहवें अंग दृष्टिवाद के कर्मप्रवादसंज्ञक पूर्व के ७०वें प्राभृत के आधार पर हुई है। अष्टम कापिलीय अध्ययन कपिल नामक प्रत्येक बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। दशवां द्रुमपुष्पिका अध्ययन स्वयं अर्हत् महावीर द्वारा भाषित है। तेईसवां केशिगौतमीय अध्ययन संवादरूप में आकलित है।

१. इह पाउकरे बुद्धे, गायए परिणव्वुए ।

छत्तीसं उत्तरज्झाए, भवसिद्धिय सम्मए ॥

२. जैन-परम्परा में ऐसा माना जाता है कि दीपावली की अन्तिम रात्रि में भगवान् महावीर ने इन छत्तीस अध्ययनों का निरूपण किया।

३. अंगप्पभववा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया ।

बद्धे मुक्खे य कथा, छत्तीसं उत्तरज्झयणा ॥

—निर्युक्ति, गाथा ४

‘भद्रबाहुना प्रोक्तानि’ का अभिप्राय

भद्रबाहुना प्रोक्तानि भद्रबाहुवानि उत्तराध्ययनानि—इस प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे कुछ विद्वान् सोचते हैं कि उत्तराध्ययन के रचयिता आचार्य भद्रबाहु हैं। सबसे पहले विचारणीय यह है कि उत्तराध्ययन की नियुक्ति के लेखक भद्रबाहु हैं। जैसा कि पूर्व सूचित किया गया है, वे उत्तराध्ययन की रचना में अंग-प्रभवता, जिन-भाषितता, प्रत्येक बुद्ध-प्रतिपादितता, संवाद-निष्पन्नता आदि कई प्रकार के उपपादक हेतुओं का आख्यान करते हैं।

उपर्युक्त कथन में भद्रबाहुना के साथ प्रोक्तानि क्रिया-पद प्रयुक्त हुआ है। प्रोक्तानि का अर्थ रचितानि नहीं होता। प्रकर्षेण उक्तानि—प्रोक्तानि के अनुसार उसका अर्थ विशेष रूप से व्याख्यात, विवेचित या अध्यापित होता है। शाकटायन^१ और सिद्धहैमशब्दानुशासन^२ आदि व्याकरणों में यही आशय स्पष्ट किया गया है। इस विवेचन के अनुसार आचार्य भद्रबाहु उत्तराध्ययन के प्रकृष्ट व्याख्याता, प्रवक्ता या प्राध्यपयिता हो सकते हैं, रचयिता नहीं।

कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं, उत्तराध्ययन के पूर्वार्द्ध के अठारह अध्ययन प्राचीन हैं तथा उत्तरार्द्ध के अठारह अध्ययन अर्वाचीन। इसके लिए भी कोई प्रमाण-भूत या इत्थं-भूत भेद रेखा मूलक तथ्य या ठोस आधार नहीं मिलते।

विमर्श : समीक्षा

समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन करें, तो यह समग्र आगम भगवान् महावीर द्वारा ही भाषित हुआ हो या किसी एक व्यक्ति ने इसकी रचना की हो, ऐसा कम सम्भव प्रतीत होता है। कारण स्पष्ट है, यहाँ सर्वत्र एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्द्धमागधी प्राकृत का जहाँ अत्यन्त प्राचीन रूप इसमें सुरक्षित है, वहाँ यत्र-तत्र भाषा के अर्वाचीन रूपात्मक प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह अनुमान करना सहज हो जाता है कि

१. उ : प्रोक्ते ३।१।६९

—शाकटायन

२. तेन प्रोक्ते ६।३।१८

—सिद्धहैमशब्दानुशासन

इस आगम की रचना एक ही समय में नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि समय-समय पर इसमें कुछ जुड़ता रहा है। इस प्रकार संकलित होता हुआ यह एक परिपूर्ण आगम के रूप में अस्तित्व में आता है। पर, ऐसा कब-कब हुआ, किन-किन के द्वारा हुआ, इस विषय में अभी कोई भी अकाट्य प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता। सार रूप में इस प्रकार कहना युक्तियुक्त लगता है कि इसकी रचना में अनेक तत्त्व-ज्ञानियों और महापुरुषों का योगदान है, जो सम्भवतः किसी एक ही काल के नहीं थे।

विषय-वस्तु

जीवन की अशाश्वतता, दुष्ट कर्मों के दूषित परिणाम, अज्ञानी का ध्येय, शून्य जीवन, भोगासक्ति का कलुषित विपाक, भोगी की बकरे के साथ तुलना, अधम गति में जाने वाले जीव के विशिष्ट लक्षण, मानव-जीवन की दुर्लभता, धर्म-श्रुति, श्रद्धा, संयमोन्मुखता का महत्व, गृही साधक की योग्यता-संयम का स्वरूप, सदाचरण-सम्पन्न व्यक्ति की गति, देव-गति के सुख, ज्ञानी एवं अज्ञानी के लक्षण, ज्ञान का सुन्दर परिणाम, जातिवाद की हेयता, जातिवाद का दुष्परिणाम, आदर्श भिक्षु, ब्रह्मचर्य-समाधि के स्थान, पापी श्रमण, श्रमण-जीवन को दूषित करने वाले सूक्ष्म दोष, आठ प्रकार की प्रवचन-भाताएं, सच्चा यज्ञ, याज्ञक, यज्ञाग्नि आदि का स्वरूप, साधना-निरत भिक्षु की दिनचर्या, सम्यक्त्व-पराक्रम का स्वरूप, आत्म-विकास का पथ, तपश्चर्या के भिन्न-भिन्न प्रयोग, चरण-विधि—ग्राह्य, परिह्य, उपेक्ष्य आदि का विवेक, प्रमाद-स्थान—तृष्णा, मोह, क्रोध, राग, द्वेष आदि का मूल, कर्म-विस्तार, लेश्या, अनासक्तता, लोक-पदार्थ, निष्फल मृत्यु, सफल मृत्यु प्रभृति अनेक विषयों का विभिन्न अध्ययनों में बड़ा मार्मिक एवं तलस्पर्शी व्याख्यान-विश्लेषण हुआ है।

दृष्टान्त : कथानक

दूसरा महत्वपूर्ण अंश है, इसका रूपक, दृष्टान्त व कथानक-भाग। इसके माध्यम से तत्त्व-ज्ञान और आचार-धर्म का विशद विवेचन हुआ है, जिसका अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्व है। पन्चीसवां अध्ययन इसका उदाहरण है, जहाँ अध्यात्म-यज्ञ, उसके अंगोपांगों एवं उपकरणों का बहुत हृदयस्पर्शी विवेचन है। इस प्रकार के अनेक प्रकरण हैं, जहाँ उपमाओं तथा रूपकों का ऐसा सुन्दर और सहज सन्निवेश है कि विवेच्य विषय पाठक के आगे साक्षात् उपस्थित हो जाता है। नवम अध्ययन में इन्द्र और राजर्षि नमि का प्रकरण अनासक्त तितिक्षु एवं मुमुक्षु जीवन का एक सजीव तथा साधारण चित्र प्रस्तुत करता है।

ब्राह्मण हरिकेशीय अध्ययन उत्तराध्यायन का एक क्रान्तिकारी अध्याय है, जहाँ चाण्डाल-कुलोत्पन्न मुनि हरिकेशवल के तपःप्रभाव और साधना-निरत जीवन की गरिमा इतनी उत्कृष्टतया उपस्थापित है कि जाति, कुल आदि का मद, दम्भ और अहंकार स्वयमेव निस्तेज तथा निस्तथ्य हो जाते हैं ।

बाईसवां रथनेमीय अध्ययन आत्म-पराक्रम, ब्रह्म-ओज जागृत करने की पूरकता के साथ-साथ अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है । तीर्थंकर अरिष्टनेमि की जीवन-भाँकी, उनके द्वारा लौकिक एषणा और कामना का परित्याग, श्रमण रथनेमि का अन्तर्दौर्बल्य, वासना का उभार, राजीमती द्वारा उद्बोधन प्रभृति ऐसे रोमांचक प्रसंग हैं, जिनकी भावना और प्रज्ञा दोनों के प्रकर्ष की दृष्टि से कम गरिमा नहीं है ।

तेईसवां केशिगौतमीय अध्ययन है, जो भगवान् पार्श्व की परम्परा के श्रमण महामुनि केशी तथा भगवान् महावीर के अनन्य अस्तेवासी गणधर गौतम के परस्पर मिलन, प्रश्नोत्तर—संवाद आदि बहुमूल्य सामग्री लिये हुए है । तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्व की परम्परा चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर की परम्परा में किस प्रकार समन्वित रूप में विलीन होती जा रही थी, प्रस्तुत अध्ययन इसका ज्वलन्त साक्ष्य है । चातुर्याम धर्म और पंचमहाव्रतों के तुलनात्मक परिशीलन की दृष्टि से भी यह अध्ययन पठनीय है ।

व्याख्या-साहित्य

उत्तराध्ययन सूत्र पर व्याख्यात्मक साहित्य विपुल परिमाण में विद्यमान है । आचार्य भद्रबाहु ने इस पर नियुक्ति लिखी । जिनदास महत्तर ने घृणि की रचना की । थारापद्र-गच्छ से सम्बद्ध वादिवैताल विरुदालंकृत शान्ति सूरि ने पाइय या शिष्यहिता नामक टीका की रचना की, जो उत्तराध्ययन-बृहद्-वृत्ति भी कहलाती है । शान्ति सूरि का स्वर्गवास-ईसवी सन् १०४० माना जाता है । इस टीका के आधार पर देवेन्द्रगणी ने, जो आगे चल कर नेमिचन्द्र सूरि के नाम से विख्यात हुए, सुखबोध नामक टीका लिखी, जो सन् १०७३ में समाप्त हुई । उत्तराध्ययन पर टीकाएं लिखने वाले अनेक जैन विद्वान् हैं, जिनमें लक्ष्मी-वल्लभ, जयकीर्ति, कमलसंयम, भावविजय, विनयहंस तथा हर्षकूल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर कार्य किया है । उदाहरणार्थ, प्रो. शर्पेन्टियर ने मूल पाठ अंग्रेजी प्रस्तानना सहित प्रस्तुत किया है । आगम-वाङ्मय के विख्यात अन्वेषक

डा. जैकोबी ने, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो प्रो. मैक्समूलर के सम्पादकत्व में Sacred Books of the East के पैंतालीसवें भाग में आक्सफोर्ड से सन् १८९५ में प्रकाशित हुआ ।

सावदसय (आवश्यक)

नाम : सार्थकता

अवश्य से आवश्यक शब्द बना है । अवश्य का अर्थ है, जिसे किये बिना बचाव नहीं, जो जरूर किया जाना चाहिए । इसके अनुसार आवश्यक का आशय श्रमण द्वारा करणीय उन भाव-क्रियानुष्ठानों से है, जो श्रमण-जीवन के निर्वाध तथा शुद्ध निर्वहण की दृष्टि से आवश्यक है । वे क्रियानुष्ठान संख्या में छः हैं; अतः इस सूत्र को षड्आवश्यक भी कहा जाता है । यह छः विभागों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः सामायिक, चतुर्विंशति-स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान का वर्णन है ।

सामायिक

अन्तरतम में समभाव की अवतारणा सामायिक है । एतदर्थ साधक मानसिक, वाचिक तथा कायिक दृष्टि से कृत, कारित एवं अनुमोदित रूप से समग्र सावद्य—सपाप योगों—प्रवृत्तियों से पराङ्मुख होता है । प्रथम आवश्यक में इसी का वर्णन है ।

चतुर्विंशति-स्तव

द्वितीय आवश्यक में लोक में धर्म का उद्योत करने वाले चौबीस तीर्थंकरों का वन्दन है, जिससे आत्मा में तदनुरूप दिव्यभाव का उद्भेक होता है ।

वन्दन

तीसरा आवश्यक वन्दन से सम्बद्ध है । शिष्य गुरु-चरणों में स्थित होता है, उनसे क्षमा-याचना करता है, उनके संयमोपकरणभूत देह की सुख-पृच्छा करता है ।

प्रतिक्रमण

चौथे आवश्यक में प्रतिक्रमण का विवेचन है । प्रतिक्रमण का अर्थ बहिर्गामी जीवन से अन्तर्गामी जीवन में प्रत्यावृत्त होना है अर्थात् साधक यदि प्रमादवश शुभ योग से चलित

होकर अशुभ योग को प्राप्त हो जाए, तो वह पुनः शुभयोग में संस्थित होता है। यदि उसके द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूप में श्रमण-धर्म की विराधना हुई हो, किसी को कण्ट पहुँचाया गया हो, स्वाध्याय आदि में प्रमादाचरण हुआ हो, तो वह (प्रतिक्रमण करने वाला साधक) उनके लिए मिच्छामि दुष्कङ्—मिथ्या मे दुष्कृतम्—ऐसी भावना से उद्भावित होता है, जिसका अधिप्राय जीवन को संयमानुकूल, पवित्र और सात्विक भावना से आप्यायित बनाये रखना है।

कायोत्सर्ग

पाँचवाँ आवश्यक कायोत्सर्ग से सम्बद्ध है। कायोत्सर्ग का आशय है—देह-भाव का विसर्जन और आत्म-भाव का सर्जन। यह ध्यानात्मक स्थिति है, जिसमें साधक दैहिक चांचल्य और अस्थैर्य का वर्जन कर निश्चलता में स्थित रहना चाहता है।

प्रत्याख्यान

छठे आवश्यक में सावद्य—सवाप कार्यों से निवृत्तता तथा अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि के प्रत्याख्यान की चर्चा है।

व्याख्यान-साहित्य

आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक पर नियुक्ति की रचना की। इस पर भाष्य भी रचा गया। आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण द्वारा अत्यन्त विस्तार और गम्भीरता के साथ विशेषावश्यकभाष्य की रचना की गयी, जो जैन साहित्य में निःसन्देह एक अद्भुत कृति है। जिनदास महत्तर ने चूणि की रचना की। आचार्य हरिभद्र सूरि ने इस पर टीका लिखी, जो शिष्यहिता के नाम से विभूत है। इसमें आवश्यक के छः प्रकरणों का पैंतीस अध्ययनों में सूक्ष्मतया विवेचन-विश्लेषण किया गया है। वहाँ प्रासंगिक रूप में प्राकृत की अनेक प्राचीन कथाएँ भी दी गयी हैं। आचार्य मलयगिरि ने भी टीका की रचना की। माणिक्य-शेखर सूरि द्वारा इसकी नियुक्ति पर दीपिका की रचना की गयी। तिलकाचार्य द्वारा इस पर लघुवृत्ति की रचना हुई।

दसवेयालिय (दशवैकालिक)

नाम : अन्वर्थकता

यह नाम दश और वैकालिक; इन दो शब्दों के योग से इस नाम की निष्पत्ति है।

सामान्यतः दश शब्द दश अध्ययनों का सूचक है और वैकालिक का सम्बन्ध रचना, निर्यु-
हण या उपदेश से है। विकाल का अर्थ सन्ध्या है। वैकालिक विकाल का विशेषण है।
ऐसा माना जाता है कि सन्ध्या समय में अध्ययन किये जाने के कारण यह नाम प्रचलित
हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि दश विकालों या सन्ध्याओं में रचना, निर्युहण या उपदेश
किया गया। उस कारण यह दशवैकालिक कहा जाने लगा। इस दशवैकालिक के रचना-
कार या निर्युहक आचार्य शय्यम्भव थे, जिन्होंने अपने पुत्र बाल-भुक्ति मतक के लिए इसकी
रचना की। अंगबाह्यगत उत्कालिक सूत्रों में दशवैकालिक का प्रथम स्थान है।

दश अध्ययनों तथा दो चूलिकाओं में यह सूत्र विभक्त है। दश अध्ययन संकलनात्मक
हैं। चूलिकाएं स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती हैं। चूलिकाओं के रचे जाने के सम्बन्ध में दो
प्रकार के विचार हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वे आचार्य शय्यम्भवकृत ही होनी चाहिए।
इतना सम्भावित हो सकता है, चूलिकाओं की रचना दश अध्ययनों के निर्युहण के पश्चात्
हुई हो। सूत्र और चूलिकाओं की भाषा इतनी विसदृश नहीं है कि उससे दो भिन्न रचयि-
ताओं का सूचन हो। कुछ विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार
चूलिकाएं किसी अन्य लेखक की रचनाएं हैं, जो दश अध्ययनों के साथ जोड़ दी गईं।

संकलन : आधार : पूर्व श्रुत

आचार्य भद्रबाहु द्वारा निर्युक्ति में किये गये उल्लेख के अनुसार दशवैकालिक के चतुर्थ
अध्ययन का आधार आत्म-प्रवाद-पूर्व, पंचम अध्ययन का आधार कर्म-प्रवाद-पूर्व, सप्तम
अध्ययन का आधार सत्य-प्रवाद-पूर्व तथा अन्य अध्ययनों का आधार प्रत्याख्यान पूर्व की
तृतीय वस्तु है।

दूसरा आधार : अन्य आगम

श्रुतकेवली आचार्य शय्यम्भव ने अनेकानेक आगमों का दोहन कर सार रूप में
दशवैकालिक को संग्रहित किया। दशवैकालिक में वर्णित विषयों का यदि सूक्ष्मता से
परीक्षण किया जाए, तो प्रतीत होगा कि वे विविध आगम-ग्रन्थों से बहुत निकटतया संलग्न
हैं। दशवैकालिक के दूसरे अध्ययन का शीर्षक आसम्प्यपूर्वक है। उसमें श्रमण को काम-
राग या विषय-वासना से बचते रहने का उपदेश किया गया है। उस सन्दर्भ में रथनेमि
और राजीमति का प्रसंग भी संक्षेप में संकेतित है। यह अध्ययन उत्तराध्ययन के बाईसवें
रथनेमीय अध्ययन के बहुत निकट है। उत्तराध्ययन में रथनेमि और राजीमति का इतिवृत्त
अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णित है, पर, दोनों की मूल ध्वनि एक ही है।

चतुर्थ अध्ययन का शीर्षक षड्जीवनिकाय है। इसमें षट्कायिक जीवों का संक्षेप में वर्णन करने के उपरान्त उनकी हिंसा के प्रत्याख्यान का प्रतिपादन है। इससे संलग्न प्रथम ग्रन्थ महाव्रत का विवेचन है। तदनन्तर पांच महाव्रतों का वर्णन है। आरम्भ-समारम्भ से पाष-बन्ध का प्रतिपादन करते हुए उससे निवृत्त होने का सुन्दर चित्रण है। यह अध्ययन आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्ययन के उत्तरार्द्ध से सुलभीय है। इस अध्ययन के पूर्व भाग में भगवान् महावीर का जीवन-वृत्त विस्तार से उल्लिखित है तथा उत्तर भाग में भगवान् महावीर द्वारा गौतम आदि निर्ग्रन्थों को उपदिष्ट किये गये पांच महाव्रतों तथा पृथ्वीकाय प्रभृति षड्-जीव-निकाय का विश्लेषण है। इसकालिक के चतुर्थ अध्ययन की सामग्री का संकलन आचारांग के इसी अध्ययन से हुआ हो, ऐसा सम्भाव्य प्रतीत होता है।

पंचम अध्ययन का शीर्षक पिण्डेयणा है। इसमें श्रमण की भिक्षा-चर्या के सन्दर्भ में सभी पहलुओं पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला गया है। भिक्षा के लिए किस प्रकार जाना, नहीं जाना, किस-किस स्थिति में भिक्षा लेना, किस-किस में नहीं लेना; इत्यादि का समीचीन विशद रूप में विवेचन किया गया है। इस अध्ययन की विषय-वस्तु आचारांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के प्रथम अध्ययन से आकलित प्रतीत होती है। उसकी संज्ञा भी पिण्डेयणा ही है।

सातवें अध्ययन का शीर्षक वाक्य-शुद्धि है। इसमें श्रमण द्वारा किस प्रकार की भाषा प्रयोज्य है, किस प्रकार की अप्रयोज्य; इस वर्णन के साथ-साथ संयमी के विनय और पवित्र आचार पर प्रकाश डाला गया है। जिस-जिस प्रकार के भाषा-प्रयोग और व्यवहार-चर्या का उल्लेख किया गया है, वह श्रमण के अनासक्त, निलिप्त, समुच्छिन्न, जागरूक तथा आत्म-लीन जीवन के विकास से सम्बद्ध है। आचारांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के चतुर्थ अध्ययन का नाम भाषा जात है। उसमें साधु द्वारा प्रयोग करने योग्य, न करने योग्य भाषा का विश्लेषण है। इसकालिक के उक्त अध्ययन में किसी अपेक्षा से इसकी अवतारण हुई हो, ऐसा अनुमेय है।

विनय-समाधि नवम अध्ययन है। इसमें गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार सदा विनय-पूर्ण रहे, इस पर सुन्दर रूप में प्रकाश डाला गया है। विनयपूर्ण व्यवहार के सुलाभ और अविनय-पूर्ण व्यवहार के दुर्लाभ हृद्य उपमाओं द्वारा वर्णित किये गये हैं। यह अध्ययन उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन विनय-श्रुत से विशेष मिलता-जुलता है, जहाँ गुरु के प्रति शिष्य के विनयाचरण की उपादेयता और अविनयाचरण की वर्ज्यता का विवेचन है।

दशम अध्ययन का शीर्षक स भिक्षुः है। अर्थात् इस अध्ययन में भिक्षु के जीवन, उसकी दैनन्दिन चर्या, व्यवहार, संयमानुप्राणित अध्यवसाय, आसक्ति-वर्जन, अलोलुपता आदि का सजीव चित्रण है। दूसरे शब्दों में भिक्षु के यथार्थ रूप का एक रेखांकन है, जो साधक के लिए बड़ा उत्प्रेरक है। उत्तराध्ययन का पन्द्रहवां अध्ययन भी इसी प्रकार का है। उसका शीर्षक भी यही है। दोनों का बहुत साम्य है। भाव ही नहीं, शब्द-रचना तथा छन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर एकरूपता है। ऐसा अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं है कि दशवैकालिक का दशवां अध्ययन उत्तराध्ययन के पन्द्रहवें अध्ययन का बहुत कुछ रूपान्तरण है।

धूलिकाएं

रति-वाक्या

दशम अध्ययन की समाप्ति के अनन्तर प्रस्तुत सूत्र में दो धूलिकाएं हैं। पहली धूलिका रतिवाक्या है। अध्यात्म-रस में पगे व्यक्तियों के लिए भिक्षु-जीवन अत्यन्त आह्लादमय है। पर, भौतिक दृष्टि से उसमें अनेक कठिनाइयां हैं, पद-पद असुविधाएं हैं। क्षण-क्षण प्रति-कूलताओं का सामना करना पड़ता है। दैहिक भोग अग्राह्य हैं ही। ये सब प्रसंग ऐसे हैं, जिनके कारण कभी-कभी मानव-मन में दुर्बलताएं उभरने लगती हैं। यदि कभी कोई भिक्षु ऐसी मनः-स्थिति में आ जाए, वह श्रामण्य से मुंह मोड़ पुनः गार्हस्थ्य में प्रविष्ट होने को उद्यत हो जाए, तो उसे संयम में टिकाये रखने के लिए, उसमें पुनः दृढ़ मनोबल जगाने के लिए उसे जो अन्तः प्रेरक तथा उद्बोधक विचार दिये जाने चाहिए, वही सब प्रस्तुत धूलिका में विवेचित है।

सांसारिक जीवन की दुःखमयता, विषमता, भोगों की निःसारता, अल्पकालिकता, परिणाम-विरसता, अनित्यता, संयमी जीवन की सारमयता, पवित्रता, आदेयता आदि विभिन्न पहलुओं पर विशद प्रकाश डाला गया है तथा मानव में प्राणपण से धर्म का प्रति-पालन करने का भाव भरा गया है। वैषयिक भोग, वासना, लौकिक सुविधा और दैहिक सुख से आकृष्ट होते मानव को उनसे हटा आत्म-रक्षण, संयमानुपालन तथा तितिक्षामय जीवन में पुनः प्रत्यावृत्त करने में बड़ी मनोवैज्ञानिक निरूपण-शैली का व्यवहार हुआ है, जो रोचक होने के साथ शक्ति-संचारक भी है। संयम में रति—अनुराग—तन्मयता उत्पन्न करने के वाक्यों की संरचनामय होने के कारण ही सम्भवतः इस धूलिका का नाम रति-वाक्या रखा गया हो।

विविक्तचर्या

दूसरी कूलिका विविक्तचर्या है। विविक्त का अर्थ वियुक्त, पृथक्, निवृत्त, एकाकी, एकान्तस्थान या विवेकशील है। इसका आशय उस जीवन से है, जो सांसारिकता से पृथक् है। दूसरे शब्दों में निवृत्त है; अतएव विवेकशील है। इस कूलिका में भ्रमण-जीवन को उद्दिष्ट कर अनुत्थित में न वह प्रतिलोतगामी बनने, आचार-पालन में पराक्रमशील रहने, अल्प-सौमित उपकरण रखने, गृहस्थ से वैयावृत्य—आरोगिक सेवा न लेने, सब इन्द्रियों की सुसमाहित कर संयम-जीवन को सदा सुरक्षित बनाये रखने आदि के सन्दर्भ में अनेक ऐसे उल्लेख किये गये हैं, जिनका अनुसरण करता हुआ भिक्षु प्रतिबुद्धजीवी बनता है।

विशेषता : महत्त्व

अति संक्षेप में जैन-तत्त्व दर्शन एवं आचार-शास्त्र व्याख्यात करने की अपनी असाधारण विशेषता के साथ-साथ शब्द-रचना, शैली तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी इस सूत्र का कम महत्त्व नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा के अनेक प्रयोग अति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो आचारांग तथा सूत्रकृतांग जैसे प्राचीनतम आगम-ग्रन्थों में हुए भाषा-प्रयोगों से तुलनीय हैं। उत्तराख्ययन में हुए भाषा के प्राचीनता द्योतक प्रयोगों के समकक्ष इसमें भी उसी प्रकार के अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। यह अर्द्धमागधी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र विषय है, जिस पर विशेष चर्चा करना प्रसंगोपात्त नहीं है। प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता एवं वैयाकरण डा० पिणल ने उत्तराख्ययन तथा दशवैकालिक को प्राकृत के भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बतलाया है।

व्याख्या-साहित्य

दशवैकालिक सूत्र पर आचार्य भद्रबाहु ने नियुक्ति की रचना की। अगस्त्य-सिंह तथा जिनदास महत्तर द्वारा चूरियां लिखी गयीं। आचार्य हरिभद्र सूरि ने टीका की रचना की। समयसुन्दर गणी ने दीपिका लिखी। तिलकाचार्य या तिलकसूरि, सुमतिसूरि तथा विनयहंस प्रभृति विद्वानों द्वारा वृत्तियों की रचना हुई। यापनीय संघ के अपराजित सूरि, जो विजयाचार्य के नाम से भी ख्यात हैं, ने भी टीका की रचना की, जिसका उन्होंने विजयोदया नामकरण किया। अपने द्वारा विरचित भगवती आराधना टीका में उन्होंने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। ज्ञानसम्माद् तथा राजहंस महोपाध्याय ने इस पर गुजराती टीकाओं की रचना की। ज्ञानसम्माद् द्वारा रचित टीका बालावबोध के नाम से विभ्रुत है।

प्रथम प्रकाशन

पाश्चात्य विद्वानों का प्राच्य विद्याओं के अन्तर्गत जैन वाङ्मय के परिशीलन की ओर भी झुकाव रहा है। उन्होंने उस ओर विशेष अध्यवसाय भी किया है, जो इस एक सप्ताहभर से स्पष्ट है कि जर्मन विद्वान् डा० अर्नेस्ट ल्यूमैन (Dr. Ernest Leumann) ने ई० सन् १८९२ में जर्मन आरियन्टल सोसायटी के जर्नल (Journal of the German Oriental Society) में सबसे पहले दशवैकालिक का प्रकाशन किया। उससे पहले यह ग्रन्थ केवल हस्तलिखित प्रतियों के रूप में था, मुद्रित नहीं हो पाया था। उसके पश्चात् भारत में इसका प्रकाशन हुआ। आगे उत्तरोत्तर इसके अनेक संस्करण निकलते गये। सन् १९३२ में सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्, जैन आगम-वाङ्मय व प्राकृत के प्रमुख अध्येता डा० शुब्रिग के सम्पादकत्व में प्रस्तावना आदि के साथ इसका जर्मनी में प्रकाशन हुआ।

पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्ड-नियुक्ति)

नाम : व्याख्या

पिण्ड शब्द जैन पारिभाषिक दृष्टि से भोजनवाची है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आहार की एषणीयता, अनेषणीयता आदि के विश्लेषण के सन्दर्भ में उद्गम-दोष, उत्पादन-दोष, एषणा-दोष और आस-एषणा-दोष आदि श्रमण-जीवन के आहार, भिक्षा आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशद विवेचन किया गया है। मुख्यतः दोषों से सम्बद्ध होने के कारण इस ग्रन्थ की अनेक गाथाएं सुप्रसिद्ध दिगम्बर-लेखक वट्टकेर के मूलाचार की गाथाओं से मिलती हैं।

कलेवर : स्वरूप

प्रस्तुत ग्रन्थ में छः सौ इकहत्तर गाथाएं हैं। यह वास्तव में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। दशवैकालिक के पंचम अध्ययन का नाम पिण्डेषणा है। इस अध्ययन पर आचार्य भद्रबाहु की नियुक्ति बहुत विस्तृत हो गयी है। यही कारण है कि इसे पिण्ड नियुक्ति के नाम से एक स्वतन्त्र आगम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नियुक्ति और भाष्य की गाथाओं का इस प्रकार विमिश्रण हो गया है कि उन्हें पृथक्-पृथक् छांट पाना कठिन है।

पिण्ड-नियुक्ति आठ अधिकारों में विभक्त है, जिनके नाम उद्गम, उत्पादन, एषणा,

संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम तथा कारण हैं। भिक्षा से सम्बद्ध अनेक पहलुओं का विस्तृत तथा साथ-ही-साथ रोचक वर्णन है। वहाँ उद्गम और उत्पादन दोष के सोलह-सोलह तथा एषणा-दोष के दश भेदों का वर्णन है। भिक्षागत दोषों के सन्दर्भ में स्थान-स्थान पर उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि अमुक मुनि वैसे दोष का सेवन करने के कारण प्रायश्चित्त-भागी हुए।

गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा किस-किस स्थिति में ली जाए, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। बताया गया है कि यदि गृह-स्वामिनी भोजन कर रही हो, वही बिलो रही हो, आटा पीस रही हो, चावल कूट रही हो, रूई धुन रही हो, तो साधु को उससे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार अत्यन्त नासमझ बालक से, अशक्त वृद्ध से, उन्मत्त से, जिसका शरीर कांप रहा हो, जो ज्वराक्रान्त हो, नेत्रहीन हो, कुण्ठपीडित हो, ऐसे व्यक्तियों से भी भिक्षा लेना अविहित है। भविष्य-कथन, चिकित्सा-कौशल, मन्त्र, तन्त्र, वशीकरण आदि से प्रभावित कर भिक्षा लेना भी वर्जित कहा गया है।

कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख

प्रसंगोपात्ततया सर्प-दंश आदि को उपशान्त करने के लिए दीमक के घर की मिट्टी, चमन शान्त करने के लिए मक्खी की बीँठ, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसी की हड्डी, कुण्ठ रोग मिटाने के लिए गोमूत्र का प्रयोग आदि साधुओं के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

साधु जिह्वा-स्वाद से अस्पृष्ट रहता हुआ किस प्रकार अनासक्त तथा अमूर्च्छित भाव से भिक्षा ग्रहण करे, गृहस्थ पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न न हो, वह उनके लिए असुविधा, कष्ट या प्रतिकूलता का निमित्त न बने, उसके कारण गृहस्थ के घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जैसा मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है, वह जैन-श्रमण-चर्या के अनुसन्धान के सन्दर्भ में विशेषतः पठनीय है।

पिण्ड-नियुक्ति पर आचार्य मलयगिरि ने बृहद्-वृत्ति की रचना की। वीराचार्य ने इस पर लघु-वृत्ति लिखी।

ओहनिज्जुत्ति (ओघ-नियुक्ति)

नाम : व्याख्या

ओघ का अर्थ प्रवाह, सातत्य, परम्परा या परम्परा-प्राप्त उपदेश है। इस ग्रन्थ में साधु-जीवन से सम्बद्ध सामान्य समाचारी का विश्लेषण है। सम्भवतः इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ। जिस प्रकार पिण्ड नियुक्ति में साधुओं के आहार-विषयक पहलुओं का विवेचन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी आचार-व्यवहार के विषयों का संक्षेप में संस्पर्श किया गया है।

पिण्ड-नियुक्ति दशवैकालिक नियुक्ति का जिस प्रकार अंश माना जाता है, उसी प्रकार इसे आवश्यक-नियुक्ति का एक अंश स्वीकार किया जाता है, जिसके रचयिता आचार्य भद्रबाहु हैं। इसमें कुल ८११ गाथाएं हैं। नियुक्ति तथा भाष्य की गाथाएं इस प्रकार विमिश्रित हो गई हैं कि उन्हें पृथक्-पृथक् कर पाना दुःशक्य है।

ओघ-नियुक्ति प्रतिलेखन-द्वार, पिण्ड-द्वार, उपधि-निरूपण, अनायतन-वर्जन, प्रति-सेवना-द्वार, आलोचना-द्वार तथा विशुद्धि-द्वार में विभक्त है। प्रकरणों के नामों से स्पष्ट है कि साधु-जीवन के प्रायः सभी चर्या-अंगों के विश्लेषण का इसमें समावेश है।

एक महत्वपूर्ण प्रसंग

एक चिर-चर्चित प्रसंग है, जिस पर इसमें भी विचार किया गया है। वह प्रसंग है: आत्म-रक्षा—जीवन-रक्षा का अधिक महत्व है या संयम-रक्षा का? दोनों में से किसी एक के नाश का प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? इस विषय में आचार्यों में मतभेद रहा है। कुछ ने संयम-रक्षा हेतु मर मिटने को आवश्यक बतलाया है और कुछ ने जीवन-रक्षा कर फिर प्रायश्चित्त कर लेने का सुझाव दिया है।

ओघ-नियुक्ति में बताया गया है कि श्रमण के संयम का प्रतिपालन सदा पवित्र भाव से ही करना चाहिए, पर, यदि जीवन मिटने का प्रसंग बन जाए, तो वहाँ प्राथमिकता जीवन-रक्षा को देनी होगी। यदि जीवन बच गया, तो साधक एक बार संयम-च्युत होने पर भी प्रायश्चित्त, तप आदि द्वारा आत्म-शुद्धि या अन्तःसम्मार्जन कर पुनः यथावस्थ हो सकेगा। परिणामों की सात्विकता या भाव-विशुद्धि ही तो संयम का आधार है।

विशेष बलपूर्वक आगे कहा गया है कि साधक की देह संयम-पालन के लिए है, भोग के लिए नहीं है । यदि देह ही नहीं रही, तो संयम-पालन का आचार-स्थल ही कहाँ बचा ? अतः देह-रक्षा या शरीर को नष्ट न होने देने का अर्थ देह के प्रति आसक्ति नहीं है, प्रत्युत संयम के प्रतिपालन की भावना है; अतः देह-प्रतिपालन इष्ट है । निशोय-पूजि में भी यह प्रसंग व्याख्यात हुआ है । वहाँ भी वर्णित है कि जहाँ तक हो सके, संयम की विराधना नहीं करनी चाहिए, पर, यदि कोई भी उपाय न हो, तो जीवन-रक्षा के लिए वैसा किया जा सकता है ।

उपधि-निरूपण

संयमी जीवन के निर्वाह हेतु जो न्यूनतम साधन—उपकरण अपेक्षित होते हैं, उन्हें उपधि कहा जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में इस विषय का विवेचन है, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण श्रमण द्वारा धारण किये जाने चाहिए या नहीं किये जाने चाहिए; जैन परम्परा के अन्तर्गत श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों में यह एक विवादास्पद प्रसंग है, जिसके सन्दर्भ में दोनों ओर से द्विविध विचार-धाराएं एवं समाधान उपस्थित किये जाते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के इस प्रकरण का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक परिशीलन इस विषय में अनुसन्धित्सु रखने वालों के लिए वस्तुतः बड़ा उपयोगी है । इस प्रकरण में जिनकल्पी श्रमण, स्थविर कल्पी श्रमण तथा आर्यिका या साध्वी के लिए प्रयोज्य उपकरणों का विवरण है ।

जिनकल्पी व स्थविर कल्पी के उपकरण

जिनकल्पी के लिए जो उपकरण विहित हैं, उनका इस ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख है: १. पात्र, २. पात्र-बन्ध, ३. पात्र-स्थापना, ४. पात्र-केसरिका (पात्र-मुख-वस्त्रिका), ५. पटल, ६. रजस्त्राण, ७. गोच्छक, ८-१०. प्रच्छादक-त्रय, ११. रजोहरण तथा १२. मुख-वस्त्रिका । प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि पटल नामक वस्त्र का उपयोग भोजन-पात्र को आवृत करने के लिए तथा अपेक्षित होने पर गुह्यांग को ढकने के लिए भी होता था ।

स्थविर-कल्पी श्रमणों के लिए बारह उपकरण तो थे ही, उनके अतिरिक्त चोलपट्ट और मात्रक नामक दो उपकरण और थे । इस प्रकार उनके लिए चौदह उपकरणों का विधान था ।

साध्वी या आर्यिका के उपकरण

जिन-कल्पी के लिए निर्देशित बाहर उपकरण, स्थविर-कल्पी के लिए निर्देशित दो अधिक उपकरणों में से एक—मात्रक; इन तरह उपकरणों के अतिरिक्त निम्नांकित बारह अन्य उपकरण साध्वी या आर्यिका के लिए निर्दिष्ट किये गये प्राप्त होते हैं। उनके लिए कुल पच्चीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं : १४. कमडग, १५ उगहणंतग (गुह्य अंग की रक्षा के लिए नाव की आकृति की तरह), १६. पटुक (उगहणंतग को दोनों ओर से ढकने वाला जांघिये की आकृति की तरह), १७. अद्धोरुग (उगहणंतग और पटुक के ऊपर पहना जाने वाला), १८. चलनिका (बिना सिला हुआ घुटनों तक पहना जाने वाला। बांस पर खेल करने वाले पहनते थे।), १९. अम्भितर नियंसणी (यह आधी जांघों तक लटका रहता है। वस्त्र बदलते समय लोग साध्वियों का उपहास नहीं करते।), २०. बहिनियंसणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और इसे डोरी से कटि में बांधा जाता है), २१. कंचुक (वक्षस्थल को ढांकने वाला वस्त्र), २२. उक्कच्छिय (यह कंचुक के समान होता है), २३. वेकच्छिय (इससे कंचुक और उक्कच्छिय दोनों ढक जाते हैं), २४. संघाड़ी (ये चार होती हैं—एक प्रतिश्रय में, दूसरी व तीसरी भिक्षा आदि के लिए बाहर जाते समय और चौथी समवसरण में पहनी जाती थी), २५. खम्भकरणी (चार हाथ लम्बा वस्त्र जो वायु आदि से रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपवती साध्वियों को कुब्जा जैसी विधाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे।)^१ इन वस्त्रोपकरणों का स्वरूप, उपयोग, अपेक्षा, विकास प्रभृति विषय श्रमण-जीवन के अपरिग्रही रूप तथा सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से अध्येतव्य है।

व्याख्या-साहित्य

औध-निर्युक्ति पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में द्रोणाचार्य-रचित टीका विशेष महत्वपूर्ण है। उसकी रचना जूणि की तरह प्राकृत की प्रधानता लिए हुए है अर्थात् वह प्राकृत-संस्कृत के मिश्रित रूप में प्रणीत है। आचार्य मलयगिरि द्वारा वृत्ति की रचना की गयी। अबधूरि की भी रचना हुई।

पक्खिय सुत्ता (पाक्षिक-सूत्र)

आवश्यक सूत्र के परिचय तथा विश्लेषण के अन्तर्गत प्रतिक्रमण की चर्चा हुई है।

आत्मा की स्वस्थता—अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति, अन्तः परिष्कृति तथा आत्म-जागरण का वह (प्रतिक्रमण) परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार माने गये हैं—१. दैवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. सौम्यत्सरिक। पाक्षिक सूत्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूत्र का एक अंग ही माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पूरक। प्रस्तुत कृति में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह; इन पांच महाव्रतों के साथ छठे रात्रि-भोजन को मिला कर छः महाव्रतों तथा उनके अतिचारों का विवेचन है। क्षमाश्रमणों की वन्दना भी इसमें समाविष्ट है। प्रसंगतः इसमें बारह अंगों, सैंतीस कालिक सूत्रों तथा अट्ठाईस उत्कालिक सूत्रों के नामों का सूचन है। आचार्य यशोदेव सूरि ने इस पर वृत्ति की रचना की, जो सुखवि बोधा के नाम से प्रसिद्ध है।

क्षामणा-सूत्र (क्षामणा-सूत्र)

पाक्षिक क्षामणा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। इसे पाक्षिक सूत्र के साथ गिनने की परम्परा भी है और पृथक् भी।

वदित्तु सुत्त

इस सूत्र का प्रारम्भ वदित्तु सग्गसिद्धे इत गाथा से होता है और यही इसके नामकरण का आधार है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रचना गणधरों द्वारा की गयी। अनेक आचार्यों ने टीकाओं की रचना की, जिनमें देवसूरि, पार्श्वसूरि, जिनेश्वर सूरि, श्रीचन्द्रसूरि तथा रत्नशेखर सूरि आदि मुख्य हैं। चूँकि की भी रचना हुई, जो इस पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विजयसिंह थे। रचना-काल ११८३ विक्रमाब्द है। वदित्तु सुत्त की अपर संज्ञा आद्य-प्रतिक्रमण-सूत्र भी है। इसे आवश्यक से सम्बद्ध ही माना जाना चाहिए।

इसिभासिय (ऋषिभाषित)

ऋषि से यहां प्रत्येक-बुद्ध का आशय है। यह सूत्र प्रत्येक बुद्धों द्वारा भाषित या निरूपित माना जाता है। तदनुसार इसकी संज्ञा ऋषिभाषित हो गयी। इसके पैंतालीस अध्यायन हैं, जिनमें प्रत्येक बुद्धों के चरित्र वर्णित हैं। इसके कतिपय अध्यायन पद्य में हैं तथा कतिपय गद्य में। कहा जाता है कि इस पर निर्युत्ति की भी रचना की गयी, पर वह अप्राप्य है।

नन्दी तथा अनुयोगद्वार

नन्दी-सूत्र : रचयिता

नन्दी सूत्र के रचयिता दूष्यगणी के शिष्य देववाचक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार देववाचक देवद्विगणी क्षमाश्रमण का ही नामान्तर है। देववाचक और देवद्विगणी क्षमाश्रमण दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही हैं, पर, एतत्सम्बद्ध सामग्री से यह स्पष्टतया सिद्ध नहीं होता, दोनों दो भिन्न-भिन्न गच्छों से सम्बद्ध थे, कुछ इस प्रकार के पुष्ट साक्ष्य भी हैं।

स्वरूप : विषय-वस्तु

ग्रन्थ के प्रारम्भ में पचास गाथाएँ हैं। प्रथम तीन गाथाओं में ग्रन्थकार ने अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर को प्रणमन करते हुए मंगलाचरण किया है। इसके पश्चात् चौथी गाथा से उन्नीसवीं गाथा तक एक सुन्दर रूपक द्वारा धर्म संघ की प्रशस्ति एवं स्तवना की है। बीसवीं और इक्कीसवीं गाथा में आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभ से अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर तक; चौबीस तीर्थंकरों को सामष्टिक रूप में वन्दन किया गया है। बाईसवीं, तेईसवीं और चौबीसवीं गाथा में भगवान् महावीर के ग्यारह गणधरों तथा धर्म-संघ का वर्णन है। पच्चीसवीं गाथा से सैंतालीसवीं गाथा तक आर्य सुधर्मा से लेकर दूष्यगणी तक स्थविरावली का प्रशस्तिपूर्वक वर्णन है। अड़तालीसवीं से पचासवीं गाथा तक तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आर्जव, क्षांति, मार्दव, शील आदि उत्तमोत्तम गुणों से युक्त, प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी युगप्रधान श्रमणों तथा श्रुत-वैशिष्ट्य-विभूषित श्रमणों की स्तवना की है। इससे प्रकट है कि यह स्थविरावली युग-प्रधान परिपाटी पर आधृत है। तदनन्तर सूत्रात्मक वर्णन आरम्भ होता है। स्थान-स्थान पर गाथाओं का प्रयोग भी हुआ है।

ज्ञान के विश्लेषण के अन्तर्गत भूति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यव तथा केवलज्ञान की व्याख्या की गयी है। उनके भेद-प्रभेद, उद्भव, विकास आदि का तलस्पर्शी तात्त्विक विवेचन किया गया है। सम्यक् श्रुत के प्रसंग में द्वादशांग या गणि-पिटक के आधारान्ग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग प्रभृति बारह भेद निरूपित किये गये हैं। प्रासंगिक रूप में वहाँ सिध्दा-श्रुत की भी चर्चा की गयी है। गणिक, आगमिक, अंग-प्रविष्ट, अंग-बाह्य आदि के रूप में श्रुत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। आगमिक वाङ्मय के विकास

तथा विस्तार के परिशीलन की दृष्टि से नन्दी सूत्र का यह अंश विशेषतः पठनीय है। जिनदास महत्तर ने नन्दी सूत्र पर ब्रूणि की रचना की। आचार्य हरिभद्र तथा आचार्य मलयगिरि ने इस पर टीकाओं का निर्माण किया।

अनुयोगद्वार

नन्दी की तरह यह सूत्र भी अर्वाचीन है, जो इसकी भाषा तथा वर्णन-क्रम से गम्य है। इसके रचयिता आर्य रक्षित माने जाते हैं। प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न अनुयोगों से सम्बन्ध विषयों का आकलन है। विशेषतः संख्या-क्रम-विस्तार, जो गणितानुयोग का विषय है, का इसमें विषद विवेचन है। यह ग्रन्थ प्रायः प्रश्नोत्तर की शैली में रचित है।

सप्त स्वर

प्रसंगोपात् इसमें षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद संज्ञक सात स्वरों का विवेचन है। स्वरों के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि षड्ज स्वर जिह्वा के अग्र-भाग से उच्चरित होता है। ऋषभ स्वर का उच्चारण-स्थान हृदय है। गान्धार स्वर कण्ठाग्र से निःसृत होता है। मध्यम स्वर का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है। पंचम स्वर नासिका से बोला जाता है। धैवत स्वर दांतों के योग से उच्चरित होता है। निषाद स्वर नेत्र-भृकुटि के आक्षेप से बोला जाता है।

सातों स्वरों के जीव-निःसृत और अजीव-निःसृत भेद-विश्लेषण के अन्तर्गत बताया गया है कि मयूर षड्ज स्वर, कुक्कुट ऋषभ स्वर, हंस गान्धार स्वर, गाय-भेड़ आदि पशु मध्यम स्वर, वसन्त ऋतु में कोयल पंचम स्वर, सारस तथा क्रीच पक्षी धैवत स्वर और हाथी निषाद स्वर में बोलता है। मानव कृत स्वर-प्रयोग के फला-फल पर भी विचार किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में ग्राम, मूर्च्छना आदि का भी उल्लेख है।

आठ विभक्तियों की भी चर्चा है। कहा गया है, निर्वेश में प्रथमा, उपदेश में द्वितीया, करण में तृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, सम्बन्ध में षष्ठी, आधार में सप्तमी तथा आमन्त्रण में अष्टमी विभक्ति होती है। प्रकृति, आगम, लोप, समास, तद्धित, धातु आदि अन्य व्याकरण-सम्बन्धी विषयों की भी चर्चा की गयी है। प्रसंगतः काव्य के नौ रसों का भी उल्लेख हुआ है।

पल्लोपम, सागरीपम आदि के भेद-प्रभेद तथा विस्तार, संख्यात, असंख्यात, अनन्त

आदि का विश्लेषण, भेद-प्रकार; आदि का विस्तार से वर्णन है। जैन पारिभाषिक परिमाण-क्रम तथा संख्या-क्रम की दृष्टि से इसका वस्तुतः महत्व है।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

कुप्रावचनिक, मिथ्या शास्त्र, पाखण्डी श्रमण, कापालिक, तापस, परिव्राजक, पाण्डुरंग आदि धर्मोपजीवियों, तृण, काष्ठ तथा पत्ते ढोने वालों, वस्त्र, सूत, भाण्ड आदि का विक्रय कर जीविकोपार्जन करने वालों, जुलाहों, बढ़इयों, चितेरो, दांत के कारीगरों, छत्र बनाने वालों आदि का यथाप्रसंग विवेचन हुआ है।

प्रमाण-चर्चा

प्रमाण-वर्णन के प्रसंग में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा आगम की विशद चर्चा की गयी है। दो भेद बतलाये गये हैं : इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तथा नो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के पांच भेद कहे गये हैं-श्रोत्रेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्षुः-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, घ्राणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष तथा स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष।

नो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए उसे अवधि-ज्ञान-प्रत्यक्ष, मनःपर्यव-ज्ञान-प्रत्यक्ष तथा केवल-ज्ञान-प्रत्यक्ष; इस प्रकार तीन प्रकार का बतलाया गया है।

अनुमान का वर्णन करते हुए उसके पूर्ववत् तथा दृष्टि-साधर्म्य नामक तीन भेदों की चर्चा की गयी है। प्रमाण की तरह नयवाद की भी विस्तार से चर्चा हुई है। इन वर्णन-क्रमों से इसके अर्वाचीन होने का कथन परिपुष्ट होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ पर जिनदास महत्कार की पूर्ण है। आचार्य हरिभद्र तथा मलधारी हेमचन्द्र द्वारा टीकाओं की भी रचना की गयी।

दस पड़ण्णग (दश प्रकीर्णक)

प्रकीर्णक का आशय इधर-उधर बिखरी हुई, छितरी हुई सामग्री या विविध विषयों के समाकलन अथवा संग्रह से है। जैन पारिभाषिक दृष्टि से प्रकीर्णक उन ग्रन्थों को कहा जाता है, जो तीर्थंकरों के शिष्य उद्बुद्धचेता श्रमणों द्वारा अष्टयात्म-सम्बद्ध विविध विषयों पर रचे जाते रहे हैं।

प्रकीर्णकों की परम्परा

गन्धी सूत्र में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ के शिष्यों

द्वारा चौरासी सहस्र प्रकीर्णकों की रचना की गयी। दूसरे से तेईसवें तक के तीर्थंकरों के शिष्यों द्वारा संख्येय सहस्र प्रकीर्णक रचे गये। चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के शिष्यों द्वारा चौदह सहस्र प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना की गयी।

मन्वी सूत्र में इस प्रसंग में ऐसा भी उल्लेख है कि जिन-जिन तीर्थंकरों के औत्पातिकी, वैनयिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी; चार प्रकार की बुद्धि से उपपन्न जितने भी शिष्य होते हैं, उनके उतने ही सहस्र प्रकीर्णक होते हैं। जितने प्रत्येक-बुद्ध होते हैं, उनके भी उतने ही प्रकीर्णक-ग्रन्थ होते हैं।¹

मन्वी सूत्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है कि अर्हत्-प्ररूपित श्रुत का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य भी ग्रन्थ-रचना करते हैं, उसे प्रकीर्णक कहा जाता है। अथवा अर्हत्-उपदिष्ट श्रुत का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य धर्म-देशना आदि के सन्दर्भ में अपने वचन-कौशल से ग्रन्थ पद्धत्यात्मक रूप में जो भाषण करते हैं, वह प्रकीर्णक-संज्ञक हैं।²

प्रकीर्णक-ग्रन्थों की रचना तीर्थंकरों के शिष्यों द्वारा होने की जब मान्यता है, तो यह स्थिति प्रत्येक-बुद्धों के साथ कैसे घटित होगी; क्योंकि वे किसी के द्वारा दीक्षित नहीं होते। वे किसी के शिष्य भी नहीं होते। इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि प्रव्राजक या प्रव्रज्या देने वाले आचार्य की दृष्टि से प्रत्येक-बुद्ध किसी के शिष्य नहीं होते, पर, तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट धर्म-शासन की प्रतिपन्नता या तदनुशासन-सम्पृक्तता की

१. एवमाइयाइं चउरासीइं पइण्णग-सहस्साइं भगवओ अरहओ उसहसामियस्स आइति-
त्थयरस्स । तहा संखिज्जाइं पइण्णगसहस्साइं मज्झिमगाणं जिणवरणं । चौहसपइण्णग-
सहस्साणि भगवओ वद्धमाणसामिस्स । अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए
वेणइयाए कम्मियाए परिणामियाए चउव्विहीए बुद्धिए उव्वेया, तस्स तत्तियाइं पइण्णग-
सहस्साइं । पत्तेय बुद्धा वि तत्तिया चेव ।

—मन्वी सूत्र, ५१

२. इह यइ भगवदहंउपदिष्टं श्रुतमनुसृत्य भगवतः श्रमणा विरचयन्ति तत्सर्वं
प्रकीर्णकमुच्यते । अथवा श्रुतमनुसरन्तो यदात्मनो वचनकौशलेन धर्मदेशनाऽऽदिषु
ग्रन्थपद्धतिरूपतया भाषन्ते तदपि सर्वप्रकीर्णम् ।

—अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ३

अपेक्षा से अथवा उनके शासन के अन्तर्वर्ती होने से वे औपचारिकतया तीर्थंकर के शिष्य कहे भी जा सकते हैं; अतः प्रत्येक-बुद्धों द्वारा प्रकीर्णक-रचना की संगतता व्याहृत नहीं होती ।^१

प्राप्त प्रकीर्णक

वर्तमान में जो मुख्य-मुख्य प्रकीर्णक संज्ञक कृतियाँ प्राप्त हैं, वे संख्या में दश हैं :
 १. चउसरण (चतुः शरण), २. आउर-पञ्चवखारण (आतुर-प्रत्याख्यान), ३. महापञ्चवखारण (महाप्रत्याख्यान), ४. भक्त-परिण्णा (भक्त-परिज्ञा), ५. तन्हुलवैयालिय (तन्हुल-वैचारिक), ६. संथारण (संस्तारक), ७. गण्छायार (गण्छाचार), ८. गणिविज्जा (गणि-विद्या), ९. देविद-यय (देवेन्द्र - स्तव), १०. मरण-समाही (मरण-समाधि) ।

१. चउसरण (चतुः शरण)

जैन परम्परा में अर्हत्, सिद्ध, साधु और जिन-प्ररूपित धर्म; ये चार शरण आश्रयभूत माने गये हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जैन संस्कृति के ये आधार-स्तम्भ हैं । इन्हीं चार के आधार पर इस प्रकीर्णक का नाम चतुःशरण रखा गया है ।

दुष्कृत त्याज्य है, सुकृत ग्राह्य; यह धर्म का सन्देश है । इस प्रकरण में दुष्कृतों को निन्दित बताया गया है और सुकृतों को प्रशान्त, जिसका आशय है कि मनुष्य को असत् कार्य न कर सत्कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए । इसको कुशलानुबन्धी अध्ययन भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि यह कुशल-सुकृत या पुण्य की अनुबद्धता का साधक है । इसे तीनों सन्ध्याओं में ध्यान किये जाने योग्य बताया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रकीर्णक विशेष उपादेय माना जाता रहा है । चतुःशरण की अन्तिम गाथा में वीरभद्र का नामोल्लेख है, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे इसके रचयिता रहे हों । भुवनतुंग द्वारा वृत्ति की रचना की गयी और गुणरत्न द्वारा अवधूरि की ।

१. ...प्रत्येकबुद्धानां शिष्यभावो विरुद्धयते, तत्वेतदसमीचीनम्, यतः प्रराजकाऽऽचार्यमेवाधि-
 कृत्य शिष्यभावो निषिध्यते, न तु तीर्थंकरोपदिष्टशासनप्रतिपन्नत्वेनापि, ततो न
 कश्चिदोषः ।

—अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ४

२. आतुर-पञ्चवक्त्राण (आतुर-प्रत्याख्यान)

नाम : आशय : विषय

आतुर शब्द सामान्यतः रोग-ग्रस्त- वाची है। आतुरावस्था में मनुष्य की दो प्रकार की मानसिक अवस्थाएँ सम्भावित हैं। जिन्हें देह, दैहिक भोग और लौकिक एषणाओं में आसक्ति होती है, वे सांसारिक मोहाच्छन्न मनःस्थिति में रहते हैं। भुक्त भोगों की स्मृति और अप्राप्त भोगों की लालसा में उनका मन आकुल बना रहता है। इसलिए अपने अन्तिम काल में भी वे प्रत्याख्यानोन्मुख नहीं हो पाते। संसार में अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं। अन्ततः मरना तो होता ही है, मर जाते हैं। वैसा मरण 'बाल-मरण' कहा जाता है। यहाँ बाल का अभिप्राय अज्ञानी से है।

दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, जो भोग तथा देह की नश्वरता का चिन्तन करते हुए आत्म-स्वभावोन्मुख बनते हैं। दैनिक कष्ट तथा रोग-जनित वेदना को वे आत्म-बल से सहते जाते हैं और अपने भौतिक जीवन की इस अन्तिम अवस्था में खाद्य, पेय आदि का परिवर्जन कर, आमरण-अनशन, जो महान् आत्म-बल का द्योतक है, अपना कर शुद्ध चैतन्य में लीन होते हुए देह-त्याग करते हैं। जैन परिभाषा में यह 'पण्डित-मरण' कहा जाता है।

प्रस्तुत प्रकीर्णक में बाल-मरण तथा पण्डित-मरण का विवेचन है, जिसकी स्थिति प्रायः आतुरावस्था में बनती है। सम्भवतः इसी पृष्ठ-भूमि के आधार पर इसका नाम आतुर-प्रत्याख्यान रखा गया हो। इसमें प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्याख्यान से ही सद्गति या शाश्वत शान्ति सधती है। चतुःशरण की तरह इसके भी रचयिता वीरभद्र कहे जाते हैं और उसी की तरह भुवनतुंग द्वारा वृत्ति तथा गुणरत्न द्वारा अवधूरि की रचना की गयी।

३. महापञ्चावक्त्राण (महा प्रत्याख्यान)

नाम : अभिप्राय

असत्, अशुभ या अकरणीय का प्रत्याख्यान या त्याग ही जीवन की यथार्थ सफलता का परिपोषक है। यह तथ्य ही वह आधार-शिला है, जिस पर धर्माचरण टिका है।

प्रस्तुत कृति में इसी पृष्ठ-भूमि पर दुष्कृत की निरुद्धा की गई है। त्याग के महान् आदर्श की उपादेयता का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इसी कारण इसकी संज्ञा महा-प्रत्याख्यान की गयी।

विषय-वस्तु

पौद्गलिक भोगों का मोह या लोलुप भाव व्यक्ति को पवित्र तथा संयत जीवन नहीं अपनाने देता। पौद्गलिक भोगों से प्राणी कभी तृप्त नहीं हो सकता। उनसे संसार-भ्रमण उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। एतन्मूलक विषयों का विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत कृति में माया का वर्जन, तितिक्षा एवं वैराग्य के हेतु, पंच महाव्रत, आराधना आदि विषयों का विवेचन किया गया है। अन्ततः यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्याख्यान ही सिद्धि प्राप्त करने का हेतु है। प्रस्तुत प्रकीर्णक में एक सौ बयालीस गाथाएं हैं।

४. भक्त-परिणाम (भक्त-परिज्ञा)

नाम : आशय

भक्त भोजन वाची है और परिज्ञा का सामान्य अर्थ ज्ञान, विवेक या पहचान है। स्थानांग सूत्र में परिज्ञा का एक विशेष अर्थ 'ज्ञानपूर्वक प्रत्याख्यान' किया गया है।

जैन धर्म में भक्त-परिज्ञा अनशनपूर्वक मरण के भेदों में एक है। आतुर-प्रत्याख्यान के सन्दर्भ में जैसा कि विवेचन किया गया है, रुग्णावस्था में साधक आमरण अनशन स्वीकार कर पण्डित-मरण प्राप्त करता है, भक्त-परिज्ञा की स्थिति उससे कुछ भिन्न प्रतीत होती है। वहां दैहिक अस्वस्थता की स्थिति का विशेष सम्बन्ध नहीं है। सदसद्विवेकपूर्वक साधक आमरण-अनशन द्वारा देह-त्याग करता है। धर्मसंग्रह नामक जैन आचार-विषयक ग्रन्थ के तृतीय अधिकरण में इस सम्बन्ध में विषद वर्णन है। प्रस्तुत प्रकीर्णक में अन्यान्य विषयों के साथ-साथ भक्त-परिज्ञा का विशेष रूप से वर्णन है। मुख्यतः उसी को आधार मान कर प्रस्तुत प्रकीर्णक का नामकरण किया गया है।

इस प्रकीर्णक का कलेवर एक सौ बहत्तर गाथात्मक है। इसमें भक्त-परिज्ञा के साथ-साथ इंगिनी और पादोपगमन का भी विवेचन है, जो उसी (भक्त-परिज्ञा) की तरह विवेकपूर्वक अनशन-त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मरण-भेद हैं। इस कीटि के पण्डित-मरण के ये तीन भेद माने गये हैं।

कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रसंग

इस प्रकीर्णक में दर्शन (श्रद्धा-तत्त्व-भास्वा) को बहुत महत्त्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि जो दर्शन-भ्रष्ट हो जाती है, उन्हें निर्वाण-लाभ नहीं हो सकता। साधकों के ऐसे अनेक उदाहरण उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने असह्य कष्टों तथा परिषर्तों को आत्म-बल के सहारे झेलते हुए अन्ततः सिद्धि-लाभ किया।

मनोनिग्रह पर बहुत बल दिया गया है। कहा गया है कि साधना में स्थिर होने के लिए मन का निग्रह या नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ मन को मकड़ की तरह चपल तथा क्षणभर भी शान्त नहीं रह सकने वाला बताया है। उसका विषय-वासना से परे होना दुष्कर है।

स्त्रियों की इस प्रकीर्णक में कड़े शब्दों में चर्चा की गयी है। उन्हें सपिणी से उपमित किया गया है। उन्हें शोक-सरित्, अविश्वास-भूमि, पाप-गुहा और कपट-कुटीर जैसे हीन नामों से अभिहित किया गया है। इस प्रकीर्णक के रचनाकार वीरभद्र माने जाते हैं। गुणरत्न द्वारा अवधूति की रचना की गयी।

५. तन्दुलवेयालिय (तन्दुल-वैचारिक)

नाम : अर्थ

तन्दुल और वैचारिक; इन दो शब्दों का इसमें समावेश है। तन्दुल का अर्थ चावल होता है और वैचारिक स्पष्ट है ही। प्रस्तुत प्रकीर्णक के इस नाम के सम्बन्ध में कल्पना है कि सौ वर्ष का वृद्ध पुरुष एक दिन में जितने तन्दुल खाता है, उनकी संख्या को उपलक्षित कर यह नागकरण हुआ है।¹

कल्पना का आशय बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर, उसका भाव यह रहा हो कि सौ वर्ष के वृद्ध पुरुष द्वारा प्रतिदिन जितने चावल खाये जा सकते हैं, वे गणना-योग्य होते हैं। क्योंकि वृद्धावस्था के कारण सहज ही उसकी भोजन-मात्रा बहुत कम हो जाती है अर्थात् एक सौ संख्या-क्रम इसमें प्रतिध्वनित होता है।

१. तन्दुलानां वर्षशतायुष्कपुरुषप्रतिदिनभोग्यानां संख्याविचारेणोपलक्षितं तन्दुल-वैचारिकम्।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २१६८

यह प्रकीर्णक पांच सौ छयासी गाथाओं का कलेवर लिये हुए है। इसमें जीवों का गर्भ में आहार, स्वरूप, श्वासोच्छ्वास का परिमाण, शरीर में सन्धियों की स्थिति व स्वरूप, नाड़ियों का परिमाण, रोमकूप, पित्त, रुधिर, शुक्र आदि का विवेचन है। ये तो मुख्य विषय हैं ही, साथ-साथ गर्भ का समय, माता-पिता के अंग, जीव की बाल, क्रीड़ा, मन्द आदि दश दशाएँ, धर्म में अध्यवसाय आदि और भी अनेक सम्बद्ध विषय वर्णित हैं।

नारी का हीन रेखा-चित्र

प्रस्तुत प्रकीर्णक में प्रसंगोपात्त नारी का बहुत घृणोत्पादक व भयानक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नारी सहस्रों अपराधों का घर है। वह कपट-पूर्ण प्रेम रूपी पर्वत से निकलने वाली नदी है। वह दुश्चरित्र का अधिष्ठान है। साधुओं के लिए वह शत्रुरूपा है। व्याघ्री की तरह वह क्रूरहृदया है। जिस प्रकार काले नाग का विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह अविश्वस्य है। उच्छृंखल घोड़े को जिस प्रकार दमित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह दुर्दम है।

कुछ विचित्र व्युत्पत्तियाँ

नारी-निन्दा के प्रसंग में नारी-अर्थ-द्योतक शब्दों की कुछ विचित्र व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं। जैसे, नारी के पर्यायवाची प्रमदा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है : पुरिसे मत्ते करंति त्ति पमयाओ अर्थात् पुरुषों को मत्त-कामोन्मत्त बना देती हैं, इसलिए वे प्रम-दाएँ कही जाती हैं।

महिला शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है : नाणा विहेहि कम्मेहि सिप्पइयाएहि पुरिसे मोहंति त्ति महिलाओ। अनेक प्रकार के शिल्प आदि कर्मों द्वारा पुरुषों को मोहित करने के कारण वे महिलाएँ कही जाती हैं।

प्राकृत में महिला के साथ महिल्लिया प्रयोग भी नारी के अर्थ में है। स्वार्थिक ऋ जोड़कर यह शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका विश्लेषण किया गया है : म्हुंतं कल्ल जणयंति त्ति महिल्लियाओ, वे महान् कलह उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें महिल्लियाओ संज्ञा से अभिहित किया गया है।

रामा की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है : पुरिसे हावभावभाइएहि रमंति त्ति रामाओ। हाव, भाव आदि द्वारा पुरुषों को रम्य प्रतीत होने के कारण वे रामा कही जाती हैं।

अंगना की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है : पुरिसे अंगाणुराए किरिति त्ति अंगणाओ
अथत्ति पुरुषों के अंगों में अनुराग उत्पन्न करने के कारण वे अंगनाएं कहलाती हैं ।

नारी शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है : नारीसमा न मरणं अशीओ सि नारीओ ।
नारियों के सदृश पुरुषों के लिए कोई अरि—शत्रु नहीं है, इस हेतु वे नारी शब्द से
संज्ञित हैं ।

इन व्युत्पत्तियों से ग्रन्थकार का यह सिद्ध करने का प्रयास स्पष्ट प्रतिभासित होता है
कि नारी केवल कामोपकरण है । नारी को एक कुत्सित और बीभत्स भोग्य पदार्थ के रूप
में चित्रित करने के पीछे सम्भवतः यही आशय रहा हो कि मानव काम से—कामिनी से
इतना भयाक्रान्त हो जाए कि उस ओर उसका आकर्षण ही भिट जाए । अस्तु, यह एक
प्रकार तो है, पर, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उपादेयता सन्दिग्ध एवं विवादास्पद
है । प्रस्तुत प्रकीर्णक पर एक वृत्ति की रचना हुई, जिसके लेखक विजयविमल हैं ।

६. संथारग (संस्तारक)

जो भूमि पर संस्तीर्ण या आस्तीर्ण किया जाए—बिछाया जाए, वह संस्तार या
संस्तारक कहा जाता है । जैन परम्परा में इसका एक पारिभाषिक अर्थ है । जो पर्यन्त-क्रिया
करने को उद्यत होते हैं, आत्मोन्मुख होते हुए अनशन द्वारा देह-त्याग करना चाहते हैं;
वे भूमि पर दर्भ आदि से संस्तार—संस्तारक अर्थात् बिछौना तैयार करते हैं । उस पर
लेटते हैं ।^१ उस संस्तारक पर देह-त्याग करते हुए वे जीवन का वह साध्य साधने में
सफल होते हैं, जिसके लिए वे यावज्जीवन साधना-निरत तथा यत्नवान् रहे । उस बिछौने
पर स्थित होते हुए वे संसार-सागर को तैर जाते हैं; अतः संस्तारक का अर्थ संसार-सागर
को तैरा देने वाला, उसके पार लगाने वाला करें, तो भी असंगत नहीं लगता । प्रस्तुत
प्रकीर्णक में अन्तिम समय में आत्माराधना-निरत साधक द्वारा संयोजित इस प्रक्रिया का
विवेचन है ।

एक सौ तेईस गाथाओं में यह प्रकीर्णक विभक्त है । इसमें संस्तारक की प्रशस्तता का
बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया गया है । कहा गया है कि जिस प्रकार मणियों में वैडूर्य

१. संस्तीर्यन्ते भूपीठे शयालुभिरिति संस्तारः स एव संस्तारकः । पर्यन्तक्रिया कुर्वन्निर्धर्मा-
दिभिर्विरस्तरणे, तत्क्रियाप्रतिपादनरूपे प्रकीर्णकग्रन्थे ।

—अभिधान राजेन्द्र, सप्तम भाग, पृ० १९५

मणि, सुरभिमय पदार्थों में गोशीर्ष चन्दन तथा रत्नों में हीरा उत्तम है, उसी प्रकार साधना-कर्मों में संस्तारक परम श्रेष्ठ है। और भी बड़े उद्बोधक शब्दों में कहा गया है कि तृणों का संस्तारक बिछा कर उस पर स्थित हुआ भ्रमर मोक्ष-सुख की अनुभूति करता है। इस प्रकीर्णक में ऐसे अनेक मुनियों के कथानक दिये गये हैं, जिन्होंने संस्तारक पर आसीन होकर पण्डित-मरण प्राप्त किया। गुणरत्न ने इस पर भवचूरि की रचना की।

७. गच्छायार (गच्छाचार)

गच्छ एक परम्परा या एक व्यवस्था में रहने वाले या चलने वाले समुदाय का सूचक है, जो आचार्य द्वारा अनुशासित होता है। जब अनेक व्यक्ति एक साथ सामुदायिक या सामूहिक जीवन जीते हैं, तो कुछ ऐसे नियम, परम्पराएं, व्यवस्थाएं मान कर चलना पड़ता है, जिससे सामूहिक जीवन समीचीनता, स्वस्थता तथा शान्ति से चलता जाए। भ्रमण-संघ के लिए भी यही बात है। एक संघ या गच्छ में रहने वाले साधु-साधवियों को कुछ विशेष परम्पराओं तथा मर्यादाओं को लेकर चलना होता है, जिनका सम्बन्ध साधवाचार, अनुशासन, पारम्परिक सहयोग, सेवा और सौमनस्यपूर्ण व्यवहार से है। सामष्टिक रूप में वही सब सम्प्रदाय, गण या गच्छ का आचार कहा जाता है। आधुनिक भाषा में उसे संघीय आचार-संहिता के नाम से अभिहित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकीर्णक में इन्हीं सब पहलुओं का वर्णन है।

इस प्रकीर्णक में कुल एक सौ सैंतीस गाथाएं हैं, जिनमें कतिपय अनुष्टुप् छन्द में रचित हैं तथा कतिपय आर्या छन्द में। महानिशीथ, घृहत्कल्प और व्यवहार आदि छेद-सूत्रों का वर्णन पहले किया ही गया है, जिनमें साधु-साधवियों के आचार, उनके द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूप में सेवित दोष, तदर्थ प्रायश्चित्त-विधान आदि से सम्बद्ध विषय वर्णित हैं। कहा जाता है, इन ग्रन्थों से यथापेक्ष सामग्री संचरीण कर एक गच्छ में रहने वाले साधु-साधवियों के हित की दृष्टि से इस प्रकीर्णक की रचना की गयी। इसमें गच्छ के साधु, साध्वी, आचार्य, उन सबके पारस्परिक व्यवहार, नियमन आदि का विशद विवेचन है।

गच्छ के नायक या आचार्य के वर्णन-प्रसंग में एक स्थान पर उल्लेख है कि जो आचार्य स्वयं आचार-भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारियों का नियंत्रण नहीं करते अर्थात् आचार-भ्रष्टता की उपेक्षा करते हैं, स्वयं उन्मार्गमागी हैं, वे मार्ग और गच्छ का नाश करने वाले हैं। ज्यायान् एवं कनीयान् साधुओं के पारस्परिक वैयावृत्य, विनय, सेवा, आदर, सद्भाव आदि का भी इस ग्रन्थ में विवेचन किया गया है।

ब्रह्मवर्च-पालन में सदा जागे रहने की ओर श्रमणवृन्द को प्रेरित किया गया है । बताया गया है कि वय से वृद्ध होने पर भी श्रमण श्रमणियों के साथ वार्तालाप में संलग्न नहीं होते । श्रमणियों का संसर्ग श्रमणों के लिए विष-तुल्य है ।

विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया है कि हो सकता है, दृढ़चेता स्थविर के चित्त में स्थिरता—दृढ़ता हो, पर, जिस प्रकार घृत अग्नि के समीप रहने पर द्रवित हो जाता है, उसी प्रकार स्थविर के संसर्ग से साध्वी का चित्त द्रवित हो जाए, उसमें दुर्बलता उभर आए । वैसी स्थिति में, जैसा कि आशंकित है, यदि स्थविर अपना धर्म छो बैठे, तो वह ठीक वैसी दशा में आपतित हो जाता है, जैसे कफ में आलित भक्षिका । अन्ततः यहां तक कहा गया है कि श्रमण को बाला, वृद्धा, बहिन, पुत्री और दौहित्री तक का नैकट्य नहीं होने देना चाहिए ।

व्याख्या : साहित्य

भानन्दविमल सूरि के शिष्य श्री विजयविमल गणी ने गच्छाचार पर टीका की रचना की । टीकाकार ने एक प्रसंग में उल्लेख किया है कि वराहमिहिर आचार्य भद्रबाहु के भाई थे । इस सम्बन्ध में आचार्य भद्रबाहु के इतिवृत्त के सन्दर्भ में चर्चा की जा चुकी है, यह इतिहास सम्मत तथ्य नहीं है । इतिहास पर प्रामाणिकता, गवेषणा तथा समीक्षा की दृष्टि से ध्यान न दिये जा सकने के कारण इस तरह के अप्रामाणिक उल्लेखों का प्रचलन रहा हो, ऐसा सम्भावित लगता है ।

टीकाकार ने यह भी चर्चा की है कि वराहमिहिर ने चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों का अध्ययन करके वाराही संहिता नामक ग्रन्थ की रचना की ।

८. गणि-विज्ञा (गणि-विद्या)

आपाततः प्रतीत होता है, इस प्रकीर्णक के नाम में आया हुआ गणि शब्द गण के अधिपति या आचार्य के अर्थ में हो; क्योंकि प्राकृत में सामान्यतः गणि शब्द का प्रचलित अर्थ ऐसा ही है । संस्कृत में भी गणिन् शब्द इसी अर्थ में है । समास में न का लोप होकर केवल गणि रह जाता है । वास्तव में प्रकीर्णक के नाम में पूर्वाद्ध में जो गणि शब्द है, वह गण-नायक के अर्थ में नहीं है । गणि शब्द की एक अन्य निष्पत्ति भी है । गण् धातु के इन् प्रत्यय लगा कर गणना के अर्थ में गणि शब्द बनाया जाता है । यहां उसी का अभिप्रेत है; क्योंकि प्रस्तुत प्रकीर्णक में गणना-सम्बन्धी विषय वर्णित है । यह प्रकीर्णक बयासी

गाथाओं में विभक्त है। इसमें तिथि, वार, करण, मुहूर्त, शकुन, लग्न, नक्षत्र, निमित्त आदि ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों का विवेचन है। घण्टे के अर्थ में यहां होरा शब्द का प्रयोग हुआ है।

६. देविद-थय (देवेन्द्र-स्तव)

एक श्रावक चौबीस तीर्थकरों को वन्दन करता हुआ भगवान् महावीर की स्तवना करता है। तब श्रावक की गृहिणी अपने पति से इन्द्र आदि के विषय में जिज्ञासा करती है। वह श्रावक तब कल्पोपपन्न तथा कल्पातीत देवताओं आदि का वर्णन करता है। यही सब इस प्रकीर्णक का वर्ण्य विषय है।

पिछले कई प्रकीर्णकों की तरह इस प्रकीर्णक के रचनाकार भी श्री वीरभद्र कहे जाते हैं। इसमें तीन सौ सात गाथाएं समाविष्ट हैं।

१०. मरण समाही (मरण-समाधि)

मरण, जिसका कभी न कभी सबको सामना करना पड़ता है, जिससे सभी सदा भया-क्रान्त रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से देह में एक सिहरन-सी दौड़ जाती है, को परम सुखमय बनाने के हेतु जैन दर्शन ने गम्भीर और सूक्ष्म चिन्तन किया है तथा उसके लिए एक प्रशस्त मार्ग-दर्शन दिया है ताकि मृत्यु मानव के लिए भीति के स्थान पर महोत्सव बन जाए। समाधि-मरण उसी का उपक्रम है।

मानसिक स्थिरता, आत्मोन्मुखता, शुद्ध चिन्तनपूर्वक देहासक्तिवर्जित मरण समाधि-मरण है। वहां खान-पान आदि सब कुछ सहज भाव से परित्यक्त हो जाते हैं। साधक आत्म-अनात्म के भेद-विज्ञान की कोटि में पहुंचने लगता है। ऐसी अन्तःस्थिति उत्पन्न हो, जीवन में यथार्थगामिता व्याप्त हो जाए, एतदर्थ चिन्तनशील जैन मनीषियों ने कुछ व्यवस्थित विधि-क्रम दिये हैं, जो उनके न केवल शास्त्रानुशीलन, अपितु उनके जीवन-सत्य के साक्षात्कार से प्रसूत है। इस प्रकीर्णक में समाधि-मरण, उसके भेद आदि का इसी परिप्रेक्ष्य में तात्त्विक एवं विशद विवेचन है।

कलेवर : विषय-वस्तु

प्रस्तुत प्रकीर्णक छः सौ तिरसठ गाथाओं का शब्द कलेवर लिए हुए है। परिमाण में दशों प्रकीर्णक ग्रन्थों में यह सबसे बृहत् है। वर्ण्य विषय से सम्बद्ध भक्त-परिज्ञा, आतुर-

प्रत्याख्यान, महा-प्रत्याख्यान, मरण-विभक्ति, मरण-विशोधि, आराधना प्रभृति अनेकविधि श्रुत-समुदय के आधार पर इस प्रकीर्णक का सर्जन हुआ है।

गुरु और शिष्य के संवाद के साथ इस ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है। शिष्य को समाधि-मरण के सम्बन्ध में जिज्ञासा होती है। गुरु उसके समाधान में आराधना, आलोचना, संलेखना, उत्सर्ग, अवकाश, संस्तारक, निसर्ग, पादोपगमन आदि चौदह द्वारों के माध्यम से समाधि-मरण का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

अनशन-तप की व्याख्या, संलेखना-विधि, पण्डित-मरण के स्वरूप आदि का इस प्रकीर्णक में समावेश है, जो आत्म-साधकों के लिए केवल पठनीय ही नहीं, आन्तरिक दृष्टि से भी विचारणीय है। प्रासंगिक रूप में इसमें उन महापुरुषों के दृष्टांत उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने परिषद् को समभाव से सहते हुए पादोपगमन आदि तप द्वारा सिद्धि प्राप्त की। धर्म-तत्त्वोपदेश के सन्दर्भ में और भी अनेक दृष्टान्त उपस्थित किये गये हैं। बारह भावनाओं के विवेचन के साथ यह प्रकीर्णक समाप्त होता है।

दश प्रकीर्णकों पर यह संक्षिप्त ऊहापोह है। इनके अतिरिक्त और भी कतिपय प्रकीर्णक हैं, जिनमें ऋषि-भाषित, तीर्थोद्धार-परिज्ञा, आजीव-कल्प, सिद्धप्राभृत, आराधना-प्रताका, द्वीप-सागर-प्रज्ञप्ति, ज्योतिष-करण्डक, अंग-विद्या तथा योनि-प्राभृत; आदि उल्लेखनीय हैं।

उपसंहार

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय द्वारा मुख्यतया निम्नांकित पैंतालीस आगम स्वीकृत हैं, जिनका पिछले पृष्ठों में विश्लेषण किया गया है : अंग-११, उपांग-१२, छेद-६, मूल-४, नन्दी-अनुयोगद्वार-२, प्रकीर्णक-१० । कुल ४५ । अन्य प्रकीर्णक ग्रन्थों के मिलाने पर इनकी संख्या चौरासी तक हो गयी। किसी समय श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के गच्छों की संख्या भी चौरासी थी। हो सकता है, इस संख्या ने भी वैसा करने की प्रेरणा दी हो।

श्वेताम्बर सम्प्रदायों के अन्तर्गत स्थानकवासी सम्प्रदाय तथा तेरापंथ सम्प्रदाय द्वारा उपर्युक्त पैंतालीस आगमों में बत्तीस आगम प्रामाणिक रूप में स्वीकार किये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :

अंग-११

उपांग-१२

छेद-४—१. निशीथ, २. व्यवहार, ३. वृहत्कल्प, ४. दशाश्रुतस्कन्ध

मूल-४—१. दशवैकालिक, २. उत्तराध्ययन, ३. अनुयोगद्वार, ४. नन्दी

आवश्यक-१ । कुल ३२

आगमों पर व्याख्या-साहित्य

प्रयोजन

आर्य-भाषा-परिवार के अन्तर्गत छन्दस् के विश्लेषण तथा जैन उपांग-साहित्य के विश्लेषण के सन्दर्भ में वेदों के अंग, उपांग आदि की चर्चा की गयी है। वेदों को यथावत् रूप में समझने के लिए उनके छः अंग, उपांग या विद्या-स्थान पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्म-शास्त्र का प्रयोजन है। साथ-साथ ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा उनसे उद्भूत सूत्र-ग्रन्थों^१ एवं सायण आदि आचार्यों द्वारा रचित भाष्यों की भी उपयोगिता है। इस वाङ्मय का भली-भांति अध्ययन किये बिना यह शक्य नहीं है कि वेदों का हार्द सही रूप में आत्मसात् किया जा सके।

वेदों के साथ जो स्थिति उपर्युक्त अंगोपांग एवं भाष्य-साहित्य की है, वही पालि-पिटकों के साथ आचार्य बुद्धघोष, आचार्य बुद्धदत्त तथा आचार्य धम्मपाल आदि द्वारा रचित अट्ठकथाओं की है। पिटक-साहित्य के तलस्पर्शी ज्ञान के लिए इन अट्ठकथाओं का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

प्राकृत जैन आगमों के साथ उनके व्याख्या-साहित्य की भी इसी प्रकार की स्थिति है। उसकी सहायता या आधार के बिना आगमों का हार्द यथावत् रूप में गृहीत किया जाना कठिन है।

जैन आगमों की अपनी विशेष पारिभाषिक शैली है, अनेक आगमों में अत्यन्त सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयों का निरूपण है; अतः यह कम सम्भव है कि उन्हें सीधा-सम्यक्तया समझा जा सके। इनके अतिरिक्त आगमों की दुरुहता बढ़ जाने का एक और कारण है। उनमें वाचना-भेद से स्थान-स्थान पर पाठ-भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। तद्विषयक परम्पराएं आज प्राप्त नहीं हैं; अतः आगम-गत विषयों की समुचित संगति बिठाते हुए

१. सूत्र-ग्रन्थ रङ्गल रूप में चार भागों में विभक्त है : १. श्रौतसूत्र, २. गृह्यसूत्र,

३. धर्मसूत्र तथा ४. शुक्ल सूत्र।

उनका अभिप्राय यथावत् पकड़ पाना सरल नहीं है। व्याख्याकारों ने इस सन्दर्भ में स्थान-स्थान पर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, जिससे आगम-अध्येताओं को उनके अध्ययन, प्रनुशीलन और उनका अभिप्राय स्वायत्त करने में सुविधा हो।

व्याख्याओं की विधाएँ

जैन आचार्यों का इस ओर सतत प्रयत्न रहा कि आगम-गत तत्त्व पाठकों द्वारा सही रूप में आत्मसात् किया जाता रहे। यही कारण है कि आगमों के व्याख्या-परक साहित्य के सर्जन में वे सदा कृत-प्रयत्न रहे। फलतः नियुक्ति, भाष्य, चूँछि, टीका, वृत्ति, दीपिका, व्याख्या, विवेचन, विवरण, अवचूरि, पंजिका, वचनिका तथा टब्बा आदि विविध प्रकार का विपुल व्याख्या-साहित्य प्राप्त है। बहुत-सा प्रकाश में आया है तथा अन्य बहुत-सा प्रकाशन की प्रतीक्षा में भण्डारों में, मंजूषाओं तथा पुट्टों में, आज भी प्रतिबद्ध है।

व्याख्या-साहित्य में नियुक्तियों तथा भाष्यों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। चूँछियाँ यद्यपि प्राकृत-संस्कृत का मिश्रित रूप लिये हुए हैं, पर, वहाँ मुख्यतया प्राकृत का प्रयोग है। कुछ टीकाएँ भी प्राकृत-निबद्ध या प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित हैं। अधिकांश टीकाएँ संस्कृत में हैं। इस प्रकार आगमों के अतिरिक्त उनसे सम्बद्ध प्राकृत-साहित्य की ये चार विधाएँ और हैं। आगमों सहित उसके पाँच प्रकार होते हैं, जिसे पंचांगी साहित्य कहा जाता है।

प्राकृत के विकास के विभिन्न स्तरों, रूपों आदि का अवबोध, भाषाशास्त्रीय दृष्टि से प्राकृत का सूक्ष्म परिशीलन, आगमगत जैन दर्शन एवं आचार-शास्त्र के विविध पक्षों के प्रामाणिक तथा शोधपूर्ण अध्ययन आदि अनेक दृष्टियों से इस पंचांगी साहित्य के व्यापक और गम्भीर परिशीलन की वास्तव में बहुत उपयोगिता है।

निज्जुत्ति (नियुक्ति)

व्याख्याकार आचार्यों व विद्वानों के अनुसार सूत्रों में जो नियुक्त हैं, निश्चित किया हुआ है, वह अर्थ जिसमें निबद्ध हो—समीचीनतया सन्निवेशित हो—यथावत् रूप में निदिष्ट हो, उसे नियुक्ति कहा जाता है। नियुक्तिकार इस निश्चय को लेकर चलते हैं कि वे सूत्रों का सही तथ्य यथावत् रूप में प्रस्तुत करें, जिससे पाठक सूत्रगत विषय सही रूप में हृद्गत कर सकें। पर, जिस संक्षिप्त और संकेतमय शैली में नियुक्तियाँ लिखी गयी हैं, उससे यह कम सम्भव लगता है कि उन्हें भी बिना व्याख्या के सहजतया समझा जा सके। यद्यपि निवेद्य विषयों को समझाने के हेतु अनेक उदाहरणों, दृष्टान्तों तथा कथानकों का उनमें

प्रयोग हुआ है, पर, उनका संकेत जैसा कर दिया गया है, स्पष्ट और विशद वर्णन नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नियुक्तियों की रचना का आधार गुरु-परम्परा-प्राप्त पूर्व-मूलक वाङ्मय रहा है।

श्रमणावृन्द आगमिक विषयों को सहजतया मुख्याग्र रख सकें, नियुक्तियों की रचना के पीछे सम्भवतः यह भी एक हेतु रहा हो। ये आर्या छन्द में रचित गाथाओं में हैं; इसलिए इन्हें कण्ठस्थ रखने में अपेक्षाकृत अधिक सुगमता रहती है। कथाएं, दृष्टान्त आदि का भी संक्षेप में उल्लेख या संकेत किया हुआ है। उससे वे मूल रूप में उपदेष्टा श्रमणों के ध्यान में आ जाते हैं, जिनसे वे उन्हें विस्तार से व्याख्यात कर सकते हैं।

ऐतिहासिकता

व्याख्या-साहित्य में नियुक्तियाँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। पिण्ड-नियुक्ति तथा औघ-नियुक्ति की गणना आगमों के रूप में की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाँचवीं ई० शती में वलभी में हुई आगम-वाचना, जिसमें अन्ततः आगमों का संकलन एवं निर्धारण हुआ, उससे पूर्व ही नियुक्तियों की रचना आरम्भ हो गयी थी। प्रमुख नैयायिक द्वादशार-नय-चन्द्र के रचयिता आचार्य मल्लवादी ने अपनी रचना में नियुक्ति-गाथा उद्धृत की है, जिससे मल्लवादी से पूर्व नियुक्तियों का रचा जाना प्रमाणित होता है। मल्लवादी का समय विक्रम का पंचम शतक माना है।

नियुक्तियों रचनाकार

१. आचारांग, २. सूत्रकृतांग, ३. सूर्यप्रज्ञप्ति, ४. व्यवहार, ५. कल्प, ६. दशाश्रुत-संहन्ध, ७. उत्तराध्ययन, ८. आवश्यक, ९. दशवेकालिक, १०. ऋषिभाषित; इन दश सूत्रों पर नियुक्तियों की रचना की गयी है। सूर्यप्रज्ञप्ति तथा ऋषिभाषित की नियुक्तियाँ अप्रान्त हैं। नियुक्तिकार के रूप में आचार्य भद्रबाहु का नाम प्रसिद्ध है। पर, श्रुतकेवली (अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर) आचार्य भद्रबाहु, जिन्होंने छेद-सूत्रों की रचना की और नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु एक नहीं हैं। एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि अनेक आगमों पर रचित नियुक्ति तथा भाष्य की गाथाएं स्थान-स्थान पर एक-दूसरे से इतनी मिल गयी हैं कि उन्हें पृथक् कर पाना दुःशक्य है। चूर्णिकार भी वैसा नहीं कर पाये।

निर्युक्तियों में प्रसंगोपात्ततया जैनो के परम्परा-प्राप्त आचार-विचार, जैन तत्व-ज्ञान के अनेक विषय, अनेक पौराणिक परम्पराएं, ऐतिहासिक घटनाएं (अंशतः ऐतिहासिक अंशतः पौराणिक), इस प्रकार की विमिश्रित मान्यताएं वर्णित हुई हैं। जैन-संस्कृति, जीवन-व्यवहार तथा चिन्तन-क्रम के अध्ययन की दृष्टि से निर्युक्तियों का महत्व है। निर्युक्तियों में विशेषतः अर्द्ध-मागधी प्राकृत का व्यवहार हुआ है। प्राकृत की भाषा-शास्त्रीय गवेषणा के सन्दर्भ में भी ये विशेषतः अध्येतव्य हैं।

भाष्य (भाष्य)

आगमों के तात्पर्य को और अधिक स्पष्ट करने के हेतु भाष्यों की रचना हुई। इनकी रचना-शैली भी लगभग वैसी है, जैसी निर्युक्तियों की। ये प्राकृत-गाथाओं में लिखे गये हैं। निर्युक्तियों की तरह इनमें भी संक्षिप्त विवेचन-पद्धति को अपनाया गया है। जिस प्रकार निर्युक्तियों की रचना में अर्द्ध-मागधी प्राकृत का प्रयोग हुआ है, इनमें कहीं-कहीं अर्द्ध-मागधी के साथ-साथ मागधी और शौरसेनी प्राकृत के रूप दृष्टिगत होते हैं।

रचना : रचयिता

मुख्यतया जिन सूत्रों पर भाष्यों की रचना हुई, वे इस प्रकार हैं—१. निशीथ, २. व्यवहार, ३. बृहत्कल्प, ४. पंच-कल्प, ५. जीत-कल्प, ६. उत्तराध्ययन, ७. आवश्यक, ८. दशबंकासिक, ९. पिण्ड-निर्युक्ति तथा १०. औघ-निर्युक्ति।

निशीथ, व्यवहार और बृहत्कल्प के भाष्य अनेक दृष्टियों से अत्यधिक महत्व लिये हुए हैं। इनके रचयिता श्री संघदास गणी क्षमाश्रमण माने जाते हैं। कहा जाता है, ये याकिनी-महत्तर-सूनु आचार्य हरिभद्र सूरि के समसामयिक थे।

आवश्यक सूत्र पर लघुभाष्य, महाभाष्य तथा विशेषावश्यक भाष्य की रचनाएं की गयीं। अनेक विषयों का विशद समावेश होने के कारण विशेषावश्यक भाष्य का जैन साहित्य में अत्यन्त महत्व है। इसके रचयिता श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण हैं। जीतकल्प तथा उनके स्वोपज्ञ भाष्य के कर्ता भी श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ही हैं।

भाष्य-साहित्य में प्राचीन श्रमण-जीवन और संघ से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निर्ग्रन्थों के प्राचीन आचार, व्यवहार, विधि-क्रम, रीति-नीति, प्रायश्चित्त-पूर्वक शुद्धि; इत्यादि विषयों के समीक्षात्मक अध्ययन एवं अनुसन्धान के सन्दर्भ में निशीथ;

व्यवहार और बृहत्कल्प-भाष्य का अध्ययन नितान्त उपयोगी है। इनमें विविध प्रसंगों पर इस प्रकार के उपयोगी संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे निर्ग्रन्थों की आचार-शृङ्खला को जोड़ने वाली अनेक कड़ियाँ प्रकाश में आती हैं।

चूर्णि (चूर्ण)

संभव : लक्षणा

आगमों पर नियुक्ति तथा भाष्य के रूप में प्राकृत-गाथाओं में व्याख्यापरक ग्रन्थों की रचना हुई। उनमें आगमों का आशय विस्तार तथा विशदता के साथ अधिगत किया जा सके, वैसा शक्य नहीं था; क्योंकि दोनों रचनाएँ पद्यात्मक थीं। प्रस्तुत व्याख्या जितनी स्पष्ट, बोधगम्य तथा हृद्य गद्य में हो सकती है, पद्य में वैसी हो सके, यह सम्भव नहीं हो पाता। फिर दोनों (नियुक्ति तथा भाष्य) में संक्षिप्तता का आश्रय था; अतः प्रवचनकार प्रवक्ता या व्याख्याता के लिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह (शैली) लाभकर थी, पर स्पष्ट और विशद रूप में आगमों का हार्द अधिगत करने के इच्छुक अध्येताओं के लिए उनका बहुत अधिक उपयोग नहीं था। अतएव गद्य के रूप में आगमों की व्याख्या रचे जाने का एक क्रम पहले से रहा है, जो चूर्णियों के रूप में प्राप्त है।

अभिधान-राजेन्द्रकार ने चूर्ण का लक्षण एवं विश्लेषण करते हुए लिखा है : प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति तथा विभाषा^१ के रूप में जो अर्थ-बहुल हो, हेय-उपादेय अर्थ का प्रतिपादन करने की महत्ता या विशेषता से जो संयुक्त हो, जिसकी रचना हेतु, निपात तथा उपसर्ग के समन्वय से गम्भीरता लिए हुए हो, जो अव्यवच्छिन्न—श्लोकवत् विराम-रहित हो, जो गम-नैगम-नयानुप्राणित हो, उसे चौर्यपद—चूर्ण कहा जाता है।^२

चूर्णियों की भाषा

चूर्णिकार ने भाषा के सम्बन्ध में एक नया प्रयोग किया है। प्राकृत जैन दृष्टि से

१. व्याकरण के अनुसार शाब्दिक रचना की स्थितियाँ।

२. अल्पबहुलं महत्त्वं, हेउनिवाओवसगगमीरं।

बहुपायमवोच्छिन्नं, गमनयसुद्धं तु चूर्णपदं ॥

.....

.....

आर्य वाक् है, अतः उसे तो उन्होंने लिया ही है, पर, संस्कृत को भी उन्होंने ग्रहण किया है। दर्शन और तत्त्वज्ञान आदि गम्भीर एवं सूक्ष्म विषयों को विद्वद्भोग्य तथा व्युत्पन्न शैली में व्याख्यात करने में संस्कृत की अपनी अप्रतिम विशेषता है। उसका शब्दकोश वैज्ञानिक दृष्टि से विशाल है तथा उसका व्याकरण शब्दों के नव सर्जन की उर्वरता लिए हुए है। उसकी अपनी कुछ विशिष्ट शब्दावली है, जिसके द्वारा संक्षेप में विस्तृत और गहन अर्थ व्याख्यात किया जा सकता है। उसकी विवेचन-सरणि में प्रभावापन्नता और गम्भीरता है। सूक्ष्म और पारिभाषिक (Technical) विश्लेषण की दृष्टि से उसकी अपनी असामान्य क्षमता है। चूणिकार द्वारा भाषात्मक माध्यम के रूप में प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत संयोजन के पीछे सम्भवतः इसी प्रकार का दृष्टिकोण रहा हो, अर्थात् संस्कृत की इन विशेषताओं से लाभान्वित क्यों न हुआ जाए ?

चूणियों में किया गया प्राकृत-संस्कृत का मिश्रित प्रयोग 'मणि-प्रवाल-न्याय' से उपमित किया गया है। मणियों और मूर्तियों को एक साथ मिला दिया जाए, तो भी वे पृथक्-पृथक् स्पष्ट दीखते रहते हैं। यही स्थिति यहां दोनों भाषाओं की है।

प्राकृत की प्रधानता

चूणियों में संस्कृत और प्राकृत का सम्मिलित प्रयोग तो हुआ, पर, फिर भी उनमें प्रधानता प्राकृत की रही। चूणियों में यथाप्रसंग अनेक प्राकृत-कथाएं दी गयी हैं, जो धार्मिक, सामाजिक किंवा लौकिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध हैं। चूणिकार को जो शब्द विशेष व्याख्येय या विश्लेष्य लगे हैं, उनकी व्युत्पत्ति भी प्रायः प्राकृत में ही प्रस्तुत की गयी है।

वर्ण्य विषय के समर्थन तथा परिपुष्टता के हेतु स्थान-स्थान पर प्राकृत व संस्कृत के विभिन्न विषयों से सम्बद्ध पद्य उद्धृत किये गये हैं। प्राकृत भाषा की क्षमता, अभिव्यञ्जना-शक्ति, प्रवाहशीलता, लोकजनीनता आदि के साथ भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से चूणियों के अध्ययन की वास्तव में अत्यधिक उपयोगिता है।

चूणियाँ : रचनाकार

आचारांग, सूत्रकृतांग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति, वृद्धत्तर, व्यवहार, निशेथ, पंचकल्प, वशा-भुतरकण्ठ, जीतकल्प, जीवादिगम, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवर्कालिक, नन्दी तथा अनुयोगद्वार पर चूणियों की रचना हुई है।

चूणियों के रूप में जैन साहित्य को ही नहीं, प्रत्युत भारतीय वाङ्मय को अनुपम देन देने वाले मनीषी श्री जिनदास गरगी महत्तर थे । वे वाणिज्य-कुलोपपन्न थे । धर्म-सम्प्रदाय की दृष्टि से वे कोटिक गण के अन्तर्गत वज्र-शाखा से सम्बद्ध थे । इतिहासज्ञों के अनुसार उनका समय षष्ठ शती ईसवी के लगभग माना जाता है ।

जैसलमेर के भण्डार में दशवैकालिक चूर्ण की एक प्राचीन प्रति मिली है, जिसके रचयिता स्वविर अगस्त्यसिंह हैं । उनका समय विक्रम की तृतीय शती माना जाता है, जिससे प्रकट होता है कि देवद्विगरणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में समायोजित बालभी वाचना से लगभग दो-तीन शती पूर्व ही रची जा चुकी थी । आगम-महोदधि स्वर्गीय मुनि पुण्यविजयजी द्वारा उसका प्रकाशन किया गया है । श्री जिनदास गरगी महत्तर द्वारा रचित दशवैकालिक चूर्ण के नाम से जो कृति विश्रुत है, उसे आचार्य हरिभद्र सूरि ने वृद्ध-विवरण के नाम से अभिहित किया है ।

महत्वपूर्ण चूर्णियाँ

भारतीय लोक-जीवन के अध्ययन की दृष्टि से सभी चूर्णियों में यत्र-तत्र बहुत सामग्री विकीर्ण है, पर. निशीथ की विशेष चूर्ण तथा आवश्यक चूर्ण का उनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इनमें जैन इतिहास, पुरातत्व, तत्कालीन समाज आदि पर प्रकाश डालने वाली विशाल सामग्री भरी पड़ी है । लोगों का खान-पान, वेश-भूषण, आभूषण, सामाजिक, धार्मिक एवं लौकिक रीतियाँ, प्रथाएं, समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मान-दण्ड, समय-समय पर पर्व दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेले, समारोह, जनता द्वारा मनाये जाने वाले त्यौहार, व्यावसायिक स्थिति, व्यापार-मार्ग, एक समुदाय के साथ व्यापारार्थ दूर-दूर समुद्र पार तक जाने वाले बड़े-बड़े व्यवसायी (सार्थवाह), उपज, दुग्ध, दस्यु, तस्कर आदि अनेक शातव्य विषयों का विविध प्रसंगों के बीच इन चूर्णियों में विवेचन हुआ है ।

स्पष्टतः पता चलता है कि जैन आचार्य तथा सन्त जन-जन को धर्म-प्रतिबोध देने के निमित्त कितने समुद्यत रहे हैं । यही कारण है कि उनका लोक-जीवन के साथ अत्यन्त निकटतापूर्ण सम्पर्क रहा है । तभी तो उस काल के लोक-जीवन का एक सजीव चित्र उपस्थित कर पाना उनके लिए सहजतया सम्भव हो सका । जन-सम्पर्क के साथ-साथ वे कितने व्यवहार-निपुण थे, प्रस्तुत सामग्री से यह भी प्रकट होता है । जैन सन्तों का अपने दर्शन तथा धर्म का गहन अध्ययन तो था ही, अध्ययन की अन्यान्य निष्ठाओं में भी उनकी गहरी पहुँच थी । वास्तव में उनका अध्ययन बड़ा व्यापक तथा सार्वजनीय था ।

लोक-जीवन तथा लोक-साहित्य के गवेषणापूर्ण अध्ययन की दृष्टि से भी चूणियों का ग्रहण अप्रतिम महत्व है। आगम-ग्रन्थों के अतिरिक्त तत्सम्बद्ध साहित्य के इतर ग्रन्थों पर भी चूणियां लिखे जाने का क्रम रहा। उदाहरणार्थ, कर्म-ग्रन्थ, श्रावक-प्रतिक्रमण जैसे ग्रन्थों पर भी चूणियां रची गयीं।

टीकाएं

अभिप्रेत

आगम ही जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन, आचार-विचार; संक्षेप में समग्र जैन जीवन के मूल आधार हैं; अतः उनके आशय को स्पष्ट, स्पष्टतर और सुबोध्य बनाने की ओर जैन आचार्यों तथा मनीषियों का प्रारम्भ से ही प्रयत्न रहा है। फलतः जहां एक ओर नियुक्तियों, भाष्यों और चूणियों का सर्जन हुआ, दूसरी ओर टीकाओं की रचना का क्रम भी गतिशील रहा। नियुक्तियों व भाष्यों की रचना प्राकृत-गाथाओं में हुई तथा चूणियां प्राकृत-संस्कृत-गद्य में लिखी गयीं, वहां टीकाएं प्रायः संस्कृत में रचित हुईं। शब्द-सर्जन की उर्वरता, व्युत्पत्तिक विश्लेषण की विषदता तथा अभिव्यंजना की असाधारण क्षमता आदि संस्कृत की कुछ असामान्य विशेषताएं हैं, जिन्होंने जैन तथा बौद्ध लेखकों को विशेष रूप से आकृष्ट किया। फलतः उत्तरवर्ती काल में जैन तथा बौद्ध सिद्धान्त जब विद्वद्गम्य, प्रांजल तथा प्रौढ़ स्तर एवं दार्शनिक पृष्ठ-भूमि पर अभिव्यक्त व प्रतिष्ठित किये जाने लगे, तब उनका भाषात्मक परिवेश अधिकांशतः संस्कृत-निबद्ध रहा। जैन वाङ्मय में आचार्य सिद्धसेन के सन्मति-तर्क-प्रकरण के अतिरिक्त प्रायः प्रमाणशास्त्रीय ग्रन्थ संस्कृत में रचे गये। यही सब हेतु थे कि जैन दार्शनिक-काल के पूर्व से ही विद्वान् आचार्यों ने आगमों की टीकाओं की भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार किया। अर्द्ध-वाणी की संवाहिका होने के कारण प्राकृत के प्रति जो श्रद्धा थी, उसका इतना प्रभाव तो टीका-साहित्य में अवश्य पाया जाता है कि टीकाओं में कहीं-कहीं कथाएं मूल प्राकृत में ही उद्धृत की गयी हैं। कुछ टीकाएं प्राकृत-निबद्ध भी हैं, पर, बहुत कम।

टीकाएं : पुरावतों परम्परा

नियुक्तियां, भाष्य, चूणियां एवं टीकाएं व्याख्या-साहित्य के क्रमिक विकास के रूप नहीं हैं, बल्कि सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि इनका सर्जन स्वतन्त्र और निरपेक्ष रूप में अपना-अपना दृष्टिकोण लिये चलता रहा है। बालभी वाचना के पूर्व से टीकाओं

के रचे जाने का क्रम चालू था। दशवैकालिक ध्वनि के लेखक स्थविर अगस्थसिंह, जिसका समय विक्रम के तृतीय शतक के आस-पास था, अपनी रचना में कई स्थानों पर प्राचीन टीकाओं के सम्बन्ध में इंगित करते हैं।

हिमवत् थेरावली में उल्लेख

हिमवत् थेरावली में किये गये उल्लेख के अनुसार आर्य मधुमित्र के ग्रन्थवासी तथा तत्त्वार्थ महाभाष्य के रचयिता आर्य गन्धहस्ती ने आर्य स्कन्दिल के अनुरोध पर द्वादशांग पर विवरण लिखा, जो आज अप्राप्य है। आगम-महोदधि मुनि पुण्यविजयजी के अनुसार आचारांग का विवरण सम्भवतः विक्रम के दो शतक बाद लिखा गया। विवरण वस्तुतः संस्कृत-टीका का ही एक रूप है। इस प्रकार टीकाओं की रचना का क्रम एक प्रकार से बहुत पहले ही चालू हो चुका था।

प्रमुख टीकाकार

आचार्य हरिभद्र सूरि

जैन जगत् के महान् विद्वान्, अध्यात्म-योगी आचार्य हरिभद्र सूरि का आगम-टीकाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका समय आठवीं ई० शती माना जाता है। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोग-द्वार तथा प्रज्ञापना पर टीकाओं की रचना की। टीकाओं में उनकी विद्वत्ता तथा गहन अध्ययन का स्पष्ट दर्शन होता है। टीकाओं में कथा-भाग को उन्होंने प्राकृत में ही यथावत् उपस्थित किया। इस परम्परा का कतिपय उत्तरवर्ती टीकाकारों ने भी अनुसरण किया, जिनमें वादिबैताल शान्ति सूरि, नेमिचन्द्र सूरि तथा आचार्य मलयगिरि आदि मुख्य हैं।

शीलाकाचार्य

शीलाकाचार्य ने द्वादशांग वाङ्मय के अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ आचारांग तथा सूत्रकृतांग पर टीकाओं की रचना की। इनमें जैन-तत्त्व-ज्ञान तथा आचार-क्रम से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित हुए हैं। शीलाकाचार्य का समय लगभग नवम ईसवी शती माना जाता है।

शान्त्याचार्य एवं नेमिचन्द्राचार्य

ईसा की ग्यारहवीं शती में वादिबैताल आचार्य शान्ति सूरि तथा आचार्य नेमिचन्द्र

सूरि नामक प्रमुख टीकाकार हुए। शान्ति सूरि ने उत्तराध्ययन पर पाइय या शिष्याहिता संज्ञक टीका की रचना की, वह उत्तराध्ययन-बृहद्-वृत्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेमि-चन्द्र सूरि ने इसी टीका को मुख्य आधार बना कर एक टीका की रचना की, जिसे उन्होंने सुख-बोध संज्ञा दी।

आचार्य शान्ति सूरि ने जहाँ प्राकृत-कथाओं को उद्धृत किया है, वहाँ 'ऐसा वृद्ध-सम्प्रदाय है' 'यों वृद्धावाद है', 'अस्य इस प्रकार कहते हैं' इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएँ की हैं, जो अनुसन्धितसुत्रों के लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनसे अनुमेय है कि प्राचीन काल से इन कथाओं की परम्परा चली आ रही थी। कथा-साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से इन कथाओं का निःसन्देह बड़ा महत्व है। पाइय तथा सुखबोधा संज्ञक टीकाओं में कुछ कथाएँ तो इतनी विस्तृत हो गयी हैं कि उनकी पृथक् स्वतन्त्र पुस्तक हो सकती है। ब्रह्मदत्त की कथाएँ इसी प्रकार की हैं।

आचार्य अभयदेव प्रभृति उत्तरवर्ती टीकाकार

बारहवीं-तेरहवीं ई० शती में अनेक टीकाकार हुए, जिन्होंने टीकाओं के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्या-साहित्य का सर्जन किया। आचार्य अभयदेव सूरि ने स्थानांग, समवायांग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति, ज्ञानुधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरौपपातिकदशा, प्रश्न व्याकरण, तथा विपाक श्रुत; इन नौ अंग-ग्रन्थों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाओं की रचना की, जिनका जैन साहित्य में बड़ा समादृत स्थान है। नौ अंगों पर टीकाएँ रचने के कारण ये नवांगी टीकाकार के नाम से विश्रुत हैं। इनका समय बारहवीं ई० शताब्दी है।

बारहवीं-तेरहवीं शती के टीकाकारों में द्रोणाचार्य, मलधारि हेमचन्द्र, मलयगिरि एवं क्षेमकीर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सोलहवीं शती के अन्तिम भाग में हुए शान्ति-चन्द्र भी विश्रुत टीकाकार थे।

विशेषता : महत्व

टीकाओं ने आगम-गत निगूढ तत्वों की अभिव्यक्ति और विश्लेषण का तो महत्वपूर्ण कार्य किया ही, एक बहुत बड़ी साहित्यिक निधि भी प्रस्तुत की, जिसका असाधारण महत्व है। विद्वान् टीकाकारों ने मानव-जीवन के विभिन्न अंगों और पहलुओं का जो विवेचन-विश्लेषण किया, वह मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक आदि अनेक पहलुओं का मार्मिक संस्पर्श लिये हुए है।

यह विशाल वाङ्मय उत्तरवर्ती साहित्य के सर्जन में निःसन्देह बड़ा उपजीवक एवं प्रेरक रहा । फलतः जैन-वाङ्मय का स्रोत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अन्यान्य लोक-भाषाओं का माध्यम लिये उत्तरोत्तर फलवित, पुष्पित एवं विकसित होता गया । इतना ही नहीं, जैन-साहित्य की भी अनेक विधाएं इससे प्रभावित तथा अनुप्राणित हुईं, जो स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है ।



: ६ :

शौरसेनी प्राकृत और उसका वाङ्मय

(Shouraseni Prakrita and its Cononical Liturature)

प्रस्तुत प्रकरण

पिछले पृष्ठों में जिन अर्द्ध मागधी आगमों का विवेचन उपस्थित किया गया है, वहां ऐसा भी संकेत किया गया है कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में वे प्रामाणिक रूप में स्वीकृत नहीं हैं। दिगम्बरों के अनुसार भगवद्-उद्गीर्ण, गरुधर-प्रथित आगमों (द्वादशांगों) का विच्छेद हो गया।

दिगम्बर-सम्प्रदाय में जो ग्रन्थ आगमवत् प्रमाणभूत माने जाते हैं, जिनकी रचना शौरसेनी प्राकृत में हुई, के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरण में विस्तार से चर्चा की जायेगी; क्योंकि प्राकृत वाङ्मय में उनका अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत विषय के सन्दर्भ में ऐसा अपेक्षित प्रतीत होता है कि जैन परम्परा दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दो धाराओं में किस प्रकार विभक्त हुई, इस पर भी कुछ चर्चा की जाये।

निह्नववाद

जैन परम्परा में कुछ एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने किसी एक विषय को लेकर प्रतिकूल सिद्धान्त स्थापित किये। उन्हें निह्नव कहा गया है। निह्नव का प्रयोग वहां तत्सिद्धान्त और तद्-व्यक्ति—दोनों अर्थों में होता रहा है।

निह्नव का अर्थ

निह्नव शब्द सामान्यतः गोपन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन परम्परा में यह शब्द एक विशेष अर्थ लिए हुए है। आवश्यक-निर्गुक्ति के एक व्याख्या-प्रसंग में आचार्य मलयगिरि ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है : जो अभिनिवेश—आसक्ति या आग्रह के कारण तीर्थंकर-भाषित अर्थ का अपलपन करते हैं, वे निह्नव कहे जाते हैं; क्योंकि वे सूत्रों के अर्थ का अपलाप या प्रतिकूल प्रतिपादन करते हैं। कहा गया है—जो सूत्र में कहे गये एक भी अक्षर के प्रति अरुचिशील या निष्ठारहित हो जाता है, वह मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि तीर्थंकर-प्ररूपित सूत्र ही हमारा प्रमाण है।

ये निह्वव अंशतः विसंवादी होते हैं। बाह्य वेष-भूषा में इनका (जैन श्रमणों से) भेद नहीं होता।

इसी प्रसंग में बोटिक निह्वव का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि वे (बोटिक) सर्वविसंवादी अर्थात् लगभग सभी विषयों में विपरीत मत लिए हुए हैं।^१

सारांश

इस व्याख्या से स्पष्ट है कि श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार जैन परम्परा में समय-समय पर कुछ ऐसे विद्रोही होते रहे हैं, जिनका सिद्धान्त के किसी विशेष पहलू पर मतभेद हुआ। उन्होंने अपने मतवाद का प्रसार किया। उनका अपना सम्प्रदाय बना। इनका स्व-स्व-गृहीत पक्षों के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी बातों में जैन सिद्धान्त से ऐकमत्य था। वेष-भूषा में भी इनमें जैन श्रमणों से अन्तर नहीं था। यही कारण है, इन्हें जैन परम्परा के सर्वथा बहिर्भूत न मानकर निह्वव अर्थात् अपलापी की संज्ञा दी गई है। बोटिक की अभिधा से दिगम्बर भी वहाँ संकेतित हैं, जिनकी यथाप्रसंग विशद चर्चा की जायेगी।

स्थानांग तथा आवश्यक-नियुक्ति में उल्लेख

स्थानांग सूत्र के सप्तम स्थान में सात निह्ववों का उल्लेख हुआ है।^२ आवश्यक नियुक्ति में उसी विषय को कुछ विस्तार से उपस्थित किया गया है। उसके अनुसार

१. तीर्थंकर भाषितमर्थमभि निवेशात् निह्ववते-प्रपञ्चतोऽपलपन्तीति निह्वनवाः, एते च मिथ्यादृष्टयः सूत्रोक्तार्थापलपनात् उक्तं च—

“सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनाभिहितम् ॥”

खल्विति विशेषणं, किं विशिनष्टि ? एते साक्षादुपात्ता उपलक्षणसूत्रिताश्च देशविसंवादिनो द्रव्यालिंगेनाभेदिनो निह्वनवाः, बोटिकास्तु वक्ष्यमाणाः सर्वविसंवादिनो द्रव्यालिंगतोऽपि भिन्ना निह्वनवा इति तीर्थे यद्वैमानस्य।

—आवश्यक-नियुक्ति की ७७८वीं गाथा पर वृत्ति

२. समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवयण-निह्ववा पञ्चता—१. बहुरया, २. जीवपएसिया, ३. अब्वत्तिया, ४. सामुच्छेइया, ५. दोकिरिया, ६. तेरासिया, ७. अबद्धिया। एएसिणं सत्तण्हं पवयणनिह्वणं सत्त धम्मायरिया होत्था—जमाली, तीसगुत्ते, आसाढे, आसमित्ते, गंगे, छल्लुए गोट्टामाहिले। एएसिणं सत्तण्हं पवयणनिह्व-

भगवान् महावीर के तीर्थ में बहुरतवाद, जीव-प्रदेशवाद, अव्यक्तवाद, सामुच्छेदवाद, द्वैक्रियवाद, त्रैराशिकवाद तथा अबद्धिकवाद; यों सात प्रकार का निह्ववमत प्रवृत्त हुआ। बहुरतवाद का जमालि से, जीवप्रदेशवाद का तिष्यगुप्त से, अव्यक्तवाद का आसाढ से, समुच्छेदवाद का अश्वमित्र से, द्वैक्रियवाद का गंग से, त्रैराशिकवाद का षडुलूक (रोहगुप्त) से तथा अबद्धिकवाद का गोष्ठामाहिल से उद्भव हुआ।

बहुरतवाद का उद्भव-स्थान श्रावस्ती, जीवप्रदेशवाद का ऋषभपुर, अव्यक्तवाद का श्वेतविका, समुच्छेदवाद का मिथिला, द्वैक्रियवाद का उल्लुकातीर, त्रैराशिकवाद का अन्त-रञ्जिका तथा अबद्धिकवाद का दशपुर था। इन सातों उद्भव स्थानों के अतिरिक्त बोटिक (दिगम्बर)-निह्व के उत्पत्ति-स्थान का भी वहां (मलयगिरि-वृत्ति में) जिक्र है।^१

गाणं सत्त उप्पलिनगरे होत्था—तं जहा—सावत्थी, उसभपुरं, सेयाविया, मिहिसा, उल्लुगातीरं, पुरिमंतरंजि, बसपुरं, निह्वउप्पलिनगराहं।

—स्थानांग सूत्र ७, पृ० ७०८-७०९

१. बहुरय-पएस-अव्यक्त-समुच्छ-बुग-तिग-अबद्धिआ चेव।

सत्ते ए निह्वगा खलु तित्थम्मि उ बद्धमाणस्स ॥

—गाथा ७७८

१. बहुरताः, २. जीवप्रदेशाः, ३. अव्यक्ताः (अव्यक्तमताः), ४. सामुच्छेदाः, ५. द्वैक्रियाः, ६. त्रैराशिकाः, ७. अबद्धिकाः। साम्प्रतं येम्म एते सल्ल उत्पन्नास्ताम् प्रतिपादयकाह—

बहुरय-जमालिपभवा जीवपएस य तीसगुत्ताओ।

अव्यक्ताऽऽसाढाओ सामुच्छेदाऽऽसमिसाओ ॥ ७७९ ॥

गंगाओ बोकिरिया छलुगा तेरासिआण उप्पत्ती।

थेरा य गुठ्ठमाहिल पुठ्ठमबद्धं पर्लवित्ति ॥ ७८० ॥

बहुरता जमालिप्रभवाः, जमालेराचार्यात् प्रभवो येषां ते तथाविधाः, जीवप्रदेशाः पुनस्तिष्यगुह्यावुत्पन्नाः, अव्यक्ता आषाढात् सामुच्छेदा अश्वमित्रात्, गंगात् द्वैक्रियाः, षडुलूकात् त्रैराशिकानामुत्पत्तिः।

साम्प्रतमेते निह्वनवा येषु स्थानेष्वुत्पन्नास्तानिप्रतिपादयकाह—

सावत्थी उसभपुरं सेअविआ मिहिल उल्लुगातीरं।

पुरिमंतरंजि बसपुर रहवीर पुरं च नयरहं ॥ ७८१ ॥

कौन-कौन से निह्नववाद कब-कब प्रवृत्त हुए, इस सम्बन्ध में वहाँ कहा गया है :
 “भगवान् महावीर के केवलज्ञान उत्पन्न होने के चवदह वर्ष बाद बहुरतवाद, सोलह वर्ष
 बाद जीवप्रदेशवाद, एकसौ चवदह वर्ष बाद अव्यक्तवाद, दोसौ बीस वर्ष बाद सामुच्छेद-
 वाद, दोसौ अष्टाईस वर्ष बाद द्वैश्विगवाद, पांचसौ चवालीस वर्ष बाद त्रैराशिकवाद, पांचसौ
 चौरासी वर्ष बाद अबद्धिकवाद तथा छःसौ नौ वर्ष बाद बोटिकवाद उत्पन्न हुआ ।”^१

बोटिक निह्नव

श्वेताम्बरों के अनुसार सात के अतिरिक्त जो एक और निह्नव हुआ, वह बोटिक था ।
 पहले इंगित किया ही गया है, उक्त सात निह्नवों तथा बोटिक निह्नव में मुख्य भेद यह था

जमालिप्रभवानां निह्नवानामुत्पत्ति स्थानं श्रावस्ती, तिष्यगुप्तप्रभवानामृषभपुरम्,
 अध्यक्तमत्तानां श्वेतविका, सामुच्छेदानां मिथिला, द्वैक्रियाणामुल्लुकातीरम्, त्रैराशिकानां
 पुरमस्तरंजिका गोष्ठामाहिलस्य दशपुरम् सर्वापलापिनां बोटिकानां रथवीरपुरम्, बक्ष्य-
 माणानामपि बोटिकानामुत्पत्तिस्थानाभिधानं लाघवार्थम् । एतानि यथाक्रमं निह्नववा-
 नामुत्पत्तिस्थानानि-नगराणि ।

— आवश्यक-निर्युक्ति, मलयगिरि-वृत्ति

१. चउधस सोलस वासा, चउधस बीसुत्तरा य वुण्णि सया ।

अट्ठावीसा य कुवे, पंचेव सया य चोआला ॥ ७८२ ॥

पंचसया बुलसीआ, छच्चेव सया नबुत्तरा हुंति ।

नाणुप्पत्तीइ कुवे उप्पन्ना निव्वुए सेसा ॥ ७८३ ॥

भगवतो बद्धमानस्वामिनो ज्ञानोत्पत्तेरारभ्य यावच्चतुर्दशवर्षाणि अतिक्रान्तानि
 तावद्वैत्रान्तरे बहुरताः समुत्पेदिरे, एवं प्रतिपद्मक्षर गमनिका कार्या । भावार्थस्त्वयम्—
 ज्ञानोत्पत्तेरेवारभ्य षोडशवर्षात्पये जीवप्रदेशाः समुत्पन्नाः, भगवति निवृत्ते चतुर्दशोत्तर-
 वर्षशतातिक्रमे अव्यक्तमताः, विशत्युत्तर द्विवर्षशतातिक्रमे सामुच्छेदाः, अष्टाविंशत्युत्तर-
 द्विवर्षशतातिक्रमे द्वैक्रियाः, चतुश्चत्वारिंशदधिक पंचवर्षशतात्यये त्रैराशिकाः चतुर-
 क्षीत्यधिकपंचवर्षशतात्यये अबद्धिकाः, षट् चैव शतानि नवोत्तराणि बोटिकानाम् ।
 ‘नाणुप्पत्तीइ’ त्यादि, आधो द्वौ निह्नवौ जमालितिष्य गुप्ताभिधौ यथाक्रमं ज्ञानोत्पत्ते-
 रारभ्य चतुर्दशषोडशवर्षातिक्रमे जातौ शेषास्त्वव्यक्तादयो निवृत्ते भगवति यथोक्तकाला-
 तिक्रमे इति ।

— आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति

कि वे सात निह्णव तो किसी एक-एक विषय में विसंवाद या विपरीत मान्यता अपनाये हुए थे तथा बोटिक निह्णव का लगभग सभी विषयों में विसंवाद था। इसीलिए उसे उक्त सात निह्णवों से पृथक्-वत् गिना जाता रहा है। श्वेताम्बरों के अनुसार इसी बोटिक निह्णव से दिगम्बर मत का प्रादुर्भाव हुआ।

जिस प्रकार श्वेताम्बर दिगम्बरों की उत्पत्ति को विकृति-मूलक मानते हैं, दिगम्बर भी श्वेताम्बरों की उत्पत्ति को लगभग उसी कोटि में लेते हैं, जिसका यथाप्रसंग आगे उल्लेख किया जायेगा। लिखने का आशय यह है कि दोनों परम्पराएं अपने को मूल मानती हैं और एक दूसरी को उससे सिद्धान्त-च्युत होकर निकली हुई बताती हैं।

प्रस्तुत विषय पर समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन करने से पूर्व दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत अभिमत यहां उपस्थित किये जाते हैं।

श्वेताम्बर-मान्यता

आवश्यक-निर्बुक्ति में

आवश्यक-निर्बुक्ति में उद्धृत मूल पाठ की १४६ वीं गाथा के विश्लेषण के सन्दर्भ में यह प्रसंग आया है, जहां वृत्तिकार आचार्य मलयगिरि ने इस गाथा की व्याख्या करते हुए लिखा है : "रथवीरपुर नामक नगर में दीपक नामक उद्यान था। आर्य कृष्ण नामक आचार्य वहां पधारे। वहां आचार्य द्वारा की जा रही जिनकल्प सम्बन्धी प्ररूपणा के अवसर पर शिवभूति ने उपधि^१ के सम्बन्ध में उनसे पृच्छा की। आचार्य ने समाधान किया। पर, मिथ्यात्व के उदय से शिवभूति नहीं माना। जैन सिद्धान्त में उसे अश्रद्धा हो गई। उसने वस्त्र छोड़ दिये और उपाश्रम से बाहर चला गया। उत्तरा नामक उसकी बहिन (साध्वी) थी। वह अपने भाई (मुनि) को वन्दन करने उद्यान में आई। अपने भाई की वैसी (नग्न) अवस्था देख, उसके अनुराग (मोह) से उसने भी वस्त्र त्याग दिये। फिर वे दोनों भिक्षा के लिए नगर में गये। एक वेश्या ने उत्तरा को वैसी स्थिति में देखा। लोग जब स्त्रियों का ऐसा वीभत्स रूप देखेंगे, वे हमारे प्रति विरक्त होंगे, यह सोचकर उस वेश्या ने उसे वस्त्र पहना दिये। उत्तरा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने पुनः वस्त्र हटा दिये। तब उस वेश्या ने उसके वक्ष तथा कटि प्रदेश में एक-एक वस्त्र लगा दिया। जब वह उन्हें भी हटाने लगी,

तो उसके भाई ने उसे देखा और कहा—रहने दो, इसे देव-प्रदत्त जानो ।^१

वृत्तिकार आचार्य मलयगिरि ने इसे और स्पष्ट करते हुए मूल भाष्य की १४७ वीं तथा १४८ वीं गाथा की व्याख्या में कहा है कि इस प्रकार शिवभूति और उत्तरा ने मिथ्या-दर्शनमूलक बोटिक मत का रथवीरपुर में अपनी तर्क-बुद्धि द्वारा प्रणयन किया । सार रूप में कहा जाये तो बोटिक-लिंग—दिगम्बर-मत की उत्पत्ति का मूल शिवभूति है । शिवभूति के शिष्य कौण्डिन्य तथा कोट्टवीर से यह परम्परा आगे चली ।^२

१. रथवीरपुरं नगरं दीवगमुज्जाणमज्जकण्हे य ।

सिवभूइस्सुवहिम्मी पुच्छा थेराण कहणा य ॥ १४६ ॥ (मूल भाष्य)

रथवीरपुरे नगरे दीपकं नाम उद्यानम्, तत्र आर्यकृष्णो नामाचार्यः समवसृतः, तत्र शिवभूतेजिनकल्पिकप्ररूपणावसरे उपधौ पृच्छा, स्थविराणां च आर्यकृष्णानां कथनेति गाथासंक्षेपार्थः, भावार्थः प्रागेवोक्तः । स च शिवभूतिस्तथा स्थविरैः प्रज्ञाप्यमानोऽपि निभ्यात्वोक्त्यात् कुलिङ्गभावो जिनमतमश्वधानश्चीवराणि परित्यज्योपाश्रयाद्विनिर्गतः । तस्योत्तरा भगिनी, सा उद्याने स्थितं वन्दितुमागता, तं च तथाभूतं दृष्ट्वा तयाऽपि चीवराणि तदनुरागेण परित्यक्तानि । ततो द्वावपि तौ भिक्षार्थं प्रविष्टौ । गणिकया च तदवस्था दृष्टा । साऽचिन्तयत्—तूनमेवं स्त्रीणां बीभत्सं रूपं दृष्ट्वा लोकोऽस्माकं विरक्तो भविष्यतीति । ततस्तया सा परिपूर्णं परिधापिता । सा नेच्छदिति मुक्तयती । ततो बलावपि तस्या उरसि कटिप्रदेशे चैकं वस्त्रं सन्दधे । तदपि त्यजन्ती धात्रा कथमपि दृष्ट्वा भणिता—तिष्ठत्वेतत्तव देवतया दत्तम्, ... ।

—आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि-वृत्ति

२. ऊह्या पन्नत्तं, बोडिअ सिवभूइउत्तराहिं इमं ।

मिच्छादंसणमिणमो, रथवीरपुरे समुप्पन्नं ॥ १४७ ॥ (मूल भाष्य)

ऊह्या—स्वतर्कबुद्ध्या प्रज्ञप्तम्—प्रणीतं बोटिकं शिवभूत्युत्तराभ्याम् । 'इणमोत्ति' एतच्च मिथ्यादर्शनं क्षेत्रतो रथवीरपुरे समुत्पन्नम् ।

बोडिअसिवभूइओ बोडिअलिंगस्स होइ उप्पत्ती ।

कोडिअकुट्टवीरा परंपराफासमुप्पन्ना ॥ १४८ ॥ (मूल भाष्य)

बोटिकशिवभूतेः सकाशात् बोटिकलिङ्गस्य—बोटिकदृष्टेर्भवत्युत्पत्तिः । वर्तमान-निर्देशप्रयोजनं प्राग्वत्, पाठान्तरं वा बोडिअलिंगस्स आसि उप्पत्ती । तत् कौण्डिन्यश्च कोट्टवीरश्च कौण्डिन्यकोट्टवीरं समाहारो द्वन्द्वस्ततः परम्परा-स्पर्शम्-आचार्यशिष्य-सम्बन्धलक्षणमधिकृत्योत्पन्ना—सञ्जाता बोटिकदृष्टिरिति वाक्यशेषः ।

— आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति

विशेषावश्यक भाष्य में

विशेषावश्यक भाष्य में कहा गया है कि भगवान् महावीर सिद्धिगत होने के छःसौ नौ वर्ष बाद रथवीरपुर में बोटिक-दृष्टि—दिगम्बर-मत की उत्पत्ति हुई।^१ इसके बाद मूल भाष्य की वही दो गाथाएं दी गई हैं, जिनका उल्लेख आवश्यक-निर्गुण के उद्धरण के सन्दर्भ में हुआ है।

मलघारी हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत कथानक

विशेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मलघारी हेमचन्द्र ने शिवभूति की कथा का विस्तार से उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है : “एक बार की घटना है, रथवीरपुर नामक नगर में आर्य कृष्ण नामक आचार्य आये। उस नगर में शिवभूति नामक एक राज-सेवक था। उसका दूसरा नाम सहस्रमल्ल था। वह राजा का विशेष कृपा-पात्र था; अतः नगर में मोज-मजे करता घूमता रहता। दो पहर रात बीते अपने घर आता। नित्यप्रति उसका वैसा आचरण देख उसकी पत्नी बहुत दुःखित हुई। उसने एक दिन अपनी सास से, जिसका उसके प्रति बड़ा स्नेह था, कहा कि आपका पुत्र (मेरा पति) रात में कभी भी समय पर नहीं आता। उनकी प्रतिक्षा में मैं भोजन नहीं करती, जागती रहती हूँ। मैं बड़ी दुःखी हूँ। उसकी सास बोली—बेटी! यदि हर रोज ऐसा होता है, तो तुमने अब तक मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? खैर, चिन्ता मत करो। तुम आज सो जाओ। तुम्हारे बदले मैं जागूंगी और उस अविनीत लड़के को शिक्षा दूंगी।”

सास के कहने से बहू उस दिन सो गई और बुढ़िया जागती बैठी रही। दो पहर रात गये शिवभूति आया। उसने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई। माता क्रुद्ध हो उठी। वह रोषपूर्वक बोली—“उन्मार्गगामी! उद्धत लड़के! इतनी रात बीते नगर में भटक कर आये हो? इस समय जहां दरवाजा खुला हो, वहीं जाओ। मैं तुम्हें बुलाने तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, न तुम्हारे बिना मैं मर ही जाऊंगी।”

माता के ऐसे क्रोध और अहंकारपूर्ण वचन शिवभूति को बहुत बुरे लगे। वह माता से रुष्ट होकर वहीं से वापिस लौट गया। वह नगर में फिरने लगा। फिरते-फिरते उस

१. छब्बाससयाईं नवुत्तराईं तइआसिद्धि गयस्स धीरस्स ।

तो बोडियाण बिट्ठी रहवीर पुरे समुप्पणा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, २५५०

समय साधुओं का उपाश्रय खुला देखा। शिवभूति साधुओं के पास गया। उन्हें वन्दन कर संयम-व्रत ग्रहण कराने की अभ्यर्थना की। साधुओं ने उसका सारा वृत्तान्त सुना। यह जानकर कि यह राजा का प्रिय (कृपा-पात्र) है, माता आदि पारिवारिक जनों ने इसे उन्मुक्त नहीं किया है, उन्होंने उसे दीक्षा नहीं दी। इस पर सहस्रमल्ल (शिवभूति) ने वहां रखी राख ले स्वयं अपना केश-लुंचन कर डाला। यह देख मुनियों ने उसे साधु-वेश दे दिया।

अगले दिन वे सब मुनि अन्यत्र विहार कर गये। कुछ समय बीतने पर, ऐसा संयोग बना, वे पुनः उसी नगर में आये। उन सब के आगमन की बात सुनकर राजा ने मुनि शिवभूति को एक रत्न-कम्बल प्रदान किया; क्योंकि राजा का उससे अपूर्व स्नेह था।

आचार्य ने यह देखा। वे शिवभूति से बोले—मुने ! इस प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र साधुओं के लिए कल्प्य नहीं है। मार्ग आदि में इससे अनेक अनर्थ सम्भावित हैं; अतः इसे रखना उचित नहीं है। शिवभूति उस कम्बल पर आसक्त था; अतः गुरु के कथनोपरान्त भी उसने उसे छिपाकर रखा। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भिक्षा से आकर उसे सम्हालता। उसे कभी व्यवहार में नहीं लाता। गुरु ने जब उसका वैसा व्यवहार देखा, तो सोचा कि इसकी रत्न-कम्बल पर प्रगाढ़ मूर्च्छा हो गई है, उसे मिटाया जाना चाहिए।

आचार्य ने एक दिन, जब शिवभूति बाहर गया हुआ था, उस कम्बल के छोटे-छोटे टुकड़े करके प्रत्येक साधु को पेर पीछने के लिए एक-एक दे दिये। शिवभूति को यह सब ज्ञात हुआ तो उसके चित्त में बड़ा कषाय उत्पन्न हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं।

एक बार ऐसा प्रसंग बना, आचार्य आर्यकृष्ण उपधि - 'वभाग के अन्तर्गत जिनकल्प का वर्णन कर रहे थे। शिवभूति ने उस सन्दर्भ में पृच्छा की। आचार्य ने समाधान दिया। शिवभूति कषाय के आवेश में था, समाहित कैसे होता ?

प्रश्न : उत्तर : असमाधान

विशेषावश्यक भाष्यकार ने इस प्रसंग में जो लिखा है, वह इस प्रकार है : “शिवभूति ने आचार्य से पूछा—इस समय जिन-कला क्यों नहीं संभाव्य है ?”¹

१. उवहिविभागं सोउं सिवभूई अज्जकण्हगुरुमुले ।

जिनकप्पियाइयाणं भणइ गुरुं कीस नेयाणि ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, २५५३

गुरु ने कहा—“वह (भार्गव जम्भू के निर्वाण के साथ ही) आज व्युच्छिन्न है ।”

शिवभूति बोला—“जिन-कल्प का उच्छेद असम्बन्ध-दुर्बलचेता व्यक्ति के लिए हो सकता है । सामर्थ्यशाली पुरुष के लिए वह कैसे व्युच्छिन्न होगा ?”^१

बिना पूछे एक रत्न-कम्बल को फाड़ दिये जाने के कारण वह कषाय-कलुषित तो था ही, कहने लगा—“शास्त्र में (वस्त्रादि) परिग्रह के अनेक दोष कहे गये हैं, इसीलिए वहाँ अक्षरिग्रह का विधान है । वस्तुतः जिनकल्प ही आचरणीय है ।”

भुनि लज्जा, जुमुप्सा, शीतोष्णादि; इन तीनों स्थानों—अपेक्षाओं से निर्वस्त्रस्वरूप परिग्रह के विजेता होते हैं । फलतः वे वस्त्र धारण नहीं करते । वास्तव में अचलैकता—निर्वस्त्रता ही श्रेयस्कर है ।^२

गुरु ने कहा—“यदि (वस्त्रादि) परिग्रह कषाय का हेतु हैं तो यह देह भी तो कषाय आदि के उत्पन्न होने का कारण हो सकता है । जो कोई भी वस्तु कषाय का कारण बन सके, उसे तब क्यों धारण किये रहना चाहिए ? इतना ही नहीं, वैसा मान लेने पर धर्म भी नहीं अपनाया जा सकता ।”^३

१. जिणकप्पोऽणुचरिज्जइ वोच्छिन्नो त्ति भणिए पुणो भणइ ।

तदसत्तत्तोच्छिज्जज वोच्छिज्जइ कि समत्थस्स ॥ २५५४ ॥

—विशेषावश्यक भाष्य

२. पुब्बमणपुच्छ छिण्ण कंबलकसायकलुसिओ चेव ।

सो वेइ परिग्गहओ कसायमुच्छाभयाईया ॥ २५५५ ॥

वोसा जओ सुबहुया सुए य भणियमपरिग्गहत्तां ति ।

जमचेलो य जिणिवा तदभिहिओ जं च जिणकप्पो ॥ २५५६ ॥

जं च जियाचेलपरीसहो मुणी जं च तीहि ठारोहि ।

वत्थं धरेज्ज नेगंतओ तओऽचेलया सेया ॥ २५५७ ॥

—वही

३. गुहणाऽभिहिओ जइ जं कसायहेऊ परिग्गहो सो ते ।

तो सो वेहो च्चिय ते कसाय-उप्पत्ति-हेउत्ति ॥ २५५८ ॥

अत्थि व किं किंचि जए जस्स व तस्स व कसायवीयं जं ।

वत्थुं न होउज एवं धम्मोऽवि तुमे न धेतव्वो ॥ २५५९ ॥

—वही

जो जिन-शासन के प्रतिकूल हैं, उनके लिए धर्म, धर्म-परायण साधु तथा जिन-मत (द्वादशांगारमक) — जैन सिद्धान्त — ये सब कषाय के निमित्त हो सकते हैं । गौशालक, संगम आदि के लिए भगवान् महावीर भी कषाय के निमित्त हो गये थे; अतः शरीर आदि पदार्थ मोक्ष-साधन की मति से प्रयुक्त होने के कारण परिग्रह नहीं कहे जा सकते । उसी प्रकार वस्त्र आदि भी मोक्ष-साधन की बुद्धि से विधिवत् परिग्रहीत हों तो परिग्रह कैसे माने जा सकते हैं ?”^१

“बहुत प्रकार से शिवभूति को समझाया गया, पर मिथ्यात्व के उदय से उसका चित्त आकुल — अस्थिर था । जिन-मत में उसकी श्रद्धा नहीं टिकी । उसने वस्त्रों का परित्याग कर दिया । उसके अनुराग से उसकी वहिन (उत्तरा नामक साध्वी) ने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया । एक गणिका ने जब उसे उस रूप में देखा तो उसे वस्त्र पहना दिये, पर उसने पुनः उन्हें उतार दिया । फिर उस वैश्या ने उसके वक्ष-स्थल पर एक वस्त्र बांध दिया । उसे भी वह छोड़ने लगी तो उसके भाई शिवभूति ने कहा — खैर, इसे रहने दो । तब वह उसे धारण किये रही ।

शिवभूति ने कौण्डिन्य और कोट्टवीर नामक दो शिष्यों को प्रसृजित किया । उनसे उसकी उत्तरवर्ती परम्परा चली ।”^२

१. जेण कसाय निमित्तं जिणोऽवि गोसालसंगमाईणं ।

धम्मो धम्मपराऽवि य पडिणीयाणं जिणमयं च ॥ २५६० ॥

अहं ते न मोक्खसाहणमईए गंथो कसायहेऊ, वि ।

वत्थाइ मोक्खसाहणमईए सुद्धं कहं गंथो ॥ २५६१ ॥

—विशेषावश्यक भाष्य

२. इय पण्णविओऽवि बहं सो मिच्छत्तोदयाकुलियभावे ।

जिणमयमसइहंतो छडियवत्थो समुज्जाओ ॥ २६०६ ॥

तस्स भगिणो समुज्जियवत्था तह चेव तवयुराणेणं ।

संपत्थिया नियत्था तो गणिथाए पुणो मुयइ ॥ २६०७ ॥

तीए पुणोऽवि बद्धोरसेणवत्था पुगो विछडुत्ती ।

अच्छउ ते तेणं चिय समण्णुणाया धरेसी य ॥ २६०८ ॥

कोडिन्नकोट्टवीरे पब्बावेसी य दोण्णि सो सीसे ।

तत्तो परंपराफासओऽवसेसा समुप्पन्ना ॥ २६०९ ॥

—वही

उपसंहार

श्वेताम्बर-परम्परा में दिगम्बरों के सम्बन्ध में प्रायः सर्वत्र इसी कथानक का उल्लेख पाया जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्परा में श्वेताम्बरों के उद्भव के सम्बन्ध में कई कथानक प्रचलित हैं, जिनका आगे उल्लेख किया जायेगा ।

अवश्यक निर्युक्ति की वृत्ति में तथा विशेषत्वशयक भाष्य व वृत्ति में वर्णित कथानकों में संक्षेप, विस्तार के प्रतिरिक्त कोई खास अन्तर नहीं है । केवल इतना-सा है—मलयगिरि ने वेश्या द्वारा दूसरी बार साध्वी उत्तरा के वक्ष तथा कटि, दोनों अंगों पर वस्त्र लपटायें आने का उल्लेख किया है । वहाँ कटि-प्रदेश अध्याहृत माना जा सकता है ।

उत्तरा के प्रसंग का निष्कर्ष यह रहा कि बोटिक-मत या तथाकथित दिगम्बर-मत में उस समय साध्वी या आधिका का स्वीकार तो हुआ, पर केवल एक या दो वस्त्रों के साथ । यदि वही परम्परा आगे बढ़ी तो फिर आधिका के लिए अधिक वस्त्र कैसे स्वीकार हुए । वस्तुतः ऐसे कथानक ऐतिहासिकता की कोटि में नहीं आते । वे बयों गढ़ लिए जाते हैं, इस सम्बन्ध में आगे यथाप्रसंग समीक्षा की जायेगी ।

दिगम्बर-मान्यता

दर्शनसार में उल्लेख

आचार्य देवसेन रचित दर्शनसार^१ दिगम्बर-सम्प्रदाय की एक मशहूर पुस्तक है । उसमें श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव का जो वर्णन किया गया है, वह इस प्रकार है :

“सम्राट् विक्रमादित्य के देहावसान के एकसौ छत्तीस वर्ष पश्चात् सौराष्ट्र के चलभी^२ नामक नगर में श्वेतपट—श्वेताम्बर संघ प्रादुर्भूत हुआ । श्री भद्रबाहु गणी के शिष्य शान्त्याचार्य थे । उनका जिनचन्द्र नामक शिष्य था । वह चारिण्य में शिथिल तथा दूषित

१. रचना-काल वि० सं० ९९०

२. गुजरात के पूर्व भाग में स्थित भाभा नगर के समीप यह प्राचीन नगर बसा हुआ था । प्राचीन काल में यह नगर अत्यन्त समृद्ध एवं विशाल था । ईसा की सातवीं शती में भारत में आये चीनी पर्यटक ह्वेन्त्संग ने अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया है । तब यह नगर सुन्दर रूप में विद्यमान था । कहा जाता है कि आज सौराष्ट्र का ‘बला’ ग्राम जहाँ है, वहाँ यह नगर अवस्थित था । श्वेताम्बर जैन आगमों का संकलन एवं सम्पादन वहीं हुआ ।

था । उसने इस—श्वेताम्बर मत का प्रवर्तन किया । उसने स्थापना की कि स्त्रियों को उसी भव (स्त्री-पर्याय) में मुक्ति हो सकती है । केवली कक्लाहार करते हैं और वे हरण भी होते हैं । सर्वस्व मति-श्रमण भी सिद्धत्व प्राप्त कर सकता है । उसने यह भी स्थापना की कि भगवान् महावीर का गर्भपिहार हुआ था (पहले वे ब्राह्मणी देवानन्द के गर्भ में आये थे और बाद में देव द्वारा क्षत्रियाणी शिशिला के गर्भ में प्रतिष्ठित किये गये) । जिन-सम्मत वेष के अतिरिक्त इतर वेष में भी मुक्ति हो सकती है । (मुनि द्वारा) प्रासुक—अश्वित्त भोजन सब कहीं से लिया जा सकता है । उसने और भी इस प्रकार के सिद्धान्तों को लेकर आगम-विरुद्ध मिथ्या-शास्त्रों की रचना की थी । वह मर कर प्रथम नरक में गया ।”

भाव-संग्रह के अनुसार श्वेताम्बर-उद्भव

दर्शनसार के रचयिता देवसेन के अतिरिक्त एक देवसेन और हैं, जिनका भाव-संग्रह नामक ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । उसमें श्वेताम्बर-संघ की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, वह इस प्रकार है :

“सम्राट् विक्रमादित्य के देहावसान के एकसौ छत्तीस वर्ष पश्चात् सौराष्ट्र प्रदेश के वलभी नामक नगर में श्वेतपट—श्वेताम्बर-संघ का प्रादुर्भाव हुआ ।^१ उज्जयिनि नगर में

१. छत्तीसे बरिससए विक्कमरायस्स वरणपत्तस्स ।

सोरट्ठे वलही ए उप्पणो सेवडो संघो ॥ ११ ॥

सिरिभट्टबाहु गणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ ।

तस्स य सीसो दुट्ठो जिणचंदो मंबचारित्तो ॥ १२ ॥

तेण कियं भयमेयं इत्थीणं अत्थि तस्मवे सोवलो ।

केवलणाणीण पुणो अट्ठखाणं तहा रौओ ॥ १३ ॥

अंबरसहिओ विजई सिज्झइ वीरस्स गम्भचारत्तं ।

परलिंगे वि य मुत्ती फासुयभोजं च सव्वत्थं । १४ ॥

अण्णं च एवमाइ आगमबुट्ठाइं भित्थसत्थाइं ।

विरइत्ता अप्पाणं परिठवियं पढमए णरए ॥ १५ ॥

—दर्शनसार (देवसेन)

२. छत्तीसे बरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरट्ठे उप्पणो सेवडसंघो हु वल्वहीए ॥ ५२ ॥

—भावसंग्रह

आचार्य भद्रबाहु अवस्थित थे । वे विस्मयात निमित्तवेत्ता थे । नैमित्तिके ज्ञान द्वारा उन्हें कुछ भयानक हुआ; अतः उन्होंने अपने श्रमण-संघ से कहा—“जब तक बारह वर्ष पूरे होंगे, यहां दुभिक्ष रहेगा । इसलिए मुनियों को चाहिए कि वे अपने-अपने संघ सहित देशान्तर चले जायें ।”^१

“आचार्य भद्रबाहु का यह वचन सुनकर सब संघनायक अपने-अपने संघों के साथ उन प्रदेशों की ओर विहार कर गये, जहां दुभिक्ष था ।”^२

“शान्ति नामक एक संघनायक अपने बहुत से शिष्यों के साथ सुरम्य सौराष्ट्र में स्थित जलभी नगर में आये ।”^३

“वहां चले तो गये, पर वहां भी दारुण तथा अत्यन्त घोर दुभिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई । यहां तक कि धुआ से पीड़ित दीन-जद भोजन किये हुए लोगों के उदर चीर-चीर कर वहां स्थित अन्न निकाल-निकाल कर खाने लगे ।”^४

“ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आचार्य शान्ति के सभी साधुओं ने बाध्य होकर कम्बल, दण्ड, तुम्बिका या लोकी का पात्र तथा देहावरण हेतु श्वेत वस्त्र धारण कर लिये ।”^५

१. आसी उज्जेणीयरे आयरियो भद्रबाहु नामेण ।
जाणिय सुणिमित्तघरो भणिओ संघो णिओ तेण ॥ ५३ ॥
होहइ इह दुभिक्षं बारहवरसाणि जाम पुणाणि ।
देसंतराए गच्छह णिय णिय संघेण संकुत्ता ॥ ५४ ॥
२. सोऊण इमं धयणं जाणावेसेहि गणहरा सव्वे ।
णिय-णिय-संघ-पउत्ता विहरिआ अत्थ सुभिक्षं ॥ ५५ ॥
३. एक्क पुण संति नामो संपत्तो जलही नाम णयरीए ।
बहुसीतसंपउत्तो विसए सोरट्टए रम्मे ॥ ५६ ॥
४. तत्थ वि गयस्स जायं दुभिक्षं दारुणं महाघोरं ।
जत्थ विचारिय उयरं खट्ठो रंकेहि कुहत्ति ॥ ५७ ॥
५. तं सहिऊण निमित्तं गहियं सव्वेहि कम्बलि दंडं ।
बुद्धिपत्तं च तहा पावत्थं सेयवत्थं च ॥ ५८ ॥

—सावसंगह

“उन्होंने श्रमणोचित आचार त्याग दिया । वे दीनता से भिक्षा लेने लगे । इच्छानुसार घरों में जा-जाकर, वहां बैठ-बैठकर भोजन करने लगे ।”^१ यों वर्तन करते हुए उनका कितनाक समय व्यतीत हो गया । दुर्भिक्ष मिटा, सुभिक्ष हुआ । तब आचार्य शान्ति ने संघ को आह्वान किया । सब को कहा—“ यह कुत्सित आचार त्याग दें । इसकी निन्दा व गद्दी करते हुए पश्चात्ताप—प्रायश्चित्त करें और पुनः मुनियों का शुद्ध चारित्र्य स्वीकार करें ।”^२

“यह मुन आचार्य शान्ति का प्रथम-प्रधान शिष्य बोला कि आज इस प्रकार का दुर्घर—अत्यन्त कठिन आचरण कौन निभा सकता है ? इसके अन्तर्गत उपवास, भोजन की अप्राप्ति, अन्यान्य दुःसह अन्तराय—विघ्न, एक स्थान, निर्वस्त्रत्व, शान्त भाव, ब्रह्मचर्य, भूमि-शयन, दो-दो महिनों के अन्तर से असह्य केश-सुचन तथा बाईस परिषद्—हम सबको स्वीकार करना बहुत कठिन है । हम लोगों ने इस समय जैसा जो आचरण स्वीकार कर रखा है, वह इस लोक में सुखप्रद है । इस दुःखम काल में उसे नहीं छोड़ा जा सकता ।”^३

१. चत्तं रिसि-आयरणं गहिया भिक्षा य बीणवित्तीए ।

उवविसिय जाइऊणं भुत्तं बसट्ठीसु इच्छाए ॥ ५९ ॥

२. एवं बट्ठं ताणं कित्तिथ कालम्मि चावि परियलिए ।

संजायं सुभिक्षं जंपइ ता संति आयरिओ ॥ ६० ॥

आकाहिऊण संघं मणियं छंडेह कुत्थियायरणं ।

णिविय गरहिय गिण्हह पुणरवि चरियं मुणिदाणं ॥ ६१ ॥

३. तं वयणं सोऊणं उत्तं सीसेण तत्थ पढमेण ।

को सक्कइ धारेउं एयं अइ दुद्धरायरणं ॥ ६२ ॥

उववासो य अलाभो अण्णे दुस्सहाइ अंतरायाइ ।

एकट्ठाणमचेलं अज्जायणं बंभचेरं च ॥ ६३ ॥

भूमीसयणं लोच्चे वे वे मासेहि असहिणिज्जो हु ।

बावीस परिसहाइ असहिणिज्जाइ निच्चं पि ॥ ६४ ॥

जं पुण संपइ गहियं एवं अम्हेहि किपि आयरणं ।

इह लोयसुवखयरणं ण छंडियो हु दुस्समे काले ॥ ६५ ॥

—भावसंग्रह

इस पर आचार्य शान्ति ने कहा कि इस प्रकार के चरित्र-भ्रष्ट जनों का जीवन इस लोक में किस काम का । वह तो जिन-मार्ग का दूषण एवं कलंक है । जिनेन्द्र देव ने निर्ग्रन्थ-प्रवचन — आर्हत्-दर्शन को परम श्रेष्ठ कहा है । उसे छोड़कर दूसरे मत का प्रवर्तन मिथ्यात्व है ।^१

“यह सब सुनकर आचार्य का प्रधान शिष्य रोष में आ गया । उसने एक लम्बा डण्डा लिया और स्थविर शान्ति आचार्य के मस्तक पर प्रहार किया । उसी चोट से स्थविर का देहान्त हो गया और वे एक व्यन्तर देव के रूप में उत्पन्न हुए ।”^२

“आचार्य शान्ति का वह (हत्यारा) प्रधान शिष्य संघ का अधिपति हो गया । वह इवेताम्बर बन गया, जो प्रकट रूप में पाखण्ड है । वह इस प्रकार के धर्म का आख्यान करने लगा कि सग्न्य—वस्त्र, पात्र आदि परिग्रह धारण करने वाला भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है ।”^३

“उसने एवं उसके अनुसर्तियों ने ऐसे-ऐसे शास्त्रों की रचना की, जो उन द्वारा अपनाये गये पाखण्डों के अनुरूप थे । वे लोगों में उनकी व्याख्या करते हुए उस प्रकार के आचरण का प्रसार करने लगे । वे निर्ग्रन्थ-मार्ग पर दोष लगाते, उसकी निन्दा करते, मूढ़ जनों से माया, छलना या प्रवचना द्वारा बहुत-सा द्रव्य प्राप्त करते ।”^४

१. ता संतिणा पउत्तं चरियपभट्ठेहि जीवियं लोए ।

एयं ण ह्व मुन्दरयं दूसनयं जइणमगास्त ॥ ६६ ॥

णिग्गंयं पठवयणं जिणवरणाहेण अक्खियं परमं ।

तं छंडिऊण अण्णं पवत्तमाणेण मिच्छत्तं ॥ ६७ ॥

२. ता रूसिऊण प्हओ सीसे सीसेण दीहदंडेण ।

थविरो धाएण मुओ जाओ सो वितरो देवो ॥ ६८ ॥

३. इयरो संघाहिवइ पयडिअ पासंड सेवडो जाओ ।

अक्खइ लोए धम्मं सग्गंयं अत्थि णिव्वाणं ॥ ६९ ॥

४. सत्थाइ विरइयाइं णियणियपासंडगहियसरिसाइं ।

वक्खाणिऊण लोए पवत्तिओ तारिसायरणो ॥ ७० ॥

णिग्गंयं दूसित्ता णिदित्ता अप्पणं पसंसित्ता ।

जीवे मूढए लोए कयमाए गेहियं बहुदव्वं ॥ ७१ ॥

—भावसंग्रह

“आचार्य शान्ति का जीव, जो व्यन्तर-रूप में विद्यमान था, उनके लिए अनेक प्रकार का उपद्रव करने लगा। वह उनसे कहता—तुम लोगों को जैन धर्म प्राप्त है। तुम मिथ्यात्व के मार्ग पर मत चलो।

वैसे सुख-सुविधा पूर्ण आचार को छोड़ देना तो कहां शक्य था, पर वे बहुत भयभीत हो गये। वे उस व्यन्तर-देव की सब प्रकार के (पूजापेक्षित) द्रव्यों से अष्टविध पूजा करने लगे।

यों जिनचन्द्र ने तब जो पूजा की रचना की, वह आज भी प्रवृत्त है। सबसे पहले उसी व्यन्तर के नाम से पूजा की जाती है। वह व्यन्तर श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का पूजनीय कुल-देव है।^१ यह पथ-अष्ट श्वेताम्बरों की उत्पत्ति का वर्णन है।^२

सारांश

दर्शनसार तथा भावसंग्रह—दोनों के रचयिताओं का नाम देवसेन है, पर दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। दर्शनसार की ग्यारहवीं गाथा और भावसंग्रह की बावनवीं गाथा, जिनसे श्वेताम्बर मत के प्रादुर्भाव का वर्णन शुरू होता है, लगभग समान-सी हैं। गाथा के उत्तरार्द्ध के शब्दों के स्थानिक क्रम में थोड़ा-सा अन्तर है, स्वरूप में नहीं। नहीं कहा जा सकता, भावसंग्रहकार ने दर्शनसार से यह गाथा ली या दर्शनसार के लेखक ने भावसंग्रह लिखे। कुछ लोग कल्पना करते हैं, शायद भावसंग्रह से यह गाथा ली गई हो, तदनुसार भावसंग्रह सम्भवतः दर्शनसार से पूर्व-रचित हो। पर जैसा चाहिए, वैसा कोई ठोस, साधक प्रमाण प्राप्त नहीं है।

दोनों ग्रन्थों में वर्णित घटना-क्रम का उत्स भिन्न प्रतीत नहीं होता। दर्शनसार में

१. इयरो वितरदेवो संति लग्गो उवह्वं काउं ।

जंपइ मा मिच्छत्तं गच्छह सहिऊण जिणधम्मं ॥ ७२ ॥

भीएहि तस्स पूआ अट्टविहा सयलवत्थसंपुष्णा ।

जा जिणचंद-रइया सा अज्ज वि विणिग्गया तस्स ॥ ७३ ॥

अज्ज वि सा बलिपूया पढमयरं विति तस्स णामेण ।

सो कुलदेवो उत्तो सेवडसंधस्स पुज्जो सो ॥ ७४ ॥

२. इय उप्पत्ती कहिया सेवडयाणं च मग्गभट्टाणं ।

एच्चो उड्डं वोच्छं णिसुणह अण्णाणमिच्छत्तं ॥ ७५ ॥

—भावसंग्रह

बहुत संक्षेप में यह वर्णन हुआ है, जब कि भावसंग्रह में अपेक्षाकृत विस्तार के साथ। दोनों में भद्रबाहु, उनके शिष्य आचार्य शान्ति और प्रशिष्य जिनचन्द्र का समान रूप से नामोल्लेख है। वर्णनसार में भद्रबाहु प्रख्यात निमित्त-वेत्ता के रूप में वर्णित नहीं हैं, सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से वैसा किया गया हो।

वर्णनसार में सीधे जिनचन्द्र को शिथिल एवं दूषित आचारवान् कहकर उससे श्वेताम्बर-संघ के प्रादुर्भाव की बात कही गई है। वहाँ कोई विशद वर्णन नहीं है।

भावसंग्रह में दुष्काल की घटना, उसके फलित, साधुओं के शिथिलाचारी तथा सुविधावादी होने का उल्लेख करते हुए श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति का विवेचन किया गया है।

दोनों वर्णनों में समय का निर्देश स्पष्ट है। उनके अनुसार वि० सं० १३६, तदनुसार वीर-निर्वाण सं० ६०६ में श्वेताम्बर-संघ का उद्भव हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य भद्रबाहु ने वि० सं० १३६ से १२ वर्ष पूर्व अर्थात् वि० सं० १२४ तदनुसार वीर-निर्वाण सम्वत् ५९४ में सम्भवतः दुष्काल की घोषणा की होगी।

श्वेताम्बरों द्वारा स्वीकृत दिगम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति तथा दिगम्बरों द्वारा स्वीकृत श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के समय में केवल तीन वर्ष का अन्तर है। संघ-विभाजन की घटना को दिगम्बर तीन वर्ष पहले मानते हैं और श्वेताम्बर बाद में।

बृहत्कथाकोष का कथानक

हरिवंश-रचित^१ बृहत्कथाकोष में १३१ वें कथानक के अन्तर्गत श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु के वृत्तान्त के प्रसंग में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के उद्भव की चर्चा आई है। पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग बृहत्कथाकोष के अनुसार आचार्य भद्रबाहु के जीवन-वृत्त का उल्लेख किया गया है। आचार्य भद्रबाहु के उज्जयिनी जाने, भिक्षार्थ नगर में जाने पर शिशु द्वारा व्यक्त अपशकुन, आचार्य द्वारा भावी द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष की घोषणा, विशाखाचार्य के नेतृत्व में श्रमण-संघ के दक्षिण के पुत्राट देश में जाने, रामिल्ल, स्थूल-बुद्ध एवं भद्राचार्य के अपने-अपने संघों सहित सिन्धु देश में जाने, आचार्य भद्रबाहु द्वारा अवन्ती के भाद्रपद नामक उद्यान में समाधि-मरण प्राप्त करने, दुर्भिक्ष मिटने पर मुनि-संघ के वापिस लौटने आदि की वहाँ विशद चर्चा की गई है; अतः यहाँ उन्हें पुनरावृत्त करना अपेक्षित नहीं है। केवल विवेच्य विषय पर संकेत-मात्र किया जा रहा है।

इस कथानक के अनुसार विशाखाचार्य के दक्षिण से वापिस लौटने पर संघ-विभाजन का रूप सामने आता है। जैसा कि वहां लिखा है :

“रामिल्ल, स्थूलवृद्ध तथा भद्राचार्य—ये तीनों जो अत्यन्त वैराग्यवान् थे, विशाखा-चार्य के पास आये। उनके मन में भव-भ्रमण का त्रास परिब्याप्त था। उन्होंने तत्क्षण अर्द्ध-कर्पट का त्याग कर दिया तथा आत्म-बल संजोये निर्ग्रन्थ मुनियों का वेष स्वीकार कर लिया।

संसार-सागर के पार लगाने वाला गुरु-वचन जिन्हें नहीं रुचा, जिन्होंने मरमार्थ को नहीं समझा, उन्होंने जिन-कल्प तथा स्थविर-कल्प की द्विविध परिकल्पना की। वे अर्द्ध-फालक धारण किये रहे। उन कायर एवं आत्मबल-रहित व्यक्तियों ने इस तीर्थ—श्वेताम्बर-मत की स्थापना की।”^१

तार्त्पथ

बृहत्कथाकोषकार ने घटना को श्रुत-केवली भद्रबाहु से जोड़ने का प्रयत्न किया है। दिगम्बर-परम्परा के अनुसार श्रुत-केवली भद्रबाहु के स्वर्गवास का समय वीर-निर्वाण सम्वत् १६२ तथा श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार वीर-निर्वाण सम्वत् १७० माना जाता है। यदि श्रुत-केवली भद्रबाहु के समय की यह घटना मानी जाये तो संघ-विभाजन का काल बहुत पीछे चला जाता है। अर्थात् दर्शनसार तथा भावसंग्रह में निर्देशित समय (वीर निर्वाण ६०६) से लगभग साढ़े चार शताब्दियों का अन्तर पड़ता है। कुछ एक दिगम्बर परम्पराओं का और उल्लेख कर इस पर विचार करेंगे।

संघ-विभाजन : एक भिन्न परम्परा

पन्द्रहवीं शताब्दी^२ में रघु या रङ्घू नामक एक अपभ्रंश कवि हुए। वे परम्परया दिगम्बर

१. रामिल्लः स्थविरः स्थूल-भद्राचार्यस्त्रयोऽप्यमी।

महावैराग्यसंपन्ना विशाखाचार्य माययुः ॥ ६५ ॥

त्यक्त्वाऽर्द्धकर्पटं सद्यः संसारात् व्रस्तमानसाः।

नैर्ग्रन्थं हि तपः कृत्वा मुनि रूपं दधुस्त्रयः ॥ ६६ ॥

इष्टं न यैर्गुरोर्वाक्यं संसारार्णवतारकम्।

जिनस्थविरकल्पं च विधाय द्विविधं भुवि ॥ ६७ ॥

अर्द्धफालकसंयुक्तं मज्ञात परमार्थकैः।

संरिदं कल्पितं तीर्थं कातरैः शक्तिर्वर्जितैः ॥ ६८ ॥

—बृहत्कथाकोष

२. ई० सम्वत् १४३९

मत के अनुयायी थे। उन्होंने अरने द्वारा रचित महावीर-चरित नामक ग्रन्थ में इस प्रसंग को चर्चित किया है। उन्होंने प्रसंगोपात्ततया चाणक्य द्वारा चन्द्रगुप्त को सम्राट् के पद पर अधिष्ठित किये जाने के उल्लेख के साथ-साथ क्रमशः चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिन्दुसार, अशोक और कुणाल का वर्णन किया है। ईर्ष्यालु विमाता द्वारा छल से कुणाल को अन्धा कर दिये जाने की भी वहाँ चर्चा है। कुणाल के पुत्र का नाम रद्धू ने चन्द्रगुप्ति लिखा है। ऐसी सम्भावना की जाती है कि सम्प्रति का ही यह नामान्तर हो।

रद्धू ने लिखा है कि अशोक ने चन्द्रगुप्ति को बड़े उत्साह से राज्याभिषिक्त किया। चन्द्रगुप्ति (सम्प्रति) ने जैन धर्म के व्यापक प्रसार के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया।

इस घटना से आगे रद्धू श्रुत-केवली भद्रबाहु को जोड़ते हैं। चन्द्रगुप्त के नाम से जिन सोलह स्वप्नों की जैन साहित्य में खूब चर्चा है, रद्धू के अनुसार वे चन्द्रगुप्ति (सम्प्रति) के स्वप्न थे। आने वाले कुसमय को सोचकर वैराग्यपूर्वक चन्द्रगुप्ति आचार्य भद्रबाहु से दीक्षित हो जाता है। आगे का वर्णन लगभग बहुत कुछ पहले उद्धृत कथानकों जैसा ही है। शिशु द्वारा अपशकुन, बारह वर्षों के दारुण दुर्भिक्ष की घोषणा, साधु-संघ का दक्षिण जाना, आचार्य भद्रबाहु का दिवंगमन, स्थूलाचार्य आदि श्रमणों द्वारा वस्त्र, पात्र, दण्ड आदि धारण किया जाना, दुर्भिक्ष की समाप्ति के बाद साधु-संघ का मिलना, श्वेताम्बर-दिगम्बर के रूप में संघ का विभक्त होना, प्रभृति घटनाएँ वहाँ वर्णित हैं।

विश्वारशीय पहलू

महाकवि रद्धू ने श्रुत-केवली भद्रबाहु को जो चन्द्रगुप्ति या सम्प्रति के साथ जोड़ा है, वह संगत प्रतीत नहीं होता। धर्मघोषसूरि रचित दुःषमाकालभीश्रमणसंघस्तव के अनुसार भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर २१५ वर्ष तक नव नन्दों का राज्य रहा। तत्पश्चात् १०८ वर्ष तक मौर्यों का राज्य रहा। इस प्रकार यह समय वीर-निर्वाण संवत् ३२३ तक आता है। यदि श्रुत-केवली भद्रबाहु चन्द्रगुप्ति या सम्प्रति के समसामयिक होते तो इस काल-गणना के अनुसार उनका समय वीर-निर्वाण सम्वत् ३०० से पहले नहीं होता, कुछ बाद ही होता। ऐसा होने का अर्थ है, श्रुत-केवली भद्रबाहु विषयक दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों मान्यताओं का खण्डन, जिसके लिए कोई सबल, ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं है।

भद्रबाहु को लेकर जो समय सम्बन्धी विचिकित्सा देखने में आती है, उसका मुख्य कारण भद्रबाहु नाम के कई आचार्यों का होना है। इसका स्पष्टीकरण यथाप्रसंग आगे किया जायेगा।

आचार्य रत्ननन्दी का अभिमत

भावसंग्रह, बृहत्कथाकोष आदि में द्वादशवर्षीय दुष्काल की समाप्ति के अनन्तर मुनि-संघ के मिलने पर संघ-विभाजन होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वहीं से दिगम्बर-श्वेताम्बर की भेद-रेखाएं खचित हो जाती हैं ।

रत्ननन्दी^१ इस प्रसंग को कुछ और स्पष्ट करते हैं । उनके अनुसार दुर्भिक्ष के पश्चात् मुनि-संघ के मिलने पर निर्वस्त्रता और अर्द्धफालकता के आधार पर भेद पड़ता है । श्वेताम्बरत्व तब तक अस्तित्व में नहीं आता । इसके लिए रत्ननन्दी ने एक घटना और जोड़ी है, जिसे यहां उद्धृत किया जाता है ।

अर्द्धफालक मत से श्वेताम्बर

दुर्भिक्ष के अनन्तर संघ-भेद के समय अर्द्धफालक-संज्ञक जो वृत्तन मत उत्पन्न हो गया था, उसका आचार्य रत्ननन्दी इस प्रकार वर्णन करते हैं :

“वह विचित्र अर्द्धफालक मत का सहारा पाकर लोक में उसी प्रकार उभर आया, जिस प्रकार जल पर तैल उभर आता है ।

अर्द्धफालक मतानुगों ने जिनेन्द्र-वाणी की अन्यथा कल्पना की और उसके अनुसार वे अज्ञानी जनों को दुर्भाग्य में प्रवृत्त करने लगे ।

वे पाँचों इन्द्रियों के भोगों में आसक्त थे, निरंकुश थे । उन्होंने अपने लिए स्वयं व्रत गढ़े । अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें सूत्रों में ग्रथित कर डाला ।”

“यों अर्द्धफालक मत को चलते काफी समय व्यतीत हो गया । एक घटना है—उज्जयिनी में चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कीर्तिशाली चन्द्रकीर्ति नामक राजा था । उसकी

१. प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य भद्रबाहु के इतिवृत्त के सन्दर्भ में आचार्य रत्ननन्दी और उनके भद्रबाहुचरित्र का प्रसंग आया है ।

२. अतोऽर्द्धफालकं लोके व्यानसे मतमद्भुतम् ।

कलिकालक्षलं प्राप्य सलिले तैलबिन्दुवत् ॥

श्रीजिनेन्द्रचन्द्रस्य सूत्रं संकल्प्यतेऽन्यथा ।

वर्तयन्ति स्म दुर्भाग्ये जनान् मूढत्वमाश्रिताम् ॥

यथा स्वयं समारब्धं व्रतं पंचाक्षलोलुपैः ।

निरंकुशैस्तथा सूत्रे सूत्रितं निजबुद्धितः ॥

—भद्रबाहुचरित्र, परिच्छेद ४, श्लोक ३०-३२

महारानी का नाम चन्द्रश्री था । उनके एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम चन्द्रलेखा रखा गया ।

उस कन्या ने अर्द्धफालक मत के तथाकथित साधुओं से शास्त्र पढ़े । वह कन्या बुद्धि, रूप, लावण्य आदि अनेक गुण-युक्त थी ।^१

“सौराष्ट्र प्रदेश में बलभी नामक उत्तम नगर था । वहाँ प्रजापाल नामक नीतिज्ञ राजा था । उस राजा के तेज से उसके समस्त शत्रु परितप्त थे । उसकी महारानी का नाम प्रजावती था । वह उत्तम लक्षण-युक्त थी ।

उसके लोकपाल नामक पुत्र था । वह सौम्य गुणों से परिपूर्ण था । वह रूपवान्, सौभाग्यशाली तथा ज्ञान-विज्ञान का पारगामी था ।”^२

“राजा प्रजापाल ने उत्लासपूर्वक अपने पुत्र के लिए राजा चन्द्रकीर्ति से उसकी उज्ज्वल गुण-युक्त पुत्री चन्द्रलेखा की मांग की । राजकुमार का उस नवयुवती राजकुमारी से विवाह हो गया । देवराज इन्द्र जिस प्रकार शची के साथ सुखोपभोग करता है, उसी प्रकार वह उसके साथ सांसारिक सुख भोगने लगा । यथाक्रम पिता का विशाल राज्य उसे प्राप्त हुआ ।

१. एवं बहुतरे काले व्यतिक्रान्तेऽभवत्पुरे ।

उज्जयिन्यां विशालाथश्चन्द्रवत् चन्द्रकीर्तिभाक् ॥

चन्द्रश्री धीरिवाक्याता तस्याप्रमहिषी शुभा ।

इम्यस्योश्चन्द्रलेखाख्या तयोर्जातात्मजा शुभा ॥

साऽभ्यासे मुनिमन्यानां शास्त्राणि समपीपठत् ।

विद्यक्षणाऽभवद्गुण-लावण्यादि गुणान्विता ॥

—भद्रबाहुचरित, परिच्छेद ४, श्लो० ३३-३५

२. सौराष्ट्रविजयेऽथास्ति बलभीपुरभुतम् ।

धरेशिता प्रजापाल-नाम्ना तत्र नयान्वितः ॥

निजप्रतापतापेन तापिताऽखिलशत्रवः ।

प्रजावती गिरा राज्ञी तस्याऽऽसीष्वाह लक्षणा ॥

लोकपालाभिधस्तो कस्तयोश्चाह गुणोऽभवत् ।

रूपसौभाग्यसम्पन्नो ज्ञानविज्ञानपारगः ॥

—बही, श्लो० ३६-३८

उसने चन्द्रलेखा को पटरानी बनाया ।”^१

“लोकपाल अपना नाम सार्थक करता हुआ अपने विशाल राज्य का पालन करने लगा । वह इतना प्रतापी था कि सब राजा उसके समक्ष नत थे । एक दिन महारानी ने, जब महाराज प्रसन्न थे, निवेदन किया—नाथ ! कान्यकुब्ज नामक नगर में हमारे गुरु रहते हैं । वे जगत्पूज्य हैं । आप अनुरोधपूर्वक उन्हें यहां आमंत्रित करें । राजा ने अपनी प्रियतमा का आग्रह मान लिया ।”^२

“राजा ने उन साधुओं को लाने के लिए अपने व्यक्तियों को वहां रवाना किया । वे वहां गये । वहां स्थित अर्द्धफालक मत के साधुओं की भक्तिपूर्वक बार-बार अभ्यर्थना की । तब जिनचन्द्र प्रभृति साधु बलभी नगर में आये ।

राजा ने साधु-संघ का आगमन सुना । राजा सामन्तवृन्द, मंत्रीगण तथा नागरिक जनों से परिवृत्त हो, विविध वाद्यों की भधुर ध्वनि से दिशाओं को परिव्याप्त करता हुआ यथाशीघ्र साधुओं को वन्दन करने गया ।”^३

१. प्रजापालः स्वपुत्राय चन्द्रकीर्तिनृपात्मजाम् ।

प्रमोदात् प्रार्थयामास चन्द्रलेखां गुणोज्ज्वलाम् ॥

उपयभ्य कुमारोऽसौ तां कन्यां नवयौवनाम् ।

बोभुजीति तथा भोगान् शच्येव मुरनायकः ॥

क्रमात् संप्राप्य पुण्येन प्राज्यं राज्यं पितुर्नुदा ।

अकार चन्द्रलेखां तां सदग्रमहिवीपदे ॥

—भद्रबाहुचरित्र, परिच्छेद ४, श्लो० ३९-४१

२. लोकपालो नृपः सार्थं कुर्वन्नामात्मनो भृशम् ।

विद्यस्ते विशदं राज्यं नतारोषमहीपतिः ॥

एकदाऽऽनन्वचित्तोऽसौ राज्ञ्या विज्ञापितो नृपः ।

नाथाऽस्मद्गुरवः सन्ति कान्यकुब्जाख्यपत्तने ॥

तानानायय वेगेन जगत्पूज्यान् मदाग्रहात् ।

प्रियाप्रियतया भूपस्तद्वचो मानयन् मुदा ॥

—वही, श्लोक ४२-४४

३. तांस्त्वापुं प्रेषयामास तत्रैवात्मीयसञ्जनाम् ।

अत्या नत्या भृशं अस्या गुर्वस्ते तत्र संस्थितान् ॥

“राजा ने दूर से ही साधुओं को देखा । वह सोचने लगा, यह कैसा निन्दनीय मत है, जो स्वयं ही अपनी विडम्बना कर रहा है । ऐसे साधु नहीं देखे जाते, जो नग्न भी हों और वस्त्र भी रखते हों । यह तो कोई नया मत दिखाई देता है । इनके पास जाना उचित नहीं है ।

राजा वहां से अपने महल में लौट आया । रानी ने तत्काल राजा के मन की बात भांप ली ।”^१

“रानी ने अत्यधिक भक्ति के कारण अपने गुरुओं के लिए वस्त्र भिजवाये । उन्होंने (साधुओं ने) रानी के कथनानुसार सहर्ष वस्त्र धारण कर लिये ।

तब राजा ने उनका भक्तिपूर्वक सम्मान तथा पूजन किया । स्त्रियों के प्रेम में आसक्त व्यक्ति क्या अकार्य नहीं करते ?

उन साधुओं ने तब जो वस्त्र धारण किये, वे श्वेत वर्ण के थे; अतः उस दिन से उनका मत अर्द्धफालक के स्थान पर ‘श्वेताम्बर’ नाम से विख्यात हो गया ।”^२

तैः समभ्यर्चिता भूयो विनयाद्द्वैफालकाः ।

जिनचन्द्रादयः प्रापुर्वसभीपुरभेदनम् ॥

आकष्याऽऽगमनं साधु-संघस्य धरणीश्वरः ।

बन्धितुं निःससाराशु परानन्दाधूतामितः ॥

तूर्यत्रिकवराराववधिरिकृतविङ्मुखम् ।

सामन्ताऽमात्यपौरस्य परिवार परिष्कृतः ॥

—भद्रबाहुचरित्र, परिच्छेद ४, श्लोक ४५-४८

१. विलोक्य दूरतः साधून् विस्मयादित्यचिन्तयन् ।

किमेतद्दर्शनं निन्द्य लोकेऽत्र स्वविडम्बकम् ॥

नग्न वस्त्रेण संविक्ता नेक्ष्यन्ते यत्र साधवः ।

गन्तुं न युज्यते नोऽत्र नूतनदर्शनवर्शनात् ॥

व्याधुदय भूपतिस्तस्मान्निजमन्त्रिणमेयिवात् ।

हात्वा राज्ञी नरेन्द्रस्य मानसं सहसा स्फुटम् ॥

—वही, श्लोक ४९-५१

२. गुरुणां गुरु भक्त्या सा प्राहिणोत्सिचयोच्चयम् ।

तैर्गृहीतानि वासांसि मुखा तानि तदुक्तिः ॥

“ इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के मरने के १३६ वर्ष पश्चात् श्वेताम्बर-सम्प्रदाय प्रकट हुआ। जिनचन्द्र इस सम्प्रदाय का प्रमुख था। उस मूढ़ ने जैनगम के प्रतिकूल—केवली कवलाहार करते हैं, स्त्रियों का उसी (स्त्री-) पर्याय में मोक्ष हो सकता है, खाद्य आदि परिग्रह-आसक्त साधुओं का भी मोक्ष होता है—जैसे सिद्धान्तों की रचना की।”^१

ऊहापोह

रत्ननन्दी के वर्णन से ऐसा प्रकट होता है कि दुर्भिक्ष के पश्चात् वस्त्र आदि धारण किये रहने पर जो साधु अड़िग रहे, उन्होंने वस्त्र तो धारण किया, पर बहुत कम। नग्नता ब्रह्मस्तुर कायम रही। वे केवल उत्तरीय या ऊपर ओढ़ी जाने वाली चद्दर लपेटे रहते थे। तभी तो बलभी-नरेश लोकपाल असमंजस में पड़ गया। लगता है, उसके मन में ऐसा ऊहापोह उत्पन्न हुआ होगा—यह कैसा मत है, ये साधु नग्न भी हैं और नाममात्र का वस्त्र भी धारण किये हुए हैं, अर्थात् न तो इनमें सर्वथा नग्नता है और न यथावत् सवस्त्रता ही।

रानी द्वारा भेजे गये श्वेत वस्त्र धारण कर लेने के बाद राजा साधुओं के प्रति श्रद्धालु हो जाता है, उनका स्वागत-सत्कार करता है। इससे स्पष्ट भ्रान्ति होता है कि राजा को वह (श्रद्धा) फालकतामय) वेष किसी भी परम्परा का प्रतीक या परिचायक नहीं लगा।

उपयुक्त विवेचन से यह भी अनुमान करना असंगत नहीं दीखता कि राजा के मन में नग्न और सवस्त्र दोनों प्रकार के साधुओं की कल्पना रही हो और वे श्रद्धा फालक

ततस्ते भूभृता भक्त्या पूजिता मानिता भृशम् ।

किमकार्यं कुर्वन्ति रामारागेण रञ्जिताः ॥

भूतानि श्वेतवासांसि तद्दिनात्समजायत ।

श्वेताम्बरमतं ख्यातं.....ततोऽर्द्धफालकात् ॥

—भद्रबाहुचरित्र, परिच्छेद ४, श्लोक ५५-५७

१. मृते विक्रमभूपाले षट्त्रिंशदधि शते ।

गतेऽब्दानामभूल्लोके मतं श्वेताम्बराभिधम् ॥

भुनक्ति केवलज्ञानी स्त्रीणां मोक्षोऽपि तद्भवः ।

साधूनां च ससङ्गानां गर्भापहरणादिकम् ॥

ईहागमसन्बोह-विपरीतं जिनोचितम् ।

अरीरक्षत्स मूढात्मा जिनचन्द्रो गणाप्रणी ॥

—बह्वी, श्लोक ५२-५४

साधु उसे दोनों ही परस्परार्थों से मिलते न लगे हों। राजा का यदि केवल नाशय के प्रति आदर एवं श्रद्धा-भाव होता तो श्वेत वस्त्र धारण कर लेने पर राजा ने जो स्वागत-सत्कार किया, वैसा नहीं बनता।

यद्यपि रत्नमन्दी ने एक वाक्य से अपना बचाव तो किया है कि मारी-प्रेम में आसक्त व्यक्ति कौन-सा अनुचित कार्य नहीं कर सकता।¹ अर्थात् राजा ने उन श्वेत वस्त्र धारण किये हुए साधुओं का मान-सम्मान किया, उसका कारण अपनी महारानी को प्रसन्न करना था। पर, यह बात समीचीन एवं संगत प्रतीत नहीं; क्योंकि यदि केवल महारानी को ही प्रसन्न करना होता तो पहली बार राजा उन साधुओं के अर्द्धफालक-वेष को देखकर कल-राता नहीं।

रत्नमन्दी का भद्रबाहु-चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से वैसे कोई बहुत प्रामाणिक कृति नहीं मानी जाती; अतः उसमें व्यक्त किये गये तथ्यों पर और अधिक छानबीन की उतनी अपेक्षा नहीं है। रत्नमन्दी ने भी अपने कथानक का सम्बन्ध श्रुत-केवली भद्रबाहु के साथ जोड़ा है, पर विक्रमाब्द १३६ की श्रुत-केवली भद्रबाहु के काल के साथ कैसे संगति होगी ?

शकाधिक भद्रबाहु

दिगम्बर-परम्परा में श्वेताम्बर-मत के उद्भव के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य कथानक प्रचलित हैं, उनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। उनसे स्पष्ट है कि विभिन्न दिगम्बर लेखक उक्त प्रसंग में आचार्य भद्रबाहु का नाम लेते हैं, पर उनके समय को लेकर उनमें समन्वय नहीं है और न समय के सन्दर्भ में ऐतिहासिक इयत्ता की ओर उनका झुकाव ही दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रसंगों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के स्थान पर कथानक का काल्पनिक रूप अधिक सामने आता है। भद्रबाहु के समय को लेकर अस-संजस में पड़ जाने का एक कारण और है। वह है, भद्रबाहु नाम के कई आचार्यों का होना। स्थिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिए बिना चलने वाले लेखकों के लिए इससे भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है।

प्रस्तुत सन्दर्भ में यह उपयोगी होगा कि भद्रबाहु नाम से दिगम्बर एवं श्वेताम्बर-परम्परा में कितने-कितने और कौन-कौन आचार्य हुए, उनकी संक्षेप में चर्चा की जाये।

१. किमकार्यस कुर्वन्ति रामारामेण रञ्जिताः।

दिगम्बर-परम्परा में भद्रबाहु

दिगम्बर-साहित्य के परिशीलन से ज्ञात होता है कि इस परम्परा में भद्रबाहु नाम के कई आचार्य हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

प्रथम भद्रबाहु

श्रुत-केवली भद्रबाहु प्रथम भद्रबाहु थे, जिनके सम्बन्ध में पीछे यथावसंग प्रकाश डाला जा चुका है। तिलोयपण्णत्ती आदि ग्रन्थों के अनुसार उनके स्वर्गवास का समय बी० ति० सं० १६३ है। वे भगवान् महावीर के आठवें पट्टधर थे। दिगम्बर परम्परा में ये तथ्य प्रायः सर्वसम्मत हैं।

द्वितीय भद्रबाहु

तिलोयपण्णत्ती में श्रुत-ज्ञान के हीयमान-क्रम का वर्णन करते हुए, उन-उन श्रुतांगों के धारक आचार्यों का जो सूचन^१ किया गया है, उसके अनुसार सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु एवं लोहार्य—ये चार आचारांगधर कहे गये हैं।

१. (क) केवली—३	समय ६२ वर्ष
श्रुत-केवली—५	समय १०० वर्ष
दशपूर्वधर—११	समय १८३ वर्ष
एकादश अंगधर—५	समय २२० वर्ष
आचारांगधर—४	समय ११८ वर्ष

कुल समय ६८३ वर्ष

एकादश अंगधर तक का समय ५६५ वर्ष

(ख) केवली—३

१. गौतम, २. सुधर्मा, ३. जम्बू

श्रुत-केवली—५

१. नन्दि, २. नन्दिमित्र, ३. अपराजित, ४. गोवर्द्धन, ५. भद्रबाहु

दशपूर्वधर—११

१. विशाख, २. प्रोष्ठिल, ३. क्षत्रिय, ४. जग, ५. नाग, ६. सिद्धार्थ,

७. धृतिषेण, ८. विजय, ९. बुद्धिल, १०. गंगदेव, ११. सुधर्म

एकादश अंगधर—५

१. नक्षत्र, २. जयपाल, ३. पाण्डु, ४. ध्रुवसेन, ५. कंस

आचारांगधर—४

१. सुभद्र, २. यशोभद्र, ३. यशोबाहु, ४. लोहार्य

तिलोयपण्णत्ती के अनुसार वीर-निर्वाण संवत् ५६५ तक एकादशांगधरों का अस्तित्व रहा। तत्पश्चात् केवल आचारांग के धारक हुए, जिनका समय तिलोयपण्णत्तीकार ने ११५ वर्ष का बतलाया है। यों आचारांगधरों का काल वीर-निर्वाण संवत् ५६५ तथा ६८३ के मध्य आता है अर्थात् इन ११८ वर्षों में सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु एवं लोहार्ध— ये चार आचार्य होते हैं।

इन चारों में तीसरे यशोभद्र द्विगम्बर-परम्परा में भद्रबाहु भी कहे जाते हैं। तन्दी-आम्नाय की प्राकृत-पट्टावलि में उन्हें यशोबाहु के स्थान पर भद्रबाहु कहा गया है। परन्तु इतना भ्रष्ट अवश्य है, तिलोयपण्णत्तीकार जहां उन्हें आचारांगधर के रूप में व्याख्यात करते हैं, इस पट्टावलि में उन्हें अष्टांगधर कहा गया है।^१ परन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए ये दो प्रकार के कथन हैं; क्योंकि तिलोयपण्णत्ती में जहां यशोबाहु सत्ताईसवें स्थान पर आते हैं, वहां इस पट्टावलि में भद्रबाहु भी सत्ताईसवें स्थान पर आते हैं। नन्दि-आम्नाय की इस पट्टावलि के कुछ विवेच्य विषय, जिनका आगे के प्रकरण से सम्बन्ध है, यथाप्रसंग स्पष्ट किये जायेंगे।

भद्रबाहुः गुप्तगुप्तिः चन्द्रगुप्तिः

नन्दीसंघ की संस्कृत-गुर्वावलि में आचार्य भद्रबाहु के पट्टधर गुप्तगुप्ति* का उल्लेख है। पूर्वापर प्रसंग के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि ये वही भद्रबाहु हैं, जिन्हें तिलोयपण्णत्ती में आचारांगधरों में यशोबाहु के नाम से अभिहित किया गया है।

१. सुभद्रं च जसोभद्रं भद्रबाहु कमेण च ।

लोहाचम्य मुणीसं च कहियं च जिणगमे ॥ १३ ॥

छह अट्टारहवासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाहं ।

इस णव अट्टंगधरा दुसबवीस सवेसु ॥ १४ ॥

—जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, सन् १९१३ में उद्धृत

२. श्रीमानशेषनरनायकवन्दितांघ्रिः,

भीगुप्तिगुप्त इति विभूतनामधेयः ।

यो भद्रबाहुमुनिपुंगवपट्टपद्मः,

सूर्यः स वो विशतु निर्मलसंघवृद्धिम् ॥ १ ॥

—वही, १, ४, पृ० ५१ पर उद्धृत

यहां एक बात विशेष रूप से विचारणीय है—जहां पीछे उल्लिखित कथानकों में आचार्य भद्रबाहु के साथ उज्जयिनी के राजा चन्द्रगुप्ति का जो नाम आया है, वह सम्भवतः गुप्तगुप्ति ही। गुर्वावलिकार ने गुप्तगुप्ति के लिए जो अशेषनरनायकवन्दिताधिः (जिनके धरण समस्त राज्ञ्य वर्ग से पूजित हैं) विशेषण दिया है, वह उनके राजत्व से भ्रमण-जीवन में ग्राम की ओर इंगित करता है। दोनों नामों के उत्तरार्द्ध में आये हुए गुप्ति शब्द से भी यह अनुमेय है कि जिसे चन्द्रगुप्ति के नाम से अभिहित किया गया है, वह शायद गुप्तगुप्ति ही हो। अतः पूर्वोक्त कथानकों का सम्बन्ध चन्द्रगुप्ति के बजाय गुप्तगुप्ति से माना जाये—यह भी गवेषणीय है। ऐसा लगता है कि मूल कथानक भ्रान्तिवश काल-क्रम से परिवर्द्धित एवं अतिरंजित होते हुए प्राप्त रूपों तक पहुंचे हों।

तृतीय भद्रबाहु

वीर-निर्वाण संवत् ६८३ में एकादशांग के विच्छेद होने के अनन्तर एक भद्रबाहु आचार्य और होते हैं, जो निमित्त-शास्त्र के महान् वेत्ता थे। पिछले कथानकों में भद्रबाहु को यत्र-तत्र जो महान् नैमित्तिक के रूप में उपस्थित किया गया है, वह भ्रमवश हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि विक्रमाब्द १३६ में घटित घटना से जिन भद्रबाहु का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, वे नैमित्तिक भद्रबाहु कैसे हो सकते हैं? तिलोपपण्णत्ती के अनुसार वे तो आचारांगधर थे और लोहाचार्य से पूर्ववर्ती थे। पर नाम साम्य से भ्रम पर भ्रम बढ़ते चले गये। संकेत किया ही गया है, इन कथानकों की रचना में ऐतिहासिकता की ओर कम-से-कम ध्यान रहा है।

श्वेताम्बर-परम्परा में भद्रबाहु : प्रथम

श्वेताम्बर-परम्परा में भी प्रथम भद्रबाहु वहीं हैं, जो श्रुत-केवली थे। उन्होंने छेद-सूत्रों की रचना की। उनके समय के सम्बन्ध में पीछे कहा गया है, वीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् वे दिवंगत हुए। आचार्य हेमचन्द्र ने भी परिशिष्ट पर्व में उनके दिवंगमन का यही समय सूचित किया है।^१

१. वीरमोक्षावर्धशते सप्तत्यग्रे गते सति ।

भद्रबाहुरपि स्वामी ययौ स्वयं समाधिना ॥

—परिशिष्ट पर्व, सर्ग ९, श्लोक ११२

द्वितीय भद्रबाहु

द्वितीय भद्रबाहु वे थे, जिन्होंने दश नियुक्तियों की रचना की, जो उपसर्ग-हर-स्तोत्र के रचयिता थे। वे भद्रबाहु संहिता के भी कर्ता माने जाते हैं। वे निमित्त-शास्त्र के महान् वेत्ता थे। अतएव वे नैमित्तिक भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह भी जन-श्रुति है कि महान् ज्योतिर्विद वराहमिहिर ने ब्रह्मसिद्धान्तिका के अन्त में जो सूचित किया है, वह बाङ्ग^१ संवत् ४२७ है। तदनुसार वराहमिहिर का समय विक्रम संवत् ५६२ (वीर-निर्वाण संवत् १०३२) होता है। ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के भाई होने की जन-श्रुति को यदि मान्य किया जाये तो इन नैमित्तिक भद्रबाहु का समय भी इसी के आस-पास होना चाहिए।

श्वेताम्बर-परम्परा में दिगम्बर-मत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित कथानक का भद्रबाहु के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रसंगोपात् होने से यहाँ भद्रबाहु के सम्बन्ध में श्वेताम्बर-मान्यता की दृष्टि से संकेत मात्र किया गया है।

आचार्य भद्रबाहु : कुछ ऐतिहासिक तथ्य

इतिहास का एक उलका हुआ पहलू है—श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त मौर्य की समसामयिकता। दोनों को कुछ विद्वान् समसामयिक कहते हैं। इस संदर्भ में श्वेताम्बर जैन बाङ्गमय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं, जिनकी यहाँ चर्चा उपयोगी होगी।

तित्थोगालीपइत्ता

तित्थोगालीपइत्ता में लिखा है कि तीर्थंकर महावीर जिस रात को मुक्तिगामी हुए, उसी रात को अश्वत्थी में पालक का राज्याभिषेक हुआ। पालक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। उसके पश्चात् नन्दों का राज्य १५५ वर्ष तक चला। नन्द-राज्य के अनन्तर मौर्यों का राज्य आया, जिसकी अवस्थिति १०८ वर्ष तक रही। मौर्यों के बाद पुष्यमित्र का राज्य हुआ, जो ३० वर्ष तक चला।^१ इस काल-गणना के अनुसार मौर्यों के राज्य का आरम्भ वीर-निर्वाण संवत् २१५ में होता है।

१. सप्तशिववेदसंख्यं, शककालमपास्य चैत्रशुक्लाब्दो

अधस्तमिते भानौ, यवनपुरे सौम्यविवसाद्ये ॥

(सप्त = ७, अश्व = २, वेद = ४ अर्थात् ४२७)

२. जं रयणि कालगओ, अरिहा तित्थंयरो महावीरो ।

तं रयणिमधंतीए, अभिसित्तो पालओ राया ॥

३. षष्ठा कालश्रीश्रमशासंघस्तव की काल-गणना

आचार्य श्री धर्मघोष सूरि के दुःषमाकालश्रीश्रमणसंघस्तव के अनुसार भी काल-गणना इसी भांति है। उन्होंने भी पालक के ६० वर्ष, नन्दों के १५५ वर्ष, मौर्यों के १०८ वर्ष तथा पुष्यमित्र के राज्य के ३० वर्ष लिखे हैं।^१

राज्य-काल की यह गणना केन्द्रीय सत्ता की दृष्टि से की गई प्रतीत होती है। प्रद्युम्नि पालक अवन्ती का राजा था, पर आचार्य धर्मघोष के अनुसार उदायी के निष्पुत्र मरने पर कोणिक—अजातशत्रु के पाटलिपुत्र^२-राज्य पर भी उसने अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह उत्तर भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आ गया था।

आचार्य श्री धर्मघोष सूरि ने किन-किन राज्यों के जैन धर्म के कौन-कौन संघाधिपति थे, यह भी संकेत किया है। उनके संघ-स्तव के उल्लेख के अनुसार पालक तथा नव नन्दों के राज्य के समय आचार्य जम्बू (चालीस + चार वर्ष), आचार्य प्रभव (ग्यारह वर्ष) आचार्य शय्यभव (तेबीस वर्ष), आचार्य यशोभद्र (पचास वर्ष), आचार्य सम्भूति विजय (आठ वर्ष), आचार्य भद्रबाहु (चवदह वर्ष) तथा आचार्य स्थूलभद्र (पैंतालीस वर्ष) संघ के अधिनायक थे। मौर्य-राज्य में इस स्तव के अनुसार आर्य महागिरि (तीस वर्ष), आर्य सुहस्ती (छियालीस वर्ष) तथा आचार्य गुणसुन्दर (बत्तीस वर्ष) जैन संघाधिपति रहे। आचार्य धर्मघोष सूरि ने राज्य के शासन-काल तथा संघनायकों के धर्म-शासन-काल को भी पूरा मिलाया है। इस काल-गणना के अनुसार भद्रबाहु नन्दों के राज्य-काल में होते हैं। आचार्य धर्मघोष सूरि ने नौ नन्दों में से प्रत्येक का अलग-अलग शासन-काल दिया है। तदनुसार सातवें नन्द तक

पालगरणो सद्दी, पणपणसयं वियाणि गंदाणं ।

मुरियाणमट्ठिसयं, तीसा पुण पुसमिस्तानं ॥

१. सिरिज्जिणनिट्वाणगमणरयणीए उज्जोणीए चंडपज्जोअमरशे पासओ राणा अहिस्सित्ति । तेण य अपुत्त उवाडमरशे कोणिअरज्जं पाडलिपुरं पि अहिट्ठियं । तस्स य वरिस ६० रज्जे—गोण १० सुहम्म ८, जंबू ४४, जुगप्पहाणा । पुणो पाडलिपुरे ११, १०, १३, २५-२५, ६, ६, ४, ५५ नव नंदा एवं वरिस १५५ रज्जे—जंबू शेष वर्षाणि ४, प्रभव ११, शय्यभव २३, यशोभद्र ५०, सम्भूतिविजय ८, भद्रबाहु १४, स्थूल ४५ एवं वीर निर्वाण २१५ । मौरिअरज्जं १०८ तत्र महागिरिः ३०, सुहस्ती ४६, गुणसुन्दर ३२, ... पुष्यमित्र ३० ।

२. यहाँ षष्ठ-राज्य से तात्पर्य है, जिसकी राजधानी उदायी के समय में पाटलिपुत्र थी।

वीर-निर्वाण के १५६ होते हैं। आचार्य भद्रबाहु का आचार्य-काल १४ वर्ष का है। १७० वीर-निर्वाणाब्द में वे स्वर्गवासी हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका चार वर्ष का प्रारम्भ का आचार्य-काल आठवें नन्द के राज्य-काल में रहा तथा आगे का दश वर्ष का आचार्य-काल नौवें नन्द के राज्य-काल में रहा। तत्पश्चात् उनके पद पर आचार्य स्थूलभद्र आते हैं, जो नवम नन्द के राज्य-काल के अन्त तक अर्थात् ४५ वर्ष तक धर्म-शासन के अधिपति रहते हैं।

वीर-निर्वाण सं० २१५ में नन्दों का राज्य समाप्त होता है, आचार्य स्थूलभद्र का स्वर्गवास होता है, चन्द्रगुप्त (चारुक्प की सहायता से) मौर्य-साम्राज्य की स्थापना करता है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त का समय आचार्य भद्रबाहु के ही नहीं, आचार्य स्थूलभद्र के भी पश्चात् सिद्ध होता है।

श्रान्ति का एक कारण

चन्द्रगुप्त को श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु का समसामयिक मानने की जो श्रान्ति पड़ी, उसका एक कारण आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व का वह उल्लेख है, जिसमें भगवान् महावीर के मुक्ति-लाभ के १५५ पश्चात् चन्द्रगुप्त के राजा होने का संकेत है।^१

उपरोक्त काल-क्रम के अनुसार वीर निर्वाण २१५ वर्ष तक तो नन्दों का राज्य चलता है। उस बीच वीर निर्वाण १५५ में चन्द्रगुप्त कैसे हुआ? पूर्व निर्दिष्ट काल-गणना श्वेताम्बर-परम्परा में बहुत प्रामाणिक मानी जाती है।

विद्वानों द्वारा ऊहापोह

अन्वेष्टा विद्वानों ने आचार्य हेमचन्द्र के उक्त उल्लेख पर बहुत ऊहापोह तथा विमर्षण—अन्वेष्टण किया है, पर, कोई ऐसा ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं मिल सका, जिससे आचार्य हेमचन्द्र का कथन सिद्ध होता हो। हिमवत् श्रृंगार में तो कुछ इस प्रकार का उल्लेख अवश्य है, जिसमें आचार्य हेमचन्द्र के कथन को कुछ सहारा मिलता है। वहाँ कहा गया है कि वीर निर्वाण १५४ में चन्द्रगुप्त मगध का राजा बना। वीर निर्वाण १७० में

१. एवं च श्रीमहावीर-मुक्तिर्वर्षशते गते ।

पञ्चपञ्चाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्नुपः ॥

आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गवास हुआ। वीर निर्वाण १८४ में चन्द्रगुप्त की मृत्यु हुई। पर तित्थयोगाली पइसा तथा दुःषमाकालश्रीश्रमणसंघस्तव की तुलना में हिमवत् येरावली की प्रामाणिकता संदिग्ध है।

गवेषक विद्वानों का ऐसा चिन्तन है कि आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का जो समय दिया है, वहाँ उन्हें काल-गणना में कुछ भ्रान्ति हुई है। वीर निर्वाण के पश्चात् ६० वर्ष तक जो पालक का राज्य रहा, सम्भवतः आचार्य हेमचन्द्र की गणना में वह छूट गया।¹ उन्होंने सीधे नव नन्दों के १५५ ले लिये और तदनुसार चन्द्रगुप्त के राज्याभिषिक्त होने का उल्लेख कर दिया।

सारांश

चन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर निर्वाण २१५ तदनुसार ३१२ ई० पूर्व में नन्द-वंश का विध्वंस कर राज्य प्राप्त किया। चन्द्रगुप्त के महान् पौत्र अशोक के राज्याभिषेक का समय ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट है, जो ई० पूर्व २६९ है। चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच ४३ वर्षों का शासन-काल आता है, जिसमें १८ वर्ष चन्द्रगुप्त ने राज्य किया तथा २५ वर्ष बिन्दुसार ने, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त का काल (राज्यारोहण वीर निर्वाण २१५ + राज्य-काल १८) = वीर निर्वाण २३३ में समाप्त होता है।

दुःषमाकालश्रीश्रमणसंघस्तव में मौर्य-राज्य में आचार्य महागिरि का संघाधिपत्य-काल ३० वर्ष बताया गया है। तदनुसार आचार्य महागिरि वीर निर्वाण संवत् २१५ से वीर निर्वाण संवत् २४५ तक संघाधिपति के पद पर रहते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन-काल इसी में आ जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य आचार्य महागिरि के समसामयिक थे, न कि आचार्य भद्रबाहु के।

दो दृष्टिकोश

पिछले पृष्ठों में दिगम्बर-ध्वेताम्बर के रूप में जैन श्रमण-संघ के विभक्त होने के सन्दर्भ में दोनों परम्पराओं के विचार, कथानक आदि उपस्थित किये गये हैं। जैसा कि बताया गया है, दोनों ओर के वर्णन आग्रह तथा अभिनिवेश से मुक्त नहीं है। अब हम इस सन्दर्भ में प्राप्त वाङ्मय के आधार पर समीक्षा की दृष्टि से कुछ और विचार करेंगे।

1. Hemchandra must have omitted by oversight to Count the Period of sixty years of Kinga Palaka after mahavira.

—Epitome of Jainism Appendix A, Page IV

दोनों ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में एक सबसे बड़ा भेद है। दिगम्बरों का एकान्त-रूप से यह कथन है कि मुनि-धर्म में निर्वस्त्रता सर्वथा अनिवार्य है। कोई एक धागा मात्र भी रख ले तो वह किसी भी स्थिति में मुनिपद का अधिकारी नहीं हो सकता; क्योंकि परिमाण में कितना ही क्यों न हो, वह परिग्रह है। इसके विपरीत श्वेताम्बर जिन-कल्प एवं स्थविर-कल्प के रूप में निर्वस्त्रता तथा सवस्त्रता—दोनों को स्वीकार करते हैं। अनासक्त भाव से विहित वस्त्र धारण किये रहने से मुनित्व व्याहत नहीं होता। उनके साहित्य में भी इस आशय के उल्लेख हैं, जिनके अनुसार विहित वस्त्र परिग्रह में नहीं आते। श्वेताम्बरों का यह पहलू काफी महत्वपूर्ण है। इस पर सूक्ष्म दृष्टि से परिशीलन तथा विमर्षण अपेक्षित है। श्वेताम्बर-ब्राह्मण-बोद्ध्मय में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख है, अंशतः उसे प्रस्तुत करते हुए यहां उस पर ऊहापोह किया जा रहा है।

आचारांग : अचेलकता : निर्वस्त्रता

आचारांग में बड़े उद्बोधक शब्दों में कहा गया है : “जो भिक्षु अचेलक होता है, उसे यह नहीं सोचना होता कि मेरा वस्त्र जीरा हो गया है, मैं वस्त्र की, धागे की, सूई की याचना करूं, वस्त्र यों सांधूं—जोड़ूं, सिलाई करूं, उसे बड़ा करूं, छोटा करूं, उसे पहनूं, ओढ़ूं। निर्वस्त्र भिक्षु के तृण, घास आदि तीक्ष्ण वस्तुओं के स्पर्श (आघात), शीत-स्पर्श, उष्ण-स्पर्श, डांस, मच्छर आदि कीटाणुओं द्वारा खुली देह पर दंश—इत्यादि और भी विविध प्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल परिषह होते हैं, जिन्हें वह लाघवपूर्वक—परवाह न करते हुए उपेक्षा भाव से सहन करता है तथा अपने तपस्वी जीवन को बढ़ाये चलता है।”^१

सूत्रकार के कथन के यहां दो दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं। पहला यह है कि जब कोई वस्तु रखी जाती है, तो उसके सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं। यदि वह वस्तु ही नहीं है तो तत्सम्बद्ध संकल्प-विकल्प उठने का

१. जे अचेले परिबुसए, तस्स णं भिक्खुस्स णो एवं भवइ-परिजिण्णे मे वत्थे, वत्थे जाइस्सामि, सुसं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, बोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि, पाउणिस्सामि। अबुवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण्णफासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेजफासा फुसंति, वंसमसणफासा फुसंति, एगयरे अण्णयरे विदवववे फासे अहिपासेति, अचेले लाघवं आगममारो, तवेसे अभिसमण्णागए भवति।

—आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अ० ६, उद्दे० ३, २-३

प्रश्न ही नहीं रहता । फलतः जो मुनि नम्र रहते हैं, उनके मन में वस्त्र के सम्बन्ध में कोई कल्पना ही नहीं उठेगी अर्थात् अचेलकता—निर्वस्त्रता की मुख्य उपयोगिता यह है कि उससे वस्त्र-संपृक्त आवश्यकताओं तथा तदुद्भूत चेष्टाओं का अवकाश ही नहीं रहता, जबकि सर्वस्व मुनि को, वस्त्रों में आसक्त न होते हुए भी आवश्यकता की दृष्टि से, जैसा कि सूत्रकार ने इंगित किया है, वैसा सोचना तो होता ही है ।

सूत्रकार का दूसरा आशय यह है कि परिषह-विजय और वैहिक-कष्ट सहन की दृष्टि से निर्वस्त्र मुनि से अधिक आशा की जाती है । खुली देह पर सहसा आ पड़ने वाले कष्टों को समभाव से, सहजता से सहते जाने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना होता है, जो बड़े साहस एवं आत्म-दृढ़ता से साध्य है । यों परिषह तथा प्रतिकूल स्थिति में अपने मन को जरा भी भारी बनाये बिना हल्केपन से जो उन्हें सहता जाता है, उसका तपस्वी जीवन उद्दीप्त होता जाता है ।

लज्जा-निवृत्ति हेतु कटिबन्ध का स्वीकार

अचेलक भिक्षु के जीवन के एक प्रसंग को उद्दिष्ट कर आचारांग में वर्णन है : “जो भिक्षु निर्वस्त्र रहता है, वह सोचे, मैं तृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, उष्ण-स्पर्श, डांस, मच्छर आदि के दंश तथा और भी वैसे अनेक प्रकार के जो परिषह या कष्ट हैं, उन्हें तो खुशी-खुशी सह सकता हूँ, पर लज्जा का परिहार नहीं सह सकता—लज्जा को मैं नहीं जीत पाया तो उस भिक्षु को कटिबन्ध—चोलपट्टा धारण कर लेना चाहिए । फिर यदि वह लज्जा-विजय में समक्ष हो जाये तो उसे चाहिये कि वह उस वस्त्र को छोड़ दे तथा तृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, उष्ण-स्पर्श, डांस व मच्छर आदि दंश जैसे परिषहों को सहज भाव से सहता जाये । अपने तप को प्रशस्त करता जाये ।”¹

१. जे भिक्षू अचेले परिषुसिते, तस्स णं एवं भवति—चाएमि अहं तणफासं अहियासित्तए, सीयफासं अहियासित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, बंसमसगफासं अहियासित्तए, एगतरे अन्नतरे विरुवरुवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छावणं च णो संचाएमि अहियासित्तए, एवं से कप्पति कडिबंधणं धारित्तए अबुवा तस्य परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तणफासा फुसंति, सियफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, बंसमसगफासा फुसंति एययरे अणयरे विरुवरुवे फासे अहियासेति, अचेले लाघविषं आगममाणे, तवे से अभिसमन्नाए भवति ।

—आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन ४, उद्देशक ७.१

अभिप्रेत

भयावह तथा दारुण कष्ट सह जाने वाला भी लज्जा को जीत पाने में अपने को असमर्थ पाता है, कितना आश्चर्य है ! वस्तुतः लज्जा के साथ चाहे सुषुप्त ही सही, अहं का भाव जुड़ता है । मैं कैसा दीखूंगा, मेरा व्यक्तित्व फबेगा या नहीं, मैं कहीं हीन तथा कुत्सित तो नहीं लगूंगा, कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं, जो दारुण व भीषण दैहिक कष्टों को हंसते-हंसते झेल लेने वाले को भी विचलित कर देते हैं । भिक्षु इस प्रकार के विचलन से ऊँचा उठ जाये, सूत्रकार ने इसे बांछित माना है और पुनः अचेलक होने की बात कही है । साथ-साथ फिर यह स्मरण कराया है कि उसे तृण, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर आदि से उत्पन्न कष्टों को आत्म-बल के साथ सहते जाना है ।

दैहिक कष्ट तथा प्रातिकूल्य से आत्मा का—स्व का पार्थक्य मानते जाने की मनो-भूमि साधक की बनती जाये, सूत्रकार का ऐसा अभिप्रेत है ।

एक शाटक : वस्त्र का प्रसंग

आचारांग में उल्लेख है : “जो भिक्षु एक पात्र के साथ एक ही वस्त्र धारण किये रहने की प्रतिज्ञा लिए हुए है, उसे यह चिन्ता नहीं होती कि मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँ । यदि अपेक्षित हो—वह एक वस्त्र भी उसके पास न रहे तो वह एषणीय—लेने योग्य निर्दोष वस्त्र की याचना करे । जिस प्रकार का निर्दोष वस्त्र मिल जाये, धारण करे । जब ग्रीष्म-काल प्रतिपन्न हो जाये—आ जाये तो उस परिजीर्ण वस्त्र को परठ दे अथवा एक शाटक—वस्त्र युक्त रहे अथवा अचेलक—अवस्त्र रहे । इस प्रकार अपने तपस्वी जीवन को वद्धित करता जाये ।”^१

दो वस्त्रों का प्रसंग

श्रमण के दो वस्त्रों के सम्बन्ध में आचारांग में इस प्रकार वर्णन किया गया है : “जो भिक्षु एक पात्र तथा दो वस्त्र धारण किये रहने का नियम लिए हुए है, उसको यह चिन्ता नहीं होती कि मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ । यदि उसके नियमानुरूप वस्त्र

१. जे भिक्षु एणेण वत्थेण परिवुसिते पायबित्तिएण, तस्स णो एवं भवइ—बित्तिं वत्थं जाइस्सामि । ते अहेसणिज्जं वत्थं जाएज्जा, अहापरिगहियं वा वत्थं धारेज्जा, जाव गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुभं वत्थं परिठवेज्जा, अदुवा एग साडे अदुवा अचेले लाघवियं आगममाणे जाव सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

—आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन ८, उद्देशक ६.१

उसके पास न रहें तो वह एषणीय वस्त्रों की याचना करें। यह साधु-आचार है। जब वह जाने कि अब हेमन्त-काल व्यतीत हो गया है, ग्रीष्म-काल आ गया है, तब वह परिजीर्ण वस्त्र परिष्ठापित कर दे। कुछ—उनमें से जो ठीक हो, उसे रख ले। वस्त्र लम्बा हो तो उसे छोटा कर ले अथवा एक शाटक—एक वस्त्र युक्त रहे अथवा निर्वस्त्र रहे। यों सर्वथा लाघव—हल्केपन से सहज भाव से आचरण करता हुआ भिक्षु अपने तप की वृद्धि करता है।”^१

तीन वस्त्रों का प्रसंग

तीन वस्त्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार चर्चा है : “जिस भिक्षु के एक पात्र एवं तीन वस्त्र रखने की प्रतिज्ञा है, उसके मन में ऐसी चिन्ता नहीं होती कि मैं चौथे वस्त्र की याचना करूँ। यदि उसके अपने नियमानुसार परिमाण में वस्त्र न हों तो वह एषणीय वस्त्र की याचना करें। जैसे मिल जाये, पहन ले। किन्तु वह उन्हें धोए नहीं, रंगे नहीं, धोए हुए तथा रंगे हुए वस्त्र पहने नहीं। जब ग्रामानुगम विचरण करे, अपने वस्त्र छिपाये नहीं।” यह साधु का आचार है। यदि भिक्षु ऐसा जाने कि हेमन्त-काल व्यतिक्रान्त हो गया है, ग्रीष्म-काल प्रतिपन्न है तो वह अपने परिजीर्ण वस्त्र परठ दे। उनमें से कुछ—जो उपयोग में लेने योग्य हों रख ले। अथवा दो वस्त्र रख ले या एक वस्त्र रख ले या सर्वथा निर्वस्त्र रहे। ऐसा कर वह अपने तप को उद्दीप्त बनाता है।”^२

१. जे भिक्खु वोहि वत्थेहि परिबुसेति पाय तद्दएहि, तस्स णो एवं भवति—तित्थियं वत्थं जाइस्सामि। से अहेसणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा जाव। एवं खलु तस्स भिक्खुस्स सामगियं। अह पुण एवं जाणेज्जा—उबक्कंते खलु हेमंते, गिम्हे पडिपन्ने, अहापरि-
जुभाइं वत्थाइं परिबुवेज्जा, अहुवा संतपसरे, अहुवा ओमचेलेए, अहुवा एगसाडे, अहुवा अचेले, लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णागए भवति।

—आचारांग सूत्र, प्रथम अ. तत्स्कन्ध, अध्ययन ८, उद्देशक ५.१-२

२. यहां अत्यन्त साधारण, अल्प-मूल्य वस्त्र का आशय है, जिसे चोर, वस्तु आदि के भय से छिपाना न पड़े।

३. जे भिक्खु तिवत्थेहि परिबुसिते पाय वत्तुत्थेहि तस्स णं णो एवं भवति—चउत्थं वत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा। अहापरिग्गहियाइं वत्थाइं धारेज्जा, णो धोविज्जा, णो रएज्जा, णो धोत्तरत्ताइं वत्थाइं धारेज्जा, अपलिउंचमाणे गामंतरेसु, ओमचेलेए। एवं कु वत्थ धारिस्स सामगि। अह पुण एवं जाणेज्जा—उबत्तिकंते खलु

वस्त्रेषणा

आचारांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के पंचम अध्यायन का नाम वस्त्रेषणा है। उसमें साधुओं और साध्वियों के लिए वस्त्र ग्रहण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विधि-निषेध हैं। श्रमण किस-किस प्रकार के वस्त्र ग्रहण कर सकता है, इस विषय में इस अध्यायन के प्रारम्भ में चर्चा है : “जब भिक्षु या भिक्षुणी को वस्त्र की अभिकांक्षा—आवश्यकता हो, उन्हें एषणीय—निर्दोष वस्त्र की याचना करनी चाहिए। ऊन, पाट, सन, रेशम, आक की रुई आदि का वस्त्र भिक्षु के लिए ग्राह्य है। जो भिक्षु तरुण, निरूपद्रव, निरोग तथा स्थिर-संहनन हो, उसे एक वस्त्र धारण करना चाहिए, दूसरा नहीं। साध्वी को चार वस्त्र धारण करना चाहिए—एक दो हाथ विस्तार का, दो तीन-तीन हाथ विस्तार के तथा एक चार हाथ विस्तार का। यदि ऐसे वस्त्र अविद्यमान हों—प्राप्त न हो सकें तो एक के साथ दूसरे को सीं लेना चाहिए।”^१

उत्तराध्ययन में अचेलक : सचेलक

उत्तराध्ययन सूत्र में अचेलक—अवस्त्र, सचेलक—सवस्त्र का वर्णन करते हुए कहा है : “कभी जिन-कल्पावस्था में भिक्षु वस्त्र धारण नहीं करता तथा कभी स्थविर-कल्पावस्था में वह वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार के—जिन-कल्प-स्थविर-कल्प-रूप हितावह धर्म को जो जानता है, वह खेद-खिन्न नहीं होता।”^२

हेमंते, गिन्हे पडिवन्ने, अधापरिजुझाइं वत्थाइं परिट्टविज्जा, अदुवा संतरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले, ताघवीयं आगममाणे। तवे से असिसमन्नागए भवति।

—आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्यायन ८, उद्देशक ४.१-२

१. से भिवखू वा भिवखुणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं एसित्तए। से ज्जं पुण वत्थं आरोज्जा तंजहा—अंगियं वा, भंगियं वा, साणयं वा, पोत्तयं वा, खोमियं वा, तूलकडं वा, सहप्पगारं वत्थं। जे जिगंथे तरुणे, जुगयं, बलबं, अप्पायं के, थिरसंघपरणे से एगं वत्थं धारेज्जा, जो वित्थियं। जा जिगंथी सा चत्तारि संघाडीओ धारेज्जा-एगं कुहत्थवित्थारं, वो तिहत्थवित्थाराओ, एगं चउहत्थवित्थारं, एगंहि वत्थेहिं अविज्जमाणेहिं अह पच्छा एगमेणं सेसोविज्जा।

—आचारांग सूत्र, द्वितीय श्रुत-स्कन्ध, अध्यायन ५, उद्देशक १.१

२. एगया अचेलए होइ, सचेले या वि एगया।

एयं बम्महिंयं णब्बा, णाणी जों परिबेवए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अध्यायन २.१३

तार्त्पथ्य

आचारांग सूत्र में वस्त्र धारण करने, कितना कौनसा करने तथा न करने आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है, जो ऊपर निर्दिष्ट कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है।

उपर्युक्त वर्णन में वस्त्र के ग्रहण-अग्रहण के आधार पर मूल साधुत्व की दृष्टि से उच्चता-अनुच्चता का भाव दृष्टिगत नहीं होता। साधु के सर्व-सामान्य, सर्व-स्वीकृत, मूलगुणाधृत स्तर में इससे भेद नहीं पड़ता। पर, जैन धर्म तो तपःप्रधान धर्म है। उसके साधक का अधिकाधिक कर्म-निर्जरा की ओर सदैव ध्यान रहता है; क्योंकि उसका चरम ध्येय अन्ततः कृत्स्न कर्म-क्षय से ही सधने वाला है। अतः अचेलकता या निर्वस्त्रता का जिस भाव से वर्णन हुआ है, जहां उस ओर विशेष रूप से निर्देश किया गया है, वहां साधक को निर्जरा या तप की ओर अधिकाधिक उन्मुख करने का मुख्य अभिप्राय रहा है। दारुणातिदारुण परिषहों को सहज भाव से सह जाने वाले साधक की जो अपनी तपोमूलक तथा सहिष्णुता-संभृत विशेषता होती है, उसका तो महत्व है ही।

भिक्षुओं के लिए वस्त्रों की संख्या, माप आदि की अधिकतम सीमा का अपना विधान है, पर एक वस्त्र, दो वस्त्र, तीन वस्त्र आदि रखे जाने के जो ऊपर उल्लेख हुए हैं, वे इस बात के द्योतक हैं कि अधिक की स्वीकृति के बावजूद साधक भिक्षु अपनी वैराग्यमय, तितिक्षु-वृत्ति के कारण परिधेय वस्त्रों की संख्या और भी कम करते जाते थे। कोई तीन से काम चलाता था, कोई दो से काम चलाता था और कोई मात्र एक ही से। सूत्रकार ने तीन वस्त्र, दो वस्त्र, एक वस्त्र आदि के वर्णन के सन्दर्भ में श्रमण को वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का जो संकेत किया है, वहां भी उनका भाव क्रमशः त्रिकासोन्मुख निर्जरा के मार्ग पर साधक को अग्रसर करने का है।

अंगुत्तर-निकाय^१ में एक शाटक-वस्त्र धारण करने वाले निर्ग्रन्थों की चर्चा आई है। महावीर और बुद्ध की समसामयिकता के कारण दोनों के वाङ्मय में एक-दूसरे के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख गवेषणा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अंगुत्तर-निकाय में आये इस उल्लेख से छ्वनित होता है कि महावीर के श्रमणों में उस समय कम-से-कम वस्त्र से काम चलाने की वृत्ति अधिक उभर रही थी।

पार्श्व-परम्परा : महावीर-परम्परा

जैन श्रमण के निर्वस्त्रता एवं सवस्त्रतामूलक आचार-पक्ष पर विद्वानों ने काफी ऊहा-पोह किया है, करते आ रहे हैं। कतिपय विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि निर्वस्त्र श्रमणाचार का प्रवर्तन वस्तुतः भगवान् महावीर से हुआ। उनसे पूर्व भगवान् पार्श्व की परम्परा सवस्त्र थी। उनके अनुसार महावीर के श्रमणों के लिए प्रयुक्त निर्ग्रन्थ शब्द निर्वस्त्रता या वस्त्रात्मक परिग्रह से निर्गतता का सूचक है।

केशी और गौतम का मिलन

पार्श्व-परम्परा तथा महावीर-परम्परा के विवादास्पद विषयों के समाधान पर प्रकाश डालने वाला उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसके उस अंश की, जो प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध है, यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार है : “जगत्पूज्य, सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक पार्श्व नामक तीर्थंकर हुए।¹”

“जगत् में धर्म का उद्योत करने वाले भगवान् पार्श्व के महायशस्वी केशी नामक शिष्य थे, जो ज्ञान एवं चारित्र्य के पारंगामी थे। वे अवधिज्ञानी तथा श्रुत-ज्ञानी थे। भ्रामानुग्राम विहार करते हुए वे एक बार अपने शिष्य-समुदाय सहित श्वावस्ती नगरी में आये। उस नगर के उपकण्ठ में तिन्दुक नामक उद्यान था। वहाँ श्रमण केशी प्रासुक—जीव-जन्तु रहित—निर्दोष स्थान में टिके व प्रवास करने लगे।”²

१. जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ ।

संबुद्धप्पा य सम्बन्नु, धम्मत्तिथयरे जिणे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २३.१

२. तस्स लोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।

केसीकुमार समणे, विज्जाचरणपारगे ॥

ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउत्ते ।

गामाणुगामं रीयते, सावस्थि नगरिमागए ॥

तिन्दुयं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमण्डले ।

कासुए तिज्जसंधारे, तत्थ वासुमुवागए ॥

—वही, २३.२-४

“उस समय समस्त लोक में विश्रुत, धर्म-तीर्थ के प्रतिष्ठापक, राग-द्वेष-जयी भगवान् वर्धमान (महावीर) तीर्थंकर थे । लोक में धर्म का प्रकाश करने वाले भगवान् महावीर के शिष्य भगवान् गौतम थे, जो अत्यन्त कीर्तिशाली तथा ज्ञान व चारित्र्य में परम उज्ज्वल थे । वे द्वादश अंगों के वेत्ता थे, प्रबुद्ध थे । अपने शिष्यों सहित ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी में आये ।”¹

“उस नगर के समीप कोष्ठक नामक उद्यान था, जिसमें प्रासुक स्थान देखकर वे ठिंके । परम यशस्वी श्रमण केशीकुमार तथा गौतम—दोनों, जो विजितेन्द्रिय एवं आत्म-समाधि युक्त थे, शान्त थे, उस नगरी में विचरण करने लगे । दोनों के शिष्य-वृन्द, जो संयत, तपस्वी तथा गुणी थे, में विचिकित्सा उत्पन्न हुई ।”² (वे ऊहापोह करने लगे ।)

“हमारा धर्म कैसा है ? इनका धर्म कैसा है ? हमारा आचार, क्रिया-कलाप तथा मर्यादा किस प्रकार की है, इनकी किस प्रकार की है ? भगवान् पार्श्व ने जिस धर्म की देशना दी, वह चातुर्ग्रन्थमूलक है तथा भगवान् महावीर ने जो धर्म उपदिष्ट किया, वह पञ्च शिक्षात्मक (पञ्च महाव्रतमूलक) है ।”³

१. अहं तेरोध कालेणं, धम्मतिथ्यरे जिये ।
भगवं वद्धमाजित्ति, सव्वलोगम्मि विस्सुए ॥
तत्स लोणपदीवस्स, आसि सीसे महायसे ।
भगवं गोयमे नामं, विज्जाचरणपारगे ॥
आरसंगविऊबुद्धे, सीससंघसमाउले ।
गाम्माण्णामं रीयंते, सेवि सावत्थिमागए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २३.५-७

२. कोट्ठणं नाम उज्जाणं, तस्मी नयरमण्डले ।
फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥
केशीकुमारसमणे, गोयमे य महायसे ।
उभओ वि तत्थ विहरिंसु, अत्तलीणा सुसमाहिया ॥
उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं ।
तत्थ चिन्ता समुप्यक्षा, गुणवन्ताण ताइणं ॥

—वही, २७.८-१०

३. केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो य केरिसो ।
आयारधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी ॥

“एक (महावीर) की परम्परा में निर्वस्मता स्वीकृत है तथा दूसरे के यहां स्वस्मता । दोनों शौर के श्रमण एक ही कार्य या उद्देश्य को साधने में संप्रवृत्त हैं, फिर यह भेद क्यों ? श्रमण केशी और गौतम ने जब अपने शिष्यों के इन तर्क-वितर्कों को जाना तो दोनों ने परस्पर मिलने का निश्चय किया ।”¹

“गौतम विनय-परम्परा के विज्ञ थे । श्रमण केशी ज्येष्ठ (तेवीसवें तीर्थंकर भगवान् माश्व की परम्परा के) कुल के हैं, यह देखते हुए गौतम अपने शिष्य-समुदाय-सहित तिन्दुक उद्यान में आये । श्रमण केशीकुमार ने जब गौतम को आते देखा तो उनके गौरव के अनुरूप बहुमान एवं भक्तिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया । उस उद्यान में जो प्रासुक पलाल, तृण, कुश आदि थे, आये गौतम के बैठने के लिए अविलम्ब आस्तृत कर दिये ।”²

“महा यशस्वी श्रमण केशीकुमार तथा गौतम—दोनों बैठे हुए इस प्रकार शोभित थे, मानो चन्द्र और सूर्य हों । अनेक अन्य मतावलम्बी, अनेक कौतुक-दर्शनार्थी—तमाशबीन, अनेक अज्ञानी तथा हजारों नागरिक एकत्र हो गए । देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस एवं

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिखिओ ।

देसिओ बद्धमारोण, पासेण य महामुणी ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २३.११-१२

१. अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो ।

एगकज्जपवप्पणं, विसेसे कि नु कारणं ॥

अह ते तत्थ सीसाणं, विन्नाय पवितक्कियं ।

समागमे कयमई, उन्नओ केसिगोयमा ॥

—वही, २३, १३-१४

२. गोयमे, पडिरुवन्नु, सीससंघसमाउले ।

जेट्ठं कुलमवेक्खंतो, तिदुयं वणमागओ ॥

केसीकुमार समरो, गोयम दिस्समागयं ।

पडिरुवं पडिवत्ति, सम्भं संपडिवज्जई ॥

पलालं फालुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य ।

गोयमस्स निसिज्जाए, खिप्पं संपणामए ॥

—वही, २३.१५-१७

अदृश्य भूत-प्रेत भी वहाँ उपस्थित हो गये ।”^१

“केशी ने गौतम से कहा—महाभाग ! मैं आप से प्रश्न पूछूँ ?

केशी के यों पूछने पर गौतम ने उनसे कहा—भन्ते ! आप जैसा चाहें, पूछें । केशी यों गौतम से अनुज्ञात होकर पूछने लगे—“..... एक मुनि धर्म अचेलक है, जहाँ निर्वस्त्रता स्वीकृत है, जो महावीर द्वारा उपदिष्ट है और दूसरा सचेलक है, जहाँ सवस्त्रता का स्वीकार है, जिसे पार्श्व ने उपदिष्ट किया—ऐसा क्यों ?”^३

“दोनों परम्पराओं के साधक एक ही लक्ष्य साधने में जुटे हैं, फिर यह भिन्नता क्यों ? प्रबुद्ध गौतम ! यों दो प्रकार के वेष देख आपको संशय उत्पन्न क्यों नहीं होता ? केशी के यों कहने पर गौतम ने कहा— अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा जानकर ही अर्हत् ने धर्म के साधक के उपकरणों को अभीप्सित बताया है ।”^४

१. केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।

उभओ निदण्णा सोहंति, चंव सूर समणमा ॥

समागया बहूतत्थ, पासंडा कीउगा मिया ।

गिहत्थणं अरोगाओ, साहस्सीओ समागया ॥

देवदाणवगंधवा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

अविस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २३.१८-२०

२. पुच्छामि ते महाभाग, केसी गोयममब्बवी ।

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥

पुच्छ भन्ते ! जहिच्छं ते, केसिं गोयममब्बवी ।

तओ केसी अणुत्ताए, गोयमं इणमब्बवी ॥

—वही, २३.२१-२२

३. अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो ।

देत्तिओ बद्धसारणे, पासेण य महाजसा ॥

—वही, २३.२९

४. एकज्जपवज्जाण विसेसे किं तु कारण ।

त्तिगे बुबिहे मेहावी ! कह विपच्चओ न ते ॥

केसिं एवं बुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी ।

विज्जाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छिय ॥

—वही, २३.३०-३१

“लोगों के प्रत्यय—पहचान के लिए, संयम-यात्रा—संयत जीवन के निर्वाह के हेतु, ज्ञान आदि के ग्रहण के लिए लोक में वेष का प्रयोजन है। वास्तव में भगवान् पार्श्व तथा भगवान् महावीर—दोनों तीर्थंकरों का उद्बोधन यही है कि ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य ही मोक्ष के यथार्थ साधन हैं। (श्रमण केशीकुमार द्वारा कृतज्ञता-आपन)

गौतम ! आप धन्य हैं। मेरा संशय निमूल हो गया। सन्न श्रीर..... ॥”

विमर्श : समीक्षा

उत्तराध्ययन के इस प्रकरण से कई तथ्य प्रकाश में आते हैं। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान् महावीर के समय में पार्श्व-परम्परा विद्यमान थी। पार्श्व-परम्परा के श्रमण महावीर के श्रमण-समुदाय से भिन्न समुदाय के रूप में विचरण करते थे। श्रमण केशी-कुमार का ससंघ श्रावस्ती के तिन्दुक उद्यान में तथा गौतम का श्रावस्ती के कोष्ठक उद्यान में टिकना इसका द्योतक है।

दोनों परम्पराओं के श्रमणों में धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की दृष्टि से कोई व्यक्त मत-भेद जैसी स्थिति नहीं थी, पर दोनों अपने को वेष, व्रत-विधान आदि को लेकर पृथक् मानते थे। इस पार्थक्य का लोक-मानस पर कम प्रभाव नहीं था। जब श्रमण केशी तथा गौतम की शास्त्र-चर्चा का प्रसंग उपस्थित होता है तो सहस्रों मनुष्य सुनने, देखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जहां श्रद्धावान् लोगों को जिज्ञासा थी, वहां श्रीरों को कुतूहल तथा उत्सुकता थी कि देखें क्या होता है।

यह सब था, फिर भी दोनों परम्पराओं के श्रमणों में परस्पर सद्भावना एवं सहृदयता थी। पूर्ववर्ती तीर्थंकर की परम्परा से सम्बद्ध होने के नाते श्रमण केशीकुमार के प्रति गौतम का बहुमान एवं आदर-भाव था; अतः वे स्वयं चलाकर तिन्दुक उद्यान में उनके स्थान पर

१. पच्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविह-विगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगपओयणं ॥

अहं भवे पइत्ता उ, भोक्खसब्भुयसाहणा ।

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥

साहु गोयम ! पत्ता ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा !

—बही, २३.३२-३४

जाते हैं। श्रमण केशी भी उनका अभ्युत्थान, आसन-उपस्थापन आदि द्वारा स्वागत-सत्कार करते हैं।

सूत्रकार द्वारा केशी एक जिज्ञासु प्राश्निक के रूप में चित्रित किये गये हैं और गौतम उत्तरदाता या समाधायक के रूप में। सम्भवतः इसका यह कारण हो सकता है कि गौतम इस काल के अन्तिम तीर्थंकर की परम्परा से सम्बद्ध थे; अतः धर्म के अन्ततः स्वीकृत रूप के वे साक्षात् वेत्ता थे।

पार्श्व की परम्परा के साधुओं का संचेलकता की ओर अधिक झुकाव प्रतीत होता है, जब कि महावीर की परम्परा के साधुओं का अचेलकता की ओर। प्रस्तुत प्रसंग में संचेलक धर्म पार्श्व द्वारा देशित तथा अचेलक धर्म महावीर द्वारा देशित कहा गया है, जो गहराई से विचारने योग्य है।

जब जैन श्रमण संघ में संचेलकता—सवस्त्रता तथा अचेलकता—निर्वस्त्रता के रूप में दोनों प्रकार की परम्पराएं थीं, तब अचेलक धर्म के देशनाकार केवल महावीर ही क्यों कहे गये तथा संचेलक धर्म की देशना से केवल पार्श्व को ही क्यों सम्बद्ध किया गया? भगवान् महावीर कुल-परम्परा से पार्श्वपट्टिक थे। उनके माता-पिता पार्श्व-परम्परा को मानते थे; अतः उनकी परम्परा पार्श्व की परम्परा से सर्वथा भिन्न हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है। जैन परम्परा की ऐसी मान्यता है कि सभी तीर्थंकर मूलतः एक ही तत्त्व-ज्ञान का उपदेश करते हैं, पर लोगों की जड़ता, प्रज्ञता, वक्रता, ऋजुता आदि में भेद से तत्त्वोपदेश की पद्धति, अत-विभाजन आदि में भेद प्रतीत होता है, जो आन्तरिक भेद नहीं है, केवल बाह्य कलेवर की भिन्नता है।

संचेलक, अचेलक सम्बन्धी प्रश्न का समाधान भी गौतम ने इसी भावना से किया है। उसे उन्होंने लोगों की पहचान में उपयोगी, जीवन-यात्रा के निर्वाह में सहयोगी आदि कहकर समाहित करने का प्रयत्न किया है और अन्ततः यह कहकर इस प्रश्न को समाप्त कर दिया है कि वास्तव में साधुत्व ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य पर टिका है। उत्तराध्ययनकार ने गणधर गौतम के मुख से उक्त प्रश्न का समाधान तो कराया है, पर यह पूरा समझ में नहीं आता। प्रश्न कुछ असमाहित-सा प्रतीत होता है।

यदि जैन आम्नाय में पहले से ही जिन-कल्प एवं स्थविर-कल्प के रूप में निर्वस्त्र-सवस्त्र मुनि-परम्परा चली आ रही थी तो पार्श्व की परम्परा के मुनियों को, जो सवस्त्र थे, महावीर के निर्वस्त्र मुनियों को देख विचिकित्सा क्यों होती? वही बात महावीर के मुनियों के लिए है। उन्हें पार्श्व के सवस्त्र मुनियों को देख अन्यथा भाव क्यों होता है?

यदि महावीर की परम्परा में जिन-कल्पी और स्थविर-कल्पी दोनों ही प्रकार के साधु होते तो उन्हें स्वयं समाधान हो जाता ।

एक सम्भावना और की जा सकती है, भगवान् महावीर परम प्रभावक थे । उनसे उस समय का धार्मिक जगत् बहुत प्रभावित था । पार्श्व-परम्परा के श्रमण महावीर के संघ में सम्मिलित होने को आकृष्ट हुए हैं । यों महावीर के अनुयायी श्रमणों तथा पार्श्व-परम्परा के श्रमणों के समन्वय और सम्मिलन का प्रश्न उपस्थित हुआ हो । कुछ पार्श्वपत्निक श्रमण अचेलकता स्वीकार करने को तैयार हो गये हैं । उनमें से कुछ तब भी वैसा चाहते रहे हों कि वे सवस्त्र रहें ; क्योंकि शायद वे अपने में उतनी दृढ़ता न संजोये हुए हों कि वे निर्दस्त्र रह सकें । अतः एक कठिनाई उपस्थित हुई, जिसके समाधान में जिन-कल्प तथा स्थविर-कल्प के रूप में श्रमणाचार की प्रतिष्ठा की गई । तदनुसार पार्श्व-परम्परा के अधिकांश श्रमण महावीर के संघ में मिल गये । जिन-कल्प या स्थविर-कल्प—जिनको जैसा रुचा, स्वीकार करते गये । अतएव श्वेताम्बर-आगम-वाङ्मय द्वारा दोनों कल्प समर्थित हैं । इस सम्भावना का स्वीकार जैन परम्परा के तत्त्व-स्रोत की मौलिक एकता के विश्वास पर आधारित करता है ।

दिगम्बर तो महावीरकालीन द्वादशांगी का सर्वथा विच्छेद मानते ही हैं, श्वेताम्बरों के अनुसार भी महावीर के पूर्व के साहित्य की कोई परम्परा आज प्राप्त नहीं है; अतः महावीर से पूर्व जैन संघ की क्या स्थिति थी, यह देखने के लिए केवल अनुमान एवं सम्भावनाएं ही रह जाती हैं । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो, महावीर ने तितिक्षा, वैराग्य और तपश्चर्या को अधिकाधिक बल प्रदान करने के लिए जिन-कल्प पर ही विशेष बल दिया हो । तदनुसार सम्भवतः वेशी और गौतम के संवाद के प्रसंग तथा महावीर के यहां दीक्षित साधु लगभग सब के सब जिन-कल्पी रहे हों । अतएव उस समय पार्श्वपत्निकों और महावीर के श्रमणों के सम्पर्क का प्रसंग श्रावस्ती में बना, तब महावीर के श्रमणों के मन में स्थविर-कल्प का ध्यान हीन रहा हो । वैसी ही बात पार्श्वपत्निकों के लिए जिन-कल्प के सम्बन्ध में है । वे सवस्त्र थे । उनके यहां कोई निर्दस्त्र था ही नहीं; अतः साधुओं के जिन-कल्पाचार या नाग्न्य जैसी कल्पना उनकी भी कैसे रहती ।

इसका तात्पर्य यों समझा जा सकता है—महावीर से पूर्व अर्थात् पार्श्व के समय जिन-कल्प लुप्त प्रायः था । महावीर ने अत्यधिक तपोमूलक, दारुण-परिषह-सहिष्णुतामय श्रमण-जीवन को विशेष बल एवं विकास देने के लिए जिन-कल्प पर विशेष जोर दिया । पर, आगे चलकर समन्वय की दृष्टि से ऐसा आवश्यक प्रतीत हुआ कि केवल एक ही

कल्प पर जोर न दिया जाये, दोनों को प्रस्तुत किया जाये। जिस साधक को जैसा उत्साह हो स्वीकार करे। तत्पश्चात् महावीर के श्रमण-संघ में दोनों कल्पों का विकास हुआ हो।

कार्य जम्बू तक दोनों परम्पराएँ

यह सही है कि निर्वस्त्र-श्रमण-जीवन अपेक्षाकृत अधिक कष्टपूर्ण है। दैहिक कष्टों, प्रतिकूलताओं और उतापों को समभाव के सहना निःसन्देह बड़े साहस का काम है। पर, एक बात उसके साथ है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज की कुछ लौकिक मर्यादाएँ एवं व्यवस्थाएँ होती हैं। उनके अनुसार एक मग्न श्रमण को धर्म-प्रसार के पुनीत उद्देश्य से भी समाज के सब अंगों के साथ घुलने-मिलने, सम्पर्क साधने आदि में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। अपने अनुयायियों की दृष्टि से तो यह बात नहीं है; क्योंकि वे उनके प्रति असीम श्रद्धा लिए रहते हैं। अतः उनकी दृष्टि में उनका नाग्न्य नहीं, स्वाग रहता है। पर, जहाँ अनुयायी नहीं हैं, वहाँ कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न होती हैं। इसे संक्षेप में यों समझा जा सकता है कि जिन कल्पारूढ़ या निर्वस्त्र-श्रमण का कार्य-क्षेत्र अधिकांशतः आत्म-साधना होता है। जिनकल्पी साधक का जीवन-चर्या से सम्बद्ध विधि-विधानों से भी यह तथ्य सिद्ध होता है। जन-समुदाय में धर्मोद्योत तथा अध्यात्म-जागरण का कार्य करने की सवस्त्र श्रमण को अधिक सुविधा एवं अनुकूलता रहती है। क्योंकि समाज के साथ घुलने-मिलने में उन्हें कठिनाई नहीं होती; अतः स्यात् व्यवहार ऐसा हो, अनवरत अध्यात्म-साधना, ध्यान आदि में रुचि रखने वाले श्रमण यदि चाहते तो जिन-कल्प अपनाते। समाज से उनका विशेष सम्पर्क नहीं रहता। वे ज्ञानोपासना एवं तपश्चर्या आदि में लीन रहते। जन-समुदाय में धर्म-जागृति उत्पन्न करने का दायित्व उन श्रमणों पर आता, जो सवस्त्र थे। वे श्रमण-जीवन के मौलिक एवं अनिवार्य नियमों का पालन करते, ज्ञानाराधना तथा ध्यान आदि में भी यथासम्भव समय देते और साथ-ही-साथ वे लोगों में धर्म के आदर्शों का प्रसार करते, धर्म-प्रभावना करते। यह भी बड़ा आवश्यक कार्य था।

यों एक संघ के दो वर्गों पर दो प्रकार के दायित्व थे, जिनका के निष्ठा एवं तन्मयतापूर्वक भलीभाँति निर्वाह करते जाते। एक वर्ग जहाँ आत्म-परिष्कार की दृष्टि से असाधारण था, दूसरा आत्म-साधना के साथ-साथ जन-जन में धर्म की ज्योति जगाने की दृष्टि से अपनी विशेषता लिए हुए था। अतएव कौन अधिक कष्ट सहता है, कौन सुविधाएँ भोगता है—इत्यादि बातें गौण थीं। समाज में दोनों का प्रतिष्ठापन्न स्थान था। भगवान्

महावीर से आर्य जम्बू तक यह क्रम सुन्दर रूप में चलता रहा, पर, जम्बू के पश्चात् उसमें अन्तर आया ।

अन्तर : एक सम्भावना

जब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती, तब तक विकास या ऊर्ध्वगमन की सम्भावनाओं के साथ-साथ ह्रास या अधोगमन की कुछ दुराशंकाएं भी बनी रहती हैं; क्योंकि जब तक साधक एषणा-विजय नहीं कर पाता, तब तक जब कभी उसमें अहं का उभार होने की स्थिति रहती ही है ।

ऐसा संभाव्य प्रतीत होता है, आर्य जम्बू के अनन्तर संघ के श्रमणों में कुछ खींचातान हुई हो । उस वर्ग के, जो निर्वस्त्र था, जिसका जीवन उग्र तपोमूलक था, जो दुःसह परिषह सहता था, मन में कुछ ऐसा आया हो कि समाज में निर्वस्त्र और श्रमणों का दर्जा समान क्यों ? इस (निर्वस्त्र-श्रमण-वर्ग) का स्थान अपेक्षाकृत उच्च क्यों नहीं माना जाये, जो प्रसाधारण दैहिक कष्ट तथा लज्जा जैसे परिषह का विजेता है ।

क्रिया अपने अनुरूप प्रतिक्रिया लाती है । विरोध तथा अवहेलना मूलक क्रिया की प्रतिक्रिया तीव्र विरोध एवं तिरस्क्रिया में होती है । जिनकल्पियों की इस विचारण की प्रतिक्रिया स्थविरकल्पियों पर वैसी ही हुई होगी । उन्होंने सोचा होगा, ये नग्न मुनि यदि अपने उग्र तपोमय जीवन का दम्भ करते हैं, तो जन-जन में धर्म-प्रभावना एवं धर्मोद्योत की दृष्टि से उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य, जो आर्हत्-संस्कृति के विकास तथा प्रसार का महान् कार्य है, क्या कम महत्व रखता है ? ये क्या जानें, उसके लिए हमें कितना श्रम व प्रयास करना होता है । यदि ये नग्न मुनि दारुण प्रतिकूल परिषह सहते हैं, हम प्रतिकूल और अनुकूल—दोनों प्रकार के परिषह सहन करते हैं । समृद्ध तथा भोगमय जीवन के समीप रहते हुए भी उसमें सर्वथा निर्लिप्त ही नहीं, प्रत्युत् उसमें विरक्ति एवं त्याग का संचार करना किसी से कम महत्व का कार्य नहीं है ।

सम्भवतः दोनों ओर इस कोटि का ऊहापोह चला होगा, जिसका परिणाम आगे चलकर उस गहरी खाई के रूप में आया, जिसने जैन संघ को निर्वस्त्र और सवस्त्र—दिगम्बर एवं श्वेताम्बर के रूप में बांट दिया ।

आर्य जम्बू के बाद भेद का उभार

दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों की आर्य जम्बू तक की परम्परा लगभग सदृश है ।

नगण्य जैसा भेद है। दिगम्बर भगवान् महावीर के पश्चात् गौतम, लोहार्य एवं जम्बू—ये तीन पीढ़ियां मानते हैं। जब कि श्वेताम्बर भगवान् महावीर के पश्चात् सुधर्मा तथा जम्बू—ये दो पीढ़ियां स्वीकार करते हैं।

गौतम के पट्टाधिकार के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में पहले विस्तार से प्रकार डाला जा चुका है। अतः उसे यहां पुनरावृत्त करने की आवश्यकता नहीं है। पट्टाधिकारी के रूप में नाम का स्वीकार न करते हुए भी श्वेताम्बर आम्नाय में भी गौतम की वही गरिमा और महिमा है, जो दिगम्बर आम्नाय में है।

दिगम्बर-परम्परा में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी का नाम कहीं सुधर्मा लिखा है और कहीं लोहार्य। उदाहरणार्थ—तिलोयपण्णत्ति, नन्दी-आम्नाय की प्राकृत पट्टावली हरिवंश पुराण, श्रुतावतार, श्रवणवेलगोला (कर्नाटक) के शिलालेख संख्या १०५ में 'सुधर्मा' नाम का प्रयोग हुआ है।

धवलाकार ने षट्खंडागम के प्रारम्भिक भाग सत्प्ररूपणा-खण्ड में तथा आगे वेदना खण्ड में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोहार्य का उल्लेख किया है। उसी तरह श्रवणवेलगोला (कर्नाटक) के शिलालेख संख्या १ तथा २ में गौतम के पश्चात् लोहार्य लिखा है। धवलाकार द्वारा रचित जयधवला में लोहार्य न आकर सुधर्मा आया है।

वस्तुतः ये सुधर्मा और लोहार्य—दो व्यक्ति नहीं हैं। लोहार्य सुधर्मा का ही नामान्तर है। श्वेताम्बर-परम्परा में केवल एक नाम सुधर्मा की ही प्रसिद्धि है, जब कि दिगम्बर-परम्परा में दोनों नामों की। जंबूदीप-पण्णत्ति (दिगम्बर-परम्परा की) में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख^१ है उससे एक ही व्यक्ति के लिए इन दो नामों की प्रसिद्धि सिद्ध होती है।

सुधर्मा या लोहार्य के पट्टाधिकारी जम्बू होते हैं, जो दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत हैं। यों आर्य जम्बू तक दोनों परम्पराएं यथावत् रूप में चलती हैं। निर्वस्त्रता तथा सवस्त्रता मूलक आचार-क्रम को लेकर समन्वय का भाव घना रहता है, पर आगे वह स्थिति बदल जाती है, जिसका प्रमाण जम्बू के बाद दोनों परम्पराओं की पट्टावलियों की भिन्नता है।

१. तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण ।

गणधर-सुधम्मणा खलु जंबूणामस्स णिद्धिं ॥ १० ॥

जम्बू से अन्तिम श्रुत-केवली भद्रबाहु तक दिगम्बर-पट्टावली के अनुसार नन्दी (विष्णु) नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु —ये पाँच श्रुत-केवली होते हैं। श्वेताम्बर-परम्परा में जम्बू के पश्चात् भद्रबाहु तक प्रभव, शय्यभव, यशोभद्र, विजय तथा भद्रबाहु—ये पाँच श्रुत-केवली होते हैं।

दोनों परम्पराओं में भद्रबाहु के अतिरिक्त चारों आचार्यों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। इससे यह अनुमान लगाना असंभाव्य कोटि में नहीं जाता कि किन्हीं मुद्दों को लेकर जैन संघ में जम्बू के बाद भेद पड़ गया था। जिनमें सम्भवतः मुख्य मुद्दा निर्वस्त्रता एवं सवस्त्रता का रहा होगा। भद्रबाहु के बाद की पट्टावली तो भिन्न है ही।

द्विविध प्रकृति

जब किसी परम्परा, पद्धति या रीति-नीति के निर्वाह की चिन्ता होती है, तब मानव का दृष्टिकोण सन्धानोन्मुख रहता है। वह सब कुछ वैसा करता है, जिससे स्थिति सधे, टूटे नहीं। जब किसी परम्परा में भेद पड़ जाता है, वह एकाधिक भागों में बट जाती है, तो प्रत्येक बंटे हुए भाग का दृष्टिकोण प्रायः बदल जाता है। वह उस प्राक्तन परम्परा में निहित सारी महिमा को स्वयं अपने में समेट लेना चाहता है, यद्यपि वैसा करने में वह पूरा सफल तो नहीं होता। इस मनोवृत्ति के प्रतिफल कई रूपों में प्रस्फुटित होते हैं। प्रत्येक विभक्त अंश अपने को परम्परा का मूल बताता है, दूसरे को उससे विकृत होकर निकला हुआ। श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों द्वारा एक-दूसरे के उद्भव के सन्दर्भ में गढ़े गये कथानकों से यही सब प्रकट होता है।

प्रत्येक सम्प्रदाय का वैचारिक आधार उसके शास्त्र हैं। उन्हीं के बल पर वह सम्प्रदाय पनपता है, विकसित है। अतएव वह अपने शास्त्रों को परिरक्षित बनाये रखने की चिन्ता को सर्वथा छोड़ नहीं सकता। बौद्धों तथा जैनों की आगम-संगीतियाँ इसके उदाहरण हैं।

जिस सम्प्रदाय का जिन शास्त्रों से मण्डन नहीं होता, प्रत्युत् खण्डन होता है, यह स्वाभाविक है, वह अन्ततः उन शास्त्रों का बहिष्कार कर देता है। उन्हें कल्पित, प्रक्षिप्त या कृत्रिम करार दे देता है। ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी—उन शास्त्रों के आधार पर शास्त्रार्थ करने का अवकाश ही मिट जाये। दिगम्बर परम्परा द्वारा श्वेताम्बर-परम्परा-सम्मत ग्यारह अंगों के सर्वथा विच्छिन्न हो जाने की उद्घोषणा करते हुए उन अंगों के सम्प्रति प्राप्त अंश को कृत्रिम और अप्रामाणिक बताने के पीछे कहीं ऐसी मनःस्थिति ने तो कार्य नहीं किया? यह सूक्ष्म दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक परीक्षणीय है।

श्वेताम्बर-आगमों में जिन-कल्प तथा स्थविर-कल्प के रूप में नग्न और सबस्त्र—दोनों मुनि-आचार-विधियों का निरूपण है। फलतः इससे श्वेताम्बर-श्रमण-आचार के साथ-साथ दिगम्बर-श्रमण-आचार को भी पुष्टि मिलती है। दिगम्बर जिन शास्त्रों को अप्रामाणिक कहें, उन्हीं शास्त्रों से दिगम्बर-आचार का समर्थन हो, यह स्वाभाविक था, श्वेताम्बरों को कब स्वीकार होता? यह असंभाव्य नहीं जान पड़ता कि कहीं इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप तो श्वेताम्बरों ने आर्य जम्बू के पश्चात् जिन-कल्प का विच्छेद घोषित न कर दिया हो, जिससे उनका शास्त्रीय समर्थन असामयिक एवं अनुपादेय बन जाये। अन्वेषक एवं समीक्षक विद्वान् जानते हैं कि धर्म-सम्प्रदाय के इतिहास में ऐसी घटनाएं अघटनीय नहीं होतीं।

आचार्य महागिरि : एक प्रसंग

आर्य जम्बू के साथ जिन-कल्प-विच्छेद की मान्यता के उपरान्त भी श्वेताम्बर-परम्परा में जिन-कल्पी-साधक का एक और प्रसंग आता है। वे थे—आचार्य महागिरि। आचार्य स्थूलभद्र के वे उत्तराधिकारी थे। जैसा कि यथाप्रसंग सूचित किया गया है, वीर-निर्वाण सं० २१५ में स्थूलभद्र का स्वर्गवास हुआ। तब महागिरि धर्म-शासन के अधिनायक बने। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय के पश्चात् उन्होंने धर्म-संघ का नेतृत्व व व्यवस्था-भार अपने सतीर्थ्य सुहस्ती को सौंप दिया और स्वयं जिन-कल्प साधना में जुट गये। जिन-कल्प के विच्छेद के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, क्या इससे स्वीकृत परम्परा व्याहत नहीं होती? यह एक प्रश्न है।

आचार्य हेमचन्द्र ने महागिरि के जिन-कल्प स्वीकारने का उल्लेख किया है तथा साथ-ही-साथ विच्छिन्न परम्परा की रक्षा का भी प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है :
“आचार्य महागिरि ने अपना गच्छ सुहस्ती को सौंप दिया। अपने मन में जिन-कल्प-साधना का अवधारण कर एकाकी विहार स्वीकार किया। जिन-कल्प का विच्छेद था, इसलिए वे गच्छ की नेत्राय में रहते हुए जिन-कल्पोचित वृत्ति से विहार करते थे।”¹

१. महागिरिनिर्जं गच्छमन्यदावात्सुहस्तिने ।

विहृतुं जिनकल्पेन त्वेकोऽभून्मनसा स्वयम् ॥

ग्युच्छेदाज्जिनकल्पस्य गच्छनिश्चास्थितोऽपि हि ।

जिनकल्पाहंया वुत्था विजहार महागिरिः ॥

—पश्चिच्छिष्ट पर्व, सर्ग ११.२-४

महागिरि को गच्छ के नेत्राय में रखकर हेमचन्द्र ने उनकी जिन-कल्प-साधना का समर्थन किया है। फिर भी यह समीचीनतया समाधायक प्रतीत नहीं होता। जब जिन-कल्प विच्छिन्न ही था, तब महागिरि उसे स्वीकार क्यों करते? स्थविर-कल्प में रहते हुए भी यदि वे चाहते तो परमोत्कृष्ट साधना में अपने को लगा सकते थे। वहाँ भी इसके लिए अवकाश था।

महागिरि के प्रसंग से ऐसा अनुमान होता है कि श्वेताम्बरों में भी जिन-कल्प (जहाँ अनिवार्यतः निर्वस्त्र रहना होता था) की ओर झुकाव तब तक पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया था।

सारांश

जैसा कि यथाप्रसंग चर्चित हुआ है, महागिरि का आचार्य-काल तीस वर्ष का था। उनके आचार्य-काल का अवसान वीर-निर्वाण संवत् २४५ में होता है। वही उनके देहावसान का काल माना जाता है। इससे ऐसा अनुमेय है कि महागिरि ने कुछ वर्ष संघ के आचार्य के रूप में अपना दायित्व निभाया हो। यह नहीं कहा जा सकता, वह कितने वर्ष का काल था। उस बीच उनके मन में जिन-कल्प की कठोर साधना का भाव उदित हुआ हो और अपने सतीर्थ्य सुहस्ती को संघ का उत्तरदायित्व सौंप वे उसमें जुट गये हो। संघ का नेतृत्व तो सुहस्ती करते रहे हों, पर महागिरि के जीवन-काल में आचार्य के रूप में महागिरि का ही नाम रहा हों; क्योंकि सुहस्ती का आचार्य-काल वीर-निर्वाण संवत् २४५ के पश्चात् प्रारम्भ होता है।

उपसंहार

जैन श्रमण संघ में आर्य जम्बू के अनन्तर जो मनोभेद प्रारम्भ हुआ, जिसके विभिन्न पहलू पिछले पृष्ठों में चर्चित हुए हैं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। यों चलते-चलते वीर-निर्वाण संवत् ६०० के लगभग आ पहुँचने पर वह भेद और बड़ तथा स्थिर बन जाता है, जिसकी परिणति दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दो भिन्न सम्प्रदायों के रूप में होती है। श्वेताम्बर-आगम दिगम्बरों द्वारा सर्वथा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

समन्वय का एक अभिनव प्रयत्न

दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्परा के रूप में जैन संघ में भेद पड़ गया। वह भी इतना गहरा, जिसे पाठ सकता तब भी दुःशक्य था, आगे भी दुःशक्य रहा, और है। जैन

परम्परा के उदात्त, व्यापक तथा प्रशस्त रूप की दृष्टि से यह जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। पर, कौने क्या करता ? उस समय कुछ ऐसे श्रमण रहें हों, जिनका मन इससे बहुत व्यथित हुआ हो। उन्हें लगा हो, जैन परम्परा की दो धाराएं जिस आधार पर पृथक् हुई हैं, कभी मिल न पायेंगी। उनके अनुसार वे दो अतिरेक थे, जिन्हें इन पृथग्भूत धाराओं ने पकड़ लिया था। उनमें एक था—ग्यारह अंगों के रूप में प्राप्त भगवान् महावीर की परम्परा के महत्वपूर्ण बाङ्गमय का सर्वथा अस्वीकार तथा दूसरा था—तपश्चर्या और वैराग्य के उदग्र के प्रतीक जित-कल्प के विच्छेद की घोषणा।

यों चिन्तन करने वाले श्रमणों ने कुछ ऐसा व्यावहारिक प्रयत्न लोगों के समक्ष उपस्थित करने का सोचा हो, जिससे ये दोनों अतिरेक तिरोहित हो जायें। यह चिन्तन चलता रहा हो, और भी प्रबुद्ध लोग इस ओर आकृष्ट हुए हों।

यापनीय संघ का उद्भव

उपर्युक्त रूप में चल रही चिन्तनधारा की परिणति अन्ततः यापनीय संघ के उद्भव के रूप में हुई। इसे प्रतिष्ठापित करने वालों ने समन्वय का एक अद्भुत रूप उपस्थित किया। उन्होंने वेष दिगम्बरों का अपनाया अर्थात् वे नग्न रहने लगे तथा अधिकांश श्वेताम्बर-आगमों को उन्होंने प्रामाणिक आप्त-वाणी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने देखा हो—वे जो अपना रहे हैं, वह मध्यम मार्ग है। इसमें दोनों अतिरेकों का समाधान है। परम्परा से प्राप्त महिमाशाली बाङ्गमय की प्रतिष्ठा तथा रक्षा जहाँ इससे सधेगी, वहाँ उत्कृष्ट संयममय जीवन-सरणि विलय से बचेगी। यह घटना संघ-भेद के बहुत बाद की नहीं होनी चाहिए, ऐसा अनुमान है।

इस सम्प्रदाय ने दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों की कुछ-कुछ बातें लीं। फल यह हुआ, दोनों ही इसके विरोधी रहे। दिगम्बरों ने इसमें श्वेताम्बरों का ही प्रच्छन्न रूप देखा तथा श्वेताम्बर को इसमें दिगम्बरों से कोई विशेष भेद दृष्टिगत नहीं हुआ। यही कारण है, इसके उद्भव के सम्बन्ध में दोनों ही सम्प्रदायों में जो उल्लेख हुए हैं, वे पक्षपात से शून्य नहीं हैं। उनमें साम्प्रदायिक अभिनिवेश भी है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यापनीय संघ वह सम्प्रदाय है, जो बाह्य परिवेश में श्वेताम्बरों से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उन द्वारा स्वीकृत अधिकांश आगमों में निष्ठा एवं विश्वास रखता है। उसके श्रमण अपने प्रव्रजित जीवन का आधार उन्हीं को मानते हैं। एतदर्थ इस प्रसंग में उनके सम्बन्ध में चर्चा करना उपयोगी होगा।

दर्शनसार में उल्लेख

देवसेन द्वारा यापनीय संघ के उद्भव के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख के अनुसार विक्रम को हुए २०५ वर्ष व्यतीत होने पर कल्याण नामक नगर में श्रीकलश नामक श्वेताम्बर साधु से यापनीय संघ प्रवर्तित हुआ ।^१

देवसेन का यह भाव स्पष्ट है कि यह श्वेताम्बर-प्रसूत मत है । अर्थात् इसके श्रमण निर्वस्त्र हैं, पर उनमें श्वेताम्बर-दर्शन की पुष्टि है । देवसेन ने, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है, श्वेताम्बर-मत के उद्भव का समय १३६ विक्रमाब्द बताया है । उससे ६९ वर्ष बाद की यह घटना है । हो सकता है, वैचारिक पृष्ठ-भूमि के तैयार एवं परिष्कृत होने में इतना समय व्यतीत हो गया हो । तदनन्तर उन विचारों का प्रतिफलन इस प्रकार के एक भिन्न सम्प्रदाय के रूप में हुआ हो ।

दर्शनसार की एक अन्य प्रति में ऊपर चर्चित श्लोक के द्वितीय चरण के 'बुद्धि सए पंच उत्तरे जावे' के स्थान पर 'सत्त सए पंच उत्तरे जावे' है, जिसके अनुसार यापनीय संघ का उद्भव वि० सं० २०५ के स्थान पर वि० सं० ७०५ में होता है । पर, यह संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि उससे काफी पहले शाकटायन प्रभृति यापनीय संघ के अति विश्रुत आचार्य हो चुके हैं । अतः 'बुद्धि सए पंच उत्तरे जावे'—यही पाठ वास्तविक प्रतीत होता है ।

रत्ननन्दी के अनुसार यापनीय मत

रत्ननन्दी ने भद्रबाहु-चरित्र में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का वर्णन समाप्त करते हुए वहीं से यापनीय संघ की उत्पत्ति का वृत्तान्त शुरू किया है । यापनीय संघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कथानक वे कहना चाहते हैं, उसे श्वेताम्बर-मत सम्बन्धी कथानक से जोड़ते हुए वे आगे बढ़ते हैं । वे लिखते हैं : "राजा लोकपाल और रानी चन्द्रलेखा श्वेताम्बर-मत के भक्त थे । उनके एक पुत्री हुई, जो सुन्दर लक्षणों से युक्त थी । उसका नाम नकुला देवी रखा गया ।"^२ उसने अपने गुरु से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । वह यथाकाल

१. कल्लारो वरजयरे, बुद्धिसए पंच उत्तरे जावे ।

जावणियसंघभावो, तिरिकलसावो णु सेवइवो ॥

—दर्शनसार, २९

२. तद्धमस्तलोकपालाख्य-महीभिच्चन्द्रलेखयोः ।

मुता नकुलदेव्याख्या बभूव वर लक्षणा ॥

—भद्रबाहुचरित्र परिच्छेद, ४.१३५

युवजनप्रिय नवयौवन को प्राप्त हुई । उसकी स्वर्ण जैसी देह-कान्ति थी । देवांगनाओं से पढ़कर उसका रूप था । वह कला-निष्णात थी।”

“करहाटाक्ष^१ (करहाटक) नामक एक समृद्ध नगर था । भूपाल नामक वहां का राजा था । वह अप्रतिहत प्रतापशाली था । उसने उल्लासपूर्वक उस राज-कन्या से विवाह किया । अपने पुण्य-फल से वह सब रानियों में प्रधान हो गई । वह बुद्धिशील राजा उसके साथ पुष्कल सांसारिक सुखोपभोग करने लगा ।”^२

“एक दिन अनुकूल अवसर देखकर रानी ने राजा से निवेदन किया—स्वामी ! मेरे पिता के नगर में मेरे महान् गुरु हैं । धर्म-कार्य अभिवृद्धि के लिए उन्हें आमन्त्रित करें ।

राजा ने रानी का वचन सुना । अपने बुद्धिसागर नामक मंत्री को तत्काल बुलाया और उसे उन साधुओं को आदरपूर्वक लाने के लिए भेजा । वह गुरुओं के पास पहुंचा । उनके प्रति भक्ति-भाव तथा अतिशय विनय प्रदर्शित किया ।

साधुओं को अपने राजा के नगर में चलने की बार-बार अभ्यर्थना कर मंत्री उन्हें ले आया । उनका आगमन सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई ।”^३

१. महाराष्ट्र प्रवेश के अन्तर्गत सतारा जिले के कराढ़ से इसकी पहचान की जाती है ।

२. अध्वेष्टाऽनेकशास्त्राणि समीपे स्वगुरोस्तु सा ।

कलाकलकनककान्तिः रूपापास्तसुराङ्गना ॥

अवाप तार-तारुण्यं तारुण्योद्धतनृप्रियम् ।

अथास्ति करहाटाक्षं द्रवं द्रविणसंभृतम् ॥

तच्छास्ताऽचार्यवीर्योऽभूद् भूपोभूपालनामभाक् ।

कन्यां तां कमनीयांगीं प्रमोदात्परिणीतवान् ॥

साऽऽसीद् सकलराज्ञोषु मुख्या पुण्यविपाकतः ।

तयाऽमा विपुलान् भोगान् भुङ्क्तेऽसी विपुला मतिः ॥

—भद्रबाहुचरित्र परिच्छेद, ४.१३६-३९

३. अथ यदाऽवसरं प्राप्य राज्ञ्या विज्ञापिती नृपः ।

स्वामिन् ! मद्गुरवः सन्ति गुरवोऽस्मत्पितुः पुरे ॥

आनाययतु तान् भक्त्या धर्मकर्माभिवृद्धये ।

निशम्य तद् वचो भूषु-बाहुयाऽमात्यमञ्जसा ॥

“राजा बहुत बड़े आडम्बर के साथ साधुओं को वन्दन करने चला । उसने दूर से ही साधुओं को देखा । उसे बड़ा अचरज हुआ । यह क्या निर्वस्त्रता—नग्नता शून्य कोई नया मत है, जिसके साधु पात्र, दण्ड आदि धारण किये हुए हैं ? इनके पास जाना समुचित नहीं है ।

राजा वहाँ से लौट चला । अपने महल में आया । उसने महारानी से कहा कि तुम्हारे गुरु कुमार्य-गामी हैं । उनका आचार जिन-प्ररूपित सिद्धान्तों से बहिर्भूत दर्शन पर आधृत है । वे परिग्रह में फसे हुए हैं । हम उन्हें नहीं मानते ।”^१

“महारानी ने राजा के मन का भाव समझ लिया । वह अपने गुरुवृन्द के साम्निध्य में उपस्थित हुई, उन्हें नमन किया । वित्त से अपना मस्तक झुका कर निवेदन किया— भगवन् ! मेरे आप्रह्म से (वस्त्र, पात्र आदि की) आसक्ति का त्याग कर पवित्र, देव-वन्दित, निर्ग्रन्थ—निर्वस्त्र मुनि का स्वरूप धारण करें ।”^२

बुद्धिसागर नामानमप्रवील्लातुमाबरात् ।

आसाद्याऽसौ गुरुन् भक्त्या प्रवरप्रशयान्वितः ॥

भूयोऽभ्यर्चनयाऽमात्यः पत्तनं निजमानयत् ।

निशम्याऽऽगमनं तेषां मुदमाप परां नृपः ॥

—भद्रबाहुचरित परिच्छेद, ४.१४०-४३

१. महताऽऽडम्बरेणासावचालीद् वन्वितुं गुरुन् ।

दूरादालोक्य तात् साधून् दध्यादिति सुविस्मयात् ॥

अहो ! निर्ग्रन्थताशून्यं किमिव नौतनं मतम् ।

न मेऽत्र युज्यते गन्तुं पात्रदण्डादिभण्डितम् ॥

ध्याधुद्य भूपस्तस्मादागत्य जितमन्त्रिरम् ।

भाषते स्म महादेवीं गुरवस्ते कुमार्यगाः ॥

जिनोदितबहिर्भूत-दर्शनाधितवृत्तयः ।

परिग्रहप्रहस्तान्नेताम् मन्यामहे वयम् ॥

—बही, ४.१४४-४७

२. सा तु मनोगतं राक्षो ज्ञात्वाऽगाद् गुरुसन्निधिम् ।

नत्वा विशाषवाभास विनयानतमस्तका ॥

भगवन् ! सवाग्रहावेतां गृह्णीताऽभरपूजिताम् ।

निर्ग्रन्थपदवीं धृतां हित्वा संगं मुवाऽखिलम् ॥

—बही, ४.१४८-४९

“उन साधुओं ने रानी का विज्ञ-जनोचित कथन स्वीकार कर वस्त्र आदि सारे परिग्रह का तत्क्षण त्याग कर दिया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उन साधुओं ने हाथ में कमण्डल तथा जिन-मार्गोचित पिच्छिका धारण की। यों उन्होंने जिन-मुद्रा—दिगम्बर मुनि का वेष स्वीकार कर लिया।

तब राजा अत्यधिक आदरपूर्वक उनके सामने आया। भक्तिपूर्वक नमन किया तथा उन्हें नगर में ले आया। इस प्रकार वे साधु राजा से तथा अन्यान्य लोगों से पूजित तथा सम्मानित हुए। उनका रूप दिगम्बरों जैसा था तथा आचार श्वेताम्बरों का-सा। गुरु-उपदेश बिना वे नट की तरह दिगम्बर-स्वरूप धारण किये हुए थे। उन कुमार्ग-गामियों से यापनीय संघ उद्भूत हुआ।”^१

रत्ननन्दी ने यापनीयों को वेष से दिगम्बर तुल्य, पर आचार से श्वेताम्बरवत् कहकर श्वेताम्बर-मत का एक विकृत रूप लिए हुए बताया है। उनके अनुसार वे साधुत्व के मूल आधार—आचार से विरहित हैं, केवल परिवेश में दिगम्बरत्व का प्रदर्शन है।

इन्द्रनन्दी के विचार

इन्द्रनन्दी (ई० ११ वीं शताब्दी) ने नीतिसार में पांच प्रकार के जैनाभासों का उल्लेख किया है, जिनमें गोपुच्छक, श्वेताम्बर, द्रविड़, निष्पिच्छक तथा यापनीय का

१. उबरीकृत्य ते राज्या धचनं विदुषाचितम् ।

तस्यपुः सकलं संगं वसनादिकमञ्जसा ॥

करे कमण्डलुं कृत्वा पिच्छिकां च जिनोदिताम् ।

जग्रहुजिनमुद्रां ते धवलांशुधारिणः ॥

विशापतिस्ततो गत्वाऽभिमुखं धूरिसंभ्रमात् ।

नत्वातिभक्तितः साधुतु मध्ये पत्तनमानयत् ॥

तवातिबेलं धूपार्घ्यः पूजिता मानिताश्च ते ।

धृतं बिग्वाससां रूपमाचारः सितवाससाम् ॥

गुरुशिक्षातिगं लिगं नटवद्भण्डिमास्पदम् ।

ततो यापनसंघोऽध्वस्तोर्वा कापथवर्तिनाम् ॥

—भद्रबाहुचरित्र परिच्छेद, ४.१५०-५४

उल्लेख है ।^१ इन्द्रमन्दी के अनुसार जिस प्रकार श्वेताम्बर आदि सच्चे जैन नहीं हैं, उनमें जैनत्व का आभास मात्र है, वे केवल कहने भर को जैन हैं, उसी प्रकार यापनीय भी उसी श्रेणी में आते हैं । उनमें वास्तविक जैनत्व नहीं है ।

श्रुतसागर द्वारा विश्लेषण

श्रुतसागर (विक्रमान्व १६ वीं शती) ने इन्द्रमन्दी द्वारा अभिहित उपर्युक्त पांच जैनाभासों का विश्लेषण करते हुए लिखा है : “तं जैनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति, कथं मोक्षस्य योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्तं च—हृत्थीणं पुण दिक्खा खुल्ललोयस्स वीरचरियत्तं । कक्कसकेसगाहणं छट्ठं च गुणव्वदं नाम ॥ श्वेतवाससः सर्वत्र भोजनं गृह्णन्ति प्रासुकं—मांसभक्षिणां गृहे दोसो नास्तीति वणकोपः कृतः । तन्मध्ये श्वेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा देवपूजादिकं कलि पापकर्मदमिति कथयन्ति, मण्डलवत् सर्वत्र भाण्ड-प्रक्षालनोदकं पिबन्ति—हत्यादि बहुदोषवन्तः । द्रविडः सावद्यं प्रासुकं च न मन्यन्ते, उद्भोजनं निराकुर्वन्ति । यापनीयास्तु, वेसरा हवोभयं मन्यन्ते, रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां तद्भवे मोक्षं, केवलजिनानां कवलाहारं, परशासने सग्रन्थानां मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यते ।”^२

श्रुतसागर के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि कल्पसूत्र का हीनतापूर्ण चित्र उपस्थित करना चाहते हैं । संस्कृत में वेसर का अर्थ खन्वर^३ है ।

गुणरत्न द्वारा वर्ण

याकिनी-महतरा-सूनु आचार्य सूरि (वि० ७५०-८२७) द्वारा रचित षड्वर्शनसमुच्चय पर गुणरत्न (वि० १४०० से १४७५) की तर्क-रहस्य-दीपिका नामक टीका है । षड्वर्शनसमुच्चय के चतुर्थ अधिकार के प्रारम्भ में टीकाकार ने जैन मत के अन्तर्गत लिंग, वेष, अक्षर आदि का विवेचन किया है । वहाँ श्वेताम्बर एवं दिगम्बर—जैनों के दो भेद बतलाते हुए उन्होंने प्रसंगोपात्त रूप में दिगम्बरों का इस प्रकार वर्णन किया है : “दिगम्बराः

१. गोपुच्छकः श्वेतवासा, द्रविडो यापनीयकः ।

निष्पिच्छश्चेति पञ्चन्ते, जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥

—नीतिसार, १०

२. षट्प्राप्तुत टीका, पृ० ११

३. संस्कृत-हिन्दी-कोश, वामन शिवराम आपटे, पृ० ९७८

पुनर्नाग्न्यालिगाः पाणिपात्राश्च । ते चतुर्धा काष्ठासंध-मूलसंध-माथुरसंध-गोप्यसंध भेदात् । काष्ठासंधे चमरीबालः पिच्छिका, मूलसंधे माथूरपिच्छैः पिच्छिका, माथुरसंधे मूलतोऽपि पिच्छिका माहता, गोप्या माथूरपिच्छिकाः । आद्यास्त्रयोऽपि संधा वन्द्यमाना धर्मवृद्धिं भणन्ति, स्त्रीणां भुक्ति, केवलिनां भुक्ति सद्गतस्यापि सचीवरस्य भुक्तिं च न मन्यते, गोप्यास्तु वन्द्यमाना धर्मसाभं भणन्ति, स्त्रीणां भुक्ति, केवलिनां भुक्तिं च मन्यते । गोप्या यापनीया इत्यप्युच्यन्ते । सर्वेषां च भिक्षाटने भोजने च द्वात्रिंशदन्तराया मलाश्च चतुर्वश वर्जनीयाः । शेषमाचारे गुरो च देवे च सर्वं श्वेताम्बरस्तुष्यन्, नास्ति तेषां मिथः शास्त्रेषु तर्केष्वपरो भेदः ।”^१

गुणरत्न के अनुसार गोप्य और यापनीय पर्यायवाची हैं । गोप्यों अर्थात् यापनीयों के सिद्धान्तों में यहां स्त्री-भुक्ति तथा केवलि-भुक्ति की चर्चा की गई है, जो सर्वथा श्वेताम्बर-सम्मत सिद्धान्त है । दिगम्बर-सम्प्रदाय की किसी भी शाखा, उपशाखा द्वारा ये स्वीकृत नहीं हैं । इतना ही नहीं, श्वेताम्बरों के साथ दिगम्बरों का जिन विशेष पहलुओं को लेकर मत-वृद्धि है, उनमें ये मुख्य हैं । यह सब होते हुए भी गुणरत्न यापनीयों को स्पष्टतया दिगम्बरों के भेदों में गिनाते हैं । ऐसा लगता है, गुणरत्न के चिन्तन के आधार सम्भवतः यापनीयों का बाह्य स्वरूप अधिक रहा है । सिद्धान्तों की ओर सम्भवतः उन्होंने उतना अधिक ध्यान न दिया हो और नान्य के कारण उन्हें सहज ही दिगम्बरों में ले लिया हो । पर, जैसा कि पहले संकेत किया ही गया है, दिगम्बरों ने भी नग्नता के बावजूद उन्हें अपना अंग नहीं माना । सम्प्रदायों का मापदण्ड कुछ इसी प्रकार का रहा है, अनेक बातों व सिद्धान्तों में मिलते हुए भी जो सम्पूर्णतः मेल नहीं खाता, उसे आंशिक समर्थन भी नहीं दिया जाता । क्या इस सन्दर्भ में अनेकान्तवादी दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग में कुछ ससीमता के दर्शन नहीं होते—विद्वानों के लिए यह एक अनुशीलनीय पहलू है ।

यापनीय के नामान्तर

प्राकृत-भाषा, वाङ्मय एवं जैन जगत् के लब्धिप्रतिष्ठ विद्वान् डा० ए० एन० उपाध्ये

१. (क) षड्दर्शनसमुच्चय सटीक, पृ० १६०-६१

(ख) मलधारी राजशेखर का भी इसी आशय का एक श्लोक है :

विगम्बराणां चत्वारो, भेदा नान्यद्वतस्पृशः ।

काष्ठासंधो मूलसंध, संधो माथुरगोप्यकौ ॥

ने यापनीय के अर्थ में प्रयुक्त अनेक शब्द सूचित किये हैं।¹ जैसे—यापनीय, आपनीय (यपनी), थापनी, आपनीय, थापुलिय, आपुलिय, जापुलि, जाबुलिय, जावलिय, जाचलिय, जावल्लियेय। उन्होंने इसकी अर्थ-गवेषणा के प्रयत्न में सम्भावना उपस्थित की है कि स्यात् इसका याम या आम शब्द से सम्बन्ध हो। तदनुसार इसका पार्श्व के षडङ्गाग्र या चतुर्थमि धर्म से सम्भवतः कुछ तांता जुड़ सके।

एक और कल्पना

बौद्धों में हीनयाम और महायान के रूप में मुख्यतया दो शाखाएं मानी जाती रही हैं। उनके नामकरण का इतिहास बड़ा विचित्र है। बौद्ध परम्परा में उस सम्प्रदाय ने, जिसने केवल वैयक्तिक मुक्ति पर ही बल न दे समस्त मानव-समुदाय की मुक्ति, कल्याण और सेवा के लिए महाकरुणा की अवतारणा की, अपने आपको महायान कहा। जो सम्प्रदाय वैयक्तिक निर्वाण पर विशेष जोर देता था, उसे उन्होंने स्वार्थी कह अपने से हीन—सुच्छ—छोटा माना; अतः उन्होंने उसे हीनयान की संज्ञा से अभिहित किया। आगे चलकर उस प्राकृत शाखा का वही नाम प्रसिद्ध हो गया। कुत्सा के अर्थ में दिया गया नाम, उसके स्वरूप का वाचक हो गया।

नाम के सम्दर्भ में यही घटना कहीं यापनियों के साथ न घट गई हो? यापनीय एक संस्कृत शब्द है, जिसका एक अर्थ हीनता-द्योतक भी है अर्थात् एक व्यक्ति, समुदाय या मत, जो अवहेलना योग्य या बहिष्कार करने योग्य है, उसे यापनीय² कहा जा सकता है। यापनीय नाम से प्रचलित धर्म-सम्प्रदाय जैसा कि विवेचित हुआ है, दिगम्बर एवं

1. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, vol LV, Poona, 1974, Page, 12.

२. संस्कृत में यापनीय और याप्य एक ही अर्थ के सूचक है।

संस्कृत-हिन्दी-कोश : वामन शिवराम आष्टे, पृ० ८३४; याप्य शब्द के अर्थ—हटाये जाने के योग्य, निकाले जाने के योग्य अथवा अस्वीकार किये जाने के योग्य, नीच, तिरस्करणीय, मामूली, अनावश्यक।

Sanskrit-English Dictionary : Sir M. Monier-williams, Page 850.

याप्य : To be Caused to go, to be expelled or discharged (as a witness), gaut, to be removed, or cured (as a disease), trifling, unimportant.

श्वेताम्बर—दोनों द्वारा अस्वीकृत ही नहीं तिरस्कृत था। अतः हो सकता है, दोनों ही सम्प्रदाय तिरस्कार के रूप में अपना रोष व्यक्त करने की दृष्टि से उसे ऐसे नाम से सम्बोधित करने लगे हों। आगे जाकर वह नाम इतना प्रचलित हो गया ही कि नाम-कर्त्ताओं की तिरस्कृत्या का उसमें सर्वथा लय हो गया ही और वही नाम उनके वास्तविक नाम के रूप में चल पड़ा ही। उन्होंने उसे यथावत् स्वीकार कर लिया ही। भाषा-शास्त्र के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनके साथ इसी कोटि के वृत्त घटित होते रहे हैं।

यापनीय संघ : आकर्षण : प्रभाव

दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में जैन संघ में जो विभाजन हुआ है, उसकी जैन धर्म के अनुयायियों पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। 'बेहदुखं महाफलम्' के आदर्श में विश्वास रखने वाले लोगों का झुकाव निर्वस्त्र-परम्परा के मुनियों की ओर अपेक्षाकृत अधिक हुआ हो। आध्यात्मिक आदर्शों के साथ-साथ जो सामाजिक सम्पर्क तथा समाज में श्रमणों के अपेक्षाकृत अधिक प्रवेश की आवश्यकता समझते थे। उनको सर्वस्त्र-परम्परा ठीक लगी हो। कुछ ऐसे भी लोग रहे हों, जो दोनों धाराओं के सिद्धान्तों को अनुचित समझते हों।

इस प्रकार के अनेकविध विचार चलते रहे हों। लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुरूप उन-उन धार्मिक क्रिया-कलापों में भाग लेते रहे हों। इस बीच एक शताब्दी के भीतर ही यापनीय संघ के रूप में एक अभिनव धार्मिक अभियान लोगों के समक्ष आया हो। जो पिछली दोनों परम्पराओं के कट्टरपन से परितुष्ट नहीं थे, उन्होंने, उनसे सम्बद्ध लोगों ने, अन्य प्रभावित हुए व्यक्तियों ने यापनीय मत को स्वीकार कर लिया हो।

एक विशेष प्रकार की विचारधारा लिए कोई भी नया सम्प्रदाय खड़ा होता है, तब प्रारम्भ में उसके उपदेशकों तथा अनुयायियों में अपने विचारों को लोकव्यापी बनाने का एक विशेष प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। यापनीय संघ के संदर्भ में भी संभावना की जा सकती है, ऐसा ही हुआ हो। वैसा होने में एक सुविधा भी थी, क्योंकि वह सम्प्रदाय आंशिकतया दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—दोनों परम्पराओं के आदर्शों को लिए हुए था, इसलिए दोनों के अनुयायियों तक सरलता से उसकी पहुँच थी। फलतः यापनीय संघ उत्तरोत्तर फैला गया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में यापनीय मत अधिक फैला। इतना फैला कि कुछ शताब्दियों तक तो वह जैन परम्परा के मुख्य प्रतीक के रूप में वहाँ समाहित रहा।

दक्षिण में शुरू से ही दिगम्बर-मत का बहुत प्रचार था । दिगम्बर-बहुल क्षेत्र में यापनीयों को अधिक सफलता मिलने का एक विशेष कारण था । यद्यपि दिगम्बरों ने यापनीयों को जैनाभास या प्रच्छन्न श्वेताम्बर मामा, पर, फिर भी वेष के अतिरिक्त नग्न-मूर्ति-पूजा, बाह्य चर्चा आदि अनेक बातों में दिगम्बरों से उनका नैकट्य था । श्वेताम्बर अंग-बाङ्गमय को स्वीकार करने का अभिप्राय स्त्री-मुक्ति, कैवल्य-भुक्ति जैसे दार्शनिक विषयों में श्वेताम्बरों जैसे विचार रखना था । दार्शनिक विचारों की गहराई तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं; क्योंकि वह प्रकृष्ट प्रज्ञा और चिन्तन-सापेक्ष है । अधिकांश लोग तो बाह्य परिवेश, स्वरूप, चाल-ढाल आदि देखते हैं । यों उनका दिगम्बरों में प्रवेश अपेक्षाकृत सरल था । अपने मत का प्रसार करने की दृष्टि से दक्षिण यापनीयों को बहुत उपयुक्त क्षेत्र लगा हो । वे कार्यरत हो गये हों । खूब प्रयत्नशील रहे हों ।

उस समय प्रचलित दिगम्बर-सम्प्रदाय के होते हुए भी यापनीयों का दक्षिण में प्रभाव बढ़ने लगा । उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ के दिगम्बर मुनि स्थिति-पालक अधिक रहे हों । यापनीय किसी अपेक्षा से क्रान्तिकारी थे । अधिकांश श्वेताम्बर आगमों को प्रामाणिक मानने की घोषणा करना, तब और विशेषतः दिगम्बर-क्षेत्र में कोई साधारण कार्य नहीं था । वास्तव में यह एक साहसिक कार्य था । इस प्रकार का साहस करने वालों के प्रति उद्बुद्धयेता जनों में स्वतः एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है । अतः तब वहाँ दिगम्बर-मतानुयायी जन-समुदाय ने उन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय का ही एक क्रान्तिकारी परिर्वर्तित रूप माना हो । क्रान्त-द्रष्टा दिगम्बर मुनियों के रूप में उनकी अपेक्षाकृत अधिक प्रतिष्ठा हुई हो ।

प्रतिष्ठा : राज-सम्मान

इस प्रकार के अनेक प्रमाश प्राप्त हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि विक्रम की पांचवीं शताब्दी से चवदहवीं शताब्दी तक यह मत भारत में ससम्मान जीवित था । कर्नाटक प्रदेश में कभी यह बहुत प्रतिष्ठित एवं राज-मान्य रहा । आज के धारवाड़, बेलगाँव, गुलबर्ग तथा कोल्हापुर आदि जिले इसके मुख्य प्रचार-क्षेत्र थे ।

कुछ महत्वपूर्ण दान-पत्र

डा० ए० एन० उपाध्ये ने अपने एक लेख में यापनीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण दान-पत्र आदि की चर्चा की है, जिन्से दक्षिण में यापनीयों की सुदृढ़ एवं सम्मानित स्थिति का पता चलता है । डा० उपाध्ये ने लिखा है: "कदम्बवंशीय मृगेश वर्मन् (४७५-४९० ई०)

ने यापनीयों, निर्ग्रन्थों और कूर्चकों को एक जागीर प्रदान की। उस सन्दर्भ में दान-पत्र में वर्णित आचार्य का नाम दामकीर्ति है। तदनन्तर मृगेश वर्मन् के पुत्र ने (४९७-५३७ ई०) जागीर में एक गांव, जिसकी आय से पूजा की तथा चातुर्मसि में यापनीय साधुओं के आहार की व्यवस्था की जाती रहे, प्रदान किया। वहां दामकीर्ति, जयकीर्ति, बन्धुसेन तथा कुमार-दत्त नामक आचार्यों का उल्लेख है। सम्भवतः वे सभी यापनीय थे।

देववर्मन् के पुत्र कृष्ण वर्मन् (४७५-४८० ई०) ने यापनीय संघ के साधुओं को उनके देव-स्थान की व्यवस्था के लिए एक ग्राम प्रदान किया।^१

इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि कर्नाटक के शासक यापनीयों के प्रति श्रद्धाशील थे। यापनीयों के अपने देव-स्थान मन्दिर थे। वहां की संचालन-व्यवस्था यापनीय साधु देखते थे। यापनीयों के देव-स्थानों की पूजा आदि की सुव्यवस्था तथा साधुओं को चातुर्मसि में आहार आदि का कष्ट न हो, इस और शासकों का विशेष ध्यान रहता था। इस हेतु वे जागीर में ग्राम आदि देते रहते थे।

विशेष चर्चा का प्रसंग तो नहीं है, केवल एक बात यहां देखने की है, यापनीय श्रमणों के आहार आदि की सुविधा के लिए राजा लोगों द्वारा जागीर आदि के अनुदान उन्हें कैसे ग्राह्य होते थे? इससे ध्वनित होता है कि दैनन्दिन आचार में यापनीय साधुओं में इदृता और कष्ट-सहिष्णुता कम होती जा रही थी।

-
1. Mragesh varman (475 to 490 A.D.) of the Kadamba dynasty has given a grant to Yapaniyas, Nirgranthas and Kurcakas. The teacher mentioned in the plate is Damakirti. Further his son (497-537 A.D.) also made a grant of village, out of the income of which the Puja etc. were to be performed and the Yapaniya ascetics to be fed for four months. The teachers mentioned here are Damakirti, Jayakirti, Bandhusena and Kumardatta. Possibly all of them Yapaniyas. Further Devavarman, the son of krisnavarman (475-480 A.D.) made a donation of a village to the members of the Yapaniya Sangh in favour of their temple for its maintenance.

—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol, LV,
Poona 1974, Page 12.

कागवाड़ का शिलालेख

बैलगांव जिले के अन्तर्गत कागवाड़ नामक स्थान में एक जैन मन्दिर के भू-गर्भ-गृह (भोहरे) में भगवान् नेमिनाथ की एक विशाल प्रतिमा है। उसके निकीषिका-प्रस्तर पर एक लेख है। वहां अंकित तिथि के अनुसार यह शिलालेख १३९४ ई० सन् का है। उसमें यापनीय संघ तथा पुष्पागवृक्षमूल के आचार्य नेमिचन्द्र, धर्मकीर्ति तथा नागचन्द्र का उल्लेख है। यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र वहां 'तुलुव-राज्य-स्थापनाचार्य' के रूप में अभिहित किये गये हैं।

इस वर्णन से यह और स्पष्ट होता है कि दक्षिण के राजवंशों पर कभी इन यापनीय आचार्यों का बड़ा प्रभाव था। राज्यों के महत्वपूर्ण घटना-क्रमों के पटाक्षेप के पीछे इन आचार्यों की शक्ति और प्रभुत्व महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते थे। नेमिचन्द्र का 'तुलुव-राज्य-स्थापनाचार्य' विशेषण यापनीय आचार्यों के इस प्रकार के प्रभावक व्यक्तित्व का सूचक है।

प्रस्तुत शिलालेख में यापनीय संघ के साथ-साथ जो पुष्पागवृक्ष-मूलगण का उल्लेख हुआ है, वह और कोई नहीं, यापनीय संघ का ही एक विशेष भेद था।

यापनीय संघ का अनेक गणों में विस्तार

जब कोई सम्प्रदाय खूब विस्तीर्ण और व्यापक हो जाता है, तब उसकी अनेक शाखाएं तथा भेदोपभेद निर्मित हो जाते हैं। यापनीय संघ भी समय पाकर काफी फैल गया था। फलतः वह अनेक गणों में विभक्त होता गया। डा० उपाध्ये ने इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कुमुलिगण (कुमुदिगण), (कोटि), मडुवगण, कण्डूर या काणूरगण, पुष्पागवृक्ष-मूलगण, वन्दियूरगण, कारेयगण, नन्दिगच्छ तथा मैलपान्वय का उल्लेख किया है तथा यह भी संकेत किया है कि यापनीय मत क्रमशः कर्नाटक तथा उसके इर्द-गिर्द प्रसार पाता गया।¹

1. The Yapaniya Sangha is associated with ganas like Kumuli-gana (or Kumudigana), (Koti), Maduvagana, Kandura or Kanura-gana, Punnavavriksamulagana (also linked with Mula Sangha) Vandiyuragana, Kareyagana and Nandigaccha and Mailapanvaya. This Contemination with different ganas indicates that the Sangha gradually got itself expressed through ganas which, as account of

कहा नहीं जा सकता, वे गए उस सम्प्रदाय की किसी केन्द्रीय प्रभुसत्ता के अन्तर्गत थे या सर्वथा स्वतन्त्र। वे केवल व्यवस्था की दृष्टि से पृथक् हुए या सैद्धान्तिक या आचार-सम्बन्धी भेद पड़ जाने से वैसा हुआ, कुछ स्पष्ट नहीं है, पर, इतने सारे गणों के अस्तित्व से यह तो स्पष्ट है कि यापनीय संघ का कार्य-क्षेत्र या प्रसार-क्षेत्र बहुत विस्तार पा चुका था।

यापनीय आचार्य : साहित्यिक घाश : श्वेताम्बर-आगम

यापनीय संघ के आचार्यों ने साहित्य की महान् सेवाएं कीं। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण एवं मार्मिक ग्रन्थ रचे। कारण यह था, जैसा कि कहा गया है, भारत में—विशेषतः दक्षिण भारत में उनके उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण काल आया, जब वे शासकों, सम्भ्रान्त लोगों तथा जन-साधारण पर पूरी तरह छा गये। उनकी बड़ी प्रशस्ति थी। राजा और प्रजा का उनके प्रति बहुमान एवं आदर था। उनके अनेक मन्दिरों के पीछे बड़ी-बड़ी जागीरें थीं, जिनके कारण वहां निर्वाह-सम्बन्धी सुविधाएं एवं अनुकूलताएं थीं। यापनीय मुनि विद्या-व्यसनी थे। फलतः उनके स्थान विद्या के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये। विद्याध्ययन एवं साहित्य-सर्जन का शताब्दियों तक एक सुन्दर क्रम वहां चलता रहा।

यहां कतिपय प्रमुख यापनीय आचार्यों तथा उन द्वारा अपने साहित्य में किये गये श्वेताम्बर-आगमों के उपयोग के सन्दर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, जिससे इस सुतरां ज्ञातव्य विषय पर स्पृहणीय प्रकाश पड़ सके।

शिवार्थ : शिवकोटि

शिवार्थ, जिन्हें शिवकोटि भी कहा जाता है, द्वारा रचित आराधना दिगम्बर-परम्परा का प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इसे भगवती आराधना भी कहते हैं। यह आचार-प्रधान ग्रन्थ है। इसमें सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य तथा सम्यक् तप—इन चार आराधनाओं का विशद विश्लेषण है।

क्षुल्लक जिनेन्द्र वरणी ने जैन सिद्धान्त कोश में शिवकोटि (शिवार्थ) का समय ईसा की

the Ganabhedha shows, were becoming more prominent in Karnataka and round about.

—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. LV,
Poona 1974, Page 17.

प्रथम शती का मध्य लिखा^१ है। यद्यपि समय की निश्चिती के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं विश्वस्त प्रमाण प्राप्त नहीं है, फिर भी शिवार्य काफी प्राचीन हैं। दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में जैन संघ के विभक्त हो जाने के पश्चात् यापनीय संघ के अस्तित्व में आने के अनन्तर शिवार्य का समय सम्भावित हो सकता है।

आराधना : कुछ प्रश्न - विन्ह ??

यद्यपि आराधना या भगवती आराधना दिगम्बर-परम्परा का ग्रन्थ माना जाता है, पर उसमें वर्णित विषयों का परिशीलन करने से पता चलता है कि वे दिगम्बर-आम्नाय द्वारा स्वोक्ति सिद्धान्तों से सम्पूर्णतः मेल नहीं खाते। दिगम्बर-सम्प्रदाय के मन्तव्यों से कुछ भिन्नता भी वहाँ दृष्टिगत होती है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इस सम्बन्ध में लिखा है: “... ध्यान रखने की बात है कि भगवती आराधना की अनेक मान्यताएं दिगम्बर मुनियों के आचार-विचार से मेल नहीं खातीं। उदाहरण के लिए, रुग्ण मुनियों के वास्ते अन्य मुनियों द्वारा भोजन-पान लाने का यहां निर्देश है। इसी प्रकार विजहना अधिकार में मुनि के मृत शरीर को जंगल में छोड़ आने की विधि बताई है। श्वेताम्बरों के कल्प, व्यवहार, आचारांग और जीतकल्प का भी उल्लेख यहां मिलता है। ...आवश्य-निर्बुद्धि, बृहत्कल्प-भाष्य आदि श्वेताम्बरों के प्राचीन ग्रन्थों से भगवती आराधना की अनेक गाथाएं मिलती हैं...।”^२

इससे प्रकट होता है कि शिवार्य कुछ इस कोटि के मनीषी हैं, जिनके विचार दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—दोनों परम्पराओं से संपृक्त हैं। ऐसा अनुमान है कि सम्भवतः वे यापनीय परम्पराओं के रहे हों। यदि ऐसा नहीं होता तो वे उस प्रकार का उल्लेख कैसे करते, जिससे श्वेताम्बर-आगमों की प्रामाणिकता की पुष्टि होती।

शाकटायन द्वारा शिवार्य की चर्चा

शाकटायन, जो स्वयं यापनीय थे, जिनके सम्बन्ध में विशेष रूप से आगे लिखा जायेगा, अपने व्याकरण की स्वोपज्ञ अमोघ वृत्ति में शिवार्य की बड़े आदर के साथ चर्चा करते हैं, जो निम्नांकित उद्धरणों से स्पष्ट है :

शाकटायन व्याकरण सूत्र २।१।१ की वृत्ति के अन्तर्गत—

१. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग १, पृ० ३३५

२. प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३०४

इति शिवार्यम् । तच्छिवार्यम् । अहो शिवार्यं वर्तते । शिवार्यं शब्दो लोके सुष्ठु प्रकृत इत्यर्थः ।

सूत्र १.३.१६८ की वृत्ति में—

शोभनः सिद्धे विनिश्चयः शिवार्यस्य शिवार्येण वा ।

शाकटायन ने स्त्री-मुक्ति के प्रसंग में भी शिवार्य के सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख किया है । वहां उन्होंने उनकी दो कारिकाएं उद्धृत की हैं । जो इस प्रकार हैं :

यत् संयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम् ।

धर्मस्य हि तत् साधनमतोऽन्यदधिकरणमाहार्हन् ॥

अस्तैन्य बहिरव्युत्सर्गविवेकैषणा विसमितीनाम् ।

उपवेशनमुपवेशो ह्युपधरपरिग्रहत्वस्य ॥

वस्त्र धर्मोपकरण है या परिग्रह—इस पहलू की विशेषतः इन कारिकाओं में चर्चा है । यहां वस्त्र को संयम का उपकरण बताते हुए उसे धर्म का साधन बताया है ।

यह श्वेताम्बर दृष्टिकोण है, जो इन कारिकाओं में समर्थित हुआ है । ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे शिवार्य के यापनीय होने का अनुमान सही प्रतीत होता है ।

अपराजित सूरि नामक विद्वान् की आराधना पर टीका है । उसके भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे शिवार्य के यापनीय मत से सम्बद्ध होने की सम्भाव्यता प्रकट होती है ।

अपराजित सूरि का विवेचन

अपराजित सूरि ईसा की सातवीं शताब्दी के भ्रास-पास के विद्वान् थे । उनका दूसरा नाम विजयाचार्य था । एक ओर जहां उन्होंने आराधना पर टीका लिखी, दूसरी ओर दशवैकालिक सूत्र पर भी टीका की रचना^१ की । दशवैकालिक सूत्र के वर्णन-प्रसंग में उसकी चर्चा की गई है । उन्होंने दोनों टीकाओं का नाम विजयोदया रखा ।

भगवती आराधना, जो अधिकांशतः दिगम्बर-परम्परा से सम्बद्ध है तथा दशवैकालिक, जो श्वेताम्बरों के मूलसंश्लेष मान्य ग्रन्थों में मुख्य है, पर टीका रचने तथा उद्गृत विषय-विवेचन आदि से प्रतीत होता है कि अपराजित सूरि यापनीय संघ के थे । उदाहरणार्थ—

१, आराधना की ११९७ वीं गाथा की व्याख्या के अन्तर्गत अपराजित सूरि द्वारा उल्लेख—

“दशवैकालिकटीकायां श्री विजयोदयायां प्रपञ्चिता उद्गमाविरोधा इति नेह प्रतन्यते ।”

आराधना की निम्नांकित गाथा की अपराजित सूरि ने अपनी टीका में जो व्याख्या की है, जिससे इस सुतरां ज्ञातक विषय पर प्रकाश पड़ सकेगा :

“अचेलक्कुद्दे सियसेज्जाहर रायपिडकिइ कम्मे ।

वयजेट्टपडिवकमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥ ४२१ ॥”

अथैवं मन्यसे पूर्वगमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टम् । तथाहि आचारप्रणिधौ भणितम्—‘प्रतिलिखेद् पात्रकम्बलं ध्रुवम्’ इति । असत्सु पात्रादिषु कथं प्रतिलेखना ध्रुवं क्रियते ? आचारस्यापि द्वितीयोऽध्यायो लोकविच(ज)यो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तम्—‘पडिलेहणं पावपुंछणं उग्गहं कडासणं अण्णदरं उवधिं पावेज्ज’ इति । तथा वत्थेसणाए वुत्तं—‘तत्थ एसे हिरिमणे सेगं वत्थं वा धारेज्ज पडिलेहणं तवियं । तत्थ एसे जुग्गिवे दे (?) से वुवे वत्थाणि धरिज्ज पडिलेहणं विवियं । तत्थ एसे परिस्सहं अणधिहासस्स तओ वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहणं चउत्थं ।’ तथा पायेसणाए कथितम्—‘हिरिमाणे वा जुग्गिवे वावि अण्णणे वा तस्स णं कप्पवि वत्थादिकं पावचारित्तए’ इति । पुनश्चोक्तं तत्रैव—‘अलाबुपत्तं वा बाकगपत्तं वा मट्ठिगपत्तं वा अप्पपाणं अप्प स (ह) रिदं, तथा अ (तह) प्पकारं पात्रं न लाभे सति पडिगहिस्सामि’ इति । वस्त्रपात्रे यदि न ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? भावनायां योक्तम्—‘वरिसं चीवरधारी तेण परमचेलके तु जिणे’ इति । तथा सूत्रकृतस्य पुण्डरीकेऽध्याये कथितम्—‘ण कहेज्जा धम्मकहं वत्थपाविहेडु’ इति । निषेधे = (निशीये) ऽप्युक्तम्—‘कसिणाइं वत्थकंवलाइं जो भिक्खु पडिगहिबि पज्जदि मासिगं लहुगं’ इति । एवं सूत्रनिबिष्टे चले अचेलता कथम् ? इति ।

अत्रोच्यते—आधिकाणामागमेऽनुज्ञातं वस्त्रम्, कारणापेक्षया भिक्षणाम्, ह्यीमानयोग्य-शरीरावयवो दुश्चर्मभिलम्बमानबीजो वा परिधहसहने वा अक्षमः स गृह्णाति ।”¹

अपराजित सूरि ने आराधना की इस गाथा का विश्लेषण करते हुए साधु द्वारा वस्त्र-पात्र की ग्राह्यता के सन्दर्भ में जो विश्लेषण किया है, श्वेताम्बर-आगम-वाङ्मय के अत्यन्त मान्य आचारांग, सूत्रकृतांग तथा निशीथ जैसे ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत कर इसे समर्थित करने का प्रयत्न किया है, उससे स्पष्ट है कि इन आगम ग्रन्थों के प्रति वे निःसन्देह श्रद्धावान् थे । साथ-साथ यह भी ध्वनित होता है कि मूल गाथाकार शिवार्थ के मस्तिष्क में भी गाथा रचते समय बहुत सम्भव है, ये तथा तत्सम्बद्ध अन्य श्वेताम्बर-आगम-ग्रन्थ रहें हों । क्योंकि दिगम्बरों के मान्य ग्रन्थों में साधु द्वारा वस्त्र-पात्र की ग्राह्यता के सम्बन्ध में समर्थन नहीं प्राप्त होता ।

पारिवेशिक दृष्टि से निर्वस्त्रता का स्वीकार तथा सैद्धांतिक दृष्टि से श्वेताम्बर-सम्मत सवस्त्रता के समर्थन का यह विचित्र समन्वय क्या यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिवाय एवं अपराजित यापनीय संघ से सम्बद्ध थे ?

शिवाय की आराधना में कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनका समर्थन न दिगम्बर-शास्त्रों द्वारा होता है और न श्वेताम्बर-आगमों द्वारा ही। इससे भी यह प्रकट होता है कि वे इन दोनों ही परम्पराओं से सम्बद्ध नहीं थे। किसी तीसरी ही परम्परा से उनका सम्बन्ध था। वह यापनीय के अतिरिक्त और कौन-सी हो सकती है ?

शाकटायन : यापनीययतिप्रामाप्रणी

शाकटायन जैन जगत के महान् वैयाकरण, दार्शनिक एवं आगमवेत्ता थे। उनका दूसरा नाम पाल्यकीर्ति था। वे राष्ट्रकूटवंशीय नरेश अमोघवर्ष के समसामयिक थे। उनके स्वयं के इस प्रकार के उल्लेख हैं, जिनसे यह पुष्ट होता है। जैसे, व्याकरण के 'क्षयाते दृश्ये' सूत्र^१ की स्वोपज्ञ-वृत्ति में वे उदाहरण देते हुए लिखते हैं : "अरुणाब् देवः पाण्ड्यम् । अवहृदमोघवर्षादरातीन् ।"^२

सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय डा० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भाग की भूमिका में शाकटायन के समय के सम्बन्ध में चर्चा की है। अमोघवर्ष का समय ई० सन् ८१४-८७७ माना जाता है। तदनुसार उन्होंने शाकटायन का समय ई० सन् ८००-८७५ के मध्य सम्भावित माना है।

शाकटायन यापनीय संघ के महान् आचार्य थे, इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के महान् टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने नन्दी सूत्र की टीका में शाकटायन को 'यापनीययतिप्रामाप्रणी'^३ कहा है।

शाकटायन व्याकरण में श्वेताम्बर-आगम सम्बन्धी संकेत

जैन वैयाकरणों में शाकटायन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा

१. शाकटायन व्याकरण, ४.३.२०८

२. अमोघवर्ष के शत्रुओं को दग्ध कर डाला।

३. शाकटायनोऽपि यापनीययतिप्रामाप्रणी स्वोपज्ञशब्दानुशासनवृत्तावादी भगवतः स्तुति-मेवाह—'ओवीरममृतं ज्योतिर्नन्वादि सर्वदेवसाम्'।

सुप्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहैमशब्दानुशासन पर भी उसका प्रभाव है, उसके परिशीलन से ऐसा प्रकट होता है। पठन-पाठन की दृष्टि से शाकटायन व्याकरण दिगम्बर-समाज में काफी समादृत रहा है।

शाकटायन ने अपने व्याकरण के विभिन्न सूत्रों की वृत्ति में तद्बोधित प्रक्रियाओं के उदाहरण-स्वरूप स्थान-स्थान पर 'श्वेताम्बर-आगम-वाङ्मय' की ओर जो संकेत किये हैं, उनसे आगमों के प्रति उनकी निष्ठा तथा आदर प्रकट होता है। यदि वे दिगम्बर-परम्परा के होते तो ऐसा कभी सम्भव नहीं होता; अतः मलयगिरि द्वारा उन्हें 'यापनीययतिग्रामाग्रणी' के विषय से विशेषित किया जाना सर्वथा संगत प्रतीत होता है।

शाकटायन व्याकरण के उक्तविध उदाहरणों में से कुछ निम्नांकित हैं :

“एतकमावश्यकमध्यापय ।”¹

“इममावश्यकमध्यापय ।”²

“आम्नाती द्वादशाङ्गे ।”³

“सूत्राण्यधीष्व ।”⁴

“षड्जीवानिकायमधीते । स पिण्डैषणामधीते ।”⁵

“भद्रबाहुक प्रोक्तानि भाद्रबाह्वाणि उत्तराध्ययनानि ।”⁶

“अथ त्वं सूत्रमधीष्व ।”⁷

“अथ त्वमनुयोगमाधत्स्व ।”⁸

“भवान् खलु छेदसूत्रं वहेत् ।”⁹

“नियुक्तीरधीष्व ।”¹⁰

१. शाकटायन व्याकरण, १.२.२०३
२. वही, १.२.२०४
३. वही, १.३.१७१
४. वही, १.४.१२०
५. वही, २.१.१८
६. वही, ३.१.१६९
७. वही, ४.३.२८८
८. वही, ४.३.२८९
९. वही, ४.४.१३३
१०. वही, ४.४.१४०

प्रसंगोपात्ततया शाकटायन ने श्वेताम्बर-कालिक सूत्रों के अन्ध्याय के सन्दर्भ में चन्द्र-ग्रहण, सूर्य-ग्रहण, निर्घात, भूकम्प, गर्जन, विद्युत्, अल्कादाह, मशानाभ्यास, अशुचि, उत्सव तथा सन्ध्या—ये दश अन्ध्याय-काल^१ कहे हैं। यह श्वेताम्बर-परम्परा के अनुरूप हैं। शाकटायन के यापनीय-दर्शन-सम्मत विचार एवं आस्था का परिचय पाने की दृष्टि से उपर्युक्त विवरण काफी महत्वपूर्ण है।

शाकटायन रचित स्त्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण

दिगम्बरों तथा श्वेताम्बरों के बीच स्थित अनेक विवादास्पद विषयों में स्त्री-निर्वाण तथा केवलि-कवलाहार—ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसा कि उल्लेख हुआ है, श्वेताम्बरों में ये दोनों बातें हैं, दिगम्बर इन्हें स्वीकार नहीं करते। इस सम्बन्ध में यापनीय आचार्यों का मन्तव्य श्वेताम्बरों के साथ है।

आगम-साहित्य में तो ये विषय यथा-प्रसंग चर्चित हुए ही हैं, पर शाकटायन पहले आचार्य हैं, जिन्होंने दार्शनिक शैली में संस्कृत में इनका विवेचन किया। शाकटायन के उस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम 'स्त्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण'^२ है। लेखक की इस पर स्वोपज्ञ-बुक्ति भी है। इन विषयों का शाकटायन ने अपनी प्रकृष्ट प्रज्ञा द्वारा अपनी सबल एवं मार्मिक लेखिनी से जैसा विवेचन किया है, वह असाधारण है।

हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि शाकटायन से पूर्व के ग्रन्थकारों ने इन विषयों की कोई चर्चा ही नहीं की हो। शाकटायन से पूर्व यापनीय मनीषियों ने भी इस पर लिखा है। आचार्य हरिभद्र सूरि-रचित ललितविस्तर^३ में स्त्री-निर्वाण के सन्दर्भ में

१. चन्द्रसूर्योपरागश्च निर्घातो भूमिकम्पनम् ।

तृतीयं गर्जितं विद्युदुल्कादाहो दिशां तथा ॥

मशानाभ्यासमशुचिरुत्सवो दश सन्ध्याया ।

इति कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकालाः पठिताः ॥

(३.२.७४ के सन्दर्भ में)

२. यह ग्रन्थ वि० सं० २०३० में मुनि जम्बूविजयजी के सम्पादकत्व में आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर (गुजरात) से प्रकाशित हुआ है।

३. आचार्य हरिभद्र-रचित, चैत्य-बम्बन-सूत्र-बुक्ति का नाम ललितविस्तर है।

यापनीय तंत्र^१ का उद्धारण उपस्थित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि यापनीय मत का यापनीय तंत्र नामक कोई प्राचीन ग्रन्थ रहा है, जिसमें यापनीय मत के सिद्धान्तों का विवेचन रहा होगा। वह ग्रन्थ प्राकृत में था, अब प्राप्त नहीं है।

शाकटायन के ग्रन्थ की विशेषता

शाकटायन के स्त्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण ग्रन्थ की कुछ विशेषताएं हैं। वह प्रांजल संस्कृत में रचित है। दार्शनिक विषयों को तार्किक शैली द्वारा संक्षिप्त शब्दावली में प्रभावक रूप में व्याख्यात करने में संस्कृत की अपनी विलक्षणता है। शाकटायन ने प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका पूरा उपयोग किया है। दार्शनिक-पद्धति से पूर्व-पक्ष-निरसन पूर्वक उत्तर पक्ष या सिषाधयिषित विषय का स्थापन, दत्तं आगम, निर्युक्ति, भाष्य आदि आर्ष व आर्षोपम ग्रन्थों के अपेक्षित प्रसंगों का उपस्थापन आदि द्वारा शाकटायन के स्त्री-निर्वाण और केवलि-कवलाहार का इतना मार्मिक, तलस्पर्शी एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया है कि शताब्दियों तक यह ग्रन्थ इन विषयों के युक्तियुक्त तथा सबल निरूपण की दृष्टि से प्रतिष्ठा-पन्न रहा।

केवल यापनीय ही नहीं, श्वेताम्बर विद्वानों ने भी इस ग्रन्थ का पूरा उपयोग किया। उक्त दो विषयों में स्वपक्षस्थापन की दृष्टि से श्वेताम्बर विद्वानों के लिए यह एक आधारभूत ग्रन्थ बना रहा। श्वेताम्बर लेखक उक्त विषयों के प्रतिपादन के सन्दर्भ में अपनी कृतियों में इसका उपयोग करते रहे।

वादी देवशूरि एवं कुमुदचन्द्र का शास्त्रार्थ

सिद्धराज जयसिंह (वि० सं० ११४३-११९९) विद्यारसिक और तत्त्वानुरागी राजा था। उसकी राज-सभा में एक शास्त्रार्थ हुआ। निवदिषित विषयों में मुख्य स्त्री-निर्वाण

१. स्त्री ग्रहणं तासामपि तद्भव एव संसारक्षयो भवतीति ज्ञापनार्थं वचः—
यथोक्तं यापनीय-तन्त्रे—णो खलु इत्थी अजीचो, ण यावि असम्भा, ण यावि दंसण-
विरोहिणी, णो अमायुसा, णो अमारि (य) उप्पत्ती, णो असंखेज्जाउया, णो अकूरमई,
णो ण उवसन्तमोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोवो, णो बवसायवज्जिया, णो
अपुब्बकरणविरोहिणी, णो णबगुणद्वानरहिया, णो अजोग्गा लद्धीए, णो अकल्लाणभायणं
सि क्हं न उत्तम-धम्मसाहिगन्ति।

—सलितविस्तरा, पृ० ४०२

का विषय था। एक ओर श्वेताम्बर आचार्य वादी देवसूरि थे तथा दूसरी ओर दिगम्बर आचार्य कुमुदचन्द्र। प्रभावक-चरित में इस शास्त्रार्थ की चर्चा है। वहाँ लिखा है : “शान्ति-सूरि द्वारा उत्तराध्ययन पर रचित टीका, जो प्रतिवादी रूपी नागों को मंत्र-रुद्ध-सा कर देने वाली थी, से अधिगत स्त्री-निर्वाण सम्बन्धी युक्तियां उपन्यस्त कर मुनिचन्द्र के शिष्य देवसूरि ने सिद्धराज जयसिंह के समक्ष दिगम्बर विद्वान् (कुमुदचन्द्र) को जीत लिया।”^१

‘स्त्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण’ के सम्पादक मुनि जम्बूविजयजी ने ऐसी संभावना की है कि शान्तिसूरि (धारापद्मगच्छीय वादिवेताल शान्तिसूरि) (११वीं शती ई०) ने उत्तराध्ययन सूत्र की जो पाइय नामक टीका रची, जिसके सहारे वादी देवसूरि (१२वीं शती ई०) ने कुमुदचन्द्र को पराजित किया, का स्त्री-निर्वाण-सम्बन्धी अंश लिखते समय, हो सकता है, उन्होंने शाकटायन द्वारा विवेचित स्त्री-निर्वाण-सम्बन्धी प्रकरण को अपने समक्ष रखा हो। यह संभावना बहुत संगत जान पड़ती है।

इस घटना को यहाँ उपन्यस्त करने का प्रयोजन उक्त विषयों के तार्किक व दार्शनिक विश्लेषण तथा ऊहापोह के सम्बन्ध में उपस्थित प्रसंगों पर शाकटायन का उक्त ग्रन्थ कितनी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देता रहा, इसे स्पष्ट करना है।

श्वेताम्बर ग्रन्थकारों में अभयदेव (११वीं शती ई०) वादी देवसूरि (१२वीं शती ई०) तथा यशोविजय (१७वीं शती ई०) आदि ने अपने द्वारा रचित ग्रन्थों में स्त्री-निर्वाण तथा केवलि-कवलाहार के विवेचन के प्रसंग में प्रायः शाकटायन का ही अनुसरण किया है।

जहाँ श्वेताम्बर विद्वानों ने उक्त विषयों के पोषण और पुष्टीकरण के लिए इस ग्रन्थ का सहारा लिया, वहाँ दिगम्बर विद्वानों ने स्त्री-निर्वाण तथा केवलि-कवलाहार के खण्डन का प्रसंग आने पर शाकटायन के निरूपण को ही पूर्व पक्ष के रूप में स्वीकार किया। यों उक्त विषयों के मण्डन तथा खण्डन—दोनों अपेक्षाओं से इस ग्रन्थ का उपयोग होता रहा।

१. उत्तराध्ययन-ग्रन्थ-टीका श्री शान्तिसूरिभिः ।

विद्वक्षे वादिनागेन्द्र-सन्नागदमनी हि सा ॥

शिष्येण मुनिचन्द्रस्य सूरैः भीवेवसूरिणा ।

तन्मध्यत उपन्यस्त-स्त्री निर्वाणकलादिह ॥

पुनः श्रीसिद्धराजस्य जिठो जावे दिगम्बरः ।

तदीयवचसां मिथा विद्वक्षुः साधसाधिका ॥

—प्रभावक-चरित, ८९-९१

उदाहरणार्थ, प्रमेय-बमल-मार्तण्ड तथा म्याय-कुमुद-चन्द्र आदि ग्रन्थों के रचयिता, सुप्रसिद्ध नैयायिक दिगम्बर आचार्य प्रभाचन्द्र (१२५-१०२३ ई०) ने अपने ग्रन्थों में स्त्री-मुक्ति तथा केवलि-भुक्ति के प्रसंग में प्रायः इसी ग्रन्थ के प्रकरणों को सामने रखा ।

कुछ महत्वपूर्ण पहलू

शाकटायन ने अपने ग्रन्थ में विवेच्य विषयों के निरूपण, विश्लेषण तथा धोषण आदि के सम्बन्ध में जो श्वेताम्बर-आगमों के पाठ उद्धृत किये हैं, वे कहीं-कहीं श्वेताम्बरों के प्राप्त पाठ से कुछ-कुछ भिन्न भी हैं । तदतिरिक्त अन्य यापनीय ग्रन्थकारों ने विविध प्रसंगों पर श्वेताम्बर आगमों के पाठ लिये हैं, वहां भी वैसा सम्भावित है । अनुसन्धातृ-विद्वानों के लिए यह महत्व का विषय है । इसमें से यह संभावना निकलती है कि यापनीयों द्वारा स्वीकृत तथा प्रयुज्यमान जो आगम-संस्करण थे, उनमें श्वेताम्बरों द्वारा स्वीकृत आगमों से कुछ पाठ-भेद रहा हो, परम्परा-भेद रहा हो । अच्छा हो, श्वेताम्बर आगमों पर कार्य करने वाले विद्वान् इस पर गौर करें । हो सकता है, गवेषणात्मक अध्यवसाय से आगम-पाठ की कोई भिन्न परम्परा प्राप्त हो जाये, जिससे अनेक नूतन तथ्य प्रकाश में आने संभावित हैं ।

शाकटायन द्वारा अपने ग्रन्थ में और भी कतिपय ऐसे विषय उपस्थित किये गये हैं, जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर; दोनों परम्पराओं में नहीं हैं । ये यापनीयों की अपनी विशेषताएं हैं ।

उपधि^१ के सम्बन्ध में शाकटायन ने ओघ, अश्रु तथा औषग्रहिक के रूप में उसके तीन भेद किये हैं । इसमें दूसरे भेद अश्रु का सम्बन्ध केवल यापनीयों से ही प्रतीत होता है । यह

१. अभिधान-राजेन्द्र में उपधि के दो भेद—ओघ तथा अवगह का वर्णन—

ओहे उवगहम्मि य, बुविहो उवही उ होइ नायब्बो ।

एक्केक्को वि य बुविहो, गणणापमाणओ चेव ॥

वारस चोइस पणवीस, उ य ओघोवधी मुरेयब्बो ।

जिणक्कपो थेराण य, अट्ठाणं चेव कप्पम्मि ॥

ओघोवधी जिणाणं, थेराणोहे अवगहो चेव ।

ओहोवधिमज्जाणं, उवगह्मिओ अण्णा तट्ठो ॥

—अभिधान राजेन्द्र, भाग २, पृ० १०६०

उनकी अपनी विशेषता लगती है। और भी इस प्रकार के अनेक विषय हैं, जिनका विद्वानों तथा अन्वेष्टाओं द्वारा परिशीलन एवं परीक्षण किया जाना चाहिए।

श्रुतकेवली : देशीयाचार्य

शाकटायन ने अपने व्याकरण के समापन का सूचन जिस शब्दावली में किया है, वह इस प्रकार है :

“इति श्रीश्रुतकेवलि-देशीयाचार्यस्य
शाकटायनस्य कृतौ शब्दानुशासने.....।”

शाकटायन ने यहाँ अपने लिए श्रुत-केवली तथा देशीयाचार्य—इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है, यापनीय आचार्य इन विशेषणों द्वारा इतर जैन परम्पराओं से अपना पार्थक्य ज्ञापित करते थे।

डा० उपाध्ये ने सिद्धसेन दिवाकर (वि० ५वीं शती) के सम्बन्ध में भी ऐसी कल्पना की है कि बहुत सम्भव है, वे यापनीय मत के आचार्य^१ रहे हों। डा० उपाध्ये का कहना है कि इसीलिए सम्भवतः आचार्य हरिभद्र ने उन्हें श्रुत-केवली कहा हो।

उमास्वाति का सम्प्रदाय

तत्त्वार्थ-सूत्र के रचनाकार आचार्य उमास्वाति को भी एक दिगम्बर-शिलालेख^२ में श्रुत-केवली व देशीय कहा है। उमास्वाति के सम्बन्ध में यह संभावना की जाती है कि वे शायद यापनीय मत से सम्बद्ध रहे हों। स्वर्गीय पं० नाथूरामजी प्रेमी ने अपनी जैन साहित्य और इतिहास नामक पुस्तक में इसकी विशद चर्चा की है तथा उमास्वाति के यापनीय मत से सम्बद्ध होने के कारण भी उपस्थित किये हैं।

1. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's Nyaya Vatara and other works. Published by Jain Sahitya Vikasa Mandala, Bombay 1971.

२. तत्त्वार्थसूत्रकर्तारुमास्वातिमुनीश्वरम् ।
श्रुतकेवलिदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥

पं० सुखलालजी के विचार

पं० सुखलालजी संघवी उमास्वाति को यापनीय नहीं मानते । उन द्वारा लिखे गये विवेचना सहित प्रकाशित तत्त्वार्थ सूत्र में 'भारतीय विद्या' शीर्षक में जो प्राक्कथन है, वहाँ उन्होंने इस प्रसंग की चर्चा की है, जो इस प्रकार है :

“प्रेमीजी का 'भारतीय विद्या'—सिन्धी स्मारक अंक में 'वाचक उमास्वाति का सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र और उनका सम्प्रदाय' नामक लेख प्रसिद्ध हुआ है । उन्होंने दीर्घ ऊहापोह के बाद यह बतलाया है कि वाचक उमास्वाति यापनीय संघ के आचार्य थे । उनकी अनेक दलीलें ऐसी हैं, जो उनके मन्तव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं । इसलिए उनके मन्तव्य की विशेष परीक्षा करने के लिए सटीक भगवती आराधना का खास परिशीलन पं० श्री दलमुख मालवणिया ने किया । उस परिशीलन के फलस्वरूप जो नोंधें उन्होंने तैयार कीं, उन पर उनके साथ मिलकर मैंने भी विचार किया । विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टीकाएं और बृहत्कल्प-भाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया । जहां तक संभव था, इस प्रश्न पर मृत्त मन से विचार किया । आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचक उमास्वाति यापनीय न थे, वे सचेल परम्परा के थे, जैसा कि हमने परिचय में दर्साया है । हमारे अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है :

१. भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित—दोनों यदि यापनीय हैं तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचार विषयक निम्न लक्षण फलित होते हैं :

(क) यापनीय आचार का औत्सर्गिक अंग अचेलत्व अर्थात् नग्नत्व है ।

(ख) यापनीय संघ में मुनि की तरह आर्याओं का भी मोक्ष-लक्षी स्थान है और अवस्था-विशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश है ।

(ग) यापनीय मत में पाणितल-भोजन का विधान है और कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का औत्सर्गिक विधान नहीं है ।

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशस्तरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते; क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्र-पात्र का वर्णन है और कहीं भी नग्नत्व का औत्सर्गिक विधान नहीं है, कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं ।

२. श्री ग्रेमीजी की दलीलों में एक यह भी है कि पुण्य प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित की टीका में पाया जाता है। परन्तु गच्छ तथा परम्परा की तत्त्व-ज्ञान-विषयक मान्यताओं का इतिहास कहता है कि कभी-कभी एक ही परम्परा में परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दो परस्पर विरोधी मानी जाने वाली परम्पराओं में भी कभी-कभी ऐसी सामान्य व छोटी-छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता है। ऐसी दशा में वस्त्र-पात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्र-पात्र के विरोधी यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो कोई अचरज की बात नहीं।”^१

विमर्श

प्रस्तुत विषय पर विशेष चर्चा करना तो विषयान्तर होगा; अतः बहुत संक्षेप में कुछ संकेत किये जा रहे हैं। तत्त्वार्थ सूत्र को श्वेताम्बर तथा दिगम्बर—दोनों मानते हैं, पर दोनों द्वारा स्वीकृत पाठ में कुछ-कुछ अन्तर है और दोनों की सूत्र-संख्या कुछ भिन्न है। सूत्र-पाठ में अन्तर भी मुख्यतः वहां है, जहां दोनों परम्पराओं में सैद्धान्तिक मत-द्वैध है।

तत्त्वार्थ सूत्र और उस पर भाष्य—इन दोनों के कर्ता श्वेताम्बरों के अनुसार एक हैं। दिगम्बर सूत्र और भाष्य को भिन्न कर्तृक मानते हैं।

दिगम्बरों में तत्त्वार्थ सूत्र के सबसे प्राचीन व्याख्याकार आचार्य पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दि हैं। उनका समय विजय की पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से छठी शताब्दी के

१. तत्त्वार्थ सूत्र विवेचन सहित, लेखक का वक्तव्य, पृ० १४-१५

२. दिगम्बर-परम्परा द्वारा दशों अध्यायों की स्वीकृत सूत्र-संख्या—

$$\frac{१}{३३}, \frac{२}{५३}, \frac{३}{३९}, \frac{४}{४२}, \frac{५}{४२}, \frac{६}{२७}, \frac{७}{३९}, \frac{८}{२६}, \frac{९}{४७}, \frac{१०}{९}$$

= कुल सूत्र-संख्या ३५७

श्वेताम्बर-परम्परा द्वारा दशों अध्यायों की स्वीकृत सूत्र-संख्या—

$$\frac{१}{३५}, \frac{२}{५२}, \frac{३}{१८}, \frac{४}{५३}, \frac{५}{४४}, \frac{६}{२६}, \frac{७}{३४}, \frac{८}{२६}, \frac{९}{४९}, \frac{१०}{७}$$

= कुल सूत्र-संख्या ३४४

पूर्वाद्धि के मध्य भाग तक माना जाता है ।¹

आचार्य पुज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में तत्त्वार्थ का जो पाठ स्वीकार किया है, वही तत्त्वार्थ-राजवार्तिक के रचयिता आचार्य अकलंक (ई० ७ वीं शती) तथा तत्त्वार्थ-श्लोक-वार्तिक के रचयिता आचार्य विद्यानन्द (ई० ७७५-८४०) ने माना है। अन्यान्य दिगम्बर आचार्य तथा विद्वान् उसी पाठ को लेकर चले हैं। श्वेताम्बर तत्त्वार्थ के भाष्य का पाठ स्वीकार करते हैं।

अपनी-अपनी और स्विचाव

तत्त्वार्थ पर लिखने वाले दिगम्बर विद्वानों ने प्रायः उमास्वाति (उमा² स्वामी) को दिगम्बर सिद्ध करने का प्रयास किया है और तत्त्वार्थ पर लिखने वाले श्वेताम्बर विद्वानों का उन्हें श्वेताम्बर सिद्ध करने का प्रयास रहा है। पाठ-स्वीकार में भिन्नता का संभवतः यह भी एक कारण हो सकता है।

मूलतः तत्त्वार्थ के सूत्र उभय-परम्परा-परक रहे हों। पर साम्प्रदायिक आग्रह के वातावरण में वह बात स्थिर नहीं रह सकी हो। अपनी-अपनी परम्पराओं से संगत पाठ दोनों सम्प्रदायों ने स्वीकार कर लिए हों, अपनी परम्पराओं से असंगत पाठों को परिवर्तित, परिशोधित या परिष्कृत कर लिया गया हो। यदि तत्त्वार्थ सूत्र के गहन तल में जायें तो अधिक संगत यही प्रतीत होता है कि उमास्वाति एक ऐसे आचार्य रहे हों, जिन्होंने अपनी कृति—तत्त्वार्थ द्वारा दोनों परम्पराओं का समन्वित रूप प्रस्तुत करना चाहा हो। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले आचार्य के यदि यापनीय परम्परा से सम्बद्ध होने का अनुमान किया जाता है तो वह अमंभावकता की कोटि में नहीं जाता; अतः स्वर्गीय पं० प्रेमी की कल्पना तथा डा० उपाध्ये³ के एतन्मुखी चिन्तन के परिपार्श्व में विद्वानों तथा

१. सर्वार्थसिद्धि प्रस्तावना, पृ० ८८

२. दिगम्बरों में इस नाम का भी प्रचलन है।

३. "..... The Sutras and Bhasya show some clear-cut differences with the Ardhamagadhi canon and Pujiyapada is not very happy with the text of the Sutras in Onany places. That late Pt. Premi has given some valid reasons why Umasvati must have belonged to the Yapaniya Sangha....."

—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. LV, Poona 1974, P. 20.

अन्वेष्टाओं द्वारा और अधिक सूक्ष्मतापूर्वक गवेषणा हो, यह वांछनीय है।

सैद्धान्तिक : त्रैविध्य : दो और उपाधियाँ

श्रुतकेवली एवं देशीयाचार्य के अतिरिक्त यापनीय आचार्यों द्वारा अपने लिए प्रयुक्त 'त्रैविध्य' एवं 'सैद्धान्तिक'—ये उपाधियाँ और दृष्टिगत होती हैं। डा० उपाध्ये ने इस सम्बन्ध में संकेत किया है कि इन उपाधियों द्वारा उनका भाव अपने षट्छण्डागम आदि के अध्ययन का आशय व्यक्त करता रहा हो।¹

सारांश

यापनीय संघ भारत में खूब फला, फूला, फैला। उसके तत्त्वावधान में साहित्य-सर्जन का विराट् कार्य हुआ। शताब्दियों तक यापनीयों का भारत में प्रतिष्ठापन्न स्थान रहा। पर, आश्चर्य इतना प्रसृत, प्रतिष्ठित और समाप्त सम्प्रदाय समय पाकर नामशेष हो गया। न आज कहीं उनके श्रमण हैं और न कहीं उस संघ का ही नामोनिशान है। इसके अनेक कारण रहे होंगे। हो सकता है, यापनीय जिस उत्कट धर्म-भावना, तितिक्षा आदि से प्रेरित हो कार्य-रत थे, अपने अभियान की अप्रत्याशित सफलता के बाद वह सब कम होता गया हो। भक्तिवश राजाओं तथा समृद्ध भक्तजनों द्वारा उपहृत जागीरों एवं सम्पत्ति का शायद अतिरेक हो गया हो, जिससे यापनीय साधुओं की कार्यों-मुखता व रुझान ने अपनी दिशा कुछ बदल ली हो। त्याग, वैराग्य, ज्ञान एवं उपासना के स्थान पर सुविधा-प्रधान जीवन हो गया हो। फलतः लोगों में उनके प्रति रही श्रद्धा न्यून और न्यूनतर होती गई हो। ऐसी स्थिति में अनुकूल अवसर पाकर दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों ने उच्छिन्न करने की ठान ली हो; क्योंकि अनेक बातों के साम्य के बावजूद अन्ततः वे (यापनीय) दोनों परम्पराओं के प्रतिगामी तो थे ही। इस प्रकार की अनेक संभावनाएँ की जा सकती हैं। वस्तुतः यह इतिहास का विषय है। इतिहास के अध्येता एवं अनुशीलक इस पर गम्भीरता से चिन्तन एवं शोध करें, यह वांछित है।

1. Titles like Saiddhantika, Traibhiya used by some Yapaniya Acharyas indicate their studies of Satkhandagama etc. This point needs further investigation.

—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. LV, Poona 1974, P. 21.

दक्षिण में यापनीयों के कभी अनेक मन्दिर थे, जो उपर्युक्त संक्रान्ति-काल में दिगम्बर मन्दिरों में इस प्रकार विलीन हो गये कि आज उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, जिनके सम्बन्ध में रूढ़-परम्परा-ग्रस्त दिगम्बर विद्वान् कहते थे कि यापनीयों द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित मूर्तियों की पूजा ही नहीं करनी चाहिए ।

जगत का इतिहास कुछ ऐसा ही है, समय, परिस्थिति, मानस, अध्यवसाय की करवटें कब किधर का मोड़ लें और क्या से क्या हो जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता ।

उपसंहार

श्वेताम्बर-आगमों के सर्वतोमुखी परिशीलन के सम्बर्ध में हमने श्वेताम्बर-दिगम्बर के रूप में जैन संघ के विभाजन की चर्चा की । उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रादुर्भूत यापनीय संघ की भी चर्चा की । यद्यपि चर्चा कुछ विस्तृत हो गई है, पर हमारा विचार है कि आगम-वाङ्मय के अस्तित्व, स्वरूप, ह्रास, आकलन, परिरक्षण, उसके विश्लेषण-विवेचन में प्रणीत साहित्य, उसके आधार पर सृष्ट मानस, परिगठित एवं प्रवृत्त धार्मिक अभियान आदि के सम्बन्ध में भी समीक्षात्मक दृष्टिकोण से जानना कम आवश्यक नहीं है । आगम तथा शास्त्र जीवन के लिए हैं । उनके सहारे लोक-जीवन कब, कंसा मोड़ लेता है, यह जहां सामाजिक इतिवृत्त का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वहां आगम व शास्त्र-गर्भित विचार-दर्शन की लोक-जीवन में सफल-विफल क्रियान्वित के इतिहास का एक ज्वलन्त पृष्ठ भी है, जो अनदेखा नहीं रहना चाहिए ।

अंग-वाङ्मय : विच्छेद : कुछ तथ्य

दिगम्बर-मत के अनुसार द्वादशांग-वाङ्मय के विच्छेद-क्रम तथा अन्ततः वीर-निर्वाण सं० ६८३ में उसके सर्वथा विच्छेद आदि के विषय में पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग उल्लेख किया जा चुका है । यहां उस सम्बन्ध में कुछ और तथ्य उपस्थित किये जा रहे हैं ।

श्वेताम्बरों द्वारा भी स्वीकार

बारहवें अंग दृष्टिवाद के विच्छेद के सम्बन्ध में श्वेताम्बर भी सहमत हैं ही । देव-द्विमणी क्षमाश्रमण के बाद धारक की दृष्टि से पूर्व-ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो गया । तित्थोगालीपइसा प्रभृति ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में उल्लेख¹ है ।

१. बोलीणम्मि सहस्से, बरिसाण वीरमोक्खगमणाओ ।

उत्तरभायगवसभे, पुण्णगयस्स भवे छेदो ॥

—तित्थोगालीपइसा, गाथा ८०५

अवशिष्ट ग्यारह अंगों के सन्दर्भ में दिगम्बरों की तरह सर्वथा तो नहीं, पर वे (ग्यारह अंग) उत्तरोत्तर क्रमशः विच्छिन्न एवं हसित होते जायेंगे, ऐसा श्वेताम्बर भी स्वीकार करते हैं ।

तित्थोगालीपइत्ता में इस सम्बन्ध में जो वर्णन है, वह इस प्रकार है: “दिस्सगणि— पुण्यमित्र के देहावसान के साथ वीर निर्वाण सं० १२५० में व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र का व्युच्छेद हो जायेगा ।”^१

तित्थोगालीपइत्ताकार व्याख्या प्रज्ञप्ति के अन्तिम सम्पूर्ण वैसा पुण्यमित्र की विशेषता की उर्चा करते हुए लिखते हैं: “अमणोचित गुणों में निष्णात, आत्मबल-सम्पन्न पुण्यमित्र अन्तिम व्याख्या प्रज्ञप्तिधर होंगे ।

चौबीस हजार पदों से युक्त, गुणनिष्पन्न व्याख्या-प्रज्ञप्ति-सूत्र-रूप वृक्ष के व्युच्छिन्न हो जाने पर लोग सहसा उनकी विशेषताओं के फलों से वंचित हो जायेंगे ।”^२

वीर-निर्वाण के १३०० वर्ष पश्चात् माढर गोत्रोत्पन्न संभूति नामक यति (साधु) के के मरण के साथ समवायांग का व्यवच्छेद हो जायेगा । वीर-निर्वाण के १३५० वर्ष पश्चात् आजंव नामक भुति के दिवंगमन के साथ स्थानांग सूत्र का व्युच्छेद हो जायेगा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का निर्देश है ।”^३

१. पण्णासा वरिसेहि, य वारसवरिससएहि वोच्छेवो ।

दिस्सगणि पूसमित्ते, सदिवाहाणं छलं माणं ॥

—तित्थोगालीपइत्ता, गा० ८०७

२. सामेण पूसमित्तो, समणो समणगुणनिज्जचित्तो ।

होही अपच्छिमो किर, विवाहसुमधारको वीरो ।

संमि य विवाहकस्से, चुलसीति पयसहस्सगुणकिलिओ ।

सहसं च्चिय संभंतो, होही गुणनिष्फलो लोगो ॥

—वही, गा० ८०८-९

३. समवाय-ववच्छेदो, तेरसहि सतेहि होहि वासाणं ।

माढरगोत्तस्स इहं, संभूतिजतिस्स मरणंमि ॥

तेरसवरिससतेहि, पण्णासा समहिएहि वोच्छेवो ।

अज्जवज्जतिस्स मरणे, ठाणस्स जिणेहि निहिद्वो ॥

—वही, गा० ८१०-८११

“वीर-निर्वाण सं० १५०० में गौतम गोत्रोत्पन्न, आत्म-बल के महान् धनी श्रमण फल्गुमित्र के स्वर्गवास के साथ बशाश्रुतस्कन्ध विच्छिन्न हो जायेगा, ऐसा कहा गया है।”^१

“वीर-निर्वाण सं० १९०० में भारद्वाज गोत्रोत्पन्न महाश्रमण नामक मुनि के पश्चात् सूत्रकृतांग का व्युच्छेद हो जायेगा।”^२

“वीर-निर्वाण सं० २००० में हारीत गोत्रोत्पन्न विष्णु नामक मुनि के मरणोपरान्त आचारांग का व्युच्छेद हो जायेगा।”^३

“तदनन्तर दुःषमा संज्ञक इस पाँचवें आरे के शेष काल अर्थात् उसके समाप्त होने में थोड़ा-सा समय बाकी रहने पर दुःप्रसह नामक श्रमण होंगे। वे क्षमा, तप आदि गुणों से शोभित होंगे। भारतवर्ष में वे अन्तिम आचारांगधर होंगे। उनके देहावसान के साथ आचारांग सूत्र और चारित्र निःशेष हो जायेंगे—मूलतः उच्छिन्न हो जायेंगे।”^४

१. भणिबो बसाण छेबो, पनरससएहि होइ वरिसाण ।
समणम्मि फल्गुमित्रे, गोयमगोस्ते महासस्ते ॥

—तित्थोगालीपइझा, गा० ८१३

२. भारद्वायसगुस्ते, सुयगडंगं महासमण नामे ।
अगुणम्बीसस्तेहि, जाही वरिसाण वोच्छित्ति ॥

—वही, गा० ८१४

३. विष्णुमुणिम्मि मरंते, हारित गोत्तम्मि होति वीसाए ।
वरिसाण सहस्तेहि, अम्वारांगस्स वोच्छेवो ॥

—वही, गा० ८१६

४. (क) अह कुसमाए सेते, होही नामेण दुप्पसह समणो ।
अणगारो गुणगारो, खमागारो तवागारो ॥
सो फिर आचारधरो, अपच्छिमो होहीति भरहवासे ।
तेण समं आयारो, निस्सीही समं चरित्तेण ॥

—वही, गा० ८१७-१८

(ख) तित्थोगालीपइझा की ८१६वीं तथा ८१७वीं गाथा में आचारांग के विच्छिन्न होने के सन्दर्भ में जो कहा गया है, उसका आशय यों समझा जाना चाहिए कि वीर-निर्वाण सं० २०००० में हारीतगोत्रीय विष्णु मुनि के स्वर्गवास के साथ आचारांग अंशतः विच्छिन्न होगा तथा वीर-निर्वाण सं० २१००० में श्रमण दुःप्रसह के देहावसान के साथ वह सर्वथा उच्छिन्न हो जायेगा।

ऐसा माना जाता है कि यह घटना वीर-निर्वाण सं० २१००० के आस-पास घटित होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन पंचप आरे की समाप्ति होगी, उसके पहले प्रहर में आचार्य दुःप्रसह दिवंगत हो जायेंगे। उनके दिवंगमन के साथ ही आचारांग भी पूर्णतः विच्छिन्न हो जायेगा।

यों आगम-विच्छेद की अन्तिम कड़ी तक पहुंच पड़ण्णाकार उसका फलित स्पष्ट करते हुए लिखते हैं : “वास्तव में आचारांग ही वह साधन है, जो श्रमणों को चारित्र-धर्म का यथावत् बोध कराता है।

आचारांग का प्रणश हो जाने पर सब और अनाचार व्याप्त हो जायेगा। सर्वत्र अज्ञान-तमिस्रा का साम्राज्य फैल जायेगा। तब श्रमणों का अस्तित्व भी नहीं रह पायेगा।”¹

तित्थोगालीपइप्पा में विच्छेद-क्रम के बीच बचे रहने वाले आगम-वाङ्मय के सम्बन्ध में इतना और लिखा है : “वीर-निर्वाण के पश्चात् २१००० वर्ष तक यहां भारतवर्ष में ब्रह्मकालिक अर्थ रूप में विद्यमान रहेगा। दुःप्रसह मुनि के स्वर्गारोहण के साथ वह विनष्ट होगा।

इसी प्रकार वीर-निर्वाण से २१००० वर्ष तक, जब तक तीर्थ—जैन परम्परा विद्यमान रहेगी, आवश्यक सूत्र भी अव्युच्छिन्न रहेगा।”²

१. अण्णओवच्छिण्णायारो, अह समणगणस्स वावियायारो ।

आयारम्मि पणहुं, होहीति तइया अणायारो ॥

अंकमिदं वरतरं तिमिस पुहाए तमंघकाराए ।

अ य तइया समणणं, आयार-सुत्ते पणहुंमि ॥

—तित्थोगालीपइप्पा, गा० ८१९-२०

२. वासाण सहस्सेण य, इकवीसाए इहं भरहवासे ।

वसवेयालिय अत्थो, कुप्पसहजइमि वासिहिति ॥ ५० ॥

इकवीससहस्साइं, वासाणं वीरमोक्खगमणाओ ।

अण्णोच्छिन्नं होही, आवस्सगं जाव तित्थं सु ॥ ५१ ॥

—तित्थोगालीपइप्पा

अभिप्राय

तित्थोगालीपद्धति में दिये गये वर्णन से यह सिद्ध होता है कि श्वेताम्बर आचार्य भी आगमों के विच्छेद-क्रम से असहमत नहीं रहे हैं। अन्तर केवल इतना है, दिगम्बर आचार्यों ने आगमों को जहां सर्वथा विच्छिन्न एवं विलुप्त मान लिया, वहां श्वेताम्बर उनका आंशिक विलय तथा आंशिक अस्तित्व स्वीकार करते रहे। आज श्वेताम्बर एकादशांगी का जो, जितना कलेवर प्राप्त है, समग्र सामग्री का बहुत थोड़ा-सा अंश है। विज्ञ पाठकों को इसका यथावत् परिचय हो सके, एतदर्थ आगमगत सामग्री का समग्र परिमाण तथा उपलब्ध अंश का तुलनात्मक उल्लेख किया जा रहा है।

आगम : सम्पूर्णा : उपलब्ध

१. आचारांग की मूल पद-संख्या १८००० मानी जाती है। आज जितना अंश प्राप्त है, उसका कलेवर २५०० श्लोक-प्रमाण है। पहले उल्लेख हुआ ही है, आचारांग का महा-परिज्ञा संज्ञक सप्तम अध्ययन अनुपलब्ध है।

२. सूत्रकृतांग की मूल पद-संख्या ३६००० थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। आज २१०० श्लोक-प्रमाण पाठ प्राप्त है।

३. स्थानांग की पद-संख्या ७२००० थी, ऐसी मान्यता है। इस समय उसमें ३७७० श्लोक-प्रमाण सामग्री उपलब्ध है।

४. समवायांग में मूल पद-संख्या १,४४००० थी, ऐसा अभिमत है। इस समय इसका कलेवर १६६७ श्लोक-प्रमाण है।

५. व्याख्या-प्रकृति की पद-संख्या के विषय में दो प्रकार की मान्यताएं हैं। नन्दीसूत्र के अनुसार उसमें २,८८,००० तथा समवायांग के अनुसार ८४,००० पद थे। पर वर्तमान में १५७५२ पद प्राप्त हैं। यह अंग १०१ शतकों में विभक्त था, जिनमें से आज केवल ४१ शतक उपलब्ध हैं।

६. ज्ञातृधर्मकथा में समवायांग सूत्र तथा नन्दी सूत्र के अनुसार संख्यात सहस्र पद माने जाते हैं, पर इन दोनों की वृत्तियों में उसकी पद-संख्या ५,७६,००० उल्लिखित की गई है। इस समय इसका कलेवर ५,५०० श्लोक-प्रमाण है। इसके अनेक कथानक काल-क्रम से लुप्त हो गये।

७. उपासकदशा की पद-संख्या समवायांग सूत्र और नन्दी सूत्र के अनुसार संख्यात सहस्र मानी जाती है, पर इन दोनों की वृत्तियों में उसकी पद-संख्या ११,५२,००० उल्लिखित की गई है। इस समय इसका कलेवर ८१२ श्लोक-प्रमाण है।

८. अंतकृद्दशा में संख्यात सहस्र पद माने जाते हैं, पर समवायांग सूत्र एवं नन्दी सूत्र की वृत्ति में इसके २३,०४,००० पद होने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें ९०० श्लोक-प्रमाण सामग्री उपलब्ध है।

९. अनुत्तरोपपातिक दशा की पद-संख्या संख्यात सहस्र मानी जाती है। समवायांग-सूत्र तथा नन्दी सूत्र की वृत्ति के अनुसार वह ४६,०८,००० है। वर्तमान में उसका केवल १९२ श्लोक-प्रमाण कलेवर प्राप्त है।

१०. प्रश्नव्याकरण सूत्र में संख्यात सहस्र पद माने गये हैं। समवायांग सूत्र तथा नन्दी सूत्र की वृत्ति में इसके पदों की संख्या ९२,१६,००० बतलाई गई है। वर्तमान में इसमें १३०० श्लोक-प्रमाण सामग्री है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया ही गया है, नन्दी सूत्र में प्रश्नव्याकरण सूत्र का जो स्वरूप बतलाया गया है, वर्तमान में प्राप्त प्रश्नव्याकरण सूत्र का स्वरूप उससे सर्वथा भिन्न है।

११. विपाक सूत्र की पद-संख्या संख्यात सहस्र मानी जाती है। समवायांग सूत्र एवं नन्दी सूत्र की वृत्ति के अनुसार इसकी पद-संख्या १,८४,३२००० है। इस समय यह १२१६ श्लोक-प्रमाण रूप में उपलब्ध है।

तिस्रोपपञ्चासि : शक विशेष संकेत

विगम्बर-परम्परा में यह स्पष्ट मान्यता है कि वीर-निर्वाण सं० ६८३ में द्वावशांगी का विच्छेद हो गया। तिस्रोपपञ्चासि में गाथा १४८२ से १४९२ तक श्रुत-विच्छेद-क्रम वर्णित हुआ है, जिसका पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग विवेचन किया गया है। यह सब लिखने के बावजूद यति वृषभ एक बात और कहते हैं : “धर्म-प्रवर्तन के हेतु श्रुत-तीर्थ (चाहे आंशिक रूप में ही सही) वीर-निर्वाण के २०३१७ वर्ष (जो दुःषमा की समाप्ति से कुछ पहले का समय है) तक संप्रवृत्त रहेगा। तदनुसार वह काल-दोष से व्युच्छिन्न हो जायेगा।”^१

१. बीससहस्रं तिसदा, सत्तारस वञ्छराणि धुवतित्थं ।

अम्मपयदुणहेइ, ओच्छिसदि कालवोसेण ॥ १४९३ ॥

—तिस्रोपपञ्चासि

महापुराण में इस तथ्य को और स्पष्ट किया गया है। वहाँ कहा गया है : “यद्यपि तपःशील श्रुत-ज्ञानियों की परम्परा मिट जायेगी, पर फिर भी आचार्य वीरसेन तथा तदनुगामी जिनसेन प्रभृति श्रुत-वैभव के धनी, तपस्वी श्रमणों द्वारा श्रुत के एक देश—अंश का दुःषमा की समाप्ति से पूर्व तक संवर्तन रहेगा।”¹

ऐसे उल्लेखों के बावजूद दिगम्बर-परम्परा में अंग-साहित्य के सम्पूर्ण विच्छेद की बात बड़ी बढ़ता और स्पष्टता से कही जाती है। यह समीक्षणीय है।

दिगम्बर-परम्परा में अंग-प्रविष्ट, अंग-बाह्य

जिस प्रकार श्वेताम्बर आगम-वाङ्मय अंग-प्रविष्ट एवं अंग-बाह्य के रूप में दो भेदों में विभक्त हैं, दिगम्बर-परम्परा में भी इन्हीं दो भेदों में उसका विभाजन है। दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत नामों में भी काफी सादृश्य है।

धवलाकार का विवेचन

बद्धखण्डागम के धवला-टीकाकर आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका में अंग-बाह्य तथा अंग-प्रविष्ट के सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख किया है : “अर्थाधिकार दो प्रकार का है—
१. अंग-बाह्य, २. अंग-प्रविष्ट। उनमें अंग-बाह्य के चवदह अर्थाधिकार हैं : १. सामायिक, २. अंग-अनुविशति-स्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैनयिक, ६. कृति-कर्म, ७. दशवै-कालिक, ८. उत्तराभ्ययन, ९. कल्प-व्यवहार, १०. कल्प्याकल्प्य, ११. महाकल्प्य, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक, १४. निषिद्धिका।”²

१. श्रुत तपोभूतानेषां प्रशोष्यति परंपरा।

शेखरपि श्रुत-ज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥

जिनसेनामुगेर्वीरसेनैः प्राप्तमहद्विभिः।

समाप्ते बुःषमायाः प्राक्, प्रायशो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥

—महापुराण (उत्तर पुराण, पर्व ६)

२. अस्थाहियारो बुबिहो, अंगबाहिरो अंग-बद्धो चेबि। तस्य अंगबाहिरस्स बोहस अस्था-हियारो। तं अहा—१. सामाहयं, २. चउवोसत्थमो, ३. बंधणा, ४. पडिक्कमणं, ५. जेजइयं, ६. किडियम्मं, ७. बसवेयालियं, ८. उत्तरज्जयणं, ९. कप्पव्यवहारो, १०. कप्पाकप्पियं, ११. महाकप्पियं, १२. पुण्डरीयं, १३. महापुण्डरीयं, १४. जित्ति-हियं चेबि।

—बद्धखण्डागम, खण्ड १, भाग १, सुस्तक १, पृ० ९६

अंग-प्रविष्ट के सम्बन्ध में आचार्य वीरसेन ने निम्नांकित रूप में उल्लेख किया है :
 “अंग-प्रविष्ट के अर्थाधिकार बारह प्रकार के हैं—१. आचार, २. सूत्रकृत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५. व्याख्या-प्रज्ञप्ति, ६. ज्ञानुधर्मकथा, ७. उपासकाध्ययन, ८. अन्तकृद्दशा, ९. अनुत्तरोपपातिक दशा, १०. प्रश्न-व्याकरण, ११. विपाक सूत्र, तथा १२. दृष्टिवाद । इनमें से आचारांग अठारह हजार पदों के द्वारा—किस प्रकार चलना चाहिए ? किस प्रकार बैठना चाहिए ? किस प्रकार शयन करना चाहिए ? किस प्रकार भोजन करना चाहिए ? किस प्रकार संभाषण करना चाहिए और किस प्रकार पाप-कर्म नहीं बन्धता है ? (इस तरह गणधर के प्रश्नों के अनुसार) यत्न से चलना चाहिए, यत्नपूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्नपूर्वक शयन करना चाहिए, यत्नपूर्वक भोजन करना चाहिए, यत्न से संभाषण करना चाहिए । इस प्रकार आचरण करने से पाप-कर्म का बन्ध नहीं होता है ॥ ७०-७१ ॥ इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का वर्णन करता है ।

सूत्रकृतांग छत्तीस हजार पदों के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कल्प्याकल्प्य, छेदोप-स्थापना और व्यवहार-धर्म-क्रिया का प्ररूपण करता है तथा यह स्व-समय और पर-समय का भी निरूपण करता है ।

स्थानांग बयालीस हजार पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक स्थानों का वर्णन करता है । उसका उदाहरण—महात्मा अर्थात् यह जीव-द्रव्य निरन्तर चैतन्यरूप धर्म से उपयुक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा एक ही है । ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है । कर्म-फल-चेतना, कर्म-चेतना और ज्ञान-चेतना से लक्ष्यमान होने के कारण तीन भेद रूप है । अथवा उत्पाद, व्यय और औद्य के भेद से तीन भेद रूप है । चार गतियों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा से इसके चार भेद हैं । औदयिक आदि पांच प्रधान गुणों से युक्त होने के कारण इसके पांच भेद हैं । भवान्तर में संक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे—इस तरह छः संक्रमलक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा से छः प्रकार का है । अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगों से युक्त होने की अपेक्षा से सात प्रकार का है । ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों के आलव से युक्त होने की अपेक्षा से आठ प्रकार का है । अथवा ज्ञानावरणादि आठ कर्मों तथा आठ गुणों का आश्रय होने की अपेक्षा से आठ प्रकार का है । जीवादि नौ पदार्थों को विषय करने वाला अथवा जीवादि नौ प्रकार के पदार्थ-रूप परिणामन करने वाला होने की अपेक्षा से नौ प्रकार का है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक-वनस्पतिकायिक, साधारण-वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय-जाति, त्रीन्द्रिय-

जाति, चतुरिन्द्रिय-जाति और पंचेन्द्रिय-जाति के भेद से दश स्थानगत होने की अपेक्षा से दश प्रकार का कहा गया है ॥ ७२-७३ ॥

समवाय नाम का अंग एक लाख चौंसठ हजार पदों के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है अर्थात् सादृश्य-सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है । वह समवाय चार प्रकार का है—द्रव्य-समवाय, क्षेत्र-समवाय, काल-समवाय और भाव-समवाय । उनमें से द्रव्य-समवाय की अपेक्षा से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान हैं । क्षेत्र-समवाय की अपेक्षा से प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमन्तक नामक इन्द्रक बिल, ढाई द्वीप-प्रमाण मनुष्य क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु नामक इन्दुक-विमान और सिद्ध-क्षेत्र समान हैं । काल की अपेक्षा से एक समय एक समय के बराबर है और एक मुहूर्त एक मुहूर्त के बराबर है । भाव की अपेक्षा से केवल-ज्ञान केवल-दर्शन के समान ज्ञेय-प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान-प्रमाण ही चेतना-शक्ति की उपलब्धि होती है ।

व्याख्या प्रशस्ति नाम का अंग दो लाख अट्ठाईस हजार पदों द्वारा—क्या जीव है ? क्या जीव नहीं है ? इत्यादिक रूप से साठ हजार प्रश्नों का व्याख्यान करता है ।

नाथधर्मकथा अथवा **ज्ञातृधर्मकथा** नाम का अंग पांच लाख छप्पन हजार पदों द्वारा सूत्र पौरुषी अर्थात् सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना हो— एतदर्थ तीर्थंकरों की धर्म-देशना का, सन्देह-प्राप्त गणधरदेव के सन्देह दूर करने की विधि का तथा अनेक प्रकार की कथाओं व उपकथाओं का वर्णन करता है ।

उपासकाध्ययन नामक अंग ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा दर्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भ-विरत, परिग्रह-विरत, अनुमति-विरत और उद्दिष्ट-विरत—इन ग्यारह प्रकार के श्रावकों के लक्षण, उनके व्रत-धारण करने की विधि और उनके आचरण का वर्णन करता है ।

अन्तकृद्दशा नामक अंग तेबीस लाख अट्ठाईस हजार पदों के द्वारा एक-एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशय-विशेष प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए दश-दश अन्तकृत् केवलियों का वर्णन करता है । तत्त्वार्थ-भाष्य में भी कहा है : “जिन्होंने संसार का अन्त किया, उन्हें अन्तकृत् केवली कहते हैं । वर्द्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, बलीक, किष्किविल, पालम्ब, अष्टपुत्र—ये दश अन्तकृत् केवली हुए हैं । इसी प्रकार

ऋषभदेव आदि तेबीस तीर्थंकरों के तीर्थ में दूसरे दश-दश अनगार दारुण उपसर्गों को जीतकर सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से अन्तकृत् केवली हुए । इन सबकी दशा का जिनमें वर्णन किया जाता है, उसे अन्तकृद्दशा नामक अंग कहते हैं ।”

अनुत्तरीपपादिकदशा नामक अंग बानवे लाख चवालीस हजार पदों द्वारा एक-एक तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहकर और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशय-विशेष प्राप्त कर अनुत्तर-विमानों में गये हुए दश-दश अनुत्तरीपपादिकों का वर्णन करता है । **तत्त्वार्थ-भाष्य** में भी कहा है : “उपपाद-जन्म ही जिनका प्रयोजन है, उन्हें औपपादिक कहते हैं । विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि—ये पांच अनुत्तर-विमान हैं, जो अनुत्तरों में उपपाद-जन्म में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुत्तरीपपादिक कहते हैं । ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, बारिषेण और चिलातपुत्र—ये दश अनुत्तरीपपादिक वर्द्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में हुए हैं । इसी तरह ऋषभदेव आदि तेबीस तीर्थंकरों के तीर्थ में अन्य दश-दश महान् साधु दारुण उपसर्गों को जीतकर विजयादिक पांच अनुत्तरों में उत्पन्न हुए । इस तरह अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले दश साधुओं का जिसमें वर्णन किया जाय, उसे अनुत्तरीपपादिकदशा नामक अंग कहा जाता है ।

प्रश्न-व्याकरण नामक अंग तिरानवे लाख सोलह हजार पदों द्वारा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी—इन चतुर्विध कथाओं तथा (भूत, भविष्य व वर्तमान काल संबंधी धन, धान्य, लाभ, अलाभ, जीवित, मरण, जय एवं पराजय सम्बन्धी प्रश्नों के पूछने पर, उनके) उपाय का वर्णन करता है ।

जो नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियों के तथा दूसरे समयों की निराकरण पूर्वक शुद्धि कर छः द्रव्यों तथा नव पदार्थों का प्ररूपण करती है, वह आक्षेपणी कथा कही जाती है । जिसमें पहले पर-समय के द्वारा स्व-समय में दोष बतलाये जाते हैं, तदनन्तर पर-समय की आधारभूत अनेक एकान्त दृष्टियों का शोधन कर स्व-समय की स्थापना की जाती है तथा छः द्रव्यों व नव पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं । पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहा जाता है ।

शंका—पुण्य के फल कौन से हैं ?

समाधान—तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की ऋद्धियां पुण्य के फल हैं ।

पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं ।

शंका—पाप के फल कौन से हैं ?

समाधान—नरक, तिर्यच तथा कुमानुष की योनियों में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वैदना एवं दारिद्र्य आदि प्राप्त होना पाप के फल हैं ।

अथवा संसार, शरीर तथा भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी कथा कही जाती है । कहा भी है : तत्त्वों का निरूपण करने वाली आक्षेपणी कथा है । यथार्थ तत्त्व से भिन्न दिशा को प्राप्त हुई दृष्टियों का शोधन कर अर्थात् पर-समय की ऐकान्तिक दृष्टियों का शोधन कर स्व-समय की स्थापना करने वाली विक्षेपणी कथा है । विस्तार से यम का फल-वर्णन करने वाली संवेगिनी कथा है । वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्वेगिनी कथा है ।

इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय, जो जिन-वचन को नहीं जानता—जिसका जिन-वचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए; क्योंकि जिसने स्व-समय के रहस्य को नहीं जाना है, पर-समय का प्रतिपादन करने वाली कथाओं के सुनने से व्याकुल-चित्त होकर वह कहीं मिथ्यात्व स्वीकार न कर ले—एतदर्थ स्व-समय का रहस्य नहीं जानने वाले पुरुष को विक्षेपणी कथा उपदेश न देकर शेष तीन कथाओं का उपदेश देना चाहिए । उक्त तीन कथाओं द्वारा जिसने स्व-समय को भली-भाँति समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिन-शासन में जिसकी अस्थि और मज्जा तक अनुरक्त है, जिन-वन्दन में जिसके किसी प्रकार की विचिकित्सा—शंका-सन्देह नहीं है जो भोगानुरक्ति से विरक्त है, जो तप, शील एवं नियमों से युक्त है, इस प्रकार के पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश करना चाहिए । यों प्ररूपणा करने वाले के लिए और प्रज्ञापित होने वाले के लिए यह अकथा कथा हो जाती है । अतः पुरुष को देख कर ही श्रमण को कथा का उपदेश करना चाहिए ।

यह प्रश्न-व्याख्यान नामक अंग प्रश्नानुरूप हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु तथा संख्या का भी प्ररूपण करता है ।

विषाक सूत्र नामक अंग एक करोड़ चौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य तथा पाप-रूप कर्मों के फलों का वर्णन करता है । ग्यारह अंगों के कुल पदों की जोड़ चार करोड़ पन्द्रह

साख दो हजार पद है ।”^१

१. अंगपविट्टस्स अत्थाधियारो बारस बिहो । तंजहा—आयारो, सूदयदं, ठाणं, समवायो, वियाहपण्णत्ती, णाहधम्मकहा, उवासयञ्जयणं, अंतयडवसा, अनुसरोववाद्रियडसा, पण्हावायरणं, विवागसुत्तं, दिट्ठिवादो चेदि ।

एत्थायारंग मट्टारह-पद-सहस्सेहि १८०००—

कधं चरे कधं चिट्ठे कधभासे कधं सए ।

कधं भुंजेज्ज भासेज्ज कधं पायं णा बण्णई ॥ ७० ॥

जदं चरे जदं चिट्ठे जदभासे जदं सए ।

जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पायं ण बण्णई ॥ ७१ ॥

एवमादियं मुणीणयायारं वण्णेदि ।

सूदयदं णाम अंग छत्तीस-पद-सहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा-कम्पाकम्प-च्छेदो-वट्ठावण-ववहारधम्मकिरियाओ परूवेड ससमय-परसमय-सखं च परूवेड ।

ठाणं णाम अंगं बायालीस-पद-सहस्सेहि ४२००० एगादि-एगुत्तर-ट्ठाणाणि वण्णेदि । तस्सोदाहरणं—

एवको चेव महप्पो सो दुवियप्पो तिलवखणो भणिओ ।

चटु-संकमणा-जुत्तो पंचग-गुण-प्पहाणो य ॥ ७२ ॥

छक्कावक्कम-जुत्तो कमसो सो सत्त-भंगि-सबभावो ।

अट्ठासवो णवट्ठो जीवो दस-ठाणियो भणियो ॥ ७३ ॥

समवायो णाम अंगं चउसट्ठि-सहरसबभहिय-एग-लवख-पदेहि १६४००० रूव्व-पयत्थाणं समवायं वण्णेदि । सो वि समवायो चउव्वहो, दव्व-खेत्त-काल-भाव समवायो चेदि । तत्थ दव्व-समवायो धम्मत्थिय-अधम्मत्थिय-तोगागास-एगजीवपदेसा च समा । खेत्तदो सीमंतणिरय-माणुसखेत्त-उडुविमाण-सिट्ठिखेत्तं च समा । कालदो समयो समएण मुहुत्तो मुहुत्तं ण समो । भावदो केवलणाणं केवलदंसणेण समं सोयप्पमाणं णाणमेत्त-चेयणोव-लंभावो ।

वियाहपण्णत्ती णाम अंगं दोहि लक्खेहि अट्ठावीस-सहस्सेहि पदेहि २२८००० किमत्थि जीवो, कि णत्थि जीवो, इच्चेवमाइयाइं सट्ठि-वायरण-सहस्साणि परूवेदि ।

णाहधम्मकहा णाम अंगं पंच-लवख-छप्पण-सहस्स पदेहि ५५६००० सुत्तपोरि-सीसु तित्थयरारणं धम्मदेसनं गणहरदेवस्स जाद-संसयस्स संदेह-छिवण-विहारं, बहुविह-कहाओ उवकहाओ च वण्णेदि ।

तत्त्वार्थ सूत्र की सर्वार्थसिद्धि वृत्ति में आचार्य पूज्यपाद ने भी अंग-बाह्य तथा अंग-

उच्चासयज्जयणं णाम अंगं एक्कारस-लक्ख-सत्तरि-सहस्स-पदेहि ११७००००—

दंसण-वद-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-राइमस्ते य ।

बम्हारंभ-परिग्गह-अणुमण-उद्दिट्ठ-देसविरदी य ॥ ७४ ॥

इदि एक्कारसविह-उच्चासगाणं लक्खणं तेसिं चेष वदरोवणविहाणं तेसिसाचरणं च वण्णेदि ।

अंत्यउदसा णाम अंगं तेवीस-लक्ख-अट्ठावीस-सहस्सपदेहि २३२८००० एक्के-क्कम्हि य तित्थे दाहरो बहुविहोवसगो सहिऊण पाडिहेरं लद्धूण णिव्वाणं गदे दस दस वण्णेदि । उक्तं च तत्त्वार्थ भाष्ये—

संसारस्यान्तः कृतो येस्तेऽन्तकृतः नमिमत्तङ्ग-सोमिल-रामपुत्र-मुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्किविल-पालम्बाष्टपुत्रा इति एते दश बद्धमान-तीर्थकर-तीर्थ । एवमृषभा-दीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये, एवं दश दशानगारा दारुणानुपसर्गाभिजित्य कृत्स्नकर्म-सयादन्तकृतो दशास्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृद्दशा । अणुत्तरोववादियदसा णाम अंगं वाणउदि-लक्ख-चोपाल-सहस्स-पदेहि ९२४४००० एक्केक्कम्हि य तित्थे दाहरो बहुविहो-वसगो सहिऊण पाडिहेरं लद्धूण अणुत्तर-विमाणं गदे दस दस वण्णेदि । उक्तं च तत्त्वार्थ भाष्ये—

उपपादो जन्म प्रयोजनमेषां त इमे औपपादिकाः, विजय-वैजयन्त-जयन्तापराजित-सर्वार्थसिद्धाख्यानि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वौपपादिका अनुत्तरोपपादिकाः, ऋषिदास-घन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानन्द-नन्दन-शालिभद्राभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश बद्धमानतीर्थकरतीर्थ । एवमृषभादीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये एवं दश दशानगारा दारुणानुपसर्गाभिजित्य विजयाद्यनुत्तरेष्वुत्पन्ना इत्येवमनुत्तरोपपादिका दशास्यां वर्ण्यन्त इत्यनुत्तरोपपादिकदशा ।

पण्हावायरणं णाम अंगं तेणउदि-लक्ख-सोलह-सहस्स पदेहि ९३१६००० अवस्सेवणी णिवस्सेवणी संवेयणी णिव्वेयणी चेदि चउव्विहाओ कहाओ वण्णेदि । तत्थ अवस्सेवणी णाम छ-हृव्व-णव-पयत्थाणं सरूवं विगंतर-समयांतर-णिराकरणं मुद्धि करंती परूवेदि । विवस्सेवणी णाम पर-समएण स-समयं वूसंती पच्छा विगंतर-मुद्धि करंती परूवेदि । विव्वेयणी णाम पर-समएण स-समयं वूसंती पच्छा विगंतर-मुद्धि करंती परूवेदि । स-समयं थावंती छ-हृव्व-णव-पयत्थे परूवेदि । संवेयणी णाम पुण्ण-फल-संकहा । काणि

प्रविष्ट की चर्चा की है ।^१

पुण-फलाणि ? तित्थयर-गणहर-रिसि चक्कवट्ठि-बलदेव-वासुदेव-सुर-विज्जाहररिद्धीओ ।
णिद्वेयणी णाम पाव-फल-संकहा । काणि पाव-फलाणि ? णिरय-तिरिय-कुमाखस-
जोणीसु ज्जाइ-जरा-मरण-बाहि-वेयणा-दालिद्वादीणि । संसार-सरीर-भोगेसु वेरःपुपाइणी
णिद्वेयणी णाम । उक्तं च—

आक्षेपणीं तत्त्वविधानभूतां, विक्षेपणीं तत्त्वविगन्तशुद्धिम् ।

संवेगिनीं धर्मफलप्रपंचां निर्बेगिनीं चाह कथां विरागाम् ॥ ७५ ॥

एत्थ विक्खेवणी णाम कहा जिणवयण-मयाणंतस्स ण कहेयव्वा । अगहिद-स-
समय-सङ्भावो पर-समय-संकहाहि बाउलिद-चित्तो मा मिच्छत्तं गच्छेज्ज त्ति तेण तस्स
विक्खेवणीं मोत्तूण सेसाओ तिणिण वि कहाओ कहेयव्वाओ । तदो गहिदसमयस्स
उवलद्धपुण्णपावस्स जिण-सासणे अट्ठि-मज्जाणुरत्तस्स जिण-वयण-णिद्विदिगिच्छस्स
भोग-रइ-विरदस्स तव-सील-णियम-जुत्तस्स पच्छा विक्खेवणी कहा कहेयव्वा । एसा
अकहा वि पण्णवयंतस्स पळवयंतस्स तदा कहा होदि । तम्हा पुरिसंतरं पप्प समणेण
कहा कहेयव्वा । पण्हादो हव-णट्ठ-मुट्ठि-चिन्ता-लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविय-मरण-जय-
पराजय-णाम-वव्वायुसंखं च पळवेदि ।

विवागसुत्तं णाम अंगं एग-कोडि-चउरासीदि-लक्ख-पदेहि १८४००००० पुण्ण-
पाव-कम्माणं विवायं वण्णेदि ।

एककारसंगाणं सव्व-पद-समासो चत्तारि कोडीओ पण्णारह-सवखा-वे-सहस्सं च
४१५०२००० ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ९९-१०७

१. द्विभेदमनेकभेदं द्वादशभेदमिति । द्विभेदं तावत्—अङ्गबाह्यमङ्गप्रविष्टमिति ।
अङ्गबाह्यमनेकविधं दशवैकालिकोत्तराध्ययनादि । अङ्गप्रविष्टं द्वादशविधम् । तद्यथा—
१. आचारः, २. सूत्रकृतम्, ३. स्थानम्, ४. समवायः, ५. उपाख्याप्रज्ञप्तिः, ६. ज्ञातु-
धर्मकथा, ७. उपासकाध्ययनम्, ८. अन्तर्दृशम्, ९. अनुत्तरोपपादिकवशम्, १०. प्रश्न-
व्याकरणम्, ११. विपाकसूत्रम्, १२. दृष्टिवाक इति ।

—तत्त्वार्थ सूत्र सर्वार्थसिद्धि वृत्ति

अंग-पञ्चाशति के अनुसार परिमाणा

अंग-पण्णत्ति^१ में अंग-ग्रन्थों की पद - संख्याओं के साथ-साथ श्लोक-संख्याएं एवं अक्षर-संख्याएं भी निर्दिष्ट की गई हैं, जिनका विज्ञ तथा अनुसन्धितसु पाठकों की जानकारी के लिए यहां उल्लेख किया जा रहा है :

१. आचार :	पद-संख्या १८००० श्लोक-संख्या ९१९५९२३११८७००० अक्षर-संख्या २९९२६९५४१९८४०००
२. सूत्रकृत :	पद-संख्या ३६००० श्लोक-संख्या १८३९१८४६३७४००० अक्षर-संख्या ५८८५३९०८३९६८०००
३. स्थान :	पद-संख्या ४२००० श्लोक-संख्या २१४५७१५४१०३००० अक्षर-संख्या ६८६६२८९३१२९६०००
४. समवाय :	पद-संख्या १६४००० श्लोक-संख्या ८३७८५०७७९२६००० अक्षर-संख्या २६८११२२४९३६३२०००
५. व्याख्या-प्रज्ञप्ति :	पद-संख्या २२८००० श्लोक-संख्या ११६४८१६९३७०२००० अक्षर-संख्या ३७२७४१४१९८४६४०००
६. ज्ञातुधर्मकथा :	पद-संख्या ५५६००० श्लोक-संख्या २८४०५१८४९५५४००० अक्षर-संख्या ९८९६५९१८५७२८०००
७. उपासकाध्ययन :	पद-संख्या ११७०००० श्लोक-संख्या ५९७७३५००७१५५००० अक्षर-संख्या १९१२७५२०२२८९६००००

१. इसके लेखक आचार्य शुभचन्द्र हैं, जो प्रकाण्ड विद्वान् थे। विगम्बर-परम्परा में उनकी त्रिविध-विद्या (व्याकरण, न्याय एवं परमागम)-धर तथा षट्-भाषा-कवि-चक्रवर्ती के नाम से ब्याप्ति है। अंग-पण्णत्ति में द्वादश अंगों तथा चतुर्दश पूर्वों का वर्णन है।

८. अन्तकृद्दशा : पद-संख्या २३२८०००
 श्लोक-संख्या ११८९३३९३९८८५२०००
 अक्षर-संख्या ३८०५८८६०७६३२३४०००

९. अनुत्तरीपपादिकदशा : पद-संख्या ९२४४०००
 श्लोक-संख्या ४७२२६१७४४१४६०००
 अक्षर-संख्या १५११२३७५८११६६७०००

१०. प्रश्न-व्याकथन : पद-संख्या ९३१६०००
 श्लोक-संख्या ४७५९४०११३३८९४०००
 अक्षर-संख्या १५२३००८३६२८४६०८०००

११. विपाक सूत्र : पद-संख्या १८४०००००
 श्लोक-संख्या ९४००२७७०३५६०००००
 अक्षर-संख्या ३००८०८८६५१३९२०००००

१२. दृष्टिवाच : पद-संख्या १०८६८५६००५
 श्लोक-संख्या ५५५२५८०१८७३९४२७१०७
 अक्षर-संख्या १७७६८२५६५९९६६१६६१६६७४४०

सारांश

अंग-प्रविष्ट तथा अंग-बाह्य ग्रन्थों के नाम, उपर्युक्त विवेचन आदि से यह असंदिग्ध रूप में प्रकट होता है कि दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत वाङ्मय में काफी नैकट्य व सादृश्य रहा है। दोनों वाङ्मय-धाराओं के उद्गम-स्रोत का ऐक्य भी इससे सिद्ध होता है।

उदाहरणार्थ एक प्रसंग उपस्थित किया जाता है। धवला-टीकाकार आचार्य वीरसेन ने आचारांग के विषय एवं कलेवर का वर्णन करते हुए मुनि-आचार से सम्बद्ध जो निम्नांकित दो गथाएं उद्धृत की हैं :

“ कथं चरे कथं चिट्ठे, कथमासे कथं सए ।

कथं भुंजेज्ज भासेज्ज, कथं पावं ण बज्झई ॥ ७० ॥

जदं चरे जदं चिट्ठे, जदमासे जदं सए ।

जदं भुंजेज्ज भासेज्ज, एवं पावं ण बज्झई^१ ॥ ७१ ॥”

लगभग इसी प्रकार की शब्दावलि में इसी भाव का निरूपण करते हुए दशबैकालिक में कहा गया है :

“कहं चरे कहं चिट्ठे, कहमासे कहं सए ।

कहं भुञ्जन्तो भासन्तो, पावं कम्मं न बंधई ॥

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुञ्जन्तो भासन्तो, पावं कम्मं न बंधई ॥”^१

दिगम्बर-परम्परा-सम्मत आचारांग की भाषा जैन शौरसेनी है तथा श्वेताम्बर-सम्मत दशबैकालिक की भाषा अर्द्धमागधी । उद्धृत गाथाओं में केवल इतना-सा भाषात्मक भेद है ।

इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के उत्तरवर्ती साहित्य भगवती-आराधना, मूलाधार आदि ग्रन्थों के वर्ण्य विषय तथा वहाँ प्रयुक्त गाथाएं वृहत्कल्प-भाष्य, आवश्यक निर्युक्ति, पिण्ड-निर्युक्ति, मरण-समाधि, भक्त-परिज्ञा, संस्तारक आदि श्वेताम्बर-साहित्य से अनेक स्थलों पर मिलती है ।

षट्खण्डागम : महत्व

द्वादशांग वाङ्मय के संबंध में दिगम्बर-चिन्तन-धारा को प्रस्तुत करने के अनन्तर अब हम उस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की चर्चा करने जा रहे हैं, जो षट्खण्डागम के नाम से विश्रुत है, दिगम्बर-परम्परा में, जिसे द्वादशांग श्रुत से सीधा सम्बद्ध माना जाता है । इसकी रचना शौरसेनी प्राकृत में सूत्रात्मक शैली में हुई है ।

समग्र दिगम्बर-सम्प्रदाय में षट्खण्डागम के प्रति असीम श्रद्धा, अपरिमित आदर एवं पूजा का भाव रहा है । जैन-तत्त्व-ज्ञान से सम्बद्ध कर्मवाद प्रभृति विषयों के गम्भीर तात्त्विक विवेचन की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ का असाधारण महत्व है ।

ग्रन्थ का नाम

मूल सूत्रों में तो ग्रन्थ का कोई नाम दिया हुआ प्रतीत नहीं होता । पर, इसके टीकाकार आचार्य वीरसेन ने धवला टीका में इसे खण्ड निदान्त^२ के नाम से संज्ञित किया है ।

१. दशबैकालिक, ४.७-८

२. तवो एयं खंड-सिद्धं तं पडुच्च भूदबलि-पुष्कयंताइरिया वि कप्तारो उच्चंति ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

उन्होंने वहाँ इसके छः खण्डों^१ की चर्चा की है। इस प्रकार आचार्य वीरसेन द्वारा यह ग्रन्थ षट् खण्ड सिद्धान्त के रूप में अभिहित हुआ है।

आगे चलकर षट् खण्ड सिद्धान्त के स्थान पर यह आगम, परमागम तथा षट्खण्डागम के नाम से विशेष रूप से विश्रुत हुआ।

अपभ्रंश के महान् कवि, महापुराण के रचयिता पुष्पदन्त ने इसे आगम सिद्धान्त^२ कहा है। गोम्मटसार की टीका में इसे परमागम कहा गया^३ है। इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में इसकी षट्खण्डागम के नाम से चर्चा की है।^४

आगम शब्द एक विशेष आशय लिए हुए है, उसका आधार प्राप्त-वाक्यता है। युक्ति और तर्क का स्थान वहाँ गौण है। सर्वथा युक्तियुक्त और प्रमाण-सम्मत तथ्य को सिद्धान्त कहा जा सकता, आगम नहीं, यदि उसका स्रोत आप्तवाक्यता नहीं है। जैन परम्परा में आगम-कोटि में वे ही ग्रन्थ आते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध सर्वज्ञ-भाषित से होता है, दूसरे शब्दों में सर्वज्ञ-वाणी जिनका उद्गम-स्रोत है। इस दृष्टि से दिगम्बर-विश्वास के अनुसार इस ग्रन्थ के 'आगम' अभिधान की निःसन्देह सार्थकता है।

एक अविस्मरणीय घटना

भगवान् महावीर का निर्वाण हुए छः शताब्दियों से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। दिगम्बर-परम्परा के अनुसार आगम-विच्छेद का काल लगभग आने वाला था। अधिकांश

१. एवं पुन जीवद्वाणं खंड-सिद्धंतं पडुच्च पुव्वाण्णुपुव्वीए द्विदं छ्हं खंडाणं पढमखंडं जीवद्वाणमिदि ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७४

२. ण उ बुज्झिउ आयमु मद्दामु ।

सिद्धंतु धवलु जयधवलु णामु ॥

—महापुराण १.९.८

३. एवं विशतिसंख्या गुणस्थानादयः प्ररूपणा भगवदहर्द्वेगणधरशिष्यप्रशिष्यादिगुरूपूर्वागतया परिपाद्या अनुक्रमेण भणिताः परभागमे पूर्वाचार्यैः प्रतिपादिताः ।

—गोम्मटसार, जीव काण्ड, टीका २१

४. षट्खंडागमरचनाभिप्रायः पुष्पदन्तगुरोः ।

—श्रुतावतार १३७

आगम-श्रुत विच्छिन्न हो चुका था। बहुत कम अवशिष्ट रह पाया था। उस समय आचार्य धरसेन उसके संवाहक थे।

नन्दि - संघ की प्राकृत-पट्टावली में आचार्य धरसेन को आचारांग का पूर्ण ज्ञाता कहा गया है।^१ धवलाकार ने उन्हें अंगों तथा पूर्वों के एक देश का ज्ञाता कहा^२ है। जैसा भी रहा हो, वस्तुतः वे एक विशिष्ट ज्ञानी आचार्य थे, साथ-ही-साथ विशिष्ट साधक भी। वे सौराष्ट्र के अन्तर्गत गिरिनगर^३ की चन्द्र नामक गुफा में विशिष्ट ध्यान-साधना में संलग्न थे। उन्होंने सोचा—जो विशिष्ट श्रुत उन्हें प्राप्त है, वह कहीं उनके बाद लुप्त न हो जाये, योग्य एवं अधिकारी पात्र को दिया जाना चाहिए। उन्होंने महिमानगरी के मुनि-सम्मेलन (संभवतः तब वहाँ कोई वैसा सम्मेलन चल रहा हो) को पत्र प्रेषित किया तथा अपनी भावना उन तक पहुँचाई। इस प्रसंग का उल्लेख धवला-टीकाकार आचार्य धरसेन ने निम्नांकित रूप में किया है :

“ग्रन्थ अर्थात् अवशिष्ट श्रुत-ज्ञान, जो उन्हें स्वायत्त है, का कहीं उच्छेद न हो जाये, यह सोचकर आचार्य धरसेन ने जो सौराष्ट्र देश में गिरिनगर नामक शहर की चन्द्र-गुफा में स्थित थे, जो अष्टांग महानिमित्त के पारगामी थे, अर्हत् प्रवचन के प्रति जिनका वात्सल्य था, महिमानगरी में सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्यों के पास लेख भेजा। आचार्य धरसेन द्वारा लेख में अभिव्यक्त वचन को अवधारित कर उन्होंने दो साधुओं को आन्ध्र-स्थित वेणा नदी के तट से गिरिनगर की ओर रवाना किया, जो (वे दो साधु) श्रुत के ग्रहण-धारण में सक्षम थे, उज्ज्वल-निर्मल विनयाचार से विभूषित थे, शील रूपी माला धारण किये हुए थे, जिनके लिए गुरु का निर्देश भोजनवत् तृप्तिप्रद था, जो देश, कुल एवं जाति से शुद्ध थे, समग्र कलाओं के पारगामी थे, अपने आचार्य से तीन बार पूछकर

१. पंचसये पणसेठे आंतिम जिण-समय-जादेसु।

उप्पणा पंच जणा इयंगधारी मुखोयव्वा ॥ १५ ॥

अहिबल्लि माघनंदि य धरसेणं पुण्ययंत भूवबली।

उडवीसं इगवीसं उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥ १६ ॥

२. तबो सब्बेसिमंगपुब्बाणमेगदेसो आइरिय-परंपराए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो।

—षट्खण्डागम खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६७

३. जिसे आजकल गिरनार कहा जाता है।

आज्ञा लेने वाले थे ।”^१

आगे आचार्य धरसेन की श्रुतोन्मुखी शुभाशंसा, विद्यार्थी मुनियों की पात्रता की परीक्षा, मुनियों द्वारा अपने योग्यत्व का समापन, श्रुताध्ययन का शुभारंभ आदि के सम्बन्ध में धबलाकार ने जो उल्लेख किया है, वह वस्तुतः पठनीय है; अतः उसे यहां उपस्थित किया जा रहा है ।

आचार्य धरसेन का स्वप्न

धबला के अनुसार—महिमानगरी से रवाना हुए दोनों मुनि चलते-चलते पहुंचने वाले थे । इधर आचार्य धरसेन ने रात के अन्तिम पहर में एक स्वप्न देखा—कुन्द, चन्द्र तथा शंक जैसे उज्ज्वल वर्ण वाले, सभी शुभ लक्षणों से युक्त दो वृषभ आते हैं, वे तीन बार उनकी (आचार्य धरसेन की) प्रदक्षिणा करते हैं और अत्यन्त तन्मत्तापूर्वक उनके चरणों में पड़ जाते हैं ।

यह स्वप्न देख आचार्य धरसेन परितुष्ट हुए तथा सहसा उनके मुंह से निकल पड़ा—श्रुत देवता की जय हो । उसी दिन वे दोनों विद्यार्थी-मुनि आचार्य धरसेन की सेवा में पहुंचे । उन्होंने आचार्य की चरण-वन्दना आदि कृति-कर्म किये । दो दिन सुसताये । तीसरे दिन विनयपूर्वक आचार्य धरसेन से निवेदन किया—इस (श्रुताध्ययन) के कार्य (उद्देश्य) से हम आपके श्रीचरणों में उपस्थित हुए हैं । आचार्य धरसेन बोले—यह सुष्ठु है, भद्र (कल्याणकारी) है और उन्होंने समागत मुनियों को आश्वासन दिया ।”^२

१. तेण वि सोरट्ठ विसयगिरिणयरपट्टणचंबगुहाठिएण अट्ठंगमहानिमित्तपारसण गन्धवोच्छेदो होह्वित्ति जावमएण पक्खण-वण्णलेण वक्खिणावहाइरियाणं महिमाए नित्तियाणं लेहो पेसिबो । लेह-ट्ठिय-धरसेण-वयणमवधारिय तेहि वि आइरिएहि वे साहू गहणधारण-समत्था धबलामलबहुविह-विणयविहसियंगा सीलमालाहरा गुर्येसणा-सणत्तित्ता देस-कुलजाइसुद्धा सयलकलापारया तिककुत्ता मुच्छियाइरिया अंधविसयवेण्यवडाओ पेसिबा ।

—पट्ठञ्जागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६७

२. तेसु आगच्छमारोसु रयणीए पच्छिमे माए कुबेंडु-संख-वण्णा सव्वसक्खणसंपुण्णा अप्पणो कय-इप्पयाहिणा पाएसु णिसुट्ठिय-पवियंगा वे वसहा सुमिणंतरेण धरसेण-भट्टारएण विट्ठा । एवंविह सुमिणं बट्ठूण तुट्ठेए धरसेणाइरिएण ‘जयउ सुय-देवदा’ ति संसवियं । तद्वियसे वेय ते वो वि जणा संपत्ता धरसेणारियं । तवो धरसेणमयवदो किवियम्मं काकण दोण्णि विवसे बोलाविय तद्विय-विवसे विणएण धरसेण-भट्टारओ तेहि विण्णत्तो—‘अणेण

आचार्य का चिन्तन

आचार्य धरसेन ने शुभ स्वप्न देखा । अगले ही दिन उसकी फल-प्रसूति भी देखी । आचार्य के सामने प्रश्न था—वे अपनी दुर्लभ विद्या समागत मुनियों को प्रदान करें या नहीं । उनका विश्वास था—सद्बिद्या सत्पात्र में ही सन्निहित की जानी चाहिए । असत् पात्र में निहित उत्तम विद्या भी कभी सुखावह नहीं हो सकती । आचार्य के अन्तःकरण में विचारोद्ध्वलन होने लगा—

“जो शिक्षयिता—गुरु मोहवश पर्वत के मेघ, फूटे हुए घट, सांप, चालनी, भैसे, मेंढे, जोंक, शुक, मिट्टी तथा मच्छर के सदृश श्रोताओं के आगे श्रुत का व्याख्यान करता है—ऐसों को श्रुत का शिक्षण देता है, वह गर्व से प्रतिबद्ध, विषय-लोलुपता के विष से मूर्च्छित हो भटकता हुआ, बोधि—रत्नत्रय (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य) के लाभ से भ्रष्ट होकर चिर-काल तक भव-कान्तार में परिभ्रमण करता रहता है । इस वचन का आचोलन करते हुए आचार्य के मन में आया कि स्वच्छन्द व्यक्तियों को विद्या देना भव-भ्रमण एवं भीति बढ़ाने वाला है ।

यद्यपि आचार्य धरसेन ने शुभ स्वप्न द्वारा समागत मुनिद्वय का हार्द समझ लिया था, फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा करना आवश्यक समझा । वे जानते थे, सुष्ठुरीति से की हुई परीक्षा हृदय में परितोष उत्पन्न करती है ।”¹

कज्जेणन्हा बो वि जणा तुम्हं पावमूलमुव गया’ त्ति । ‘सद्दु भद्द’ त्ति भणिऊण धरसेण-
भञ्जारण बो वि आसासिवा ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६७-६८

१. सेल-घण-भग-धद-अहि-चालणि-महिसा-५-वि-जाहय-सुएहि ।

मट्टिय-मसय-समाणं वक्खाणइ जो सुदं मोहा ॥ ६२ ॥

धद-गारव-पडिबद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मंतो ।

सो भट्ट-बोहि-लाहो भमइ चिरं भव-वणे मूढो ॥ ६३ ॥

इति वयणाबो जहाछंवाईणं विज्जावाणं संसार-भयबद्धगमिदि चित्तिऊण सुह-सुभिण-
वंसरोशेव अवगय-पुरिसंतरेण धरसेण-भयववा पुणरवि ताणं परिकखा कल्लमादत्ता—
‘सुपरिकखा हियय-भिवुइ करेति’ ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६८-७०

परीक्षा : सफलता

आचार्य धरसेन ने उपर्युक्त रूप में निश्चय कर श्रुतार्थी मुनियों की इस प्रकार परीक्षा की—“उन्होंने उनको दो विद्याएं दीं। उनमें एक अधिकाक्षरा थी, दूसरी हीनाक्षरा। उन्होंने मुनियों से कहा—पठ-भक्त-उपवास—बेला कर विद्याएं साधें। मुनियों ने विद्याओं की साधना की। विद्या की अधिष्ठात्री देवियां उनके समक्ष प्रकट हुईं। उनमें एक देवी के दान्त मुंह से बाहर निकले हुए थे और दूसरी एक आंख से कानी थी। मुनि विचारने लगे—देवताओं में ऐसा कैसे? उनमें तो विकलांगता नहीं होती। दोनों मुनि मंत्र-विश्लेषण-शास्त्र में प्रवीण थे। अतः उन्होंने हीनाक्षरा विद्या के मंत्रों से अपेक्षित अक्षर मिलाकर तथा अधिकाक्षरा विद्या के मंत्रों में से अनपेक्षित अधिक अक्षर हटाकर उनकी पुनः साधना की। साधना फलित हुई। दोनों विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां अपने स्वाभाविक सौम्य रूप में उन्हें दिखलाई दीं। मुनि आचार्य धरसेन के पास आये, यथोचित विनयपूर्वक विद्याराधना सम्बन्धी वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। आचार्य बहुत परितुष्ट हुए और उन्हें शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र तथा शुभ वार में ग्रन्थ —शास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया।”¹

परितुष्ट गुरु द्वारा विद्या-दान

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार्य धरसेन ने विद्या ग्रहण-हेतु समागत साधुओं की परीक्षा में सफल पाया। उन्हें विश्वास एवं परितोष हुआ कि वे दोनों सुयोग्य पात्र एवं समर्थ अधिकारी हैं। वे उन्हें सोत्साह विद्या देने लगे। विद्यादाता का हादिक अनुग्रह तथा विद्या-गृहीता की तन्मयता, लगन एवं परिश्रम विद्या की यथावत् प्राप्ति में निःसन्देह असाधारण सहायक होते हैं। ऐसा ही हुआ। पुष्पदन्त और भूतबलि बड़ी निष्ठा, भक्ति तथा विनयपूर्वक विद्या ग्रहण करने लगे। आचार्य धरसेन ने, जो विशिष्ट श्रुत उन्हें आयत्त था, सहर्ष अपने शिष्यों को दिया। शिष्य विद्या-निष्णात हो गये।

१. तवो ताणं तेण वो विज्जाओ विण्णाओ। तत्थ एया अहिंयक्खरा अवरा वि हीणक्खरा। एवाओ छट्ठोववासेण साहेहु त्ति। तवो ते सिद्धविज्जा विज्जादेवताओ पेच्छंति, एया उद्दतुरिया अवरेया काणिया। ऐसो वेवदाणं सहावो ण होवि त्ति चित्तिऊण मंत-व्वायरण-सत्थ-कुसलेहिं हीणाहिंय-क्खराणं छुहणाव-गयण-विहाणं काऊण पढंतेहि वो वि वेवदाओ सहाव-क्ख-ट्ठियाओ विट्ठाओ। पुणो तेहि धरसेण-अयबंतस्स जहावित्तेण विणएण णिवेविवे सुण्ठु तुट्ठेण धरसेण-अज्जरएण सोम-तिहि-णक्खत्त-पारे गंधो पारद्धो।

—चट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७०

धवलाकार ने लिखा है, जिस दिन विद्याध्ययन समाप्त हुआ, वह आषाढ़ शुक्ला एकादशी का दिन था, पूर्वाह्न का समय था ।^१ स्नातक-शिष्यों ने सोचा, हम अब अपने विद्या-गुरु का और सान्निध्य पायेंगे, उनकी सेवा-शुश्रूषा करेंगे । पर, घटना और ही प्रकार से घटी । आचार्य धरसेन ने उन्हें उसी दिन खाना कर दिया ।^२ इन्द्रनन्दि ने अपनी पुस्तक में उन्हें दूसरे दिन खाना करने का उल्लेख किया है । खैर, शिष्यों को यह अपने मनोनुकूल तो कैसे लगता, पर जैसी भी हो, गुरु की आज्ञा कभी लांघनी नहीं चाहिए, वे चल पड़े ।

वर्षावास का समय लगभग आ ही चुका था । क्योंकि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से जैनो में उसका प्रारम्भ माना जाता है । जैन मुनि वर्षावास में विहार नहीं करते । वे किसी एक ही ग्राम या नगर में चातुर्मासिक प्रवास करते हैं । यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आचार्य धरसेन ने अपने शिष्यों को विदा करने में इतनी शीघ्रता क्यों की, जब कि मुनियों के विहार का समय लगभग समाप्त हो चुका था ।

स्नातकों का प्रस्थान : संभावनाएँ

आचार्य धरसेन द्वारा अपने अन्तेवासियों को इतना शीघ्र विहार करा देने के सन्दर्भ में अनेक संभावनाएं की जा सकती हैं ।

आचार्य धरसेन ने जब महिमानगरी के मुनि-सम्मेलन को लेख भेजा, तब सम्भवतः उसका कारण उन्हें अपने आयुष्य की अल्पता ज्ञात हुआ हो । अन्यथा वे स्वयं चलाकर ऐसा क्यों करते । अब, जब वे दोनों शिष्यों को अपनी विद्या दे चुकते हैं तो शायद उनका आयुष्य मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच गया हो । उन्होंने सोचा हो, इन्हें तो जाना है ही, जिन शिष्यों को उन्होंने इतने अनुग्रह और वात्सल्य से विद्या-दान दिया है, वे (शिष्य) उन्हें अपनी आंखों के सामने देह-त्याग करते देख कितने दुःखी होंगे । यह भी हो सकता है; उन्हें लगा हो, यदि शिष्य सामने रहेंगे तो स्यात् उनके मन में अपने अन्तिम समय में अपने प्रिय, विनीत एवं आज्ञाकारी शिष्यों के प्रति कुछ ममता का भाव उत्पन्न हो जाये, जो उनके उदात्त एवं तितिक्षु श्रमण-जीवन के प्रतिरूप हो ।

१. पुणो कमेण वक्खणंतेण आसाढ-मास-सुक्क-पक्ख-एक्कारसीए पुग्गण्हे गंथो समाणिदो ।

—पट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७०

२. पुणो तद्विसे खेव पेसिवा संतो ।

—पट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

एक सम्भावना यह भी की जा सकती है, वे एक ध्यान-योगी एवं तपस्वी साधक थे । जब उन्होंने देखा कि शिष्यों को विद्या-दान कर वे अपना उत्तरदायित्व पूरा कर चुके हैं तो उन्हें लगा हो कि अब उन्हें पुनः एकान्त साधना में जुट जाना चाहिए । अतः एक दिन भी वे अपने शिष्यों को अपने पास क्यों रखें ।

यह सम्भावना कुछ संगत प्रतीत नहीं होती; क्योंकि आचार्य धरसेन की वैसी भावना होने पर भी जिस दिन विद्याध्ययन समाप्त हुआ, उसी दिन या उसके अगले दिन शिष्यों को रवाना करने जैसी शीघ्रता करने की वैसी क्या आवश्यकता थी । कुछ समय शिष्यों के वहां रहते हुए भी उनकी साधना चल सकती थी ।

एक कल्पना यह भी है, उन्होंने सोचा हो, जो श्रुत उन्होंने अपने अन्तेवासियों को दिया है, उसके प्रसार-विस्तार में एक दिन का भी विलम्ब क्यों हो । अतएव उन्हें तत्काल रवाना कर दिया हो । पर, यह संभावना भी कम व्यवहार्य प्रतीत होती है ।

इन्द्रनन्दि और श्रीधर का संकेत

इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार तथा श्रीधर के श्रुतावतार में पहली सम्भावना की ओर संकेत किया है । अर्थात् उनके अनुसार आचार्य धरसेन को ऐसा भान हुआ कि उनकी मृत्यु सन्निकट है । उनके निधन का दृश्य देख उनके शिष्यों को मनः क्लेश न हो, इसलिए उनको प्रस्थान करा दिया ।^१

अंकुलेश्वर में चातुर्मास्य

पुष्पदन्त एवं भूतबलि गुरु की आज्ञा को अलङ्घनीय मानते हुए उसे शिरोधार्य कर चल पड़े । वे अंकुलेश्वर आये ।^२ इन्द्रनन्दि ने उस नगर का नाम कुरीश्वर लिखा है । ऐसी भी

१. स्वासन्नमूर्तिं ज्ञात्वा मा भूत् संक्लेशमेतयोरस्मिन् ।

इति गुह्या संञ्चित्य द्वितीयदिनसे ततस्तेन ॥

—इन्द्रनन्दि

आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा धरसेनस्तयोर्मा क्लेशो भवतु इति मत्वा तन्मुनिं विसर्जनं करिष्यति ।

—श्रीधर

२. 'पुष्यपणमलङ्घनिर्ज' इति चित्तिज्जणागदेहि अंकुलेश्वरे परिताकालो कओ ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

चर्चा की है कि वे दोनों मुनि नौ दिनों की यात्रा कर वहाँ पहुँचे । इसका अर्थ यह हुआ कि वे यदि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निरिनगर से चले तो श्रावण कृष्णा चतुर्थी को अंकुलेश्वर पहुँचे और यदि आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को चले तो श्रावण कृष्णा पंचमी को वहाँ पहुँचे । अर्थात् जैन मर्यादा के अनुसार चातुर्मास्य के प्रारम्भ हो जाने के छः या सात दिन बाद वहाँ पहुँचे । उनकी यह साप्ताहिक यात्रा जैन आचार-व्यवस्था के अनुसार विहित नहीं थी, पर शायद अपवाद रूप में उन्हें वैसा करना पड़ा हो; आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी तक उनके पास विहार के लिए केवल तीन दिनों का समय अवशिष्ट था । इतने अल्प समय में वे चातुर्मासिक प्रवास के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुँच सके हों । अस्तु, उन्होंने अंकुलेश्वर में अपना चातुर्मास्य किया ।

आचार्य धरसेन : तिरोधान

महान् मनीषी एवं साधक आचार्य धरसेन के जीवन का केवल इतना-सा भाग प्रकाश में है । उनके आगे-पीछे के इतिवृत्त के सम्बन्ध में और कुछ विशेष ज्ञात नहीं है । अपनी विद्या को सत्पात्र में सन्निधापित करने की तीव्र उत्कण्ठा, सुयोग्य, जिज्ञासु एवं जिघृक्षु अन्तेवासियों की प्राप्ति, विद्या का दान और उसके बाद तिरोधान—यही संक्षेप में उनके व्यक्त जीवन का लेखा-जोखा है । पुष्पदन्त तथा भूतबलि को प्रस्थान कराने के बाद वे हमारी आँखों से ओझल हो जाते हैं । अब कुछ, क्या हुआ, सब अज्ञात है । भारत के साधक मनीषियों की कुछ इसी प्रकार की स्थिति रही है ।

आचार्य धरसेन के सम्बन्ध में जो कुछ प्राप्त आधार, उल्लेख या सम्भावनाएँ हैं, उनके परिपार्श्व में यथास्थान चर्चा करेंगे ।

षट्स्वयंजागम का प्रस्थान

मुनि पुष्पदन्त एवं भूतबलि ने अंकुलेश्वर में चातुर्मासिक प्रवास किया । उस सन्दर्भ में धवला में उल्लेख है : “वर्षावास बिताकर आचार्य पुष्पदन्त जिनपालित को देखकर (उसके साथ) वनवास नामक प्रदेश की ओर चले गये । भूतबलि भट्टारक द्रमिक प्रदेश की ओर चले गये । तत्पश्चात् आचार्य पुष्पदन्त ने जिनपालित को दीक्षा की । बीस अधिकारों में विभक्त सत्प्ररूपणा के सूत्र रचे तथा जिनपालित को उन्हें पढ़ाया । फिर उसे भूतबलि भट्टारक के पास भेज दिया ।”¹

१. जोगं समाणीय जिणवालिं षट्पूण पुष्पयंताहरियो वनवासविसयं गवो । भूतबलि-
भट्टारको नि बल्लि बेसं गवो । तवो पुष्पयंताहरिण जिणवालिबस्स विक्खं दाऊण

धवलाकार के इस कथन से कई बातें प्रकट होती हैं । जिनपालित नामक एक नया व्यक्ति प्रकाश में आता है । आचार्य पुष्पदन्त उसको देखकर वनवास नामक प्रदेश को गये । इसकी स्पष्ट संगति प्रतीत नहीं होती । वे उसे कहां देखते हैं, फिर (उसके साथ) वनवास प्रदेश की ओर कैसे चले जाते हैं; इत्यादि बातों के पूर्वापर-प्रसंग वांछित हैं, जो नहीं मिलते ।

षट्खण्डागम के सम्पादक प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राच्य भाषाओं के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हीरालाल जैन ने इस प्रसंग में धवला में प्रयुक्त 'बट्ठूण' शब्द को लेकर एक समाधान उपस्थित किया है । प्राकृत में 'बट्ठूण' सामान्यतः पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में अर्थात् 'देखकर' के अर्थ में प्रयुक्त है, पर डा० जैन ने बताया है कि इसका अर्थ 'दृष्टुम्' = देखने के लिए भी हो सकता है । उन्होंने विमलसूरि के पउमचरियं से इस कोटि के रूपों के द्योतक कुछ उदाहरण भी उपस्थित किये हैं ।

इन्द्रनन्दि ने जिनपालित को आचार्य पुष्पदन्त का भगिनी-पुत्र लिखा है । हो सकता है, जिनपालित एक बहुत संस्कार-सम्पन्न बालक रहा हो, आचार्य पुष्पदन्त का एक होनहार शिष्य के रूप में उसे पाने का आकर्षण रहा हो; क्योंकि आचार्य धरसेन जैसे साधक मनीषी से जो दुर्लभ श्रुत उन्हें उपलब्ध था, उसे किसी योग्य पात्र को देना भी था । योग्य पात्र सरलता से नहीं मिल पाते । अपने विशेष ज्ञान तथा पारिवारिक सम्बन्ध के नाते जिनपालित से रहे हुए परिचय के कारण उनके मन में यह कल्पना जागी हो कि यह श्रुत-संभार जिनपालित वहन कर सकता है; अतः उसे देखने के लिए, श्रामण्य की ओर सत्प्रेरित करने के लिए वनवास-प्रदेश, जहां जिनपालित था, उनका जाना असंगत नहीं लगता । आचार्य पुष्पदन्त की जन्म-भूमि भी यही प्रदेश प्रतीत होता है ।

जिनपालित को देखने के लिए जाने की जो सम्भावना की गई है, उसकी संगति और लग जाती है, जब पुष्पदन्त उसे दीक्षा देते हैं । इतना ही नहीं, उसे पढ़ाने के लिए ग्रन्थ-प्रणयन करते हैं और उसे पढ़ाते हैं ।

अपने गुरु आचार्य पुष्पदन्त द्वारा आज्ञप्त होकर जिनपालित आचार्य भूतबलि के सान्निध्य में पढ़ते हैं । जैसा कि धवलाकार ने संकेत किया है, भूतबलि जिनपालित को

वीसवि-सुत्ताणि करिय पडाविय पुणो सो भूतबलिभयवंतस्स पासं पेसिदो ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

‘वीसदि सूत्रों’ के ज्ञान से युक्त पाते हैं। पर, साथ-ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि आचार्य पुष्पदन्त का आयुष्य कम है, तब अधिगत शास्त्र अविच्छिन्न रहे, यह चिन्ता उन्हें होती है।

इस संदर्भ से भी पिछली सम्भावना को बल मिलता है कि पुष्पदन्त को अपना आयुष्य लम्बा न जान एक सुयोग्य अन्तेवासी की खोज की विशेष चिन्ता हुई हो और तब उनकी दृष्टि में जिनपालित आया हो।

षट्खण्डागम की सम्पन्नता

आचार्य पुष्पदन्त द्वारा ‘वीसदि सूत्र’ रचे जाने का उल्लेख किया ही गया है। आगे की रचना के सम्बन्ध में घवलाकार ने लिखा है, आचार्य भूतबलि ने इस चिन्ता से कि कहीं ‘महाकर्म-प्रकृति-प्राभृत’ का व्युच्छेद न हो जाये, द्रव्यप्रमाणानुगम से लेकर समग्र ग्रन्थ की रचना की।^१

जहां से द्रव्यप्रमाणानुगम का प्रारम्भ होता है, वहां भी आचार्य भूतबलि की कर्तृकता का ज्ञापन किया गया है। जैसे—“.....अब उन शिष्यों को जिन्होंने चतुर्दशविध जीव-समास का अस्तित्व जान लिया है, जीव-समास के परिमाण का प्रतिबोध देने के लिए आचार्य भूतबलि सूत्र कहते हैं।”^२

यों आचार्य पुष्पदन्त एवं भूतबलि—इन दोनों मनीषियों की समन्वित प्रतिभा तथा श्रम का परिणाम यह विशाल बाङ्मय है।

इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में षट्खण्डागम के सर्जन के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया है, वह इस प्रकार है : “भूतबलि ने (जिनपालित द्वारा) प्रपठित सत्प्ररूपणा को सुना। उससे उन्हें आचार्य पुष्पदन्त के षट्खण्डागम-रचना के अभिप्राय का ज्ञान हुआ। उन्हें उन

१. भूतबलिभयवदा जिणरालिद-पासे दिट्ठवीसदि-सुत्तेण अप्पाउओ त्ति अवगयजिणवालि-देण महाकम्म-पयडि-पाट्ठइस्स वोच्छेवो होहदि त्ति समुप्पण्ण-बुद्धिणा पुणो बव्वपमा-णाणुगममादि काऊण गंथ-रचना कदा।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

२. संपहि चोइसहं जीवसमासाणमत्थित्त-मवगदाणं सिस्साण तेसि चैव परिमाणं पडिधो-हण्डं भूतबलियाइरियो सुत्तमाह।

(पुष्पदन्त) के अल्प आयुष्य का भी प्रत्यय हुआ। उन्होंने साधारण बुद्धि के मनुष्यों को उद्दिष्ट कर पूर्व सूत्र—आचार्य पुष्पदन्त द्वारा रचित सूत्र सहित छः हजार सूत्रों में षट्खण्डागम के पांच खण्ड रचे। फिर तीस सहस्र श्लोक-प्रमाण महाबन्ध नामक छठे खण्ड की रचना की।^१

इसका तात्पर्य यह हुआ कि षट्खण्डागम के 'जीव-स्थान' संज्ञक प्रथम खण्ड के बीस अधिकार, जो १७७ सूत्रों में विभक्त हैं, आचार्य पुष्पदन्त ने रचे। प्रथम खण्ड के अवशिष्ट भाग, क्षुल्लक-बन्ध नामक द्वितीय खण्ड, बन्ध-स्थामित्व-विचय नामक तृतीय खण्ड, वेदना नामक चतुर्थ खण्ड तथा दर्शना नामक पंचम खण्ड की ५८२३ सूत्रों में आचार्य भूतबलि ने रचना की। यों छः हजार सूत्रों में पांच खण्ड पूरे हुए। छठा खण्ड, जिसे तीस सहस्र श्लोक-प्रमाण कहा गया है, आचार्य भूतबलि-रचित है। घबला तथा जयघबला में भी इस प्रकार के उल्लेख हैं, जिनसे आचार्य भूतबलि द्वारा महाबन्ध का रचा जाना सिद्ध होता है। यों आचार्य पुष्पदन्त तथा भूतबलि—दोनों षट्खण्डागम के रचनाकार माने जाते हैं।^२

घबला में षट्खण्डागम की आप्त-परम्परा या आर्यता की चर्चा इन शब्दों में की गई है : “इस तन्त्र-ग्रन्थ—षट्खण्डागम के मूल कर्ता वर्द्धमान भट्टारक—भगवान् महावीर हैं, अनु-ग्रन्थ कर्ता गौतम स्वामी हैं तथा उप-ग्रन्थकर्ता राग, द्वेष व मोह रहित मुनिवर भूतबलि, पुष्पदन्त आदि हैं।”^३

१. तेन ततः परिपठितां भूतबलिः सत्प्ररूपणां श्रुत्वा ।

षट्खण्डागमरचनाभिप्रायं पुष्पदन्त गुरोः ॥ १३७ ॥

विज्ञायाल्पायुष्यानल्पमतीन् मानवान् प्रतीत्य ततः ।

ब्रह्मप्ररूपणाद्यधिकारः खंडपंचकस्यान्वक् ॥ १३८ ॥

सूत्राणि षट्सहस्रपंचान्यय पूर्वसूत्रसहितानि ।

प्रविरच्य महाबधाह्यं ततः षष्ठकं खंडम् ॥ १३९ ॥

त्रिशत्सहस्रसूत्रप्रथं व्यरचयदसौ महात्मा ।

—इन्द्रनन्दि श्रुतावतार

२. तदो एयं खंडविद्धं तं पडुच्च भूदबलिपुष्पयंताइरिया वि कत्तारो उच्चंति ।

— षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१

३. तदो मूल-तंत-कत्ता वड्डमाण-मडारओ, अशुतंत-कत्ता गोदमसामी, उवतंतकत्तारा भूदबलिपुष्पयंतादयो वीय-राय-दोस-मोहा मुणिवरा ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७२

शंका-समाधान की शैली में टीकाकार आगे उल्लेख करते हैं : “यहां ग्रन्थ-कर्ता का प्ररूपण क्यों किया जा रहा है ? शास्त्र का प्रामाण्य दिखलाने के लिए, क्योंकि बक्ता के प्रामाण्य से बचन का प्रामाण्य सिद्ध होता है, ऐसा न्याय है ।”^१

षट्खण्डागम के ग्रहद-वाणी से सीधे सम्बद्ध होने का भाव व्यक्त करने की दृष्टि से आचार्य वीरसेन ने इस प्रकार की शब्दावलि में विश्लेषण किया है, जो स्पष्ट है ।

षट्खण्डागम की पूजा : श्रुत-पंचमी का पर्व

भूतबलि ने जब इस आगम-ग्रन्थ के छहों खण्डों की रचना सम्पन्न की, ऐसा माना जाता है, तब सारे संघ में असीम हर्ष छा गया । धवलाकार ने ग्रन्थ-समापन के सन्दर्भ में पीछे किये गये उल्लेख के अतिरिक्त और कोई विशेष चर्चा नहीं की है । पर, इन्द्रनन्दी ने श्रुत-वतार में इस सम्बन्ध में एक विशेष आयोजन का उल्लेख किया है । वह इस प्रकार है : “आचार्य भूतबलि ने षट्खण्डागम को पुस्तकारूढ़ कर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन चतुर्विध संघ सहित पुस्तकोपकरण के माध्यम से श्रुत की यथाविधि पूजा की । जिससे वह तिथि श्रुत-पंचमी के नाम से विख्यात हुई । आज भी जैन उस दिन श्रुत-पूजा करते हैं ।”^२

भूतबलि ने अपना ग्रन्थ अपने अन्तेवासी जिनपालित के हाथ पुष्पदन्त के पास भेजा । पुष्पदन्त अपना अभीप्सित पूरा हुआ जान बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने भी संघ सहित ग्रन्थ की सोदसाह पूजा की ।

इस घटना से सिद्ध होता है कि षट्खण्डागम की रचना की सम्पन्नता तक आचार्य पुष्पदन्त, जिनके अत्पायु होने का पीछे संकेत किया गया है, जीवित थे । साथ-ही-साथ

१. किमर्थं कर्ता प्ररूप्यते ? शास्त्रस्य प्रामाण्यप्रदर्शनार्थम् । ‘चतुर्प्रामाण्याद् वचनप्रामाण्यम्’ इति न्यायाद् ।

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७२

२. ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वर्ण्यसंघसमवेतः ।

तत्पुस्तकोपकरणैर्व्यधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥ १४३ ॥

श्रुतपञ्चमीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परामाप ।

अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूजां कुर्वते जनाः ॥ १४४ ॥

—इन्द्रनन्दि-श्रुतवतार

यह भी प्रकट होता है कि वे भूतबलि से ज्येष्ठ रहे हों, तभी तो भूतबलि ने अपने शिष्य के हाथ उनके पास ग्रन्थ भेजा। ध्वलाकार ने भी ग्रन्थारम्भ में अपने द्वारा किये गये मंगला-चरणा के अन्तर्गत पहले पुष्पदन्त को और बाद में भूतबलि को वन्दन-प्रणमन किया है।^१ ग्रन्थ-रचना में प्रारम्भ का अंश पुष्पदन्त का है तथा आगे का भूतबलि का; जिससे यह तथ्य समर्थित होता है।

ध्वला : एक अद्भुत कृति

दिगम्बर-परम्परा में षट्खण्डागम का प्रारम्भ से ही बड़ा महत्व माना जाता रहा है। फलतः अनेक विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखीं, जिनमें कुन्दकुन्द (वि० द्वितीय शती), शामकुण्ड (वि० तृतीय शती), तुम्बुलूर (वि० चतुर्थ शती), समन्तभद्र (वि० पंचम शती) तथा बप्पदेव (लगभग वि० षष्ठ-अष्टम शती के मध्य) मुख्य हैं।

विक्रम की नवम शती में अपने युग के उद्भट विद्वान् आचार्य वीरसेन ने इस पर ध्वला नामक टीका लिखी, जो ७२ हजार श्लोक-प्रमाण है। वीरसेन का अध्ययन बड़ा विशाल एवं व्यापक था। प्रतीत होता है, उन्होंने षट्खण्डागम पर रचित तथा उससे सम्बद्ध व्याकरण-साहित्य का आलोचन कर डाला था, जो अपनी टीका में उन द्वारा स्थान-स्थान पर किये गये विश्लेषण से गम्य है। उनकी टीका जहां कलेवर में इतनी विशाल है, वहां सूक्ष्म तार्त्विक विश्लेषण, अनेक आचार्यों एवं वादियों के मत-मतान्तरों के परिशीलन, परीक्षण, समीक्षण और विवेचन की दृष्टि से भी अद्भुत है। भारतीय तत्त्व-चिन्तनधारा के क्षेत्र में निःसन्देह वीरसेन का यह कार्य अपनी कोटि का एक असाधारण कार्य है।

व्याख्या की वरेण्यता, वैशद्य एवं सर्वांगीणता आदि के कारण विद्वत्समाज में यह टीका बहुत समादृत हुई तथा पठन-पाठन में इसी का निर्बाध उपयोग होने लगा। सम्भवतः इसी का यह परिणाम था कि इस टीका की रचना के बाद लगभग पिछली सभी टीकाओं का प्रसार रुक गया। आज उनमें से कोई भी हमारे समक्ष नहीं है। मालूम नहीं, कोई आज भी

१. पणमामि पुष्पदन्तं दुकयन्तं द्णयध्यार-रतिं ।

मग-सिव-मग-कंदयमिसि-सजिइ-वइं सया दंतं ॥ ५ ॥

पणमह कय-भूय-बलिं भूयबलिं केस-वास-परिभूय-बलिं ।

विणिह्य-वम्मह-पसरं बड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसरं ॥ ६ ॥

—षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७

दक्षिणापथ के किसी प्राचीन ग्रन्थ-भण्डार की कारा में पड़ी प्रकाश में आने की बाद जोह रही हो ।

कषाय-प्राप्त

दिगम्बर-आम्नाय में आप्त-परम्परा की शृंखला में माना जाने वाला एक ग्रन्थ और है—कषाय-प्राप्त । इसके रचयिता आचार्य गुणधर थे । षट्खण्डागम को जहाँ प्रथम सिद्धान्त-ग्रन्थ कहा जाता है, वहाँ कषाय-प्राप्त की द्वितीय सिद्धान्त-ग्रन्थ के रूप में व्याप्ति है । दिगम्बर-परम्परा में यह ग्रन्थ भी प्रारम्भ से ही काफी समादृत रहा है । इसकी भाषा षट्खण्डागम की तरह शौरसेनी प्राकृत है । कषाय-प्राप्त पर भी व्याख्या-साहित्य रचा गया, पर, आज वह प्राप्त नहीं है ।

सबला के महान् लेखक आचार्य वीरसेन ने कषाय-प्राप्त पर भी टीका लिखना प्रारम्भ किया । वे षट्खण्डागम की तरह उस पर विशाल टीका लिखना चाहते थे । वे बीस हजार श्लोक-प्रमाण टीका-उद्दिष्ट का एक अंश ही लिख पाये थे कि उनका देहावसान हो गया । पर वह कार्य बाकी नहीं रहा । उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी, प्रखर विद्वान् जिनसेन ने इस कार्य का बीड़ा उठाया । वे भी बड़े अध्येता एवं बहुश्रुत थे । अत्यन्त लगन, निष्ठा व तन्मयता से उन्होंने कार्य किया । फलतः वह टीका ६० हजार श्लोक-प्रमाण में सम्पूर्णा हुई, जिसमें चालीस हजार श्लोक-प्रमाण जिनसेन का है । कषाय-प्राप्त, विषय-वस्तु, विवेचन आदि पर आगे यथा-प्रसंग प्रकाश डाला जायेगा ।

षट्खण्डागम : ग्रन्थालार की कारा से मुक्ति

षट्खण्डागम, जो दिगम्बर जैन आम्नाय का सर्वाधिक महिमाशाली वाङ्मय है, जिसके विवेचन—विश्लेषण का प्रसंग प्रस्तुत प्रकरण में चल रहा है, एकमात्र दक्षिण में ताड़पत्रीय रूप में सुरक्षित रहा । दक्षिण का जैन धर्म से, विशेषतः दिगम्बर सम्प्रदाय से अनिष्ठतम सम्पर्क रहा है । दक्षिणापथ एवं जैन धर्म के सन्दर्भ में यहां संक्षेप में प्रकाश डालना अप्रासांगिक नहीं होगा । विवेच्य विषय के विशदीकरण में वह एक प्रकार से सहायक ही होगा; अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां उपस्थित किये जा रहे हैं ।

दक्षिणापथ में जैन धर्म

जैन धर्म का उद्भव उत्तर में हुआ । प्रथम तीर्थंकर ऋषभ अयोध्या के थे, अन्तिम तीर्थंकर महावीर वैशाली के । अयोध्या उत्तर भारत का लगभग मध्यवर्ती स्थान है और वैशाली पूर्वांचलीय ।

उत्तरापथ में प्रादुर्भूत एवं प्रसृत यह धर्म दक्षिण में हिन्द महासागर तक फैला, जिसे आज शताब्दियां ही नहीं, सहस्राब्दियां व्यतीत ही चली हैं। दीर्घ काल तक वह दक्षिण भारत में अतीव लोकप्रिय था, जहां राजा और प्रजा—दोनों की असीम श्रद्धा तथा आदर उसे प्राप्त था।

जैन धर्म के दक्षिण-प्रवेश के सन्दर्भ में परम्परा यहां तक माना जाता है कि आद्य तीर्थंकर ऋषभ तथा चरम तीर्थंकर महावीर का यहां से सीधा सम्बन्ध रहा है। प्रो० प्रस० के० रामचन्द्रराव ने इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए लिखा है : “ग्यारहवीं शती के एक संस्कृत^१ ग्रन्थ में उपाख्यान है। उसमें कहा गया है कि महावीर स्वयं दक्षिण में आये, विशेषतः कन्नड़ देश में, जो तब हेमंगद-देश कहा जाता था। उस समय जीवन्धर नामक राजा था। वह महावीर के सम्पर्क में आया और उनसे श्रमण-जीवन में प्रव्रजित हो गया। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि आद्य तीर्थंकर ऋषभ, जो अनुमानतः चौबीसवें तीर्थंकर महावीर के आविर्भाव (५९९ ई० पूर्व) से सहस्रों वर्ष पूर्व हुए, के श्रमण-संघ में दक्षिण-राज्य राजकुमार भी सम्मिलित थे, जो अन्त में सौराष्ट्रस्थित पालीताना के शत्रुंजय पर्वत पर चले गये।”^२

1. Kshatra Chudamani by Odeyadeva Vadibhsimtra; the legend is retold in the Kannada Jeevandhara Charite of Bhaskara and the Tamil Jeevaka Chintamani of Tiruthukka-devar.
2. There is a legend, told in an eleventh Century Sanskrit work. That Mahavira himself came to the South, to the Kannada Country more specifically, (Known at that time as Hemangada-desha), during the reign of King Jivandhara, whom Mahavira met and admitted into the asectic fold. There is a belief that even during the days of the very first Tirthankara Rishabha, Presumably several thousand of years before the arrival of the twenty fourth Tirthankara, Mahavira, 599 B.C., there were South Indian princes in the entourage of Rishabha and that they finally retired to the Satrunjaya Hills in Palitana, Saurashtra,

खैर, यह तो पौराणिक दृष्टिकोण है, फिर भी दक्षिण का अत्यन्त प्राचीन काल से धर्म के साथ सम्बन्ध रहा है, ऐसा निश्चय ही अनुमेय है।

आचार्य भद्रबाहु के दक्षिण में आने के सन्दर्भ में पिछले पृष्ठों में चर्चा की ही गई है।

खारवेल का धर्म-सम्मेलन

कलिंग-देश में घटित एक महत्वपूर्ण घटना को यहां अंकित करना आवश्यक है। खारवेल कलिंग का प्रतापशाली सम्राट् था। उसके राज्यारोहण का समस ई० पू० १४३ वर्ष माना जाता है। वह परम आस्थावान् जैन था। सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो महान् कार्य किया, उसके पौत्र सम्प्रति ने उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रसार के हेतु उसी प्रकार का अभियान चलाया। हस्ती शृङ्खला में कलिगाधिपति खारवेल का नाम आता है, जिसके प्रयास से दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ।

सम्राट् खारवेल महान् विजेता था। उसकी सफल दिग्विजय से ब्रह्म शुंग, सातवाहन तथा उत्तरापथ के यवन आदि—सभी दुर्दान्त शक्तियां हतप्रभ हो गईं, तब उसने जैन धर्म के अभ्युदय, व्यापक प्रसार एवं प्रभावना के निमित्त एक विराट् सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जैन धर्म के बड़े-बड़े विद्वान्, श्रमण, जैन धर्मानुयायी राजा तथा सम्भ्रान्त जन बड़े उत्साह से उपस्थित हुए। उसमें जैन धर्म के सन्दर्भ में अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श चला।

सम्मेलन में उपस्थित विशाल जैन-संघ ने खारवेल का अभिनन्दन किया तथा उसे 'महाविजयी' के विरुध के साथ-साथ 'खेम-राजा', 'भिक्षु-राजा', 'धम्म-राजा' जैसे पदों से विभूषित किया। कहा जाता है कि पाण्ड्य-नरेश ने उस अवसर पर उसके यहां चावलों से भरा एक जहाज भेजा था।

इस सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर इतना ही कहना है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ई० सन् के प्रारम्भ से पहले ही पहुंच चुका था। कलिगाधिपति खारवेल तथा दक्षिण के अन्य नरेशों के सत्प्रयास से वह दक्षिण में प्रसार पाने लगा।

तमिलनाडु व आन्ध्र-प्रदेश में वह पहुंचा ही, मुख्यतः कर्नाटक में उसका बहुत अधिक प्रसार हुआ। भद्रबाहु के नाम के साथ जुड़ी हुई उत्तर के जैन श्रमण संघ के दक्षिण—कर्नाटक प्रदेश में जाने की घटना, जो अंशतः ही सही, ऐतिहासिक सत्य लिए हुए है, इस तथ्य की पोषक है। मानना होगा कि उससे पूर्व वहां जैन धर्म काफी विस्तार पा चुका होगा। तभी तो सहस्रों श्रमणों का संघ वहां जाते हुए अपने मन में आश्वस्त रहा हो कि वहां उनकी देह-यात्रा भली-भांति, विधिवत् निभ सकेगी।

एक प्रश्न : एक समाधान

दक्षिण में जैन धर्म के रूप में दिगम्बर-सम्प्रदाय ही प्रसृत हुआ, श्वेताम्बर नहीं। आज भी मूलतः दक्षिण निवासी जो जैन हैं, वे लगभग सब के सब दिगम्बर हैं, श्वेताम्बर नहीं हैं, वे प्रायः वहीं हैं, जो उत्तर के राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों से व्यवसाय हेतु वहां जाकर बस गये हैं। केवल दिगम्बर ही दक्षिण में कैसे फैले—यह एक प्रश्न है। इस सन्दर्भ में एक सम्भावना की जा सकती है कि जैन धर्म में श्वेताम्बरों तथा दिगम्बर के रूप में जब भेद पड़ा, तब तक दक्षिण में जैन धर्म का उत्तर की अपेक्षा बहुत कम प्रसार रहा हो। दिगम्बर मुनियों में धर्मोद्योत एवं धर्म-प्रभावना का तीव्र उत्साह रहा हो, साथ-ही-साथ अपने लिए एक स्वतंत्र क्षेत्र प्रतिष्ठापन करने का भी मानस रहा हो। एतदर्थ दक्षिणापथ में धर्म को व्यापक रूप में प्रसृत करने का उनमें भाव जागा हो। दक्षिण का जन-मानस उन्हें अपेक्षाकृत विशेष उर्वर लगा हो। निर्वस्त्र जीवन-यापन की दृष्टि से वहां का जलवायु भी, जो उस प्रदेश की उष्ण कटिबन्ध में अवस्थिति के कारण प्रायः उष्ण है, अनुकूल प्रतीत हुआ हो। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं, जिन्होंने दिगम्बर श्रमणों को दक्षिण की ओर आकृष्ट किया हो। धर्म-प्रसार का जैसा तीव्र उत्साह एवं तदनु रूप उद्यम उन दिगम्बर-श्रमणों में रहा, वह फलान्वित भी हुआ, जिसका ज्वलन्त प्रमाण दक्षिणात्य भाषाओं का साहित्य, वहां का स्थापत्य, मूर्तिकला, संस्कृति आदि है।

कतिपय दिग्गज दक्षिणात्य दिगम्बर आचार्य

दिगम्बर जैन साहित्य के सर्जन, विकास एवं अभ्युदय की दृष्टि से दक्षिण निःसन्देह बड़ा उर्वर क्षेत्र सिद्ध हुआ। इस भूमि में उत्पन्न महान् आचार्यों ने तत्त्व-ज्ञान, अध्यात्म एवं धर्म-जागरण के परिपात्रों में जो अनेक विषयों पर बहुविध साहित्य रचा, उसका भारतीय वाङ्मय एवं चिन्तनधारा में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यों कहना अतिरंजन नहीं होगा कि दिगम्बर-जैन-परम्परा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य यहीं दक्षिणापथ में प्रणीत हुआ। उन्होंने अपनी अनुपम कृतियों द्वारा जैन वाङ्मय को अपनी अप्रतिम देन दी। उनमें समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, निघमसार आदि तथा अनेक प्राभृत-ग्रन्थों के रचनाकार आचार्य कुन्दकुन्द (ई० सन् के प्रारम्भ के आस-पास), इतने गौरवास्पद कि दिगम्बर परम्परा में जिनका नाम गणधर गौतम के बाद लिया जाता है,¹

१. मंगलं भगवान् बीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाचार्यो, जैनधर्मस्तु मंगलम् ॥

तत्त्वार्थ-सूत्र जैसे जैन-जगत के सर्व समाहित ग्रन्थ के प्रणेता आचार्य उमास्वामि (प्रथम शती ई०), आप्त मीमांसा जैसे अनेक प्रौढ़ ग्रन्थों के लेखक महान् प्रतिभाशाली विद्वान् व प्रभावक प्रवचनकार आचार्य समन्तभद्र (ई० सन् १२०-१८५), महाप्राज्ञ विद्वान्, लेखक, व्याकरण, योगनिष्ठा साधक एवं कवि तत्त्वार्थ सूत्र की बहुसमाहित सर्वार्थसिद्धि नामक वृत्ति तथा जैनेन्द्र व्याकरण आदि के निर्माता आचार्य देवनन्दी पूज्यपाद तथा जैन न्याय के प्रमुख प्रतिष्ठापक, महान् मेधावी, तत्त्वार्थ-राजवातिक, अष्टशती, न्याय-विनिश्चय प्रभृति अत्यन्त प्रौढ़ कृतियों के सर्जक आचार्य अकलंक (सातवीं ई० शती) आदि के नाम स्वर्णक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, नेमिचन्द्र प्रभृति और भी अनेक प्रकाण्ड विद्वान् तथा साहित्य-स्रष्टा इस पुण्य वसुंधरा में उत्पन्न हुए, जिनका अपने-अपने स्थान पर असाधारण महत्व है।

जैन धर्म का प्रभाव

वस्तुतः जैन धर्म और उसके साहित्य ने दक्षिण को बहुत प्रभावित किया। जैन धर्म का अस्तित्व केवल एक ससीम सम्प्रदाय के रूप में ही नहीं था, समग्र लोक-जीवन पर उसकी छाप थी। दक्षिण में जैन धर्म और लोक-जीवन की परस्पर कितनी ओत-प्रोतता थी, प्रो० एस० के० रामचन्द्र राव के निम्नांकित कथन से स्पष्ट है :

“दक्षिण के विकास-क्रम को जाने बिना जहाँ जैन इतिहास अपूर्ण रहेगा, ठीक उसी प्रकार दक्षिण में जैनों के कृतित्व को आँके बिना दक्षिण भारत का इतिहास भी अपूर्ण ही रहेगा।”¹

अन्तःस्पर्शी विचार-दर्शन, उस द्वारा परिव्याप्त जीवन-वृत्त तथा प्रवाहित सांस्कृतिक धारा—ये वे कसौटियाँ हैं, जिन पर आँके जाने पर दक्षिण में जैनों का कृतित्व निःसन्देह खरा उतरता है।

कर्नाटक में जैन धर्म का प्रभाव

दक्षिण में भी विशेषतः कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रभाव रहा, वह निःसन्देह अप्रतिम था।

1. If the history of Jainism would altogether be incomplete without a consideration of the Southern developments, the history of South India would equally be incomplete without treating of the part played by Jainism.

—Jainism in south India, Prefatory Note, Page VII

कदम्ब वंश

जैन धर्म की शालीनता, पवित्रता तथा सहिष्णुतामय वृत्ति—ये कुछ ऐसे कारण थे कि दक्षिण के कुछ ऐसे राजवंशों ने भी, जो यद्यपि ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को बड़ा प्रश्रय एवं प्रोत्साहन दिया। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियाँ दक्षिण में कदम्ब वंश के अभ्युदय एवं प्रतिष्ठा का काल था। वह वंश ब्राह्मण-धर्मानुयायी था, पर, साथ-ही-साथ जैन धर्म का भी बड़ा परिपोषक रहा। चौथी शती ईसवी के समाप्त के आस-पास उस वंश का राजा काकुत्स्थ वर्मा था। वह जैन धर्म का प्रश्रयदाता था। मृगेश वर्मा के पुत्र भानुवर्मा और रविवर्मा थे। इन सभी ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया।

गंग वंश

ईसा की चतुर्थ शती के उत्तरार्द्ध से दशम शती तक कर्नाटक के अधिकांश भाग पर गंग वंश का शासन था। वह वंश जैन धर्म का समर्थक एवं परिपोषक था। गंग राजवंश के संस्थापक राजा का नाम कोंगुलीवर्मा था। इसका स्थापना-काल ३५० ई० माना जाता है। इस वंश के अधिकांश राजा विष्णु के उपासक थे। पर, जैन धर्म के प्रति भी उनका आदर बढ़ता गया, ऐसा देखा जाता है। इस सम्बन्ध में एक जन-श्रुति है। इस राजवंश की स्थापना के समय सिंहनन्दी नामक जैनाचार्य थे। इसकी स्थापना में उनका योगदान था। फलतः इस राजवंश में जैन-धर्म के प्रति सहजतया निष्ठा एवं श्रद्धा का संचार हुआ।

मैसूर के गजेटियर में उल्लेख है कि वह दक्षिण का प्रमुख जैन राजवंश था। नन्दगिरि (मन्दी हिल्स) उनका दुर्ग था, कुवालाल (आधुनिक कोलार) उनका नगर था, जिनेन्द्र उनके देव और जैन भक्त उनका धर्म था।¹ इस वंश के संस्थापक का पौत्र हरिवर्मा था। उसके राज्य-काल में राजधानी तलकडु परिवर्तित कर ली गई। तब से वह वंश 'तलकडु के गंग' नाम से विश्रुत हो गया।

ई० सन् ४७५ में गंग वंश के राज्यासन पर अविनीत नामक राजा आरूढ़ हुआ। वह उस वंश का प्रख्यात राजा था। जैन धर्म की अभिवृद्धि में उसने बड़ा रस लिया। उसके गुरु आचार्य विजयकीर्ति थे। अपने जीवन के पश्चाद्वर्ती भाग में उस राजा ने पुष्पाडु तथा अन्य स्थानों की जैन वसदियों के लिए जागीरें प्रदान कीं। राजा अविनीति यद्यपि स्वयं

1. Lewis Rice, Mysore Gazatteer, I, P. 388

वैयक्तिक रूप में शैव धर्म में आस्थावान् था, फिर भी उसका जैन धर्म के प्रति बड़ा आदर था । उसने उसे खूब प्रश्रय दिया ।

अविनीत का उत्तराधिकारी दुर्विनीत था । वह उदात्त व्यक्तित्व का धनी था । ४८२ ईसवी में वह सिंहासनासीन हुआ । एक ओर वह जहाँ महान् योद्धा था, दूसरी ओर वह अत्यन्त धर्मनिष्ठ भी था । शिलालेखों में उसे धर्मराज युधिष्ठिर तथा वैवस्वत मनु से उपमित किया गया है । तत्त्वार्थ-सूत्र की सर्वार्थसिद्धि प्रभृति के रचयिता, महान् विद्वान् देवनन्दी पूज्यपाद, जिनके सम्बन्ध में यथाप्रसंग संकेत किया गया है, उसके गुरु थे । उस राजा ने जैन धर्म की बड़ी सेवा की ।

दुर्विनीत स्वयं बड़ा विद्वान् था । कहा जाता है, संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य किराता-जुनीय के स्रष्टा महाकवि भारवि कुछ समय तक उसकी राज-सभा में रहे थे । राजा दुर्विनीत ने स्वयं किराताजुनीय के पन्द्रहवें सर्ग की कन्नड़ में टीका लिखी । वह राजा कन्नड़ गद्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में माना जाता है ।

वह राजा भी, कहा जाता है, व्यक्तिगत रूप में वैष्णव था, पर, जैन धर्म को उसने प्रोत्साहन दिया । उसमें उसकी वैष्णवी श्रद्धा बाधक नहीं बनी । वह इस कोटि की उदार-वृत्ति का राजा था ।

दुर्विनीत का पुत्र मुषकर था । वह जैन धर्म में आस्थावान् था । धर्म-प्रसार में परम उत्साही था । उसने अनेक जैन वसदियों का निर्माण कराया । उसकी पीढ़ी के पश्चाद्गती अनेक राजाओं ने भी इस परम्परा को वृद्धिगत किया ।

गंग वंश का अन्तिम राजा मारसिंह द्वितीय था । वह महान् विजेता एवं धर्मप्रिय था । वह गंग-वज्र तथा धर्मावतार जैसे विरुद्ध से विभूषित था । अपने जीवन के अन्तिम भाग में उसने आचार्य अजितसेन के पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार की । उसने संलेखनापूर्वक मरण प्राप्त किया । उसका मरण-काल ९७४ ई० माना जाता है । उसके अन्त के साथ-साथ गंग वंश के स्वतंत्र राज्य का भी अन्त हो गया । गंगवंशियों का एक सामन्ती राजा का दर्जा रह गया ।

कनौटक का महान् धर्म-सेवी चामुण्डराय

गंग-वंश के सामन्ती काल में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उदित हुआ, जिसने जैन धर्म और संस्कृति का बहुत गौरव बढ़ाया । वह था, चामुण्डराय, जो गंगवंशीय सामन्त नरेश

राजमल्ल (चतुर्थ) का अमात्य तथा सेना नायक था। राजमल्ल का शासन-काल ई० सन् ९७४ से ९८४ माना जाता है। चामुण्डराय महान् योद्धा था। उसने राजमल्ल की शक्ति तथा यश में बहुत वृद्धि की। श्रवणवेलगोला के एक शिलालेख में इस सेना-नायक का बड़े प्रशस्तिपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है। वहाँ उसे धर्मधुरन्धर, वीर-मार्तण्ड, रणरंग-सिंह, त्रिभुवनवीर, वैरिकुल-कालदश, सत्य-युधिष्ठिर, सुभट-पूडामणि आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है, जो उसके परम प्रतापी, वीरतामयी यशस्वी जीवन के स्पष्ट परिचायक हैं।

चामुण्डराय के गौरवशील जीवन का दूसरा पक्ष था—धर्म और साहित्य। उसमें भी उसकी पहुँच अतृणी थी। वह प्रकाण्ड विद्वान् था। उसने कन्नड़ में त्रिशष्टिसलाकापुष्प-महाधुराण की रचना की, जो उस भाषा के साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। चामुण्डराय ने संस्कृत में चरित्रसार नामक ग्रन्थ लिखा। इस योद्धा और विद्वान् के समय में निःसन्देह जैन साहित्य, संस्कृति तथा कला की आशातीत वृद्धि हुई। सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने इसी को उद्दिष्ट कर गोम्मटसार जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की, जिसका विगम्बर सम्प्रदाय में बड़ा आदर है तथा जो अपने संक्षिप्त कलेवर में षट्खण्डागम तथा घबला का स्तर समेटे हुए है।

श्रवणवेलगोला में इन्द्रगिरि पर अवस्थित गोम्मटेश्वर—बाहुबलि की विशाल प्रतिमा, जो जगत् का एक आश्चर्य है, के निर्माण का श्रेय चामुण्डराय के नाम के साथ जुड़ा है। पौराणिक आख्यान है, चक्रवर्ती भरत ने पौडनपुर में बाहुबलि की ५२५ धनुषाकार ऊँची प्रतिमा का निर्माण कराया था, उसी कथानक से, कहा जाता है, चामुण्डराय ने इस विशाल प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा ली। चामुण्डराय का जीवन-काल दसवीं ईसवी के उत्तरार्द्ध तथा ग्याहरवीं ईसवी के पूर्वार्द्ध के मध्य आता है।

राष्ट्रकूट वंश

दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार, जैन साहित्य के सर्जन तथा विकास में जिन राजवंशों का योगदान रहा, उनमें राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्नाटक में आठवीं शती ईसवी से दशवीं शती ईसवी तक यह वंश प्रभावापन्न रहा।

होयसल वंश

कर्नाटक में ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी तक होयसल वंश का राज्य था। यह राजवंश स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। जिस प्रकार गंग राजवंश की स्थापना में जैन मुनि सिद्ध-

नन्दी का आशीर्वाद था, उसी प्रकार इस राजवंश की स्थापना में जैन मुनि शान्तिदेव के आशीर्वाद का योग था। जैन धर्म के व्यापक प्रसार में इसे अत्यन्त उत्साह था। कर्नाटक में अनेक सुन्दर वसदियों तथा प्रतिमाओं आदि का महत्वपूर्ण निर्माण इस राजवंश द्वारा हुआ।

उपर्युक्त राजवंशों के अतिरिक्त विजयनगर के नरेशों तथा अन्यान्य राजवंशों व शासकों का भी जैन धर्म के विकास में यथेष्ट योगदान रहा।

सारांश

यों राजाओं, राज्य के उच्चपदासीनों के प्रभाव, उत्साहपूर्ण योगदान, प्रजाजनों की श्रद्धापूर्ण तीव्र उत्कण्ठा एवं निष्ठा के परिणामस्वरूप जैन धर्म, जैन साहित्य, जैन कला एवं जैन संस्कृति का जो अभ्युदय, विकास एवं विवर्धन दक्षिण में, विशेषतः कर्नाटक में हुआ, निःसन्देह वह भारतीय धर्मों के इतिहास का ऐसा गौरवास्पद स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसका आज भी अनेक दृष्टियों से आकर्षण बना है।

दक्षिण की जैन काशी : मूडबिद्री

षड्खण्डागम वाङ्मय को अब तक सुरक्षित बनाये रखने का श्रेय कर्नाटक को है। उसके दक्षिण भाग में अवस्थित मूडबिद्री नामक छोटे से नगर में यह महत्वपूर्ण वाङ्मय अब तक सुरक्षित रह सका।

मूडबिद्री दक्षिण में जैन धर्म का परम पवित्र स्थान रहा है। यह दक्षिण की जैन काशी के नाम से प्रसिद्ध है। इससे अनुमेय है कि जैन धर्म की प्रभावना, उपासना, जैन तत्त्व-ज्ञान के अध्ययन, अनुशीलन, परिरक्षण, परिवर्धन आदि की दृष्टि से कभी यह नगर दक्षिण में अपना अनुपम स्थान लिए हुए था। विशेषतः कर्नाटक में यह जैन धर्म एवं जैन संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। संसार में अपनी कोटि की अद्वितीय रत्न-प्रतिमाएं एकमात्र यहीं अवस्थित हैं। जो आज भी समग्र जैन जगत के लिए आकर्षण की वस्तु है।

मूडबिद्री : इतिहास

जन-श्रुतियों, शिलालेखों आदि के आधार पर मूडबिद्री का जो इतिवृत्त ज्ञात किया जा सका है, संक्षेप में यहां उस पर चर्चा करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

दक्षिण में जिन-मन्दिरों को वसबि कहा जाता है। मूडबिद्री में सब अठारह वसदियां

हैं। उनमें एक गुरु-वसदि के नाम से विख्यात है, जो सबसे मुख्य है। इसी में धवल, जयधवल और महाधवल की ताड़पत्रीय प्रतियां सुरक्षित हैं। इन सिद्धान्त ग्रन्थों के यहां रखे रहने से इसका दूसरा नाम सिद्धान्त-वसदि भी है।

मूडबिंद्री का अभ्युदय : अभिवृद्धि

होयसल वंश में ११वीं शती के आस-पास वल्लालदेव (प्रथम) नामक राजा हुआ। उसके शासन-काल में मूडबिंद्री के प्रभाव तथा गौरव की वृद्धि प्रारम्भ हुई।

तेरहवीं ईसवी शती में तुलुन के आलूप-नरेशों ने इस नगर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। यहां के पार्श्वनाथ-वसदि संज्ञक जिन-मन्दिर को उन्होंने राज्य-सम्मान प्रदान किया।

पन्द्रहवीं ईसवी शती में विजयनगर के नरेशों के शासन-काल में इसकी गरिमा की अभिवृद्धि हुई। यद्यपि विजयनगर के राजा हिन्दू-धर्मानुयायी थे, पर, जैन धर्म के प्रति भी उनका पर्याप्त आदर था। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय का १४२९ ईसवी का एक शिलालेख है। उसमें इस नगर की चर्चा है। यह नगर वेणुपुर के नाम से भी पहचाना जाता था। उस शिलालेख में जो उल्लिखित हुआ है, उसका आशय है कि वेणु-पुर या मूडबिंद्री के लोग बड़े भव्य हैं। वे शुद्ध चरित्र का पालन करते हैं पवित्र कार्य करते हैं। वे जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान् हैं। जो कथाएं सुनते हैं।

यहां की वसदियों में एक होस-वसदि है। उसे 'त्रिभुवन-तिलक-चूड़ामणि' कहा जाता है। इसका 'भैरादेवीमण्डप'—मुख्य मण्डप विजयनगर-नरेश मल्लिकार्जुन इम्मडिदेवराय के शासन-काल में निर्मित हुआ। और भी अनेक वंशों के राजाओं तथा श्रेष्ठी-जनों ने इस नगर की प्रशस्ति और गरिमा को आगे बढ़ाया।

प्राकृत अपभ्रंश के सुप्रसिद्ध विद्वान्, षट्छण्डागम के यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने षट्छण्डागम की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में चर्चा की है। मूडबिंद्री-निवासी पं० लोकनाथ शास्त्री ने उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी। उसके अनुसार मूडबिंद्री, जो कन्नड-नाम है, के अर्थ व एतत्सम्बद्ध इतिवृत्ति आदि का संकेत कर रहे हैं।

शब्द-विश्लेषण

'मूडबिंद्री' नाम में दो शब्द हैं—मूड और बिंदुरे। कन्नड भाषा में बांस को 'बिंदिर'

कहते हैं। कभी वहां का सिद्धान्त-मन्दिर बांसों के समूह में छिपा हुआ था। उन्हें देख कर उसका पता लगाया गया। उस कारण वह गांव 'बिबुरे' कहा जाने लगा। कन्नड़ भाषा में मूड शब्द पूर्व दिशा का वाची है तथा पडु पश्चिम दिशा का। यहां मूलकी नामक पुराना गांव है। उसे पडुबिबुरे कहा जाता है। उसके पूर्व में अवस्थित होने के कारण वह गांव, जहां 'सिद्धान्त-वसदि' का पता चला, मूडबिबुरे कहा जाने लगा। उसी का रूपान्तर मूडबिब्री है। इस नामकरण में शान्दिक दृष्ट्या बिदिर अर्थात् बांस शब्द का विशेष प्रभाव रहा है। इस आधार पर इसे वंशपुर या वेणुपुर के रूप में भी अभिहित किया गया है। व्रतपुर या व्रतिपुर नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह कभी व्रती साधुओं का निवास-केन्द्र रहा है।

सिद्धान्त-वसदि : शक दन्त-कथा

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कभी यह स्थान बांसों से आच्छन्न एक वन के रूप में अवस्थित था। कहा जाता है, लगभग एक सहस्राब्दी पूर्व की घटना है, एक जैन मुनि श्रवणवेलगोला से यहां आये। वे पडुवसदि नामक मन्दिर में टिके। मूडबिब्री में इस नाम का प्राचीन मन्दिर अब भी विद्यमान है। उसमें अनेक प्राचीन पाण्डुलिपियां भी मिलीं, जिन्हें वहां जैन मठ में सन्निधापित कर दिया गया। वे मुनि एक दिन शीघ्र के लिए बाहर गये तो उन्होंने उस स्थान पर, जहां आज गुरु-वसदि है, एक सिंह और एक गाय को प्रसन्न मुद्रा में साथ-साथ खेलते देखा। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें उस स्थान में कुछ विशेषता या चमत्कार प्रतीत हुआ। उन्होंने उसकी छानबीन की। उन्हें बांसों के क्षुरमुट में छिपी हुई, पत्थर आदि से घिरी हुई काले पाषाण की नौ हाथ-परिमाण भगवान् पार्श्वनाथ की खड्गासनमयी मूर्ति दिखाई दी। जैनों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। वहां मंदिर का निर्माण कराया। वही मन्दिर आज गुरु-वसदि के नाम से विश्रुत है। भगवान् पार्श्वनाथ की इस मूर्ति के पाद-पीठ पर इसके प्रतिष्ठित किये जाने के समय का उल्लेख है। उसके अनुसार इस मूर्ति की आदि-प्रतिष्ठा शक संवत् ६३६ तदनुसार ईसवी सन् ७१४ में हुई। इस मन्दिर के आगे के मण्डप—लक्ष्मी-मण्डप का निर्माण चोल सेठी द्वारा कराया गया। निर्माण का समय १५३५ ईसवी है। कहा जाता है कि गुरु-वसदि के निर्माण में कुल छः करोड़ रुपये खर्च हुए। कल्पना करें, उस समय के छः करोड़ रुपये आज कितने होंगे। खर्च का यह आंकड़ा सम्भवतः उन रत्न-मूर्तियों के मूल्य के सहित हो, जो यहां सुरक्षित हैं।

भूडविद्री : भट्टारक-पीठ

होयसल वंश में विष्णुवर्धन नामक राजा हुआ । १११७ ईसवी में उसने जैन धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया । एक तरफ तो ऐसा इतिहास है कि वैष्णव और शैव में आस्था रखने वाले राजाओं ने भी जैन धर्म की वह सेवा की, जो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है तथा दूसरी ओर इतिहास का एक काला पृष्ठ यह भी है कि इस होयसल वंशीय राजा ने, जो जैन से वैष्णव हो गया था, जैन धर्म और संस्कृति का उच्छेद करने के लिए कसर कस ली । भावावेशवश धर्म-परिवर्तन करने वालों में प्रायः अभिनिवेश व्याप्त हो जाता है । वे अक्सर असहिष्णु और कट्टर हो जाते हैं ।

हलेबीडु—दोर समुद्र में तब जैन धर्म, संस्कृति और कला का बड़ा प्रभाव था । अनेक भव्य एवं विशाल जिन प्रासाद वहाँ निर्मित थे । इस असहिष्णु राजा ने वहाँ के जैन मन्दिरों को तह-भ्रष्ट कर डाला । जैन धर्म के अनुयायियों पर बड़े दुःसह अत्याचार किये । जैन प्रजा में बड़ी भीति और क्षोभ व्याप्त हो गया । किवदन्ती के अनुसार उस राजा के अत्याचार से कुछ दैवी-प्रकोप हुआ । भयानक भूकम्प हुआ । दोर समुद्र की भूमि फट गई । वहाँ एक बड़ा गर्त हो गया । विष्णुवर्धन के उत्तराधिकारी राजा वारसिह तथा उसके पश्चाद्वर्ती राजा वल्लालदेव ने विष्णुवर्धन की इस भूल को अनुभव किया । उन्होंने देखा, उनका राज्य अशान्त एवं उपद्रव ग्रस्त होता जा रहा है । उन्होंने जैनों के क्षोभ तथा अन्तर्वेदना को शान्त करने के निमित्त अनेक जैन मन्दिरों का जोर्णोद्धार कराया । नये मन्दिरों का निर्माण कराया । मन्दिरों के लिए भूमि-दान दिया । वल्लालदेव ने एक कार्य और किया । उस समय श्रवणवेलगोला में भट्टारक चारुकीर्ति थे । कहा जाता है, वे मान्त्रिक-तान्त्रिक भी थे । वे पण्डिताचार्य के विरुद्ध से अलंकृत थे । वीर वल्लालदेव ने उन्हें अपनी राजधानी में आमंत्रित किया । भट्टारक चारुकीर्ति राजा की अभ्यर्थना पर दोर समुद्र आये । उन्होंने अपनी विद्या तथा मंत्राराधना द्वारा वहाँ के उपद्रवों को शान्त किया ।^१ राजा बहुत परितुष्ट हुआ । जैन धर्म की बड़ी प्रभावना हुई । भट्टारक

१. विलगी के शासन-लेख में इसका कन्नड़ में इस प्रकार उल्लेख है :

“कर्णाटक-सिद्धसिंहासनाधीश्वर-वल्लालरायं प्राप्तिसे श्रीचारुकीर्तिपण्डिताचार्यर्
इतु कीर्तियं पडेवर्—

तिवे रायननेडु ने—

लंकाटिबडे तन्न मंत्रजपविधियिनवं ॥

कुं बलकार्यि मूलडु य—

शं बडेवेसकके पण्डितार्यने नोतं ॥”

चारुकीर्ति पण्डिताचार्य दोर समुद्र से अपने शिष्यवृन्द सहित मूडबिंद्री आये । जैन धर्म के प्रसार, प्रभावना आदि की दृष्टि से सम्भवतः उन्हें वह स्थान अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ हो । वहाँ उन्होंने गुरु-पीठ—भट्टारक-पीठ की स्थापना की । इस प्रकार यह मूडबिंद्री भट्टारक-पीठ की स्थापना का इतिवृत्त है । स्थापना काल ११७२ ईसवी माना जाता है । प्रथम भट्टारक चारुकीर्ति के नाम पर वहाँ के सभी भट्टारक इसी अभिधान से सम्बोधित किये जाते हैं । प्रथम भट्टारक के पश्चात् यह नाम पदवी-मूलक हो गया । भट्टारकों के साथ चारुकीर्ति लगा रहना है अर्थात् सब के सब चारुकीर्ति ही कहे जाते हैं ।

ऐसी मान्यता है कि षट्खण्डागम—ध्वल, जयधवल तथा महाधवल सिद्धान्त-ग्रन्थों की ताडपत्रीय प्रतियाँ यहाँ धारवाड जिले के बंकापुर नामक स्थान से लाई गईं । इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का मूडबिंद्री में लाया जाना, सन्निधापित किया जाना यह सिद्ध करता है कि कभी इस पीठ का दक्षिण के जैन जगत में बहुत बड़ा महत्त्व रहा है । विशेषतः कर्नाटक में जैन धर्म के पठन-पाठन, प्रचार-प्रसार का निःसन्देह यह बहुत बड़ा केन्द्र रहा है । तभी तो ऐसा आवश्यक प्रतीत हुआ हो कि उक्त सिद्धान्त-ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ वहाँ रखी जायें और बंकापुर से या जहाँ कहीं से वे मूडबिंद्री पहुँचें, वहाँ के संघ ने या अधिकारियों ने महर्ष उन्हें प्रेषित किया हो । अन्यथा यह सब कब सम्भव था ?

मूडबिंद्री में सिद्धान्त-ग्रन्थ

दिगम्बर-परम्परा के सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त-ग्रन्थों की समग्र भारत में केवल एक ही ताडपत्रीय प्रतिलिपि सुरक्षित रह सकी, बड़ा आश्चर्य है । कभी दिगम्बर-मुनियों में इन ग्रन्थों के पठन-पाठन का अत्यधिक प्रसार रहा था । जैन सिद्धान्त में पारगामिता प्राप्त करने के लिए इन ग्रन्थों का अध्ययन परम आवश्यक भी था । वे ही विद्वान् सैद्धान्तिक कहे जाते थे, जो षट्खण्डागम के वेत्ता होते थे । पर, आगे चलकर स्थितियाँ परिवर्तित हो गई हों । सम्भवतः इनके पठन-पाठन का क्रम प्रायः निरुद्ध जैसा हो गया हो । पिछले पृष्ठों में यथा-प्रसंग संकेत किया गया है, जिस प्रकार धवला की रचना के बाद षट्खण्डागम की पिछली टीकाएं निरस्त हो गईं, उनके स्थान पर एकमात्र धवला का अध्ययन चलने लगा, सिद्धान्त-चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य द्वारा गोम्मटसार का प्रणयन हो जाने के अनन्तर धवला की भी वैसी ही स्थिति हो गई हो अर्थात् धवला सहित षट्खण्ड-वाङ्मय, जो अत्यन्त विस्तृत है, के पठन-पाठन का उत्साह मन्द पड़ गया हो । अध्येतृगण षट्खण्डागम वाङ्मय के सार पर आधृत गोम्मटसार से ही अपना काम चलाने लगे हों । आखिर मानव सुविधावादी तो है ही, जहाँ बहुत संक्षिप्त तथा अल्पतर अध्यवसाय से कोई कार्य सधे तो उसके लिए वह

विस्तृत और बहुतर अध्यवसाय से साध्य सरणि का क्यों अवलम्बन करे। खैर, जैसा भी हुआ, उसे स्पृहणीय नहीं कहा जा सकता।

तत्त्व-ज्ञान का क्षेत्र वस्तुतः बड़ा विशाल है। उसमें अवगाहन करने के लिए तो जीवन भर की साधना की मांग है। कामचलाऊ बात वहाँ नहीं होती। सुविधाप्रिय मनोवृत्ति में कामचलाऊपन का आधिक्य रहता है। अतः ध्वला सहित षट्खण्डागम के अध्ययन से जो लभ्य है, वह मात्र गोम्मटसार के अध्ययन से लब्ध हो सके, नहीं माना जा सकता।

ज्ञान तो उभय पक्षी है—वह साधन भी है, साध्य भी है। इसलिए वहाँ सुविधा-असुविधा का प्रश्न नहीं उठता। खैर, जैसा भी हो, अन्ततः ये शास्त्र ग्रन्थ-भण्डार में स्थिर हो गये। वे पूजा तथा दर्शन की वस्तुमात्र बनकर रह गये।

ज्ञान का स्रोत तो गंगा का बहता नीर है। वह सदा बहता रहना चाहिए। क्योंकि वह सरोवर का बन्द जल नहीं है। तत्त्व-ज्ञान की महिमामयी निधि को अपने में समेटे हुए ये सिद्धान्त-ग्रन्थ जिस स्थिति में आकर निरुद्ध हो गये, क्या वह उनकी तड़ाग के जल की-सी स्थिति नहीं थी?

मूडबिंदी दिगम्बर-जैनों का भारत-विख्यात तीर्थ है। प्रतिवर्ष सहस्रों जैन तीर्थ-यात्रा हेतु वहाँ जाते रहे हैं तथा रत्नमयी जिन-प्रतिमाओं के साथ-साथ इन सिद्धान्त-ग्रन्थों के भी दर्शन करते रहे हैं। आज भी यह सब होता है।

कारा शब्द अच्छा तो नहीं है, पर यों कहना न अवहेलना है और न अत्युक्ति ही कि पिछली कई शताब्दियों से ये ग्रन्थ ग्रन्थ-भण्डार की कारा में बन्द थे। देव-मूर्ति के रूप से अधिक उनका कोई व्यावहारिक अस्तित्व रह नहीं गया था।

षट्खण्डागम के यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने इस सम्बन्ध में भाव-विह्वल शब्दों में लिखा है : “इन सिद्धान्त-ग्रन्थों में जो अपार ज्ञान-निधि भरी हुई है, उसका गत कई शताब्दियों में हमारे साहित्य को कोई लाभ नहीं मिल सका; क्योंकि इनकी एकमात्र प्रति किसी प्रकार तालों के भीतर बन्द हो गई और अध्ययन की वस्तु न रहकर पूजा की वस्तु बन गई। यदि ये ग्रन्थ साहित्य-क्षेत्र में प्रस्तुत रहते तो उनके आधार से अब तक न जाने कितना किस कोटि के साहित्य का निर्माण हो गया होता और हमारे साहित्य को कौन-सी दिशा व गति मिल गई होती। कितनी ही सैद्धान्तिक मुत्थियाँ, जिनमें विद्वत्समाज के समय और शक्ति का न जाने कितना ह्रास होता रहता है, यहाँ

सुलभी हुई पड़ी हैं। ऐसी विशाल सम्पत्ति पाकर भी हम दरिद्री ही बने रहे.....”¹

षट्खण्डागम : वहिर्निष्क्रमशा की कहानी

ज्ञानोपासक एवं ज्ञानानुरागी जनों के मन में समय-समय यह विचारोद्बलन तो होता रहा है कि ये महान् सिद्धान्त-ग्रन्थ प्रकाश में आयें, इनका पठन-पाठन हो, प्रचार-प्रसार हो, पर विचार का क्रियाम्वयन इतना सरल नहीं है। इन ग्रन्थों के बाहर आने, प्रकाश में आने की बड़ी रोचक कहानी है। उसे पाठकों के समक्ष उपस्थित करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है।

पं० टोडरमलजी के समय में विन्तन

दिगम्बर समाज में पं० टोडरमलजी (वि० सं० १७९७-१८२४) उत्कृष्ट तत्त्व-वेत्ता के रूप में विश्रुत रहे हैं। उनके लिए प्रयुज्यमान ‘आचार्य-कल्प’ विशेषण इस तथ्य का उद्घाटक है। उनके समय में जयपुर तथा अजमेर के श्रावकों में इन सिद्धान्त-ग्रन्थों को प्रकाश में लाने, इनके पठन-पाठन का प्रचार करने आदि पर विचार चला, पर, उनकी कोई क्रियान्विति नहीं हो सकी। वैसे पं० टोडरमलजी ने आयुष्य ही बहुत कम पाया। यदि उनका दीर्घ आयुष्य होता तो सम्भव है, वे संघ को इस तरफ और प्रेरित करते।

सेठ माणिकचन्द की यात्रा : विचारोद्बलन

बम्बई निवासी स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द जे० पी० दिगम्बर समाज के एक प्रसिद्ध, उदारमना, धर्मनिष्ठ एवं सभाज सेवी सज्जन थे। एक प्रसंग बना, वे विक्रमानन्द १९४० में संघ सहित मूडबिंद्री की यात्रा पर गये। उन्होंने वहाँ रत्न-प्रतिमाओं तथा सिद्धान्त-ग्रन्थों के दर्शन किये। उनका मन रत्नमयी प्रतिमाओं की अपेक्षा सिद्धान्त-ग्रन्थों की ओर विशेष आकृष्ट हुआ। जब उन्होंने ताड़-पत्रों की स्थिति देखी, जो जीएँ होते जा रहे थे, उनके मन में चिन्ता व्याप्त हो गई, कहीं ऐसा न हो, ये महान् ग्रन्थ उत्तरोत्तर जीएँ होते जायें और एक दिन ऐसा आये, शायद ये हमें उपलब्ध ही न रह सकें। सेठ ने मन्दिर के भट्टारक तथा पंचों के समक्ष चर्चा की। उनसे पूछा, क्या आप लोग इन ग्रन्थों को पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा—हम तो केवल दर्शन एवं पूजा कर लेने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं और सन्तोष कर लेते हैं, पढ़ नहीं सकते। सेठजी चिन्तित हो गये कि कितना आश्चर्य है, ग्रन्थों

के अधिकारी उन्हें पढ़ तक नहीं सकते। सेठजी द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर उन्होंने श्रवण-वेलगोला निवासी पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री का नाम बतलाया कि वे उन्हें पढ़ सकते हैं। सेठजी को बड़ा दुःख हुआ, पर उस समय वे केवल भावना लेकर ही लौट आये।

सेठजी का प्रयास

सेठजी एक व्यावसायिक जीवन के व्यक्ति होने के माते तत्काल कुछ कर तो नहीं सके, पर उक्त प्रसंग ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि बम्बई आने के पश्चात् उनकी ओर से इस तरफ एक प्रयत्न का श्रारम्भ तो हुआ। मोलापुर निवासी सेठ द्वीराचन्द नेमचन्द उनके मित्र थे। वे भी दिगम्बर समाज के एक श्रुति-ग्राम धर्मनिर्गामी एवं समाजसेवी आचक थे। सेठ माणिकचन्द ने उन्हें सिद्धान्त-ग्रन्थों के सम्बन्ध में लिखा और चिन्ता प्रकट की। उन्होंने उन्हें स्वयं सिद्धान्त-ग्रन्थों के दर्शन कर आने की प्रेरणा दी और साथ-ही-साथ अनुरोध किया कि अखिलम्ब कोई ऐसा उपाय मोचें, जिससे उन ग्रन्थों का उद्धार हो सके। सेठ द्वीराचन्द नेमचन्द के मन पर इसका गहरा प्रभाव हुआ। हमारे ही वर्ष वे मूडबिद्री की यात्रा पर गये। उन्होंने श्रवणवेलगोला के पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री को भी अपने साथ लिया। सेठजी के अनुरोध पर शास्त्रीजी ने उन्हें तथा उपस्थित मज्जनों को ध्वल-सिद्धान्त का मंगलाचरण पढ़कर सुनाया। सब हर्ष-विभोर हो गये। सेठजी अन्तःप्रेरित हुए, मन-ही-मन निश्चय किया, इन ग्रन्थों को बाहर लाने का अवश्य ही प्रयास करना है। ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने के सम्बन्ध में पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री से भी बातचीत की। वहाँ से लौटकर वे बम्बई आये। सेठ माणिकचन्द जे० पी० से सिद्धान्त-ग्रन्थों की प्रतिलिपि करवाने के सम्बन्ध में चर्चा की और बैसा करने का विचार स्थिर कर लिया, पर वे दोनों ही अति व्यस्त व्यवसायी ठहरे, कार्यारम्भ नहीं हो सका। समय जाते क्या देर लगती है, दश वर्ष और व्यतीत हो गये।

प्रतिलिपि का आरम्भ भी : स्थगन भी

उपर्युक्त विचार-विमर्श का प्रसंग चल ही रहा था, उस बीच दिगम्बर समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० गोपालदास बरैया को साथ लेकर अजमेर के सेठ मूलचन्द सोनी मूडबिद्री की तीर्थ-यात्रा पर गये। सिद्धान्त-ग्रन्थों की प्रतिलिपि का प्रसंग चला। उन्होंने मूडबिद्री के भट्टारक तथा पंचों से स्वीकृति ली। पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री से प्रतिलिपि कराने का निश्चय किया। कार्यारम्भ हो गया। पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री लगभग तीन सौ श्लोक-प्रमाण सामग्री की ही प्रतिलिपि कर पाये थे कि कार्य स्थगित कर देना पड़ा। सेठ मूलचन्द सोनी

तथा मूडबिंद्री के भट्टारक व पंचों के बीच एक बात को लेकर विचार-भेद हो गया । सेठ सोनी वह प्रतिलिपि अजमेर के लिए चाहते थे । मूडबिंद्री के भट्टारक तथा पंचों को यह स्वीकार नहीं था । प्रतिलिपि हो, इसमें वे सहमत थे, पर उसका मूडबिंद्री से बाहर जाना उन्हें मान्य नहीं था । कार्य ज्यों-का-त्यों रह गया ।

प्रतिलिपि : पुनश्चरन् - सम्पन्न

बम्बई के सेठ मारणिकचन्द और सोलापुर के सेठ हीराचन्द के मन में भावना तो थी ही, व्यस्ततावश वे क्रियान्वित नहीं कर पाये थे । उन्होंने अपना पूर्वतन प्रयास पुनः चालू किया । आर्थिक-व्यवस्था भी कर ली । पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री को उस कार्य के हेतु नियुक्त कर लिया । कार्य बड़ा विशाल था; अतः मिरज निवासी पं० गजपति शास्त्री को भी उनके साथ नियुक्ति कर दी । दोनों शास्त्री मूडबिंद्री आये । इस प्रकार सन् १८९६ में प्रतिलिपि का कार्य चालू हुआ । जयधवल में पन्द्रह पत्र—१५०० श्लोक-प्रमाण सामग्री की ही प्रतिलिपि हो पायी थी कि कुछ कालान्तर से पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री स्वर्गवासी हो गये । अब अकेले गजपति शास्त्री ही प्रतिलिपिकार रह गये । वे लगन तथा निष्ठापूर्वक अपने कार्य में जुटे रहे । सोलह वर्ष के अनवरत श्रम से वह कार्य पूरा हुआ अर्थात् धवल तथा जयधवल की मूल कनाड़ी लिपि से देवनागरी में प्रतिलिपि कर ली गई । सन् १८९६ में शुरू हुआ यह कार्य सन् १९१२ में सम्पन्न हुआ ।

कनाड़ी में भी प्रतिलिपि

देवनागरी में प्रतिलिपि का कार्य चल ही रहा था, इस बीच कनाड़ी लिपि में भी प्रतिलिपि का कार्य चालू किया गया । मूडबिंद्री के पं० देवराज सेठी, शांतप्पा उपाध्याय, ब्रह्मय्या इन्दु इस कार्य में लगे थे । इस प्रकार, देवनागरी लिपि के साथ-साथ कनाड़ी लिपि में भी धवल और जयधवल की प्रतिलिपि कर ली गई । पर, यह सब हुआ सिद्धान्त-वसति में रखने के लिए ।

महाधवल की प्रतिलिपि

सोलापुर के सेठ हीराचन्द, जो इस कार्य के संचालक थे तथा जो इन ग्रन्थों को बाहर लाने की तीव्र उत्कण्ठा लिए हुए थे, मूडबिंद्री आये । धवल और जयधवल की प्रतिलिपि हो ही चुकी थी, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि यदि तृतीय सिद्धान्त-ग्रन्थ महाधवल की प्रतिलिपि और हो जाय तो बहुत अच्छा हो । साथ-ही-साथ सेठ की यह भी भावना थी कि

इन सभी ग्रन्थों की सुरक्षा तथा तत्त्व-जिज्ञासुओं के उपयोग के उद्देश्य से अनेक प्रतिलिपियां हों तथा उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों में रखा जाए। मूडबिंद्री के भट्टारक तथा पंच इससे सहमत नहीं हुए। इसना भर हुआ कि सिद्धान्त-वसदि में रखे जाने के लिए महाधवल की कनाड़ी में प्रतिलिपि कराये जाने की स्वीकृति हो गई। पं० नेमिराज सेठी इस कार्य में लगा दिये गये, जिन्होंने सन् १९१८ से पहले इसे सम्पन्न कर दिया। इस प्रकार महाधवल की कनाड़ी प्रतिलिपि तो हो गई, पर, सेठ हीराचन्द चाहते थे, उसकी देवनागरी में, भी प्रतिलिपि हो। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पं० लोकनाथ शास्त्री नामक विद्वान् को इस कार्य में लगाया गया, जिन्होंने चार वर्ष की अवधि में इसे सम्पन्न कर लिया। इस प्रतिलिपि का कार्य सन् १८९६ में आरंभ हुआ तथा सन् १९२२ में समाप्त हुआ। कुल २६ वर्षों का समय इसमें व्यतीत हुआ।

पं० गजपति शास्त्री द्वारा अतिरिक्त प्रतिलिपि

जैसा कि कहा गया है, धवल और जयधवल की देवनागरी प्रतिलिपि का कार्य १५०० श्लोक-प्रमाण सामग्री के अतिरिक्त सारा का सारा पं० गजपति शास्त्री ने अकेले किया। वे जानते थे, यह प्रतिलिपि जो हो रही है, मूडबिंद्री के मन्दिर में ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकेगी। उनमें विचारोद्धेलन हुआ। उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई एक विदुषी महिला थी। उसने भी इस स्थिति का अंकन एवं पर्यालोचन किया। दोनों सोचने लगे—क्यों न हम लोग गुप्त रूप से इसकी एक कनाड़ी लिपि कर लें। लक्ष्मी बाई ने अपने पति को इसके लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। अन्ततः पति-पत्नी ने निश्चय किया कि वे गुप्त रूप से कनाड़ी प्रतिलिपि करेंगे।

कनाड़ी में प्रतिलिपि करने का निर्णय शायद इसलिए किया गया हो कि वैसा होने से वह कार्य अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से होगा। क्योंकि ये कसड़ भाषी थे, कनाड़ी उनकी लिपि थी, जिसमें लिखने का उनका अभ्यास देवनागरी की अपेक्षा द्रुततर रहा हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, लक्ष्मीबाई को देवनागरी लिपि का विशेष अभ्यास न रहा हो, जिससे देवनागरी में प्रतिलिपि करने में वह अपने पति की सहयोगिनी नहीं हो सकती थी, जबकि कनाड़ी में प्रतिलिपि किये जाने में वह अपने पति को पूरा सहयोग कर सकती थी। अस्तु, उधर दिन में मन्दिर में देवनागरी में प्रतिलिपि किये हुए पत्र पं० गजपति शास्त्री वहां से लौटते समय गुप्त रूप से अपने घर लेते आते। रात्रि में वे तथा उनकी पत्नी कनाड़ी में प्रतिलिपि करते जाते। उधर देवनागरी प्रतिलिपि समाप्त हुई, इधर

कनाड़ी प्रतिलिपि का कार्य भी साथ-ही-साथ सम्पन्न हो गया । पति-पत्नी दोनों ने मिल कर इस कार्य में धीरे परिश्रम किया ।

पं० गजपति शास्त्री का यह कार्य नैतिकता की भाषा में नहीं आता तथा न उन्होंने एकमात्र ज्ञान-प्रसार के भाव से ही उसे किया, फिर भी इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि पं० गजपति शास्त्री और उनकी विदुषी पत्नी यदि ऐसा न करते तो ये दुर्लभ सिद्धान्त-ग्रन्थ ग्रन्थ-भण्डार की कारा से शायद ही बाहर आ पाते । यदि आते तो भी बड़े विलम्ब से, बड़ी कठिनाई से ।

कनाड़ी प्रतिलिपि का वहिर्गमन

पं० गजपति शास्त्री अपनी प्रतिलिपि किसी सुयोग्य, समर्थ व्यक्ति को उपहृत करना चाहते थे, जिससे वह किसी उपयुक्त स्थान में अवस्थित रह सके ताकि कभी उपभोग में भी आ सके । वे उसके लिए पुरस्कार भी चाहते थे । वे सोलापुर आये । उन्होंने सेठ हीराचन्द से अनुरोध किया कि वे प्रतिलिपि ले लें । सेठ ने प्रतिलिपि लेना स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अपने मित्र बम्बई निवासी सेठ माणिकचन्द जे०पी० को भी लिख दिया कि वे भी धवल, जयधवल की प्रतिलिपि स्वीकार न करें । यद्यपि सेठ हीराचन्द हृदय से इन सिद्धान्त-ग्रन्थों का प्रचार-प्रसार चाहते थे और जैसा कि पहले सूचित किया गया है, तदर्थ अधिक प्रतिलिपियां कराना भी चाहते थे, पर ग्रन्थ बाहर न ले जाने के सम्बन्ध में मूढविद्वी के भट्टारक तथा पंचों के साथ उनकी वचन-बद्धता थी, जो प्रतिलिपियां स्वीकार करने से भंग होती थी; अतः वैसा करना उन्हें अपने लिए नैतिक नहीं लगा ।

तब पं० गजपति शास्त्री सहारनपुर गये । वहां जैन समाज के प्रमुख लाल जम्बूप्रसाद रईस थे । उन्होंने प्रतिलिपियां स्वीकार कर लीं और शास्त्रीजी को पुरस्कार प्रदान किया । प्रतिलिपियां मन्दिर में रख दी गईं ।

लाला जम्बूप्रसाद रईस चाहते थे कि उन द्वारा गृहीत उन सिद्धान्त-ग्रन्थों की देव-नागरी में भी प्रतिलिपि हो ताकि उत्तर भारत में उनका उपयोग हो सके । पं० गजपति शास्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वैसा कर देंगे । पर, यह सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि पं० गजपति शास्त्री अपने पुत्र की रुग्णता के कारण घर लौट आये । संयोग ऐसा हुआ, उनकी पत्नी भी रुग्ण हो गई तथा कुछ समय के पश्चात् उसका देहावसान हो गया । ऐसी विषम परिस्थिति के कारण शास्त्रीजी फिर सहारनपुर नहीं आ सके । १९२३ ईसवी

में वे स्वयं परलोकगामी हो गये । अपने द्वारा की गई कनाड़ी प्रतिलिपि का देवनागरी रूपान्तर उनके हाथ से नहीं हो सका ।

कनाड़ी से देवनागरी

लाल जम्बूप्रसाद रईस कनाड़ी से देवनागरी प्रतिलिपि कराने के लिए विशेष प्रयत्नशील थे । इसके लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी, जो दोनों लिपियों के अच्छे अभ्यासी हों, संस्कृत-प्राकृतविद् भी हों । लालाजी को पं० विजयचन्द्रय्या तथा पं० सीताराम शास्त्री नामक विद्वान् मिल गये । १९१६ ईसवी से प्रतिलिपि का कार्य आरम्भ हुआ । सात वर्ष तक चला । १९२३ ईसवी में सम्पन्न हुआ । लाल जम्बूप्रसाद रईस आदि ने यह आवश्यक समझा कि कनाड़ी और देवनागरी प्रतिलिपियों का बहुत ध्यान से मिलान करवाया जाए, ताकि कोई स्खलना न रहे । दोनों प्रतियां सर्वथा एकरूप हों । मूडबिंद्री निवासी पं० लोकनाथ शास्त्री इस कार्य के हेतु बुलवाये गये । उन्होंने दोनों प्रतियों का मिलान कर दिया ।

कुछ और प्रतिलिपियां

सहारनपुर में की गई देवनागरी प्रतिलिपि कनाड़ी की तरह मन्दिर में सन्निधापित कर दी गई । कार्य समाप्त हुआ । पर, वहां भी मूडबिंद्री की घटना से मिलती-जुलती सी घटना पुनरावृत्त हुई । पं० सीताराम शास्त्री ने एक प्रतिलिपि और कर ली एवं उसे अपने पास रख लिया । ऐसा करने के पीछे उनके मन में दोनों प्रकार की भावनाएं रही हों—इन सिद्धान्त-ग्रन्थों को अन्यत्र प्रसृत करने का अवसर हाथ में रहे और साथ-ही-साथ पुरस्कार पाने का भी ।

पं० सीताराम शास्त्री के पास रही प्रति के सम्बन्ध में एक और प्रकार की चर्चा भी है । पं० विजयचन्द्रय्या और पं० सीताराम शास्त्री जब प्रतिलिपि का कार्य करते थे, तब उनका विधि-क्रम यह था—पं० विजयचन्द्रय्या ग्रन्थ पढ़ते जाते थे और पं० सीताराम शास्त्री एक कच्चे खर्रे के रूप में लिखते जाते थे ताकि लेखन शीघ्रता से हो सके । श्री शास्त्री ने उस कच्चे खर्रे से सावधानीपूर्वक स्पष्ट अक्षरों में शास्त्राकार प्रतिलिपि तैयार की तथा लालाजी को सौंप दी । कच्चे खर्रे वाली प्रति पं० सीताराम शास्त्री ने अपने पास रख ली ।

षट्खण्डागम के प्रति समग्र दिगम्बर समाज में अत्यन्त श्रद्धा एवं पूजा के भाव रहे ही हैं, लोगों को जब यह विदित हुआ, उन्होंने पं० सीताराम शास्त्री से अपने-अपने स्थानों के लिए प्रतिलिपियां करवाईं । आगे कुछ प्रतिलिपियां पं० सीताराम शास्त्री द्वारा की गई

प्रतिलिपियों के आधार पर भी हुई। इस प्रकार अजमेर, अमरावती, आरा, इन्दौर, कारंजा, भालरापाटन, दिल्ली, बम्बई, ब्यावर, सागर, सिवनी तथा सोलापुर में उन सिद्धान्त-ग्रन्थों की प्रतिलिपियां सन्निधापित हुईं।

यह उन महान् ग्रन्थों के शास्त्र-भण्डार से बाहर आने की कहानी है, जो काफी प्रेरक भी है और रोमांचक भी। धर्म के दो पक्ष हैं—ज्ञान और उपासना। दोनों सन्तुलित रूप में चलें तो यथार्थतः धर्म सधता है। धर्म केवल पूजा और प्रणति तक सिमट जाये तो उससे जीवन का साध्य कभी सधता नहीं। जब भी, जिस भी युग में ऐसा होता है, तथाकथित धार्मिक जनों में जड़ता व्याप्त हो जाती है और मात्र धर्मोपासना की बंधी-बंधाई यान्त्रिक-पद्धति ही उनके हाथ में रह जाती है। षट्खण्डागम जैसे महत्वपूर्ण वाङ्मय के शताब्दियों तक केवल धूप की सुवास लेते हुए अवस्थित रहने की घटना क्या इस श्रेणी में नहीं आती? शास्त्र की सच्ची पूजा उसका स्वाध्याय, उस पर मनन, चिन्तन, परिशीलन एवं निदिध्यासन है। वह सब छूट जाये और केवल प्रातः सायं उसकी धूप, दीप, केसर, चन्दन से अर्चना मात्र होती रहे, क्या इसे वास्तविक अर्चना और पूजा की संज्ञा दी जा सकती है, इसका उत्तर पाना विज्ञानों के लिए कठिन नहीं है।

षट्खण्डागम का प्रकाशन

स्वनामधन्य स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु बड़ा अध्यवसाय किया। उन्हें तथा उनके साथियों को अनेक विघ्न-वाधाओं का सामना करना पड़ा। तब एक वर्ष ऐसा भी था, जो उन ग्रन्थों के प्रकाशित होने में धर्म की अवहेलना और ज्ञान की आसातना समझता था। इन महान् ग्रन्थों को प्रतिमाओं की तरह केवल मन्दिरों में या शास्त्र-भण्डारों में प्रतिष्ठित देखना ही उन्हें श्रेयस्कर लगता था। पर मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् के अनुसार डा० जैन अपने साथियों सहित वर्षों उस कार्य में लगे रहे। फलतः वे महान् ग्रन्थ, जिनके कभी दर्शन भी दुर्लभ थे, जन-साधारण के हाथ में आ गये।

डा० जैन और उनके साथियों की कठिनाइयों का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब प्रकाशन की चर्चा चली तो कोई भी अपनी प्रतिलिपियां उन्हें देने के लिए सहसा तैयार नहीं हुआ। डा० जैन ने स्वयं लिखा है : “.....पहली चिन्ता घबल, जब-घबल की प्रतिलिपि प्राप्त करने की हुई। उस समय इन ग्रन्थों को प्रकाशित करने के नाम से ही धार्मिक लोग चौकन्ने हो जाते और उस कार्य के लिए कोई प्रतिलिपि देने के लिए

तैयार नहीं थे। ऐसे समय में श्रीमान् सिधई पल्लालालजी ने व अमरावती पंचायत से सत्साहस करके अपने यहां की प्रतियों की सदुपयोग करने की अनुमति दे दी।^१

अमरावती की प्रतिलिपि से प्रस-कॉपी तैयार की गई। अमरावती की प्रति सागर-स्थित प्रति की प्रतिलिपि है। सागर की प्रति पं० सीताराम शास्त्री के हाथ की है।

पाठ-संशोधन में आरा तथा कारंजा की प्रतियों के उपयोग की सुविधा प्राप्त हो गई। ये दोनों प्रतियां पं० सीताराम शास्त्री के हाथ की हैं। मूडबिंद्री की प्रति से मिलाने का तो तब अवसर ही कहा था। वहां वाले तो उनमें से थे, जिनकी दृष्टि से यह कार्य धर्म का प्रतिगामी था। इस सन्दर्भ में डा० जैन ने अपनी तथा अपने साथियों की मनोव्यथा का इन शब्दों में उल्लेख किया है : “जिन प्रतियों को लेकर हम संशोधन करने बैठे थे, वे दृष्टियों और स्थलों से परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक-एक शब्द के संशोधनार्थ न जाने कितनी मानसिक कसरतें करनी पड़ी हैं और कितने दिनों तक रात के दो-दो बजे तक बैठकर अपने खून को सुखाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया, उसका सोलहों आने यह भी विश्वास नहीं कि वे ही आचार्य-रचित शब्द हैं। और यह भी सब करना पड़ा, जब कि मूडबिंद्री की आदर्श प्रतियों के दृष्टिपात मात्र से सम्भवतः उन कठिन स्थलों का निर्विवाद रूप से निर्णय हो सकता था। हमें उस मनुष्य के जीवन का-सा अनुभव हुआ, जिसके पिता की अपार कमाई पर कोई ताला लगाकर बैठ जाय और वह स्वयं एक-एक टुकड़े के लिए दर-दर भीख मांगता फिरे। इससे जो हानि हुई, वह किसकी? जितना समय और परिश्रम इसके संशोधन में खर्च हो रहा है, उससे मूल प्रतियों की उपलब्धि में न जाने कितनी साहित्य-सेवा हो सकती थी और समाज का उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और शक्ति के अपव्यय से समाज की गति रुकती है। इस मन्द गति से न जाने कितना समय इन ग्रन्थों के उद्धार में खर्च होगा। यह समय साहित्य, कला और संस्कृति के लिए बड़े संकट का है। राजनैतिक विप्लव से हजारों वर्षों की सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित् मिनटों में भस्मसात् हो सकती है। देव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट यहां आ गया तो ये द्वादशांग-वाणी के अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे? हस्त, चीन आदि देशों के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। प्राचीन प्रतिमाएं खण्डित हो जाने पर नई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती है, पुराने मन्दिर जीर्ण होकर गिर जाने पर नये कभी भी निर्माण कराकर खड़े किये जा सकते हैं। धर्म के अनुयायियों की संख्या कम होने पर कदाचित् प्रचार द्वारा

बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचार्यों के जो शब्द ग्रन्थों में ग्रथित हैं, उनके एक बार नष्ट हो जाने पर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्या लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे द्वादशांग श्रुत का उद्धार किया जा सकता है? कभी नहीं। इसी कारण सजीव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्य के एक-एक टुकड़े पर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह ब्याल रहे कि जिन उपायों से अभी तक ग्रन्थ-रक्षा होती थी, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। संहारक शक्ति ने आजकल भीषण रूप धारण कर लिया है। आजकल साहित्य-रक्षा का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रन्थों की हजारों प्रतियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जायें ताकि किसी भी अवस्था में कहीं-न-कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रुत-भक्ति का अत्यन्त बुद्धिहीन स्वरूप है, जो हम ज्ञान के इन उत्तम संग्रहों की ओर इतने उदासीन हैं और उनके सर्वथा विनाश की जोखिम लिए चुपचाप बैठे हैं।”^१

सम्पादन-कार्य में डा० जैन को दिगम्बर समाज के प्रसिद्ध विद्वान् पं० फूलचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री तथा पं० हीरालाल शास्त्री न्यायतीर्थ का असाधारण सहयोग तथा साहाय्य रहा। इसी प्रकार संशोधन-कार्य में प्राकृत एवं जैन वाङ्मय के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान् डा० ए० एन० उपाध्ये तथा व्याख्यान-वाचस्पति पं० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री जैसे मनीषियों का साहाय्य रहा।

प्रथम भाग का प्रकाशन : शक ध्वन्य प्रतिक्रिया

मानव एक विचित्र प्राणी है। वह कब क्या सोचे, कैसा करे—यह सब रहस्यमय है। जो वह आज सोचता है, कल भी वैसा ही सोचेगा अथवा उसका चिन्तन कोई दूसरी करवट लेगा, निश्चय की भाषा में कुछ कहा नहीं जा सकता।

षट्छण्डागम के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद जन-मानस में एक दूसरा ही चिन्तन स्पन्दित हुआ। एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को हिन्दी अनुवाद के साथ लोगों ने देखा और उन्होंने पहले-पहल यह अनुभव किया कि वे इस ग्रन्थ को पढ़ भी सकते हैं, जिसके दर्शनों का सौभाग्य पाना भी कभी कठिन था। अनेक सुज्ञ जन, जो इस ग्रन्थ के प्रकाशन की प्रतीक्षा में थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए ही, उन लोगों का मानस भी बदला, जो कभी इन ग्रन्थों के प्रकाशन को अशुभ कार्य मानते थे। पहले-पहल उन्होंने ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन की उपयो-गिता का महत्व आंका।

चिन्तन में मोड़ आना स्वाभाविक था। क्योंकि उपयोगिता का यथार्थ दर्शन मानव को अति-भावुकता से हटाकर प्रज्ञा की भूमि में ले जाता है। यहां कुछ ऐसा ही हुआ। मूडबिंद्री के भट्टारक, पंच तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति भी इससे बड़े प्रसन्न हुए। डा० जैन ने इस सम्बन्ध में जो कुछ उल्लेख किया है, उससे वहां के लोगों की मनोवृत्ति में सहसा कितना भारी परिवर्तन आ गया, इसका स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। वे लिखते हैं : “श्री धवल सिद्धान्त प्रथम विभाग के प्रकाशित होने से, हमें जो आशा थी, उसकी सोलहों आने पूर्ति हुई। हमें यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष और संतोष है कि मूडबिंद्री मठ को भेंट की हुई शास्त्राकार और पुस्तकाकार प्रतियों के वहां पहुंचने पर उन्हें विमान में विराजमान करके जुलूस निकाला गया, श्रुतपूजन किया गया और सभा की गई, जिसमें वहां के प्रमुख सज्जनों और विद्वानों द्वारा हमारी संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन-व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की गई और यह मत प्रगट किया गया कि आगे इस सम्पादन-कार्य में वहां की मूल प्रति से मिलाने की सुविधा दी जानी चाहिये, नहीं तो ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होगा। यह सभा मूडबिंद्री मठ के भट्टारक श्री चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य के ही सभा-पतित्व में हुई थी।

उस समारम्भ के पश्चात् स्वयं भट्टारकजी ने अपना अभिप्राय हमें सूचित किया और प्रति मिलाने की व्यवस्थादि के लिए हमें वहां आने के लिए आमन्त्रित किया।¹ प्रथम भाग का प्रकाशन तो हो ही चुका था, आगे के प्रकाशन की प्रैस-कॉपियों को मूडबिंद्री की मूल प्रति से मिलाने की भी स्वीकृति मिल गई। महाधवल (महाबन्ध) के प्रकाशनार्थ प्रतिलिपि कराये जाने की स्वीकृति और प्राप्त हो गई।

मूडबिंद्री की प्रतियाँ

धवला की संस्कृत-कन्नड़-मिश्रित प्रशस्ति, श्रमणवेलगोला के शिलालेख आदि के सम्यक् परिशीलन से ऐसा परिज्ञात होता है कि देमियक्क, देमति, देयवती या देवमति नामक सद्धर्मनिष्ठ महिला, जो श्रेष्ठिराज चामुण्ड की पत्नी, बूचिराज की बहिन, भुज-बल्लिगंगपेर्माडिदेव की भुआ थी, ने अपने श्रुत-पंचमी के व्रतोत्थापन के उपलक्ष में ये ताड़-पत्रीय सिद्धान्त-ग्रन्थ अपने गुरु शुभचन्द्रदेव को अर्पित किये थे। धवला की प्रशस्ति तथा श्रमणवेलगोला के शिलालेख के अनुसार शुभचन्द्रदेव का देहावसान शक संवत् १०४५

श्रावण शुक्ला दशमी शुक्रवार को हुआ ।^१ शुभचन्द्रदेव मूलसंघ-देशीगण-पुस्तक-गच्छ से सम्बद्ध थे ।

श्रावणवेलगोला के शिलालेख नं० ४९ (१२९) में देमति के समाधि-मरण की प्रशस्ति के रूप में विस्तृत उल्लेख है, जिसमें उनके अनेक गुण— आहार, शास्त्र, औषध, अभय आदि की दानशीलता, देवपूजाभिरुचि, सतीत्व, पुण्यशीलता, लावण्य आदि की चर्चा की गई है । अन्त में कलङ्ग में उसके देहावसान का समय शक संवत् १०४२ फाल्गुन कृष्ण ११ बृहस्पतिवार लिखा है ।^२

अनुमेय है, देमति द्वारा अपने गुरु शुभचन्द्रदेव को इन ताड़पत्रीय सिद्धान्त-ग्रन्थों के उपहृत किये जाने का समय सम्भवतः शक संवत् १०३७ तथा १०४२ के मध्य रहा हो ।

१. एतत्सूचक श्लोक, जो धवला की प्रशस्ति तथा श्रावणवेलगोला के शिलालेख नं० ४३ (११७) में समान रूप में प्राप्त है :

बाणाम्भोधिनभशशांकुलि ते जाते सकाब्दे ततो,
वर्षे शोभकृताह्वये व्युपनते मासे पुनः श्रावणे ।
पक्षे कृष्णविक्षवर्त्तिनि सिते वारे वशम्यां तिथौ,
स्वर्यातः शुभचन्द्रदेवगणभृत् सिद्धान्तवारान्निधिः ॥

२. आहारं विजगज्जनाय विभयं भीताय दिव्यौषधं,

व्याघ्रिव्यापकुपेतवीनमुच्छिने श्रोत्रे च शास्त्रागमम् ।
एवं देवमतिस्सदेव ववती प्रप्रक्षये स्वायुषा—
महं देवमतिं विधाय विधिना दिव्या वधूः प्रोदभूत् ॥

भासीत्परशोभकरप्रतापाशेषाधनीपालकृतावरस्य ।

चामुष्कनाम्नो वणिजः प्रिया स्त्री मुख्या सती या भुवि देमतीति ॥

भूलोकचैत्यालयचैत्यपूजाव्यापारकृत्यावरतोऽवतीर्णा ।

स्वर्गात्पुरस्त्रीति विलोक्यमाना पुण्येन लावण्यगुरोर्न चात्र ॥

आहारसास्त्राभयमेषजानां वायिन्यलं वर्णचतुष्टयाद ।

वश्यात्समाधिक्रियया मृबन्ते स्वस्थानवत्स्वः प्रविशेश योर्ध्वः ॥

सद्धर्मशत्रुं कलिकालराजं जित्वा व्यवस्थापितधर्मनृत्प्या ।

तस्या जयस्तम्भनिभं शिलाया स्तम्भं व्यवस्थापयति स्म लक्ष्मीः ॥

श्री मूलसंघ देशीगणव पुस्तकगच्छव शुभचन्द्रसिद्धान्तवेवर, गुह्य सक वर्ष १०४२ नेय धिकारि संवत्सरव फाल्गुन ८० ११ बृहवार वन्दु संन्यासन विधियि बेनियक कुडिपिदसु ।

डा० हीरालाल जैन ने सम्बद्ध घटनाओं, लेखों, प्रसंगों आदि के आधार पर मूडबिंदी स्थित इन ताड़पत्रीय सिद्धान्त-ग्रन्थों के लेखन का समय शक संवत् ९५० के लगभग सम्भावित माना है।

आचार्य धरसेन : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

भारत के प्राचीन-कालीन विद्वानों, साहित्यिकों तथा ग्रन्थकारों के इतिहास के सम्बन्ध में आज भी बहुत कुछ अस्पष्ट जैसा है। अधिकांशतः अनुमानों तथा अटकलों से काम चलाना होता है। इसके पीछे भारतीय मनीषियों की एक विशेष चिन्तनात्मक पृष्ठभूमि रही है। करणीय के प्रति सर्वथा जागरूकता और अपने वैयक्तिक परिचय या आत्म-प्रकाशन के प्रति सहजतया एक उपेक्षा-भाव प्राक्तन ग्रन्थकारों में अक्सर देखा जाता है। उत्तरवर्ती लेखकों ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में कुछ लिखना चाहा हो तो उन्हें सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी हो। यदि उपलब्ध भी हुई हो तो बहुत कम। क्योंकि कालिक व्यवधान इतिवृत्तों तथा घटना-क्रमों को विस्मृति के गर्त में पहुंचाता जाता है।

दिगम्बर परम्परा के द्वादशांग का अंगभूत षट्खण्डागम जैसा महान् ग्रन्थ जिनसे उपलब्ध हुआ, उन आचार्य धरसेन के सम्बन्ध में केवल पुष्पदन्त और भूतबलि को श्रुताध्ययन कराने के अतिरिक्त कुछ भी स्पष्टतया ज्ञात नहीं है। उनके समय, गुरु-परम्परा आदि के सम्बन्ध में इधर-उधर की सामग्री के आधार पर ही कुछ संभावनाएं की जा सकती हैं।

पट्टानुक्रम में धरसेन का अनुल्लेख

दिगम्बर सम्प्रदाय में गौतम से लोहार्य तक की पट्टावली का त्रिलोपपण्णत्ति, हरिवंश पुराण, धवला, जयधवला, श्रुतावतार आदि में उल्लेख है। पीछे यथाप्रसंग उस ओर संकेत किया गया है। उनमें गौतम से लोहार्य तक अट्ठाईस आचार्य होते हैं, जिनमें तीन केवली, पांच श्रुतकेवली, ग्यारह दशपूर्वधर, पांच एकदशांगधर तथा चार आचारांगधर हैं। लोहार्य के पश्चात् पट्टानुक्रम वर्णित नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह कल्पना की जा सकती है कि लोहार्य के पश्चात् आचार्य धरसेन का समय रहा होगा। धवला में लोहार्य तक का उल्लेख कर केवल इतना-सा कहा है कि धरसेनाचार्य को आचार्य-परम्परा से आते हुए अंगों तथा पूर्वों के ज्ञान का एकदेश

प्राप्त हुआ ।^१

इस उल्लेख से धरसेनाचार्य का कोई निश्चित समय बोधित नहीं होता । इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में लोहार्य तक का गुरु-क्रम बताने के साथ-साथ सामष्टिक रूप से चार आचार्यों का उल्लेख किया है, जिनके नाम विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा अर्हदत्त हैं । इन्द्रनन्दि के अनुसार ये आचार्य अंगों तथा पूर्वों के एकदेशीय ज्ञाता थे । इनके अनन्तर इन्द्रनन्दि ने अर्हदबलि की चर्चा की है । उनके सम्बन्ध में कहा है कि वे महान् संघाधिपति थे । पूर्व देश में स्थित पुण्डवर्धन नामक नगर उनका जन्म-स्थान था । वे जैन संघ की समयानुरूप नई व्यवस्था बांधना चाहते थे, इसलिए पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमण के अवसर पर उन्होंने मुनियों का एक सम्मेलन आयोजित किया । श्रुतावतारकार ने लिखा है कि उस सम्मेलन में सौ योजन के मुनिगण उपस्थित हुए थे । स्थिति का पर्यवेक्षण कर अर्हदबलि सोचने लगे, ऐसा युग आ गया है कि मुनियों का मन पक्षपात से अछूता नहीं है । धर्म-संघ बड़ा विशाल है । अब मेलपूर्वक निर्वाह में कठिनाई होगी । इसलिए अधिक अच्छा हो, यदि संघ को कई भागों में बांट दिया जाये । ऐसा करने से, अर्हदबलि का चिन्तन था, सैद्धान्तिक ऐक्य अक्षुण्ण रहेगा, संघीय व्यवस्था अपनी-अपनी होती रहेगी । इससे श्रमणों में पारस्परिक स्नेह, समन्वय एवं आत्मीय भाव की वृद्धि होगी । इस विचार के अनुसार उन्होंने सारे संघ को कई भागों में बांट दिया । उनके अलग-अलग संघ बना दिये, जिनमें—नन्दि, वीर, अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि मुख्य थे ।

इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में अर्हदबलि के पश्चात् माघनन्दि के होने का उल्लेख किया है । उन्होंने उन्हें मुनिर्धेष्ठ कहा है । यह भी सूचित किया है कि माघनन्दि ने अंगों और पूर्वों के एकदेश का उद्योत प्रसृत किया । अन्त में समाधि-मरण द्वारा अपनी ऐहिक लीला समाप्त की ।

इन्द्रनन्दि ने उनके पश्चात् आचार्य धरसेन की चर्चा की है, जो गिरिनार के समीप ऊर्जयन्त पर्वत की चन्द्र-गुफा में निवास करते थे ।

लोहार्य के पश्चात् इन्द्रनन्दि ने उपर्युक्त रूप में चार और तीन मुनियों का जो उल्लेख किया है, वहाँ उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं कहा है । अतः कौन किसका

१. तबो सम्भेसिभंगपुब्बानमेग-वेसो आइरिय-परंपराए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपसो ।

—वज्रवज्रसूत्र, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६७

उत्तराधिकारी था, उनमें परस्पर गुरु-शिष्य-सम्बन्ध था या नहीं, कुछ ज्ञात नहीं होता। ऐसा लगता है, इन्द्रनन्दि ने इन विशिष्ट मुनियों के नाम सुने हों और काल-भेद के बिना उनका उल्लेख कर दिया हो। जो इतिवृत्त प्राप्त हुआ या सुना गया, उसे भी वर्णित कर दिया हो। इन्द्रनन्दि ने स्वयं प्रसंगोपात्त रूप में कहा है कि गुणधर और धरसेन की गुरु-परम्परा उन्हें ज्ञात नहीं है; क्योंकि बैसा बताने वाला न कोई ग्रन्थ है और न कोई मुनि ही।^१

नन्दि-संघ की संस्कृत-गुर्वावली में माघनन्दि

नन्दिसंघ की संस्कृत-गुर्वावली में जहां मूल संघ से नन्दिसंघ व बलात्कारगण की उत्पत्ति का उल्लेख है, वहीं माघनन्दि की चर्चा है। गुर्वावलिकार ने उन्हें पूर्वपदांशवेदी—अंशतः पूर्व-ज्ञान के वेत्ता तथा मनुष्यों और देवों द्वारा वन्दनीय कहा है।^२

सम्भव है, अर्हद्बलि ने जैन संघ का जो विभिन्न संघों में विभाजन किया, उनमें नन्दिसंघ का अधिनायकत्व उन्हें सौंपा हो। इस गुर्वावली में धरसेन का कोई उल्लेख नहीं है। माघनन्दि के उत्तराधिकारी के रूप में जिनचन्द्र का, तत्पश्चात् तत्पट्टाधिकारी पद्मनन्दि कुन्धकुन्द का उल्लेख है।

यहां यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि श्रुतावतार में जिन माघनन्दि की चर्चा है, ये वह माघनन्दि हैं या कोई दूसरे। क्योंकि वहां उनके बाद धरसेन आते हैं, जब कि यहां वैसा कोई संकेत नहीं है।

यहां एक कल्पना की जा सकती है कि जिनचन्द्र तथा धरसेन दोनों ही माघनन्दि के शिष्य रहे हैं। धरसेन की विद्या, ध्यान, मंत्र तथा तप की आराधना में अधिक अभिरुचि रही हो। ऊर्जयन्त पर्वत की चन्द्र-गुफा में उनके साधना-निरत रहने की घटना से यह तथ्य समर्थित होता है। वैसी स्थिति में माघनन्दि ने संघीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिनचन्द्र को सौंप दिया हो; अतः गुर्वावली के पट्टानुक्रम में धरसेन का नाम न आकर जिनचन्द्र का नाम आया हो।

१. गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः ।

न ज्ञायते तदन्वयकयकागममुनिजनाभावात् ॥ १५१ ॥

२. श्री मूलसंघेऽजनि नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणोऽतिरम्यः ।

तस्माभवत्पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्द्यः ॥

—बीच सिद्धान्त भास्कर १.४, पृ० ५१

यहां माघनन्दि के लिए जो पूर्वपदांशवेदी विशेषण आया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। धरसेन भी पूर्वपदांशवेदी थे। यों श्रुत-क्रम में दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए यहां वर्णित माघनन्दि सम्भवतः वही हैं, जिनका इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में उल्लेख किया है।

अम्बुदीवपण्णत्ति (दिगम्बर) में भी माघनन्दि की खर्चा है। वहां कहा गया है। “माघनन्दि राम, द्वेष तथा मोह से अतीत थे। वे श्रुत-सागर के पारगामी तथा प्रगल्भ बुद्धिशाली थे। उनके शिष्य सकलचन्द्र थे, जो तत्त्व-ज्ञान के समुद्र में अवगाहन कर अपना कालुष्य धो चुके थे। जो नीति, नियम तथा शील से सुशोभित व गुणयुक्त थे। सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनन्दि थे, जो निर्मल तथा उज्ज्वल ज्ञान व चारित्र्य से संयुक्त थे, सम्पक् दर्शन से परिशुद्ध थे।”¹

यहां माघनन्दि के लिए जो ‘श्रुतसागर-पारग’ विशेषण दिया है, वह महत्वपूर्ण है। उससे अनुमान होता है कि ये वही माघनन्दि रहे हों, जिनका श्रुतावतार तथा नन्दि-संघ की संस्कृत-गुर्वावली में वर्णन है। क्योंकि तीनों ही स्थानों पर उनके विशिष्ट ज्ञानी होने की सूचना है, जिससे उनका ऐक्य सूचित होता है।

संस्कृत-गुर्वावली में माघनन्दि के शिष्य का नाम पद्मनन्दि है। अम्बुदीवपण्णत्ति में उनके स्थान पर सकलचन्द्र तथा श्रीनन्दि का उल्लेख है। हो सकता है, एक ही व्यक्ति के ये मिलते-जुलते से दो-दो नाम हों।

कुम्भकाशी और माघनन्दि

एक जन-श्रुत्यात्मक घटना है। सिद्धान्त वेदी माघनन्दि किसी दिन भिक्षा के लिए नगर में गये। एक युवती कुम्भकार-कन्या ने उन्हें देखा। वह उन पर मुग्ध हो गई और

१. गगरायवोसमोहो सुवसायरपारओ मइ-पगळो ।

तव-संजम-संपण्णो विक्खाओ माघनंदि गुरू ॥

तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धं तमहोवहिम्मि धुयकलुसो ।

णय-णियम-सील-कलिओ गुणउत्तो सयलचंब गुरू ॥

तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मल-वर-णाण-चरण संजुसो ।

सम्महंसणसुद्धो सिरिणंदि-गुह सि विक्खाओ ॥

उनसे प्रेम की याचना की। मुनि भी उस रूपवती कन्या पर आसक्त हो गये। त्यागी से भोगी बन गये। कुम्भकारी के साथ रहने लगे, बर्तन-भाँड़े बनाने लगे।

कहा जाता है, एक बार जैन संघ में किसी महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषय पर मत-भेद या विवाद उत्पन्न हो गया। कोई समाधान नहीं हो पाया। संघाधिपति ने सब ओर दृष्टि दौड़ाई तो वह माघनन्दि पर जाकर टिकी। माघनन्दि के वैदुष्य तथा सिद्धान्त-वेत्तृत्व के सम्बन्ध में वे जानते थे। उन्होंने मुनियों को आदेश दिया कि वे माघनन्दि के पास जायें, उनसे पूछें, वे समाधान कर सकेंगे। मुनि कुम्भकार के स्थान पर आये। माघनन्दि के समक्ष अपनी सैद्धान्तिक समस्या उपस्थित की और समाधान चाहा। माघनन्दि को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने समागत मुनियों से कहा—अब भी संघ मुझे इतना सम्मान देता है? मुनि बोले—आपके पास जो महत्वपूर्ण गम्भीर श्रुत-ज्ञान है, वह सदा समादृत रहेगा। माघनन्दि को सहसा अपनी गरिमा का भान हुआ, भोगासक्तिवश जिसे वे भूल चुके थे। तत्क्षण तुच्छ भोगों के प्रति उनके मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने तत्काल कुम्भकारी का साथ छोड़ दिया। अपना कमण्डलु और मयूर-पिच्छ उठा लिया तथा प्रायः शिचित्त कर पुनः मुनि-संघ में सम्मिलित हो गये।

माघनन्दि के कुम्भकार-जीवन की एक कहानी यों भी प्रचलित है—जब वे कच्चे घड़ों को पकाने के लिए उन पर भाप देते थे, तब सहजतया कवि-हृदय होने के कारण कुछ गुनगुनाने लगते थे। उनकी गुनगुनाहट कविता के रूप में परिणत होती जाती थी। जैन-सिद्धान्त भास्कर में 'ऐतिहासिक स्तुति' के शीर्षक से एक षोडश श्लोकात्मक-स्तुति प्रकाशित हुई थी, जो माघनन्दि द्वारा कुम्भकार-जीवन में रचित कही जाती है। वहाँ इस कथानक की भी चर्चा है।^१

निर्णायक भाषा में तो नहीं कहा जा सकता, ये माघनन्दि कौन से थे; क्योंकि दिगम्बर-परम्परा में इस नाम के एकाधिक आचार्य हुए हैं, पर यहां वर्णित माघनन्दि के श्रुत-वैशिष्ट्य तथा सिद्धान्तवेत्तृता से यही ध्वनित होता है कि वे सम्भवतः अर्हद्वलि के शिष्य माघनन्दि ही हों। श्रवणवेलगोला के एक शिलालेख में भी माघनन्दि का सिद्धान्तवेदी के रूप में उल्लेख है।^२

१. जैन सिद्धान्त भास्कर, सन् १९१३, अंक ४, पृ० १५१

२. नमो नम्रजनानन्दस्यन्दिने माघनन्दिने।

जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तवेदिने चित्रमोदिने ॥ ४ ॥

—श्रवणवेलगोला शिलालेख नं० १२९

सारांश

तिलीयपण्णस्ति, धवला, जयधवला, श्रुतावतार आदि में गौतम से लोहार्य तक के आचार्यों का समय ६८३ वर्ष माना गया है ।

इन्द्रनन्दि ने लोहार्य और घरसेन के मध्य विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा अर्हदत्त—इन चार तथा अर्हद्वलि और माघनन्दि—इन दो आचार्यों का और उल्लेख किया है । उनमें प्रथम चार सम्भवतः एक ही काल के हों, क्योंकि उनका उल्लेख पूर्व-पश्चाद-भेद सूचकता के संकेत के बिना एक ही साथ है । दिगम्बर समाज के प्रमुख विद्वान् पं० जुगल-किशोर मुस्तार ने इनके काल के सम्बन्ध में ऊहापोह किया है ।^१ उनके अनुसार सामष्टिक रूप में उनका काल बीस वर्ष का है । मुस्तारजी ने अर्हद्वलि तथा माघनन्दि का काल क्रमशः दश-दश वर्ष का माना है । इस प्रकार, लोहार्य के चालीस वर्ष बाद अर्थात् वीर-निर्वाण सं० ७२३ घरसेन का समय होता है ।

नन्दि-संघ की प्राकृत-पट्टावली में घरसेन

नन्दि-संघ की प्राकृत-पट्टावली प्रस्तुत विषय में एक महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करती है, जो अनेक दृष्टियों से विचारणीय है ।^२

१. समन्तभद्र, पृ० १६१

२. अंतिम-जिण-णिग्वासे केवलणाणी य गोयम मुणिदो ।

बारह-वासे य गये सुधम्मसामी य संजाबो ॥ १ ॥

तह बारहवासे पुण संजाबो जम्बुसामि मुणिणाहो ।

अठतीसवासरहियो केवलणाणी य उविकटो ॥ २ ॥

वासट्ठि-केवलवासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्मजंबू य ।

बारह बारह दो जण तिय दुगहीणं च चालीसं ॥ ३ ॥

सुयकेवलसि पंच जणा वासट्ठि वासे गये सुसंजवा ।

पढमं चउवहवासं त्रिण्हुकुमारं मुण्येयध्वं ॥ ४ ॥

नंबिमित्त वाससोलह तिय अपराजिय वास बावीसं ।

इगहीणबीसवासं गोबद्धण भद्दबाहु मुणतीसं ॥ ५ ॥

सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नंबिमित्तो य ।

अपराजिय गोबद्धण तह भद्दबाहु य संजाबा ॥ ६ ॥

उस पट्टावली में गौतम से लोहार्य तक तो ठीक वे ही नाम हैं, जो अन्यत्र हैं। लोहार्य के बाद उसमें अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि—ये पाँच नाम और

सब वासट्ठि सुवासे गए सु-उप्पण्ण बह सुपुब्बहरा ।
 सब-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥ ७ ॥
 आयरिय विसाख पोठुल खसिय जयसेण नागसेण मुणी ।
 सिद्धत्थ धित्ति विजयं बुहिलिंग देव धमसेणं ॥ ८ ॥
 बह उगणीस य सत्तर इकवीस अट्ठारह सत्तर ।
 अट्ठारह तेरहवीस अउबह चोदय कमेसेयं ॥ ९ ॥
 अंतिम-जिण-णिब्बरो तिय-सय-पण-चालवास जादेसु ।
 एगावहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥
 मक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंस आयरिया ।
 अठारह बीस वासं गुणवालं चोद बत्तीसं ॥ ११ ॥
 सब तेबीस वासे एगादह अंगधरा जादा ।
 वासं सत्ताणवदिय वसंग नव अंग अट्ठधरा ॥ १२ ॥
 सुमहं च जसोमहं भद्रबाहु कमेण य ।
 लोहाचय्यमुणीसं च कहियं च जिणाग्गे ॥ १३ ॥
 छह अट्ठारह वासे तेबीस वावण वास मुणिणाहं ।
 दस णव अट्ठंगधरा वास दुसदवीस सवेसु ॥ १४ ॥
 पंचसये पणसट्ठे अंतिम-जिण-समय-जावेसु ।
 उप्पण्णा पंच जणा इयंगधारी मुणेयव्वा ॥ १५ ॥
 अहिबल्लि माघनंदि य धरसेणं पुप्फयंत भूदवली ।
 अडवीसं इगवीस उगणीसं तीस बीस वास पुणो ॥ १६ ॥
 इगसय-अठार-वासो इयंगधारी य मुणिवरा जादा ।
 छसय-तिरासिय-वासो णिब्बाणा अंगट्ठित्ति कहिय जिणे ॥ १७ ॥

—जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, सन् १९१३

इस पट्टावली के अनुसार गौतम, सुधर्मा तथा जम्बू—इन तीन केवलियों का समय क्रमशः १२, १२ तथा ३८ = कुल ६२ वर्ष; विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु—इन पाँच श्रुत-केवलियों का समय क्रमशः १४, १६, २२, १९ तथा २९ = कुल १०० वर्ष; विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, कन्निय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय,

हैं। लोहार्य या लोहाचार्य तक के अट्ठाईस आचार्य तथा ये पांच आचार्य और—कुल तेबीस आचार्यों का समय ६८३ वर्ष गिनाया है। उसमें काल के सम्बन्ध में यह विशेष भेद है। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, अन्यत्र लोहार्य तक ही ६८३ वर्ष हो जाते हैं।

काल-सूचन के सन्दर्भ में उस पट्टावली की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक आचार्य का पृथक्-पृथक् समय उल्लिखित किया गया है, जब कि तिलोयपण्णत्ति आदि में केवल-परम्परा, श्रुत-केवल-परम्परा, दशपूर्वधर-परम्परा, एकादशांगधर-परम्परा तथा आचारांगधर-परम्परा, जो श्रुत के क्रमिक ह्रास पर आधृत श्रेणी-विभाजन है, में प्रत्येक श्रेणी का योगात्मक या सामूहिक काल दिया है। उदाहरणार्थ—जैसे पांच श्रुत-केवलियों का समय १०० वर्ष है, वहाँ किस-किस श्रुत-केवलि का कितना-कितना समय रहा, ऐसा कुछ नहीं है।

दोनों कालक्रमों की तुलना

तिलोयपण्णत्ति आदि में तीन केवलियों, पांच श्रुत-केवलियों तथा ग्यारह दशपूर्वधरों का समय क्रमशः ६२, १०० तथा १८३ वर्ष है। उस पट्टावली में भी वैसा ही है। इन उन्नीसों के समय का योग $६२ + १०० + १८३ = ३४५$ होता है, जो उस पट्टावली में उल्लिखित है। पर, एक-एक आचार्य का जो पृथक्-पृथक् समय दिया है, उसमें ग्यारह दशपूर्वधरों का काल, जो विशाखाचार्य १० वर्ष, प्रोष्ठिल १९ वर्ष, क्षत्रिय १७ वर्ष, जयसेन २१ वर्ष, नागसेन १८ वर्ष, सिद्धार्थ १७ वर्ष, वृतिषेण १८ वर्ष, विजय १३ वर्ष, बुद्धिलिंग २० वर्ष, देव १४ वर्ष तथा धर्मसेन १४ वर्ष = कुल १८१ वर्ष होता है। वह इनके सामूहिक काल, जो १८३ वर्ष बताया गया है, से मेल नहीं खाता। यहाँ पट्टावलिकार की कुछ भूल हुई है। किसी आचार्य के २ वर्ष छूट गये हैं।

इसके पश्चात् एकादशांगधारी आते हैं। दोनों जगह वे संख्या में पांच-पांच हैं। तिलोय-

बुद्धिलिंग, देव तथा धर्मसेन—इन ग्यारह दशपूर्वधरों का समय क्रमशः १०, १९, १७, २१, १८, १७, १८, २३, २०, १४ तथा १४ = कुल १८१ वर्ष; नक्षत्र, जयपाल, पांडव, ध्रुवसेन तथा कंस—इन पांच एकादशांगधरों का समय क्रमशः १८, २०, ३९, १४ तथा ३२ = कुल १२३ वर्ष; सुमित्र, यशोभद्र, भद्रबाहु तथा लोहाचार्य—इन चार दश, नव व अष्ट अंगधरों का समय क्रमशः ६, १८, २३ तथा ५२ = कुल ९९ वर्ष और अर्हद्बलि, भाघनन्दि, धरसेन, पुष्पवन्त एवं भूतबलि—इन पांच एकांगधरों का समय क्रमशः २८, २१, १९, ३० तथा २० = कुल ११८ वर्ष है।

पण्णस्ति आदि में उन पाँचों का समय २२० वर्ष है, जबकि प्राकृत-पट्टावली में उनका समय—नक्षत्र १८ वर्ष, जयपाल २० वर्ष, पांडव ३९ वर्ष, ध्रुवसेन १४ वर्ष तथा कंस ३२ वर्ष = कुल १२३ वर्ष बतलाया गया है।

तत्पश्चात् अन्यत्र जहाँ चार आचारांगधर आते हैं, वहाँ उस पट्टावली में उन्हें दश, नव व अष्ट अंगधर कहा गया है। तिलोयपण्णस्ती आदि में इन चार का समय ११८ वर्ष कहा गया है, जब कि उस पट्टावली में सुभद्र ६ वर्ष, यशोभद्र १८ वर्ष, भद्रबाहु २३ वर्ष तथा लोहाचार्य ५२ वर्ष = कुल ९९ वर्ष होता है। पट्टावलिकार की यहाँ भी कुछ भूल रही है। क्योंकि वे इस प्रकार पृथक्-पृथक् काल-सूचन करके भी उसका योग ९७ वर्ष बतलाते हैं। ९७ से ही उनका आगे का ठीक मिलान बैठता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमादवश किसी आचार्य के समय में दो वर्ष अधिक जुड़ गये हैं।

दश, नव एवं अष्ट अंगधारक के रूप में उल्लिखित इन चार आचार्यों के सम्बन्ध में ऐसा समझा जा सकता है—इनमें सुभद्र दशअंगधर रहे हों, यशोभद्र नव अंगधर रहे हों तथा भद्रबाहु, जिन्हें अन्यत्र यशोबाहु कहा गया है व लोहाचार्य या लोहार्य आठ-आठ अंगों के धारक रहे हों।

अन्यत्र पट्टानुक्रम में लोहार्य अन्तिम हैं, जहाँ इसमें लोहार्य के बाद अर्हद्बलि, माघ-नन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि—ये पाँच आचार्य और आते हैं, जिनका समय अर्हद्बलि २८ वर्ष, माघनन्दि २१ वर्ष, धरसेन १९ वर्ष, पुष्पदन्त ३० वर्ष तथा भूतबलि २० वर्ष = कुल ११८ वर्ष है।

इस प्रकार केवल-काल ६२ वर्ष, श्रुत-केवल-काल १०० वर्ष, चतुर्दश पूर्वधर-काल १८३ वर्ष, एकादशांगधर-काल १२३ वर्ष, दश-नव-अष्ट-अंगधर-काल ९७ वर्ष तथा एकांगधर-काल ११८ वर्ष = कुल ६८३ वर्ष होते हैं।

समीक्षा

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राकृत-पट्टावली में अन्यो से मुख्यतः तीन बातों में अन्तर है : पाँच एकादशांगधर आचार्यों के काल-क्रम की भिन्नता, अन्यत्र जिन्हें आचारांगधर कहा गया है, उन्हें उक्त पट्टावली में दश, नव एवं अष्ट अंगधर कहा जाना, उनका समय भी भिन्न बतलाया जाना तथा अर्हद्बलि आदि पाँच नये आचार्यों का समावेश।

प्रायः सभी दिगम्बर-लेखक आचार्य-क्रम तथा उनके काल-क्रम के उसी रूप को लेकर चले हैं, जैसा तिलोयपण्णस्ति आदि में है, फिर इस पट्टावलिकार ने जो नया काल-क्रम दिया

है, उसकी उपलब्धि उन्हें कहां से हुई ? सम्भव है, इस पट्टावलिकार को कोई ऐसी परम्परा या प्रमाण प्राप्त हुआ हो, जो दूसरों को अप्राप्त था, जिसके आधार पर उसने इसकी रचना की हो ।

इस पट्टावलिकार ने प्रत्येक आचार्य का जो पृथक्-पृथक् समय दिया है, वह महत्वपूर्ण है । किसी विशेष उल्लेख या प्रमाण के उपलब्ध हुए बिना वह इस प्रकार कैसे कर सकता था, जब कि यति वृषभ से लेकर इन्द्रनन्दि आदि किसी ने ऐसा नहीं किया है ।

एकादशांगधरों के काल में जो दोनों गणनाओं में भेद है, उसका पर्यालोचन करें तो इस पट्टावलिकार का उल्लेख अपेक्षाकृत अधिक संगत होता है । इसके अतिरिक्त सर्वत्र पांच आचार्यों का जो २२० वर्षों का समय वर्णित हुआ है, वह यदि सर्वत्र असंभव नहीं कहा जा सकता तो उसे अत्यन्त सम्भव मानना भी समुचित नहीं लगता ।

तिलोयपण्णत्ति आदि में एकादश-अंगधर-परम्परा के पश्चात् एकाएक आचारांगधरों के रूप में एकांगधर-परम्परा आ जाती है अर्थात् दश अंगों का एक साथ लोप हो जाता है । प्रस्तुत पट्टावली में एकादश-अंगधरों के बाद दश-नव-अष्ट-अंगधर-परम्परा आती है । उत्तरोत्तर हीयमान श्रुत-परम्परा के सन्दर्भ में अंग-लोप का यह क्रम अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है ।

अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि का समावेश और काल का अभेद अर्थात् ६८३ वर्ष का जो स्वीकृत काल-क्रम चला आ रहा है, उसी के अन्तर्गत इन पांच आचार्यों को जो ले लिया गया है, वहां कुछ विचारणीय है ।

शक सम्भावना

इस सन्दर्भ में एक सम्भावना यह हो सकती है, पट्टावलिकार स्यात् उस संघ या गण से सम्बद्ध रहा हो, जिसके अर्हद्बलि, माघनन्दि तथा धरसेन आदि थे । उसने अपनी परम्परा से सम्बद्ध उन प्राचीन आचार्यों के एकांगधरत्व रूप विशिष्ट ज्ञान के कारण यह सोचा हो कि पट्टानुक्रम में उनका समावेश किया जाना चाहिए । लोहार्य तक तो संघ-भेद नहीं था ; अतः तब तक का पट्टानुक्रम तो सर्व-सम्मत था ही । एक संघ के अन्तर्गत उपसंघों के रूप में जब विभाजन हो जाता है, तब स्थिति परिवर्तित हो जाती है अर्थात् सभी संघ अपनी-अपनी परम्परा के पट्टधरों की ही गणना करते हैं । अस्तु, प्रस्तुत पट्टावलिकार ने इन पांच आचार्यों को प्राक्तन श्रुत-परम्परा की शृंखला में जोड़ने तथा कालिक सीमा वही बनाये रखने के हेतु पीछे के काल-क्रम में अपेक्षित परिवर्तन किया हो और उस सर्व-स्वीकृत

६८३ वर्ष की समयावधि में इन पांचों आचार्यों को मिला दिया हो । पट्टावलिकार ने वहां सभी आचार्यों का पृथक्-पृथक् समय भी छांट दिया है, जिससे वह काल-गणना विशेष प्रभावक लगे ।

दूसरी सम्भावना

जैन संघ के पृथक्-पृथक् संघों या गणों में विभक्त हो जाने से भिन्न-भिन्न संघों में जो विशिष्ट ज्ञानी हुए, उनके ज्ञान की गरिमा तो सर्वत्र समादृत थी, पर, सर्व-स्वीकृत पट्टानुक्रम में उन्हें गृहीत करना सम्भव नहीं था ; अतः लोहार्य के बाद का पट्टानुक्रम सब संघों का अपना पृथक्-पृथक् होता गया । इसलिए यह भी सम्भव हो सकता है कि अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन जैसे विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न आचार्यों को, जो श्रुत-परम्परा पर आधृत पूर्वतन श्रेणी में आते थे, वहां नहीं गिना गया या जाना-बूझकर छोड़ दिया गया । हो सकता है, हीयमान-श्रुत-परम्परा की यह काल-गणना भूतबलि तक रही हो, वहीं तक ६८३ वर्ष का समय पूरा होता हो, पर, जब एक सर्वसम्मत पट्टानुक्रम का रूप बनाये रखना वांछित था, तब उन्हें कैसे लिया जाता, जो एक विशिष्ट संघ के नेतृत्व से सम्बद्ध थे । इसलिए इन सहित जो ६८३ वर्ष होते थे, उन्हें लोहार्य तक के आचार्यों में बांट दिया हो । यह सब इसलिए किया गया हो कि एक पट्टानुक्रम तो ऐसा रहे, जिसकी प्रामाणिकता तथा सर्व-मान्यता पर कोई अंगुली तक न उठा सके ।

यह सम्भावना की तो जा सकता है, परन्तु कम समाधायक लगती है । क्योंकि एक मात्र इस प्राकृत-पट्टावली के अतिरिक्त और कहीं भी वैसी सूचना प्राप्त नहीं होती । इसलिए इस पट्टावली को ही अक्षरशः मान लिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता और न ऐसा ही कहा जा सकता है कि इस पट्टावली के रचयिता मात्र कल्पनाकार थे ; क्योंकि उसमें प्रकटित तथ्य सहसा मन को आकृष्ट भी करते हैं ।

इस सन्दर्भ में मनीषियों का अनुसन्धित्सापूर्ण प्रयत्न अपेक्षित है, जिससे अब तक अव्यक्त तथ्यों का उद्घाटन हो सके ।

इस पट्टावली के अनुसार माघनन्दि तक वीर निर्वाण ६१४ वर्ष होते हैं । माघनन्दि के अनन्तर भूतबलि के काल तक ६९ वर्षों का समय रहता है, जिसे धरसेन, पुण्ड्रदन्त और भूतबलि—इन तीनों में विभक्त किया गया है । इसके अनुसार धरसेन का आचार्य-काल वीर-निर्वाण ६१५ से ६३३ तक, पुण्ड्रदन्त का आचार्य-काल वीर निर्वाण ६३४ से ६६३ तथा भूतबलि का आचार्य-काल वीर-निर्वाण ६६४ से ६८३ तक होता है ।

प्राकृत-पट्टावली की प्रामाणिकता

इस पट्टावली की भाषा बहुत अशुद्ध एवं मिश्रित है। यहाँ तक कि इसमें प्रयुक्त प्राकृत का स्वरूप अपभ्रंश से हिन्दी तक पहुँच जाता है। पर, रचना के पर्यवेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में भाषा की दृष्टि से यह इसी रूप में रचित नहीं हुई। प्रतिलिपि की प्रतिलिपि किये जाते रहने से, वह भी जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो उस भाषा के ज्ञाता न हों तो वह अशुद्धि-क्रम बढ़ता ही जाता है। इस पट्टावली में भी कुछ ऐसा ही बीता है। तथ्य या आंकड़े तो इसमें बचे रह गये, भाषा उत्तरोत्तर घिसती गई, मिटती गई, बदलती गई और वह मूल से बहुत दूर चली गई है। जैसी इसकी भाषा है, उसके आधार पर इसकी कोई काल-निश्चिती नहीं की जा सकती। पर, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह बहुत अर्वाचीन तो नहीं है। स्व० डा० हीरालाल जैन ने भी आचार्य धरसेन के समया-वधारण में इसका उपयोग किया है। उन्होंने चाहा था कि वे उसकी विशेष गवेषणा कर सकें। अतः उन्होंने उसकी मूल प्रति को प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। वह प्रति कभी जैन सिद्धान्त भवन, आरा में थी। उसी के आधार पर जैन सिद्धान्त भास्कर ने उसका प्रकाशन हुआ था, पर, तब वहाँ खोजने पर हस्तगत नहीं हो सकी; अतः मूल प्रति पर विशेष परिशीलन एवं विमर्श का अवसर नहीं रहा।

दिगम्बर आचार्यों के पट्टानुक्रम के सम्बन्ध में यह पट्टावली जो विलक्षण सूचनाएं देती है, वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन पर विशेष अन्वेषण होना चाहिए। सम्भव है, कभी कोई ऐसा आधार, परम्परा या प्रमाण ही मिल जाये, जिसका अवलम्बन लेकर इस प्राकृत-पट्टा-वलीकार ने अपनी पट्टावली में उक्त तथ्य निबद्ध किये।

धरसेन की एक कृति : जीणिपाहुड

प्राकृत में मंत्र-तंत्र शास्त्र का 'जीणिपाहुड' नामक एक प्राचीन ग्रन्थ है। आचार्य धरसेन उसके रचयिता माने जाते हैं। आचार्य धरसेन द्वारा मंत्र-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे जाने की संभावना अस्थानीय नहीं मानी जा सकती। विद्याध्ययन के उद्देश्य से पुष्पदन्त और भूतबलि का आचार्य धरसेन के सांनिध्य में आने का जो प्रसंग आया है, वहाँ यह उल्लेख हुआ ही है कि आचार्य धरसेन ने समागत मुनियों की अध्ययन-क्षमता जांचने के लिए उन्हें दो मंत्र-विद्याएं साधने को दीं। इससे यह सिद्ध होता है कि धरसेन मंत्र-तंत्र-विज्ञान में निष्णात थे तथा उनका उस ओर झुकाव भी था। यही कारण है, उन्होंने विद्यार्थी श्रमणों के परीक्षण का माध्यम मंत्र-विद्या को बनाया।

जोगिपाहुड ग्राठ सौ श्लोक-प्रमाण प्राकृत-गाथाओं में है। उल्लेख है कि इसे कूस्मा-ण्डिनी महादेवी से उपलब्ध कर आचार्य धरसेन ने अपने अस्तेवासी पुष्पदन्त और भूतबलि के लिए लिखा। जोगिपाहुड के सम्बन्ध में धवला में भी चर्चा है। वहां उसे मंत्र-तंत्र शक्तियों तथा पुद्गलानुभाग का विवेचन ग्रन्थ बताया है।

बृहट्पिप्पशिका में उल्लेख

एक श्वेताम्बर जैन मुनि ने विक्रमाब्द १५५६ में बृहट्पिप्पशिका के नाम से श्वेताम्बर एवं दिगम्बर—यथासम्भव सभी जैन विद्वानों के ग्रन्थों की सूची तैयार की। उसमें उन्होंने अपने समय तक के सभी लेखकों की सब विषयों की कृतियों को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। जोगिपाहुड की भी वहां चर्चा है। बृहट्पिप्पशिकाकार ने उसे आचार्य धरसेन द्वारा रचित बताया है तथा उसका रचना-काल वीर-निर्वाण सं० ६०० सूचित किया है। बृहट्पिप्पशिका की प्रामाणिकता में सन्देह की कम गुंजाइश है। फिर एक श्वेताम्बर मुनि द्वारा एक दिगम्बर मुनि के ग्रन्थ के सम्बन्ध में किया गया सूचन अपने आप में विशेष महत्व रखता है।

नन्दिसंघ की प्राकृत-पट्टावली, जिस पर पिछले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है, के अनुसार माघनन्दि का काल वीर निर्वाण सं० ६१४ में समाप्त होता है, तत्पश्चात् धरसेन का काल प्रारम्भ होता है। बृहट्पिप्पशिका और प्राकृत-पट्टावली के काल-सूचन के सन्दर्भ से ऐसा प्रकट होता है कि धरसेन ने आचार्य-पदारोहण से चवदह वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ की रचना की हो। इस कोटि के जटिल ग्रन्थ की रचना करने के प्रसंग तक वे अवस्था में प्रौढ़ नहीं तो युवा अवश्य रहे होंगे।

भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना (महाराष्ट्र) के ग्रन्थ-भाण्डार में जोगिपाहुड की एक हस्तलिखित प्रति है, जिसका लेखक-काल वि० सं० १५८२ है।

जोगिपाहुड : मंत्र-विद्या की एक विलसत्ता कति

यह ग्रन्थ मंत्र-विद्या, तंत्र-विज्ञान आदि के विश्लेषण—विवेचन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—दोनों जैन सम्प्रदायों में यह समादृत रहा है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसके सम्बन्ध में जो सूचक तथ्य उपस्थित किये हैं, उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है : “निशीथ पूर्णि (४, पृ० ३७५ साइक्लोस्टाइल प्रति) के कथनानुसार आचार्य सिद्धसेन ने जोगिपाहुड के आधार से अश्व बनाये थे, इसके बल से

महिषों को अचेतन किया जा सकता था और इससे धन पैदा कर सकते थे । प्रभावक चरित (५, ११५-१२७) में इस ग्रन्थ के बल से मछली और सिंह उत्पन्न करने का तथा विशेषा-वश्यक भाष्य (गाथा १७७५) की हेमचन्द्र कृत टीका में अनेक विजातीय द्रव्यों के संयोग से सर्प, सिंह आदि प्राणी और मणि, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख मिलता है । कुवलयमालाकार के कथनानुसार जोणिपाहुड में कहीं हुई बात कभी असत्य नहीं होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने कथाकोषप्रकरण में भी इस शास्त्र का उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में ८०० गाथाएं हैं । कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम संवत् १४७३ (ईसवी सन् १४१६) में रचित विचारामृत संग्रह (पृष्ठ ९ आ) में योनिप्राभृत को पूर्व श्रुत से चला आता हुआ स्वीकार किया है :

अग्नेणिपुष्पनिगायपाहुडसत्थस्स मज्झयारंमि ।

किञ्चि उद्देसदेसं धरसेणो वज्जियं भणइ ॥

गिरि उज्जितठिएण पच्छिमदेसे सुरदुगिरिनयरे ।

बुद्धंतं उद्धरियं इत्थमकालप्पयावंमि ॥

प्रथम खण्डे—

अट्ठावीस सहस्सा गाहाणं जत्थ वन्निया सत्थे ।

अग्नेणिपुष्पमज्जे संखेबं वित्थरे मुत्तुं ।

चतुर्थखण्डप्रान्ते योनिप्राभृते ।

इस कथन से ज्ञात होता है कि अग्रायणी पूर्व का कुछ अंश लेकर धरसेन ने इस ग्रन्थ का उद्धार किया है तथा इसमें पहले २८ हजार गाथाएं थीं, उन्हीं को संक्षिप्त करके योनि-प्राभृत में कहा है ।^१

निष्कर्ष

उपयुक्त समग्र विवेचन के परिप्रेक्ष्य में धरसेन के समय के सम्बन्ध में हमारे समक्ष दो प्रकार की स्थितियां हैं । तिलोयपण्णत्ति, हरिवंश पुराण, धवला, जयधवला, श्रुतावतार आदि के अनुसार देखा जाये तो वीर निर्वाण ६८१ के पश्चात् इनका समय सिद्ध होता है और यदि नन्दिसंघ की प्राकृत-पट्टावली व जोणिपाहुड आदि के आधार पर चिन्तन करें तो वह वीर निर्वाण ६०० से कुछ पूर्व सिद्ध होता है । अर्थात् ईसा की प्रथम शती में वे हुए, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । तिलोयपण्णत्ति आदि के अनुसार उनका समय लगभग

एक शती बाध होता है। जैसा भी हो, वे ईसा की द्वितीय शती से अवश्य पूर्ववर्ती रहे हैं। पुष्पदन्त तथा भूतबलि की समय-सीमा बांधने का आधार भी प्रायः यही है।

धवला और जयधवला

षट्छण्डागम के यथार्थ महत्व से लोक-मानस को अवगत कराने का मुख्य श्रेय आचार्य वीरसेन को है, जिन्होंने उस पर 'धवला' संज्ञक अत्यन्त महत्वपूर्ण टीका की रचना की।

धवला के विशाल कलेवर के सम्बन्ध में संकेत किया ही गया है। षट्छण्डागम जैसे महान् सैद्धान्तिक ग्रन्थ पर अकेला व्यक्ति गम्भीर विश्लेषण तथा विवेचन पूर्व ७२ सहस्र श्लोक-प्रमाण व्याख्या प्रस्तुत करे, निःसंदेह यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। आचार्य वीरसेन का कृतित्व और उद्भासित हो जाता है तथा सहसा मन पर छा जाता है, जब साथ-ही-साथ यहां देखते हैं कि उन्होंने जयधवला का बीस-सहस्र-श्लोक-प्रमाण अंश भी लिखा। उतना ही कर पाये थे कि उनका भौतिक कलेवर नहीं रहा।

इस प्रकार आचार्य वीरसेन ने अपने जीवन में ९२ सहस्र-श्लोक-प्रमाण रचना की। ऐसा प्रतीत होता है, गम्भीर शास्त्राध्ययन के अनन्तर उन्होंने अपना समग्र जीवन साहित्य-सर्जन के इस पुनीत लक्ष्य में लगा दिया। तभी तो इस प्रकार का विराट् कार्य सध सका।

विशालकाय महाकाव्य के रूप में महाभारत, विश्व-वाङ्मय में सर्वाधिक प्रतिष्ठापन्न है, क्योंकि उसका कलेवर एक लाख-श्लोक-परिमित माना जाता है। पर, वह अकेले व्यासदेव की रचना नहीं है। न जाने कितने कवियों और विद्वानों की लेखिनी का योगदान उसे मिला है। पर, धवला, जो कलेवर में महाभारत से कुछ ही कम है, एक ही महान् लेखक की कृति है। यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ज्ञानोपासना के दिव्य यज्ञ में अपने आप को होम देने वाले आचार्य वीरसेन जैसे मनीषी ग्रन्थकार जगत् में विरले ही हुए हैं।

महान् विद्वान् : प्रखर प्रतिभान्वित

आचार्य वीरसेन का वैदुष्य विलक्षण था। उनकी स्मरण-शक्ति एवं प्रतिभा अद्भुत थी। उनका विद्याध्ययन अपरिसीम था। स्व-शास्त्र एवं पर-शास्त्र—दोनों के रहस्य उन्हें स्वायत्त थे। व्याकरण, न्याय, छन्द, ज्योतिष प्रभृति अनेक विषयों में उनकी गति अप्रतिष्ठ थी।

जिनसेन के शब्दों में वे समग्र विश्व के पारदृष्या थे, मानो साक्षात् केवली हों । उनकी सर्वार्थगामिनी स्वाभाविक प्रज्ञा को देख विद्वानों को सर्वज्ञ के अस्तित्व में शंका नहीं रही । उनकी चमकती हुई ज्ञानमयी किरणों का प्रसार देखकर प्राज्ञजन उन्हें श्रुत-केवली तथा उत्कृष्ट प्रज्ञा-श्रमण^१ कहते थे ।

नत्त्व-दर्शन के महान् समुद्र में अवगाहन करने से उनकी बुद्धि परिशुद्ध थी, तभी मानो महान् मेघाशील प्रत्येक-बुद्धों से वे स्पर्धा करने लगे हों ।^२

जिनसेन ने उनके शास्त्रानुशीलन के सम्बन्ध में एक बड़े महत्व की बात कही है । उसके अनुसार आचार्य वीरसेन ने चिरन्तन कालीन पुस्तकों का गौरव बढ़ाया अर्थात् पुस्तकारूढ प्राचीन वाङ्मय का उन्होंने गम्भीर अनुशीलन किया, उसे अग्रसर किया ।^३

इससे यह गम्य है कि आचार्य वीरसेन के समय तक जो भी उच्च कोटि के ग्रन्थ प्राप्त थे, उन्होंने उन सब का सांगोपांग एवं व्यापक अध्ययन किया । तभी तो यह सम्भव हो सका कि वे अपनी धवला टीका को अनेक शास्त्रों के निष्कर्ष तथा नवनीत से आपूरित कर सके ।

जिनसेन ने आदिपुराण की उत्थानिका में अपने श्रद्धास्पद गुरु को परमोत्कृष्ट वादी,

१. विशिष्ट प्रज्ञात्मक श्रद्धा-सम्पन्न

२. श्री वीरसेन इत्यात्तमट्टारकपृथुप्रथः ।

पारदृष्याधिविश्वानां साक्षादिव ५ केवली ॥

यस्य नैसर्गिकीं प्रज्ञां दृष्ट्वा सर्वार्थगामिनीम् ।

जाताः सर्वज्ञभावे निरारेका मनीषिणः ॥

यं प्राहुः प्रस्फुरद्बोधरोधितिप्रसरोदयम् ।

श्रुतकेवलिनं प्राप्ताः प्रज्ञाश्रमणमुत्तमम् ॥

प्रसिद्धसिद्धसिद्धान्तवार्त्तिवाधोत्तशुद्धीः ।

साह्यं प्रत्येकबुद्धैर्यः स्पर्धते धीढबुद्धिभिः ॥

—जयधवला-प्रशस्ति १९, २१-२३

३. पुस्तकानां चिरन्तानां गुरुत्वमिह कुर्वता ।

वेनातिशयिताः पूर्वे सर्वे पुस्तकशिष्यकाः ॥

—बह्वी, २४.

पवित्रात्मा, लोकविज्ञ, कवित्व-शक्ति-सम्पन्न तथा बृहस्पति के तुल्य वाग्मी कहा है ।^१

उनकी धवला टीका के विषय में जिनसेन ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया है कि उनकी धवला भारती तथा उनकी पवित्र व उज्ज्वल कीर्ति ने अखण्ड भू-मण्डल को धवल—उज्ज्वल बना दिया । अर्थात् वे दोनों लोक-व्याप्त हो गई ।^२

धवला की रचना

इन्द्रनन्द के श्रुतावतार में आचार्य वीरसेन तथा उनकी धवला टीका की चर्चा की है । टीका की रचना के सन्दर्भ में उन्होंने बताया है कि वीरसेन ने एलाचार्य के पास सिद्धान्तिक ज्ञान अर्जित किया । गुरु के आदेश से वे वाटग्राम आये । आनतेन्द्र द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिर में रुके । वहाँ उन्हें बप्पदेव-गुरु-रचित व्याख्या-प्रज्ञप्ति—षट्खण्डागम की एक पुरानी टीका मिली । वहीं उन्होंने धवला की रचना समाप्त की ।

उसी प्रसंग में इन्द्रनन्द ने वीरसेन-रचित धवला तथा अंशतः जयधवला के श्लोक-प्रमाण की भी चर्चा की है । यह भी बताया है कि धवला प्राकृत-संस्कृत-मिश्र टीका है । इसी सन्दर्भ में जिनसेन द्वारा जयधवला की पूर्ति तथा उसके समग्र षष्टि-सहस्र-श्लोक-प्रमाण की भी चर्चा की है ।^३

१. श्री वीरसेन इत्याप्तभट्टारकपृथुप्रथः ।

स नः पुनातु पूतात्मा वाविवुन्दारको मुनिः ॥

लोकवित्तवं कवित्तवं च स्थितं भट्टारके द्वयम् ।

वाग्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥

—आविपुराण उत्थानिका ५५-५६

२. धवला भारती तस्य कीर्तिं च शुचिनिर्मलाम् ।

धवलीकृतनिःशेष-भुवनां तां तमाम्यहम् ॥

—आविपुराण उत्थानिका ५८

३. काले गते कियत्पि ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी ।

श्रीमानेत्वाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥

तस्य समीपे सकलं सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः ।

उपरितननिबन्धनाद्यधिकारानष्ट च लिलेख ॥

आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान् गुरोरनुज्ञानात् ।

वाटग्रामे चाज्ञानतेऽकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥

नाम : अन्वर्थकता

आचार्य वीरसेन ने टीका का अभिधान 'धवला' क्यों रखा, इस सम्बन्ध में स्पष्टतया कोई विवरण प्राप्त नहीं है। धवला शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ श्वेत, सुन्दर, स्वच्छ, विशुद्ध, विशद आदि है। मास के शुक्ल पक्ष को भी धवल कहा जाता है। सम्भव है, अपनी टीका की अर्थ-विश्लेषण की दृष्टि से विशदता, भाव-गाम्भीर्य की दृष्टि से स्वच्छता, पद-विन्यास की दृष्टि से सुन्दरता, प्रभावकता की दृष्टि से उज्ज्वलता, शैली की दृष्टि से प्रसन्नता—प्रसादोपपन्नता आदि विशेषताओं का एक ही शब्द में आख्यान करने के लिए टीकाकार को धवला नाम खूब संगत लगा हो। आगे चलकर यह नाम प्रिय एवं हृद्य इतना हुआ कि षट्खण्डागम वाङ्मय 'धवला-सिद्धान्त' के नाम से विभ्रुत हो गया।

धवला की समापन-सूचक प्रशस्ति में उल्लेख हुआ है कि यह टीका कार्तिक मास के धवल या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन सम्पूर्ण हुई थी। हो सकता है, मास के धवल पक्ष में परिसमाप्त होने के कारण रचयिता के मन में इसे धवला नाम देना जचा हो।

एक और सम्भावना की जा सकती है, इस टीका का समापन मान्यखेटाधीश्वर, राष्ट्र-कूटवंशीय नरेश अमोघवर्ष प्रथम के राज्यकाल में हुआ था। राजा अमोघवर्ष उज्ज्वल चरित्र, सात्त्विक भावना, धार्मिक वृत्ति आदि अनेक उत्तमोत्तम गुणों से विभूषित था। उसकी गुणसूचक उपाधियों या विशेषणों में एक अतिशय 'धवल' विशेषण भी प्राप्त होता है। प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जा सकता, इस विशेषण के प्रचलन का मुख्य हेतु क्या

व्याख्याप्रज्ञप्तिमवाप्य पूर्वषट्खण्डतस्ततस्तस्मिन् ।

उपरितमबन्धनाद्यधिकारैरष्टादशविकल्पैः ॥

सत्कर्मानामधैर्यं षष्ठं खण्डं विधाय संक्षिप्य ।

इति षण्णां खण्डानां ग्रन्थसहस्रं द्विसप्तत्या ॥

प्राकृतसंस्कृतभाषा-निष्ठां टीकां विलिख्य धवलाख्याम् ।

जयधवलां च कषाय-प्राभृत के चतसृणां विभक्तीनाम् ॥

विंशतिसहस्रसङ्ग्रन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवम् ।

यातस्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसेन (जिनसेन) गुहनामा ॥

तच्छेषं चत्वारिंशता सहस्रैः सम्भाषितवाद्यु ।

जयधवलैव षष्टिसहस्रग्रन्थोऽभवद्वटीका ॥

था। हो सकता है, राजा अमोघवर्ष के इन उज्ज्वल, धवल, निर्मल गुणों के कारण यह विशेषण प्रचलित हुआ हो अथवा उसकी देह-सम्पदा—सौष्ठव, गौरत्व आदि के कारण भी लोगों को उसे उस उपाधि से सम्बोधित करने की प्रेरणा हुई हो। अमोघवर्ष विद्वानों, त्यागियों एवं गुणियों का बड़ा आदर करता था। उनके साथ उसका श्रद्धापूर्ण सम्बन्ध था, अतः यह अनुमान करना भी असंगत नहीं लगता कि राजा अमोघवर्ष का उक्त विशेषण इस नाम के पीछे प्रेरक हेतु रहा हो।

जैसा भी रहा हो, इस टीका ने केवल दिगम्बर जैन वाङ्मय में ही नहीं, भारतीय तत्त्व-चिन्तन के व्यापक क्षेत्र में निःसन्देह अपने नाम के अनुरूप धवल, उज्ज्वल यश अर्जित किया। मानो नाम की आवयविक सुषमा ने भावात्मक सुषमा को भी अपने में समेट लिया हो।

धवला का वैशिष्ट्य

कहा ही गया है, यह टीका प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित है। इस प्रकार की सम्मिश्रित भाषामयी रचना मणि-प्रबाल-न्याय से उपमित की गई है। मणियां तथा प्रबाल परस्पर मिला दिये जायें तो भी वे अपना पृथक्-पृथक् अस्तित्व लिए विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार प्राकृत तथा संस्कृत मिलने पर भी पृथक्-पृथक् दिखाई देती रहती हैं।

टीकाकार द्वारा किये गये इस द्विविध भाषात्मक प्रयोग की अपनी उपयोगिता है। तात्त्विक अथवा दार्शनिक विषयों को तार्किक शैली द्वारा स्पष्ट करने में संस्कृत का अपना एक महत्व है। उसका अपना विशिष्ट, पारिभाषिक शब्द-समुच्चय एवं रचना-प्रकार है, जो अनन्य-साधारण है। प्राकृत लोकजनीन भाषा है, जो कभी इस देश में बहु-प्रचलित थी। टीका की रचना केवल पाण्डित्य-सापेक्ष ही न रह जाये, उसमें लोकजनीनता भी व्याप्त रहे, प्राकृत-भाग इस अपेक्षा का पूरक माना जाये तो अस्थानीय नहीं होगा।

टीकाकार ने अपने समय तक उपलब्ध बहुविध दिगम्बर-श्वेताम्बर-साहित्य का मुक्त रूप से उपयोग किया है। अनेक ग्रन्थों के यथाप्रसंग, यथापेक्ष अंश उद्धृत किये हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी टीका को सम्पूर्णतः समृद्ध एवं सर्वथा उपादेय बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। उसकी शैली समीक्षा, विश्लेषण एवं विशद विवेचन की दृष्टि से वास्तव में असाधारण है।

समापन : समय

वीरसेनाचार्य के काल के सम्बन्ध में अनिश्चयात्मकता नहीं है। धवला की अन्तिम

प्रशस्ति में उन्होंने ज्योतिष शास्त्रीय शैली में कुछ महत्वपूर्ण संकेत किये हैं। स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने प्रशस्ति के उस भाग का, जो धवला की समाप्ति के समय का सूचक है, विशेष परिशीलन एवं सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण कर परिष्कृत रूप उपस्थित किया^१ है, जिसके अनुसार धवला की सम्पूर्णता का समय शक संवत् ७३८ कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी निश्चित होता है।

आचार्य वीरसेन के सुयोग्य शिष्य आचार्य जिनसेन ने अपने पूज्यचरण गुरु द्वारा समारम्भ जयधवला टीका की पूर्ति शक संवत् ७५९, फाल्गुन शुक्ला दशमी को की। उस समय राजा अमोघवर्ष का शासन-काल था।^२

धवला की पूर्ति और जयधवला की पूर्ति के बीच २१ वर्ष का समय पड़ता है। आचार्य वीरसेन के देहावसान की यह पूर्वापर सीमा है।

जैन साहित्य एवं इतिहास के अन्वेष्टा स्व० पं० नाथूराम प्रेमी ने आचार्य वीरसेन का समय शक संवत् ६६५ से ७४५ तक माना है, जो अनेक पूर्वापर सन्दर्भों एवं प्रमाणों पर आधारित है।

१. अठतीसम्हि सतसए विक्कामरायंकिए सु- सगणामे ।

वासे सुतरेसीए भाणुविलग्गे धवलपवखे ॥

जगतुंगदेवरज्जे रिपम्हि कुंभम्हि राहुणा कोरे ।

सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होते ॥

चावम्हि तरणिवुत्ते सिंघे सुक्कम्मि मीरोचंदम्मि ।

कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥

—धवला-प्रशस्ति ६-८

२. इतिथी वीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शनी ।

वाटप्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यनिपालिते ॥

फाल्गुने मासि पूर्वाह्णे दशम्यां शुक्ल पक्ष के ।

प्रबद्धमानपूजोरुनन्दीश्वरमहोत्सवे ॥

अमोघवर्षराजेन्द्रराज्य प्राज्यगुणोदया ।

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥

एकोन्नवष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य ।

समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभूतव्याख्या ॥

—जयधवला-प्रशस्ति ६-९

षट्खण्डागम : आधार

द्वादशांग के अन्तर्गत बारहवें अंग दृष्टिवाद का चौथा भेद पूर्वगत है। वह चतुर्दश पूर्वों में विभक्त है। उनमें दूसरा आग्रायणीय पूर्व है। उनके निम्नांकित चवदह अधिकार हैं :

१. पूर्वान्ति, २. अपरान्त, ३. ध्रुव, ४. अध्रुव, ५. चयनलब्धि, ६. अधोपम, ७. प्रणिधिकल्प, ८. अर्थ, ९. भौम, १०. व्रतादिक, ११. सर्वार्थ, १२. कल्पतिर्गुण, १३. अतीतसिद्धबद्ध तथा १४. अनागत ।

इनमें पांचवां चयनलब्धि अधिकार बीस पाहुडों में विभक्त है। उनमें चौथा पाहुड कर्म-प्रकृति है। उसके चौबीस अनुयोगद्वार हैं, जो इस प्रकार हैं : १. कृति, २. वेदना, ३. स्पर्श, ४. कर्म ५. प्रकृति, ६. बन्धन, ७. निबन्धन, ८. प्रक्रम, ९. उपक्रम, १०. उदय, ११. मोक्ष, १२. संक्रम, १३. लेश्या, १४. लेश्या-कर्म, १५. लेश्या-परिणाम, १६. सातासात, १७. दीर्घह्रस्व, १८. भवधारणीय, १९. पुद्गलात्म, २०. निधत्तानिधत्त, २१. निकाचिता-निकाचित, २२. कर्म-स्थिति, २३. पश्चिमस्कन्ध तथा २४. अल्पबहुत्व ।

इनके तथा इनके भेदोपभेदों के आधार पर षट्खण्डागम की रचना हुई ।

षट्खण्डागम : एक परिचय

पहला खण्ड

छः खण्डों में पहले खण्ड का शीर्षक जीवद्वाराण है। इसका अधिकांश भाग कर्मप्रकृति नामक पाहुड के बन्धन संज्ञक छठे अनुयोगद्वार के बन्ध-विधान नामक भेद^१ के आधार पर प्रणीत हुआ है।

जीवद्वाराण के अन्तर्गत आठ अनुयोगद्वार और नौ बूलिकाएं हैं। आठ अनुयोगद्वारों के नाम इस प्रकार हैं : १. सत्, २. संख्या, ३. क्षेत्र, ४. स्पर्शन, ५. काल, ६. अन्तर, ७. भाव तथा ८. अल्पबहुत्व ।

नौ बूलिकाएं निम्नांकित हैं :

१. प्रकृतिसमुत्कीर्तना, २. स्थानसमुत्कीर्तना, ३-५. तीन महादण्डक, ६. जघन्य स्थिति, ७. उत्कृष्ट स्थिति, ८. सम्यक्त्वोत्पत्ति तथा ९. गति-अगति ।

१. बन्धन के भेद—बन्ध, बन्धनीय, बन्धक, बन्ध-विधान ।

उपर्युक्त अनुयोगद्वारों तथा चूलिकाओं में विवेच्य विषयों का गुणस्थानों तथा मार्ग-
णाओं के आधार पर बड़ा विस्तृत विवेचन हुआ है ।

दूसरा खण्ड

दूसरे खण्ड का नाम खुदाबन्ध है, जिसका संस्कृत-रूप धुल्लक बन्ध होता है । यह कर्मप्रकृति पाहुड़ के बन्धन संज्ञक अनुयोगद्वार के बन्धक नामक भेद के आधार पर सृष्ट हुआ है । यह खण्ड ग्यारह अधिकारों में विभक्त है, जो निम्नांकित हैं :

१. स्वामित्व, २. काल, ३. अन्तर, ४. भगविचय, ५. द्रव्यप्रमाणानुगम, ६. क्षेत्रानुगम, ७. स्पर्शानुगम, ८. नानाजीवकाल, ९. नाना जीव अन्तर, १०. भागाभागानुगम तथा ११. अल्पबहुत्वानुगम ।

प्रस्तुत खण्ड में कर्म बांधने वाले जीव, कर्म-बन्ध के भेद आदि का उपर्युक्त अधिकार संकेतक इन ग्यारह प्ररूपणाओं द्वारा विवेचन किया गया है ।

तीसरा खण्ड

तीसरा खण्ड बन्धस्वामित्वविचय संज्ञक है । कर्मप्रकृति पाहुड़ के बन्धन अनुयोगद्वार का बन्ध-विधान नामक भेद प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश के रूप में चार प्रकार का है । प्रकृति के दो भेद हैं—मूल तथा उत्तर । उत्तर प्रकृति दो प्रकार की है—एकैकोत्तर तथा अर्धवोगाड़ । एकैकोत्तर प्रकृति के २४ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं :

१. समुत्कीर्तना, २. सर्वबन्ध, ३. नोसर्व, ४. उत्कृष्ट, ५. अनुत्कृष्ट, ६. जघन्य, ७. अजघन्य, ८. सादि, ९. अनादि, १०. ध्रुव, ११. अर्धध्रुव, १२. बन्धस्वामित्वविचय, १३. बन्धकाल, १४. बन्धान्तर, १५. बन्धसन्निकर्ष, १६. भगविचय १७. भागाभाग, १८. परिमाण, १९. क्षेत्र, २०. स्पर्शन, २१. काल, २२. अन्तर, २३. भाव तथा २४. अल्पबहुत्व ।

इनमें बारहवें बन्धस्वामित्वविचय के आधार पर इस खण्ड की रचना हुई है । इस खण्ड में मुख्यतः निम्नांकित विषयों का विशद विश्लेषण है :

किस जीव के किन-किन प्रकृतियों का कहाँ तक बन्ध होता है, किस जीव को नहीं होता ।

किस गुणस्थान में कौन-कौनसी प्रकृतियाँ व्युच्छिन्न हो जाती हैं ।

स्वोदयबन्धात्मक तथा परोदयबन्धात्मक प्रकृतियां कौन-कौनसी हैं, इत्यादि ।

षोषा स्वशब्द

षोषा खण्ड वेदना संज्ञा से अभिहित है । यह कर्मप्रकृति पाहुड़ के कृति तथा वेदना नामक अनुयोगद्वारों के आधारे पर सृष्ट है । इसमें वेदना के विवेचन की मुख्यता है, जो काफी विस्तारपूर्वक किया गया है । इसी कारण यह वेदना खण्ड के रूप में संज्ञित हुआ है । कृति के अन्तर्गत औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस् तथा कर्मण—इन पांच शरीरों की संघातनात्मक एवं परिघातनात्म कृति का एवं भव के प्रथम व अप्रथम समय में अवस्थित जीवों के कृति, नो कृति तथा अव्यक्त—एतद्रूप संख्याओं का वर्णन है ।

यहां कृति के सात प्रकार निरूपित हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. गणना, ५. ग्रन्थ, ६. करण तथा ७. भाव ।

प्रस्तुत सन्दर्भ में 'गणना' की मुख्यता प्रतिपादित की गई है ।

वेदना के अन्तर्गत सोलह अधिकार हैं, जो निम्नांकित हैं :

१. निक्षेप, २. नय, ३. नाम, ४. द्रव्य, ५. क्षेत्र, ६. काल, ७. भाव, ८. प्रत्यय, ९. स्वामित्व, १०. वेदना, ११. मति, १२. अनन्तर, १३. सन्निकर्ष, १४. परिमाण, १५. भागाभागानुगम तथा १६. अल्पबहुत्वानुगम ।

एतन्मूलक अपेक्षाओं से यहां वेदना का विवेचन किया गया है ।

पांचवां स्वशब्द

पांचवां वर्गणा खण्ड है । कर्मप्रकृति पाहुड़ के स्पर्श, कर्म तथा प्रकृति नामक अनुयोग-द्वारों व बन्धन नामक अनुयोगद्वार के प्रथम भेद बन्ध के आधार पर इसका सर्जन हुआ है ।

स्पर्श-निरूपण के अन्तर्गत निक्षेप, नय, नाम, द्रव्य, क्षेत्र आदि सोलह अधिकार, जो वेदना-खण्ड में वर्णित हुए हैं, द्वारा तेरह प्रकार के स्पर्शों का विवेचन किया गया है तथा प्रस्तुत सन्दर्भ में कर्म-स्पर्श की प्रयोजनीयता का कथन किया गया है ।

कर्म के अन्तर्गत उपर्युक्त सोलह अधिकारों द्वारा दशविध कर्म का निरूपण है । वे दश कर्म इस प्रकार हैं—१. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. प्रयोग, ५. समबधान, ६. अधः, ७. ईर्यापथ, ८. तप, ९. क्रिया तथा १०. भाव ।

प्रकृति-निरूपण के अन्तर्गत शील और स्वभाव का उल्लेख हुआ है, जिन्हें उसका पर्यायवाची कहा गया है। यहाँ प्रकृति के चार भेद—नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव—में द्रव्य-प्रकृति अर्थात् कर्म-द्रव्य-प्रकृति का उपर्युक्त सोलह अधिकारों के माध्यम से विशद विवेचन किया गया है।

मुख्यतः पाँचवें खण्ड का महत्वपूर्ण अधिकार बन्धनीय है। वहाँ उसका—उसके अन्तर्गत २३ प्रकार की वर्गणाओं का, उनमें भी विशेषतः कर्म-बन्धयोग्य वर्गणाओं का सूक्ष्म तथा विस्तृत विश्लेषण हुआ है।

छठा खण्ड

महाबन्ध छठा खण्ड है। इसके सम्बन्ध में पहले संकेत किया ही गया है, आचार्य भूतबलि इसके रचयिता हैं। अपने ज्यायान् सतीर्थ्य आचार्य पुष्पदन्त द्वारा रचित सूत्रों को लेते हुए पाँच खण्डों की रचना सम्पन्न कर आचार्य भूतबलि ने तीस-सहस्र-श्लोक-प्रमाण महाबन्ध रचा। इस सम्बन्ध में इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार में जो उल्लेख किया है, उसे पिछले पृष्ठों में, जहाँ षट्खण्डागम की सामान्यतः चर्चा की गई है, उपस्थित किया ही गया है।

धवलाकार आचार्य वीरसेन ने जहाँ पाँचवाँ—वर्गणा खण्ड समाप्त होता है, इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है : “प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध तथा प्रदेशबन्ध के रूप में बन्ध-विधान चतुर्विध—चार प्रकार का है। भट्टारक भूतबलि ने महाबन्ध में इन चारों प्रकार के बन्धों का सप्रपञ्च—विस्तृत विवेचन किया है ; अतः हमने उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया। इस सन्दर्भ में समग्र महाबन्ध यहाँ प्ररूपित है; अतः बन्ध-विधान समाप्त किया जाता है।”^१

अस्तु, छठे खण्ड महाबन्ध में आचार्य भूतबलि द्वारा प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध तथा प्रदेशबन्ध का भेदोपभेदों सहित अनेक श्लेषाओं से विस्तृत के साथ-साथ अत्यन्त सूक्ष्म न गहन विश्लेषण किया गया है।

१. अं तं बंधविहाणं तं चउज्विहं, पयडिबंधो द्विविबंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो वेदि ।
एवैसि चउण्णं बंधाणं विहाणं भूतबलिभट्टारएण महाबंधे सप्यबन्धेण लिहिबं ति अम्हेहि
एत्थ न लिहिबं । तवो सयले महाबंधे एत्थ पक्खिदे बंधविहाणं समप्पदि ।

—षट्खण्डागम, खण्ड ५, भाग ४, पुस्तक १४, पृ० ५६४

सारांश

षट्खण्डागम के छहों खण्डों के इस संक्षिप्त परिचय से यह स्पष्ट है कि कर्म-तत्त्व-विज्ञान के निरूपण की दृष्टि से यह ग्रन्थ निःसन्देह भारत के दार्शनिक वाङ्मय में अपना असाधारण स्थान लिए हुए है।

कसायपाहुड (कषायप्राभृत)

आचार्य धरसेन का वर्णन करते समय आचार्य गुणधर के सम्बन्ध में पीछे संकेत किया गया है। जिस प्रकार धरसेन के इतिहास के विषय में हमारे समक्ष निश्चयायक स्थिति नहीं है, उसी प्रकार गुणधर का भी कोई ऐतिहासिक इतिवृत्त हमें उपलब्ध नहीं है। धरसेन के विषय में, जैसा कि पिछले पृष्ठों में चर्चित हुआ है, नन्दिसंघ की प्राकृत-पट्टावली में माघ-नन्दि के पश्चात् उल्लेख तो है, गुणधर के सम्बन्ध में इतना भी नहीं है।

भूतावतार के लेखक इन्द्रनन्दि ने गुणधर तथा धरसेन—दोनों के इतिवृत्त के सम्बन्ध में अपनी अक्षता ख्यापित की ही है,¹ जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

गुणधर के दैहिक जीवन का इतिहास हमें नहीं मिल रहा है, यह सच है। पर, तत्त्व-ज्ञान के क्षेत्र में उनकी जो बहुत बड़ी देन—उनकी कृति कसायपाहुड है, वह सदा उन्हें अमर-अमर बनाये रखेगी। व्यक्ति मर जाता है, विचार नहीं मरते। यदि किसी के विचार जीवित हैं, तो निश्चय की भाषा में उसे मृत नहीं कह सकते।

आधर

षट्खण्डागम की तरह कसायपाहुड भी द्वादशांग से सीधे सम्बद्ध वाङ्मय के रूप में प्रसिद्ध है। जवदह पूर्वों में पांचवां ज्ञानप्रवादपूर्व है। उसकी दशम वस्तु के तृतीय पाहुड का नाम पेज्जदोसपाहुड है। उसी के आधार पर कसायपाहुड की रचना हुई; अतः अपने आधारभूत पाहुड के नाम पर यह पेज्जदोसपाहुड के नाम से भी अभिहित किया जाता है। पेज्जदोस का संस्कृत-रूप प्रेयस्-द्वेष अर्थात् राग-द्वेष है। यही संसार का मूल है, जिसे सही रूप में जाने बिना, समझे बिना, उच्छिन्न किये बिना बन्धन से छुटकारा नहीं हो सकता।

१. गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वपरक्रमोऽस्माभिः ।

न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ॥ १५१ ॥

विषय

प्रस्तुत विषय में क्रोध आदि कषायों का स्वरूप, उनके रागात्मक तथा द्वेषात्मक रूप में परिणत होने की विविध स्थितियाँ आदि का अत्यन्त सूक्ष्म एवं मार्मिक विश्लेषण है।

रचना

कसायपाहुड की रचना गाथा-सूत्रों में हुई है। वे संख्या में २३३ हैं। सूत्र बहुत संक्षेप में हैं, पर गहन और गूढ़ अर्थ से संपृक्त हैं। आचार्य गुणधर ने इस ग्रन्थ की रचना कोर पदखण्डागम के माध्यम से प्रसृत श्रुत-परम्परा को और अभिवर्धित किया है।

कहा जाता है, आचार्य गुणधर ने इसकी रचना कर आचार्य नागहस्ती तथा आर्य मंक्षु के समक्ष इसे व्याख्यात किया। उससे यह परम्परा आगे भी गतिशील रही।

व्याख्या-साहित्य

आचार्य यतिवृषभ ने कसायपाहुड पर प्राकृत में छः सहस्र-श्लोक-प्रमाण चूणि-सूत्रों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि उच्चारणाचार्य ने आचार्य यतिवृषभ से उनके चूणि-सूत्रों का अध्ययन किया और उन पर द्वादश-सहस्र-श्लोक-प्रमाण उच्चारण सूत्र रचे। आज यह साहित्य अनुपलब्ध है।

कसायपाहुड पर अत्यन्त महत्वपूर्ण व्याख्या, जिसने इस महान् ग्रन्थ को और अधिक गौरवान्वित किया, स्वनामधेन्य आचार्य वीरसेन तथा उनके सुयोग्य शिष्य आचार्य जिनसेन की जयधवला टीका है, जिसके सम्बन्ध में पहले भी यथाप्रसंग चर्चा आई है। यह साठ-हजार-श्लोक-प्रमाण विशाल टीका है, जिसका प्रारम्भ का बीस सहस्र-श्लोक-प्रमाण भाग आचार्य वीरसेन द्वारा तथा आगे का चालीस हजार-श्लोक-प्रमाण भाग आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है।

इस टीका का कितना अधिक महत्व है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि जिस प्रकार धवला के कारण पदखण्डागम के पाँच खण्ड 'धवल', छठा खण्ड—महाबन्ध 'महाधवल' कहा जाता है, उसी प्रकार जयधवला के कारण कसायपाहुड 'जय धवल' कहा जाता है।

कलेवर

कसायपाहुड १५ अधिकारों में विभक्त है, जो इस प्रकार हैं : १. पेज्जदोसविभक्ति;

२. स्थितिविभक्ति, ३. अनुभागविभक्ति, ४. प्रदेशविभक्ति-भीष्माभीष्मस्थित्यन्तिक, ५. बन्धक, ६. वेदक, ७. उपयोग, ८. चतुः स्थान, ९. व्यंजन, १०. दर्शनमोहोपशामना, ११. दर्शनमोहक्षपणा, १२. संयमासंयमलब्धि, १३. संयमलब्धि, १४. चारित्रमोहोपशामना तथा १५. चारित्रमोहक्षपणा ।

अधिकारों के नाम से ही यह सुझेय है कि आत्मा की अन्तर्वृत्तियों के विश्लेषण तथा परिष्करण की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना महत्वपूर्ण है ।

षट्सयङ्गागम की भाषा

मथुरा के आस-पास का क्षेत्र कभी शूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध रहा है । प्राकृत-काल में वहां जो भाषा प्रचलित रही है, वह शौरसेनी प्राकृत कही जाती है । यह भाषा शूरसेन जनपद के अतिरिक्त पूर्व में वहां तक, जहां से अर्द्धमागधी का क्षेत्र शुरू होता था तथा पश्चिम में वहां तक जहां से पेशाची का क्षेत्र शुरू होता था, प्रसृत रही है । कहने का अभिप्राय यह है कि एक समय ऐसा रहा, जब यह भाषा उत्तर भारत के मध्यवर्ती विस्तृत भू-भाग में प्रयुक्त थी ।

दिगम्बर आचार्यों द्वारा अपने धार्मिक साहित्य के सर्जन में जिस प्राकृत का प्रयोग हुआ है, लक्षणों से यह शौरसेनी के अधिक निकट है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य विशेष रूप से परिशीलनीय हैं ।

दिगम्बर-सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र दक्षिण भारत रहा है । जिसके साथ अनेक प्रकार के कथानक जुड़े हैं, वह उत्तर भारत में व्याप्त द्वादशवर्षीय दुष्काल एक ऐसा प्रसंग था, जिसके परिणामस्वरूप घटित घटनाओं के कारण जैन संघ दो भागों में बंट गया । उत्तर में जो जैन संघ रहा, अधिकांशतया वह आगे चलकर श्वेताम्बर के रूप में विश्रुत हो गया । वह परम्परागत आगमों की, चाहे अंशतः ही सही, अविच्छिन्नता में विश्वास रखता रहा । उसकी ओर से विभिन्न समयों में आयोजित आगम वाचनाओं द्वारा अपने अर्द्धमागधी आगम-वाङ्मय को सुरक्षित बनाये रखने का प्रयत्न भी चला । फलतः वह वाङ्मय सुरक्षित रह भी सका । श्वेताम्बर मुनियों के माध्यम से आगे वह स्रोत प्रवहणशील रहा ।

दिगम्बर मुनियों की स्थिति दूसरी थी । उन्होंने महावीर-भाषित द्वादशांग-वाङ्मय को विच्छिन्न माना । इसलिए तदनुस्यूत भाषा के साथ भी उनका विशेष सम्बन्ध न रह सका । इस सम्प्रदाय के विद्वानों को, जब साहित्य-सर्जन का प्रसंग आया तो शौरसेनी का

स्वीकार अधिक संगत लगा हो। क्योंकि उत्तर भारत का मुख्य भाग उससे प्रभावित था। हर कोई लेखक यह चाहता है, उसकी कृति स्थायी रहे। वह भाषा के अस्तित्व तथा महत्व पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। शौरसेनी प्रभावशील भाषा थी। दिगम्बर लेखकों को उसमें कुछ ऐसी संभावनाएं प्रतीत हुई हों, वे मन में आश्वस्त रहे हों कि उन द्वारा उसमें प्रणीत साहित्य स्थायित्व लिए रहेगा।

एक दूसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि प्राचीन काल में दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्तर भारत से कुछ सम्बन्ध रहा भी तो वह विशेष रूप से मथुरा के आस-पास के प्रदेश से रहा हो। उस कारण भी उस प्रदेश की भाषा को अपने धार्मिक साहित्य में ग्रहण करने की मनः स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी जैन शौरसेनी कही जाती है। इसका एक कारण तो यह है कि उसमें पहले-पहल ग्रन्थ-रचना वाले जैन विद्वान् ही थे, जिनकी अपनी परम्परा थी, अपनी शैली थी। उनके कारण वह भाषा, जो उनकी लेखनी से पल्लवित और विकसित हुई, उनके विशेषण के साथ (जैन शौरसेनी) विश्रुत हो गई।

एक और कारण भी है। जैन धर्म, जब अविभक्त था, तब से, उससे भी पूर्व भगवान् महावीर के समय से अर्द्धमागधी से विशेष सम्बद्ध रहा। भगवान् महावीर चाहे शब्द रूप में बोले हों अथवा उनके देह से ध्वनि रूप में उद्गार निकले हों, अन्ततः उनके भाषात्मक रूप की परिणति अर्द्धमागधी में होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी कि अर्द्धमागधी एक तरह से जैन धर्म की भाषा है। जैसा कि कहा गया है, यद्यपि दिगम्बरों का अर्द्धमागधी के साथ विशेष सम्बन्ध रहा, पर अर्हद्-वाणी या आर्ष-वाणी के रूप में उनके मन में जो पारम्परिक श्रद्धा थी, वह कैसे मिट सकती थी। इसके सिवाय पूर्वतन श्रुत-स्रोत के परिप्रेक्ष्य में भी उनके मस्तिष्क पर उसकी छाप थी। अतः उन्होंने यद्यपि लिखा तो शौरसेनी में, पर स्वभावतः उस पर अर्द्धमागधी का प्रभाव बना रहा। इस प्रकार अर्द्धमागधी अर्थात् जैन धर्म की भाषा या जैन भाषा से प्रभावित रहने के कारण वह शौरसेनी जैन शौरसेनी कहलाने लगी।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत के स्वरूप के सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम उस भाषा के अन्तःस्वरूप की यथार्थ परिचायकता की अपेक्षा उसके स्थूल कलेवरीय स्वरूप पर अधिक आधृत है अन्यथा उन द्वारा प्रयुक्त भाषा में ऐसे उदाहरण भी हैं, जो मागधी आदि की सरणि से अधिक मेल खाते हैं।

प्रकृति के विख्यात वैयाकरण डा० आर० पिशेल (Dr. Pischel) ने इसे जो जैन शौरसेनी कहा है, उसके पीछे भी उसी प्रकार का अभिप्राय प्रतीत होता है।^१ डा० वाल्टर शुब्रिंग (Dr. Walter Schubring) के शिष्य डा० डेनेक (Dr. Denecke) ने डा० पिशेल (Dr. Pischel) द्वारा परिकल्पित जैन शौरसेनी नाम को अनुपयुक्त बताया है। उन्होंने उसे 'दिगम्बरी भाषा' कहना अधिक उपयुक्त समझा है। डा० ए० एन० उपाध्ये आदि विद्वान् इसे ठीक नहीं मानते। बात ऐसी ही है, यदि दिगम्बर लेखकों द्वारा अपने ग्रन्थों का इस भाषा में लिखा जाना इसके 'दिगम्बरी भाषा' कहे जाने का पर्याप्त हेतु है, तो वह अव्याप्त है, क्योंकि दिगम्बर विद्वानों ने अपने धर्म का साहित्य कन्नड़ तथा तमिल जैसी भाषाओं में भी तो रचा है, बहुत रचा है, जो उन भाषाओं की निधि है। अतः स्थूल दृष्ट्या जैन शौरसेनी नाम से इसे संज्ञित करना अनुपयुक्त नहीं लगता।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी में देशी शब्दों के प्रयोग लगभग अप्राप्त हैं। कारण स्पष्ट है, वह भाषा उस प्रदेश में पनपी, विकसित हुई, जो द्रविड़ परिवारीय-भाषा-समूह से सम्बद्ध है तथा देशी-शब्दों के प्रयोग-क्षेत्र से सर्वथा बाहर है।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त भाषा—शौरसेनी द्रविड़ परिवारीय भाषाओं से प्रभावित नहीं हुई, इसका कारण उन (द्रविड़ परिवारीय) भाषाओं का ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से आर्य-परिवारीय भाषाओं से भिन्नता है। संस्कृत का प्रभाव उस पर अवश्य अधिक है। एक तो शौरसेनी का प्रारम्भ से ही संस्कृत से विशेष लगाव रहा है, वररुचि ने तो इसकी उत्पत्ति ही संस्कृत^२ से बतलाई है तथा दूसरे संस्कृत की अपनी प्रभावापन्नता है, जिसकी अन्ततः परिणति हम समन्तभद्र, पूज्यपाद, अनन्तवीर्य तथा अकलंक जैसे महान् दिगम्बर संस्कृत लेखकों में पाते हैं।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत का यह संक्षिप्त विवरण है। स्थान, समय, स्थिति आदि के कारण विभिन्न कृतियों में भाषा के सन्दर्भ में कुछ भिन्नता या असदृशता भी रही है, पर वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अस्तु, षट्खण्डागम की भाषा जैन शौरसेनी प्राकृत है। मूल सूत्रों तथा टीका की भाषा में जो यत्किंचित् भिन्नता है, उसका उत्तर देश, काल एवं परिस्थिति के व्यवधान में स्वयं खोजा जा सकता है।

1. Comparative Grammar of the Prakrit Languages, Page 20-21

२. प्रकृति : संस्कृतम्।

शौरसेनी प्राकृत की मुख्य विशेषताएँ

शौरसेनी प्राकृत की निम्नांकित मुख्य विशेषताएँ हैं ।

इसमें मध्यवर्ती क् के स्थान पर ग्, त् के स्थान पर द् तथा थ् के स्थान पर छ होता है ।

वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया में 'दि' लगता है ।

पूर्वकालिक क्रियात्मक अव्यय में प्रायः उभ, तु एवं 'वृण' प्रत्यय का प्रयोग होता है ।

उपसंहारात्मक समीक्षा

आगम-साहित्य एवं त्रिपिटक-साहित्य पर भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से यथोचित विमर्शन सम्बन्धित सम्वर्धों में कराया जाता रहा है । शब्द-साम्य व उक्ति-साम्य आदि नाना स्फुट विषय बनते हैं, जिन पर पृथक्-पृथक् रूप से शोध-कार्य किया जा सकता है ; प्रस्तुत खण्ड की महाकायता को देखते हुए इतना विस्तार में जाना समुचित नहीं होगा । विषय का आरम्भ मात्र मैं यहां कर देना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ी उसे और विस्तार दे सके । मेरे लिए यह कार्य तीसरे खण्ड में भी सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका विषय भी मुख्यतः प्रकरण-साम्य ही रहेगा, जो अपने आप में प्रथम दो खण्डों के समकक्ष होगा ।

पिटक—शास्त्र के अर्थ में पिटक शब्द दोनों ही परम्पराओं ने अपनाया है । वह ज्ञान-मंजूषा गणी तथा आचार्य के लिए है, इसलिए उसे गणिपिटक कहा गया है । गणी शब्द का प्रयोग महावीर, बुद्ध आदि तात्कालिक धर्म-प्रवर्तकों के अर्थ में भी बौद्ध परम्परा में मिलता है ¹ हो सकता है, पंचनायक भगवान् महावीर से उद्भूत वाणी के अर्थ में ही जैन परम्परा ने गणिपिटक शब्द को अपनाया हो ।

निगन्ठ—इस शब्द का अर्थ है—निर्ग्रन्थ । तात्पर्य है—अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित । त्रिपिटकों में जैन सम्प्रदाय को निर्ग्रन्थ-सम्प्रदाय, भगवान् महावीर को निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र स्थान-स्थान पर कहा गया है । जैन श्रमणों को भी निर्ग्रन्थ कहा गया है । उक्त

१. संयुक्तनिकाय, बहर सुत्त (३.१-२), पृ० ६८, दीघनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, १/२,

सुत्तनिकाय, समीय सुत्त, पृ० १०८ से ११० आदि

अर्थों में निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग गरिपिटक में भी ज्यों-का-त्यों देखा जाता है। भगवान् महावीर के प्रवचन को भी निर्ग्रन्थ-प्रवचन कहा गया है।

पुद्गल—पुद्गल शब्द का प्रयोग जैन और बौद्ध परम्परा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता है। जैन परम्परा में इसका मुख्य अर्थ रूपी जड़ पदार्थ है। बौद्ध परम्परा में पुद्गल शब्द का अर्थ है—आत्मा, जीव।^१ जैनागमों में जीव-तत्त्व के अर्थ में पुद्गल शब्द आया है।^२ गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान् महावीर ने जीव को पुद्गल कहा है।^३

अर्हत् और बुद्ध—वर्तमान में अर्हत् शब्द जैन परम्परा में और बुद्ध शब्द बौद्ध परम्परा में रूढ़ जैसा बन गया है। वस्तुस्थिति यह है कि जैनागमों में अर्हत् और बुद्ध अपने श्लाघ्य पुरुषों के लिए अपनाये गये हैं और बौद्ध आगमों में भी अपने श्लाघ्य पुरुषों के लिए। जैनागमों की प्रसिद्ध गाथा है—

जेय बुद्धा अतिकन्ता । जेये बुद्धा अणागया ।^४

बौद्ध परम्परा की सुविदित गाथा हैं—

ये बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता ।

पचुप्पन्ता व ये बुद्धा अहं वंदानि ते सदा ।

जैनागमों में और भी अनेक स्थानों पर बुद्ध, सम्बुद्ध, संयबुद्ध आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है।

तित्थगराणं सयं सम्बुद्धाणं ।^५

तिविहा बुद्धा-णाण बुद्धा, दंसण बुद्धा, चरित्त बुद्धा ।^६

समणेणं भगवया महावीरेणं आइमरेणं तित्थयरेणं सयं संबुद्धेणं ।^७

१. मज्झिम निकाय, ११४

२. भगवती सूत्र, शतक २०-३-२

३. वही, ८-३-१०

४. सूत्रकृतांग सूत्र, १-१-३६

५. रायपसेणइयं, ५

६. स्थांग सूत्र, ठा० ३

७. समवायांग सूत्र, २।२

बुद्धेहि एवं पवेदितं ।^१

संखाई भम्म य वियागरंति बुद्धा ह्व ते अन्तकरा भवन्ति ।^२

बौद्ध परम्परा में अर्हत् शब्द का प्रयोग इसी प्रकार पूज्यजनों के लिए किया गया है। स्वयं तथागत को स्थान-स्थान पर अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध कहा गया है।^३ भगवान् बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् पांच सौ भिक्षुओं की जो सभा होती है, वहाँ आनन्द को छोड़कर चार सौ निन्यानवे भिक्षु अर्हत् बतलाए गए हैं। कार्य-आरम्भ के अवसर तक आनन्द भी अर्हत् हो जाते हैं।^४ बौद्धागमों में बुद्ध और जेनागमों में अर्हत् शब्द के तो अगणित प्रयोग हैं ही।

थेरे—स्थविर शब्द का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं में वृद्ध या ज्येष्ठ के अर्थ में हुआ है। जैन परम्परा में ज्ञान, वय, दीक्षा-पर्याय आदि को लेकर स्थविर के अनेक भेद-प्रभेद किए गए हैं। बौद्ध परम्परा में बारह वर्ष से अधिक के सभी भिक्षुओं के नाम के साथ थेर या थेरो लगाया जाता है।

भन्ते—पूज्य और बड़ों को आमंत्रित करने में भन्ते (भदन्त) शब्द दोनों ही परम्पराओं में एक है। से कणट्ठेण भन्ते, सुणं भन्ते, सेव भन्ते, सब्बं भन्ते आदि प्रयोग जैन आगमों के हैं।^५ बौद्ध आगमों में भी भन्ते शब्द की अनहद बहुलता है।

आउसो—समान या छोटे के लिए आउस (आयुष्मान्) शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में समान रूप से मिलता है। भगवान् बुद्ध को भी 'आउस' गौतम कहकर सम्बोधित किया जाता था। गोशालक ने भी भगवान् महावीर को 'आउसो कासवा'^६ कहा है।

आवक, उपासक, भ्रमणोपासक—आवक शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में मिलता है। जैन परम्परा के अनुसार उसका अर्थ गृहस्थ उपासक है। बौद्ध परम्परा

१. आचारांग सूत्र, ४।१।३४०

२. सूत्रकृतांग सूत्र, १-१४-१८

३. दीघनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, १।२

४. विनयपिटक, पंचशतिका स्कन्धक

५. भगवती सूत्र, शतक ७।३।२७९

६. वही, शतक १५

में इससे भिक्षु और गृहस्थ, दोनों ही प्रकार के शिष्यों का बोध होता है।^१ उपासक और श्रमणोपासक शब्द अनुयायी गृहस्थ के लिए दोनों परम्पराओं में प्रयुक्त हैं।

आलस्य और संवर—ये दोनों शब्द भी जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में एक ही अर्थ में मान्य दिखलाई पड़ते हैं।^२

दीक्षित होने के अर्थ में एक वाक्य दोनों परम्पराओं में रूढ़ जैसा पाया जाता है। जैनागमों में है—आगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए।^३ बौद्ध शास्त्रों में है—अगारम्मा अनगारिअं पव्वज्जन्ति।^४

सम्यक्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि—ये दोनों शब्द भी एक ही अर्थ में दोनों परम्पराओं में मिलते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही अपने-अपने अनुयायियों को सम्यक्दृष्टि और इतर मत वालों को मिथ्यादृष्टि कहते हैं।

उपोषथ—इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में मिलता है। दीघनिकाय में भगवान् बुद्ध ने जैनों के उपोसथ की आलोचना की है।

वैरभण—व्रत लेने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में देखा जाता है।

तथागत—मुख्यतः यह शब्द बौद्ध परम्परा का है। जैनागमों में यत्र-तत्र उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ—

कओ कआइ मेहावी उपज्जन्ति तहागया।

तहागया उपपडिक्कन्ता चक्खु लोगस्सनुत्तरा ॥^५

विनय—विनय शब्द का दोनों परम्पराओं में महत्व है। बौद्ध परम्परा में समग्र आचार-धर्म के विषय में ही विनय शब्द का प्रयोग है। विनयपिटक इसी बात का सूचक है। जैनागमों में भी अनेक अध्ययन विनय-प्रधान हैं। दशवैकालिक सूत्र का नवम अध्ययन

१. अंगुतर निकाय, एक कनिधात, १४

२. जैनागम, समवायंग सूत्र, सं० ५, बौद्ध शास्त्र, मज्झिमनिकाय, २

३. भगवती सूत्र, ११।१२।४३१

४. महावग्ग

५. सूत्र कृतांग सूत्र, २।१५।१२०।६२५

‘विनय-समाधि नाम से है—उसकी प्रथम उक्ति है—‘यंमा व कोहा व मयप्प माया, गुरु सगस्से विणयं न सिब्बे । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम भी विनयश्रुत है और वहाँ यही कहा जाता है—विणयं पाउ करिस्सामि, आण्णुप्पिबं सुरोह मे ।

वर्जित कथा—जैनागमों में स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देश-कथा, राज कथा की वर्जना मिलती है । दीघनिकाय के ब्रह्मजाल और सामञ्जसफल, इन दोनों प्रकरणों में ऐसी कथाओं को तिरच्छान कथा कहा है—तिरच्छान कथं; अनुयुक्तो विहरित सेय्यसदं राज कथं, चोरकथं, महानत कथं सेना कथं, भय कथं, युद्ध कथं, अन्न कथं, पान कथं ।

त्रिशरण-चतुशरण—बौद्ध पिटकों व परम्परा में तीन शरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सो जैनागमों व परम्परा में चार शरण अपना अवन्त्य स्थान रखते हैं । ये तीन व चार शरण क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

बुद्धं सरणं गच्छामि	अरहन्ते सरणं पवज्जामि
संघं सरणं गच्छामि	सिद्धे सरणं पवज्जामि
धम्मं सरणं गच्छामि	साहं सरणं पवज्जामि
केवली पन्तत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।	

णमोत्थुणं—जैन आगमों का प्रसिद्ध स्तुति-वाक्य है—‘णमोत्थुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स ।’ बौद्ध परम्परा का सूत्र है—‘‘णमोत्थुणं समणस्स भगवओ सम्यग् सम्बुद्धस्स ।’

नगर व देश—नालन्दा, राजगृह, कथंगला, श्रावस्ती आदि नगरों व अंग, मगध आदि देशों के नाम व वर्णन दोनों आगमों में समान रूप से मिलते हैं ।

जैनागम कहते हैं—व्यक्ति तीन उपकारक व्यक्तियों से उद्धार नहीं होता—गुरु से, मालिक से और माता-पिता से ।¹ वहाँ यह भी बताया गया है कि यमक प्रकार की पराकाष्ठा-परक सेवाएं दे देने पर भी वह अनृक्करण ही रहता है । लगभग वही उक्ति बौद्ध आगमों में मिलती है । बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ, सो वर्ष तक एक कन्धे पर माता को और एक कन्धे पर पिता को ढोए, और सो वर्ष तक ही वह उनके उबटन, मर्दन आदि करता रहे, उन्हें शीतोष्ण जल से स्नान कराता रहे, तो भी न वह माता-पिता का उपकारक

होता है, न प्रत्युपकारक । यह इसलिए कि माता-पिता का पुत्र पर बहुत उपकार होता है ।^१ जैनागमों ने धार्मिक सहयोग को उक्तृण होने का आधार माना है ।

दो अरिहन्त—जैनागमों की सुदृढ़ मान्यता है—भरत आदि एक ही क्षेत्र में एक साथ दो तीर्थंकर नहीं होते । बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! इस बात की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि एक ही विश्व में एक ही समय में अर्हत् सम्यग् संबुद्ध पैदा हों ।^२

स्त्री—अर्हत्, चक्रवर्ती शब्द—जैनों की मान्यता है ही कि अर्हत्, चक्रवर्ती, इन्द्र आदि स्त्री-भव में कभी नहीं होते । बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ, यह तनिक भी सम्भावना नहीं है कि स्त्री-अर्हत् चक्रवर्ती व शुक हो ।^३ श्वेताम्बर आम्नाय के अनुसार मल्ली स्त्री तीर्थंकर थी, पर वह कभी न होने वाला आश्चर्य था ।



१. अंगुत्तर निकाय

२. वही

३. वही

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

१. अंग पण्णत्ति : आचार्य शुभचन्द्र
२. अंगुत्तर-निकाय : अनु० भदन्त आनन्द कौशल्यायन, प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता,
१९५७-६३
३. अलंकार-तिलक :
४. अनुयोगद्वार सूत्र ।
५. अट्ठसालिनी : पूना संस्करण, १९४२
६. अष्टाध्यायी-वृत्ति : पाणिनी
७. अभिसमयालंकार : बड़ीदा संस्करण
८. अभिधान राजेन्द्र कोष : (७ भाग) आचार्य विजयरत्नेन्द्रसूरि, रतलाम,
१९१३-३४
९. अमरकोश : (तृतीय खण्ड) नानार्थ वर्ग
१०. अशोक के धर्मलेख : सं० जनार्दन भट्ट, प्र० पब्लिकेशन डिवाजन, सूचना एवं
प्रसार मंत्रालय, प्रोल्ड सेक्रेटेरियेट, दिल्ली, १९५७
११. आचारांग-निर्युक्ति :
१२. आचारांग सूत्र : (जैनागम) शीलाकाचार्य कृत वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय
समिति, सूरत, १९३५
१३. आदि पुराण : आचार्य जिनसेन, सं० पं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, १९६३
१४. आराधना : अपराजित सूरि
१५. आराधना : विजयोदया : अपराजित सूरि
१६. आवश्यक-निर्युक्ति : आचार्य भद्रबाहु मलयगिरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय
समिति, बम्बई १९२८
१७. आवश्यक-निर्युक्ति : आचार्य भद्रबाहु हारिभद्रीय वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय
समिति बम्बई, १९१६
१८. इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार :

१९. उत्तराध्ययन सूत्र : भावविजयजी कृत टीका, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
२०. उपमिति भवप्रपञ्चकथा : आचार्य सिद्धिषि
२१. ऋग्वेद :
२२. औपपातिक सूत्र : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९३७
२३. कच्चान व्याकरण :
२४. कर्पूर मंजरी : राजशेखर
२५. कल्पसूत्र : प्र० साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद १९४१
२६. कल्पसूत्र टीका :
२७. कल्याण : गीता प्रेस, गोरखपुर
२८. कामसूत्र :
२९. काव्यादर्श : दण्डी
३०. काव्यालंकार वृत्ति :
३१. गउड़वहो : वाक्पति राज
३२. गोपक मोगलान सुता :
३३. गोम्मटसार : नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती, पाठम निवासी पं० अनोहरलाल कृत वृत्ति, प्र० श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई १९१३
३४. चूलवग्ग परिच्छेद :
३५. चूलवंस परिच्छेद :
३६. छान्दोग्योपनिषद् :
३७. जंबूदीपपण्याति : शांतिचन्द्र गणि विहित वृत्ति सहित (भाग १, २) प्र० देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९२०
३८. जय धवला प्रशस्ति :
३९. जैन आगम : पं० दलमुख मालवणिया, जैन संस्कृति शोध मंडल, बनारस, १९४७
४०. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश : क्षुत्लक जिनेन्द्र वर्णी
४१. जैन सिद्धान्त भास्कर : जैन सिद्धान्त भवन, आरा १९१३
४२. ज्योतिष्करण्डक टीका :
४३. ज्ञातृधर्मकथा :
४४. ज्ञातृधर्मकथा सूत्र :

४५. ठाणांग सूत्र ।

४६. तत्त्वार्थ सूत्र : उमास्वाति, प्र० रायचन्द जैन शास्त्रमाला, हीराबाग, बम्बई,
१९०६

४७. तत्त्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि : आचार्य पूज्यपाद

४८. ताण्डय महाब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण :

४९. तिस्थोगालीपइन्ना : (जैन ग्रन्थ) अप्रकाशित

५०. तिलोपपण्णत्ति : आचार्य यति वृषभ, सं० हीरालाल जैन व ए० एन० उपाध्ये,
प्र० जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १९५१

५१. तैत्तिरीय संहिता :

५२. दशवैकालिक वृत्ति :

५३. दर्शनसार : देवसेनाचार्य, सं० पं० नाथूराम प्रेमी, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय
बम्बई, १९२०

५४. दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद) : अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा,
सारनाथ, बनारस, १९३६

५५. दीपवंस : (सिलोनी पालि ग्रन्थ) सं० श्रीर अनु० ओल्डन वर्ग, प्र० विलियम्स
एण्ड नोर्गेट, लन्दन १९०६-१९१५

५६. द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका : आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

५७. धर्म संग्रह सटीक :

५८. धवला :

५९. नन्दी सूत्र :

६०. नन्दी सूत्र स्थविरावली :

६१. नाट्य शास्त्र : आचार्य भरत

६२. नायाधम्मकहाओ : वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी, सं० मुनि नयमल, प्र० जैन
विश्व भारती, लाडनू, वि० सं० २०३१

६३. नारद-स्मृति :

६४. निरयावलिका : (सुन्दर बोधि व्याख्या तथा हिन्दी-गुर्जर भाषानुवाद सहित)
घासीलालजी महाराज, प्र० अ० भा० श्वे० स्या० जैन शास्त्रोद्धार
समिति, राजकोट, १९६०

६५. निरुक्त :

६६. नियुक्ति : आचार्य भद्रबाहु

६७. निशीथ भाष्य :
६८. नीतिसार : आचार्य इन्द्रनन्दी
६९. पंचसिद्धान्तिका : वराहमिहिर
७०. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्ददास, प्र० जैन धर्म प्रचारक सभा, भावनगर, १९५७
७१. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० डा० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२
७२. पाइअसद्महण्णवो : कर्त्ता पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ, सं० डा० बासुदेवशरण अग्रवाल, पं० दलसुखभाई मालवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५, (द्वितीय संस्करण) १९६३
७३. पाणिनी शिक्षा :
७४. पाणिनीय अष्टाध्यायी :
७५. पालि महाव्याकरण : ले० भिक्षु जगदीश काश्यप
७६. पालि साहित्य का इतिहास : डा० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन (द्वितीय संस्करण) प्रयाग, १९६३
७७. प्रभावक चरित : प्रभाचन्द्र, प्र० सिन्धी ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९४०
७८. प्रज्ञापनोपांगम पूर्वार्द्धम् :
७९. प्रज्ञापना सूत्र : अमोलक ऋषि द्वारा अनुदित
८०. प्राकृत उपदेश पद : आचार्य हरिभद्र
८१. प्राकृत पट्टावली :
८२. प्राकृत प्रकाश : वररुचि
८३. प्राकृत लक्षण :
८४. प्राचीन लिपि माला : डा० गौरीशंकर होराचन्द ओझा
८५. बाल रामायण : राजशेखर
८६. बृहत्कथाकोष : आचार्य हरिवेण, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिन्धी जैन ग्रन्थ माला, बम्बई १९४३
८७. बृहत्कल्पभाष्य :
८८. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास :
८९. भगवती सूत्र : (जैनागम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १९३७

६०. भद्रबाहु चरित्र : आचार्य रत्ननन्दी
६१. भर्तृहरिकृतनीतिशतक : आचार्य सिद्धिषि
६२. भारत की आर्य भाषाएं : डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
६३. भारत की भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ : डा० सुनीतिकुमार चटर्जी
६४. भाषा विज्ञान : डा० भोलानाथ तिवारी
६५. भाव-संग्रह : देवसेन, सं० पन्नालाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन
ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
६६. मज्झिम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि
सभा, सारनाथ, बनारस, १९३३
६७. मनुस्मृति :
६८. महापरिनिष्वाण सुत्त :
६९. महापुराण : प्र० माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
१००. महाभारत :
१०१. महाभाष्य : महर्षि पतंजलि, सं० भार्गव शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
१९५१
१०२. महावंस : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५६
१०३. महावग्ग : महावीर जैन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९६८
१०४. महावीर चरित : रघू
१०५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) मिथिला पीठ, दरभंगा संस्करण १९६१
१०६. महायान सूत्रालंकार :
१०७. मिलिन्द-पञ्चो : (पालि) सं० आर० डी० वडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
बम्बई १९४०
१०८. मुण्डकोपनिषद् :
१०९. याज्ञवल्क्य स्मृति :
११०. रत्नकरण्डावकाचार : प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,
बम्बई
१०१. राजप्रशनीय सूत्र :
११२. रामायण : गीता प्रेस, गोरखपुर

११३. रायपसेणइयं : (जैनागम) सं० पं० बेचरदास डोसी, प्र० गुर्जर रत्न ग्रन्थ कार्यालय, अहमदाबाद, १९३९
११४. ललित विस्तर : (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली) सं० डा० पी० एल० वैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा १९५८
११५. ललित विस्तरा : आचार्य हरिभद्र
११६. लघु सिद्धान्त कौमुदी :
११७. वसुदेव हिंडी :
११८. विनयपिटक : (पालि) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मंडल नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य १९५६
११९. विनयपिटक : (भूमिका) सं० डा० ओल्डन वर्ग
११०. विपाक सूत्र :
१२१. विपाक श्रुत :
१२२. विसुद्धिमग्ग : आचार्य बुद्धघोष
१२३. विशेषावश्यक भाष्य : (सटीक) जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार-कोट्याचार, प्र० ऋषभदेव केशरीमल श्वे० संस्था, रतलाम, १९३६-३७
२२४. बृहदारण्य कोपनिषद् :
१२५. वृष्णिदशा सूत्र :
१२६. वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी :
१२७. व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र : टीका अभयदेव सूरि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल जैन श्वे० संस्था, रतलाम १९४७
१२८. शाकटायन :
१२९. शाकटायन व्याकरण :
१३०. श्रवणबेलगोला शिलालेख :
१३१. श्रुतावतार :
१३२. श्री आवश्यक सूत्रम् : (द्वितीय भाग) आचार्य मलयगिरि
१३३. श्री दुःषमाकालश्रमणसंघस्तव : धर्मघोष सूरि
१३४. षट्खण्डागम : (धवला टीका) आचार्य वीरसेन, सं० हीरालाल जैन, प्र० सिताबचन्द लखमीचन्द, अमरावती (बरार) १९४१-५७
१३५. षट्प्राभृत टीका :
१३६. षड्दर्शन समुच्चय सटीक : याकिनी महत्तरा सूनु आचार्य सूरि

१३७. संयुक्त निकाय : (पालि) सं० भिक्षु जगदीश , काश्यप प्र० पालि प्रकाशन
मंडल, मदनमालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १९५९
१३८. संस्कृत-हिन्दी-कोश : आ०टे, वामन शिवराम
१३९. सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र : डा० एन० एन० दत्त का देवनागरी संस्करण
१४०. समन्तपासादिका : आचार्य बुद्धघोष, सं० जे० यकाकुसु, मकोटी नगाई, प्र०
पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९४७
१४१. समवायांग सूत्र : (जैनागम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित सं० मास्टर नगीनदास
नेमचन्द, प्र० सेठ माणिकलाल चुन्नीलाल, कान्तीलाल,
चुन्नीलाल, अहमदाबाद, १९३८
१४२. सरस्वतीकण्ठाभरण : आजड़
१४३. सामान्य भाषा विज्ञान : डा० बाबूराम सक्सेना
१४४. सामवेद :
१४५. साहित्य दर्पण : महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी
१४६. सिद्धहैमशब्दानुशासन : हेमचन्द्राचार्य, प्र० सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति,
बम्बई
१४७. सुमंगलविलासिनी : आचार्य बुद्धघोष, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन,
१८८६-१९३२
१४८. सूत्रकृतांग सूत्र : (जैनागम) शीलाकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्थासप्रवर
श्रीचन्द्रसागरगणि, प्र० श्री गीड़ीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर
पेड़ी, बम्बई
१४९. सूत्रकृतांग निर्युक्ति चूणि :
१५०. स्थविरावली चरितम् -
१५१. स्थानांग टोका - आचार्य अभयदेव सूरि, सन् १०६३
१५२. स्थानांग सूत्र - (जैनागम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति
सुरत, १९२०
१५३. स्थानांग सूत्र वृत्ति :
१५४. स्त्री-निर्वाण-केवल-भुक्ति-प्रकरण : सं० मुनि जम्बूविजयजी, प्र० आत्मानन्द
जैन सभा, भावनगर, सं० २०३०
१५५. हिमवत् थेरावली :

1. A Comparative Study of Pratimoksha : by Pachova.
2. An Introduction to Linguistic Science : Prof. Adager Sturvint,
New Haven, 1948.
3. Annals of Bhondarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.
4. Buddhist India : Royas Devids.
5. Buddhistic Studies : Edited by Dr. Law.
6. Comparative Grammar of the Prakrit Language : Dr. Pishel.
7. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's
Nyaya vatara and other works : Published by Jain Sahitya Vikas
Mondala Bombay, 1971.
8. Epitome of Jainism Appendix :
9. History of Pali Literature : Dr. Law.
10. History of Indian Literature : M. Winter Nitza, Calcutta, 1933
11. Indian Historical Quarterly : December, 1928.
12. Indian Palaeography : Dr. Bular.
13. J. Bendryes Language : J. Bendryes, London, 1952.
14. Jainism In South India : Prof. S. K. Ramchandra Rao.
15. Language : Dr. Blum Field.
16. Lax Religion Dyaina : Dr. Welter Schubring.
17. Linguistic Survey of India : Sir Jorj Abroham Griyorsan. 1927
18. Manu Smriti : M. Monior Williams.
19. Mysore Gazatter : Laws Rice.
20. Pali Literature and Language : Dr. Gaiger.
21. Rajasthan District Gazetter : Churu.
22. R. G. Bhandarkar Commemoration :
23. Sanskrit-English Dictionary : by Sir M. Monior Williams
M. W. A. K. C. I. E.
24. The Middle Length Saying :
25. The Pali Literature of Burma : London, 1909,
26. The Story of Language : Mosiyo-Pai, London, 1952

लेखक की अन्य कृतियां

१. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड-१
२. मति माधुर्य
३. अहिंसा विवेक
४. नया युग : नया दर्शन
५. नैतिक विज्ञान
६. अहिंसा पर्यवेक्षण
७. जैनागम : दिग्दर्शन
८. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
९. अणुव्रत जीवन दर्शन
१०. अहिंसा के अंचल में
११. आचार्यश्री भिक्षु और महात्मा गांधी
१२. अणु से पूर्ण की ओर
१३. अणुव्रत विचार
१४. नवीन समाज व्यवस्था में दान और दया
१५. आचार्य तुलसी : एक अध्ययन
१६. प्रेरणा दीप
१७. सर्व धर्म सद्भाव
१८. तेरापन्थ दिग्दर्शन
१९. अणुव्रत-क्रान्ति के बढ़ते चरण
२०. अणुव्रत आंदोलन और विश्वार्थी वर्ग
२१. अणुव्रत दिग्दर्शन
२२. अणुव्रत आंदोलन
२३. अणुव्रत दृष्टि
२४. युग प्रवर्तक भगवान् महावीर
२५. युग धर्म तेरापन्थ
२६. बाल दीक्षा : एक विवेचन
२७. मर्यादा महोत्सव : इतिहास और परिचय

२८. महावीर और बुद्ध की समसामयिकता
२९. मंजिल की ओर
३०. तेरापन्थ शासन प्रणाली
३१. सत्य मंजिल : समीक्षा राह
३२. मन के द्वन्द्व : शब्दों की कारा
३३. यथार्थ के परिपार्श्व में

संस्कृत

३४. भिक्षु चरित्रम्
३५. माथेरान सुषमा
३६. भक्तेरुक्तयः
३७. आशुकाव्यानि
३८. नीति-नीलोत्पलानि
३९. ललितांग चरित्रम्

अंग्रेजी

1. Agama Aour Tripitaka : Eka Anusilana, Vol. 1
[Press]
2. New Age : A New outlook
3. Anuvrat Ideology
4. Light of Inspiration
5. Jain Philosophy & Modern Science
6. Strides of Anuvrat Movement
7. Pity and Charity in the New Pattern of Society
8. A Pen-Sketch of Acharya Tulsi
9. Glimps of Anuvrat
10. Glimps of Terapanth
11. Contemporaniety and chronology of Mahavira and Buddha
12. Theory of Relativity and Syadvad
13. King Bimbisara and king Ajatasatru in the age of Mahavira & Buddha.





राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्०

जन्म : सरदारशहर (राजस्थान) २४ सितम्बर
१९१७

प्रव्रज्या : तेरापंथ के अष्टमाचार्य पूज्य कालू गणी
के करकमलों से सन् १९३४ ।

सम्मान : अणुशत परामर्शक पद, १९६२ ।
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा ऑनरेरी
डी० लिट्० १९६९ ।
राष्ट्रसन्त, सितम्बर १९८१ ।

अभिनिष्क्रमण : सरदारशहर (राजस्थान)
६ नवम्बर १९७६ ।

साहित्य-साधना : आगम और त्रिपिटक : एक
अनुशीलन, अहिंसा, विवेक, जैन दर्शन और
आधुनिक विज्ञान अणुशत जीवन दर्शन, आचार्य
मिष्ट और महात्मा गांधी नैतिक विज्ञान, नया
युग : नया दर्शन, यथार्थ के परिपात्र में प्रभृति
बहुसंख्यक रचनायें, स्फुट लेख व विचार, जो
देश के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते
रहे हैं ।

लोक हिताय : सुदूर प्रांतों में प्रसन्न व सकल
एव-यात्राएँ । मजदूरों और किसानों में,
बिद्यार्थी और व्यापारियों में, सर्वसाधारण और
राज-कर्मचारियों में, छात्रकों व प्राध्यापकों में,
अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों में, साहित्यकारों
व पत्रकारों में, विधायकों व संसद सदस्यों में
नैतिक व चारित्रिक उद्बोधन ।

दिल्ली आपका प्रमुख कार्य-क्षेत्र रही है ।
शीर्षस्थ लोगों से आपका उल्लेखनीय सामीप्य
रहा है ।

जैन आगम ग्रन्थ भी एक विशाल वाङ्मय हैं और त्रिपिटक के अन्तर्गत जिन पालि-ग्रन्थों की गिनती की जाती है, वे भी लगभग तीन महाभारतों के बराबर हैं। इस सारे वाङ्मय को मथकर उसका एक प्रकार से नवनीत निकाल कर रख देना सहज कार्य नहीं था। 'आगम और त्रिपिटक' इस बात का प्रमाण है कि सतत् किये गये परिश्रम से दुष्कर कार्य भी सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं।

—भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन

जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य का आधुनिक युग में जो अध्ययन हुआ है, उसके आरम्भ काल से ही विद्वान् जनों के आगम-साहित्य और बौद्धों के 'स्थविरवाद' कहे जाने वाली पालि-त्रिपिटकों के ग्रन्थों में पायी जाने वाली आश्चर्यजनक समानताओं की ओर लक्ष्य करते रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि पूज्य मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० ने इस आवश्यकता की पूर्ति की है। 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन' ग्रन्थ के रूप में उन्होंने प्रथम पालि-त्रिपिटक और आगम-साहित्य का एक सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत किया है।

—डा० भरतसिंह उपाध्याय

डा० मुनिश्री नगराजजी से हमारी अपेक्षा यह है कि वे अपना सामर्थ्य इस ओर लगावें कि आगमों में कौन-कौन से ग्रन्थ का क्या-क्या काल हो सकता है? यह उनके सामर्थ्य की बात है; क्योंकि वे आगम और त्रिपिटक के निष्णातक रूप में हमारे आदर के पात्र हैं।

—दलसुखभाई मालवगिया

मूर्धन्य मनीषी मुनिश्री नगराजजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट कृतियों से भारतीय वाङ्मय को समृद्धि किया है। उनकी प्रस्तुत कृति 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन' भाषा-शास्त्र के सन्दर्भ में मौल्य का पथर है।

—कन्हैयालाल सेठिया

The work is full of deep scholarship, penetrating criticism and originalities. It essays tackling problems which have not received due attention so far, and in my opinion, constitutes a most welcome contribution to the world of Scholarship.

—Prof. Dr. G. C. Pande